तीसरी पंचवर्षीय योजना

योजना-आयोग, भारत-सरकार
की ओर से प्रकाशित

मूल्य 7 50

भूमिका

इस रिपोर्ट मे तीसरी पचवर्षीय योजना के विकास-सम्बन्धी उद्देश्यो, नीतियो और कार्यक्रमो को प्रस्तुत किया गया है।

विगत दो पचवर्षीय योजनाओ ने आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की बुनियादें मजबूत करने में सहायता दी है और औद्योगिक एव आर्थिक विकास तथा वैज्ञानिक एव टेक्नोलाजी-सम्बन्धी प्रगति को प्रोत्साहित किया है।

तीसरी पचवर्षीय योजना का उद्देश्य सविधान के सामाजिक लक्ष्यो को अधिक ठोस रूप देना है तथा इससे उस महान् प्रगति का आभास मिलता है, जो उन उद्देश्यो की पूर्ति की दिशा में हुई है। इसमें पहली दो योजनाओ की सफलताओ और विफलताओ को दृष्टि में रखते हुए अगले 15 वर्षों या इससे भी अधिक अवधि में पूरे किए जानेवाले विकास-कार्यों को प्रस्तुत किया गया है।

तीसरी योजना तैयार करने का काम सन् 1958 के अन्त में प्रारम्भ हुआ और इसे तीन प्रमुख चरणो में पूरा किया गया। पहला चरण जुलाई 1960 के आरम्भ में प्रारम्भिक रूपरेखा के प्रकाशन के साथ समाप्त हुआ और इस अवधि में राज्यो तथा केन्द्रीय सरकार-द्वारा नियुक्त कार्यकारी दलो ने विस्तृत अध्ययन किया। ससद् ने अगस्त 1960 मे प्रारम्भिक रूपरेखा को सामान्य स्वीकृति प्रदान की।

प्रारम्भिक रूपरेखा पर देश-भर में विचार-विमर्श हुआ और इसके आधार पर राज्यों की योजनाए तैयार की गई। इन पर सितम्बर-नवम्बर 1960 में राज्यो के मुख्य मन्त्रियो के साथ मिलकर विचार-विमर्श किया गया। जनवरी 1961 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने तीसरी योजना के सम्पूर्ण आकार और स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दी, परिषद् ने तीसरी योजना के लिए साधनो के अधिकतम सग्रह के उपायो पर सुझाव देने के लिए एक बचत-समिति भी नियुक्त की। अन्त मे, 31 मई और 1 जून, 1961 को राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने तीसरी योजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट पर विचार किया और सामान्यत उसे स्वीकृति दी।

नवम्बर 1960 में पाच ससदीय समितियो ने तीसरी योजना के उद्देश्यो तथा प्राथमिकताओ पर सावधानी से विचार किया। इस रिपोर्ट में उक्त समितियो के सुझावों और टीकाओ से लाभ उठाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है। समय-समय पर विभिन्न राजनीतिक दलो से सम्बद्ध ससत्सदस्यो की समिति के समक्ष, जिसके अध्यक्ष प्रधान मन्त्री थे, योजना के विभिन्न पहलू विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। योजना-आयोग से सम्बद्ध ससत्सदस्यो की सलाहकार समिति ने भी विभिन्न चरणो मे योजना पर विचार-विमर्श किया।

योजना-निर्माण की सम्पूर्ण अवधि में प्रमुख लोकनेताओ, विद्वानो, व्यावसायिक सघो, उद्योगो एव श्रमिको से सम्बद्ध सगठनो तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञो ने उदारतापूर्वक अपने समय और अनुभवो का लाभ प्रदान किया। योजना-आयोग को अपने अर्थशास्त्रियो और विज्ञानवेत्ताओ के मडलो तथा भूमि-सुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एव आवास-सम्बन्धी

मडलो के परामर्श और सुझावो का भी लाभ प्राप्त हुआ। कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन, अनुसन्धान-कार्यक्रम-समिति, योजना की परियोजनाओ-सम्बन्धी समिति, केन्द्रीय अक-सकलन-सगठन, भारतीय अक-सकलन-सस्था और अनुसन्धान के क्षेत्र में सलग्न अन्य सगठनो के अध्ययन के परिणामो मे भी आयोग को सहायता मिली। जिला, खड और ग्राम-स्तर पर —विशेष रूप मे कृषि, सहकारिता, शिक्षा एव ग्रामोद्योगो के विकास के सम्बन्ध में— योजनाओ का निर्माण राष्ट्रीय योजना तथा राज्यो की योजनाए तैयार करने की प्रक्रिया का एक अविच्छेद्य अग था। ये स्थानीय योजनाए पचायती राज की सफलता का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अग है, क्योकि पचायती राज के जरिए हर क्षेत्र के निवासियो पर अपने विकास के लिए पहल करने, जिम्मेदारी सम्भालने और तीव्र प्रगति के लिए समुचित उपाय तथा साधन ढूढने का भार डाला गया है।

इस प्रकार, तीसरी योजना की तैयारी एक विशाल राष्ट्रीय प्रयत्न था, जिसमें अनेक क्षेत्रो से मूल्यवान सहयोग मिला है और हर चरण पर राज्य-सरकारो तथा केन्द्रीय मन्त्रालयो का घनिष्ठतम सहयोग रहा है।

तीसरी योजना अगले 15 वर्षों या इससे भी अधिक समय के दीर्घकालीन विकास की एक बडी योजना का प्रथम चरण है। उस बडी योजना की तैयारी का काम अब हाथ में लिया जाएगा। इस योजना की अवधि मे भारत की अर्थव्यवस्था का सिर्फ तेजी से विस्तार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और आत्मचालित भी बनाना चाहिए। इस दीर्घकालीन दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनो के विकास, कृषिगत एव औद्योगिक प्रगति, सामाजिक ढाचे में परिवर्तन और प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय विकास की एक सुसम्बद्ध योजना को एक सामान्य स्वरूप देना है।

इस योजना में पाच वर्ष की अवधि के लिए बडे-बडे उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित किए गए है। 'बडे' वे सिर्फ विगत योजनाओ की तुलना में है, देश की आवश्यकताओ और उन्हें पूरा करने की देश की सामर्थ्य की दृष्टि से नही। वस्तुत वे न्यूनतम आवश्यकताओ को प्रकट करते है, जिनकी पूर्ति होनी ही चाहिए, परन्तु उनका मूल उद्देश्य अत्यधिक तात्कालिकता अनुभव करने तथा उसे पूरा करने के लिए सघन प्रयत्नो का मार्ग प्रशस्त करना है।

परन्तु साथ ही, कार्य की विशालता और बहुमुखी चुनौतियो को भी कम नही समझा जाना चाहिए। योजना में सबसे अधिक बल व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी कार्यान्विति तथा दोषहीनता और ऐसी परिस्थितियो के निर्माण पर दिया जाना चाहिए, जिनमें अधिकतम उत्पादन हो, अधिकतम लोगो को रोजगार मिले तथा मानवीय साधनो का अधिकतम विकास हो। सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा समाजवाद की स्थापना के लिए अनुशासन और राष्ट्रीय एकता ही आधार-सदृश हैं। तीसरी योजना में हर कदम पर और हर स्तर पर निष्ठावान नेतृत्व की आवश्यकता होगी, सरकारी कर्मचारियों से कर्तव्यपरायणता और कुशलता के उच्चतम स्तर की अपेक्षा की जाएगी, तथा जनता में व्यापक रूप से योजना के प्रति समझदारी एव सहयोग-भाव बढाने और भविष्य में उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा हिस्सा निभाने तथा अपेक्षाकृत अधिक बोझ उठाने के लिए तत्पर करने की आवश्यकता होगी।

योजना-आयोग

अध्यक्ष :

जवाहरलाल नेहरू

उपाध्यक्ष :

गुलज़ारीलाल नन्दा

सदस्य :

मोरारजी आर० देसाई
वी० के० कृष्णमेनन
सी० एम० त्रिवेदी
श्रीमन्नारायण
टी० एन० सिंह
ए० एन० खोसला
पी० सी० महलानवीस

सचिव :

विष्णु सहाय

अतिरिक्त सचिव :

तरलोक सिंह

अध्याय 1

योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य

(1)

भूमिका

भारत के विकास का मूलभूत उद्देश्य, निश्चित रूप से, यह होना चाहिए कि भारतीय जनता को सुचारु जीवन व्यतीत करने का अवसर मिले। वस्तुत सब देशो का अपनी जनता के प्रति यही उद्देश्य होता है, यद्यपि सुचारु जीवन की व्याख्या विभिन्न प्रकार से हो सकती है। सारे विश्व को ध्यान मे रखते हुए, भारत के साथ-साथ अन्य देशो के लिए भी इस उद्देश्य की पूर्ति इस बात से गहरा सम्बन्ध रखती है और इसी पर निर्भर करती है कि विश्व में शान्ति कायम रहे। आधुनिक हथियारो से लडे जानेवाले युद्ध मे न केवल उन्नति की सब आशाओ पर पानी फिर जाएगा, अपितु मानव-जाति का अस्तित्व भी सकट मे पड जाएगा। इसलिए, शान्ति का सबसे अधिक महत्व है और राष्ट्रीय उन्नति के लिए वह सबसे पहले जरूरी है। जब तक अर्द्धविकसित और निर्धनताग्रस्त राष्ट्र तथा लोग रहेंगे, तब तक वे स्वय शान्ति-रक्षा के लिए अनिवार्य सकट बने रहेंगे। इसलिए अब इस बात को अधिक-से-अधिक स्वीकार किया जा रहा है कि विश्व की शान्ति और कल्याण के लिए प्रत्येक देश मे गरीबी, बीमारी और अज्ञान का अन्त होना चाहिए, जिससे एक उन्मुक्त मानवता का निर्माण हो सके।

2 प्रत्येक प्रमुख सस्कृति और सभ्यता की कुछ अपनी विशेषताए होती है, जिनकी जडे भूतकाल में जमी रहती है और जिन पर उस सस्कृति की छाप होती है। भारत पर, जिसका हजारो साल पुराना इतिहास है, अब भी अपनी निजी विशेषताओ की गहरी छाप मौजूद है। परम्परागत समाज और भूतकाल की अवरुद्ध अर्थव्यवस्था के, जिसे औपनिवेशिक शासन ने कुछ हद तक जडीभूत कर दिया था, परिणामस्वरूप व्यापक और भयकर गरीबी ने आज उन विशेषताओ को ढक दिया है। पर सस्कृति की ये आवश्यक बाते ऊपरी तौर पर समाज की परम्परागत रचना के साथ जुडी रहने पर भी किसी भी तरह उसका अविच्छेद्य अग नही है। दरअसल, ये नैतिक और आचार-शास्त्र के कुछ ऐसे मूल्य है, जिन्होने भूतकाल में कई युगो तक भारतीय जीवन को प्रभावित किया है, चाहे जनता इनके अनुसार अपना जीवन भले न बिता सकी हो। ये मूल्य भारत के चिन्तन का एक अग है, यद्यपि यह चिन्तन आधुनिक विश्व की वैज्ञानिक और टेक्नोलाजिकल सभ्यता के प्रभाव की ओर अधिकाधिक उन्मुख है। कुछ हद तक भारत की समस्या यह है कि इन दोनो के बीच किस प्रकार मेल पैदा किया जाए। आधुनिक जगत में, सम्भवत अन्य कोई देश गाधी पैदा नही कर सकता था, टैगोर का भी, जिनका जीवन की समस्याओ के प्रति दृष्टिकोण एकदम आधुनिक था, भारत की प्राचीन सस्कृति और चिन्तन-पद्धति की ओर झुकाव था। इस प्रकार, उनका सन्देश इन दोनो के बीच समन्वय का सन्देश है।

3. भारत की 40 करोड़ से भी कुछ अधिक जनता के लिए सुखद जीवन की व्यवस्था करना एक महान् कार्य है और इस लक्ष्य की उपलब्धि में बहुत समय लगेगा। पर इससे कम लक्ष्य की बात नहीं सोची जा सकती, क्योंकि वर्तमान में उठाया गया प्रत्येक पग अन्तिम उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। बनाई जा रही योजनाओं के पीछे भविष्य की दृष्टि है—ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार भारतीय जनता के दीर्घकालीन राष्ट्रीय संघर्ष के पीछे स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की दृष्टि थी। इन योजनाओं में भविष्य के प्रति आस्था और विश्वास है। अपनी मौजूदा दिक्कतों के प्रति हम पूर्णतः सजग हैं और इसके साथ ही हमें यह दृढ़ विश्वास है कि इन दिक्कतों पर विजय पा ली जाएगी। आयोजन के पिछले दस सालों में प्राप्त अनुभव और अब तक के बड़े-बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने यह धारणा पैदा कर दी है कि भारत विश्वास-पूर्वक आनेवाले समय में सतत आर्थिक प्रगति की आशा कर सकता है। इस प्राचीन भूमि में भी, जहां चिरकाल से परम्पराओं का राज्य रहा है, परिवर्तन की ऐसी हवाएं बह रही हैं, जो न केवल नगर-निवासी को, किन्तु अपने खेतों में काम करनेवाले किसानों को भी प्रभावित कर रही हैं। प्रत्येक पग पर नए गतिरोध और नई चुनौतियां सामने आती हैं। इनका मुकाबला साहस और विश्वास के साथ करना होगा। ज्यों-ज्यों भारत की विकास-योजनाओं का नाटक आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों भारत के परिवर्तनरत स्वरूप से एक नया उत्साह, एक नई उत्तेजना, परिलक्षित होती है।

4. इस समय सर्वप्रथम ध्यान देने-योग्य समस्या गरीबी और इससे पैदा होनेवाली सारी बुराइयों का मुकाबला करने की है और यह बात समझ ली गई है कि यह काम केवल सामाजिक और आर्थिक प्रगति से ही हो सकता है। इसके फलस्वरूप एक ऐसे समाज का निर्माण होगा, जो टेक्नोलाजिकल दृष्टि से परिपक्व होगा, और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनेगी, जिसमें सब नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए बुनियादी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने होंगे और प्राचीन परम्परागत व्यवस्था के स्थान पर एक सशक्त समाज कायम करना होगा। इस दिशा में बढ़ने के लिए न केवल विज्ञान और आधुनिक टेक्नोलाजी का दृष्टिकोण और उसका प्रयोग अपनाना होगा, बल्कि सामाजिक रिवाजों और संस्थाओं में भी दूरगामी परिवर्तन लाने होंगे। कुछ सीमा तक पिछली कई पीढ़ियों से भारतीय मानस में इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों के लिए तत्परता मौजूद है। धीमे-धीमे, इसने ज्यादा ठोस रूप ग्रहण किया है और अब यह आयोजन का आधार बन गई है।

5. यह बात अपरिहार्य थी कि भारत के स्वतन्त्रता-संघर्ष-काल में स्वाधीनता का राजनीतिक पक्ष अन्य सब चीज़ों पर हावी हो जाता है। फिर भी, शुरू से ही भारत की राष्ट्रीयता में आर्थिक चिन्तन और समाज-सुधार के तत्व बड़ी मात्रा में मौजूद थे। कुछ हद तक यह बात एक राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए असाधारण थी। जनसाधारण की गरीबी को दूर करने तथा भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन के समस्त ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए स्वतन्त्रता को ही अनिवार्य साधन माना जाता था। दादाभाई नौरोजी से लेकर, जिनका पत्र 'दि पावर्टी आफ इंडिया' (भारत की गरीबी) शीर्षक सन् 1876 में पेश किया गया था, परवर्ती अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इन प्रश्नों को राष्ट्रीय स्वराज में सर्वोपरि स्थान दिया। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन

बढा और उसका विस्तार भारत की जनता के मध्य हुआ, इसका सामाजिक तत्व प्रबलतर होता गया। महात्मा गाधी के आविर्भाव के साथ, यह आन्दोलन बडी तेजी से भारत के किसानो और मजदूरो मे फैला। गाधीजी के लिए स्वतन्त्रता केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नही था, बल्कि उसका मतलब आम लोगो को गरीबी और अव पतन से ऊचा उठाना था। उन्होने भारतीय जनता के साथ अपने को मिला दिया, विशेषत उनके साथ, जो सामाजिक व्यवस्था मे एकदम निम्न श्रेणी के थे। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन ने आम जनता की अधिकाधिक सेवा में अपने को सलग्न किया और क्रमश अधिक-से-अधिक किसान इसमें सम्मिलित हुए। फलस्वरूप इसके कार्यक्रम में कृषि-सम्बन्धी समस्या ने एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया—ठीक वैसे ही, जैसे गाधीजी के नेतृत्व में दलितो और अधिकारहीनो का उत्थान इस आन्दोलन का एक प्रमुख अग बना।

6 इस प्रकार, स्वतन्त्रता के लिए राजनीतिक सघर्ष जैसे-जैसे विकसित हुआ और इसने विशाल आन्दोलनो का रूप धारण किया, वैसे-वैसे इसका सम्बन्ध कुछ सीमा तक भारत की बुनियादी, सामाजिक और आर्थिक समस्याओ के साथ और खास तौर पर कृषि-समस्याओ के साथ जुडा। स्वतन्त्रता-सघर्ष के सामाजिक और आर्थिक ध्येय निरन्तर अधिक रूप में स्पष्ट होते गए। सन् 1931 में एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम और सन् 1936 में एक कृषि-कार्यक्रम स्वीकार किया गया। सन् 1938 के अन्त में एक राष्ट्रीय आयोजन-समिति गठित की गई, और इस प्रकार आयोजन के विचार ने भारत मे प्रमुखता प्राप्त की। परन्तु शीघ्र ही द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण, राष्ट्रीय आयोजन-समिति अपना काम प्रभावशाली ढग से न कर सकी और इस अवधि में इसके कई सदस्यो को जेल भेज दिया गया। पर इसने आयोजन के लगभग सभी पहलुओ पर विचार कर लिया था और अन्त में एक ऐसी अध्ययन-माला भी प्रस्तुत की थी, जिसमें सामाजिक और आर्थिक नीतियो तथा कार्यक्रमो के बारे में विवरण दिया गया था, जो स्वतन्त्रता के बाद आयोजन के और अधिक सगठित प्रयास का आधार बने।

7 द्वितीय विश्व-युद्ध के परिणामस्वरूप, परिस्थितियो से बाध्य होकर, भारत में कुछ उद्योगो का विकास हुआ। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले भी, अन्तरिम सरकार ने आयोजन की ओर ध्यान दिया और एक सलाहकार आयोजन-बोर्ड कायम किया, जिसका काम आयोजन के लिए समस्त उपलब्ध सामग्री का सग्रह करना था। देश-विभाजन के भयकर परिणामो और बडी सख्या मे जनता के बेघरबार होकर पाकिस्तान मे भारत और भारत से पाकिस्तान जाने के कारण, इस बोर्ड की सिफारिशो को क्रियान्वित करने में कुछ देर हो गई। सन् 1950 के प्रारम्भ मे भारत की सविधान सभा-द्वारा नया सविधान मजूर किए जाने के बाद भारत-सरकार ने योजना-आयोग स्थापित किया, जिसका उद्देश्य देश के भौतिक, पूजीगत और मानवीय साधनो का मूल्याकन करना और इनके अत्यधिक प्रभावशाली एव सन्तुलित उपयोग की योजना बनाना था।

8 सविधान में बुनियादी उद्देश्य 'राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तो' में कहे गए है। इन 'निदेशक सिद्धान्तो' मे भी कहा गया है कि

"राज्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयत्न एक ऐसी सामाजिक

व्यवस्था की यथासम्भव प्रभावशाली रूप से स्थापना और उसकी रक्षा करके करेगा, जिसके अन्तर्गत न्याय—सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक—राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं में व्याप्त होगा।"

यह भी कहा गया है कि :

"राज्य अपनी नीति का संचालन खास तौर पर निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करेगा

(अ) नागरिकों को—पुरुषों और स्त्रियों, दोनों को समान रूप से—जीवन-निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्राप्त होगा,

(आ) समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि सर्वोत्तम रूप से सबका भला हो,

(इ) आर्थिक प्रणाली की कार्यान्विति का परिणाम ऐसा न हो कि धन और उत्पादन के साधनों का जमाव आम जनता के हितों के विरुद्ध हो जाए,

दिसम्बर 1954 में इन सामान्य सिद्धान्तों को और भी निश्चित दिशा प्रदान की गई, जब संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य-रूप में 'समाजवादी ढंग के समाज' का आदर्श स्वीकार किया। यह सिद्धान्त जिसमें समाजवाद और लोकतन्त्र के मूल्य तथा योजनाबद्ध विकास के प्रति दृष्टिकोण मूर्तिमान है अचानक किसी परिवर्तन का सूचक नहीं था बल्कि इसकी जड़े भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में गहरे रूप में मौजूद थीं।

9 इस प्रकार स्वतन्त्रता के बाद दो मुख्य लक्ष्यों ने भारत के योजनाबद्ध विकास का पथ-प्रदर्शन किया है—लोकतान्त्रिक साधनों से एक द्रुत विस्तारशील और टेक्नोलाजी की दृष्टि से पर्याप्त प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था का निर्माण, और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, जो न्याय पर आधारित हो और प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करे। एक परम्परागत समाज को एक शक्तिशाली समाज में बदलना—वह भी एक ऐसे देश में, जिसकी आबादी विशाल हो और जहां के लोग अपनी प्राचीन रूढ़ियों से बुरी तरह ग्रस्त हों—एक बहुत बड़ा काम था। चूंकि यह काम शान्तिमय और लोकतान्त्रिक साधनों से तथा जनता की रज़ामन्दी से करना था, इसलिए यह और भी कठिन हो गया। परन्तु यह अनिवार्य था कि भारत शान्तिमय और लोकतान्त्रिक साधनों को स्वीकार करता, क्योंकि स्वतन्त्रता-संग्राम में भी वह इन्हीं तरीकों को काम में लाया था।

10 इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए, पहली पंचवर्षीय योजना ने सीमित साधनों और अपर्याप्त तथ्यों के आधार पर इस काम को हाथ में लिया। इसमें जो तात्कालिक उद्देश्य रखे गए थे, वे पूरे हुए और इस सफलता ने राष्ट्र में विश्वास पैदा किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना कुछ अधिक अनुभव और अधिक ज्ञान पर आधारित थी। इसमें अपेक्षाकृत बड़े लक्ष्य निश्चित किए गए और 'समाजवादी ढंग के समाज' के सिद्धान्त के आधार पर आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए एक दीर्घकालीन

नीति स्वीकार की गई। योजनाबद्ध विकास किस प्रकार किया जा सकता है, उसका वर्णन करते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया

"एक अर्द्धविकसित देश के सामने केवल मौजूदा आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं के ढाचे के भीतर और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने का ही सवाल नहीं होता, बल्कि उन्हें इस तरह ढालने और बनाने का भी सवाल होता है, जिससे वे और अधिक विस्तृत और गहरे सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति में प्रभावशाली ढंग से अपना अंशदान कर सकें।

"इन मूल्यों अथवा बुनियादी उद्देश्यों को हाल में एक वाक्य में संक्षिप्त कर दिया गया है, 'समाजवादी ढंग का समाज'। निश्चय ही, इसका मतलब यह है कि प्रगति की दिशा निश्चित करते समय बुनियादी आधार निजी लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ होना चाहिए और विकास का स्वरूप तथा सामाजिक-आर्थिक सम्बन्ध का ढाचा ऐसा होना चाहिए कि उसमें न केवल पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय आय और रोजगार की वृद्धि हो, बल्कि आय और धन के मामले में और अधिक समानता की स्थिति पैदा हो। उत्पादन, वितरण, खपत और पूजी-विनियोग—दरअसल समस्त महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धो—से सम्बद्ध प्रमुख निर्णय ऐसी एजेन्सियो-द्वारा किए जाने चाहिए, जिन्हे सामाजिक उद्देश्य की जानकारी हो। आर्थिक विकास के लाभ समाज के उन वर्गों को ज्यादा-से-ज्यादा प्राप्त होने चाहिए, जिन्हें अपेक्षाकृत कम सुविधाए प्राप्त है, और आय, धन तथा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण में क्रमश कमी होनी चाहिए। समस्या इस प्रकार की अवस्थाए पैदा करने की है, जिनमें एक मामूली आदमी को, जिसे सगठित प्रयत्न-द्वारा प्राप्त होनेवाली विकास की बहुत सारी सम्भावनाओ को देखने और उनमें भाग लेने का बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ है, यह अवसर प्राप्त हो कि वह अपने लिए उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त करने और देश के लिए और अधिक समृद्धि बढाने मे अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके। इस प्रक्रिया में वह आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ऊचा उठता है। इस प्रकार, श्रम की उदग्र चलिष्णुता श्रम की क्षैतिज चलिष्णुता से कम आवश्यक नही है, क्योंकि आशा को विनष्ट करने और प्रयत्न को निकम्मा बनाने के लिए इससे अधिक और कोई भावना नही हो सकती कि जन्म की घटना अथवा छोटी स्थिति से जीवन का प्रारम्भ होना किसी योग्य व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक स्तर में ऊचा उठने से रोके।

"समाजवादी ढग के समाज को कोई निश्चित अथवा अपरिवर्तनीय स्वरूप नही मानना चाहिए। यह किसी सिद्धान्त अथवा रुढि से उद्भुत नही है। हरेक देश अपनी प्रतिभा और परम्पराओ के अनुसार विकसित होता है। ऐतिहासिक परिस्थितियो को दृष्टि मे रखकर ही समय-समय पर आर्थिक और सामाजिक नीति का निर्माण करना

पड़ता है। यह न तो जरूरी है और न ही वाछनीय कि अर्थ-व्यवस्था एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थर की तरह हो अथवा एक ऐसी सस्था बन जाए, जिसमें उसके स्वरूप और काम करने के ढग के बारे में परीक्षण करने की गुजायश ही न रहे। सरकारी क्षेत्र के विस्तार का यह मतलब भी नही है कि निर्णय करने और अधिकार के प्रयोग का केन्द्रीकरण हो। वस्तुत उद्देश्य यह होना चाहिए कि कामो का ठीक ढग से बटवारा हो और सरकारी उद्यमो को विस्तृत निदेशो और व्यवहार में आनेवाले नियमो के ढाचे के भीतर काम करने की पूरी तौर पर स्वतन्त्रता मिले।

"समाजवादी ढग के समाज मे निश्चित लक्ष्यो की प्राप्ति—जीवन-स्तर को ऊचा करना, सबके लिए समान अवसर सुलभ करना, सुविधाहीन वर्गों में उद्यम की भावना बढाना और समाज के सब हिस्सो में साझेदारी की भावना का निर्माण करना—पर जोर दिया जाता है। ये निश्चित लक्ष्य मूलभूत निर्णयो की कसौटी है। सविधान में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तो में खुलासे के साथ इस दृष्टिकोण का सकेत किया गया है, समाजवादी ढग के समाज में इस दृष्टिकोण की ओर अधिक मूर्त अभिव्यक्ति है। आर्थिक नीति और सस्थागत परिवर्तन का आयोजन इस ढग से करना होगा कि लोकतान्त्रिक ढग से और सबके हित मे आर्थिक प्रगति हो। लोकतन्त्र के विषय में कहा गया है कि वह विशेष सस्थागत व्यवस्थाओ की अपेक्षा जीवन का एक तरीका है। समाजवादी ढग के बारे में भी यही कहा जा सकता है।"

(2)

योजनाबद्ध विकास

11 जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, तब भारत का औद्योगिक आधार बड़ा दुर्बल था। परम्परागत खेती-बाड़ी के ढाचे के बोझ के नीचे उसके लाखो ग्रामवासी पिस रहे थे। जन-सख्या के बढते हुए दबाव की पृष्ठभूमि में अवरुद्ध आर्थिक विकास की लम्बी अवधि, जिसके बाद विश्व-युद्ध का बोझ पडा, के परिणामस्वरूप भारत की अर्थ-व्यवस्था कमजोर हो गई थी। चारो ओर गरीबी और अभाव का बोलबाला था। देश के विभाजन ने लाखो लोगो को अपने घरो से उखाड दिया था और आर्थिक जीवन विशृखल हो गया था। कृषि और उद्योग का उत्पादन निम्न स्तर पर पहुच गया था। आवश्यकताओ के अनुपात में, उपलब्ध स्वदेशी बचत बहुत कम थी। स्वतन्त्रता का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता था, जब आर्थिक नीव काफी सुदृढ हो जाती। सविधान ने नागरिकों के समान अधिकारो की व्यवस्था कर दी और अब इनकी उपेक्षित जीवन-स्तर को ऊचा करने और जन-समुदाय के लिए और अधिक अवसर प्रदान करने की माग होने लगी थी। यह जरूरी था कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का

पुर्ननिर्माण हो, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति की नीव रखी जाए और शिक्षा तथा अन्य समाज-सेवाओ का विस्तार किया जाए । इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन की जरूरत थी, जिसमें आर्थिक और सामाजिक जीवन के समूचे स्वरूप समा जाए। इसके साथ-साथ साधनो का सग्रह करने के लिए प्रयत्नो की, प्राथमिकताए और लक्ष्य निर्धारित करने की, एव परिवर्तन तथा टेक्नोलाजी-सम्बन्धी उन्नति के लिए विशाल दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार, योजनाबद्ध विकास एक ऐसा साधन था, जिससे यथासम्भव द्रुत गति से उन्नति का ऊचा स्तर प्राप्त किया जाता, आर्थिक और सामाजिक जीवन की सस्थाओ का पुर्ननिर्माण होता, और राष्ट्रीय विकास-कार्य के लिए जनता की शक्तियो का सचय किया जा सकता।

12 पचवर्षीय योजनाओ के द्वारा विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है, उसके मुख्य अगो को यहा सक्षेप मे प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत उद्देश्य यह है कि सतत आर्थिक उन्नति के लिए दृढ आधार की व्यवस्था हो, लाभदायक रोजगार के लिए अवसरो को और अधिक बढाया जाए, और आम लोगो के जीवन-स्तर तथा काम करने की परिस्थितियो को सुधारा जाए। विकास की योजना मे पहली प्राथमिकता, निश्चय ही, कृषि की है और जहां तक सम्भव हो, कृषि-उत्पादन को उन्नतम स्तर तक बढाना है । पचवर्षीय योजनाओ में ऐसे सर्वागीण और विविध प्रकार के प्रयत्नो का समावेश है, जिससे किसान के दृष्टिकोण और उसके चारो ओर की अवस्थाओ में परिवर्तन आ सके । कृषि की उन्नति और मानवीय साधनो का विकास, ये दोनो ही बातें समान रूप से उद्योग की प्रगति पर अवलम्बित है। उद्योग से न केवल नए औजार मिलते है, बल्कि किसानो का मानसिक दृष्टिकोण भी बदलता है। इसमें कोई सन्देह नही कि आज भारत के अधिकाश कृषक नए औजार काम मे ला रहे है और खेती के नए तरीको का परीक्षण कर रहे है तथा इससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है । भारत के गावो मे बाइसिकिलो का बडी सख्या मे आना न केवल जीवन-स्तर के ऊचा होने का परिचायक है, बल्कि एक नए और परिवर्तनशील दृष्टिकोण का भी प्रतीक है । खेती और उद्योग को विकास की एक ही प्रक्रिया के अभिन्न अग मानना चाहिए । इसलिए योजनाबद्ध विकास के द्वारा उद्योग की प्रगति को तेज करना होगा और आर्थिक उन्नति में गति लानी होगी। खास तौर पर, भारी उद्योगो और मशीन-निर्माण-उद्योगो को विकसित करना होगा, सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना होगा और एक बडे तथा उन्नतिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना होगा । सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि बुनियादी और नीतिमूलक महत्व के उद्योगो के साथ-साथ ऐसे उद्योगो के, जो जनोपयोगी सेवा से सम्बद्ध है, और अधिक विकास के लिए खास तौर पर व्यवस्था करे तथा जहा तक जरूरी हो, अन्य उद्योगो को भी हाथ में ले । अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार, राज्य-व्यापार को भी वृद्धिशील पैमाने पर हाथ मे लेना होगा। सक्षेप में, विकास की योजना में, प्राप्त एजेंसियो का पूरा लाभ उठाते हुए, सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि वह पूरे तौर पर, और तुलनात्मक दृष्टि से भी, निजी क्षेत्र से अधिक तेजी से विकसित हो।

13 अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार के साथ, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनो के विकास के लिए अवसर उत्पन्न होते है, और कई प्रकार से दोनो के कार्य परस्पर-पूरक है। निजी क्षेत्र में केवल सगठित उद्योग ही शामिल नही है, किन्तु कृषि, छोटे उद्योग,

पडता है। यह न तो जरूरी है और न ही वाछनीय कि अर्थ-व्यवस्था एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थर की तरह हो अथवा एक ऐसी सस्था बन जाए, जिसमें उसके स्वरूप और काम करने के ढग के बारे में परीक्षण करने की गुजायश ही न रहे। सरकारी क्षेत्र के विस्तार का यह मतलब भी नहीं है कि निर्णय करने और अधिकार के प्रयोग का केन्द्रीकरण हो। वस्तुत उद्देश्य यह होना चाहिए कि कामो का ठीक ढग से बटवारा हो और सरकारी उद्यमो को विस्तृत निदेशो और व्यवहार में आनेवाले नियमो के ढाचे के भीतर काम करने की पूरी तौर पर स्वतन्त्रता मिले।

"समाजवादी ढग के समाज में निश्चित लक्ष्यो की प्राप्ति—जीवन-स्तर को ऊचा करना, सबके लिए समान अवसर सुलभ करना, सुविधाहीन वर्गों में उद्यम की भावना बढाना और समाज के सब हिस्सो में साझेदारी की भावना का निर्माण करना—पर जोर दिया जाता है। ये निश्चित लक्ष्य मूलभूत निर्णयो की कसौटी हैं। सविधान में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तो में खुलासे के साथ इस दृष्टिकोण का सकेत किया गया है, समाजवादी ढग के समाज में इस दृष्टिकोण की और अधिक मूर्त अभिव्यक्ति है। आर्थिक नीति और सस्थागत परिवर्तन का आयोजन इस ढग से करना होगा कि लोकतान्त्रिक ढग से और सबके हित में आर्थिक प्रगति हो। लोकतन्त्र के विषय में कहा गया है कि वह विशेष सस्थागत व्यवस्थाओ की अपेक्षा जीवन का एक तरीका है। समाजवादी ढग के बारे में भी यही कहा जा सकता है।"

(2)

योजनाबद्ध विकास

11 जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, तब भारत का औद्योगिक आधार बडा दुर्बल था। परम्परागत खेती-बाडी के ढाचे के बोझ के नीचे उसके लाखो ग्रामवासी पिस रहे थे। जन-संख्या के बढते हुए दबाव की पृष्ठभूमि में अवरुद्ध आर्थिक विकास की लम्बी अवधि, जिसके बाद विश्व-युद्ध का बोझ पडा, के परिणामस्वरूप भारत की अर्थ-व्यवस्था कमजोर हो गई थी। चारो ओर गरीबी और अभाव का बोलबाला था। देश के विभाजन ने लाखो लोगो को अपने घरो से उखाड दिया था और आर्थिक जीवन विशृंखल हो गया था। कृषि और उद्योग का उत्पादन निम्न स्तर पर पहुच गया था। आवश्यकताओ के अनुपात में, उपलब्ध स्वदेशी बचत बहुत कम थी। [illegible] नहीं पूरा हो सकता था, जब आर्थिक नींव काफी सुदृढ़ हो जाती। [illegible] के समान अधिकारो की व्यवस्था कर दी और अब इनको [illegible] जीवन-स्तर को ऊचा करने और जन-समुदाय के लिए और अधिक अवसर [illegible] थी। यह जरूरी था कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का

पुर्ननिर्माण हो, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति की नीव रखी जाए और शिक्षा तथा अन्य समाज-सेवाओ का विस्तार किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन की जरूरत थी, जिसमें आर्थिक और सामाजिक जीवन के समूचे स्वरूप समा जाए। इसके साथ-साथ साधनो का सग्रह करने के लिए प्रयत्नो की, प्राथमिकताए और लक्ष्य निर्धारित करने की, एव परिवर्तन तथा टेक्नोलाजी-सम्बन्धी उन्नति के लिए विशाल दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार, योजनाबद्ध विकास एक ऐसा साधन था, जिससे यथासम्भव द्रुत गति से उन्नति का ऊचा स्तर प्राप्त किया जाता, आर्थिक और सामाजिक जीवन की सस्थाओ का पुर्ननिर्माण होता, और राष्ट्रीय विकास-कार्य के लिए जनता की शक्तियो का सचय किया जा सकता।

12 पचवर्षीय योजनाओ के द्वारा विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है, उसके मुख्य अगो को यहा सक्षेप मे प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत उद्देश्य यह है कि सतत आर्थिक उन्नति के लिए दृढ आधार की व्यवस्था हो, लाभदायक रोजगार के लिए अवसरो को और अधिक बढाया जाए, और आम लोगो के जीवन-स्तर तथा काम करने की परिस्थितियो को सुधारा जाए। विकास की योजना मे पहली प्राथमिकता, निश्चय ही, कृषि की है और जहा तक सम्भव हो, कृषि-उत्पादन को उच्चतम स्तर तक बढाना है। पचवर्षीय योजनाओ में ऐसे सर्वांगीण और विविध प्रकार के प्रयत्नो का समावेश है, जिससे किसान के दृष्टिकोण और उसके चारो ओर की अवस्थाओ में परिवर्तन आ सके। कृषि की उन्नति और मानवीय साधनो का विकास, ये दोनो ही बातें समान रूप से उद्योग की प्रगति पर अवलम्बित हैं। उद्योग से न केवल नए औजार मिलते हैं, बल्कि किसानो का मानसिक दृष्टिकोण भी बदलता है। इसमे कोई सन्देह नही कि आज भारत के अधिकाश कृषक नए औजार काम मे ला रहे हैं और खेती के नए तरीको का परीक्षण कर रहे हैं तथा इससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। भारत के गावो में बाइसिकिलो का बडी सख्या मे आना न केवल जीवन-स्तर के ऊचा होने का परिचायक है, बल्कि एक नए और परिवर्तनशील दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। खेती और उद्योग को विकास की एक ही प्रक्रिया के अभिन्न अग मानना चाहिए। इसलिए योजनाबद्ध विकास के द्वारा उद्योग की प्रगति को तेज करना होगा और आर्थिक उन्नति में गति लानी होगी। खास तौर पर, भारी उद्योगो और मशीन-निर्माण-उद्योगो को विकसित करना होगा, सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना होगा और एक बडे तथा उन्नतिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना होगा। सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि बुनियादी और नीतिमूलक महत्व के उद्योगो के साथ-साथ ऐसे उद्योगो के, जो जनोपयोगी सेवा से सम्बद्ध है, और अधिक विकास के लिए खास तौर पर व्यवस्था करे तथा जहा तक जरूरी हो, अन्य उद्योगो को भी हाथ मे लें। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार, राज्य-व्यापार को भी वृद्धिशील पैमाने पर हाथ मे लेना होगा। सक्षेप में, विकास की योजना में, प्राप्त एजेंसियो का पूरा लाभ उठाते हुए, सरकारी क्षेत्र से आशा की जाती है कि वह पूरे तौर पर, और तुलनात्मक दृष्टि से भी, निजी क्षेत्र से अधिक तेजी से विकसित हो।

13 अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार के साथ, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनो के विकास के लिए अवसर उत्पन्न होते है, और कई प्रकार से दोनो के कार्य परस्पर-पूरक हैं। निजी क्षेत्र में केवल सगठित उद्योग ही शामिल नही है, किन्तु कृषि, छोटे उद्योग,

व्यापार, इमारत और निर्माण तथा दूसरे क्षेत्रो में किए जानेवाले बहुत-से अन्य कार्य भी शामिल हैं। क्रमश इस प्रयत्न को सहकारी स्वरूप ग्रहण करना है। सरकार ने जिन कार्यक्रमो को हाथ मे लिया है, उनके मुख्य लक्ष्य हैं कृषि के, विशेषत सिंचाई के, विकास की सुविधाओं का विस्तार, अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए जरूरी चीजों—जैसे, रेल और सडक-यातायात, बन्दरगाह और बिजलीघर—का निर्माण, और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का विस्तार। इन सुविधाओं के द्वारा जिन कार्यों को बढावा मिलता है, वे अधिकतर निजी व्यक्तियो और सगठनो के हाथ में हैं और उनमें से अधिक-से-अधिक की सहायता की जा रही है। इस प्रकार, पचवर्षीय योजनाए व्यक्तिगत साहस और सहकारी तथा सम्मिलित प्रयत्न के क्षेत्र का विस्तार करती हैं। बडे पैमाने के औद्योगिक उद्यम के सीमित क्षेत्र में ही मुख्यत यह प्रश्न उठता है कि देश की विशेष परिस्थितियो में, अप्रैल 1956 के औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव के अनुसार और सामाजिक लक्ष्यो को दृष्टि में रखते हुए, खास प्रकार के काम सरकारी क्षेत्र को दिए जाए अथवा निजी क्षेत्र को। देश के योजनाबद्ध विकास को दृष्टि मे रखते हुए, निजी क्षेत्र के पास एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें वह विकास और विस्तार कर सकता है। निश्चय ही, इसे राष्ट्रीय आयोजन के ढाचे के भीतर और उसके सामान्य उद्देश्यो के साथ समन्वय रखते हुए काम करना होगा तथा निजी क्षेत्र के उद्योगो पर लगातार यह जोर दिया जाएगा कि समूचे समुदाय के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं, उनका वे पालन करेंगे। साथ ही, निजी क्षेत्र को जो अवसर दिए जाए, उनके बारे में भी यह देखना जरूरी है कि कुछ थोडे-से व्यक्तियो तथा व्यापारियो के हाथ मे आर्थिक शक्ति जमा न हो जाए और आय तथा धन के क्षेत्र मे जो विषमताए है, वे निरन्तर कम होती जाए।

14 पचवर्षीय योजनाओ में विकास के जिस रूप की कल्पना की गई है उसमें यह आशा की गई है कि सहकारिता आर्थिक जीवन की कई शाखाओ में संगठन का क्रमश मुख्य आधार बनेगी—विशेषत कृषि, लघु उद्योग, वितरण, निर्माण और स्थानीय समुदायो के लिए आवश्यक सुविधाओ की व्यवस्था करने के क्षेत्र में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण और छोटे पैमाने के उद्योगो का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इनके द्वारा जहा उपभोगमूलक तथा अन्य सामान और बडे पैमाने पर रोजगार मिलता है, वहा वे राष्ट्रीय आय के अधिक न्यायसगत वितरण का तरीका पेश करते हैं और कुशलता तथा जन-शक्ति के अप्राप्त साधनो के प्रयोग के साधन प्रदान करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के स्तरो में जो विषमताए हैं, उन्हें निरन्तर कम करना होगा और उद्योगीकरण से जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनका देश के विभिन्न भागो में समान रूप से फैलाव करना होगा। जैसा कि औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में कहा गया है, इन उद्देश्यो की प्राप्ति प्रत्येक क्षेत्र की औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी अर्थव्यवस्था के सन्तुलित और समन्वित विकास के द्वारा और योजनाबद्ध नगरीकरण तथा आर्थिक और सामाजिक सेवाओ के विकास द्वारा करनी होगी। विकास के प्रारम्भिक चरणो में, प्राय एक दुविधा का सामना करना पडता है - क्या यह बेहतर है कि पहले उन क्षेत्रो के विकास पर शक्ति केन्द्रित की जाए, जो अधिक अनुकूल स्थानो पर मौजूद हैं और इस प्रकार लगाई गई पूजी का अधिक जल्दी और बडी मात्रा में लाभ मिल जाए, अथवा देश के और अधिक सन्तुलित विकास पर ध्यान दिया जाए तथा इस दिशा में

अधिक पिछड़े हुए इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए? आर्थिक बातो को निश्चय ही महत्त्व देना होगा, पर कुछ सामाजिक और प्रादेशिक स्वरूपो की भी उपेक्षा नही की जा सकती। निश्चय ही, ज्यो-ज्यो आर्थिक व्यवस्था का विकास होगा, त्यो-त्यो यह सम्भव होता जाएगा कि कम विकसित क्षेत्रो में अधिक सघन विकास का इन्तजाम किया जाए।

15 जिन नीतियो का ऊपर वर्णन किया गया है, वे आर्थिक विकास को शीघ्र प्राप्त करने और समाजवादी ढग के समाज को मूर्त रूप देने के कार्यक्रम का बडा हिस्सा है। इस प्रकार की योजना मे, सामाजिक नीतियो और आर्थिक प्रगति की दिशा निर्धारित करने में मूलभूत सिद्धान्त समूचे समाज का और खास तौर पर इसके निर्बल अगो का हित होना चाहिए। द्रुत गति से विकासशील अर्थव्यवस्था मे उसकी सफलता और शक्ति के द्वारा सगठन और प्रबन्ध तथा सामाजिक नीति की नई समस्याए उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मौजूदा सामाजिक और आर्थिक सस्थाओ का समय-समय पर इस दृष्टि से मूल्याकन किया जाना चाहिए कि राष्ट्र के विकास मे उनकी भूमिका क्या है। जब ये सस्थाए सामाजिक उद्देश्य को उचित रूप से पूरा न करे अथवा योजना-बद्ध विकास के आर्थिक उद्देश्यो को पूरा करने मे चूक जाए, तब उनका स्थान नई सस्थाओ को देना होगा, अथवा उनमे परिवर्तन लाना होगा।

16 विकास की योजनाओ से उन परिवर्तनो का, जो देश के आर्थिक और सामाजिक ढाचे मे आ रहे है और उस दिशा का, जिस ओर इस ढाचे का पुन सगठन करना होगा एव उसे मजबूत बनाना होगा, पता चलता है। लोकतन्त्र में परिवर्तन के ये कदम एक बडी सीमा तक जनता की समझदारी में वृद्धि और जनता की प्रतिक्रिया पर तथा बडी सख्या में जनता के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर निर्भर करते है। आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यो के अतिरिक्त, आयोजन के शिक्षा-सम्बन्धी अगो का बडा महत्व है। योजनाओ को बनाने और उन्हे पूरा करने की जिम्मेदारी अधिक-से-अधिक लोगो में बाटने और सब प्रकार के विचारो का प्रतिनिधित्व करनेवाली सस्थाओ एव विश्वविद्यालयो तथा शिक्षण-सस्थाओ और स्वैच्छिक समाज-सेवी सस्थाओ-द्वारा आयोजन की प्रक्रिया में योगदान करने के रूप में इस बात पर विशेष बल दिया गया है। सम्पूर्ण समुदाय की ओर से राज्य पर यह बडी जिम्मेदारी है कि वह वैयक्तिक, विभागीय अथवा प्रादेशिक स्वार्थो के मुकाबले में राष्ट्र की विस्तृत दीर्घकालीन आवश्यकताओ का मूल्याकन करे और जिन लक्ष्यो को प्राप्त करना है, उनका निश्चय करे।

(3)

समाजवाद की ओर प्रगति

17 भारत की पचवर्षीय योजनाओ में यह मूलभूत वचन दिया गया है कि लोकतान्त्रिक विधि से और जनता के व्यापक योगदान-द्वारा समाजवादी आधार पर किए जानेवाले विकास से तीव्र आर्थिक उन्नति होगी और रोजगार की सम्भावनाओ का विस्तार होगा, साथ ही, आय और धन की विषमताओ में कमी आएगी, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण रुकेगा और एक स्वतन्त्र तथा समानतामूलक समाज के उपयुक्त

मूल्यों तथा मनोवृत्ति का जन्म होगा। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। जहां जनता का एक बड़ा समुदाय गरीबी की चक्की में पिसता है, वहां सामाजिक न्याय, काम करने के अधिकार, समान अवसर और जीवन के न्यूनतम स्तर-निर्धारण की बातें बहुत आवश्यक हो जाती हैं और उनकी शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था अपेक्षित होती है। इसलिए, आर्थिक गतिविधियां इस प्रकार संगठित की जानी चाहिए कि उत्पादन और विकास तथा न्याय-संगत वितरण की आवश्यकताएं पूरी हों। सब नागरिकों के—खास तौर पर उनके, जो निम्न आय-वर्ग में हैं अथवा जिन्हें काम का अवसर नहीं मिलता—जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह जरूरी है कि लम्बी अवधि तक लगातार आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर कायम रखा जाए। आबादी में वृद्धि और मूलभूत उत्पादन-शक्तियों के साथ-साथ आर्थिक तथा सामाजिक मदों में, जिनका लाभ काफी समय बाद मिलता है, पूंजी लगाने की जरूरत का विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ता है। एक ओर, वे थोड़े समय में जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं और दूसरी ओर, अगर ये लक्ष्य पूरे भी हों, तो इनका बोझ सबको झेलना पड़ेगा और समुदाय के हर हिस्से को अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना पड़ेगा।

18 समाजवाद की ओर उन्मुख प्रगति कई दिशाओं में होती है और प्रत्येक दिशा दूसरी दिशाओं के मूल्य को बढ़ाती है। सब से बड़ी बात यह कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था सुदक्ष होनी चाहिए, विज्ञान और टेक्नोलाजी के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए, और दृढ़ता से ऐसे स्तर तक बढ़ने की शक्ति होनी चाहिए जिससे सर्व-साधारण का कल्याण हो सके। एक अर्द्धविकसित देश में, आर्थिक प्रगति की ऊंची दर, और एक बड़े सरकारी क्षेत्र का विकास और सहकारिता का क्षेत्र, उन मुख्य साधनों में हैं, जिनसे समाजवाद की ओर संक्रमण करने में शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात यह कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। पहले कदम के रूप में, इसे बुनियादी जरूरतें पूरी करनी चाहिए, खास तौर पर, खाद्य, रोजगार, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य और सफाई की उचित व्यवस्था, रिहायश के हालात में सुधार और आय का एक निम्नतम स्तर, ताकि अवस्था के अनुसार सन्तोषजनक जीवन-स्तर अवश्य प्राप्त हो सके। तीसरी बात यह कि इसके अन्तर्गत जो सार्वजनिक नीतियां अपनाई जाएं, उनके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था न केवल पहले से मौजूद आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को कम करे, बल्कि इस बात का भी भरोसा दिलाए कि आर्थिक शक्ति और एकाधिकार के केन्द्रीकरण के बिना अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो। अन्त में, लोकतन्त्र और समाजवाद के आधार पर विकसित होनेवाले समाज में यह बात जरूरी है कि सामाजिक मूल्यों और प्रेरणाओं पर सर्वाधिक बल दिया जाए और समुदाय के सब वर्गों में ऐसी भावना पैदा की जाए, जिसमें सामान्य हित और कर्तव्य का ऊंचा स्थान हो। कठोर जात-पात और धार्मिक विभिन्नताओं के कारण, भारत के सामाजिक ढांचे में पहले से ही आर्थिक प्रगति अवरुद्ध करनेवाली शक्तियां एवं रुकावटें विद्यमान हैं। अब, जब कि कुछ पुराने भेद दूर हो रहे हैं और इन्हें दूर करने की प्रक्रिया को क्रमशः तीव्र किया जा रहा है, नगरी-करण और आधुनिक उद्योग के विकास के फलस्वरूप आय और अवसरों के स्तर में नई विषमताएं पैदा होने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। यह प्रवृत्ति रहन-सहन के ढंग से, सामाजिक [illegible] में और [illegible] करने की भावना से प्रकट हो रही है। सरकारी

नीति का उद्देश्य यह है कि इन अवांछनीय प्रवृत्तियों पर रोक लगे और इनके चलते उस समाज के निर्माण में बाधा न पड़े, जो मूलत भीतर से सगठित है और जो सामान्य मूल्यो तथा सामूहिक नागरिकता की भावना से बल प्राप्त करता है।

(4)

समान अवसर

19 अवसरों की समानता और राष्ट्रीय न्यूनतम आय प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त यह है कि हरेक आदमी के लिए, जो काम चाहता है, लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था हो। एक अर्द्धविकसित देश में पूरा रोजगार न मिलने का कारण आर्थिक ढाचे में कुछ मूलभूत अभावो की उपस्थिति होता है। जब तक औद्योगिक बुनियाद बहुत मजबूत न हो और शिक्षा तथा अन्य समाज-सेवाए विकसित न हो, तब तक अर्थ-व्यवस्था में विकास की वह गति नही आ सकती, जिससे समूची श्रम-शक्ति को उचित वेतन-स्तर पर काम दिया जा सके। विकास की इन प्रक्रियाओ मे निश्चय ही समय लगता है और इसके लिए इतने बडे पैमाने पर कोशिशें और पूजी दरकार होती है, जिसकी उपलब्धि ऐसे देश की अर्थव्यवस्था की पहली अवस्थाओ में उसकी शक्ति से बाहर की बात होती है। उन इलाको में गरीबी बहुत ज्यादा है, जहा या तो आबादी बहुत अधिक है, अथवा स्थानीय साधनो के अल्प विकास के कारण उत्पादन के स्तर निम्न है और निरन्तर काम का अभाव है। इसलिए काम के अतिरिक्त अवसर होने चाहिए, जिससे न्यूनतम आयवाले वर्ग भी उत्पादनशील रोजगार से इतना तो कमा ही लें, जिससे अपनी न्यूनतम जरूरियात को पूरा कर सकें। तीसरी योजना में यह कल्पना की गई है कि बड़े और छोटे उद्योगो, कृषि और आर्थिक तथा समाज-सेवा के विकास के कार्यक्रमो के साथ-साथ ग्रामीण कामो के लिए भी बडे पैमाने के कार्यक्रम होगे—विशेषत, उन इलाको मे जहा आबादी घनी है और उस समय के लिए, जब खेती-बारी का काम कम हो जाने के कारण, लोगो के पास काम-धन्धो की कमी पड जाती है।

20 उन्नत देशो में, आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए अवसरो की अधिक समानता और अधिक सामाजिक स्थिरता की स्थिति पैदा करने के क्षेत्र में शिक्षा के विकास और अन्य समाज-सेवाओ ने बडी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाज-सेवाओ ने आय के पुनर्वितरण और बुनियादी आवश्यकताओ को पूरा करने में भी बडी सहायता दी है। भारत में भी समाज-सेवाओ के विस्तार का ऐसा ही प्रभाव पडेगा—खास तौर पर प्रारम्भिक स्तर पर मुफ्त और आम शिक्षा के विस्तार से, शिल्पगत, और ऊची शिक्षा के अधिक अवसर देने से, छात्रवृत्तिया तथा सहायता के अन्य उपाय करने से, और स्वास्थ्य, सफाई, पानी की आपूर्ति एव रिहायश की दशाओ में सुधार करने से। इस प्रकार, अनुसूचित जातियो, आदिम जातियो और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम, ग्रामीण इलाको में न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था के लिए ग्राम-स्तर पर स्थानीय विकास के लिए और औद्योगिक मजदूरो की रिहायश और गन्दी बस्तियो की सफाई और सुधार के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम केवल समाज-सेवाओ के विस्तार के रूप में ही नही, बल्कि आर्थिक विकास की योजना के सबल अन्तरिक तत्व के रूप

में भी स्वीकार किए जाने चाहिए । तीसरी योजना तथा बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार की तथा अन्य सामाजिक सुविधाएं पिछले दशक की तुलना में अधिक विस्तृत रूप में उपलब्ध करनी होंगी। इसके लिए अधिक साधनों की जरूरत होगी— न केवल सरकार को, बल्कि प्रत्येक समुदाय को ये साधन जुटाने होंगे और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को अधिक-से अधिक संख्या में उसमें भाग लेना होगा।

21 जैसे-जैसे आर्थिक विकास का काम बढ़ता है, वैसे-वैसे सामाजिक सुरक्षा और बीमे को ऊंची प्राथमिकता मिलती जाएगी। औद्योगिक मजदूरों के लिए प्राविडेंट फंड और स्वास्थ्य-बीमा की योजना के द्वारा इस दिशा में प्रारम्भिक आवश्यक कदम पहले ही उठा लिए गए हैं। तीसरी योजना की अवधि में, औद्योगिक मजदूरों के लिए रोजगार-सहायता की योजना चालू करने का प्रस्ताव है और असहाय व्यक्तियों, अनाथों और शारीरिक दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों को, जिनकी सहायता और निर्वाह का कोई साधन नहीं है, सहायता और राहत प्रदान करने की दिशा में एक छोटे पैमाने पर काम आरम्भ करने की योजना है। उन इलाकों में, जहां ग्रामीण कामों से सम्बद्ध कार्यक्रम चालू किए गए हैं, काम चाहनेवाले व्यक्तियों के नाम पंजीबद्ध करने की सुविधाएं सुलभ की गई हैं। इस प्रकार सघन आर्थिक विकास के साथ-साथ समाज-सेवा, प्रशिक्षण, और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भ—ये सब बातें समुदाय के विभिन्न वर्गों के लिए अधिक समान अवसर देने की दिशा में कुछ दूर तक सहायक हो सकती हैं।

22 कृषि-उत्पादन में वृद्धि, आधुनिक उद्योग और परिवहन तथा बिजली का विकास और अर्थव्यवस्था में सरकारी और सहकारिता के क्षेत्रों का विकास—इन सबसे ऐसे हालात पैदा होंगे, जिनसे समाजवाद की ओर बढ़ना और जीवन-स्तर को सुधारना सम्भव हो सकेगा। उस दिशा में इनका और अधिक सामाजिक महत्व होगा, जिसमें समुदाय के स्तर पर समाजवाद विकसित होता है और व्यापक स्थानीय पैमाने पर सहयोग प्राप्त करता है। समाजवाद और लोकतन्त्र के मूल्य ज्यों-ज्यों अधिक व्यापक होंगे और उनका प्रभाव दिनानुदिन के दृष्टिकोण और व्यवहारों पर पड़ेगा, त्यों-त्यों समुदाय के सब वर्गों के लिए विस्तृत अवसर खुलेंगे—खास तौर पर उन लोगों के लिए, जो कम सुविधा-प्राप्त हैं।

23 भारत की विकास-योजनाओं का एक बड़ा भाग सामुदायिक विकास के द्वारा आम जनता तक पहुंचता है। इसलिए ग्रामीण जनता में समुदाय के स्तर पर समाजवाद के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास-आन्दोलन को जो भूमिका प्रदान की गई है, उस पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। सब से बढ़कर, सामुदायिक विकास को यह प्रयत्न करना चाहिए कि कृषि-उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन का स्तर ऊंचा उठे और उपलब्ध मानव-शक्ति तथा अन्य साधनों का अधिक उपयोग हो। इस आन्दोलन में स्थानीय पहल एवं दायित्व और सहकारी आत्म सहायता के विकास पर जोर दिया गया है और इसका लक्ष्य एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत विकास के कार्यक्रमों का नेतृत्व करना है, जिनमें कृषि, सहकारिता, सिंचाई, लघु ग्राम-उद्योग, गावों में बिजली की व्यवस्था और कृषि-सम्बन्धी सुधार शामिल है। इसका एक मुख्य उद्देश्य एक ऐसी विकासशील सहकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के

विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितिया तैयार करना है जिसका ढाचा विविध व्यवसायगत हो और जिसमे समुदाय के निर्बल अगो को शीघ्रता से, शेष सबल अगो के समकक्ष पहुचने का अवसर मिले। सहकारी कृषि-औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रो में विकास आवश्यक है, ताकि उद्योगीकरण के लाभो का विस्तार समानता के साथ आबादी के विभिन्न भागो मे और विभिन्न क्षेत्रो में हो तथा प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामीण और औद्योगिक विकास के बीच अधिक मात्रा मे समन्वय हो।

24 ग्रामीण क्षेत्रो मे सामुदायिक विकास-आन्दोलन की नवीनतम देन 'पचायती राज' है। ग्राम, खण्ड और जिला के स्तर पर विकास का दायित्व गाव की पचायतो, पचायत-समितियो और जिला-परिषदो को सौंपा गया है और इन्हे काफी अधिकार दिए गए है। जिले के भीतर प्रशासन के ढाचे और ग्राम-विकास के स्वरूप में यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है और ग्रामीण वातावरण को बदलनेवाले इसके उल्लेखनीय परिणाम सामने आ रहे हैं।

25 गावो मे, मूल-स्तर पर समाजवाद के निर्माण का काम उस समय सुभीते के साथ हो जाता है, जब भूमि-सुधार और सहकारी विकास की नीतियो को कार्यान्वित किया जाता है और प्रत्येक ग्रामीण समुदाय के भीतर भूदान और श्रमदान तथा सामान्य दायित्व की भावना पनपने लगती है। कस्बो और शहरो में भी उचित सामाजिक नीतियो की समान रूप से आवश्यकता है। नागरिक क्षेत्रो में लोगो के आ-आकर बसते जाने से न केवल वहा के अधिकाश निवासियो के जीवन-स्तर मे गिरावट आती है, बल्कि जमीन-जायदाद की कीमते चढ जाने से भी कई नई प्रकार की विषमताए पैदा हो जाती है। इनके निरोध के लिए कई प्रकार के उपायो का अवलम्बन किए जाने की जरूरत है, जैसे—भूमि के उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक आयोजन करना, भूमि हस्तगत करने के लिए बडे पैमाने के कार्यक्रम, रिहायश और भूमि देने-सम्बन्धी ऐसी नीतियो का अवलम्बन, जिनसे कम आयवाले और गरीब लोगो को सहायता पहुचे, पूजीगत मुनाफो और शहरी जायदादो पर उचित कराधान, दिखावटी और निकम्मी इमारतो के निर्माण की रोकथाम, तथा रैयती और लगानो की शर्तो पर सार्वजनिक कडी नजर।

(5)

आर्थिक शक्ति का वितरण

26 पिछले दशक में सगठित निजी क्षेत्र की अभिवृद्धि से यह प्रश्न सामने आया है कि किन साधनो से आर्थिक विकास प्राप्त किया जाए, ताकि आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण न हो और एकाधिकार की प्रवृत्तियो का प्रादुर्भाव न हो। यह तय है कि शीघ्र आर्थिक विकास की प्रक्रिया से सुव्यवस्थित कम्पनियो को अपना आकार बढाने और व्यवसाय उद्योग के नए क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिक अवसर मिल जाते है। नई कम्पनियो और छोटे व्यवसाय-उद्योगो के मुकाबले में उन्हें सगठन और विशेषज्ञो का, पूजी-बाजार में पहुचने और विदेशी सहयोग-प्राप्ति का लाभ मिल जाता है, सामान्यत उन्हें ऐसे साधनो का भी लाभ प्राप्त होता है, जिन्हें प्रयुक्त करने की स्थिति में वे होते हैं। किसी

उद्योग में पूजी-विनियोग के लिए उपलब्ध साधनों का एक महत्वपूर्ण भाग सगठित क्षेत्र के अन्तर्गत ही तैयार होता है। इस कारण भी किसी नई इकाई की तुलना में पहले से विद्यमान इकाई को अपना विस्तार करने की अधिक सुविधा रहती है। कई उद्योगों में टेक्नोलाजी की दृष्टि से बड़े पैमाने की इकाइया स्थापित करना विशेष उपयुक्त होता है और इसके चलते पूजीगत एव उत्पादन-व्यय में बचत होती है। फलत, कई कठिन समस्याए उपस्थित हो जाती है। एक ओर, पचवर्षीय योजनाओ में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार ये विद्यमान बड़े व्यवसाय-उद्योग जिस हद तक विकास-कार्य को हाथ में लेते हैं और बड़े पैमाने पर काम किए जाने के कारण अनिवार्यत होनेवाली बचत का लाभ उठाते है, उसी हद तक अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक होते है। दूसरी ओर, कुछ थोडे लोगो के हाथ में अत्यधिक आर्थिक शक्ति के आ जाने और उनके द्वारा उसके मनचाहे ढग से प्रयोग के कारण लोकतन्त्र के शक्ति-सन्तुलन में, गडबडी पैदा हो जाती है, सामाजिक ढाचा नए खिचावो और तनावो का शिकार हो जाता है और आर्थिक अवसरो का विस्तार अवरुद्ध हो जाता है।

आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का मुकाबला कई प्रकार के उपायो से करना होगा—पहला सरकारी क्षेत्र का उन क्षेत्रों में विस्तार, जहा बड़े पैमाने की इकाइया और भारी पूजी लगाने की आवश्यकता हो, दूसरा, नए आनेवालो, मध्यम तथा छोटी इकाइयो और उन उद्योगो के लिए, जो सहकारिता पर आधारित हो, अवसरो का विस्तार, और तीसरा, नियन्त्रण और नियमन-विषयक सरकारी अधिकारों का सशक्त प्रयोग और उचित वित्तीय कार्रवाइया। सक्षेप में, उद्देश्य केवल यह नही होना चाहिए कि आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियो को रोका जाए, बल्कि औद्योगिक सगठन के ऐसे स्वरूप को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उत्पादन के ऊचे स्तर प्राप्त हों, और राष्ट्रीय आयोजन के ढाचे के भीतर नए उद्यमियों, मध्यम और छोटे पैमाने के व्यवसाय-उद्योग और सहकारी सगठनो को विकास का पूरा मौका मिल सके।

27 आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियो को रोकने के लिए राज्य के पास जो एक निर्णायक अस्त्र है, वह है सरकारी क्षेत्र का द्रुत विस्तार। इससे दो उद्देश्य पूरे होते है - आर्थिक ढाचे में जो मूलभूत कमिया होगी, उन्हें दूर करने में यह सहायता करेगा और साथ ही, धन और बड़ी आयो को निजी रूप से लोगों के हाथो में जमा होने से रोकेगा। बिजली पैदा करने और उसके वितरण में अब सरकारी क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है और इसका शीघ्रता से विस्तार किया जा रहा है। परिवहन मे भी इसका भाग निरन्तर बढ रहा है। बड़े उद्योगो और खनिज उद्योगो में भी तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में, सरकारी क्षेत्र का कुल पूजी-विनियोग, निश्चय ही, निजी क्षेत्र से ज्यादा होगा। 1950-51 की तुलना में तीसरी योजना के अन्त तक सगठित उत्पादक उद्योगो में सरकारी क्षेत्र का अशदान 2 प्रतिशत से कुछ कम से बढकर करीब एक-चौथाई हो जाएगा। इसी प्रकार, खनिज-उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा एक-दशमाश से कुछ कम से बढकर एक-तिहाई से कुछ अधिक हो जाएगा। ये उल्लेखनीय नए परिवर्तन है, पर इनके साथ ही उन साधनो की ओर विशेष ध्यान देना होगा, जिनसे सरकारी क्षेत्र की विस्तार-क्षमता अधिक तेजी से बढे— जैसे

उसकी कार्य-सचालन की कुशलता बढे, प्रशिक्षित प्रशासकीय और तकनीकी कर्मचारियो की अधिक सख्या मे उपलब्धि हो और अधिक लाभ प्राप्त करने की उसकी योग्यता में वृद्धि हो । यह भी जरूरी है कि अधिकतम सीमा तक, जहा तक सम्भव हो, सरकारी उद्योगो के भवन-निर्माण और सम्भरण के काम सार्वजनिक और सहकारी सस्थाओ को सौंपे जाए। जैसे-जैसे सरकारी क्षेत्र का योगदान सापेक्ष रूप से बढेगा वैसे-वैसे आर्थिक विकास मे उसकी भूमिका क्रमश उल्लेखनीय होती जाएगी और सरकार अधिक मजबूत स्थिति में होकर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप और पद्धति का निर्धारण कर सकेगी।

28 निजी क्षेत्र को कार्य का जो क्षेत्र सौपा गया है, उसके अन्तर्गत नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि उद्योग में स्वामित्व विस्तृत आधार पर हो, उद्यम का फैलाव हो और नए आनेवालो के लिए उदार सहूलियतें हो तथा सहकारी सगठनो का विकास हो। इन उद्देश्यो को पूरा करने के साधन बहुत हद तक पहले से ही प्राप्त है, पर जरूरत इस बात की है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारें और उनके नीचे काम करनेवाली विभिन्न सस्थाए पिछले सालो की अपेक्षा अब इनका अधिक सोद्देश्यता के साथ और ज्यादा सहयोग से इस्तेमाल करें। नई औद्योगिक इकाइयो को लाइसेंस और मौजूदा इकाइयो के विस्तार को मजूरी देते समय इस बात की काफी सावधानी बरतना आवश्यक है कि विद्यमान बडे व्यवसायो का बहुत अधिक विकास न हो जाए, नई कम्पनियो को व्यवसाय-क्षेत्र में प्रवेश करने को सुविधा मिले और छोटे तथा मध्यम उद्योगो और सहकारी सगठनो को प्रोत्साहन प्राप्त हो। पिछले सालो में कई वित्तीय एव प्रोत्साहनमूलक सस्थाए स्थापित की गई है—जैसे, औद्योगिक वित्त-निगम, राज्य-वित्त-निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एव पूजी-विनियोग-निगम आदि। दूसरी पचवर्षीय योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर इन तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ को अपनी मौजूदा प्रशासकीय नीतियो और काम के तरीको पर फिर से विचार करना चाहिए, ताकि उद्योग में नए प्रवेश करनेवालो, मध्यम तथा छोटे उद्योगो और सहकारी उद्योगो को उनकी सहायता शीघ्र और पर्याप्त परिमाण में प्राप्त हो। उन्हे ऐसे समुचित तरीके भी ढूढने चाहिए, जिनसे इन दिशाओ में हुई प्रगति को जाचा जा सके। स्टेट बैंक आफ इडिया के साथ-साथ अन्य व्यापारी बैंको से यह आशा की जाती है कि वे मध्यम, छोटे और सहकारी उद्योगो को वित्तीय सहायता देने में ज्यादा हिस्सा लेंगे। जीवन-बीमा-निगम के साधन भी इन उद्देश्यो की पूर्ति मे बहुत सहायक हो सकते है। हाल मे स्थापित किया गया पूजी-विनियोग-केन्द्र नए उद्योगो के लिए विदेशी मुद्रा सुलभ करने मे सहायता दे सकता है। अन्त मे, औद्योगिक बस्तियो की भूमिका और ग्राम तथा लघु उद्योगों, ग्रामीण बिजली-व्यवस्था, प्रादेशिक आयोजन और नए नगरो की अवस्थिति के कार्यक्रमो की भी सक्षेप में चर्चा कर ली जाए, जिनके बारे मे आगे के अध्यायो मे विचार किया गया है। ये विकास-कार्यक्रम उद्योगीकरण के लाभो को छोटे शहरो और गावो तक ले जाने-सम्बन्धी पचवर्षीय योजनाओ की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निश्चित कारंवाइयो में स्थान रखते है।

29 एक विकासशील अर्थव्यवस्था में सामाजिक नीति का एक मुख्य अग करारोपण है और योजना की आवश्यकताओ के अनुसार ऐसे साधनों—जैसे, बट्टा (रिबेट) रिआयत

और प्रोत्साहन—का उपयोग करना ही पड़ता है, जिनसे आर्थिक स्वार्थों के केन्द्रीकरण पर रोक लगे और नई इकाइयों तथा मध्यम और छोटे पैमाने के व्यवसायों तथा सहकारिता-उद्योगों को बढ़ावा मिले। इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं पहले से ही व्यक्तिगत और सामूहिक करधान, धन कर, दान कर, पूंजीगत लाभ कर और सम्पत्ति कर के अन्तर्गत विद्यमान हैं। उनका संगठित रूप से प्रयोग होना चाहिए। कर से बचने और कर को टालने से सम्बद्ध समस्याओं और उनके निराकरण के उपायों पर सावधानी से विचार किया जा रहा है। 1956 के कम्पनी अधिनियम के पास होने तथा उसमें हाल में किए गए संशोधनों से कम्पनी की व्यवस्था-सम्बन्धी कतिपय बातों—जैसे, अन्त सम्बद्ध पूंजी-विनियोग, परस्पर-सम्बद्ध निदेशकता, आन्तरिक साधनों का प्रयोग और निदेशकों तथा अन्य उच्चस्तरीय व्यवस्था कर्मचारियों का वेतन आदि—पर अधिक समीप से नजर रखी जा सकती है और ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिनसे इनके बारे में कानूनी व्यवस्थाओं का अधिक प्रभावशाली ढंग से पालन हो सके। औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का भी आवश्यकता के अनुसार, उत्पादन, वितरण और मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा सकता है। संक्षेप में, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण से सम्बद्ध समस्याओं से निबटने के लिए मुख्य उद्देश्यों पर पहले से ही एकमत कायम है और इसके लिए आवश्यक कानून तथा आदेश भी एक बड़ी हद तक उपलब्ध हैं। इसलिए वर्तमान सन्दर्भ में यह बात विशेष महत्वपूर्ण है कि इन उपायों में निहित तत्व और उन्हें अमल में लाने के लिए प्रयुक्त साधन और प्रशासकीय तरीके व्यवहारत ऐसे हों, जो विस्तृत सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति में सहायता पहुंचाए और तीसरी योजना के कामों और प्राथमिकताओं की दृष्टि से वर्तमान व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार किया जाए।

(6)
आय में विषमताएं

30 आर्थिक विकास की प्रक्रिया के सशक्त होने से पहले एक बड़े अंश तक परम्परागत समाज में चिरकाल से प्रचलित विशेष तत्व—जैसे, सामन्ती अधिकार और जायदाद अथवा सामाजिक ढांचे के साथ जुड़े हुए विशेष अधिकार तथा बाधाएं—विषमताएं पैदा करते हैं। अतीत के इन भग्नावशेषों को पहले गिराना होगा। आयोजित विकास के द्वारा इस प्रक्रिया को तेज करना होगा, ताकि अर्थव्यवस्था को भीतर से कम रुकावटों का सामना करना पड़े और वह आगे बढ़ने में समर्थ हो सके। अत भूमि-सुधार के कार्यक्रम को जिसमें बिचौलियों के अधिकारों का अन्त, काश्तकारों की सुरक्षा और लगान में कमी और कृषि-भूमि पर जोत की अधिकतम सीमा के अनिवार्य रूप से प्रयोग पर बल दिया गया था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्तियों को विमुक्त करने के लिए आवश्यक समझा गया। इस दिशा में प्रगति हुई है, पर काश्त-विषयक सुधारों के पर्याप्त रूप से कार्यान्वित न किए जाने के कारण और काश्त की अधिकतम सीमा के कार्यक्रम को पूरा करने में देरी होने के कारण, जितनी आशा थी, उतना काम नहीं हो सका है। राज्यों में जो कानून बने हैं, उन्हें अमल में लाने के लिए अब अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

31 औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण आय और सम्पत्ति में जो विषमताएं पैदा होती हैं, उनसे कई पेचीदा समस्याएं खडी हो जाती हैं । इनमे पहली समस्या का सम्बन्ध अर्जित आय के स्तरों की विभिन्नता से है। उन्नत देशो मे अब इनमे बहुत कमी आ गई है । दूसरी ओर, अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक विकास के पहले चरण मे विशेष उपाय न करने पर इनके और अधिक बढ जाने की सम्भावना रहती है । ऐसा विभिन्न कारणों से होता है—विशेषत प्रशिक्षित व्यक्तियो की सापेक्षिक कमी, सामाजिक परिवर्तनशीलता के अभाव और मुद्रास्फीति के प्रभावो की उपस्थिति के कारण । यहा असली समस्या यह है कि उच्चतर और निम्नतर आयों के फैलाव को कम किया जाए और न्यूनतम के स्तर को ऊचा किया जाए। इसके लिए अन्य बातो के साथ-साथ बडे पैमाने पर प्रशिक्षण के कार्यक्रमो की आवश्यकता होती है और ऐसे पग उठाने की जरूरत पडती हैं, जिनसे यह पूरा भरोसा हो कि अर्थव्यवस्था की समस्त शाखाओं में सार्वजनिक और निजी दोनों मे—योग्यता के आधार पर अवसरो का द्रुत गति से विस्तार हो रहा है। कर-सम्बन्धी नीतियो की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और इनका इस तरह प्रयोग होना चाहिए कि ऊची आय वालों की कमाई युक्तियुक्त स्तर तक लाई जा सके । इस समय यह प्रश्न कडी सीमाए निश्चित करने-विषयक प्रयत्न का उतना नही है, जितना सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक चिन्तन-धारा को सामान्य निर्देश देने का । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि कराधान-जाच-आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि कर देने के बाद, आय की उपयुक्त परिधि औसतन पारिवारिक आय की करीब 30-गुनी होनी चाहिए । मोटे तौर पर प्रस्तुत किया गया यह लक्ष्य क्रमश अगली दो या तीन योजनाओ की अवधि मे प्राप्त किया जाना चाहिए । अधिकाश जनता की निम्न आय के कारण, यह परिधि भी काफी विषमता की द्योतक है, पर ज्यो-ज्यो निम्नतर आयो में वृद्धि होगी, त्यो-त्यो इसमें और कमी आती जाएगी।

32 आय की विषमताओ का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण और अग्रामीण आय के बीच की खाई से सम्बद्ध है, जो औद्योगिक और आर्थिक विकास के प्रभाव के कारण बढने की प्रवृत्ति दिखाती है । ग्रामीण और नागरिक आय के बीच की इस खाई को पाटने के कुछ मुख्य उपाय ये है—कृषि-सम्बन्धी उत्पादन में बढोतरी, भूमि पर निर्भरता में कमी, उद्योग के विस्तार और सामाजिक सेवाओ के पर्याप्त विकास से आर्थिक स्वरूप की विविधता, और कृषि-सम्बन्धी ऐसी मूल्य-नीति, जो नागरिक उपभोक्ता के लिए समुचित होने के साथ-साथ किसान के हित की रक्षा करनेवाली हो। बहुसख्यक ग्रामीण आबादीवाले देश में इन नीतियों का बडा महत्व है।

33 एक विकासशील अर्थव्यवस्था मे, ऊची आय मुख्य रूप से पूजी के लाभ से, व्यापार से और सट्टे के लाभो से तथा कानून-द्वारा मजूरशुदा एक अथवा दूसरे प्रकार के भत्ते से प्राप्त होती है। अत इस सम्बन्ध में दोतरफा कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली, सामाजिक नीति-द्वारा यानी, पूजी पर लाभ, सट्टा, इत्यादि से जो आय हो, वह अवश्य सीमित होनी चाहिए और सरकार को उसमें उचित हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए। और दूसरी, कर-व्यवस्था के विस्तार एव सुधार-द्वारा, अर्थात् इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसी आयो पर पूरा कर लगे, आय से बचाव के प्रति कठोर कार्रवाई हो और कर को टालने के अवसर कम से कम पैदा हो।

34 रोजगार के द्रुत विकास और विस्तार के कारण, उद्योग में और सेवाओ मे लगे श्रमिको की बडी सख्या की और अपने धन्धे मे लगे लोगो की—जैसे, किसान और कुशल कारीगर आदि की—आय में स्थिर रूप से और उत्पादकता के अनुपात में वृद्धि होने की सम्भावना है। वे लोग, जो एक निश्चित आय प्राप्त करते है, प्राय निम्न-मध्य श्रेणी-वर्गो में आते है, इन्हें अनिवार्य रूप से विशेष समस्याओ का सामना करना पडता है, क्योकि मूल्यो में दीर्घकालीन चढाव की प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर, इन वर्गो में, महिलाओ के अधिक सख्या में रोजगार में प्रवेश करने और रोजगार की बढोतरी मे, पारिवारिक आय के बढने के क्षेत्र विस्तृत हो गए है। इस वर्ग के लिए और साथ ही निम्नतम आय के वर्गो के लिए, यह जरूरी है कि आवश्यक चीजो के दाम नीचे रखे जाए और सामाजिक सेवाए, विशेषत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास, इनकी सहज पहुच के भीतर रहें। इस दिशा के दूसरे किनारे पर, सबसे अधिक ध्यान उनकी ओर दिया जाना चाहिए, जो एकदम बेरोजगार है अथवा घोर अल्प रोजगार से पीडित है। रोजगार के अवसरो की सर्वाधिक प्राथमिकता इन्ही लोगो के लिए है। रोजगार के साथ-साथ, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लाभ भी यथासम्भव पूरी तौर पर इन तक पहुचने चाहिए।

(7)

आर्थिक और सामाजिक समन्वय

35 एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, समाजवादी ढग का समाज प्रगति की एक मुख्य दिशा प्रस्तुत करता है। यह अर्थव्यवस्था दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक पेचीदा होती जा रही है और इसमें सामाजिक, आर्थिक और अन्य तत्वो की विविधता का निरन्तर एक दूसरे पर प्रभाव पड रहा है। निश्चय ही, एक सामूहिक प्रक्रिया-द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो विभिन्न मार्गो-द्वारा प्राप्त उन्नति का परिणाम होती है। कई कारणो से, इस लक्ष्य तक पहुचने के लिए शीघ्रता और कदम जल्दी बढाने की भावना होनी चाहिए। यह ठीक है कि अगर सामाजिक लक्ष्य उपलब्ध करने है, तो आर्थिक नीव दृढ होनी चाहिए। इसके साथ ही, आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच किसी प्रकार की रुकावट से नए दबाव पैदा हो जाते है। बहुत ही विस्तृत तथ्य इस समय नही मिल रहे है और इनके बिना निश्चित उपाय निर्धारित कर सकना कठिन है। इसलिए, योजना-आयोग के द्वारा अक्तूबर 1960 में नियुक्त एक विशेषज्ञ-समिति जीवन-स्तर में आए परिवर्तनो पर, जो पहली और दूसरी योजना की अवधि में आए है, ध्यान दे रही है, आय और सम्पत्ति के वितरण-सम्बन्धी हाल की प्रवृत्तियो का अध्ययन कर रही है, और खास तौर पर इस बात की जाच कर रही है कि आर्थिक व्यवस्था को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप कहा तक सम्पत्ति और उत्पादन के साधनो का केन्द्रीकरण हुआ है।

36 प्रगति के विभिन्न मार्गो की अपनी-अपनी सीमाए है। कई बार ऐसा हो सकता है कि विभिन्न उद्देश्यो और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनो के बीच असंगति हो। इनके बीच सगति स्थापित करनी होगी। यद्यपि योजनाबद्ध विकास की योजना के अन्तर्गत स्थान-स्थान पर कुछ खामिया रह सकती है, फिर भी समाजवाद का ढाचा तैयार हो रहा है और वास्तविक कार्यरूप देते समय इसे दृढ और अधिक

शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। सार्वजनिक प्रशासन और आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया है, उनका पूरा-पूरा और दृढता के साथ कार्यान्वयन होना चाहिए तथा मूल्याकन के लिए अधिक गम्भीर कसौटियों का अवलम्बन करना चाहिए। इसके अलावा हर हालत में नैतिक, मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों पर पर्याप्त जोर देना चाहिए, क्योंकि इन्ही से आर्थिक प्रगति को सार्थकता प्राप्त होती है। अगर राष्ट्र में आवश्यक एकता और अनुशासन हो, तो विकास के बोझों को सहन करने की तत्परता और समुदाय के विभिन्न अगों में इस बात की समझदारी कि मौजूदा सकटकाल मे आर्थिक और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान होना चाहिए, उससे कहीं तेजी से बढेगी, जितनी सामान्य तौर पर बढती है। पहले से कार्यान्वित नीतिया सामाजिक प्रगति को बल प्रदान करने, श्रमिक-सघो, सहकारिता-आन्दोलन, स्वैच्छिक सस्थाओं और विश्वविद्यालयों-जैसी शक्तियों को मजबूत करने तथा ग्रामीण तथा नागरिक समुदायों में विस्तृत आधार पर रचनात्मक नेतृत्व विकसित करने के क्षेत्र में बडी सहायक होगी। आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण और एकाधिकार के विकास को रोकने में भी ये शक्तिया सहायक होगी तथा सास्कृतिक और आर्थिक सम्बन्धों को दृढ करेंगी और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए काम करने, समान अवसर और न्यूनतम जीवन-स्तर के अधिकार का आश्वासन देंगी। अन्तिम विश्लेषण मे यह प्रकट होता है कि आर्थिक विकास एक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन-मात्र है। यह लक्ष्य है सम्मिलित प्रयास और त्याग-द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना, जिसमें जाति, वर्ग और विशेषाधिकारियों का स्थान न हो, और जो समुदाय के प्रत्येक अग को और देश के समस्त भागों को आगे बढने तथा राष्ट्रीय कल्याण में योगदान करने के अधिकतम अवसर प्रदान करे।

37 आयोजन एक निरन्तर चलनेवाली प्रक्रिया है और छोटी-छोटी अवधियों के लिए उसे बाटा नही जा सकता। इस प्रकार, तीसरी पचवर्षीय योजना पहली और दूसरी योजनाओं का परवर्ती विस्तार और अगला हिस्सा है तथा इसके द्वारा चौथी तथा आगे की योजनाओं का रास्ता साफ होगा। आयोजन वाछित लक्ष्य की ओर सतत चलने-वाला एक आन्दोलन है, और इसी कारण समस्त मुख्य निर्णय उन अभिकरणों-द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें इन लक्ष्यों और इनमें अन्तर्निहित सामाजिक उद्देश्यों की जानकारी है। पचवर्षीय अवधि पर विचार करते समय भी, आगामी और दीर्घकालीन आयोजन को हमेशा ध्यान में रखना होगा। वस्तुत सब अगों को दृष्टि में रखते हुए आयोजन करना ही आयोजन की प्रक्रिया का सार है। ज्यो-ज्यो यह प्रक्रिया विकसित होती है, त्यो-त्यो जनता के विकास के क्षेत्र में एक विस्तारात्मक सगति आती है, और लोगो मे उद्यम तथा सफलता की भावना विकसित होती है, वे जीवन की उद्देश्यात्मकता के प्रति सजग होते हैं और यह अनुभव करते हैं कि एक इतिहास के निर्माण में वे योगदान कर रहे हैं। अन्ततोगत्वा, मानव और उसके व्यक्तित्व का विकास ही सर्वोपरि चीज़ है। यद्यपि आयोजन में भौतिक पूजी-विनियोग की जरूरत पडती है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात मानव में पूजी-विनियोग करना है। अपनी सारी परेशानियों और समस्याओं के साथ, भारत की जनता आज एक नए ससार की सीमा पर निवास करती है, जिसके निर्माण मे वह स्वय सहायता कर रही है। इस सीमा को पार करने के लिए जनता के पास उत्साह और उद्यम, धैर्य की भावना, कठोर श्रम की शक्ति तथा भविष्य के प्रति जागरुकता होनी चाहिए।

अध्याय 2

दीर्घकालीन आर्थिक विकास

(1)

व्यापक दृष्टि की आवश्यकता

खपत, बचत उत्पादकता और रोजगार के निम्न स्तर उस केन्द्रीय समस्या के विभिन्न पहलू हैं, जो अन्य अल्पविकसित देशों के समान भारत के सामने भी उपस्थित है। बुनियादी तौर पर, मुख्य कार्य ज्ञान-विज्ञान और टेक्नोलाजी के यथासम्भव अधिक प्रयोग के द्वारा देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का विकास करना तथा एक सुविचारित दीर्घकालीन योजना के ढांचे के अन्तर्गत ही संगठनात्मक सुधार करना है। अधिकांश जनता के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार करने और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए काफी मात्रा में और निरन्तर आर्थिक उन्नति होनी ही चाहिए।

2 गत कई दशाब्दियों से भारत की अर्थव्यवस्था जड़वत रही है। इसका विकास-क्रम मुश्किल से जनसंख्या की वृद्धि से कुछ अधिक रहा है। गत दशाब्दी में इसमें औसतन 4 प्रतिशत वार्षिक की प्रगति हुई है। कुल राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि लगभग 42 प्रतिशत की है। इस सामान्य-सी वृद्धि से दूसरी योजना से विशेष रूप से निर्मित अर्थव्यवस्था के विकास-सामर्थ्य का पूरा संकेत नहीं मिलता है। जब कि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में, जिन से राष्ट्र की आधी आय प्राप्त होती है, आय में वृद्धि एक-तिहाई से कुछ ही अधिक हुई है। संगठित उत्पादन-क्षेत्र की कुल आय बढ़ कर लगभग दुगुनी हो गई है। संगठित उद्योग के क्षेत्र में भी पूंजीगत सामान-उद्योगों की उन्नति औसत से काफी तेज रही है। फिर भी, चूंकि जनसंख्या में वृद्धि अनुमान से अधिक हुई है इसलिए प्रति व्यक्ति आय में केवल 16 प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी है। इसी अवधि में विज्ञान और टेक्नोलाजी की द्रुत प्रगति और उन्नत देशों में प्राप्त की गई विकास की तेज रफ्तार के कारण उन्नत और कम उन्नत देशों के बीच की विषमताएं और भी बढ़ गई हैं। गत दशाब्दी में भारत में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकांश जनता के जीवन-स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए आर्थिक विकास की गति को काफी तेज करना होगा और जनसंख्या में वृद्धि की दर को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे।

3 इस पृष्ठभूमि में, भारत के भावी विकास के बारे में संक्षेप में विचार करना, समस्या के आवश्यक तत्वों का पता लगाने का प्रयत्न करना और आगामी 15 वर्षों या उससे भी अधिक समय के आर्थिक विकास के स्वरूप की रूपरेखा तैयार करना उपयोगी होगा। विकास की प्रक्रिया का क्रम सतत होता है, जिसमें प्रत्येक अवधि की प्राथमिकताएं और लक्ष्य भविष्य के एक बड़े व्यापक चित्र के साथ सम्बद्ध होते हैं। दीर्घकालीन भावी स्वरूप का वास्तविक महत्व इस समय किए जानेवाले निर्णयों से सम्बद्ध होता है, क्योंकि इस प्रकार की एक व्यापक दृष्टि के अभाव में किए जाने वाले निर्णय गलत और व्ययसाध्य हो सकते हैं और उनमें बाद में बड़े पैमाने पर संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब एक दीर्घकालीन

योजना पर्याप्त विस्तार के साथ बनाई जाती है, तब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर-निर्भरता स्पष्ट हो जाती है और अर्थव्यवस्था के विकास में सम्भावित बाधाओं को समझने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि और निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के कारण उत्पन्न माग और सम्भरण की समस्याओं का विश्लेषण करने से साधनों के समुचित प्रयोग, मात्रा और स्थिति की अर्थव्यवस्थाओं, और आर्थिक गतिविधियों के प्रादेशिक आधार पर वितरण के सम्बन्ध में सुस्थिर एव सामयिक निर्णय करने में सहायता मिलती है। यह अन्तिम बात, प्रादेशिक आधार पर वितरण की बात, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत-जैसे विशाल एव विविधतामय देश में कुछ ऐसी समस्याओं को, जिनका सम्बन्ध प्रादेशिक ढग के गतिरोधों से हो, केवल एक ऐसी दीर्घकालीन योजना से ही हल किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय विकास के एक वृहत्तर ढाचे में विभिन्न प्रदेशों को उपयुक्त स्थान प्रदान करे। विशेष रूप से इस बात की आवश्यकता है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जिसमें बिजली, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, और तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, विशिष्ट रूप में अग्रिम आयोजन किया जाए। प्रत्येक चरण पर इन क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम सुविचारित, समग्र रूप में स्वीकृत तथा नियत अवधि के आगे भी विस्तारशील होने चाहिए। इन क्षेत्रों में निरन्तर समन्वित प्रयत्नों की आवश्यकता है, और इनके परिणाम अनेक वर्षों में उपलब्ध होते हैं। विकास की दीर्घकालीन दृष्टि जहा नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण तथा प्रगति के मूल्याकन में उपयोगी पथ-प्रदर्शक हो सकती है, वहा वास्तविक उपलब्धियों और अनुभवों के आधार पर समय-समय पर स्वय इसका भी मूल्याकन होते रहना चाहिए।

4 पहली और दूसरी, दोनों ही योजनाओं को देश के दीर्घकालीन सामाजिक और आर्थिक विकास में सोपान-सदृश माना गया था। पहली योजना ने सन् 1951 से लेकर सन् 1981 तक की अवधि में विस्तृत आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक सामान्य शुरुआत की। जनसख्या में वृद्धि की गति, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात, जो विकास के प्रत्येक स्तर पर पुन पूजी-विनियोग के रूप में प्रयुक्त हो सकती थी, और किए गए पूजी-विनियोग के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन के बारे में कुछ कल्पनाए की गई थी। विकास के इस स्वरूप में यह आशा की गई थी कि सन् 1950-51 का राष्ट्रीय आय का स्तर सन् 1970-71 तक तथा प्रति व्यक्ति आय का परिमाण सन् 1977-78 तक दुगुना हो जाएगा। पहली योजना की कल्पनाओं एव धारणाओं की अर्थव्यवस्था के विकास की तुलना में, जो योजना के प्रथम पाच वर्षों के लिए अनुमानित परिमाण से कहीं अधिक रहा, दूसरी योजना की रिपोर्ट में विवेचना की गई और यह सुझाया गया कि सन् 1950-51 की तुलना में राष्ट्रीय आय सन् 1967-68 तक और प्रति व्यक्ति आय सन् 1973-74 तक दुगुनी हो जा सकती है। जनसख्या में वृद्धि और पहली तथा दूसरी योजनाओं की 10 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय आय में वस्तुत हुई वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था का अधिक-से-अधिक विस्तार किया जाए। जनसख्या में वृद्धि तथा सम्भावित प्रवृत्तियों को देखते हुए, राष्ट्रीय आय में निरन्तर 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होने के बावजूद, दूसरी योजना की इस आशा का पूरा होना कठिन प्रतीत होता है कि सन् 1950-51 का प्रति व्यक्ति आय का स्तर पाचवीं योजना के मध्य तक दुगुना हो जायगा।

5 एक अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में, जहां प्रति व्यक्ति पूंजी बहुत कम हो, जनसंख्या में वृद्धि की तीव्र गति के कारण बचत की दर बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है, जब कि बचत ही उच्च उत्पादकता और आय-वृद्धि के क्षेत्र में सफलता का बहुत-कुछ निश्चय करती है। इसके अतिरिक्त, पूंजी-विनियोग के सीमाबद्ध रहने पर इसका एक काफी बड़ा भाग पूंजीगत सामान-उद्योगों में कमी करके अनिवार्य उपभोक्ता सामग्रियों के उत्पादन में लगाना पड़ता है। इसके फलस्वरूप भी उन्नति की गति धीमी पड़ जाती है।

आर्थिक विकास की तुलना में जनसंख्या के महत्व को सन् 1961 की जनगणना के परिणामों से समझा जा सकता है। भारत की जनसंख्या में सन् 1951 और सन् 1961 के बीच हुई वृद्धि (लगभग 7 करोड़ 70 लाख) पिछली दो दशाब्दियों में हुई वृद्धि (लगभग 8 करोड़ 20 लाख) के आसपास ठहरती है।

सन् 1959 के प्रारम्भ में, जन्म और मृत्यु की दर-सम्बन्धी कुछ धारणाओं के आधार पर, केन्द्रीय सांख्यिकी-संगठन ने जनसंख्या की वृद्धि के बारे में कतिपय अनुमान लगाए थे, जिन्हें जनगणना होने तक तीसरी योजना की तैयारी के लिए एक कार्यकारी आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। नीचे की तालिका में जनसंख्या में वृद्धि के इन अनुमानों को, सन् 1961 की जनगणना के परिणामों के आधार पर अस्थायी रूप से कूते गए अनुमानों के साथ प्रस्तुत किया गया है। सन् 1961 की जनगणना के विस्तृत आंकड़ों का और अधिक अध्ययन किए जाने तक, इनका योजना के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है।*

तालिका-संख्या 1

भारत की जनसंख्या का अनुमान

(करोड़ में)

	1961	1966	1971	1976
केन्द्रीय सांख्यिकी-संगठन का अनुमान (1959)	43 1	48 0	52 8	57 8
अस्थायी अनुमान (1961)	43 8	49 2	55 5	62 ·5

सन् 1971 और सन् 1976 के लिए वर्तमान अस्थायी अनुमानों के आधार पर, सन् 1961 से सन् 1976 तक की अवधि में जनसंख्या में कुल वृद्धि 18 7 करोड़ तक के आसपास हो सकती है। जनसंख्या में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान है कि इस अवधि में श्रमिकों की संख्या में 7 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। इसमें से 1 करोड़ 70 लाख की वृद्धि तो तीसरी योजना की अवधि में ही होगी। इन बढ़े हुए श्रमिकों में से लगभग दो-तिहाई को कृषि से भिन्न कामों में लगाने की आवश्यकता होगी। स्पष्टतः यह एक बहुत

*जिन धारणाओं के आधार पर जनसंख्या में वृद्धि के अनुमान तैयार किए गए हैं, उन्हें परिशिष्ट (ग) में प्रस्तुत किया गया है।

बडा काम है और इसके लिए आगामी 15 वर्षों मे आवश्यक विकास के स्वरूप और गति के बारे में पुन विचार करना होगा ।

(2)
दीर्घकालीन विकास का मार्ग-निर्धारण

6 विभिन्न तथ्यो के कारण, जिनकी ओर ऊपर ध्यान दिलाया जा चुका है, अनिवार्य रूप से आगामी तीन योजनाओ की अवधि मे आर्थिक उन्नति की सभी सम्भावनाओ को पूर्णत और प्रभावशाली ढग से गतिशील करना होगा । इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास की एक व्यापक नीति के आधार पर आगे बढा जाए । इसी से अर्थव्यवस्था के द्रुत गति से विस्तृत होने की एव उसके न्यूनतम सम्भव समय में ही आत्मनिर्भर और आत्मचालित होने की गारण्टी मिलेगी । तीसरी और बाद की योजनाओ की पूर्ति के लिए नीति का जो स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, उसमे कृषि और उद्योग, आर्थिक और सामाजिक विकास, राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास तथा घरेलू और विदेशी साधन-स्रोतो की परस्पर-निर्भरता पर विशेष बल दिया गया है । इसमे वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक प्रगति के लिए अपनाए जानेवाले उपायो एव उत्पादकता के आम स्तर को ऊचा उठाने-सम्बन्धी कार्रवाइयो तथा जनसख्या, रोजगार और सामाजिक परिवर्तन-विषयक नीतियो पर भी बहुत बल दिया गया है ।

7 **कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था :** गावो मे उपलब्ध जनशक्ति के उपयोग एव स्थानीय साधनो के अधिकाधिक प्रयोग पर आधारित कृषि-विकास देश के द्रुत विकास की कुजी है । अभी कृषि-उपज का परिमाण इतना कम है कि पर्याप्त सिंचाई-व्यवस्था, खाद, सुधरे हुए बीजो और औजारो की आपूर्ति, कृषि के अच्छे तरीको को अपनाने के लिए किसानो को प्रशिक्षण, भूमिकाश्त-विषयक सुधार तथा सहकारिता के आधार पर कृषि-अर्थव्यवस्था के विकास के द्वारा बहुत थोडे समय में ही उत्पादन के स्तर में भारी वृद्धि की जा सकती है । अन्य क्षेत्रो की तरह, जिनमें अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध साधनो के भरपूर उपयोग से प्रगति की जा सकती है, कृषि-उत्पादन में भी उस हद तक वृद्धि की जानी चाहिए, जितनी भौतिक रूप से सम्भव है । विकास के वर्तमान चरण में खाद्यान्नो के साथ-साथ कपास, तेलहन और अन्य व्यावसायिक वस्तुओ का पर्याप्त उत्पादन भी समान रूप मे महत्वपूर्ण है । एक बार यदि उत्पादन की क्षमता का निर्माण हो जाए, तो अपेक्षाकृत कम समय में ही उसे समुदाय की बदलती हुई आवश्यकताओ को पूरा करने के अनुकूल भी किया जा सकता है । इस अवधि मे जो लक्ष्य निर्धारित किए गए है, वे है—कृषि की एक विविधतापूर्ण और सुदक्ष पद्धति का विकास, जिसमें पशुपालन, दूध-उत्पादन, मास-उत्पादन, मछलीपालन और कुक्कुट-पालन आदि भी शामिल है, समस्त जनता के लिए सन्तुलित और पर्याप्त आहार की व्यवस्था, तथा व्यावसायिक फसलो का विकास जिससे उद्योग और निर्यात की बढती हुई जरूरतें पूरी की जा सकें ।

8 कृषि-विकास के लिए बडे पैमाने पर सिंचाई-सुविधाओ के विस्तार की आवश्यकता होती है । अनुमान है कि कुल सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से इस समय सिंचाई की टेक्नोलाजी-विषयक सम्भावनाए बढकर 17 करोड 50 लाख एकड भूमि के लिए हो गई है ।

इसमें से 10 करोड़ एकड़ भूमि बड़े और मध्यम तथा शेष छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों द्वारा सिंचित है। सिंचाई और निश्चित वर्षा का लाभ उठाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकताओं का हाल में जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार 40 लाख टन नत्रजनयुक्त, 20 लाख टन फास्फेटयुक्त और 10 लाख टन पोटाशयुक्त उर्वरक चाहिए। परन्तु सिंचाई की सम्पूर्ण सम्भावनाओं का लाभ उठा लेने के बाद भी भारत की कुल कृषि-भूमि में से आधी वर्षा पर ही निर्भर करेगी। इसलिए विकास-कार्यक्रम में भूमि और नमी-संरक्षण को उच्च प्राथमिकता मिलती ही रहनी चाहिए।

9 किसी भी दीर्घकालीन योजना में कृषि-विकास की सम्भावनाओं का इन क्षेत्रों में प्राप्त सफलताओं से गहरा सम्बन्ध होता है :

(क) टेक्नोलाजी-विषयक परिवर्तन, विशेष रूप से वैज्ञानिक कृषि-पद्धति, सुधरे हुए उपकरणों एवं अन्य औजारों का उपयोग;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों की जनशक्ति का पूर्ण उपयोग और अधिकतम स्थानीय प्रयास का संगठन;

(ग) सहकारिता के आधार पर, जिसमें सेवा, ऋण, हाट-व्यवस्था, विधायन और वितरण तथा सहकारी कृषि भी शामिल हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन;

(घ) भूमि-प्रयोग के व्यवस्थित आयोजन, बहुविध फसलों का विस्तार और बुवाई के सुधरे हुए तरीकों के द्वारा उपलब्ध भूमि का समुन्नत उपयोग, तथा

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से भिन्न कार्यों का इस प्रकार विस्तार, जिससे पेशे-सम्बन्धी स्वरूप में विविधता आए और कृषि पर निर्भर रहनेवालों की संख्या में कमी हो।

ये लक्ष्य पहले ही स्वीकार कर लिए गए हैं तथा इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। फिर भी, प्रत्येक क्षेत्र में प्रयत्नों को जोरदार और तीव्र किया जाना चाहिए।

10 **बुनियादी और भारी उद्योग :** यह ठीक है कि कृषि और उद्योग एक ही विकास-प्रक्रिया के परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध दो पहलू हैं, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि द्रुत आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में उद्योग की भूमिका विशेष प्रमुख है। अपने प्राकृतिक साधन-स्रोतों के कारण भारत पर्याप्त औद्योगिक प्रगति कर सकता है। भारत में खनिज लोहा, मैंगनीज, बाक्साइट, कोयला, अबरक और खनिज थोरियम—जैसी परमाणविक सामग्रियों के प्रचुर भण्डार हैं। सर्वेक्षण और खोजों से तेल-स्रोतों की सम्भावनाओं का भी संकेत मिला है। पनबिजली पैदा करने की भी क्षमता प्रचुर है। अच्छी किस्म के खनिज लोहे के बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण भारत उचित लागत पर इस्पात का [illegible] उत्पादन करने में समर्थ है। इस्पात और अन्य बुनियादी वस्तुओं का [illegible] में निर्माण करने की अपनी क्षमता तथा घरेलू बाजार के [illegible] भारत उस स्थिति में है कि मशीनों का तथा विकास के लिए [illegible] सामग्रियों और विभिन्न सामान का उत्पादन कर सके।

परिणामत इनसे मझले और छोटे उद्योगों के विकास मे मदद मिलेगी तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों मे रोजगार की सम्भावनाए बढेगी । इस प्रकार, पहले की स्थापित बुनियादों पर एक सम्बद्ध औद्योगिक ढाचे का निर्माण तथा सम्बन्धित प्रदेश राज्य के आधार पर औद्योगिक उत्पादन का विस्तार सम्भव होना चाहिए। फिर भी अभी कुछ समय पहले तक, औद्योगिक क्षेत्र मे बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही सीमित आधार उपलब्ध था। पूजीगत और अन्तर्वर्ती सामान-उद्योगों के बढ़ते आकार को देखते हुए, इस्पात, कोयला, तेल, बिजली, मशीन-निर्माण, और रसायनिक उद्योगों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। यदि भावी उद्योगीकरण की आवश्यकताओं को पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी साधनों से ही पूरा करना है, तो इन उद्योगों का तेजी से विकास होना ही चाहिए। दूसरे शब्दों मे, आत्मनिर्भर और स्वसचालित विकास के लिए इन उद्योगों का विकास एक आवश्यक शर्त है।

11 औद्योगिक विकास को, और विशेषत बुनियादी तथा भारी उद्योगो के विकास को, विकास की उस व्यापक धारणा का एक अग समझना चाहिए, जो अन्तत औद्योगिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को—बडे और छोटे उद्योगों की अर्थव्यवस्था को बडे औद्योगिक केन्द्रों तथा छोटे कस्बों और गावो की अर्थव्यवस्था को—आपस में जोडता है और दोनों के सम्बन्धों को बहुत निकट ला देता है । इस प्रकार, इससे समग्र अर्थव्यवस्था मे उच्च गतिशीलता और आर्थिक अखण्डता का आश्वासन प्राप्त होता है।

12 मानवीय साधन और उत्पादकता : दीर्घकालीन आयोजन का एक अनिवार्य पहलू यह है कि सम्पूर्ण राष्ट्र के उत्पादकता के स्तर को ऊचा उठाने के लिए प्रभावशाली और गतिमान साधन प्रस्तुत किए जाए। केवल इसी के द्वारा जनसामान्य के जीवन-स्तर को कारगर ढग से ऊचा उठाया जा सकता है। इस सम्पूर्ण प्रयत्न के मूल में देश के मानवीय साधनों को सगठित करने के लिए अनेक विकास-कार्यक्रम है, जिनमें विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य, पिछडे वर्गों के विकास के उपाय, दक्षता और तकनीकी ज्ञान के स्तर को ऊचा उठाने और वैज्ञानिक एव टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान के कार्यक्रम शामिल है। हमें जितनी सख्या में वैज्ञानिक एव तकनीकी कर्मचारियो की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए एक दृढ आधार का निर्माण करने में 20 वर्ष या इससे भी अधिक समय लग सकता है । प्रशिक्षित व्यक्तियो की सख्या बढाने के कार्यक्रमो को अनिवार्य रूप से व्यापक आधार पर उनकी माग उपस्थित होने से बहुत पहले ही प्रारम्भ किया जाना चाहिए । साथ ही, यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है कि उपलब्ध जनशक्ति को यथासम्भव पूर्ण और प्रभावशाली ढग से काम में लाया जाए। सामान्य शिक्षा के लिए सुविधाए बढाने के महत्व के बारे में जितना भी कहा जाए, कम ही होगा। जब कि 6 से 11 वर्ष तक के वय-वर्ग के सभी बच्चो के लिए नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम पर अमल प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है, हमारा अगला कदम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह कदम है 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चो को शिक्षा की व्यवस्था करना। इस बात का सविधान में भी उल्लेख है । चौथी और पाचवी योजनाओ की अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ।

13 जनसंख्या : बढे हुए उत्पादन का एक बहुत बडा भाग बढती हुई जनसख्या की आवश्यकता-पूर्ति में ही खप जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थितियो में सुधार

के कारण मृत्यु-दर में, विशेषत बाल-मृत्युओं की संख्या में, और कमी हो जाएगी और यह भी सम्भव है कि कुछ समय तक जन्म-संख्या की गति में वृद्धि की प्रवृत्ति रहे। इसलिए एक उपयुक्त अवधि में जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर करने का लक्ष्य योजनाबद्ध विकास के केन्द्र में होना चाहिए। अतएव, परिवार-आयोजन का कार्यक्रम, जिसमें बहुत अधिक शिक्षण, बड़े पैमाने पर सुविधाओं और परामर्श देने की व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी जनसमाज में व्यापक लोकप्रिय प्रयत्न भी शामिल हैं, सर्वोपरि महत्व का है।

14 रोजगार • एक विशाल जनसंख्यावाले देश में, जहां अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर करती है, विकास का पिछड़ापन सबसे अधिक बेकारी की उग्र समस्या में प्रतिबिम्बित होता है। जब तक आर्थिक ढांचा सुदृढ़ नहीं हो जाता और उपकरणों और कच्चे माल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को अर्थव्यवस्था अपने ही साधन-स्रोतों से पूरा करने में समर्थ नहीं हो जाती तब तक वृद्धिशील उत्पादक कार्यों में अतिरिक्त श्रमिकों को भी एक उचित वेतन-स्तर पर खपाना बड़ा कठिन होता है। संक्रमण-काल में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य विकास की योजना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर भी, यह आशा की जाती है कि यदि आगामी तीन योजनाओं में विकास-कार्यों को इस अध्याय में बताए गए पैमाने पर अंजाम दिया गया, तो कृषि से भिन्न क्षेत्र में भी उत्पादक रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में बढ़ने चाहिए।

15 सामाजिक नीति • एक ऐसे देश में, जहां अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, जीवन-यापन का स्तर बहुत नीचा है और प्रादेशिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताएं बहुत व्यापक हैं, वहां विकास के सामाजिक पहलू आर्थिक पहलू से कम महत्व के नहीं होते। बद्धमूल गहरी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए द्रुत गति से विकासशील अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है। फिर भी, आर्थिक विकास की प्रगति के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की विषमताएं बढ़ सकती हैं, देश के विभिन्न भागों में विकास के स्तर में अन्तर बढ़ सकता है और आर्थिक विषमता की समस्याएं कुछ विकट बन सकती हैं। इस सम्बन्ध में सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप खपत के स्वरूप का विकास विशेष महत्व रखता है। दीर्घकालीन विकास की किसी भी योजना में इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि पूर्व वर्णित सामाजिक उद्देश्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके।

16 विकास के लिए साधन • एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए, जिसमें उन्नति की उच्च गति का क्रम बना रह सके, जो बातें आवश्यक होती हैं, उनमें पर्याप्त स्वदेशी पूंजी की व्यवस्था, निर्यात बढ़ाने के लिए यथासम्भव प्रयत्न और संक्रमण-काल की नाजुक अवधि में विदेशी सहायता की सुलभता का भी स्थान है।

बचत करने और निर्यात में वृद्धि-सम्बन्धी प्रगति मुख्यत इस बात पर निर्भर करती है कि समुदाय कितना भार वहन करने को तत्पर है। गत एक दशाब्दी में इस विकास के परिणामस्वरूप आर्थिक जड़ता की स्थिति समाप्त हो गई है। अभी अधिकांश जनता का रहन सहन का स्तर इतना नीचा है कि अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त उत्पादन का [illegible] भाग लोगों का जीवन-स्तर सुधारने में ही लगाया जाना चाहिए। फिर भी, [illegible] के साथ और आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं का, जिन पर आर्थिक

उन्नति निर्भर करती है, विकास करना है, तो आगामी कई वर्षो तक खपत के स्तर मे, विशेषत ऐसी वस्तुओ या ऐसी सेवाओ के स्तर मे, जिन्हे भारत के आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरणो मे अनावश्यक समझा जाता है, सीमित मात्रा में ही उन्नति सम्भव है। यह त्याग प्रजातन्त्र को समाज के व्यापक हित की दृष्टि मे सर्वसाधारण की सहमति से करना भी होता है और इनके लिए समुचित सामाजिक नीतिया अपनानी पडती हैं।

विकास की नीति-रचना का एक बुनियादी उद्देश्य ऐसी परिस्थितिया निर्मित करना है, जिनसे यथाशीघ्र विदेशी सहायता पर निर्भरता की स्थिति समाप्त हो जाए। इसके लिए निर्यात का व्यापक पैमाने पर विस्तार आवश्यक है। तीसरी योजना मे निर्यात-वृद्धि का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसका उद्देश्य चौथी और पाचवी योजनाओ मे निर्यात के और अधिक प्रयत्नो के लिए एक सुदृढ आधार स्थापित करना है। इसके लिए खपत में सयम, निर्यात के लिए आवश्यक फालतू माल प्राप्त करने के उपाय, और उत्पादकता बढाने तथा उत्पादन और वितरण के व्यय मे कमी करने सम्बन्धी नीतिया अपनानी होंगी।

17 विदेशी सहायता : सक्रमण की अवधि मे बुनियादी और भारी उद्योगो तथा मशीनो के निर्माण की क्षमता बढाने के प्रयासो ने, जिसके बिना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, भुगतान-सन्तुलन की समस्या को बढा दिया है। आयात की स्थान-पूर्ति का प्रश्न अनिवार्यत देश मे ही उत्पादन-क्षमता के विकास के प्रश्न के साथ सम्बद्ध है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने, जो देश के ही साधनो को अधिकतम गतिशील बनाने के लिए प्रयत्नशील होती है, यह कठिनाई आती है कि उसके विकास के प्रयत्न आयात की, विशेषत मशीनो, कच्चे माल और पुर्जो के आयात की, आवश्यकता को बढा देते हैं, जिनका एक अवधि तक वह अपने निर्यात से अर्जित राशि से भुगतान नही कर सकती। ऐसी स्थिति में विदेशी सहायता की आवश्यकता अनिवार्य होती है। इस प्रकार की सहायता ने भारत की आर्थिक उन्नति को गति देने में बडा भारी काम किया है और इसका महत्व बहुत] अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो की और एक देश-द्वारा दूसरे देश को दी जानेवाली सहायता का, कम उन्नत देशो के आर्थिक विकास के लिए जो महत्व है, वह विश्व-समुदाय के निर्माण की तुलना में, जिसमें प्रत्येक देश अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे देश के विकास के लिए कुछ देता है, कम नही है। यह एक ऐसा दायित्व है, जिसे भारत स्वीकार करता है और जैसे-जैसे उसकी अर्थव्यवस्था विकसित होगी, वह अपने साधनो की सीमा मे रहते हुए अन्य विकासरत देशो के साथ अपने अनुभवो का आदान-प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(3)

1961-76 के लिए दृष्टिकोण

18 तीसरी योजना के निर्माण-काल के प्रारम्भ मे, दूसरी योजना के सुझाव को स्वीकार करते हुए 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विकास की निरन्तर गति की बात सोची गई थी। 5 वर्ष पूर्व जनसख्या में वृद्धि की दर के बारे में जो धारणा बनाई गई थी, उसके अनुसार इससे प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में 4 प्रतिशत से कुछ कम की

वृद्धि होगी। अब यह अन्दाजा लगाया गया है कि आगामी 15 वर्षों तक जनसख्या में प्रति वर्ष दो प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि होगी। इस अवधि मे अर्थव्यवस्था को अनेक क्षेत्रो की—खाद्यान्न और कच्चा माल, कपडा, इस्पात, कोयला, बिजली परिवहन, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओ और प्रशिक्षित जनशक्ति की—बढती हुई विशाल मागो को पूरा करना होगा। इन परिस्थितियो में, यह विचार किया गया है कि आगामी 15 वर्षों में विकास की न्यूनतम गति 6 प्रतिशत वार्षिक के यथा-सम्भव निकट होनी चाहिए। तीसरी योजना के लिए भौतिक कार्यक्रमो और लक्ष्यो को निर्धारित करते समय इस विचार को सामान्यत सामने रखा गया। यदि इन्हें योजना के अनुसार 5 वर्ष की अवधि मे पूर्णत प्राप्त कर लिया गया, तो कुल राष्ट्रीय आय में 34 प्रतिशत की या 6 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हो जाएगी। इसके लिए जिन अन्य महत्व-पूर्ण शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, वे हैं आर्थिक स्थिरता-विषयक परिस्थितियो को बनाए रखना और अधिकाश जनता के जीवनयापन-व्यय के स्तर को नीचे रखना, विदेशी साधनों की पर्याप्तता और समय पर सुलभता, राष्ट्रीय आय के 12 प्रतिशत से कुछ अधिक स्वदेशी बचत का पुन विनियोग, उद्योग, परिवहन और बिजली के अधीन कार्यक्रमो का पूर्णत समन्वित और सुचारु रूप से परिपालन, सभी स्तरो पर कृषि-विषयक एव अन्य कार्यक्रमो का दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन, और आयोजन तथा पूरा किए गए कामो के मूल्याकन के लिए सुधरी हुई तकनीको का प्रयोग जहा तीसरी योजना की सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रो में सघन प्रयास किए जाए वहा विकास की वास्तविक गति इस बात पर निर्भर करेगी कि इन शर्तों को कहा तक पूरा किया गया है।*

19 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के व्यापक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए यह अपेक्षा की गई है कि 1960-61 के मूल्यो के आधार पर दूसरी योजना के अन्त की राष्ट्रीय आय 14,500 करोड रु० से बढकर तीसरी योजना के अन्त में 19,000 करोड रु०, चौथी योजना के अन्त में 25,000 करोड रु० और पाचवी योजना के अन्त में 33,000 करोड से 34,000 करोड रु० तक हो जानी चाहिए। जनसख्या में वृद्धि को भी देखते हुए, इन अनुमानो के आधार पर, 1960-61 के अन्त की प्रति व्यक्ति औसत आय 330 रु० से बढकर 1966, 1971 और 1976 में क्रमश 385, 450 और 530 रु० हो जाएगी। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के इन अनुमानो में निहित विनियोग की मात्रा और दर में वृद्धि प्राप्त करना सुगम नहीं है फिर भी, साधनो और विज्ञान एवं आधुनिक टेक्नोलाजी-द्वारा उपलब्ध जानकारियो की पृष्ठभूमि में तथा उपलब्ध सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं के बारे में समझदारी बढने के कारण यह विचार किया गया है कि ऊपर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए है, उन्हें व्यवहारत- पूरा भी किया जा सकता है।

20 ऊपर जिस पैमाने पर विकास की बात कही गई है तथा जिसमें वास्तविक उपलब्धि के समय और अधिक सुधार किया जाना चाहिए, उसके अनेक महत्वपूर्ण फलितार्थ

* चौथे और पाचवें अध्याय में तीसरी योजना में 5 प्रतिशत से कुछ अधिक वार्षिक की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो लक्ष्य सुझाया गया है, वह इन शर्तों पर विचार के उपरान्त किए गए सम्पूर्ण निर्णय के रूप में है।

है। इसका यह तकाजा है कि देश के जनशक्ति विषयक-साधनो का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए सघन रूप से और अनवरत प्रयास किया जाए, पूजी-विनियोग के लिए उपलब्ध स्रोतो का अधिक-से-अधिक उपयुक्त ढग से प्रयोग किया जाए, स्वदेशी बचत पर बल दिया जाए और उसे पुन उपयुक्त क्षेत्रो मे लगाया जाए तथा निर्यात के विस्तार के लिए स्वदेशी उत्पादन का काफी अतिरिक्त माल प्राप्त किया जाए। राष्ट्रीय आय के अनुपात मे कुल पूजी-विनियोग की मात्रा वर्तमान 11 प्रतिशत से बढकर तीसरी, चौथी और पाचवी योजनाओ के अन्त में क्रमश 14-15, 17-18 और 19-20 हो जानी चाहिए। दूसरे शब्दो मे तीसरी योजना मे कुल विनियोग के लिए निर्धारित राशि 10,500 करोड रु० की तुलना मे चौथी और पाचवी योजनाओ मे यह राशि लगभग 17,000 करोड रु० और 25,000 करोड रु० होनी चाहिए। इसी अनुपात से स्वदेशी बचत की मात्रा भी, जो अभी 8 5 प्रतिशत है, तीसरी, चौथी और पाचवी योजनाओ के अन्त में बढकर क्रमश राष्ट्रीय आय का 11 5, 15-16 और 18-19 प्रतिशत हो जानी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि कुल नियोजित राशि में विदेशी सहायता का अनुपात क्रमश कम होता जाएगा और पाचवी योजना के अन्त में अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ हो जाएगी कि वह विदेशी पूजी के सामान्य नियोजन के अतिरिक्त विदेशी सहायता पर निर्भर किए बिना सन्तोषजनक गति से विकसित हो सकेगी।

21 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दीर्घकालीन योजनाओ के व्यावहारिक व्याज का एक बहुत बडा भाग वर्तमान योजनाओ पर काम करने और निर्णय लेने मे पथ-प्रदर्शन और पहले से ही आयोजन के बारे मे सुविधाए प्रदान करने मे निहित है। बुनियादी उद्योगो मे इन बातो का विशेष महत्व है। इन मामलो मे, समन्वित विकास से सम्बद्ध तकनीकी और अन्य समस्याओ, भौतिक साधनो और विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी पेचीदगियो, और आर्थिक गतिविधियो का स्थान निर्धारित करने-सम्बन्धी प्रश्नो पर सुदीर्घ अध्ययन और तैयारी की आवश्यकता होती है। तीसरी योजना के प्रारम्भिक अध्ययनो के क्रम मे सन् 1970-71 के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओ के उत्पादन की क्षमता के अनुमानित लक्ष्य इस प्रकार सुझाए गए है

तालिका-सख्या 2

1970-71 में उत्पादन-क्षमता के लक्ष्य

वस्तु	क्षमता का लक्ष्य
इस्पात की सिल्लिया	180–190 लाख टन
कच्चा लोहा	30–40 लाख टन
अलुमीनियम	2 3–2 5 लाख टन
बिजली	210–230 लाख किलोवाट
कोयला	17-18 करोड टन
तेलशोधन	180–200 लाख टन
नत्रजन्युक्त उर्वरक (नत्रजन मे)	20–22 लाख टन
सीमेण्ट	2 4–2 6 करोड टन
मशीन-निर्माण	1 600 करोड रुपये का उत्पादन
रेलवे-द्वारा माल-परिवहन—लम्बी दूरी का यातायात	38–42 करोड टन
खाद्यान्न	12 5 करोड टन
निर्यात	1,300–1,400 करोड रुपये

इन लक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि इस दिशा में कितना अधिक प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। तकनीकी स्तर पर और अधिक अध्ययन करने की दिशा में भी इन्हें उपयोगी आधार बनाया जा सकता है।

(4)

दीर्घकालीन विकास-योजना की तैयारी

22 विगत वर्षों में दीर्घकालीन योजना की तैयारी के लिए नई तकनीकों और सिद्धान्तों के विकास के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। आर्थिक आयोजन के लिए इनका प्रयोग मुख्यतः उपलब्ध तकनीकी और आकड़ो-सम्बन्धी सूचनाओं की कोटि पर निर्भर करता है। तदनुसार ही, तीसरी योजना में उपलब्ध आकड़ों एवं तकनीकी सूचनाओं में परिष्कार के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में ठीक अनुपात रखने और जटिल सम्बन्धों का विश्लेषण करने के लिए उनकी विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। विकास के प्रत्येक चरण में सम्पूर्ण कार्यक्रम को एक अविच्छिन्न भौतिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। कच्ची सामग्रियों, सहायक उत्पादनों, मशीनों और आवश्यक सेवाओं (यथा, बिजली और परिवहन तथा आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों) का उचित मात्रा और संख्या में ठीक समय पर उपलब्ध होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होनेवाले उत्पादनों का ठीक समय पर विनियोग या खपत के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। स्वदेशी बचत और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता उत्पादन और खपत की माग को ठीक समय पर पूरा करनेवाली होनी चाहिए। आर्थिक, तकनीकी और संख्या-सम्बन्धी विश्लेषण बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक नियत अवधि में उपभोक्ताओं की माल और सेवाओं-सम्बन्धी माग का अनुमान, सहायक सामान, कच्ची सामग्रियों और तकनीकी कर्मचारियों की माग का निश्चय करने के उद्देश्य से अन्तःउद्योग-सम्बन्धों का अध्ययन, और विनियोग की आवश्यकताओं, आयात में कमी की सम्भावनाओं तथा निर्यात का विकास भी शामिल होना चाहिए।

23 एक ऐसे देश के लिए, जहा बहुत गहरी सामाजिक और आर्थिक समस्याए हैं, जहा जनसंख्या विशाल और निरन्तर बढ़नेवाली है और जहा परस्पर भिन्न परिस्थितिया हैं, विकास की एक दीर्घकालीन योजना, जिसमें विशिष्ट कार्यक्रम और नीतिया बताई गई हों, सफल आयोजन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार की योजना न केवल व्यापक राष्ट्रीय आधार पर बनाई जानी चाहिए, अपितु इसमें देश के प्रत्येक क्षेत्र के स्रोतों के विकास की सम्भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन्नति की गति को धीमा किए बिना ही विकास के लाभ को यथासम्भव व्यापक क्षेत्र में वितरित किया जा सके। इसलिए दीर्घकालीन योजना को आर्थिक और सामाजिक विकास का एक ऐसा सामान्य स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं को ध्यान में रखे तथा उनको राष्ट्रीय प्रगति के समन्वित प्रयत्नों के साथ सम्बद्ध करे। इस आधार पर एक दीर्घकालीन योजना तैयार करने के लिए केन्द्र और राज्यों के विभिन्न सरकारी अभिकरणों में और वैज्ञानिक, आर्थिक एवं सामाजिक अनुसन्धान करनेवाली प्रमुख संस्थाओं में निरन्तर और निकट सम्पर्क तथा सहयोग होना चाहिए।

दीर्घकालीन योजना की रूपरेखा को प्राप्त नवीनतम आकडो और सूचनाओ के आधार पर पूरा किया जाएगा और समय-समय पर योजना में टेक्नोलाजी-विषयक विकास, साधनों की अधिक जानकारी और अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओ मे हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन और परिवर्द्धन किए जाएगे। इस ढग से योजना-आयोग और कुछ स्वतन्त्र अनुसन्धान-सस्थाओ ने कार्य आरम्भ भी कर दिया है। साथ ही, सोचा गया है कि आगामी 3 वर्षो मे पर्याप्त साधन-शक्ति लगा कर विकास की एक ऐसी समग्र योजना तैयार की जाए, जिसकी परिधि मे पाचवी योजना की समाप्ति तक की अवधि आ जाए

अध्याय 3

आयोजन के दस वर्ष

पहली और दूसरी योजनाएं

मार्च 1961 में दूसरी पचवर्षीय योजना की पूर्ति के साथ-साथ भारत के योजनाबद्ध विकास का प्रथम दशक भी समाप्त हुआ। इस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का द्रुत गति से विस्तार हुआ, देश के भावी सामाजिक और आर्थिक स्वरूप की रूपरेखा निश्चित हुई और पिछले अध्यायों में वर्णित मूलभूत उद्देश्यों तथा दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नींव भी रखी गई।

2 पहली पचवर्षीय योजना ने ऐसी कई परियोजनाएं हाथ में लीं जिन्हें पहले ही तैयार किया गया था और उन्हें समस्त देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास की सुसगठित योजना के साथ सम्बद्ध किया। इस योजना का, जिसमें कृषि, सिंचाई बिजली और परिवहन पर बल दिया गया, उद्देश्य यह था कि भविष्य में अधिक तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति करने का आधार तैयार हो जाए। देश के आर्थिक विकास में सामाजिक परिवर्तन और सस्थागत सुधारों पर बल देते हुए इस योजना ने कुछ मूलभूत नीतियों को जन्म दिया, जिन्हें दूसरी योजना के अन्तर्गत और अधिक विकसित किया गया।

पहली योजना के कुछ उल्लेखनीय अग ये थे पुराने ढग की भूमि-पद्धति में, जिससे कृषि-सम्बन्धी उत्पादन में बाधा पड रही थी, सुधार, विशाल सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अग के रूप में राष्ट्रव्यापी कृषि-विस्तार-सेवा की स्थापना, सहकारिता-आन्दोलन को पुन सबल बनाना, बड़े पैमाने पर सिंचाई और बिजली की सुविधाओं का विस्तार, देश के प्रशासकीय ढाचे को सुधारना और दृढ बनाना तथा कृषि और उद्योग को कर्ज देने, छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने और आबादी के पिछड़े हुए अगों को विशेष सहायता देने के लिए कुछ विशिष्ट सस्थाओं की स्थापना। इस योजना में तीव्र आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न करने की पहली आवश्यकता की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया गया। इसने जनता को केवल वे उद्देश्य ही नहीं बताए, जिनके लिए काम किए जाने की जरूरत थी, बल्कि वे साधन भी बतलाए, जिनकी सहायता से परस्पर-स्वयसेवा, सहकारिता एवं स्थानीय साधनों के सगठन-द्वारा उन्हें पूरा किया जा सकता था।

3 पहली योजना के अन्तर्गत जो मूलभूत नीतियां स्वीकार की गई थीं, उन्हें दूसरी योजना में दृढ़ कदम आगे और बढ़ाया गया। यह निश्चित किया गया कि पूंजी-विनियोग, उत्पादन और रोजगार में अधिक वृद्धि हो। इस दूसरी योजना का मुख्य योगदान यह रहा कि इसने अर्थव्यवस्था को आगे महत्वपूर्ण विकास-अवस्था की ओर प्रेरित किया, जो कि देश द्वारा पहले ही स्वीकृत योजनाबद्ध विकास की नीति का एक स्वाभाविक परिणाम थी। इसमें बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि

भारत में प्राकृतिक साधनो के पहले से पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहने के कारण आगामी 15 या 20 वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को द्रुत गति देने के कार्यक्रम का यह एक आवश्यक अग था। इस योजना में यह बात भी अधिक स्पष्ट रूप में कही गई कि देश के आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र की कितनी प्रमुख भूमिका होगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति अधिक तेज करने और भविष्य मे द्रुत विकास के अनुकूल अवस्थाओ का निर्माण करने पर जोर देने के साथ-साथ दूसरी योजना ने राष्ट्र के सामने समाजवादी ढग का समाज बनाने का लक्ष्य प्रस्तुत किया। रोजगार के अवसर अधिक बढाने, आय तथा सम्पत्ति की विषमताओ को कम करने और आर्थिक शक्ति के अधिक न्यायसगत वितरण के उद्देश्यो को भी इसने निश्चित किया।

4 आर्थिक आयोजन के परिणामस्वरूप पूजी-विनियोग की दर मे पर्याप्त वढोतरी हुई, विशेषत उन दिशाओ में, जिनसे देश के आर्थिक विकास में गति आ सकती थी। अर्थव्यवस्था में कुल पूजी-विनियोग (निजी तथा सरकारी, दोनो) पहली योजना के प्रारम्भ की राशि 500 करोड रु० वार्षिक से बढ कर पहली योजना के अन्त में 850 करोड रु० वार्षिक तक और दूसरी योजना के अन्त में लगभग 1,600 करोड रु० वार्षिक तक पहुच गया। उपर्युक्त अवधियो मे सरकारी अधिकारियो-द्वारा पूजी-विनियोग की राशिया क्रमश 200 करोड रु०, 450 करोड रु० और 800 करोड रु० रही। मौजूदा कीमतो के अनुसार, दोनो योजनाओ की अवधि मे कुल पूजी-विनियोग 10,110 करोड रु० का हुआ, जिसमें से 5,210 करोड रु० का श्रेय सरकारी क्षेत्र को और 4,900 करोड रु० का श्रेय निजी क्षेत्र को था। दोनो योजनाओ का व्योरा नीचे दिया गया है

तालिका-सख्या 1

पहली और दूसरी योजनाओ में व्यय तथा पूंजी-विनियोग*

(करोड रु०)

क्षेत्र	पहली योजना 1951-56	दूसरी योजना 1956-61	योग 1951-61
सरकारी क्षेत्र का व्यय	1,960	4,600	6,560
सरकारी क्षेत्र का पूजी-विनियोग	1,560	3,650	5,210
निजी क्षेत्र का पूजी-विनियोग†	1,800	3,100	4,900
समस्त पूजी-विनियोग	3,360	6,750	10,110

* मौजूदा कीमतो के अनुसार

† पहले निजी क्षेत्र का पूजी-विनियोग पहली योजना में 1,600 करोड रु० और दूसरी योजना में 2,400 करोड रु० दिखाया गया था। पूरी सूचना प्राप्त होने पर इन अनुमानो को सशोधित किया गया है। सरकारी क्षेत्रो से हस्तान्तरित साधन इसमें शामिल नहीं हैं।

5 नीचे की तालिका में सरकारी क्षेत्र के व्यय के विकास की विभिन्न मदों में वितरण दिखाया गया है

तालिका-संख्या 2

व्यय का वितरण

(करोड़ रुपये)

मद	पहली योजना		दूसरी योजना	
	व्यय	प्रतिशत	व्यय	प्रतिशत
कृषि और सामुदायिक विकास	291	15	530	11
बड़ी और मध्यम सिंचाई	310*	16	420	9
बिजली	260	13	445	10
ग्राम और छोटे उद्योग	43	2	175	4
उद्योग और खनिज पदार्थ	74	4	900	20
परिवहन और संचार-साधन	523	27	1,300	28
सामाजिक सेवाएं और विधि	459	23	830	18
योग	1,960	110	4,600	100

व्यय-वितरण में परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि दोनों योजनाओं में किस प्रकार अलग-अलग मदों पर बल दिया गया। पहली योजना में ऐसे कार्यक्रमों पर ज्यादा बल दिया गया था, जिनसे देश की कृषि-शक्ति का विकास होता। इसलिए योजना के कुल खर्च का 31 प्रतिशत भाग कृषि और सिंचाई के लिए निश्चित किया गया। दूसरी योजना में औद्योगिक विकास पर ज्यादा जोर दिया गया और उद्योगों तथा खनिज पदार्थों का सापेक्ष भाग 4 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया। परिवहन और संचार-साधनों को दोनों ही योजनाओं में ऊंची प्राथमिकता दी गई। सामाजिक सेवाओं और विविध मदों को पहली योजना के कुल व्यय का 23 प्रतिशत भाग और दूसरी योजना के कुल व्यय का 18 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ।

वित्त-व्यवस्था का स्वरूप

6 दोनों योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के व्यय के लिए जो वित्त-व्यवस्था हुई, वह अगले पृष्ठ पर दी गई है।

* इसमें बाढ़-नियन्त्रण शामिल है।

तालिका-संख्या 3

सरकारी क्षेत्र में वित्तीय साधन

(करोड़ रु०)

	पहली योजना		दूसरी योजना	
	वास्तविक	प्रतिशत	अनुमानित	प्रतिशत
योजना पर व्यय	1,960	100	4,600	100
आन्तरिक साधन	1,772	90	3,510*	76
विदेशी सहायता	188	10	1,090†	24

विशेष रूप से दूसरी योजना की अवधि में, कर-सम्बन्धी प्रयत्नों मे पर्याप्त वृद्धि की गई। कई नए प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष कर लगाए गए । साधनों के अभाव को कुछ तो घाटे की वित्त-व्यवस्था से और कुछ विदेशी सहायता से पूरा किया गया। दूसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में बजट-सम्बन्धी घाटे कुछ ज्यादा थे। परवर्ती वर्षों में उन्हें घटाने की कोशिश की गई । दूसरी योजना की अवधि में वास्तविक घाटे की वित्त-व्यवस्था 948 करोड़ रु० की थी।

7 पहली योजना की अवधि में भुगतान-सन्तुलन ने कोई समस्या पैदा नही की। सम्पूर्ण योजना-अवधि में वास्तविक घाटा 318 करोड़ रु० का रहा। इस घाटे को 196 करोड़ रु० तक विदेशी सहायता से और 122 करोड़ रु० देश के विदेशी मुद्रा-कोष से निकाल कर पूरा किया गया। चूंकि दूसरी योजना में उद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया था, इसलिए स्वभावत ही विदेशी मुद्रा के अधिक व्यय की आवश्यकता उपस्थित हुई। दूसरी योजना की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि पाच वर्ष की अवधि में भुगतान-सन्तुलन की मद में कुल घाटा करीब 1,100 करोड़ रु० का होगा और इसमें से करीब 400 करोड़ रु० की पूर्ति विदेशी सहायता से की जाएगी। परन्तु योजना आरम्भ में ही कुछ अप्रत्याशित भुगतान-सन्तुलन-सम्बन्धी कठिनाइयो में फस गई और सन 1958 मे उस पर पुन विचार करना पड़ा। कम आवश्यक आयातो पर कुछ कठोर बन्दिशें लगानी पड़ी। दूसरी योजना की अवधि में विदेशी मुद्रा-कोष से 600 करोड़ रु० निकालने पड़े। इसके अतिरिक्त, 872 करोड़ रु० तक की विदेशी सहायता का सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्तेमाल करना पड़ा । इसके अतिरिक्त, पी० एल० 480 सहायता के अन्तर्गत 534 करोड़ रु० की वस्तुए आयात करनी पड़ी और 55 करोड़ रुपये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से निकालने पड़े।

*इसमें सरकारी ऋण में रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक-द्वारा पी० एल० 480 की जमा राशियों से दी गई राशिया शामिल हैं।

†इसमें सन 1960-61 में विशष सिक्यूरिटियो में पी० एल०480 के कोष से रिजर्व बैंक-द्वारा किया गया पूजी-विनियोग शामिल है।

8 पिछले 10 वर्षों में विकास की गति एक-जैसी नहीं रही है। इसमें कई उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव आते रहे—कभी प्राकृतिक कारणों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से और कभी कार्यान्वयन-सम्बन्धी कमजोरियों से। पहली योजना की अवधि में, अधिकांशतः कृषि-उत्पादन में विशेष प्रगति होने के कारण राष्ट्रीय आय में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य 12 प्रतिशत का ही था। दूसरी ओर, दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में 20 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई, जब कि लक्ष्य 25 प्रतिशत का था।

9 पर समूचे दशक पर विचार करते समय जो चित्र हमारे सामने आता है, वह चौमुखी उन्नति का है। बुनियादी सुविधाएं—जैसे, सिंचाई, बिजली और परिवहन, जो कि कृषि-सम्बन्धी और औद्योगिक विकास के लिए जरूरी हैं—बहुत विस्तृत हुई हैं। बहुमूल्य खनिज-भाण्डार मिले हैं, जो छोटे और बड़े उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। मुख्यतः विदेशी मुद्रा के संकट के कारण कुछ देरी होने के बावजूद कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इनमें से कुछ ने तो उत्पादन शुरू भी कर दिया है—शेष निकट भविष्य में ही उत्पादन शुरू करेंगी। कृषि-उत्पादन करीब 41 प्रतिशत और खाद्यान्नों का उत्पादन करीब 49 प्रतिशत बढ़ गया है। संगठित उत्पादक उद्योगों का शुद्ध उत्पादन करीब दुगुना हो गया है। इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का हिस्सा 1.5 प्रतिशत से बढ़ कर 8.4 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि मुख्यतः इस्पात, कोयला-खनन और भारी रसायन-जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में हुई है। इसके साथ ही, बिजली-उत्पादन की क्षमता में भी बड़ा विस्तार हुआ है और देश की परिवहन और सचार-पद्धति में काफी सुधार हुआ है, मुख्यतः सरकारी क्षेत्र में। संगठित उद्योगों का आमतौर पर विस्तार हुआ है और कार्यरत कम्पनियों की चुकता पूंजी दुगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही, ग्राम और लघु उद्योगों का भी काफी विकास हुआ है। शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत हुई हैं। अस्पतालों और दवाखानों की संख्या उल्लेखनीय रूप में बढ़ी है, मलेरिया के उन्मूलन के लिए खास उपाय काम में लाए गए हैं और स्वास्थ्य की दशा में आम तौर पर सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन-सीमा में वृद्धि हुई है। पिछले दशक में राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु आबादी में वृद्धि होते रहने के कारण प्रति व्यक्ति आय में केवल 16 प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी है।

10 पिछले दशक में अर्थव्यवस्था के विकास का एक सामान्य परिचय अगले पृष्ठ की तालिका में दिए गए कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों और अध्याय 5 के अनुबन्ध 1 में प्रस्तुत विस्तृत आंकड़ों से प्राप्त किया जा सकता है।

तालिका-संख्या 4

विकास-सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य

विषय	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61	1950-51 की तुलना में 1960-61 में प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राष्ट्रीय आय (1960-61 की कीमतो पर)	करोड रु०	10,240	12,130	14,500	42
आबादी	लाख	3,610	3,970	4,380	21
प्रति व्यक्ति आय (1960-61 की कीमतो पर)	रु०	284	306	330	19
कृषि-उत्पादन का सूचनाक	1949-50=100	96	117	135	41
खाद्यान्न-उत्पादन	लाख टन	522*	658*	760	46
नत्रजनयुक्त उर्वरक की खपत	हजार टन नत्रजन के रूप मे	55	105	230	318
सिंचित क्षेत्र (शुद्ध योग)	लाख एकड	515	562	700	36
सहकारिता-आन्दोलन (किसानो को पेशगी)	करोड रु०	22 9	49 6	200	773
औद्योगिक उत्पादन का सूचनाक	1950-51=100	100	139	194	94

*उत्पादन के अनुमान सन् 1956-57 तक साख्यिकी औसत और अनुमान के तरीको में परिवर्तनो के अनुसार ठीक किए गए हैं ।

तालिका-संख्या 4—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निम्नलिखित का उत्पादन					
इस्पात की सिल्लियां	लाख टन	14	17	35	150
एलुमीनियम	हजार टन	3.7	7.3	18.5	400
मशीनी औज़ार (वर्गीकृत)	मूल्य करोड़ रु० में	0.31	0.78	5.5	1518
गन्धक-अम्ल	हजार टन	99	164	363	267
पेट्रोलियम की चीजें	लाख टन	—	16	57	—
कपड़ा					
मिल का बना	करोड़ गज	372	510.2	512.7	38
खादी, हथकरघा और बिजली का करघा	करोड़ गज	89.7	117.3	231.9	162
योग	करोड़ गज	461.7	687.5	717.6	62
खनिज पदार्थ					
खनिज लोहा	लाख टन	32	43	107	234
कोयला	लाख टन	323	384	516	69
निर्यात	करोड़ रु०	624	609	615	3
बिजली स्थापित क्षमता	लाख किलोवाट	23†	34†	57	148
रेलवे माल ले जाया गया	लाख टन	915	1140	1540	68
सड़कें पक्की, राष्ट्रीय राजपथ-सहित	हजार मील	97.5	122	144	18
चालू व्यावसायिक गाड़ियां	हजार (संख्या)	116	166	210	81

†ये आंकड़े कैलेंडर-वर्ष 1950 और 1955 से सम्बद्ध हैं ।

कृषि

11 सन 1949-50 के बाद कृषि-उत्पादन की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है

तालिका-सख्या 5

कृषि-उत्पादन का सूचनांक

(1949-50=100)

	1950-51	*1955-56*	*1960-61*
सब फसलें	96	117	135
खाद्य-फसलें	91	115	132
अन्य फसलें	106	120	142

वर्ष-प्रति-वर्ष उतार-चढाव की स्थिति रहने के बावजूद विस्तार के स्पष्ट प्रमाण मिलते है। विकास की सामूहिक दर करीब 3 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही, जो कि पिछले किसी भी दशक की तुलना में अधिक है। पिछले दशक में खाद्यान्न-उत्पादन का औसत स्तर लगभग 5 करोड टन था, जिसे पहली योजना के शुरु में ही पार कर लिया गया और सन 1960-61 में 7 करोड 60 लाख टन खाद्यान्न* का उत्पादन हुआ, जब कि सन 1949-50 में यह परिमाण 5 करोड 76 लाख टन और सन 1950-51 में 5 करोड 22 लाख टन था। इस दशक में प्रति एकड उपज भी बढी। उदाहरण के लिए चावल की औसत प्रति एकड उपज सन 1946-47 से सन 1950-51 तक के पाच वर्षो की अवधि में 694 पौड थी। पहली योजना में यह परिमाण बढ कर 727 पौंड और दूसरी योजना में 807 पौंड हो गया। मुख्य कृषि-वस्तुओ के उत्पादन में वृद्धि इस प्रकार हुई

तालिका-सख्या 6

मुख्य फसलो का उत्पादन

फसल	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61
खाद्यान्न (अनाज और दालें)	लाख टन	522	658	760
तेलहन	लाख टन	51	56	71
गन्ना (गुड)	लाख टन	56	60	80
कपास	लाख गाठें	29	40	51
पटसन	लाख गाठें	33	42	40

*नवीनतम अनुमानो के अनुसार सन 1960-61 में 7 करोड 80 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न-उत्पादन होने की उम्मीद है।

12 इस दशक में खेती, सामुदायिक विकास और सिंचाई पर कुल 1,551 करोड रु० खर्च हुए। कृषि-उत्पादन के जो मुख्य कार्यक्रम हाथ मे लिए गए, उनका सम्बन्ध सिंचाई के विस्तार, रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, खाद के स्थानीय साधनो के विकास, सुधरे हुए बीजो के बहुगुणन और वितरण तथा उन्नत कृषि-तरीको को अपनाने और भूमि के पुनरुद्धार एव विकास मे था।

13 अनुमान है कि सिंचित कुल क्षेत्र का परिमाण सन 1950-51 के 515 लाख एकड मे बढ कर सन 1960-60 में लगभग 700 लाख एकड हो गया। पहली और दूसरी योजनाओ में जो बडी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाए शुरु की गई थी, उनके पूर्ण विकास हो जाने पर करीब 380 लाख एकड क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था सम्भव हो सकेगी। सन 1960-61 के अन्त तक करीब 40 लाख एकड क्षेत्र का पुनरुद्धार किया गया। करीब 5 लाख एकड क्षेत्र में मशीन-द्वारा खेती की व्यवस्था की गई और भूमि-सुधार का काम करीब 15 लाख एकड क्षेत्र में हुआ। देश के समस्त कृषि-क्षेत्र के लिए सुधरे हुए बीज सुलभ करने की एक योजना के अन्तर्गत लगभग 4,000 बीज-फार्म कायम किए गए। सन 1950-51 और सन 1960-61 के बीच नत्रजनयुक्त उर्वरकों की खपत (नत्रजन की मात्रा के अनुसार) 55 हजार टन से बढ कर 2 3 लाख टन और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत (पी$_2$ ओ$_5$ की मात्रा के अनुसार) 7,000 टन से बढ कर 70,000 टन हो गई। शहरी खाद और खाद के स्थानीय साधनो के विकास पर भी ध्यान दिया गया। अनुमान है कि दूसरी योजना के अन्त तक 118 लाख एकड क्षेत्र में हरी खाद डालने की व्यवस्था की गई। करीब 27 लाख एकड क्षेत्र भूमि-संरक्षण-कार्यक्रमो के अन्तर्गत आया। पशुपालन, मछलीपालन, दूध-आपूर्ति, सब्जियो और फलो की खेती तथा वन-रोपण के विकास के लिए भी उपाय किए गए। उदाहरण के लिए, दूध का उत्पादन 170 लाख टन से बढ कर 220 लाख टन और मछली का उत्पादन 7 लाख टन से बढ कर 14 लाख टन हो गया। वन-रोपण का कार्यक्रम लगभग 5 लाख एकड क्षेत्र में लागू किया गया।

14 विकास के कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के अतिरिक्त पहली और दूसरी योजनाओ में कृषि-विषयक स्वरूप को पुनर्गठित करने के बारे में भी सोचा गया। इस दिशा में जो उपाय किए गए, उनमें बिचौलियो (जैसे, जमीदारो और जागीरदारो) का उन्मूलन, काश्त के अधिकारो की रक्षा और उनमें सुधार तथा जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करना शामिल है। कई राज्यो में चकबन्दी को प्रोत्साहन देने के भी प्रयत्न किए गए। खेतिहर श्रमिको की आर्थिक अवस्था सुधारने के कार्यक्रम में गैर-आबाद तथा फिर से सुधारी हुई जमीनो पर उन्हें बसाने और कानून-द्वारा उनका न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित करने की बातें भी शामिल की गई।

15 पिछले दशक में कृषि-अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो कई अत्यधिक उल्लेखनीय काम हुए, उनमें सामुदायिक विकास-आन्दोलन के एक अभिन्न अग के रूप मे समस्त देश में विस्तार-सेवाओ की व्यवस्था करना और ग्रामीण विकास-कार्य का लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण उल्लेखनीय है। दूसरी योजना के अन्त तक सामुदायिक विकास-आन्दोलन के अन्तर्गत करीब 3,70,000 गावो और देश की आधी से अधिक ग्रामीण जनता

आ गई थी। लगभग 60,000 ग्राम-सेवको और तकनीकी अधिकारियो को विस्तार-कार्य में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम को आगे बढाने और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जिला-स्तर से नीचे विकास की जिम्मेदारी सार्वजनिक संस्थाओ को हस्तान्तरित की जा रही है, ताकि विकास-कार्यक्रमो की तैयारी और कार्यान्विति, दोनो में जनता का पूरा-पूरा सहयोग मिल सके। गाव प्राथमिक इकाई होगा और ग्राम-स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व और पहल करने का काम पूरी तरह ग्राम-पचायत और ग्राम-सहकारिता-समिति को सौंप दिया जाएगा। पिछले दशक में सहकारिता-आन्दोलन ने काफी प्रगति की है। दूसरी योजना के अन्त तक 2,10,000 प्राथमिक कृषि-समितिया थी। यह सख्या सन 1950-51 की तुलना में लगभग दुगुनी थी। लगभग 1,870 सहकारी क्रय-विक्रय-समितिया और 41 सहकारी चीनी-कारखाने स्थापित किए गए। सहकारी खेती की दिशा में कई उपयोगी परीक्षण आरम्भ किए गए और सहकारी खेती की प्रगति के लिए 'राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार मण्डल' कायम किया गया।

उद्योग

16 पिछले दशक में उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है—तीव्रता की दृष्टि से भी और औद्योगिक विकास के स्वरूप की दृष्टि से भी।

इस प्रवृत्ति का थोड़ा सकेत औद्योगिक उत्पादन के निम्नलिखित सूचनाको से मिलता है.

तालिका-संख्या 7

औद्योगिक उत्पादन के सूचनांक*

(1950-51=100)

वर्ग	1955-56	1960-61
सामान्य सूचनाक	139	194
सूती वस्त्र	128	133
लोहा और इस्पात	122	238
मशीनें (सब तरह की)	192	503
रसायन	179	288

17 इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन का सूचनाक करीब 7 प्रतिशत प्रति वर्ष विस्तार की सामूहिक दर बताता है। परन्तु वास्तविक वृद्धि उपर्युक्त अको-द्वारा निर्दिष्ट वृद्धि से कही अधिक हुई थी, क्योकि कई नए उद्योगो को, जिन्होने सामान्यत अधिक उल्लेखनीय प्रगति की है, सूचनपत्र में पर्याप्त स्थान नही मिल पाया है।

*यह सूचनाक वस्तुत- सरकारी सूचनांक ही है, सिवाय इसके कि तुलना का आधार कैलेंडर वर्ष 1951 से बदल कर वित्तीय वर्ष 1950-51 कर दिया गया है, ताकि योजनाकाल में हुई उन्नति को सुविधा से मापा जा सके।

18 औद्योगिक उन्नति के परिमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण बात उसकी विस्तार की दिशा है, खास तौर पर, दूसरी योजना के अन्तर्गत। पहली योजना की अवधि में बडे उद्योग के लिए जो प्रस्ताव प्रारम्भ में किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पहले से मौजूद कारखाने अपनी क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग करे। इस हल्के प्रोत्साहन से भी, औद्योगिक उत्पादन इन पाच वर्षो मे 39 प्रतिशत बढ गया।

19 पहली योजना के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने के बाद बडी हद तक नए उद्योगो का, खास तौर पर पूजीगत और उत्पादक सामान-उद्योगो का, जो कि किसी भी द्रुत औद्योगिक विकास-सम्बन्धी कार्यक्रम की बुनियाद है, विकास करना सम्भव हुआ। औद्योगिक क्षमता को बढाने में धातु-शोधन, मेकैनिकल और बिजली-सम्बन्धी इजीनियरी तथा रासायनिक उद्योगो ने जो सफलता प्राप्त की है, उसके आधार पर और हाल में ही भारी मशीन बनानेवाली जो परियोजनाए शुरू की गई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढानेवाले द्रुत विकास के लिए जिन बुनियादी शर्तों को पूरा करने की जरूरत होती है, उनमें से कुछ पिछले दशक में सफलता के साथ पूरी की जा चुकी है।

20 बुनियादी और भारी उद्योगो के विकास में सरकारी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। इस दशक में सरकारी क्षेत्र ने उद्योगो और खनिज पदार्थो पर कुल 974 करोड रु० खर्च किए। केवल दूसरी योजना की अवधि में ही 870 करोड रु० की पूजी लगाई गई, जो सरकारी एव निजी सगठित उद्योग में लगी कुल पूजी का 56 प्रतिशत भाग थी। इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकाश उद्योग भारी अथवा बुनियादी ढग के थे। इस बात से न केवल सरकारी क्षेत्र को सबल बनने में सहायता मिली है, बल्कि निजी क्षेत्र में मध्यम और हल्के उद्योगो की द्रुत प्रगति में सहायक परिस्थितिया भी पैदा हुई है।

21 सरकारी क्षेत्र में इस्पात के तीन नए कारखानो की स्थापना और निजी क्षेत्र के दो कारखानो के विस्तार के साथ एक बडा कदम आगे बढाया गया। नई परियोजनाए अब उत्पादन की अवस्था में पहुच गई है और इस्पात की सिल्लियो का उत्पादन सन 1950-51 के 14 लाख टन से बढ कर सन 1960-61 में 35 लाख टन पर तथा कच्चे लोहे का उत्पादन 3 5 लाख टन से बढ कर 9 लाख टन पर पहुच गया है। अन्य आवश्यक औद्योगिक सामान—जैसे, एलुमीनियम, सीमेण्ट, भारी रसायन, और रग के सामान, कोयला और पेट्रोल-सदृश इंधन एव बिजली—की भी उपलब्धता सन 1950-51 के बाद काफी बढी है।

22 दूसरी उल्लेखनीय बात मशीन-निर्माण-उद्योग का द्रुत विकास है। भारत अब खेती और परिवहन में काम आनेवाले तथा रसायन और ओषध, कपडा, पटसन, सीमेण्ट, चाय, चीनी, आटा और तेल की मिलें, कागज, खनिज आदि उद्योगो के लिए क्रमश अधिक परिमाण में मशीनी औजार और मशीनें तैयार कर रहा है। डीजेल तथा बिजली के इजिनो को छोड कर रेलवे के लिए आवश्यक अधिकाश मशीनें और उपकरण तैयार करने की स्वदेशी क्षमता बढ गई है। बहुत-सारे बिजली के सामान और वैज्ञानिक यन्त्रादि भी अब देश में ही बनने लगे हैं। देश में उत्पादित वर्गीकृत मशीनी औजारो का मूल्य सन 1950-51 के 34 लाख रु० से बढ कर सन 1960-61 में 550 लाख रु० तक पहुच गया है। अभी हाल में

रांची में भारी मशीन-निर्माण-संयन्त्र और ढलाई-गढाई-संयन्त्र तथा दुर्गापुर में कोयला-खनन-मशीन-संयन्त्र लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं । विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनो और पूंजीगत सामान का कुल मूल्य इस दशक के प्रारम्भ की तुलना में 11-गुना बढ गया है। भोपाल में भारी बिजली-सम्बन्धी परियोजना प्रारम्भिक उत्पादन की अवस्था में पहुच गई है। जब यह परियोजना पूर्णत कार्यान्वित हो जाएगी, तब 25 करोड रु० कीमत के उपकरण तैयार होने लगेंगे।

23 रासायनिक उद्योगो, खास तौर पर औषध, भारी रसायन और उर्वरक-उद्योगों, ने भी जो प्रगति की है, वह उल्लेखनीय है और इनमें अनेक प्राथमिक कार्बनिक रासायनो की उत्पादन-क्षमता बढी है।

24 महत्वपूर्ण उद्योगो को—जैसे, पटसन, सूती वस्त्र और चीनी-उद्योगो को—आधुनिक स्वरुप देने और उनकी पुरानी मशीनो के स्थान पर नई मशीनें लगाने के काम में अच्छी प्रगति हुई है। पटसन-उद्योग में, कताई-क्षेत्र में, यह कार्यक्रम काफी आगे बढ चुका है । पटसन-उद्योग के प्रारम्भिक और कताई-विभाग के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक अधिकाश मशीनो का निर्माण देश मे ही किया गया है।

25 इस विचाराधीन अवधि की एक दूसरी सफलता यह है कि देश में बननेवाली औद्योगिक वस्तुओ में स्वदेशी सामग्रियो की मात्रा काफी बढी है । देश के औद्योगिक विकास का एक दूसरा संकेत यह है कि कई नई औद्योगिक चीजें यहा बनने लगी हैं—जैसे, औद्योगिक बायलर, पीसनेवाली मशीनें और अन्य प्रकार के मशीनी औज़ार, ट्रैक्टर, औद्योगिक विस्फोट के पदार्थ, सल्फा और ऐंटीबायोटिक दवाए, डी० डी० टी०, अख़बारी कागज़, मोटर-साइकिलें और स्कूटर, कैलशियम कारबाइड, रबक, रोंएवाले कपडे, इत्यादि।

26 उपभोक्ता सामान-उद्योगो के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पुराने उद्योगो—जैसे कपडा और चीनी—के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विशेष जीवन-कालवाली चीज़ें—जैसे, मोटर-गाडिया, बाइसिकिलें, मोटर-साइकिलें, स्कूटर, पखे, रेडियो, बिजली की बत्तिया और सिलाई की मशीनें—का निर्माण करनेवाले उद्योगो में और अधिक प्रगति हुई।

27 नीचे की तालिका से इस बात की कुछ जानकारी मिल जाएगी कि पहले दशक में महत्वपूर्ण उत्पादक और उपभोक्ता-वस्तुओ के उत्पादन में कितनी प्रगति हुई है -

तालिका-संख्या 8

महत्वपूर्ण उद्योगो में उत्पादन

वस्तु	इकाई	1950-51	1960-61
इस्पात की सिल्लिया	लाख टन	14	35
अलुमीनियम	हज़ार टन	3 7	18 5
डीज़ल इंजिन	हज़ार (संख्या)	5 5	40
बिजली के तार (ए० सी० एस० आर० कंडक्टर)	हज़ार टन	1 7	22

तालिका-संख्या 8—जारी

वस्तु	इकाई	1950-51	1960-61
नत्रजनयुक्त उर्वरक (नत्रजन की मात्रा)	हजार टन	9	110
फास्फेटयुक्त उर्वरक (पी० $_2$ ओ० $_5$ की मात्रा)	हजार टन	9	55
गन्धक-अम्ल	हजार टन	99	363
सीमेंट	लाख टन	27	85
सूती वस्त्र (मिल का बना)	करोड़ गज	372	512 7
चीनी*	लाख टन	11	30
कागज और गत्ता	हजार टन	114	350
बाइसिकिलें (केवल सगठित क्षेत्र)	हजार (सख्या)	101	1,050
मोटर-गाडिया	हजार (सख्या)	16 8	53 5

खनिज पदार्थ

28 विचाराधीन अवधि का एक दूसरा उल्लेखनीय अग यह है कि खनिज पदार्थों की खोज और उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। देश के खनिज साधनो की खोज करनेवाले, मूल्याकन करनेवाले और उन्हें उपलब्ध करनेवाले सगठनो को काफी मजबूत बनाया गया। जिन मुख्य खनिज पदार्थों के मामले मे सफलता के साथ खोज और उत्पादन किया गया, वे थे—कोयला, खनिज लोहा और बाक्साइट। कोयले का उत्पादन सन 1950-51 के 323 लाख टन से बढ कर सन 1960-61 में 546 लाख टन हो गया। इसी तरह, बाक्साइट का उत्पादन सन 1951 के 64 हजार टन से बढ कर सन 1960 में 377 हजार टन हो गया। इनमें से अधिकाश बढोतरिया दूसरी योजना की अवधि में हुईं।

29 देश मे खनिज तेल का उत्पादन अभी तक तो कम है, पर असम के नहरकटिया क्षेत्र में बहुमूल्य तेल-स्रोत प्राप्त हुए है और गुजरात के खम्भात-अकलेश्वर क्षेत्र में काफी तेल विद्यमान रहने के सकेत मिले है। कुछ अन्य क्षेत्रो में भी जाच-पडताल चल रही है। तेल-उपलब्धि के स्वदेशी स्रोत स्थापित करने के महत्व को दृष्टि में रखते हुए एक 'तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग' कायम किया गया, जो कि काफी बडे पैमाने पर भूगर्भ-सम्बन्धी सर्वेक्षण, भूभौतिकी जाचो तथा तेल की खोज करने का काम करता है। नूनमती और बरौनी मे दो सरकारी तेल-शोधक-केन्द्रो की स्थापना का काम हाथ में लिया गया और सन 1959 मे तेल-उत्पादनो के वितरण के लिए 'इडियन आयल कम्पनी' नामक एक सरकारी सस्था का निर्माण किया गया।

ग्राम और लघु उद्योग

30 विस्तारशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक अभिन्न अग के रूप में ग्राम और लघु उद्योगो का विकास शुरू से ही पचवर्षीय योजनाओ के प्रमुख कार्यक्रमो में से रहा है।

*फसल-वर्ष, नवम्बर-अक्तूबर से सम्बद्ध

यह आशा की जाती है कि इनसे स्थानीय साधनों का अधिक पूर्ण रूप में उपयोग हो सकेगा और उपभोक्ता-सामान की वृद्धिशील माग का एक बडा हिस्सा पूरा किया जा सकेगा। ये खेती और बडे पैमाने के उद्योगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम देंगे और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। पिछले दशक में, इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार की ओर से 218 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों—जैसे, हथकरघा-उद्योग, खादी और ग्राम-उद्योग, हस्तशिल्प, नारियल-जटा-उद्योग और रेशम-उद्योग—के विकास के समन्वित कार्यक्रम तैयार करने, उन्हें दिशा-निर्देश देने तथा कुछ हद तक कार्यान्वित करने के लिए कई अखिल भारतीय मण्डल कायम किए गए हैं। एक औद्योगिक विस्तार-सेवा को जन्म दिया गया और प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग-सेवा-संस्थान कायम किए गए—साथ ही, 53 विस्तार-केन्द्र भी स्थापित किए गए। करीब 50 औद्योगिक बस्तियां, जिनमें बिजली का इस्तेमाल करनेवाले एक हजार से अधिक छोटे कारखाने हैं, कायम की गई। ऋण, तकनीकी परामर्श और कच्चा माल सुलभ करने तथा किश्त-खरीद की शर्तों पर आयातित एवं देशी मशीनें देने की विशेष व्यवस्था की गई। पिछले दस साल की एक खास बात यह है कि थोड़ी पूंजी से छोटे व्यवसाय करनेवाले लोगों के एक प्रबल वर्ग का विकास हुआ है। पिछले 5 वर्षों में कई उद्योगों में—खासकर, मशीनी औजार, सिलाई की मशीनें, बिजली के मोटर और पंखे, बाइसिकिलें, इमारती लोहे का सामान और दस्ती औजार के क्षेत्र में उत्पादन 25 से 50 प्रतिशत तक बढा है। उत्पादन तो और अधिक होता, पर कुछ बुनियादी कच्ची सामग्रियों—जैसे, इस्पात और अलौह धातुओं—की कमी के कारण ऐसा न हो सका। परम्परागत उद्योगों में, जिनमें काफी रोजगार की गुंजायश रहती है, हथकरघा-वस्त्र का उत्पादन 74 2 करोड गज से बढ कर करीब 190 करोड गज हो गया। इसी तरह, सन 1950-51 और सन 1960-61 के बीच खादी का उत्पादन 73 लाख गज से बढ़ कर 740 लाख गज और कच्चे रेशम का उत्पादन करीब 25 लाख पौंड से बढ कर 36 लाख पौंड हो गया। इस अवधि में सरकारी गारंटी पर छोटे पैमाने के उद्योगों को बैंकों-द्वारा उधार दिलवाने की सुविधाओं का विस्तार करने-सम्बन्धी एक योजना चालू करने, बुनकरों की सहकारी समितियों को बिजली के करघे खरीदने के लिए सहायता देने तथा सुधरे हुए (अम्बर) चर्खे के निर्माण और वितरण को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए गए।

बिजली

31 बडे और छोटे, दोनों ही तरह के उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त बिजली की व्यवस्था बुनियादी जरूरतों में से एक है। पनबिजली और तापीय बिजली की कई परियोजनाएं इस अवधि में तैयार की गई और बिजली के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल पूंजी-विनियोग 705 करोड रु० का हुआ। चार बहुद्देशीय परियोजनाएं—दामोदर-घाटी, भाखडा-नंगल, तुंगभद्रा और हीराकुड—जो पहली योजना से पहले ही आरम्भ की गई थीं, नदी-घाटी-विकास के सम्बद्ध कार्यक्रम के साथ सयुक्त कर दी गई। पिछले दशक में जो नदी-घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, उनमें चम्बल, रिहन्द, कोयना और नागार्जुन-सागर उल्लेखनीय हैं। तापीय शक्ति के उत्पादन का भी एक बडा कार्यक्रम हाथ में लिया गया। पिछले दशक में पनबिजली की स्थापित क्षमता 5 6 लाख किलोवाट

से बढ कर 19.3 लाख किलोवाट हो गई और तापीय शक्ति की स्थापित क्षमता 17 4 लाख किलोवाट से बढ कर 37 7 लाख किलोवाट हो गई। इस प्रकार, कुल स्थापित क्षमता सन 1950 के 23 लाख किलोवाट से बढ कर सन 1960-61 में 57 लाख किलोवाट हो गई। यह वृद्धि यद्यपि प्रभावशाली है, तथापि 69 लाख किलोवाट के लक्ष्य से काफी कम है। यह कमी बहुत-कुछ दूसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में उपस्थित विदेशी मुद्रा की दिक्कतो और कुछ बडी परियोजनाओ को पूरा करने में देरी होने के कारण हुई। ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली पहुचाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया, क्योकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने और आधुनिक बनाने के लिए इसे जरूरी समझा गया था। बिजलीवाले कस्बो और गावो की सख्या सन 1950-51 के 3,687 से बढ कर सन 1960-61 में 23,000 हो गई।

परिवहन और संचार-साधन

32 पिछले दशक में देश की परिवहन-व्यवस्था का काफी सुधार और विस्तार हुआ। सरकारी क्षेत्र में इस मद में कुल व्यय 1,823 करोड रु० का हुआ। पहली योजना में मुख्य काम यह था कि रेल-इजिनो और डिब्बो और स्थिर सम्पत्ति का पुनस्सस्थापन और परिवर्तन किया जाए, क्योकि लडाई और देश-विभाजन के कारण इनकी दशा बहुत बिगड गई थी। कृषि-सम्बन्धी और औद्योगिक क्षेत्रो की बढती हुई माग को पूरा करने के लिए दूसरी योजना में रेल-इजिनो और डिब्बो की वृद्धि एव नई रेल-लाइनो के निर्माण-द्वारा अतिरिक्त सुविधाए प्रदान की गई। सडक-परिवहन, जहाज-रानी और हवाई सेवाओ में भी काफी विस्तार किया गया। परिवहन-सेवाओ का पिछले दशक में जो विकास हुआ, उसकी एक झाकी नीचे की तालिका में मिल सकती है:

तालिका-संख्या 9

परिवहन

विषय	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61
रेलवे				
नई लाइनें बिछाई गई	मील	—	380*	800*
इजिन तथा डिब्बे				
इजिन	हजार (सख्या)	8 5	9.2	10 6
सवारी डिब्बे	हजार (सख्या)	20 5	23 2	28 2
माल गाडी के डिब्बे	हजार (सख्या)	222 4	268 5	341
यात्री-मील	अर्व में	413	388	486
ढोया गया बोझ	लाख टन	915	1140	1540

* इसका सम्बन्ध क्रमश. सन 1955-56 और सन 1960-61 को समाप्त होनेवाले पाच वर्षों से है।

तालिका-सख्या 9—जारी

विषय	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61
सडकें				
पक्की-सडकें—राष्ट्रीय राजपथ-सहित	हजार मील	97 5	122	144
कच्ची सडकें	हजार मील	151	195	250
सडक-परिवहन				
चालू-व्यावसायिक गाडिया	हजार (सख्या)	116	166	210
जहाजरानी				
टन-भार	लाख ग्रॉस रजिस्टर्ड टन	3 9	4 8	9
मुख्य बन्दरगाह				
क्षमता	लाख टन	200	250	370

33 औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियो के विस्तार का प्रभाव सचार-सुविधाओ की माग पर भी पडा। सन 1950-51 और सन 1960-61 के बीच डाक से भेजी जानेवाली सामग्रियो की सख्या करीब 80 प्रतिशत बढी और ट्रक टेलीफोनो की सख्या में करीब पाच-गुनी वृद्धि हुई। डाकखानो की सख्या 36,000 से बढकर 77,000 और टेलीफोनो की सख्या 1,68,000 से बढ कर 4,60,000 हो गई। प्रसारण के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। प्रत्येक भाषा-क्षेत्र में एक प्रसारण-केन्द्र की व्यवस्था की गई। सन 1960-61 मे इनकी सख्या 28 थी। ग्रामीण क्षेत्रो में सामुदायिक रेडियो-सेट लगाने का कार्यक्रम भी हाथ मे लिया गया। इस अवधि में रेडियो-लाइसेंसो की सख्या करीब चौगुनी हो गई।

सामाजिक सेवाए

34 योजनाबद्ध विकास का एक बडा उद्देश्य यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-कल्याण की सुविधाए प्रदान कर देश के मानवीय साधनो का विकास किया जाए। पहली और दूसरी योजनाओ में सामाजिक सेवाओ को काफी महत्व दिया गया था और इस प्रकार में कुल 1,289 करोड रु० उनके विकास पर खर्च किए गए, पर निस्संदेह आवश्यकता इससे बहुत ज्यादा धन की है।

35 शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ। विद्यालयों में छात्रो की सख्या सन 1950-51 के 235 लाख से बढ कर सन 1960-61 में 435 लाख हो गई, अर्थात 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनसंख्या के हिसाब से, विद्यालय जानेवाले बच्चो का अनुपात [illegible] 6—11 वय-वर्ग 42 6 प्रतिशत से बढ कर 61 1 प्रतिशत, और 11—14 वय-वर्ग 12 7 प्रतिशत से बढ कर 22 8 प्रतिशत। प्राथमिक विद्यालयो की सख्या 2,10,000 से बढ कर 3,42,000 हो गई, जब कि उच्चतर और माध्यमिक विद्यालयो की सख्या 7,300 से बढ कर 17,000 हो गई। विश्वविद्यालयो की सख्या 27 से बढ कर

46 और कालेजो की सख्या 542 से बढ कर 1,050 हो गई। इसमें इटरमीडिएट कालेज शामिल नही है।

36 तकनीकी शिक्षा विकास का मूलाधार है, अत उसकी सुविधाओ पर विशेष जोर दिया गया। पहले से विद्यमान सस्थाओ में सुविधाओ का विस्तार और सुधार किया गया तथा पिछले दस साल में 51 नए डिग्री कालेज और 110 पालिटेकनिक खोले गए। इन सस्थाओ में छात्रो की कुल सख्या सन 1950-51 के 10,000 से बढ कर सन 1960-61 में 39,400 हो गई। नए निकलनेवाले इजीनियरी के स्नातको की सख्या लगभग तीन-गुनी और डिप्लोमाधारियो की सख्या तीन-गुनी से भी ज्यादा बढी। सरकारी क्षेत्र के कुछ औद्योगिक सस्थानो मे, खासकर इस्पात और बिजली के सन्यन्त्रो में, तकनीकी शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई। छोटे पैमाने के विभिन्न उद्योगो की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रशिक्षण-सुविधाए दी गई। कृषि और पशु-चिकित्सा कालेजो में छात्रो का वार्षिक प्रवेश करीब चार-गुना बढ गया।

37 **वैज्ञानिक अनुसन्धान :** वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान को अधिक प्राथमिकता दी गई और कई नई अनुसन्धान-सस्थाए स्थापित की गई। इनमें 20 राष्ट्रीय प्रयोगशालाए और 3 प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र भी शामिल है। न्यैष्टिक विज्ञान के बुनियादी और व्यावहारिक अनुसन्धान तथा परमाणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और एक सशक्त वैज्ञानिक एव तकनीकी सगठन कायम किया गया, जिसके चलते विदेशी तकनीकी परामर्श के बिना ही इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरणो तथा सन्यन्त्रो का डिजाइन बनाने और विकास करने में सहायता मिली। विश्वविद्यालयो के अनुसन्धान-विभागो को भी काफी सुदृढ बनाया गया।

38 **स्वास्थ्य :** स्वास्थ्य-सेवाओ का काफी विस्तार हुआ। नए अस्पताल, दवाखाने, स्वास्थ्य-टुकडिया और प्रसूति तथा शिशु-कल्याण-केन्द्र बडी सख्या में खोले गए। जल-व्यवस्था और सफाई, छूत के रोगो पर नियन्त्रण और प्रशिक्षण-सुविधाओ के विस्तार से सम्बद्ध विशेष कार्यक्रम भी हाथ में लिए गए। सन 1950-51 में 8,600 चिकित्सा-सस्थाए थी, जिनमें करीब 1,13,000 शय्याए थी। सन 1960-61 में ये सख्याए बढ कर क्रमश 12,600 और 1,85,600 हो गई। इसके अतिरिक्त, 2,800 प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र खोले गए। मेडिकल कालेजो की सख्या 30 से बढ कर 57 हो गई और प्रैक्टिस करनेवाले डाक्टर 56,000 से बढ कर 70,000 हो गए। सारा देश मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गया है। इन सब उपायो के परिणाम-स्वरूप, जन्म के आधार पर औसत जीवन-काल में पिछले 10 साल मे करीब 10 साल की वृद्धि हुई है।

39 पहली योजना के प्रारम्भ में ही परिवार-आयोजन को उन्नत करने का काम सरकारी नीति के रूप में हाथ में लिया गया था और सन 1960-61 में 549 शहरी केन्द्र तथा 1,100 ग्रामीण केन्द्र परिवार-आयोजन के काम में लगे हुए थे। परिवार-आयोजन के काम में लगी हुई कई गैर-सरकारी सस्थाओ को विशेष वित्तीय एव तकनीकी सहायता दी गई। पर यह कार्यक्रम पूरा करना बडा ही कठिन है और इसके क्रम में कई पेचीदा समस्याए खडी हो जाती है। काफी समय तक चलनेवाले निरन्तर और सघन

प्रयत्नों से ही परिवार-आयोजन एक लोकप्रिय आन्दोलन का रूप लेगा और आम लोग इसे स्वीकार करेंगे।

40 आवास : आबादी बढ़ने और शहरी तथा औद्योगिक विस्तार की तीव्र गति के कारण, आवास की समस्या, काफी कठिन हो गई है। गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार तथा औद्योगिक श्रमिकों तथा कम आय-वर्गवालों के लिए आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कुछ काम हाथ में लिए गए। ग्रामीण आवास की समस्या को हल करने के लिए भी कुछ प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। पर इस समस्या की विशालता को देखते हुए, जो साधन मुहय्या किए जा सकते थे, वे बहुत ही कम थे। अतः आवास-समस्या, के समाधान के क्षेत्र में बहुत ही कम सफलता प्राप्त हुई है और आवास की समस्या, विशेषतः शहरी क्षेत्रों में, चिन्ताजनक है।

41 सामाजिक कल्याण : अनुसूचित आदिम जातियों, हरिजनों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष कल्याणमूलक कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इस अवधि में 36 लाख एकड़ जमीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को दी गई तथा 26 लाख एकड़ जमीन अन्य पिछड़े हुए वर्गों को दी गई। इन वर्गों के करीब 68,000 मैट्रिक पास छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। इन वर्गों के जिन लोगों के सामने खास दिक्कतें आईं, उन्हें वित्तीय सहायता, शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएं और रोजगार के अवसरों-द्वारा सहायता दी गई, ताकि वे अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार सकें और समाज के बाकी अंगों के साथ पूरे तौर पर मिल जाएं।

42 पुनर्वास : देश-विभाजन के बाद करीब 89 लाख विस्थापित लोग भारत आए—47 लाख पश्चिम-पाकिस्तान से और बाकी पूर्व-पाकिस्तान से। पहली और दूसरी योजनाओं में इनकी सहायता और पुनर्वास को प्रमुखता दी गई। पहली योजना शुरू होने से पहले इनके पुनर्वास पर 71 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास पर किया गया कुल खर्च करीब 168 करोड़ रु० पड़ा। इसमें से करीब 71 करोड़ रु० आवास पर, 31 करोड़ रु० शिक्षा और शिल्प-प्रशिक्षण पर, 29 करोड़ रु० कृषि-कार्य के लिए ग्रामीण कर्ज पर, 11 करोड़ रु० छोटे उद्योगों, व्यापार और व्यवसाय के लिए शहरी कर्ज पर और बाकी रुपये विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए गए। विस्थापित लोगों को आबाद करने के लिए कई नगर और नई बस्तियां बसाई गई और 7 लाख से ज्यादा रिहायशी मकान सरकार-द्वारा अथवा सरकारी सहायता से विस्थापित व्यक्तियों-द्वारा बनाए गए। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित कृषक-परिवारों को पुन. आबाद करने के लिए दूसरी योजना की अवधि में दंडकारण्य-क्षेत्र के विकास का काम शुरू किया गया।

43 रोजगार : सन 1951 से सन 1961 के बीच के दस वर्षों में आबादी में 770 लाख की वृद्धि हुई। इससे बेरोजगारी का मसला और भी उग्र हो गया है। अनुमान है कि दूसरी योजना की अवधि में रोजगार के अतिरिक्त अवसर करीब 80 लाख व्यक्तियों के लिए निकले, जिनमें से 65 लाख को कृषि-क्षेत्र से बाहर काम दिया गया। दूसरी योजना के अन्त में बेरोजगार लोगों की कुल संख्या अनुमानतः 90 लाख थी।

44 ऊपर दिए गए वर्णन से यह स्पष्ट पता चलता है कि पिछले 10 साल में राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। साथ ही, इस अवधि में बोझ और दबाव भी

कम नही पड़े। ये उस अर्थ-व्यवस्था की बढती हुई पीडाए है, जो गहरी गरीबी और कई दशको से आर्थिक जडता से बाहर निकलने के लिए सघर्ष कर रही है। हरेक दिशा में नया क्षेत्र प्राप्त किया गया है और अमूल्य अनुभवो का लाभ हुआ है। निश्चय ही, इस कार्य में ऐसी कमिया और भूलें भी हुई होगी, जिनसे बचा जा सकता था। हमारे आर्थिक और सामाजिक ढाचे में कई कमजोरिया है, जो अभी तक मौजूद है। देश की विकास-शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग नही किया जा सका है। फिर भी, ये सब देश के इतिहास के एक प्रेरक काल के हिस्से है—यह निरन्तर प्रयास की एक कहानी है, जो देश के कोने-कोने में पहुच रही है और जनता के समस्त अगो को अपनी सीमा के अन्तर्गत ला रही है।

अध्याय 4

तीसरी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में उसके क्षेत्र और महत्व को प्रकट करते हुए वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का तथा अनेक वर्षों की परिधि में विस्तृत आर्थिक प्रगति का लेखा-जोखा दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें देश के आधारभूत सामाजिक लक्ष्यों के सन्दर्भ में विकास के आगामी चरण एवं दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति की सम्भावनाओं का भी चित्रण किया जाता है। इस परवर्ती विषय के बारे में दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रकाश डाला गया है। तीसरी योजना के निर्माण के समय निम्नलिखित मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है —

1. राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना, और पूंजी-विनियोग को ऐसा स्वरूप प्रदान करना कि वृद्धि की यह गति परवर्ती योजनाकालों में भी बनी रहे,
2. खाद्यान्नों के बारे में स्वावलम्बी होना और कृषि-उत्पादन को इतना बढ़ाना कि उद्योगों और निर्यात की आवश्यकताएं पूरी हो सकें,
3. इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली-सरीखे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना और मशीन-निर्माण की क्षमता को इतना बढ़ाना कि आगामी दस वर्षों की अवधि में और अधिक उद्योगीकरण की आवश्यकताएं देश में निहित साधनों से ही पूरी की जा सकें;
4. देश की जनशक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग करना और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना, तथा
5. क्रमश अवसरों की अधिकतम समानता प्रदान करना, आय और सम्पत्ति की विषमता में कमी करना तथा आर्थिक शक्ति का अधिक समान रूप से वितरण करना।

2 तीसरी योजना का काल गत एक दशक या उससे कुछ अधिक समय में हुए उस सघन विकास के प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे देश आत्म-निर्भर और आत्मचालित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा है। प्रथम और दूसरी योजनाओं में जो प्रगति हुई है, उसके परिणामस्वरूप द्रुत आर्थिक उन्नति का आधार स्थापित हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब अपने आकार और कार्यक्षेत्र के विस्तार के कारण पहले से कहीं अधिक विशाल हो गई है। इसके साथ ही वह अधिक गतिशील और जटिल भी हुई है। सभी क्षेत्रों में मांगों की संख्या और आकार बढ़ता जा रहा है। उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भी पर्याप्त पूंजी का विनियोग करने की जरूरत पड़ेगी, जिनका लाभ केवल चौथी योजना की अवधि में ही उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए तीसरी योजना में अधिकतम सम्भव पूंजी-विनियोग की आवश्यकता होगी।

3 तीसरी योजना में विकास का सामान्य स्वरूप अनिवार्यत और अधिकांशत. दूसरी योजना के बुनियादी रुख और प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही होगा। फिर

भी, कुछ महत्वपूर्ण मामलो में तीसरी योजना का दृष्टिकोण विकास की समस्याओ के प्रति अधिक व्यापक होगा तथा इसमें अधिक जोरदार प्रयत्नो और द्रुत गति से काम करने की भावना की आवश्यकता होगी। तीसरी योजना का लक्ष्य विशेष रूप से कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाना, उद्योगो, बिजली और परिवहन का विकास करना, औद्योगिक और टेक्नोलाजी-विषयक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाना, अवसरो की समानता तथा समाजवादी ढग के समाज की दिशा मे उल्लेखनीय प्रगति करना और समस्त श्रमिक-वर्ग को रोजगार प्रदान करना है। इन लक्ष्यो को लेकर बनाई गई विकास की योजना अनिवार्य रूप से अपनी पूर्ति के लिए देशवासियो से दूरगामी आशाए रखती है। यह आवश्यक है कि तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में विकास का व्यय-भार समान रूप से वितरित किया जाए और प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत आर्थिक, वित्तीय एव अन्य नीतियो से अधिकाश जनता का कल्याण-साधन हो और उसके जीवन-स्तर मे सुधार आए।

4 तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमो में उच्चतम प्राथमिकता अनिवार्यत कृषि को दी गई है। प्रथम दो योजनाओ मे, और विशेष रूप से दूसरी योजना में, जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे यह प्रकट हो गया है कि इस समय कृषि-उत्पादन की जो मन्द गति है, वह देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति को सीमित रखनेवाले प्रमुख कारणो में से एक है। इसलिए कृषि-उत्पादन यथासम्भव अधिक बढाना पडेगा और कृषि-विषयक लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करने होगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विभिन्न दिशाओ में मोडना होगा और कृषि पर निर्भर रहनेवाले लोगो के अनुपात को क्रमश कम करना पडेगा। यदि ग्रामीण जनता की आमदनी और जीवन-स्तर को निरन्तर उन्नत करना है और अन्य क्षेत्रो के समान ही उनकी आमदनी की गति को बनाए रखना है, तो इन लक्ष्यो को सामने रखना ही होगा। तीसरी योजना की अवधि में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के कार्यक्रम बनाने और उन्हे पूरा करने में प्रेरक विचार यही रहा है कि भौतिक दृष्टि से जो-कुछ भी व्यावहारिक है, उसे वित्तीय दृष्टि से सम्भव बनाया जाए और प्रत्येक क्षेत्र की क्षमता यथासम्भव अधिक विकसित की जाए।

जिला, खण्ड और ग्राम-स्तरो पर लोकतान्त्रिक सस्थाओ की स्थापना से, ग्रामीण क्षेत्रो में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पहल करने तथा उसको मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी लोकप्रिय सगठनो—जिला-परिषदो, पचायत-समितियो, ग्राम-पचायतो एव सहकारी समितियो—पर होगी। ग्रामीण विकास के ढाचे में सेवा सहकारी समितियो का सगठन ग्राम-समाज को प्राथमिक इकाई मान कर किया जाना चाहिए। सहकारी कृषि, जो कि ग्रामीण विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सहकारिता के विकास और ग्राम-स्तर पर सामुदायिक विकास के प्रति दृष्टिकोण का तर्क-सगत रूप है।

तीसरी योजना में कृषि के लिए एक ऐसे पैमाने पर सयुक्त रूप से प्रयत्न करने पर बल दिया गया है, जिसमें खेतिहर श्रमिको के लाखो परिवार, ग्राम-उत्पादन-योजनाओ, और विशाल स्तर पर आयोजित सिंचाई, भूमि-सरक्षण, शुष्क कृषि, वन लगाने, तथा स्थानीय खाद-सम्बन्धी साधनो के विकास-कार्यक्रमो में भाग ले सकें। इसीलिए योजना का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रो में उपलब्ध जनशक्ति का लाभ उठाना है।

यह लक्ष्य योजना में निहित विकास-कार्यक्रमो तथा गावों में उपलब्ध जनशक्ति-विषयक साधनो का उपयोग करनेवाले, विशेषत कृषि-उत्पादन को बढानेवाले व्यापक ग्राम-निर्माण-कार्यक्रमो-द्वारा प्राप्त किया जाना है।

5 दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी इस्पात, ईंधन और बिजली, मशीनो का निर्माण और रासायनिक उद्योग, आदि-जैसे बुनियादी उद्योगो का विकास देश की द्रुत आर्थिक प्रगति के लिए आधारभूत महत्व रखता है। इन्ही उद्योगो से इस बात का निश्चय होगा कि देश की अर्थव्यवस्था किस गति से आत्मनिर्भर और आत्म-चालित बनेगी। औद्योगिक विकास के लिए कार्यक्रम समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओ और प्राथमिकताओ को सामने रख कर बनाए गए है। इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्रो पर एक साथ ही विचार किया गया है। अर्थव्यवस्था के विकास में जहा निजी क्षेत्र को अपना पर्याप्त योगदान करना है, वहां सरकारी क्षेत्र की भूमिका और अधिक प्रभावपूर्ण होगी। एक विस्तारशील सरकारी क्षेत्र, जो विशेष-रूप से बुनियादी उद्योगो के विकास में लगा हुआ है तथा जो विकास के लिए बडी मात्रा में माल तैयार कर रहा है, अपने-आप में ही इस बात का एक महत्वपूर्ण निर्णायक तथ्य है कि अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढेगी। इसके अलावा, तीसरी योजना में औद्योगिक ढाचे में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में छोटे उद्योगो को आगे बढाने के प्रयत्न जारी रखे जाएगे। इसके लिए बडे और लघु उद्योगो में समन्वय स्थापित किया जाएगा, उद्योगीकरण के लाभ को कस्बो और गावो में पहुचाया जाएगा और परम्परागत ग्रामोद्योगो में सुधरी हुई तकनीकें लागू की जाएगी।

6 तीसरी योजना में शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओ के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है। एक ऐसी विकास-योजना में, जो जनता की समझदारी, सहयोग और स्वैच्छिक प्रयत्नो को बहुत अधिक महत्व देती है, ऐसे कार्यक्रमो पर जितना भी बल दिया जाए कम है। आर्थिक और सामाजिक विकास में एक उचित सन्तुलन स्थापित करने और योजना के आर्थिक लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है। समाज के शिक्षा-सम्बन्धी आधार को सुदृढ और जनता के जीवन-स्तर को उन्नत किए बिना बडे पैमाने पर तकनीकी परिवर्तन करना और उत्पादकता बढाना सम्भव नही है। योजना में दिए गए सामाजिक सेवा-सम्बन्धी कुछ कार्यक्रमो—यथा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, तकनीकी शिक्षा और शिल्पियो का प्रशिक्षण, परिवार-आयोजन और आवास तथा शहरी विकास आदि—का प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के साथ सम्बन्ध है। ऐसे और भी अनेक कार्यक्रम है, जो व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से अपरिहार्य है तथा कालान्तर में जिनका आर्थिक उन्नति को गति देने में बहुत बडा हाथ रहेगा। ये कार्यक्रम शिक्षा-सुविधाओ का विस्तार, रोगो पर नियन्त्रण, स्वास्थ्य और चिकित्सा-सेवाओ का विकास, छात्रवृत्तिया, कस्बो और गावो में पीने के पानी की आपूर्ति और समुदाय के कम उन्नत वर्गों के लिए कल्याण-सेवाओ की व्यवस्था, आदि है। उप-लब्ध साधनो के अनुसार तीसरी योजना में इन तथा अन्य आवश्यकताओ के लिए व्यवस्था की गई है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि ज्यो-ज्यो योजना आगे बढेगी, त्यो-त्यो कुछ क्षेत्रो में—विशेषत, शिक्षा, ग्रामो में जल-आपूर्ति और परिवार-आयोजन के क्षेत्र में—अधिकाधिक प्रगति करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करने होंगे।

7 जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, जब तक अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप से सुदृढ नही कर लिया जाता तब तक समस्त श्रमिक वर्ग को उचित पारिश्रमिक के साथ रोजगार दे सकना बड़ा कठिन है। इसलिए द्विविध कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। प्रथमत, योजना में सम्मिलित विकास-कार्यक्रमो को इस ढग से सम्पन्न करना होगा कि उनसे अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके। उन्हें समन्वित ढग से पूरा किया जाना चाहिए तथा वे प्रत्येक क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओ के अनुकूल हो। दूसरी बात, अनेक क्षेत्रो में जहा, जनशक्ति का उपयोग अधिक सघन स्तर पर किया जा सकता है, योजना में निहित विकास-कार्यक्रमो को तेजी से अजाम दिया जा सकता है, तथा उन्हें उसी सीमा तक बढाया जा सकता है जितनी योजना के परवर्ती सोपानो के लिए आवश्यक हो। विशेषत ऐसे क्षेत्रो में, जहा जनसख्या बहुत अधिक है, साथ ही अर्द्धरोजगारी भी अधिक है, इसी प्रकार की कार्रवाई करना आवश्यक है। वर्तमान आकलन के अनुसार इस योजना के विकास-कार्यक्रमो में 1 करोड 40 लाख अतिरिक्त श्रमिको को रोजगार मिल सकेगा, जब कि इस अवधि में श्रमिको की सख्या में 1 करोड 70 लाख की वृद्धि होने की सम्भावना है। बाकी श्रमिको को बडे पैमाने के ग्रामीण निर्माण-कार्यों, ग्राम और लघु उद्योगो तथा अन्य साधनो-द्वारा काम में लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

8 तीसरी योजना तैयार करते समय समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की और अलग-अलग क्षेत्रो की आवश्यकताओ पर बडी सावधानी से विचार किया गया है। योजना में गत 10 वर्षो के विकास के परिणामो, जनता की बढती हुई आशा-आकाक्षाओ, जनसख्या में वृद्धि, बडे पैमाने पर उद्योगीकरण के फलितार्थों तथा देश के घरेलू साधनो को अधिकतम रूप में गतिशील करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। ऐसी स्थिति में, कम व्यापक योजना एकदम अपर्याप्त सिद्ध होती। 5 प्रतिशत की गति से प्रति वर्ष आय में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय आय के 14 प्रतिशत से भी अधिक अश का विनियोग किया जाए। इस समय विनियोग की दर राष्ट्रीय आय का 11 5 प्रतिशत भाग है। इसके लिए स्वदेशी बचत की गति को, जो इस समय 8 5 प्रतिशत है, बढा कर तीसरी योजना के अन्त तक 11 5 प्रतिशत करना होगा। यह आवश्यक है कि मुख्य रूप से विदेशो से ऐसी मशीनो के आयात का भुगतान करने के लिए, जिनका निर्माण शीघ्र ही देश में सम्भव नही है, तथा अदायगी के सन्तुलन को बनाए रखने के लिए स्वदेशी साधनो को पर्याप्त विदेशी सहायता से बढाया जाए। विकास के इस चरण में बाह्य साधनो एव सहायता पर निर्भरता तीसरी योजना की अवधि में आयात की स्थान-पूर्ति तथा निर्यात-द्वारा आय बढाने के लिए अपनाई गई नीतियो और की गई कार्रवाइयो के महत्व को ही प्रकट करती है।

9 तीसरी योजना के उत्पादन-कार्यक्रमो में खाद्यान्न और उपभोक्ता-सामग्री उपलब्ध करने के सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी कभी-कभी, सम्भव है, मुद्रास्फीति का दबाव पडे। इसीलिए योजना में मूल्य-नीति का भी निर्धारण किया गया है जिससे इस बात की गारण्टी मिले कि सम्बद्ध मूल्यो का उतार-चढाव प्राथमिकताओ और लक्ष्यो के अनुरूप ही होगा तथा ऐसी अनिवार्य जीवनोपयोगी वस्तुओ का मूल्य, जो कम आयवाले लोगो की उपभोग-सूची में आ गई है, अनुचित रूप से नही

बढ़ेगा। यह भी आवश्यक है कि अपेक्षाकृत कम अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग में संयम से काम लिया जाए। इसके साथ ही, उत्पादन के स्वरूप का निश्चय करते समय इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि अपेक्षाकृत कम आवश्यक सामान के उत्पादन और सेवाओं में सीमित मात्रा में उपलब्ध होनेवाले साधनों का उपयोग न हो। ये कदम न केवल आर्थिक स्थायित्व की स्थिति में द्रुत विकास की उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्वदेशी साधन और तीसरी योजना के सफल परिपालन के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए भी आवश्यक हैं। तीसरी योजना के लिए आवश्यक साधन किस हद तक जुटाए जा सकते हैं, यह बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इनका परिपालन किस प्रकार किया जाता है—विशेषत विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण और सचालन किस प्रकार होता है, किस सीमा तक कृषि, उद्योग, बिजली, परिवहन, आदि की उपलब्ध क्षमता का उपयोग किया जाता है और किस पैमाने पर देश की जनशक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगले अध्याय में तीसरी योजना के लिए जो वित्तीय आवश्यकताएं बताई गई हैं, वे स्पष्टत इस समय उपलब्ध साधनों के अनुमान से कहीं अधिक हैं। विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए और बड़े पैमाने पर वित्तीय साधन जुटाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हाल ही में किए गए अध्ययनों से प्रकट हुआ है कि अनेक क्षेत्रों में यह विशालतर प्रयास व्यावहारिक सफलता प्राप्त कर सकता है।

10 तीसरी योजना में परियोजनाओं के सोपान निश्चित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वे परस्पर अविच्छिन्न रहें। विकास के प्रत्येक चरण पर योजनाओं की एक शृंखला का काम चालू रहना चाहिए, जिससे आयोजन और लाभ की प्राप्तियों में निरन्तरता का क्रम जारी रहे। दीर्घकाल में तैयार होनेवाली और अपेक्षाकृत कम समय में पूरी होनेवाली परियोजनाओं में भी एक सन्तुलन रहना चाहिए। परियोजनाओं के विकास-सोपानों का निर्धारण करने में भौतिक आयोजन की आवश्यकताओं का, विशेष रूप से जनशक्ति के आयोजन और साधन सामग्रियों एव सहायक सेवाओं की व्यवस्था का, जिनमें बिजली और परिवहन भी शामिल हैं, कड़ाई से ध्यान रखना चाहिए। उद्योग, परिवहन और बिजली से सम्बद्ध क्षेत्रों में, विकास के प्रत्येक सोपान में, आयोजन में और उस पर अमल करने में निकट सामजस्य स्थापित करना चाहिए। यह न केवल नई परियोजनाओं के लिए अपितु वर्तमान संयन्त्रों से उत्पादन के बढ़े हुए स्तर को प्राप्त करने के लिए भी उतना ही आवश्यक है। तीसरी योजना में, बिजली, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ जो औद्योगिक कार्यक्रम सम्मिलित हैं, उसे इस ढंग से बनाया गया है, कि उसमें निरन्तरता और सम्पूर्णता बनी रहे। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को, जिनसे अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विकास की सामर्थ्य बढ़ाने में सहायता मिलती है, प्रारम्भ करने में और उन्हें न्यूनतम समय में पूरा करने में प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। बड़ी परियोजनाओं में बहुत कम समय लगता है, परन्तु प्रारम्भ में उनके लिए अपेक्षाकृत कम पूजी-विनियोग की आवश्यकता होती है। उनसे सम्बद्ध प्रारम्भिक काम में तीव्रता लाने से काफी कीमती समय बचाया जा सकता है।

11 दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी राज्यों की योजनाओं का देश की अर्थव्यवस्था के द्रुत विकास में अत्यधिक महत्व है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य, जो

कृषि, शिक्षा, अन्य सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के बारे में हैं, किस सीमा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य-सरकारें अपनी योजनाओं को कितनी सफलता के साथ पूरा करती हैं। सामूहिक रूप से जन-कल्याण के साथ उनका गहरा सम्बन्ध है और बहुत अंश तक उन्हीं के द्वारा समाज के निर्बल-वर्ग के तथा कम उन्नत क्षेत्रों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। बड़े पैमाने के उद्योगों, विशेषत बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास के साथ राज्यों की योजनाओं को बड़े पैमाने पर बिजली और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए, आवास और शहरी विकास के कार्यक्रमों के लिए और ग्रामीण तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निकट एकीकरण की कार्रवाइयां करने के लिए व्यवस्था करनी है। तीसरी योजना में राज्यों की योजनाओं का निर्माण एवं उनके आकार और स्वरूप का निश्चय करते हुए यथासम्भव इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है।

12 भारतीय अर्थव्यवस्था के निदेशन और प्रबन्ध के लिए तीसरी योजना में आयोजन और उसकी पूर्ति में सुधरे हुए तरीकों और मशीनों की उन्नत सांख्यिकी और आर्थिक बुद्धिमत्ता की, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी एवं अन्य विकास-कार्यों को भली प्रकार समझने की, देश के महत्वपूर्ण साधन-स्रोतों के पूर्ण ज्ञान की और सामान्य रूप से विश्लेषण और अनुसन्धान-कार्यों के अधिक व्यवस्थित और पद्धतिपूर्ण होने की आवश्यकता अतीत की अपेक्षा कहीं अधिक है। प्रत्येक बड़े कार्यक्रम, बड़ी परियोजना या सम्बद्ध परियोजना-समूहों की प्रगति का सावधानीपूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है। तीसरी योजना में इस बात की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, एक बड़े क्षेत्र में आंकड़ों—विशेष रूप से राष्ट्रीय आय और पूंजी-निर्माण के अनुमानों, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, वितरण और रोजगार-सम्बन्धी आंकड़ों, महत्वपूर्ण संस्थाओं और उपभोक्ता-व्यय, जीवन-यापन के व्यय तथा आय के वितरण-सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन—में सुधार की आवश्यकता है।

13 पहली दो योजनाओं में आर्थिक और सामाजिक अध्ययन का जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया था, अब उसके परिणाम उपलब्ध हो गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नगरों में ग्रामों से जनता के प्रव्रजन और रोजगार की स्थिति की जांच करना, भूमि-सुधार और फार्म-प्रबन्ध का अध्ययन करना, कुटीरोद्योगों और छोटे उद्योगों का सर्वेक्षण, सिंचाई के लाभ का मूल्यांकन और समाज-कल्याण तथा प्रशासन की मुख्य समस्याओं का अध्ययन करना था। एक निश्चित सीमा तक अर्थव्यवस्था के व्यापक पहलू के विश्लेषणात्मक अध्ययन का कार्य भी हाथ में लिया गया। तीसरी योजना के अनुसन्धान-कार्यक्रम में, जो विश्वविद्यालयों, प्रमुख अनुसन्धान-संस्थाओं, योजना-आयोग और अन्य अभिकरणों-द्वारा पूरा किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी-विनियोग की क्षमता, मूल्य-नीतियां और तकनीकें, विदेशी व्यापार और भुगतान-सन्तुलन, योजनाबद्ध विकास के सम्बन्ध में संगठन और प्रशासन की समस्याएं, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संघर्ष की समस्याएं, भूमि-सुधार-सम्बन्धी कार्यक्रम के कामों, सहकारिता, सामुदायिक विकास, गांवों में बिजली पहुंचाना, लघु उद्योगों एवं ऐसी ही अन्य समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से अनेक अध्ययनों का दीर्घकालीन विकास की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण लाभ होगा। इनसे तीसरी योजना में विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत सुविधा होगी, और ये कार्यों के मूल्यांकन के लिए एक

कसौटी प्रदान करने तथा देश के विभिन्न भागो में जो अनुभव प्राप्त हुए है, उनसे शिक्षा ग्रहण करने मे सहायक होगे।

14 तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्र को उतनी सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य करना है, जितनी उसने पहली और दूसरी योजनाओ के दस वर्षो मे प्राप्त की है। यह कार्य आकार की दृष्टि से बहुत विशाल, अनिवार्य और वर्तमान और भविष्य, दोनो के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके प्रशासनात्मक फलितार्थ बडे व्यापक है और इसके लिए कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता के उच्चतम स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता है। योजना को प्रभावशाली ढग से मूर्त रूप देने के लिए साधनो को अधिकतम गतिशील बनाने की, बदलती हुई आवश्यकताओ के साथ तालमेल रखने की, प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल पर साधनो के सामजस्य और सग्रह की, कठिनाइयो और समस्याओं को पहले से ही समझने की, विकास के लिए उपयुक्त अवसर का लाभ उठाने में तत्परता की, और इन सबसे अधिक ऐसे व्यक्तियो और सगठनो की आवश्यकता है, जो दक्ष और जानकार है तथा योजना के लक्ष्यो के साथ जिनका तादात्म्य है। विकास की योजना चाहे कितनी ही विस्तृत और निश्चित क्यो न हो, वह एक ढाचा ही है, जो विविधतापूर्ण स्थितियो में जीवन-यापन और कार्य करनेवाले करोडो लोगो के सामने एक राष्ट्रीय प्रयत्न में भाग लेने के लिए कार्य का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करती है। इसकी सफलता विभिन्न तथ्यो पर—विकास के बोझ और उसकी चुनौतियो को व्यापक रूप से समझने, नई उत्पादक शक्तियो के मोचन, आधुनिक विज्ञान और तकनीको के अधिकाधिक प्रयोग, दृष्टिकोण और आकाक्षाओ में परिवर्तन तथा अन्तत इस विश्वास के वातावरण पर कि द्रुत आर्थिक विकास सामाजिक न्याय और व्यापक आर्थिक अवसर के लिए साधन-स्वरूप है—निर्भर करती है। तीसरी योजना में जिस प्रगति की कल्पना की गई है, उसे पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये कुछ मुख्य शर्तें है।

अध्याय 5

तीसरी योजना की रूपरेखा

भौतिक लक्ष्य

तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्यो पर पिछले अध्याय में प्रकाश डाला गया है। अगर ये लक्ष्य प्राप्त करने है, तो यह जरूरी है कि अगले पाच वर्षों मे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो में कुछ न्यूनतम विकास अवश्य हो जाए। तीसरी योजना के भौतिक लक्ष्य इन न्यूनतम आवश्यकताओ को दृष्टि मे रख कर निश्चित किए गए है। इन लक्ष्यो की व्योरेवार सूची इस अध्याय के अनुबन्ध 1 में दी गई है। अनुमान है कि अगले पाच वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत की और प्रति व्यक्ति आय मे लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। नीचे की तालिका में कुछ प्रमुख लक्ष्य शामिल किए गए है ताकि योजना का सार-रूप सामने आ जाए

तालिका-सख्या 1

प्रमुख लक्ष्य

विषय	इकाई	1960-61	1965-66	1960-61 की तुलना में 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
कृषि-उत्पादन का सूचनाक	1949-50 = 100	135	176	30
खाद्यान्न-उत्पादन	लाख टन	760	1,000	32
नत्रजनयुक्त उर्वरक की खपत	हजार टन नत्रजन	230	1,000	335
सिंचित क्षेत्र (विशुद्ध योग)	लाख एकड	700	900	29
सहकारिता-आन्दोलन किसानो को पेशगी	करोड रु०	200	530	165
औद्योगिक उत्पादन का सूचनाक	1950-51 = 100	194	329	70
निम्नलिखित उत्पादन :				
इस्पात की सिल्लिया	लाख टन	35	92	163
अल्युमीनियम	हजार टन	18 5	80	332

तालिका-संख्या 1—जारी

विषय	इकाई	1960-61	1965-66	1960-61 की तुलना में 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि

तालिका-संख्या 1—जारी

विषय	इकाई	1960-61	1965-66	1960-61 की तुलना में 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
उपभोग-स्तर				
खाद्य	प्रति दिन प्रति व्यक्ति कैलोरिया	2,100	2,300	10
कपडा	प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति गज	15 5	17 2	11

भौतिक कार्यक्रम

2 आबादी में वृद्धि, जनता की बढती हुई आशाए और आगामी दो या तीन योजना-अवधियो मे आत्मचालित विकास की स्थिति प्राप्त करने की शीघ्र आवश्यकता यह जरूरी बना देते है कि अगले पाच वर्षो में इन लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक-सम्भव उपाय किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना-अवधि में ही ऐसी कुछ कार्रवाइया की जानी चाहिए, जिनसे चौथी योजना की भूमिका तैयार हो। तीसरी योजना के भौतिक कार्यक्रम इन दोनो उद्देश्यो को ध्यान में रख कर ही तैयार किए गए हैं। इन सब कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल व्यय 8,000 करोड रु० से कुछ ज्यादा का और निजी क्षेत्र में लगभग 4,100 करोड रु०[+] का बैठेगा।

3 यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के, जिसमें बिजली, परिवहन, तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान शामिल है, कार्यक्रम परस्पर सयुक्त रूप से प्राथमिकता की स्वीकृत योजना के अनुसार इस प्रकार चलने चाहिए कि आवश्यक विदेशी मुद्रा और कर्मचारी उपलब्ध होने के साथ-साथ सम्बद्ध आन्तरिक साधन भी तैयार रहें, ताकि द्रुत प्रगति में बाधा न पडे। कृषि, लघु उद्योगो और सामाजिक सेवाए, जैसे क्षेत्रो में, जहा स्थानीय सामुदायिक प्रयत्नो और जन-सहयोग को आकृष्ट करने के अच्छे अवसर है और जहा आयात की गई वस्तुओ का प्रश्न प्रयत्नो को शिथिल नही करता, वहा भौतिक शक्ति की अधिकतम सीमा तक कार्य-पूर्ति का प्रयत्न होना चाहिए, उसे देश की न्यूनतम आवश्यकताओ से कम तो रहना ही नही चाहिए। वस्तुत औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी क्षेत्रो में जैसे-जैसे उत्पादक परियोजनाए कार्यान्वित हो और अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध हो, वैसे-वैसे उन परियोजनाओ के क्षेत्र को विस्तृत करने की दिशा में अतिरिक्त साधन जुटाना सम्भव होना चाहिए, जिनमे रोजगार देने की विस्तृत सामर्थ्य है, पर जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करने की कोई आवश्यकता नही है।

[+]इसमें 200 करोड रु० की वह राशि शामिल नहीं है, जिसका अनुमानित हस्तान्तरण सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में किया गया है।

4 इन बातो से यह प्रकट होता है कि पाच वर्ष की अवधि में कार्यान्वियन के लिए जिन भौतिक कार्यक्रमो को स्वीकृत किया जाए, वे योजना-निर्माण के समय उपलब्ध वित्तीय साधनो के आधार पर ही सीमित न हो, हालाकि व्यय का निश्चय अवश्य ही वर्ष-प्रति-वर्ष वास्तव में उपलब्ध साधनो के मुताबिक करना पडेगा। अनुभवो से यह पता चला है कि योजना तैयार करते समय जो वित्तीय साधन दृष्टि में हो, उन्ही के अनुसार अगर पाच वर्ष की योजना तैयार की जाए, तो उन सम्पूर्ण अवसरो का पूरा-पूरा लाभ नही उठाया जा सकता, जो योजना के कार्यान्वियन की अवधि में उपस्थिति होते है।

वित्तीय व्यवस्थाए

5 अभी 7,500 करोड रु० के वित्तीय साधनो का अनुमान लगाया गया है। परन्तु हाल के अध्ययनो से पता चलता है कि अगर देश की बचत को केन्द्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जाए, तो कुछ अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध हो सकते है। वस्तुत योजना में शामिल किए गए भौतिक लक्ष्य जिस हद तक पूरे होंगे, उसी हद तक अतिरिक्त वित्तीय साधनो में वृद्धि की सम्भावनाए भी बढेंगी। भारत की विकास-योजनाए जिस प्रकार मित्र देशो, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास-बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर रही है, उसे दृष्टि में रखते हुए यह आशा करना युक्तिसगत होगा कि तीसरी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विदेशी मुद्रा की कमी कोई बडी रुकावट नही होगी। दूसरी ओर, ज्यो-ज्यो योजना की प्रगति होगी, त्यो-त्यो यह बात भी सामने आ सकती है कि कार्यान्वियन के लिए स्वीकृत कुछ परियोजनाए तीसरी योजना की अवधि में पूरी नही हो सकेंगी और पूजी-विनियोग का कुछ भाग, दरअसल, चौथी योजना के प्रारम्भिक चरण तक के लिए विलम्बित करना होगा। परियोजनाओ का एक बडा भाग—विशेषत उद्योग और खनन के क्षेत्र में—अपेक्षाकृत अधिक समय की माग करता है और प्राय कठिन तकनीकी समस्याओ का सामना करता है। औद्योगिक सयन्त्रो के डिजाइन बनाने और उन्हें तैयार करने अथवा सहायक विकास-कार्यों को हाथ में लेने, या जरूरी उपकरणो और पुर्जों की प्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप इनमें से कुछ परियोजनाओ को तीसरी योजना की अवधि से आगे ले जाना पड सकता है। इस प्रकार के हेर-फेर के बावजूद इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए जो परियोजनाए बहुत आवश्यक है, वे समय पर पूरी हो जाए।

6 अगले पृष्ठ की तालिका में 7,500 करोड रु० के वित्तीय व्यय का मुख्य मदो में वितरण दिखाया गया है।

सरकारी क्षेत्र में कुल 7,500 करोड रु० के वित्तीय व्यय की जो व्यवस्था की गई है, उसमें पूजी-विनियोग* की राशि 6,300 करोड रु० और कर्मचारियो, सहायता-अनुदानो आदि पर व्यय आदि के द्योतक चालू व्यय† की राशि 1,200 करोड रु० है। इन राशियो

*भौतिक सम्पत्ति (जैसे, भवन, सयन्त्र और उपकरण) के निर्माण पर होनेवाला खर्च पूजी-विनियोग है। इस खर्च में सम्पत्ति के निर्माण के लिए आवश्यक कर्मचारियो का खर्च भी शामिल है। मोटे तौर पर, इसे पूजी-खाते का खर्च माना जाता है।

†चालू व्यय का मतलब मोटे तौर पर योजना के कार्यक्रमों पर राजस्व-खाते में होनेवाले व्यय से है। यह खर्च 'पूजी-विनियोग' के नाम से उल्लिखित खर्च से भिन्न है।

तालिका-संख्या 2

वित्तीय व्यवस्थाएं

(करोड़ रु०)

मद	दूसरी योजना		तीसरी योजना—वित्तीय व्यवस्थाएं				
	कुल व्यय	प्रतिशत	राज्य	संघीय क्षेत्र	केन्द्र	योग	प्रतिशत
कृषि और सामुदायिक विकास	530	11	919	24	125	1,068	14
बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाएं	420	9	630	2	18	650	9
बिजली	445	10	880	23	109	1,012	13
ग्राम और लघु उद्योग	175	4	137	4	123	264	4
सगठित उद्योग और खनिज पदार्थ	900	20	70	—	1,450	1,520	20
परिवहन और सचार-साधन	1,300	28	226	35	1,225	1,486	20
सामाजिक सेवाए और विविध	830	18	863	87	350	1,300	17
इन्वेण्टरिया	—	—	—	—	200	200	3
योग	4,600	100	3,725*	175	3,600	7,500	100

*यह आकड़ा अगले पैराग्राफ और अध्याय 6 के 27-वें पैराग्राफ में उल्लिखित बातों के प्रकाश में प्रस्तुत किया गया है।

में स्थानीय सस्थाओ—जैसे, नगरपालिकाए, पचायतें, इत्यादि—के विकास-कार्यक्रमो पर होनेवाले खर्च का केवल वह अश शामिल है, जिसकी व्यवस्था अपने योजना-व्यय के रूप में केन्द्रीय और राज्य-सरकारें करती हैं। इनमें खर्च के वे अश शामिल नही हैं, जिनकी व्यवस्था स्थानीय सस्थाए अपने साधनो से करती है। इसी प्रकार, इनमें वे अशदान भी शामिल नही हैं, जो नकद तथा जिस के रूप में स्थानीय परियोजनाओ में—जिनमें स्थानीय लोगो का सहयोग होता है—स्थानीय लोगो-द्वारा दिया जाता है।

7 ऊपर की तालिका मे राज्यो के लिए वित्तीय व्यवस्था 3,725 करोड रु० की दिखाई गई है। राज्यो की योजनाओ में जो भौतिक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनकी कुल लागत लगभग 3,847 करोड रु० है। राज्यो के राजस्व में हाल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि अगर पर्याप्त अतिरिक्त कराधान किया जाए, तो राज्यो के लिए यह सम्भव होगा कि वे अपनी योजनाओ के भौतिक कार्यक्रमो के खर्च के लिए पूरी वित्तीय व्यवस्था स्वय कर लें। इस प्रकार, भौतिक कार्यक्रमो और वित्तीय साधनो के बीच जो अन्तर रह जाता है, वह मुख्यत केन्द्र से ही सम्बद्ध है। केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमो में विदेशी साधनो पर निर्भर करनेवाले कार्यक्रमो का अनुपात अधिक है—जैसे, उद्योग, खनिज पदार्थ, परिवहन और सचार-साधन। जब विदेशी मुद्रा सुलभ हो जाएगी, तो आवश्यक रुपया-विषयक साधनो को बढाने के लिए जरूरी कदम उठाने पडेंगे।

8 जैसा कि पहले कहा गया है, योजना मे सरकारी क्षेत्र-द्वारा किए जानेवाले खर्च ही शामिल नही है—इनमें निजी क्षेत्र-द्वारा किए जानेवाले खर्च भी शामिल है। निजी क्षेत्र-द्वारा पूजी-विनियोग का अनुमान 4,100 करोड रु० है। योजना के प्रमुख मदो में सरकारी और निजी क्षेत्र के पूजी-विनियोग का ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया जाता है।

9 10,400 करोड रु० के पूजी-विनियोग के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान 2,030 करोड रु० से कुछ अधिक लगाया गया है। सरकारी और निजी पूजी-विनियोग का स्तर दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के 1,600 करोड रु० से बढ कर तीसरी योजना के अन्त में 2,600 करोड रु० हो जाने की आशा है। केवल सरकारी क्षेत्र के सन्दर्भ में ये अक क्रमश 800 करोड रु० और 1,700 करोड रु० हैं।

10 तालिका-सख्या 3 से यह स्पष्ट है कि तीसरी योजना में कुल पूजी-विनियोग में लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि रखी गई है—70 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में और 32 प्रतिशत निजी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र का अनुपात तो यहा तक ऊचा होगा कि उसका व्यय वित्तीय व्यवस्था के 7,500 करोड रु० से हट कर 8,000 करोड रु० की भौतिक योजना के करीब हो जाएगा।

तालिका-संख्या 3

दूसरी और तीसरी योजनाओं में पूंजी-विनियोग

(करोड़ रु०)

मदें	दूसरी योजना				तीसरी योजना			
	सरकारी	निजी	योग	प्रतिशत	सरकारी	निजी	योग	प्रतिशत
कृषि और सामुदायिक विकास	210	625	835	12	660	800	1,460	14
बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाएं	420	*	420	6	650	*	650	6
बिजली	445	40	485	7	1,012	50	1,062	10
ग्राम और लघु उद्योग	90	175	265	4	150	275	425	4
संगठित उद्योग और खनिज पदार्थ	870	675	1,545	23	1,520	1,050	2,570	25
परिवहन और संचार-साधन	1,275	135	1,410	21	1,486	250	1,736	17
सामाजिक सेवाएं और विविध	340	950	1,290	19	622	1,075	1,697	16
इन्वेण्टरियां	—	500	500	8	200	600	800	8
योग	3,650	3,100†	6,750	100	6,300	4,100†	10,400	100

*कृषि और सामुदायिक विकास के अन्तर्गत सम्मिलित

†सरकारी से निजी क्षेत्र में दी गई रकम को छोड़कर

अनुबन्ध 2 में इस विषय में पूरे ब्यौरे दिए गए हैं। राज्यों और केन्द्र के बीच जो व्यवस्था की गई है, उसका आधार यह है कि सामान्यतः राज्य-सरकारों-द्वारा जिन विकास-योजनाओं का कार्यान्वियन होना है, वे राज्य-योजना का अंग मानी जाएगी और योजनाओं की कुछ सीमित श्रेणियां ही ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय मन्त्रालयों की योजनाओं में केन्द्रीय सरकार-द्वारा प्रेरित मानी जाएंगी। इस प्रकार, राज्यों की योजनाओं के क्षेत्र को अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया है और उनके विकास-कार्यक्रमों के संगठित कार्यान्वियन को सुविधापूर्ण बनाया गया है।

12 प्रत्येक राज्य की योजना निश्चित करते समय उसकी आवश्यकताओं, समस्याओं, अब तक की प्रगति और विकास के मार्ग में आनेवाली रुकावटों, प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि में उसका सम्भावित अंशदान, विकास की शक्ति और अपने विकास-कार्यक्रमों में राज्य-द्वारा प्रस्तुत किए जा सकनेवाले साधनों का ध्यान रखा जाता है। आवश्यकताओं और समस्याओं का मूल्यांकन करते समय इन-जैसी बातों को ध्यान में रखा गया आबादी क्षेत्र, आय और व्यय के स्तर, कुछ खास प्रकार की सेवाओं की प्राप्ति—जैसे, सड़कें, स्कूल और अस्पताल, दूसरी योजना में वचनबद्ध कार्यक्रम या विशेष कार्यक्रम, और तकनीकी तथा प्रशासकीय सेवाएं कहां तक प्राप्त हो सकती हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखा गया कि ऐसे राज्य, जिनके साधन अनिवार्यतः कम हैं, अपनी विकास-योजनाओं को इतना सीमित न कर दें कि वे एकदम अपर्याप्त हो जाएं—वह भी केवल इस कारण से कि उनके साधन कम हैं। इसके साथ ही, जो राज्य अपने साधनों का संग्रह करने में अधिक परिश्रम कर सकते हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर विकास-कार्य हाथ में लेने होंगे। राज्यों और संघीय क्षेत्रों की योजनाओं में 4,022 करोड़ रु० के जो कार्यक्रम रखे गए हैं, उनका राज्यवार ब्यौरा तथा पहली और दूसरी योजनाओं की राज्यवार तुलनात्मक संख्या इस अध्याय के अनुबन्ध 3 में दी गई है। राज्यों और विकास की मदों के सन्दर्भ में विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट के अन्त में परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

13 भौतिक कार्यक्रमों और वित्तीय व्यवस्था की मोटे तौर पर ऊपर जो चर्चा की गई है, उससे यह पता चलता है कि योजना में किस प्रकार सर्वमुखी प्रयत्न किया गया है और इसके विभिन्न निर्धारित क्षेत्रों पर सापेक्ष रूप से कितना जोर दिया गया है। इस सामान्य ढांचे के अन्तर्गत योजना में विकास के कई कार्यक्रम हैं, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के अगले अध्यायों में दिया गया है। फिर भी, परवर्ती पैराग्राफों में इन कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है।

कृषि

14 कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास के लिए जो कार्यक्रम तीसरी योजना में शामिल किए गए हैं, उन पर कुल व्यय 1,718 करोड़ रु० का बैठेगा, जब कि दूसरी योजना में इनका अनुमानित व्यय 950 करोड़ रु० था। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य यह है कि आगामी पांच वर्षों में कृषि-उत्पादन में वृद्धि की गति लगभग दुगुनी हो जाए। खाद्यान्नों का उत्पादन 30 प्रतिशत और अन्य फसलों का उत्पादन 31 प्रतिशत बढ़ने की आशा है, जैसा कि अगली तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-संख्या 4

कृषि-उत्पादन का सूचनांक

(1949-50=100)

फसलें	1960-61	1965-66	1960-61 की अपेक्षा 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
सब फसलें	135	176	30
खाद्यान्न	132	171	30
अन्य फसलें	142	186	31

15 वृद्धि की इस ऊची गति को प्राप्त करने के लिए कई दिशाओ में सघन प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। प्रथमत, सिंचाई के विस्तृत कार्यक्रम—जिनमें बडी, मध्यम और छोटी सिंचाई-योजनाए भी शामिल होगी—हाथ में लिए जाएगे। इससे करीब 2 करोड एकड जमीन में सिंचाई का विस्तार हो जाएगा, जिससे शुद्ध सिंचित क्षेत्र करीब 9 करोड एकड हो जाएगा। दूसरी बात, करीब 2 करोड 20 लाख एकड जमीन में शुष्क खेती की तकनीकें काम में लाई जाएगी और 1 करोड 10 लाख एकड जमीन में भूमि-सरक्षण का काम किया जाएगा। तीसरे, उर्वरको की खपत बढानी पडेगी—नत्रजनयुक्त उर्वरको की खपत में पाच-गुनी वृद्धि का लक्ष्य है, यानी इसे 2,30,000 टन (नत्रजन की मात्रा) से बढा कर 10 लाख टन करना है, इसी तरह, फास्फेटयुक्त उर्वरको की खपत में 6-गुनी वृद्धि होनी है, अर्थात् यह परिमाण 70,000 टन (पी$_2$ ओ$_5$ की मात्रा) से बढा कर 4,00,000 टन करना है। हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र 118 लाख एकड से बढा कर 410 लाख एकड किया जाएगा। 5 करोड एकड अतिरिक्त क्षेत्र में पौधो की रक्षा के उपाय करने होगे। चौथी बात, सुधरे हुए कृषि-उपकरणो और मशीनो के एक बडे कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में आधुनिक टेक्नोलाजी काम में लाने के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा। कृषि-उपकरणो का एक विशाल कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक केन्द्र कायम किया जाएगा, जहा सुधरे हुए ढग के उपकरण बनाने, उनकी जाच करने, डिजाइन तैयार करने और तकनीकी परामर्श देने की व्यवस्था होगी, निर्माताओ को काफी मात्रा में लोहा और इस्पात देने का इन्तजाम होगा, सुधरे हुए उपकरणो की आपूर्ति, खरीद और उत्पादन के लिए ऋण देने की व्यवस्था होगी और राज्यो में कृषि-इजीनियरी-सम्बन्धी कर्मचारी-मण्डल को मजबूत किया जाएगा। पाचवी बात, सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का अक्तूबर 1963 तक देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार हो जाएगा। इस प्रकार, तकनीकी सहायता और सामान तक देश के सभी किसानो की पहुच हो जाएगी। सब गावो में पचायतें और सहकारी समितिया स्थापित हो जाएगी। जिला और खण्ड-स्तरो पर लोकतान्त्रिक सस्थाओ की स्थापना से सभी क्षेत्रो की जनता पर विकास का दायित्व और पहल का भार पडेगा। आशा की जाती है कि सेवा-सहकारी समितियो की सदस्य-सख्या बढ कर लगभग 3 करोड 70 लाख हो जाएगी, अर्थात् समस्त कृषि-परिवारो का लगभग दो-तिहाई भाग इनके अन्तर्गत आ जाएगा। सहकारी

ऋण के काफी विस्तार का लक्ष्य है—अल्प और मध्यमकालीन अग्रिम धन के सम्बन्ध में यह लक्ष्य करीब 530 करोड रु० का और दीर्घकालीन ऋण का लक्ष्य 150 करोड रु० (आशोधित ऋण) का है। सहकारी क्रय-विक्रय-समितियो की सख्या 1,869 से बढा कर 2,470 की जाएगी। मडियो में करीब 980 नए भाण्डारण-गोदाम बनाए जाएगे और सहकारिता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रो में 9,200 छोटे गोदामो का निर्माण किया जाएगा। 25 नए सहकारी चीनी-कारखाने कायम किए जाएगे और चावल, कपास, पटसन, मूगफली, फल, इत्यादि के लिए सहकारी आधार पर विधायन-इकाइया स्थापित करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। 2,200 प्राथमिक उपभोक्ता-भाण्डार और सहकारिता के आधार पर 50 थोक भण्डार कायम करने का भी कार्यक्रम है। सहकारी कृषि को लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयत्न जारी रहेंगे और सारे देश में अग्रगामी परीक्षण के तौर पर 3,200 सहकारी फार्म सगठित किए जाएगे। छठी बात, कुछ चुने हुए जिलो को, जहा खास तौर पर सिचाई की पर्याप्त सुविधाए है और निश्चित रूप से वर्षा होती है, सघन कृषि-विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा, ताकि कृषि-उत्पादन बढ सके। आरम्भ में, प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का एक जिला चुना गया है। यह महत्वपूर्ण नया कार्यक्रम इन क्षेत्रो में तकनीकी सहायता, उर्वरक, सुधरी हुई ऋण-व्यवस्था और अन्य वस्तुए ग्राम-पचायतो तथा सहकारी समितियो के माध्यम से सभी किसानो तक पहुचाएगा। इससे उत्पादन और क्रय-विक्रय-योग्य फालतू खाद्यान्न, दोनो की वृद्धि में सहायता मिलेगी।

16 इन विभिन्न कार्रवाइयो के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि मुख्य फसलो का उत्पादन बढ जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

तालिका-सख्या 5

प्रमुख फसलो का उत्पादन

फसल	इकाई	1960-61	1965-66	1960-61 की अपेक्षा 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान्न	लाख टन	760	1,000	32
तेलहन	लाख टन	71	98	38
गन्ना*	लाख टन	80	100	25
कपास	लाख गाठें	51	70	37
पटसन	लाख गाठें	40	62†	55

इस वृद्धि का एक बडा भाग प्रति एकड उपज में सुधार के जरिए मिलने की आशा है। उदाहरण के लिए, यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि में चावल की औसत उपज प्रति एकड़ 1,030 पौंड होगी, जबकि दूसरी योजना की अवधि में यह मात्रा 807 पौंड थी।

* खाडसारी या गुड के रूप में

† इसमें मेस्टा की फसल शामिल नहीं है, जिसके द्वारा सन् 1965-66 में 13 लाख गाठें प्राप्त होगी।

17 इन लक्ष्यो की पूर्ति के साथ खाद्यान्नो की आपूर्ति के मामले में अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाएगी और प्रति व्यक्ति खाद्य-उपलब्धि सन् 1960-61 के 16 औंस प्रति दिन से बढ कर सन् 1965-66 में 17 5 औंस प्रति दिन हो जाएगी । कपडे की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सन् 1960-61 के 15 5 गज से बढकर सन् 1965-66 में 17 2 गज हो जाएगी । फल और सब्जियो-जैसे सहायक खाद्यो के उत्पादन पर, जिनके लिए माग देश में लगातार बढ रही है, विशेष जोर दिया जाएगा और यह प्रयत्न किया जाएगा कि लोगो को वर्तमान की अपेक्षा अधिक सन्तुलित भोजन प्राप्त हो । चाय, काफी, रबर, नारियल, सुपारी, तम्बाकू, काली मिर्च, इलायची और लाख-जैसी वस्तुओ का उत्पादन बढाने के लिए विशेष उपाय किए जाएगे, क्योकि विदेशी मुद्रा के अर्जन तथा बचत की दृष्टि से ये बडी महत्वपूर्ण है ।

18 पशुपालन, दूध-व्यवसाय, मछलीपालन और वन-रक्षा के सुधार के लिए भी तीसरी योजना में बडे-बडे कार्यक्रम शामिल किए गए है । सघन पशु-विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही स्थापित केन्द्र ग्राम-खडो में से 55 का विस्तार किया जाएगा और महत्वपूर्ण नस्ल-क्षेत्रो में 38 नए खड कायम किए जाएगे । पशु-अस्पतालो और औषधालयो की सख्या 4,000 से बढा कर 8,000 की जाएगी और पशुओ की महामारी का निवारण करने के लिए पहले से ही जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, उसे पूरा किया जाएगा । ऊन का उत्पादन 7 करोड 20 लाख पौड से बढा कर 9 करोड पौड किया जाएगा । दूध का उत्पादन 2 करोड 20 लाख टन से बढा कर 2 करोड 50 लाख टन किया जाएगा । एक लाख से ज्यादा आबादी-वाले 55 शहरो में दूध उपलब्ध करने की नई योजनाए हाथ में ली जाएगी । 8 ग्रामीण मक्खन-उत्पादन-केन्द्र, 4 दूध-उत्पादन-कारखाने और 2 पनीर-कारखाने लगाए जाएगे । मछली का उत्पादन 14 लाख टन से बढा कर 18 लाख टन किया जाएगा, 4,000 मछली पकडनेवाली नौकाओ में मशीनें लगाई जाएगी और 35 बडे पोत देश के मछली पकडनेवाले बेडे में जोडे जाएगे । जगलो को विकसित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, 7,00,000 एकड क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्ष लगाए जाएगे, 6,00,000 एकड क्षेत्र के उजाडप्राय जगलो को फिर तरोताजा किया जाएगा और 12,00,000 एकड क्षेत्र में ग्राम-वर्ती जगल लगाए जाएगे । इस मद में पूजी-विनियोग करने से पहले सारे देश का सर्वेक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि इमारती लकडी और लुगदी पर आधारित बडे पैमाने के उद्योगो के विकास की क्षमता देश में कहा तक है ।

उद्योग

19 तीसरी योजना में मूलभूत महत्व का कार्यक्रम उद्योगो के विस्तार से सम्बद्ध है खास तौर पर, पूजीगत और उत्पादक सामान-उद्योगो के विस्तार से । इसमे मशीन-निर्माण और प्रबन्ध-सम्बन्धी कुशलता, तकनीकी जानकारी और डिजाइन-क्षमता पर विशेष जोर दिया गया है । इस कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया है, पर योजना के ढाचे के भीतर निजी क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाने की आशा की जाती है । सगठित निर्माण उद्योगो के विशुद्ध उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा सन् 1960-61 के एकदशमाश से भी कुछ कम से बढ कर सन् 1965-66 में करीब एक-चौथाई हो जाने की आशा है और इसका एक बडा अश पूजीगत और उत्पादक सामान होगा । उद्योगो और खनिज

पदार्थों के विकास के लिए योजना में 1,882 करोड रु० का एक कार्यक्रम है, परन्तु अभी वित्तीय व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में 1,520 करोड रु० की ही की गई है। इसके अतिरिक्त, आशा की जाती है कि निजी क्षेत्र 1,050 करोड रु० की व्यवस्था करेगा। साथ ही, आशा की जाती है कि युद्ध से पूर्व के कुछ उद्योगो के आधुनिकीकरण और पुरानी मशीनो की जगह नई मशीनें लगाने की मद में होनेवाले खर्च को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र लगभग 150 करोड रु० की व्यवस्था करेगा।

20 सम्पूर्ण तीसरी योजना में उन उद्योगो के विकास पर जोर दिया गया है, जो अर्थव्यवस्था को आत्मचालित बनाने में सहायक हो सकते हैं—जैसे, इस्पात, मशीन-निर्माण और उत्पादक सामान। योजना में इन सामानो को खरीदने के लिए विदेशी सहायता पर यथाशीघ्र कम-से-कम निर्भर रहने की स्थिति पैदा करने और निर्यात के आधार को विस्तृत करने की प्रेरणा देने पर भी बल दिया गया है। उपभोक्ता-सामान के उत्पादन को भी काफी बढाया जाएगा, मुख्यत निजी क्षेत्र में आशा की जाती है कि इन सबके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, पर इस वृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण बात होगी, लोहा और इस्पात, मशीनो और रसायनो के क्षेत्र में विकास। इसकी एक झांकी निम्नलिखित तालिका से मिल सकती है

तालिका-संख्या 6

औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक*

(1950-51=100)

वर्ग	1960-61	1965-66	1960-61 की अपेक्षा 1965-66 में प्रतिशत वृद्धि
सामान्य सूचनांक	194	329	70
सूती वस्त्र	133	157	18
लोहा और इस्पात	238	637	168
मशीनें (सब तरह की)	503	1,224	143
रसायन	288	720	150

जैसा कि पहले कहा गया है इस सूचनपत्र में कई नए उद्योगो को शामिल नही किया गया है और अब इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

21 तीसरी योजना के सरकारी क्षेत्र में जो बडी औद्योगिक परियोजनाएं शामिल की गई हैं, वे धातु-शोधन, औद्योगिक मशीनो, मशीनी औजारो, उर्वरको, बुनियादी रसायनो और अन्तरायको, आवश्यक औषधो तथा पेट्रोल-शोधन से सम्बद्ध है। लोहा और इस्पात के मामले में कुल क्षमता के प्रस्तावित लक्ष्य है, 1 करोड 2 लाख टन इस्पात की सिल्लिया

*ये सूचनांक 'वस्तुत' सरकारी सूचनांक ही है, सिवाय इसके कि तुलना का आधार सन् 1951 के कैलेंडर-वर्ष से बदल कर सन् 1950-51 का वित्तीय वर्ष कर दिया गया है, ताकि योजनाकाल में हुए विकास को आंकने में सुविधा हो।

और 15 लाख टन कच्चा लोहा । इन लक्ष्यो की पूर्ति 59 लाख टन क्षमता क राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्थापित सरकारी इस्पात के कारखानो से होगी । बोकारो में स्थापित किए जा रहे चौथे इस्पात के कारखाने से भी इसमें मदद मिलेगी । निजी क्षेत्र में भी इस्पात-विषयक क्षमता का कुछ विस्तार होगा । इस विस्तार का मुख्य साधन स्क्रैप पर आधारित बिजली की भट्टिया होगी, जिनसे पुनरावेष्टन के लिए बिलेटो की आपूर्ति बढ जाएगी । आशा की जाती है कि करीब 2,00,000 टन कच्चे लोहे का उत्पादन नीची शैफ्ट की भट्टियो में होगा, जिन्हें निजी क्षेत्र में विकेन्द्रित आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव है । औज़ार, मिश्रित धातु, और स्टेनलेस इस्पात के उत्पादन को तीसरी योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है और यह आशा की जाती है कि 2,00,000 टन उत्पादन का लक्ष्य सन् 1965-66 तक पूरा हो जाएगा । अलौह धातुओ के क्षेत्र में, योजना का लक्ष्य 80,000 टन अल्युमीनियम का उत्पादन करने का है और देश में पहला जस्ता पिघलानेवाला कारखाना लगाने का है, जिसकी क्षमता 15,000 टन की होगी । तांबे का उत्पादन 8,900 टन से बढकर 20,000 टन हो जाने की आशा है ।

22 तीसरी योजना की अवधि की सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, मशीन-निर्माण और इंजीनियरी-उद्योगो का विकास । मशीन-निर्माण के लिए विशेष रूप से आवश्यक ढलाई-गढाई की क्षमता का तीसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर विकास किया जाएगा । रांची के पास एक भारी मशीनी सयन्त्र लगाया जा रहा है, जिसकी उत्पादन-क्षमता पूर्ण विकास हो जाने पर 80,000 टन की होगी और यह प्रति वर्ष 10 लाख टन इस्पात-निर्माण की क्षमतावाले एक कारखाने की स्थापना के लिए अधिकाश जरूरी सामान तैयार करेगा । तीन भारी बिजली-उपकरण-परियोजनाओ की भी व्यवस्था की गई है, ताकि सन् 1971 के बाद प्रति वर्ष 20 लाख किलोवाट के हिसाब से बिजली-उत्पादन-क्षमता बढाने के लिए पर्याप्त बिजली-सम्बन्धी उपकरण प्राप्त हो सकें । मशीनी औजारो के क्षेत्र में, मौजूदा मशीनी औज़ार-कारखानो का विस्तार करने और सरकारी क्षेत्र में दो नए सयन्त्र स्थापित करने की व्यवस्था है । निजी क्षेत्र में भी, मशीनी औज़ारो के उत्पादन के पर्याप्त विस्तार की आशा है और मशीनी औज़ार के उत्पादन का लक्ष्य 30 करोड रु० रखा गया है । मोटर-गाडी-उद्योग में 30,000 सवारी गाडियो और 60,000 व्यावसायिक गाडियो का लक्ष्य रखा गया है ।

23 अकार्बनिक उर्वरको का उत्पादन नत्रजन के रूप में करीब 1,10,000 टन से बढा कर 8,00,000 टन किया जाएगा । फास्फेटयुक्त उर्वरको के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है । गन्धक-अम्ल के उत्पादन का लक्ष्य 15 लाख टन और कास्टिक सोडा का 3,40,000 टन रखा गया है । कार्बनिक रसायनो, प्लास्टिक, रजको और औषधों का भी उत्पादन बढाने की व्यवस्था की गई है । सीमेण्ट के उत्पादन का लक्ष्य 1 करोड 30 लाख टन रखा गया है और शोधक कच्चे तेल का 1 करोड 10 लाख टन । तीसरी योजना में शामिल की गई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाए है सनतनगर में सश्लेषित औषध-परियोजना, ऋषिकेश के पास एंटिबायोटिक्स सयन्त्र और केरल में फाइटो-केमिकल-परियोजना । उपभोक्ता-सामान उद्योगों के क्षेत्र में, कपडा, कागज, चीनी, खाद्य तेलो, घड़ियो, इत्यादि की उत्पादन-क्षमता काफी बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

24 तीसरी योजना के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक लक्ष्यों की संक्षिप्त सूची नीचे दी जाती है

तालिका-संख्या 7

औद्योगिक उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य

वस्तु	इकाई	1960-61	1965-66
इस्पात की सिल्लियां	लाख टन	35	92
अल्युमीनियम	हजार टन	18 5	80
डीजल इंजिन	हजार (संख्या)	40	66
ट्रैक्टर	हजार (संख्या)	2	10
बिजली के तार (ए० सी० एस० आर० कंडक्टर)	हजार टन	22	44
नत्रजनयुक्त उर्वरक	हजार टन नत्रजन	110	800
फास्फेटयुक्त उर्वरक	हजार टन पी$_2$ ओ$_5$	55	400
गन्धक-अम्ल	हजार टन	363	1,500
कास्टिक सोडा	हजार टन	100	340
सीमेंट	लाख टन	85	130
पेट्रोल के उत्पादन	लाख टन	57	99
मशीनी औजार (वर्गीकृत)	मूल्य लाख रुपयों में	550	3,000
बाल और रोलर बियरिंग	लाख (संख्या)	29	140
सूती वस्त्र (मिल का बना)	करोड़ गज	512 7	580
चीनी*	लाख टन	30	35
कागज और गत्ता	हजार टन	350	700
बाइसिकिलें (केवल संगठित क्षेत्र)	हजार (संख्या)	1,050	2,000
सिलाई की मशीनें (केवल संगठित क्षेत्र)	हजार (संख्या)	297	700
मोटरगाड़ियां	हजार (संख्या)	53 5	100

खनिज पदार्थ

25 तीसरी योजना में उद्योगों के विस्तार पर अधिक जोर दिए जाने के कारण खनिज पदार्थों के विकास का एक सघन कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। कुछ खनिज पदार्थ ऐसे भी हैं, जिनकी विदेशों में अच्छी खपत है और विदेशी मुद्रा-अर्जन के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। बिजली, रेलवे, इस्पात, सीमेंट तथा कुछ अन्य ऐसे उद्योगों के कार्यक्रम को देखते हुए, जिनमें कोयले की बड़ी खपत होती है, तीसरी योजना में कोयले का उत्पादन-लक्ष्य 970 लाख टन रखा गया है। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए कोयला-उत्पादन का लक्ष्य 600 लाख टन रखा गया था। अब उसमें 370 लाख टन की वृद्धि करके उत्पादन के इस लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त 370 लाख टन में से 200 लाख टन सरकारी क्षेत्र

*फसल-वर्ष, नवम्बर-अक्तूबर से सम्बद्ध

से और 170 लाख टन निजी क्षेत्र से आएगा। इस्पात और कच्चे लोहे के लिए प्रस्तावित लक्ष्यो को पूरा करने के हेतु करीब 2 करोड टन खनिज लोहे की आवश्यकता पडने का अनुमान है। निर्यात के लिए 1 करोड टन खनिज लोहे की आवश्यकता पडेगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में खनिज लोहे की उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य 3 करोड 20 लाख टन निश्चित किया गया है। बिजली के काम आनेवाले तावे के वार्षिक 11,500 टन उत्पादन के लिए नई तावा-खानो की खोज और खुदाई की व्यवस्था की गई है। बिहार में पाइराइट की खानो की खोज, मध्यप्रदेश में हीरे की खानो के विकास, यूरेनियम काटने और उसके विधायन तथा मैंगनीज, वाक्साइट, जिप्सम और चूने के पत्थर की खानो की सघन खोज के लिए भी इस योजना में व्यवस्था है।

26 देश में खनिज तेल-साधनो की खोज और निकासी के काम को ऊची प्राथमिकता दी गई है। तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग अव वडे पैमाने पर काम करेगा, ताकि नए सुरक्षित भाडारो का पता लगे और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था हो। खोदने का काम देश के अधिकाश आशापूर्ण तलछटवाले क्षेत्रो में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार की ओर से विदेशी कम्पनियो को तेल की इस खोज में परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया गया है। आशा है कि असम-आयल-कम्पनी और भारत-सरकार का सयुक्त उद्यम 'आयल इण्डिया' वार्षिक 27 5 लाख टन कच्चा तेल का उत्पादन करने लगेगा। सन् 1962 में पहली बार सरकार उत्पादक के रूप में तेल-शोधन के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। नूनमती और बरौनी के तेल-शोधन-केन्द्रो और गुजरात के परियोजित तेल-शोधन-केन्द्र के पूरा हो जाने पर स्वदेशी तेल-शोध-क्षमता में सरकार का हिस्सा 47 प्रतिशत हो जाएगा।

ग्राम और लघु उद्योग

27 बडे उद्योगो के साथ-साथ, ग्राम और लघु उद्योगो का भी विकास किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर मिलें और उपभोक्ता-सामान तथा कुछ उत्पादक सामान के उत्पादन में वृद्धि हो। लघु उद्योगो के क्षेत्र में पहले ही काफी प्रगति की जा चुकी है। लघु उद्योग आधुनिक टेक्नोलाजी और बिजली के उपयोग के लाभो को बढे हुए रोजगार के अवसरो और छोटे व्यवसायियो तथा सहकारी समितियो के लिए अधिक अवसरो के लाभो को परस्पर जोडते है। तीसरी योजना में इन उद्योगो की ओर तेज प्रगति होने और कस्वो तथा ग्रामीण क्षेत्रो में इनके वडी मात्रा में फैलने की आशा है। ग्राम और लघु उद्योगो के कार्यक्रमो के लिए सरकारी क्षेत्र में कुल 264 करोड रु० रखे गए है, जबकि दूसरी योजना में इस मद में करीब 175 करोड रु० खर्च किए गए थे। कुछ अन्य कार्यक्रमो — जैसे, सामुदायिक विकास, विस्थापितो का पुनर्वास, सामाजिक कल्याण और पिछडे वर्गो का कल्याण—से भी अतिरिक्त राशिया उपलब्ध होगी। निजी क्षेत्र में पूजी-विनियोग का अनुमान लगभग 275 करोड रु० है। छोटे उद्योगपतियो को वैको से ऋण लेने के लिए सरकारी गारण्टी देने का भी प्रस्ताव है। दूसरी योजना की अवधि में, जहा करीब 120 औद्योगिक बस्तियो की स्थापना के लिए अनुमति दी गई थी, वहा तीसरी योजना की अवधि में 300 नई औद्योगिक बस्तिया स्थापित की जाएगी। कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रो में जहा बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाए सुलभ है या निकट भविष्य में हो जाएगी, वहा ग्रामीण औद्योगिक बस्तिया, भी स्थापित की

जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग-आयोग कुछ चुनी हुई ग्राम-इकाइयों में सगठित ग्रामीण विकास की ओर विशेष ध्यान देगा। ऐसी 3,000 ग्राम-इकाइया तीसरी योजना की अवधि में शुरू की जाएगी। हथकरघे, बिजली के करघे और खादी-उद्योगों-द्वारा कपडे का उत्पादन सन् 1960-61 के 235 करोड गज से बढ कर 1965-66 में 350 करोड गज हो जाने की आशा है। इसी तरह, कच्चा रेशम का उत्पादन 36 लाख पौंड से बढ कर 50 लाख पौंड हो जाएगा। नारियल-जटा और हस्तशिल्पों के कार्यक्रम भी सगठित और विस्तृत किए जाएगे।

बिजली

28 बडे तथा लघु, दोनो तरह के उद्योगो के विकास के लिए, बिजली बहुत जरूरी है। इसलिए तीसरी योजना में बिजली-उत्पादन को ऊची प्राथमिकता दी गई है। बिजली के विकास का कार्यक्रम—सरकारी और निजी, दोनो क्षेत्र मिलाकर—कुल 1,089 करोड रु० का है। तीसरी योजना के अन्त तक बिजली की उत्पादन-क्षमता—उन योजनाओं-सहित, जो पहले से चालू है, जिनका निर्माण हो रहा है और जिनकी जाच की जा रही है—134 लाख किलोवाट तक बढ जाने की आशा है। इसमें से 127 लाख किलोवाट बिजली व्यावसायिक उपयोग में आएगी, जबकि दूसरी योजना के अन्त में कुल 57 लाख किलोवाट बिजली इस काम में आती थी। अनुमान है कि 4,500 करोड किलोवाट-घटा बिजली सन् 1965-66 में पैदा होने लगेगी, जबकि सन् 1960-61 में 1,985 करोड किलोवाट-घटा बिजली तैयार होती थी। सचरण-पथ का विस्तार सन् 1960-61 के 84,000 सर्किट-मील से बढा कर सन् 1965-66 में 1,50,000 सर्किट-मील में किया जाएगा। बिजलीवाले कस्बो और गावो की सख्या सन् 1960-61 के 23,000 से बढा कर सन् 1965-66 में 43,000 की जाएगी। आशा की जाती है कि अमली तौर पर 5,000 या इससे अधिक आबादीवाले सभी कस्बो और गावो तथा 2,000 से 5,000 के बीच की आबादीवाले आधे कस्बो और गावो को बिजली प्राप्त हो जाएगी। 3 लाख किलोवाट क्षमता का एक न्यूक्लिक शक्ति-केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा, जो तीसरी योजना की अवधि में 1 5 लाख किलोवाट बिजली और शेष चौथी योजना के पहले वर्ष में उपलब्ध करेगा। परन्तु स्थापित उत्पादन-क्षमता का एक बडा हिस्सा 74 लाख किलोवाट तापीय सयन्त्रो से प्राप्त होगा और 51 लाख किलोवाट पनबिजली-सयन्त्रो से।

परिवहन और संचार-साधन

29 पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने यह अच्छी तरह बता दिया है कि आर्थिक विकास में परिवहन और संचार-साधनो का कितना अधिक महत्व है। इस शीर्षक के अन्तर्गत जो कार्यक्रम है, उनकी कुल लागत 1,655 करोड रु० आएगी, जबकि फिलहाल वित्तीय व्यवस्था 1,486 करोड रु० की ही है। यद्यपि पहली दो योजनाओ में इस क्षेत्र में बहुत-सारा पूजी-विनियोग किया गया था, तथापि तीसरी योजना में इसके भावी विकास के लिए एक ठोस कार्यक्रम रखा गया है। रेलवे के विकास का कार्यक्रम सन् 1960-61 में माल-यातायात के परिमाण, 1,540 लाख टन, के सन् 1965-66 में बढकर 2,450 लाख टन हो जाने के अनुमान पर आधारित है। माल-यातायात में इस अतिरिक्त वृद्धि के लगभग 90 प्रतिशत भाग का श्रेय लोहा और इस्पात, खनिज पदार्थों, कोयला, सीमेंट और

रेलवे-सामग्रियो के यातायात को प्राप्त होने की आशा है। 1,200 मील लम्बी नई रेल-लाइनें बिछाने, 1,600 मील लम्बी इकहरी लाइनो को दोहरा करने, डीजल और बिजली के इंजिन तैयार करने और कुछ अन्य वस्तुओ के लिए, जिनका अभी तक आयात हो रहा है, योजना मे व्यवस्था की गई है। सडक के कार्यक्रम में 25,000 मील लम्बी पक्की सडके बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, मौजूदा सडको का सुधार करने, जैसे पुल बनाना, टूटे हुए हिस्सो को जोडना और सडको की दशा सुधारना, के लिए भी व्यवस्था की गई है। सडक-परिवहन का काम, अधिकाशत निजी क्षेत्र में होगा। आशा है कि व्यावसायिक गाडियो की सख्या सन् 1960-61 के 2 1 लाख से बढ कर सन् 1965-66 में 3 65 लाख हो जाएगी। सडक-द्वारा माल-यातायात की मात्रा में अगले पाच वर्षो में 120 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। योजना में बडे और छोटे बन्दरगाहो के विकास और जहाजरानी, अन्तर्देशीय जल-परिवहन, असैनिक हवाई परिवहन, डाक और तार तथा प्रसारण-सेवाओ के विस्तार के कार्यक्रम भी शामिल किए गए है। परिवहन और सचार-साधनो के क्षेत्र में, तीसरी योजना के अन्तर्गत, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य स्थिर किए गए हैं, उनकी एक झाकी निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है .

तालिका-संख्या 8

परिवहन और संचार-साधन

मद	इकाई	1960-61	1965-66
रेलवे :			
नई लाइनें	मील	800*	1,200*
नई दोहरी लाइनें	मील	1,300*	1,600*
माल ले जाया गया	लाख टन	1,540	2,450
सडकें और सड़क-परिवहन :			
राष्ट्रीय राजपथ-सहित पक्की सडकें	हजार मील	144	169
चालू गाडियां :			
व्यावसायिक गाडिया	हजार (सख्या)	210	365
यात्री गाडिया	हजार (सख्या)	50	80
माल ढोनेवाली गाडिया	हजार (सख्या)	160	285
जहाजरानी :			
टन-भार	लाख ग्रौस रजिस्टर्ड टन	9	10 9
बन्दरगाह :			
बडे बन्दरगाह—क्षमता	लाख टन	370	490
सचार-साधन :			
डाकघर	हजार (सख्या)	77	94
तारघर	हजार (सख्या)	6 5	8 5
टेलीफोन	हजार (सख्या)	460	660

*उल्लिखित वर्ष म समाप्त होनेवाली पाच वर्ष की अवधि से सम्बद्ध

सामाजिक सेवाएं

30 वैज्ञानिक अनुसन्धान वैज्ञानिक अनुसन्धान को, विशेषत उद्योगो और कृषि के विकास पर गहरा प्रभाव डालनेवाले वैज्ञानिक अनुसन्धान को, सबल किया जाएगा। पेट्रोलियम-टेक्नोलाजी-जैसे क्षेत्रो में अनुसन्धान करने और वैज्ञानिक उपकरणो का विकास तथा उत्पादन करने के लिए नई सस्थाए स्थापित की जाएगी। तीसरी योजना की अवधि में उद्योगो और कृषि की बेकार जानेवाली चीजो के उपयोग और उन्हें ठिकाने लगाने की समस्याओ पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयो और तकनीकी सस्थानो में बुनियादी अनुसन्धान की सुविधाए बढाने की भी व्यवस्था की जाएगी। बिजली-उत्पादन के लिए न्यैष्टिक शक्ति के उपयोग और कृषि, जीव-विज्ञान, उद्योग तथा चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में आइसोटोपो के उपयोग की दिशा में जो अमूल्य काम किया गया है, उसे और भी विस्तृत तथा सुदृढ किया जाएगा। आशा की जाती है कि परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान के इलेक्ट्रोनिक्स-विभाग का उत्पादन-अनुभाग तीसरी योजना की अवधि में 8 करोड रु० मूल्य के उपकरण तैयार करेगा। भारतीय परिस्थितियो और यहा उपलब्ध सामग्रियो के अनुकूल प्रोटोटाइप न्यैष्टिक शक्ति-केन्द्रो का डिजाइन तैयार करने और उनका विकास करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि चौथी योजना की अवधि में देश को न्यैष्टिक शक्ति-केन्द्रो के डिजाइन तैयार करने और उनके निर्माण के मामले में विदेशो से परामर्श लेने की बिल्कुल ही जरूरत न पडे। चूकि उच्च किस्म के थोरियम का ससार का सबसे बडा भाडार भारत में है, इसलिए अनुसन्धान और विकास का काम इस दीर्घावधि-उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए कि बिजली के रूप में प्रयुक्त होने-योग्य विकास थोरियम का करना है।

31 तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा का देश के औद्योगिक और कृषि-विकास के कार्यक्रम से बहुत गहरा सम्बन्ध है। यह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना के लिए कुल 1,51,000 और चौथी योजना के लिए 2,00,000 प्रशिक्षित इजीनियरो की आवश्यकता होगी। तीसरी योजना में इजीनियरी से सम्बद्ध धन्धो के लिए करीब 8,10,000 कुशल कर्मचारियो की और गैर-इजीनियरी धन्धो के लिए करीब 4,60,000 कुशल कर्मचारियो की जरूरत होगी। चौथी योजना की अवधि में यह जरूरत बहुत ज्यादा होगी। इस माग को पूरा करने के ख्याल से इजीनियरी कालेजो की प्रवेश-क्षमता को 13,860 से बढा कर 19,140 किया जाएगा और पालिटेक्निको की सख्या 25,570 से बढ़ा कर 37,390 की जाएगी। इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की अशकालीन और पत्र-व्यवहार-द्वारा पढाई भी शुरू की जाएगी। शिल्पियो के लिए प्रशिक्षण-सस्थाओ की सख्या भी सन् 1965-66 तक बढा कर 318 कर दी जाएगी और रोजगार में लगे औद्योगिक कर्मचारियो के लिए कारखाना के भीतर और सायकालीन कक्षाएं चलाई जाएगी। कुशल कर्मचारियों और शिल्पियो के लिए पर्याप्त सख्या में शिक्षको का प्रबन्ध करने के लिए तीन मौजूदा केन्द्रीय प्रशिक्षण-सस्थाओ की शक्ति दुगुनी कर दी जाएगी और तीन नई सस्थाए कायम की जाएगी। इन सस्थाओ से प्रशिक्षण लेकर निकलनेवाले शिक्षको की सख्या करीब 8,000 तक हो जाने की आशा है। कृषि-कालेजो की प्रवेश-क्षमता 4,600 से बढा कर 6,200 और पशु-चिकित्सा-कालेजो की प्रवेश-क्षमता 1,300 से बढ़ा कर 1,460 की जाएगी।

ऊपर उल्लिखित इजीनियरी और तकनीकी कर्मचारियो के अतिरिक्त जिन अन्य श्रेणियो के कर्मचारियो की बडी सख्या में आवश्यकता है, उनमें शामिल है वैज्ञानिक, शिक्षक, सख्या-शास्त्री, प्रशासक, प्रबन्धक और सामुदायिक विकास एव सहकारिता के लिए तथा सामाजिक कल्याण और पिछडे वर्गो के कार्यक्रमो के लिए कर्मचारी-मण्डल । सभी वर्गो के शिक्षको के लिए, विशेषत विज्ञान के शिक्षको के लिए, दूसरी योजना की अवधि में जहा कमी अनुभव की गई थी, वहा अब अधिक प्रशिक्षण-सुविधाए रखी गई है । तीसरी योजना में करीब 59,000 अतिरिक्त कर्मचारियो को खण्ड-विकास-अधिकारी, कृषि, पशुपालन, उद्योग, सहकारिता और पचायतो के विस्तार-अधिकारी, ओवरसियर, सामाजिक शिक्षा-सगठनकर्ता, ग्राम-सेवक और ग्राम-सेविका के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा । सहकारिता के क्षेत्र मे वरिष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ श्रेणियो के कर्मचारियो की अतिरिक्त आवश्यकता 14,000 के आस-पास होगी । महिलाओं, बच्चो और अपग व्यक्तियो के लिए विविध कल्याण-कार्यक्रमो को अजाम देने के हेतु करीब 3,000 कार्यकर्ताओ और निरीक्षको की आवश्यकता होगी । सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करनेवाली स्वैच्छिक सस्थाओ को करीब 5,000 प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकता होगी । पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए खण्ड-विकास-अधिकारियो, विस्तार-अधिकारियो, ग्राम-सेवको, चिकित्सा-कर्मचारियो और अन्य कार्यकर्ताओ की 14,000 से भी अधिक सख्या में आवश्यकता होगी । तीसरी और चौथी योजनाओ में सख्या-शास्त्रियो की बडी सख्या में आवश्यकता होगी और उन्हें विश्वविद्यालयो तथा अन्य विशिष्ट सस्थाओ—जैसे, भारतीय अक-सकलन-सस्थान और कृषि-अनुसन्धान एव अक-सकलन-सस्थान—में प्रशिक्षित किया जाएगा । औद्योगिक सस्थाओ के लिए भी प्रशासकीय और प्रबन्धीय कर्मचारियो की बडी सख्या में आवश्यकता होगी तथा उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाए दूसरी योजना की अवधि में स्थापित सस्थाओ, कलकत्ता एव अहमदाबाद में स्थापित होनेवाली नई सस्थाओ और बम्बई के औद्योगिक इजीनियरी-प्रशिक्षण-सस्थान मे उपलब्ध की जाएगी ।

32 **सामान्य शिक्षा** तीसरी योजना में यो तो सभी स्तरो पर शिक्षा-सुविधाओ के विस्तार की बात सोची गई है, पर इसकी एक विशिष्ट बात है, 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चो के लिए सारे देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था । कुछ पिछडे हुए इलाको मे लडकियो की शिक्षा की मन्द गति को स्वीकार करते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि इस अवधि में शिक्षा प्राप्त करनेवाले बच्चो की सख्या में इस प्रकार वृद्धि होगी—6–11 वय-वर्ग 61 1 प्रतिशत से बढकर 76 4 प्रतिशत, 11–14 वय-वर्ग 22 8 प्रतिशत से बढ कर 28 6 प्रतिशत, और 14–17 वय-वर्ग 11 5 प्रतिशत से बढ कर 15 6 प्रतिशत । विद्यालयो में पढ रहे छात्रो की कुल सख्या सन् 1960-61 के 4 35 करोड से बढकर सन् 1965-66 में 6 39 करोड हो जाएगी । तीसरी योजना में अनुमानत 5 51 लाख शिक्षको की आवश्यकता होगी । इसलिए शिक्षको को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का काफी विस्तार किया जाएगा । विश्वविद्यालयो में छात्रो की सख्या सन् 1960-61 के 9 लाख से बढ कर सन् 1965-66 में 13 लाख हो जाने की आशा है । तीसरी योजना में एक बडा काम वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने का है जिसका लक्ष्य यह होगा कि समस्त छात्रो में विज्ञान के छात्रों का अनुपात करीब 43 प्रतिशत हो जाए । विभिन्न क्षेत्रो मे विज्ञान-शिक्षित लोगो की

माग निरन्तर बढ रही है, उदाहरण के लिए, विद्यालयो मे विज्ञान के शिक्षक चाहिए, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी संस्थाओ के लिए विज्ञान के शिक्षा-प्राप्त छात्र चाहिए, और उद्योगो में वैज्ञानिक कर्मचारी चाहिए। अत विज्ञान की शिक्षा का प्रसार आवश्यक है।

33 तीसरी योजना की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होगी—बड़ी संख्या में छात्र-वृत्तियो की व्यवस्था, जिससे प्रतिभाशाली युवा छात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और कालेजो में अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इस मद के अन्तर्गत अभी छात्रवृत्तियों के लिए जितने धन की व्यवस्था है, तीसरी योजना में उसमें 10 करोड रु० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

34 स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन स्वास्थ्य-सेवाओ के क्षेत्र में, तीसरी योजना का उद्देश्य वर्तमान कार्यक्रमो का विस्तार करना है। इन कार्यक्रमो का सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रो के आस-पास की सफाई, छूत की बीमारियो का नियन्त्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाओ (प्रसूति-शिशु-कल्याण, स्वास्थ्य-शिक्षा और पुष्टिकर भोजन-सहित) की व्यवस्था, परिवार-आयोजन, और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-कर्मचारियो के प्रशिक्षण से है। मलेरिया-उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा कर दिया जाएगा और चेचक तथा क्षय-रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू किया जाएगा। विशेष रोगाक्रान्त क्षेत्रो में हैजे के नियन्त्रण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। तीसरी योजना की अवधि में प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो की सख्या 2,800 से बढ कर 5,000 और अस्पतालो में शय्याओ की सख्या 1,85,600 से बढा कर 2,40,100 की जाएगी। प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरो की सख्या 70,000 से बढ कर 81,000 और नर्सों की सख्या 27,000 से बढ कर 45,000 हो जाने की आशा है। इस योजना में शामिल अन्य महत्वपूर्ण योजनाओ का सम्बन्ध देशी चिकित्सा-पद्धतियो के विकास, स्वास्थ्य-शिक्षा, स्वास्थ्य-बीमा, विद्यालय-स्वास्थ्य-सेवा, प्रसूति एव शिशु-कल्याण तथा पौष्टिक भोजन से है।

35 आबादी में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण, तीसरी योजना में परिवार-आयोजन-कार्यक्रमो को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यक्रमो में इन बातो की व्यवस्था की गई है (क) परिवार-आयोजन के लिए शिक्षा और प्रेरणा, (ख) सेवाओ की व्यवस्था, (ग) प्रशिक्षण, (घ) आपूर्ति, और (ङ) अनुसन्धान। यह निश्चय किया गया है कि इस विषय का ठीक प्रकार से ज्ञान फैलाने और परिवार-आयोजन को सफल बनाने में गैर-सरकारी सस्थाओ का पूरा-पूरा सहयोग लिया जाए। परिवार-आयोजन-विषयक गतिविधियो को सामान्य स्वास्थ्य-सेवाओ के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा और परिवार-आयोजन-सेवाओ की—जिनमें वन्ध्याकरण की सुविधाएं भी शामिल हैं—चिकित्सा और स्वास्थ्य-केन्द्रो के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। परिवार-आयोजन-केन्द्रों की सख्या 1,649 से बढ कर 8,200 हो जाएगी।

36 ग्रामीण जल-आपूर्ति और स्थानीय विकास-कार्य तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में कहा गया था कि स्थानीय विकास के कार्यक्रमो में ग्रामीण क्षेत्रो के लिए ये तीन मुख्य सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए (क) पीने के पानी की व्यवस्था, (ख) प्रत्येक गाव को सबसे निकटस्थ मुख्य सडक अथवा रेलवे-स्टेशन से जोडनेवाली सडको का निर्माण, और (ग) ग्रामीण विद्यालय-भवनो की व्यवस्था, जो सामुदायिक केन्द्र और ग्राम-पुस्तकालय का भी काम दे सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गावो

में पीने के पानी की सन्तोषजनक व्यवस्था करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह विचार किया गया है कि ग्रामीण जल-आपूर्ति-के कार्यक्रम पर समस्त प्रयत्नो को केन्द्रित किया जाए। अन्य ग्रामीण सुविधाओ की व्यवस्था सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो और जन-शक्ति के पूर्णतर उपयोग के लिए शुरू किए जानेवाले ग्रामीण कार्यक्रमो-द्वारा की जाए।

तीसरी योजना का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जहा तक सम्भव हो सके, इस योजना के अन्त तक अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था अधिकाश ग्रामो में हो जाए। यह बात ज्ञात है कि इस लक्ष्य को पूरा करना आसान नही है और इसके लिए इस कार्यक्रम को पूरा करने में सलग्न सभी सस्थाओ को सघन प्रयत्न करना होगा तथा उनके बीच प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना होगा। ग्रामीण जल-आपूर्ति की समस्या का सर्वेक्षण कई राज्यो में किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणो के आधार पर और विभिन्न क्षेत्रो में व्याप्त अवस्थाओ का उचित ध्यान रखते हुए, ग्राम जल-आपूर्ति के कार्यक्रम के लिए जो साधन रखे गए है, उनका इस्तेमाल (क) पिछडे हुए इलाको में, (ख) सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत न आनेवाले क्षेत्रो में, (ग) पूर्व-विस्तार-खण्डो में, और (घ) उन खण्डो में करने का इरादा है, जो सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के पहले और दूसरे सोपान को पार कर चुके है।

37 तीसरी योजना में द्रुत गति से बढनेवाली शहरी आबादी के लिए भी पर्याप्त जल-आपूर्ति का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी योजना में अनुमानत 112 करोड रु० की लागत की लगभग 664 जल-आपूर्ति एव जल-निकासी से सम्बन्धित योजनाओ को हाथ मे लिया गया था। इनमें से जो योजनाए अभी तक पूरी नही हुई है, वे पूरी की जाएगी और आगामी पाच वर्षों में कुछ नई शहरी योजनाए शुरू की जाएगी।

38 आवास: आबादी के बढने और शहरो की ओर लोगो का झुकाव होने के कारण आवास की समस्या पहले से ही बडी गम्भीर है तथा भविष्य में इसके और भी गम्भीर होने की आशका है। स्पष्टत इस समस्या का हल केवल सरकारी पूजी-विनियोग से सम्भव नही है, यद्यपि कुछ सीमा तक सरकारी पूजी-विनियोग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तीसरी योजना में उन उपायो का काफी विस्तार किया जाएगा, जिन्हें पहली दोनो योजनाओ के काल में अपनाया गया था। इसके साथ ही, यह योजना सरकार-द्वारा इस मद में किए गए पूजी-विनियोग की उद्योगो के लिए स्थान चुनने और उन्हें फैला कर कायम करने के बारे में उचित नीतियो का अवलम्बन करके, महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रो की 'मास्टर योजना' तैयार करके और सरकारी तथा निजी, दोनो प्रकार के विभिन्न सस्थानो-द्वारा किए जा रहे प्रयत्नो का अधिक प्रभावपूर्ण ढग से समन्वय करके अनुपूर्ति करेगी। इसमें यह प्रस्ताव भी शामिल है कि केन्द्र में और राज्यो में आवास-मण्डल कायम किए जाए, ताकि कम और मध्यम आय के अधिकाश लोग स्वय अपने मकान बनवाने में समर्थ हो सकें। औद्योगिक श्रमिको और कम आयवालो के आवास, गन्दी बस्तियो की सफाई और उनका सुधार तथा भूमि प्राप्त करके उसका विकास करने के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता बढा दी जाएगी। कई शहरो में नगर-आयोजन और नगर-विकास के तरीको को हाथ में लिया जाएगा। कलकत्ता की कुछ अनिवार्य आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए, जिनके कारण देश के पूर्वी क्षेत्र में एक विशेष समस्या उत्पन्न हो गई है, केन्द्रीय योजना में तो 10 करोड़ रु० की व्यवस्था की ही गई

है, पश्चिम-बंगाल की योजना में भी 10 करोड़ रु० रखे गए हैं । दूसरी योजना में ग्रामीण आवास का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका सम्बन्ध सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के साथ और भी गहरा कर दिया जाएगा और ईंटों के भट्ठे लगाने, इमारती सामान बनाने, नए मकान बनाने के लिए क्षेत्रों का विस्तार करने और खेतिहर श्रमिकों की आवास-व्यवस्थाओं में सुधार करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा ।

39 **सामाजिक कल्याण :** सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो विविध कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, उनमें सबसे ऊंची प्राथमिकता शिशु-कल्याण-सेवाओं को दी गई है । यह निश्चय किया गया है कि समस्त कल्याण-कार्यक्रमों का स्पष्ट झुकाव शिशु-कल्याण की ओर होना चाहिए । इन कार्यक्रमों की एक विशिष्ट बात यह है कि रोगों का इलाज करने की अपेक्षा उनके निरोध पर अधिक बल देने का प्रस्ताव रखा गया है और तदनुसार न केवल अपंग बच्चों के मामले में ही, बल्कि सभी बच्चों के लिए शिशु-स्वास्थ्य-सेवा का संगठन किया जाएगा । क्षेत्रीय स्तर पर, बिखरी हुई सेवाओं को संगठित किया जाएगा । बच्चों में अपराध-वृत्तियों को रोकने के लिए राज्य-सरकारों को संस्थाएं स्थापित करने में सहायता दी जाएगी । बच्चों का भिक्षावृत्ति के लिए उपयोग करने के रिवाज का कठोरता से मुकाबला किया जाएगा । भिक्षावृत्ति रोकने के कार्यक्रम में सबसे अधिक जोर बच्चों-द्वारा भीख मंगवाना रोकने पर दिया जाएगा । आरम्भ में यह कार्यक्रम बड़े शहरों, तीर्थस्थानों और पर्यटन-केन्द्रों में कार्यान्वित किया जाएगा । महिलाओं के लाभ के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में महिला-मण्डलों (स्थानीय स्वैच्छिक महिला-संस्थाओं) को पुष्ट करने पर विशेष जोर दिया जाएगा । पिछड़े हुए वर्गों के लिए दूसरी योजना में जो उपाय हाथ में लिए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा । लगभग 300 विशेष विकास-खण्ड परिगणित जातियों के लिए बनाए जाएंगे और वन-सहकारिता-संस्थाओं के कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा । पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर, विशेषतः उन्हें आबाद करने के लिए दण्डकारण्य के विकास पर, पूरा-पूरा ध्यान दिया जाएगा ।

40 वैज्ञानिक अनुसन्धान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक कल्याण, इत्यादि कार्यक्रमों के लिए सामान्य शीर्षक 'सामाजिक सेवाएं और विविध' के अन्तर्गत कुल 1,526 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी । इसके मुकाबले में, अभी वित्तीय व्यवस्था केवल 1,300 करोड़ रु० की हो सकी है । योजना को कार्यान्वित करते समय इस कमी को पूरा करने की हर कोशिश की जाएगी ।

रोजगार

41 तीसरी योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनसे 140 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की आशा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आबादी में तीव्र वृद्धि होने के कारण तीसरी योजना के अन्तर्गत श्रमिक-वर्ग में नए-नए प्रवेश करनेवालों की संख्या 170 लाख तक होगी, यह बात खास जरूरी है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं । यह काम कुछ अंश तक, ग्राम और लघु उद्योगों तथा कृषि के विस्तार से पूरा हो सकेगा । इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विशेष कार्य-योजनाएं संगठित की जाएं । अपने वर्तमान प्रारम्भिक स्वरूप के अनुसार यह कार्यक्रम तीसरी योजना के पहले वर्ष में औसतन एक लाख लोगों को एक वर्ष में 100 दिन का काम दे सकेगा । आगे चलकर, योजना के अन्तिम वर्ष में, इस कार्यक्रम

से 25 लाख लोगो को काम मिल सकेगा। पाच वर्ष की अवधि मे इस कार्यक्रम पर कुल खर्च करीब 150 करोड रु० का बैठेगा।

42 योजना के विभिन्न कार्यक्रमो मे जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सस्थाओ के जरिए विशेष प्रयत्न किया जाएगा। इन सस्थाओ को इस बात के लिए उत्साहित करना होगा कि वे केवल सामाजिक कल्याण पर जोर देने के स्थान पर निर्माण-कार्य-जैसी सामाजिक-आर्थिक गतिविधियो पर जोर दे। लोककार्य-क्षेत्र-कार्यक्रम के जरिए इन सस्थाओ को इस बात के लिए सुविधाए दी जाएगी कि वे ग्रामीण क्षेत्रो मे कल्याणमूलक और उत्पादनमूलक, दोनो प्रकार के कार्यक्रमो में प्रभावशाली ढग से हिस्सा ले सकें।

43 देश की आवश्यकताओ को दृष्टि में रखते हुए, तीसरी योजना मे शामिल किए गए लक्ष्य किसी भी प्रकार ऊचे नही है, बल्कि निश्चित रूप से अपर्याप्त हैं। इसलिए इस बात की बडी आवश्यकता है कि उपलब्ध साधनो का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करके, अतिरिक्त साधनो की खोज करके और कार्यकुशलता बढा कर इन लक्ष्यो को प्राप्त किया जाए। तीसरी योजना को कार्यान्वित करते समय केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारें इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहेगी और इस क्रम में परियोजनाओ के विशुद्ध सन्तुलन और सोपानीकरण तथा खर्च पर पूरा-पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी। यह सम्भव है कि पूरे प्रयत्न के बावजूद कुछ परियोजनाए चौथी योजना में चली जाए, पर इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि ऐसी परियोजनाए, जो राष्ट्रीय आय के निश्चित लक्ष्य तक पहुचने के लिए आवश्यक है और अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रो के लिए आवश्यक है, जिन्हें सुदृढ करने से अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और आत्मचालित होगी, उन्हें अवश्य ही समय पर पूरा कर दिया जाए।

राष्ट्रीय आय

44 यह अनुमान लगाया गया है कि योजना में शामिल किए गए सभी कार्यक्रम यदि समय पर पूरे हो जाए, तो राष्ट्रीय आय मे (सन् 1960-61 की कीमतो के आधार पर) करीब 34 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो का विशुद्ध उत्पादन करीब 25 प्रतिशत बढ जाएगा, खानो और कारखानो का उत्पादन करीब 82 प्रतिशत बढेगा और अन्य क्षेत्रो का उत्पादन करीब 32 प्रतिशत बढेगा। कृषि, खानो और कारखानो-सम्बन्धी ये अनुमान अधिकतर योजना में निश्चित उत्पादन के लक्ष्यो पर आधारित है। परन्तु अन्य क्षेत्रो के मामले में अप्रत्यक्ष अनुमान लगा सकना ही सम्भव है और कई मामलो में मूलभूत तथ्य सर्वथा अपर्याप्त हैं। राष्ट्रीय आय में अनुमानित 34 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कई कठोर शर्तें पूरी करनी होगी। इनमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त का सम्बन्ध इस अवधि में किए जानेवाले कुल पूजी-विनियोग से है। जैसा कि इस अध्याय के अनुबन्ध 2 में सकेत किया गया है, तीसरी योजना में जो भौतिक कार्यक्रम शामिल किए गए है—विशेषत उद्योग और परिवहन के अन्तर्गत—उनके लिए योजना में अभी जितने वित्त और साधनो की व्यवस्था की गई है, उसमे कही अधिक पूजी-विनियोग की ज़रूरत पडेगी। साधनो के सग्रह में ज्यादा प्रयत्न करने से, जैसा कि निश्चित किया गया है, यह आशा की जाती है कि यह अभाव की खाई कम हो जाएगी और सम्भव है कि पूरी तरह पट भी जाए। फिर भी, मौजूदा अनुमान पर और पहले कही गई बातो

को दृष्टि में रखते हुए, यह समझा जाता है कि तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय कम-से-कम 30 प्रतिशत बढ़ेगी। यह राशि जो दूसरी योजना के अन्त में (सन् 1960-61 की कीमतों के आधार पर) 14,500 करोड़ रु० थी, तीसरी योजना के अन्त तक करीब 19,000 करोड़ रु० हो जाएगी। आबादी के वर्तमान अनुमानों के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय सन् 1960-61 के 330 रु० से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्त में करीब 385 रु० हो जाएगी।

अनुबन्ध 1

उत्पादन और विकास—प्रगति और लक्ष्य

शीर्षक	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61 (अनुमानित)	1965-66 (लक्ष्य)	1950-51 की अपेक्षा 1960-61 में हुई प्रतिशत वृद्धि	1960-61 की अपेक्षा 1965-66 में होने-वाली प्रति-शत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 कृषि और सामुदायिक विकास							
1.1 कृषि-उत्पादन							
खाद्यान्न	लाख टन	522(क)	658 (क)	760	1,000	16	32
कपास	लाख गांठें	29	40	51	70	76	37
गन्ना (गुड़)	लाख टन	56	60	80	100	43	25
तिलहन	लाख टन	51	56	71	98	39	38
पटसन	लाख गांठें	33	42	40	62(ख)	21	55

(क) खाद्यान्न के अनुमानों में सन् 1956-57 तक एकत्र किए गए आंकड़ों और आंकड़े एकत्र करने की विधि में परिवर्तन के अनुसार संशोधन कर दिया गया है।

(ख) इसमें मेस्ता शामिल नहीं है, जिससे तीसरी योजना की अवधि में 13 लाख अतिरिक्त गांठें मिल सकती हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
[illegible]	लाख गांठें	6,130	6,780	7,250	9,000	18	21
[illegible]	हजार टन	257	298	300	325	17	8
[illegible]	लाख टन	7	10	14	18	100	29
[illegible]	लाख टन	171	193	220	253	29	15
[illegible]	लाख पौंड	600	650	720	900	20	25
[illegible]							
[illegible]	लाख एकड़	515	562	700	900	36	29
[illegible] (क)	लाख एकड़	—	27	12	36	—	200
[illegible] (क)	लाख एकड़	—	7	20	110	—	450
[illegible]	हजार टन नाइट्रोजन	55	105	230	1,000	318	335
[illegible]	हजार टन पी$_2$ ओ$_5$	7	13	70	400	900	471
[illegible] (क)	संख्या	—	—	4,000	4,800	—	20
1.3 [illegible]							
[illegible]	संख्या	—	1,069	3,110	5,223	—	68
[illegible]	हजार (संख्या)	—	106	368	550	—	49
[illegible]	लाख (संख्या)	—	690	2,040	3,590	—	76
1.4 [illegible]							
[illegible] कृषि-ऋण-समितियां	हजार (संख्या)	105	160	210	230	100	10

दिए गए अल्प और मध्यमकालीन ऋण	करोड रु०	22 9	49.6	200	530	773	165
2. बिजली							
2 1 बिजली							
स्थापित क्षमता	लाख किलो-वाट	23 (घ)	34 (घ)	57	127	148	123
उत्पादित बिजली	करोड किलो-वाट घटे	657.5 (घ)	1,077.7 (घ)	1,985	4,500	202	127
2 2 बिजलीवाले गाव और कस्बे	हज़ार (सख्या)	3 7	7 4	23	43	523	87
3. खनिज पदार्थ							
खनिज लोहा	लाख टन	32	43	107	300	234	180
कोयला	लाख टन	323	384	546	970	69	76
4. बडे उद्योग							
4 1 धातु-शोधन-उद्योग							
इस्पात की सिल्लिया	लाख टन	14	17	35	92	150	163
तैयार इस्पात	लाख टन	10	13	22	68	120	209
कच्चा लोहा (बिक्री के लिए)	लाख टन	3 5	3 8	9	15	157	67
मिश्र धातु, औज़ार और विशेष इस्पात (तैयार)	हज़ार टन	—	—	40	200	—	400

(ग) पांच वर्ष की अवधि से सम्बद्ध

(घ) कैलेंडर-वर्ष से सम्बद्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. [illegible]	हजार टन	7.7	7.3	18.5	80	100	332
[illegible] ([illegible] और [illegible])	हजार टन	6.6	7.5	8.9	20	35	125
12. [illegible] और [illegible] उद्योग							
सीमेंट की मशीनें	मूल्य लाख रु० में	—	34 (घ)	60	450	—	650
चीनी की मशीनें	मूल्य लाख रु० में	—	19	330	1,000	—	203
औद्योगिक बॉयलर	मूल्य लाख रु० में	—	—	40	2,500	—	6,150
मशीनी औजार ([illegible])	मूल्य लाख रु० में	31	78	550	3,000	1,518	445
[illegible] और वैगन निर्माण	लाख (संख्या)	1	9	29	140 (ट)	2,800	383
तेल इंजन (डीजल)	हजार (संख्या)	5.5	10	40	66	627	65
ट्रैक्टर	संख्या	—	—	2,000	10,000	—	400
बिजली की मोटरें (200 अश्व-शक्ति और नीचे)	हजार अश्व-शक्ति	100	272	700	2,500 (च)	600	257

बिजली के ट्रांसफार्मर (33 किलोवाट और नीचे)	हजार किलोवाट	179	625	1,200	3,500	570	192
बिजली के तार (ए० सी० एस० आर०) कडक्टर	हजार टन	1.7	8.7	22	44	1,194	100
4.3 रेलवे-इंजिन							
वाष्पचालित	संख्या	7	179	295	1,175 (ग)	3,214	—
डीजलचालित	संख्या	—	—	—	434 (ग)	—	—
बिजलीचालित	संख्या	—	—	—	232 (ग)	—	—
4.4 रबर-उत्पादन							
मोटरगाड़ियों के टायर	लाख (संख्या)	—	9	13.5	~30	—	122
बाइसिकिलों के टायर	लाख (संख्या)	—	58	110	310	—	182

(ग) पांच वर्ष की अवधि से सम्बद्ध

(घ) कैलेंडर-वर्ष से सम्बद्ध

(ङ) तीन पालियों में पूरा काम करने से सम्बद्ध

(च) 300 अश्व-शक्ति और नीचे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9 रसायन							
नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक	हजार टन नाइट्रोजन	9	79	110	800	1,122	627
फास्फेटयुक्त उर्वरक	हजार टन पी₂ ओ₅	9	12	55	400	511	627
गन्धक का तेजाब	हजार टन	99	164	363	1,500	267	313
सोडा ऐश	हजार टन	45	81	145	450	222	210
कास्टिक सोडा	हजार टन	11	36	100	340	809	240
[illegible]	टन	—	83 (घ)	150	1,000	—	567
डी० डी० टी०	टन	—	284	2,800	2,800	—	—
रबड़	लाख पौंड	—	40	115	180	—	57
10 अन्य उद्योग							
सिलाई की मशीनें (केवल संगठित क्षेत्र)	हजार (संख्या)	33	111	297	700	800	136
बाइसिकिलें (केवल संगठित क्षेत्र)	हजार (संख्या)	101	513	1,050	2,000	940	90
मोटर-साइकिलें और स्कूटर	हजार (संख्या)	—	1.5	18	50	—	178
मोटरगाड़ियां	हजार (संख्या)	16.5	25 3	53 5	100	224	67

जहाजनिर्माण	हजार ग्रौस रजिस्टर्ड टन	—	50 (ग)	20	50–60	—	150–200
सूती वस्त्र (मिल के बने)	करोड गज	372	510 2	512 7	580	38	13
रेयन फिलामेंट	लाख पौंड	4	160	470	1,400	11,650	198
चीनी (छ)	लाख टन	11 2	18 6	30	35	168	17
इस्पात का इमारती सामान	हजार टन	—	90	150	1,000	—	567
सीमेंट	लाख टन	27	46	85	130	215	53
पेट्रोलियम के उत्पादन	लाख टन	—	36	57	99	—	74
कागज और गत्ता	हजार टन	114	187	350	700	207	100
प्लास्टिक	हजार टन	—	0 7	10	74	—	640
शीशा और शीशे का सामान	हजार टन	92	125	225	440	145	96
औद्योगिक गैसें-आक्सीजन	लाख सी० एफ० टी०	—	—	7,000	16,500	—	136
5 ग्राम और लघु उद्योग							
खादी परम्परागत.	लाख गज	73	289	480		558	
अम्बर	लाख गज	—	—	260	35,000	—	49
हथकरघा	लाख गज	7,420	14,710	19,000		1,560	
बिजली का करघा	लाख गज	1,480 (घ)	2,730 (घ)	3,750		1,530	
रेशम	लाख पौंड	25 (ज)	32 (घ)	36 (घ)	50	44	43

(ग) पाच वर्ष की अवधि से सम्बद्ध
(घ) कैलेंडर-वर्ष से सम्बद्ध
(छ) फसल-वर्ष, नवम्बर-अक्तूबर, से सम्बद्ध
(ज) कैलेंडर-वर्ष 1951 से सम्बद्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
परिवहन और संचार-साधन							
6.1 परिवहन-सेवाएं							
रेलवे माल ढोया गया	लाख टन	915	1,140	1,540	2,450	68	59
पक्की सड़कें राष्ट्रीय राजपथ-सहित	हजार मील	97.5	122	144	169	48	17
सड़क-परिवहन : चालू व्यावसायिक गाड़ियां	हजार (संख्या)	116	166	210	365	81	74
जहाजरानी	लाख ग्रोस रजिस्टर्ड टन	3.9	4 8	9	10.9	130	21
प्रमुख बन्दरगाह : माल चढ़ाने-उतारने की क्षमता	लाख टन	200	250	370	490	85	32
6 2 संचार-साधन							
डाकघर	हजार (संख्या)	36	55	77	94	114	22
तारघर	हजार (संख्या)	3.6	5.1	6 5	8.5	81	31
टेलीफोन	हजार (संख्या)	168	280	460	660	174	43
7. शिक्षा							
7.1 सामान्य शिक्षा विद्यालयों में छात्र	लाख (संख्या)	235	313	435	639	85	47

विद्यालय जानेवाले छात्रो का प्रतिशत विभिन्न वय-वर्गों में							
प्राथमिक-स्तर	6–11 वर्ष	42.6	52.9	61.1	76 4	79 (झ)	45(झ)
माध्यमिक-स्तर	11–14 वर्ष	12 7	16 5	22 8	28 6	102 (झ)	55(झ)
उच्चतर माध्यमिक-स्तर	14–17 वर्ष	5 3	7 8	11 5	15 6	139 (झ)	57(झ)
शिक्षण-सस्थाए							
प्राथमिक/जूनियर बुनियादी विद्यालय	हजार (सख्या)	209 7	278 4	342	415	63	21
माध्यमिक/सीनियर बुनियादी विद्यालय	हजार (सख्या)	13 6	21 7	39 6	57 7	191	46
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	हजार (सख्या)	7 3	10 8	16 6	21 8	128	31
बहुद्देश्यीय विद्यालय	हजार (सख्या)	—	0.3	2 1	2 4	—	14
7 2 तकनीकी शिक्षा							
इजीनियरी और टेक्नोलाजी							
डिग्री-स्तर (प्रवेश)	सख्या	4,120	5,890	13,858	19,137	236	38
डिप्लोमा-स्तर (प्रवेश)	सख्या	5,900	10,480	25,570	37,390	333	64
कृषि-कालेज (प्रवेश)	सख्या	1,060(ञ)	1,989	4,600	6,200	334	35
पशु-चिकित्सा-कालेज (प्रवेश)	सख्या	434	1,269	1,300	1,460	200	12

(झ) रजिस्टर में दर्ज सख्याओ के आधार पर

(ञ) सन् 1951-52 से सम्बद्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8. स्वास्थ्य							
8.1 संस्थाएं							
अस्पताल और औषधालय	हजार(संख्या)	8.6	10	12.6	14.6	47	16
अस्पताल—शय्याएं	हजार(संख्या)	113	125	186	240	65	29
प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयां	संख्या	—	725	2,800	5,000	—	79
परिवार-आयोजन-केन्द्र	संख्या	—	147	1,649	8,200	—	397
8.2 कर्मचारीगण							
मेडिकल कालेज (प्रवेश)	संख्या	2,500	3,500	5,800	8,000	132	38
डाक्टर	हजार(संख्या)	56	65	70	81	25	16
नर्सें(ट)	हजार(संख्या)	15	18.5	27	45	80	67
सहायक नर्स-मिडवाइफें और मिड-वाइफें(ट)	हजार(संख्या)	8	12.8	19.9	48.5	149	144
नर्स-दाइयां और दाइयां(ट)	हजार(संख्या)	1.8	6.4	11.5	40	539	248
स्वास्थ्य-सहायक और सफाई-निरीक्षक	हजार(संख्या)	3.5	4	6	19.2	71	220

(ट) प्रशिक्षित करते हुए अथवा सेवा करते हुए

अनुबन्ध 2

दूसरी योजना का व्यय और तीसरी योजना के भौतिक कार्यक्रमों की लागत—शीर्षकवार अनुमान

(लाख रु०)

विकास का शीर्षक	दूसरी योजना का अनुमानित व्यय					तीसरी योजना के कार्यक्रमों की अनुमानित लागत				
	राज्य	संघीय क्षेत्र	राज्य और संघीय क्षेत्र	केन्द्र	योग	राज्य	संघीय क्षेत्र	राज्य और संघीय क्षेत्र	केन्द्र	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कृषि-उत्पादन	8,367	268	8,635	1,075	9,810	18,351	598	18,949	3,658	22,607
छोटी सिंचाई	9,166	98	9,264	230	9,494	17,269	177	17,446	230	17,676
भूमि-संरक्षण	1,553	8	1,561	200	1,761	5,732	246	5,978	1,295	7,273
पशुपालन	1,869	73	1,942	200	2,142	4,592	172	4,764	680	5,444
दुग्ध-व्यवसाय और दुग्ध-आपूर्ति	958	3	961	244	1,205	3,086	24	3,110	498	3,608
जंगल	1,656	122	1,778	150	1,928	4,204	268	4,472	667	5,139
मछलीपालन	710	26	736	170	906	2,090	102	2,192	672	2,864
गोदाम, क्रय-विक्रय और भाण्डारण	310	18	328	170	498	843	10	853	3,300	4,153
(1) कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	21,589	616	25,205	2,439	27,644	56,167	1,597	57,764	11,000	68,764
सहकारिता	3,278	55	3,333	50	3,383	6,959	151	7,110	900	8,010
सामुदायिक विकास	18,711	463	19,207	200	19,407	28,189	578	28,767	600	29,367

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[illegible]	460	30	190	1,976 (क)	2,466	2,824	56	2,880	—	2,880
(2) सामुदायिक विकास और सहकारिता	22,182	548	23,030	2,226	25,256	37,972	785	38,757	1,500	40,257
सिंचाई	34,479	21	34,500	2,717	37,217	58,121	10	58,131	1,803	59,934
बाढ़-नियन्त्रण	(ख)	(ख)	(ख)	4,800	4,800	5,995	137	6,132	—	6,132
बिजली	41,882	914	42,796	1,753	44,549	88,315	2,345	90,660	11,312	1,01,972 (ग)
(3) सिंचाई और बिजली	76,361	935	77,296	9,270	86,566	1,52,431	2,492	1,54,923	13,115	1,68,038
उद्योग और खनिज पदार्थ	2,859	2	2,861	87,128	89,989	7,958	32	7,990	1,80,240	1,88,230
ग्राम और लघु उद्योग	6,949	294	7,243	10,323	17,566	13,703	425	14,128	12,300	26,428
(4) उद्योग और खनिज पदार्थ	9,808	296	10,104	97,451	1,07,555	21,661	457	22,118	1,92,540	2,14,658
रेलवे	—	—	—	86,011	86,011	—	—	—	94,000	94,000
सड़कें	14,326	1,598	15,924	6,440	22,364	21,830	2,575	24,405	8,000	32,405
सड़क-परिवहन	1,502	91	1,593	225	1,818	2,044	559	2,603	—	2,603
पर्यटन	144	13	157	60	217	394	22	416	350	766
बन्दरगाह	314	45	359	2,980	3,339	490	18	508	12,500	13,008

	जहाज़रानी	—	—	—	5,268	5,268	—	263(घ)	263	5,500	5,763
	डाक और तार	—	—	—	5,059	5,059	—	—	—	7,900	7,900
	असैनिक विमान-सेवा	—	—	—	4,900	4,900	—	—	—	5,500	5,500
	प्रसारण	—	—	—	468	468	—	—	—	1,100	1,100
	अन्य परिवहन	52	99	151	53	204	273	25	298	1,200	1,498
	अन्य सचार-साधन	—	—	—	327	327	—	—	—	930	930
(5)	परिवहन और सचार-साधन	16,338	1,846	18,184	1,11,791	1,29,975	25,031	3,462	28,493	1,36,980	1,65,473
	सामान्य शिक्षा और सास्कृतिक कार्यक्रम	16,011	721	16,732	4,072	20,804	31,906	2,104	34,010	7,800	41,810
	तकनीकी शिक्षा	2,141	31	2,172	2,600	4,772	6,986	173	7,159	7,000	14,159
	वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	7,000
	स्वास्थ्य	13,021	566	13,587	8,047	21,634	27,114	2,566	29,680	4,500	34,180
	आवास	6,411	266	6,677	1,356	8,033	9,620	2,076	11,696	2,500	14,196
	पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,080	214	5,294	2,647	7,941	7,498	389	7,887	3,500	11,387

(क) स्थानीय विकास-कार्यों का खर्च शामिल है ।
(ख) दूसरी योजना में बाढ़-नियन्त्रण का व्यय केन्द्र के अन्तर्गत दिखाया गया है ।
(ग) इसमें दामोदर घाटी-निगम के बिजली-कार्यक्रम और चण्डोल तापीय केन्द्र की आंशिक व्यवस्था शामिल है ।
(घ) अण्डमान और निकोबार-द्वीपसमूह के लिए

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
127	10	137	1,191	1,518	1,018	111	1,162	1,600	2,762
769	12	781	1,200	1,981	2,519	189	2,708	1,100	7,108
—	—	—	6,311	6,311	—	—	—	1,000	1,000
—	—	—	—	—	31 (ट)	—	34	5,000	5,031
13,760	1,820	15,580	27,111	73,021	86,725	7,611	94,336	17,300	1,11,636
103	7	110			322	27	349	500	849
276	21	297			562	58	620	600	1,220
115	11	159	5,086 (च)	9,980	310	65	375	—	375
भी 3,196	—	3,196			2,175	—	2,475	—	2,175
507	25	532			1,075	933	2,008	4,100	6,108

(7) विविध	4,797	97	4,894	5,086(च)	9,980	4,744	1,083	5,827	5,200	11,027
सर्वयोग	1,98,135	6,158	2,04,293	2,55,707	4,60,000	3,84,731 (छ)	17,487	4,02,218	4,07,635 (ज)	8,09,853 (ज)

(ङ) इस राशि के अतिरिक्त तीसरी योजना की उच्चतम स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में आवश्यक फेर-बदल करके 'जन-सहयोग' के लिए व्यय की व्यवस्था करनी होगी : आन्ध्रप्रदेश, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश और पश्चिम-बंगाल में 6-6 लाख रुपये, मैसूर में 5 लाख रु० और असम में 1 लाख रु० ।

(च) परमाणु-शक्ति-विभाग, वित्त-मन्त्रालय की योजनाओं और निर्माण, आवास तथा सम्भरण-मन्त्रालय के कार्यक्रमों के अन्तर्गत निवासजन्य एवं कार्यालय-भवनों के निर्माण पर होनेवाला अनुमानित व्यय भी इसमें शामिल है ।

(छ) पश्चिम-बंगाल के खर्च के बंटवारे में इन बातों के अनुसार फेर-बदल सम्भव है : (क) दामोदर-घाटी-निगम में पश्चिम-बंगाल का हिस्सा, और (ख) वर्तमान 43 करोड़ रु० मूल्य के अनुमानित साधनों में वृद्धि; राज्य-सरकार इन साधनों को 90 करोड़ रु० से भी ऊपर ले जाने की आशा करती है, जैसा कि अध्याय 6 में 'योजना के लिए वित्तीय साधन' में दिखाया गया है ।

(ज) इन्वेण्टरियों के लिए रखी गई 200 करोड़ रु० की रकम इसमें शामिल नहीं है ।

अनुबन्ध 3

राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिए पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में व्यय-व्यवस्था

(करोड़ रु० में)

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	पहली योजना (वास्तविक)	दूसरी योजना (अनुमानित)	तीसरी योजना (खर्च का कार्यक्रम)

अनुबन्ध 3—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)
अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह	2	3	9.8
दिल्ली	10	14	81.8
हिमाचल प्रदेश	8	16	27.9
मणिपुर	2	6	12.9
नागा पहाड़िया और त्वेनसाग-क्षेत्र	—	4	7.1
त्रिपुरा	3	9	16.3
लक्षदीव, अमीनदीव और मिनिकाय-द्वीप-समूह	—	0.4	1
उत्तर-पूर्व सीमा एजेन्सी	4	5.6	7.1
पांडिचेरी	1	4	6.9
योग—केन्द्रशासित क्षेत्र	30	62	174.8 (घ)
योग—समस्त भारत	1,457	2,043	4,022.1

(घ) इसमें 4 करोड़ रु० की वह राशि शामिल है, जिसका बटवारा नहीं किया गया है।

अध्याय 6

योजना के लिए वित्तीय साधन

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत जो विकास-कार्यक्रम रखे गए हैं, उन पर 8,000 करोड रु० से कुछ अधिक खर्च बैठने का अनुमान है। ये कार्यक्रम एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं और इनके पूर्णत तथा व्यवस्थित रूप से कार्यान्वयन की हर कोशिश की जानी चाहिए। फिर भी कुछ अनिश्चितताओं के लिए जगह रखनी ही पडेगी। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओ पर किया जानेवाला वास्तविक खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आवश्यक विदेशी मुद्रा कहा तक मिलती है और आवश्यक पूजीगत सामान तथा उपकरणो का कब तक आयात हो सकता है एवं उन्हें लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण परियोजनाओ की प्रगति का सम्बन्ध कुछ अन्य पूरक परियोजनाओ की प्रगति से भी सम्बद्ध है। पूजी-विनियोग-कार्यक्रम के किसी एक अग में भी पिछडने का अन्य अगो की प्रगति पर प्रभाव पड सकता है। तीसरी योजना में यह निश्चय किया गया है कि स्वदेशी साधनों का सग्रह करने और स्वीकृत कार्यक्रमो को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए अधिकाधिक प्रयत्न किया जाएगा। फिर भी, खर्च के लिए धन की कुछ कमी अपरिहार्य हो सकती है और स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमो मे सम्बद्ध व्यय का कुछ अश चौथी योजना में चला जा सकता है। जहा तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, यह माना गया है कि योजनाकाल में इस प्रकार की सहायता के क्षेत्र में वास्तविक अदायगी की कुल रकम 2,100 करोड़ रु० तक (भुगतान की देनदारिया पूरी करने के लिए प्राप्त सहायता के अतिरिक्त) सीमित रहेगी, यद्यपि वर्तमान अनुमान के आधार पर आवश्यकताए कहीं अधिक हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए तीसरी योजना में 7,500 करोड़ रु० के वित्तीय व्यय की व्यवस्था की गई है—6,300 करोड़ रु० पूजी-विनियोगमूलक व्यय के रूप में और 1,200 करोड रु० सामाजिक सेवाओ और अन्य विकासमूलक अनावर्तक कार्यो पर चालू व्यय के रूप में। ऐसा अनुभव किया जाता है कि यदि उत्पादन और बचत की मात्रा में वृद्धि हो, तो अभी जिन वित्तीय व्यवस्थाओ की बात सोची गई है, उनमें सुधार हो सकता है। अत अभी साधनों के जिस स्तर की कल्पना की गई है, उससे और आगे बढ कर स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमो को पूरा करना हमारा ध्येय होना चाहिए।

2. सरकारी क्षेत्र में 6,300 करोड रु० के पूजी-विनियोगमूलक व्यय की जो व्यवस्था की गई है, उनमें से करीब 200 करोड़ रु० कृषि, उद्योग, आवास, इत्यादि क्षेत्रो में कुछ प्रमुख पूजी-विनियोगों की सहायता के लिए निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित किए जाएगे। तीसरी योजना में निजी पूजी-विनियोग का अनुमान 4,300 करोड रु० का है; निजी क्षेत्र को करीब 4,100 करोड रु० के साधनों की व्यवस्था करनी होगी।

3. इस प्रकार, तीसरी योजना का कुल पूजी-विनियोगमूलक कार्यक्रम 10,400 करोड रु० का है—6,100 करोड रु० सरकारी क्षेत्र में और 4,300 करोड रु० निजी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र को कुल मिला कर 7,500 करोड़ रु० की व्यवस्था करनी है, क्योंकि

ऊपर कही गई 200 करोड रु० की रकम और चालू व्यय के लिए 1,200 करोड रु० का भार भी उस पर है।

4 पाच वर्ष की अवधि में 10,400 करोड रु० से अधिक के पूजी-विनियोग का मतलब यह है कि अभी राष्ट्रीय आय के करीब 11 प्रतिशत का जो पूजी-विनियोग होता है, उसे बढा कर लगभग 14 प्रतिशत किया जाए। इस पूजी-विनियोग के एक अश की पूर्ति विदेशी सहायता से होगी। स्वदेशी बचत की दर को राष्ट्रीय आय के करीब 8 5 प्रतिशत से बढा कर तीसरी योजना के अन्त तक करीब 11 5 प्रतिशत करना होगा। यह स्पष्ट है कि योजना में दर्शाए गए स्तर के अनुसार कुल उत्पादन को बढाने के लिए अधिकतम प्रयत्न करना होगा और स्थिरतापूर्वक ऐसी आर्थिक नीतियो का अनुसरण करना होगा, जिनसे पूजी-विनियोग की जरूरतो के कारण मर्यादित सीमाओ के भीतर उपभोग का स्तर बना रहे। उत्पादन बढाने और आगे विस्तार की शक्ति को दृढ करने की दिशा में पिछले दशक में जो प्रगति की गई है, उसे दृष्टि में रखते हुए, पूजी-विनियोग और बचत के लक्ष्य तथा योजना के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, बशर्ते कि सग्रह और उनका उपयोग कुशलतापूर्वक हो तथा विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती जाए।

5 पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था में पूजी-विनियोग की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहली योजना के प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र में पूजी-विनियोग करीब 200 करोड रु० का किया गया था। पहली योजना के अन्त तक यह राशि लगभग 450 करोड रु० पर पहुच गई। दूसरी योजना के पहले ही साल, सन् 1956-57 में, यह मात्रा 500 करोड रु० तक पहुच गई और दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में करीब 800 करोड रु० का पूजी-विनियोग हुआ। इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र में पूजी-विनियोग मे पिछले 10 वर्षों में वित्तीय दृष्टि से लगभग चार-गुनी वृद्धि हुई। दूसरी योजना में निजी क्षेत्र में भी पूजी-विनियोग का स्तर ऊचा रहा। इस पूजी-विनियोग के विस्तृत तथ्य तो अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है, पर यह उल्लेखनीय है कि बडे तथा मध्यम उद्योगो और खनिज क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में औसत रूप से 145 करोड रु० का पूजी-विनियोग हुआ, जब कि पहली योजना की अवधि में यह राशि 45 करोड रु० ही थी।

6 पहली योजना में पूजी-विनियोग के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई—पूजी-विनियोग की मात्रा राष्ट्रीय आय के लगभग 5 प्रतिशत से बढ कर 8 प्रतिशत हो गई। कृषि और उद्योग, दोनो ही क्षेत्रो में जो उल्लेखनीय उत्पादन-वृद्धि पहली योजना की अवधि में हुई, उससे स्वदेशी मूल्य-स्तर और भुगतान-सन्तुलन पर बिना कुछ विशेष बोझ डाले पूजी-विनियोग की दर बढाना सम्भव हो गया। वस्तुत पहली योजना के लगभग मध्य-काल में कीमतें बडी तेजी से गिरी और योजना के अन्त में थोक मूल्यो का सूचनाक पूर्व-कोरिया-स्तर की तुलना में 8 प्रतिशत कम हो गया।

7 दूसरी योजना में पूजी-विनियोग का जो स्तर निश्चित किया गया, वह पहली योजना की तुलना में काफी ऊचा था। पूजी-विनियोग का स्वरूप भी उल्लेखनीय रूप से भिन्न था। उद्योग, परिवहन और बिजली में सरकारी क्षेत्र-द्वारा कुल 2,650 करोड रु० के पूजी-विनियोग की व्यवस्था की गई, जबकि पहली योजना में इन मदो में कुल मिला कर 820 करोड रु० की ही व्यवस्था थी। दूसरी योजना में उद्योग, परिवहन और बिजली पर निजी पूजी-विनियोग की राशि 1,025 करोड़ रु० निश्चित की गई, जब कि पहली योजना

में यह राशि केवल 310 करोड रु० थी। इन विकासमूलक कार्यों का अर्थव्यवस्था पर ज्यादा भार पडा, खास तौर पर भुगतान-सन्तुलन पर।

साधन : भौतिक और वित्तीय

8 किसी अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में आयोजन की मुख्य समस्या यह होती है कि विकास की पर्याप्त गति प्राप्त करने के लिए साधनों को एकत्र कैसे किया जाए। यह समस्या आवश्यक भौतिक साधनों और उनकी उपलब्धि के रूप में अथवा योजना में शामिल सरकारी और निजी विभिन्न विकास-कार्यक्रमों की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय साधनों की खोज के रूप में सामने आ सकती है। इन दोनों ही बातों पर यदि विस्तार से विचार करें, तो नतीजा एक ही निकलना चाहिए। भौतिक साधन असमान हैं और ऐसे विस्तृत भौतिक सन्तुलन तैयार करने का काम, जिन पर व्यवहारत भरोसा किया जा सके, खास तौर पर इस बात को दृष्टि में रखते हुए कठिन है कि पर्याप्त तथ्य उपलब्ध नहीं हैं और अपरिहार्य रूप से अनेक स्थलों पर केवल अनुमान से काम चलाना पड़ेगा। वित्तीय साधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाते समय भी कुछ सीमाएं उपस्थित होती हैं। सामान्यत. प्रत्येक परियोजना-अधिकारी आवश्यक वित्तीय साधनों का अनुमान लगाते समय इस धारणा से काम लेता है कि वर्तमान कीमतों पर जितने भी वास्तविक साधन चाहिए, वे प्राप्त हो सकते हैं, वह इस बात का खयाल नहीं करता कि दूसरे परियोजना-अधिकारियों अथवा स्वयं अर्थव्यवस्था की ही कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं। इसी स्थल पर वित्तीय और भौतिक सम्भावनाओं का सम्मिलित रूप से मूल्यांकन करने की जरूरत सामने आती है। अन्त में यह प्रश्न सामने आता है कि क्या वित्तीय खर्च के बराबर ही भौतिक साधन उपलब्ध हैं? इस बात का ध्यान रखना जरूरी है और योजना में प्रमुख क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन-वृद्धि तथा कुछ प्रकार के साधनों की विदेशों से उपलब्धि का निश्चय करके इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

9 आर्थिक विकास की कोई योजना केवल पूरे किए जानेवाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं की सूची नहीं होती, यह एक ऐसी दस्तावेज होती है, जिसमें समुदाय के लिए उपलब्ध समस्त साधनों का बटवारा, उनके विभिन्न उपयोगों की दृष्टि से किया जाता है। स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की व्यवस्था करनी होगी और इनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अन्यत्र जो मागें तथा फेर-बदल आवश्यक हों, उन्हें भी दृष्टि में रखना होगा। इन दुरूह परस्पर-सम्बन्धों का हमेशा बहुत पहले ही निश्चय कर सकना सम्भव नहीं है। अत आखिर में पूंजी-विनियोग के स्तर और साधन-संग्रह के स्वरूप पर इस निष्कर्ष को दृष्टि में रखते हुए विचार करना होगा कि सामान्य सम्भावनाएं क्या हैं। इस निष्कर्ष पर समय-समय पर पुनर्विचार करना होगा और योजना में इतनी जगह रखनी होगी कि निर्धारित व्यय में आवश्यकतानुसार हेर-फेर किए जा सकें। परन्तु चूंकि उद्देश्य स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करना है और चूंकि इनमें किसी प्रकार की कटौती अथवा मन्द गति भावी विकास की गति को प्रभावित करेगी, इसलिए आवश्यक साधनों के संग्रह पर पूरा ध्यान देना होगा। इस प्रकार साधन-संग्रह की तकनीकों और इनमें से प्रत्येक के सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग की सम्भावनाओं पर निरन्तर दृष्टि रखनी होगी।

10 साधन-संग्रह के प्रश्न पर चाहे कोई इस बात से विचार आरम्भ करे कि विभिन्न उपायो से कितने साधनो का संग्रह हो सकता है अथवा इस बात से शुरुआत करे कि खर्च की राशि क्या है, ये दोनो ही बातें सिद्धान्त की अपेक्षा प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। परिणामों पर पहुचने का तरीका इन दोनो को ही आकने और दोबारा आकने का है, ताकि आवश्यक प्रयत्नो के सन्तुलित स्तर और एक निश्चित अवधि मे प्राप्त हो सकने-वाले परिणामो का निश्चय किया जा सके। साधन किसी निश्चित कोष के समान नही होते, कि जब जितना चाहा, ले लिया, वे कुछ अश तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि पूजी-विनियोग कितना होता है और योजनाकाल में उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। इसलिए विकास की किसी योजना को उस दृष्टि से स्वीकार करना होगा कि प्रस्तावित पूजी-विनियोग की राशि और स्वरूप क्या वे परिणाम देते है, जो कतिपय आर्थिक और सामाजिक मापदडो से पर्याप्त हो, और क्या योजना-काल में साधनो के विकास की दृष्टि से प्रस्तावित खर्च इस प्रकार पूरे किए जा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर कोई गहरा आघात अथवा दबाव न पड़े। इन बातो के सन्तुलित स्वरूप के आधार पर ही कार्यक्रमो के सोपानीकरण और वित्तीय खर्च के सीमा-निर्धारण के बारे में निश्चय किया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के लिए वित्त-व्यवस्था

11 पिछले लगभग दो वर्षों में तीसरी योजना के लिए साधनो की स्थिति का सविस्तर अध्ययन किया गया है। योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में जो अनुमान पेश किए गए थे, वे केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारो के सन् 1960-61 के बजटो पर आधारित थे। अगस्त-सितम्बर 1960 में राज्य-सरकारो के साथ तीसरी योजना की अवधि में उनके पास उपलब्ध साधनो का निश्चय करने के लिए विचार-विमर्श हुआ। इनमें से कुछ अनुमानो पर राज्यो के साथ उनके योजना-व्यय के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते समय फिर विचार किया गया। इन तथ्यो के आधार पर और केन्द्रीय सरकार के सन् 1960-61 के बजट पर अधिक गौर से विचार करने के बाद, केन्द्रीय सरकार और राज्यो को उपलब्ध हो सकनेवाले वित्तीय साधनो के सशोधित अनुमान राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष जनवरी 1961 में पेश किए गए। इन अनुमानो के प्रकाश में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने यह निश्चय किया कि तीसरी योजना के लिए उपलब्ध साधनो का मूल्य 7,500 करोड रु० मानना चाहिए, हालाकि स्वीकार किए जा रहे भौतिक कार्यक्रमो की लागत इससे कही ज्यादा थी। अगले पृष्ठ पर दी गई की तालिका में राष्ट्रीय विकास-परिषद्-द्वारा स्वीकृत साधनो के अनुमान और प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुमान प्रस्तुत हैं।

तालिका-संख्या 1

तीसरी योजना के लिए साधन

(प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुमान और राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष जनवरी 1961 में पेश किए गए अनुमान)

(करोड़ रु०)

शीर्षक	प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुमान			राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष जनवरी 1961 में पेश किए गए अनुमान		
	केन्द्र	राज्य	योग	केन्द्र	राज्य	योग
1 चालू राजस्व से बची राशि, कराधान की सन् 1960-61 की दरों के अनुसार	385	−35	350	433	−12	421
2 रेलवे का अंशदान	150	—	150	71	—	71
3 अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत	300	140	440	300	149	449
4 जनता से प्राप्त ऋण (विशुद्ध)	520	330	850	500	350	850
5 छोटी बचतें (विशुद्ध)	190	360	550	208	377	585
6 प्राविडेंट फंड (विशुद्ध)	170	60	230	170	79	249
7 इस्पात-समीकरण-कोश (विशुद्ध)	160	—	160	160	—	160
8 योजना-भिन्न व्ययों के बाद विविध पूंजीगत प्राप्तियों का शेष	325	−205	120	441	−233	208
9 1 से 8 तक का योग	2,200	650	2,850	2,283	710	2,993
10 अतिरिक्त कराधान, जिसमें सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	1,100	550	1,650	1,100	610	1,710
11 विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई प्राप्तियां	2,200	—	2,200	2,200	—	2,200
12 घाटे की अर्थव्यवस्था	550	—	550	524	26	550
योग	6,050	1,200	7,250	6,107	1,346	7,453

12 राष्ट्रीय विकास-परिषद ने यह विचार व्यक्त किया कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए, साधनों के अनुमान में निर्दिष्ट 7,500 करोड रु० के वित्तीय व्यय और स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए 8,000 करोड रु० से भी अधिक की आवश्यकता के बीच की खाई को पाटने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए। स्पष्टतः इस समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि कही विशाल आवश्यकताओं के मुकाबले में स्वदेशी बचतों को कितना बढाया जा सकता है। परिषद् ने इस दिशा में अधिक सम्भावनाओं का अध्ययन और खोज करने के लिए एक समिति नियुक्त की। पिछले कुछ महीनों में केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के सन् 1961-62 के बजटों का और भी अध्ययन किया गया है और पिछले पृष्ठ की तालिका में दिखाए गए प्रत्येक मद के अन्तर्गत अधिक साधन प्राप्त करने की सम्भावनाओं की जाच की गई है। इस जाच के प्रकाश में, समिति ने यह अनुभव किया कि केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों-द्वारा प्राप्त किए जा सकनेवाले साधनों की कुल मात्रा के बारे में अधिक आशापूर्ण अवसर मौजूद है। ताजे बजट-अनुमानों से पता चलता है कि राजस्व के मामले में पहले की अपेक्षा अधिक आशापूर्ण स्थिति है। परन्तु अभी वह स्थिति नही आई है कि भौतिक कार्यक्रमों की आवश्यकताओं और वित्तीय व्यवस्थाओं के बीच की खाई को पाटने के सम्बन्ध में सविस्तर उपाय बताए जा सकें। यह भी जरूरी है कि विदेशी मुद्रा-विषयक साधनों के बारे में जो सीमाए हैं, उन्हें ध्यान मे रखा जाए। साधनों का सग्रह करने में प्रति वर्ष जो प्रगति हो, उसके प्रकाश में इस समस्या पर निरन्तर विचार करते रहना पडेगा। तदनुसार ही, वित्तीय व्यय की राशि जहा 7,500 करोड रु० रखी जा रही है, वही बचतों का अधिक प्रभावशाली ढग से सग्रह करके इस अनुमान मे सुधार लाने और वर्तमान खाई को पाटने की लगातार कोशिश की जाएगी।

13 सरकारी क्षेत्र की योजना की वित्त-व्यवस्था किस तरह करने का निश्चय किया गया है, यह नीचे की तालिका में प्रस्तुत है। तुलना के लिए, दूसरी योजना के वित्त के प्रत्येक मुख्य स्रोत को भी इसमें दिखाया गया है :

तालिका-संख्या 2

वित्तीय साधन

(दूसरी और तीसरी योजनाओं के अनुमान)

(करोड रु०)

शीर्षक	दूसरी योजना		तीसरी योजना
	प्रारम्भिक अनुमान	वर्तमान अनुमान	
1 चालू राजस्व से बचत (अतिरिक्त कराधान को छोड कर	350	−50	550
2 रेलवे का अशदान	150	150 (क)	100

(क) बढे हुए किराए और भाडे शामिल हैं।

तालिका-सख्या 2—जारी

शीर्षक	दूसरी योजना प्रारम्भिक अनुमान	दूसरी योजना वर्तमान अनुमान	तीसरी योजना
3 अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायो की बचत	(ख)	(ख)	450
4 जनता से ऋण (विशुद्ध)	700	780 (ग)	800
5 छोटी बचतें (विशुद्ध)	500	400	600
6 प्राविडेंट फड (विशुद्ध)	250	170	265
7 इस्पात-समीकरण-कोश (विशुद्ध)		38	105
8 योजना-भिन्न व्ययो के बाद विविध पूजीगत प्राप्तियो का शेष		22	170
9 1 से 8 तक का योग	1,950	1,510	3,040
10 अतिरिक्त कराधान, जिसमें सरकारी उद्योग-व्यवसायो की बचत बढाने के उपाय शामिल है	450 (घ)	1,052	1,710
11 विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई प्राप्तिया	800	1,090 (ङ)	2,200
12 घाटे की अर्थव्यवस्था	1,200	948	550
योग	4,800	4,600	7,500

14 दूसरी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में कुल वित्तीय व्यय प्रारम्भ में स्वीकार किए गए लक्ष्य से कम, परन्तु सशोधित लक्ष्य से कुछ अधिक हुआ। मुद्रास्फीति के दबाव और भुगतान-सन्तुलन की दिक्कतो के कारण, जो योजना के प्रारम्भिक चरणो में ही पैदा हुई, यह जरूरी हो गया कि साधनों की स्थिति पर फिर से विचार किया जाए और तब यह निश्चय किया गया कि (क) पाच वर्षों की अवधि में होनेवाले व्यय की राशि को

(ख) तालिका के शीर्षक 1 और 8 में शामिल है।

(ग) पी० एल० 480-कोशों में से लेकर स्टेट बैंक-द्वारा किया गया पूजी-विनियोग शामिल है।

(घ) इसके अलावा, 400 करोड रु० की कमी अतिरिक्त स्वदेशी प्रयत्नों से पूरी करनी थी।

(ङ) रिजर्व बैंक-द्वारा विशेष सिक्यूरिटियों में सन् 1960-61 में पी० एल० 480-कोशो से लेकर लगाई गई पूजी शामिल है।

4,500 करोड रु० तक या इसके आसपास सीमित किया जाए, और (ख) बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता प्राप्त की जाए तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ति पर सारे प्रयत्न केन्द्रित किए जाए। दूसरी योजना में अतिरिक्त करावान निश्चित लक्ष्य से कही अधिक किया गया। दूसरी ओर, चालू राजस्व से प्राप्त बचत में योजना-निर्माण के समय लगाए गए अनुमानो की तुलना में 400 करोड रु० की विशुद्ध कमी हुई। छोटी बचतो के क्षेत्र में भी पाच वर्षों की अवधि में जमा की गई राशि पहले निश्चित की गई राशि की तुलना में लगभग 100 करोड रु० कम रही। दूसरी योजना की अवधि में घाटे की अर्थव्यवस्था निश्चित सीमा के अन्दर ही हुई। इस घाटे की अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश से लेकर पूरा किया गया। इसके बावजूद कीमतो में जो वृद्धि हुई है उससे पता चलता है कि आनेवाले वर्षों में घाटे की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र सीमित है।

15 दूसरी योजना के अनुभव इस बात पर विशेष रूप से बल देते हैं कि तालिका में दर्शाए गए प्रत्येक स्रोत से प्राप्तव्य अंशदान के अनुमान में चाहे कितनी ही सावधानी बरती जाए, व्यावहारिक रूप में उनसे अलग-अलग प्राप्त होनेवाली राशिया इन अनुमानो से भिन्न हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि अगले पाच वर्षों के लिए समूची वित्तीय योजना की पर्याप्तता पर ध्यान दिया जाए, न कि प्रत्येक स्रोत के अलग-अलग अनुमान पर। उदाहरण के लिए, राजस्व से बचत के अनुमान इस आधार पर लगाए जाने चाहिए कि आर्थिक गतिविधियो में वृद्धि के फलस्वरूप करो की वृद्धि से कितना-कुछ प्राप्त होगा। परन्तु अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति में वर्ष-प्रति-वर्ष परिवर्तन आ सकता है और कर की आमदनी इस बात पर निर्भर करेगी कि नई आमदनी का झुकाव किस ओर होता है। इसी प्रकार, खर्च के मामले में, योजना-भिन्न खर्च—विकासमूलक और अविकासमूलक, दोनो—की प्रवृत्तियो का अनुमान मोटे तौर पर विशालता के आधार पर ही लगाया जा सकता है। अनुमान करते समय थोडा-सा भी अन्तर आ जाने से इस मद के अन्तर्गत कुल राशि में काफी बड़ा अन्तर आ सकता है, क्योंकि न केवल केन्द्रीय बजट के, बल्कि 15 राज्यो के बजटो के आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं। फिर रेलवे-भिन्न सरकारी उद्योग-व्यवसायो की बचत के आकडे अधूरे है। कुछ परियोजनाए अभी उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में हैं और कुछ योजनाकाल के उत्तरार्द्ध में उत्पादन आरम्भ करेगी। इन सब परियोजनाओ की इकाईवार लागत के अनुमान पूर्णत सूक्ष्म किस्म के नही है—ये अनुमान मोटे तौर पर लगाए गए हैं, वर्तमान स्थिति में बचत के जो अनुमान लगाए गए है, वे केवल मोटे तौर पर ही कुछ सकेत दे सकते हैं। साधन जुटाने के विभिन्न तरीके कुछ स्तरो पर, एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं और यह सम्भव है कि जब एक स्थिति में कराधान-द्वारा अधिक प्राप्त किया जा सकता है, वही दूसरी स्थिति में बाजार से कर्ज लेना अधिक सुफलदायक सिद्ध हो। विदेशी सहायता की समय पर उपलब्धि भी स्वदेशी बचत और पूजी-विनियोग के प्रयत्नो पर प्रभाव डालती है। आगे के पैराग्राफो में तीसरी योजना के अनुमानो की शीर्षकवार व्याख्या की गई है।

16 **राजस्व से बचत :** तीसरी योजना में केन्द्रीय और राज्य-सरकारो की कुल राजस्वगत आय का अनुमान 9,250 करोड रु० है, जब कि सन् 1960-61 में अनुमानित आय (सशोधित अनुमान) 1,600 करोड रु० थी। विकासमूलक और अविकासमूलक कुल खर्च, जिसमें दूसरी योजना की अवधि में पूरी की गई योजनाओ के साज-सामान पर

होनेवाला खर्च भी शामिल है, लगभग 8,700 करोड रु० तक बैठने का अनुमान है। इस प्रकार, योजना के खर्च को पूरा करने के लिए उपलब्ध बचत की राशि सम्पूर्ण योजनाकाल में, वर्तमान अनुमान के अनुसार, केवल 550 करोड रु० ठहरती है। आय के अनुमानो का हिसाब लगाते समय प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन में होनेवाली वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में प्रत्याशित वृद्धि का भी ध्यान रखा गया है। खर्च के क्षेत्र में, विगत प्रवृत्तियो को ही आगे बढाया गया है, परन्तु साथ ही थोडे-बहुत परिवर्तनो की भी छूट दी गई है और दूसरी योजना से सम्बद्ध कतिपय उन योजनाओ के लिए नियत खर्च की व्यवस्था की गई है, जो योजना के पूरा हो जाने के उपरान्त राजस्व पर एक पूर्ववर्ती भार सिद्ध होगी। दूसरी योजना के मुकाबले तीसरी योजना की अवधि में राजस्व से बचत में काफी वृद्धि इस बात की द्योतक है कि पिछले दो वर्षों में अंशत बढी हुई आर्थिक गतिविधियो के कारण और अशत अतिरिक्त कर-प्रयत्नो के कारण करो से प्राप्त आय में कितनी वृद्धि हुई है। सन् 1961-62 में जो कराधान किया गया है, वह इस मद में शामिल नहीं किया गया है, यह 1,710 करोड रु० के अतिरिक्त कर-प्रयत्न का हिस्सा है, जो तीसरी योजना के लिए निश्चित किया गया है।

17 रेलवे का अंशदान : कार्य-सचालन-व्यय (इसमें निर्माणरत लाइनो का खर्च शामिल नही किया गया है, क्योकि उसे पूजी-विनियोग माना जाता है) को निकाल देने के बाद रेलवे की प्रत्याशित चालू आमदनी में से जो-कुछ बचता है, उसे रेलवे के अशदान के रूप में ग्रहण किया जाता है। वर्तमान व्यवस्थाओ के अनुसार इसमें से घिसाई का व्यय, सूद और लाभाश की अदायगी भी निकाल दी गई है। दूसरी योजना में रेलवे के अशदान की राशि 150 करोड रु० ठहरी थी। इसमें दूसरी योजना की अवधि में किराया और माल-भाडे में वृद्धि करने से प्राप्त आमदनी भी शामिल थी। तीसरी योजना में यह राशि अनुमानित रूप से 100 करोड रु० निश्चित की गई है, परन्तु इसमें उन अतिरिक्त साधनो को शामिल नही किया गया है, जिनकी व्यवस्था योजना की अवधि में किराए और माल-भाडे में वृद्धि करके रेलवे कर सकती है।

18 अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायों से होनेवाली बचत . सरकारी उद्योग-व्यवसायो के कार्य-सचालन-व्यय, पुराने यन्त्रो के स्थान पर नए यन्त्र लगाने-विषयक व्यय, सूद और लाभाश को निकाल देने के बाद उनकी आमदनी से जो साधन बच जाते हैं, वे इस मद में शामिल किए जाते है। दूसरे शब्दो में, इसमें केवल विशुद्ध मुनाफा ही नहीं आता, बल्कि इन उद्योग-व्यवसायो के घिसाई-सुरक्षित कोश तथा अन्य कोशो की विशुद्ध वृद्धिया भी शामिल होती है—इसके पीछे मन्तव्य यह होता है कि इन उद्योग-व्यवसायो के विस्तार-कार्यक्रमो के लिए वित्त की व्यवस्था करने में इन कोशो का उपयोग किया जाएगा। यह अनुमान अभी कच्चा ही है, क्योकि जिन तथ्यो पर यह आधारित है, वे अभी काफी पक्के नहीं हैं। कुल 450 करोड रु० की अनुमानित बचत में से 300 करोड रु० का श्रेय केन्द्रीय सरकार के उद्योग-व्यवसायो—अर्थात् लोहा और इस्पात, उर्वरक, तेल-कम्पनिया, तेल-शोधन, डाक और तार, इत्यादि—को मिलेगा और बाकी 150 करोड रु० राज्य-सरकारो के उद्योग-व्यवसायो—जैसे, बिजली-मडल, परिवहन-सस्थाए, इत्यादि—से प्राप्त होगे।

19 जनता से ऋण . दूसरी योजना की अवधि में जनता से 780 करोड रु० ऋण के रूप में लिए गए। इस दिशा में तीसरी पचवर्षीय योजना के लिए 800 करोड रु० का

लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस रकम में इनामी बांड-योजना से होनेवाला शुद्ध धन-संग्रह भी सम्मिलित है। तीसरी योजना के लिए निश्चित लक्ष्य की दूसरी योजना में लिए गए कुल ऋण से तुलना करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरी योजना की राशि में स्टेट बैंक आफ इण्डिया-द्वारा पी० एल० 480-कोश से धन लेकर सरकारी सिक्यूरिटियो की खरीद के साथ-साथ रिज़र्व बैंक-द्वारा की गई सरकारी सिक्यूरिटियो की खरीद की भारी रकमें भी शामिल है। जनता-द्वारा, जिसमें व्यावसायिक बैंक भी शामिल है, सरकारी ऋण में किए गए पूंजी-विनियोग की रकम, यदि रिज़र्व बैंक के पूंजी-विनियोग को निकाल दे, तो 300 करोड रु० से भी कम ठहरती है। तीसरी योजना की अवधि में अमेरिकी सरकार-द्वारा प्रदत्त पी० एल० 480-कोश की रकम रिज़र्व बैंक के पास रहेगी, जो इस उद्देश्य के लिए खास तौर पर जारी की गई सिक्यूरिटिया खरीदेगी। इस खाते के अन्तर्गत प्राप्त उधार को विदेशी सहायता के अन्तर्गत गिना गया है। इस उधार-कार्यक्रम को रिज़र्व बैंक जो भी सहायता देगा, वह घाटे की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत माना जाएगा। तीसरी योजना के लिए 800 करोड रु० का जो अनुमान लगाया गया है, उसके पीछे यह धारणा है कि जीवन-बीमा-निगम, विभिन्न प्राविडेंट फड तथा अन्य पूंजी-विनियोगकर्ताओ-द्वारा सरकारी सिक्यूरिटियो की खरीद की मात्रा बढेगी। व्यावसायिक बैंको-द्वारा भी उल्लेखनीय परिमाण में सरकारी सिक्यूरिटियो में पूंजी-विनियोग की आशा की गई है। बैंको-द्वारा सामान्य तौर पर दी जानेवाली अग्रिम धन की रकम के अलावा, बिजली-मडलो या राज्य-सरकारों के अन्य उद्योग-व्यवसायो-द्वारा लिए जानेवाले ऋणो को राज्यो के सार्वजनिक ऋण-विषयक लक्ष्यो में शामिल किया गया है। परन्तु उपर्युक्त अनुमान में सहकारिता-क्षेत्र की आवश्यकताए शामिल नही की गई है। योजना में इस क्षेत्र के काफी विस्तार की गुजाइश रखी गई है और केन्द्रीय तथा राज्यीय ऋणो में जनता कितनी पूंजी लगा सकती है, इसका हिसाब करते समय सहकारी समितियो की जरूरतो को भी ध्यान में रखना होगा। बाज़ार से उधार लेने की जो मात्रा निश्चित की गई है, उससे व्यावसायिक बैंको के साधनो का पर्याप्त विकास होगा और निजी क्षेत्र को बैंको से मिलनेवाले उधार का सावधानीपूर्वक नियमन करना होगा।

20 छोटी बचतें : दूसरी योजना में छोटी बचतो का लक्ष्य 500 करोड रु० का था, अब अनुमान है कि वास्तव में 400 करोड रु० जमा हुए। छोटी बचतो की सम्भावनाए विस्तृत है और जैसे-जैसे आय बढेगी, वैसे-वैसे इनमें भी वृद्धि होगी। अभी तक यह आन्दोलन मुख्यत शहरी और कस्बा-क्षेत्रो तक ही सीमित है। आगामी वर्षों में ग्रामीण बचत का एक उल्लेखनीय अश सहकारिता-सस्थाओ को प्राप्त होगा। सहकारी क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था करना वस्तुत उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना सरकारी क्षेत्र के साधनो का विस्तार। फिर भी, छोटी बचतें एक ऐसे आशाप्रद क्षेत्र की द्योतक है, जिसमें अधिक प्रयत्न करने से ज्यादा अच्छे परिणाम निकल सकते है। यह सवाल उचित सगठन का है और वर्तमान क्षेत्रीय अभिकरण किस प्रकार मजबूत किए जा सकते है, इस सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है।

21 प्राविडेंट फंड इस्पात-समीकरण-कोश और योजना-भिन्न व्यय के पश्चात् विविध पूंजीगत प्राप्तियों की बचत : दूसरी योजना में प्राविडेंट फडो में विशुद्ध रूप से 170 करोड रु० की नई राशि जमा हुई थी। तीसरी योजना में इस राशि का अनुमान 265

करोड़ रु० है। इसका एक कारण यह है कि केन्द्र और राज्यों में कुछ वर्गों के कर्मचारियों के वेतनक्रम बढ़ गए हैं और केन्द्र में अनिवार्य रूप से प्राविडेंट फंड योजना चालू की गई है। इस्पात-समीकरण-कोश के अन्तर्गत तीसरी योजना के काल में विशुद्ध प्राप्ति का अनुमान 105 करोड़ रु० है। पूंजीगत प्राप्तियों की अन्य मदों में जिनमें खुशहाली कर, कोश और धरोहर भी शामिल हैं, तीसरी योजना की अवधि में कुल 170 करोड़ रु० की आय का अनुमान है, जब कि दूसरी योजना में यह राशि 22 करोड़ रु० थी। पूंजी-खाते में आय और व्यय की बहुसंख्यक मदों का यह विशुद्ध परिणाम है। आय के मुख्य साधन ये हैं—खुशहाली कर, स्थानीय संस्थाओं, किसानों और अन्य लोगों को दिए गए कर्जों और पेशगी की वसूली, राजस्व से कोशों को हस्तान्तरण, तथा विविध धरोहरों, कोशों, प्रेषणों, आदि के अन्तर्गत विशुद्ध प्राप्तियां। व्यय के क्षेत्र में, उल्लेखनीय मदें ये हैं—विस्थापितों और जमींदारों को मुआवजा, किसानों को कर्ज और पेशगी, राज्य-व्यापार के कारण यदि कोई घाटा हो, तो वह, और योजना-भिन्न खर्च की अन्य मदें, जिनमें योजना से बाहर के नागरिक कामों पर होनेवाले खर्च भी शामिल हैं। तीसरी योजना के लिए 170 करोड़ रु० का अनुमान पिछली प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के उपरान्त इस धारणा पर लगाया गया है कि योजना-भिन्न पूंजीगत खर्च कम-से-कम किया जाएगा। यह अनुमान लगाते समय यह भी मान लिया गया है कि बकाया कर्ज और पेशगी रकमों की वसूली में शीघ्रता की जाएगी।

22 विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई प्राप्तियां इस मद के अन्तर्गत दिखाया गया 2,200 करोड़ रु० का उधार योजना की कुल 3,200 करोड़ रु० की विदेशी सहायता की राशि से सम्बद्ध है। 3,200 करोड़ रु० की सम्पूर्ण राशि सरकारी कोश में नहीं आएगी। विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त कुल धन में से 450-500 करोड़ रु० उन ऋणों की अदायगी में जाएंगे, जिनका भुगतान तीसरी योजना की अवधि में करना आवश्यक हो जाएगा। करीब 300 करोड़ रु० सीधे निजी क्षेत्र में निजी पूंजी-विनियोग के रूप में, अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम और अमेरिकी आयात-निर्यात-बैंक-सदृश संस्थाओं से प्राप्त ऋणों के रूप में चले जाएंगे। 200 करोड़ रु० अमेरिकी सरकार-द्वारा रुपया-विषयक साधनों के संचय के रूप में रखे जा सकते हैं, जिनके बारे में पहले ही समझौता हो चुका है, और साथ ही इस राशि से पी० एल० 480 के अंतर्गत आयात के लिए अतिरिक्त स्टाक रखने की भी व्यवस्था हो सकती है। इस प्रकार, कुल मिला कर करीब 1,000 करोड़ रु० बजट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अत, 3,200 करोड़ रु० की कुल विदेशी सहायता के बावजूद केवल 2,200 करोड़ रु० का ही इस मद के अन्तर्गत हिसाब किया जा सकता है।

करना होगा और सानुपातिक आवश्यकताओ तथा सम्पूर्ण रूप में अर्थव्यवस्था की ग्रहण-शक्ति के आधार पर सीमाए निर्धारित करनी होगी । इन सब बातो को मोटे तौर पर ध्यान में रखते हुए तीसरी योजना में घाटे की अर्थव्यवस्था की सीमा 550 करोड रु० निश्चित की गई है । रिजर्व बैंक-द्वारा सहकारी समितियो को सीधे उधार दिए जाने की बात इसमें शामिल नही है। परन्तु घाटे की अर्थव्यवस्था के सिलसिले में कितने धन का प्रबन्ध किया जाए, इसका निश्चय वर्ष-प्रति-वर्ष उपस्थित होनेवाली आर्थिक प्रवृत्तियो के आधार पर करना होगा । सरकारी या निजी, किसी भी क्षेत्र में योजना को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य आवश्यकता वास्तविक साधनो की होती है, और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस दर से उत्पादन बढता है और किस हद तक समुदाय उपभोक्ता-सामान का कम उपयोग करने तथा बचतो का विस्तार करने के लिए तैयार है । एक सीमा तक घाटे की अर्थव्यवस्था का विकासशील आयोजन में स्थान होता है, पर अगर यह ऐसे समय अनुचित रीति से क्रय-शक्ति बढाती है, जब कि योजना में निर्धारित सीमा तक उपभोग का स्तर रखने के लिए क्रय-शक्ति को दबाने की जरूरत हो, तो अर्थव्यवस्था के लिए इसके परिणाम अत्यन्त घातक हो सकते हैं ।

24 तीसरी योजना के लिए केन्द्र और राज्यो के साधनो के पृथक्-पृथक् अनुमान नीचे की तालिका में दिए गए हैं

तालिका-संख्या 3

तीसरी योजना के लिए साधन

(करोड रु०)

शीर्षक	केन्द्र	राज्य	योग
1 चालू राजस्वो से बचत (अतिरिक्त कराधान को छोड कर)	410	140	550
2 रेलवे का अंशदान	100	—	100
3 अन्य सरकारी उद्योग-व्यवसायो की बचत	300	150	450
4 जनता से ऋण (विशुद्ध)	475	325	800
5 छोटी बचतें (विशुद्ध)	213	387	600
6 प्राविडेंट फंड (विशुद्ध)	183	82	265
7 इस्पात-समीकरण-कोश (विशुद्ध)	105	—	105
8 योजना-भिन्न खर्चों के उपरान्त विविध पूंजीगत प्राप्तियो का शेष	428	−258	170
9 1 से 8 तक का योग	2,214	826	3,040
10 अतिरिक्त कराधान, जिसमें सरकारी उद्योग-व्यवसायो की बचत बढाने के उपाय शामिल हैं	1,100	610	1,710
11 विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई प्राप्तिया	2,200	—	2,200
12 घाटे की अर्थव्यवस्था	524	26	550
योग	6,038	1,462	7,500

राज्य-सरकारों के साधन

25 अगस्त-नवम्बर में राज्यों के साथ हुए विचार-विनिमय से यह पता चला कि उनके साधनों का कुल योग 1,416 करोड़ रु० है। इस अध्याय के अन्त में दिए गए अनुबन्ध 1 में इस अनुमान का राज्यवार विवरण दिया गया है। इस अनुमान में दो कारणों से पुनर्विचार की आवश्यकता हुई—(1) तीसरी योजना में केन्द्र से नए उधार लेने पर सूद की जिम्मेदारी, और (2) जनता से ऋण लेने के पहले अनुमानों में कमी। विचार-विनिमय के समय केन्द्र से प्राप्त ऋणों के बारे में सूद की जिम्मेदारी का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सका था। और उस समय अस्थायी तौर पर जो राशियां निश्चित की गई थीं, वे कम साबित हुईं। जनता से लिए गए ऋणों के क्षेत्र में भी, विचार-विनिमय के बाद जो अनुमान लगाया गया था, उसमें संशोधन करना पड़ा, ताकि केन्द्र और राज्यों, दोनों के सम्पूर्ण अनुमान के साथ उसका मेल बैठ सके। ये दोनों संशोधन कर लेने के बाद राज्यों के साधनों का अनुमान 1,346 करोड़ रु० ठहरता है।

26 सन् 1961-62 के बजट के आधार पर राज्यों के साधनों के बारे में आगे विचार करने पर पता चला कि राज्यों के साधनों की स्थिति अधिक अच्छी है; अब राज्यों के साधनों का कुल योग 1,462 करोड़ रु० होता है। इस वृद्धि का एक मुख्य कारण आयकर और विभाजनीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत केन्द्र से बड़े परिमाण में होनेवाले साधनों का हस्तान्तरण है। राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष जनवरी 1961 में राज्यों के साधनों के सम्बन्ध में जो अनुमान पेश किए गए और अभी हाल में सन् 1961-62 के बजटों के प्रकाश में जिन पर फिर से विचार किया गया, वे नीचे की तालिका में प्रस्तुत हैं

तालिका-संख्या 4

तीसरी योजना के लिए राज्यों के साधन

(करोड़ रु०)

शीर्षक	जनवरी 1961 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष पेश किए गए अनुमान	1961-62 के बजटों के प्रकाश में तैयार किए गए अनुमान
1 चालू राजस्वों की बचत . 1960-61 के कराधान के आधार पर	-12	140
2 सरकारी उद्योग-व्यवसायों की बचत	149	150
3. जनता से ऋण (विशुद्ध)	350	325
4 छोटी बचतें (विशुद्ध)	377	387
5. प्राविडेंट फंड (विशुद्ध)	79	82

तालिका-संख्या 4—जारी

(करोड रु०)

शीर्षक	जनवरी 1961 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् के समक्ष पेश किए गए अनुमान	1961-62 के बजटों के प्रकाश में तैयार किए गए अनुमान
6. योजना-भिन्न खर्चों के पश्चात् विविध पूजीगत प्राप्तियो का शेष	−233	−258
7. 1 से 6 तक का योग	710	826
8 अतिरिक्त कराधान, जिसमें सरकारी उद्योग-व्यवसायो की बचत बढाने के उपाय शामिल है	610	610
9 घाटे की अर्थव्यवस्था (अर्थात् सिक्यूरिटियो की बिक्री)	26	26
योग	1,346	1,462

इस सशोधित अनुमान का राज्यवार विवरण तैयार करना अभी बाकी है।

27 राज्यो के 1,462 करोड रु० के साधनो और 2,375 करोड रु० की केन्द्रीय सहायता को मिला कर राज्यीय योजनाओ के लिए 3,837 करोड रु० की व्यवस्था हो जाती है। यह राशि राज्यीय योजनाओ के लिए निर्धारित व्यय की रकम 3,847 करोड रु० के बहुत निकट है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति के अनुसार, कार्यक्रम की सीमा और राज्यो के वित्तीय साधनो के बीच की खाई बहुत नगण्य हो जाती है। खर्च में, खास कर योजना-भिन्न खर्च में, दृढतापूर्वक किफायतशारी करके अपने ही साधनो से ग्रामीण रोजगार-योजनाओ के खर्च में कुछ वृद्धि कर सकना राज्यो के लिए सम्भव हो सकता है।

अतिरिक्त कराधान

28 दूसरी योजना में, प्रारम्भ में अतिरिक्त कराधान का लक्ष्य 450 करोड रु० स्वीकार किया गया था। फिर यह देखा गया कि यह लक्ष्य अपर्याप्त है और दूसरी योजना की वित्त-योजना में 400 करोड रु० की जो कमी दिखाई गई है, उसका एक भाग अतिरिक्त कराधान-द्वारा पूरा करना होगा। दूसरी योजना की अवधि में वास्तव में 1,052 करोड रु० का कुल अतिरिक्त कराधान किया गया, जो कि प्रारम्भिक लक्ष्य और ऊपर निर्दिष्ट कमी के योग से भी अधिक था। परन्तु इतना अतिरिक्त कराधान करने के बावजूद, राष्ट्रीय आय में कर-राजस्व का अनुपात दूसरी योजना के आरम्भ के 7 5 प्रतिशत से बढकर दूसरी योजना के अन्त तक करीब 8 9 प्रतिशत तक ही पहुचा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप करो की आय में होनेवाली स्वाभाविक वृद्धि और तीसरी योजना की अवधि में प्रस्तावित 1,710 करोड रु० के अतिरिक्त कराधान से तीसरी योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय में कर-राजस्व का अनुपात बढ कर 11 4 प्रतिशत हो जाएगा। तीसरी योजना की आवश्यकताओं और आय में प्रत्याशित

वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कराधान की यह मात्रा आवश्यक होने के साथ-साथ व्यवहारिक भी है। सन् 1961-62 के केन्द्रीय बजट में इस दिशा में एक ठोस शुरुआत भी कर दी गई है।

29 पहली और दूसरी दोनो योजनाओ में इस बात पर जोर दिया गया था कि एक विकासरत अर्थव्यवस्था में, सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमो के लिए सुपुष्ट पूंजी-व्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक बचत का क्रमिक विकास एक आवश्यक तत्व है। निस्सन्देह, कराधान की भी अपनी सीमाएं हैं और एक निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाए जानेवाले सुदृढ कराधान के उपायो का निश्चय करते समय अनेक दुरूह आर्थिक तथा अन्य समस्याओ का ध्यान रखना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र में पूंजी-विनियोग के कार्यक्रमो के लिए काफी हद तक निजी क्षेत्र की सम्पूर्ण बचत के एक भाग को सरकारी कोश में पहुंचाना होता है। जनता से ऋण लेने और छोटी बचतो के कार्यक्रमो का झुकाव इसी ओर होना चाहिए। इसके साथ ही, सरकारी क्षेत्र में पूंजी-विनियोग के लिए वित्त-व्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक बचतो का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सार्वजनिक बचत से तात्पर्य है योजना-भिन्न व्यय के उपरान्त राजस्वगत प्राप्तियो का शेष और सरकारी उद्योग-व्यवसायो की बचतो का योग। इन उद्योग-व्यवसायो के उत्पादनो के सम्बन्ध में मूल्य-नीति निश्चित करते समय इन उद्योगो की बचत में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकास-कार्य के लिए वित्त-व्यवस्था की दिशा में सरकारी उद्योग-व्यवसायो के मुनाफे में वृद्धि और उसके पुन विनियोग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

30 कराधान के विभिन्न स्वरूपो में से किन-किन को अपनाया जाए, इसका निश्चय करते समय उनके वर्तमान स्तरो और उनमें सम्भावित वृद्धियो को ध्यान में रखना होगा। एक विकासरत अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दोनो प्रकार के कराधान की गुंजायश रहती है। प्रत्यक्ष कराधान की प्रवृत्ति उपभोग की मात्रा कम करने और व्यय-योग्य आमदनियो में कमी करके पुन विनियोग-योग्य बचत बढ़ाने की होती है। उपभोग की शक्ति को दबा कर रखने और व्यय होने-लायक आय को कम करता हुआ पूंजी-विनियोग के साथ बचत को विस्तृत करने की प्रेरणा देता है। अप्रत्यक्ष कराधान खर्च की गई आमदनी के मुकाबले में खरीद सकने-लायक माल की मात्रा में कमी लाकर अपना काम करता है। कराधान के इन दोनो तरीको के सानुपातिक भागो का निर्णय बड़ी गम्भीरता से किया जाना चाहिए। असली तथ्य यह है कि विकास के परिणामस्वरूप जो बचतें हो रही है, उन्हें ठीक स्थान पर काम में लाया जाए, ताकि अतिरिक्त कराधान ठीक दिशा में हो सके। तीसरी योजना की अवधि में कर लगाने-विषयक कार्यवाहियों का निश्चय वर्ष-प्रति-वर्ष पैदा होनेवाली आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रख कर करना होगा। परन्तु यहा यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वयोग की दृष्टि से अगर कराधान अपर्याप्त है, तो इसका मतलब न केवल पूंजी-विनियोग के लिए भारी हानि होगा, बल्कि इसके चलते स्वदेशी कीमतो पर भी भारी बोझ पड़ेगा, जो उत्पादन के ढंग को प्रभावित करेगा और आर्थिक विषमताओ को बढ़ाएगा।

31 आय-कर के क्षेत्र में, आम तौर पर दरें बढ़ाने का क्षेत्र सीमित है, हालांकि विशेष आय-वर्गों की बाबत दरों में समय-समय पर परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य निश्चय ही सार्वजनिक साधनो का विस्तार

और विभिन्न आय-वर्गो के बीच बोझ का उचित वितरण होना चाहिए। व्यक्तिगत आमदनियो और सम्पत्ति पर इस समय कई प्रकार के अन्य कर है—जैसे, धन-कर, पूजीगत लाभ-कर, व्यय-कर और सम्पत्ति-कर। इन करो से आमदनी अपेक्षाकृत कम होती है। इन करों का सामूहिक उद्देश्य न केवल सरकारी कोश के लिए अधिक धन की व्यवस्था करना है, बल्कि आर्थिक विषमता में कमी लाना भी है। इस सन्दर्भ में यह जरूरी है कि सम्बद्ध कर-कानून ऐसे हो कि कर छिपाने की कम-से-कम गुंजायश हो। सामूहिक आय पर कराधान के मामले में, इस समय कई प्रकार के प्रलोभन और रिआयतें पूजी-विनियोग के लिए दी जा रही है। पिछले पाच वर्षो में निजी पूजी-विनियोग के उच्च-स्तर में इसका योगदान कुछ कम नही है। इन प्रलोभनो और रिआयतो पर निरन्तर ध्यान देते रहना होगा, ताकि उनका लाभ उस ढग के पूजी-विनियोग को ही मिले, जिन्हें योजना में ऊची प्राथमिकता मिली है। जब ये रिआयतें दी जा रही है, तब यह खास तौर पर जरूरी हो जाता है कि कम्पनियो के खर्च के खातो की सावधानी से जाच की जाए और कर-कानूनो में इस बात के लिए समुचित व्यवस्था रहे कि व्यर्थ के खर्च यदि पूरी तरह समाप्त नही किए जा सकते हो, तो न्यूनतम तो रहें ही।

32 तीसरी योजना की अवधि में अप्रत्यक्ष कराधान में पर्याप्त वृद्धि होगी। भारत में ऐसे व्यक्ति बहुत कम है, जिन पर प्रत्यक्ष कर लगता है। तीसरी योजना के काल में प्रत्यक्ष करो के सग्रह में यद्यपि सुधार की सम्भावना है, तथापि योजना के लिए जरूरी साधन तब तक नही बढ सकते, जब तक विस्तृत पैमाने पर उपभोक्ता-सामग्रियो पर कर न लगाए जाए। उपभोग की अन्तिम स्थिति मे इस प्रकार का कराधान कुछ मामलो में बडा प्रभावशाली होगा। अन्य मामलो में, मध्यवर्ती उत्पादनो अथवा कच्चे माल पर यह अधिक उचित सिद्ध होगा। इस प्रकार का अप्रत्यक्ष कर स्वदेशी उपभोक्ता-द्वारा दी जानेवाली कीमत को बढाने की प्रवृत्ति दिखाता है। यह एक त्याग है, जिसे योजना के एक अग के रूप में स्वीकार करना होगा। यह भी नही भूलना चाहिए कि अगर कराधान अपर्याप्त है, तो सम्भावित लाभ बिचौलियो और व्यापारियो को अनुचित मुनाफे के रूप में मिलेगा। इन अप्रत्यक्ष करो में से कुछ गरीब लोगों पर असर डालते है। पर अधिकाश उन्ही लोगो को प्रभावित करते है, जिनकी आमदनी अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरे शब्दो में, अप्रत्यक्ष करो मे भी क्रमिक विकास का तत्व होता है। परन्तु इस सच्चाई से बचने का कोई उपाय नही है कि भारत-जैसे देश में, जहा के अधिकाश लोग गरीब है, योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन तब तक उपलब्ध नही हो सकते, जब तक जनता के समस्त वर्ग कुछ त्याग करने के लिए तत्पर न हो।

33 अन्त में, इस सन्दर्भ में एक शब्द कराधान-द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने में राज्य-सरकारो की भूमिका के बारे में कहना जरूरी है। इसमें कोई सन्देह नही कि अतिरिक्त कर-प्रयत्नो के एक बडे भाग की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है, पर राज्य-सरकारो का भी इस क्षेत्र में सक्रिय होना और अपनी भूमिका निभाना कम जरूरी नही है। ग्रामीण क्षेत्र मे कराधान का काम मुख्यत उन्ही को करना है। उन्हें राजस्व के लचीले साधनो—जैसे, बिक्री-कर—का प्रभावपूर्ण ढग से उपयोग करने पर विशेष ध्यान देना होगा। पिछले कुछ वर्षो में इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-सग्रह मे

उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है, पर विभिन्न राज्यों से हुए विचार-विनिमय से पता चलता है कि इस मामले में प्रशासन-व्यवस्था को कड़ा करने की अभी काफी गुंजायश है। वर्तमान अनुमान के अनुसार, तीसरी योजना में निश्चित अतिरिक्त कराधान के 1,710 करोड रु० के लक्ष्य में से लगभग 610 करोड रु० की व्यवस्था राज्यो को करनी होगी। सन् 1961-62 में राज्यो-द्वारा अतिरिक्त कराधान आशा से कम हुआ। यह जरूरी है कि आनेवाले वर्षों में इस कमी को पूरा किया जाए। राज्य-सरकारो के उद्योग-व्यवसायो को भी अपनी बचत का विस्तार करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

निजी क्षेत्र का पूंजी-विनियोग

34 प्राप्त किए जानेवाले साधनो की दृष्टि से, सरकारी और निजी क्षेत्रो के पूंजी-विनियोग-कार्यक्रमो पर एक साथ ही विचार करना होगा, क्योंकि दोनो बचत के एक ही स्रोत से शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दो में, प्रश्न यह है कि अगर ऊपर उल्लिखित तरीके से सरकारी पूंजी-विनियोग-कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था करनी है, तो क्या निजी क्षेत्र उन कार्यक्रमो को पूरा कर सकेगा, जिनका दायित्व इस योजना में उसके ऊपर लादा गया है। इस प्रश्न को एक दूसरे ढंग से भी पेश किया जा सकता है - निजी क्षेत्र के पूंजी-विनियोग के कार्यक्रमो की पूर्ति के बाद, क्या सरकारी क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन जुटा सकने में समर्थ होगा? इन प्रश्नो का उत्तर स्पष्टत उन अनुमानो पर, जो कुल बचतो की प्रगति के सम्बन्ध में लगाए जा सकते हैं, और उन्हें व्यवस्थित करने की तकनीको की पर्याप्तता पर निर्भर करता है। बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है और उपभोग पर लगाई गई विभिन्न रुकावटें कहा तक पर्याप्त हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था के एक बडे हिस्से के पूंजी-विनियोग और बचतो के बारे में प्राप्त तथ्य अपर्याप्त है, इसलिए यह सम्भव नही है कि निजी पूंजी-विनियोग के लिए कोषो के उपयोग और स्रोतो के बारे में सर्वथा यथार्थ अनुमान लगाए जा सकें। पर, मोटे तौर पर, दूसरी योजना की अवधि में सामने आई प्रवृत्तियो पर विचार करते हुए और तीसरी योजना की अवधि में सम्भावित प्रवृत्तियो को दृष्टि में रखते हुए यह अनुभव किया जाता है कि निजी पूंजी-विनियोग के लिए कुल 4,300 करोड रु० की वित्तीय व्यवस्था हो सकती है, जो कि बचतो पर सरकारी क्षेत्र के दावो के अनुकूल सिद्ध होगी।

35 अगले पृष्ठ की तालिका में यह दिखाया गया है कि तीसरी योजना की अवधि में मुख्य शीर्षको के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में पूंजी-विनियोग के सम्भावित स्तर क्या होंगे। इनके साथ तुलना के लिए दूसरी योजना के प्रारम्भिक अनुमान और परवर्ती अध्ययनो के प्रकाश में संशोधित पूंजी-विनियोग के अनुमान भी दिए गए हैं।

पूंजी-विनियोग के लिए कुल 1,350-1,400 करोड़ रु० की जरूरत है, वहां उपलब्ध साधन आवश्यकता के अनुपात में कुछ कम मालूम होते हैं। इस आधार पर, इस क्षेत्र के कुछ कार्यक्रम, चौथी योजना में चले जा सकते हैं, खास तौर पर इसलिए कि उनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।

36 निजी क्षेत्र के पूंजी-विनियोग की कुल राशि 4,300 करोड़ रु० में से 200 करोड़ रु० की व्यवस्था सरकारी क्षेत्र से साधनों के हस्तान्तरण-द्वारा होगी। रिज़र्व बैंक-द्वारा कृषि, लघु उद्योगों और सहकारी समितियों को सहायता भी बड़े पैमाने पर दी जाएगी। निजी क्षेत्र को 300 करोड़ रु० तक की विदेशी सहायता मिल सकेगी। दूसरी योजना की अवधि में निजी क्षेत्र के पूंजी-विनियोग का स्तर काफी ऊंचा था और इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि विकास-प्रक्रिया-द्वारा उत्पन्न अवसरों से निजी उद्योग-व्यवसाय अधिकाधिक लाभ उठाने को तैयार हैं। निजी क्षेत्र में 4 300 करोड़ रु० तक का पूंजी-विनियोग किया जा सकना किसी भी प्रकार कठिन नहीं प्रतीत होता। ऊपर की तालिका में दिए गए कुछ अनुमान—जैसे, आवास, और अन्य इमारती काम तथा परिवहन—अधिक बढ़ाए जा सकते हैं। कृषि में पूंजी-विनियोग अंशत ग्रामीण क्षेत्र की बचतों और अंशत सरकार तथा सहकारी संस्थाओं-द्वारा कृषि को दी जानेवाली सहायता पर निर्भर करता है। योजना में परिकल्पित कृषि-उत्पादन-वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सम्भवत यह वाछनीय होगा कि तालिका में दिखाए गए आंकड़े से कहीं अधिक पूंजी-विनियोग कृषि के क्षेत्र में हो। हालांकि जैसा कि पहले कहा गया है, सारा पूंजी-विनियोग एक तरह से बचत के एक ही स्रोत से वित्त प्राप्त करता है, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि कुछ बचतें एक खास दिशा में ही प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान या छोटा कारीगर बचत करने के लिए तैयार होगा, अगर उसे अपने ही खेत या कारखाने में पूंजी लगानी है। इस प्रकार, पूंजी-विनियोग करने और बचत-सम्बन्धी निर्णय एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आवास के बारे में भी यही बात कुछ हद तक लागू होती है। अगर इस ढंग के पूंजी-विनियोग को कम किया गया, तो सम्भवत बचतें भी कम होंगी। फिर भी, यह बात माननी होगी कि एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में निजी पूंजी-विनियोग—खास तौर पर वह पूंजी-विनियोग, जो संगठित पूंजी-बाजार से रकम खींचता है—पूंजी-विनियोग के सम्पूर्ण साधनों की सीमा और सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर नियमित किया जाना चाहिए।

विदेशी साधन

37 विदेशी साधनों की समस्या एक ऐसे देश के लिए बड़ी कठिन होती है, जो औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्था में होता है। काफी प्रयत्न करके वह अपने विदेशी मुद्रा-अर्जन में वृद्धि कर सकता है, पर अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील आयात-आवश्यकताओं को पूरा करने में वह वर्षों तक समर्थ नहीं हो सकता। आन्तरिक साधनों की कमी को दूर करना तो अर्थव्यवस्था पर विभिन्न दबाव में रख कर पूरा किया जा सकता है। पर विदेशी मुद्रा एक विशिष्ट साधन है, जिसका अर्जन या तो अधिक मात्रा में किए गए निर्यात से होता है अथवा विदेशी साधनों की प्राप्ति से। पहली योजना की अवधि में भारत के भुगतान-सन्तुलन पर बहुत थोड़ा दबाव पड़ा था, पर दूसरी योजना के पहले दो वर्षों में विदेशी

मुद्रा-कोश मे तेजी से 481 करोड रु० की गिरावट आ गई। परवर्ती वर्षों में इस कोश से और भी राशि निकाली गई और तीसरी योजना का प्रारम्भ इस सुरक्षित कोश की ऐसी अवस्था से होता है, जिसमें और उल्लेखनीय ह्रास की गुंजायश नही है।

38 तीसरी योजना इस आधार पर बनाई गई है कि प्राप्त करनेवाले और देनेवाले, दोनो देशो के लिए यह लाभकारी होगा कि अपेक्षाकृत थोडे समय के लिए विदेशी सहायता की पर्याप्त राशि दे दी जाए, न कि अनिश्चित अवधि के लिए सहायता की विभिन्न और अनिश्चित राशियो का क्रम चलता रहे। तीसरी और चौथी योजनाओ में भारत में विकास के प्रयत्न पूजीगत सामान और मशीन-निर्माण-उद्योगो के विकास पर केन्द्रित करने होगे और इनके साथ ही खनन, बिजली और परिवहन का ऐसे स्तर पर विकास करना होगा कि देश इस अवधि में उन पूजीगत सामानो और मशीनो का एक बडा भाग स्वदेश में ही पर्याप्त मात्रा में बनाने लगे, जिनकी उसे पूजी-विनियोग के ऊचे स्तर को पुष्ट करने के लिए आनेवाले वर्षों में जरूरत पडेगी। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को अधिकतम उन्नत करने और निकट भविष्य में दृढ विदेशी मुद्रा की स्थिति प्राप्त करने की आवश्यकता की दृष्टि से, यह एक प्राथमिक बात है। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकताए—विदेशी सहायता की आवश्यकताए भी—तीसरी योजना में काफी बडी होगी।

भुगतान-सन्तुलन : पहली और दूसरी योजनाएं

39 पहली योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि-उत्पादन बढाना और विकास के प्रमुख आर्थिक अगो—जैसे, सिचाई, बिजली और परिवहन—को सुसगठित करना था। उद्योग के क्षेत्र में, सबसे अधिक जोर विद्यमान क्षमता का अधिक पूर्णता से उपभोग करने पर था। उद्योग और खनिज पदार्थों की मदो में सरकारी क्षेत्र का पूजी-विनियोग कुल व्यय-राशि का एक छोटा अश-मात्र ही था। पहली योजना में प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा का अश लगभग 400 करोड रु० था। योजना के पहले साल—सन् 1951-52—में भुगतान-सन्तुलन का घाटा 234 करोड रु० का था, पर बाद के वर्षों में कृषि और उद्योग के उत्पादनो में वृद्धि होने से स्थिति काफी सुधर गई। सम्पूर्ण योजना-अवधि में भुगतान-सन्तुलन का घाटा 318 करोड रु० रहा। इसमें से 196 करोड रु० विदेशी सहायता से और 122 करोड रु० विदेशी मुद्रा-कोश से रकम निकाल कर पूरा किया गया।

40 अगले पृष्ठ की तालिका में दूसरी योजना की अवधि की भुगतान-सन्तुलन की स्थिति प्रस्तुत की गई है। (सन् 1960-61 की सख्याओ में सशोधन सम्भावित है)।

तालिका-संख्या 6

भारत का भुगतान-सन्तुलन—दूसरी योजना

(करोड़ रु०)

शीर्षक	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61 प्रारम्भिक	योग दूसरी योजना 1956-61
1 निर्यात	635	594	576	623	625	3,053
2 आयात	1,099	1,233	1,030	923	1,075	5,360
3. व्यापार-सन्तुलन	−464	−639	−454	−300	−450	−2,307
4 अदृश्य (शुद्ध) (सरकारी दानों का छोड़ कर)	111	102	81	71	55	420
5 चालू खाता (शुद्ध)	−353	−537	−373	−229	−395	−1887
6. पूंजीगत लेन-देन (शुद्ध) (सरकारी ऋणों को छोड़ कर)	−36	−23	−10	−58	−45	−172
7. कुल शेष वित्त-व्यवस्था	−389	−560	−383	−287	−410	−2059
(क) विदेशी सहायता (जिसमें पी० एल० 480 और 665-सहायता शामिल है)	113	285	341	295	392	1,106
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोश से निकासी (शुद्ध)	55	35	—	−24	−11	55
(ग) विदेशी मुद्रा-कोश का उपयोग	221	260	42	16	59	598
योग	389	560	383	287	440	2,059

भुगतान-सन्तुलन का घाटा पाच वर्षों की अवधि में अनुमानत लगभग 2,100 करोड रु० का हुआ, जब कि योजना का अनुमान 1,100 करोड रु० का था। योजना प्रारम्भ होने के तत्काल बाद ही, विदेशी खाते पर भारी बोझ पडा और दो साल के अन्दर विदेशी मुद्रा के साधनों में 481 करोड रु० की कमी आ गई। सन् 1958 में आर्थिक स्थिति पर पुन विचार करके यह निश्चय किया गया कि योजना में कुछ कमी कर दी जाए और अनिवार्य परियोजनाओं पर ही बल दिया जाए। योजना के लिए काम में लाई गई कुल विदेशी सहायता प्रारम्भ में निश्चित किए गए स्तर से 50 प्रतिशत अधिक साबित हुई। विदेशी सहायता के साधनों से निकासी 600 करोड रु० तक पहुच गई, जब कि योजना का अनुमान कुल 200 करोड रु० का था।

41 दूसरी योजना में विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी जो प्रतिकूल स्थिति उपस्थित हुई, उसका कारण कुछ तो यह था कि योजना की सीधी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का अनुमान कम लगाया गया, और कुछ यह कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था की बढती हुई आयात की आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान नही रखा गया। योजना के प्रारम्भिक काल में निजी पूजी-विनियोग की गति में जो वृद्धि हुई, उससे भी विदेशी मुद्रा की दिक्कतें पैदा हुई, यद्यपि इससे योजनाकाल के समूचे योग के घाटे की अपेक्षा सम्भवत घाटे की काल-स्थिति पर ही अधिक प्रभाव पडा। आयोजन की इन कमियों के कारण पैदा हुई दिक्कते योजनाकाल में खेती की दो खराब फसलों के कारण ज्यादा बढ गई। योजना के भुगतान-सन्तुलन के अनुमान में 60 लाख टन खाद्यान्न के आयात की व्यवस्था थी, परन्तु वस्तुत योजनाकाल में करीब 2 करोड टन खाद्यान्नों का आयात हुआ। कच्ची कपास का आयात भी काफी बडी मात्रा में हुआ। परन्तु विदेशी मुद्रा के इस सकट के पैदा होने के समय से कडी आयात-नीति का अवलम्बन किया गया है। अर्द्धवार्षिक आधार पर, विदेशी मुद्रा के आवटन का एक कठोर तरीका अपनाया गया है और विदेशी सहायता के अन्तर्गत न आनेवाला कोई महत्वपूर्ण नया वायदा नही किया गया है।

तीसरी योजना की विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताएं

42 पाच वर्ष की अवधि के लिए भुगतान-सन्तुलन की प्रवृत्तियों के अनुमान अनिवार्यत. कठिनाइया उपस्थित करते है, और उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में इस विशेष स्थिति में इन्हें सर्वोत्तम निर्णय के रूप में ही ग्रहण किया जा सकता है। जून 1960 मे प्रस्तुत तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में पाच साल की अवधि के लिए निर्यात की आय का अनुमान 3,450 करोड रु० लगाया गया था। अदृश्यों की शुद्ध आमदनी का अनुमान 120 करोड रु० था। उसमें यह कहा गया था कि इन कुल प्राप्तियों से, कार्य-सचालन के लिए किए जानेवाले कुल 3,570 करोड रु० के आयात का भुगतान किया जाएगा। इस आधार पर, तीसरी योजना के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता बढ कर 2,600 करोड रु० हो गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है

(करोड़ रु०)

1 योजना की परियोजनाओं के लिए जरूरी पूंजीगत सामान और उपकरणों के आयात के लिए भुगतान	1,900
2 पूंजीगत सामान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कल-पुर्जे, सन्तुलन-उपकरण इत्यादि	200
3 पूरी होनेवाली देनदारियों के लिए पुनः वित्त-व्यवस्था	500
योग	2,600

इस योग में पी० एल० 480 के आयात शामिल नहीं हैं। अभी कुछ महीने पहले, अमेरिकी सरकार के साथ करीब 600 करोड़ रु० मूल्य के खाद्यान्न के आयात के लिए किए गए समझौते को दृष्टि में रखते हुए, योजनाकाल में भुगतान-सन्तुलन की कमी का अनुमान 3,200 करोड़ रु० है।

43 इन अनुमानों पर पिछले महीनों में फिर विचार किया गया है। तीसरी योजना के कुल पूंजी-विनियोग की राशि 10,400 करोड़ रु० नियत की गई है और इसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान 2,030 करोड़ रु० है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सरकारी क्षेत्र में पूंजी-विनियोग की राशि 6,100 करोड़ रु० निश्चित की गई है, परन्तु इस क्षेत्र में कुल व्यय की राशि 7,500 करोड़ रु० है, निजी क्षेत्र में पूंजी-विनियोग की राशि 4,300 करोड़ रु० है। इन पूंजी-विनियोग-कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं नीचे की तालिका में दिखाई गई हैं

तालिका-संख्या 7

तीसरी योजना में पूंजी-विनियोग और विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं

(करोड़ रु०)

मदें	कुल पूंजी-विनियोग	विदेशी मुद्रा
क सरकारी क्षेत्र		
1 कृषि और सामुदायिक विकास	610	30
2 बड़ी और मध्यम सिंचाई	650	50
3 बिजली	1,012	320
4 ग्राम और लघु उद्योग	100	20
5 बड़े और मध्यम उद्योग तथा खनिज पदार्थ (तेल-सहित)	1,470	690
6 परिवहन और संचार-साधन	1,486	320
7 सामाजिक सेवाएं और विविध	572	90
8 इन्वेंटरियां	200	*
कुल (सरकारी क्षेत्र)	6,100	1,520

*इन्वेंटरियों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं अन्य मदों में शामिल कर ली गई हैं।

तालिका-सख्या 7—जारी

मदें	कुल पूजी-विनियोग	विदेशी मुद्रा
ख निजी क्षेत्र		
1 बडे और मध्यम उद्योग, खनिज पदार्थ तथा परिवहन	1,350	495
2 ग्राम और लघु उद्योग	325	15
3 अन्य	2,625	नही
योग (निजी क्षेत्र)	4,300	510
ग. सर्वयोग (क+ख)	10,400	2,030

44 योजना की परियोजनाओ से सम्बद्ध आयात की इन आवश्यकताओ के अतिरिक्त कच्चा माल, कल-पुर्जे, पुरानी मशीनो को बदलना, इत्यादि के रूप में अर्थव्यवस्था की सामान्य आवश्यकताए भी है। अनुमानो मे ऐसे आयातो के लिए 3,650 करोड रु० की व्यवस्था है। प्रारम्भिक रूपरेखा में की गई व्यवस्था की तुलना मे यह राशि 80 करोड रु० अधिक है। दरअसल, जरूरतें ज्यादा है, पाच वर्ष की अवधि के लिए 3,800 करोड रु० का अनुमान अधिक नही होगा, फिर भी, वर्तमान स्थिति में इस काम के लिए इससे अधिक साधनो की व्यवस्था करना सम्भव नही है। इसका मतलब यह हुआ कि क्षमता का कुछ कम उपयोग बर्दाश्त करना ही पडेगा।

45 सन् 1961-62 में निर्वाह-आयातो का अनुमान 746 करोड रु० का है। योजना के उत्तरार्द्ध में इनमें कमी आएगी, जब कच्ची कपास, लोहा और इस्पात, अल्युमीनियम, औद्योगिक मशीनो और परिवहन-उपकरणो, रासायनिक अन्तरायको, इत्यादि का उत्पादन योजना की अवधि में क्रमिक रूप से बढेगा। स्वदेशी उत्पादन मे इन वृद्धियो के परिणामस्वरूप आयात के क्षेत्र में कुछ बचत होगी, पर इसके साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रो की आवश्यकताए बढेगी और आयात मे वृद्धि अवश्यम्भावी हो जाएगी।

46 योजना मे शामिल किए गए पूजी-विनियोग-कार्यक्रमो के लिए मशीनो और परिवहन-उपकरणो का उत्पादन बढाने के हेतु आवश्यक यन्त्रो तथा अन्य मध्यवर्ती उत्पादनो के आयात के लिए प्रारम्भिक रूपरेखा में 200 करोड रु० की जो व्यवस्था की गई थी, उसे स्थिर रखा गया है। इस सन्दर्भ में इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि निर्वाह-जन्य आयात और विकासमूलक आयात के बीच कोई स्पष्ट सीमा-रेखा नही खीची जा सकती। ऊपर उल्लिखित 200 करोड रु० की व्यवस्था मुख्यत इस तथ्य को प्रधानता देने के लिए की गई है कि योजना की परियोजनाओ की कार्यान्विति के लिए न केवल पूरी मशीनो के आयात की, बल्कि उन सामानो के भी आयात की जरूरत होती है, जिनसे देश में उपकरण तैयार किए जा सकते है। पूर्ण क्षमता-स्तर पर पूजीगत सामान का उत्पादन जारी रखने के लिए जिन विभिन्न उपकरणो और मध्यवर्ती उत्पादनो की आवश्यकता होती है, उनका जोड और भी ऊची सख्या तक पहुचता है, और जैसे-जैसे

मशीन-निर्माण की क्षमता बढेगी, वैसे-वैसे ये आवश्यकताए भी बढती जाएगी। मोटे तौर पर, 3,650 करोड रु० के अनुमान में जिन अन्य निर्वाह-आयातो को शामिल किया गया है, उनमें से अनेक का उपयोग पूजीगत सामान का उत्पादन बढाने में होगा। उदाहरण के लिए, अलौह धातुओ का एक मुख्य उपयोग ऐसे तार (केबल) बनाने में है, जो बिजली की सचरण-व्यवस्था का अग होते है, और इस्पात की अनुमानित खपत का एक बडा हिस्सा पूजीगत उपकरणो के निर्माण और रचना में जाएगा। इस प्रकार, ऐसे आयातो की वित्त-व्यवस्था के लिए प्राप्त विदेशी सहायता का योजना की पूर्ति में वैसा ही प्रत्यक्ष योगदान होता है, जैसा मशीनो और उपकरणो के आयात का, और वस्तुत यह बात महत्वपूर्ण है कि योजना के लिए कुल सहायता का एक अश ऐसे परियोजना-भिन्न आयातो के रूप में प्राप्त हो।

47 पिछले कुछ समय से यह स्पष्ट है कि अगर देश को बढती हुई आयात की आवश्यकताओ को पूरा करने की स्थिति में आना है और विदेशी खाते में सन्तुलन लाने की ओर क्रमश बढना है, तो निर्यात के लिए अत्यन्त सघन प्रयत्न करना अनिवार्य है। जैसा कि पहले कहा गया है, उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था इतनी सबल हो जाए कि निर्यात-द्वारा वह काफी कमा सके, और करीब 10 वर्ष की अवधि में विदेशी सहायता पर निर्भरता में खासी कमी आ जाए। पिछले दो-तीन वर्षों से निर्यात-वृद्धि पर काफी जोर दिया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इससे सम्बद्ध त्याग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाए और तदनुसार ही सतत प्रयत्न किए जाए, ताकि ऐसे परिणाम निकल सकें, जो हमारी आवश्यकताओ के अनुकूल हो। उन मार्गों का, जिन पर चल कर इन प्रयत्नो को सघन किया जा सकता है और जिनके द्वारा निर्यात की स्थिति सुधर सकती है, विवरण एक अन्य अध्याय में दिया गया है।

48 परवर्ती तथ्यो के अनुसार, भुगतान-सन्तुलन की कुछ अन्य मदो का भी फिर से अनुमान लगाया गया है। निम्नलिखित तालिका में तीसरी योजना के लिए भुगतान-सन्तुलन के अनुमान अपने वर्तमान रूप में प्रस्तुत किए गए है

तालिका-संख्या 8

तीसरी योजना में विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओ के लिए वित्त-व्यवस्था

(करोड रु०)

	दूसरी योजना कुल	तीसरी योजना कुल	1961-62	वार्षिक औसत तीसरी योजना
क आय				
1 निर्यात	3,053	3,700	667	740
2. अदृश्य (शुद्ध) (सरकारी दान छोड कर)	420*	—	22	—

*पी० एल० 480 के आयातों के लिए आरम्भ में भारत ने जो माल-भाड़ा चुकाया था, उसकी अमेरिका-द्वारा वापसी इसमें सम्मिलित है।

तालिका-संख्या 8—जारी

	दूसरी योजना कुल	तीसरी योजना कुल	1961-62	वार्षिक औसत तीसरी योजना
3 पूजीगत लेन-देन (शुद्ध) (सरकारी ऋणो की प्राप्ति और निजी विदेशी पूजी-विनियोग को छोड कर)	−172	−550	−133	−110
4 विदेशी सहायता	927@	2,600	575†	520
5 विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश से निकासी	598	—	—	—
योग (1 से 5)**	4,826	5750	1,131	1,150
ख भुगतान				
1 योजना की परियोजनाओ के लिए मशीनो-उपकरणो के आयात		1900	325	380
2 पूजीगत सामान का उत्पादन बढाने के लिए कल-पुर्जे और अन्तरायक उत्पादन, आदि	4,826	200	60	40
3 निर्वाह-आयात		3,650	746	730
योग (1 से 3)	4,826	5,750	1,131	1,150

49 ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि तीसरी योजना की अवधि मे निर्यात से कुल प्राप्ति का अनुमान इस समय 3,700 करोड रु० लगाया गया है, जब कि दूसरी योजना में वास्तविक प्राप्ति 3,053 करोड रु० की हुई और प्रारम्भिक रूपरेखा में 3,450 करोड रु० का अनुमान लगाया गया। पिछले कुछ महीनो में अर्थव्यवस्था की आयात की आवश्यकताओ के बारे में विशेष अध्ययन किया गया है और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह साफ जाहिर है कि निर्यात के बारे में जब तक आगे पर्याप्त कदम नही बढाए जाएगे, अर्थव्यवस्था की प्रगति भयकर रूप से सकटग्रस्त रहेगी। तालिका में जो 3,700 करोड रु० का अनुमान दिखाया गया है, वह न्यूनतम है, आवश्यकता दरअसल अधिक की है। परन्तु निर्यात के पनपने में समय लगता है और यह यथार्थ अनुमान लगा सकना सम्भव नही है कि पाच वर्षों में आय के वास्तविक स्तर क्या होगे।

@ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोश से विशुद्ध निकासी इसमें सम्मिलित है।

† नीचे दिखाए गए आयातो की वित्त-व्यवस्था के लिए आवश्यक विदेशी सहायता का द्योतक है।

*पी० एल० 480 के आयात दोनो ओर से छोड दिए गए है—लगभग 534 करोड रु० दूसरी योजना के लिए और 600 करोड रु० तीसरी योजना के लिए।

3,700 करोड रु० का अनुमान समस्त मुख्य वस्तुओ के सम्भावित निर्यात के बारे में अध्ययन करने के पश्चात् लगाया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने का पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए। सम्पूर्ण योजनाकाल मे निर्यात की प्रवृत्तियो का सर्वोच्च स्तर पर परीक्षण होते रहना चाहिए और ऐसे दृढ कदम उठाए जाने चाहिए कि निर्यात की आय अधिक-से-अधिक बढे। इस सन्दर्भ मे दो बातो पर ध्यान देने की आवश्यकता है—पहली यह, कि उत्पादन-वृद्धि से जहा निर्यात के लिए उपलब्ध सामग्रियो की मात्रा बढेगी, वहा इस सकटकाल में विदेशी मुद्रा की कमाई बढानी होगी, भले ही इसके लिए देश में खपत बहुत कम करनी पडे। दूसरी बात यह, कि निर्यात उसी हद तक बढेगा, जिस हद तक हमारे उत्पादन प्रतियोगिता में ठहरने-योग्य होगे। आगामी वर्षों में यह ज़रूरी होगा कि निर्यात के हित में न केवल उपभोग में कटौती की जाए, बल्कि उत्पादकता भी बढाई जाए और उत्पादन-व्यय कम किया जाए।

50 पिछले पाच वर्षों में अदृश्यो से शुद्ध प्राप्ति की राशि में गिरावट आई है। सन् 1956-57 में जहा यह राशि 111 करोड रु० थी, वहा सन् 1959-60 में 71 करोड रु० रह गई। सन् 1960-61 में शुद्ध प्राप्तियो का अनुमान केवल 55 करोड रु० है। गिरावट की यह प्रवृत्ति एक ओर सूद और लाभाश की मदो में बढते हुए भुगतान को प्रकट करती है और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कमी को। तीसरी योजना की अवधि में कुल प्राप्ति में, विशेषत विदेश-यात्रा, परिवहन और बीमे के अन्तर्गत, सुधार की आशा है। पर यह सुधार दूसरी और तीसरी योजना के ऋणो की सूद-सम्बन्धी देनदारियो में वृद्धि के कारण व्यर्थ हो जाएगा। पी० एल० 480 के आयातो के माल-भाडे के 50 प्रतिशत का भुगतान करने की भी व्यवस्था करनी होगी। सन् 1961-62 में अदृश्यो पर 22 करोड रु० की बचत का अनुमान है। पर आगामी वर्षों में इसमें क्रमश कमी होती जाएगी, यहा तक कि पाच वर्ष की अवधि मे अदृश्यो के क्षेत्र मे आय और भुगतान लगभग बराबर हो जाएगे।

51 तीसरी योजना की अवधि में जिन उधारो और ऋणो का भुगतान करना है, उनका योग 450 करोड रु० है। अन्य पूजीगत लेन-देन के चलते भी 41 करोड रु० के देश मे बाहर जाने का अनुमान है। सिन्धु-जल-सन्धि के अन्तर्गत पाकिस्तान को और भी भारतीय मुद्रा की वापसी के लिए कुवैत को देने के हेतु भी 59 करोड रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, तीसरी योजना की अवधि में पूजीगत भुगतान के लिए कुल 550 करोड रु० की व्यवस्था करनी होगी।

52 इस सारी विवेचना का परिणाम यह निकलता है कि भुगतान-सन्तुलन की स्थिति पर दबाव जारी रहेगा और 3,700 करोड रु० तक के निर्यात के बावजूद विदेशी खाते में मुश्किल से सन्तुलन आ सकेगा। निर्यात का यह लक्ष्य पूरा करना सहज नही है। इसके लिए यह जरूरी है कि विदेशो में स्थिति अनुकूल हो और स्वदेशी नीति-विषयक निर्णयो में निर्यात को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि योजना के लिए मशीनो और सामानो की आयात-आवश्यकताए 130 करोड रु० अधिक है, अर्थात् पहले के 1,900 करोड रु० के अनुमान की तुलना में 2,030 करोड रु०। ऊपर की तालिका में दिए गए अनुमानो में यह मान लिया गया है कि विदेशी सहायता में से इस प्रकार के आयातो के लिए भुगतान कुल 1,900 करोड रु० तक सीमित होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बकाया रकम को पूरा करने के लिए तालिका में निर्दिष्ट

रकम से भी अधिक निर्यात-विषयक आय करनी होगी। तीसरी योजना के लिए कुल विदेशी सहायता 2,600 करोड रु० ली जा रही है। प्रारम्भिक रूपरेखा में भी यह राशि इतनी ही थी। यह राशि पी० एल० 480 के आयातो के अतिरिक्त है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, चूंकि भुगतान-सन्तुलन की स्थिति अभी जटिल बनी रहेगी, इसलिए तीसरी योजना की अवधि में यह जरूरी होगा कि विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी बजट और उसके बटवारे का तरीका कठोर रहे। स्पष्टत आगामी वर्षो मे इस बात की बहुत कम गुजायश है कि किसी नई औद्योगिक क्षमता के लिए लाइसेंस दिया जाए, क्योकि इसके लिए योजना में कोई व्यवस्था नही है। ऐसे मामलो में भी, जहा मशीनो और उपकरणो के आयात के लिए वित्त-व्यवस्था विदेशी साधनो से की जा सकती है, यह बात सोचनी होगी कि उससे सम्बद्ध कच्चा सामान, उपकरण, फालतू पुर्जे इत्यादि की व्यवस्था हो सकेगी या नही। दूसरे शब्दो में योजना के औद्योगिक लक्ष्यो में किसी प्रकार के सुधार के बारे में सभी दृष्टियो से सोचना होगा, जिनमें ये बातें भी शामिल होंगी—विदेशी मुद्रा, सहायक स्वदेशी साधनो, और पर्याप्त परिवहन, बिजली, तकनीकी कर्मचारियो की उपलब्धता।

53 दूसरी योजना के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास-बैंक तथा कई मित्र देशो से बहुमूल्य सहायता मिली। सन् 1960 के शुरू में बैंक ने तीन प्रमुख बैंक-विशेषज्ञो का एक दल भारत की विकास-सम्बन्धी समस्याओ और आवश्यकताओ का अध्ययन करने के लिए भेजा। इस दल की रिपोर्ट मे प्रसगवश उन मोटे तरीको का सकेत किया गया था, जिनमे तीसरी योजना में परिकल्पित कार्यो की पूर्ति के लिए विदेशी साधन सहायक हो सकते है। इसके बाद, बैंक का एक विशेषज्ञ-दल इस देश मे आया और उसने योजना का कई बार और तकनीकी दृष्टि से अध्ययन किया, जिसमें विदेशी मुद्रा-विषयक पहलू भी शामिल था। पिछले कुछ समय मे विदेशो में इस बात को आम मान्यता दी जा रही है कि विकास-सम्बन्धी सहायता को सर्वाधिक प्रभावशाली और लाभदायक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सहायता कई साल के लिए पूरे भरोसे के साथ दी जाए, न केवल विशिष्ट परियोजनाओ की आवश्यकता को ध्यान मे रखा जाना चाहिए, बल्कि सम्पूर्ण विकास-कार्यक्रम को दृष्टि में रखना चाहिए, और भुगतान की शर्तें सहायता प्राप्त करनेवाले देश की आवश्यक निर्यात-बचत पैदा करने की ताकत के अनुकूल तय होनी चाहिए। स्पष्टत ये सवाल उद्योगीकृत देशो और सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो से सुदृढ कार्रवाई की अपेक्षा रखते है।

54 विगत लगभग एक वर्ष मे, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास-बैंक के तत्वावधान में भारत के आर्थिक विकास मे दिलचस्पी रखनेवाले मित्र राष्ट्रो के सघो की कई बैठकें हुई हैं और यह सन्तोष की बात है कि इन सघो की 31 मई से 2 जून, 1961 तक हुई अन्तिम बैठक में भारत को कुल 1,089 करोड रु० (228 6 करोड डालर) की सहायता का विश्वास दिलाया गया है ताकि उसके भुगतान-सन्तुलन को अविलम्ब सहायता मिल सके और सन् 1961-62 तथा 1962-63 में आयात के लिए जो आर्डर दिए जाने है, वे मुख्य रूप से पूरे हो सकें। अमेरिका इस बात के लिए तत्पर हो गया है कि वह सबसे बडा हिस्सा, कुल राशि का 50 प्रतिशत से कुछ कम भाग (104 5 करोड़ डालर), देगा। यह राशि 130 करोड डालर की पी० एल० 480 वस्तु-सहायता के अतिरिक्त होगी, जिसके बारे में पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इन मित्र राष्ट्र-सघ के अन्य सदस्यो ने भारत के लिए

591 करोड रु० (124 1 करोड डालर) की सहायता देने की स्वीकृति दी, जिससे मुख्यत तीसरी योजना के पहले दो वर्षों की वचनबद्धता पूरी होगी। विभिन्न देशों-द्वारा स्वीकृत राशियां इस प्रकार है —पश्चिम-जर्मनी 42 5 करोड़ डालर, ब्रिटेन 25 करोड डालर, जापान 8 करोड डालर, कनाडा - 5 6 करोड डालर, फ्रास 3 करोड डालर, और अन्तर्राष्ट्रीय विकास-सघ के साथ मिल कर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक 40 करोड डालर। सोवियत सघ पहले ही 238 करोड रु० के दो पूर्ववर्ती ऋणो का उपयोग तीसरी योजना की परियोजनाओ के लिए करने की अनुमति दे चुका है। कुछ अन्य मित्र देश भी, जैसे, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैण्ड और स्विट्जरलैण्ड—67 करोड़ रु० तक का उधार तीसरी योजना के लिए देने का वचन दे चुके हैं।

55 दूसरी योजना के अधिकारो से प्राप्त कुल अविशिष्ट सहायता 365 करोड रु० तक की है। ऊपर उल्लिखित नई सहायता के साथ मिल कर कुल राशि तीसरी योजना के लिए एक उत्साहजनक प्रारम्भ है। मित्र राष्ट्रो की और भी बैठकें होगी, जिनमें तीसरी योजना की प्रगति पर विचार किया जाएगा और योजना के लिए भारत की भावी आवश्यकताओ पर विचार किया जाएगा। कुछ अन्य देशो ने भी, जो इस मित्र-सघ के सदस्य नही हैं, भारत की योजनाओ में दिलचस्पी प्रकट की है। इस प्रकार विदेशी सहायता के क्षेत्र में लक्षण उत्साहजनक हैं। इनसे यह प्रकट होता है कि विश्व के अर्धविकसित देशो के विकास में सहायता देने की समस्या के प्रति किस प्रकार इन देशों का सहृदयपूर्ण और सहयोगात्मक दृष्टिकोण है। इसके साथ ही, ये सहायताएं प्रबल रूप से यह दर्शाती है कि हमें अपने स्वदेशी साधनो को जुटाने में कितना अधिक प्रयत्न करना चाहिए और प्रत्येक सम्भव उपाय से यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि जो सहायता उपलब्ध होती है, वह अविलम्ब अर्थव्यवस्था के पूर्णतम लाभ के लिए प्रयुक्त की जाएगी। इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि निरन्तर और वृद्धिशील पैमाने पर निर्यात-वृद्धि करने के लिए पूरे प्रयत्न किए जाने चाहिए। यह आशा की जाती है कि उद्योगीकृत देश अपनी ओर से इस बात में सहायता देंगे कि विकसित देशो से आयात करने में जो रुकावटें पैदा होती हैं, वे दूर हों।

56 भुगतान-सन्तुलन की जो दिक्कतें इस समय देश के सामने हैं, वे अल्पकालीन या अस्थायी नही हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वे आनेवाले कई वर्षों तक जारी रहेंगी। इस अवधि के लिए विदेशी सहायता जरूरी है, पर उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश अधिक-से-अधिक आत्मनिर्भर हो, ताकि 10 या 12 वर्षों के भीतर वह इस योग्य हो जाए कि अपने ही उत्पादन और बचत से पर्याप्त पूजी-विनियोग कर सके। विदेशी पूंजी का सामान्य प्रवाह तो चलता रहेगा, पर खास ढग की विदेशी सहायता पर निर्भर रहना क्रमश- कम और अन्त में बन्द करना होगा। तीसरी योजना इस प्रक्रिया को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।

उपसंहार

57 अन्त में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि तीसरी योजना के साधनों की स्थिति अनिवार्य रूप से, तनावपूर्ण है। विकास की दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, वे राष्ट्रीय आय और उत्पादन-क्षमता में सन्तोषजनक वृद्धि की आवश्यकता को पूर्ण करने-वाले हों। एक जड़ अर्थव्यवस्था को आगे बढाने की प्रक्रिया पहली योजना में प्रारम्भ हुई

ग्रौर दूसरी योजना मे आगे बढी। अब इसे द्रुत गति से आगे बढाना होगा। आबादी-सम्बन्धी नवीनतम प्रवृत्ति, जो कि जनगणना-द्वारा व्यक्त हुई, अगले 10 या 15 वर्षो के लिए हमारे काम को और अधिक कठिन बना रही है। इस स्थिति को देखते हुए समाज को अधिकतम प्रयत्न और त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

58 सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमो के लिए स्वीकृति 7,500 करोड रु० की वित्त-व्यवस्था का यह मतलब नही है कि वह इस क्षेत्र की सम्भावनाओ की सीमा की द्योतक है। जैसा कि पहले कहा गया है, तीसरी योजना में जिन तरीको से बचतो का क्रमश विस्तार किया जा सकता है, उनका गहन और निरन्तर अध्ययन आवश्यक है। योजना से बाहर के खर्चों की कड़ाई से जाच होनी चाहिए, योजना के भीतरी और उससे बाहर के मद्दो के खर्च में मितव्ययिता अपनाने से विकास के लिए कुछ वित्तीय साधन सुलभ हो जाएगे। दूसरी योजना के अनुभव ने यह बता दिया है कि कराधान के साधन वस्तुत उससे अधिक विस्तृत हैं, जिसकी इस समय कल्पना की जाती है। प्राविडेंट फड, जीवन-बीमा का विस्तार तथा बचत को बढावा देनेवाली इसी प्रकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा-योजनाए साधनो की वृद्धि करनेवाले समर्थ उपाय हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देशव्यापी बचत-अभियान चलाया जाए, विशेषत ग्रामीण क्षेत्रो में। राज्यो मे ऐसे कदम उठाए जा रहे है, जिससे स्थानीय स्वायत्त-शासन-सस्थाओ पर अधिक जिम्मेदारी आए। अगर इन सस्थाओ के द्वारा समाज को स्थानीय विकास के कार्यक्रमों में अधिक दिलचस्पी और हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाए, तो विकास के लिए अधिक साधनो का सग्रह किया जा सकता है।

59 वित्तीय साधनो की सीमा कभी पूर्ण नही होती, यह प्रयत्नो के उस स्तर पर निर्भर करती है, जो परियोजनाओ के कार्यान्वयन, बचतो के सग्रह और उपभोग या प्राथमिकताविहीन पूजी-विनियोग में साधनो की खपत को रोकने के लिए वित्तीय एव अन्य उपायो के लिए किए जाते है। सरकारी क्षेत्र मे पिछले 10 वर्षों में पर्याप्त पूजी-विनियोग हुआ है और इस बात के लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनसे पर्याप्त बचत प्राप्त हो, जिसके आधार पर अधिक प्रगति की योजना बन सके। यथोचित समय पर विकास को अपने लिए वित्तीय व्यवस्था स्वय करनी चाहिए, पिछले पूजी-विनियोग की बचत को आगे के विकास का एक साधन बनना चाहिए। यह बात जरूरी है कि कार्यान्विति के लिए अपनी परियोजनाओं को चुनते समय केन्द्रीय और राज्य-सरकारे हमेशा यह बात ध्यान में रखें कि इन पूजी-विनियोगो से यथाशीघ्र फल-प्राप्ति हो। एक परियोजना को पूरा करने और उसे उत्पादन-योग्य बनाने में अगर अपेक्षाकृत थोडी देर भी हो जाए, तो पूजी-विनियोग के लिए जो साधन प्राप्त हैं, उनमें उल्लेखनीय परिवर्तन आ जाता है। असली बात यह है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वैसे-वैसे आयोजन और उसकी कार्यान्विति के विभिन्न मद्दो में हुआ थोडा-बहुत सुधार भी सयुक्त रूप मे बडे परिणाम पैदा कर देता है। समस्या के इन पहलुओ पर पर्याप्त ध्यान देने से साधनो की वृद्धि, उस सीमा से आगे तक हो सकती है, जिनका इस समय निर्देश किया गया है।

60 इस प्रकार, साधनो की समस्या प्रशासकीय और सगठन-सम्बन्धी दक्षता के साथ सम्बद्ध है। अतिरिक्त साधनो की खोज, अनिवार्य रूप से, निरन्तर और विस्तृत धरातल पर होती रहनी चाहिए। तीसरी योजना की महत्वपूर्ण कसौटिया दो है (क) खाद्य और कच्चे माल का उत्पादन किस सीमा तक बढ सकता है—आवश्यकता इस बात की

है कि प्रगति विभिन्नतापूर्ण के बजाय एक ओर तथा प्रभावपूर्ण हो, और (ख) निर्यात की आय में आवश्यक वृद्धि प्राप्त करने के लिए कितनी शक्ति और उत्साह का उपयोग होता है। इन क्षेत्रों मे सफलता प्राप्त करके वित्त की वर्तमान सीमाओं को पार किया जा सकता है।

अनुबन्ध 1

तीसरी योजना के लिए राज्यों के साधन

(अगस्त-नवम्बर 1960 में हुए विचार-विमर्श के आधार पर)

(करोड़ रु०)

	आन्ध्र-प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	जम्मू-कश्मीर	केरल	मध्यप्रदेश	मद्रास	महाराष्ट्र	मैसूर	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	उत्तर-प्रदेश	पश्चिम-बंगाल	सब राज्यों का योग
1 चालू राजस्व में बची हुई राशि, 1960-61 के कराधान की दर से	11 8	7	19 8	10 2	8	10 6	−7 7	−30 2	30 6	9 8	−21 1	14	0 5	−43 5	11 3	34 1
2 जनता से ऋण (शुद्ध)	40	9	23	30	—	23	25	52 9	36 9	14 7	21	16	20	35	27 6	374 17
3 छोटी बचतों का हिस्सा	17 5	12	42 5	39 2	2 3	8	17	20	66 8	10	8 5	35	10	50	38 5	377 3
4 अकोषित ऋण (शुद्ध)	3 2	2 8	8	4	1 7	3	2 3	5 9	9	5 5	1 5	3 9	5 5	17 3	5 5	79 1
5 योजना-भिन्न खर्चों के उपरान्त विविध पूंजीगत प्राप्तियों का शेष	−29 7	−17 2	−36 6	−6 4	−8 2	−19 2	−1 4	−33 7	15 3	—	−6 7	−28 3	10	−30 6	−40 6	−233 3
6 उद्योग-व्यवसायों का अंशदान	6 2	3 4	12 3	11	1 2	9 6	9 8	35.1	9 4	13	1 8	16 4	2	9 8	7 7	148 7
7 नकदी तथा अन्य सुरक्षित कोषों से निकासी	—	—	—	5	—	—	—	6	—	15	—	—	—	—	—	26
8 साधन, अतिरिक्त कराधान को छोड़ कर	52	17	69	93	5	35	45	56	168	68	5	57	48	38	50	806
9 अतिरिक्त कराधान	53	16	50	29	8	23	48	45	52	42	23	40	32	109	40	610
10 कुल साधन, अतिरिक्त कराधान को जोड़ कर	105	33	119	122	13	58	93	101	220	110	28	97	80	147	90*	1,416

*राज्य-सरकार ने इस राशि को सुधार कर 133 करोड़ रु० कर देने का सुझाव दिया है।

अध्याय 7

तीसरी योजना के लिए मूल्य-नीति

किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य-नीति को दो मुख्य उद्देश्यो पर ध्यान केन्द्रित करना होता है (क) इस बात का निश्चय कि सापेक्षिक मूल्यो की गतिविधि उन प्राथमिकताओ और लक्ष्यो के साथ मेल खाती हैं, जिन्हें योजना में स्थान दिया गया है, और (ख) उन आवश्यक सामानो के मूल्य में ज्यादा वृद्धि न हो, जो कम आमदनीवाले वर्गों के उपभोग-क्षेत्र में आते हैं। इन दोनो ही बातो पर पहली और दूसरी योजनाओ में जोर दिया गया था तथा इन योजनाओ को अवधि में अवाछनीय प्रवृत्तियो को सुधारने अथवा मध्यम मार्ग पर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए थे। फिर भी, पहली योजना की अवधि में मूल्य विस्तृत रूप से डावाडोल हुए और दूसरी योजना की अवधि में उनकी प्रवृत्ति ऊपर उठने की रही। तीसरी योजना के प्रारम्भ में, थोक मूल्यो के स्तर और जीवन-यापन का व्यय दोनो पहले से ही काफी ऊचे हैं और यह अत्यन्त आवश्यक है कि तीसरी योजना में मुद्रा स्फीति-विषयक दवाव न बढें, साथ ही, समाज के विशेष निर्बल वर्गों का जीवन-स्तर सुरक्षित रहे।

पहली योजना में मूल्य

2 अगले पृष्ठ की तालिका (सख्या 1) में पहली योजना की अवधि में मूल्यों की प्रवृत्तिया दिखाई गई हैं। योजना के अन्त में थोक मूल्यो का सूचनाक मार्च 1951 की अपेक्षा करीब 22 प्रतिशत कम था। परन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि यह तुलना बहुत-कुछ भ्रमपूर्ण है, क्योकि मुद्रा-स्फीति के दवाव सन् 1951 में कोरिया की लडाई के कारण बहुत ही अधिक थे। सन् 1950 के मुकावले में, मूल्यो के सामान्य सूचनाक में गिरावट कम थी—करीब 8 प्रतिशत, खाद्य-सामग्रियो के मूल्यो में करीब 14 प्रतिशत गिरावट आई थी, कुछ अन्य वर्गों—जैसे, ईंधन, बिजली, प्रकाश और स्निग्ध पदार्थो तथा उत्पादन-सामग्रियो—के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई। कोरिया की लडाई खत्म होने और सन् 1951 में सरकार-द्वारा की गई मुद्रा-स्फीति-विरोधी वित्तीय एव मुद्रा-विषयक कार्रवाइयो के कारण मूल्यो में उल्लेखनीय गिरावट आई—सूचनाक मार्च 1951 के 125 2 से गिर कर मार्च 1952 में 99 9 पर आ गया। अगले दो वर्षों तक सूचनाक कमोवेश इसी स्तर पर रहा। सन् 1953-54 में बढिया फसल होने के कारण मूल्यो में तेजी से गिरावट आई—खास तौर पर खाद्यान्नो के मूल्यों में, खाद्यान्नो के मूल्यों का सूचनाक मार्च 1953 के 102 2 से गिर कर एक साल बाद 98 6 हो गया और मार्च 1955 में 82 9। इस परिस्थिति को देख कर ही योजना के व्यय की सीमा में वृद्धि की गई और सरकारी खाते में खाद्यान्नो की कुछ खरीद हुई। जुलाई 1955 तक मूल्यों में ऊपर उठने की प्रवृत्ति साफ दिखाई पडी। योजना के बाकी समय में यही प्रवृत्ति जारी रही। मार्च 1956 में थोक मूल्यो का सूचनाक 98 1, अर्थात् सन् 1952-53 के स्तर से कुछ ही नीचा था।

3 श्रमिकों के अखिल भारतीय जीवन-यापन-व्यय का सूचनाक (1949=100) मार्च 1951 में 103 था। वर्ष-प्रति-वर्ष इसमें काफी परिवर्तन होते रहे और मार्च 1955

तालिका-संख्या 1

थोक मूल्यों का सूचनांक · 1950-56

(आधार : 1952-53=100)

(मार्च सप्ताहो का औसत)

वस्तुएं	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1950 की तुलना में 1956 में प्रतिशत परिवर्तन	1951 की तुलना में 1956 में प्रतिशत परिवर्तन
1 खाद्य पदार्थ	108 3	122 4	93 7	102 2	98 6	82.9	92.8	−11 3	−21 2
अनाज	92	100	95	100	88	70	86	−6.5	−14 2
दाले	80	102	85	98	71	49	77	−3 8	−24 5
2. शराब और तम्बाकू	91 6	112 9	121.6	92 8	96	86	78 7	−14 1	−30 3
3 ईंधन, बिजली, प्रकाश और स्निग्ध पदार्थ	91 1	97 5	98	98	95 7	96 7	96 8	+6 3	−0 7
4 औद्योगिक कच्ची सामग्रिया	119 1	153 7	103 2	101.5	106 2	97 2	109 4	−8 1	−28 8
कच्ची कपास	93	141	109	96	108	92	107	+15	−25 7
तेलहन	132	149	85	115	109	71	106	−19 7	−28.9
5 उत्पादक सामान	98 9	118 7	107 6	98 9	100 6	101 1	102 9	+4	−13 3
मध्यवर्ती उत्पादन	102 1	132 6	108 4	99	98 5	97 4	110 5	+8 2	−16 7
तैयार उत्पादन	98 3	116 5	107 5	98 8	101 2	101 7	101 5	+3 4	+12 8
सब वस्तुए	106 4	125 2	99.9	100 8	100 3	90 8	98 1	−7 8	−21 7

में यह गिर कर 94 तक पहुच गया, पर योजनाकाल के अन्त तक यह फिर बढ कर 100 हो गया। पाच वर्षो की अवधि में सूचनाक में 3 प्रतिशत की गिरावट आई, पर पहली योजना के समाप्त होने से पहले ही ऊपर उठने की प्रवृत्ति आरम्भ हो चुकी थी। मार्च 1951 के अन्त तक समाप्त होनेवाले 12 महीनो मे सूचनाक में 6 प्रतिशत से कुछ अधिक वृद्धि हुई।

4 यह सही है कि पहली योजना के आरम्भ-काल में मूल्यो का स्तर अनावश्यक रूप से ऊचा था और उसमें सुधार करनेवाली गिरावट जरूरी थी, पर इसमें कम सन्देह की गुजायश है कि योजना के मध्य-काल में अनाजो के मूल्य में जो गिरावट आई, वह आवश्यकता से अधिक और हानिकारक थी। इस गिरावट की प्रवृत्ति को ठीक समय पर रोका नही जा सका, क्योंकि बहुत समय तक इस बात में सन्देह रहा कि वह उचित स्तर कौन-सा होगा, जहा सरकार को खरीदारी करनी चाहिए।

दूसरी योजना में मूल्य

5 दूसरी योजना की अवधि को मूल्यो में वृद्धि की अवधि माना जाता है, हालांकि इस मूल्य-वृद्धि का कुछ अश पहले की गिरावट के सुधार के रूप में था। पाच वर्षो की अवधि में, थोक मूल्यों के सामान्य सूचनाक में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, सामूहिक रूप से खाद्यान्नो के मूल्य में करीब 27 प्रतिशत की, औद्योगिक कच्ची सामग्रियो के मूल्य में 45 प्रतिशत की और उत्पादक सामान के मूल्य में 25 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि हुई। अगली तालिका-सख्या 2 में इसकी एक झाकी प्रस्तुत की गई है।

6 स्पष्ट है कि अनाजो का सूचनाक, जो मार्च 1956 में 100 से नीचे था, अगले तीन वर्षो में तेजी से ऊपर उठा। दालो की भी यही प्रवृत्ति रही। 1961 में अनाजों का सूचनाक वापस 100 पर आ गया और दालो का 93 पर। 'खाद्य पदार्थों' के अन्य अगो के मूल्यो में जो वृद्धि हुई, वही इस वर्ग की चीजो के मूल्यो की निरन्तर ऊपर उठने की प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। खाद्यान्नो की सापेक्षिक कमी दूसरी योजना के प्रारम्भिक काल में मूल्य-वृद्धि का प्रधान कारण थी। योजनाकाल के उत्तरार्द्ध में, मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति का मुख्य कारण कृषि-सम्बन्धी कच्चे माल की कमी था। मार्च 1959 के बाद थोक मूल्यो के सूचनाक में जो 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके दो-पचमाश का श्रेय कच्चे सामान के मूल्यो में वृद्धि को और बाकी दो-पचमाश का श्रेय उत्पादक सामान के मूल्यो में वृद्धि को था—आशिक रूप से यह कच्चे सामान के मूल्यो में वृद्धि का परिणाम था।

7 दूसरी योजना की अवधि में थोक मूल्यो की निरन्तर ऊपर उठने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण, निस्सन्देह, आबादी और मुद्राजन्य आय में वृद्धि के फलस्वरूप माग का बढता हुआ दबाव था। आपूर्ति-विषयक तत्वो ने भी समय-समय पर अपना हिस्सा अदा किया। सन् 1957-58 में गत वर्ष की अपेक्षा खाद्यान्नो का उत्पादन 60 लाख टन कम हुआ। फिर, 1959-60 में भी गत वर्ष की अपेक्षा 40 लाख टन कम खाद्यान्न-उत्पादन हुआ। उन वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कपास का उत्पादन 18 प्रतिशत कम, पटसन का उत्पादन 12 प्रतिशत कम और तेलहन का उत्पादन करीब 8 प्रतिशत कम हुआ। कृषि-उत्पादन की इन कमियो और अस्थिरताओ ने सम्पूर्ण रूप में मूल्य-स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। दूसरी योजना के अन्त में खाद्यान्न-मूल्यो का स्तर बहुत ऊचा तो नही कहा जा सकता, पर यह मानना पडेगा कि दूसरी योजना की अवधि में इन मूल्यो में कई बडे उलट-फेर हुए।

दरअसल, अगर सन् 1960-61 के खाद्यान्न-मूल्यो के औसत स्तर की तुलना सन् 1955-56 के औसत स्तर से की जाए, तो वृद्धि 37 प्रतिशत तक ठहरती है। बाद में खाद्यान्नो के मूल्यों मे जो अपेक्षाकृत स्थिरता आई, वह बहुत-कुछ पी० एल० 480 के आयातो के कारण थी।

8 थोक मूल्यो की तरह ही, श्रमिक-वर्ग के जीवन-यापन-व्यय का सूचनाक भी दूसरी योजना की सम्पूर्ण अवधि में ऊपर उठने की प्रवृत्ति दिखाता रहा। यह सूचनाक (1949=100), जो दूसरी योजना के प्रारम्भ में 100 था, योजना के अन्त में 124 पर आ पहुचा। योजनाकाल के पूर्वार्द्ध में सूचनाक मे वृद्धि मुख्यत खाद्य पदार्थों के मूल्यो मे वृद्धि के कारण हुई। परन्तु अन्तिम दो वर्षो मे खाद्यान्नो के मूल्यो मे जो अपेक्षाकृत स्थिरता आई, वह जीवन-यापन-व्यय को ऊपर चढने से न रोक सकी। इसका कारण यह है कि खाद्य-वर्ग में खाद्यान्नो के अतिरिक्त कुछ पदार्थों और जीवन-यापन-व्यय के कई अन्य तत्वो के मूल्य में वृद्धि होती रही।

9 दूसरी योजना का अनुभव इस बात को पुष्ट करता है कि अगर ठोस पूजी-विनियोग का कार्यक्रम हो, तो मूल्यो को अपेक्षाकृत स्थिर रखने की सम्भावनाए इस बात पर निर्भर करती हैं कि कृषि-उत्पादन, अर्थात् खाद्य-पदार्थो और कच्चे माल का उत्पादन, किस हद तक बढाया जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तीव्र करना है, तो उद्योग, खनन और परिवहन को शीघ्रता से विकसित करना होगा। पर इस समस्त विकास का आधार निश्चय ही एक अधिक दक्षतापूर्ण एव प्रगतिशील कृषि होना चाहिए। इससे यह परिणाम निकलता है कि चूकि कृषि-उत्पादन अनिश्चयपूर्ण वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए द्रुत उद्योगीकरण का कार्यक्रम आर्थिक अस्थिरता पैदा किए बिना तभी पूरा किया जा सकता है, जब सरकार के पास समय-समय पर होनेवाली कमियो को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाक हो। इसके अलावा कृषि-उत्पादनो के मूल्यो पर ऋतु और प्रदेश-विषयक गम्भीर विभिन्नताओ का प्रभाव पडता है, जो कि अक्सर सट्टेबाजी से सम्बद्ध सचय के कारण और भी उभडती है। सरकार न्यायपूर्ण क्रय और विक्रय के द्वारा इन विभिन्नताओ को कम कर सकती है।

तीसरी योजना के लिए दृष्टिकोण

10 अब प्रश्न यह है कि तीसरी योजना के लिए मूल्यो के बारे में दृष्टिकोण क्या हो? स्पष्टत एक विकासशील अर्थव्यवस्था मे माग-विषयक तत्वो का रुख ऊपर की ओर होना चाहिए। योजना में यह कल्पना की गई है कि पूजी-विनियोग के वर्तमान स्तर 11 प्रतिशत को बढा कर पाच वर्ष की अवधि के अन्त तक लगभग 14 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे मुद्रा की आमदनी बढेगी और इसके मुकाबले में सामान की अतिरिक्त आपूर्ति करनी होगी। पूजी-विनियोग की परिवर्द्धित राशि के लिए वित्तीय उपायो से वित्त की व्यवस्था करनी होगी जिसके फलस्वरूप कुछ चुने हुए क्षेत्रो में मूल्य-वृद्धि होगी। योजना के फलस्वरूप बचत में अधिक वृद्धि होगी। एक बडी मात्रा में विदेशी सहायता की कल्पना तो की ही गई है, पर यह जरूरी होगा कि स्वदेशी बचतो के वर्तमान स्तर 8 5 प्रतिशत को बढा कर आगामी पाच वर्षो में करीब 11 5 प्रतिशत तक ले आया जाए। परन्तु यदि सब प्रकार की उपभोक्ता-सामग्रियो की माग पूरी करनी पडे, तो यह लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सकता, कम जरूरी उपभोक्ता-सामग्रियो के उपभोग पर बन्धन लगाना ही होगा, ताकि योजना के पूजी-विनियोग

तालिका-संख्या 2

थोक मूल्यों का सूचनांक : 1956-61

(आधार : 1952-53=100)

(मार्च सप्ताहों का औसत)

वस्तुएं	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1956 की तुलना में 1961 में प्रतिशत वृद्धि
1. खाद्य पदार्थ	92 8	102.3	102 3	113 8	117	117 6	(+)26.7
अनाज	86	99	95	102	103	100	(+)16.3
दालें	77	84	78	113	90	93	(+)20 8
2. शराब और तम्बाकू	78 7	87 2	94 9	100 3	96 4	114 2	(+)45 1
3 ईंधन, बिजली, प्रकाश और स्निग्ध पदार्थ	96 8	106 5	114.5	115 6	117 8	121.3	(+)25 3
4. औद्योगिक कच्ची सामग्रियां	109 4	117 3	113 3	116 2	131 9	159.1	(+)45 4
कच्ची कपास	107	113	103	102	113	111	(+) 3 8
तेलहन	106	119	113	128	141	150	(+)50 9
5. उत्पादक सामान	102 9	106.2	107 6	108 2	116 9	129.4	(+)25 7
मध्यवर्ती उत्पादन	110 5	108 9	106 8	109 4	121.3	137 2	(+)24.1
तैयार उत्पादन	101 6	105 7	107 7	108	116 1	128 1	(+)26 1
सब वस्तुएं	98 1	105.6	105.4	112 3	118 9	127.5	(+)30

के कार्यक्रमो के लिए साधन मिल सके। इसके अतिरिक्त, इस समय विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश के सम्बन्ध में स्थिति दूसरी योजना की अपेक्षा अधिक पेचीदा है। दूसरी योजना मे पूजी-विनियोग में वृद्धि के कारण मुद्रा-स्फीति-विषयक जो दबाव बढा था, उसके एक अश को विदेशी मुद्रा-सुरक्षित कोश से धन निकाल कर प्रभावहीन कर दिया गया था। तीसरी योजना में धीमापन लानेवाला यह तत्व उपलब्ध नही है। दरअसल, तीसरी योजना की यह माग है कि निर्यात बढाने के लिए पूर्णतम प्रयत्न किए जाए। इससे निर्यात होने-योग्य वस्तुओ के मूल्यो में वृद्धि की प्रवृत्ति आएगी और अपने देश में उनकी खपत कम हो जाएगी।

11 जहा तक आपूर्ति का सम्बन्ध है, बुनियादी तौर पर आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओ और कच्ची सामग्रियो के उत्पादन के बारे में योजना के लक्ष्य स्वदेशी उपभोक्ता और निर्यात की सम्भावित जरूरतो की सावधानीपूर्वक जाच करने के बाद निश्चित किए गए है। खाद्यान्न के उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि करनी है, ताकि न केवल आबादी और आय के बढने से पैदा हुई माग को पूरा किया जा सके, बल्कि खाद्यान्नो-सम्बन्धी वर्तमान कमी भी पूरी हो, जिसकी पूर्ति अभी आयात-द्वारा की जाती है। चावल और गेहू के उत्पादन में बडे पैमाने पर वृद्धि की व्यवस्था इस प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर की गई है कि आय-वृद्धि के साथ-साथ लोग घटिया अनाजो के स्थान पर बढिया अनाज लेना पसन्द करते है। कपास के उत्पादन में 37 प्रतिशत, तेलहन मे 38 प्रतिशत और चीनी में 25 प्रतिशत वृद्धि की बात सोची गई है। प्रति व्यक्ति कपडे के उपभोग मे वृद्धि की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उसकी मात्रा सन् 1960-61 के 15 5 गज से बढ कर सन् 1965-66 में 17 2 गज तक पहुच जाए। कारखानो, बिजली के करघो और हथकरघो के कपडे का उत्पादन 25 प्रतिशत बढाने का विचार है। योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो स्वरूप रखा गया है, उसमें पूजी-विनियोग में बडी वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति उपभोग में थोडी-बहुत वृद्धि होगी ही। इस तथ्य से कि तीसरी योजना के शुरू में सरकार के पास करीब 28 लाख टन खाद्यान्न और आगामी कुछ वर्षों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत 1 44 करोड (मीट्रिक) टन गेहू आएगा, यह आशा बधती है कि गेहू का भाव—और कुछ सीमा तक, एक वर्ग के रूप में खाद्यान्नो का भाव—अगले कुछ वर्षो मे विशेष नही चढेगा, बशर्ते कि वर्षा की स्थिति बहुत ही बिगड न जाए।

12 पिछले कुछ वर्षों में देश की उत्पादन-क्षमता कृषि और उद्योग, दोनो ही क्षेत्रो में काफी बढी है। तीसरी योजना में उर्वरको की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि की आशा की गई है। सिंचाई की सुविधाओ के उपयोग में देर न होने की व्यवस्था की जा रही है। औद्योगिक उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में प्रभावपूर्ण ढग से बढा है और यद्यपि आयातित कच्ची सामग्रियो और उपकरणो के मामले में कठिनाइया बनी रहेंगी, फिर भी कुल मिला कर योजनाकाल के लिए स्थिति आशाजनक है। योजना के लिए आवश्यक वित्तीय साधनो का सग्रह करने की योजना एक सीमित क्षेत्र में घाटे की अर्थव्यवस्था आवश्यक कर देती है, इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि सरकारी और निजी क्षेत्रो में मुद्रा-उपलब्धि में वृद्धि उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओ तक सीमित रहे। इस प्रकार, योजना मुद्रा-स्फीति के दबावो को कम करने, और आवश्यक मागो की वृद्धि तथा उनके अनुकूल आपूर्तियो की उपलब्धता के बीच सन्तुलन कायम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

13 इस प्रकार के सन्तुलन और बचावों के बावजूद उल्लेखनीय—और गड़बड़ी पैदा करनेवाली भी—मूल्य-वृद्धि की सम्भावनाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। पहली बात तो यह, कि वर्षा-सम्बन्धी अनिश्चितता पूर्ववत् विद्यमान् है। किसी वर्ष कृषि-उत्पादन में यदि 5 प्रतिशत भी कमी आ जाए, तो बिक्री-योग्य अतिरिक्त सामग्रियों में काफी कमी आ जाएगी और अनुपात से कहीं अधिक मूल्य बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह, कि योजना में उपभोग पर जो विभिन्न बन्दिशें लगाई गई हैं, उनका सदा पूरा-पूरा पालन नहीं भी हो सकता है, परिणामस्वरूप, योजना-अवधि के एक अंश में जरूरत से ज्यादा मांगें बनी रह सकती हैं। तीसरी बात यह, कि यद्यपि योजना का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति में सन्तुलन स्थापित करना है, तथापि कभी-कभी असन्तुलन पैदा होना लगभग निश्चित है, विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी-विनियोग और उत्पादन का निश्चय वस्तुतः ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता। फिर विभिन्न स्तरों पर त्रुटियां रह जाने की भी पूरी सम्भावना है।

14 इस प्रकार, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि तीसरी योजना की अवधि में मूल्यों पर कड़ी नजर रखनी होगी—खास तौर पर, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर, और एक सुव्यवस्थित नीति पहले से ही तैयार रखनी पड़ेगी, ताकि कठिनाइयों के वस्तुतः उग्र होने से पूर्व ही उनका इलाज किया जा सके। जिस चीज के बारे में विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा, वह है मुद्रा-स्फीति के दबावों में वृद्धि, हालांकि कुछ वस्तुओं की सापेक्षिक बहुलता और मूल्यों में गिरावट की स्थिति समय-समय पर उपस्थित होती रह सकती है। इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों की रोकथाम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मूल्य में निरन्तर वृद्धियों और गिरावटों की बात छोड़ भी दें, तो ऋतु-सम्बन्धी उतार-चढ़ावों और मूल्य-सम्बन्धी विषमताओं के चलते सुधारमूलक कार्रवाइयां करनी ही पड़ेंगी। किसानों को अपने उत्पादनों के लिए स्थिर और उचित मूल्य का निश्चय होने से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, अपेक्षा इसके कि मूल्य ऊंचे तो हों, पर अक्सर उतार-चढ़ाव आने के कारण अनिश्चित रहें।

मूल्य-नीति का क्षेत्र और सीमाए

15 यह बात उल्लेखनीय है कि मूल्य-नीति को सम्पूर्ण आर्थिक-नीति का एक अंग समझा जाना चाहिए, प्रश्न केवल यह नहीं है कि कुछ खास-खास मूल्यों के बारे में क्या किया जा सकता है अथवा क्या किया जाना चाहिए। मूल्यों के स्तर और स्वरूप सरकार-द्वारा किए जानेवाले कुछ बुनियादी आर्थिक निर्णयों से सम्बद्ध होते हैं, परन्तु बाकी निर्णय उत्पादकों, उपभोक्ताओं और पूंजी-विनियोगकर्ताओं पर निर्भर करते हैं जो विस्तार से फैले हुए होते हैं और जो अपने आर्थिक लाभ की दृष्टि से काम करते हैं। योजना का प्रयत्न रहता है कि इन सम्बद्ध निर्णयों को एक धरातल पर लाया जाए, पर अल्पकाल में इनमें मनचाहे परिवर्तन लाए जा सकते हैं, इसकी भी सीमाए हैं। नीति-सम्बन्धी सभी प्रमुख निर्णय—जैसे, कितना पूंजी-विनियोग किया जाए, अल्पकालीन और दीर्घकाल में फल देनेवाले पूंजी-विनियोगों को कितनी प्राथमिकता दी जाए, आवश्यक वस्तुएं उगाने और औद्योगिक फसलों के बीच चुनाव, निर्यात की मात्रा में वृद्धि या कमी—मूल्यों की प्रवृत्तियों से सम्बद्ध कुछ निर्णयों के आधार पर किए जाते हैं।

इन सब निर्णयो को ध्यान मे रखते हुए यह अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए कि मूल्यो के स्वरूप को बदलने का क्षेत्र किसी भी प्रकार सीमाहीन नही है।

16 विकास के कारण मूल्यो में कुछ चढाव आते ही हैं और उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। पूजी-विनियोग बढाने की प्रक्रिया में वस्तुओ और सेवाओ की उपलब्धि के मुकाबले मुद्राजन्य आय ज्यादा बढती है। पूजी-विनियोग कुछ समय के बाद ही वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करता है और कुछ पूजी-विनियोग अन्य पूजी-विनियोगो की अपेक्षा परिपक्व होने में अधिक समय लेते हैं। जितना अधिक पूंजी-विनियोग-सम्बन्धी प्रयत्न होता है, उतना ही अधिक मूल्यो में चढाव आता है। इसी प्रकार, जितनी अधिक देर मे परिपक्व होनेवाली हाथ में ली जाएगी, उतना ही अधिक अर्थव्यवस्था पर भार पडेगा। जन-शक्ति तथा अन्य साधनो का नए कामो में उपयोग करने से पारिश्रमिक के रूप में अधिक मुद्रा खर्च करनी पडती है। यह भी मुद्रा-स्फीति बढानेवाला एक उल्लेखनीय तत्व है।

17 दूसरी ओर, कुछ ऐसे तत्व भी हैं, जो मूल्य-वृद्धि-सम्बन्धी दबावो को कम कर देते हैं। जिस सीमा तक अप्रयुक्त साधन उपलब्ध होगे और कृषि-जैसे कुछ क्षेत्रो में अपेक्षाकृत कम पूजी-विनियोग करके शीघ्र उत्पादन-वृद्धि की गुजायश होगी, उस सीमा तक ऊपर उल्लिखित विस्तारात्मक दबावो को कम किया जा सकता है। फिर, पहले किए गए कुछ पूजी-विनियोग चालू उत्पादन में वृद्धि करते हैं, और ज्यो-ज्यो टेक्नोलाजी-विषयक तथा सगठनात्मक क्षमता सुधरेगी, त्यो-त्यो लागत में सापेक्ष वृद्धि हुए बिना ही उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। ये कुछ ऐसे तत्व है, जिन्होने अनुकूल परिस्थितियो में, कुछ देशो के लिए मूल्यों में पर्याप्त स्थिरता रखते हुए विकास के ऊचे स्तर प्राप्त करना सम्भव किया। उचित मूल्य-नीति से पुष्ट उत्पादन और बचत-सम्बन्धी आवश्यक प्रयत्नो से उन विस्तारात्मक दबावो पर सफलतापूर्वक नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है, जो विकास-कार्यों के कारण सामने आते हैं।

18 परन्तु ऊपर उल्लिखित विस्तारात्मक और न्यूनताकारी तत्वो के सन्तुलन की प्रवृत्ति अस्थिरतापूर्ण तथा अनिश्चयात्मक होती है। एक अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था को लगातार कई वर्ष तक पूजी-विनियोग में वृद्धि करनी होती है और अकुशल ग्रामीण श्रमिको की एक बडी सख्या को कुशल कर्मचारी और टेक्नीशियन में परिणत करना होता है। अनुकूलता ग्रहण करने की इस प्रक्रिया में कई कठिनाइया सामने आती हैं। चूकि आवश्यक वास्तविक साधनो की व्यवस्था मुद्रा-विषयक प्रोत्साहन देकर और अर्थव्यवस्था के तीव्रतापूर्वक विस्तारवाले क्षेत्रो में काफी मुनाफे की गुजाइश बना कर की जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि मूल्य-स्तर में सामान्य चढाव के लिए तैयार रहा जाए, परन्तु साथ ही आवश्यक वस्तुओ के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए।

19 फिर भी, निरन्तर अथवा अत्यधिक मूल्य-वृद्धि के खतरे स्पष्ट हैं। अगर योजना के वित्तीय व्ययो की व्यवस्था उच्चतर मूल्यो-द्वारा ही होती है, तो योजना का यथार्थ तत्व उसी अनुपात में कम हो जाता है। मुद्रा-स्फीति की स्थिति साधनो के सर्वाधिक सुन्दर उपयोग की दृष्टि से हितकारी नही है। यह सापेक्ष मूल्यो में गडबड़ी पैदा करती है और साधनो को उन उपयोगो से दूर ले जाने की चेष्टा करती है, जिनका

सामाजिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। स्थिर आय प्राप्त करनेवाले लोगों से, जिनमें समाज के अत्यन्त निर्बल वर्गों के लोग भी होते हैं, यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने वास्तविक जीवन-स्तर को बहुत समय तक त्यागे रहेंगे, और फिर, अगर मुद्रा-विषयक आय एक विस्तृत क्षेत्र में बढ़ जाए, तो उसका परिणाम यही होगा कि मुद्रा-स्फीति के चक्कर में एक और घुमाव आ जाएगा। इसलिए, समस्या बहुत अधिक और बहुत कम हस्तक्षेप के बीच सही सीमा-रेखा खींचने की और अर्थव्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण स्थलों पर नियन्त्रण तथा नियमन की समुचित तकनीकें निकालने की है।

मूल्य-नीति के अंग

20 इस स्थिति में मूल्य-नीति का एक महत्वपूर्ण अंग वित्तीय और मुद्रा-विषयक अनुशासन है। वित्त-नीति का संचालन इस प्रकार करना होगा कि अतिरिक्त क्रय-शक्ति विनष्ट हो जाए, क्योंकि यह उपलब्ध वस्तुओं की तुलना में उनकी माँग को बढ़ाती है। दूसरे शब्दों में, करावान की मात्रा उपभोग को योजना में निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने-योग्य होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के पूंजी-विनियोग-कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति जनता से वास्तविक साधन प्राप्त करके होनी चाहिए, न कि ताज़ा क्रय-शक्ति को जन्म देकर। दूसरे शब्दों में, वित्त-नीति के हर पहलू का लक्ष्य उपभोग पर बन्धन लगाना और अधिक प्रभावशाली ढंग से बचत को प्रोत्साहन देना होना चाहिए।

21 इस सन्दर्भ में दो बातें सरकारी उद्योग-व्यवसायों की मूल्य-नीति के बारे में भी कही जा सकती हैं। सार्वजनिक बचत को बढ़ाने में इन उद्योग-व्यवसायों का बड़ा महत्व है। इसलिए यह जरूरी है कि ये मुनाफे में चलें और इस काम के लिए आवश्यक दक्षता का ऊंचा स्तर बनाए रखें। उनकी मूल्य-नीति ऐसी होनी चाहिए कि सार्वजनिक कोश से लगाई गई पूंजी का पूरा-पूरा मुनाफा मिले।

22. मुद्रा-नीति को भी वित्त-नीति के अनुकूल होना चाहिए। जिस प्रकार वित्त-नीति को सरकारी कार्रवाइयों-द्वारा अतिरिक्त क्रय-शक्ति का निर्माण रोकना चाहिए, उसी प्रकार मुद्रा-नीति को बैंकों-द्वारा दिए जानेवाले ऋणों का नियमन करना चाहिए। एक विकासशील अर्थव्यवस्था की ऋण की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जाती हैं और उनकी व्यवस्था भी करनी होती है। पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि निजी क्षेत्र में विकास की मात्रा और गति ऐसी न हो कि योजना में बताई गई सीमाओं को लाँघ जाए और पूंजी-विनियोग के लिए उपलब्ध सीमित साधनों पर अनुचित दबाव पड़े। वस्तुओं को मुनाफाखोरी के लिए दबा लेने और माल जमा करने की प्रवृत्ति को खास तौर पर निरुत्साहित किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने अभी तक जिस विशिष्ट ऋण-नियन्त्रण की नीति का अवलम्बन किया है, उसे बाद में बैंकों ने सार्वभौतिक ऋण-निर्माण पर रोक लगाने-विषयक कार्रवाइयों-द्वारा पुष्ट किया है। सूद की दरें बढ़ गई हैं और यद्यपि बैंक-दर बढ़ाई नहीं गई है, तथापि रिज़र्व बैंक-द्वारा एक नई पद्धति चलाई गई है, जिसके अनुसार बैंकों-द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक उधार लिए जाने पर दण्ड लगाया जाता है। मुद्रा-नीति की व्यवस्था-सम्बन्धी विवरण को छोड़ भी दें, तो इस तथ्य को मानना पड़ेगा कि भारत में माँग के मुकाबले में पूंजी की कमी है और अर्थव्यवस्था के

दूरगामी हित को दृष्टि में रखते हुए इसके लिए दिया जानेवाला मूल्य खास मामलो को छोड कर, वास्तविक लागत को अभिव्यक्त करता है। यह बात योजना की विभिन्न परियोजनाओ को प्राथमिकता देने, और इन परियोजनाओ से मिलनेवाले उत्पादनो अथवा सेवाओ के मूल्यो का निर्धारण करने, दोनो ही दृष्टियो से महत्वपूर्ण है।

23 देश में वस्तुओ की कमी को दूर करने के लिए कुछ हद तक वाणिज्य-नीति का भी उपयोग हो सकता है, पर चूंकि आगामी अनेक वर्षों तक आयात कम करने और निर्यात बढाने की जरूरत है, इसलिए देश मे वस्तुओ के मूल्य में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रहेगी। वस्तुत विदेशी मुद्रा-अर्जन की आवश्यकता को देखते हुए, देश के उत्पादन में से बचत करनी होगी, भले ही इससे देश में मूल्य-वृद्धि हो जाए। अभी देश विदेशी मुद्रा-विषयक जिस स्थिति का सामना कर रहा है, उसमें अगर विदेशी मुद्रा-अर्जन के विस्तार और देश के उपभोक्ताओ-द्वारा अधिक मूल्य चुकाए जाने के बीच से किसी एक को चुनना हो, तो निश्चय ही पहली बात को प्रमुखता मिलनी चाहिए।

24 वित्तीय और द्रव्य-विषयक पर्याप्त अनुशासन के अभाव में नियमन-विषयक अन्य उपायो का वांछित फल नही निकल सकता। पर वित्त-नीति और द्रव्य-नीति भी अपने-आप में इतनी समर्थ नही है कि विभिन्न मूल्यो के बीच उचित सम्बन्ध बनाए रख सकें अथवा थोडी और स्थिर आमदनीवाले वर्गों को अनुचित कठिनाइयो से बचा सकें। इसलिए यह जरूरी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रो में भौतिक आवटन और प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहे। उदाहरण के लिए, इस बात से कोई असहमत न होगा कि जब तक इस्पात की कमी है, तब तक स्वीकृत प्राथमिकताओ के आधार पर विभिन्न उपयोगो के लिए इसका वितरण हो। निस्सन्देह, यह जरूरी हो सकता है कि जिस वस्तु की कमी हो, उसके दाम बढा दिए जाए परन्तु व्यापक दृष्टि से यह वांछनीय नही होगा कि सबसे ऊची बोली बोलनेवाला उपलब्ध सामान के एक बडे भाग को उठा ले जाए और शेष को अपना रास्ता खुद निकालने के लिए छोड दे। इसी प्रकार, यदि किसी आवश्यक औषध की कमी है, तो उसके मूल्य का नियन्त्रण और सचमुच जरूरतमन्द लोगो को उचित मूल्य पर उसके दिए जाने का प्रबन्ध करना ही सबसे सही मार्ग होगा। यही दलील जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओ—जैसे, खाद्य और कपडा—पर भी लागू होती है। बुनियादी तौर पर आवश्यक कही जा सकनेवाली वस्तुओ का मूल्य बहुत-कुछ स्थिर रखना होगा, जो वस्तुए 'कम आवश्यक' है, अथवा जिन्हे विशेष आरामवाली, चीजें कहा जा सकता है, उनके मूल्यो में वृद्धि सहन करनी पड सकती है। वस्तुत आरामदेह और शौकिया वस्तुओ के बारे में नीति का एक आवश्यक अग यह है कि साधनो को बढाया जाए, उनके मूल्य में वृद्धि का एक सामान्य मनुष्य पर प्रभाव नही पडता। मूल्य-नियमन की तकनीकें वस्तु-वस्तु के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, कुछ मामलो में उत्पादन-वृद्धि ही मूल्यो के उचित स्तर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हो सकता है। अन्य मामलो में, वस्तुओ का सकट-काल के लिए सग्रह, वितरण की व्यवस्था का पुनस्सगठन और कुछ प्रत्यक्ष नियन्त्रण जरूरी हो सकते हैं।

नियन्त्रणो का क्षेत्र

25 सरकार को कुछ वस्तुओ के मूल्यो का नियन्त्रण करने और उनका आवटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस्पात, सीमेंट, कच्ची कपास, चीनी और कोयला

इसी वर्ग में आते हैं। उर्वरकों के मूल्य केन्द्रीय उर्वरक-समन्वय-द्वारा नियमित होते हैं। निर्माताओं-द्वारा नियमित खरीदारी के माध्यम से कच्चे पटसन के मूल्य स्थिर करने की बात भी सोची गई है। आवश्यक वस्तु-अधिनियम और औद्योगिक विकास तथा नियमन-अधिनियम के अन्तर्गत कई वस्तुओं के मूल्यों और आवंटन पर नियन्त्रण रखने की व्यवस्था है। उत्पाद-शुल्क लगने-योग्य सभी वस्तुओं के उत्पाद-शुल्क की दरों में भी सरकार समय-समय पर परिवर्तन कर सकती है, ताकि विशेष वस्तुओं के मूल्यों के परस्पर-सम्बन्ध समुचित रूप से बदल सकें। अभी ये परिवर्तन केवल बजट पेश करते समय ही किए जा सकते हैं। इस बात की जाच करना वाछनीय होगा कि लचीलेपन की दृष्टि से क्या सरकार को ऐसे अधिकार हाथ में लेने चाहिए कि वह बीच में भी निश्चित सीमाओं के भीतर उत्पाद-शुल्क में उचित परिवर्तन कर सके।

26 इस प्रकार चीजों पर नियन्त्रण के क्षेत्र और मूल्यों के चढाव-उतार की सीमा का निश्चय उत्पादन और माग की समय-समय पर उपस्थित होनेवाली प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर करना होगा। चीनी के मामले में, इस समय समस्या फालतू चीनी से सम्बद्ध है। इस चीनी के कुछ भाग का निर्यात करना सम्भव हो सकता है। पर चूंकि स्वदेशी चीनी की उत्पादन-लागत शेष विश्व में चीनी के मूल्यों से अधिक है, इसलिए विदेशों में इसकी बिक्री के लिए सहायता देना जरूरी होगा। कुछ समय तक स्वदेश में चीनी की माग धीमे-धीमे बढेगी और नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उत्पादन में सुधार किया जाए, बजाय इसके कि अन्य फसलों को क्षति पहुचा कर गन्ने की फसल का क्षेत्र बढाया जाए। कपास के मामले में, उपभोक्ता की दृष्टि से कपडे के मूल्य में कमी वाछनीय होगी, पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कच्ची कपास की कमी को आयात से पूरा करना पडेगा और इस पर विदेशी मुद्रा खर्च होगी। इस प्रकार की स्थिति में, अधिक उत्पादन की प्रेरणा देने के लिए मूल्य में वृद्धि करना उपयोगी होगा। तेलहन के मामले में, अधिक निर्यात करने की जरूरत है, बावजूद इस बात के कि देश में तेल की माग तेजी से बढ रही है। यहा आवश्यकता इस बात की है कि मूल्यों को मुख्यत निर्यात की दृष्टि से नियमित किया जाए। व्यावसायिक फसलों के मूल्यों का नियमन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करने की आवश्यकता होगी।

27 उचित मूल्यों की समानता का प्रश्न इस प्रश्न के साथ संयुक्त है कि उपभोक्ता जो मूल्य देता है, क्या उसका लाभ सदा उत्पादनकर्ता को मिलता है, या कि उसके लाभ को बिचौलिए हथिया लेते हैं। इन मूल्यों के बीच चाहे जो भी सामान्य सम्बन्ध हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अभाव की अवस्था में उत्पादक के मूल्य और उपभोक्ता के मूल्य के बीच की दूरी बढने की ओर प्रवृत्त होती है। यही बात आयातित वस्तुओं के बारे में भी लागू होती है, जिनकी माग उपलब्धता के मुकाबले में अधिक होती है। राज्य-व्यापार-निगम ने बडी मात्रा में वस्तुओं का आयात करके और उन्हें वास्तविक उपभोक्ताओं में बाट कर दोनों मूल्यों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयत्न किया है। जहा तक सम्भव हो, बिचौलियों का मुनाफा आयातित वस्तुओं और देश में पैदा होनेवाली वस्तुओं, दोनों ही क्षेत्रों में सरकारी अथवा सहकारी अभिकरणों-द्वारा व्यापार के जरिए कम किया जाना चाहिए।

खाद्यान्नों और खुले बाजार की गतिविधियां

28 हमारे यहा-जैसी अर्थव्यवस्था में, जहा कम आयवाले परिवारो के खर्च का एक बडा भाग खाद्यान्नो से सम्बद्ध होता है, खाद्यान्नो के मूल्यो की समुचित स्थिरता बडे महत्व की चीज है। पिछले दस वर्ष से भी अधिक समय में इस क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहा न तो पूरा नियन्त्रण ही सम्भव है और न पूरा अनियन्त्रण ही। सरकार को सदा ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि खाद्यान्नों के मूल्यो का प्रभावशाली ढग से नियमन कर सकें। गेहू के क्षेत्र में, इस समय जितना गेहू उपलब्ध है और अगले तीन वर्षो में जितने आयात की आशा है, उससे मूल्य की स्थिरता का पूरा भरोसा होता है—हा, यदि फसल बुरी तरह नष्ट हो जाए, तो बात दूसरी है। चावल के सम्बन्ध में स्थिति अवश्य जटिल है, क्योकि अभाव की अवस्था में उपलब्ध विदेशी मुद्रा-विषयक साधनो से चावल का पर्याप्त मात्रा में आयात कर सकना सम्भव नही होगा। अन्य अनाजो और दालो के बारे में स्थिति बहुत ही भिन्नता-पूर्ण है।

29 खाद्यान्नो के उत्पादक को निश्चय ही युक्तिसगत लाभ प्राप्त होना चाहिए। दूसरे शब्दो में, किसान को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि खाद्यान्नो तथा अन्य वस्तुओ के, जिनका वह उत्पादन करता है, मूल्य एक युक्तियुक्त न्यूनतम स्तर से नीचे नही गिरने दिए जाएगे। तीसरी योजना में किसान-द्वारा उर्वरको के विस्तृत उपयोग और सुधरे हुए तरीके अपनाए जाने की बात कही गई है। किसान को इस प्रकार पूजी लगाने तथा अधिक श्रम करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से मूल्यो में तेज उतार-चढाव रोकने तथा एक निम्नतम स्तर का भरोसा देनेवाली नीति अपनाना आवश्यक है। यह बात भी कम महत्वपूर्ण नही है कि उचित उपायो या नीतियो की घोषणा और कार्यान्विति समय रहते हो, ताकि किसानो को अपने लाभ का भरोसा हो जाए। इसके साथ ही यह दूसरा उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नही है कि उपभोक्ता के हितो की रक्षा हो और जैसा कि पहले के पैराग्राफो मे कहा गया है, यह खास तौर पर जरूरी है कि खाद्यान्नो-जैसी आवश्यक वस्तुओ के मूल्य बहुत अधिक न बढें। ये बातें केवल मोटे तौर पर नीति के स्वरूप को प्रकट करती हे। मूल्य-स्थिरता की कुजी यह तथ्य है कि भारी मात्रा में खाद्यान्न जमा किए जाए और एक बडे पैमाने पर निरन्तर खरीद और बिक्री का काम जारी रखा जाए। चूकि देश के विभिन्न भागो में मूल्यो मे काफी विभिन्नता है, इसलिए कुछ भागो में खरीद का और कुछ भागो में बिक्री की व्यवस्था की जा सकती है। पिछले दिनो एक बडी कठिनाई यह थी कि सरकार के पास भाण्डार करने की पर्याप्त व्यवस्था नही थी। दीर्घकालीन खाद्य-नीति के एक अग के रूप में जरूरी है कि सरकारी नियन्त्रण के अधीन भाण्डार और गोदाम की सुविधाए शीघ्रता के साथ विस्तृत की जाए। यह बात समझ लेनी चाहिए कि समूचे योजनाकाल में अगर खाद्यान्नो के दाम गिरने लगेंगे, तो सरकार खरीद करेगी और अगर चढने लगेंगे, तो वह बेचेगी। जहा सरकार को भाण्डारण के काम में आयात से सहायता मिली है और अभी कुछ समय तक मिलेगी, वही यह भी आवश्यक है कि ज्यो-ज्यो उत्पादन बढे, त्यो-त्यो देश में की गई खरीद से सरकारी भाण्डार की वृद्धि की जाए। इसी प्रकार, देश में जब कभी और जहा भी खाद्यान्नो के भाव चढने लगें, सरकार अपने भाण्डार से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न बेचने के लिए तैयार रहे। खुले बाजार की ये कार्रवाइया लचीलेपन के साथ और

अनेक स्थानो पर की जानी चाहिए, ताकि इसका प्रभाव ठीक उन स्थलो पर पड़े, जहा उनकी जरूरत है।

30 कहा और किस हद तक क्षेत्रीय प्रबन्ध करना आवश्यक होगा, इसका निर्णय व्यावहारिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, खरीद और बिक्री की कार्रवाई सीधे केन्द्रीय सरकार-द्वारा की जाए अथवा राज्य-सरकारो-द्वारा, इसका निर्णय स्थिति की अनुकूलता के आधार पर करना होगा। जिस बात का पूरा निश्चय होने की आवश्यकता है, वह यह है कि मूल्यो के प्रवाह को प्रभावित करने की सरकार की सामर्थ्य दृढता से बढे और इसके लिए खरीद तथा बिक्री के द्वारा विस्तृत पैमाने पर निरन्तर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सरकार के पास सचित भाण्डार करीब 50 लाख टन होना चाहिए। मूल्यो को स्थिर रखने और ऋतु-विषयक तथा प्रादेशिक विभिन्नताओ में सुधार लाने के लिए अपनाई जानेवाली खरीद एव बिक्री-सम्बन्धी कार्रवाइयो की सफलता के लिए किसानो से निकट सम्पर्क रखनेवाले सहकारी और सरकारी अभिकरणो की बडी सख्या में व्यवस्था होनी चाहिए, थोक व्यापार में लाइसेंस और नियमन की पद्धति शुरू की जानी चाहिए, उपयुक्त दिशाओ में राज्य-व्यापार का विस्तार होना चाहिए, और खुदरा-स्तर पर वितरण की व्यवस्था सहकारी सस्थाओ-द्वारा होनी चाहिए। मूल्यो का नियमन और नियन्त्रण इस दृष्टिकोण से सस्थागत परिवर्तनो की समस्या है, अर्थात् निजी सस्थाओ के मुकाबले में सरकारी और सहकारी सस्थाओ को पुष्ट करने का प्रश्न है, जो कि विकासमूलक आयोजन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

31 अन्त में, आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन के लिए योजना में पर्याप्त वृद्धि की व्यवस्था की गई है, ताकि आवश्यक वस्तुओ के उपभोग में युक्तिसगत वृद्धि हो। मुख्य काम यह है कि इन लक्ष्यो को प्राप्त किया जाए। इस सम्बन्ध में जो कमिया हैं, उन पर मुश्किल से काबू पाया जा सकता है। वित्त-नीति और द्रव्य-नीति का बराबर यह लक्ष्य होना चाहिए कि उपभोग में सयम आए और बचत में अधिक-से-अधिक वृद्धि हो। प्रत्यक्ष नियमन और नियन्त्रणो का काम अनिवार्यत यही है कि प्रमुख क्षेत्रो मे असन्तुलन समाप्त हो और इस काम के लिए बडी मात्रा में खाद्यान्न-सचय तथा खुले बाजार की कार्रवाइया महत्वपूर्ण है। इन कार्रवाइयो को खाद्यान्नो तथा अन्य बुनियादी तौर पर आवश्यक वस्तुओ के क्षेत्र में इस दृष्टि से आगे बढाना होगा कि मूल्यो मे अस्थिरता निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम सीमाओ के अन्तर्गत रहे। मूल्य-विषयक सहूलता विकास के साथ मेल नही खाती और कुछ मूल्यो को चढने से रोका नही जा सकता। इसलिए अवश्य ही यह होना चाहिए कि मूलभूत आवश्यक वस्तुओ के मूल्य निश्चित सीमाओ के अन्दर रहे। मूल्य-नियमन के लिए कई स्थलो पर कार्य किए जाने की जरूरत होती है। अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन की व्यवस्था करनी ही होगी। इसलिए यह कल्पना की गई है कि सरकार उपयुक्त स्तरो पर भाण्डारो का [illegible] करने के लिए आवश्यक सहकारी और सरकारी अभिकरण स्थापित करेगी तथा उन्हे [illegible] देगी, ताकि मूल्यो की गतिविधि को प्रभावित करने और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी-जैसी समाज-विरोधी प्रवृत्तियो को [illegible] हो और वह उपयुक्त स्थिति में [illegible] कार्रवाई कर सके।

अध्याय 8

विदेशी व्यापार का विकास

आयात की समीक्षा

पिछले दशक में, आर्थिक विकास की योजनाओं ने हमारे देश के विदेशी व्यापार पर अधिकाधिक प्रभाव डाला है—खास तौर से आयात पर। औद्योगिक उत्पादन बढाने तथा कुल मिला कर अर्थव्यवस्था का विकास होने के साथ-साथ पिछले दस वर्षों में आयात का स्तर काफी ऊंचा हो गया है। पहली योजना के दौरान कुल मिलाकर 3,620 करोड रु० के सामान का आयात हुआ—यानी औसतन 724 करोड रु० का सामान प्रति वर्ष विदेशों से मगाया गया। दूसरी योजना में पूजीगत सामान, कच्ची सामग्रिया, मध्यवर्ती सामान तथा पुर्जों, आदि की बढी हुई जरूरतो के कारण आयात का स्तर काफी ऊपर उठ गया। योजना के पहले दो वर्षों में आयात बडी तेजी से बढा—सन् 1955-56 के 746 करोड रु० की तुलना में सन् 1956-57 में 1,099 करोड रु० मूल्य के और सन् 1957-58 मे 1,233 करोड रु० मूल्य के सामान का आयात हुआ। बाद के दो वर्षों में कुल आयात की मात्रा घटी। सन् 1959-60 में आयात का स्तर घटकर 920 करोड रु० हो गया। आयात की मात्रा घटने का कारण यह था कि सरकार ने विदेशी मुद्रा की कठिनाइयो के कारण आयात-लाइसेंस देने में कडाई की नीति बरती। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग 1,080 करोड रु० मूल्य के आयात का अनुमान है। दूसरी योजना में कुल मिलाकर 5,360 करोड रु० मूल्य के आयात का अनुमान है। इस हिसाब से वार्षिक औसत 1,072 करोड रु० का पडा और यह पहली योजना के औसत स्तर से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। नीचे की तालिका में पहली और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत सामान की तीन मुख्य श्रेणियो के आयात का वार्षिक औसत दिया गया है

तालिका-संख्या 1

आयात 1951-61

(करोड रु०)

श्रेणी	1951-56 वार्षिक औसत	1956-61 वार्षिक औसत
उपभोक्ता-सामान	235	247
कच्ची सामग्रिया और मध्यवर्ती सामान	364	502
पूजीगत सामान	125	323
योग	724	1,072

2 चूकि तीसरी योजना में पूजी-विनियोग का कार्यक्रम और भी विशाल है तथा उसमें बुनियादी और भारी पूजीगत सामान-उद्योगो के विकास को पुन. प्राथमिकता दी गई है, इसलिए उसमे आयात की आवश्यकताए दूसरी योजना से भी अधिक होगी।

तीसरी योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए मशीनों और उपकरणों के आयात पर लगभग 1,900 करोड़ रु० का खर्च बैठेगा। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत सामान और उपकरणों का देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिए कम-से-कम 200 करोड़ रु० मूल्य के पुर्जों, सन्तुलन-उपकरणों आदि के आयात की भी व्यवस्था करनी होगी। अर्थव्यवस्था के समुचित संचालन के लिए 3,650 करोड़ रु० मूल्य की कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्ती उत्पादनों, बदले जाने के लिए पूंजीगत सामान, आवश्यक उपभोक्ता-सामान, आदि के आयात का प्रबन्ध किया जा रहा है, हालांकि यह अनुभव किया जा रहा है कि औद्योगिक क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए इस प्रकार के आयात की आवश्यकताएं कहीं अधिक हैं। इस प्रकार, अनुमान है कि तीसरी योजना के दौरान कुल मिलाकर 5,750 करोड़ रु० मूल्य की सामग्रियों का आयात होगा—इसमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत होनेवाला 600 करोड़ रु० मूल्य का आयात शामिल नहीं है। अगर पी० एल० 480 के अधीन होनेवाला आयात भी शामिल कर लें, तो तीसरी योजना की अवधि में आयात का औसत स्तर करीब 1,270 करोड़ रु० हो जाता है, जबकि दूसरी योजना का औसत स्तर 1,072 करोड़ रु० ही था।

3 अर्थव्यवस्था के समुचित संचालन के लिए आयात की जरूरतों का अनुमान लगाते वक्त उन परियोजनाओं के, जो चालू हो गई हैं या जिनके तीसरी योजना की अवधि में चालू हो जाने की आशा है, बढ़े हुए उत्पादन के कारण आयात में होनेवाली बचतों का भी हिसाब लगा लिया गया है। इन बचतों में योजना की अवधि में कृषि-वस्तुओं के उत्पादन में होनेवाली वृद्धि का भी आभास मिलता है। मुख्यतः इन-जैसी वस्तुओं में बचत होने की आशा है—कच्ची कपास, नर्म इस्पात, अल्युमीनियम, विभिन्न प्रकार की मशीनें तथा परिवहन उपकरण, दवाएं और रसायन, कागज और गत्ता आदि। लेकिन इसके साथ ही कुछ और प्रकार की वस्तुओं के अधिक आयात की जरूरत पड़ेगी और इस तरह कुछ हद तक इन बचतों का लाभ जाता रहेगा। इस प्रकार की वस्तुओं में ये उल्लेखनीय हैं - विशिष्ट इस्पात, अल्युमीनियम के अलावा अलौह धातुएं, पेट्रोलियम के उत्पादन, उर्वरक, आदि।

तीसरी योजना की अवधि में भुगतान-सन्तुलन की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा के व्यय से सम्बन्धित तथा आयात-लाइसेंस देने की वर्तमान प्रणाली जारी रखी जाएगी तथा उसे और भी सुधारा जाएगा।

निर्यात की समीक्षा

4 पिछले दशक में कुल मिलाकर निर्यात में कोई प्रगति नहीं हो सकी। कोरिया में युद्ध छिड़ जाने से अगर सन् 1951-52 में बहुत ही अधिक निर्यात न हुआ होता, तो पहली योजना में जो 609 करोड़ रु० का वार्षिक औसत रहा, वह और भी कम होता तथा सन् 1958 में अमेरिका और ब्रिटेन में जो मन्दी आ गई, वह अगर न आई होती, तो दूसरी योजना में 614 करोड़ रु० वार्षिक का जो औसत रहा, वह और अधिक होता। जहां तक परिमाण का सवाल है, दूसरी योजना में 9 प्रतिशत अधिक निर्यात हुआ, परन्तु वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ जाने के कारण निर्यात से होनेवाली आय में इस अनुपात से वृद्धि नहीं हुई। सन् 1951-52 से 1960-61 तक की अवधि में जो प्रवृत्तियां रहीं, वे अगले पृष्ठ की तालिका में स्पष्ट हो जाती हैं।

तालिका-संख्या 2

निर्यात 1951–61

(आधार : 1950-51=100)

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	मूल्य	इकाई परिमाण-सूचनाक	मूल्य-सूचनाक	वर्ष	मूल्य	इकाई परिमाण-सूचनाक	मूल्य-सूचनाक
1951-52	733	80	148	1956-57	620	101	98
1952-53	577	89	104	1957-58*	591	96	98
1953-54	531	89	96	1958-59	559	94	97
1954-55	593	94	102	1959-60	644	105	98
1955-56	609	103	94	1960-61	645	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
योग	3,043	—	—	योग	3,069	—	—
औसत	609	91	109	औसत	614	99†	98†

5 देश में आर्थिक विकास होने से घरेलू मांगें बढ गईं और जो अतिरिक्त माल निर्यात के लिए मिल जाता था, उसमें कमी आ गई। इस प्रकार हालांकि इन दस वर्षों में कुल मिलाकर समग्र विश्व-निर्यात-व्यापार दुगुना हो गया, पर इसमें भारत का हिस्सा सन 1950 के 2 1 प्रतिशत से घटकर सन् 1960 मे 1 1 प्रतिशत रह गया।

6 पिछले दशक में निर्यात-व्यापार का जो स्वरूप रहा, उसमें दो मुख्य प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। एक तो यह, कि उन चीजो के निर्यात में कुल मिलाकर कोई खास उन्नति नहीं हुई, जो सीधे या अधिकाश कृषि-उत्पादन पर निर्भर करती हैं (और भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अब भी इन्हीं चीजो का होता है) —जैसे, चाय, सूती वस्त्र, पटसन की चीजें, खालें और चमडा, मसाले और तम्बाकू। पर अब जो नई-नई चीजें तैयार होने लगी हैं, उनके और खनिज लोहे-जैसे चीजो के निर्यात में काफी वृद्धि हुई, परन्तु परम्परागत चीजो के निर्यात में जो कमी हुई, उसकी कसर इनसे पूरी नहीं हो सकी। ये प्रवृत्तियां अगली तालिका से स्पष्ट हो जाती हैं।

*चांदी-निर्यात का शुद्ध अंक

†चार साल का औसत

टिप्पणी : इस अध्याय की तालिकाएं (संख्या 2, 3 और 4) वाणिज्य-सूचना और सांख्यिकी-महानिदेशक-द्वारा प्रकाशित आकडो के आधार पर तैयार की गई हैं।

तालिका-संख्या 3

निर्यात का स्वरूप 1951-60

(करोड़ रु०)

	1950-51	1955-56	1958-59	1959-60
1 कृषिगत वस्तुएं और सम्बद्ध उत्पादन	496 5	489 3	453 5	473 6
कपास और पटसन के उत्पादन (मद-संख्या 1 में सम्मिलित)	250 5	181 7	153 4	180 5
2 दूसरे उत्पादन	58 4	61	53 3	105
नया-नया उत्पादन (मद-संख्या 2 में सम्मिलित)	8 9	8 6	12 5	25
3 खनिज पदार्थ	23 4	34.4	46 2	53
योग	578 3	584 7	553	631 6

7 इधर कुछ वर्षों में, खास तौर से दूसरी योजना के मध्य-काल से, निर्यात बढ़ाने के लिए कई तरह की कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। सम्भव है कि अगर ये कदम न उठाए जाते, तो पिछले कुछ वर्षों में निर्यात और भी कम होता। ये जो कार्रवाइयां की गईं, उनका आयन काफी व्यापक धरातल पर किया गया था। इनमें ये बातें भी शामिल थीं—संगठन-सम्बन्धी परिवर्तन, अधिक सहूलियतें और प्रोत्साहन तथा व्यापार में विविधता। पहले वर्ग में ये चीजें आती हैं—निर्यात-संवर्द्धन-परिषदें, जिनकी स्थापना सूती वस्त्रों, रेशम और रेयन, इजीनियरी के सामान, रासायनिक पदार्थों, तम्बाकू, मसालों, काजू, चमड़ा, प्लास्टिक के सामान, खेल के सामान और अभ्रक के लिए की गई है, निर्यात-जोखिम-बीमा-निगम की स्थापना, निर्यात-संवर्द्धन-परिषदों का काम चाय, काफी और नारियल-जटा-मंडलों को सौंपना, तथा प्रचार, मेलों, प्रदर्शनियों की अधिक सहूलियतें। दूसरे वर्ग की कार्रवाइयों में इनका उल्लेख किया जा सकता है निर्यात-नियन्त्रण और कोटा-प्रतिबन्ध का अन्त, अधिकतर निर्यात-शुल्कों की समाप्ति, उत्पाद-शुल्कों की वापसी, निर्यात के लिए कच्चे माल के लिए विशेष आयात-लाइसेंस दिए जाने का आरम्भ तथा परिवहन-सुविधाओं के लिए प्राथमिकताएं। तीसरी बात राज्य-व्यापार-निगम के काम के जरिए तथा सोवियत रूस और पूर्व-यूरोपीय व्यापार-निगम के काम के जरिए तथा सोवियत रूस और पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार-सम्बन्ध बढ़ने से भारत के विदेशी व्यापार में विविधता लाने के क्षेत्र में प्रगति हुई है।

व्यापार की दिशा

8 अगले पृष्ठ की तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में क्या परिवर्तन आए।

तालिका-संख्या 4

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा

(प्रतिशत हिस्से)

देश/क्षेत्र	निर्यात			आयात		
	1952	1956	1960	1952	1956	1960
1 एशिया और सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग से सम्बद्ध देश	25 7	16 3	17	13 6	12 4	13 1
जापान	4.1	4 9	5 5	2 4	5 2	5 1
2 पश्चिम-एशिया	5 7	5.8	6 5	7 7	10 6	7 5
3 अफ्रीका	3 6	3.9	2.5	3 8	4	1 1
4 पश्चिम-यूरोप	29 6	39.8	38 5	30 1	50 1	40 4
ब्रिटेन	20.5	29 8	27 5	18 5	25	20
यूरोपीय आर्थिक समुदाय	7.5	8 3	8	8 8	20	18
5 पूर्व-यूरोप और चीन	1 3	3 5	8	2 2	1 2	3 7
6 उत्तरी अमेरिका	21 1	17	18 7	37 3	12 1	25 2
संयुक्त राज्य-अमेरिका	19	11 7	16	33 6	11.3	23 7
7 लैटिन अमेरिका	1 1	1	2 5	—	0 1	0 1
8 आस्ट्रेलिया	4 3	4 1	3 1	2	1 7	2.3
9 अन्य	7 3	8.3	3 2	3 3	1.3	3 3

9 पहली योजना की अवधि में पश्चिम-यूरोप से होनेवाला आयात 30 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। दूसरी योजना के अन्त में भारत के कुल आयात का लगभग 40 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र से हुआ था। पूर्व-यूरोप से सन् 1952 में 2 2 प्रतिशत आयात हो रहा था, जो सन् 1956 में बढ़कर 4 6 प्रतिशत हो गया। परन्तु सन् 1960 में यह पुन घटकर 3 7 प्रतिशत हो गया। उत्तर-अमेरिका से सन् 1952 में कुल आयात का 37 प्रतिशत हिस्सा आया, सन् 1956 में यह हिस्सा घटकर 12 4 प्रतिशत रह गया, लेकिन सन् 1960 में फिर बढ़कर 25 7 प्रतिशत हो गया। यह घट-बढ़ केवल खाद्य के आयात के कारण हुई। इस अरसे में एशिया और सुदूरपूर्व-आर्थिक आयोग के देशों से आयात 13 से 14 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा है।

तीसरी योजना में निर्यात के उद्देश्य

10 अब तक निर्यात बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें अगर निर्यात को वर्जना करनेवाले मूलभूत कारणों के सम्मुख रखकर देखा जाए, तो वे पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। अब तक की एक मुख्य कमी यह रही है कि निर्यात-कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश के विकास-प्रयत्नों के अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा गया। अगर निर्यात में काफी वृद्धि करनी है, तो कई दिशाओं में एक साथ कदम उठाने पड़ेंगे, खास तौर से इन दिशाओं में

(क) घरेलू खपत को मुनासिब सीमाओं में बांध कर रखना पड़ेगा, ताकि निर्यात के लिए चीजें बचाई जा सकें,

(ख) जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित होने लगती है, तो घरेलू मंडियों में अधिकाधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, अत निर्यात की सापेक्षिक लाभकारिता बढ़ाने के लिए कदम उठाने जरूरी हैं,

(ग) मुख्य उद्योगों को—खास तौर से निर्यात-उद्योगों को—लागत के स्वरूप तथा उत्पादकता की दृष्टि से जल्दी-से-जल्दी प्रतियोगात्मक स्तर पर आ जाना चाहिए और इस काम के लिए हर एक उद्योग में व्यवस्थित कार्यक्रम अपनाने की जरूरत है। निर्यात में विविधता लाने और निर्यात-व्यापार में धीरे-धीरे पर निश्चित रूप से नई तैयार चीजों का और खनिज पदार्थों का हिस्सा बढ़ाने के लिए यह निहायत जरूरी है। औद्योगिक लाइसेंस-नीतियों को भी इस तरह से बदला जाना चाहिए कि निर्यात की उन्नति हो, और

(घ) निर्यात बढ़ाने के पक्ष में और उनमें निहित बोझ स्वीकार करने के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए, इस राष्ट्रीय प्रयत्न में व्यापार और उद्योग का सहयोग प्राप्त करने के लिए, मंडियों के विषय में सूचना और अनुसन्धान से सम्बन्धित सरकारी संगठन सुधारने के लिए तथा विदेशों में वाणिज्य-प्रतिनिधित्व के उन्नयन के लिए तथा उधार, बीमा आदि की अधिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

11 निर्यात मामलों से सम्बन्धित अध्याय में तीसरी योजना की विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का विवेचन किया गया है। जैसा कि प्रारम्भिक रूपरेखा में बताया गया है, यह स्पष्ट है कि अगर तीसरी योजना की अवधि में निर्यात 3,450 करोड़

रु० से काफी ऊपर न गया, तो जितनी विदेशी सहायता पाने की अपेक्षा करके हम चले हैं, वह सब मिल जाने पर भी योजना मे भारी अभाव रह जाएगा। अत वस्तुओ के विपय में तथा अन्य प्रकार के जो अध्ययन किए गए हैं, उनके आधार पर और यह मान कर कि निर्यात बढाने के प्रयत्न बडे पैमाने पर किए जाएगे तथा विदेशो में माग की उचित परिस्थितिया रहेंगी, तीसरी योजना की अवधि में 3,700 करोड रु० का निर्यात-लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें शक नही कि प्रयत्न और आयोजन स्पष्ट ही काफी बडे पैमाने पर करना होगा। आवश्यक कार्रवाइयो पर जोर देने और तीसरी योजना में निर्यात बढाने के विशेष प्रयत्नो की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण कारण है और वह यह कि यही वक्त है, जब निर्यात बढाया जा सकता है, ताकि चौथी योजना की प्रत्याशित आवश्यकताओं को—जो अब से कही ज्यादा होगी—पूरा किया जा सके। रकमो के वापसी भुगतान की जिम्मेदारियो के कारण तथा सचालन और विकास-सम्बन्धी आयातो के कारण जो आवश्यकता होगी, उन्हें ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान किया गया है कि चौथी योजना के अन्त तक निर्यात का वार्षिक स्तर 1,300 से 1,400 करोड रु० के बीच जरूर हो जाएगा, यानी वर्तमान स्तर से लगभग दुगुना हो जाएगा। यह एक बडी जरूरी शर्त है, जिसके पूरा होने पर ही यह आश्वासन मिल सकता है कि पाचवी योजना के अन्त तक भारत की अर्थव्यवस्था अपने पैरो पर खडी हो सकेगी और जीवित रह सकेगी।

12 इन सब बातो को पृष्ठभूमि में रख कर ही तीसरी योजना में निर्यात से कम-से-कम 3,700–3,800 करोड रु० की आय का लक्ष्य सामने रखा गया है। अगर निर्यात उस हद तक बढ सका, जितना कि सोचा जा रहा है, तो तीसरी योजना की अवधि में निर्यात के वार्षिक स्तर में लगभग 200 करोड रु० की वृद्धि हो जाएगी और तीसरी योजना में औसत वार्षिक निर्यात दूसरी योजना की अवधि की अपेक्षा लगभग 150 करोड रु० अधिक होगा।

निर्यात बढ़ाने के लिए कार्रवाइयां

13 निर्यात में अच्छी-खासी वृद्धि करने के लिए जो कार्रवाइया की जा सकती है, उनके मुख्यत दो वर्ग हैं—एक वर्ग तो सामान्य नीतियो का है, और दूसरा विशेष वस्तुओ से सम्बन्धित कार्रवाइयो का। इनमे से कई कार्रवाइया ऐसी है, जिनमे दो-तीन वर्ष के मामूली अरसे में ही कुछ नतीजे निकलने की आशा की जाती है। इसके साथ ही कार्यकुशलता बढाने और लागत घटाने-विषयक जो अन्य कार्रवाइया हैं, उनकी परिधि अधिक-से-अधिक होनी चाहिए। निर्यात-कार्यक्रम को सहारा देने के लिए जिन आम नीतियो की बात सोची गई है, उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्यात-प्रयत्नो के लिए देश में अनुकूल वातावरण पैदा हो, घरेलू मागो को सीमित किया जाए, निर्यात के लिए उपलब्ध होनेवाले अतिरिक्त माल की मात्रा बढे और उत्पादन की लागतें घटे। यह महसूस किया जा रहा है कि एक हद के आगे निर्यात बढाने की कार्रवाइयो का असर अनिवार्यत देशीय अर्थव्यवस्था पर या विकास के दूसरे क्षेत्रो पर पडेगा। जाहिर है कि दोनो में से किसी एक का चुनाव करना बडा कठिन काम है, लेकिन समग्र राष्ट्रीय हितो को ध्यान में रखते हुए निर्यात को ही सर्वाधिक प्राथमिकता देनी होगी और अगले 10-15 वर्षों तक देशीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार वहन करना होगा। तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए यह कीमत तो चुकानी ही होगी।

14 निर्यात का कार्यक्रम पूरा करने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त स्पष्टत यह है कि तीसरी योजना के कृषि और उद्योग-विषयक लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए। अगर ये लक्ष्य पूरे न हुए, तो जो उपाय वैसे कारगर हो सकते है, वे भी कम कारगर रह जाएगे।

15 निर्यात-आन्दोलन को सफल बनाने की एक अनिवार्य शर्त यह है कि घरेलू खपत की वृद्धि पर रोक लगाई जाए। जब चीजे देशी और विदेशी मागें पूरी करने के लिए काफी न हो, तब इस तरह के नियन्त्रणो से काम लेना ही पडता है। जब अधिक पूजी लगा कर आपूर्ति बढाई जा सके, तब भी इन नियन्त्रणो का सहारा लेना पडता है, ताकि घरेलू साधनो और विदेशी मुद्रा, दोनो की दृष्टि से बचत हो। खपत पर नियन्त्रण लगाने से अतिरिक्त निर्यात की जो सुविधा मिलेगी, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के विकास की गति अनुपात से कही अधिक बढेगी। नियमत जरूरत इस बात की नही होती कि कुल खपत या प्रति व्यक्ति खपत में पूर्णत कमी हो—जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि जिस गति से खपत बढती है, उसमें कुछ कमी आए। यह तथा और दूसरी कार्रवाइया करने में एक बात बेहद जरूरी है कि जनता निर्यात बढाने की जरूरत को ज्यादा अच्छी तरह समझे और इस बात को जान ले कि यह लक्ष्य बिना सबकी ओर से थोडा-बहुत त्याग किए पूरा नही हो सकता।

16 निर्यात के लक्ष्य पूरे करने के लिए इतना ही जरूरी नही है कि निर्यात के लिए अतिरिक्त सामान उपलब्ध हो जाए, बल्कि यह भी जरूरी है कि वह इतने कम भाव पर प्राप्त हो कि विदेशी मडियो के अन्य आपूर्तिकर्ताओ से होड ले सके। कम भावो पर निर्यात की क्षमता अधिकाशत देशी भावो पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि विकास के साथ मुद्रा-स्फीति के जो दबाव जुडे रहते है, उन पर नियन्त्रण रखा जाए।

17 निर्यात-प्रयत्नो के विकास के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय उद्योग का एक काफी बडा हिस्सा अब की अपेक्षा अधिक प्रतियोगात्मक हो जाए। इसमें शक नही कि काफी चीजे ऐसी है, जिनमें भारतीय उद्योग विदेशी मडियो के साथ प्रतियोगिता कर सकता है, कम-से-कम प्रतियोगी तो बन ही सकता है। फिर भी, इन उद्योगो का क्षेत्र अभी काफी विस्तृत नही है। कुछ चुने हुए उद्योगो में—जैसे, सीमेंट, पटसन, बाइसिकिल, बिजली के मोटर और ट्रासफार्मर तथा रेयन में लागत कम करने के तरीके सोचने के लिए हाल में अध्ययन-दल नियुक्त किए गए है। हाल के वर्षो में विभिन्न उद्योगो में लागत-सम्बन्धी जो अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए है, उनकी समीक्षा करने का विचार किया जा रहा है, ताकि लागत कम करने के कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से उद्योगवार लागू करने की पद्धति निर्धारित की जा सके। यह सोचा गया है कि निर्यात का विकास करने के लिए जो उद्योग महत्वपूर्ण है, उनके लिए लाइसेंस देने की नीतियो में यह बात भी ध्यान में रखी जाए कि किस पैमाने पर काम करने में किफायत हो सकती है। कौन-सा कारखाना कहा होना चाहिए, यह तय करते समय भी इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। इन उद्योगो में लागत के स्तर का महत्व सबसे अधिक होता है और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यह जरूरी है कि कुछ और बातो की तुलना में, जिनका सुयोजित विकास की किसी भी योजना में सामान्यत ध्यान रखना पडता है, इस बात को विशेष प्राथमिकता दी जाए।

18 जब घरेलू भाव तेजी से बढते है, तो उसका असर यह होता है कि विदेशी मडियो की अपेक्षा देशी मडियो में बिक्री करने से मुनाफा ज्यादा होता है। कुछ समय के लिए और

एक सीमा में रहते हुए कुछ ऐसी वित्तीय कार्रवाइया करनी पड सकती है, जिनमें चलते यह प्रवृत्ति सुधर जाए। यह तो स्वाभाविक है कि इन उपायो के विवरण के बारे में विभिन्न उद्योगो की वास्तविक स्थिति के प्रकाश में समय-समय पर विचार किया जाता रहे।

19 विदेशी मुद्रा की कमी के कारण यह जरूरी हो गया है कि प्राथमिकता निर्धारित करते समय उन उद्योगो को तरजीह दी जाए, तो निर्यात की चीजें तैयार करते हैं या जिनमें निर्यात के लायक काफी अतिरिक्त माल का उत्पादन होता है। जहा भी सम्भव होगा, हर उद्योग के साथ विचार-विमर्श करके यह तय किया जाएगा कि उसे निर्यात के लिए कितना माल देना चाहिए। कुछ हालतो में, जहा किसी उद्योग के तैयार किए हुए माल का निर्यात अनिवार्य हो, शायद यह भी करना पडे कि हर कारखाने के लिए एक मात्रा निर्धारित कर दी जाए कि वह देश के भीतर उतने से अधिक माल की विक्री नही कर सकता, ताकि उसके उत्पादन का शेष भाग निर्यात के लिए मिल सके। सरकारी क्षेत्र के उद्यमो को भी अपने उत्पादन का एक हिस्सा निर्यात के लिए नियत करके निर्यात-प्रयत्नो की दिशा मे पहल करनी चाहिए और विदेशो में विक्री के लिए भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

20 निर्यात-सवर्द्धन-परिषदो को विदेशी मडियो का अध्ययन करने तथा नई-से-नई सूचनाए प्राप्त करने में प्रमुख भाग लेना चाहिए, ताकि विदेशो में भारत के वाणिज्य-प्रतिनिधियो का विदेशी मडियो के विषय मे समुचित सूचनाए भेजने का मौजूदा इन्तजाम और मजबूत हो और भारतीय उद्योग तथा व्यापार को सारी सूचनाए प्राप्त हो सकें और आम तौर से भारत के विदेश-व्यापार की उन्नति हो।

21 हाल के वर्षों में राज्य-व्यापार के अनुभव से पता चलता है कि राज्य-व्यापार-सगठन निर्यात के विकास में महत्वपूर्ण योग दे सकते है। सहकारी सगठनो के माध्यम से भी निर्यात को वढावा दिया जा सकता है। निजी निर्यात-सस्थाओ के प्रयत्नो को भी सहारा देने का विचार है।

22 ऊपर कुछ ऐसी मोटी-मोटी वातें वताई गई है, जिनके अनुसार तीसरी योजना के विभिन्न निर्यात-प्रयत्नो का विकास करने का विचार है। स्वभावत इन सबके लिए वडे व्यापक क्षेत्र में कार्रवाई करनी होगी। खास-खास वस्तुओ के वारे में समय-समय पर फैसले करने होगे। इनमें से कुछ के अधीन उत्पाद-शुल्क लगाने पडेगे, औरो के मामले में, तीसरी योजना के दौरान विकास के लिए अधिक साधनो का पक्का प्रवन्ध करना जरूरी हो सकता है। अदृश्य आय वढाने की कोशिश करना भी जरूरी होगा—खास तौर से पर्यटको और जहाजरानी-द्वारा।

23 निर्यात में विविधता लाने तथा नई निर्यात-मडिया पैदा करने का काम देश का विदेश-व्यापार वढाने तथा विदेशो के साथ वाणिज्य-विषयक और आर्थिक सम्वन्ध वढाने के व्यापक प्रयत्न का ही एक हिस्सा समझा जाना चाहिए। आनेवाले वर्षो में अन्य विकासशील प्रदेशो के साथ—विशेषत दक्षिण और दक्षिणपूर्व-एशिया, पश्चिम-एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-अमेरिका और वेस्ट इडीज के साथ—निकट आर्थिक सम्पर्क स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशो को अपने आर्थिक विकास के लिए पूजीगत सामान और पुर्जो तथा कच्चे माल की जरूरत पडेगी और इनके साथ व्यापार वढाने की पारस्परिक सम्भावनाओ की जाच पूरी तत्परता से की जानी चाहिए। यूरोपीय सामान्य मडी के देशो की

ओर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के विदेशी व्यापार में जो घाटा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन देशों के साथ व्यापार में है। ब्रिटेन के साथ भारत का पुराना व्यापारिक सम्बन्ध है, जिसे भारत की वृद्धिशील उत्पादन-क्षमता एवं परिवर्तनरत आर्थिक स्वरूप को ध्यान में रख कर और भी गहरा किया जाना चाहिए। सोवियत रूस और पूर्व-यूरोप के देशों के साथ भारत का व्यापार सन्तुलित स्तर पर है और अगले कुछ वर्षों में इन देशों के साथ व्यापार काफी बढ़ना चाहिए। यूगोस्लाविया के साथ व्यापार पहले ही काफी विस्तार पा चुका है और उसके साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। देश के आयात का एक-चौथाई हिस्सा उत्तर-अमेरिका—खास तौर से संयुक्त राज्य-अमेरिका—से आता है। इन देशों की विकासशील अर्थव्यवस्था और रहन-सहन के ऊंचे स्तर के कारण इनके साथ व्यापार बढ़ाने की—खास तौर से निर्यात बढ़ाने की—बड़ी गुंजायश है। इस प्रकार, जैसे-जैसे भारत की आर्थिक प्रगति होगी और वह अधिक देने तथा पाने की स्थिति में आएगा, वैसे-वैसे एक विस्तारशील विश्व-अर्थव्यवस्था का वह एक अंग बनेगा, जिसमें वृद्धिशील सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध जीवन को खुशहाली प्रदान करते हैं तथा सभी देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं।

अध्याय 9

सन्तुलित प्रादेशिक विकास

(1)

सामान्य दृष्टिकोण

देश के विभिन्न भागो का सन्तुलित विकास करना, आर्थिक प्रगति के लाभो का कम विकसित क्षेत्रो मे विस्तार करना और उद्योगो को दूर-दूर तक फैलाना—ये योजनाबद्ध विकास के प्रमुख उद्देश्यों में स्थान रखते हैं। एक के बाद एक पचवर्षीय योजनाओ मे इन उद्देश्यों को अधिकाधिक प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के विस्तार और तीव्रतर विकास से राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास के बीच सन्तुलन कायम करने की क्षमता उत्तरोत्तर बढती है। इस प्रकार के सन्तुलन के लिए कोशिश करते समय कुछ कठिनाइयो का अनिवार्यत सामना करना ही पडता है, खास कर आर्थिक विकास के प्रारम्भिक सोपानो में। चूकि साधन सीमित हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था मे ऐसे स्थानो पर उन्हें केन्द्रित करने से आम तौर से फायदा होता है, जहा प्रतिफल अच्छा मिलने की आशा हो। ज्यो-ज्यो विकास होता जाता है, त्यो-त्यो अधिकाधिक क्षेत्रो में पूजी लगाई जाती है और बहुत-से स्थलो पर साधनो का प्रयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप, लाभ का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो जाता है। स्वय विकास के हित की दृष्टि से राष्ट्रीय आय को ज्यादा-से-ज्यादा बढाना चाहिए और आगे के पूजी-विनियोग के लिए साधन जुटाने चाहिए। यह एक समग्रतामूलक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक चरण अपने से बाद के चरण का आकार निर्धारित करता है। कुछ क्षेत्रो में, जैसे उद्योग में, सघन और स्थानीय विकास अनिवार्य हो सकता है। इसके साथ ही, अन्य क्षेत्रो में उद्देश्य यह होना चाहिए कि कृषि, लघु उद्योग, बिजली, सचार-साधन और सामाजिक सेवाओ-जैसे क्षेत्रो में अधिक-से-अधिक जगहो पर विकास हो। उद्योग की तरह ही अन्य आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओ की पूर्ति में पूजी लगाने से भी विकास के बहुत-से लाभकारी केन्द्र तैयार होते हैं। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की प्रगति पर बिना कोई बुरा असर डाले अगर विभिन्न क्षेत्रो में राष्ट्रीय आय और विकास के धरातल पर निश्चित निम्नतम लक्ष्य पूरा किया जा सके, तो कम विकसित क्षेत्रो मे अनेक दिशाओ में बडे पैमाने पर विकास की व्यवस्था करना सम्भव हो जाता है। व्यापक प्राकृतिक साधनो से युक्त किसी विशाल देश के पास—जो अपने विकास के हर सोपान को एक दीर्घकालीन योजना के परिप्रेक्षण में देखता हो—तीव्र और स्थायी गति से विकास करने के साधन तो होते ही है, वह अपने कम विकसित क्षेत्रो को भी विकसित कर सकता है, ताकि वे अन्य क्षेत्रो के बराबर हो जाए।

2 इस प्रकार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और देश के विभिन्न भागो का सन्तुलित विकास, ये दोनो उद्देश्य एक-दूसरे से सम्बद्ध है और धीरे-धीरे ऐसी परिस्थितिया पैदा करना सम्भव हो जाता है, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पत्ति, धन और कौशल, आदि साधनो का पूरा-पूरा फायदा उठाया जा सकता है। कभी-कभी हो सकता है कि विकास के क्षेत्र में पिछड जाने की भावना किसी क्षेत्र के समग्र विकास की धीमी गति के कारण उतनी न हो, जितनी खेती, सिंचाई, बिजली, उद्योग, या रोजगार आदि के विशेष क्षेत्रो में अपर्याप्त या धीमे विकास

के कारण। प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी से इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि वहा की समस्याए क्या है तथा वहा विशिष्ट क्षेत्रो में तेजी से विकास करने में क्या-क्या रुकावटें आती है और तीव्रतर विकास के उचित उपाय करने चाहिए। मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि हर क्षेत्र के साधन का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए, ताकि वह राष्ट्रीय समुच्चय में अधिक-से अधिक योगदान को और राष्ट्रीय विकास से जो लाभ हो, उनमें अपना उचित हिस्सा ग्रहण करे।

3 प्रत्येक क्षेत्र की विकास-क्षमता को अधिक-से-अधिक वढाना चाहिए, किन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके और विकास के सोपान सब जगह पूरी तरह एक-से नही होगे। किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओ और भौगोलिक स्थिति से सम्बद्ध कारणो को तो आसानी से नही वदला जा सकता लेकिन शिक्षा और योग्यता का स्तर ऊचा करके, विजली का विकास करके और आम तौर से विज्ञान तथा टेक्नोलोजी का वडे पैमाने पर उपयोग करके प्रदेश की अन्य वातो में परिवर्तन लाया जा सकता है। सघन और व्यापक विकास में आम तौर में सबसे पहले वडे पैमाने के उद्योगो पर ध्यान दिया जाता है—विशेष कर वुनियादी और भारी उद्योगो पर। फिर भी, औद्योगिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों में एक-सी अनुकूल परिस्थितिया नही हो सकती। यह भी सम्भव है कि किसी क्षेत्र की अधिकाश जनता के रहन-सहन के सन्दर्भ में वडे कारखानो की स्थापना के स्थानो को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया जाए। वहुत-से देश और विभिन्न देशो के अन्तर्गत वहुत-से क्षेत्र इस बात के उदाहरण है कि औद्योगिक विकास सीमित होने पर भी स्थानीय प्राकृतिक और मानवीय साधनो का पूरा-पूरा उपयोग करने से जीवन-स्तर काफी ऊचा उठ सकता है। ऐसे भी उदाहरण है, जहा वडी-वडी परियोजनाओ के आस-पास के क्षेत्रो में लोगो के रहन-सहन के स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नही पडा। वुनियादी उद्योगो, पूजीगत सामान-उद्योगो तथा अन्य वडे-वडे उद्योगो के अलावा ऐसे भी उद्योग है, जिनकी सम्भावनाओ की अच्छी तरह जाच करनी चाहिए—जैसे, अधिक श्रम की अपेक्षा रखनेवाले परम्परागत उद्योग, आधुनिक तरीके के लघु उद्योग, कृषि-विधायन-उद्योग, वन-उद्योग, पुर्जे मिलाकर चीजें तैयार करने और मनोरजन की चीजें वनानेवाले उद्योग। प्रत्येक क्षेत्र को ऐसे उद्योगो की योजना वनानी चाहिए और उनकी उन्नति करनी चाहिए, जो वहा की परिस्थितियो के विशेष अनुकूल हो तथा जिनके लिए वे अपेक्षाकृत ज्यादा सुविधाए जुटा सकते हो।

(2)

प्रादेशिक विकास की नीतियां

ऊपर जो सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, वह दूसरी पचवर्षीय योजना में शामिल किए गए कार्यक्रमों और नीतियो के द्वारा व्यक्त किया गया था। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है

(1) कृषि, सामुदायिक विकास, सिचाई (विशेषकर छोटी सिचाई), स्थानीय विकास-कार्य आदि के कार्यक्रमों को प्राथमिकता, जो कम-से-कम समय में सम्पूर्ण क्षेत्र में फैल जाए,

(2) ऐसे क्षेत्रो मे, जो औद्योगिक दृष्टि से पीछे है या जहा रोजगार के अवसर देने की ज्यादा आवश्यकता है, बिजली, पानी, परिवहन और सचार-साधनो, प्रशिक्षण-सस्थाओ, आदि की सुविधाओ की व्यवस्था,

(3) लघु और ग्रामोद्योगो के विस्तार के कार्यक्रम, और

(4) सरकारी तथा निजी, दोनो प्रकार के नए उद्योगो के लिए स्थान चुनते समय देश के विभिन्न भागो मे सन्तुलित अर्थव्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान देना। इस पहलू पर उन हालतो में ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जहा किसी उद्योग की जगह निश्चित करते समय इस एक बात का ही सर्वाधिक विचार न किया जाता हो कि वहा कच्चा माल और दूसरे प्राकृतिक साधन उपलब्ध है या नही।

इन उपायो के अतिरिक्त दूसरी पचवर्षीय योजना में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि श्रमिक देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक सख्या मे और अधिक आसानी से आ-जा सके तथा उन्हे ज्यादा घनी आबादीवाले इलाको से कम घनी आबादीवाले इलाको मे ले जाने और बसाने की योजनाए तैयार की जा सकें। दूसरी पचवर्षीय योजना में इस बात का भी सुझाव रखा गया कि प्रादेशिक असमानता की समस्या का बराबर अध्ययन किया जाता रहे और कुछ ऐसे उचित आधार निकाले जाए, जिनसे प्रादेशिक विकास का पता चल सके।

5 दूसरी पचवर्षीय योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन के समय विकास के प्रादेशिक पहलुओ पर तीन भिन्न तरीको से विचार किया गया। एक तो, राज्यो की योजनाओ के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमो पर जोर दिया गया, जिनका देश के विभिन्न भागो के लोगो की खुशहाली से सीधा सम्बन्ध था। दूसरे, कुछ क्षेत्रो में विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए, जहा विकास मे या तो अस्थायी गतिरोध आ गया था या जहा कुछ बुनियादी कमियो के कारण विकास रुक गया था। तीसरे, उद्योगो के और विकेन्द्रित विकास के लिए कदम उठाए गए, जिससे कई सम्बद्ध क्षेत्रो में विकास की परिस्थितिया पैदा होती है।

6 कृषि, सामुदायिक विकास, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, सिंचाई और बिजली, सचार-साधन तथा सामाजिक सेवाओ के कार्यक्रमो का बहुत अधिक लोगो से सम्बन्ध होता है और इनका उद्देश्य हर क्षेत्र के लोगो के लिए बुनियादी सहूलियतो और सेवाओ की व्यवस्था करना होता है। चूकि ये कार्यक्रम राज्यो की योजनाओ में सम्मिलित है, इसलिए देश के प्रत्येक भाग को विकास से लाभ पहुचाने की बात अधिकाशत इस पर निर्भर करती है कि राज्यो की योजनाओ को क्या रूप दिया गया है और योजना की अवधि में उनमें क्या-क्या परिवर्तन होते है। कई राज्यो की योजनाओ में नदी-घाटी-परियोजनाओ को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और हीराकुड, कोसी, चम्बल, रिहन्द, दामोदर-घाटी-निगम, भाखडा-नगल, कोयना और नागार्जुनसागर-जैसी बहुद्देश्यीय परियोजनाओ पर बहुत पूजी लगाई गई। ये तथा अन्य परियोजनाए देश के विशाल भागो के विकास के लिए आवश्यक थी, इनमें से कुछ भाग अभाव और बेरोजगारी से ग्रस्त थे या अन्य कारणो से बहुत ही कम विकसित थे। कृषि-उत्पादन और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो तथा शिक्षा एव स्वास्थ्य-योजनाओ के लागू होने से भी विकास का फल सुदूरवर्ती इलाको तक पहुचा।

7 विकास के सामान्य या समग्र कार्यक्रमों के अतिरिक्त, पहली और दूसरी योजनाओं में ऐसे खास-खास क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए, जिन्हें कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार, सन् 1953-54 में 40 करोड़ रु० की लागत से बहुत-से राज्यों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी सुधार लाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में मध्यम और छोटी सिंचाई-योजनाएं, बाढ़ से रक्षा के के लिए बांधों का निर्माण तथा बंजर भूमि को खेती-योग्य बनाने और कण्टूर बांध बांधने की योजनाएं भी शामिल थीं। सन् 1957 में जब कुछ राज्यों में फिर अभाव की परिस्थितियां पैदा हुईं, तो समस्या का अध्ययन किया गया और अतिरिक्त विकास-कार्यक्रम शुरू किए गए। विभिन्न राज्यों में स्थित कम उन्नत क्षेत्रों के लिए—जैसे, विदर्भ और मराठवाड़ा, उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिले तथा अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र और पंजाब तथा उत्तरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र—सम्बन्धित राज्यों ने प्रायः अपनी योजनाओं में विशेष व्यय की व्यवस्था की है और इस बात का विशेष प्रबन्ध किया है कि अपनी योजनाएं बनाने में इन क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। मध्यप्रदेश, उड़ीसा, असम, आदि राज्यों में उन इलाकों में विकास-कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। इन कार्यक्रमों में सड़क और सवार-साधन, बहूद्देश्यीय विकास-खण्ड, वन-सहकारी समितियां और बदल-बदल कर खेती करने के वर्तमान तरीके में सुधार करने के उपाय भी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों के अगम्य स्थलों की समस्याओं का अध्ययन करने का काम भी खाद्य तथा कृषि-मन्त्रालय ने शुरू किया है।

8 उद्योगों को फैला कर स्थापित करने के प्रश्न को लें, तो जहां तक अपेक्षाकृत बड़े उद्योगों का सवाल है, इनमें आर्थिक और तकनीकी पहलुओं का हमेशा महत्व होता है और व्यवहार में इनमें थोड़ा-बहुत ही इधर-उधर होना सम्भव होता है। किसी खास क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं की स्थापना में असुविधाएं हो सकती हैं, परन्तु वे सदा बुनियादी किस्म की या ऐसी नहीं होतीं, जो दूर न की जा सकें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां केवल बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की ही कमी हो, अन्य किसी चीज की नहीं। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना में अनिवार्य तकनीकी और आर्थिक कसौटियों की उपेक्षा किए बिना जहां तक सम्भव हो सका, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के दावों का ख्याल रखा गया है। इस्पात-कारखानों-जैसी बहुत-सी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के स्थान विशेषज्ञों के अध्ययन और आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। लेकिन चूंकि वे ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जो अब तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े थे, इसलिए उन क्षेत्रों को फायदा होगा। इसी प्रकार, कुछ प्राकृतिक साधनों के विकास की योजनाओं से ऐसे क्षेत्रों को फायदा पहुंचेगा, जिनका अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है—जैसे, आसाम की सिलिमनाइट की खानें, उड़ीसा में खनिज, लोहा, [illegible] में बाक्साइट की खानें और राजस्थान में सीसे और जस्ते की खानें।

9 बुनियादी इंजीनियरी और उत्पादक सामान-उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान [illegible] में कच्चे माल की सुलभता और दूसरी आर्थिक बातें स्वभावतः महत्वपूर्ण [illegible], [illegible] यह भी [illegible] किया गया कि बहुत-सारे उपभोक्ता-सामान और [illegible]-उद्योगों में [illegible] उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इनमें [illegible], [illegible] इंजीनियरी उद्योग—जैसे, साइकिलें, सिलाई की मशीनें, बिजली

के मोटर, रेडियोसेट, पिडक और कतरन से इस्पात तथा अलौह धातुओ की ढलाई, ढली हुई प्लास्टिक-वस्तुए, और उपात उत्पादनो से बडे पैमाने पर दवाए तैयार करना तथा उनका विधायन भी शामिल हैं। इनके खास उदाहरण है—राजस्थान, उडीसा, असम और पजाब में वस्त्र-मिलो की स्थापना, आन्ध्रप्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा महाराष्ट्र में चीनी-कारखाने तथा आसवशालाए, असम, मध्यप्रदेश, केरल तथा उत्तर-बिहार में इस्पात की फिर से ढलाई की मिलें, और केरल मे टायर तथा ट्यूब एव बिजली के लैम्प बनाने के कारखाने। दूसरी पचवर्षीय योजना में सभी रेल-केन्द्रो में एक कीमत पर इस्पात बेचने का जो निश्चय किया गया हैं, वह हल्के इजीनियरी उद्योग को दूर-दूर तक फैलाने के ख्याल से एक महत्वपूर्ण कदम है। चीनी-उद्योग में नए कारखानो को लाइसेंस देने-विषयक जिस नीति का अनुसरण किया गया, उससे देश के विकास मे सहायता मिली है। इसी तरह, ऐसे स्थानो पर नई सूती वस्त्र-मिलें खोलने को बढावा दिया गया है, जहा यह उद्योग अभी विकसित नही हुआ।

10 कुछ हद तक नए तरीको से विकास और कच्ची सामग्रियो के नए-नए उपयोगो से भी उद्योग के फैलाव में सहायता मिली है। उदाहरण के लिए कागज तैयार करने मे गन्ने के फोक का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग शुरू किया गया और गन्ना पैदा करने-वाले इलाको मे कागज के कई कारखाने खोलने की स्वीकृति दी गई है, जहा गन्ने के फोक से कागज तैयार किया जाएगा। उत्तरप्रदेश में अलकोहल से नकली रबड बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। पहले अलकोहल का प्रयोग मुख्य रूप से पेट्रोल के साथ मिलाने में किया जाता था। ऐसी जगहो पर, जहा धातु-शोधन के काम न आनेवाला कोयला प्राप्त होता हो और आवश्यकता पडने पर धातु-शोधन के काम आने-वाले कोयले से तैयार किए गए कोक के साथ मिलाकर उसे काम में लाया जा सकता हो, वहा कच्चे लोहे के कारखाने खोलने की अनुमति देने का फैसला किया जा चुका है। इसमें से प्रत्येक कारखाने की क्षमता लगभग एक लाख टन होगी। इससे कच्चे लोहे का उत्पादन तो बढेगा ही, इस उद्योग का फैलाव भी होगा। ऐसे विकास को बढावा देने में इस बात का ध्यान अवश्य रखना पडेगा कि उत्पादन में किफायतशुआरी और प्रादेशिक वितरण के बीच सन्तुलन बना रहे।

11 लघु और ग्रामोद्योग देश-भर में फैले हुए है और जिस क्षेत्र मे जैसा कार्य-क्रम शुरू किया गया है, उसके अनुसार केन्द्रीय और राज्य-सरकारो ने तरह-तरह की सहायताए प्रदान की है। सभी राज्यो में औद्योगिक बस्तिया बनाई गई है और आगे यह कोशिश की जाएगी कि ऐसी बस्तिया अधिक-से-अधिक छोटे-छोटे कस्बो और देहाती क्षेत्रो में बसें।

(3)

तीसरी योजना में प्रादेशिक सम्भावनाएं

12 पिछले वर्षो मे जिस स्तर पर विकास-कार्य हुआ है, तीसरी योजना में उससे कही बडे पैमाने पर और व्यापक रूप मे विकास-कार्य किया जाएगा तथा देश के विभिन्न भागो को विकास के भी व्यापक अवसर प्रदान किए जाएगे। इन योजना के कई महत्व-पूर्ण कार्यक्रम अनिवार्यत राज्यो की योजनाओ के अन्तर्गत आते है। इन्हें तैयार करते समय मोटे तौर पर ये उद्देश्य रहे हैं—कृषि-उत्पादन बढाने में हर राज्य अधिक-से-अधिक

योग दे, आय और रोजगार ज्यादा-से-ज्यादा बढाने की कोशिश की जाए, ग्रामीण क्षेत्रो में सामाजिक सेवाओ का, विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा, पानी की आपूर्ति तथा सफाई-व्यवस्था, और स्वास्थ्य-सेवाओ का विकास हो, तथा कम विकसित इलाको में रहन-सहन का स्तर ऊचा उठे। इस प्रकार, राज्य की योजनाए इस ढग से तैयार करने का इरादा रखा गया है कि उत्पादन और रोजगारी बढे तथा जनता के अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग खुशहाल हो। विभिन्न राज्यो के लिए व्यय की जानेवाली राशि का निश्चय उनकी आवश्यकताओ और समस्याओ तथा उनके विकास—विशेषत सामाजिक सेवाओ, सचार-साधनो तथा बिजली के क्षेत्र में—की सफलताओ और अडचनो, बडे राष्ट्रीय लक्ष्यो की प्राप्ति में उनके सम्भावित योगदान, विकास-विषयक उनकी क्षमता तथा अपनी योजनाओ के लिए पूजी-व्यवस्था के क्षेत्र में उनके द्वारा उपलब्ध किए जा सकनेवाले साधनो को ध्यान में रख कर किया गया है। विभिन्न राज्यो की समस्याओ और आवश्यकताओ को आकने में इन सब बातो का ध्यान रखा गया है—आबादी, क्षेत्रफल, खेती पर निर्भर करनेवाले लोगो की सख्या, दूसरी योजना की अवशिष्ट तथा बडी-बडी परियोजनाओ से पैदा होनेवाली जिम्मेदारिया और तकनीकी तथा प्रशासकीय सेवाओ की अवस्था। इस प्रकार, जहा तक सम्भव हो सका है, केन्द्र तथा राज्य, दोनो की प्राथमिकताओ को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर तीसरी योजना के अन्तर्गत राज्यो में कितना और किस ढग से खर्च हो, यह तय करते समय लक्ष्य यह रखा गया है कि विभिन्न राज्यो के बीच विकास-विषयक विषमता घटे, हालाकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता ही है।

13 राज्यो की योजनाओ में जो व्यवस्था की गई है, उसके इलावा तीसरी योजना में ऐसी कई अन्य बातें है, जिनसे उन क्षेत्रो के विकास की सम्भावनाए बढेंगी, जो अभी तक अपेक्षाकृत पिछडे रहे है। उदाहरण के लिए, खेती के सघन विकास, सिचाई-साधनो के विस्तार, लघु और ग्रामोद्योगो के विकास, बडे पैमाने पर बिजली के प्रसार, सडको तथा सडक-परिवहन के विकास, सारे देश में 6 से 11 वर्ष तक के बच्चो के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तथा उच्चतर माध्यमिक, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के अधिक अवसर, रहन-सहन के तथा जल-आपूर्ति-व्यवस्था में सुधार, और अनुसूचित जातियो और आदिम जातियो तथा अन्य पिछडे वर्गों की खुशहाली के कार्यक्रमो से देश-भर में द्रुत आर्थिक विकास की नीव मजबूत होगी। गरीबी और अर्द्धरोजगारी उन क्षेत्रो में विशेष रूप से अधिक है, जहा आबादी बहुत ज्यादा है और जहा प्राकृतिक साधनो का बहुत ही कम विकास हुआ है। तीसरी योजना में गावो के विकास का जो विशाल कार्यक्रम शुरू करने का विचार है, उससे इन क्षेत्रो के अलावा अन्य क्षेत्रो में भी काम के ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। देश के कुछ भागो में बागान-उद्योग का काफी विकास होगा, विशेषकर चाय, काफी और रबड के बागानों में। बडी-बडी औद्योगिक परियोजनाए, नदी-घाटी-परियोजनाए तथा अन्य परियोजनाए जिनका बाद में उल्लेख किया जाएगा, भावी विकास के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रो का काम करेंगी।

14 उद्योगों का स्थान और विकास क्षेत्र . जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उद्योगो के स्थान चुनने में आम तौर से तकनीकी और आर्थिक बातो का ध्यान रखना पडता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उद्योगो में, जो अपने उत्पादन का काफी भाग निर्यात कर

सकते हो, नए कारखाने स्थापित करते समय राष्ट्रहित की दृष्टि से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वे जिस पैमाने पर उत्पादन करें, उसमें किफायत हो और विदेशी मडियो में प्रतियोगिता की हमारी क्षमता बढ़े। लेकिन इन मोटी-मोटी बातो के साथ सरकारी और निजी, दोनो क्षेत्रो में औद्योगिक परियोजनाओ के स्थान तय करते समय उन इलाको की जरूरतो को भी ध्यान मे रखना चाहिए, जिनमें औद्योगिक विकास की आवश्यक क्षमता हो। आम तौर पर दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रो में, जहा पहले ही काफी विकास हो चुका है या उसकी योजना बन चुकी हो, वहा और उद्योग स्थापित न किए जाए, लेकिन ऐसे स्थानो में अगर वर्तमान उद्योगो के विस्तार से उत्पादन में ज्यादा किफायत होती हो तो वैसा करना ही पडेगा। इसी तरह, जहा तक सम्भव हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि नए उद्योग और साधन बडे तथा घनी आबादीवाले नगरो से दूर स्थापित किए जाए।

15 सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओ के स्थानो के बारे में अब तक जो निश्चय किए गए है, उनसे यह साफ जाहिर है कि वे काफी दूर-दूर तक फैले हुए होगे और विभिन्न प्रदेश औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, उदाहरण के लिए उडीसा में राउरकेला-इस्पात-कारखाने और उर्वरक-कारखाने का विस्तार, असम में नूनमती-तेल-शोधन-कारखाना, उर्वरक-कारखाना और प्राकृतिक गैस का उपयोग तथा वितरण, केरल में फाइटो-रासायनिक कारखाना, उर्वरक की क्षमता में विस्तार तथा एक जहाजी यार्ड का निर्माण, आन्ध्रप्रदेश में रासायनिक औषध-कारखाना, विशाखापटनम की सूखी गोदी, हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार, प्राग-टूल्स और आन्ध्र-पेपर-मिल्स का विस्तार, मध्य-प्रदेश में नोट के कागज का कारखाना, बुनियादी ऊष्मसह कारखाना-परियोजना, नेपा-मिल्स का विस्तार, भिलाई-इस्पात-कारखाना और बिजली के भारी सामान की परियोजना, उत्तरप्रदेश में कीटाणुनाशक दवाओ का कारखाना, उर्वरक-कारखाना, ऊष्मसह कारखाना, तथा बारीक औजारो के कारखाने का विस्तार, राजस्थान में तांबे की खानो का विकास, पजाब में एक मशीनी औजार का कारखाना, मद्रास में शल्य उपकरणो का कारखाना, कच्ची फिल्म का कारखाना, लोहे और इस्पात का मार्ग-दर्शक-कारखाना, नइवेली लिग्नाइट उच्च ताप कार्बनीकरण-कारखाना, टेलीप्रिंटर-कारखाना और एक इस्पात-ढलाई-कारखाना, गुजरात में तेल-शोधन-कारखाना और जम्मू-कश्मीर में एक सीमेंट-कारखाना।

16 निजी क्षेत्र मे भी औद्योगिक परियोजनाओ को लाइसेंस देते समय अर्द्धविकसित क्षेत्रो के दावो का ध्यान रखा जाता है और जो लोग कारखाने खोलना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त स्थानो के बारे में सुझाव दिया जाता है। उद्योगो की क्षमता क्षेत्रीय आधार पर बढाई जा सके, इस ख्याल से समय-समय पर निजी क्षेत्र के अनेक उद्योगो की प्रगति, कार्यक्रम और उत्पादन-लक्ष्यो की जाच की जाती है। यह बात मान ली गई है कि भविष्य में इन दिशाओ मे और भी ज्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह निश्चय किया गया है कि तीसरी योजना के दौरान जो नई वस्त्र-मिलें स्थापित की जाएगी, वे मोटे तौर पर ऐसे प्रदेशों में होगी, जहा इस समय वस्त्र बिल्कुल तैयार नही होता। कुछ हल्के इजीनियरी-उद्योगो के विषय में भी ऐसे अध्ययन किए गए है, तीसरी योजना की अवधि में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कम विकसित प्रदेशो में, जिनमें महत्वपूर्ण परियोजनाए शुरु होने की आशा है, से मिसाल के तौर पर इनका उल्लेख किया जा सकता है. उत्तरप्रदेश में एक अल्यु-मीनियम-कारखाना तथा सेलुलोज एसिटेट-कारखाना, राजस्थान में एक उर्वरक-कारखाना,

नाइलोन-कारखाना, कास्टिक सोडा-पी०वी०सी०-कारखाना और जस्ता गलाने की भट्ठी, असम में नकली रबड़, पोलिथिलीन तथा कार्बन-ब्लैक की परियोजनाएं और कागज की लुगदी तैयार करने का कारखाना, तथा केरल में मोटरों के रबड़-टायर तैयार करने का कारखाना और कई विद्यमान कारखानों का विस्तार।

17 औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव में यह बात निहित है कि जो क्षेत्र इस समय औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या जहां रोजगार के अवसर देने की ज्यादा जरूरत है, वहां बिजली, जल-आपूर्ति तथा परिवहन की सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में उचित उद्योग स्थापित किए जा सकें। इस सुझाव को कार्यरूप देने के लिए तीसरी योजना में पिछड़े हुए प्रदेशों में 'औद्योगिक विकास-क्षेत्र' स्थापित करने का प्रस्ताव है। ऐसे प्रदेशों में चुने हुए क्षेत्रों में बिजली, पानी तथा संचार-साधन आदि की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, कारखाने खोलने के स्थानों का विकास किया जाएगा और उन्हें नए उद्योगपतियों को बेचा जाएगा या लम्बे पट्टे पर दिया जाएगा। यह योजना प्रमुख रूप से मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है लेकिन आशा है कि इसके साथ छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना की भी गुंजायश बढ़ेगी, विशेष रूप से सहायक उद्योगों की। प्रस्तावित औद्योगिक विकास-क्षेत्रों के भीतर या उनके आस-पास औद्योगिक बस्तियां स्थापित करना भी सम्भव होना चाहिए। राज्यों ने मोटे तौर पर इस योजना को स्वीकार कर लिया है और अब विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

18 **प्रादेशिक विकास के आधार-रूप में बड़ी परियोजनाएं** . अगर किसी बड़ी परियोजना से सम्बद्ध या पूरक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू कर दी जाएं, तो उनके लाभ जिस क्षेत्र में वह स्थित है, उसके लोगों को औरों के मुकाबले कहीं अधिक मिलते हैं। इसलिए आयोजन की एक आवश्यक बात यह होनी चाहिए कि हर बड़ी परियोजना को उस सारे प्रदेश के समन्वित विकास का आधार माना जाए। उदाहरण के लिए, बड़ी सिंचाई-परियोजनाओं के आस-पास कई छोटी-मोटी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए, जिनका उद्देश्य उन्नत कृषि, बागबानी, बिक्री-केन्द्रों, तथा विधायन एवं अन्य उद्योगों का विकास करना हो। इसी प्रकार, इस्पात-कारखाने और अन्य बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं छोटे और मझोले उद्योगों के विकास तथा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के लिए आधार का काम करती हैं। विकास की ऐसी सम्भावनाएं उन सभी बड़े प्रदेशों में हैं, जहां तीसरी योजना के दौरान नए-नए साधनों का विकास किया जाएगा—जैसे, दण्डकारण्य, राजस्थान-नहर-क्षेत्र तथा तुंगभद्रा, नागार्जुनसागर, कोयना, चम्बल एवं कई अन्य परियोजना-सेवित क्षेत्र। राष्ट्रीय महत्व के नगरों एवं अन्य बड़े-बड़े नगरों के बढ़ते जाने से कुछ नई तरह की समस्याएं सामने आई हैं। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और राष्ट्रीय महत्व के अन्य नगरों में यह आवश्यक है कि सन्तुलित प्रादेशिक विकास-कार्यक्रमों की एक शृंखला शुरू की जाए, जिसमें उचित भूमि और आवास-नीतियों, नए कस्बों की स्थापना तथा उद्योगों के स्थानों के बारे में निश्चय भी शामिल हो। विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में प्रादेशिक या क्षेत्र-विकास-योजनाओं की तैयारी तीसरी योजना के शुरू में ही आरम्भ कर देनी चाहिए। इस तरह, नए और महत्वपूर्ण केन्द्रों की स्थापना से या सम्पत्ति के नए साधन पैदा होने से जो लाभ होता है, वह बहुत बंट जाएगा और कहीं अधिक क्षेत्रों को प्राप्त होने लगेगा।

19 **टेक्नोलाजी-सम्बन्धी विकास का महत्व** : विभिन्न क्षेत्रों की विकास-क्षमता का अध्ययन टेक्नोलाजी और विज्ञान की प्रगति से पैदा होनेवाली सम्भावनाओं के सन्दर्भ में किया

जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, असम, गुजरात और राजस्थान-जैसे क्षेत्रो म कोयले की खाने न होने के कारण विकास-सम्बन्धी जो बाधा उपस्थित है, वह पनबिजली, तेल और परमाणु-शक्ति उपलब्ध हो जाने से बहुत-कुछ दूर हो जाएगी। दीर्घकालीन दृष्टि से यह बात प्रादेशिक विकास के लिए बडे महत्व की है। इसी प्रकार परिवहन और सचार-व्यवस्था के उन्नत होने से दूर-दूर के क्षेत्र एक-दूसरे के निकट आते जा रहे है—जैसे, असम, जम्मू-कश्मीर, और उडीसा, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रो के लिए सचार और परिवहन के साधन उन्नत हो जाने से देश की सामान्य आर्थिक प्रगति में पूरा-पूरा हिस्सा ले सकना सम्भव हो गया है। प्रादेशिक विकास की नई-नई सम्भावनाए पैदा करने मे बिजली की आपूर्ति में वृद्धि और गावो में बिजली पहुचने का बहुत महत्व है। तीसरी योजना के दौरान देश के कई अल्प-विकसित क्षेत्र इन दिशाओ में काफी प्रगति करेंगे।

20 **शिक्षा और प्रशिक्षण :** कम विकसित क्षेत्रो की द्रुत आर्थिक प्रगति मे एक बहुत बडी बाधा वहा शिक्षा की कमी है। आशा है, नि शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमो-द्वारा शिक्षा के सामान्य आधार का विस्तार करने और तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाओ की व्यवस्था से कम विकसित क्षेत्रो की उन्नति में धीरे-धीरे अधिकाधिक सहायता मिलेगी। राज्यो की योजनाओ में इन कार्यक्रमो के लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है, पर इस ओर से आश्वस्त हो जाना जरूरी है कि लडकियो की शिक्षा के लिए तथा कम विकसित क्षेत्रो में प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिए जिन सुविधाओ की व्यवस्था की गई है, उनका उपयोग प्रभावपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इजीनियरो, डाक्टरो, कृषि-विशेषज्ञो, शिल्पकारो और अन्य लोगो के प्रशिक्षण की सुविधाओ को पहले ही देश-भर में फैलाया जा रहा है। तकनीकी, व्यावसायिक और माध्यमिक शिक्षा के कार्यक्रमो को लागू करते समय ऐसे कम विकसित क्षेत्रो की जनता की आवश्यकताओ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जहा नई औद्योगिक परियोजनाए आरम्भ की जा सकती हो।

21 **श्रमिको का भेज-भिजाव** देश के कुछ हिस्सो में श्रमिको का बहुत समय म भेज-भिजाव होता रहा है। उदाहरणार्थ, बिहार के मजदूर असम के चाय-बागानो में काम करते है और राजस्थान के मजदूर पजाब तथा अन्य स्थानो मे सडको एव सिंचाई की परियोजनाओ में काम करते है। केन्द्र और राज्यो मे विभिन्न क्षेत्रो के लिए मजदूरो को फिर से काम पर लगाने की व्यवस्था कर दी गई है और इससे कुशल श्रमिको को नई परियोजनाओ पर ले जाने में सहायता मिलेगी। परन्तु श्रमिको के प्रवासन और एक स्थान मे दूसरे स्थान पर ले जाने का सवाल कही अधिक व्यापक है। देश के घनी आबादीवाले इलाको से बडी सख्या में अकुशल श्रमिको को कम आबादीवाले इलाको में ले जाने की गुजायश फिलहाल कम ही है। पर यह स्पष्ट है कि कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम कठिनाई से जा सकते है और जहा भी स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ विकास कर रही है, वहा वे आसानी मे खप जाते है। अत यह आवश्यक है कि घनी आबादीवाले क्षेत्रो मे उनके अपने गहन विकास की व्यवस्था के साथ-साथ, तकनीकी प्रशिक्षण-कार्यक्रमो का काफी विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि और जगहो पर काम करने के लिए भी प्रशिक्षित मजदूर मिल सकें।

22 **विकास-कर्मचारी :** विकास का स्तर काफी हद तक सुचारु प्रशासन और तकनीकी कर्मचारियो की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इनके साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है कि

छोटे और मझोले उद्योगपतियो का एक ऐसा वर्ग किस हद तक पनपता है, जो नए क्षेत्रो में कदम उठाने का साहस कर सके और जोखिम उठा सके। इससे भी अधिक यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय लोगो में पहल करने की कितनी शक्ति है और उनमें नेतृत्व का किस हद तक विकास हुआ है। विकास के इन पहलुओ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योकि इनका सकेत ऐसी बाधाओ की ओर है, जो अर्द्धविकसित प्रदेश के लिए साधनो की व्यवस्था कर देने-मात्र से दूर नही की जा सकती।

प्रादेशिक विकास का अध्ययन

23 अधिक सन्तुलित प्रादेशिक विकास के कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए यह बात उपयोगी होगी कि विभिन्न क्षेत्रो में आर्थिक प्रवृत्तियो और विकास की गति का तथा कम विकसित प्रदेशो से सम्बन्धित कार्यक्रमो का बराबर अध्ययन किया जाए। जिन अर्द्धविकसित क्षेत्रो की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें और निकट से जानना होगा, उनके साधनो का सर्वेक्षण करना होगा तथा उनके विकास को प्रभावित करनेवाले कारणो की जाच करनी होगी। 'प्रदेश' का ठीक-ठीक मतलब क्या है—इसकी भी स्पष्ट परिभाषा कर देना जरूरी है। किसी राज्य में कई 'प्रदेश' हो सकते है और कोई 'प्रदेश' राज्य से बडा भी हो सकता है—अपने प्रयोजन के अनुसार प्रदेश की अलग-अलग आख्याए स्वीकार की जा सकती है। हर राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे होते है, जो दूसरो की अपेक्षा कम उन्नत होते है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कई और सन्दर्भो में भी प्रादेशिक विकास की समस्याए सामने आती है—उदाहरणार्थ, बडी-बडी परियोजनाओ के चारो ओर के क्षेत्रो के, जिन क्षेत्रो में नए साधनो का विकास किया जा रहा है, उनके, और राजधानियो के आस-पास के प्रदेशो के सन्दर्भ में। विभिन्न प्रदेशो में विकास के स्तर निर्धारित करने के लिए कृषि-उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, पूजी-विनियोग, बेरोजगारी, बिजली की खपत, सिंचित क्षेत्र, वस्तु-उत्पादक क्षेत्रो की उपज का मूल्य, उपभोग-व्यय का स्तर, सडको की लम्बाई, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा वहा के निवासियो के पेशे, आदि से सम्बद्ध तथ्य उपयोगी होते है, पर यह अध्ययन ठीक-ठीक आकडो के आधार पर ही किया जाना चाहिए और इस तरह किया जाना चाहिए कि विभिन्न राज्यो और प्रदेशो की सही-सही तुलना की जा सके। दूसरी योजना की अवधि में इन समस्याओ के बारे में कुछ काम हुआ था और एक विशेष अध्ययन-दल की सहायता के रूप में इस काम को जारी रखने का विचार है। केन्द्रीय सांख्यिकी-सगठन, राज्य-सांख्यिकी-ब्यूरो तथा भारतीय सांख्यिकी-सस्थान का इस दल के काम में सहयोग रहेगा।

24 विभिन्न राज्यो और प्रदेशो के विकास-अध्ययनो में, आर्थिक प्रगति के व्यापक सूचक के रूप में, 'राज्य-आय' के अनुमानो का काफी महत्व होता है। 'राज्य' और 'प्रदेश' की आय के अनुमान के सिद्धान्तो, परिभाषाओ और तकनीको से सम्बन्धित कई जटिल सवाल है, जिनका विभिन्न अनुमानो के व्यावहारिक मूल्य पर असर पडता है। 'राज्य-आय' या तो वह आमदनी मानी जा सकती है, जो किसी राज्य की सीमाओ में हो या वह आमदनी, जो उनके निवासियो को होती हो। पहला सिद्धान्त सम्पूर्ण देश के 'आन्तरिक उत्पादन' से सम्बद्ध है और दूसरा सिद्धान्त 'राष्ट्रीय आय' से। राज्यो या प्रदेशो के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के स्तर के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किसी 'राज्य' या 'प्रदेश' के भीतर

होनेवाली आय का अनुमान ही काफी है। दूसरी ओर, किसी राज्य की होनेवाली आय का अनुमान समग्र राज्य के निवासियो की आर्थिक खुशहाली का एक मोटा पैमाना हो सकता है। भावी योजनाओ में राज्य-आय के अनुमानो के महत्व को देखते हुए यह तय किया गया है कि राज्य-साख्यिकी-ब्यूरो के सहयोग से केन्द्रीय साख्यिकी-सगठन तुलनात्मक वार्षिक आधार पर राज्य-आय के अनुमान तैयार करने का काम करे। ये अनुमान वस्तु-उत्पादन तथा राज्य में होनेवाली आय के आधार पर तैयार किए जाएगे। पहले-पहल कुछ खास वस्तु-क्षेत्रो—जैसे, खेती, उद्योग, आदि—में तुलनात्मक आधार पर आय के अनुमान तैयार किए जा सकते है।

25 यह ठीक है कि राज्य और प्रदेश के आय के अनुमान तथा कुछ खास चीजो के बारे में आकडे जुटाने की अपनी उपयोगिता है, पर इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि विभिन्न प्रदेशो की समस्याओ को जानने-समझने तथा उनकी आवश्यकताओ-सम्भावनाओ को जाचने-परखने के लिए व्यवस्थित सर्वेक्षण किए जाए। भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-सस्थान, खान-सस्थान, तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग, केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग, भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्, वैज्ञानिक एव औद्योगिक परिषद्, आदि सस्थाए विभिन्न क्षेत्रो मे वैज्ञानिक तथा तकनीकी सर्वेक्षण किया करती है। राष्ट्रीय प्रयोगात्मक आर्थिक अनुसन्धान-परिषद् ने कई राज्यो और सघीय क्षेत्रो के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण का काम शुरु किया है। खडगपुर के टेक्नोलाजी-सस्थान तथा कलकत्ता एव पटना-विश्वविद्यालयो की ओर से दामोदर-घाटी-प्रदेश के सर्वेक्षण का काम काफी आगे बढ चुका है। भारतीय साख्यिकी-सस्थान ने प्रादेशिक आयोजन की समस्याओ के अध्ययन की अपनी योजना के अन्तर्गत मैसूर और केरल में प्रादेशिक सर्वेक्षण शुरू किए हैं। बेंचमार्क-सर्वेक्षणो तथा कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन के अन्य अध्ययनो से विकास की विभिन्न अवस्थाओ में से गुजरते हुए ग्रामीण क्षेत्रो की समस्याओ के बारे में जानकारी हासिल हो रही है। अनुसन्धान-कार्यक्रम-समिति की ओर से जो शहर-सर्वेक्षण तथा अन्य अध्ययन किए गए हैं, उन सभी शहरी और प्रादेशिक विकास की समस्याओ के बारे में बहुत-से आकडे प्राप्त हुए है। राष्ट्रीय महत्व के नगरो—जैसे, दिल्ली और बम्बई—के सर्वेक्षणो का तथा कलकत्ता के प्रस्तावित सर्वेक्षण का भी आयोजना के क्षेत्र में काफी महत्व है। इस प्रकार, इधर के वर्षों में जो कई कदम उठाए गए है, उनके फलस्वरूप प्रादेशिक विकास की समस्याओ और सम्भावनाओ के बारे में बहुत-सारी तकनीकी, आर्थिक तथा सामाजिक जानकारी एकत्रित हो गई है तथा भावी आयोजन में उससे बडी सहायता मिलेगी।

26 प्रदेशो के विकास और समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक ही प्रक्रिया के दो अग समझा जाना चाहिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति विभिन्न प्रदेशो के विकास की गति में झलकेगी और विभिन्न प्रदेशो में साधनो का जितना अधिक विकास होगा, उतनी ही तेजी से सारा देश उन्नति करेगा। किसी खास प्रदेश की समस्याओ पर अत्यधिक जोर देने और उनकी जरूरतो को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओ की सापेक्षता मे न रखकर उनके विकास का प्रयत्न करने की प्रवृत्ति गलत है और हमें उससे बचना चाहिए, क्योकि अन्तत विभिन्न प्रदेश देश के अभिन्न अगो के रूप मे ही अपने विकास की पूर्ण सम्भावनाओ को साकार कर सकते है। परस्पर-सम्बद्ध प्रयत्नो की एक कडी जब पूरी हो जाती है, तभी सन्तुलित प्रादेशिक विकास का फल प्राप्त होता है। इनमें से अनेक प्रयत्न दीर्घकाल-व्यापी होते है। थोडी अवधि को आधार बना कर देखें, तो लक्ष्य की ओर प्रगति मामूली और

अधूरी दीखेगी । यह बात अलग-अलग प्रदेशो के बारे में भी सच है और समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी । इस वक्त की कमिया चाहे कुछ भी हो, पर लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक मुनासिब अरसे मे देश के सभी प्रदेश आर्थिक विकास की अपनी सम्भावनाओं को सिद्ध कर लें और रहन-सहन के ऐसे स्तर को हासिल कर लें, जो सम्पूर्ण राष्ट्र के स्तर से बहुत ऊपर-नीचे न हो । अत जरूरत इस बात की है कि विभिन्न प्रदेशो की प्रगति पर सावधानी से नजर रखी जाए और जो क्षेत्र काफी पीछे दिखाई पड़ें, उनके विकास की गति बढाने के लिए खास उपाय किए जाए । दीर्घकालीन विकास के परिप्रेक्षण में, जब अर्थव्यवस्था तेजी से उस धरातल की ओर बढ रही हो, जहा से वह अपनी भीतरी शक्ति के बल पर विकसित होती रहे तथा जब लोगो के रहन-सहन का स्तर बराबर ऊपर उठ रहा हो, तब प्रादेशिक और राष्ट्रीय विकास अनिवार्यत एक समान उद्देश्य के दो अलग-अलग पहलू हुआ करते है ।

अध्याय 10

रोजगार और जनशक्ति

(1)

समस्या का विश्लेषण

सबको रोजगार देना भारत में आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य है, पहली दोनो योजनाओ में भी इस पर बल दिया गया था और तीसरी योजना में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। जनशक्ति के उपलब्ध साधनो का पूरा उपयोग एक लम्बे समय तक विकास-कार्य चलते रहने के बाद ही सम्भव है। फिर भी तीसरी योजना का एक मुख्य लक्ष्य यह है कि योजनाकाल में श्रमिको की बढनेवाली सख्या के अनुपात में ही रोजगार देने के अवसर भी बढाए जा सकें। श्रमिको की बढती हुई सख्या को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि रोज़गार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना अगले पाच वर्षो में किए जानेवाले सबसे अधिक कठिन कार्यों में से एक है।

2 ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगारी और अर्द्धरोजगारी की समस्याए साथ-साथ विद्यमान है, वैसे, दोनो के बीच भेद करना भी सरल नही है। गावो में बेरोजगारी सामान्यत अर्द्ध-रोजगारी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। देश के कई भागो में, खेती के मौसम में, श्रमिको की कमी अक्सर महसूस की जाती है, परन्तु वर्ष के एक बडे भाग में खेतिहर श्रमिको और सम्बद्ध क्षेत्रो में काम करनेवालो को लगातार काम नही मिलता। फलस्वरूप, श्रमिक गावो से शहरो की ओर जाने लगते है, और इसका अर्थ यह होता है कि समस्या गावो के बजाय शहरो में पहुच गई है। हालाकि हाल के सर्वेक्षणो से यह प्रकट हुआ है कि शहरो में बेरोजगारी अधिक है, पर यह अपने आप में इस बात का द्योतक है कि ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। वास्तव में, शहरो और गावो में बेरोजगारी की समस्या एक-सी ही है।

शहरी क्षेत्रो मे रोजगार का सम्बन्ध व्यापार, परिवहन और उद्योगो की अवस्था में होनेवाले परिवर्तनो से जुडा हुआ है। इनकी स्थिति में जरा-सा परिवर्तन होते ही बेरोजगारी के आकडे भी घटने-बढने लगते हैं। यह स्थिति सभी जगह है तथा छोटे और बडे शहरो एव गावो को अर्द्ध-बेरोजगारी के सकट का लगभग समान रूप से सामना करना पडता है।

3 सारे देश में और विभिन्न प्रदेशो, शहरो और ग्रामीण क्षेत्रो में रोज़गार की स्थिति का सही चित्र तैयार करने के लिए वर्तमान आकडे काफी नही हैं। आकडो को एक ओर रख देने पर भी यह आम धारणा है, जो कि रोजगार-दफ्तरो के जरिए मिलनेवाले अवसरो की सीमित सख्या तथा वहा काम पाने की इच्छा से नाम दर्ज करानेवालो की बडी सख्या को देखकर और भी पुष्ट होती है, कि बेरोजगारी की दृष्टि से पिछले पाच वर्षो मे अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय ह्रास हुआ है। सन् 1961 की जनगणना के अब तक प्राप्त आकडों के अनुसार, देश की तेजी से बढती हुई जनसख्या इस बात का प्रमाण है कि बेरोज़-गारी की समस्या जटिलतर होती जा रही है। दूसरी खेतिहर श्रमिक-जाच और राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण की रिपोर्टों एव कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन के अध्ययनो से इस तथ्य की

मोटे तौर पर पुष्टि हुई है। परन्तु यही पूरी स्थिति का चित्र नहीं है। विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार के अतिरिक्त अवसर काफी बड़ी संख्या में मुहय्या किए गए हैं; परन्तु श्रमिकों की संख्या में जिस तीव्रता से वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए ये अवसर पर्याप्त नहीं हैं। यदि रोजगार की स्थिति को बिगड़ने से बचाना है तो योजना का लक्ष्य पांच वर्ष की अवधि में श्रमिक-वर्ग में नए आनेवालों की संख्या के बराबर लोगों को लाभकारी रोजगार में लगाना होना चाहिए।

4 एक अर्द्धविकसित देश में बेरोजगारी का सही-सही अन्दाज लगा सकना सरल नहीं होता। सामान्य तौर पर लोगों में, खास कर अपने निजी रोजगार में लगे लोगों में, परिवार या एक वर्ग के सदस्यों के बीच काम बांट देने की प्रवृत्ति होती है। जहां काम-काज के अवसर इतने अधिक लोगों में बटे होते हैं कि जीवन-निर्वाह के योग्य साधन भी मुश्किल से जुट पाते हैं, वहां की जनसंख्या का एक भाग सवेतन रोजगार की खोज में चला जाता है। जनसंख्या के इसी अंश को सही तौर पर बेरोजगार कहा जा सकता है। शेष के लिए यही कहा जा सकता है कि वे कुछ समय तक अर्द्धरोजगारी की अवस्था में रहते हैं। काम-धन्धे के वर्तमान ढांचे में अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनाते समय एक मुख्य बात यह सामने आती है कि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अपने निजी रोजगार में लगे हुए लोग अपनी सामर्थ्य और इच्छा से कम काम करने को बाध्य हैं। अर्द्ध-रोजगार के सम्बन्ध में आंकड़े बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर हैं कि इस शब्द की व्याख्या किस रूप से की जाती है। विकास की वर्तमान अवस्था में काम के निश्चित घंटे के आधार पर या इसी प्रकार के किसी तरीके से अर्द्धरोजगारी की संख्या तय करना कठिन है। इसे इस आधार पर निश्चित करना अधिक अर्थपूर्ण होगा कि लोग कितना अतिरिक्त काम करने के इच्छुक हैं। नमूने के तौर पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यही सिद्धान्त अपनाया गया है।

5 फिलहाल सीमित परिमाण में जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उन पर रोजगार की समस्या के निम्नलिखित पहलुओं के सन्दर्भ में विचार किया जा सकता है : (क) दूसरी योजना के अन्त में बेरोजगार लोगों की संख्या, (ख) तीसरी योजना की अवधि में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, और (ग) योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले रोजगार के अतिरिक्त साधनों का अनुमान। ऐसे तरीकों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिनसे अधिक लोगों का उपयोग करनेवाली विकास-योजनाओं का रोजगार-सम्बन्धी लाभ बढ़ाने में सहायता मिल सके। ऐसी योजनाओं के रूप में निर्माण-कार्यों और लघु उद्योगों का नाम लिया जा सकता है। यदि योजना की पूरी रोजगार-क्षमता का उपयोग किया जाए, तो भी अवशिष्ट बेरोजगारी को हल करने के लिए विशेष रोजगार-कार्यक्रमों की बात सोचना आवश्यक होगा।

6 दूसरी योजना में 80 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध किए गए थे। इनमें से 65 लाख लोगों के लिए कृषि-भिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था थी। दूसरी योजना के अन्त में 90 लाख लोग बेरोजगार थे। यह निस्सन्देह एक मोटा अनुमान है। इसमें दूसरी योजना के शुरू में लगाया गया बेरोजगारी का अनुमान (53 लाख), दूसरी योजना की अवधि में श्रमिक-वर्ग में होनेवाली वृद्धि के अनुमान (17 लाख) का अतिरिक्त भाग और [illegible] योजना में [illegible] किए जा सकनेवाले रोजगार के लक्ष्य (20 लाख) की पूर्ति में

कमी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन अर्द्धबेजगारवाले लोगों की सख्या का सही अनुमान तो नही लगाया जा सकता, जिनके पास थोडा काम है, पर और अधिक काम करना चाहते है, फिर भी अनुमान है कि इनकी सख्या 150 लाख से 180 लाख के बीच होगी।

7 एक निश्चित अवधि में श्रमिक-वर्ग मे वृद्धि का अनुमान इससे लगाया जाता है कि 15 से 59 वर्ष तक की अवस्था के कितने व्यक्ति रोज़गार से लगे हुए है या रोज़गार प्राप्त करने के प्रयत्न में है। तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में श्रमिको की सख्या में 1 करोड 50 लाख की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि यदि रोजगार की स्थिति को बिगडने से बचाना है, तो तीसरी योजना में प्राय इतने ही व्यक्तियो के लिए रोज़गार के अतिरिक्त अवसर मुहय्या करने पडेंगे। सन् 1961 की जनगणना के प्रकाश में इसकी पूरी जानकारी नही मिल सकी है कि किस वय के कितने व्यक्ति है और श्रमिक-वर्ग में स्त्रियो और पुरुषो के शामिल होने के अनुपात में क्या परिवर्तन आए है। इस अवस्था मे नमूने के तौर पर हुए राष्ट्रीय सर्वेक्षणो की ताजा रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ आम मान्यताए बनानी पडेंगी। फिलहाल प्राप्त अनुमानो को देखते हुए मालूम पडता है कि तीसरी योजना में श्रमिक-वर्ग में नए आनेवालो की सख्या 1 करोड 70 लाख होगी, इसमें से एक-तिहाई वृद्धि शहरी क्षेत्र में होगी। पूरी जानकारी मिलने पर विभिन्न राज्यो में होनेवाली इस वृद्धि का अनुमान लगाना आवश्यक होगा, ताकि हर राज्य योजना के कार्यक्रमो और परियोजनाओ की रोज़गार-विषयक क्षमता को पूरा करने का प्रयत्न करे, साथ ही वह इस बात की भी जाच करे कि अन्य साधनो से इस क्षमता में कितनी वृद्धि की जा सकती है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में श्रमिको का, विशेष रूप से कुशल श्रमिको का, एक स्थान से दूसरे पर जाना बहुत महत्व रखता है। अत इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, साथ ही सुविधाए भी। फिर भी, इनकी सख्या को देखते हुए अगले कुछ वर्षों मे कुशल श्रमिको के इधर-उधर जाने से होनेवाला लाभ सीमित ही रहेगा और हर राज्य या प्रदेश में इस दिशा मे किए जानेवाले कामो की कुल मात्रा पर कोई असर नही पडेगा।

8 तीसरी योजना में रोज़गार देने-सम्बन्धी लक्ष्य पर एक लम्बी अवधि को ध्यान में रख कर ही विचार करना होगा। अगले 15 वर्षों में श्रमिको की सख्या मे 7 करोड की वृद्धि का अनुमान है। इसमें से तीसरी योजना की अवधि में 1 करोड 70 लाख, चौथी योजना में 2 करोड 30 लाख और पाचवी योजना मे 3 करोड की वृद्धि होगी। पहली दो योजनाओ के अनुभव से प्रकट हुआ है कि योजना की अवधि मे रोजगार के जो भी अवसर निकले है, उनका अधिक भाग कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रो को मिला है। यह मान कर कि यही प्रवृत्ति भविष्य मे भी जारी रहेगी और अगले 15 वर्षो में बढनेवाली श्रमिको की सख्या का दो-तिहाई हिस्सा कृषि-भिन्न क्षेत्रो में खपाया जाएगा। सन् 1976 तक कृषि पर निर्भर करनेवालो की सख्या घटा कर 60 प्रतिशत करना सम्भव होना चाहिए।

(2)
तीसरी योजना मे अतिरिक्त रोजगार

9 पाच वर्ष की लम्बी अवधि में फैली हुई एक विकास-योजना की अनेकानेक परियोजनाओ और कार्यक्रमो की रोज़गार देने की क्षमता का अनुमान लगाने में बहुत-सी कठिनाइयो का उपस्थित होना स्वाभाविक ही है। योजना के प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में दो

बातों को ध्यान में रखना होगा, पहली यह, कि समुचित आर्थिक और अन्य नीतियों के द्वारा उत्पादन और रोजगार को वर्तमान स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, और दूसरी, योजना में निहित विभिन्न विकास-कार्यक्रमों पर पूरी कार्यकुशलता और कमखर्ची के साथ अमल होगा तथा उत्पादन का सिलसिला टूटने नहीं दिया जाएगा। कृषि और व्यापार-जैसे कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के सम्बन्ध में अनुमान लगाना विशेष रूप से कठिन है। कृषि के उत्पादन में वृद्धि से, जिसके लिए योजना के आर्थिक साधनों का अच्छा-खासा भाग उपलब्ध किया गया है, मुख्य रूप से अर्द्धरोजगारी में कमी आएगी, हालांकि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। कम विकसित देशों में व्यापार में लगे हुए लोगों की संख्या उनके काम के अनुपात में अधिक होती है, इसलिए व्यापार-क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप नए आनेवालों को काम का अवसर मिलने के बजाय अर्द्धरोजगारी में ही कमी होती है।

10. उद्योगों में पूंजी-विनियोग और कार्य-क्षमता बढ़ने से रोजगार चाहनेवालों को काम देने की क्षमता उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, क्योंकि नए-नए तरीके विशेष रूप से बड़े पैमाने पर चलनेवाले कारखानों में अधिक उत्पादन की तकनीकों पर ही आधारित होते हैं। इस प्रकार, तकनीकों का चुनाव रोजगार-नीति के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। उद्योग के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन के ऐसे तरीके और परिमाण अपनाना आवश्यक है, जिनमें सबसे अधिक बचत हो। इसके सन्तुलन के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रयत्नपूर्वक ऐसे तरीके अपनाने होंगे, जिनमें अधिक लोगों को खपाया जा सके और पूंजीगत साधनों की बचत हो, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा की। निर्माण-कार्यों में श्रमिकों की सबसे अधिक खपत हो सकती है, जहां उचित संगठन और समय रहते आयोजन करके जनशक्ति का उससे कहीं अधिक उपयोग किया जा सकता है, जितना आज हो रहा है। कौन-कौन-सी तकनीकें अपनाई जानी चाहिए, इसका निर्णय केवल काम के स्वरूप के अनुसार ही नहीं किया जा सकता—जिस प्रदेश में वह काम होनेवाला है, उसकी आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अधिक जनसंख्यावाले क्षेत्रों में ऐसे उपाय अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो समग्र लक्ष्य के अनुकूल होने के साथ-साथ उपलब्ध जनशक्ति-विषयक साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हों।

11. योजना के रोजगार-सम्बन्धी परिणामों और लाभ का अनुमान लगाते समय आम तौर पर रोजगार के दोनों पहलुओं को पृथक् कर दिया जाता है—निर्माण-कार्य और निरन्तर चलनेवाले काम-धन्धे। निर्माण-कार्यों में रोजगार यद्यपि अस्थायी होता है, तथापि एक निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए एक निश्चित स्तर तक पूंजी लगाने की व्यवस्था होती है। इस क्षेत्र में रोजगार का अनुमान पिछली योजनावधि के मुकाबले पूंजी-विनियोग में इस बार हुई वृद्धि को देख कर लगाया जा सकता है। चूंकि निर्माण-कार्यों का पूंजी-विनियोग एक ओर श्रमिकों और दूसरी ओर मशीनों, सामग्रियों तथा सेवाओं में बंट जाता है, इसलिए अतिरिक्त रोजगार का ठीक अनुमान लगाने के लिए श्रमिक-संख्या का सही हिसाब रखना जरूरी है।

12. कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, सामाजिक सेवाएं, व्यापार आदि निरन्तर चलनेवाले धन्धों में रोजगार का अनुमान लगाने के लिए अनेक मापदंडों का आश्रय लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कृषि, वन-रोपण और सिंचाई-साधनों के विकास से कुछ अंशों में अर्द्धरोजगारी कम होती है और कुछ अंशों में नए आनेवाले लोगों को पूरे समय का काम

मिलता है। अर्द्धरोजगार-प्राप्त लोगो तथा नए आनेवाले श्रमिको को इससे किस अनुपात में लाभ मिलता है, इसका अनुमान लगाना सरल नही है। भूमि-सरक्षण, वन-रोपण, भूमि-पुनरुद्धार, बाढ-नियन्त्रण, नई जमीनो को बसाना, सिचाई-सुविधाओ का उपयोग, आदि कुछ ऐसे विकास-कार्यक्रम हैं, जिनसे श्रमिको के वर्ग मे नए आनेवालो को रोजगार मिलेगा, पहले से काम करनेवालो को अधिक रोजगार तो मिलेगा ही। पिछले दस वर्षों मे प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर इस कार्य के लिए अब कुछ निश्चित पैमाने अपना लिए गए हैं।

13 उद्योगो मे, उनके स्वरूप के अनुसार, अतिरिक्त रोजगार का अनुमान लगाते समय रोजगार को पूजी-विनियोग अथवा उत्पादन-वृद्धि के प्रकाश मे देखना होगा। कुछ मामलो में उत्पादकता में वृद्धि के लिए छूट देनी होगी और शेष में परियोजनाओ की रिपोर्टो तथा लाइसेंस-समिति को दी गई जानकारी को आधार बनाना होगा। सडक-परिवहन के मामले में, यात्रियो की सख्या और माल-ढुलाई की मात्रा में वृद्धि के विभिन्न सकेतो को आधार माना जा सकता है। सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र में अनेक प्रकार के परीक्षण करने होंगे, यह इस बात पर निर्भर होगा कि योजना में समाज को किस स्तर तक की सुविधाए देने की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओ में, विभिन्न कर्मचारियो की आवश्यकताओ का अनुमान उनके द्वारा सेवित क्षेत्र की आबादी को देख कर लगाया गया। इसी तरह, शिक्षा के क्षेत्र मे छात्रो और शिक्षको का अनुपात ध्यान में रखा गया।

14 विकास-कार्यक्रमो से मिलनेवाले रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरो के अतिरिक्त व्यापार, वाणिज्य और परिवहन में मिलनेवाले अप्रत्यक्ष रोजगार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी योजना में अप्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान निजी और सरकारी क्षेत्रो में योजना के अन्तर्गत चलनेवाले विकास-कार्यक्रमो से प्राप्त अतिरिक्त रोजगार का 52 प्रतिशत था। नवीन अध्ययनो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तीसरी योजना के विकास कार्यक्रमो मे उपलब्ध होनेवाले अतिरिक्त रोजगार का 56 प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष रोजगार से प्राप्त होगा। अन्तत, विभिन्न क्षेत्रो के लिए अनुमानित अतिरिक्त रोजगार की अनेक प्रकार से जाच करनी होगी। स्थिति का व्यापक अनुमान लगाने के लिए धीरे-धीरे अधिक तथ्य प्राप्त हो रहे हैं। इनमें विशेष सर्वेक्षणो और जाचो के परिणाम, परियोजनाओ के अध्ययन, राष्ट्रीय रोजगार-सेवा-द्वारा सगृहीत रोजगार-सम्बन्धी सूचनाए, और औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के प्रार्थनापत्रो में दी गई सभी सूचनाए शामिल हैं। किसी भी विकास-योजना के रोजगार-सम्बन्धी अनुमानो के लिए अनेक मान्यताए बनाकर चलना पडता है, परन्तु उनकी निरन्तर जाच एव परीक्षा होती रहती है। ऐसी स्थिति मे विकास योजनाओ के रोजगार-सम्बन्धी अनुमान पूर्णत सही और अन्तिम नही हो सकते। पिछले 10 वर्ष का अनुभव यह बताता है कि अनुमानो के तरीको की जाच और उनमे बराबर सुधार करने की जरूरत तथा रोजगार एव पूजी-विनियोग सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुमानो के साथ-साथ वास्तविक परिणाम की भी सही जानकारी जरूरी है। इसे सरल बनाने के लिए उन मान्यताओ का विस्तृत विवरण, जो तीसरी योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त रोजगार-क्षमता आकने के लिए काम में लाई गई है, परिशिष्ट 'ग' में दिया गया है।

15 ऊपर बताए गए अनुमानो के तरीको के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि तीसरी योजना में कृषि-भिन्न रोजगार 1 करोड 5 लाख लोगो के लिए तथा कृषि-विषयक

रोजगार 35 लाख लोगो के लिए उपलब्ध हो सकेगा। कृषि-भिन्न अतिरिक्त रोजगार को मोटे तौर पर इस प्रकार बांटा जा सकता है -

तालिका-संख्या 1

कृषि-भिन्न अतिरिक्त रोजगार

(लाख में)

	क्षेत्र	तीसरी योजना में अतिरिक्त रोजगार
1	निर्माण-कार्य*	23
2	सिंचाई और बिजली	1
3	रेलवे	1.4
4	अन्य परिवहन एवं संचार-साधन	8.8
5	उद्योग एवं खनिज पदार्थ	7.5
6	लघु उद्योग	9
7	वन-उद्योग, मछली-उद्योग और सम्बद्ध सेवाएं	7.2
8	शिक्षा	5.9
9	स्वास्थ्य	1.4
10	अन्य सामाजिक सेवाए	0.8
11	सरकारी सेवाए	1.5
	योग 1 से 11 तक	67.5
12	'अन्य' (व्यापार एवं वाणिज्य सहित, 1 से 11 तक का 56 प्रतिशत)	37.8
	सर्व योग	105.3

16 ऊपर वर्णित कृषि और कृषि-भिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था होने के अलावा अर्द्धरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक हल होगी, परन्तु उसका परिमाण बता सकना कठिन होगा। कृषि में अतिरिक्त रोजगार का अनुमान लगाते समय नई रोजगार-क्षमता के एक-चौथाई भाग का ही ध्यान रखा गया है, शेष अर्द्ध-रोजगारवालों को राहत देने के लिए छोड़ दिया गया है। ग्राम और लघु उद्योगों के मामले में ऊपर की तालिका बनाते समय केवल पूरे समय के रोजगार को ही लिया गया है। हालांकि अर्थव्यवस्था कृषि-भिन्न धन्धों में अधिक-से-अधिक लोगों को खपाने का विचार

*चूंकि निर्माण-कार्यों में एक बड़ा भाग ऐसे रोजगार का होता है, जिसे सरलता से पाया जा सकता है, इसलिए विभिन्न विकास-क्षेत्रों में उनका विभाजन सम्भवतः उपयोगी होगा :

1.	कृषि और सामुदायिक विकास	6.1
2	सिंचाई और बिजली	4.9
3	उद्योग और खनिज पदार्थ (कुटीर और लघु उद्योग सहित)	4.6
4	परिवहन और संचार-साधन (रेलवे सहित)	3.4
5	सामाजिक सेवाए	3.5
6	विविध	0.5
	योग	23

रखती है, फिर भी आशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि मे कृषि के काम में लगे लोगो की सख्या में काफी वृद्धि होगी। श्रमिको के वर्ग मे अधिक वृद्धि उन परिवारो मे होगी, जो इस समय कृषि पर निर्भर करते है। कृषि-भिन्न क्षेत्रो में यदि रोज़गार के अवसर पर्याप्त रूप से नहीं बढे, तो कृषि मे अर्द्धबेरोजगारी और भी बढगी, जिसके परिणामस्वरूप समाज के इस वर्ग का जीवन-स्तर और भी गिर जाएगा। इस वर्ग पर जनसख्या में वृद्धि के कारण पहले ही बहुत अधिक भार पड चुका है। यहा यह उल्लेखनीय है कि परिस्थितियो को देखते हुए योजना के कारण उपलब्ध होनेवाले अतिरिक्त रोज़गार के अनुमान काफी हद तक अनिश्चित है। बाद के अनुभवो ने यदि कुछ वर्तमान मान्यताओ को बल नही मिला, या विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाए पर्याप्त कुशलता एव तेजी से क्रियान्वित नही की गई, तो ऊपर दिए गए अतिरिक्त रोजगार के अनुमान पूर्णत सही नही भी उतर सकते है।

17 योजना के कार्यक्रमो के फलस्वरूप यदि 1 करोड 40 लाख व्यक्तियो के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाए, तो पहले से बेरोजगार लोगो की बात छोड देने पर भी नए आनेवाले श्रमिको को रोजगार देने के लिए 30 लाख अतिरिक्त अवसर निकालने पडेंगे। तीसरी योजना का यह एक मुख्य उद्देश्य है।

यहा यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि परिमाण-विषयक अनुमानो का औचित्य रोजगार-विषयक आकडो की जटिलता और अपर्याप्तता, दोनो से ही प्रभावित होता है। पहली और दूसरी योजनाओ का अनुभव बतलाता है कि योजना के विभिन्न क्षेत्रो में काम लक्ष्य के अनुसार पूरा न होने के कारण रोजगार-सम्बन्धी लक्ष्य भी पूरे न हो सके। ऐसी स्थिति पुन उत्पन्न न हो, इसके लिए हर प्रकार के प्रयत्न करना आवश्यक है।

सोचा गया है कि इस समस्या के समाधान के प्रयत्न तीन मुख्य दिशाओ में किए जाएगे। प्रथमत, योजना की सीमाओ के अन्दर ही ऐसा प्रयत्न किया जाए कि पहले के मुकाबले इस बार रोजगार का लाभ अधिक लोगो को और अधिक समान रूप से मिले। दूसरी बात, गावो के उद्योगीकरण का काफी बडा कार्यक्रम चलाया जाए, जिसमें बिजली पहुचाने, औद्योगिक बस्तियो की स्थापना, ग्रामोद्योगो की उन्नति और जनशक्ति के ठोस उपयोग पर विशेष बल दिया जाए। सम्भव है, उत्पादन के नए तरीको के शुरू में रोजगार में लगे व्यक्तियो की सख्या में कमी आ जाए, परन्तु आशा है कि उन तरीको से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चेतना प्रदान करने के दूरगामी लाभ अधिक महत्वपूर्ण होगे। तीसरी बात, लघु उद्योगो के जरिए रोज़गार प्रदान करने के अन्य उपायो के अतिरिक्त गावो मे निर्माण-कार्यक्रम चलाने का भी विचार है, जो 25 लाख व्यक्तियो को वर्ष में औसत 100 दिन काम दे सकेगा। यह सख्या बढ भी सकती है। ये सब कार्यक्रम, विशेष रूप से गावो में निर्माण-कार्य का सुझाव, ग्राम जनता के लिए सहायक सिद्ध होगे और शिक्षित बेरोज़गारो को अधिक अवसर प्रदान करेंगे। शिक्षित बेरोज़गारो की अपनी विशेष समस्याए भी हैं, जिन पर इसी अध्याय में आगे चल कर सक्षेप में विचार किया गया है।

(3)
रोजगार और योजना की कार्यान्विति

18 अध्ययनो के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण है कि विकास-कार्यक्रमो से रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध करने के अनेक उपाय है, जिनसे पिछले

वर्षों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सामान्यतः बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण या तो सारे देश को ध्यान में रख कर किया जाता है, या राज्यों-जैसे बड़े प्रदेशों के सन्दर्भ में। जिला और खण्ड-स्तर पर बेरोजगारी की समस्या हल करने की सम्भावनाओं पर अभी तक अधिक ध्यान नहीं दिया गया। हर जिले में कृषि, सिंचाई, बिजली, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, सचार-साधन एवं सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में विकास-कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उस जिले की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना और सामान्यतः उत्पादन में वृद्धि करना है। प्रत्यक्ष रोजगार देने के साथ-साथ ये कार्यक्रम किसानों, कारीगरों, छोटे उद्योगपतियों और सहकारी संस्थाओं को उनकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं और इस प्रकार अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करते हैं। यदि इन कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाया जाए और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बना दिया जाए तो उनसे जिला और स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार प्राप्त किए जा सकते हैं। उचित यह है कि हर राज्य की बेरोजगारी की समस्या को जिलेवार बांट लिया जाए और ग्राम, खण्ड या जिला-स्तर पर उसको हल करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाए। स्थानीय रोजगार-समस्याओं के रूप में इसका विश्लेषण करने से अधिकारीगण रोजगार के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान दे सकेंगे और उनके लिए आवश्यक साधन जुटा सकेंगे। ये विशिष्ट पहलू बेरोजगार कारीगरों, खेतिहर श्रमिकों, शिक्षित बेरोजगारों आदि से सम्बन्धित हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं भी भिन्न हैं, इसलिए स्थानीय या प्रादेशिक स्तर पर रोजगार की समस्या हल करने के तरीके भी ऐसे लचीले बनाने होंगे, जो स्थानीय परिस्थितियों और साधनों के अनुरूप बन सकें।

19 रोजगार-सम्बन्धी समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि मानवीय श्रम का अधिक-से-अधिक उपयोग करने के लिए निर्माण-कार्यों में कितनी सम्भावनाएं हैं, इस पर विचार किया जाए। सामान्यतः उन निर्माण-कार्यों में मशीन का उपयोग किया जाता है, जहां मशीनीकरण से लागत में कमी और काम जल्दी पूरा होने की सम्भावना होती है। सभी परियोजना-अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां मशीनीकरण से कोई खास बचत की सम्भावना न हो, वहां निर्माण-कार्यों में जनशक्ति का अधिक उपयोग करना उचित है। परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करते समय यह प्रश्न मुख्य रूप से सामने रखना चाहिए और जहां भी मनुष्य के मुकाबले, मशीन के उपयोग को तरजीह दी जाए, वहां इसके लिए युक्तिसंगत कारण प्रस्तुत करने चाहिए। रोजगार के दृष्टिकोण से इस प्रकार के सभी निर्णयों पर विचार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी समिति बनाई जानी चाहिए।

20 अधिक आबादीवाले क्षेत्रों में किसी बड़े विकास-कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद भी यदि बेरोजगार लोग बच रहते हैं, तो उनकी एक बड़ी संख्या को काम सिखा कर उन इलाकों में भेजना चाहिए, जहां ऐसे प्रशिक्षित कारीगर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए आवश्यक तकनीकों और संगठन की व्यवस्था करने के ख्याल से कुछ मार्गदर्शक योजनाएं शुरू की जानी चाहिए।

21 यद्यपि पिछले वर्षों में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया गया है, तथापि इस क्षेत्र में रोजगार देने की जितनी गुंजायश है, उसका पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना अभी बाकी है। ग्राम और लघु उद्योगों में, रोजगार-विषय

लाभो का सम्बन्ध नए विकास-कार्यक्रमो से जोडना ठीक नही । अभी जो छोटे-मोटे उद्योग चालू है, उन्ही के जरिए रोजगार देने की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक ढग की छोटी औद्योगिक इकाइयो मे माग की कमी नही, बल्कि आवश्यक मात्रा मे माल तैयार करने मे उनकी असमर्थता ही रोजगार देने में बाधक बनती है। लोहा और इस्पात, अलौह धातु, रसायन, रग, आदि उद्योगो में, जहा कच्चे माल की बहुत जरूरत होती है, यह बात विशेष रूप से सही है। कुछ मामलो में विधायन और अन्य सुविधाओ की कमी भी बाधा बन सकती है। प्राय सभी जगह कारीगर और छोटे उद्योगपति ऋण की सुविधाओ से वचित है और उन्हे अपना माल बेचने के लिए भी ऐसी सुविधाए प्राप्त नही, जिन पर वे निर्भर रह सके। इस दिशा में विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए, ताकि छोटी औद्योगिक इकाइयो को (चाहे वे कारीगरो की सहकारी समितियो-द्वारा सचालित होती है, अथवा छोटे उद्योगपतियो-द्वारा) अपनी अधिकतम उत्पादन-क्षमता पर पहुचने का अवसर मिल सके।

22 ग्राम-उद्योगीकरण और ग्राम-बिजलीकरण वस्तुत परस्पर-सम्बद्ध कार्यक्रम है और ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के स्थायी अवसर बढाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते है। हर क्षेत्र में औद्योगिक विकास का एक-एक केन्द्र रहना चाहिए और इन्हे परिवहन और अन्य समुचित सुविधाओ के जरिए एक कडी मे जोड देना चाहिए। ऐसे केन्द्र शहरो या ऐसे महत्वपूर्ण गावो मे होने चाहिए, जो कुशल कारीगरो और उद्योगपतियो को खीच सके और जिन्हे बिजली की एव अन्य सुविधाए आसानी से दी जा सकें। तीसरी योजना में ग्राम-बिजलीकरण का एक विशाल कार्यक्रम है। अधिक-से-अधिक उत्पादन और अधिक रोजगार देने में ग्राम-बिजलीकरण का बहुत अधिक महत्व है और इसे सम्भव करने के लिए हर जिले में बिजली की आपूर्ति और उसके उपयोग की दूरदर्शितापूर्ण योजनाए बनाई जानी चाहिए। बिजली की आपूर्ति के साथ कृषि और उद्योगो के विकास-कार्यक्रमो का समन्वय आवश्यक है। कुछ निश्चित स्थानो पर अधिक काम-काज केन्द्रित होने से बिजली-आपूर्ति के सन्तुलन में भी उचित सुधार हो सकेगा।

(4)

ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग

23 तीसरी योजना में ग्रामीण विकास-कार्यो के एक विस्तृत कार्यक्रम का सुझाव, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है—ऐसा न केवल इसलिए कि इसके जरिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जा सकेंगे, बल्कि इसलिए भी कि यह देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग का एक प्रमुख साधन है। तीसरी योजना में कृषि का उत्पादन पिछले 10 वर्षो के मुकाबले दुगुनी तेजी से बढ़ाना होगा। इसके लिए सघन और केन्द्रीभूत प्रयत्नो की आवश्यकता है। इन प्रयत्नो मे कृषि-विकास के कार्यक्रमो मे लाखो परिवारो का योगदान भी सम्मिलित है। अनेक वर्षो तक ग्रामीण क्षेत्रो की जनशक्ति का सबसे बडा उपयोग कृषि-विकास, सडक-निर्माण-परियोजनाओ, ग्रामीण आवास और ग्रामीण सुविधाए उपलब्ध करने के कार्यक्रमो मे होता रहेगा। अर्द्धरोजगारी की समस्या के स्थायी हल के लिए वैज्ञानिक कृषि को व्यापक रूप से अपनाना ही जरूरी नही है, बल्कि गावो के आर्थिक ढाचे को मजबूत करने

और उसे बहुमुखी बनाने की आवश्यकता है। ग्राम और लघु उद्योगो के विकास के कार्यक्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील शहरी केन्द्रो से सम्बन्ध-स्थापना, सहकारिता के आधार पर विधायन-उद्योगो की स्थापना तथा गावो में नए-नए उद्योग शुरू करना—ये सब तीसरी योजना के अग है तथा इनका विकास करना आवश्यक है। ग्राम-बिजलीकरण के विस्तार से इन कार्यक्रमो को सहायता मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस प्रकार मजबूत करते हुए सभी ग्रामीण क्षेत्रो में बहुमुखी विकास-कार्यक्रमो की आवश्यकता है, विशेषकर उन क्षेत्रो में, जहा बहुत-सारे लोग कृषि पर निर्भर करते है और जहा बेरोजगारी तथा अर्द्धरोजगारी की समस्या भी काफी बडी है।

24 ग्रामीण क्षेत्रो के लिए जिन निर्माण-कार्यों की बात सोची गई है, उन्हें पाच वर्गों में बाटा जा सकता है

(1) राज्यो और स्थानीय निकायो की योजनाओ में शामिल ऐसी परियोजनाए जिन्हें कुशल या अर्द्धकुशल श्रमिको की आवश्यकता पडेगी,

(2) ग्राम-समाज या उनसे लाभ उठानेवालो-द्वारा कानूनी व्यवस्थाओ के कारण किए जानेवाले काम,

(3) विकास के ऐसे काम, जिनके लिए स्थानीय जनता से श्रम और सरकार से कुछ सीमा तक सहायता मिल सके,

(4) ऐसे काम जिनसे गाववाले लाभदायक सम्पत्ति बना सकें, और

(5) अधिक बेरोजगारीवाले इलाको में लोगो को काम देने के लिए शुरू किए जानेवाले पूरक काम।

वर्ग 2, 3 और 4 में बताई गई योजनाए ग्रामीण क्षेत्रो में विकास के लिए तैयार की गई सामान्य योजनाओ के मुख्य अग के रूप में शुरू की जाएगी। इनका उद्देश्य जनशक्ति का पूरा उपयोग है, इनसे सीमित मात्रा में ही नही, मजदूरी पर रोजगार दिया जा सकेगा। पहले और पाचवें वर्ग के कामो में मजदूरी पर काम देने की बहुत अधिक गुजाइश है। इन दोनो वर्गों के काम एक समान है, केवल पाचवें वर्ग में पहले वर्ग के मुकाबले अधिक पूरक योजनाए है। इस प्रकार, तीसरी योजना में ग्रामीण निर्माण-कार्यों के अतिरिक्त कार्यक्रम में कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिको के बडे पैमाने पर उपयोग की योजनाओ के दो मुख्य वर्गों में काम शुरू किया जा सकता है (क) खड और ग्राम-स्तर पर स्थानीय निर्माण-कार्य, और (ख) बडे काम, जिनमें विभागो-द्वारा आयोजन और तकनीकी देखभाल की जरूरत पडेगी।

25 स्थानीय कामो और अपेक्षाकृत बडी योजनाओ के लिए यह आवश्यक है कि हर विकास-खड में पूरे किए जानेवाले कार्यक्रमो को पूरी तरह सोच-विचार कर तैयार किया जाए। खड-योजना में वे सभी काम शामिल होंगे, जो खड-सगठन के जरिए विभिन्न सस्थाए करेंगी—जैसे, सामुदायिक विकास-योजनाओ के बजट में शामिल कार्यक्रम और राज्यो की योजनाओ के कृषि, पशुपालन और सहकारिता-सम्बन्धी कार्यक्रम, बडी और मध्यम सिचाई-परियोजनाओं के काम, सडको का निर्माण, आदि। विकास-खडो की ये योजनाए ग्राम-योजनाओ में विभक्त कर दी जाएगी और इस प्रकार उस क्षेत्र में बसे हुए लोगो को इनकी पूरी तरह से जानकारी करा दी जाएगी। सिचाई, भूमि-सरक्षण, सडक-निर्माण, आदि परियोजनाओ से हर क्षेत्र में लोगो को अधिकाधिक रोजगार दिलाने के लिए आवश्यक है कि इनका कार्यान्वयन स्थानीय खड-सगठन के घनिष्ठ सहयोग

से हो। कृषि की दृष्टि से मन्दी के समय में ही ये निर्माण-कार्य कराए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं दिनों बेरोजगारी और अर्द्धरोजगारी अधिक रहती है। जो काम गांव में कराए जाए, उनकी मजदूरी भी गांव की दर से ही दी जानी चाहिए।

26 ऊपर दी गई रूपरेखा के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हुए ग्रामीण-जनशक्ति के उपयोग के लिए कुछ मार्गदर्शक परियोजनाएं हाल में ही शुरू की गई हैं। अभी तक ऐसी मार्गदर्शक परियोजनाओं की संख्या 34 है। इनके अनुसार कृषि-सिंचाई, सड़क-विस्तार और राज्यों तथा सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों में शामिल अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ पूरक निर्माण-कार्यों की भी व्यवस्था है। मोटे हिसाब के अनुसार मार्च 1962 तक समाप्त होनेवाली अवधि में हर ऐसी परियोजना के लिए 8 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। अभी शुरू हो चुकी मार्गदर्शक परियोजनाओं में सिंचाई, वन-रोपण, भूमि-संरक्षण, नाली-निर्माण, भूमि-पुनरुद्धार और संचार-साधनों का विकास शामिल है। मार्गदर्शक परियोजनाओं की इस शृंखला का उद्देश्य निर्माण-कार्यों का कार्यक्रम बनाने का अनुभव प्राप्त करना है, क्योंकि इन्हीं निर्माण-कार्यों से बेरोजगारी और अर्द्धरोजगारी की समस्याओं के हल पर असर पड़ सकेगा।

27. परीक्षण-परियोजनाओं से प्राप्त प्रारम्भिक अनुभवों के आधार पर इन कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर अन्य क्षेत्रों में भी, विशेष रूप से अधिक आबादी और लम्बे समय से अर्द्धरोजगारी की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में, फैलाया जाएगा। फिलहाल आशा है कि निर्माण-कार्यक्रमों के जरिए पहले वर्ष में एक लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा, यह संख्या दूसरे वर्ष में 4 से 5 लाख तक, तीसरे वर्ष में 10 लाख तक और योजना के अन्तिम वर्ष में 25 लाख तक पहुंच जाएगी। तीसरी योजना में कार्यक्रम के शुरू के भागों के लिए धन की एक सीमित व्यवस्था कर दी गई है। ख्याल है कि सारी योजना की अवधि में इस सम्पूर्ण कार्यक्रम पर 150 करोड़ रु० का खर्च आएगा। कार्यक्रम आगे बढ़ने पर मजदूरी का एक भाग अनाज के रूप में देने पर भी विचार किया जा सकेगा। यह सोचा गया है कि निर्माण-कार्यों के लिए आवश्यक संगठन और श्रमिकों की सहकारी समितियों की रचना खंड-स्तर पर की जाए। इन संगठनों के पास औजारों का संग्रह रह सकता है, ये ठेके ले सकते हैं, आवश्यक तकनीकी और प्रशासन-सम्बन्धी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षित तथा कुशल कारीगरों का एक वर्ग तैयार कर सकते हैं और जिला अधिकारियों, पंचायत-समितियों एवं अन्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग से काम कर सकते हैं। स्वैच्छिक संगठन भी इस कार्य में स्थानीय कार्यकर्ता एवं काम चलानेवाले अन्य व्यक्तियों को सहयोग दे सकते हैं तथा शिक्षा-सम्बन्धी और सांस्कृतिक कार्य कर सकते हैं। ऊपर सुझाए गए पैमाने पर ग्रामीण निर्माण-कार्यों के लिए राज्यों में और आवश्यकतानुसार केन्द्र में भी, पर्याप्त संगठन बनाए जाने चाहिए।

और बिजली इजीनियरी, रवर-टायर, अल्यूमीनियम आदि-जैसे उद्योगो मे सूती वस्त्र, पटसन और चाय-जैसे पुराने उद्योगो के मुकाबले अधिक तेजी से प्रगति हो रही है। पुराने उद्योगो ने भी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे मुकाबला करने के ख्याल से वैज्ञानिकन की योजनाए शुरू कर दी है। लोहा और इस्पात, रसायन, आदि उद्योगो के विस्तार-कार्यक्रमो में उत्पादन के आधुनिकतम और कुशलतम तरीके अपनाए जा रहे है, जिनके लिए अधिक-से-अधिक तकनीकी शिक्षा-प्राप्त कर्मचारियो की आवश्यकता पडती है। कोयला-खानो में अधिकाधिक मशीनीकरण के बाद अब आवश्यक हो गया है कि अधिक योग्यतावाले कर्मचारी रखे जाए, पहले-जैसे कर्मचारियो से अब काम नही चल सकता। इन परिवर्तनो से शिक्षित व्यक्तियो को रोजगार मिलने के अवसर बढने की सम्भावना हो सकती है। शिक्षितो के के लिए भावी सम्भावनाओं पर विचार करते समय उद्योग-जगत् में होनेवाले परिवर्तनो पर नजर रखनी पडेगी। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना होगा कि शारीरिक श्रम के प्रति पुराना दृष्टिकोण अब विशेष रूप से बदल रहा है। शिक्षा-पद्धति को इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा कि कर्मचारियो की आवश्यकताओं के बदलते हुए ढाचे से उसका मेल बैठ सके। कुछ चुने हुए क्षेत्रो में जनशक्ति-सम्बन्धी अध्ययनो का आयोजन और तकनीकी शिक्षा की सुविधाओ का विस्तार करना होगा—जहा आवश्यक हो, वहा नए सस्थान भी आरम्भ करने पडेंगे। आशा की जाती है कि शिष्यता-सम्बन्धी कानून बन जाने से, जो अभी विचाराधीन है, कारखानो के अन्दर व्यावहारिक प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाए मिल सकेंगी। राष्ट्रीय रोजगार-सेवा के अग के रूप में पिछले पाच वर्षों में रोजगार धन्धो-सम्बन्धी परामर्श-कार्यक्रमो का विस्तार किया गया है।

29 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ शिक्षितो को लाभकारी कामो मे लगाने पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारो की समस्या को दो भागो में लिया जा सकता है—जो पहले से बेरोजगार है और जो सीख-पढ कर बेरोजगारो के वर्ग मे शामिल होते जा रहे हैं। पहले के बकाया ऐसे बेरोजगारो की सख्या का सही अनुमान लगा सकना कठिन है, परन्तु यह मान कर कि बहुत-सारे पढे-लिखे बेरोजगार लोग रोजगार दिलाने के दफ्तरो में नाम रजिस्टर करा देते है, अनुमान किया जाता है कि ऐसे लोगो की सख्या लगभग 10 लाख होगी। नए शिक्षित बेरोजगार लगभग 30 लाख होंगे, जो विद्यालय की अन्तिम परीक्षा के स्तर तक या उससे अधिक शिक्षा पा चुके है। कृषि, उद्योग और परिवहन के विकास से काम सीखे हुए, तकनीकी अथवा अन्य धन्धो के शिक्षा-प्राप्त लोगो की भी माग बढती जाएगी। इसलिए शिक्षा-पद्धति में सुधार करना तथा तकनीकी और काम-धन्धो की शिक्षा की सुविधाए देना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हाल के कुछ वर्षो में शिक्षित व्यक्तियो का शारीरिक श्रम-सम्बन्धी दृष्टिकोण बदला है, इसलिए उन्हें इस विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओ के अनुरूप बनाने के कार्यक्रम पहले की अपेक्षा अधिक बडे पैमाने पर चलाए जा सकते हैं। दूसरी योजना में अनेक प्रशिक्षण-केन्द्रो के जरिए इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया गया था। तीसरी योजना में इस कार्यक्रम का और अधिक विस्तार करने का विचार है।

30 बेरोजगारो के रूप में दर्ज अधिकाश शिक्षित लोग वे है, जो विद्यालय के माध्यमिक स्तर से लेकर कालेज के प्रथम या द्वितीय वर्ष तक शिक्षा पा चुके है। इस वर्ग के युवको को शहरी क्षेत्रो में बिना कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए उचित रोजगार नहीं मिल

पाता, या फिर उन्हें एक सीमा तक कम वेतनवाले पेशों में ही खपाया जा सकता है। निकट भविष्य में ऐसे शिक्षित बेरोज़गारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यक्रमों के द्वारा रोज़गार की विशेष सम्भावनाएं हो सकती हैं। स्वयं ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रमों में ही शिक्षित व्यक्तियों की बड़ी आवश्यकता होगी। प्रारम्भिक कदम के रूप में इरादा किया गया है कि कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुन कर विशेष प्रकार के कामों की अल्पकालीन शिक्षा दी जाए। ऋण, क्रय-विक्रय और कृषि की सहकारी समितियों तथा खेती में वैज्ञानिक विधियों के विस्तार एवं ज़िला, खण्ड तथा ग्राम-स्तर पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही इन लोगों के लिए नियमित और स्थायी रोज़गार मिलने की गुंजायश हो सकती है। शिक्षित युवकों की एक काफी बड़ी संख्या को सहायता देकर ऐसे गांवों में लघु उद्योग आरम्भ कराए जा सकते हैं, जहां बिजली उपलब्ध हो सके। इन उद्योगों को यथासम्भव सहकारिता के आधार पर ही चलाया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी जा सके और उनके उत्पादन की बिक्री की भी व्यवस्था हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और उसमें सहकारिता के क्षेत्र के विस्तार से गांवों में भी शहरों के बराबर आमदनीवाले रोज़गार देने के अवसर बढ़ते जाएंगे। इस दिशा में आगे बढ़ने का एक लाभ यह भी होगा कि गांवों के शिक्षित युवक गांवों में ही रह कर वहां के लोगों की सेवा और नेतृत्व अबसे कहीं अधिक कर सकेंगे।

31 यहां इस बात का भी संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिए कि पूरी हो चुकनेवाली या लगभग पूरी हो गई परियोजनाओं के कारण बेकार हुए कुशल कर्मचारियों को नई-नई आरम्भ होनेवाली परियोजनाओं में रोज़गार देने की आवश्यकता है। ऐसा देखा गया है कि सिंचाई और बिजली-परियोजनाओं तथा औद्योगिक परियोजनाओं में भी अनेक बार निर्माण-कार्य समाप्त हो जाने पर अनुभवी श्रमिकों की छटनी करनी पड़ी है, क्योंकि निर्माण-कार्यक्रम इस सावधानी से नहीं बनाए गए, जिससे एक परियोजना का काम समाप्त होने पर श्रमिकों को दूसरी परियोजना में खपाया जा सके। दूसरी योजना में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक संगठन बना दिया गया, जो सन्तोषजनक कार्य कर रहा है। यदि ऐसी परियोजनाओं को ठीक तरह से बना लिया जाए और काफी आगे तक सोच कर योजनाएं तैयार की जाएं, तो समस्या घट कर इतनी बड़ी रह जाएगी कि उसका हल कम कठिन होगा।

अध्याय 11

कर्मचारियों की आवश्यकता और प्रशिक्षण-कार्यक्रम

(1)

जनशक्ति का आयोजन

विकास के सभी साधनों में इस समय सम्भवतः सर्वाधिक आधारभूत स्थान प्रशिक्षित जनशक्ति का है। विज्ञान और टेक्नोलाजी की द्रुत प्रगति तथा औद्योगिक और आर्थिक संगठनों की बढ़ती हुई जटिलता के कारण बड़ी संख्या में विभिन्न प्रशिक्षण-शाखाओं के ऐसे अत्यधिक कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की माग बढ़ रही है, जो व्यक्तिगत रूप से काम करने के बजाय सामान्यतः सुसम्बद्ध दलों के रूप में कार्य कर सकें। आर्थिक विकास के साथ-साथ जहा अधिक उच्च और विशेष प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों की तथा वैज्ञानिक ढग से प्रशिक्षित कर्मचारियों की माग बढ़ती है, वहा निचले स्तर के कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल व्यक्तियों की माग निरन्तर कम होती जाती है। इजीनियर या डाक्टर को आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण देने में लगभग 5 वर्ष का समय लगता है, परन्तु अधिक उत्तरदायित्व के पदों पर नियुक्ति के हेतु आवश्यक अनुसन्धान और व्यावहारिक अनुभवों के लिए और अधिक समय की आवश्यकता होती है। आवश्यकता-भर वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धि के लिए तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान को दृढ आधार प्रदान करने के लिए एक पीढ़ी का भी समय लग सकता है।

2 किसी देश के दीर्घकालीन आर्थिक विकास के सम्बन्ध में, विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रगति हो सकती है, इसकी मुख्य निर्णायक बात यह है कि किस सीमा तक प्रशिक्षित जनशक्ति और प्रशिक्षण की सुविधाए उपलब्ध है। आर्थिक प्रगति के साथ न केवल संख्या पर, अपितु योग्यता और अनुभव पर भी बल दिया जाना चाहिए। आवश्यक जनशक्ति के निर्माण की समस्याओं पर व्यापक सन्दर्भ में विचार किया जाना चाहिए। एक ओर, इन समस्याओं का प्रभाव जहा विद्यालय और कालेज के प्रत्येक स्तर पर दी जानेवाली शिक्षा के स्वरूप पर पड़ता है, वहीं दूसरी ओर, उद्योग और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों का प्रबन्ध एव संगठन-सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था-क्रम तथा जिस पद्धति से अनुसन्धान किए जाते हैं और उनके परिणामों को लागू किया जाता है, वह इनकी परिधि में आ जाती है।

3 जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों के सन्दर्भ में द्रुत आर्थिक विकास की मागें राष्ट्रीय सकट-काल की मागों के समान हैं। इनका यह तकाजा है कि वर्तमान संस्थाओं का पुनर्गठन और विस्तार किया जाए, अनेक नई संस्थाओं का विकास किया जाए, अध्यापकों और प्रशिक्षकों की प्राप्ति और प्रशिक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाए, प्रशिक्षण को अधिक जोरदार और इसके लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए नई तकनीक अपनाई जाए, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाए और अत्यल्प प्रमुख साधन के रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों के उपयोग के लिए नए तरीकों को विकसित किया जाए। अनुभवों और अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के आकलन के प्रकाश में प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित विचारों और व्यवहार

की सदा समीक्षा होती रहनी चाहिए । जनशक्ति के आयोजन में अर्थव्यवस्था को समग्र रूप में देखा जाना चाहिए । सभी औद्योगिक सस्थानो में, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हो या निजी क्षेत्र के, समस्त उपलब्ध सुविधाओ और सम्भावनाओ को सारे समाज की सेवा के लिए समझना चाहिए । प्रत्येक सगठन और प्रशिक्षण-सस्था को परीक्षणो और नए आविष्कारों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एकदम नए तथा सृजनात्मक क्रिया-कलापो के लिए निरन्तर अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ।

4 जनशक्ति के आयोजन के सम्बन्ध में पिछली दो योजनाओ में अनेक क्षेत्रो में बडे महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुए हैं । वैज्ञानिको, इजीनियरों और टेक्नोलाजिस्टों तथा कृषि, पशु-चिकित्सा, स्वास्थ्य एव चिकित्सा-सम्बन्धी कर्मचारियो और दक्ष कारीगरो के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओ मे पर्याप्त विस्तार हुआ है । इस्पात-सयन्त्रों एव अन्य बडी औद्योगिक परियोजनाओ के कारण यह आवश्यक हो गया है कि देश में और विदेशो में, दोनो जगह बडे पैमाने पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए । इस सम्बन्ध में अन्य देशो ने अपने अनुभवो और सुविधाओ को बडी उदारतापूर्वक हमारे लिए उपलब्ध किया है । बडी सख्या मे प्रशिक्षित व्यक्तियो की न केवल उद्योग, परिवहन और बिजली के विकास के लिए ही, अपितु अन्य क्षेत्रो में भी आवश्यकता है । सामुदायिक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, उनमें पहले ही प्रशिक्षण के लिए व्यापक प्रशिक्षण-कार्यक्रमो का समावेश है । चूंकि जिला, खड और ग्राम-स्तर पर लोकतान्त्रिक सस्थाओं, सहकारी आन्दोलन, नगरपालिका-निकायो और स्वैच्छिक सगठनो का कार्य सारे समाज के कल्याण से सम्बद्ध क्षेत्रो मे अत्यधिक निर्णायक हो गया है, अत उनको प्रशिक्षित व्यक्तियो की आवश्यकता और भी अधिक उल्लेखनीय होगी तथा उन्हें बहुत बडी सख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकता होगी । तीसरी और परवर्ती योजनाओ की परिकल्पना के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवाओ, परिवार-आयोजन और कल्याण-कार्यक्रमो की प्रगति अध्यापको और अन्य प्रशिक्षित कर्मचारियो की पर्याप्त उपलब्धि पर भी कुछ कम निर्भर नही करती ।

5 प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक कर्मचारियो की सख्या का अनुमान बहुत सावधानी से और पर्याप्त लम्बी अवधि को ध्यान में रख कर लगाया जाना चाहिए । इसके लिए सुधरी हुई सख्या-सम्बन्धी सूचनाओ की और जनशक्ति के आकलन के लिए विकसित तकनीक की आवश्यकता है, जिससे आवश्यक आकलन औचित्यपूर्ण शुद्धता के साथ किया जा सके और सारी अर्थव्यवस्था का एक व्यापक चित्र निर्मित हो । बदलती हुई आवश्यकताओ और अनुभवो के प्रकाश में समय-समय पर अनिवार्य रूप से कर्मचारियो की आवश्यकता के आकलन की समीक्षा करते रहना चाहिए । इस प्रकार, जनशक्ति का आयोजन केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारो और उनके अभिकरणो, अपने विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न क्रिया-कलापों एव हितो का प्रतिनिधित्व करनेवाले उद्योग-सघो और सगठनो तथा सरकारी एव निजी क्षेत्र के व्यक्तिगत सस्थानो और सस्थाओ-द्वारा निर्मित आर्थिक योजनाओ का अभिन्न अग है । इसका यह तकाजा है कि निरन्तर ज्ञान और अनुभवो का परस्पर-आदान-प्रदान किया जाए और विशेष जाच-पडताल होती रहे । विचारणीय विषयो की विविधता और देश के भावी विकास के लिए जनशक्ति के आयोजन की महत्ता को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि शीघ्र ही प्रायोगिक जनशक्ति-अनुसन्धान-सस्थान की

स्थापना की जाए, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों और औद्योगिक तथा अन्य संगठनों के साथ तालमेल और सहयोग से काम करेगी। संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं के बारे में एक व्यापक दृष्टि प्रदान करना, जनशक्ति के आयोजन के लिए उच्च प्रशिक्षण-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना, अभी कार्य-संलग्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और तैयार करने के तरीकों को विकसित करना, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खोजने तथा उनकी प्रतिभा को और अधिक बढ़ाने के लिए तरीकों का आविष्कार करना तथा सामान्यतः देश के मानव-साधनों के अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग की व्यवस्था करना है।

5 पहली योजना की तुलना में दूसरी योजना की अवधि में जनशक्ति के आयोजन की समस्याएं अधिक बड़े रूप में सामने आईं। बहुत हद तक दूसरी योजना में उपलब्ध शिक्षा का लाभ उठाते हुए तीसरी योजना में प्रशिक्षित व्यक्तियों की प्राप्ति के लिए बहुत पहले से ही पर्याप्त कदम उठाए गए। सबमें तो नहीं, किन्तु अनेक क्षेत्रों में तीसरी योजना के अंगभूत प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाया गया है कि चौथी और उसके बाद की योजनाओं में भी परिलक्षित सघन विकास के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार किए जा सकें। अब भी ऐसे विशाल क्षेत्र हैं, जिनमें उपयुक्त अनुभववाले व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे और परिणामतः कुछ थोड़े-से ही प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को कार्य का अत्यधिक भार उठाना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में जहां उपलब्ध स्थानीय कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न होना चाहिए, वहीं तकनीकी सहायता-कार्यक्रमों और अन्य स्रोतों से आवश्यक उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि का लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। सामान्यतः मुख्य रूप से कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान अतीत और वर्तमान के अनुभवों पर आधारित मान्यताओं और सम्भावनाओं के अनुसार लगाया जाता है। परन्तु देश में और विदेशों में भी तेजी से होनेवाले तकनीकी परिवर्तनों और अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण अप्रत्याशित मांगें जारी रहेंगी और वर्तमान अनुमानों में वृद्धि की और संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि तीसरी योजना की अवधि में समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पुनः आकलन करना चाहिए। इन आवश्यकताओं पर न केवल चौथी, अपितु पांचवीं योजना को भी ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिए। इस अध्याय में संक्षेप में कर्मचारियों की आवश्यकता के वर्तमान अनुमानों को और तीसरी योजना में उपबन्धित इंजीनियरी, टेक्नोलाजी और विज्ञान, कृषि और ग्राम-विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-कल्याण, एवं सांख्यिकी तथा प्रशासन-सम्बन्धी प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को संक्षेप में बताया गया है।

(2)
इंजीनियरी, टेक्नोलाजी और विज्ञान

7 इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की आवश्यकता को तीन मुख्य स्तरों—स्नातकों, डिप्लोमाधारियों और कुशल शिल्पियों—पर विचारा जा सकता है। प्रत्येक योजना में इनमें से प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी योजना के लिए 51,000 अतिरिक्त स्नातक

इंजीनियरों की आवश्यकता होगी, दूसरी योजना में यह संख्या लगभग 29,000 थी। चौथी योजना की आवश्यकता का अनुमान लगभग 80,000 है। इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं की आवश्यकता का अनुमान नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 1

इंजीनियरी और टेक्नोलाजी के स्नातकों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान

इंजीनियरी की शाखाएं	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना
सिविल	12,400	13,000	20,000
यान्त्रिक	5,300	15,300	24,000
बिजली	5,600	10,500	17,000
दूर-संचारण	1,600	2,500	4,000
रासायनिक	2,300	3,500	7,000
धातुकर्म	700	1,100	1,600
खनन	500	1,600	2,400
अन्य*	1,000	3,500	4,000
योग	29,400	51,000	80,000

8 तीसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी में डिप्लोमाधारियों की अतिरिक्त आवश्यक संख्या का अनुमान लगभग 1,00,000 है। दूसरी योजना में यह संख्या लगभग 56,000 थी। चौथी योजना के लिए वर्तमान अनुमान लगभग 1,25,000 है। इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में अतिरिक्त आवश्यक डिप्लोमाधारियों का अनुमान नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 2

इंजीनियरी और टेक्नोलाजी के डिप्लोमाधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान

इंजीनियरी की शाखाएं	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना
सिविल	29,000	39,000	48,000
यान्त्रिक	12,200	26,000	33,500
बिजली	10,400	18,000	22,500
दूर-संचारण	600	600	800

* इसमें चीनी, जूट और चमड़ा-टेक्नोलाजिस्ट; वास्तुशिल्पी और नगर-आयोजक; मोटर, विमान, नौकानयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई तथा कृषि-इंजीनियरी से सम्बद्ध कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

तालिका-संख्या 2—जारी

इजीनियरी की शाखाएं	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना
रासायनिक*	800	3,500	5,000
धातुकर्म	200	1,100	1,300
खनन	600	4,000	5,000
अन्य†	2,000	7,800	8,900
योग	55,800	1,00,000	1,25,000

9 तीसरी योजना में औद्योगिक विकास की प्रगति और चौथी योजना में परिकल्पित विकास के कारण यान्त्रिक, बिजली और रासायनिक इजीनियरी की आवश्यकता में वृद्धि सिविल इजीनियरी की तुलना में अधिक तेजी से होगी। इसके साथ ही, खनन, धातुकर्म और टेक्नोलाजी-सम्बन्धी शाखाओं में भी विशेष प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होगी। इजीनियरी की शिक्षा के लिए इस समय जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके वितरण का निश्चय करने के लिए इन परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी योजना के अन्त में इजीनियरी कालेजों की प्रवेश-क्षमता 13,860 थी, जो तीसरी योजना में बढ कर 19,140 हो जाएगी। तदनुसार ही, पालिटेक्नीको की भी प्रवेश-क्षमता 25,570 से बढ कर 37,390 हो जाएगी। इजीनियरी और टेक्नोलाजी में अंशकालिक और पत्र-व्यवहार-द्वारा अध्यापन की भी व्यवस्था की जा रही है। तीसरी और चौथी योजनाओं में इजीनियरी कर्मचारियों की निकासी और उनकी आवश्यकता का अनुमान नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 3

इंजीनियरी-कर्मचारियों की आवश्यकताओं और निकासी का अनुमान

	दूसरी योजना		तीसरी योजना		चौथी योजना	
	आवश्यकता	निकासी	आवश्यकता	निकासी	आवश्यकता	निकासी
स्नातक	29,000	26,000	51,000	51,000	80,000	80,000
डिप्लोमाधारी	56,000	32,000	1,00,000	82,000	1,25,000	1,27000

डिप्लोमाधारियों की कमी, जो कि दूसरी योजना में काफी थी, तीसरी योजना में भी पूर्णतः पूरी नहीं की जा सकेगी। इस दृष्टि से और बड़े औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता-सम्बन्धी विस्तृत सूचनाओं के आधार पर, जिनके कार्यक्रमों के तैयार होने तक उपलब्ध होने की आशा है, वर्तमान योजनाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। चौथी योजना के लिए अनुमान अस्थायी हैं, और इन पर दूसरे अध्याय में निर्दिष्ट

*रासायनिक आपरेटरों के प्रशिक्षण-केन्द्रों में मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के रूप में डिप्लोमा-स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

†इसमें चीनी, जूट और चमड़ा-टेक्नोलालिस्ट; वास्तुशिल्पी और नगर-आयोजक, मोटर, विमान, नौकानयन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई तथा कृषि-इंजीनियरी से सम्बद्ध कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

दीर्घकालीन आर्थिक विकास की सम्भावनाओ के सन्दर्भ मे अधिक विस्तार से विचार किया जाएगा ।

10 शिल्पी : तीसरी योजना की अवधि मे 13 लाख शिल्पियो की आवश्यकता का अनुमान है । इनमे से 8,10,000 की आवश्यकता इजीनियरी से सम्बद्ध व्यवसायो में और शेष की इजीनियरी से भिन्न व्यवसायो में होगी । अनेक उद्योगो तथा रेलवे, डाक-तार, प्रतिरक्षा, आदि मन्त्रालयो के अधीन स्थापित उद्योगो के अपने प्रशिक्षण-कार्यक्रम है । एक बडी सख्या में कुशल और अर्द्धकुशल कर्मचारियो का प्रशिक्षण पिता से पुत्र को विरासत के रूप में प्राप्त होता चला आ रहा है । इस प्रकार, केन्द्रीय श्रम और नियोजन-मन्त्रालय के सहयोग से राज्य-सरकारो-द्वारा सचालित केन्द्रो में सस्थागत प्रशिक्षण की सुविधाए बहुत कम लोगो के लिए आवश्यक है । औद्योगिक प्रशिक्षण-सस्थाओ और केन्द्रो की सख्या, जो सन् 1955-56 में केवल 59 थी, सन् 1960-61 में बढ कर 167 हो गई, तीसरी योजना में ऐसे 151 नए केन्द्र खोलने की व्यवस्था है । इनमें सन् 1955-56 में 10,500 व्यक्तियो को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी । दूसरी योजना के अन्त मे यह सख्या बढ कर 42,000 हो गई । तीसरी योजना में इस क्षमता को 1,00,000 तक बढाने का विचार है । सरकार के आशिक सहयोग से उद्योगो को स्वैच्छिक आधार पर शिष्यता-प्रशिक्षण की जिस योजना पर अमल करना था, उसमें दूसरी योजना की अवधि में कोई विशेष प्रगति नही हो सकी । शिष्यता से प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए शीघ्र ही एक कानून बनाया जाएगा । श्रमिको के लिए सायकालीन वर्गो के कार्यक्रम को भी शुरू किया जाएगा ।

11 सेवाधीन व्यक्तियो का प्रशिक्षण-कार्यक्रम : दूसरी योजना की अवधि मे सरकारी और निजी, दोनो ही प्रकार के सगठनो-द्वारा अपने सेवारत कर्मचारियो को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमो को लागू किया गया । इन्हें और अधिक बढाया जाएगा । इस प्रकार बडे औद्योगिक सगठनो ने अपने ही प्रशिक्षण-विद्यालय स्थापित कर दिए है । कुछ ने तो शिष्यता-प्रशिक्षण की भी सुविधाए प्रदान की हैं । उच्च स्तर के कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ, परमाणु-शक्ति-आयोग, सिंचाई और बिजली-मन्त्रालय, मौसम-विभाग तथा कुछ अन्य विभागो ने विशेष सुविधाओ की व्यवस्था की है ।

12 वैज्ञानिक कर्मचारी : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियो के राष्ट्रीय रजिस्टर में 1,06,000 व्यक्तियो के नाम दर्ज है, जिनमें विदेश-स्थित 5,000 भारतीयो के नाम शामिल हैं । परिषद् में दर्ज इन नामो में से 33,000 विज्ञान के विषयो में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी या कृषि में स्नातक है, और 66,000 डिग्री और डिप्लोमा-स्तर के इजीनियर या टैक्नोलाजिस्ट हैं । शेष ने चिकित्सा-व्यवसाय मे विशेषता प्राप्त की है । अनुमान है कि देश में कुल जितने वैज्ञानिक है, उनमे से केवल 80 प्रतिशत के ही नाम राष्ट्रीय रजिस्टर मे दर्ज है । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्-द्वारा अत्यधिक योग्यता-प्राप्त वैज्ञानिको और दूसरो को—विशेषत ऐसे व्यक्तियो को, जो विदेशो से लौटते है—अस्थायी तौर पर नियुक्त करने के लिए गत तीन वर्षों से जो 'वैज्ञानिक-समुच्चय' स्थापित किया है, उससे अब तक 653 वैज्ञानिको और टैक्नोलाजिस्टो के चुनाव में सहायता मिली है। अगले पृष्ठ की तालिका में भारत में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी वैज्ञानिको का विवरण दिया गया है ।

तालिका-संख्या 4

अनुमानित अतिरिक्त वैज्ञानिक कर्मचारी

	सन् 1955 में काम में लगे लोगों की कुल संख्या	दूसरी योजना में अतिरिक्त कर्मचारी
गणित और अंक-संकलन	5,700	6,300
भौतिकशास्त्र	4,600	2,200
रसायनशास्त्र	7,300	1,700
वनस्पतिशास्त्र	2,100	1,400
प्राणिशास्त्र	2,300	1,400
भूगर्भशास्त्र	1,300	1,200
योग	23,300	14,200

13 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय-स्तर पर वैज्ञानिक शिक्षा की व्यापक सुविधाएं प्रदान करके ही वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए चिरस्थायी आधार तैयार किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों की मांग विभिन्न क्षेत्रों से होती है—जैसे, विज्ञान के अध्यापक, संरक्षण-इंजीनियर, अनुसन्धानकर्त्ता, वैज्ञानिक, आदि। तीसरी योजना की अवधि में कालेजों में जिन 27,000 अध्यापकों की आवश्यकता होगी, उनमें से 17,000 वैज्ञानिक होंगे। विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा की सुविधाओं में कितनी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसकी एक झांकी नीचे की तालिका में मिलेगी :

तालिका-संख्या 5

विज्ञान की शिक्षा के लिए सुविधाएं : प्रविष्ट छात्रों की संख्या

डिग्री	1950-51	1955-56	1960-61
बी० एस-सी०	32,600	52,300	84,000
एम० एस-सी०	3,800	6,500	11,300
विज्ञान के पी-एच० डी०	630	1,120	2,000
योग	37,030	59,920	97,300

तीसरी योजना के अन्त तक कुल 21,800 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 9,500 में ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान के विषय की सुविधा हो जाएगी और विश्वविद्यालय-स्तर पर कुल 4,00,000 छात्रों में से 2,30,000 को विज्ञान की श्रेणियों में अतिरिक्त भर्ती की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

तीसरी योजना की अवधि में आधारभूत और प्रायोगिक अनुसन्धान के लिए वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं और अन्य क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति के बारे में निरन्तर विचार होते रहना चाहिए तथा इस प्रकार के अनुमानों के प्रकाश में सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए।

(3)
कृषि और ग्रामीण विकास

14 तीसरी योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास-कार्यक्रमों का यह तकाजा है कि कर्मचारियों की सख्या में बहुत अधिक वृद्धि होनी चाहिए। दूसरी योजना में आवश्यक प्रशिक्षण-सुविधाओं को एक पर्याप्त सीमा तक बढ़ाया गया था, ताकि अधिकाश क्षेत्रों में इस समय जो सम्भावित माग है, उसे वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं में थोड़ी-सी वृद्धि करके ही पूरा किया जा सके। फिर भी, योजना के आगे बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की कुल माग में वृद्धि होने की सम्भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। नीचे दी गई तालिका-सख्या 6 और 7 में यह दिखाया गया है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार तीसरी और चौथी योजना की अवधि में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तथा तीसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण-सुविधाओं के विस्तार का क्या कार्यक्रम है

तालिका-सख्या 6

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो में कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकताएं

	सन् 1960-61 में काम में लगे लोगों की कुल संख्या	तीसरी योजना में अतिरिक्त आवश्यकताए	चौथी योजना में अतिरिक्त आवश्यकताए
कृषि-विज्ञान के स्नातक	14,000	20,000	30,000
पशुचिकित्सा-विज्ञान के स्नातक	5,000	6,800	7,000
दुग्ध-टेक्नोलाजिस्ट			
डिग्री	52	625	1,150
डिप्लोमा	308	975	1,150
वन-विज्ञान			
वन-अधिकारी	1,100	180	600
वन-रक्षक (रेंजर)	3,000	1,520	1,900
मछली-उद्योग			
प्रशासनिक और सांख्यिकी-कर्मचारी	160	1,175	2,[illegible]10
इजीनियर	150	240	
मछली पकड़ने की नौकाओं के कर्मचारी	120	250	
तटवर्ती तकनीकी कर्मचारी	50	170	

तालिका-सख्या 7

तीसरी योजना में अतिरिक्त प्रशिक्षण-सुविधाएं

	सन् 1960-61			सन् 1965-66		
	संस्थाएं	भर्ती	निकासी	संस्थाएं	भर्ती	निकासी
कृषि-कालेज	53	1,600	2,300	57	6,200	[illegible]
पशुचिकित्सा-कालेज	17	1,300	1,200	[illegible]	[illegible]	1,550
दुग्ध-टेक्नोलोजी-संस्थाए	5	110	100	7	17[illegible]	[illegible]
मात्स्यिकी-संस्थान	-	50	50	3	[illegible]	75

15 कृषि तीसरी योजना में 4 नए कृषि-कालेजो की स्थापना के अतिरिक्त 5 वर्तमान कालेजो में भी कृषि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएगे। महाराष्ट्र के मजरी नामक स्थान में स्थापित कृषि-व्यवसाय-विद्यालय के ढग पर किसानो के लडको को प्रशिक्षण देने के लिए 50 नई सस्थाए खोली जाएगी। दूसरी योजना की अवधि मे उत्तरप्रदेश में एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अन्य नए कृषि-विश्व-विद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावो पर विचार किया जा रहा है। कृषि-विश्वविद्यालयो का लक्ष्य सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रों—यथा, कृषि, पशुपालन, पशुचिकित्सा-विज्ञान, दूध-उद्योग, आधारभूत विज्ञान और मानव-समाज-शास्त्र—के अध्ययन तथा अनुसन्धान और विस्तार-कार्य-सहित समन्वित अध्यापन को परस्पर-सम्बद्ध करना है। कृषि-कालेजो के लिए बडी सख्या में योग्य अध्यापको की उपलब्धि के लिए कुछ चुनी हुई सस्थाओ में प्रशिक्षण-विभाग खोलने का प्रस्ताव है। वरिष्ठ और मध्यम वर्ग के कृषि-कर्मचारियो के लिए भी एक कर्मचारी-कालेज स्थापित किया जाएगा। तीसरी योजना की अवधि में स्नातकोत्तर फेलोशिप का भी विस्तार किया जाएगा।

16 पशुपालन और पशुचिकित्सा-विज्ञान इज्ज़तनगर में पशुचिकित्सा-विज्ञान के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की सुविधाए बढाई जाएगी। पशुपालन में विस्तार-पद्धतियो का प्रशिक्षण देने के लिए सभी पशुचिकित्सा-कालेजो के साथ विस्तार-विभाग सम्बद्ध किए जाएगे, जिनमें पशु-प्रदर्शन-फार्मों के सम्बन्ध में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था होगी।

17 दूध-उद्योग दूध-उद्योग एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, जिसमें इस समय बहुत कम सख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध है। डिप्लोमा-स्तर की प्रशिक्षण-सुविधाए आनन्द बगलोर, बम्बई, करनाल और नैनी में उपलब्ध है। इन सुविधाओ को पश्चिम-बगाल के हरिणघाट नामक स्थान में भी उपलब्ध किया जाएगा। आनन्द-स्थित कृषि-अनुसन्धान-सस्था को पूर्ण डिग्री-कालेज का रूप दिया जाएगा। करनाल-स्थित केन्द्रीय दूध-कालेज में दूध-टेक्नोलाजिस्टो को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय दूध-अनुसन्धानशाला में सेवाधीन कर्मचारियो के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण-कार्यक्रम, दूध-विज्ञान में एम० एस-सी०-डिग्री तथा विशेष प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रमो की भी व्यवस्था की जाएगी।

18 वन-विज्ञान हाल के वर्षों में देहरादून में वन-अधिकारियो और देहरादून तथा कोयमुत्तूर में वन-रक्षको (रेंजरो) को प्रशिक्षण देने की सुविधाओ में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तीसरी योजना के कार्यक्रमो के कारण बढी हुई माग को पूरा करने की दृष्टि से वर्तमान सस्थाओ में प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढाया जाएगा।

19 मछली-उद्योग तीसरी योजना की अवधि में मछली-उद्योग के विभिन्न पहलुओ का, जिनमें विस्तार, अक-सकलन और हाट-व्यवस्था भी सम्मिलित है, प्रशिक्षण देने के लिए बम्बई में एक केन्द्रीय मछली-विज्ञान-शिक्षण-सस्था की स्थापना की जाएगी। कोचीन में एक मत्स्योद्योग-सचालन-सस्था की भी स्थापना की जाएगी। कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय स्थलीय मत्स्योद्योग-सस्था तथा मडपम्-स्थित समुद्री मत्स्योद्योग-सस्थाओ को विकसित किया जाएगा।

20 भू-सरक्षण तीसरी योजना में भू-सरक्षण के लिए जो विशाल कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उनको देखते हुए वर्तमान प्रशिक्षण-सुविधाओ को विशेष रूप से विस्तार-

कर्मचारियो और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओ के लिए पर्याप्त सुदृढ करना होगा। योजना में इस समय देहरादून के प्रशिक्षण-केन्द्र की भर्ती की क्षमता को दुगुना कर 30 से 60 तथा कोटा, हजारीबाग, उदकमंडलम और बरेली के अनुसन्धान-प्रशिक्षण-केन्द्रो की भर्ती-क्षमता को 240 से बढा कर 400 तक करने की व्यवस्था है। कुछ कृषि-कालेजो मे भी भू-सरक्षण मे प्रशिक्षण देने की योजना है।

21 सामुदायिक विकास अक्तूबर 1963 तक सामुदायिक विकास-कार्यक्रम सारे देश में लागू हो जाएगा। कुल 5,000 विकास-खडो में से इस समय कार्यक्रम के अधीन सेवित विकास-खडो की सख्या 3,100 है। दूसरी योजना में विभिन्न श्रेणियो के कर्मचारियो की सख्या में कमी को देखते हुए, तीसरी योजना के लिए कर्मचारियो की आवश्यकताओ का अनुमान इस प्रकार है

तालिका-संख्या 8

सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो के लिए कर्मचारियो की अनुमित अतिरिक्त आवश्यकताएं*

	संख्या
ग्रामसेवक	21,689
ग्रामसेविका	7,869
विस्तार-अधिकारी	
कृषि	2,081
सहकारिता	2,648
पशुपालन	3,494
ग्रामोद्योग	3 712
पंचायत	3,677
ओवरसियर	2,915
समाज-शिक्षा-सगठनकर्ता	
पुरुष	1,868
महिलाए	3,741

पचायती राज लागू होने के कारण प्रशिक्षण-सस्थाओ, प्रशिक्षण-शिविरो, गोष्ठियो, आदि में गैर-अधिकारियो के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओ को विस्तृत किया जा रहा है।

22 सहकारिता दूसरी योजना की अवधि में सहकारिता मे प्रशिक्षण-विषयक सुविधाओ में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। सन् 1960 में सहकारिता के कनिष्ठ कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए 62 और मध्यम वर्ग के कर्मचारियो के लिए 13 सस्थाए थी। साथ ही वरिष्ठ कर्मचारियो के लिए पूना मे एक कालेज था। सहकारिता-आन्दोलन में गैर-अधिकारियो को, जिनमें पदाधिकारी और सहकारी समितियो के सदस्य भी है, प्रशिक्षण देने के लिए अखिल भारतीय सहकारी सघ ने 368 प्रशिक्षण-इकाइया स्थापित की। तीसरी योजना के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रमो पर सहकारिता के अध्याय में प्रकाश डाला गया है।

* खंड-विकास-अधिकारियो और स्वास्थ्य-कर्मचारियो के अलावा

(4)
शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज-कल्याण

23 शिक्षा तीसरी योजना के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में 61 प्रतिशत की, माध्यमिक विद्यालयों में 81 प्रतिशत की और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 40 प्रतिशत की वृद्धि सम्मावित है। इन कार्यक्रम के पूरा होने पर इनमें से प्रत्येक वर्ग के प्रशिक्षित अध्यापकों का अनुपात 75 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसीलिए औपचारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं को प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रमों और सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था-द्वारा बढ़ाया जा रहा है।

24 दूसरी योजना की सम्पूर्ण अवधि में विज्ञान और शिल्प के अध्यापकों की काफी कमी रही। तीसरी योजना में विज्ञान एवं अन्य विशिष्ट विषयों में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के विशेष उद्देश्य से चार प्रादेशिक कालेज स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों और कालेजों में भी विज्ञान के अध्यापकों की काफी मांग रहेगी। यह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना की अवधि में आवश्यक अतिरिक्त 27,000 अध्यापकों में से 17,000 विज्ञान के होंगे। इसी प्रकार, तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए भी इंजीनियरी-कालेजों और पोलिटेक्निकल स्कूलों के लिए 9,000 अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी। जब तक सामान्य प्रक्रिया में पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध नहीं होते, तब तक के लिए अध्यापकों की कमी को पूरा करने के हेतु अनेक आपात-कालीन और अल्पकालीन कदम उठाए गए हैं। फिर भी, तीसरी योजना में इस दिशा में कठिनाई बनी हुई है और कुछ क्षेत्रों में अंशकालीन और अन्य पेशों के कर्मचारियों का अधिक उपयोग किया जा सकता है।

25 दूसरी योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थाओं और केन्द्रों के लिए शिल्प के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार हुआ है। इस समय 4 केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थाएं हैं, जिनमें 550 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इन संस्थाओं की भर्ती की क्षमता 1,000 तक बढ़ाई जाएगी तथा उसके साथ ही तीन नई संस्थाएं भी खोली जाएंगी, जिससे कुल क्षमता बढ़ कर 1,800 हो जाएगी। योजना की अवधि में इन संस्थाओं से लगभग 8,000 लोग प्रशिक्षित होकर निकलेंगे।

26 स्वास्थ्य और चिकित्सा-कर्मचारी . तीसरी योजना के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा-कर्मचारियों—विशेषतः सहायक वर्ग के, तथा नर्सों, मिडवाइफों, स्वास्थ्य-निरीक्षकों—की आवश्यकता के अनुपात में कमी रहेगी। नीचे दी गई तालिका-संख्या 9 में तीसरी योजना में प्रशिक्षण-सुविधाओं में वृद्धि के प्रस्तावों तथा दूसरी योजना के अन्त की यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत किया गया है

तालिका-संख्या 9

स्वास्थ्य और चिकित्सा-कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएं

	सन् 1960-61			सन् 1965-66		
	संस्थाएं	भर्ती	निकासी	संस्थाएं	भर्ती	निकासी
डाक्टर . . .	57	5,800	3,200	75	8,000	4,830
नर्सें . . .	250	4,000	2,800	350	6,200	4,500

तालिका-संख्या 9—जारी

	सन् 1960-61			सन् 1965-66		
	संस्थाएं	भर्ती	निकासी	संस्थाएं	भर्ती	निकासी
सहायक नर्स-मिडवाइफें/ मिडवाइफें	420	5,200	4,000	550	9,100	7,000
स्वास्थ्य-निरीक्षक	30	650	375	50	850	500
सफाई-निरीक्षक	28	2,250	2,250	38	2,850	2,850
औषधि-निर्माणविज्ञ	10	550	480	15	1,450	1,270

ऊपर बताए गए कार्यक्रमों के अतिरिक्त योजना में दन्त-चिकित्सा-कालेजों में छात्रों की भर्ती की क्षमता प्रति वर्ष 280 से बढ़ा कर 400 करने की व्यवस्था की गई है। चार नए दन्त-चिकित्सा-कालेज खोले जाएंगे और जो 10 संस्थाएं विद्यमान हैं, उनका विस्तार किया जाएगा। चिकित्सा-कालेजों में अध्यापकों की कमी की समस्या का यह तकाजा है कि स्नातकोत्तर शिक्षा का गति से विकास किया जाए और विभिन्न अल्पकालीन कदम उठाए जाएं। इस समय 2,000 अध्यापकों की कमी का अनुमान है, जिसके और भी बढ़ने की सम्भावना है।

27 **परिवार-आयोजन :** एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसके लिए अविलम्ब अतिरिक्त कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है, परिवार-आयोजन का है। परिवार-आयोजन-सम्बन्धी विद्यमान सेवाओं को और अधिक व्यापक क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों में जरूरी परिवार-आयोजन-सेवाओं की व्यवस्था की जाए। इसके लिए बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्त्ताओं की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, वे सम्भवतः अपर्याप्त होंगे, अतः इस सम्बन्ध में और अधिक विचार होना चाहिए।

28 **समाज-कल्याण :** सामुदायिक विकास-खंडों, आदिमजाति-विकास-खंडों और कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किए जा रहे कल्याण-कार्यक्रमों में प्रायः प्रशिक्षित महिलाओं की कमी रही है। महिलाओं और बच्चों में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, समाज-कल्याण-कार्य कुछ कठिनाइयों के बीच करना होगा तथा कार्यकर्त्ताओं को विशेष रूप से चुनना और प्रशिक्षण देना होगा। ग्रामसेविका, नर्स, स्वास्थ्य-निरीक्षक, अध्यापक और बाल-सेविका के धन्धों के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को आकृष्ट करने के लिए उनकी काम की स्थिति, निवास की व्यवस्था, परिवहन की सुविधा और महिला-मंडल- जैसे स्वैच्छिक संगठनों के साथ काम करने के अवसर, आदि के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए।

(5)

प्रशासन, अंक-संकलन और तकनीकी सहायता

29 **प्रशासनिक सेवाएं :** पिछले वर्षों में प्रशासन-सम्बन्धी कर्मचारियों की आवश्यकता में निरन्तर वृद्धि हुई है। अनिवार्य रूप से प्रत्येक योजना के कारण न केवल आवश्यक लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए, बल्कि प्रशासनिक तथा तकनीकी सेवाओं पर

भी भार और उत्तरदायित्व बढ़ना चाहिए। गत दशाब्दी में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकृत संख्या 1,200 से बढ़ कर 2,000 हो गई है। तीसरी योजना में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुल अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान 400 है। राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में काफी वृद्धि होने की आशा है। इनका उत्तरदायित्व पहले ही बढ़ गया है तथा पंचायती राज-संस्थाओं के विकास के साथ इसमें और अधिक वृद्धि होगी। इस समय राज्यों के विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण और अधीक्षण की वर्तमान व्यवस्थाओं की और उन अन्य पहलुओं की समीक्षा की जा रही है, जिन पर बहुत हद तक प्रशासनिक कर्मचारियों की योग्यता निर्भर करती है।

30 मसूरी की राष्ट्रीय प्रशासन-अकादेमी, हैदराबाद के प्रशासनिक कर्मचारी-कालज और दिल्ली के भारतीय सार्वजनिक सेवा-संस्थान में प्रशासकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। कुछ राज्य-सरकारों ने भी प्रशासनिक और कार्यपालन-सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए अपनी संस्थाएं स्थापित की हैं। राज्यों में विकास-कार्यों में लगे कर्मचारियों को सहायता देने के लिए प्रस्ताव है कि आर्थिक और सामाजिक आयोजन में प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक संस्थानों के लिए आवश्यक उच्च प्रबन्ध-सम्बन्धी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दो अखिल भारतीय प्रबन्ध-संस्थान स्थापित किए जाएं।

31 सांख्यिकी-कर्मचारी . अंक-संकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारियों की मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। दूसरी योजना की अवधि में अंक-संकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण-प्राप्त या उसका अनुभव रखनेवाले केन्द्र या राज्य-सरकारों के अधीन काम करनेवाले कर्मचारियों की संख्या 4,000 से बढ़ कर 10,000 हो गई है। तीसरी योजना के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान 6,000 है। निजी उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में भी इनकी मांग में वृद्धि होगी। कलकत्ता-स्थित भारतीय अंक-संकलन-संस्थान ने, जो संसद्-द्वारा सन् 1959 में पारित एक अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, अंक-संकलन में बी० एस-सी० की डिग्री के लिए 4 वर्ष का और एम० एस०-सी० की डिग्री के लिए 2 वर्ष का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। संस्था में इस पेशे से सम्बद्ध विशिष्ट पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर अनुसन्धान-डिग्री के लिए भी व्यवस्था है। केन्द्रीय अंक-संकलन-संगठन छात्रों को सरकारी अंक-संकलन-सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य-सरकारों में वरिष्ठ और मध्यवर्ती स्तरों पर काम करनेवाले सांख्यिकी-अधिकारियों को तथा कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कृषि-अंक-संकलन-संस्थान, अखिल भारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थान, स्वास्थ्य-मन्त्रालय और देहरादून का वन-अनुसन्धान-संस्थान प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं। राज्यों के अंक-संकलन-कार्यालय मध्यवर्ती और निम्न स्तरों के राज्यीय सांख्यिकी-अधिकारियों को—यथा, जिलों के सांख्यिकी-अधिकारियों, सामुदायिक विकास-खंडों के प्रगति सहायकों एवं अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों को—सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करते हैं।

32 तकनीकी सहायता : संयुक्त राष्ट्र-संघ, कोलम्बो-योजना, अमेरिका से हुए तकनीकी-सहयोग-समझौते तथा रूस, फ्रान्स, नीदरलैंड आदि देशों, विदेशी विश्वविद्यालयों

और प्रतिष्ठानो के साथ हुई प्रशिक्षण-विषयक व्यवस्थाओ से विविध प्रकार के विशिष्ट और उच्च अध्ययन के क्षेत्रो में प्रशिक्षण के बहुमूल्य अवसर उपलब्ध हुए है और हजारो भारतीयों ने इससे लाभ उठाया है। इसके प्रतिफल में भारत ने भी यथा-सम्भव अपनी प्रशिक्षण-सुविधाओ को अन्य देशो तक पहुचाने का प्रयत्न किया है। भारत ने अपने पास अन्य देशो से प्रशिक्षित व्यक्ति भेजने की आई मागो को भी पूरा करने का प्रयत्न किया है। विभिन्न सहायता-कार्यक्रमो के अधीन भारत को जो सुविधाए उपलब्ध हैं, उनका अधिकतम लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इस समय कर्मचारियो की जो सम्भावित कमी है, उसको बारीकी से समझा जाए, और प्रशिक्षार्थियो के चुनाव तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र का निश्चय तीसरी और चौथी योजनाओ की आवश्यकताओ के सावधानीपूर्ण अध्ययन के आधार पर किया जाए। इसके बदले में अपनी प्रशिक्षण-सुविधाओ को बढाने में और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओ के सेवा-वर्ग के निर्माण में अन्य देशो की मागो का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें आगामी वर्षों में विभिन्न क्षेत्रो में भारत से पूरा करने के लिए कहा जा सकता है।

अध्याय 12

प्राकृतिक साधन

(1)
प्रस्तावना

योजना-आयोग की विचारणीय सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए थे :

(1) देश के भौतिक, पूजी-सम्बन्धी और मानवीय साधनो—जिनमें तकनीकी कर्मचारी भी शामिल हैं—का अनुमान लगाना और यह देखना कि देश की जरूरतो के मुकाबले इनमें से जिस किसी की कमी हो, उसे बढाने की क्या सम्भावनाए हो सकती हैं, तथा

(2) देश के साधनो के सबसे अधिक ठोस और सन्तुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।

इसके अनुसार ही पहली पचवर्षीय योजना में, उस समय प्राप्त सूचनाओ के आधार पर देश के भूमि, पानी, खनिज और बिजली-सम्बन्धी साधनो का लेखा पेश किया गया। उसमें हर क्षेत्र की मुख्य समस्याओ की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया और भविष्य के लिए सर्वेक्षण एव जांच के कार्यक्रम निश्चित किए गए। उसमें इस तरह का सर्वेक्षण करानेवाले सगठनो को सुदृढ करने, उन्हें कर्मचारी और साज-सामान देने तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रमो का विस्तार करने के बारे में भी सुझाव दिए गए थे।

विगत कुछ वर्षों में प्राकृतिक साधनो के सर्वेक्षण और उपयोग-सम्बन्धी कार्य करनेवाले सगठनो—जैसे, भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्, केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मडल, भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-सस्था, तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग, भारतीय खान-सस्था, भारतीय सर्वेक्षण-सस्था, वन-अनुसन्धान-संस्था, परमाणु-शक्ति-आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् एव उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ—का प्रचुर विस्तार किया गया है और उन्होंने नए-नए सर्वेक्षण तथा जाच के कार्य आरम्भ किए हैं। इन सर्वेक्षणो के परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनो का पहले से अधिक ठोस मूल्याकन हो सका है तथा पिछली जानकारी में रह गई कमियो एव देश की आवश्यकताओ को देखते हुए इनमें से किस वस्तु की कितनी कमी है, इसकी जानकारी मिली है।

2 आयोजन का उद्देश्य सम्पूर्ण जनता का जीवन-स्तर ऊचा उठाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनो का वैज्ञानिक विधियों से विकास आवश्यक है। प्राकृतिक साधनो और सामग्री की बढती हुई माग के कारण औद्योगिक तरीके काम में लाए गए, जिनसे अनेक कमिया दूर हुई और प्राकृतिक साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगे। प्राकृतिक साधनो की माग और उपलब्धि में परिवर्तन लानेवाली इन गतिशील प्रवृत्तियों के कारण आवश्यक हो गया है कि इन साधनो की निरन्तर जाच-पडताल होती रहे तथा इनके सम्बन्ध में नीति निश्चित की जाए।

प्राकृतिक साधनो के सम्बन्ध में एक समन्वित रीति से काम किया जाना चाहिए और लम्बे समय तक उनकी आवश्यकता को देखते हुए उनकी जाच-पडताल एव उपयोग की योजनाए बनानी चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकास की गति निश्चित करने में इस तथ्य का बडा महत्वपूर्ण स्थान होता है कि आवश्यकता से पहले प्राकृतिक साधनो की कितनी जाच-पड़ताल हुई है तथा उनकी प्राप्ति की सम्भावनाए कहा तक निश्चित है।

3 तीसरी पचवर्षीय योजना के निर्माण के साथ वह स्थिति आ गई है, जब सुविचारित दीर्घकालीन योजनाओ की एक आवश्यक शर्त के रूप में इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि देश के मुख्य प्राकृतिक साधनो की जानकारी हमें कहा तक और किस रूप में प्राप्त है। यह देखना आवश्यक है कि कहा-कहा बडी कमिया है, इस दिशा में सर्वेक्षण की कहा-कहा जरूरत है तथा सिंचाई, बिजली, इस्पात, कोयला, तेल और खनिज पदार्थ, भूमि-उपयोग तथा वन-साधन बढाने के दीर्घव्यापी उद्देश्यो के सम्बन्ध में आगे क्या-क्या कदम उठाए जा सकते है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अगले 15 वर्षों में आबादी में 18 करोड 70 लाख की वृद्धि की सम्भावना है। श्रमिक-वर्ग में वृद्धि का अनुमान 7 करोड है, जिसमें से दो-तिहाई को कृषि-भिन्न क्षेत्रो में खपाना पडेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इस अवधि में आर्थिक विकास की गति तेज की जाए और उसे कायम रखा जाए। प्राकृतिक साधनो के कारण भारत की कृषि-सम्बन्धी और औद्योगिक उत्पादन की क्षमता बहुत है और अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में ऐसी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के लिए, जो आम जनता का जीवन-स्तर ऊचा कर सके और लाभप्रद रोजगार के अवसर भी बराबर देती रहे, प्राकृतिक साधनो का तेजी से विकास जरूरी है। समय पर राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति-आय के लक्ष्य पूरे करने के लिए, कृषि, सिंचाई और बिजली का विस्तार करने के लिए, तथा इस्पात, अल्युमीनियम, कोयला, तेल-शोधन, उर्वरक, सीमेंट एव अन्य वस्तुओ-सदृश उद्योग के लिए निश्चित अस्थायी लक्ष्य पूरे करने के लिए यह आवश्यक है कि काफी पहले देश के प्राकृतिक साधनों की किस्मो और मात्रा तथा उनके विकास के लिए जरूरी बातो पर भली प्रकार विचार किया जाए एव आवश्यक कदम उठाए जाए। सन्तुलित विकास के लिए देश के हर मुख्य प्रदेश में इनकी उपलब्धि, जरूरतो और सम्भावनाओ का अनुमान लगाना आवश्यक है।

4 सिंचाई, बिजली, वन, उद्योग, खनिज पदार्थ एव अन्य वस्तुओ-सम्बन्धी अध्यायों में उन दिशाओ की ओर ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया गया है, जिनमें देश के इन साधनो का पूरा पता लगाने और उनके अधिक तेज विकास के प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस अध्याय का उद्देश्य तीसरी और आगे आनेवाली योजनाओ के सन्दर्भ में प्राकृतिक साधनों का मूल्याकन करना और आबादी में वृद्धि तथा सघन एव बडे पैमाने पर उद्योगीकरण के साथ उनके सम्बन्धो का सक्षेप में विवेचन करना है।

अभी हाल में योजना-आयोग में प्राकृतिक साधनो के लिए एक अलग इकाई बनाई गई है, जो प्राकृतिक साधनो के मूल्याकन एव विकास की समस्याओ का अध्ययन करेगी, तेजी से बढती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओ के अनुसार सर्वेक्षण एव जाच के कार्य में सलग्न विभिन्न सस्थाओ के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी तथा आम तौर पर, विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्रो में एक समान नीति निर्धारित करने में सहायता देगी। काम बढने के साथ-साथ इस इकाई का भी विस्तार किया जाएगा। अन्य सस्थाओ के सहयोग से आशा की जाती है

कि प्राकृतिक साधनो के निरन्तर अध्ययन का समन्वित कार्य शुरू हो सकेगा, विशेष रूप से दीर्घकालीन विकास के दृष्टिकोण से, और इस अध्ययन के परिणामो को अमल में लाने के लिए उचित नीति तथा तरीके वताए जा सकेंगे। इन वातो को ध्यान में रखते हुए हाल के कार्यों की सक्षिप्त समीक्षा की जा सकती है और भूमि, पानी, खनिज पदार्थ, बिजली एव अन्य साधनो के विकास के सम्बन्ध में आगे आनेवाली समस्याओ पर विचार किया जा सकता है।

(2)
भूमि-साधन

5 भूमि ही देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्ति है—यही कृषि-उत्पादन का आधार है। आवादी बढती है, परन्तु भूमि का क्षेत्र तो निश्चित है, फिर उसमें से कभी केवल एक भाग ही कृषि के लिए उपलब्ध है। वस्तुत इस समस्या के अनेक पहलुओं पर विचार करना होगा। सिंचाई और कृषि-विस्तार के अन्य तरीको से भूमि की उत्पादन-शक्ति को काफी बढाया जा सकता है। यह अनुमान लगाना आवश्यक है कि आज बेकार पड़ी हुई कितनी भूमि कृषि के काम में लाई जा सकती है। आवादी बढ़ने के साथ-साथ यह भी जरूरी हो जाता है कि कृषि की कुछ जमीन लेकर उस पर रहने के लिए मकान बनवाए जाए। रेडियो, रेलवे, हवाई सेवाए, आदि-जैसे सचार-साधनो के विकास में भी उर्वर भूमि का उपयोग करना पडता है। गाव तेजी से शहरो में बदलते जा रहे हैं और बडे शहर बढते जा रहे हैं—इस कारण भी उद्यानो और खुले मैदानो के लिए जमीन की जरूरत पडती है। सिंचाई के लिए बननेवाले बाध भी उर्वर भूमि से होकर गुजर सकते हैं। औद्योगिक कारखानो तथा अन्य सस्थाओ को भी जमीन की काफी जरूरत पड़ती है। इन सभी विकास-कार्यों में, जहा कही सम्भव हो, उपजाऊ भूमि को बचाने के प्रयत्न होने चाहिए। इसके लिए भूमि की पूरी जानकारी देनेवाली एक सूची बना लेनी चाहिए और भूमि के वर्गीकरण में सावधानी रखनी चाहिए। उसके उपयोग पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए।

6 भूमि का उपयोग : देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 80 करोड 60 लाख एकड है, जिसमें से काम-योग्य क्षेत्र 72 करोड़ 10 लाख एकड़ तथा खेती-वाला क्षेत्र 31 करोड़ 80 लाख एकड़ है। नीचे की तालिका में भूमि-उपयोग का वर्तमान स्वरूप तथा तीसरी योजना के अन्त के लिए परिकल्पित स्वरूप की मुख्य बातें प्रस्तुत की गई है -

तालिका-संख्या 1

सन् 1965-66 में भूमि का उपयोग

(क्षेत्रफल लाख एकड में)

	1955-56	1960-61	1965-66
कुल काम-योग्य क्षेत्र	7,200	7,210	7,210
वन	1,256	1,310	1,320
विभिन्न वृक्षो और झाड़ियो का क्षेत्र	139	140	150
स्थायी चरागाह और घास के अन्य क्षेत्र ..	284	320	320

तालिका-संख्या 1—जारी

	1955-56	1960-61	1965-66
सुधार-योग्य बेकार भूमि	548	470	400
बंजर तथा कृषि-भिन्न कार्यों में प्रयुक्त होनेवाली भूमि	1,187	1,140	1,140
बेकार भूमि (चालू बेकार भूमि के अलावा)	309	280	260
चालू बेकार भूमि	295	280	255
खेतीवाला क्षेत्र (शुद्ध)	3,182	3,270	3,350
एक से अधिक बार बुवाई का क्षेत्र	444	515	670
कुल खेतीवाला क्षेत्र	3,626	3,785	4,020

भारत में प्रति व्यक्ति-खेती-योग्य भूमि की उपलब्धता 0.82 एकड़ है, जब कि ब्रिटेन में 0.42, जर्मनी में 0.48, जापान में 0.17, चीन में 0.50, अमेरिका में 2.68 तथा रूस में 2.59 एकड़ है।

7. **मिट्टी का सर्वेक्षण :** अभी हाल तक देश के विभिन्न भागों में पाई जानेवाली मिट्टी के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त नहीं थी, साथ ही, सर्वेक्षण के लिए आवश्यक संगठन भी स्थापित नहीं किए गए थे। मिट्टी-विषयक साधनों की जानकारी से ही, जिसमें मिट्टी का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण भी सम्मिलित है, उनकी क्षमता के निश्चय तथा उनके सुधार और भूमि-उपयोग की सीमाओं के आकलन के लिए उचित आधार मिल सकता है। मिट्टी के सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी का वर्गीकरण करना, उनके भेद जानना तथा उनकी बनावट, आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना एवं मानदंड स्थिर करने के लिए उस जानकारी का समन्वय करना है। इन सर्वेक्षणों की सहायता से भूमि के बेहतर उपयोग की योजनाएं तैयार हो सकती हैं तथा भूमि-संरक्षण, सिंचाई और नाले बनाने के कार्य का भी समुचित रूप से आयोजन किया जा सकता है। सन् 1955 में भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था में अखिल भारतीय मिट्टी-सर्वेक्षण-योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसका उद्देश्य मिट्टी की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल कर देश के अन्य भागों में पाई जानेवाली मिट्टी से उसका परस्पर तालमेल बैठाना था। मिट्टी का तालमेल बैठाने के काम में मिट्टी के एक समान वर्गीकरण तथा बनावट के नियमादि तय करने पड़ते हैं और मिट्टी-सम्बन्धी नक्शे एवं सर्वेक्षण की रिपोर्टें तैयार करनी पड़ती हैं। मिट्टी-सर्वेक्षण के क्षेत्र में राज्य-सरकारों को कृषि, वन, सिंचाई, नाला-निर्माण, मिट्टी की रक्षा, आदि सम्बद्ध पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। चूंकि सभी राज्यों की मिट्टी सम्बन्धी समस्याएं समान हैं और अनेक राज्यों में सर्वेक्षण-सम्बन्धी संगठन नहीं है, इसलिए मिट्टी-सम्बन्धी कार्य का समन्वय करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि चार मुख्य मिट्टी-वर्गों के लिए प्रादेशिक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। ये वर्ग इस प्रकार हैं (1) नदियों के पानी में बह कर आनेवाली मिट्टी—दिल्ली, (2) काली मिट्टी—पूना (अब नागपुर), (3) लाल तथा लेटराइट मिट्टी-प्रदेश 1—खड़गपुर (अब कलकत्ता), और (4) लाल तथा लेटराइट मिट्टी-प्रदेश 2—बंगलोर। तीन वर्ष बाद यह योजना केन्द्रीय भूमि-संरक्षण-मंडल की मिट्टी एवं भूमि-उपयोग-योजना के साथ मिला दी गई। मंडल की योजना 6 मुख्य नदी-

घाटी-योजनाओ—मचकुड, हीराकुड, चम्बल, भाखडा-नगल, कोसी और दामोदर—के ग्राहक क्षेत्र में मिट्टी तथा भूमि-उपयोग-सर्वेक्षण के लिए बनाई गई थी, जिसका कार्यक्षेत्र कुल 78 हजार वर्गमील में था। ग्राहक क्षेत्रो में सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि को गुणो की दृष्टि से वर्गों मे बाटना है, ताकि भू-क्षरण कम करने, उत्तम किस्म की मिट्टीवाली जमीन को खेती के लिए निश्चित करने, नीचे बैठ जानेवाली मिट्टी को जलाशयो में बह जाने से रोक कर जलाशयों की आयु बढाने आदि के लिए भूमि-सरक्षण के उपाय अपनाए जा सकें। ग्राहक क्षेत्रो में मिट्टी-सरक्षण-कार्य के लिए कृषि-भूमि-सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्य क्षेत्रो में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करना आवश्यक है। कुल सर्वेक्षण-योग्य क्षेत्र 5 लाख वर्गमील है। सन् 1961 के आरम्भ तक इस अखिल भारतीय योजना के अन्तर्गत 18 हजार वर्गमील-क्षेत्र में विस्तृत और प्रारम्भिक सर्वेक्षण किए जा चुके थे। इस क्षेत्र में से 3 हजार वर्गमील-क्षेत्र नदी-घाटी-योजनाओ के ग्राहक क्षेत्र में आता है। राज्यो के भूमि-सर्वेक्षण-सगठनो ने 50 हजार वर्गमील-क्षेत्र में कार्य किया है। अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी योजना की अवधि में 23 हजार वर्गमील-क्षेत्र के सर्वेक्षण की व्यवस्था है।

8 बेकार पडी भूमि का सर्वेक्षण : बेकार पडी भूमि को खेती के काम में लाकर, एक फसलवाली जमीन पर दोहरी फसल उगा कर और सघन खेती के अन्य उपाय अपना कर कृषि-उत्पादन बढाया जा सकता है। दोहरी फसल के कुल क्षेत्र में काफी वृद्धि की गुजायश है। आशा है कि दोहरी फसल का क्षेत्र, जो सन् 1960-61 में 5 करोड 20 लाख एकड था, सन् 1965-66 तक बढ कर 6 करोड 70 लाख एकड़ हो जाएगा। सन् 1955-56 के भूमि-उपयोग-विषयक आकडो के अनुसार, खेती की जा सकने-योग्य परन्तु बेकार पडी जमीन 5 करोड 50 लाख एकड थी। जून 1959 में भारत-सरकार ने एक समिति बनाई जिसे 'बेकार भूमि के अतिरिक्त खेती के काम न आनेवाली भूमि' तथा 'चालू बेकार भूमि के अतिरिक्त बेकार भूमि' का सर्वेक्षण करने तथा उन प्रदेशो का पता लगाने का काम सौंपा गया, जहा भूमि के बडे-बडे टुकडे खेती-योग्य बनाने तथा बसाने के काम में लाए जा सकते हैं। समिति ने 7 राज्यों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। इन राज्यो में खेती-योग्य बेकार भूमि—कम-से-कम 250 एकड के टुकड़े—लगभग दस लाख एकड है। बेकार भूमि के सम्बन्ध में समिति को जो जानकारी मिली है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी, कुल मिला कर वर्तमान जानकारी पूर्णत. निर्भर करने-योग्य नही है, क्योंकि खेती-योग्य बेकार भूमि खेती के काम में आ जाने के बहुत बाद तक राजस्व-खातो में उसी रूप में दिखाई गई है। समिति की राय में 'खेती-योग्य बेकार' शीर्षक से भूमि की जानकारी प्राप्त कर लेना ही काफी नही है, आवश्यकता इस बात की है कि हर राज्य में बेकार भूमि की किस्म, उसके स्वामित्व, बडे टुकडो में उसकी उपलब्धता तथा उसे खेती-योग्य बनाने के खर्च, आदि की पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। समिति ने सिफारिश की है कि इस काम के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण तेजी से किए जाए।

9 साराश यह कि भूमि-साधनो के बारे में उपलब्ध जानकारी अभी अधूरी है। तेजी से काम पूरा करने के लिए हवाई चित्रों की सहायता लेना आवश्यक है तथा भावी योजनाए बनाने के लिए भूमि के उपयोग, भूमि-सुधार, जलमग्न, नमक एव क्षार-वाली भूमि को खेती-योग्य बनाने तथा उत्पादक शक्ति के सम्बन्ध में पूरी जानकारी व्यवस्थित रीति से एकत्र की जानी चाहिए।

(3)
वन-साधन

10 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (12 6 लाख वर्गमील) में से 2 74 लाख वर्गमील अथवा लगभग 21 8 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। जलवायु, ऊंचाई, आदि में अन्तर होने के कारण भारत के वनो में गर्म से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्रो तक में पाई जानेवाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतिया उपलब्ध हैं। वनो का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है

तालिका-संख्या 2
वनों का वर्गीकरण

			प्रतिशत
समशीतोष्ण क्षेत्र के वन			
जयली फलवाले		..	3
चौड़े पत्तोवाले	..	.	4
गर्म क्षेत्र के वन			
मौसमी	..	..	80
सदाबहार	.	..	12
अन्य		.	1

11 देश के वनो की उत्पादकता काफी हद तक बढाई जा सकती है। वन प्रकृति की ऐसी देन हैं, जिसका नवीकरण बराबर किया जा सकता है और यदि समुचित देखभाल की जाए, तो चिरकाल तक उत्पादन जारी रखा जा सकता है। देश में इमारती लकडी, जलाने की लकडी, दवाओ के लिए जडी-बूटियो, पशुओ के चारे तथा कागज-उद्योग के लिए कच्चे माल की बहुत कमी है।

12 औद्योगिक विकास के लिए लकडी और वनो की अन्य वस्तुए एक आवश्यक कच्चा माल है। विगत वर्षों में देश के वन-साधनो का कभी भी समुचित अनुमान नही लगाया गया और कागज या लुगदी, प्लाईवुड, अन्य वनस्पतिजन्य पदार्थ आदि प्रचुर मात्रा में आयात किए जाते रहे। देश में ऐसे उद्योगो का विकास करने के लिए इस तरह की कच्ची सामग्रियो के बारे मे जाच-पडताल करना बहुत महत्वपूर्ण है। देश में उद्योगो के काम आनेवाली लकडी की खपत प्रति व्यक्ति 0 6 घनफुट वार्षिक है, जब कि फ्रास में यह परिमाण 16 घनफुट और जापान मे 12 4 घनफुट है। भारत को इस समय 45 लाख टन औद्योगिक लकडी की जरूरत है। अनुमान है कि यह मात्रा सन् 1975 तक 90 लाख टन हो जाएगी। जलानेवाली लकडी की माग सन् 1975 तक 10 करोड टन होने का अनुमान है।

13. यह आवश्यक है कि सघन विकास-योजनाओ के द्वारा, जिनमें अधिक उत्पादक क्षेत्रो का चुनाव, तेजी से बढनेवाले पौधों का रोपण, लकडी के काम के सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग तथा सचार-साधनो का विकास शामिल है, एवं आम तौर पर वनो के विकास को आगामी वर्षो में हाथ में ली जानेवाली विशिष्ट औद्योगिक विकास-योजनाओ से जोड कर वर्ष-प्रति-वर्ष उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की जाए। औद्योगिक लकडी की माग और आपूर्ति अभी लगभग सन्तुलित होने पर भी, यदि इस ओर विशेष कदम नही उठाए गए, तो आगामी

10-15 वर्षो में इसकी भारी कमी पड़ जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि उत्पादन बढाया जाए, पहाडी प्रदेशो में वनो का विस्तार किया जाए, नीची किस्म की लकड़ी का उचित उपयोग हो, जलानेवाली लकडी के प्रयोग में कमी की जाए और विशेष उद्योगो को ध्यान में रखते हुए वन-साधनो का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया जाए। वनो की भूमि के सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है, ताकि अत्यधिक कटाववाली भूमि का पता लग सके और यह मालूम पड सके कि स्वय ही सुधर जानेवाली जमीन कितनी है और कितनी भूमि ऐसी है, जहा वन-रोपण करना जरूरी है। मध्य और दक्षिण-भारत के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐसे प्राकृतिक वन है, जहा के वृक्षो की लकड़ी केवल जलाने के ही काम आ सकती है। इन क्षेत्रो में मूल्यवान वन लगाए जा सकते है। दुर्गम इलाकों के वन-साधनो के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है।

(4)

जल-साधन

14 जल-साधनो को दो भागो में बाटा जा सकता है . भू-स्तरीय जल और भूगर्भ-जल। सिंचाई, बाढ-नियन्त्रण, नाला-निर्माण और अन्य उपायो से उत्पादकता बढाने तथा घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओ की पृष्ठभूमि में ही इनके विकास पर विचार किया जाना चाहिए।

15 भू-स्तरीय जल : देश में वार्षिक वर्षा लगभग 300 करोड एकड-फुट होती है। इसमें से लगभग 100 करोड एकड-फुट पानी तो फौरन भाप बन कर उड जाता है और अनुमानत 65 करोड एकड-फुट पानी जमीन के अन्दर चला जाता है। इस प्रकार, शेप 135 करोड एकड-फुट पानी ही नदियो के रास्ते बहता है। जमीन पर बहनेवाले इस जल का भी पूरा-पूरा उपयोग जमीन की बनावट, पानी के बहाव, जलवायु और मिट्टी की बनावट के कारण नही हो पाता। अनुमान लगाया गया है कि केवल 45 करोड एकड-फुट पानी का ही उपयोग सिंचाई के लिए हो सकता है। वास्तविक उपयोग की प्रगति नीचे की तालिका में दिखाई गई है

तालिका-संख्या 3

सिंचाई के लिए भू-स्तरीय जल का उपयोग

	लाख एकड़-फुट	उपयोग-योग्य जल का प्रतिशत	कुल बहनेवाले जल का प्रतिशत
1951 तक . ..	760	17	6
1960-61 तक . .	1,200	27	9
1965-66 तक (अनुमानित) .. .	1,600	36	12

16 भूगर्भ-जल: प्रतिवर्ष जमीन के अन्दर चले जानेवाले 65 करोड एकड-फुट पानी में से 35 करोड एकड-फुट जमीन की पहली सतह पर ही रह जाता है। इससे मिट्टी में नमी आती है, जो वनस्पति की उपज के लिए जरूरी है। शेप 30 करोड एकड-फुट पानी जमीन के नीचे चला जाता है और भूगर्भ-जल की मात्रा में वृद्धि करता है। भूगर्भ

में जमा जल की मात्रा कभी भी इससे कई गुना अधिक होती है, परन्तु देशव्यापी जांच-पड़ताल के बिना इसका सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। भूगर्भ-जल का वर्तमान उपयोग उसमें होनेवाली वार्षिक वृद्धि के 20 प्रतिशत से भी कम ही है। पिछले 8 वर्षों में भूमि-जल-परीक्षण-परियोजनाओं के अन्तर्गत नलकूप लगाने-योग्य क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयत्न किए गए हैं। तीसरी योजना में 500 नलकूपों की एक परियोजना शामिल की गई है। परीक्षण-कार्य को सुविधाजनक बनाने और बड़े पैमाने पर नल धसाने की जरूरत न पड़ने देने के लिए भूगर्भ की जाच-पड़ताल करने का सुझाव दिया गया है। ऐसी जाच और खोज से भूगर्भ के निचले तल का पता आसानी से चल जाएगा और भूगर्भ-स्थित जल का भी ज्ञान हो सकेगा। आन्ध्रप्रदेश में भी भूगर्भ-जल के क्षेत्रों का पता लगाने का सर्वेक्षण-कार्यक्रम चालू है, जिससे पानी निकालने तथा साफ करने के यन्त्र जमीन में धसाए जा सकें।

17. उपयोग: पानी का मुख्य उपयोग सिचाई और बिजली पैदा करने में होता है। इसके साथ ही जनता के सामान्य कामों तथा औद्योगिक और नौकानयन (जहाजरानी) के लिए भी जल-साधनों का उपयोग होता है। सिंचाई के लिए जल नदी, तालाबों, आदि तथा भूगर्भ, दोनों ही साधनों से प्राप्त किया जाता है।

18 केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग ने सन् 1954 में देश की विभिन्न नदी-घाटियों का अध्ययन आरम्भ किया था, ताकि बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं की क्षमता का पता चल सके। इसके लिए देश को पाच भागों में बाट दिया गया था—हर क्षेत्र में कुछ नदी-घाटी-समूहों को रखा गया था। हर नदी-घाटी के लिए भौगोलिक स्थिति, वर्षा, खेती की सघनता, जलाशय बनने-योग्य स्थान, सिंचाई-योग्य क्षेत्र, जलाशय-क्षमता और अन्य सम्बद्ध विषयों का अध्ययन किया गया था। चार क्षेत्रों में तो अध्ययन प्राय पूरा हो चुका है, पाचवें में अभी काम शुरू करना बाकी है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई-क्षमता 10 करोड़ एकड़ (कुल) आकी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है·

तालिका-संख्या 4

बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई-क्षमता

(लाख एकड़)

क्षेत्र 1.	पश्चिम की ओर बहनेवाली नदिया (केरल, मैसूर और महाराष्ट्र-राज्यों की नदी-घाटिया तथा ताप्ती, नर्मदा आदि नदियों की घाटिया)	10
क्षेत्र 2	पूर्व की ओर बहनेवाली नदिया (ताम्रपर्णी, वैगेई, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार एव अन्य नदियों की घाटिया)	33
क्षेत्र 3	सिन्धु घाटी ...	13
क्षेत्र 4	गगा-घाटी (चम्बल, यमुना, रामगगा, टोंस, गोमती, नोन, गगा, और उसकी सहायक नदियों की घाटिया)	41
क्षेत्र 5	ब्रह्मपुत्र-घाटी	3
	योग	100

दूसरी योजना के अन्त में बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं-द्वारा सिंचित शुद्ध क्षेत्र 3 करोड़ 10 लाख एकड़ था।

19 खाद्य और कृषि-मन्त्रालय ने सन् 1955 में छोटी सिंचाई-समिति की स्थापना पर छोटी सिंचाई-परियोजनाओं की क्षमता का पता लगाने की दिशा में पहला व्यापक प्रयत्न किया। परियोजनाओं की जांच के लिए नियुक्त समिति के छोटी सिंचाई-दल ने भी बाद में ऐसे ही अध्ययन-कार्यक्रम अपनाए। छोटी सिंचाई-परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ राज्यों ने भी सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त प्रारम्भिक आंकड़ों से अनुमान लगाया गया है कि छोटी-सिंचाई-परियोजनाओं की सिंचाई-क्षमता 7 करोड़ 50 लाख एकड़ (कुल) है।

20 यह स्पष्ट है कि खेती के कुल क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र का अनुपात बढ़ाने की बहुत गुंजायश है। अगले 20-25 वर्षों में (जब तक कुल कृषि-क्षेत्र बढ़कर 35 करोड़ एकड़ हो जाएगा) 17 करोड़ 50 लाख एकड़ (कुल) की सम्पूर्ण सिंचाई-क्षमता का उपयोग करने के बाद सिंचित क्षेत्र का अनुपात बढ़ कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। साथ ही, पानी के कुल उपयोग की मात्रा बढ़ कर 35-40 करोड़ एकड़-फुट हो जाएगी, जो कि भू-स्तरीय और भूगर्भीय जल-साधनों से वर्ष-भर में मिलनेवाले पानी का 60 प्रतिशत भाग होगी। इसके बाद जनता की तथा औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति और तापीय बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक पानी भी काफी मात्रा में बच जाएगा। बिजली पैदा करने के लिए पानी की आवश्यकता भविष्य में बहुत अधिक बढ़ने की सम्भावना है।

21 **औद्योगिक उपयोग:** उद्योगों में पानी का उपयोग मुख्यतः मशीनों आदि को ठंडा करने, विधायन तथा बायलरों के लिए होता है। उद्योगों में पानी की आवश्यकता तेजी से बढ़ती जाती है। इसे देखते हुए उद्योगों में पानी-संग्रह करने तथा एक से अधिक बार उसी पानी का उपयोग करने के तरीके निकालने पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। उद्योगों में प्रयुक्त पानी उचित प्रबन्ध करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।

22 उद्योगीकरण और शहरीकरण के साथ पानी के गन्दा हो जाने की महत्वपूर्ण समस्या भी सामने आ जाती है। उद्योगों में बेकार जानेवाली चीजों तथा अन्य गन्दगी के कारण पानी खराब हो जाता है—विशेष रूप से नदियों का पानी। इसके परिणामस्वरूप, मछलियां मरने लगती हैं और पीने का पानी गन्दा कीटाणुयुक्त हो जाता है। इस गन्दगी को समुचित रूप से नष्ट करना कठिन और खर्चीला काम है। इस समस्या की ओर अखिल भारतीय स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य-संस्थान, भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् और जन-स्वास्थ्य-इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्थान समुचित ध्यान दे रहे हैं। इस दिशा में परीक्षणों तथा समन्वित कार्यों की आवश्यकता है। कल-कारखानों से निकलनेवाली गन्दगी का विश्लेषण, उसमें होनेवाली पानी की गन्दगी का अनुमान, उसकी सफाई के तरीकों की खोज तथा उसके लिए मानदंड निश्चित करने की आवश्यकता है, जिनसे नदियों में फेंकने से पूर्व उसके सम्बन्ध में पूरी सावधानी से जांच हो सके।

(5)
मछली-उद्योग

23 **अन्तर्देशीय मछली-उद्योग:** नदियां और उनकी सहायक छोटी नदियां, नहरें, झीलें, तालाब, जलाशय, पोखरे, आदि, जहां वर्ष-भर पानी रहता है, अन्तर्देशीय मछली-उद्योग

के लिए महत्वपूर्ण साधन है। प्रति वर्ष प्राप्त होनेवाली 14 लाख टन मछली में से 3 लाख टन अन्तर्देशीय जल-साधनो से प्राप्त होती है। पहली योजना में 10 लाख एकड से भी अधिक अन्तर्देशीय जल-क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था और 68,000 एकड को अतिरिक्त इस्तेमाल के योग्य बना दिया गया था। दूसरी योजना में 3 लाख 40 हजार एकड जल-क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका है और कुल 7 लाख 20 हजार एकड में मछलिया पाली गई है। तीसरी योजना में 50 हजार एकड जल-क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए मछली-क्षेत्र बनाने, 1,500 एकड़ में मछलियो की नस्लो पर प्रयोग करने तथा 1,500–2,000 एकड दलदली क्षेत्र को मछलीपालन के लिए उन्नत करने की व्यवस्था है। इसके लिए गर्मियो में न सूखनेवाले जल-क्षेत्रो का पूरा सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, जहा मछलिया पाली जा सकें। जल-क्षेत्रो की पूरी सूची भी तैयार करना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न किस्मो के जल-क्षेत्रो—तालाब, पोखरे, झील, नदी, आदि—का विवरण तथा उनका अलग-अलग क्षेत्रफल दिया गया हो। इसके बाद भौतिक, रासायनिक एव जीव-विज्ञान-सम्बन्धी विशेषताओ का विस्तृत विवरण तैयार किया जाना चाहिए। इस काम के पूरा होने के बाद ही अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के विकास के लिए ठोस आधार प्राप्त हो सकेगा।

24 **समुद्री मछली-उद्योग :** भारत में वर्ष-भर में प्राप्त होनेवाली 14 लाख टन मछली में से 11 लाख टन समुद्री मछली होती है। समुद्री मछलियो में मैकरेल, सारडाइन और प्रान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत की मछली-सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगभग 40 लाख टन है, परन्तु उत्पादन इसका लगभग चौथाई ही है। आम तौर पर समुद्री मछली-क्षेत्र तट से 6 से 10 मील दूर तक ही है।

भारत के समुद्री मछली-साधनो का पूरा और समुचित अनुमान भी नही लगाया है। इस दिशा में व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इसका महत्व खास कर इसलिए है कि समुद्री साधनो से मिलनेवाली मछली अन्तर्देशीय साधनो की कमी काफी हद तक पूरी कर सकती है।

(6)
खनिज साधन

25 आज की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में खनिज साधनो का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें से कोयला और खनिज तेल शक्ति प्राप्त करने के स्रोत हैं तथा अन्य उद्योगो में कच्ची सामग्रियो के रूप में काम आते है। कुछ अन्य खनिज पदार्थों का उपयोग रबड़, लकड़ी, कपास और अन्य प्राकृतिक चीजो का कृत्रिम स्वरूप तैयार करने में होता है।

देश में कोयला, खनिज लोहा और अभ्रक का भाडार बहुत बडा है। मैंगनीज, टाइटेनियम और अल्युमीनियम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चूने का पत्थर तथा रिफ्रैक्टरियो के लिए कच्ची सामग्रिया भी उपलब्ध है। परन्तु ताम्बा, जस्ता और सीसा कम पाया जाता है। टीन, निकेल, मोलीबडेनम और ठोस गन्धक के भी भाडार बहुत कम है। अभी हाल तक डिबोई (असम) के अतिरिक्त खनिज तेल का कोई और स्रोत देश के किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था।

26 **कोयला :** कोयला भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज सम्पत्ति है और व्यापार-उद्योग में काम आनेवाली शक्ति का यही मुख्य स्रोत है। चार फुट से अधिक मोटाईवाले कोयला-भाडार की कुल मात्रा लगभग 5,000 करोड टन है, जिसमें से कोकिंग कोयले का परिमाण 5.6 प्रतिशत या 280 करोड़ टन है। छुटपुट भाडारो की मात्रा का अनुमान

करीब 8,000 करोड़ टन है। इसके अतिरिक्त, 207.3 करोड़ टन लिग्नाइट (भूरा कोयला) के भी मौजूद होने का अनुमान है।

कोकिंग कोयले का भाडार भविष्य की दृष्टि से चिन्तनीय है। इस्पात के प्रत्येक टन के लिए 2 टन कोयले की जरूरत पड़ती है। अगले 15 वर्षों में इस्पात के उत्पादन में तेजी से होनेवाली वृद्धि को देखते हुए कोयले की माग भी निश्चय ही बहुत बढ़ेगी। इसलिए कोकिंग कोयले का सीमित भाडार सावधानी से सुरक्षित रखने की जरूरत है। गैर-कोकिंग कोयले की स्थिति असन्तोषजनक नहीं है, परन्तु चूंकि अधिकतर कोयला घटिया किस्म का है, अत बढ़िया किस्म का कोयला खर्च करने में किफायत की जानी चाहिए।

कोयले का कुल भाडार मानो एक ही स्थान पर केन्द्रित हो गया है। अभी 80 प्रतिशत कोयला बिहार और पश्चिम-बगाल के 200 मील क्षेत्र में स्थित खानों में पाया जाता है। फलत दक्षिण और पश्चिम-भारत में उपयोग के लिए यहा से 400 से 1,400 मील दूर तक कोयला ले जाना पड़ता है। बिहार और बगाल के बाहर की कोयला-खानों में उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं—उनका उत्पादन सन् 1951 में 57 लाख टन (कुल उत्पादन का 16 प्रतिशत) था, जो सन् 1960 में बढ़ कर 1 करोड़ 2 लाख टन (कुल का 20 प्रतिशत) हो गया। तीसरी योजना के अन्त तक बिहार और बगाल से बाहर की कोयला-खानों का उत्पादन बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख टन (कुल उत्पादन का 29 प्रतिशत) हो जाने की आशा है।

27 खनिज तेल और प्राकृतिक गैस : कोयले के बाद व्यावसायिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है। अभी तक भारत में पेट्रोल का उत्पादन काफी नहीं होता। तेल की खोज के लिए प्रयत्न जारी हैं। असम में नए तेल-कूपों से प्रारम्भिक चरणों में प्रतिवर्ष 27 लाख 50 हजार टन तेल मिलने की सम्भावना है। तीसरी योजना के अन्त तक इसमें भी वृद्धि होने की सम्भावना है। असम में पेट्रोल से सम्बद्ध प्राकृतिक गैस उल्लेखनीय परिमाण में उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त असम्बद्ध प्राकृतिक गैस भी मिली है। सम्बद्ध प्राकृतिक गैस के उद्योग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। खम्भात और अकलेश्वर-क्षेत्रों में कुए खोदने के उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं और इन क्षेत्रों में सन् 1965-66 तक 20 लाख टन तेल का उत्पादन होने की सम्भावना है।

पिछले दशक में पेट्रोलजन्य उत्पादनों की खपत में वार्षिक वृद्धि 4 5 प्रतिशत थी। चालू दशक में इसके बढ़ कर 10-11 प्रतिशत होने की सम्भावना है। सन् 1960 में कुल खपत 75 लाख टन थी, जिसके सन् 1965-66 में बढ़ कर 1 करोड़ 10 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। इसका अर्थ है कि 50 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात करना पड़ेगा और इस पर 50 करोड़ रु० के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च होगी। घरेलू आवश्यकताएं (मुख्यत जलाने के लिए मिट्टी का तेल) कुल खपत का 25 प्रतिशत हैं। परिवहन-क्षेत्र में (डीजल तेल एवं गैसोलीन) खपत 30 प्रतिशत से अधिक है। उद्योग की माग 20 प्रतिशत है, जो मुख्यत- भट्ठियों में जलनेवाले तेल की है। मिट्टी के तेल और डीजल की खपत में इधर कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

28 अन्य खनिज पदार्थ : यद्यपि मुख्य खनिज क्षेत्रों का विवरण प्राप्त किया जा चुका है और देश की खनिज सम्पत्ति के सम्बन्ध में मोटे तौर पर अनुमान भी लगाया जा चुका है, तथापि इधर कुछ वर्ष पहले तक देश के खनिज साधनों की मात्रा और किस्म-सम्बन्धी विस्तृत अनुमान लगाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। देश का योजनाबद्ध

विकास प्रारम्भ होने के साथ-साथ इस दिशा में भी व्यवस्थित और विस्तृत सर्वेक्षणो पर भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-सस्था, भारतीय खान-संस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ तथा परमाणु-शक्ति-आयोग ने ध्यान दिया, ताकि अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थो की किस्म एव मात्रा का आकलन हो सके, उनका उचित इस्तेमाल हो, तथा एक ऐसी नीति अपनाई जा सके, जिससे खनिज पदार्थो का व्यवस्थित ढग से पता लग सके और उनके सरक्षण की भी उचित व्यवस्था हो। गत 10 वर्षों में किए गए सर्वेक्षणो के परिणामस्वरूप खनिज साधनो की मात्रा और किस्म के बारे में अब अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। खनिज मैंगनीज का अनुमानित भाडार 2 करोड टन से बढ कर 18 करोड टन हो गया है। अमजोर (बिहार) क्षेत्र में गन्धक-मिश्रित पाइराइट्स का पता चलने से स्वदेशी उत्पादन से ही गन्धक की माग पूरी हो जाने की सम्भावना है। खनिज ताम्बा, खनिज लोहा, क्रोमाइट, बाक्साइट, मैग्नेसाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, सीसा और जस्ते के बारे में भी निश्चित अनुमान लगाए जा चुके है और माग तथा आपूर्ति का अन्तर भी निश्चत किया जा चुका है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ ने खनिज पदार्थो की किस्म सुधारने, उन्हे उपयोग-योग्य बनाने (कोयला, खनिज मैगनीज, ताम्बा, आदि धोने से सम्बन्धित जाच-द्वारा), बेकार चले जानेवाले पदार्थों (बेकार बच जानेवाले अभ्रक, आदि) के उपयोग की विधिया खोजने और दुर्लभ धातुओ के स्थान पर देश में सुलभ धातुओ का उपयोग करने (जैसे, निकेल-रहित स्टेनलेस इटील और सिक्को के काम आनेवाली मिश्रधातु तथा अल्युमीनियम-मिश्रित इस्पात के तार) के लिए जाच तथा परीक्षण किए है।

29 खान और खनिज पदार्थ (नियमन और विकास) अधिनियम 1948, सन्-1957 में संशोधित तथा परिवर्द्धित किया गया, और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमो से देश की खनिज सम्पत्ति के व्यवस्थित विकास तथा उसे पट्टे पर देने के काम में एकरूपता आ गई है। कोयला-खान-सरक्षण एव सुरक्षा अधिनियम 1952 के अन्तर्गत कोयले के सरक्षण के तरीके अपनाने तथा उन्हें लागू करने की भी व्यवस्था की गई है।

30. हालाकि पिछले कुछ वर्षों में खनिज साधनो के अध्ययन तथा विशिष्ट क्षेत्रो में मात्रा तथा किस्म के अनुसार उनके भाडार का आकलन करने की दिशा में काफी काम हुआ है, फिर भी देश के तेज औद्योगिक विकास और फलस्वरूप कच्चे खनिज माल की माग में वृद्धि को देखते हुए खनिज पदार्थो के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए खोज और जाच-पडताल के प्रयत्न अधिक जोर-शोर के साथ किए जाने चाहिए। नीचे की तालिका में प्रमुख खनिज पदार्थों के ज्ञात भाडार, वर्तमान उत्पादन और वर्तमान खपत के आकडो को देख कर उपर्युक्त जाच-कार्यक्रम का महत्व अपने-आप स्पष्ट हो जाएगा

तालिका-सख्या 5

खनिज पदार्थों का उत्पादन और उनकी मांग

खनिज पदार्थ	इकाई	अनुमित भांडार	वर्तमान उत्पादन	वर्तमान उपयोग
कोयला (गैर-कोकिंग)	लाख टन	5,00,000	307	518
कोयला (कोकिंग)	लाख टन	28,000	148	
लिग्नाइट	लाख टन	20,730	नगण्य	नगण्य

तालिका-संख्या 5—जारी

खनिज पदार्थ	इकाई	अनुमित भांडार	वर्तमान उत्पादन	वर्तमान उपयोग
खनिज तेल	लाख टन	अनुमान नही	2†	60†, 13‡
खनिज मैंगनीज	लाख टन	1,800	12	3
खनिज लोहा	लाख टन	2,18,700	105	80
क्रोमाइट	लाख टन	23	1	0 2
खनिज वेनाडियम	लाख टन	267	—	—
टंग्सटन (धातु)	टन	अनुमान नही	3	3
निकेल (धातु)	टन	नगण्य	—	1,020
इल्मेनाइट (खनिज टाइ-टेनियम)	लाख टन	3,500	2 5	0 1
ताम्बा (खनिज)	लाख टन	329	4 4***	0 7 (धातु)
खनिज सीसा	लाख टन	107@	3,670 (धातु)	0 3 (धातु)
बाक्साइट (खनिज अल्मु-मीनियम)	लाख टन	2,600	3.8	1*
खनिज जस्ता	लाख टन	—	0.1**	0.6**
जिप्सम	लाख टन	11,170	9 8	9 6
मैग्नेसाइट	लाख टन	1,000	1.5	1 4
चूने का पत्थर	लाख टन	1,57,400	125	125
फास्फेटिक नोडूल्स	लाख टन	20	—	—
एपेटाइट	लाख टन	8.7	0 14	2 2
टीन (धातु)	टन	नगण्य	—	4,550
ग्रेफ़ाइट	टन	अनुमान नही	1,500	2,500
गन्धक (तत्व)	लाख टन	नगण्य	—	1 8
पाइराइट्स—40% गन्धक	लाख टन	3,840	—	—
ऐस्बेस्टस	टन	5,80,000	1,683	30,000

31 खनिज पदार्थों की विशेष सघन खोज की नितान्त आवश्यकता के अतिरिक्त उनके सरक्षण के तरीकों को लागू करना भी जरूरी है। उनके सरक्षण का मुख्य अर्थ खान के काम में दुरुपयोग रोकना तथा दुर्लभ वस्तुओं के स्थान पर देश में ही सुलभ पदार्थों का उपयोग करना है। खानों में से पदार्थ निकालते समय दुरुपयोग रोकने का अभिप्राय चुन-चुन कर काम नही करना है, यानी बढ़िया और घटिया दोनों किस्म के पदार्थ निकाले जाए और फिर उन्हें मिला कर बिक्री-योग्य किस्म का खनिज पदार्थ बना लिया जाए।

* सन् 1959 के अंक
** केन्द्रित
*** 8,767 टन धातु के बराबर
@ खनिज जस्ता भी शामिल है
† कच्चा
‡ उत्पादन

घटिया किस्म के खनिज पदार्थों का सुधार (मैंगनीज, कोयला, ताम्बा, आदि खनिज पदार्थों का सुधार) और खान में से पदार्थ निकालने तथा उनकी सफाई आदि के काम मे प्राप्त उपोत्पादन का उपयोग भी सरक्षण के तरीको मे शामिल है।

(7)
बिजली

32 उद्योगीकरण, परिवहन सुविधाओ में वृद्धि और जीवन-स्तर ऊंचा होने के कारण देश में बिजली की माग तेजी से बढती जा रही है। परन्तु भारत में बिजली की खपत भी विश्व में शायद सबसे कम है।

33 **उत्पादन और उपभोग के प्रकार :** सन् 1960-61 मे भारत में बिजली का उत्पादन प्राय 16 करोड 50 लाख टन कोयले की शक्ति के बराबर था। शक्ति के मुख्य व्यापारिक साधन कोयला, पेट्रोल, और ऊंचाई से गिरनेवाला जल है। वायु, सौर, तरग, भूविद्युत्, आदि साधनो से भी शक्ति प्राप्त की जा सकती है, परन्तु इसके लिए प्रौद्योगिक विकास की जरूरत है। फिलहाल शक्ति का 61 प्रतिशत भाग अव्यावसायिक साधनो से उपलब्ध होता है—जैसे, पशुओ का गोबर, लकडी, जलानेवाला कोयला, खेती की बेकार चीजें, आदि। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जाएगा। अव्यावसायिक साधनो से प्राप्त शक्ति के विवरण मे मानवीय प्रयत्नो या चेतन स्रोतो को शामिल नही किया गया है। इन स्रोतो से वर्ष-भर मे प्राप्त शक्ति का अनुमान 760 लाख टन कोयले के बराबर होता है।

तालिका-संख्या 6

सन् 1960-61 में शक्ति का उपयोग

स्रोत	उपभुक्त शक्ति (लाख टन कोयले के बराबर)	व्यावसायिक शक्ति का प्रतिशत	कुल शक्ति का प्रतिशत
कोयला	546	84	33
तेल	95	14 6	5 8
जल	9	1 4	0 6
योग—व्यावसायिक	650	100	39 4
गोबर	460		27 9
जलावन की लकडी	350		21 2
खेती से बेकार हुई वस्तुए	190		11.5
योग—अव्यावसायिक	1,000		60 6
योग—सब साधनो से	1,650		100

34 **शक्ति के अव्यावसायिक स्रोत :** तमाम ग्रामीण क्षेत्रो और कुछ शहरी क्षेत्रो में भी पकाने और गर्मी प्राप्त करने के मुख्य साधन मवेशियो का सुखाया हुआ गोबर है। अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष 120 करोड टन (गीला वजन) गोबर उपलब्ध होता है, जिसमें से 40 करोड टन ईंधन के रूप में और 21 5 करोड टन खाद के रूप में प्रयुक्त होता है, शेष नष्ट हो जाता है। शक्ति-तत्व के आधार पर देखा जाए, तो 40 करोड टन गोबर 4 6 करोड टन कोयले के बराबर है। लकडी का ईंधन के रूप में घरेलू उपयोग भी होता है

और कुछ उद्योगों में लकड़ी या लकड़ी के कोयले के रूप में ईंधन की लकड़ी की खपत का अनुमान 6 करोड़ टन है, जो 3 5 करोड़ टन कोयले के बराबर शक्ति देती है।

35 शक्ति के व्यावसायिक स्रोत : इनमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, जिन पर पिछले खंड में विचार किया जा चुका है, और बिजली, जिस पर नीचे प्रकाश डाला गया है, आते हैं।

बिजली-शक्ति : कोयला-खानों और कोयला धोने के कारखानों में घटिया तथा मध्यवर्ती किस्म का कोयला मिलेगा, जिनका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। कोयले से चलनेवाले बिजलीघरों के लिए ऐसी जगहें बहुत उपयुक्त होती है। पनबिजली-घरों की स्थापना में बहुत समय लगता है, खर्च भी अपेक्षाकृत अधिक होता है और स्वभावत. दूरस्थ स्थानों पर बनाए जाने के कारण उनकी बिजली के लिए दूर-दूर तक वितरण-व्यवस्था करनी पड़ती है। परन्तु शक्ति प्राप्त करने के ये सबसे सस्ते साधन हैं। विभिन्न प्रकार के कारखानों में उत्पादन-क्षमता का विवरण इस प्रकार है

तालिका-संख्या 7

विभिन्न स्रोतों की उत्पादन-क्षमता

(लाख किलोवाट)

	1951	1956	1961	1966
पनबिजली . .	5 6	9 4	19.3	51
कोयला . .	15.9	22 7	34-6	70 8
तेल . .	1 5	2 1	3 1	3 6
न्यूक्लिक	—	—	—	1 5
योग . .	23	34 2	57	126 9

फिलहाल भारत में बिजली की खपत 45 किलोवाट-घंटे प्रति व्यक्ति है। सन् 1950 में यह मात्रा 14 और सन् 1958 में 35 थी। सन् 1965-66 तक प्रति व्यक्ति-खपत बढ़ कर 95 किलोवाट-घंटे हो जाएगी। वृद्धि की यह दर एक लम्बे समय तक बनाए रखनी पड़ेगी। अन्य देशों की तुलना में भारत में बिजली की खपत बहुत कम है। जापान में प्रति व्यक्ति-खपत सन् 1947 में 455 किलोवाट-घंटे थी, जो सन् 1958 में बढ़ कर 930 हो गई। इसी अवधि में इटली में बिजली की खपत की मात्रा 454 से बढ़ कर 928 किलोवाट-घंटे हो गई।

जल-शक्ति : जल-शक्ति की क्षमता का अनुमान 4 करोड़ 10 लाख किलोवाट माना गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है

तालिका-संख्या 8

जल-शक्ति की क्षमता

(लाख किलोवाट)

पश्चिम की ओर बहनेवाली दक्षिण-भारत की नदियां . . .	43 [illegible]
पूर्व की ओर बहनेवाली दक्षिण-भारत की नदियां	86.[illegible]
मध्य-भारत की नदियां	42 9
गंगा-घाटी की नदियां	48 3

तालिका-संख्या 8—जारी

सिन्धु-घाटी की नदिया	65 8
ब्रह्मपुत्र और अन्य	124 9
योग	411 7

कटूर बाघ, जलाशय-क्षेत्र, बहाव की विशेषताए, स्थानीय निर्माण-सामग्रियो की उपलब्धता, आदि को ध्यान में रख कर प्रत्येक परियोजना-स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। तभी इस क्षमता का पूरा अनुमान लग सकेगा और उपयोग किया जा सकेगा। तीसरी योजना में 64 विशिष्ट परियोजनाओ के स्थल के बारे में जाच-पड़ताल की व्यवस्था है।

न्यैष्टिक शक्ति : एक आत्मनिर्भर परमाणु-शक्ति-कार्यक्रम के लिए ईंधन-सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति एक आवश्यक शर्त है। अनेक दशको से यह बात ज्ञात है कि केरल और मद्रास के समुद्र-तट की मोनाजाइट रेत में छिपा हुआ थोरियम का भाडार विश्व के सबसे बड़े भाडारो में से एक है। 9 प्रतिशत से अधिक घनत्ववाले इस थोरियम की कुल मात्रा का अनुमान 2 लाख टन है। परमाणविक खनिज-विभाग के काम के परिणामस्वरूप दूसरी योजना की अवधि में बिहार में मोनाजाइट का इससे भी बड़ा क्षेत्र प्रकाश में आया है, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक घनत्ववाला लगभग 3 लाख टन थोरियम मौजूद है। इस प्रकार, भारत के पास थोरियम का सबसे बड़ा भाडार है। यह भाडार विश्व के कुल यूरेनियम-भाडार के बराबर है। देश के विभिन्न भागो में यूरेनियम के भी भाडार मिलने का पता चला है। खुदाई, आदि के जरिए अभी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार में हजारो टन यूरेनियम का भाडार निश्चित रूप से प्रकाश में आ गया है और एक ऐसी खान मे काम आरम्भ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जहा प्रति दिन 1,000 टन खनिज यूरेनियम का उत्पादन हो सकेगा। शक्ति की बढती हुई मांग को पूरा करने में न्यैष्टिक शक्ति-सयन्त्रो का योग क्रमश बढने की सम्भावना है।

36 **शक्ति के अपरम्परागत स्रोत :** सौर-विकिरण, वायु-गति, तरग-शक्ति, समुद्री और पृथ्वी की गर्मी, आदि से शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न विश्व के अनेक देशो में हो रहे हैं। अभी तक अनेक उपकरण खोजे और बनाए जा चुके है, जिनमें से सौर-शक्ति से मकान गर्म रखने, बैटरिया चलाने और वायु-शक्ति से बिजली-उत्पादन-यन्त्र चलाने के प्रयोग विशेष सफल रहे है। कुछ देशो में तरगो की गति का भी उपयोग किया गया है।

भारत में सूर्य-चूल्हा, सूर्य-शक्ति से भाप बनानेवाला उपकरण और प्रोटोटाइप पवनचक्की के विकास पर काफी काम हो चुका है। सूर्य, वायु या तरगो पर कुशलतापूर्वक एव मितव्ययिता से नियन्त्रण करने के लिए हर उपकरण के विकास पर वर्षों के परीक्षण और अनुसन्धान की आवश्यकता पडती है। अपरम्परागत शक्ति-स्रोतो का इस्तेमाल करने के लिए अनुसन्धान-योजनाओ को बढाया जाना चाहिए।

(8)
समुद्री साधन

37 भारत का 3,530 मील लम्बा समुद्र-तट है, उसके पार 10 हजार वर्गमील का विशाल महासागर है तथा तट के साथ सलग्न खाड़िया है। इससे समुद्री साधनो—

समुद्री घास, मछली, अन्य भोज्य व तेलप्रदाता जीव-जन्तु तथा खनिज पदार्थों—की प्रचुरता पर प्रकाश पड़ता है। समुद्र जीव-जन्तुओं तथा वनस्पतियों का भी एक बड़ा भंडार है और वहां कलम लगाने का परिणाम वनों और घास के मैदानों से अधिक तेजी से प्रकट होता है। समुद्री मछली के महत्व पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। समुद्री घास (काई) एक अच्छा खाद्य-स्रोत है, जिसकी ओर भारत में अभी ध्यान नहीं दिया गया है। समुद्री काई से ही एगर-एगर, एलिगेनेट, म्यूसिलेज, गोंद और आयोडिन प्राप्त होता है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल मुरब्बे, मीठी चटनी, आदि बनाने में किया जा सकता है। अन्य देशों में समुद्री काई को पशुओं के चारे में मिला देने से बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि उसमें वे तत्व काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं, जिनकी सामान्यतः पशुओं के चारे में कमी होती है। इसी प्रकार, समुद्री काई और गोबर के मिश्रण से बनी खाद केवल गोबर की खाद से कहीं अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। केन्द्रीय समुद्री मछली-अनुसन्धान-केन्द्र, मंडपम के एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि समुद्री काई का व्यवस्थित उपयोग लाभदायक है। भारत के समुद्री तट पर पाई जानेवाली इस काई की उपलब्धि और उसके उपयोग के सम्बन्ध में बहुमुखी सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

38 समुद्र से खनिज पदार्थों की प्राप्ति की बहुत सम्भावना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण खाने का नमक है। सन् 1958 में समुद्री नमक का उत्पादन 42 लाख टन था, जिसकी कीमत प्रायः 8 करोड़ 50 लाख रु० है। अभी इस नमक का बहुत कम उपयोग किया जा रहा है। यह मैगनेशियम-क्लोराइड, पोटेशियम-क्लोराइड और ब्रोमाइन का स्रोत है। इससे 10 लाख टन की सम्भावना के मुकाबले फिलहाल केवल 8,000 टन मैगनेशियम-नमक निकाला जाता है। इसी प्रकार, पोटेशियम-क्लोराइड भी कुछ सौ टन ही निकाला जाता है, जब कि मिल 90,000 टन सकता है। ब्रोमाइन भी केवल 25–30 टन प्राप्त होता है, जब कि कई हजार टन पैदा किया जा सकता है। समुद्र ही सोडियम, पोटाशियम, मैगनेशियम, ब्रोमाइन और क्लोरीन का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। गहरे समुद्र-तल से मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, ताम्बा और थोरियम प्राप्त करने की सम्भावना हाल ही में सामने आई है। समुद्र-तल के खनिज साधनों का अनुमान लगाने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(9)
सर्वेक्षण और कार्यक्रम

39 भारतीय सर्वेक्षण-संस्था, वनस्पति-सर्वेक्षण-संस्थान और प्राणि-सर्वेक्षण-संस्था को पहली दो योजनाओं में काफी सशक्त बना दिया गया था। इन संस्थाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में काफी काम भी किया है। भारतीय सर्वेक्षण-संस्था ने बहूद्देश्यीय नदी-घाटी-परियोजनाओं, तेल-शोधनालयों, कोयला-क्षेत्रों तथा राजस्थान में सीसे के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। भारतीय वनस्पति-सर्वेक्षण संस्था ने देश के पौध-साधनों की खोज आदि का काम सम्भाल रखा है। प्राणि-सर्वेक्षण-संस्था पशुओं, मछलियों, पक्षियों, कीट-पतंगों, आदि के बारे में वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह में जुटी हुई है। इसकी खोज जन-स्वास्थ्य, कृषि और वन-उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

40 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने अनेक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किए हैं। इनमें से वायु, गति, आयातित के स्थान पर प्रयो

के लिए लाल की सामग्रियो की खोज, सडक बनाने के काम आनेवाली सामग्रियो, औषधियो के पौधो, शीशे और चीनी मिट्टी के लिए कच्ची सामग्रियो, रिफ़ैक्टरियो, कागज और लुगदी तथा खाद्य पदार्थों एव खेती में बेकार चली जानेवाली सामग्रियो तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण उल्लेखनीय है ।

41 पिछले कुछ वर्षों में प्रादेशिक स्तर पर अनेक सर्वेक्षण किए गए है और इस समय भी चल रहे है । योजना-आयोग के तत्वावधान में भारतीय अक-सकलन-सस्थान ने मैसूर का मार्गदर्शक प्रादेशिक सर्वेक्षण किया तथा केरल-राज्य का कुछ कम विस्तृत सर्वेक्षण किया है । दामोदर-क्षेत्र का एक निदानात्मक सर्वेक्षण खडगपुर-स्थित इस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी और कलकत्ता एव पटना-विश्वविद्यालय मिलजुल कर कर रहे हैं । दामोदर-घाटी-क्षेत्र के लिए आयोजन करने और उसके विकास के लिए यह सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है । राष्ट्रीय प्रायोगिक अर्थशास्त्र-अनुसन्धान-परिषद् ने सम्बद्ध राज्य-सरकारो की प्रेरणा से आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उडीसा, पजाब और राजस्थान तथा केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर केन्द्रशासित प्रदेशों—हिमाचलप्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा—का औद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया है । इन सर्वेक्षणो से प्राप्त मूल्यवान जानकारी का उपयोग बाद के अध्ययनो के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा । इनसे विकास की सम्भावनाओ का भी सकेत मिलता है, जिन पर विस्तृत विचार और अध्ययन आवश्यक मालूम पडता है । दिल्ली के शहरी क्षेत्र में अभी हाल ही में हुए सर्वेक्षण का महत्व केवल दिल्ली के विकास की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अन्य शहरो के हितार्थ होने-वाले अग्रिम प्रयत्नो के ख्याल से भी बहुत महत्वपूर्ण है । कलकत्ता में भी एक ऐसा ही सर्वेक्षण करने का इरादा है ।

42 प्राकृतिक साधनो का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और एक छोटे अध्याय की सीमाओ में रह कर इस विषय की कुछ मोटी-मोटी बातो की चर्चा से अधिक और कुछ सम्भव नही । पिछले दस वर्ष में देश के प्राकृतिक साधनो के बारे में काफी नई जानकारी उपलब्ध हुई है । साधनो का सर्वेक्षण करनेवाले प्रमुख सस्थान अब कार्यकर्ताओ तथा विशेषज्ञो से पूरी तरह सज्जित है, जिससे अब वे पिछले की तुलना में अधिक तेजी से काम कर सकते है । राज्य-सरकारें भी अपने-अपने साधनो के विस्तार और विकास के कार्य में स्वय ही पूरी तरह व्यस्त है । साधन-सम्बन्धी अध्ययनो में उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिको और टेक्नोलाजिस्टो की बडी सख्या जुटी हुई है । सभी क्षेत्रो में प्राकृतिक साधनो के सरक्षण की बढ़ती हुई आवश्यकता का महत्व समझा जा रहा है । परन्तु इस दिशा में अभी बहुत-कुछ करना शेष है । राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ, विश्वविद्यालयो और अन्य अनुसन्धान-सस्थाओं में साधनो की खोज और उनके उपयोग-सम्बन्धी मूल्यवान वैज्ञानिक अनुसन्धान हो रहे हैं । औद्योगिक परिवर्तन देश के आर्थिक जीवन को बदलते जा रहे हैं । आर्थिक विकास के साथ-साथ टेक्नोलाजी-सम्बन्धी उन्नति भी अधिकाधिक होती जाएगी और नई-नई सम्भावनाए पैदा होती रहेंगी । 15 और उससे भी अधिक वर्षों में फैले हुए दीर्घकालीन आर्थिक विकास-कार्यक्रम का निर्माण देश के साधनो के बढते हुए ज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के परिणामो के बीच कडी का काम कर सकता है । इनमे कमिया भी सामने आ सकेंगी और अध्ययन के लिए नए-नए विषय भी मिल सकेंगे । भावी कार्य काफी कठिन है और इसके लिए योजना-आयोग, केन्द्रीय सरकार की विभिन्न अनुसन्धान-सस्थाओ,

राज्यो के विभागो, वैज्ञानिक एव आर्थिक अनुसन्धान करनेवाली प्रमुख सस्थाओ तथा विश्वविद्यालयो के निरन्तर सहयोग की आवश्यकता है। भारत के प्राकृतिक साधनो के विकास की गुजायश बहुत अधिक है। व्यवस्थित अध्ययन, इन साधनो की खोज तथा इनके मूल्याकन एव उपयोग में विज्ञान और टेक्नोलाजी के इस्तेमाल से आर्थिक विकास की सम्भावनाए वर्तमान आशा से कही अधिक बढ सकती हैं।

अध्याय 13

सहकारिता

सहकारिता और योजनाबद्ध विकास

एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, जो समाजवाद और प्रजातन्त्र के प्रति कृतसकल्प है, आर्थिक जीवन की विभिन्न शाखाओ—विशेषत कृषि और छोटी सिंचाई, लघु उद्योग और विधायन, हाट-व्यवस्था, वितरण, आपूर्ति, ग्रामो का बिजलीकरण, आवास, और निर्माण-कार्य तथा स्थानीय जन-समुदाय के लिए आवश्यक सुविधाओ की व्यवस्था—में सहकारिता को, क्रमश संगठन का मुख्य आधार बनना चाहिए। यहा तक कि मझोले एव बडे उद्योगो तथा परिवहन में भी अनेक कार्रवाइया सहकारिता के आधार पर की जा सकती है। समाजवादी ढग के समाज का तकाजा है कि कृषि, उद्योग और सेवाओ में बड़ी सख्या में विकेन्द्रित इकाइयों का निर्माण हो। सहकारिता मे गरीब लोगो की स्वतन्त्रता तथा अवसरो को व्यापक स्तर के प्रबन्ध और सगठन के लाभो एव समाज की सद्भावना और सहयोग के साथ जोडने की सामर्थ्य है। इस प्रकार एक द्रुत गति से विकासशील सहकारी क्षेत्र, जिसमें किसान, श्रमिक और उपभोक्ता की आवश्यकताओ पर विशेष बल दिया गया हो, सामाजिक स्थिरता, नियोजन के अवसरो के विस्तार और तेज आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र और सम्पूर्ण समाज के प्रति दायित्व निभाने-वाले निजी क्षेत्र के विकास के साथ ही सहकारिता का प्रभाव सहकारी आधार पर सगठित कुछ विशिष्ट गतिविधियो से कही आगे बढता है तथा सामाजिक ढाचे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सन्तुलन, निदेशन और मूल्य-ज्ञान प्रदान करता है।

2 भारत के सामाजिक और आर्थिक ढाचे के पुनर्निर्माण में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढग का परिवर्तन लाने का सहकारिता एक मुख्य साधन है। जैसा कि दूसरी पचवर्षीय योजना मे कहा गया था, एक ऐसे देश मे, जिसके आर्थिक ढाचे की नीव गावो में है, सहकारिता सहकारी आधार पर सगठित कुछ गतिविधियो तक ही सीमित नही है, बुनियादी तौर पर इसका उद्देश्य सहकारी समुदाय-सगठन की एक ऐसी योजना तैयार करना है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बद्ध हो। विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पादकता के स्तर को ऊचा उठाने, टेक्नोलाजी में सुधार करने और नियोजन के अवसर बढाने के लिए, जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत आवश्यकताए पूरी हो, सहकारिता मुख्य साधन है।

3 ग्राम-स्तर पर, सहकारिता का अभिप्राय यह है कि सारे गाव के सामान्य हित में भूमि एव अन्य साधनो तथा सामाजिक सेवाओ का विकास हो और ग्राम-समाज के प्रत्येक सदस्य में एक-दूसरे के प्रति दायित्व की भावना का विकास किया जाए। इसलिए इस बात की परिकल्पना की गई है कि व्यापक सहकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक अग के रूप में नीति का उदार लक्ष्य यह होना चाहिए कि कृषि तथा अन्य अनेक आर्थिक

और सामाजिक गतिविधियों में, जिनका ग्रामीण जनता के कल्याण से गहरा सम्बन्ध है, संगठन की प्राथमिक इकाई के रूप में गांव को विकसित किया जाए। इसके साथ ही कारीगर और अन्य लोग अपने समाज के हितों के अनुरूप ऐसे सहकारी संगठनों के सदस्य बन सकेंगे, जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हों। भूमि-सुधार तथा ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम, पंचायतों का विकास और सामुदायिक विकास में समाज के दायित्वों और कर्तव्यों पर बल, आदि बातें इसी दिशा की ओर संकेत करती हैं। आगे चल कर जब कृषि-आधार सुदृढ़ हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पेशे-सम्बन्धी ढांचे में विविधता लाने के प्रयत्न अधिक सघन हो जाएंगे, तब एक बड़े क्षेत्र के लिए बहुत अधिक संख्या में सहकारी गतिविधियों के संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार जब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील हो जाएगी तथा ग्राम समुदाय दक्षता और उत्पादकता के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेगा, तब सहकारिता को बड़ी और अधिक जटिल मांगों की पूर्ति करनी पड़ेगी। सहकारी संगठनों के विभिन्न रूप नई आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुरूप बदलते ही रहेंगे।

4 गत वर्ष सहकारिता-सम्बन्धी नीतियों पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों के सन्दर्भ में सावधानीपूर्वक पुनर्विचार किया गया। सहकारी ऋण-समितियों और सहकारी कृषि-समितियों की संगठन-पद्धति से सम्बद्ध निर्णय तीसरी योजना के कार्यक्रमों का आधार है। तीसरी योजना में सहकारी ऋण और आपूर्ति, हाट-व्यवस्था और विधायन, उपभोक्ता, औद्योगिक और अन्य सहकारी समितियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। ये गतिविधि की विभिन्न दिशाएं हैं और इनमें से प्रत्येक अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर भी, ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बढ़ते हुए सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयत्नों के अविभाज्य अंग हैं।

5 सहकारिता के विकास के लिए तीसरी योजना में 80 करोड़ रु० रखे गए हैं, जब कि दूसरी योजना में यह राशि 34 करोड़ रु० की थी।

सहकारी ऋण

6 राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने नवम्बर 1958 में सहकारिता-नीति-विषयक एक प्रस्ताव में यह स्वीकार किया कि सहकारी समितियों का गठन ग्राम-समुदाय को प्राथमिक इकाई मान कर किया जाए तथा ग्राम-स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास की पहल और जिम्मेदारी पूर्णत: ग्राम-सहकारी समितियों और ग्राम-पंचायतों की होनी चाहिए। सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों को, जिनका लक्ष्य जनता के ही प्रयत्नों से ग्रामीण जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार करना है, पूरा करने के लिए सहकारी समितियों और पंचायतों को प्राथमिक अभिकरण समझा जाना चाहिए। ग्रामीण कृषि-योजना को सहकारी विकास-कार्यक्रम की बुनियाद समझना चाहिए तथा उसे उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

7 चूंकि ये निर्णय किए जा चुके थे, सहकारी ऋण-समिति ने तीसरी योजना की विशाल आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में सहकारी ऋण के विकास से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार किया। सितम्बर 1960 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर विचार किया तथा यह स्वीकार किया कि सामान्यत

ग्राम-समुदाय को प्राथमिक इकाई मान कर सहकारी समितियो का गठन किया जाना चाहिए, परन्तु जहा गाव बहुत छोटे हो, वहा एक सहकारी समिति-द्वारा सेवित गावो की सख्या सुदृढता की दृष्टि से बढाई जा सकती है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि कम से-कम गाव किसी सहकारी समिति में हो, ताकि वह सुदृढ हो सके और सहकारिता के मूल तत्व—यथा, स्वैच्छिक आधार, निकट सम्पर्क, सामाजिक एकता और परस्पर-दायित्व की भावना—उसमें प्रबल बन सकें। फिर भी गावो की सख्या का विस्तार एक निश्चित सीमा के अन्दर ही होना चाहिए—जैसे, इनकी जनसख्या 3,000 (यानी 600 परिवार या 500 कृषक-परिवार) तक हो और मुख्यालयवाले गाव से इनकी दूरी 3 या 4 मील से अधिक हो।

सहकारी समितियो की सुदृढता अथवा टिकाऊपन की एक सामान्य कसौटी यह है कि वे एक निश्चित अवधि के बाद सरकारी वित्तीय सहायता के बिना ही अपने आवश्यक खर्चों को पूरा कर लेती है या नही। फिर, सुदृढता का आकलन कुछ आवश्यक शर्तों की पूर्ति-सम्बन्धी कार्यक्रम के आधार पर होना चाहिए। इनमें से कुछ कार्यक्रम ये हैं—गाव के सभी परिवारो को सहकारिता की परिधि में लाना, गाव की कृषि-उत्पादन-योजना को प्रभावशाली ढग से पूरा करना, ऋण को उत्पादन और हाट-व्यवस्था के साथ सम्बद्ध करना, ऋणो के उपयोग का निरीक्षण करना, वितरण और आपूर्ति के कार्यों को हाथ में लेना और स्थानीय बचत को अधिक-से-अधिक हिस्सा-पूजी खरीदने और डिपाजिट में लगाना। सामान्य रूप से प्राथमिक ग्राम-समिति के लिए 3,000 की जनसख्या बहुत अधिक हो सकती है, अत यह वाछनीय समझा गया कि सगठन और सहकारी समितियो के आकार के सम्बन्ध में अनुचित रूप से कोई कठोर नियम निश्चित न किए जाए। इस व्यापक ढाचे मे सहकारी समितियो को अपना विकास स्वत करने के लिए छोड देना चाहिए। इस बात का विशेष आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वर्तमान समितियो मे केवल इसलिए हस्तक्षेप नही किया जाएगा कि उनका सगठन अब निश्चित किए गए स्वरूप से पूर्णत मेल नही खाता। लक्ष्य यह होना चाहिए कि इन्हे भी क्रमश नई व्यवस्था में खपा लिया जाए।

8 सगठन का जो स्वरूप ऊपर प्रस्तुत किया गया है, उसे उचित शर्तों के आधार पर सरकारी या साझीदारी के द्वारा भी समर्थन मिलना चाहिए। प्राथमिक-समिति की हिस्सा-पूजी सरकार तभी खरीद सकती है, जब उसके 60 प्रतिशत सदस्य इस बात की इच्छा प्रकट करें, तथा इस प्रस्ताव को सम्बद्ध केन्द्रीय बैंक का भी समर्थन प्राप्त हो। इसमे सरकार के योगदान के बराबर ही समिति के सदस्यो का भी योगदान होना चाहिए। सरकार का अधिकतम योगदान सामान्यत 5,000 रु० और विशेष अवस्थाओ में 10,000 रु० तक हो सकता है। सरकार द्वारा दी जानेवाली राशि 5 से 8 वर्ष तक रखी जा सकती है तथा उसके बाद वापस ली जा सकती है। सामान्यत प्राथमिक समितियो मे सरकारी योगदान परोक्ष ढग का, अर्थात् शीर्षस्थ अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंको के ज़रिए होना चाहिए। जहा किसी विशेष कारणवश हिस्सा-पूजी में सरकारी योगदान प्रत्यक्ष ढग का हो, वहा प्राथमिक समितियो की व्यवस्था-समितियो के निदेशको की नामज़दगी से बचा जाना चाहिए। अगर इस तरह की नामज़दगी आवश्यक समझी जाए, तो निदेशको को नामजद करने का अधिकार केन्द्रीय सहकारी बैंको को दे दिया जाना चाहिए।

सहकारी समितियां सभी वर्गों के किसानों को—मामूली और नाममात्र के किसानों तथा भूमिहीन किसानों को भी—अपना सदस्य बनाने में समर्थ हो सकें, इसके लिए और उनके उत्पादन की आवश्यकता तथा रुपये लौटाने की क्षमता के आधार पर पर्याप्त ऋण देने के लिए यह भी मान लिया गया कि राज्य-सरकारें प्रत्येक समिति को विगत वर्ष में दिए गए ऋणों के बाद चालू वर्ष में अतिरिक्त दिए गए ऋणों का 3 प्रतिशत सीधा दे सकती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक को उनके द्वारा दी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए बट्टा-खाते के कोश में 1 प्रतिशत का सीधा योगदान दिया जा सकता है। सघन कृषि-वाले जिलों में, जहां उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरे पैमाने पर ऋण दिया जाता है, सीधा अनुदान का स्तर कुछ ऊंचा है—प्रारम्भिक समिति के लिए 4 प्रतिशत और केन्द्रीय बैंकों के लिए 2 प्रतिशत। इन सीधे अनुदानों को इसी शर्त पर जारी रखा जा सकता है कि समाज के निर्बल वर्ग को, जो अब तक पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में असमर्थ था, अब आवश्यक सहायता मिल सके। प्रारम्भिक समितियों और केन्द्रीय बैंकों-द्वारा प्राप्त किए गए इन सीधे अनुदानों को विशेष बट्टा-खाता-कोश में जमा करा देना चाहिए। लाभ से निर्मित सामान्य बट्टा-खाता-कोश से यह कोश अलग होगा। यह आशा की गई है कि उचित समय पर पूरी सावधानी से यह अनुमान लगाया जाएगा कि किस सीमा तक प्रत्यक्ष अनुदानों से ऋण-सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिली है।

9 हिस्सा-पूंजी में सरकारी साझेदारी तथा विशेष बट्टा-खाता-कोश में सीधे अनुदान के अतिरिक्त, नई सेवा-सहकारी समितियों और उन विद्यमान सहकारी समितियों को, जो संगठन और पुनः शक्ति-संचय, सदस्यता में वृद्धि, हिस्सा-पूंजी, हाट-व्यवस्था को ऋण से सम्बद्ध करना, आदि स्वीकृत कार्यक्रमों को हाथ में लेती हैं, प्रबन्ध-अनुदान के रूप में 3 से 5 वर्ष तक की अवधि में अधिक-से-अधिक 900 रु० दिए जाते हैं। प्रबन्ध-अनुदान केवल उन्हीं समितियों को देने के लिए है, जो वस्तुतः विभिन्न सेवा-कार्यों—मुख्यतः ऋण का वितरण, उत्पादन की आवश्यकताओं की आपूर्ति और कृषि-उत्पादन के लिए हाट-व्यवस्था—को अपने हाथ में लेती है।

10 प्रथम दो योजनाओं की अवधि में प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों की संख्या 1,05,000 से बढ़ कर 2,10,000 तथा उनके सदस्यों की संख्या 44 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 70 लाख हो गई। इसी अवधि में प्राथमिक कृषि-समितियों-द्वारा दिए गए कुल ऋणों की राशि 23 करोड़ रु० से बढ़कर 200 करोड़ रु० हो गई। जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है, पहली योजना की तुलना में दूसरी योजना की अवधि में इस दिशा में कहीं अधिक प्रगति हुई।

तालिका-संख्या 1

प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों की प्रगति : पहली और दूसरी योजना

अवधि	समितियों की संख्या	सदस्य-संख्या (लाख)	(अल्प और मध्यम-कालीन ऋण की राशि (करोड़ रु०)
पहली योजना			
1950-51	1,04,998	44	22 9
1955-56	1,59,939	78	49 6

तालिका-संख्या 1—जारी

अवधि	समितियों की सख्या	सदस्य-संख्या (लाख)	(अल्प और मध्यम-कालीन ऋण की राशि (करोड रु०)
दूसरी योजना			
1956-57	1,61,510	91	67 3
1957-58	1,66,543	102	96 1
1958-59	1,82,905	119	125 5
1959-60	2,03,172	144	169 1
1960-61 (अनुमान)	2,10,000	170	200

दूसरी योजना की अवधि में, जहा तक दीर्घकालीन उधार का सम्बन्ध है, अवशिष्ट ऋणो को राशि 13 करोड रु० से बढ कर लगभग 34 करोड रु० हो गई।

11 तीसरी योजना में सहकारी ऋण के विस्तार-कार्यक्रमो को तैयार करते समय यह बात मुख्यत ध्यान में रखी गई कि योजना में निर्धारित विशाल कृषि-लक्ष्यो की पूर्ति के लिए होनेवाले, प्रयत्नो को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। योजना में यह आशा की गई है कि प्राथमिक सहकारी समितियो की सदस्य-सख्या बढ कर 3 करोड 70 लाख हो जाएगी और उनकी परिधि में लगभग 60 प्रतिशत कृषक जनता आ जाएगी। आशा की जाती है कि इन समितियो की सख्या बढ कर 2,30,000 हो जाएगी तथा देश के प्रत्येक गाव को इनकी सेवा प्राप्त होने लगेगी। अनुमान है कि अल्प और मध्यम-कालीन ऋणो की कुल राशि बढ कर 530 करोड रु० तथा दीर्घकालीन (अवशिष्ट) ऋणों की राशि लगभग 150 करोड रु० हो जाएगी। अनुबन्ध के विवरण 1 और 2 में अल्प और मध्यकालीन ऋणो की वर्तमान स्थिति तथा दूसरी और तीसरी योजना के अन्त में विभिन्न राज्यों में दीर्घकालीन ऋणो की स्थिति स्पष्ट की गई है।

12 तीसरी योजना के कृषि-कार्यक्रम सहकारिता-आन्दोलन को सशक्त बनाने की योजनाओ की सफलता पर अत्यधिक निर्भर करते है। पहली योजना के अन्त में जो 1,60,000 प्राथमिक समितिया थी, उनमें से अधिकाश या तो निष्क्रिय थी या अत्यधिक बुरी हालत में थी। दूसरी योजना की अवधि में 42,000 समितियो में पुन जीवन फूकने का कार्य हाथ में लिया गया। तीसरी योजना के कार्यक्रम में 52,000 प्राथमिक समितियो को पुनर्जीवित करने की व्यवस्था है। पुरानी समितियो को, जो अत्यधिक असन्तोषजनक ढग से काम कर रही थी, पुनर्जीवित करना तथा सहकारिता-आन्दोलन का विस्तार मुख्यत इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राथमिक ऋण-समितिया किस सीमा तक अपनी सदस्य-सख्या बढाने, स्थानीय बचत को गतिशील बनाने, प्रबन्ध को सुधारने और ऋण को हाट-व्यवस्था तथा उत्पादन के साथ जोडने में सफलता प्राप्त करती है। प्राथमिक और उच्चतर स्तरो पर ऋण-सगठनो के आन्तरिक स्रोतो को सुदृढ बनाने के लिए ये कदम उठाना आवश्यक है। उन राज्यो में, जहा सहकारिता-आन्दोलन निर्बलावस्था में है, तीसरी योजना के कार्यक्रमो को मूर्त रूप देने के लिए प्रथम कदम के रूप में सहकारिता को सगठित एव पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है।

13 योजना में आशा की गई है कि विभिन्न स्तरो पर सहकारिता-आन्दोलन के आन्तरिक साधनो में बडे पैमाने पर वृद्धि होगी। इस प्रकार, प्राथमिक सहकारी समितियो की हिस्सा-पूजी (सरकारी हिस्सो से अलग) सन् 1959-60 के 42 करोड

रु० से बढ कर सन् 1965-66 मे 85 करोड रु०, केन्द्रीय सहकारी वैंको की हिस्सा-पूजी 23 करोड रु० से बढ कर 62 करोड रु० और शीर्षस्थ बैंको की हिस्सा-पूजी 9 करोड रु० से बढ कर लगभग 33 करोड रु० हो जाएगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि सन् 1959-60 और 1965-66 के बीच प्राथमिक सहकारी समितियो की जमा-राशि लगभग 12 करोड रु० से बढ कर लगभग 42 करोड रु०, केन्द्रीय बैंको की जमा-राशि लगभग 95 करोड रु० से बढ कर लगभग 212 करोड रु० और शीर्षस्थ बैंको की जमा-राशि 60 करोड रु० से बढ कर 142 करोड रु० हो जाएगी।

14 उत्पादन की वर्तमान आवश्यकताए सेवा-सहकारी समितियो-द्वारा दिए गए अल्प और मध्यमकालीन ऋणो मे पूरी होती है। भूमि की उत्पादन-क्षमता बढाने के लिए दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण भी उतने ही आवश्यक है। ये आवश्यकताए मुख्यत सहकारी भूमि-बन्धक बैंको-द्वारा पूरी की जानी चाहिए। दूसरी योजना के अन्त में लगभग सभी राज्यो में केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक या शीर्षस्थ सहकारी बैंको से सम्बद्ध विशेष भूमि-बन्धक बैंकिंग-विभाग स्थापित हो गए थे। सन् 1959-60 में 407 प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक थे। तीसरी योजना में 265 नए प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक खोलने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक सीधे या अपने से सम्बद्ध प्राथमिक बैंको-द्वारा जो ऋण देते है, उनके कोश का मुख्य स्रोत ऋणपत्र (डिबेंचर) है। दीर्घकालीन ऋण (अवशिष्ट ऋण) के 150 करोड रु० के लक्ष्य की पूर्ति बहुत-कुछ भूमि-बन्धक बैंको को पूजी-विनियोग करनेवाली सस्थाओ-द्वारा मिलनेवाले समर्थन पर निर्भर करती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और जीवन-बीमा-निगम-जैसी सरकारी सस्थाओ से ही सर्वाधिक सहायता प्राप्त होगी।

15 दीर्घकालीन ऋणो के लिए उपलब्ध साधनो को बढाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर कृषि-विकास-वित्त-निगम की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रहा है। यह निगम केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंको-द्वारा सामान्य अवस्था में जारी किए गए ऋणपत्र खरीदेगा और कृषि-उत्पादन बढानेवाली उन योजनाओ के लिए धन की व्यवस्था करेगा, जो फलदायक ढग की तो है, पर जिनमें काफी पूजी लगाने की जरूरत है या जिनकी फल-प्राप्ति में बहुत समय लगनेवाला है—जैसे, रबड, कहवा, काजू और सुपारी के बागान, सिंचाई, कटूर बाध और भूमि-सरक्षण, तथा फलो के बाग और उद्यान लगाना एव उनका विकास करना। निगम-द्वारा दिए गए ऋण केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंको के माध्यम से प्राप्त होगे।

16 रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने प्रथम दो योजनाओ की अवधि में सहकारिता-आन्दोलन के सुगठन में वित्तीय सस्थाओं के निरीक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, सहकारी समितियो में हिस्सा-पूजी लगाने के लिए राज्य-सरकारो को ऋण-दान और सहकारी बैंको के लिए उधार की व्यवस्था-द्वारा एक निर्णायक भूमिका अदा की है। इसकी अवशिष्ट ऋण-राशि सन् 1955-56 के 14 करोड रु० से बढ कर सन् 1959-60 में लगभग 85 करोड रु० हो गई। अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील आवश्यकताओ और तीसरी योजना के कृषि-विषयक लक्ष्यो तथा उधार-सम्बन्धी जरूरतो को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक से पहले की अपेक्षा कही बडी भूमिका अदा करने के लिए कहा जाएगा।

बैंक को अनिवार्यत उधार लेनेवाली सस्थाओ की वित्तीय स्थिति सुदृढ बनाने और प्रशासनिक योग्यता बढाने की दृष्टि से अग्रिम धन देना होगा, इसके साथ ही, उसे उधार राशि के उपयोग के निरीक्षण एव अतीत में ऋणो की अदायगी से सम्बद्ध बातो पर भी ध्यान देना होगा। रिज़र्व बैंक को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि प्रत्येक राज्य का सहकारिता का ढाचा किस सीमा तक जमा-पूजी को गतिशील बनाने और अपने साधन-स्रोतो के निर्माण में सफलता प्राप्त करता है। रिज़र्व बैंक सहकारिता-आन्दोलन के वित्तीय ढाचे के पुनर्गठन के लिए उन राज्यो की सरकारो को सहायता देने का विशेष प्रयत्न कर रहा है, जहा प्रथम दो योजनाओ की अवधि में इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नही हुई है।

17. स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने भी सहकारिता-आन्दोलन को पर्याप्त सहायता प्रदान की है। सहकारी सस्थाओ की—विशेष रूप से उनकी, जो हाट-व्यवस्था और विधायन के कार्यों में लगी हैं—वित्तीय आवश्यकताओ के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाते हुए स्टेट बैंक ने रुपये भेजने की नि शुल्क सुविधाए प्रदान की और आसान शर्तों पर ऋण दिए। इसने भूमि-बन्धक बैंको के कार्यों को भी उनके द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऋणपत्र खरीद कर और ऋणपत्रो के जारी होने तक की अल्पकालीन अवधि में अन्तरिम सहायता देकर प्रोत्साहित किया है। एक ओर हाट-व्यवस्था और विधायन-समितियो का काम बढने तथा दूसरी ओर स्टेट बैंक और उसके सहायक कार्यालयो का विस्तृत जाल बिछ जाने के कारण जिन नीतियो और प्रक्रियाओ को जन्म दिया गया है, उनके चलते बैंक को इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि वह तीसरी योजना में और बड़े पैमाने पर सहकारी समितियो के लिए अपनी सहायता का विस्तार कर सके।

सहकारी हाट-व्यवस्था

18 ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण में सम्बद्ध ग्रामीण ऋण-योजना की जो सिफारिश की गई है, उसमें सहकारी हाट-व्यवस्था के विकास को विशेष महत्व का स्थान दिया गया है। प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियो को मुख्य बाजारो या अन्य उपयुक्त स्थानो पर स्थापित किया जाना था, और इनके साथ प्राथमिक कृषि-ऋण-समितिया सम्बद्ध की जानी थी। हाट-व्यवस्था-समितियो को कर्मचारियो के रूप में सहायता दी जानी थी और उनकी हिस्सा-पूजी में राज्य-सरकारो को भी हिस्सा लेना था। मुख्यत इसी आधार पर दूसरी योजना की अवधि में 1,869 प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियो को राष्ट्रीय सहकारिता-विकास और भाडारण-मडल के द्वारा सहायता मिली। तीसरी योजना में प्रस्तावित 600 अतिरिक्त हाट-व्यवस्था-समितियो की स्थापना हो जाने के बाद देश की 2,500 मडियो में से प्रत्येक में या उनके निकट एक हाट-व्यवस्था-समिति स्थापित हो जाएगी। इन हाट-व्यवस्था-समितियो के अतिरिक्त गन्ना-आपूर्ति-समितियो का, जो बिहार और उत्तरप्रदेश में बडी सख्या में हैं, कपास ओटने और उनकी गाठें बाधने की समितियो का, जो गुजरात और महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, अनेक राज्यो में हाल में स्थापित दूध-आपूर्ति-सघो का भी उल्लेख किया जा सकता है।

19 उत्पादक के लिए अनुकूल शर्तों पर कृषि-उत्पादनो को बेचने के अपने काम के अलावा हाट-व्यवस्था-समितियो से यह भी आशा की जाती है कि वे कृषि-उत्पादन के लिए

किसानों-द्वारा वाञ्छित सामान के वितरक का भी काम करेंगी। ये कृषि-ऋण-अनुदानों और हाट-व्यवस्था के बीच सम्बन्ध-स्थापना के लिए भी आवश्यक हैं। हाट-व्यवस्था-समितियों की कार्रवाइयों के बारे में उपलब्ध आंकड़े अनेक दृष्टि से अपूर्ण हैं। फिर भी, अनुमान है कि इस समय हाट-व्यवस्था-समितियां कृषि-उत्पादन का जो व्यापार कर रही हैं, वह लगभग 200 करोड़ रु० का है। इस राशि के बढ़ कर 400 करोड़ रु० हो जाने की आशा की जाती है। खाद्यान्नों और व्यावसायिक फसलों के बने हुए फालतू परिमाण के अधिकांश के व्यापार की व्यवस्था सहकारी समितियों-द्वारा किए जाने की चेष्टा की जाएगी। निर्यात-व्यापार में भी सहकारी समितियों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हाट-व्यवस्था-समितियां सहकारी वित्त-अभिकरणों से और बहुत-कुछ स्टेट बैंक आफ इण्डिया से भी धन प्राप्त करती हैं। इनकी मुख्य समस्याएं चालू लेन-देन के लिए पर्याप्त धन जुटाना, प्रबन्ध में सुधार करना और अपने सदस्यों से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना है। मूल्यों को स्थिर करने की नीतियों से सहकारी हाट-व्यवस्था के विकास और उधार के विस्तार में बड़ी सुविधा हो जाएगी। राष्ट्रीय सहकारिता-विकास और भाण्डारण-मंडल के सुझाव पर पश्चिम-बंगाल में पटसन, राजस्थान में गेहूं और आन्ध्रप्रदेश में धान की सहकारी हाट-व्यवस्था के सम्बन्ध में विशिष्ट समस्याओं की जांच की जा रही है।

मंडियों और गांवों में गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम हाट-व्यवस्था के कार्यक्रम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरी योजना की अवधि में लगभग 1,670 गोदाम बनाए गए। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 980 अतिरिक्त गोदामों की स्थापना की आशा है। दूसरी योजना के अन्त तक 4,100 ग्रामीण गोदाम बनाए जा चुके थे। तीसरी योजना की अवधि में इनकी संख्या बढ़ कर 9,200 हो जाने की आशा की जाती है।

सहकारी विधायन

20 सहकारी विधायन का विकास न केवल ग्रामीण आय को बढ़ाने और उत्पादन के लिए ऋण-सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, अपितु सहकारिता के आधार पर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। जहां सहकारी विधायन-इकाइयां सफलतापूर्वक स्थापित की जा चुकी हैं, वहां वे अनेक सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास में बहुत मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। सहकारी विधायन एक अपेक्षाकृत नई शुरुआत है। तुलनात्मक दृष्टि से अन्य विधायन-उद्योगों की अपेक्षा चीनी और कपास को ओटने और उसकी गांठें बांधने के काम में अधिक प्रगति हुई है। सन् 1960-61 में कुल 41 में से 30 चीनी के सहकारी कारखाने उत्पादन में संलग्न थे। तीसरी योजना की अवधि में चीनी उद्योग की प्रगति के तथ्यों पर निर्भर करते हुए 25 नए सहकारी चीनी-कारखानों के स्थापित होने की आशा है। सहकारी चीनी-उद्योग के विकास में औद्योगिक वित्त-निगम ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरी योजना में सहकारी चीनी-कारखानों को सहायता जारी रखने के अलावा, निगम अन्य क्षेत्रों में सहकारी विधायन के विकास को बढ़ावा देने में समर्थ हो सकेगा। हाल में इस दिशा में जो एक महत्वपूर्ण बात हुई है, वह है सहकारी चीनी-कारखानों के राष्ट्रीय संघ की

स्थापना । इनका उद्देश्य वर्तमान कारखानो की कार्यदक्षता बढाना और नई इकाइयों का उन्नति-साधन करना है।

दूसरी योजना की अवधि में चीनी-कारखानो के अलावा 378 सहकारी विधायन-इकाइयो को सहायता दी गई। इनमें 84 कपास ओटने और उनकी गाठें बाधने की इकाइया, 109 चावल की मिलें, 20 तेल-मिलें, 17 पटसन की गाठें बाधने के सयन्त्र, 26 मूगफली का छिलका उतारने के सयन्त्र और 122 अन्य इकाइया सम्मिलित थी। तीसरी योजना के कार्यक्रम में 783 सहकारी विधायन-इकाइयों की स्थापना की व्यवस्था है। इनमें 48 कपास ओटने और उसकी गाठें बनाने के सयन्त्र, 36 चावल-मिलें, 29 पटसन की गाठें बाधने के सयन्त्र, 33 तेल-मिलें, 63 मूगफली के छिलके उतारने के सम्बन्ध में सयन्त्र, 77 फलो को डिब्बो में बन्द करने की इकाइया, 411 धान कूटने की इकाइया तथा 86 अन्य इकाइया होगी।

21 हाल के वर्षो में सहकारी चीनी-उद्योग ने जो द्रुत प्रगति की है, उससे अन्य क्षेत्रों में भी महकारी विधायन-इकाइयो के मगठन के बारे में द्विविध सुझाव सामने आया है। पहली बात यह कि कृषिगत कच्ची सामग्रियो के उत्पादन और अन्तिम उत्पादन के उपभोग में प्रत्याशित वृद्धि की दृष्टि मे आवश्यक उद्योग की हर शाखा में नई इकाइयो की सख्या के सम्बन्ध मे सम्पूर्ण कार्यक्रम बनाए जाए। इस योजना के अधीन, सहकारी क्षेत्र का कितना विस्तार अपेक्षित है, इसका निश्चय व्यापक ढग से विचार के बाद किया जाना चाहिए। विशिष्ट प्रस्ताव के निर्माण को सुगम बनाने के लिए सयन्त्र के डिजाइन, पूजी-विनियोग और निर्माण-व्यय के अनुमान तथा अन्य तकनीकी आकडे आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही, सहकारी चीनी-कारखानो की तरह अन्य प्रकार की विधायन-इकाइयो के लिए वित्तीय व्यवस्था का सकेत दिया जाना चाहिए और उत्पादको, राज्य-सरकारो तथा उपयुक्त वित्तीय सस्थाओ के सम्भावित योगदान को पहले ही निश्चित रूप से बता दिया जाना चाहिए। निकट भविष्य में केन्द्र और राज्य-सरकारों-द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता-विकास और भाडारण-मडल के परामर्श से इन आधारों पर व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पृष्ठभूमि में स्थानीय आयोजन के एक पहलू के रूप में और प्रत्येक जिले में महकारिता की दृष्टि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढाचे को सुदृढ करने के लिए ठोस प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाने चाहिए। यदि आवश्यक परिस्थितिया प्रदान की जाए, तो सहकारी विधायन के विकास के लिए व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है। यह बात न केवल नई इकाइयो के बारे में लागू होती है, अपितु क्रमश ऐमी इकाइयो के सहकारिता के आधार पर पुनर्गठन के लिए भी लागू होती है, जो इस समय निजी स्वामित्व में चल रही है। यह दूसरा पहलू व्यापक दृष्टि से देखने पर काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, क्योंकि प्रथमत सार्वजनिक नीति का यह लक्ष्य है कि विधायन-उद्योगो का पुर्नगठन निजी स्वामित्व के स्थान पर सहकारिता के आधार पर किया जाए और दूसरे, ऐसे अनेक उद्योगो में या तो क्षमता आवश्यकता से अधिक है या उनकी वर्तमान क्षमता को अधिक बढाया नही जा सकता। यह आवश्यक है कि विधायन-उद्योगो के विस्तार के प्रस्ताव सम्बद्ध ग्रामोद्योगो के कार्यक्रमो से तालमेल रखनेवाले हो। विधायन और अन्य प्रयोजनो के लिए बडे सहकारी उद्योगों के सगठन में श्रमिको और कर्मचारियो की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि जिस सहकारी उद्योग में वे काम करते है, उसकी व्यवस्था में हिस्सा ले सके।

सहकारी कृषि

22 पहली और दूसरी, दोनों ही योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुन-र्निर्माण में सहकारी कृषि की भूमिका पर बल दिया गया था। दूसरी योजना में इस बारे में निर्धारित लक्ष्य में कहा गया था कि ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जिनसे सहकारी कृषि के लिए एक सुदृढ आधार तैयार हो सके और लगभग 10 वर्षों में कृषि-भूमि के एक बडे हिस्से में सहकारी आधार पर खेती शुरू हो जाए। जन-सख्या में वृद्धि और कृषि-उत्पादन तथा ग्रामीण रोजगार तेजी से बढाने की आवश्यकता के कारण यह अनिवार्य हो गया है कि सहकारी कृषि के विकास-सम्बन्धी प्रयत्नो को जोरदार बनाया जाए और जितनी जल्दी हो सके, दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। मुख्यत सहकारी कृषि की उन्नति सामुदायिक विकास-आन्दोलन के सामान्य कृषि-सम्बन्धी प्रयत्नो की सफलता, ऋण, हाट-व्यवस्था, वितरण एव विधायन में सहकारिता की प्रगति, ग्रामोद्योगो के विकास और भूमि-सुधार के लक्ष्यो की पूर्ति पर निर्भर करती है। ग्रामीण प्रगति में सहकारी कृषि का योगदान उसी हद तक महत्वपूर्ण होगा, जिस हद तक यह वास्तविक स्थानीय नेतृत्व में एक स्वैच्छिक सामहिक आन्दोलन का रूप धारण करेगी और ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास तथा सहकारिता की तर्कसगत परिणति सिद्ध होगी। सामुदायिक विकास की दृष्टि और ग्राम-समुदाय द्वारा अपने प्रत्येक सदस्य के कल्याण की जिम्मेदारी स्वीकार किए जाने के बाद सहकारी कृषि की मुख्य समस्याए सगठनात्मक, तकनीकी और शिक्षा-सम्बन्धी हैं। आन्तरिक प्रबन्ध की समस्याओं पर, जो अनेक सहकारी कृषि-समितियो के सामने उपस्थित हैं, सिलसिले-वार ढग से विचार करने और उनके विभिन्न क्षेत्रो के लिए व्यावहारिक हल ढूढने की आवश्यकता है।

23 सहकारी कृषि से सम्बद्ध कार्यकारी दल ने अनेक विद्यमान सहकारी कृषि-समितियो का सर्वेक्षण करने के उपरान्त इन समस्याओ पर सामान्य रूप से विचार किया है। इस दल ने सगठन और सहायता के स्वरूप के सम्बन्ध में तो अपनी सिफारिशें पेश की ही है, मार्गदर्शक परियोजनाओ की एक योजना का भी सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य सहकारी कृषि के द्रुत विस्तार का मार्ग प्रशस्त करना है। कार्यकारी दल की सिफारिशो के आधार पर तैयार किए गए प्रस्तावो पर राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने सितम्बर 1960 में विचार किया। परिषद् ने सहकारी कृषि-समितियो के सगठन और उन्हें दी जानेवाली सहायता के बारे में कुछ व्यापक निदेशक सिद्धान्त निश्चित किए।

सहकारी कृषि के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी कृषि-परामर्शदाता-मडल की स्थापना की है। कुछ राज्यो में भी इसी प्रकार के मडल बनाए गए है। सहकारी कृषि से सम्बद्ध कार्य-कारी दल ने मार्गदर्शक परियोजनाओ के रूप में 3,200 सहकारी कृषि-समितिया—प्रत्येक जिले में मोटे तौर पर दस समितिया—स्थापित करने का सुझाव दिया था। सहकारी कृषि के विकास-कार्यक्रम के ये प्रथम चरण-स्वरूप है। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए हाल में ही 65 मार्गदर्शक जिलो का चुनाव किया गया है। सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियो को इस सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मार्गदर्शक परियोजनाओ

के अतिरिक्त, राज्य-सरकारें उन सहकारी कृषि-समितियो को, जो स्वेच्छा से बनाई गई है, सहायता प्रदान करती रहेगी।

24 सहकारी कृषि के विकास के लिए संगठन का जो सामान्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, उसमे इस सिद्धान्त पर बल दिया गया है कि सहकारी कृषि एक स्वैच्छिक आन्दोलन है और सहकारी कृषि-समिति का सदस्य बनने के लिए किसी किसान पर दबाव डालने का कोई प्रश्न नही उठना चाहिए। सहकारी कृषि-समितियो की सदस्यता केवल उन्ही लोगो तक सीमित रहनी चाहिए, जो खेत मे काम करने या उससे सम्बद्ध कार्यो में भाग लेने को तैयार हो। सामान्यत स्वय कृषि-कार्य न करनेवाले भू-स्वामियो को इसका सदस्य नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियो को, जो विकलागता, सरकारी नौकरी, उम्र, स्त्री होने या एक से अधिक गावो में भूमि होने के कारण खेती के काम में भाग नही ले सकते, खेती के काम में हिस्सा न लेने पर भी सदस्य बनाया जा सकता है, परन्तु ऐसे व्यक्तियो की सख्या कुल सदस्य-सख्या के एक-चौथाई भाग से अधिक नही होनी चाहिए।

सहकारी खेतो के आकार के प्रश्न पर दो दृष्टियो से विचार किया जाना चाहिए। प्रथमत, खेत का आकार इतना बडा हो कि उसमे काम करना आर्थिक दृष्टि से लाभ-दायक सिद्ध हो, और दूसरी बात, सहकारी कृषि को किस ढग से विकसित किया जाए कि पचवर्षीय योजनाओ में प्रस्तुत आधार पर गाव की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास हो। यद्यपि सहकारी खेतो के आकार के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निश्चित नही की गई है, तथापि राज्य-सरकारें विशेष सरकारी सहायता के प्रयोजन से सदस्यता और क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ न्यूनतम उपयुक्त शर्तें निश्चित कर सकती है।

सहकारी कृषि-समिति के सदस्यो से यह आशा की जाती है कि वे अपनी भूमि कम-से-कम 5 वर्ष के लिए अन्य लोगो की भूमि के साथ सयुक्त रखेंगे। इस अवधि मे विशेष परिस्थितियों में ही किसी को अपनी भूमि वापस लेने की अनुमति मिल सकती है। सहकारी कृषि-समितियो से यह आशा की जाती है कि वे सदस्यो को उनके द्वारा दी गई भूमि के लिए भी उचित मुनाफा प्रदान करेंगे—उनके काम के एवज में तो उन्हें मुनाफा मिलेगा ही। यद्यपि सहकारी कृषि के लिए खेतो की चकबन्दी आवश्यक नही मानी गई है, तथापि यह सुझाव रखा गया है कि सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए चकबन्दी की व्यवस्था का लाभ उठाया जाए। छोटे खेतो के मालिको को सहकारी कृषि में शामिल होने के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

25 मार्गदर्शक परियोजनाओ तथा सहायता के लिए चुनी गई अन्य सहकारी कृषि-समितियो के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें 4,000 रु० तक के मध्यम और दीर्घकालीन ऋण, गोदाम और जानवरो के निवास के लिए ऋण और अनुदान के रूप में 5,000 रु० तथा 3 से 5 वर्ष की अवधि में 1,200 रु० के विस्तृत प्रबन्ध-अनुदान दिए जाएगे। मार्गदर्शक परियोजनाओ में विशेषत ऐसी सहकारी कृषि-समितियों मे, जिनके अधिकाश सदस्य भूमिहीन श्रमिक और छोटे या नाममात्र के किसान है, हिस्सा-पूजी मे सरकारी योगदान की व्यवस्था है। सरकारी योगदान की अधिकतम सीमा 2,000 रु० होगी। सरकारी योगदान की राशि निश्चित रूप मे सदस्यो-द्वारा जमा की गई राशि से अधिक नही होगी। सरकारी रकम को 10 वर्ष की अवधि में वापस कर देना होगा। सामुदायिक विकास-खण्डो तथा कृषि-कार्यक्रमो मे उपलब्ध

होनेवाली वित्तीय सहायता के लिए सहकारी कृषि-समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सहकारी कृषि की मार्गदर्शक परियोजनाओं के लिए राज्यों की योजनाओं में रखी गई 6 करोड़ रु० की राशि के अतिरिक्त केन्द्र ने भी अन्य सहकारी कृषि-समितियों के विकास में सहायता देने के लिए 6 करोड़ रु० नियत कर दिए हैं। सहकारी कृषि के विकास के क्षेत्र में ज्यों-ज्यों प्रगति होगी, त्यों-त्यों इन प्रयत्नों का समर्थन करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त साधनों को जुटाने में कठिनाइयां कम होती जाएगी। जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे मार्गदर्शक परियोजनाओं में तथा अन्यत्र जो व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होंगे, उनके आलोक में सहकारी कृषि के विकास के लिए और अधिक व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे।

उपभोक्ता-सहकारी समितियां

26 दूसरे विश्व-युद्ध की अवधि में और उसके बाद नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ता-दुकानों की स्थापना हुई। सन् 1951-52 में ऐसी प्राथमिक दुकानों की संख्या 9,757, उनके सदस्यों की संख्या 18 लाख 50 हजार और उनके द्वारा किया गया व्यापार 82 करोड़ रु० से भी अधिक का था। बाद के वर्षों में इनमें से अनेक दुकानें बन्द हो गई। सन् 1959-60 में प्राथमिक दुकानों की संख्या 7,168, उनके सदस्यों की संख्या लगभग 14 लाख और उनकी कुल चुकता पूंजी 2 करोड़ 40 लाख रु० थी। इन दुकानों में से एक-तिहाई से भी कम दुकानें लाभ में चल रही थी। तीसरी योजना के कार्यक्रमों में अस्थायी तौर पर 50 थोक दुकानों और 2,200 प्राथमिक उपभोक्ता-दुकानों को सहायता देने की व्यवस्था है। इन लक्ष्यों पर राष्ट्रीय सहकारिता-विकास और भांडारण-मंडल-द्वारा उपभोक्ता-सहकारी समितियों के सम्बन्ध में नियुक्त समिति की हाल की रिपोर्ट के प्रकाश में और विचार किए जाने की जरूरत होगी। इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक शीर्षस्थ थोक दुकान हो, जो विशेषत शहरी क्षेत्रों की प्राथमिक दुकानों से सम्बद्ध हो। समिति का यह भी विचार है कि अभी राज्य से छोटे क्षेत्र में थोक दुकान खोलना उपयोगी नही होगा, क्योंकि सम्भवत उसके लिए व्यापार पर्याप्त मात्रा में नही उपलब्ध हो सकेगा। समिति ने शीर्षस्थ थोक दुकानों और प्राथमिक दुकानों की हिस्सा-पूंजी में राज्य के भाग लेने का भी सुझाव दिया है। एक सफल उपभोक्ता-सहकारी आन्दोलन विकास के लिए, विशेषत शहरी क्षेत्रों में, जरूरत और अवसर, दोनों ही विद्यमान हैं, परन्तु अब तक इस दिशा में बड़ा सीमित प्रयत्न किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता-सामग्रियों के वितरण का कार्य सेवा-सहकारी समितियों के क्षेत्र में आएगा तथा माल उपलब्ध करने का प्रबन्ध सामान्यत हाट-व्यवस्था-समितियों के माध्यम से होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी किस्म के तैयार उपभोक्ता-माल की, जिनकी आम तौर पर मांग है, पूर्ति का कार्य प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियों या इसी प्रकार के अन्य अभिकरणों को, जो पहले से ही ऐसा काम कर रहे हैं, सौंपा जा सकता है। तीसरी योजना में उपभोक्ता-सहकारी समितियों के विकास के लिए सामान्यत अनुकूल परिस्थितियां हैं और यदि विशेष प्रयत्न किए जाए, तो प्रगति बहुत तेज हो सकती है। उनसे न केवल खुदरा मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता मिलेगी, अपितु खाद्यान्नों में मिलावट करने की बुराई भी रुक सकेगी।

औद्योगिक सहकारी समितियां

27 हथकरघा, नारियल-जटा और कुछ अन्य उद्योगो में औद्योगिक सहकारी समितियो को बहुत सफलता मिली है। फिर भी, एक आम आन्दोलन के रूप में, अनेक व्यावहारिक बाधाओ के कारण, उसकी प्रगति में रुकावटें आती रही है। नवम्बर 1959 मे भारत-सरकार-द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियो के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने के बाद ऐसे अनेक निश्चय किए गए, जिन्हे यदि उचित वातावरण और नेतृत्व मिला, तो तीसरी योजना में औद्योगिक सहकारी समितियो के विकास में बडी सहायता मिलेगी। इस समय औद्योगिक सहकारी समितिया तीन व्यापक ढाचो पर चल रही हैं। कुछ में इनके सदस्य उत्पादन-कार्य निजी तौर पर अलग-अलग करते है, परन्तु कुछ सेवाओ—जैसे, कच्चे माल की प्राप्ति—के लिए आपस में सहयोग करते है। फिर, कुछ अन्य समितियो के सदस्य उत्पादन, हाट-व्यवस्था और अन्य सम्बद्ध कार्रवाइया सयुक्त रूप से करते है। तीसरा प्रकार उन समितियों का है, जिनके सदस्य काम तो अलग-अलग करते हैं, किन्तु कुछ विशिष्ट सेवाओ के लिए सहकारी कर्मशालाए स्थापित करते है। हथकरघा और ग्रामोद्योगो में तथा अन्य अनेक लघु उद्योगो में श्रमिको की सहकारी समितिया बनाने के अच्छे अवसर है। लघु उद्योगों के एक बडे क्षेत्र में सामान्य सुविधाए प्रदान करने, कच्चे माल के प्रारम्भिक विधायन, विशिष्ट विधायन, सयुक्त रूप से सामान की आपूर्ति करने और हाट-व्यवस्था के लिए सहकारी समितिया सगठित करने के अवसर और भी अधिक है।

28 यद्यपि राज्यो की योजनाओ में औद्योगिक सहकारी समितियो को प्रोत्साहन देने और श्रमिको को सहायता प्रदान करने के कार्यक्रम हैं, तथापि तीसरी योजना में इस दिशा में तीव्रतर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। विकास के वर्तमान स्तर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगिक सहकारी समितियो के निर्माण के लिए जो सुविधाए और छूटें मिली हैं, उनका कारगर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब इन समितियो के स्वरूप को भी ऐसा बना दिया गया है कि वर्तमान सहकारी समितियों की शक्ति बढे, नई समितियो को दृढ आधार पर सगठित होने का प्रोत्साहन मिले और वित्तीय और हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याओ के हल पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके। सगठन के सामान्य ढाचे के रूप में औद्योगिक सहकारी समितियो के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जो निश्चय किए गए है, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है

(1) सरकार और केन्द्रीय सहकारी अभिकरणो-द्वारा कार्यकारी पूजी के लिए सूद की रिआयती दर पर ऋणो की व्यवस्था,

(2) औद्योगिक सहकारी समितियो के सदस्यो को हिस्सा-पूजी खरीदने के लिए ऋण देने की व्यवस्था,

(3) प्रबन्ध-कर्मचारियो, सुधरे हुए औजारो और उपकरणो के लिए अनुदानो की व्यवस्था,

(4) सहकारी बैंको के विशिष्ट प्रबन्धकीय एव निरीक्षक कर्मचारियो के लिए एक सीमित अवधि तक सहायता की व्यवस्था,

(5) औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास की देखभाल करने के लिए नियुक्त अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए व्यय में सरकार-द्वारा हिस्सा बटाना, और

(6) सीमित समय के लिए स्वीकृत सहकारी वित्त-अभिकरणों-द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए स्वीकृत अग्रिम धन की गारटी की व्यवस्था।

वर्तमान सकेतों के अनुसार तीसरी योजना में औद्योगिक सहकारी समितियों की सख्या 30,000 से बढ़ कर 40,000, उनके सदस्यों की सख्या 20 लाख से बढ़कर 30 लाख तथा उनकी हिस्सा-पूजी 10 करोड़ रु० से बढ़ कर 20 करोड़ रु० हो जाएगी। यह वाछनीय है कि हाल में किए गए निर्णयो के आलोक में केन्द्र और राज्य-सरकारों को औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के लिए परवर्ती एव विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के हेतु कदम उठाने चाहिए और इस बात की गारटी देनी चाहिए कि समितियों को अपनी गतिविधियों के प्रसार के लिए सरकारी अभिकरणो अखिल भारतीय मडलो तथा विभिन्न वित्तीय सस्थानो में आवश्यक समर्थन मिलेगा।

श्रमिक और निर्माण-सहकारी समितियां

29 पहली योजना के समय से ही ग्रामीण क्षेत्रो में सिचाई एव अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए श्रमिक-सहकारी समितिया सगठित करने के महत्व पर बल दिया जा रहा है। अनेक राज्यो में—मुख्यत पजाब, बम्बई, आन्ध्रप्रदेश और राजस्थान में—श्रमिक-सहकारी समितिया, श्रमिक-ठेका-समितिया, आदि की स्थापना के लिए प्रयत्न किए गए हैं। इन समितियो से ऐसे काम हाथ में लेने की अपेक्षा की जाती है, जिनमें कुशल अथवा अर्द्धकुशल श्रमिको की आवश्यकता हो। ध्येय यह है कि इनके कारण क्रमश ठेकेदारी-प्रथा समाप्त हो जाए। ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के लिए तीसरी योजना में कार्यान्वित किए जानेवाले निर्माण-कार्यक्रमो में भी श्रमिक-सहकारी समितियो को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यद्यपि यह नीति स्वीकार कर ली गई है कि यथा-सम्भव निर्माण-कार्य सहकारी समितियो को (जहां स्वैच्छिक सगठन हों, वहा उनको) सौंपे जाए, तथापि इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाइयो की विस्तृत व्यवस्था करना आवश्यक है।

30 श्रमिक और निर्माण-सहकारी समितियों तथा स्वैच्छिक सगठनो को इन वर्गों के निर्माण-कार्य लाभ के साथ सौंपे जा सकते हैं

(1) सभी प्रकार के खुदाई के काम तथा बहुद्देश्यीय, बड़े और मध्यम सिचाई-कार्यों, बाढ-नियन्त्रण-योजनाओं, छोटे सिचाई-कार्यो और सड़क-निर्माण से सम्बद्ध साधारण राजगीरी का काम,

(2) साधारण सरकारी भवन—यथा, हॉस्टल, प्रशासनिक कार्यालय, धर्म-शालाएं, रिहायशी मकान, विद्यालय भवन—और ग्रामीण क्षेत्रो में अन्य स्थानीय निर्माण-कार्य, तथा

(3) पत्थर, पत्थर के टुकड़े, गिट्टियो और रेत, आदि भवन-निर्माण के काम आनेवाले सामान बड़ी मात्रा में उपलब्ध करना।

वास्तविक श्रमिक-सहकारी समितिया और स्वैच्छिक सगठन इन कामो को हाथ में ले सकें, इसके लिए कुछ प्रशासनिक शर्तो को पूरा करना होगा, जिनमे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है

(1) उपलब्ध निर्माण-कार्यो के एक हिस्से को सहकारी समितियो और स्वैच्छिक सगठनो के लिए निश्चित कर देना। इस मात्रा को इन सगठनो की क्षमता मे होनेवाले विकास के अनुसार बढाया जाना चाहिए,

(2) काम बराबर मिलते रहने का आश्वासन। इन कामो की विशालता, स्वरूप तथा विशिष्ट कामो की सूचना काफी पहले दी जानी चाहिए,

(3) निजी ठेकेदारो के मुकाबले सहकारी समितियो और स्वैच्छिक सगठनो को प्राथमिकता देना तथा जहा सम्भव हो, बातचीत के आधार पर काम वितरित करना,

(4) निश्चित दरो के अनुसार उचित दरो पर काम देना। इसमे सक्षम अधिकारी कुछ प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि या कमी भी कर सकता है। यथासम्भव क्रम से काम का वितरण किया जाना चाहिए,

(5) अदायगियो में विलम्ब से बचना और जितना काम हो गया है, उसके खाते अदायगी का अधिकार,

(6) सहकारी समितियो और स्वैच्छिक सगठनो के काम के लिए तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध करना, तथा

(7) कार्य-सचालन-पूजी और उपकरणो की खरीद के लिए ऋण देकर सहायता करना।

श्रमिक-सहकारी समितियो के कार्यो के बारे मे विभिन्न राज्यो में जो अनुभव प्राप्त हुए है, उनके आधार पर उपयुक्त सगठनात्मक स्वरूप तैयार किए जाने चाहिए।

लक्ष्य यह होना चाहिए कि श्रमिक-सहकारी सगठनो और स्वैच्छिक सगठनो का निर्माण एक ऐसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में हो, जो सरकारी विभागो, पचायत-समितियो और पचायतो की ओर से किए जा रहे कार्यो के माध्यम से रोजगार प्रदान कर सके और विकास-कार्यो को हाथ में ले सके। एक बार जब इस प्रकार के सगठन स्थापित हो जाएगे, तब उनके और विस्तृत होने की सम्भावनाए और अनेक क्षेत्रो में समाज को मिलनेवाले उनके लाभो के विस्तार की स्थितिया स्वय ही निर्मित हो जाएगी।

आवास सहकारी समितियां

31 सन् 1959-60 में 5,564 आवास-सहकारी समितिया थी, जिनके सदस्यो की सख्या 3,22,000 थी। आवास-सहकारी समितियो ने सन् 1959-60 मे 45,000 मकान बनवाए, जब कि सन् 1958-59 में यह सख्या 44,000 और सन् 1957-58 में 36,000 थी। विभिन्न आवास-कार्यक्रमो के अधीन, जिन पर इस समय काम हो रहा है, आवास-सहकारी समितियो के निर्माण की सुविधाए प्रदान की गई है। उदाहरण

के लिए, सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना में औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी समितियों के कुल खर्च के 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। अल्प आय-वर्ग की आवास-योजना एवं अन्य योजनाओं के अधीन, जो कई विकासशील नगरों में कार्यान्वित की जा रही हैं, सहकारी समितियों को या तो अनुकूल शर्तों पर भूमि दी जाती है अथवा निजी भूमि का अधिग्रहण करने में सहायता दी जाती है। ग्राम-आवास-योजना में भी कुछ चुने हुए गावों में ईंटों, दरवाजों, खिडकियों तथा अन्य सामान की तैयारी के लिए आवास-सहकारी समितियों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इन विभिन्न व्यवस्थाओं का समुचित रूप से और एक निश्चित नीति के अग-रूप में उपयोग होना चाहिए, ताकि गावों और शहरों में समान रूप से आवास और जीवन की स्थिति में सुधार आए। तीसरी योजना के इस प्रस्ताव से कि एक केन्द्रीय आवास-मडल की स्थापना की जाए और राज्यों में भी आवास-मडलों का निर्माण किया जाए, आवास-सहकारी समितियों को अधिक बल मिल सकेगा। अनेक बड़े शहरों के लिए अन्तरिम ग्राम योजनाओं और मास्टर प्लान तथा कुछ चुने हुए गावों की रूपरेखा के निर्माण से, जिन पर आवास-सम्बन्धी अध्याय में प्रकाश डाला गया है, तीसरी योजना की अवधि में आवास-सहकारी समितियों को विकसित करने और उनको समर्थन प्रदान करने की नीतियों को बड़े पैमाने पर मूर्त रूप देना सरल हो जाएगा।

अन्य ऋणेतर सहकारी समितिया

32 ऊपर जिन विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों पर विचार किया गया है, उनके अतिरिक्त गन्ना और दूध उपलब्ध करनेवाली, मत्स्योद्योग और दूध-उद्योग का विकास करनेवाली तथा कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनेवाली सहकारी समितिया भी हैं। गन्ना उपलब्ध करनेवाली समितियों की सदस्य-सख्या 23 लाख 40 हजार, दूध वितरण करनेवाली समितियों की सदस्य-सख्या 2,33,000 और मत्स्योद्योग-समितियों की सदस्य-सख्या 2,20,000 है। दूसरी योजना के अन्त तक 16 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए थे। तीसरी योजना में 33 और कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएगे। तीसरी योजना मे बड़े पैमाने पर मत्स्योद्योग के विकास तथा दूध-उद्योग के विस्तार के कार्यक्रम हैं। ये सब क्षेत्र सहकारी समितियों के विकास के लिए बड़े आशापूर्ण हैं। परिवहन-सहकारी समितियों को भी शिक्षित बेकार व्यक्तियों को नए अवसर प्रदान करने के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहकारिता का सिद्धान्त उद्योग और सेवाओं के अनेक नए क्षेत्रों में—जैसे, उपकरणों का निर्माण, छपाई, कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति, सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था, आदि—लागू किया जा सकता है। आदिवासी-विकास-खडों और उन क्षेत्रों में, जहा मुख्यत अनुसूचित आदिमजातियां निवास करती हैं। सहकारी समितियों के निर्माण और परम्परागत हस्तशिल्प के विकास के लिए व्यापक अवसर हैं, विशेषत वन्य क्षेत्रों में। केन्द्रीय सरकार ने हाल में एक समिति नियुक्त की है, जो आदिमजाति-क्षेत्रों की विशेष स्थिति और आवश्यकताओं को देखते हुए यह विचार करेगी कि वहा सहकारिता के लिए किस तरह की प्रक्रिया या कानून को अपनाया जाए।

सहकारिता का प्रशिक्षण और प्रशासन

33 ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण में सहकारिता के कार्यक्रमो को योग्यतापूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियो के महत्व पर बहुत बल दिया गया है और विगत कुछ वर्षों में सहकारिता के कर्मचारियो को-प्रशिक्षित करने की दिशा में बहुत काम हुआ है। दूसरी योजना के अन्त में पूना-स्थित सहकारिता-प्रशिक्षण-कालेज के अतिरिक्त, जिसमें सहकारिता-विभाग के उच्च अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है, 13 प्रादेशिक केन्द्र मध्यवर्ती और विकास-खण्ड-स्तर की सहकारी समितियो के अधिकारियो को और 82 सहकारिता-प्रशिक्षण-केन्द्र कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए है। मध्यवर्ती प्रशिक्षण-केन्द्रो में भूमि-बन्धक-बैंक-प्रणाली और हाट-व्यवस्था के बारे में विशेष पाठ्यक्रम चालू किए गए है। दूसरी योजना के अन्त में प्रशिक्षित व्यक्तियो मे 543 वरिष्ठ अधिकारी, 3,417 खड-स्तरीय और मध्यवर्ती अधिकारी और 34,000 कनिष्ठ कर्मचारी थे। 382 लोगो ने भूमि-बन्धक-बैंक-प्रणाली का और 1,253 ने सहकारी हाट-व्यवस्था का पाठ्यक्रम पूरा किया। अखिल भारतीय सहकारी सघ और राज्यो के सहकारी सघो ने पदाधिकारियो, प्रबन्ध-समितियो के सदस्यो और प्राथमिक सहकारी समितियो के सदस्यो को प्रशिक्षित करने के लिए 368 भ्रमण-दल सगठित किए। दूसरी योजना के अन्त तक इन वर्गो के क्रमश 28,500, 12,000 और 7,26,000 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

34 तीसरी योजना के लिए राज्यो ने जो कार्यक्रम बनाए है, उनमे अनेक कदमो के अतिरिक्त सहकारी समितियो के कनिष्ठ कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए 13 विद्यालय खोलने तथा सहकारी समितियो के सदस्यो को भ्रमण-दलो-द्वारा शिक्षित करने के कार्यक्रम को जारी रखने पर बल दिया गया है। सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय ने सहकारिता-प्रशिक्षण के बारे में जिस अध्ययन-दल को नियुक्त किया था, उसने हाल ही में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए है। । इसमें मध्यवर्ती कर्मचारियो के प्रशिक्षण-केन्द्रो की सख्या बढा कर 15 और कनिष्ठ कर्मचारियों के सहकारी प्रशिक्षण-केन्द्रो की सख्या 120 करने का सुझाव दिया गया है। इस दल की उक्त तथा अन्य सिफारिशें अभी विचाराधीन है।

35 दूसरी योजना की अवधि में राज्य-सहकारिता-विभागो को, विशेष रूप से लेखा-परीक्षण, अधीक्षण और निरीक्षण, आदि कार्यो में सगठित करने के लिए कदम उठाए गए है। तीसरी योजना में सहकारिता-विभाग के विभिन्न स्तर के कर्मचारियो को अपने विषय का पूरा ज्ञान कराने के लिए लगभग 5 करोड रु० रखे गए है।

36 ग्रामीण क्षेत्रो में सघन विकास के आयोजन और कार्यान्वयन में पचायती राज-सस्थाओ और सहकारी सगठनो की एक अनुपूरक भूमिका है तथा उनमें हर स्तर पर निकट सहयोग होना चाहिए। जिला-परिषदो, पचायत-समितियो और ग्राम-पचायतों को सहकारी समितियो के विकास के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और सामुदायिक प्रयास तथा सामाजिक दायित्व का एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए, जो हर स्तर पर सहकारी समितियो के सफल कार्य-सचालन के लिए आवश्यक है। सहकारी सगठनो के सम्बन्ध में नियमन-विषयक अधिकार सरकार के हाथ में बने रह सकते है, परन्तु उनमें से कुछ सघीय सहकारी सगठनो को क्रमश हस्तान्तरित किए जाने चाहिए।

इससे आन्दोलन को आत्मनियमित स्वरूप प्राप्त करने और स्थानीय नेतृत्व के विकास में मदद मिलेगी।

37 सहकारिता जनता का आन्दोलन है और सहकारी विकास की पहल तथा आन्दोलन की गतिविधियों के नियमन की जिम्मेदारी क्रमश सहकारी सस्थानो और उनके उच्चतर सघीय सगठनो पर आनी चाहिए। इस सन्दर्भ में सहकारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रो में सुदक्ष सघीय सगठनो का निर्माण विशेष महत्व रखता है। जैसे-जैसे इन सगठनो की शक्ति बढे, वैसे-वैसे इन्हें अधिक अधिकार दिए जा सकते है तथा विभागीय कार्रवाइया पजीकरण, लेखा-परीक्षण, पच-निर्णय एव निरीक्षण तक सीमित की जा सकती है। सहकारिता, सहकारी प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रचार की उन्नति-सम्बन्धी कार्य सहकारी सघो के विशिष्ट क्षेत्र में पडते है। राज्य और जिला-स्तर पर सहकारी सघो को इस तरह सगठित किया जाना चाहिए कि वे इन जिम्मेदारियों को ग्रहण कर सके, और नीचे से ही एक सुदृढ सघीय ढाचे का निर्माण हो सके।

अनुबन्ध

विवरण 1—प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियां

राज्य	30 जून, 1960 को समितियों की कुल सख्या	घाटे में चलनेवाली समितियो का अनुपात (1959-60)	30 जून, 1960 को बकाया राशि का अनुपात	समितियो का पुनरुद्धार: दूसरी योजना (अनुमित)	समितियो का पुनरुद्धार: तीसरी योजना (कार्यक्रम)	अल्प और मध्यमकालीन ऋण (लाख रु०): 1959-60 (दिए गए)	अल्प और मध्यमकालीन ऋण (लाख रु०): 1960-61 (अनुमित)	अल्प और मध्यमकालीन ऋण (लाख रु०): 1965 66 (कार्यक्रम)	सदस्यो की सख्या (हजार): 1959-60	सदस्यो की सख्या (हजार): 1960-61 (अनुमित)	सदस्यो की सख्या (हजार): 1965-66 (कार्यक्रम)
आन्ध्रप्रदेश	12,527	27	14	4,000	4,000	1,750	2,000	6,000	1,262.	1,500	4,00
असम	3,070	34	55	2,500	—	137	250	800	159	250	800
बिहार	16,222	37	55	1,580	8,000	129	180	1,150	706	1,000	2,000
गुजरात	7,053	33	25	5,600	1,000	2,126	2,700	5,000	750	900	1,500
महाराष्ट्र	17,816	21	27	—	3,000	2,937	3,700	10,000	1,531	1,800	4,000
जम्मू-कश्मीर	1,294	9	26	425	—	65	100	500	233	300	600
केरल	2,289	34	20	600	1,000	409	500	1,600	756	850	1,500
मध्यप्रदेश	20,629	16	21	3,500	6,000	1,301	1,500	4,000	789	900	2,000
मद्रास	9,589	24	11	1,000	2,000	1,737	2,000	4,700	1,584	2,000	3,900
मैसूर	8,017	25	33	3,780	2,000	1,203	1,500	3,750	1,054	1,200	2,100
उड़ीसा	6,520	35	20	472	2,000	235	275	1,800	369	500	1,800
पजाब	17,107	18	26	2,750	2,500	1,129	1,300	3,000	1,126	1,340	2,100
राजस्थान	9,281	13	19	3,000	1,000	539	650	1,800	573	700	2,000
उत्तरप्रदेश	57,136	10	6	9,500	15,000	2,922	3,400	7,000	2,883	3,300	6,500
पश्चिम-बगाल	13,076	27	43	2,700	4,500	227	300	1,500	571	700	2,000
सघीय क्षेत्र	1,546	19	18	645	180	64	100	317	137	250	429
योग	2,03,172	21	21	42,052	52,180	16,910	20,455-	52,917	14,483	17,490	37,229

अध्याय 14

भूमि-सुधार

तीसरी योजना के उद्देश्य

भूमि-सुधार-कार्यक्रमों के—जिन्हें पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था—दो विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि पहले से चले आ रहे कृषि-विषयक ढांचे के कारण खेती की पैदावार बढ़ाने में जो रोड़े अटक रहे हैं, उन्हें दूर किया जाए। इससे ऐसी परिस्थितियां पैदा करने में सहायता मिलेगी, जिनमें जल्दी-से-जल्दी कार्यकुशलता और उत्पादकता के उच्च स्तर से युक्त कृषि-अर्थव्यवस्था विकसित हो सके। दूसरे उद्देश्य का भी इस पहले उद्देश्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरा उद्देश्य यह है कि हमारी कृषि-प्रणाली में शोषण और सामाजिक अन्याय के जो तत्व हैं, वे खत्म हो जाएं, जमीन जोतनेवाले को सुरक्षा मिले और गांवों के सभी वर्ग के लोगों को बराबर का दर्जा और बराबर के अवसर प्राप्त हों।

2 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए गए, उनमें मुख्य ये थे बिचौलियों के अथवा लगान उगाहनेवालों के पट्टे खत्म कर दिए गए, और काश्त-व्यवस्था में सुधार किए गए। इसमें लगान का नियमन तथा उसमें कमी और काश्त की सुरक्षा भी शामिल है। काश्त-व्यवस्था में सुधार के क्रम में एक कदम यह भी उठाया गया कि काश्तकार को स्वामित्व-अधिकार दे दिए गए।

3 विशेष रूप से दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह विचार किया गया कि भूमि के स्वामित्व को लेकर जो विषमताएं उपस्थित हैं, उन्हें कम करने के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह नीति उन देशों के आर्थिक विकास के लिए व्यापक रूप से अनिवार्य मानी जाती है, जिनमें जमीन का परिमाण तो सीमित हो, पर उस पर निर्भर रहनेवाले लोगों की संख्या बहुत हो। यह अनुभव किया गया कि खेती की जमीनों के वितरण के मौजूदा तरीके और छोटे फार्मों की बहुतायत को देखते हुए अगर एक निश्चित सीमा के ऊपर की सब जमीनों को लेकर उनका फिर से वितरण करने का फैसला कर भी लिया जाए, तो ऐसी फाजिल जमीन बहुत नहीं मिल सकेगी और इसका कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकल सकेगा। फिर भी, यह विचार किया गया कि प्रगतिशील सहकारी ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विषमताओं का कम होना एक जरूरी शर्त है। इसके साथ ही, जितनी भूमि का पुनर्वितरण सम्भव हो सकेगा, उससे, और उन दूसरे उपायों से, जो बंजर जमीनों पर लोगों को फिर से बसाने के लिए किए गए हैं, भूमिहीन लोगों को थोड़ा-बहुत अवसर मिलेगा ही। इन भूमिहीन लोगों की समस्याओं की ओर पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने की जरूरत है कि भूमि-सुधार की योजना जिन सिद्धान्तों पर निर्भर है, उनमें सिर्फ यही निहित नहीं है कि भूमि पर आश्रित लोगों के विभिन्न वर्गों के हितों में समन्वय स्थापित कर दिया जाए, बल्कि यह भी है कि वे एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण के अंग हैं और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में कुछ हद तक उनका प्रयोग करना आवश्यक है।

4 स्पष्ट है कि उपर्युक्त विवेचन के अनुसार भूमि-सुधार-कार्यक्रम पर अमल करने का नतीजा यह होगा कि भारत में अधिकांश काश्तकार भूस्वामी-किसान बन जाएंगे। अब जरूरत इस बात की है कि ऋण, हाट-व्यवस्था, विधायन और वितरण के लिए—क्रमश उत्पादन के लिए भी—स्वेच्छा से सहकारी समितियां गठित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन और सहायता दी जाए। जिस हद तक पुनस्संगठन का यह काम ग्राम-स्तर पर किया जाएगा, उस हद तक छोटी और खर्चीली जोतों से पैदा होनेवाली कुछ कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा तथा हर समुदाय में आर्थिक दृष्टि से हीन लोगों को अपना स्तर ऊंचा उठाने में मदद दी जा सकेगी। इस बात पर हमेशा जोर दिया गया है कि जैसे-जैसे भूमि-सुधार की एक-एक मंजिल पूरी होती जाएगी, वैसे-वैसे खेती की पैदावार बढ़ाने और ग्राम-अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने में किसानों को अधिकाधिक सहायता देना सम्भव हो सकेगा। जब किसानों में आपस में अधिक समझदारी होगी और ग्राम-समाज अधिक सबल होगा, तब स्थानीय प्रयत्न भी बढ़ेंगे और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति अधिक तेजी से होगी।

5 जैसे-जैसे एक के बाद दूसरे राज्य में विधान बनाए गए हैं, वैसे-वैसे भूमि-सुधार की जरूरतों को अधिकाधिक समझा जाने लगा है, यह भी स्पष्ट हुआ है कि उसके उद्देश्य क्या हैं। भूदान और ग्रामदान-आन्दोलनों से एक ऐसे वातावरण के निर्माण में मदद मिली है, जिसमें भूमि-सुधार के प्रगतिशील उपायों को कार्यान्वित करना सरल होगा। लेकिन भूमि-सुधार का कुल असर उतना नहीं पड़ा है जितने की आशा की गई थी। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि विकास के विध्यात्मक कार्यक्रम के रूप में भूमि-सुधार को बहुत ही कम मान्यता मिली है और अक्सर यही समझा गया है कि सामुदायिक विकास की योजना तथा खेती की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी बात, भूमि-सुधार के प्रशासकीय पहलुओं की ओर काफी ध्यान नहीं दिया गया। अक्सर प्रशासन के निचले स्तरों पर छल-कपट और कानूनी व्यवस्था से बच निकलने की रोकथाम नहीं हो सकी। कानूनी व्यवस्थाओं को कारगर तरीकों से लागू करने के पक्ष में ग्राम-समाज का समर्थन और सहयोग भी नहीं जुटाया जा सका। तीसरी बात, इस तथ्य को काफी अच्छी तरह महसूस नहीं किया गया कि भूमि के पट्टों में सुधार और जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण सहकारी ग्राम-अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आधार-स्वरूप है। यह तो आवश्यक है ही कि विधान में या नियमों में जो कमियां दिखाई पड़ें, उन्हें दूर किया जाए, साथ ही यह भी निहायत जरूरी है कि भूमि-सुधार-कार्यक्रम कम-से-कम वक्त में पूरा हो जाए, ताकि कार्यान्विति में देरी के कारण किसी तरह की अनिश्चय की भावना पैदा न हो। तीसरी योजना के प्रस्तावों के अध्ययन में मदद करने के लिए योजना-आयोग ने जो भूमि-सुधार-समिति बनाई, उसने इस पहलू पर खास तौर पर जोर दिया है।

बिचौलियों के पट्टों की समाप्ति

6 जमीन्दारी, जागीरदारी और इनाम—जैसे बिचौलियों के पट्टे खत्म करने का काम लगभग पूरा हो गया है। इनकी परिधि में देश का लगभग ४० प्रतिशत भाग आता था। केवल कुछ मामूली पट्टे अभी शेष हैं—जैसे, धार्मिक और दातव्य संस्थाओं के पट्टे और सैनिकों को उनकी सेवा के लिए दिए गए इनाम। इन सुधारों के फलस्वरूप दो करोड़ से भी अधिक

काश्तकारो का राज्य से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरी है। बिचौलियो के पट्टे खत्म हो जाने से खेती-योग्य बजर भूमि के काफी बडे इलाके और निजी वन सरकारी प्रबन्ध में आ गए है।

7 बिचौलियो के पट्टेवाले कई राज्यो में आवश्यक राजस्व-प्रशासन नहीं था। पिछले कुछ वर्षो मे उन्होने अपनी राजस्व-सस्थाओ को मजबूत बनाने की दिशा मे काफी काम किया है। पर अभी और सुधार की जरूरत है—खास तौर से गाव के स्तर पर। जमीन मापने और उसका बन्दोबस्त करने तथा मिल्कियत के रिकार्ड तैयार करने में भी काफी प्रगति हुई है, मगर अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। राजस्व-प्रशासन पर जो भारी बोझ आ गया है, मुख्यत उसी के कारण बिचौलियो का मुआवजा निर्धारित करने और उसकी अदायगी में कुछ देर हो गई है। कुल 670 करोड रु० में से (जिसमें 520 करोड मुआवजे के है और 150 करोड रु० व्याज के) अब तक सिर्फ 164 करोड रु० की अदायगी मुआवजे के रूप में की गई है और वह भी मुख्यत बौडो के रूप में है। यह जरूरी है कि तीसरी योजना के दौरान सारे राज्य मुआवजे के वे बौड जारी कर दे, जो अब तक नही किए गए है, मिल्कियत के रिकार्ड पूरे कर लें, तथा बिचौलियो की प्रथा खत्म करने से पैदा होनेवाले अन्य प्रशासकीय कार्य भी पूरे कर लें।

लगान में कमी

8 दस साल पहले देश के अधिकाश भाग में खुदमर्जी काश्तकार, गैर-दखलकारी काश्तकार तथा बटाईदार लगान के रूप में आम तौर से उपज का आधा हिस्सा या उससे भी ज्यादा दिया करता था। लगान के अलावा, उसे अक्सर कुछ और भी भुगतान करने होते थे, जिससे काश्तकारो का बोझ बढ जाया करता था। पहली पचवर्षीय योजना मे स्थिति पर विस्तार से विचार किया गया और उसमें यह सुझाव दिया गया कि अगर उपज के चौथे या पाचवें हिस्से से ज्यादा दर से लगान लिया जाए, तो उसे उचित ठहराने के लिए विशेष कारण बताने की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ वर्षों में सभी राज्यो में जमीन्दारो को मिलनेवाले लगान के नियमन के लिए विधान बनाए जा चुके है। कुछ राज्यो में—जैसे, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में—अब अधिक-से-अधिक लगान, फसल का छठा हिस्सा हो सकता है। असम, केरल, उडीसा तथा सघीय क्षेत्रो में उपज का चौथाई हिस्सा या उससे भी कम लगान के रूप मे देना होता है। कई राज्यो में अब भी लगान का सामान्य स्तर उपज का एक-तिहाई हिस्सा है। आशा की जाती है कि इन राज्यो मे लगान कम करके उसी स्तर पर ले आया जाएगा, जिसका विचार पहली दोनो योजनाओ में किया गया था, ताकि काश्तकारो की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधारने में सुविधा हो।

9 काश्तकारी विधान के शुरु के वर्षो मे यह देखा गया कि लगान की घटी हुई दरें—और काश्त की दूसरी शर्तें—जिनकी व्यवस्था विधान में की गई थी, अच्छी तरह लागू नही की गई और अधिकतर लगान की वही दरें प्रचलित रही जो पहले से चली आ रही थी। जहा भूमि के पट्टे-सम्बन्धी व्यवस्था किन्ही दो पक्षो के बीच हो जाए वहा कई कारणो से विधान-द्वारा निर्दिष्ट मानदडो में परिवर्तन किया जा सकता है—जैसे, मालिक-द्वारा बीज देने, बैलो का इन्तजाम करने अथवा सिचाई का खर्च देने-सम्बन्धी निर्णय। शुरू में काश्तकार लोग विधान में दिए गए अपने अधिकारो के प्रति भी अनजान रहे। जहा

जमीन पर दबाव अधिक है और गांव के काश्तकारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कमजोर है, वहां कानून की शरण लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई करने में खर्च अधिक होता है और आम तौर से उतना खर्च उठाना काश्तकारों की शक्ति के बाहर होता है। अतः विधान बन जाने के बाद भी कई तरह से विद्यमान शर्तों और परिस्थितियों का ही पलड़ा भारी ठहरता है। इसलिए काश्तकारी-विधान की सफल क्रियान्विति इस बात पर निर्भर करती है कि सरकारी संस्थाएं उत्साह के साथ और जम कर इस दिशा में विशेष प्रयत्न करें। जरूरत सिर्फ इसी बात की नहीं कि काश्तकार को उसके अधिकारों से परिचित कराने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता है कि हर क्षेत्र के लोगों को यह अधिक अच्छी तरह समझा दिया जाए कि भूमि-सुधार के उद्देश्य क्या हैं। साथ ही, उन्हें जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाना चाहिए।

10 यद्यपि अतीत में आम तौर से लगान की अदायगी कुल उपज के किसी खास हिस्से के रूप में की जाती रही है, तथापि ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास और विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये के अधिकाधिक प्रयोग के कारण अब नीति के तौर पर यह वांछनीय होगा कि लगान की अदायगी उपज के अंश के बजाय नकदी के रूप में की जाए। किसानों को अपनी आवश्यकताओं का जो भाग—जैसे उर्वरक, औजार, आदि—नकद रुपये देकर खरीदना पड़ता है, उसका अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए अगर वे अपना लगान नकद अदा करने लगेंगे, तो इससे न सिर्फ काश्तकारों का बोझ कम होगा, बल्कि खेती में पूंजी-विनियोग भी बढ़ेगा। जैसा कि दूसरी योजना में सुझाव दिया गया था, लगान को उपज के अंश के बजाय नकद भुगतान में बदलने का काम इस तरह आसान हो सकता है कि हर क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगान भू-राजस्व के मौजूदा निर्धारण के एक अंश के रूप में तय कर दिए जाएं। जहां यह सम्भव न हो, दूसरे तथ्यों के आधार पर उचित मानदंड तय किए जा सकते हैं। अगर राज्य-सरकारें यह जरूरी कर दें कि भूस्वामी लगान-वसूली की रसीदें दें और अगर—जैसा कि कुछ राज्यों में रिवाज है—यह व्यवस्था हो जाए कि काश्तकार उपयुक्त राजस्व-अधिकारी के यहां लगान जमा करके इस बात की सूचना भूस्वामी को दे दें, तो विधान-द्वारा लागू किए गए लगानों को प्रचलित करने में बड़ी सहायता मिल सकती है।

काश्त की सुरक्षा

11 काश्त की सुरक्षा के विधान ग्यारह राज्यों और सभी संघीय क्षेत्रों में लागू किए जा चुके हैं। चार राज्यों में विधेयक विधान-मंडल के समक्ष पेश हैं और निकट भविष्य में ही उन्हें कानून का रूप मिल जाएगा। जब तक विधान बनें, तब तक के लिए काश्तकारों की बेदखली की रोकथाम कर दी गई है। काश्त की सुरक्षा-विषयक विधान के तीन मूल उद्देश्य हैं—एक तो यह, कि कानून की व्यवस्थाओं के अनुरूप होने पर ही बेदखली हो, दूसरे, भूस्वामी को अगर जमीन वापस मिले भी, तो सिर्फ 'खुदकाश्त' करने के लिए, और तीसरे, अगर भूस्वामी जमीन को वापस ले, तो भी काश्तकार को एक नियत न्यूनतम क्षेत्र का भरोसा रहे।

12 काश्त-सम्बन्धी विधान के पहले दौर में शायद यह अनिवार्य था कि भूस्वामियों और काश्तकारों के अधिकारों को नियमित करनेवाली व्यवस्थाएं कुछ विस्तृत और विशद

हो। इस तरह की जटिलता विधान को कारगर बनाने के रास्ते मे रोडा बन जाती है। अब तक जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनकी रोशनी में यह सुझाव दिया गया है कि जहा भी सम्भव हो, मौजूदा विधान को सरल बनाने के उपाय किए जाए और जिन व्यवस्थाओ को लागू करना व्यवहार मे कठिन हो, उन्हे और मजबूत बनाया जाए या उनका सशोधन किया जाए।

13 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, काश्त-सम्बन्धी विधान का काश्तकार की खुशहाली की दृष्टि से उतना फल नही निकला, जितने की आशा की गई थी। इसका एक मुख्य कारण यह है कि कई राज्यो में 'स्वैच्छिक समर्पण' के नाम पर खासे बडे पैमाने पर काश्त-कारो की बेदखली हुई। दूसरी योजना में इस सम्बन्ध में दो मुख्य सिफारिशें की गई थी। एक तो यह, कि जमीन की काश्त करनेवालो के स्वैच्छिक समर्पण को तब तक वैध न माना जाए, जब तक कि राजस्व-अधिकारियो-द्वारा उनकी उचित रूप से रजिस्ट्री न कर ली जाए। दूसरे, काश्तकार के अपना हक छोड देने पर भी भूस्वामी जमीन के उतने ही हिस्से पर अधिकार कर सके, जितने की अनुमति उसे कानून के अधीन प्राप्त हो। कुल मिला कर, विधान और प्रशासनिक कार्रवाई, दोनो ही क्षेत्रो में इन सिफारिशो का पूरा-पूरा पालन नही हो सका। कुछ राज्यो में यह व्यवस्था जरूर की गई है कि काश्तकार अगर जमीन छोडे, तो उसकी रजिस्ट्री की जाए। काश्तकार के भूमि-समर्पण की रजिस्ट्री बहुत जरूरी है और काश्त-विषयक विधान मे इस तरह की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। मौजूदा विधान में दूसरी खामी भूमि-समर्पण पर लागू होनेवाली शर्तों के बारे में है। दो राज्यो ने दूसरी योजना की इस सिफारिश को लागू कर दिया है कि खुदकाश्त को दुबारा शुरू करने की जो शर्तें हैं, वैसी ही शर्तों के अनुसार काश्तकार के स्वैच्छिक समर्पण के बाद जमीन दुबारा हासिल की जा सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात में दुबारा जमीन हासिल करने की जो कुल सीमा है, वह भूमि-समर्पण के बारे में भी लागू होती है। लेकिन भूमि-समर्पण से सम्बन्धित अन्य शर्तें भिन्न हैं। जैसा कि दूसरी योजना में कहा गया था, काश्तकारी के स्वैच्छिक समर्पण के जितने मामले होते है, वे सब ठीक ही होते है, सो बात नही—अधिकतर मामलो पर शक किया जा सकता है। इस सिलसिले में जो जाच और तफतीश की गई है, उससे यह बात पक्का हो चुकी है। इसलिए यह जरूरी है कि 'स्वैच्छिक समर्पण' की रजिस्ट्री और उसके कारण खाली होनेवाली जमीनो को फिर से हासिल करने के मामले में जितनी प्रशासनिक और कानूनी खामिया है, उन्हे दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाए।

14 अधिकतर राज्यो में विधान के अन्तर्गत 'खुदकाश्त' की, जो नियमत काश्तकारो से फिर जमीन हासिल करने की आवश्यक शर्त है, व्याख्या की गई है। 'खुदकाश्त' में तीन बातें है—काश्त की जोखिम, श्रम और निजी देख-रेख। काश्त की सारी जोखिम भूस्वामी-द्वारा बर्दाश्त किए जाने मे यह तथ्य निहित है कि पारिश्रमिक नकद या वस्तु के रूप मे दिया जाएगा, पर फसल के हिस्से के रूप में नही। 'श्रम' की परिभाषा आम तौर पर यह दी जाती है कि भूस्वामी स्वय या उसके परिवार का कोई सदस्य खेत में श्रम करेगा, परन्तु खुदकाश्त में इसका अनिवार्य स्थान नही है। दूसरी योजना में यह सुझाव रखा गया था कि जहा 'खुदकाश्त' के आधार पर जमीन को फिर से हासिल किया जाए, वहा व्यक्तिगत श्रम की आवश्यकता मानना वाछनीय होगा और अगर ऐसा न हो, तो बेदखल काश्तकार को जमीन वापस पाने का अधिकार होना चाहिए। राज्यो ने जो विधान बनाए हैं, उनमें अभी

तक इस सुझाव को शामिल नहीं किया गया है। इस तरह की व्यवस्था वांछनीय है और इससे विधान को अधिक कारगर बनाने में सहायता मिलेगी। 'देख-रेख' के अनिवार्य तत्व के रूप में दूसरी योजना में यह माना गया था कि फसल के मौसम के अधिकांश समय में जिस गांव में ज़मीन हो उसमें या नियत दूरी के भीतर बने हुए किसी पड़ोस के गांव में भूस्वामी या उसके परिवार का कोई सदस्य रहे। भूमि-सुधार-समिति ने सुझाव दिया है कि यहां भूस्वामी या उसके परिवार के किसी सदस्य के रहने की शर्त उसी अरसे में लागू रहनी चाहिए, जब खेती के मुख्य कार्य किए जा रहे हों। राज्य-सरकारों को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए और जिस हद तक जरूरी हो, 'निजी देख-रेख' की वर्तमान परिभाषाओं में संशोधन करना चाहिए।

काश्त के अधिकार की पुनः प्राप्ति

15 दूसरी योजना में खुदकाश्त के आधार पर काश्तकारी की पुन प्राप्ति के नियमन के बारे में मुख्य सिफारिशें ये थीं—

(1) जो क्षेत्र फिर से प्राप्त किया जाना है, उसकी घोषणा एक खास अरसे में कर दी जानी चाहिए और उसका पहले से सीमांकन कर दिया जाना चाहिए।

(2) जिन भूस्वामियों के पास बहुत छोटे चक हों—जैसे जिनके पास परिवार के पूरे चक का एक-तिहाई या उससे भी कम हो—उन्हें खुदकाश्त के लिए अपनी सारी ज़मीन पाने की छूट होनी चाहिए। जिनके पास उस स्तर से बड़े चक हों, वे खुदकाश्त के लिए अपनी ज़मीन पा तो सकते हैं, परन्तु उसमें से कुछ न्यूनतम क्षेत्र उन्हें काश्तकार के पास छोड़ना पड़ेगा।

(3) फिर से ज़मीन पाने के अधिकार का उपयोग 5 साल के भीतर किया जा सकता है।

(4) जो लोग सेना में काम कर रहे हों या जो किसी तरह से अक्षम हों—जैसे, विधवाएं, नाबालिग बच्चे अथवा शारीरिक या मानसिक अशक्तता से पीड़ित लोग—उन्हें पट्टे पर ज़मीनें देने की अनुमति होनी चाहिए और जब उनकी अक्षमता दूर हो जाए, तब खुदकाश्त के लिए फिर से ज़मीन पाने का उन्हें अधिकार होना चाहिए।

16 जिस तरह से विधान बनाए गए हैं अथवा विचाराधीन हैं, उनके आधार पर राज्यों की मोटे तौर पर चार श्रेणियां की जा सकती हैं—

(अ) वे राज्य जिनमें भूस्वामियों को फिर से ज़मीन पाने की अनुमति नहीं दी जाती—जैसे, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और शिकमी रैयतों के मामले में पश्चिम-बंगाल,

(आ) वे राज्य जिनमें खुदकाश्त के लिए एक सीमित क्षेत्र फिर से पाने का अधिकार दिया जाता है, पर यह शर्त होती है कि एक न्यूनतम क्षेत्र या जोत का एक हिस्सा काश्तकार के पास रहे—जैसे, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश और मणिपुर,

(इ) वे राज्य जिनमें इस शर्त पर ज़मीन फिर से हासिल करने का अधिकार होता है कि काश्तकार को खेती के लिए कहीं और नियत सीमा तक की ज़मीन दी जाए और यह ज़मीन उपलब्ध करना राज्य का काम हो—जैसे, पंजाब और [illegible], तथा

(ई) वे राज्य, जिनमें नियत अधिकतम सीमा तक की जमीन फिर से पाने का अधिकार है और साथ ही, जिनमें काश्तकार के लिए न्यूनतम क्षेत्र की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती—जैसे, आन्ध्रप्रदेश और मद्रास। पश्चिम-बंगाल में बरगादारों को—जो फसल के बटाईदार होते हैं—काश्तकार नहीं समझा जाता। शिकमी रैयत को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे उन्हें प्राप्त नहीं होते, हालांकि अगर बारीकी से देखें, तो वे 'काश्तकार' की ही परिभाषा में आते हैं।

17 खुदकाश्त के आधार पर जमीन फिर से हासिल करने के विधान पर अमल किए जाने के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। पहली बात तो यह, कि शर्तें चाहे कुछ हों, जमीन फिर से पाने का अधिकार अनिश्चय पैदा करता है और विधान के द्वारा जो सुरक्षा काश्तकार को दी जाती है, उसे घटाता है। पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में यह तय किया गया था कि पांच वर्ष के बाद जमीन फिर से हासिल करने की अनुमति देना जरूरी नहीं होगा। ख्याल यह है कि जितना अरसा निकल चुका है, उसे ध्यान में रखते हुए जिन भूस्वामियों के पास परिवार की जोत के बराबर या उससे कम जमीन है, उनको छोड़ कर और किसी को जमीन फिर से हासिल करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। काश्तकार के लिए भय और अनिश्चय की स्थिति कृषि-विकास के लिए अहितकर सिद्ध होगी। दूसरी बात यह है कि छोटे-छोटे जमीन्दारों का—जिनके पास पारिवारिक जोत के बराबर या उससे भी कम जमीन है—खास ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसा कि दूसरी योजना में सुझाव दिया गया है, जिनके पास बुनियादी जोत से भी कम जमीन (यानी पारिवारिक जोत के एक-तिहाई से भी कम जमीन) है, उन्हें खुदकाश्त या पट्टे पर देने के लिए अपनी सारी जमीन पाने का अधिकार होना चाहिए। जहां तक ऐसे जमीन्दारों का सवाल है, जिनकी जमीन का क्षेत्र पारिवारिक जोत और बुनियादी जोत के बीच में है, उन्हें नियत अवधि के भीतर काश्तकार के पास जितनी जमीन हो, उसका आधा हिस्सा खुदकाश्त के लिए पाने का अधिकार होना चाहिए, परन्तु यह आधा हिस्सा बुनियादी जोत से किसी भी तरह कम नहीं होना चाहिए। अगर काश्तकार के पास जमीन न रहे, या जितना उसके पास बच रहे, वह बुनियादी जोत से कम हो, तो सरकार को उसके खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। आम तौर से उद्देश्य यह होना चाहिए कि छोटे भूस्वामियों को—उनमें भी खास तौर से उन लोगों को, जिनके पास बहुत छोटे-छोटे जोत हों—सहकारी कृषि-समितियों में शामिल होने का प्रोत्साहन मिले। सहकारी कृषि-समिति के सदस्य बन जाने पर वे इस स्थिति में होंगे कि इच्छा करने पर दूसरा काम शुरू कर सकें। इन भूस्वामियों के लिए कोई ऐसी अवधि नियत करना जरूरी नहीं होगा, जिसके बाद खुदकाश्त के लिए उन्हें जमीन फिर से हासिल करने की अनुमति न हो।

18 अगर मझोले भूस्वामी बदनीयत हो जाएं और अपनी जमीन रिश्तेदारों या अन्य लोगों के नाम करके छोटे भूस्वामियों की परिभाषा के अन्तर्गत आ जाएं, तो इस तरह खुदकाश्त के लिए जमीन फिर से हासिल करने की व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस ख्याल से, कि जमीन फिर से प्राप्त करने की व्यवस्थाओं का पालन हो, गुजरात और महाराष्ट्र में सन 1957 में उक्त विधान का संशोधन किया गया, ताकि सिर्फ वही जमीन

वापस पाने का अधिकार भूस्वामी को रहे, जो पहली जनवरी 1952 को मिल्कियत दर्ज करने के सरकारी कागज-पत्रों में उसके या उसके किसी पूर्वज के नाम में लिखी थी। केरल के विधान में—जिसमें छोटे भूस्वामियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं —कहा गया है कि 18 दिसम्बर, 1957 के बाद अगर जमीन का कोई बटवारा या बदली की गई होगी, तो उससे भूस्वामी को या जिसके नाम जमीन की गई होगी, उसको छोटे भूस्वामियों से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का लाभ उठाने का अधिकार नहीं होगा। सामान्यत इसी तरह की कोई शर्त रहना वाछनीय है।

काश्तकार के लिए स्वामित्व-अधिकार

19 काश्त की सुरक्षा और लगान में कमी काश्तकारी-सम्बन्धी सुधार के प्रथम सोपान हैं। उद्देश्य यह है कि अधिक-से-अधिक काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो जाए। दूसरी योजना में सुझाव दिया गया था कि हर राज्य को एक कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे ऐसी जमीनों के काश्तकार, जो दुबारा मालिकों को हासिल नहीं हो सकतीं, उनके मालिक बन जाएं और भूस्वामी-रैयत-प्रथा के अवशेष हमेशा के लिए मिट जाए। इस बात पर जोर दिया गया था कि काश्तकारों को, जिन जमीनों में वे काश्त कर रहे हैं, उन्हें खरीदने का वैकल्पिक अधिकार देने के बजाय, उन सभी खेतों के काश्तकारों का, जिन पर दुबारा भूस्वामियों का कब्जा नहीं हो सकता, राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाए। जिन भूस्वामियों के पास पारिवारिक जोत के बराबर या उससे ज्यादा जमीनें हैं, उनके बारे में कहा गया था कि उन्हें फिर से हासिल करने के अधिकार का प्रयोग केवल पांच साल की अवधि तक किया जा सकता है, और यह सुझाव दिया गया था कि यह अवधि पूरी होते ही स्वामित्व-अधिकार काश्तकारों को दिए जा सकते हैं। अन्त में, चूंकि स्वामित्व-अधिकार काश्तकारों को हस्तान्तरित करने की प्रगति के सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना प्राप्त करना कठिन था, इसलिए यह भी सिफारिश की गई थी कि राज्य नियमित रूप से वार्षिक विवरण तैयार कराने का भी प्रबन्ध करें।

20 दूसरी योजना के दौरान काश्तकारों को स्वामित्व-अधिकार सौंपने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। पंजाब की तरह कुछ राज्यों में काश्तकारों को जमीन खरीदने का केवल वैकल्पिक अधिकार दिया गया है। यह तरीका सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि जहां खरीदने का अधिकार वैकल्पिक होता है, वहां उसका उपयोग शायद ही कभी होता है—यह बात दूसरी योजना की अवधि में देखी जा चुकी है। कई राज्यों के विधान में यह व्यवस्था है कि उन जमीनों के काश्तकारों का, जिन्हें भूस्वामी दुबारा हासिल नहीं कर सकता, सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित हो। इसके लिए इन तीनों में से कोई एक उपाय काम में लाना होगा

(1) काश्तकारों को जमीन का मालिक घोषित करके उनके द्वारा भूस्वामियों को उचित किस्तों में मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था की जाए। यदि किस्तों का भुगतान न हो, तो उन्हें लगान के बकाया के तौर पर वसूल करने की जिम्मेदारी सरकार उठाए,

(2) सरकार मुआवजा देकर पहले खुद स्वामित्व-अधिकार प्राप्त कर ले और फिर उसे काश्तकारों को सौंप दे और उनसे उचित किस्तों में मुआवजा वसूल कर ले, तथा

(3) सरकार भूस्वामी के अधिकार प्राप्त कर ले और काश्तकार का राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करे। यह बात काश्तकार की मर्जी पर छोड़ दी जाए कि अगर वह चाहे, तो सरकार को मुनासिब लगान देता रहे और अपनी इसी हैसियत को कायम रखे अथवा यदि चाहे, तो नियत मुआवजा अदा करके स्वामित्व के पूरे अधिकार प्राप्त कर ले।

21 इनमें से पहले तरीके पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में, दूसरे पर दिल्ली मे तथा शिकमी रैयतो के लिए (बिना मुआवजा अदा किए) पश्चिम-बंगाल में, तथा तीसरे पर केरल और उत्तरप्रदेश में अमल किया गया है। मद्रास में काश्तकारो को स्वामित्व-अधिकार दिलाने के बारे में अभी कार्रवाई शुरू नही की गई है। असम और बिहार में सिर्फ उन भूस्वामियो के काश्तकारो को स्वामित्व-अधिकार मिल सकते है, जिनके कब्जे में अधिकतम नियत सीमा से ज्यादा क्षेत्र है। चूकि विधान अभी हाल ही में बनाया गया है, इसलिए इस बारे में ठीक-ठीक सूचना प्राप्त नही हो सकी है कि काश्तकारो को किस हद तक स्वामित्व-अधिकार प्राप्त हो गए हैं। पता-चला है कि सयुक्त बम्बई-राज्य मे जो विधान बनाया गया था, उसके अधीन गुजरात और महाराष्ट्र-राज्यो में 13 लाख काश्तकारो को 24 लाख एकड भूमि पर स्वामित्व-अधिकार प्राप्त हो जाएगे। उत्तरप्रदेश मे लगभग 15 लाख शिकमी काश्तकारो तथा निवास-फार्म की जमीनो के काश्तकारों का राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित किया गया। इनके पास लगभग 20 लाख एकड जमीन है। सघीय क्षेत्र दिल्ली में लगभग 25,000 एकड़ जमीन का स्वामित्व करीब 18,000 काश्तकारो और शिकमी काश्तकारो को सौंप दिया गया।

22 यह सिफारिश की गई है कि तीसरी योजना के दौरान जिन जमीनो को भूस्वामी दुबारा हासिल नही कर सकते, उन पर काश्त करनेवालो को स्वामित्व-अधिकार सौंपने का कार्यक्रम पूरा करने के लिए कदम उठाए जाए। खेती की जमीन की अधिकतम सीमा का कानून लागू होने पर उस सीमा से अधिक जमीन के काश्तकार उनके स्वामी बन जाएगे। यह सुझाव पहले ही दिया जा चुका है कि विभिन्न राज्यो में नियत की गई पारिवारिक जोत से अधिक क्षेत्र के स्वामियो को फिर से जमीनें प्राप्त करने का कोई अधिकार नही होना चाहिए। ऐसे भूस्वामियो के काश्तकारो को इन जमीनो का मालिक बन जाना चाहिए। यह उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपने विधान और अन्य परिस्थितियो के अनुसार, राज्य या तो खुद ही स्वामित्व-अधिकार प्राप्त करके काश्तकारो को सौप सकता है या काश्तकारो को मालिक घोषित करके उन अधिकारो के बदले अपने विधान की शर्तों के अनुसार उनसे किस्तो में मुआवजा देने को कह सकता है। कुल मिला कर अच्छा यही है कि काश्तकार स्वामित्व-अधिकार पाने के लिए भूस्वामी के बजाय सीधा सरकार को भुगतान करे। इससे विधान अधिक अच्छी तरह लागू हो सकेगा तथा भूस्वामी-किसान का बन्धन भी टूट जाएगा।

23 अब सवाल यह उठता है कि छोटे भूस्वामियो के काश्तकारो को भी स्वामित्व-अधिकार दिए जाने चाहिए या नही। इन काश्तकारो के पास जो ऐसी जमीनें हो, जिन्हे मालिक दुबारा हासिल नही कर सकते, वहा तक यह बात सिद्धान्त रूप में वाछनीय है। लेकिन चूकि इसकी लपेट में बहुत-से अत्यन्त छोटे भूस्वामी आते है, इसलिए सबके बारे में एक-सी कार्रवाई करना सम्भव नही है। राज्यो को चाहिए कि अपनी परिस्थियो को देखते हुए और इस दिशा मे क्या कार्रवाई जरूरी है, यह तय करने के ख्याल से इस समस्या का अध्ययन करें।

जोत की अधिकतम सीमा

24 दूसरी योजना के दौरान आन्ध्रप्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब के पेप्सू-क्षेत्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बंगाल और संघीय क्षेत्रों में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विधान बनाए गए हैं। बिहार, मद्रास और मैसूर के विधान-मंडलों में जोत की अधिकतम सीमा तय करने-सम्बन्धी विधेयक पेश हैं। विगत पेप्सू-क्षेत्र को छोड़ कर पंजाब के बाकी इलाके में मौजूदा विधान इस बात की इजाजत देता है कि अगर किसी के पास स्वीकृत सीमा से ज्यादा जमीन है, तो उसका उपयोग सरकार उन काश्तकारों को फिर से बसाने के लिए कर सकती है, जो बेदखल कर दिए गए हैं या किए जा सकते हैं। विभिन्न राज्यों में अधिकतम जोत की जो सीमाएं निर्धारित या प्रस्तावित की गई हैं, उनके बारे में इस अध्याय के अनुबन्ध में संक्षिप्त रूप में विवरण प्रस्तुत किया गया है। विधान बन जाने पर जरूरी काम यह है कि उस पर तेजी से और कारगर तरीके से अमल कराने का प्रबन्ध किया जाए।

25 दूसरी योजना में इस सवाल पर विचार किया गया था कि अधिकतम सीमा की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की जोत पर लागू होनी चाहिए या किसी परिवार के सब सदस्यों के पास कुल जितनी जमीन हो, उस पर। जैसी कि आशा की जा सकती है, इस बारे में अलग-अलग तरीके अख्तियार किए गए हैं। कुछ राज्यों में—जैसे, आन्ध्रप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और पश्चिम-बंगाल में—अधिकतम सीमा की व्यवस्था व्यक्ति पर लागू होती है, सम्मिलित हिन्दू-परिवारों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। मध्यप्रदेश में अधिकतम जोत की व्यवस्था व्यक्ति पर लागू होती है, परन्तु जहां तक सम्मिलित हिन्दू-परिवार का प्रश्न है, हर सदस्य को अलग-अलग अधिकतम सीमा तक के क्षेत्र का अधिकार है। असम, गुजरात, केरल और राजस्थान में परिवार के अधीन कुल क्षेत्र पर अधिकतम सीमा की व्यवस्था लागू होती है और विधान में 'परिवार' शब्द की परिभाषा भी दे दी गई है। मद्रास और मैसूर में अभी जो विधान विचाराधीन हैं, उनमें भी इसी दृष्टिकोण से काम लिया गया है। इस प्रकार, अलग-अलग राज्यों ने अधिकतम सीमा की व्यवस्था, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, व्यक्ति या परिवार पर लागू की है।

26 एक बार जब विधान बन जाए, तब उसमें जो संशोधन हों, उनका उद्देश्य मूलतः खामियां दूर करना और उसके अमल में सहूलियतें पैदा करना होना चाहिए—विधान के निहित सिद्धान्तों में मूल परिवर्तन लाना नहीं। इस प्रसंग में, सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यह है कि अधिकतम सीमा को देखते हुए भूस्वामियों ने अपनी जमीनों के बारे में जो हेर-फेर किए हैं, उनके बारे में क्या रुख अख्तियार किया जाना चाहिए। कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में जमीनों के जो हस्तान्तरण हुए हैं, उनकी प्रवृत्ति अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में विधान के उद्देश्यों को निष्फल करने की और ग्राम-अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को कम करने की रही है। हर राज्य में इस सवाल पर भरपूर विचार हुआ है कि इन हस्तान्तरणों को माना जाए या नहीं, और अगर न माना जाए, तो किस तारीख से। अधिकतर राज्यों में विधान लागू होने से पहले की किसी तारीख का निर्देश किया गया है। यह तारीख अधिकतम सीमा का विधेयक पेश किए जाने की तारीख हो सकती है या उसके प्रकाशन की या कोई और नियत तारीख। कुछ राज्यों ने—जैसे, असम, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम-बंगाल ने तय किया है कि इन

नियत तारीख के बाद जो हस्तान्तरण हुए हो, उन्हे न माना जाए। कुछ राज्यो में—जैसे, आन्ध्रप्रदेश में—इस तरह की कोई व्यवस्था नही है। मध्यप्रदेश और उडीसा में विधान के अनुसार फालतू जमीनो के मालिक उन जमीनो को कुछ नियत वर्गो के लोगो के हाथ बेच सकते है।

27 चूकि अनेक हस्तान्तरण अनिवार्यत परिवार के सदस्यो के ही बीच होगे, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि अधिकतम सीमा की शर्त हमेशा व्यक्ति के बजाय परिवार के कुल क्षेत्र पर लागू होनी चाहिए। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई राज्यो में अधिकतम सीमा की शर्त व्यक्ति की जोत पर लागू की गई है और बाकी राज्यो में परिवार के अधीन कुल क्षेत्र पर, कमजोरिया या खामिया दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न किए जाए, वे ऐसे हो कि विद्यमान विधान के ढाचे मे ठीक बैठे। हस्तान्तरण के सवाल को शायद निम्नलिखित तरीके से हल किया जा सकता है—

(1) जहा विधान में हस्तान्तरण को अस्वीकार करने की कोई व्यवस्था इसलिए नही की गई है कि वे बहुत बडे पैमाने पर हुए है, वहा एक ऐसी मुनासिब तारीख तय कर दी जानी चाहिए, जिसके बाद के सब हस्तान्तरणो को नामजूर कर दिया जाए और अगर जरूरत हो, तो इसके सशोधक विधान का सहारा लिया जाए। यह तारीख वह हो सकती है, जिस दिन अधिकतम सीमा-सम्बन्धी प्रस्ताव प्रकाशित किए गए या उससे पहले की कोई तारीख, जो स्थानीय स्थितियो को ध्यान में रखते हुए नियत कर दी जाए।

(2) नियत तारीख के बाद किए गए हस्तान्तरणो मे एक-दूसरे से इस प्रकार भेद किया जा सकता है (अ) जो हस्तान्तरण परिवार के सदस्यो के बीच हुए हो, (आ) बेनामी और अन्य हस्तान्तरण, जो न तो पैसे के लिए और न रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा किए गए हो, और (इ) जो पैसे के लिए और रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा किए गए हो। (अ) और (आ) श्रेणियो के अधीन आनेवाले हस्तान्तरणो को अस्वीकार किया जा सकता है, पर (इ) श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाले हस्तान्तरणो के प्रति यह रुख नही अपनाया जा सकता, क्योकि हो सकता है कि जिन्हें भूमि हस्तान्तरित की गई है, वे छोटे भूस्वामी या भूमिहीन लोग हो और उन्होने जमीन खरीदी हो। ऐसे लोगो की तो किसी-न-किसी तरह एक नियत सीमा तक—जैसे पारिवारिक जोत की सीमा तक—रक्षा करनी ही होगी।

(3) ऊपर बताए हुए ढग पर सब हस्तान्तरणो की किसी उपयुक्त अधिकारी-द्वारा जाच किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अधिकतम सीमा से छूट

28 दूसरी योजना में यह कहा गया था कि निम्नलिखित श्रेणियो के फार्मो को अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छूट दी जानी चाहिए—

(1) चाय, काफी और रबड के बागान,

(2) फल के बगीचे, जहा वे काफी सघन क्षेत्र के रूप में स्थित हो,

(3) पशुओ की नस्ल सुधारने, दूध-उद्योग, ऊन तैयार करने आदि के काम में लगे हुए विशेष फार्म,

(4) ईख के फार्म, जो चीनी-कारखानो-द्वारा चलाए जा रहे हो, और

(5) कुशलता से चलाए जानेवाले ऐसे फार्म, जो एक-दूसरे से सटे हुए ब्लाकों से मिल कर बने हों, जिनमें बहुत पूंजी लगाई जा चुकी हो या जिनमें स्थायी किस्म का निर्माण-कार्य कराया गया हो और जिनके खंडित होने से उत्पादन में कमी का डर हो ।

यह सिफारिश तीन मुख्य बातों को ध्यान में रख कर की गई थी । प्रथमत , बागानों एव औद्योगिक तथा कृषि-विषयक प्रतिष्ठानों में काम बहुत समन्वित रूप में करना जरूरी होता है । दूसरी बात, कृषि की कुछ विशेष शाखाओं में—जैसे, बागवानी, पशु-प्रजनन, दूध-उद्योग, आदि में—दीर्घकालीन आधार पर पूंजी लगानी पड़ती है और कई वर्ष निकल जाने पर ही कुछ फल मिल पाता है । तीसरी बात, यह सोचा गया था कि ऐसे कुशलतापूर्वक परिचालित फार्मों की रक्षा करने से, जो परस्पर सटे हुए ब्लाकों को मिला कर बनाए गए हों, जिनमें बहुत पूंजी लगाई जा चुकी है और स्थायी निर्माण-कार्य किया जा चुका हो, उत्पादन घटने की जोखिम से बचा जा सकेगा ।

29 राज्यों में जो विधान बनाए गए हैं, उनमें बागानों को सभी जगह अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छूट दी गई है । विशेष फार्मों के पक्ष में भी व्यवस्थाएं की गई हैं । चीनी-कारखानों-द्वारा परिचालित ईख-फार्मों और कुशलतापूर्वक चलाए जानेवाले फार्मों के प्रति विभिन्न राज्यों का रुख कुछ अलग-अलग रहा है । कुछ राज्यों (आन्ध्रप्रदेश, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान) के विधान में तथा कुछ अन्य राज्यों (बिहार और मैसूर) के विचाराधीन प्रस्तावों में कुशलतापूर्वक परिचालित फार्मों को अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छूट दी गई है । जहां यह छूट मिली हुई है, वहां भी साधारणत इस पर अमल होना बाकी है । केरल, मद्रास, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में कुशलतापूर्वक परिचालित फार्मों की अधिकतम सीमा की व्यवस्था से छूट देने की बात नहीं सोची गई । उत्तरप्रदेश की सरकार ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है कि जिन फार्मों में यन्त्रों-द्वारा खेती होती है, उनकी फालतू जमीनें लेकर उन पर राजकीय फार्म चलाए जाएं तथा तयशुदा शर्तों और उपबन्धों के अधीन उपयुक्त व्यक्तियों को प्रबन्धकों के रूप में नियुक्त किया जाए और यदि फार्मों के वर्तमान मालिक और सब तरह से योग्य हों, तो इस बारे में उन्हें तरजीह दी जाए ।

30 जहां तक चीनी-कारखानों-द्वारा परिचालित ईख-फार्मों का सवाल है, कई राज्यों—जैसे आन्ध्रप्रदेश, असम, मध्यप्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान तथा पंजाब के पेप्सू-क्षेत्र—के विधान में अधिकतम सीमा की व्यवस्था उन पर लागू नहीं होती तथा बिहार और मैसूर में जो विधेयक विचाराधीन हैं, उनमें भी यही व्यवस्था है । परन्तु तीन राज्यों में इससे भिन्न रवैया अपनाया गया है । मद्रास के विधान में यह व्यवस्था है कि इस बात की जांच करने के लिए कि अलग-अलग कारखानों को अधिकतम सीमा की शर्त से छूट दी जानी चाहिए या नहीं, एक चीनी-कारखाना-मंडल बनाया जाए । पक्के फैसले करने में इसे चीनी-कारखानों की जरूरतों और उनके आर्थिक ढांचे, आदि बातों को भी ध्यान में रखना होगा । उत्तरप्रदेश में अधिकतम सीमा की शर्त से तो छूट नहीं दी गई है, पर यन्त्रीकृत फार्मों के सम्बन्ध में जिन व्यवस्थाओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे चीनी-कारखानों-द्वारा परिचालित ईख-फार्मों पर भी लागू होंगी । महाराष्ट्र में चीनी-कारखानों के ईख-फार्मों को अधिकतम सीमा की शर्त से छूट नहीं मिली है, परन्तु एक या दो सटे हुए ब्लाकों के रूप में [illegible] करने की व्यवस्था की गई है, ताकि चीनी-कारखानों को मुनासिब

दाम पर कच्चा माल पूरी मात्रा मे और बराबर मिलता रहे, साथ ही, सयुक्त कृषि-समितियो को फालतू जमीन देने की भी व्यवस्था है। इन समितियो में यथासम्भव वे लोग होने चाहिए, जिन्होने पहले अपनी जमीन का पट्टा चीनी-कारखाने के नाम किया हो, या फार्म पर काम करनेवाले खेतिहर श्रमिक, या फार्म पर काम करने के लिए कारखाने-द्वारा रखे गए तकनीकी और दूसरे कर्मचारी, अथवा पडोसी भूस्वामी, जो या तो छोटे भूस्वामी हो, या भूमिहीन श्रमिक।

31 दूसरी योजना में जिन बातो पर जोर दिया गया है और कुशलतापूर्वक परिचालित फार्मों को तथा चीनी-कारखानो-द्वारा चलाए जानेवाले ईख-फार्मों को अधिकतम सीमा की शर्त से छूट देने के बारे में जो सिफारिशें की गई है, वे आम तौर से तीसरी योजना के लिए भी कारगर है और प्रस्तावित मार्ग पर चलना लाभदायक है। दूसरी ओर, अगर कोई राज्य कुछ व्यावहारिक कठिनाइयो के कारण या किसी और कारण से दूसरा रास्ता अपनाना चाहे, तो कुछ बातो के बारे में जरूर आश्वस्त हो जाना चाहिए। एक बात तो यह है, कि फार्मों की अखडता बनी रहे और कार्य-कुशलता का स्तर गिरने न पाए, और दूसरी बात, चीनी-कारखानो के फार्मों का जहा तक सम्बन्ध है, यह पक्का भरोसा हो जाना चाहिए कि सम्बद्ध कारखानो को बराबर और सन्तोषजनक रूप से कच्चा माल मिलता रहे।

पुनर्व्यवस्था की योजनाएं

32 कृषि-जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्तावो के दो उद्देश्य थे—एक तो यह, कि विषमता घटे तथा एक प्रगतिशील सहकारी ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास का रास्ता तैयार हो, और दूसरे यह, कि गावो की जनता के भूमिहीन वर्गों मे फिर से बाटने के लिए, जमीन हासिल हो। ऐसे विधान बनाए गए है, जिनका दूरव्यापी असर होगा और यद्यपि ठीक-ठीक अनुमान लगा सकना अभी कठिन है, तथापि ऐसा लगता है कि भूमिहीनो मे बाटने के लिए कुल जितनी फालतू जमीन उपलब्ध होगी, वह एक वक्त जितनी उम्मीद की जाती थी, उससे काफी कम होगी। भूमि-सुधार के वर्तमान स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकतम सीमा-सम्बन्धी विधान लागू होने से हर राज्य मे जो जमीनें हासिल होगी, उनका जल्दी-से-जल्दी आवटन कर दिया जाए। इन जमीनो के साथ-साथ बजर भूमि तथा, जहा सम्भव हो, भूदान-आन्दोलन के द्वारा प्राप्त होनेवाली जमीनो को जमा किया जाए और पुनर्व्यवस्था की क्रमबद्ध योजनाओ पर जल्दी-से-जल्दी अमल किया जाए। भूमि देने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जमीनो पर जिन्हें बसाया जाए, उनके लिए आवश्यक उधार रकम और दूसरी सुविधाओ की भी व्यवस्था की जाए, ताकि वे काश्तकारी के ऊचे स्तर कायम कर सकें। दूसरी योजना मे यह तय किया गया था कि अधिकतम सीमा का विधान लागू करने के फलस्वरूप जो जमीनें मिलेगी, उनका बन्दोबस्त करने मे भूस्वामियो-द्वारा खुदकाश्त के लिए जमीनो की पुन प्राप्ति के कारण विस्थापित काश्तकारो, उन किसानो, जिनकी जोत फायदेमन्द न हो, तथा भूमिहीन श्रमिको को तरजीह दी जाएगी। यह भी कहा गया था कि यथासम्भव इन जमीनो का बन्दोबस्त सहकारिता के आधार पर किया जाए। जो विधान बनाया गया है, उसमें आम तौर से इन सिफारिशो को माना गया है। यह भी सुझाव था कि जिन किसानो के पास ऐसी जोत है, जिसमें कुछ फायदा नही होता, उन्हे फालतू जमीनो के आधार पर बनाई गई सहकारी सस्थाओ मे शामिल कर लिया जाना चाहिए,

करें कि वे अपनी जमीन भी उनमे शामिल करने को तैयार हों। इस दिशा में कदम उठाने के साथ ही आवश्यक आर्थिक और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी योजना के लिए प्रस्तावित सहकारी खेती के विकास-कार्यक्रम में इनकी अपेक्षा की गई है।

चकबन्दी

33 पंजाब, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश में चकबन्दी के काम में प्रगति हुई है अन्य राज्यों में, दूसरी योजना के दौरान, अपेक्षाकृत कम प्रगति हुई। सन् 1959-60 अन्त तक कोई 2 करोड 30 लाख एकड क्षेत्र की चकबन्दी की जा चुकी थी और 1 करोड 30 लाख एकड और भूमि में काम हो रहा था। राज्यों ने जो सूचनाए भेजी हैं, उनके अनुसार तीसरी योजना में कुल मिला कर लगभग 3 करोड एकड की चकबन्दी का काम किया जाएगा। चकबन्दी के बारे में सभी राज्यों को कुछ अनुभव प्राप्त हो सके, इस ख्याल से चार साल पहले योजना-आयोग की ओर से दो विशेष अध्ययन कराए गए थे। इनमें से एक अध्ययन में तो यह बताया गया था कि देश के अलग-अलग भागों में इस बारे में क्या-क्या तरीके निकाले गए हैं और क्या-क्या समस्याए सामने आई हैं। दूसरे अध्ययन में चकबन्दी-कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करने के सुझाव दिए गए थे। हालांकि चकबन्दी को कृषि-उत्पादन-कार्यक्रम का अभिन्न अंग माना गया है, पर व्यवहार में दोनों कार्यक्रमों में हमेशा कोई समन्वय नहीं रखा जाता। जहा चकबन्दी का काम बडे पैमाने पर किया जा रहा हो, वहा की बात तो और है, पर साधारणत प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को देखते हुए यह वांछनीय मालूम होता है कि चकबन्दी का काम उन क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाए, जिनमें सिचाई की व्यवस्था है या होनेवाली है। योजना-आयोग इस बात का और बारीकी से अध्ययन करने का विचार कर रहा है कि देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में चकबन्दी-कार्यक्रम के विस्तार के रास्ते में जो बाधाए, हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और इन क्षेत्रों में चकबन्दी के तरीकों और पद्धति में क्या-क्या परिवर्तन और संशोधन जरूरी हैं।

भूमि-प्रबन्ध-सम्बन्धी विधान

34 पहली दोनों योजनाओं के दौरान जो-कुछ प्रगति हुई है, उसके प्रकाश में इस बात पर विचार किए जाने की जरूरत है कि भूमि-प्रबन्ध-विधान का क्या स्थान है और उसे किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। पहली योजना में मंशा यह थी कि भूमि-प्रबन्ध-विधान का क्षेत्र सामान्य हो, पर उसके विशेष प्रयोग बडे भूस्वामियों के फार्मों [illegible] होने थे। दूसरी योजना के प्रस्तावों में उद्देश्य यह था कि भूमि-प्रबन्ध-विधान [illegible] राज्य सरकारें [illegible] प्रबन्ध के स्तर निर्धारित करें जिनके द्वारा वस्तुपरक और गुणात्मक [illegible] सम्भव हो सकें। यदि फार्मों को कुछ खास श्रेणियों में बाटा जा सकता हो तो जो औसत से ऊपर होते, उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाता और जो औसत से नीचे गिर रहे होते, उन्हें [illegible] में मदद दी जाती। भूमि-प्रबन्ध के सम्बन्ध में विधान सिर्फ दो [illegible] में बनाए गए हैं और वहा भी दरअसल उन पर अमल नहीं हुआ। राज्यों में कुछ सीमित कृषि-प्रयोजनों के लिए—जैसे, बंजर भूमि के उपयोग के लिए, [illegible] के इस्तेमाल के लिए और हानिकर कीटों तथा रोगों की रोकथाम [illegible]—कानून बने हुए हैं। इस विधान में बहुत-सी बातें पुरानी पड गई हैं और अब कृषि-

विकास के जो कार्यक्रम चल रहे है, तथा सामुदायिक विकास-खडो मे जो विस्तार-सेवाए आरम्भ की गई है, उन्हे देखते हुए इन पुरानी बातो को बदलने की जरूरत है। इसमें शक नही कि भूमि-प्रबन्ध के बारे मे जो सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक अनुभव हो, उन्हे किसानो, सहकारी सस्थाओ और पचायतो के फायदे के लिए एकत्र करने का अपना महत्व है, परन्तु वैधानिक व्यवस्थाए लागू करने के सवाल का और पचायतो तथा पचायत-समितियो के काम का अध्ययन राज्यो के परामर्श से तथा वर्तमान कानूनो के परिपालन में उन्हे जो अनुभव प्राप्त हुए हो, उनके प्रकाश मे करना आवश्यक है।

कार्यान्विति की समस्याए

35 राज्यो मे जो भूमि-सुधार-विधान बनाए गए है, उनकी कार्यान्विति में पैदा होने-वाले समस्याओ का अध्ययन भूमि-सुधार-समिति ने किया है और बिचौलियो की समाप्ति, काश्तकारी-सम्बन्धी सुधार तथा जोत की अधिकतम सीमा के बारे मे अलग-अलग जल्दी से जल्दी जो कार्रवाइया की जानी है, उनकी सूची बना दी है। इस समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि स्वामित्व के बारे में ठीक-ठीक और नई-से-नई सूचना के आधार पर रिकार्ड तैयार किए जाने चाहिए और राजस्व-व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रो में स्वामित्व-सम्बन्धी रिकार्ड मे नई-नई सूचनाए शामिल कर ली गई है, पर कुछ मे और तेजी से काम करने की जरूरत है। कुछ राज्यो में स्वामित्व के रिकार्डो मे काश्तकारो, शिकमी काश्तकारो और बटाईदारो के बारे में कोई सूचना नही दी गई, जिसके फलस्वरूप विधान के परिपालन में बाधा पडती है। स्वामित्व के अधिकारो से सम्बन्धित कागज-पत्रो की जाच पर तथा उन्हे ठीक करने और उनका रिकार्ड तैयार करने पर जो खर्च होगा, उसे कुछ राज्यो ने अपनी योजनाओ में शामिल कर लिया है और उसके लिए केन्द्रीय सहायता मिल सकती है। इनके लिए जो व्यवस्था की जाएगी, वह काम बढने के साथ-साथ बढानी पडेगी।

36. योजना-आयोग की अनुसन्धान-कार्यक्रम-समिति की मार्फत देश के विभिन्न भागो मे भूमि-सुधार के कई सर्वेक्षण शुरू किए गए है। उनसे यह पता चलता है कि विधान के परिपालन के रास्ते मे क्या-क्या समस्याए आती है। जो विधान बनाया गया है, उसका क्षेत्र बडा व्यापक है और परिस्थितियो में भी भेद है। इसलिए यह वाछनीय है कि इन अध्ययनो को व्यवस्थित आधार पर विस्तार दिया जाए। इस काम के लिए विश्वविद्यालयो और प्रमुख अनुसन्धान-केन्द्रो से भरपूर सहायता ली जानी चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि सामान्य योजना के अनुरूप विभिन्न क्षेत्र उनकी परिधि मे आ जाए। इसके अलावा सक्रान्तिकाल में भी तथा दीर्घकालीन आर्थिक और सामाजिक प्रभावो की दृष्टि से भी भूमि-सुधारो के मूल्याकन की व्यवस्था होनी चाहिए।

37 योजना-आयोग मे भूमि-सुधार की प्रगति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इससे विभिन्न राज्यो मे जो विधान बनाए गए है, उनकी मूल बातें सामने आ जाएगी। इस अध्ययन मे जोत और काश्त के बारे में वे सब आकडे भी दिए जाएगे, जो सन् 1954-55 की गणना के समय इकट्ठे किए गए थे। इस अध्याय के अनुबन्ध 2 में इनका सक्षेप में उल्लेख किया गया है।

अनुबन्ध 1

वर्तमान जोतों की अधिकतम सीमा — अधिकतम सीमा का स्तर

राज्य	अधिकतम सीमा का स्तर	विशेष
(1)	(2)	(3)
आन्ध्रप्रदेश	पारिवारिक जोत का साढे चार-गुना, यानी 27 से 324 एकड तक (पारिवारिक जोत कम-से-कम 6 एकड सिंचित भूमि से लेकर 72 एकड सूखी भूमि तक होती है। पहली किस्म की जमीन पर बन्दोबस्त तरम सख्या 1 होता है या उसे 15 आने के बन्दोबस्त वर्गीकरण में रखा जाता है, दूसरी किस्म पर 5 से ऊपर का तरम होता है और उसमें चलका मिट्टी होती है, जिसका मूल्य 8 आने से नीचे आंका जाता है।)	परिवार का आकार बडा है, इसका ख्याल रखा गया है। परिवार की सदस्य-सख्या पांच से अधिक होने पर प्रत्येक सदस्य के लिए एक पारिवारिक जोत की व्यवस्था है। इस सख्या की कोई सीमा नहीं रखी गई।
असम	50 एकड	इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है कि परिवार कितना बडा है।
बिहार (प्रवर-समिति-द्वारा विधेयक जिस रूप में भेजा गया है)	(अ) जिस भूमि की सिंचाई सरकार-द्वारा निर्मित एवं सरक्षित सिंचाई-साधनों से होती है—24 एकड (आ) जिस भूमि की सिंचाई सरकार-द्वारा निर्मित एवं सरक्षित उद्वहन सिंचाई-साधनों अथवा नलकूपों से होती हो—36 एकड (इ) बगीचोंवाली भूमि तथा दूसरी भूमि, जिसे किसी और श्रेणी में शामिल नहीं किया गया हो—48 एकड (ई) दियारा जमीन —60 एकड (उ) पहाडी, रेतीली या दूसरी तरह की भूमि, जिसमें धान, रबी या नकदी फसलों की उपज न हो —72 एकड	परिवार बडा होने पर छूट दी गई है, पर यह छूट अधिकतम सीमा की दुगुनी से अधिक नहीं हो सकती।
गुजरात	(अ) फसलवाली सूखी जमीन (इसमें गैर-सरकारी साधनों-द्वारा	इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है कि परिवार कितना

(1)	(2)	(3)
	सिंचित भूमि भी शामिल है) —56 से 132 एकड (आ) धान की भूमि और मौसमी सिंचाईवाली भूमि—38 से 88 एकड (इ) स्थायी रूप से सिंचित भूमि —19 से 44 एकड (विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में अधिकतम सीमा अलग-अलग है, जिसका अधिनियम में विवरण दिया गया है।)	बडा है।
जम्मू-कश्मीर	$22\frac{3}{4}$ एकड	इसका कोई ख्याल नही रखा गया है कि परिवार कितना बडा है।
केरल	दोहरी फसलवाली धान की 15 एकड जमीन या उसके बराबर क्षेत्र (इसके बराबर क्षेत्र 15 एकड से $37\frac{1}{2}$ एकड तक हो सकते है)	परिवार कितना बडा है, इसका ख्याल रखा गया है, पर अन्तिम हद है दोहरी फसलवाली 25 एकड धान की जमीन या इसके बराबर क्षेत्र। अविवाहित वयस्क व्यक्ति के लिए अधिकतम क्षेत्र के आधे को ही सीमा माना जाएगा।
मध्यप्रदेश	28 स्टैंडर्ड एकड (एक स्टैंडर्ड एकड का मतलब है, एक एकड बारहमासी सिंचाईवाली जमीन या 2 एकड मौसमी सिंचाईवाली जमीन या 3 एकड सूखी फसलवाली जमीन)। अधिकतम सीमा घटा कर 25 एकड करने और एक बडे परिवार के लिए बाहरी सीमा 50 स्टैंडर्ड एकड निश्चित करनेवाला एक विधेयक स्वीकार किया जा चुका है।	परिवार कितना बडा है, इसका ख्याल रखा गया है, पर अन्तिम हद 53 स्टैंडर्ड एकड है।
मद्रास (विधेयक)	30 स्टैंडर्ड एकड (निर्धारण की दर और भूमि की कोटि के हिसाब से एक से चार एकड तक स्टैंडर्ड एकड माना गया है।)	परिवार कितना बड़ा है, इसका ख्याल रखा गया है। पाच से अधिक सदस्य हो, तो प्रति सदस्य 5 स्टैंडर्ड एकड अतिरिक्त क्षेत्र दिया जा सकता है, किन्तु 60 स्टैंडर्ड एकड से ज्यादा क्षेत्र किसी भी हालत में नही दिया जाएगा।

(1)	(2)	(3)
महाराष्ट्र	(अ) नहर से बारहमासी सिंचाईवाली जमीन—18 एकड	परिवार कितना बड़ा है, इसका ख्याल रखा गया है, परन्तु अधिकतम सीमा से दुगुनी से ज्यादा जमीन किसी भी हालत में नही दी जाएगी।
	(आ) नहर से मौसमी सिंचाईवाली जमीन (1) दो मौसमी सिंचाईवाली —27 एकड (2) एक मौसम में सिंचाईवाली —48 एकड (इ) सूखी जमीनें (इनमें गैर-सरकारी साधनो से सींची जानेवाली जमीनें भी शामिल है)—विभिन्न स्थानीय क्षेत्रो में 66 से 126 एकड	
मैसूर (विधेयक जिस रूप में प्रवर-समिति-द्वारा भेजा गया है।)	27 स्टैंडर्ड एकड (स्टैंडर्ड एकड का हिसाब अलग-अलग है। यह एक एकड ऐसी गीली जमीन से लेकर जिसमें सिंचाई का पूरा-पूरा भरोसा हो और धान की दो फसलें उगाई जा सकें, 8 एकड तक ऐसी सूखी या बागानवाली जमीन तक के बराबर माना जा सकता है, जिसमें सालभर में 25 इंच से कम वर्षा होती है।)	परिवार कितना बड़ा है, इसका ख्याल रखा गया है, परन्तु अधिकतम सीमा से दुगुनी से ज्यादा जमीन किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।
उड़ीसा	25 स्टैंडर्ड एकड (स्टैंडर्ड एकड में बारहमासी सिंचाईवाली 1 एकड ऐसी जमीन से, जिसके लिए साल में कम-से-कम तीन फसलोंमें पानी मिलते रहने का पूरा-पूरा भरोसा हो, 4 एकड सूखी जमीन तक मानी जा सकती है।)	परिवार कितना बड़ा है, इसका ख्याल रखा गया है, परन्तु अधिकतम सीमा से दुगुनी से ज्यादा जमीन किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।
पंजाब		
पंजाब-क्षेत्र	30 स्टैंडर्ड एकड, जो 60 साधारण एकड से ज्यादा किसी भी तरह नहीं होंगे। विस्थापितो के लिए अधिकतम सीमा 50 स्टैंडर्ड एकड है, जो 100 साधारण एकड से किसी भी तरह ज्यादा नहीं होगी।	परिवार कितना बड़ा है, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है।

(1)	(2)	(3)
पेप्सू-क्षेत्र	30 स्टैंडर्ड एकड, जो 80 साधारण एकड से ज्यादा किसी भी तरह नही होगे। विस्थापितो के लिए अधिकतम सीमा 40 स्टैंडर्ड एकड है, जो 100 साधारण एकड से किसी तरह ज्यादा न होगी।	परिवार कितना बडा है, इसका कोई ख्याल नही रखा गया है।
राजस्थान	30 स्टैंडर्ड एकड (स्टैंडर्ड एकड का मतलब उतनी जमीन से है, जिसमें 10 मन गेहू या उतनी कीमत की कोई और फसल पैदा हो।)	परिवार कितना बडा है, इसका ख्याल रखा गया है, पर 60 एकड से ज्यादा जमीन किसी भी हालत मे नही दी जाएगी।
उत्तरप्रदेश	40 एकड 'अच्छी किस्म' की जमीन (अच्छी किस्म की 1 एकड जमीन का मतलब है, 1 एकड ऐसी जमीन, जिसके लगान की पुश्तैनी दर 6 रु० से अधिक हो, $1\frac{1}{2}$ एकड ऐसी जमीन, जिसकी दर 4 से 6 रु० प्रति एकड तक हो और 2 एकड ऐसी जमीन, जिसकी दर 4 रु० प्रति एकड या इससे कम हो।)	परिवार के आधार पर यह रिआयत दी गई है कि अगर पाच से ज्यादा सदस्य हो, तो उन्हे प्रति सदस्य 8 एकड 'अच्छी किस्म' की जमीन मिलेगी, परन्तु यह मात्रा 64 एकड से ज्यादा किसी भी हालत में नही होगी।
पश्चिम-बगाल	25 एकड	परिवार कितना बडा है, इसका कोई ख्याल नही रखा गया है।
दिल्ली	30 स्टैंडर्ड एकड (स्टैंडर्ड एकड मे सिचाईवाली $\frac{4}{5}$ एकड भूमि से लेकर 2 एकड बारानी भूमि तक मानी गई है।)	परिवार कितना बडा है, इस आधार पर रिआयत दी गई है, पर 60 एकड से ज्यादा जमीन किसी भी तरह नही दी जाएगी।
हिमाचलप्रदेश	चम्बा जिले में 30 एकड और दूसरे जिलो में उतनी जमीन, जिसका निर्धारण 125 रु० तक किया गया हो।	परिवार कितना बडा है, इसका कोई ख्याल नही रखा गया है।
मणिपुर	25 एकड	परिवार कितना बडा है, इसके आधार पर रिआयत दी गई है, पर 50 एकड से ज्यादा जमीन किसी भी हालत में नही दी जाएगी।
त्रिपुरा	25 स्टैंडर्ड एकड (स्टैंडर्ड एकड 1 एकड नाल या लुगा भूमि से लेकर 3 एकड टिल्ला भूमि तक के बराबर माना गया है।)	परिवार कितना बडा है, इसके आधार पर रिआयत दी गई है, पर 50 एकड से ज्यादा जमीन किसी भी हालत में नही दी जाएगी।

अनुबन्ध 2

जोत और काश्तकारी के सम्बन्ध में गणना

व्याख्यात्मक टिप्पणी

पहली योजना की सिफारिश के अनुसार, असम, पश्चिम-बंगाल, जम्मू-कश्मीर तथा मणिपुर और त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों में सन् 1954-55 में जोत और काश्तकारी के सम्बन्ध में गणना की गई थी। असम और पश्चिम-बंगाल में राज्य-सरकारों ने जोतों के बारे में पहले से ही कुछ आंकड़े इकट्ठे कर रखे थे। पश्चिम-बंगाल में अधिकतम सीमा के बारे में विधान बनाया जा चुका था, असम में एक विधेयक स्वीकृत किया जा चुका था तथा जम्मू-कश्मीर में अधिकतम सीमा की व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी थी। इन राज्यों में फिर से गणना करना जरूरी नहीं समझा गया। मणिपुर और त्रिपुरा में प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव और जमीन के ऊबड़-खाबड़ होने-सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण गणना का प्रस्ताव छोड़ दिया गया था।

2 गणना के काम में भूतपूर्व राज्यों, आन्ध्र, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मध्यभारत, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल और कच्छ में जोतों की पूरी-पूरी गिनती की गई। पंजाब में और मैसूर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश तथा विन्ध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यों में गणना के कार्य में जल्दी करने के ख्याल से सिर्फ 10 एकड़ या उससे अधिक की जोतों की गणना की गई। फिर भी 10 एकड़ से कम के जोतों के भी अनुमान लगाए गए। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश तथा तिरुवांकुर-कोचीन के भूतपूर्व राज्य में नमूने के तौर पर जाच की गई।

3 ये आंकड़े आम तौर से सन् 1953-54 के बारे में हैं। गणना में जो खास बातें सामने रखी गईं, वे मुख्य रूप से ये हैं—

(1) गणना भूस्वामियों की जोत में आनेवाली खेती की भूमि के बारे में थी। खेती की भूमि की परिभाषा इस तरह की जाती है कि वह किसी जोत में आनेवाली कृष्य भूमि है। इसमें चरागाहें और बगिया भी शामिल हैं। गैर-दखलकारी क्षेत्र—जैसे, जंगली भूमि तथा दूसरी अकृष्य भूमि—को शामिल नहीं करना था। शहरी इलाकों में जो जमीन थी, वह भी गणना के क्षेत्र से बाहर थी।

(2) 'स्वामित्ववाला क्षेत्र'—इस पद की व्याख्या इस प्रकार की गई कि उसमें भूस्वामियों-द्वारा अधिकृत जमीनों के साथ-साथ वे जमीनें भी आ जाएं, जो स्थायी और मौरूसी दखलकारी हकों के अधीन किसी के कब्जे में हों। यानी, मान लीजिए, किसी व्यक्ति 'क' की जमीन है और दखलकारी हकों के अधीन वह किसी दूसरे व्यक्ति 'ख' के कब्जे में है, तो वह 'ख' की जोत में गिनी गई और 'क' की जोत में शामिल नहीं की गई। यह बात भी मानी गई कि जिन लोगों को कानूनन स्थायी और मौरूसी हक प्राप्त नहीं हैं, पर जिन्हें व्यवहार में वे हक मिले हुए हैं, उन्हें भी भूस्वामी माना जाए।

(3) पूरे राज्य मे खेती की पूरी जमीन, जो किसी एक व्यक्ति के कब्जे में हो, एक ही जोत मानी जाएगी। जहा तक सयुक्त जोत का सवाल है, हर साझीदार का हिस्सा अलग-अलग जोत माना जाएगा।

(4) 'खुदकाश्त' के क्षेत्र की व्याख्या इस तरह की गई कि वह 'स्वामित्ववाले क्षेत्र' और 'पट्टे पर दिए गए क्षेत्र' का अन्तर है। 'पट्टे पर दिया गया क्षेत्र' वह जमीन है जो किसी को किराए पर दे दी गई हो, जिस पर उसे स्थायी और मौरूसी हक हासिल न हुआ हो।

4 दूसरी पचवर्षीय योजना के समय जमीन-सम्बन्धी गणना के जो भी आकडे मिल सके थे, वे उसमें सक्षेप में दे दिए गए थे। फिर, सन् 1956 में राज्यो का फिर से जो सगठन हुआ, उसके कारण उनके लिए उन आकडो को फिर से तालिकाबद्ध किया गया। यहा आगे की तालिकाओ मे उन्हें उसी रूप मे प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इनमे बिहार और उडीसा के आकडे नही हैं। बिहार-सरकार का ख्याल है कि नमूने के लिए किए गए सर्वेक्षण से जो आकडे जमा किए गए हैं, उनसे स्वामित्व और काश्तकारी की सही तसवीर बिल्कुल ही सामने नही आती। उडीसा से मिले हुए आकडे अधूरे थे।

जोतो का वितरण और आकार

(अ) जिन राज्यो मे हर आकार-वर्ग की जोतो की पूरी-पूरी गणना की गई

(हजार मे)

		जोतो की कोटिया (एकड में)									
		2 5 तक	2 5 से 5 तक	5 से 10 तक	10 से 20 तक	20 से 30 तक	30 से 40 तक	40 से 60 तक	60 से 100 तक	100 से ऊपर	सब कोटिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1 आन्ध्रप्रदेश—(क) भूतपूर्व आन्ध्र-क्षेत्र										
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतो की सख्या	1,253	514	423	272	87	39	31	17	9	2,645
	प्रतिशत	(47 4)	(19 4)	(16)	(10 2)	(3 3)	(1.5)	(1 2)	(0 6)	(0 4)	(100)
	क्षेत्र	1,417	1,853	2,976	3,790	2,115	1,318	1,491	1,258	1,816	1,9034
	प्रतिशत	(7 9)	(10 3)	(16 5)	(21)	(11 7)	(7 3)	(8 2)	(7)	(10 1)	(100)
(आ) खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र[1]	जोतो की सख्या	1,188	486	396	253	80	35	27	11	7	2,486
	प्रतिशत	(47 8)	(19 6)	(15 9)	(10 2)	(3 2)	(1 4)	(1.1)	(0 6)	(0 2)	(100)
	क्षेत्र	1,303	1,713	2,739	3,478	1,900	1,174	1,295	1,048	1,151	15,801
	प्रतिशत	(8 3)	(10 8)	(17 3)	(22)	(12 1)	(7 4)	(8 2)	(6 6)	(7 3)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	96	122	192	247	150	100	133	137	371	1,548
	प्रतिशत	(6 2)	(7 9)	(12 4)	(15 9)	(9 7)	(6 5)	(8 6)	(8 9)	(23 9)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	6 7	6 6	6 5	6 5	7 1	7 6	8 9	10 8	20 5	8 6

(ख) तेलगाना-क्षेत्र‡

(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतो की सख्या	388	263	331	311	126	64	59	37	28	1,607
	प्रतिशत	(24 2)	(16 4)	(20 6)	(19 4)	(7 8)	(4)	(3 6)	(2 3)	(1 7)	(100)
	क्षेत्र	147	968	2,416	4,413	3,101	2,196	2,853	2,863	5,776	25,033
	प्रतिशत	(1 8)	(3 9)	(9 6)	(17 6)	(12 4)	(8 8)	(11 4)	(11 4)	(23 1)	(100)
(आ) खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र	जोतो की सख्या	379	249	308	287	118'	58	53	34	21	1,507
	प्रतिशत	(25 1)	(16 5)	(20 5)	(19)	(7 8)	(3 9)	(3 5)	(2 2)	(1 5)	(100)
	क्षेत्र	441	945	2,255	4,086	2,870	2,013	2,566	2,535	3,936	21,647
	प्रतिशत	(2)	(4 4)	(10 4)	(18 8)	(13 3)	(9 3)	(11 9)	(11 7)	(18 2)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	32	81	203	397	277	219	302	319	1,556	3,386
	प्रतिशत	(0 9)	(2 4)	(6)	(11 8)	(8 1)	(6 4)	(9)	(9 4)	(46)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	7 2	8 4	8 4	9	8 9	9 9	10 6	11 2	26 9	13 5

2. गुजरात और महाराष्ट्र|

(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतो की सख्या	1,928	1,115	1,286	1,127	473	242	201	99	42	6,513
	प्रतिशत	(29 6)	(17 1)	(19 7)	(17 3)	(7 3)	(3 7)	(3 1)	(1 5)	(0 7)	(100)
	क्षेत्र	2,309	4,129	9,320	16,097	11,626	8,368	9,676	7,355	8,160	77,040
	प्रतिशत	(3)	(5 3)	(12 1)	(20 9)	(15 1)	(10 9)	(12 6)	(9 5)	(10 6)	(100)

'इसमें खेती-योग्य वह जमीन शामिल नहीं है, जो एक साल से अधिक समय से परती पडी है।

‡ 'सूखे एकडों' में क्षेत्र की गणना। औसत रूप से एकड सिचाईवाले क्षेत्र को 6 एकड सूखे क्षेत्र के बराबर मान कर साधारण एकडो को 'सूखे एकडो' में परिवर्तित कर दिया गया है।

| गुजरात और महाराष्ट्र के आकडे अलग-अलग उपलब्ध नहीं है। मराठवाडा में जोतो का क्षेत्र 'सूखे एकडो' में दिखाया गया है। औसत रूप से एक साधारण एकड 1·002 सूखे एकड के बराबर है। चूकि यह अन्तर बहुत ही छोटा है, इसलिए सम्पूर्ण राज्य के लिए जोतो का विभाजन करते समय एक सूखे एकड को एक साधारण एकड के बराबर मान लिया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(आ) खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र*	जोतों की संख्या	1,723	999	1,137	1,005	424	216	179	85	30	5,798
	प्रतिशत	(29 7)	(17 2)	(19 6)	(17 3)	(7 3)	(3 8)	(3 1)	(1 5)	(0 5)	(100)
	क्षेत्र	1,996	3,662	8,084	14,139	10,293	7,411	8,501	6,201	5,044	65,330
	प्रतिशत	(3 1)	(5 6)	(12 4)	(21 6)	(15 8)	(11 3)	(13)	(9 5)	(7 7)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	360	658	1,357	2,114	1,401	960	1,123	1,029	2,518	11,518
	प्रतिशत	(3 1)	(5 7)	(11 8)	(18 4)	(12 2)	(8 3)	(9 7)	(8 9)	(21 9)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	15 6	15 9	14 6	13 1	12.1	11 5	11 6	14	30 8	15
3. मध्यप्रदेश‡											
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या		4,324		754	260	111	85	43	22	5,599
	प्रतिशत		(77 2)		(13 5)	(4 6)	(2)	(1 5)	(0 8)	(0 4)	(100)
	क्षेत्र		14,250		10,587	6,312	3,827	4,108	3,232	4,119	46,435
	प्रतिशत		(30 7)		(22 8)	(13 6)	(8.2)	(8 8)	(7)	(8 9)	(100)
(आ) खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र†	जोतों की संख्या	1,643	839	866	640	211	90	67	43	16	4,408
	प्रतिशत	(37 3)	(19)	(19 6)	(11 5)	(4 9)	(2)	(1 5)	(0 8)	(0 4)	(100)
	क्षेत्र	1,650	3,047	6,180	8,932	5,185	3,072	3,216	2,461	2,872	36,615
	प्रतिशत	(4 5)	(8 3)	(16.9)	(24 4)	(14.2)	(8 4)	(8 8)	(6 7)	(7 8)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र†	101	178	370	555	338	219	264	215	528	2,798
	प्रतिशत	(3 6)	(6 4)	(13 2)	(19 7)	(12.1)	(7 9)	(9.4)	(8 8)	(18 9)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	—	—	—	5 2	5 1	5 7	6 4	7.5	12 8	—

4 मद्रास @

(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतो की संख्या	1,852	934	739	391	104	42	32	18	12	1,124
	प्रतिशत	(44 9)	(22 6)	(17 9)	(9 5)	(2 5)	(1 1)	(0 8)	(0 4)	(0 3)	(100)
	क्षेत्र	2,231	3,360	5,136	5,389	2,525	1,424	1,546	1,357	2,799	25,768
	प्रतिशत	(8 7)	(13)	(19 9)	(21)	(9 8)	(5 5)	(6)	(5 3)	(10 8)	(100)
(आ) खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र ×	जोतो की संख्या	1,786	848	691	362	93	37	28	15	9	3,905
	प्रतिशत	(45 7)	(22 6)	(17 7)	(9 3)	(2 4)	(0 9)	(0 8)	(0 4)	(0 2)	(100)
	क्षेत्र	2,167	3,170	4,808	4,962	2,237	1,315	1,318	1,113	1,949	23,038
	प्रतिशत	(9 1)	(13 8)	(20 8)	(21 5)	(9 7)	(5 7)	(5,8)	(4 8)	(8 5)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	114	175	286	362	200	138	188	208	817	2,487
	प्रतिशत	(4 6)	(7)	(11 5)	(14 6)	(8)	(5 5)	(7 6)	(8 4)	(32 8)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	5 1	5 2	5 6	6 7	7 9	9 7	12 1	15 3	29 2	9 7

' कच्छ-क्षेत्र में खेती-योग्य बंजर भूमि को, जिनके स्वामी है, 'स्वामित्ववाला क्षेत्र' में तो दर्शाया गया है, पर 'खुदकाश्त क्षेत्र' के अन्तर्गत नही ।

‡ इसमें भूतपूर्व राजस्थान से अलग किया गया सिरोज-सब-डिवीजन शामिल नहीं है, क्योंकि वहा पर गणना नही हुई थी ।

| इसमें विन्ध्यप्रदेश का क्षेत्र शामिल नहीं है ।

@ इन आकड़ों में मद्रास में शामिल हुए भूतपूर्व तिरुवांकुर-कोचीन-रियासत का क्षेत्र शामिल नही है, क्योंकि वहा के आकड़े उपलब्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त, जोतो का क्षेत्र 'सूखे एकडों' के रूप में दर्शाया गया है । एक सिंचित एकड़ तीन सूखे एकड के बराबर माना गया है ।

× स्वामियों की लापरवाही से बेकार पड़ी जमीनो और 'मामल' जमीनो को 'स्वामित्ववाला क्षेत्र' में तो दर्शाया गया है, पर 'खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र' में नहीं ।

(आ) जिन राज्यों में गणना 10 एकड या उससे अधिक तक सीमित रही

(हजार में)

		जोतों की कोटियां (एकड में)							
		10 तक	10 से 20 तक	20 से 30 तक	30 से 40 तक	40 से 60 तक	60 से 100 तक	100 से ऊपर	सब कोटियां
1 मैसूर									
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या	1,790	430	160	71	59	30	14	2,557
	प्रतिशत	(70)	(16.8)	(6.3)	(2.9)	(2.3)	(1.2)	(0.5)	(100)
	क्षेत्र	7,001	6,139	3,914	2,531	2,810	2,210	2,780	27,448
	प्रतिशत	(25.5)	(22.4)	(11.3)	(9.2)	(10.3)	(8.2)	(10.1)	(100)
(आ) खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र	जोतों की संख्या	—	373	133	61	47	22	17	653*
	क्षेत्र	—	1,781	3,266	2,070	1,493	1,660	1,589	13,859*
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	—	958	680	451	542	505	1,061	1,200
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	—	(15.6)	(17.4)	(17.9)	(19.1)	(22.5)	(38.2)	(20.5)
2. पंजाब									
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या	2,505	284	96	12	32	17	8	2,981
	प्रतिशत	(83.9)	(9.5)	(3.2)	(1.4)	(1.1)	(0.6)	(0.3)	(100)
	क्षेत्र	6,963	4,040	2,329	1,416	1,561	1,278	1,638	19,258
	प्रतिशत	(36.1)	(21)	(12.1)	(7.5)	(8.1)	(6.7)	(8.5)	(100)
(आ) खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र	जोतों की संख्या	—	233	76	32	23	10	1	378*
	क्षेत्र	—	3,313	1,831	1,070	1,076	732	620	8,612*

(ग) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	—	751	495	342	437	439	858	3,322*
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	—	(18.6)	(21 3)	(23 7)	(27 9)	(34 4)	(52 4)	(27)*

3 दिल्ली

(क) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या	87	4	1	(‡)	(‡)	(‡)	(‡)	92
	प्रतिशत	(91.6)	(4 1)	(0 9)	(0 2)	(0 1)	(0.1)	(‡)	(100)
	क्षेत्र	152	51	19	8	5	3	3	241
	प्रतिशत	(62 9)	(21 2)	(7.9)	(3 5)	(2)	(1 2)	(1 3)	(100)
(ख) [illegible] के [illegible] क्षेत्र	जोतों की संख्या	—	4	1	(‡)	(‡)	(‡)	(‡)	5*
	क्षेत्र	—	51	19	8	4	3	2	87*
(ग) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	—	1	1	(‡)	(‡)	(‡)	(‡)	2*
	स्वामित्व वाले क्षेत्र का प्रतिशत	—	(1 6)	(2 5)	(3 5)	(5)	(5)	(10.1)	(2 6)*

4 हिमाचलप्रदेश

(क) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या	621	8	1	(‡)	(‡)	(‡)	(‡)	630
	प्रतिशत	(98 5)	(1 2)	(0 2)	(0 1)	(‡)	(‡)	(‡)	(100)

टिप्पणी : (1) मैसूर और कुर्ग-क्षेत्रों में, 10 एकड़ या उससे अधिक की जोतों की गणना की गई थी, किन्तु जो क्षेत्र बम्बई, हैदराबाद और मद्रास से हस्तान्तरित कर दिए गए हैं, उनमें सभी आकार-वर्गों की जोतों की गणना की गई।

(2) कर्नाटक में, जोतों के क्षेत्रों को 'सूखे एकड़ों' में बताया गया है। एक साधारण एकड़ औसत रूप से 1 01 सूखे एकड़ के बराबर होता है। चूंकि दोनों में फर्क बहुत मामूली है, इसलिए पूरे राज्य में जोतों के वितरण का ब्यौरा तैयार करने के लिए सूखे एकड़ और साधारण एकड़, दोनों को बराबर मान लिया गया है।

* ये आंकड़े 10 एकड़ या उससे अधिक की जोतों के बारे में हैं।

(‡) नगण्य है, 500 यानी 0 05 प्रतिशत से कम।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	क्षेत्र	519	101	31	11	8	7	10	707
	प्रतिशत	(76 2)	(11 3)	(4 1)	(1 6)	(1 1)	(0 9)	(1 5)	(100)
(ग) मुजारों के अन्तर्गत क्षेत्र	जोतों की संख्या	—	7	1	1	(‡)	(‡)	(‡)	9'
	क्षेत्र	—	97	30	10	7	6	10	160
(ङ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	—	1	1	1	(‡)	(‡)	(‡)	8'
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	—	(3 9)	(1 1)	(7 7)	(6 7)	(7)	(9)	(4 7)*

* यह आंकड़ा दस एकड़ या उससे अधिक की जोतों के बारे में है।

(‡) का मतलब है, 500 यानी 0 05 प्रतिशत से कम।

(‖) चम्बा जिले में भट्टियात तहसील में गणना की गई। चम्बा तहसील के 58 गांवों तथा चूड़ा तहसील के 36 गांवों का चुनाव यथेच्छ कर लिया गया था।

(इ) जिन राज्यों मे जोतों की गणना नमूने के आधार पर की गई

(हजार में)

		जोतो की कोटिया (एकड में)									
		2 5 तक	2 5 से 5 तक	5 से 10 तक	10 से 20 तक	20 से 30 तक	30 से 40 तक	40 से 60 तक	60 से 100 तक	100 से ऊपर	सब कोटिया
		1 केरल—(क) तिरुवाकुर-कोचीन									
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतो की सख्या	1,974	191	80	26	6	2		4		2,283
	प्रतिशत	(86 5)	(8 4)	(3 5)	(1 1)	(0 3)	(0 1)		(0 1)		(100)
	क्षेत्र	1,229	668	541	340	146	72		327		3,323
	प्रतिशत	(37)	(20 1)	(16 3)	(10 2)	(4 4)	(2 2)		(9 8)		(100)
(आ) खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र	जोतो की सख्या	1,958	176	67	20	4	1		2		2,228
	प्रतिशत	(87 9)	(7 9)	(3)	(0 9)	(0 1)	(0 1)		(0 1)		(100)
	क्षेत्र	1,346	621	456	262	86	42		144		2,957
	प्रतिशत	(45 5)	(21)	(15 5)	(8 8)	(2 9)	(1 4)		(4 9)		(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	38	31	51	40	29	19		158		366
	प्रतिशत	(10 5)	(8 5)	(14 1)	(10 9)	(7 9)	(5 1)		(43)		(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	3 1	4 7	9 5	11 7	19 9	25 8		48 [illegible]		11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(ग) मराठवाड़ा*											
(अ) [illegible]	जोतों की संख्या	371	130	103	73	20	9	8	5	3	725
	प्रतिशत	(51 5)	(18)	(14 2)	(10)	(2 8)	(1 3)	(1 1)	(0 6)	(0 5)	(100)
	क्षेत्र	116	480	710	1,022	488	334	380	351	1,043	5,254
	प्रतिशत	(7.9)	(9 1)	(14 1)	(19 4)	(9 3)	(6 4)	(7 3)	(6.7)	(19 8)	(100)
(आ) गुजारायत के अन्तर्गत क्षेत्र†	जोतों की संख्या	372	129	102	72	20	9	8	4	3	718
	प्रतिशत	(51 7)	(17 9)	(14 2)	(10)	(2 8)	(1.3)	(1 1)	(0 6)	(0 4)	(100)
	क्षेत्र	416	476	728	1,010	477	262	368	334	847	4,918
	प्रतिशत	(8 5)	(9.7)	(14 8)	(20 6)	(9 7)	(5 3)	(7.4)	(6 8)	(17 2)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	4	4	7	15	14	12	13	17	89	175
	प्रतिशत	(2.4)	(2.3)	(3.8)	(8.3)	(7 9)	(6.6)	(7.7)	(9.7)	(51.3)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	1	0.8	0.9	1 3	2.9	3.6	3 5	4 8	8.6	3.3
2. राजस्थान—(क) भूतपूर्व राजस्थान‡											
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या	53	31	34	26	9	4	3	2	1	163
	प्रतिशत	(32.2)	(19 2)	(21)	(15.8)	(5.6)	(2 7)	(2)	(1)	(0 5)	(100)
	क्षेत्र	58	114	244	361	220	147	157	126	136	1,563
	प्रतिशत	(3 7)	(7 3)	(15 6)	(23 1)	(14 1)	(9 4)	(10.1)	(8)	(8 7)	(100)

(आ) खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र	जोतो की सख्या	48	29	32	23	8	3	3	1	1'	147
	प्रतिशत	(32 5)	(20)	(21 5)	(15 6)	(5 3)	(2 3)	(1 8)	(0 8)	(0 2)	(100)
	क्षेत्र	55	108	228	324	189	116	122	83	59	1,284
	प्रतिशत	(4 3)	(8 4)	(17 8)	(25 2)	(14 7)	(9)	(9 5)	(6 4)	(4 7)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	6	11	22	40	28	26	34	45	66	278
	प्रतिशत	(2 2)	(4)	(7 9)	(14 4)	(10 1)	(9 3)	(12 2)	(16 2)	(23 7)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का अनुपात	10 4	9 6	9 1	11 1	12 6	17 7	21 6	35 6	49	17 8

(ख) अजमेर-क्षेत्र

(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतो की सख्या	57	21	18	10	3	1	1	**	‡	111
	प्रतिशत	(51 6)	(19 1)	(16 3)	(9 2)	(2 3)	(0 8)	(0 5)	(0 2)	**	(100)
	क्षेत्र	56	76	128	143	63	30	24	13	18	551
	प्रतिशत	(10 2)	(13 7)	(23 2)	(26)	(11 5)	(5 4)	(4 4)	(2 4)	(3 2)	(100)

* गणना के अन्तर्गत हर आकार-वर्ग की जोतो की पूरी-पूरी शुमार की गई। क्षेत्र का उल्लेख 'सूखे एकड़' में किया गया है।

† स्वामियों की लापरवाही से बेकार पड़ी जमीनों और 'मामूल' जमीनो को स्वामित्ववाला क्षेत्र में तो दर्शाया गया है, पर 'खुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र' में नहीं।

‡ आंकडे चुनी हुई 22 तहसीलो के बारे में है।

** का मतलब है, 500 यानी 0 05 प्रतिशत से कम।

@ ये आकडे हर आकार-वर्ग की जोतो की पूरी-पूरी गिनती के आधार पर दिए गए है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(आ) गुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र	क्षेत्र	57	21	18	10	2	1	1	**	**	110
	प्रतिशत	(51 9)	(19 1)	(16 1)	(9 2)	(2 3)	(0 8)	(0 4)	(0 2)	**	(100)
	क्षेत्र	55	75	125	142	62	29	24	13	17	542
	प्रतिशत	(10 2)	(13 8)	(23 1)	(26 2)	(11 4)	(5 4)	(4 3)	(2 4)	(3 2)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	क्षेत्र	1	1	2	2	1	1	1	**	**	9
	प्रतिशत	(10 5)	(10 2)	(18)	(25 7)	(14 1)	(6 6)	(8 1)	(1 8)	(1 7)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	1 7	1 2	1 3	1 7	2 1	2 1	3 1	1 3	2 4	1 7
				3 उत्तरप्रदेश[1]							
(अ) स्वामित्ववाला क्षेत्र	जोतों की संख्या	33	8	1	2	**	**	**	**	**	48
	प्रतिशत	(68 6)	(16 8)	(9 7)	(3 7)	(0 7)	(0 2)	(0 2)	**	(0 1)	(100)
	क्षेत्र	29	29	32	24	8	4	3	2	3	134
	प्रतिशत	(22)	(21 4)	(24)	(17 8)	(6)	(2 7)	(2 3)	(1 7)	(2 1)	(100)
(आ) गुदकाश्त के अन्तर्गत क्षेत्र	जोतों की संख्या	32	8	4	2	1	**	**	**	**	47
	प्रतिशत	(68 6)	(16 8)	(9 7)	(3 8)	(0 7)	(0 2)	(0 1)	(0 1)	**	100
	क्षेत्र	29	28	32	24	8	4	3	2	3	133
	प्रतिशत	(22)	(21 4)	(24 1)	(17.9)	(6)	(2 8)	(2 3)	(1 6)	(1 9)	(100)
(इ) पट्टे पर दिया गया क्षेत्र	प्रतिशत	(25 7)	(18 4)	(15)	(5 5)	(5 8)	(0 9)	(3 4)	(13 6)	(11 7)	(100)
	स्वामित्ववाले क्षेत्र का प्रतिशत	(1 2)	(0 9)	(0 7)	(0 3)	(1)	(0 1)	(1 5)	(8)	(6)	(1 1)

"**" का मतलब है, 500 यानी 0.05 प्रतिशत से कम ।

[1] नमूने के 204 गांवों को लेकर ये आंकड़े तैयार किए गए हैं । पूरे राज्य को लेकर अनुमान तैयार नहीं किए गए ।

अध्याय 15

श्रम-नीति

भारत मे श्रम-नीति का विकास उद्योगो और श्रमिक-वर्ग से सम्बद्ध परिस्थितियो की विशिष्ट आवश्यकताओ के अनुरूप ही हुआ है तथा इसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओ से मेल रखना पड़ता है। विभिन्न स्तरो पर सरकार, श्रमिक-वर्ग और उद्योगपतियो के प्रतिनिधियों के संयुक्त विचार-विमर्श के फलस्वरूप कुछ सिद्धान्त और आचरण निश्चित हो गए हैं। इस दिशा में सरकार ने जो कानून बनाए तथा अन्य उपाय अपनाए, वे सब सम्बद्ध पक्षो की सम्मति के सार-रूप है। इस तरह उन कानूनो और उपायो को एक राष्ट्रीय नीति का स्वरूप और बल प्राप्त है, जो स्वैच्छिक आधार पर प्रचलित है। नीतिया बनाने और उन पर अमल करने के लिए सयुक्त समितिया बनाई गई हैं। इस त्रिपक्षीय व्यवस्था के ऊपर भारतीय श्रम-सम्मेलन का स्थान है।

नए परिवर्तन

2 औद्योगिक सम्बन्धो का ढाचा इस प्रकार बनाने का प्रयत्न किया गया है कि उद्योगो मे शान्ति स्थापित रहे और श्रमिक-वर्ग के साथ उचित व्यवहार हो। औद्योगिक विवाद प्रेमपूर्वक तय करने में दोनो पक्षो के असफल रहने पर हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। विवादो को समझा-बुझाकर हल करने की भी व्यवस्था की गई है। ऐसा सम्भव होने पर निबटारे के लिए उन्हें राज्य-द्वारा न्यायाधिकरण को सौंपने की भी व्यवस्था है। मामला निबटारे के लिए सौंपे जाने के बाद काम बन्द करना तथा समझौता या फैसला होने पर उस पर अमल न करना गैर-कानूनी करार दिया गया है। इस व्यवस्था ने औद्योगिक अशान्ति रोकने में बहुत योग दिया है तथा इससे श्रमिक-वर्ग को उन्नति तथा सुरक्षा की सास लेने का अवसर दिया है, जो अन्यथा सम्भव नही था। परन्तु इसके साथ ही मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति भी बढ़ी और कानूनी प्रक्रियाओ में होने-वाले विलम्ब से व्यापक असन्तोष फैला। इसलिए दूसरी पचवर्षीय योजना में इस अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति को दूर करने के लिए तथा कानूनी के बजाय नैतिक आधार पर औद्योगिक सम्बन्धो में ठोस परिवर्तन लाने के लिए एक बिलकुल नई दिशा अपनाई गई। अब उचित समय पर कार्रवाई करके अशान्ति पैदा न होने देने तथा विवाद के मूल कारणो का अन्त करने की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न पक्षो के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन तथा उनके आपसी सम्बन्धो में नए आधारो की स्थापना जरूरी है।

3 उद्योगपतियो और श्रमिको के सभी केन्द्रीय सगठनो ने सरकारी और निजी, दोनो क्षेत्रो के उद्योगो के लिए स्वेच्छा से एक अनुशासन-संहिता स्वीकार कर ली है, जिस पर सन् 1958 के मध्य से अमल भी हो रहा है। इस सहिता में मालिको और श्रमिको, दोनो पर कुछ खास जिम्मेदारिया डाल दी गई हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि दोनो के प्रतिनिधियों में सब स्तरों पर रचनात्मक सहयोग होता रहे—न तो काम रुके और न मुकदमेबाजी हो, झगड़ो और शिकायतो का निबटारा आपसी बातचीत, सुलह-समझौते तथा स्वेच्छया नियुक्त पचो के द्वारा हो, श्रमिक-सगठनो का विकास स्वतन्त्रतापूर्वक होने

की सुविधाए मिले और औद्योगिक सम्बन्धो मे सब प्रकार की जोर-जबर्दस्ती और दबावों का अन्त हो जाए ।

4 सहिता में व्यवस्था है कि सभी सस्थाओ में शिकायते पेश करने का एक नियमित तरीका निकाला जाए और उन पर फौरन ध्यान दिया जाए । शिकायतें दूर करने के कानूनी तरीको और अन्य सामान्य उपायो का पूरा उपयोग किया जाए तथा किसी भी पक्ष की ओर मे सीधी, मनमानीपूर्ण या एकतरफा कार्रवाई न की जाए । सहिता के अनुसार, मालिको और श्रमिको ने मुकदमेबाजी, तालाबन्दी, 'बैठे रहो' या 'अन्दर रहो' हड़ताल का सहारा न लेना स्वीकार कर लिया है । किसी को धमकाने और सताने की घटनाए न होने देने तथा 'धीरे काम करो' नीति न अपनाने का भी फैसला कर लिया गया है । श्रमिक-सगठनो ने ताकत से दबाव न डालना स्वीकार कर लिया है तथा श्रमिकों में लापरवाही से काम करने, कर्तव्य की उपेक्षा करने, सम्पत्ति को नुकसान पहुचाने, सामान्य काम-काज में हस्तक्षेप करने या बाधा पहुचाने तथा अवज्ञा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न देना भी स्वीकार कर लिया गया है । मालिको को भी श्रमिक-सगठनों के निर्माण में पूरी स्वतन्त्रता देने और कौन-सी श्रमिक-सस्था मान्यता की अधिकारिणी है, इसके लिए निश्चित सिद्धान्त का पालन करने के लिए राजी कर लिया गया है । अनुशासन-सहिता भग करने की दोषी श्रमिक-सस्था की मान्यता छीनी जा सकेगी । दोनो पक्षो को फैसलो, समझौतो, निर्णयो, पचाटो आदि को तुरन्त अमल में लाने के लिए वचनबद्ध कर लिया गया है । सहिता के शब्दो और भावना का उल्लघन करनेवाले अधिकारियो, कार्यालय-कर्मचारियो और श्रमिको की निन्दा करने या उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए मालिको और श्रमिको के सगठन वचनबद्ध हैं ।

5 स्पष्ट है कि एक कठिन क्षेत्र मे ऐसे दूरगामी उद्देश्यो से प्रेरित एक पूर्णत नवीन विचार को पूरी तरह व्यवहार में लाने के लिए काफी समय तक निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने की आवश्यकता है । अभी तक के परिणाम उत्साहवर्द्धक है—काम बन्द होने से नष्ट होनेवाले श्रमिक-दिनो में कमी आने और औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होने, इन दोनों ही दृष्टियो से श्रमिक-दिन नष्ट होने की सख्या काफी घटी है । जनवरी-जून 1958 में—सहिता लागू होने से पहले के छ महीनो में—यह सख्या 47 लाख थी, जब कि जुलाई-दिसम्बर 1960 में मात्र 19 लाख रह गई । सहिता ने मालिको और श्रमिको को एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यो का ज्ञान कराने में भी सफलता प्राप्त की है । साथ ही, मुकदमेबाजी और शक्ति-परीक्षा के व्यर्थ तरीको का सहारा लिए बिना, आपसी तौर पर ही, विवादो को हल करने की प्रवृत्ति बढती जा रही है ।

6 श्रमिक-सगठनो में आपसी विरोध के उद्योग एव श्रमिको, दोनो के लिए शोचनीय दुष्परिणाम सर्वज्ञात हैं । तीन वर्ष-पूर्व श्रमिक-सगठनो के प्रतिनिधियो-द्वारा तैयार और स्वीकार की गई आचार-सहिता के अनुसार, प्रत्येक श्रमिक को अपनी पसन्द के सगठन में शामिल होने का अधिकार तथा स्वतन्त्रता होगी । कोई सगठन किसी भी श्रमिक के अज्ञान और पिछड़ेपन का लाभ नही उठाएगा । सभी सगठन जात-पात, साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता से दूर रहेंगे तथा श्रमिक-यूनियनों के आपसी व्यवहार में हिंसा, जोर-जबर्दस्ती, डराने-धमकाने और व्यक्तिगत निन्दा का सहारा नहीं लिया जाएगा । श्रमिक-सगठनो को लोकतान्त्रिक ढग से काम करने देने की पूरी स्वतन्त्रता का सिद्धान्त पूर्ण रूप से स्वीकार

किया जाएगा तथा सभी केन्द्रीय श्रमिक-सगठन कम्पनियो-द्वारा यूनियनें बनाने और चलाने की प्रवृत्ति का विरोध करेंगे ।

7 दोनो पक्षो की आम शिकायत रही है कि पच-निर्णयों और समझौतो का पालन नही किया जाता । यदि ये शिकायतें आगे भी जारी रही तो दोनो सहिताए सर्वथा निरर्थक और निष्प्रयोजन हो जाएगी । इसलिए केन्द्र और राज्यों में सगठन बना दिए गए हैं, जो इन सहिताओ, कानूनो और समझौतो के कारण दोनो पक्षो पर आई जिम्मेदारियो का पालन कराएगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनसे कितना लाभ या नुकसान हुआ है ।

8 दूसरी योजना की अवधि में दो क्षेत्रो में विशेष प्रगति हुई है । इनका विशेष रूप से उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि ये श्रम-नीति के महत्वपूर्ण अग हैं और भविष्य में इनसे बहुत-से सुपरिणाम निकलने की आशा है । पहली बात, श्रमिको में अपने सस्थान के प्रति आत्मीयता का भाव जगाने और अधिक उत्पादकता में उनकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए दूसरी योजना में, प्रबन्ध में श्रमिको को हिस्सा देने-विषयक एक स्वरूप तय किया गया । परीक्षण के तौर पर इस दिशा में एक छोटे पैमाने पर शुरुआत की गई और अब तक 23 सस्थानो में सयुक्त प्रबन्ध-परिषदें बनाई जा चुकी हैं । परिषद् को सस्थान के सचालन की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है तथा श्रमिको के कल्याण, प्रशिक्षण एव सम्बद्ध मामलो की सीधी प्रशासनिक जिम्मेदारी उसी पर है । इसका मुख्य कार्य औद्योगिक सम्बन्धो पर प्रभाव डालनेवाले अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मालिको और श्रमिको की आपसी बातचीत की व्यवस्था करना है । मार्च 1960 में हुई एक गोष्ठी मे मालिको, श्रमिको, राज्य-सरकारो के प्रतिनिधियो और अन्य लोगों ने इन सयुक्त परिषदो के काम के बारे में अपने अनुभव बताए और विशेष समस्याओ के लिए अपनी ओर से हल भी पेश किए । परीक्षण की छोटी अवधि को देखते हुए इसके परिणाम सन्तोषजनक और उत्साहवर्द्धक हैं । दूसरी बात यह कि प्रारम्भिक स्तर से आगे बढने के बाद श्रमिको को शिक्षित करने की योजना ने काफी प्रगति की है और उसे सर्वत्र पसन्द किया जा रहा है । योजना में शिक्षक-प्रकाशको और श्रमिक-शिक्षको के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । श्रमिक-शिक्षक प्रशिक्षण समाप्त करके लौटने के बाद अपने-अपने सस्थान में श्रमिको के इकाई-स्तर पर वर्ग आरम्भ करते हैं । इस योजना की प्रगति का स्वतन्त्र रूप से मूल्याकन करने से मालूम हुआ है कि इन पाठ्यक्रमो से श्रमिको का आत्मविश्वास बढने में सहायता मिली है, सुरक्षा देनेवाले श्रम-कानूनो का लाभ उठाने की उनकी योग्यता बढी है, गैर-श्रमिक अन्य लोगो पर निर्भर रहने की मात्रा में कमी आई है और उनमें आर्थिक तथा भौतिक कल्याण की इच्छा जागी है । सरकार की सहायता से स्वतन्त्र अनुसन्धान-सस्थानों के जरिए श्रमिक-समस्याओ के अध्ययन की शुरुआत की गई है ।

मार्ग और दृष्टिकोण

9 दूसरी योजना की अवधि में जिन विचारो को परखा और फायदेमन्द पाया गया है, आनेवाले वर्षों मे उनका पूरा प्रभाव दिखाई दे सकेगा । श्रम-नीति निश्चित करने और उसके बुनियादी उद्देश्यो को प्राप्त करने में तीसरी पचवर्षीय योजना को अपना योगदान करना है । यह बात सदैव ध्यान में रखनी है कि आज जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वे योजनाबद्ध आर्थिक विकास की तात्कालिक और दीर्घकालीन, दोनो आवश्यकताओ को

अच्छी तरह पूरा करें। जनता को पूर्ण रोजगार देने और जीवन-स्तर ऊचा करने का क्रम जारी रखने के लिए तीव्र आर्थिक प्रगति आवश्यक है। प्रगति के परिणामों का लाभ समान रूप से बटना चाहिए और जो भी आर्थिक तथा सामाजिक सगठन बनाया जा रहा है, वह समाजवादी समाज के सिद्धान्त के अनुरूप हो। इन लक्ष्यो की पूर्ति मे श्रमिक-वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है, उस पर बडी जिम्मेदारी है, जो उद्योगीकरण बढने के साथ और गम्भीर होती जाएगी। सरकारी उद्योग-क्षेत्र के विस्तार से, जो कि हो रहा है और जिसकी परिकल्पना की गई है, श्रम-आन्दोलन की समस्याओ मे गुणात्मक परिवर्तन आएगा तथा सामाजिक ढाचा समाजवादी प्रणाली के अनुकूल बदल डालने में सहायता मिलेगी। इस दृष्टिकोण के बहुत से फलितार्थ हैं। आर्थिक प्रगति को केवल उत्पादन और लाभ की दृष्टि से नही मापा जाना चाहिए, इसकी सबसे बडी परीक्षा तो यह होगी कि इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, उनका कितना भला होता है, मानव की व्यक्तिगत रूप से कितनी उन्नति होती है तथा सारा समाज कितना खुशहाल होता है। आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप जो अतिरिक्त सामाजिक परिसाधन सामने आते है, उन पर न तो केवल मालिको का दावा हो सकता है और न श्रमिक-वर्ग का, उनका वितरण केवल प्रत्येक के योगदान के अनुसार होना चाहिए—हा, पहले सभी सदस्यों की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए तथा भावी विकास एव समाज के सब वर्गों के हितो की व्यवस्था होनी चाहिए। काम और पेशे, चाहे कुछ भी हो, सब लोग भिन्न-भिन्न वर्गों के श्रमिक ही हैं। सब से निचले वर्ग के लोगो और उनके बच्चो को यह पक्का विश्वास दिला देना होगा कि उन्हें ऊचे-से-ऊचा पद प्राप्त करने की पूरी स्वतन्त्रता और अवसर है तथा मालिकों और श्रमिको की साझीदारी सभी के लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। इस प्रकार एक नए समाज की स्थापना हो रही है, जिसमें व्यक्ति और वर्ग एक-दूसरे के लिए कर्तव्य-पालन की भावना से चलते हैं, न कि दूसरो के हितो को क्षति पहुचा कर अपना स्वार्थ साधने के उद्देश्य से।

औद्योगिक सम्बन्ध

10 तीसरी योजना मे औद्योगिक सम्बन्धो का विकास अनुशासन-सहिता-द्वारा गत वर्षों मे कठोर परीक्षणो के बाद तैयार हुए आधार पर निर्भर करता है। अनुशासन-सहिता के फलस्वरूप सामने आई जिम्मेदारियो का एहसास मालिको और श्रमिको के केन्द्रीय सगठनों से हर सम्बद्ध घटक को कराना पडेगा और औद्योगिक सम्बन्धो के दैनिक व्यवहार मे उसे जीवित शक्ति, एक चेतना का रूप धारण करना पडेगा। सहिता के लिए [illegible] आधारो को भी मजबूत करना पडेगा और इसके लिए सम्बद्ध पक्षो की सहमति प्राप्त करनी होगी।

11 श्रमिको और मालिको के मतभेद दूर करने के लिए स्वेच्छया पच-फैसले का [illegible] अधिक-से-अधिक अवसरो पर लागू करने के तरीके निकाले जाएगे। स्वेच्छया [illegible] का [illegible] मार्ग की बाधाए दूर करने के लिए कदम उठाए जाएगे। [illegible] को आज जैसा सरक्षण प्राप्त है, वैसा ही सरक्षण इन कार्रवाइयो [illegible] होना चाहिए। सरकार को उद्योगवार और प्रदेशवार पच-मडल की स्थापना [illegible] चाहिए। उद्योगपतियो का पहले झगडे पच-फैसले के लिए सौंपने को सब [illegible] उदार रुख चाहिए। सहिता के अन्तर्गत दोनो पक्षो ने अपने ऊपर

जो जिम्मेदारिया नी है उनके अनुसार पत-फैसले के तरीके को आम तौर पर अदालती कार्रवाई के मुकाबले पर तरजीह दी जानी चाहिए।

12 कानून मे हर कारखाने में कर्म-समितियो की स्थापना की व्यवस्था है, ताकि मालिको और श्रमिको मे अच्छे शान्तिमय सम्बन्ध बने रहे। हाल में ही की गई एक जाच से मालूम पड़ा कि दोनो पक्षो के मतभेद दूर करने मे यह प्रणाली बहुत सहायक सिद्ध हुई है, यद्यपि निष्ठापूर्ण प्रयत्नो के अभाव मे कुछ सस्थानो मे ये समितिया सुचारु रूप से काम नहीं कर रही है। श्रमिक-सगठनो के कार्य से भिन्न कर्म-समितियो के कार्य की परिभाषा स्पष्ट कर देने के निश्चय के फलस्वरूप समितियों के सफल कार्य-सचालन के मार्ग की एक बाधा दूर हो जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म-समितियों को मजबूत किया जाए और उन्हें श्रम-सम्बन्धी मामलो के लोकतान्त्रिक ढग से सचालन का एक सक्रिय माध्यम बनाया जाए।

13 संयुक्त प्रबन्ध-परिषदें : तीसरी पचवर्षीय योजना का एक मुख्य कार्यक्रम नए उद्योगो और सस्थानो मे सयुक्त प्रबन्ध-परिषदो की योजना धीरे-धीरे लागू कर देना है, ताकि कुछ वर्षों में ये परिषदे औद्योगिक ढाचे का एक स्वाभाविक अग बन जाए। इसके विकास के साथ, प्रबन्ध में श्रमिको का हिस्सा निजी उद्योग-क्षेत्र-द्वारा समाजवादी व्यवस्था में अपने को ढालने के प्रयत्न मे एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इससे प्रबन्धको और श्रमिक-वर्ग के बीच की खाई पट सकेगी, आपसी सम्बन्ध सुधरने में सहायता मिलेगी तथा दोनो पक्षो-द्वारा उद्योग तथा श्रमिको की समस्याओ के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा। किसी संस्थान की सफलता या विफलता से केवल प्रबन्धकों का ही वास्ता नहीं रहता। आर्थिक व्यवस्था को लोकतान्त्रिक आधार पर शान्तिपूर्ण रीति से विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबन्ध मे कर्मचारियो का हिस्सा एक अनिवार्य आवश्यकता तथा मूल सिद्धान्त के रूप मे स्वीकार कर लिया जाए। कालान्तर में श्रमिक-वर्ग मे से ही प्रबन्धक-वर्ग के कार्यकर्ता तैयार हो सकेंगे। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी, जो कि समाजवादी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अग है।

14 सयुक्त प्रबन्ध-परिषदो की स्थापना सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उन सभी सस्थानो मे की जानी चाहिए, जहा इस योजना की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितिया हो। अनुकूलता की पहली शर्त यह है कि दोनो पक्षो में सद्भाव हो। जहा भी एक प्रतिनिधि श्रमिक-यूनियन है, वहा स्वाभाविक रूप से ऐसी परिषद् की स्थापना हो जानी चाहिए। जिन सस्थानो मे परिषदें बनी हुई हैं, उनमें श्रमिको की शिक्षा का एक सघन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

15 श्रमिकों की शिक्षा : सरकार ने एक अर्द्ध-स्वशासी मडल की मार्फत श्रमिकों को शिक्षा देने का जो कार्यक्रम बनाया है, वह मालिको और श्रमिको के सभी सगठनो के सहयोग से चल रहा है। तीसरी योजना की अवधि में इस योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार करने का ख्याल है। कार्यक्रम को बहुमुखी बनाने तथा श्रमिको के प्रतिनिधियो और उनके सगठनो से और अधिक सहयोग लेने का इरादा है। इस कार्यक्रम के इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है कि प्रबन्धको को श्रम-सम्बन्धी कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाए।

16 श्रमिक-वर्ग मे साक्षरता का विस्तार विभिन्न कार्यक्रमो की सफलता की पहली और अनिवार्य शर्त है। अगले कुछ वर्षो में अधिक-से-अधिक श्रमिको को, विशेष रूप से 40 वर्ष से कम अवस्था के लोगो को, साक्षरता का लाभ पहुचाना जरूरी है।

17 श्रमिक-यूनियन . आज की और आगे आनेवाली परिस्थितियो में श्रमिक-सगठनो, उनके कार्यों तथा गतिविधियो के प्रति दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है । उन्हें देश के औद्योगिक और आर्थिक प्रशासन का आवश्यक अग स्वीकार करना ही होगा, साथ ही, उन्हें इस स्थिति के साथ आनेवाली जिम्मेदारिया निभाने के योग्य बनाना होगा । श्रमिक-यूनियनो के नेता भी श्रमिक-वर्ग से ही आने चाहिए, श्रमिको की शिक्षा का कार्यक्रम आगे बढने से इस प्रक्रिया को भी गति मिलेगी । आज प्राय सभी श्रमिक-यूनियनो को साधनो की कमी का सामना करना पड रहा है और उन्हें वह समस्त सहायता तथा मार्गदर्शन नही मिल रहा है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है ।

18 अनुशासन-सहिता के अग-रूप में स्वीकार किया गया श्रमिक-यूनियनो की मान्यता का आधार देश में स्वस्थ और सबल श्रमिक-यूनियनो के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा । उसी यूनियन को मान्यता मिल सकती है, जिसमें किसी सस्थान के कम-से-कम 15 प्रतिशत कर्मचारी 6 महीने से निरन्तर सदस्य हो, उसे किसी उद्योग या स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधि-यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार तभी होगा, जब उसे कम-से-कम उस क्षेत्र या उद्योग के 25 प्रतिशत कर्मचारियो की सदस्यता प्राप्त हो । किसी उद्योग या सस्थान में एक से अधिक यूनियन होने पर उसी यूनियन को मान्यता मिलेगी, जिसकी सदस्य-सख्या सबसे अधिक होगी । एक बार मान्यता मिल जाने पर किसी सगठन की स्थिति में दो वर्ष तक अन्तर नही आना चाहिए, बशर्तेकि वह अनुशासन-सहिता का पालन करता हो ।

19 औद्योगिक सम्बन्ध-व्यवस्था के कर्मचारियो को नियुक्त करते समय उचित चुनाव तथा प्रशिक्षण, दोनो पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है । यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कार्य की जटिलता को देखते हुए समझौता-अधिकारियो और न्यायाधिकरणों की योग्यता तथा क्षमता पर्याप्त है या नही । इस कार्य के लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाने का विचार है ।

पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा

20 सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर और सहायता की अपेक्षा रखनेवाले श्रमिको के लिए उद्योगो और कृषि, दोनों ही क्षेत्रो में, पारिश्रमिक की न्यूनतम दर नियत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है । इस उद्देश्य से बनाए गए न्यूनतम पारिश्रमिक-कानून में उद्योगो और कृषि के श्रमिको के लिए पारिश्रमिक की दर निश्चित करने और उनमें परिवर्तन की व्यवस्था की गई है । कई मामलो में यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नही हुई है । कानून को पूरी तरह अमल में लाने के लिए निरीक्षण-व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है । मुख्य उद्योगो में पारिश्रमिक तय करने का प्रश्न सामूहिक बातचीत, समझौतो, पच-फैसलो और अदालती निर्णयो पर छोड दिया गया है । दूसरी योजना में सिफारिश की गई थी कि बडे-बडे उद्योग-क्षेत्रो में पारिश्रमिक तय करने का सबसे उपयुक्त तरीका वेतन-मडल कायम कर देना होगा । अब तक इस पर सूती वस्त्र, सीमेंट और चीनी-उद्योगो में अमल किया गया है, परिस्थितियो के अनुसार इसे अन्य उद्योगों पर भी लागू किया जाएगा । लोहा तथा इस्पात-उद्योग के लिए भी शीघ्र ही एक वेतन-मडल कायम करने का निश्चय किया गया है । मालिको और श्रमिको के प्रतिनिधियो ने स्वीकार कर लिया है कि

वेतनमंडलो की सर्वसम्मत सिफारिशो पर पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए। कोयला-खान-उद्योग में एक उत्साहजनक प्रवृत्ति दिखाई दी है, जहा मालिको और श्रमिको ने दो-पक्षीय समिति बना कर उद्योग मे पारिश्रमिक के ढाचे पर पूरी तरह विचार करना स्वीकार कर लिया है। यदि यह दो-पक्षीय समिति किसी निर्णय पर पहुचने मे असफल हो जाए, तभी पारिश्रमिक तय करने की किसी और व्यवस्था की बात सोची जाएगी।

21 उचित पारिश्रमिक-समिति की रिपोर्ट मे पारिश्रमिक तय करने के सम्बन्ध में कुछ मोटे सिद्धान्त निश्चित कर दिए गए हैं। भारतीय श्रमिक-सम्मेलन ने सम्बद्ध पक्षो मे समझौते के आधार पर यह तय कर दिया था कि पारिश्रमिक-विषयक विवाद सुलझाने के लिए आवश्यकताओ के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए क्या-कुछ करना चाहिए। इस पर पुनर्विचार करने के बाद यह निश्चय किया गया कि श्रमिक-परिवारो की पौष्टिक भोजन की आवश्यकताओ पर इस विषय की अत्यन्त अधिकारपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर फिर से विचार किया जाए। न्यूनतम पारिश्रमिक के अलावा विभिन्न वर्गों के श्रमिको के लिए उचित पारिश्रमिक तय करने का भी ध्यान रखा जाए, साथ ही, यह भी व्यवस्था की जाए कि हुनर सीखने और उसमें विस्तार करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिले तथा उत्पादन बढाने और किस्म सुधारने का उत्साह पैदा हो। फिर भी, अभी श्रमिक-वर्ग और उच्च प्रबन्धको के स्तर पर पारिश्रमिक में बहुत बडा अन्तर है।

22 अपनी अनिश्चयात्मकता के कारण बोनस का प्रश्न संघर्ष और विवाद की जड बना हुआ है। यह निश्चय किया गया है कि दोनो पक्षो के प्रतिनिधियो को लेकर एक आयोग की स्थापना की जाए, जो बोनस-सम्बन्धी दावो का अध्ययन करे तथा इस सम्बन्ध में मार्ग-दर्शक सिद्धान्तो और पैमानो का निश्चय कर दे।

23 सामाजिक सुरक्षा : कर्मचारी-राज्य-बीमा-योजना अब 100 से अधिक केन्द्रो मे लागू है और लगभग 17 लाख औद्योगिक कर्मचारी उससे लाभ उठा रहे है। तीसरी योजना की अवधि मे यह योजना 500 या उससे अधिक औद्योगिक कर्मचारियोवाले प्रत्येक स्थान पर लागू कर दी जाएगी और इस प्रकार इससे लगभग 30 लाख श्रमिकों को लाभ पहुचने लगेगा। इन सभी केन्द्रो में बीमाशुदा लोगो के परिवारो के लिए अस्पताल, चिकित्सा-सम्बन्धी देखभाल और इलाज की व्यवस्था की जाएगी—इसमें अस्पताल में रहने तथा प्रसूति-कार्य-सम्बन्धी सुविधाए भी शामिल है। रोगो की रोकथाम की ओर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। बीमाशुदा कर्मचारियो के लिए अलग अस्पतालो की व्यवस्था करने की दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नए अस्पतालो और दवाखानो के निर्माण का काम तेजी से बढाया जाएगा, ताकि तीसरी योजना की अवधि में 6,000 अतिरिक्त रोगीशय्याओ की व्यवस्था हो जाए।

24 कर्मचारी-प्राविडेंट फंड-योजना : यह फिलहाल 58 उद्योगो/सस्थानो में लागू है। इसे अन्य उद्योगो में भी लागू किया जाएगा। पहले शर्त थी कि 50 कर्मचारीवाले सस्थानो मे ही यह योजना लागू की जा सकती है, परन्तु अब यह सख्या घटा कर 20 कर दी गई है। प्राविडेंट फड-सगठन ने अन्य उद्योगो का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और तीसरी योजना मे इसे उन उद्योगो मे लागू कर दिया जाएगा जो इसका आर्थिक बोझ उठा सकने में समर्थ होंगे। प्राविडेंट फड के अशदान की दर $6\frac{1}{4}$ से बढाकर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत करने का सरकार सिद्धान्तत स्वीकार कर चुकी है, परन्तु विभिन्न उद्योगो की आर्थिक क्षमता भिन्न

होने के कारण एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई है, जो यह पता लगाएगी कि कौन-कौन उद्योग यह अतिरिक्त बोझ नहीं सभाल सकेंगे। व्यावसायिक स्थानों के कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है।

25 सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी एक अध्ययन-दल ने सिफारिश की है कि सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाए मिला कर एक कर दी जाए और प्राविडेंट फड-सम्बन्धी विभिन्न योजनाओ को बुढापा, असहायता और जीवित रहने पर मिलनेवाली पेंशन अथवा सेवा-पुरस्कार (ग्रेच्युटी) के रूप में बदल दिया जाए। इस एकीकरण-सम्बन्धी प्रश्न के सभी पहलुओ पर तुरन्त विचार कर लेना जरूरी है, ताकि सारी योजना शीघ्रातिशीघ्र अमल में आ जाए।

26 सामाजिक सुरक्षा का सिद्धान्त अभी तक मुख्यत संगठित उद्योगो के वेतन-भोगी कर्मचारियो पर ही लागू हुआ है। परन्तु कुछ समूह ऐसे भी है, जिनकी स्थिति पर समाज को बारीकी से ध्यान देना चाहिए। अतीत में छोटे समुदाय और सयुक्त परिवारो से सम्बद्ध परम्परागत मूल्यो के कारण, उन लोगो को भी सुविधा-सहायता मिल जाती थी, जो अपने पैरो पर खडे नहीं हो सकते थे। अब भी काफी समय तक समुदाय, समूह और परिवार को किसी-न-किसी रूप में सहायता का मुख्य साधन बने रहना पड़ेगा। बाद में धीरे-धीरे शहरी और ग्रामीण, दोनो क्षेत्रो में राज्य-सरकारो और स्थानीय निकायो को सामाजिक सुरक्षा और सहायता की योजनाओं में भाग लेना पड़ेगा। आज की स्थिति में भी इन तीन समूहों के व्यक्तियो के सम्बन्ध में एक छोटे पैमाने पर शुरुआत की जानी चाहिए—अपग, वृद्ध जो कोई काम नहीं कर सकते, तथा स्त्रिया और बच्चे, जिनके पास जीविका का कोई साधन एव किसी प्रकार का सहारा नहीं है। इनके लिए सहायता स्वेच्छया तथा दातव्य सगठनो, नगरपालिकाओ, पचायत-समितियो और पचायतो की ओर से दी जानी चाहिए। स्थानीय जनता की सहायता से ये सगठन अपना कार्य-क्षेत्र बढा सकें तथा सबल बन सकें, इसके लिए एक छोटा-सा सहायता-कोश स्थापित करना भी उपयोगी होगा। इस प्रस्ताव के विस्तृत विवरण पर राज्यो और स्वैच्छिक सगठनो के सहयोग से आगे विचार किया जा सकता है।

काम की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण

27 विभिन्न कानूनो के अन्तर्गत, कर्मचारियो के लिए काम की सन्तोषजनक स्थिति शारीरिक सुरक्षा तथा उनके कल्याण के सम्बन्ध में विभिन्न सुविधाओ की व्यवस्था करने के लिए एक विस्तृत सहिता तैयार की जा चुकी है। परन्तु कानूनी व्यवस्था को भली भांति अमल में लाने के लिए उचित कदम उठाने पडेंगे। काम की स्थिति सुधारने से कर्मचारियो की उत्पादन-विषयक दक्षता बढ सकती है। उद्योग में मानव से सम्बद्ध विविध पहलुओ के क्षेत्र में आधुनिक गतिविधियो का लाभ उठाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय श्रम-सस्थान और तीनो प्रादेशिक श्रम-सस्थानो के काम को इतना आगे बढाया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसन्धान के जरिए उद्योग की विस्तृत रूप से सेवा हो सके। सुरक्षा की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक स्थायी सलाहकार-समिति की स्थापना की जाएगी, जो कारखानो में दुर्घटनाए रोकने और उन्हें कम करने के सम्बन्ध में उपाय सुझाएगी। कारखाना-कानूनो के परिपालन के बारे मे नियुक्त निरीक्षणालयो

को मज़बूत करने का काम राज्य-सरकारो को करना चाहिए। कारखानो और खानो में सुरक्षा-समितिया बना कर तथा कर्मचारियो को अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक रहने की शिक्षा देकर दुर्घटनाओ मे कमी करने की बहुत गुजायश है। खान-सुरक्षा-सम्मेलन और उसकी विभिन्न समितियो की सिफारिशो के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं और खानो मे सुरक्षा की समस्या से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओ का सघन अध्ययन हो रहा है। खान-उद्योग में सुरक्षा-सम्बन्धी शिक्षा और प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय खान-सुरक्षा-परिषद् कायम करने का विचार है। खानो के उत्पादन में तीव्र वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप होने-वाली अधिक गहरी खुदाई और मशीनो के अधिक उपयोग को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि अधिक सावधानी बरती जाए तथा नियम-उपनियमो का कडाई से पालन करने की व्यवस्था की जाए। भवन और अन्य निर्माण-उद्योग भी एक ऐसा क्षेत्र है, जहा तेजी से विस्तार के कार्यक्रमो के कारण सुरक्षा के नियमो पर अधिक ध्यान देना जरूरी हो गया है। यद्यपि केन्द्रीय और राज्यीय निर्माण-कार्य-विभाग इस क्षेत्र में रोजगार देनेवाली मुख्य सस्थाए हैं, तथापि भवन-निर्माण और अन्य निर्माण-कार्य का एक बडा भाग गैर-सरकारी लोगो के हाथ मे है। निर्माण-स्थलो पर काम की स्थिति कारखानो की तुलना में बहुत भिन्न है। इसका मुख्य कारण यह है कि निर्माण-कार्यो में पूर्णत. अस्थायी आधार पर काम मिलता है। भवन-निर्माण और दूसरे निर्माण-कार्यो में सुरक्षा के सम्बन्ध में अलग से कानून के बारे में विचार किया जा रहा है। औद्योगिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता-सम्बन्धी सर्वेक्षणो से ज्ञात हुआ है कि पेशागत रोगो से पीडित होनेवालो की सख्या बराबर बढ रही है। अन्य उद्योगो में भी ऐसे ही सर्वेक्षण होने चाहिए और हर मामले में तुरन्त उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कोयला और अभ्रक-खान-उद्योगो में श्रमिको की कल्याण-योजनाओ के लिए विशेष कल्याण-कोश कायम किए गए हैं। इनसे वास्तविक आवश्यकताओ की पूर्ति हो रही है। मैंगनीज़ और खनिज लोहा, आदि की खानो के कर्मचारियो के लिए भी ऐसे ही कोश कायम करने का सुझाव है।

28 **श्रमिको की सहकारी समितियाँ** . कोयला-खान कल्याण-कोश-सगठन की सहायता से खनिको की सहकारी समितिया बनाने के काम में कुछ प्रगति हुई है। कुछ औद्योगिक केन्द्रो मे श्रमिको की सहकारी-आवास समितिया भी हैं। कुल मिलाकर, अभी श्रमिक-वर्ग में सहकारी समितियो का विचार अधिक बल नही पा सका है। सहकारी कार्यों के विस्तार से श्रमिको को विभिन्न रूपो में बहुत लाभ मिलेगा। सहकारी ऋण-समितिया तथा सहकारी उपभोक्ता-भाडार बनाने के लिए प्रचार किया जाना चाहिए। आशा है कि श्रमिक-यूनियन और स्वैच्छिक सस्थाए ऐसी सहकारी समितियो के सचालन मे पहले से अधिक दिलचस्पी लेंगी और आगे बढेगी।

29 **औद्योगिक आवास** : यद्यपि सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-योजना पिछले कुछ वर्षो से चल रही है, तथापि औद्योगिक कर्मचारियो की आवास-सम्बन्धी स्थिति नही सुधरी है, कुछ केन्द्रो में तो स्थिति और बिगड गई है। समस्या का हल करने का वर्तमान तरीका पूर्णत अपर्याप्त पाया गया है। और तत्काल ही इस सम्बन्ध में नए उपाय खोजने पड़ेंगे, ताकि स्वास्थ्य और कार्य-कुशलता की दृष्टि से उन्हे रहन-सहन के एक निम्नतम स्तर का आश्वासन मिल सके। इसी उद्देश्य से सभी वर्गो के श्रमिको के लिए खेल-कूद और मनोरजन की सुविधाए भी उपलब्ध करनी होगी।

30 अन्य समस्याएं : ठेके पर काम करनेवाले श्रमिकों के सम्बन्ध में चल रहे अध्ययन की सहायता से ऐसे धन्धों का चुनाव हो सकेगा, जहां ठेके पर मजदूरी कराना बन्द कर दिया जाएगा। जहां इसे बन्द करना व्यावहारिक नहीं होगा, वहां ठेके के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के पूरे उपाय किए जाएंगे। यद्यपि सरकारी तथा श्रमिक-यूनियनों के कामों के फलस्वरूप बड़े और संगठित उद्योगों के कर्मचारियों की काम की स्थिति और जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तथापि कृषि और अन्य असंगठित उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए बहुत काम करना शेष है। सरकार और श्रमिक-संगठनों, दोनों को इनकी दशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

रोजगार तथा प्रशिक्षण-योजनाएं

31 तीसरी योजना की अवधि में शिल्पियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना होगा। दूसरी योजना की अवधि समाप्त होने तक देश में 166 औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान थे, जिनमें 42,000 प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्थान था। तीसरी योजना में 58,000 अतिरिक्त छात्रों के लिए व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन संस्थानों की संख्या बढ़ा कर 318 कर देने का विचार है। फलत: 1 लाख शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी और योजना की अवधि में 2 लाख शिल्पी तैयार हो सकेंगे। कारखानों के अन्दर भी प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी। शिक्षित युवकों को प्रबन्ध की तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग स्वयं अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवसाय-विषयक उत्तरदायित्व ग्रहण करने की रुचि तथा इच्छा रखते हों, उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

32 तीसरी योजना की अवधि में शिल्प-शिक्षकों को प्रशिक्षित करनेवाले 3 वर्तमान केन्द्रीय संस्थानों की क्षमता 512 छात्रों से बढ़ा कर 976 कर दी जाएगी तथा 3 अन्य केन्द्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। दूसरी योजना की अवधि में 2,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था, जब कि तीसरी योजना का लक्ष्य 7,800 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का है। महिला शिल्प-शिक्षकों को तैयार करने की व्यवस्था अलग से की जा रही है।

33 दूसरी योजना में शिष्य-प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत प्रगति अधिक नहीं हुई, क्योंकि इसे अब तक प्राय: स्वैच्छिक आधार पर ही चलाया गया है। अब इस योजना को अनिवार्य बनाने का निश्चय किया गया है और इस विषय में एक विधेयक संसद् में पेश किया जाएगा। शिष्य-प्रशिक्षण-कार्यक्रम में 14,000 स्थानों का लक्ष्य सामने रखा गया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सन्ध्याकालीन वर्ग-कार्यक्रम का लक्ष्य तीसरी योजना की अवधि में छात्र-प्रवेश-विषयक क्षमता को 3,000 से बढ़ाकर 15,000 करना है।

34 तीसरी योजना में रोजगार दिलाने के 100 नए केन्द्र खोले जाएंगे। ख्याल यह है कि हर जिले में कम-से-कम एक ऐसा केन्द्र हो। ग्रामीण रोजगार-केन्द्रों की संख्या बढ़ाने तथा राज्य-रोजगार-निदेशालयों के संगठन को मजबूत करने का इरादा है। रोजगार-बाजार-सूचना-कार्यक्रम के लिए इस दिशा में एक ठोस शुरुआत कर दी गई है, यह योजना सभी सरकारी प्रतिष्ठानों और 150 क्षेत्रों में निजी प्रतिष्ठानों में लागू है। रोजगार-केन्द्र-वाले सभी क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। युवक-रोजगार-सेवा, युवक-

मार्गदर्शन तथा रोजगार-केन्द्रों में पेशो के सम्बन्ध में सूचनाए सग्रह करने और उनका विश्लेषण करने का कार्यक्रम भी बढाने की व्यवस्था की गई है।

35. पिछले कुछ वर्षो में कतिपय उद्योगो में कम-बेशी सख्या में प्रतिष्ठानों के बन्द होने की घटनाए सामने आई है। बाजार में प्रतिकूल परिस्थितिया पैदा होने पर नफे-नुकसान की सीमा पर चल रहे सस्थानो पर बुरा प्रभाव पडता है, बशर्तेकि उनकी स्थिति की रक्षा करने के लिए पहले से ही कदम न उठाए जाए। अनेक मामलो में ऐसा हुआ है कि लम्बे समय तक उपेक्षा और कुप्रबन्ध का शिकार रहने के बाद वे सस्थान खत्म हो गए। इसके फलस्वरूप बेरोजगार होनेवाले श्रमिको को उसी उद्योग के अन्य सस्थानों में काम मिलना प्राय असम्भव हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इन श्रमिकों को अपना रोजगार खोने के साथ-साथ अपने बकाया वेतन से भी हाथ धोना पडता है। इतना ही नही, मालिको से प्राविडेंट फड और कर्मचारी-राज्य-बीमा का धन भी वसूल करना मुश्किल हो जाता है। परिणामत श्रमिको को बहुत कष्ट उठाना पडता है।

36. स्पष्ट है कि मानवीय पहलू को देखते हुए तथा अन्य श्रमिको में निराशा न आने देने के लिए छटनी के कारण असहाय बन गए श्रमिको की सहायता के लिए कुछ कदम उठाने आवश्यक हैं। अपनी पूर्ण विकसित स्थिति में इस योजना को अशदायी आधार पर सरकारी सहायता से चलाना होगा और छटनी किए हुए श्रमिको को सहायता तथा राहत देने के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित बातें और शामिल की जा सकती है.

(1) उन औद्योगिक सस्थानो को फिर से सहायता देकर खडा किया जाए, जो कुछ काल के लिए आर्थिक कठिनाइयो में फस गए है, परन्तु वैसे सुप्रबन्ध और कार्यकुशलता के लिए समादृत है,

(2) कुछ समय के लिए सस्थानो को अपने प्रबन्ध में ले लिया जाए, और

(3) उचित मामलो में उन श्रमिको को सहकारी प्रयत्नो के लिए धन की सहायता दी जाए, जिनके सस्थानो के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया हो।

इस सम्बन्ध में अविलम्ब शुरुआत करनी होगी। इसके लिए एक सीमित क्षेत्र-वाली योजना तैयार करने का निश्चय किया गया है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान परिस्थितियो में जितना व्यावहारिक होगा, उतनी सहायता की जाएगी। यह सहायता ऋण के रूप में होगी, जिससे तात्कालिक कठिनाइयो का सामना किया जा सके, अन्य पेशो के लिए कर्मचारियो को प्रशिक्षित किया जा सके और उन स्थानो पर उनकी बदली की जा सके, जहा काम सुलभ हो। इस प्रयोजन से योजना में कुछ धन की व्यवस्था की गई है।

उत्पादकता

37 उद्योग के सामने अब श्रमिको की निर्वाह-योग्य पारिश्रमिक रहने और काम करने की बेहतर स्थिति, रोजगार के अधिकाधिक अवसर तथा पूर्ण सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताए पूरी करने की समस्या है। परन्तु उद्योग में लगी पूजी पर उचित मुनाफा मिलना तथा पर्याप्त मात्रा में पूजी जमा होना भी आवश्यक है। श्रमिको की आकाक्षाए पूरी करने में औद्योगिक विवादो में उनकी सगठित शक्ति का प्रयोग, सरकारी कानून और सरकारी हस्तक्षेप अधिक सहायता नही कर सकते। उस अर्थव्यवस्था

की मजबूती और गतिशीलता पर ही उनका लाभ निर्भर है, परन्तु इसका भी आधार उत्पादकता के स्तर में बराबर वृद्धि है। उत्पादकता मे सुधार की बजाय माल की चालू कमी के फलस्वरूप भावो में होनेवाले तेजी अथवा विकास के दवाव के कारण मुनाफा बढना समृद्धि का प्रमाण नही है। उत्पादकता के अनेक पहलू हैं और अक्सर मालिको और मजदूरो-द्वारा अपनाई गई एकतरफा तथा कट्टर नीति के कारण उस पर बुरा प्रभाव पडता है। हर दिशा मे वैज्ञानिक आधार पर प्रयत्न किए जाने चाहिए, क्योंकि यही उत्पादकता का असली आधार है। वैज्ञानिकन शब्द का अक्सर गलत अर्थ लगा कर यह समझा जाता है कि इससे काम का बोझ बढता है और निजी मुनाफा बढाने के लिए श्रमिको पर अतिरिक्त भार डाल दिया जाता है। अनेक स्थानो पर श्रमिको के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले बिना और अधिक पूजी लगाए बिना भी उत्पादकता में बहुत वृद्धि की जा सकती है और सस्थान का खर्च काफी कम किया जा सकता है। इस काम की अधिक जिम्मेदारी प्रबन्धको पर है, उन्हें श्रमिक-वर्ग को बढिया-से-बढिया साज-सामान देना चाहिए, काम की स्थिति और तरीके सही रखने चाहिए, पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए और समुचित मनोवैज्ञानिक और वेतन-वृद्धि आदि की सुविधाए देकर उनका उत्साह बढाना चाहिए। अनेक प्रयोजनो से, हमें एक श्रमिक के बजाय एक-सा काम करनेवाले श्रमिको के समूह को इकाई मान कर चलने में सुविधा रहेगी और प्रोत्साहन-योजना अलग-अलग श्रमिको के लिए लागू करने के साथ-साथ पूरे समूह के लिए लागू करना भी अधिक आवश्यक है। उद्योग, श्रमिक-यूनियनो और सरकार का कर्तव्य है कि वे यह देखें कि पहले से काम कर रहे या नए भर्ती हुए श्रमिक पर्याप्त प्रशिक्षण पाए और कुशल कारीगर बन सकें। समुचित सगठन से बिना अधिक खर्च बढाए और उद्योग पर अनुचित बोझ डाले श्रमिक-वर्ग को अनिवार्य आवश्यकताए पूरी की जा सकती है। प्रबन्धको को इस दिशा में अपने क्षेत्र में अधिकतम वैज्ञानिकन के जरिए मार्गदर्शन करना चाहिए और ऐसी सभी अनुचित प्रवृत्तिया दूर करनी चाहिए, जिनके कारण श्रमिको की योग्यता का पूरा लाभ नही उठाया जाता। गरीबी, बेरोजगारी और कम उत्पादन का यह सिलसिला तोडना ही होगा, परन्तु यह तभी होगा, जब उत्पादन की प्रक्रिया मे भाग लेनेवाले सभी पक्ष अधिक-से-अधिक जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। उत्पादकता मे बराबर वृद्धि के बिना श्रमिको का जीवन-स्तर ऊचा करने के काम में वास्तविक प्रगति नही हो सकेगी, क्योंकि एक सकुचित सीमा से बाहर श्रमिको के वेतन में होनेवाली आम वृद्धि चीजो के मूल्य में होनेवाली महगाई के कारण बेकार हो जाएगी। अत श्रमिको को अपने और देश के व्यापक हित के लिए वैज्ञानिकन की प्रगति का विरोध नही करना चाहिए, बल्कि उसके लिए आग्रह करना चाहिए।

38 विकास की हमारी गति और अधिक रोजगार देने की हमारी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि बढती हुई प्रतियोगिता के बावजूद हम कितना निर्यात करने मे समर्थ है। यह अधिक-से-अधिक उत्पादन करने तथा मालिक, श्रमिक और समुदाय के अन्य लोगो-द्वारा कुछ त्याग करने से ही सम्भव है।

39 श्रमिक-वर्ग की सद्भावना और सहयोग के बिना महत्वपूर्ण सुधार नही हो सकते। समुचित सौहार्द और श्रमिको के हित में आवश्यक सरक्षण की व्यवस्था से ही यह कार्य किया जा सकता है। श्रमिको की सबसे बडी चिन्ता रोजगार के स्थायित्व को लेकर है। राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकन के विषय मे हुआ समझौता श्रमिको को उनके वर्तमान

काम में स्थायित्व की गारटी देता है। यदि श्रमिकों को दूसरे कामो का प्रशिक्षण देने तथा उनकी सहमति से उन्हें दूसरे कामो में डालने का ठोस प्रबन्ध किया जा सके, तो वैज्ञानिकता का क्षेत्र और भी बढाया जा सकता है। श्रमिकों से इस योजना में प्रसन्नता से सहयोग देने की आशा की जा सकती है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितिया बनानी होगी। राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्-द्वारा आयोजित गोष्ठी में हुए निर्णयों और समझौतो से इस प्रक्रिया को बल मिलेगा। समझौतो में अधिक उत्पादकता के लिए सहयोग का प्राथमिक आधार तैयार किया गया है। कार्यकुशलता और कल्याण-सहिता तैयार करने का काम अब भारतीय श्रम-सम्मेलन अपने ऊपर ले रहा है। प्रबन्धकों को मालिक-कर्मचारी-सम्बन्धो के महत्वपूर्ण पहलुओ के बारे में विभिन्न स्तरो पर प्रशिक्षण देने की ओर भी पूरा ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत पारिश्रमिक-निर्धारण और पारिश्रमिक-उत्पादकता-सम्बन्ध के निश्चय के बारे में भी व्यवस्थित अध्ययन करना होगा। इस सम्बन्ध में, उद्योगान्तर्गत प्रशिक्षण-केन्द्र-द्वारा उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण की योजना तथा प्रबन्धकीय एव अधीक्षणीय कुशलता-सम्बन्धी अन्य तकनीको के प्रस्तुत किए जाने, और उत्पादकता-केन्द्र-द्वारा उच्चतर उत्पादकता-विषयक तकनीको के प्रशिक्षण तथा कार्य-मूल्याकन एव कार्य-भार-सम्बन्धी क्षेत्रीय जाच के फलस्वरूप प्रबन्धको एव कर्मचारियो, दोनो की दिलचस्पी इस दिशा में बढी है। इस क्षेत्र में होनेवाले परवर्ती कार्यो से उपयुक्त पारिश्रमिक-नीतिया तैयार करने में मदद मिलेगी।

अनुसन्धान

40 सरकार ने निम्नलिखित प्रश्नो के अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए विशेष कार्य-क्रम अपनाए है। काम करने और रहन-सहन की स्थिति, पारिवारिक आय-व्यय, पारिश्रमिक-जाच, आय-सूचना, अनुपस्थितियो के स्वरूप, उत्पादकता, आदि। तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्य का और भी विस्तार होगा।

41 सितम्बर 1960 में हुए श्रम-अनुसन्धान-सम्मेलन में श्रम-सम्बन्धी मामलो की निर्भर-योग्य जानकारी की कमी तथा व्यवस्थित रूप से सतत और निष्पक्ष अनुसन्धान की आवश्यकता पर विचार किया गया था। यह तय किया गया था कि शुरू में श्रमिक-सम्बन्धी अनुसन्धान का समन्वय करने के लिए एक केन्द्रीय समिति बनाई जाए, जिसमें सरकार, मालिको और श्रमिको के सगठनो, विश्वविद्यालयो तथा इस कार्य में दिलचस्पी रखनेवाले अन्य सस्थाओं के प्रतिनिधि हो। इस समिति का काम इस क्षेत्र में कार्य करने-वाली सस्थाओं और उनके साधनो की जाच करना, उनकी कमियो का पता लगाना और उन्हें दूर करने के तरीको की खोज करना, तरजीह देने का क्रम तय करना, तथा किस सस्था को अनुसन्धान की कौन-सी योजना दी जाए, उसका निश्चय करना है, ताकि दो सस्थाए एक ही काम में न लग जाए। श्रमिक-क्षेत्र में अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देना और ऐसे अनुसन्धानो के परिणामो के उपयोग के तरीके सुझाना भी इस समिति का काम है। सरकारी क्षेत्र से बाहर श्रम-सम्बन्धी मामलो पर अनुसन्धान के लिए कुछ नई सस्थागत सुविधाए उपलब्ध करने का इरादा है। इसे कर्मचारियो, मालिको और अन्य लोगो के सगठनो का सहयोग तथा सहायता प्राप्त होगी।

अध्याय 16

सरकारी उद्योगों का संगठन

अप्रैल 1956 के औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में, जिसमें अर्थव्यवस्था की प्रगति को तीव्र करने के लिए द्रुत उद्योगीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, नए उद्योगो की स्थापना में सरकारी क्षेत्र के मुख्य कार्य के महत्व को इन शब्दो मे प्रकट किया गया है :

> "समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने तथा योजनाबद्ध और द्रुत विकास की आवश्यकता के कारण यह आवश्यक है कि बुनियादी और नीतिमूलक महत्व के सभी उद्योग अथवा ऐसे उद्योग, जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाओ के ढग के हैं, सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए। ऐसे अन्य उद्योग भी, जो अनिवार्य हैं तथा जिनमें इतने बड़े पैमाने पर पूजी-विनियोग की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान समय में केवल राज्य प्रदान कर सकता है, सरकारी क्षेत्र में ही होने चाहिए।"

2 ऐसे अनेक बुनियादी उद्योगो को, जिनके लिए बडे पैमाने पर पूजी-विनियोग की तथा विदेशी फर्मों या विदेशी सरकारो मे व्यापक सहयोग की आवश्यकता है तथा जिन्हें निकट भविष्य में कोई लाभ न दिखाई देने पर भी केवल भावी सम्भावनाओं के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है, सामान्यत पूरी तरह निजी उद्योगो पर ही निर्भर रह कर प्रारम्भ नही किया जा सकता। चूकि ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनिवार्य आवश्यकता है तथा ये देश के वर्तमान विकास की स्थिति के अनुरूप हैं, अत यह आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र का कार्य-क्षेत्र वडा हो। इसके साथ ही, ऐसे उद्योगो को, जहा तकनीकी कारणो से यन्त्रो के विशाल होने तथा बडी मात्रा में पूजी के विनियोग की आवश्यकता है, सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित एवं सगठित करने से, आर्थिक और औद्योगिक शक्ति को अनुचित रूप से निजी हाथो में एकत्र होने से भी रोका जा सकेगा।

3 सरकारी क्षेत्र के द्रुत विकास से जनता के बचत-विनियोग को बढाने में ठोस रूप से योग मिलेगा और परिणामत विकास की गति भी बढेगी। इस दृष्टिकोण से सरकारी क्षेत्र के विस्तार का मुख्य लाभ यह है कि बहुत हद तक कुशलता और आय के वितरण में होनेवाला सम्भावित सघर्ष समाप्त हो जाएगा। बढे हुए लाभ, जो निजी क्षेत्र में असमानता पैदा करते हैं (और सम्भवत जिनका प्रत्यक्षत दुरुपयोग होता है), सरकारी क्षेत्र में सीधे पूजी जुटाने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उद्योगो के कुशल सचालन से और अपने उत्पादनों तथा सेवाओ के लिए तर्कसगत और आर्थिक दृष्टिकोण से दृढ मूल्य-नीति के अनुसरण के द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्योगो को विनियुक्त पूजी का पर्याप्त लाभ प्राप्त होना चाहिए तथा विनियोग के लिए निश्चित साधनो को बढाने के लिए अपने लाभ का पूरा हिस्सा देना चाहिए।

4 समाजवादी ढग के समाज की स्थापना के उद्देश्य के लिए किए गए प्रयत्नो के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के विविध क्रियाकलापो का व्यापक विस्तार होगा, जिसकी परिधि में खदान और निर्माण, बिजली का उत्पादन और वितरण, निर्माण,

परिवहन और सचार, सिंचाई, बैंक और बीमा, व्यापार, सामाजिक सेवा, आदि विभिन्न कार्य आ जाएगे। इन सब क्षेत्रो में विस्तृत कार्रवाई का यह तकाजा है कि उचित सगठनो का विकास हो तथा अपने कार्य मे इन्हें जो अनुभव प्राप्त हो, उससे वे क्रमश और अधिक कुशल और कारगर हो सकें। इस अध्याय में यद्यपि आलोच्य विषय औद्योगिक सस्थान है, फिर भी अधिकाश विचार व्यापक क्षेत्र पर भी लागू होते हैं।

5 पिछले कुछ वर्षो में सरकारी क्षेत्र मे कई बडे औद्योगिक सस्थान स्थापित किए गए हैं। तीसरी योजना की अवधि मे कुछ और नए उद्योग स्थापित किए जाएगे। वस्तुत प्रत्येक उत्तरवर्ती योजना में अधिकाधिक सख्या मेंउद्योग स्थापित होंगे। पहले नए उद्योगो को प्रारम्भ करते समय मुख्य विचार उनके लिए वित्तीय साधन जुटाने का पैदा होता था। ऐसे काम प्रारम्भ करने की बात होती थी, जो महत्व रखते थे। परन्तु अब इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन उद्योगो का प्रबन्ध किस प्रकार योग्य ढग से किया जाए, जिससे वे और अधिक अच्छे उत्पादक बन सकें, इतना पर्याप्त फालतू माल तैयार कर सकें, जिसका प्रयोग भावी विस्तार के लिए किया जा सके, तथा सावधानीपूर्ण आयोजन, सुप्रबन्ध और मालिकों तथा श्रमिको के अच्छे सम्बन्धो के बारे में आदर्श बन सकें।

6 नई परियोजना की स्थापना के साथ ही, और वास्तव मे इससे बहुत पहले ही, यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रभावी प्रबन्ध की ओर उचित ध्यान दिया जाए। चाहे परियोजना को कितना ही सोच-विचार कर और कितनी ही अच्छी तरह प्रारम्भ किया गया हो, अन्तत उद्योग की सफलता या असफलता प्रबन्ध-विभाग की क्षमता पर निर्भर करती है। इससे पूर्व कि प्रबन्ध की कुछ त्रुटियो का विश्लेषण किया जाए और ऐसे क्षेत्रो को बताने का प्रयत्न किया जाए, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, यहा सक्षेप मे निर्माण के क्षेत्र में सरकारी उद्योगो की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया जाता है।

7 निर्माण के क्षेत्र मे सरकारी उद्योग तीन प्रकार से सगठित किए गए हैं। इनमें से कुछ चित्तरजन-इजिन-कारखाने की तरह है, जिनका सचालन विभागीय रूप से होता है। कुछ को कानूनी रूप देकर निगम बनाया गया है। परन्तु अधिकाश उद्योग कम्पनी-अधिनियम के अधीन स्थापित ज्वाइट स्टाक कम्पनिया है, यद्यपि कभी-कभी ऐसी कम्पनियो को भी निगम का रूप दे दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण उद्योगो की सूची अनुबन्ध में दी गई है, जिसमे प्रत्येक उद्योग किस मन्त्रालय के अधीन है, उसका नाम क्या है, उसकी कब स्थापना हुई तथा उसकी कानूनी स्थिति क्या है, बताया गया है।

8 कुछ समय पूर्व तक यह आम रिवाज था कि प्रत्येक निर्माता-इकाई को एक स्वतन्त्र कम्पनी के रूप में स्थापित किया जाए। जहा यह अनुभव किया गया कि कुछ उद्योगो मे एक ही क्षेत्र में काम करने के कारण या विशेष व्यावसायिक और तकनीकी सम्बन्ध के कारण परस्पर-सहयोग और समन्वय आवश्यक है, वहा कुछ व्यक्तियो को दोनो ही कम्पनियो का डायरेक्टर बनाने का प्रयत्न किया गया। ऐसे उद्योगो में, जो एक ही मन्त्रालय के अधीन है, तालमेल बिठाने मे कोई कठिनाई नही आती, क्योकि बोर्ड के अध्यक्ष तथा अनेक डायरेक्टर वही होते है। इसका कारण यह है कि अनेक मामलो में डायरेक्टरशिप कुछ पदेन अधिकारियो की होती है।

9 अब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि विशेष संगठनों की संख्या और विविधता में इतनी वृद्धि रोकी जानी चाहिए कि उनका प्रबन्ध ही न हो सके, तथा इन संगठनों को इकट्ठा करने के लिए एक निश्चित नीति होनी चाहिए, जिसमें प्रत्यक्षत: एक ही क्षेत्र में काम करनेवाले उद्योगों को निकट लाया जा सके। इससे प्रत्येक घटक इकाई को वे सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी, जो उन्हें अपने सीमित साधनों से उपलब्ध नहीं हो सकती थी, तथा सब मिला कर इनमें मितव्ययिता और कुशलता भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, एक ही क्षेत्र में काम करनेवाले कुछ उद्योगों को एकत्र करने से तथा उनके साधन-स्रोतों को भी एक साथ मिला देने से एक पर्याप्त बड़े आकार का संगठन क्रय और विक्रय, दोनों ही दृष्टियों से बड़े पैमाने पर, शाखा-कार्यालयों के साथ, स्थापित किया जा सकता है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसन्धान की सुविधाएं प्रदान कर सकता है, डिजाइन और विकास के लिए संगठन स्थापित कर सकता है, तकनीकी प्रशिक्षण-कार्यक्रम हाथ में ले सकता है और सामान्य आधार पर व्यक्तियों के चुनाव और भर्ती की उचित व्यवस्था कर सकता है। इसके साथ इस उद्योग-समूह के प्रत्येक उद्योग के सामने एक ही प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के कारण उनके समाधान के लिए अनुभवों का परस्पर आदान-प्रदान भी बड़ा उपयोगी होगा। परन्तु एक ही कम्पनी के अधीन अनेक निर्माण-इकाइयों को इस प्रकार नहीं लाना चाहिए कि डायरेक्टरों के बोर्ड की ओर से अत्यधिक केन्द्रीकरण की स्थिति पैदा हो जाए या घटक उत्पादक इकाइयों के दिन-प्रति-दिन के कार्य में हस्तक्षेप होने लगे, अन्यथा संस्थान का जनरल मैनेजर इस स्थिति में नहीं आ सकेगा कि उद्योग के सुचारु और कुशल संचालन की गारंटी दे सके।

10 इन सम्भावनाओं के प्रति जागरूकता का आभास हाल ही में स्थापित कुछ बड़ी कम्पनियों—यथा, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, हेवी इंजीनियरिंग-कारपोरेशन, हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि०, उर्वरक-निगम, राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम आदि की स्थापना से मिलता है। इनमें से प्रत्येक कम्पनी इस्पात, मशीन-निर्माण, रसायन, उर्वरक, कोयला-खनन, आदि से सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों का नियन्त्रण करती है या कर सकेगी।

11 प्रारम्भिक अवस्था में कुछ वर्ष पूर्व तक परियोजनाओं का संचालन विभागीय रूप से होता था। बाद में यह निश्चय किया गया कि व्यावसायिक ढंग के सरकारी उद्योगों को कम्पनियों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। इस समय अधिकांश नई परियोजनाओं के लिए—यथा रांची-स्थित भारी मशीन-परियोजना—प्रारम्भ से ही परियोजना के काम को देखने के हेतु, जिसमें निर्माण-कार्य को देखना भी शामिल है, एकक कम्पनी बना दी जाती है। इसके साथ ही वर्तमान कम्पनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करें, जैसा कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को दुर्गापुर में मिश्रधातु और औजारी इस्पात-संयन्त्र की और बोकारो में नए इस्पात-कारखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स कम्पनी को एक या दो मशीनी औजार-कारखाने खोलने का काम सौंपा गया।

12 अब यह आवश्यक हो गया है कि डिजाइन बनाने और निर्माण के लिए विशेष दक्षता-प्राप्त अभिकरणों की स्थापना के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए। ये अभिकरण औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में बड़ी इकाइयों को हाथ में ले सकेंगे तथा

उन्हें वास्तविक निर्माण में जो बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होगा, उसका उपयोग उत्तरवर्ती परियोजनाओं के निर्माण में किया जा सकेगा। इस दिशा में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और सिन्द्री फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड में डिज़ाइन और निर्माण-संगठन स्थापित करके शुरुआत कर दी गई है।

13 बड़े उद्योगों का सफलतापूर्वक संचालन एक नई चुनौती है। औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि कार्य-सम्बन्धी निर्णय शीघ्र लिए जाएं। यह आवश्यक नहीं कि ये निर्णय सदा ठीक ही हों, क्योंकि इस प्रकार के अधिकांश निर्णय वापस लिए जा सकते हैं तथा बाद में उन्हें सुधारा भी जा सकता है। उद्योग के प्रबन्ध-विभाग को उत्पादन-परिणाम दिखाने के लिए अधिक अधिकार देना और संचालन में लचीलापन होना आवश्यक है। यदि किसी उद्योग में वास्तविक स्वायत्त-शासन नहीं है, तो उसका कारगर होना सम्भव नहीं है।

14 उद्योगों में व्यक्ति को अधिकार न देना भी एक सामान्य त्रुटि है। जिस प्रकार जनरल मैनेजर को कारगर रूप से प्रबन्ध करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार वह तथा दूसरे प्रबन्ध-अधिकारी भी प्रायः यह त्रुटि करते हैं कि वे प्रबन्ध-विभाग के अपने से नीचे के उन अन्य कर्मचारियों को उचित अधिकार प्रदान नहीं करते, जो बिना उचित अधिकार के अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। अधिकार प्रदान करने की कमी सामान्यतः कर्तव्यों और दायित्वों को ठीक प्रकार से निश्चित न करने के कारण होती है। जब तक कोई यह नहीं जानता कि उसे क्या करना है तथा उसके क्या अधिकार हैं, तब तक वह विश्वास और प्रभावी ढंग से न तो काम कर सकता है और न किसी परिणाम के लिए उसे जिम्मेदार ही ठहराया जा सकता है।

15 उद्योगों की सफलता का एक निर्णायक तथा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रबन्ध-विभाग में उच्च पद पर पर्याप्त संख्या में अनुभवी व्यक्ति काम कर रहे हों। पर्याप्त प्रबन्धक कर्मचारियों के बिना भी एक अच्छा संयन्त्र चलता दिखाई दे सकता है, और वास्तव में अधिक खर्चीले ढंग पर चल सकता है, परन्तु यदि उनकी संख्या पर्याप्त न हो, तो उद्योग के सामने उत्पादन-व्यय में वृद्धि, कम उत्पादन, सामान की अधिक बर्बादी, मशीन-सम्बन्धी और प्रक्रिया-सम्बन्धी कठिनाइयां तथा मशीनों में खराबी, आदि की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।

16 उद्योगों की सफलता पर विपरीत प्रभाव डालनेवाला एक अन्य कारण प्रबन्ध-विभाग के कर्मचारियों में योग्यता का अभाव है। प्रबन्ध-विभाग के पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की अत्यधिक कमी होने के साथ, प्रायः जनरल मैनेजर, उत्पादन-मैनेजर, रख-रखाव-सुपरिंटेंडेंट, आदि महत्वपूर्ण पदों पर भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपना काम ठीक प्रकार से करने के लिए न तो प्रशिक्षण ही प्राप्त होता है और न अनुभव ही।

17 लाभ और लागत के प्रति भी जागरूकता इतनी व्यापक नहीं है, जितनी होनी चाहिए। प्रबन्ध-विभाग का यह लक्ष्य होना चाहिए कि आर्थिक कुशलता प्राप्त की जाए। इस मनोवांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए व्यय के बारे में सतर्कता आवश्यक है। खर्च के प्रति अत्यधिक सतर्क रहनेवाला मैनेजर भी खर्च पर तब तक नियन्त्रण नहीं रख सकता, जब तक उसे यह न मालूम हो कि वे खर्च क्या हैं, और उसे भी खर्च के लेखा-परीक्षा तथा अन्य प्रबन्ध-सम्बन्धी तकनीक के बिना, जिनका प्रयोग अधिक नहीं

किया जाता है, जानना सम्भव नहीं है। व्यक्तियों के चुनाव में, उनके प्रशिक्षण में, उन्हें अधिकतम सन्तोष प्रदान कर उनमें अधिकतम कार्य सम्पादन कराने में भी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं।

18 उपर्युक्त कदम उठाने के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया है

सरकारी उत्तरदायित्व : सरकारी स्वामित्ववाले उद्योगों पर प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ यह भी सामान्य रूप से मान लिया गया है कि यदि किसी सरकारी उद्योग का सफलतापूर्वक सचालन करना है, तो उसे सरकार और ससद् से कुछ सीमा तक पर्याप्त स्वायत्त-अधिकार मिलना चाहिए। जब सरकारी उद्योग के दिन-प्रति-दिन के निर्णयों पर ससद् में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और बहस होगी, तब मन्त्री के लिए भी यह आवश्यक हो जाएगा कि वह पहले से ही सब जानकारी देने और प्रत्येक निर्णय की पूर्व-स्वीकृति लेने को कहे। निरन्तर सार्वजनिक आलोचना और जांच के कारण प्रबन्ध-विभाग व्यावसायिक उद्योगों में दैनिक कार्य-सम्पादन के लिए आवश्यक निर्णय लेने में भी सकोच करेगा और इस प्रकार प्रत्यक्षतः स्वायत्तशासी उद्योग लालफीताशाही और नौकरशाही के कारण पगु हो जाएगा। इसलिए यह अनुभव किया गया है कि ससद् की एक समिति बनाई जाए, जो ऐसी जानकारी के साथ आलोचना कर सके, जिसका सरकारी उद्योग पर प्रभाव पड़े। यह समिति सदा सरकारी उद्योग के कामों के बारे में जानकारी रखेगी। यदि समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा जाए, तो इससे एक लाभ यह होगा कि सदस्य विविध जटिल तथ्यों को समझ सकेंगे तथा एक निरन्तरता बनी रहेगी। इसका एक परिणाम यह होगा कि ससद् के अधिकाधिक सदस्य इस मामले में विशेष दिलचस्पी ले सकेंगे। चूंकि ससद् समिति की सतर्कता से आश्वस्त होगी, इसलिए ससद् के सदस्य भी व्यक्तिगत रूप से सरकारी उद्योगों के समय-समय पर मूल्यांकन के बारे में समिति के सदस्यों के निर्णयों को महत्व देंगे।

19 डायरेक्टरों के बोर्ड का स्वरूप और कार्य : बोर्ड का मुख्य कार्य उद्योग के लिए एक आम नीति तथा उद्देश्य निश्चित करना है। निर्धारित नीतियों के आधार पर मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर को पूरे अधिकार होने चाहिए तथा आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए वही उत्तरदायी होगा। मन्त्रालयों के सचिवों को चेयरमैन या डायरेक्टर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रारम्भिक अवस्थाओं में यह उपयोगी हो सकता है कि एक या दो डायरेक्टर ऐसे सरकारी अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएं, जो सम्बद्ध प्रशासक मन्त्रालय में और वित्त-मन्त्रालय में परियोजना के बारे में ही देखरेख करते हों। ये अधिकारी कम्पनी के विधान के अधीन रहते हुए अन्य डायरेक्टरों के समान ही काम कर सकेंगे तथा कम्पनी के नियम और कानून भी उन पर उसी तरह लागू होंगे। ऐसे विषयों के बारे में, जिनका सम्बन्ध सरकार से है, वे बोर्ड को बताएंगे कि सरकार का विचार क्या है, तथा ऐसे मामले जब सरकार के पास जाएंगे, तब ये अधिकारी सरकार के सामने बोर्ड के विचार रख सकेंगे।

20 मैनेजिंग डायरेक्टर और (या) चेयरमैन की नियुक्ति सरकार-द्वारा होनी चाहिए। बहुत छोटे उद्योगों को छोड़ कर इनकी नियुक्ति सारे समय के लिए होनी चाहिए। अन्य डायरेक्टर, कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार, सारे या आंशिक समय के लिए हो सकते हैं।

21 बोर्ड की सदस्यता योग्यता, अनुभव और प्रशासन की दक्षता के आधार पर होगी तथा यह न केवल सरकारी उद्योग के कर्मचारियो के लिए, अपितु निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए भी खुली होनी चाहिए। बोर्ड का सदस्य चुन लिए जाने पर सदस्यो को उद्योग के हितो को अपना ही हित समझ कर काम करना चाहिए।

22 डायरेक्टरो के बोर्ड को इस बात के पर्याप्त अधिकार होने चाहिए कि वे नियुक्तिया और वेतन-मान निश्चित कर सकें। एक सरकारी उद्योग से दूसरे सरकारी उद्योग में कर्मचारियो का जाना रोकने के लिए, जो कि एक ही प्रकार के पदो के लिए विभिन्न वेतन-मान निश्चित करने से स्वाभाविक है, यह आवश्यक है कि बोर्ड को पहले ही सामान्य रूप से यह बता दिया जाए कि विभिन्न श्रेणी के पदो के लिए बुनियादी वेतन-मान क्या हो। फिर भी, बोर्ड को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह विशिष्ट कामो के लिए विशेष वेतन निश्चित कर सके।

23 पूजीगत कामो की अनुमति देने के लिए बोर्ड के अधिकारो में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है, क्योकि कुछ बडे उद्योगो के लिए जो सीमा निर्धारित की गई थी, वह बाद में अत्यल्प स्वल्प सिद्ध हुई। बडे उद्योगो के बारे में वित्तीय सीमा तुलना में कुछ अधिक होनी चाहिए। छोटे उद्योगो में यह सीमा कम हो सकती है। खर्च की स्वीकृति के लिए सरकार से लिखा-पढी या अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई कम-से-कम होनी चाहिए, जिससे कम्पनी की सीमा और नियमो में रहते हुए डायरेक्टरो के बोर्ड को सयन्त्र के सचालन अथवा परियोजना के निर्माण को स्वय प्रारम्भ करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके।

24 कुछ समय से ऐसा प्रयत्न रहा है कि बडी कम्पनिया स्थापित की जाए, जिनके अधीन एक ही प्रकार के छोटे-छोटे उद्योगो को ले आया जाए। इस प्रकार की बडी कम्पनियो के निर्माण को इसलिए वाछनीय समझा गया कि इससे घटक इकाइयो में सामान्य सुविधाए प्राप्त हो सकेंगी तथा आय, मितव्ययिता और कुशलता बढ सकेगी। मन्त्रालय-द्वारा कम्पनी को व्यापक अधिकार प्रदान करने के साथ यह जरूरी है कि कम्पनी भी घटक इकाइयो के जनरल मैनेजरो को पर्याप्त अधिकार प्रदान करे। यदि ऐसे व्यक्तियो को, जिन्हें उद्योग का सचालन करना है, आवश्यक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान न किए गए, तो अत्यधिक केन्द्रीकरण की त्रुटि बनी रहेगी और उद्योग की घटक इकाइयो के सचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

25 **मैनेजिंग डायरेक्टर/जनरल मैनेजर :** नेतृत्व, पथ-प्रदर्शन और मुख्य सचालन-शक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर से आनी चाहिए। उसे तकनीकी क्षमता, प्रशासनीय दक्षता और नेतृत्व की योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए। वह यह अच्छी तरह देखने में समर्थ हो कि कहा क्या हो रहा है, किस विभाग में काम सन्तोषजनक ढग से नही हो रहा है, तथा उसे इतना आवश्यक ज्ञान और अधिकार होना चाहिए, जिससे वह विभागीय मैनेजरो को काम ठीक करने में सहायता दे सके। उसे निर्धारित सामान्य नियमो की सीमा में रहते हुए काम करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा परिणामो के लिए वही पूरी तरह उत्तरदायी होगा। दिन-प्रति-दिन के निर्णय करना उसका ही काम होना चाहिए। यह बात समझ लेनी चाहिए कि जब कुशलता के हित में शीघ्र निर्णय लिए जाते है, तब कभी-कभी भूल हो जाना अनिवार्य है। उद्योग के सचालन-

में लचीलापन तभी सम्भव है, जब जनरल मैनेजर को विभिन्न व्यक्तियों के सामने विभिन्न अवसरों पर किसी विशेष नियम का पालन क्यों नहीं किया गया, आदि बातों का स्पष्टीकरण देने से समुचित मात्रा में छूट प्राप्त हो। अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाने के लिए जनरल मैनेजर को उद्योग का पर्याप्त लम्बे समय तक अधिकारी बने रहना चाहिए, जिससे उसे अपने उद्योग की समस्याओं और सम्भावनाओं का अच्छी तरह ज्ञान हो सके। इसलिए नियुक्तियों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए। इसके साथ ही उसके कार्यकाल की सुरक्षा उसके काम के परिणामों पर निर्भर करनी चाहिए। यदि वह सफल होता है, तो स्वभावतः वह अपने पद पर बना रहेगा तथा उसे प्रोत्साहन मिलेगा, और यदि वह असफल होता है, तो उसके हटा दिए जाने की आशा करनी ही चाहिए।

26 **वित्तीय परामर्शदाता का कार्य** : सभी कम्पनियों को जनरल मैनेजर के अधीन एक आन्तरिक वित्तीय परामर्शदाता रखना चाहिए। मतभेद होने की स्थिति में जनरल मैनेजर को वित्तीय परामर्शदाता के परामर्श को ठुकरा देने का पूरा अधिकार होगा, परन्तु एक परम्परा के रूप में ऐसे मामले जनरल मैनेजर को बोर्ड की अगली बैठक में पेश करने चाहिए।

27 वित्तीय परामर्शदाता को विशुद्ध रूप में खर्च के नियन्त्रण पर ही ध्यान देने के बदले वित्तीय प्रबन्ध की समस्याओं पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक होगा कि वित्तीय परामर्शदाताओं को उद्योग में नियुक्त होने से पूर्व या नियुक्त हो जाने पर अभ्यास-पाठ्यक्रमों-द्वारा वित्तीय सिद्धान्तों और व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। यह विशेष रूप से उन वित्तीय परामर्शदाताओं के लिए आवश्यक है, जो इस प्रयोजन के लिए अभी उपलब्ध स्रोतों से नियुक्त किए जाते हैं।

28 **सहायक प्रबन्ध-व्यवस्था** : जनरल मैनेजर के पास सहायक प्रबन्ध-कर्मचारी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए, जो समुचित नियन्त्रण, अधीक्षण, निदेशन तथा अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकें। ऐसे कर्मचारियों का चुनाव तथा नियुक्ति बोर्ड की अनुमति से जनरल मैनेजर करेगा, तथा ये कर्मचारी जनरल मैनेजर या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। जनरल मैनेजर उन्हें पर्याप्त अधिकार प्रदान करे तथा कार्य के सम्पादन का दायित्व उन्हीं पर हो।

29 **प्रबन्धक-वर्ग का निर्माण** : उद्योग का कुशल संचालन दो मुख्य बातों पर, जिनका सम्बन्ध कर्मचारी-वर्ग की व्यवस्था से है, निर्भर करता है। ये हैं, संगठन में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के लिए प्रशिक्षण और कर्मचारी-वर्ग का इस रूप में विकास कि अन्ततः मुख्य पदों पर नियुक्ति के लिए वह दूसरी पंक्ति के रूप में काम कर सके। मुख्य पदों के लिए प्रबन्ध-विभाग के कर्मचारी केवल तकनीकी रूप से ही योग्य न हों, अपितु सारे संयन्त्र के बारे में ही उनकी दृष्टि विकसित होनी चाहिए। ऐसा किस प्रकार हो, यह प्रत्येक उद्योग की अपनी विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। उद्योग इसके लिए विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकते हैं या अन्य ऐसे क्रियात्मक कदम उठा सकते हैं, जिनमें चुने हुए व्यक्तियों को उपयुक्त प्रबन्ध-सम्बन्धी पदों पर काम करने का अवसर देना भी शामिल है।

30 **अग्रिम आयोजन** : आयोजन, जिसमें पहले से यह निश्चय होता है कि क्या किया जाना है, उद्योग की सफलता के लिए पहली शर्त है। यह संगठन तथा साधनों को इकट्ठा

करने, और निदेशन तथा नियन्त्रण को एक आधार प्रदान करती है। योग्य मैनेजर वह है, जो विस्तृत आयोजन के आधार पर विश्वास के साथ यह कह सके कि वह अगले मास और वर्ष की अवधि में किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, उसे किस योग्यता के कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, तथा उन पर कितना व्यय आएगा, उसे कौन-कौन-सा सामान कितनी मात्रा में चाहिए और, माल कितना रद्दी जाएगा। इसी प्रकार स्पष्ट रूप से उसे यह भी बता सकना चाहिए कि अपने सचालन के विभिन्न चरणों में उपलब्धियों के बारे में उसकी क्या योजनाएं हैं।

31 उद्योग के लिए बनाई गई योजनाएं व्यवस्थित और महत्व के क्रम से होनी चाहिए। उत्तरवर्ती विस्तृत योजनाओं की शृंखला जिसमें से प्रत्येक एक बड़ी योजना के अंग-रूप में उसकी पूर्ति के लिए हो, एक सामान्य स्वीकृत उद्देश्य है। इसी प्रकार, बड़ी योजनाएं लम्बे समय के लिए, लगभग 5 वर्ष के लिए, होनी चाहिए तथा प्रत्येक घटक विभागों के लिए वार्षिक कार्य की योजनाएं, बजट और दैनिक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

32 यदि पहले से ही खर्च, सचालन और पूंजी-सम्बन्धी बजट बना लिया जाए तो सम्बद्ध प्रशासक मन्त्रालय को बार-बार प्रत्येक बात के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, उद्योग की स्वायत्तता सुदृढ होगी और उसके काम में लचीलापन बना रह सकेगा। इसलिए प्रत्येक उद्योग को अपने हित में इस प्रकार की पूर्ण सज्जा के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।

जिसकी पूर्ति के लिए सभी अन्य क्रियाकलाप किए जा सकेंगे। इस प्रकार के कदम उठाने से अन्य अनेक लाभ भी होंगे। इससे सोद्देश्य और समन्वित आयोजन में बड़ी आसानी हो जाती है, इससे अधिकारियों और काम करनेवालों को आवश्यक बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलती है तथा उद्योग को निरुत्पादक कार्यों से दूर रखने के लिए एक सतत सतर्कता की प्रेरणा मिलती है। आयोजन के लिए उपयोगी संचालन-सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रह और मानदंडों के निर्धारण से भविष्य में अधिक वास्तविक कार्यक्रम बनाने के लिए एक आधार प्राप्त होता है, और सर्वाधिक महत्व की बात, जो प्रशासनिक नियन्त्रण के लिए अनिवार्य शर्त है, विशिष्ट उद्देश्यों और उनके स्वरूप को निश्चित करना है। इसका अभिप्राय योजना के अनुसार परिणाम प्राप्त करना है। यदि अनुमानों का कोई मूल्य है, तो मानदंडों और उनके स्वरूप का निर्धारण भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, व्यक्तिगत प्रयत्नों को भी सोद्देश्य बनाने के लिए स्पष्ट रूप से लक्ष्यों और मानदंडों को मान्यता देना तथा उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।

35 **प्रेरक तत्व :** ऐसे उद्योग में, जहां कार्य-सम्पादन का वास्तविक मानदंड निश्चित किया गया है, अधिक वेतन के लिए प्रेरक व्यवस्थाएं करना बड़ा सुगम है। ये श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने, खर्चों को कम करने और किस्म में सुधार करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। मोटे तौर पर, इन व्यवस्थाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है (1) काम के आधार पर वेतन-निर्धारण, (2) एक स्वीकृत उत्पादन के लिए निश्चित वेतन और उससे अधिक उत्पादन करने पर उसके लिए सानुपातिक वेतन, (3) कर्मचारियों के ऐसे समूह के उत्पादन पर बोनस देना, जिनका अलग-अलग मूल वेतन है। किस उद्योग के लिए इनमें से कौन-सी व्यवस्था उपयोगी है, यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है तथा उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही इनमें से किसी एक को अपनाना चाहिए। संक्षेप में, असल बात यह है कि कर्मचारियों और उद्योग, दोनों के समान हित के लिए यह जरूरी है कि यथासम्भव प्रेरक वेतन-व्यवस्था लागू की जाए।

36 **अनुसन्धान-विभाग :** सरकारी उद्योगों में यह आवश्यक है कि अनुसन्धान और विकास-विभागों में अच्छे और पर्याप्त कर्मचारी हों। इन कर्मचारियों को वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा उत्पादन की किस्म और संचालन-सम्बन्धी तथा तकनीकी कुशलता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार के विभागों की स्थापना की सिफारिशों को अविलम्ब मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। नई खोजों और नए विचारों के लिए उपयुक्त पुरस्कार दिया जाना चाहिए और प्रचार किया जाना चाहिए। विभिन्न सरकारी उद्योगों में तकनीकी और प्रबन्ध-सम्बन्धी अनुभवों का समय-समय पर आदान-प्रदान होते रहना चाहिए, जिससे सामान्य अनुभवों से सभी को लाभ हो सके। इस सम्बन्ध में दूसरे उद्योगों का निरीक्षण बड़ा उपयोगी होगा।

37 **कर्मचारियों के सम्बन्ध :** सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वे ऐसी श्रम-नीतियां अपनाएं, जो उचित खर्च पर योग्य श्रमिक प्राप्त करने और उन्हें रखने में सहायता कर सकें। इसके लिए प्रेरणादायक वेतन-नीति, कर्मचारियों का सावधानीपूर्ण चुनाव, सभी स्तरों के कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए संगठित प्रशिक्षण, योग्यता में वृद्धि के साथ कर्मचारियों को ऊंचे पद पर पहुंचने का अवसर उद्योग

के सचालन में सुधार के लिए कर्मचारियो को सुझाव देने के लिए सक्रिय प्रोत्साहन, उपयोगी विचारो के लिए उचित पुरस्कार, छोटी समस्याए उग्र रूप धारण करे, इससे पूर्व ही उनको हल करने के लिए शिकायत-प्रक्रिया अपनाना तथा कर्मचारियो के प्रति प्रेमी मनोवृत्ति रखना आवश्यक है, जिससे उन्हे अधिक उत्पादन करने और स्वत पहल के लिए प्रोत्साहन मिल और उनमें सन्तोष पैदा हो, उद्योग मे भागीदार होने की तथा उसके प्रति वफादारी की भावना पैदा हो और उद्योग की उपलब्धियो पर उन्हे गौरव का अनुभव हो ।

38 **अधिशेष और उसका उपयोग :** जब कोई उद्योग कुशलतापूर्वक सचालित होता है और अपने उत्पादन तथा सेवा के लिए उचित मूल्य-नीति अपनाता है, तो अनिवार्यत उसके सचालन का परिणाम अधिक अर्जन और फालतू उत्पादन के रूप मे होगा । विकास-शील अर्थव्यवस्था मे दोनो ही बातें महत्वपूर्ण है तथा जिस उद्योग के ये फालतू उत्पादन है, उसके विकास मे या अर्थव्यवस्था मे अन्यत्र वित्तीय विनियोग के लिए बडे सुविधाजनक स्रोत है । इसलिए सरकारी उद्योगो का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे कुशलतापूर्वक उत्पादन करें और फालतू बचे माल को एकत्र करें, तथा इससे होनेवाली प्राप्ति को पुन. उद्योग के और अधिक विकास मे लगाए ।

39 उद्योग के लिए इतना ही पर्याप्त नही है कि वह कुशलतापूर्वक चले तथा उसे जो कार्य दिया गया है, उसका सम्पादन सन्तोषजनक ढग से करे । परन्तु उसे निरन्तर अपने कार्य को बढाने और उसका विकास और विस्तार करने के लिए योजना बनाने के क्षेत्र में पहल करने का भी उत्तरदायित्व लेना चाहिए । सरकारी उद्योग के प्रबन्धको को केवल सरकार-द्वारा स्वीकृत काम को अजाम देना ही पर्याप्त नही है, अपितु वे उद्योग के और अधिक विकास की योजना बनाने के लिए तथा आवश्यक साधनो को जुटाने के लिए निकट से सम्बद्ध हो तथा इनके लिए बहुत उत्तरदायी भी हो ।

40 यहा जिस प्रकार सक्षेप में समीक्षा की गई है, उसमें अनेक त्रुटिया रह जाना अनिवार्य है । इसका उद्देश्य प्रत्येक उद्योग के लिए सचालन-सम्बन्धी विस्तृत सुझाव देना नही, परन्तु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओ पर प्रकाश डालना है, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योगो ने पहले ही इस प्रकार की नीतियां तथा प्रबन्ध-तकनीको को अपना लिया है, जिससे वे अल्प समय में ही अपेक्षया उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हो गए है । सरकारी उद्योगो का कार्य इस बात को देखते हुए कि वे तुलनात्मक दृष्टि से हाल ही में प्रारम्भ किए गए हैं, बडा सराहनीय है । प्रबन्ध की जिन त्रुटियो की ओर ध्यान खीचा गया है, वे सभी उद्योगो में, चाहे सरकारी क्षेत्र के हो या निजी क्षेत्र के, आम बात है । निरन्तर उन्नति के लिए सतत प्रयत्न सभी का सामान्य लक्ष्य होना चाहिए ।

अनुबन्ध

निर्माण एवं खान-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के बड़े उद्योगों की सूची

(जिनकी अधिकृत पूंजी 50 लाख रु० या इससे अधिक है)

	मन्त्रालय/उद्योग	किस वर्ष में स्थापित
	वाणिज्य और उद्योग-मन्त्रालय	
1	इंडियन ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	1961
2	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	1956
3	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	1958
4	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	1954
5	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	1952
6	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि०	1954
7	हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स लि०	1953
8	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	1960
9	हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लि०	1958
10	नाहन फाउंड्री लि०	1952
11	हिन्दुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	1956
12	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	1957
13	नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लि०	1947
14	सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि०	1951
15	प्राग टूल्स कारपोरेशन लि०	1943
16	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लि०	1960
	प्रतिरक्षा-मन्त्रालय	
17	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	1954
18	प्रोटोटाइप मशीन टूल्स फैक्टरी†	1953
19	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०	1940
	परमाणु-शक्ति-विभाग	
20	इंडियन रेयर अर्थ्स लि०	1950
	वित्त-मन्त्रालय	
21	सिल्वर रिफायनरी कलकत्ता†	1952
	रेलवे-मन्त्रालय	
22	चितरंजन-लोकोमोटिव-वर्क्स†	1948
23	इंटेग्रल कोच फैक्टरी†	1952
	इस्पात, खान और ईंधन-मन्त्रालय	
24	हिन्दुस्तान स्टील लि०	1953
25	इंडियन रिफायनरीज लि०	1958
26	नेशनल कोल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०	1956

† विभागीय उद्योग

अनुबन्ध (जारी)

मन्त्रालय/उद्योग		किस वर्ष में स्थापित
27. नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०	..	1958
28 नइवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०	..	1956
29 सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	..	1920
30 आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन‡		1956
परिवहन और संचार-मन्त्रालय		
31 इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	.	1948
32 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	..	1952
33 हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०	.	1960
निर्माण, आवास और सम्भरण-मन्त्रालय		
34 हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लि०		1953

‡ अनुविहित निगम
इनके अतिरिक्त अन्य कम्पनियां कम्पनी-अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध हैं ।

अध्याय 17

प्रशासन और योजना की कार्यान्विति

(1)

प्रशासकीय समस्याएं

पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर जितना प्रयत्न किया गया है तीसरी योजना में उससे कहीं अधिक प्रयत्न करने का विचार है। अगले पांच वर्षों में राष्ट्र ने जो काम पूरे करने का संकल्प किया है, उनके क्षेत्र और विस्तार का अन्दाज़ा योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पढ़ कर नहीं लगाया जा सकता। अन्ततः योजना इस विश्वास पर आधारित है कि जितने प्रयत्न की ज़रूरत है, उतना प्रयत्न लोग करेंगे और मनुष्य की शक्ति-द्वारा जितना सम्भव हो सकता है, उतना प्रयत्न राष्ट्रीय जीवन के हर स्तर पर योजना की कुशल कार्यान्विति के लिए किया जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएं जिन बातों को स्वीकार करके चलती हैं, उनमें यह सबसे महत्त्वपूर्ण तो है ही, सबसे मुश्किल भी है। योजना के आर्थिक लक्ष्य अपने-आप में बहुत महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ भावी विकास की नींव-सदृश भी हैं। फिर भी, योजना में जो चुनौती निहित है, उसका वे केवल एक पहलू हैं। मिसाल के तौर पर, यह आशा की जाती है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो-जो भौतिक कार्यक्रम स्वीकार किए गए हैं, उन सबको पूरा करने का काम वक्त से प्राप्त रकमों से ही हो सकता है, बशर्ते कि उचित परिस्थितियां मिलें। जनसंख्या में दो प्रतिशत से भी अधिक की वार्षिक वृद्धि को देखते हुए यह आशा करना कि श्रमिकों की संख्या में जितनी वृद्धि होगी कम-से-कम उतने लोगों के लिए काम की व्यवस्था कर ही दी जाएगी, इस बात पर ही निर्भर नहीं करता कि सभी कार्यक्रमों को कुशलता के साथ लागू किया जाए, बल्कि उनके लिए यह भी ज़रूरी है कि उपलब्ध जनशक्ति-विषयक साधनों का राष्ट्र-भर में पूरा-पूरा उपयोग किया जाए। योजना के प्रमुख सामाजिक उद्देश्यों की —ख़ास कर इन उद्देश्यों की कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों, सबकी मूल आवश्यकताएं पूरी हों, आय और सम्पत्ति की विषमता घटे और आर्थिक शक्ति का वितरण अधिक सम हो—प्राप्ति अनेक व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की कार्यान्विति पर निर्भर करती है।

2 योजना की कार्यान्विति कई स्तरों पर होनी है—यथा राष्ट्र, राज्य, ज़िला, खंड और गांव के स्तरों पर। निर्धारित कार्यों के सम्बन्ध में हर स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग होना ज़रूरी है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि वे योजना के उद्देश्यों और उनकी पूर्ति के साधनों को समझें। संघीय आधार पर आयोजित एक विशाल और विविधतापूर्ण व्यवस्था में बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके विभिन्न स्तरों में और एक ही स्तर पर विभिन्न संस्थाओं में पारस्परिक सम्पर्क के कारगर तरीके मौजूद हों। योजना के कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्विति की ज़िम्मेदारी उन अधिकारियों पर होती है, जो बड़ी-बड़ी योजनाओं का कार्यभार वहन करते हैं। ज्यों-ज्यों अर्थ-व्यवस्था विकसित होती है, त्यों-त्यों ऐसी योजनाओं की ज़िम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। इसके फलस्वरूप संगठन की बहुत-सी नई समस्याओं को सुलझाना आवश्यक होता है। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में बढ़ते हुए

सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के—जो अंशत: व्यवस्थित और अधिकांशत: अव्यवस्थित होता है—साथ-साथ काम करने के फलस्वरूप भी कठिन प्रशासकीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

3 गत दशक में प्रशासन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं और उसे अपने-आपको नई परिस्थितियों के अनुकूल ढालना पड़ा है। नई-नई बातें शुरू हुई हैं और नई संस्थाओं की स्थापना हुई है, हालांकि उनमें से बहुतों का अभी एक-दूसरे से और सम्पूर्ण व्यवस्था से समन्वय स्थापित होना बाकी है। विकास की गति और सरकार की जिम्मेदारी के क्षेत्र के बढ़ने के साथ-साथ प्रशासकीय कार्य का परिमाण और उसकी उलझनें भी बढ़ गई हैं। प्रशासकीय व्यवस्था पर ज्यादा जोर पड़ा है और उसमें कई जगहों पर ऐसी स्थिति हो गई है कि जो काम करनेवाले हैं, उनकी न तो संख्या पर्याप्त है और न योग्यता ही। प्रशासन पर विकास-योजनाएं पूरी करने का भार बहुत है, तीसरी योजना में वह कई गुना और बढ़ जाएगा और जन-सम्पर्क की नई-नई समस्याएं भी निश्चय ही सामने आएंगी। इधर प्रशासन के कुछ पहलुओं ने विशेष ध्यान आकृष्ट किया है। इनमें ये भी शामिल हैं—कई क्षेत्रों में काम की धीमी गति, आयोजन में निहित समस्याएं, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं का निर्माण और परिचालन—खास तौर से लागत में विशेष वृद्धि और निर्धारित समय का पालन न होना—काफी बड़े पैमाने पर लोगों को प्रशिक्षित करने तथा आवश्यक योग्यता और अनुभववाले कर्मचारी जुटाने की कठिनाइयां, अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्धित क्षेत्रों में पूरे-पूरे समन्वय की स्थापना, और सबसे अधिक महत्त्व की बात—समाज का सहयोग और व्यापक सहायता प्राप्त करना। तीसरी योजना का विस्तार कहीं अधिक है, अत: ये समस्याएं और गम्भीर रूप धारण करेंगी तथा इनका जल्दी-से-जल्दी निराकरण करना अनिवार्य हो जाएगा। आम तौर पर अब यह महसूस किया जा रहा है कि तीसरी योजना से जो भी लाभ हो सकते हैं, वे इस बात पर निर्भर करते हैं—खास कर प्रारम्भिक स्तरों पर—कि समस्याएं किस प्रकार सुलझाई जाती हैं। प्रशासकीय व्यवस्था पर जैसे-जैसे बोझ बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका विस्तार भी होता है और ज्यों-ज्यों उसका विस्तार होता है, त्यों-त्यों उसकी गति धीमी पड़ती जाती है। इससे काम में देरी होती है और हर स्तर पर काम पर बुरा असर पड़ता है और प्रत्याशित उत्पादन में भी विलम्ब हो जाता है। अगर चालू कामों की सिर्फ आलोचना ही की जाए तो नए कामों को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यह जरूरी है कि कार्य-पद्धति और दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किए जाएं तथा मौजूदा तरीकों और रवैयों की फिर से जांच की जाए।

(2)

प्रशासन-कुशलता और उसके मानदंड

4 विकास-प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। फिर भी, सुधार की कुछ सामान्य दिशाएं हैं, जिनका उपयोग प्रशासन के हर अंग में किया जा सकता है और दूसरी योजना के अनन्तर प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में इन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। मुख्य उद्देश्य अनिवार्यत: यह होना चाहिए कि कार्यान्विति अधिक कुशलता के साथ-साथ अधिक तेजी से भी हो। प्रशासकीय कुशलता बढ़ाने की प्रक्रिया का कोई अन्त नहीं है, कार्य-अध्ययन के माध्यम से और कार्यालय-प्रशासन की उन्नत पद्धतियों तथा अन्य उपायों के द्वारा धीरे-धीरे बेहतर तरीके लागू करना जरूरी है। केन्द्र और राज्यों, दोनों में

व्यवस्था और कार्य-पद्धतियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, प्रेरणाएं बढ़ाने और काम का मूल्य आंकने का भी उचित ख्याल रखा जा रहा है। अलग-अलग प्रक्रियाओं के सम्पादन की कुशलता और कार्यान्विति की गति कुछ हद तक एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। फिर भी, विकास के सन्दर्भ में, शायद कार्यान्विति की गति संगठन-सम्बन्धी अधिक मुश्किल समस्याएं उपस्थित करती है, विशेषकर जब व्यवस्था बड़ी और जटिल होती है तथा उसकी जिम्मेदारी बहुत-सारे लोगों में बंटी होती है। राष्ट्रीय और राज्य-स्तर पर जिस तरीके से यह समस्या खड़ी होती है, उसमें कुछ एकरूपता होती है परन्तु काम की विशालता में अन्तर होने के कारण स्पष्ट मात्रा-भेद अनिवार्य हो जाता है। इस विषय का जितना अध्ययन किया गया है और इस पर जितना विचार किया गया है, उसके आधार पर नीचे इस बात की चर्चा की जाएगी कि कार्यान्विति की गति बढ़ाने के लिए किन-किन दिशाओं में काम करना जरूरी है। यह ठीक है कि संगठन और कार्यविधि में परिवर्तन करके कुछ हद तक काम की गति बढ़ाई जा सकती है और विलम्ब के कारणों को दूर किया जा सकता है, लेकिन साथ ही इस बात की भी बहुत जरूरत है कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण, निरीक्षण और काम का लेखा-जोखा करने तथा उनकी जांच करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। परन्तु इसके साथ ही, जब तक प्रशासन की क्रियाशीलता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक इन उपायों से भी पर्याप्त फल प्राप्त नहीं हो सकेगा।

5 किसी भी कार्यक्रम या परियोजना को पूरा करने के लिए सबसे पहले इस बात की जरूरत होती है कि सम्बद्ध अभिकरण का और अभिकरण में विशिष्ट व्यक्तियों का दायित्व स्थिर कर दिया जाए। नियत सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और इसके साथ ही उसे उचित मात्रा में सहयोग और विश्वास भी मिलना चाहिए। अगर वह अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से न निभा सके, तो उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। लेकिन जब तक वह अपने नियत पद पर काम कर रहा है, तब तक उसे उसके पूरे दायित्व स्वीकार करने चाहिए, इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उसे ऐसी स्थिति में रखा जाए कि वह अपना दायित्व कारगर तरीके से निभा सके। इस तरह दायित्व का निश्चय हो जाने के बाद उसे इस बात की छूट देनी चाहिए कि जिस प्रकार के सलाह-मशविरे की आवश्यकता पड़े, वह ले सके, लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये स्वयं प्रबन्ध की प्रक्रिया के अनिवार्य अंग न बन जाएं। प्रशासन की वर्तमान पद्धति यह है कि अन्य अधिकारियों से सिर्फ बड़े-बड़े मामलों पर सलाह नहीं ली जाती, बल्कि अक्सर ली जाती है और बारीकियों और ब्यौरों पर अधिक विचार किया जाता है। नतीजा यह होता है कि प्रभावशाली ढंग से और शीघ्र काम नहीं हो पाता। वित्तीय नियन्त्रण का प्रयोग इस समस्या का एक पहलू है। जाहिर है, यहां सवाल यह है कि प्रशासकीय विभागों के अध्यक्षों को व्यापक वित्तीय अधिकार प्राप्त हो जाएं और वित्त-विभाग वार्षिक बजट तैयार होने से पहले अपनी मुख्य जांच-पड़ताल करे।

6 जैसा कि पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में बताया जा चुका है, केन्द्रीय मन्त्रालयों की और शायद राज्यों में सचिवालय-विभागों की प्रवृत्ति अधिकाधिक मौलिक काम की जिम्मेदारी लेने की ओर रही है। नतीजा यह हुआ है कि प्रबन्ध-विभागों में अपनी ओर से कोई कदम उठाने की प्रवृत्ति घट गई है और उनकी स्वतन्त्र काम करने की क्षमता कम हो गई है। मन्त्रालयों और सचिवालय-विभागों का सरोकार तो मुख्यतः नीति-सम्बन्धी मामलों,

सामान्य निरीक्षण और मानदडो के परिपालन से होना चाहिए। प्रबन्ध-कार्य तो उन विभागो तथा अधिकारियो पर छोड दिए जाने चाहिए, जो विशेष कर इसी के लिए बनाए गए हो।

7 किसी पर विशेष जिम्मेदारी डालने और उसे पूरा करने के लिए साधन जुटाने की एक आवश्यक शर्त यह है कि सफलता या असफलता का निश्चय परिणामो के आधार पर किया जाए। यह तभी सम्भव है, जब आयोजन के दौरान यह स्पष्ट कर देने की सावधानी बरती जाए कि क्या-क्या काम शुरू किए जाने हैं, किन-किन साधनो का उपयोग किया जाना है तथा विभिन्न सम्बद्ध अभिकरणो और व्यक्तियो के दायित्व क्या-क्या हैं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि विभिन्न कार्यो का समय-क्रम क्या होगा और उनमें कैसे एक के बाद एक बडी योजनाए बनती चली जाएगी। ये शर्ते प्रशासन के कई अगो पर लागू होती हैं, विशेषकर बडी परियोजनाओ पर।

8 विकास की किसी भी योजना में लक्ष्य स्थिर करना और आगे चल कर उनकी पूर्ति को आकना स्वभावत शामिल होते हैं। लक्ष्य प्रगति के अच्छे सूचक हो सकते हैं और अधिक केन्द्रित प्रयत्नो के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए जिन नीतियो और विशेष उपायो की आवश्यकता होती है, उनका तथा उनके अनवरत परिपालन का भी महत्त्व कम नही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें उत्पादन या क्षमता के अन्तिम आकडो के रूप में लक्ष्यो की उपेक्षा कर जाना ही कुल मिला कर बेहतर होता है, क्योकि या तो उनमें अनुमान लगाने के तरीके दोषपूर्ण होते हैं, या फिर उनके बारे में जो धारणा बनाई जाती है, वही गलत होती है। फिर भी, जहा लक्ष्य का निश्चय सार्थक हो, वहा उसके लिए जो भी अभिकरण जिम्मेदार हो, उसे पूरी सावधानी से अध्ययन करने के बाद उसका निश्चय करना चाहिए और समय-सूची तथा कार्यान्विति की जिम्मेवारी की दृष्टि से उसे छोटी-छोटी इकाइयो मे बाट लेना चाहिए। पचवर्षीय लक्ष्यो को भी अनुभव के प्रकाश में हर वर्ष फिर से आका जाना चाहिए और भविष्य की सम्भावित प्रवृत्तियो के बारे मे फिर से विचार किया जाना चाहिए।

9 कभी-कभी इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है कि प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में प्रेरणाओ को उचित महत्त्व नही दिया जाता। यह स्पष्ट है कि प्रेरणाओ से, चाहे वे किसी व्यक्ति के लिए हो या समूह के निमित्त, मनोबल का निर्माण करने मे सहायता मिलती है। प्रेरणाओ की कोई योजना तैयार करने के लिए पहले जरूरत इस बात की है कि किसी कारगर तरीके से काम के मानदड निश्चित कर दिए जाए। किसी खास क्षेत्र में प्रेरणाओ की कोई योजना किन दिशाओ में लाभदायक सिद्ध हो सकती है, इसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियो में औद्योगिक प्रतिष्ठानो में प्रेरणा-योजनाओ से बहुत सहायता मिले, बशर्ते कि उनके उद्देश्य इस प्रकार के हो

(क) निर्माण की लागत में कमी,
(ख) विदेशी मुद्रा के व्यय मे कमी,
(ग) रख-रखाव के तरीको में सुधार,
(घ) स्थानापन्न वस्तुओ और उप-उत्पादनो का प्रयोग, तथा
(ङ) कार्य-प्रणाली का सरलीकरण।

भौतिक प्रेरणाओ का निस्सन्देह महत्त्व है, परन्तु इसके साथ ही भौतिकेतर प्रेरणाओ के विकास के लिए भी अधिकाधिक क्षेत्र होना चाहिए—विशेषकर काम की तारीफ के विभिन्न रूप और महत्त्व की स्वीकृति, एक सयुक्त प्रयत्न में साझेदारी की भावना तथा परस्पर-सम्मान और मैत्री की भावना पर आधारित मानवीय सम्बन्धो का क्षेत्र ।

(3)
सरकारी क्षेत्र की परियोजनाए

10 सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान, सिंचाई और बिजली की परियोजनाए, रेलें, सडक-परिवहन, हवाई परिवहन, जहाजरानी और अन्य बहुत-सारे उद्यम पहले से ही शामिल है । औद्योगिक उद्यमो के सगठन की कुछ प्रमुख समस्याओ की पिछले अध्याय में समीक्षा की जा चुकी है । दूसरी पचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त अनुभवो से काम करने के कुछ ऐसे रास्ते दीख पडे है, जिन पर चलने से परियोजनाओ की कार्यान्विति अधिक कुशलता से और अधिक तेजी से हो सकती है तथा उनके निर्माण और परिचालन में अधिक बचत की जा सकती है ।

11 बडी-बडी परियोजनाओ में काफी अरसे के बाद फल मिलना शुरू होता है और उनके आयोजन के लिए बडी सावधानी से तैयारी करनी पडती है, उनके आयोजन के लिए योजनाओ की साधारण अवधि से भी लम्बे अरसे का चित्र अपने सामने रखना होता है । इसलिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे विकास-कार्यक्रम के अग हो, जिनका प्रसार अधिक लम्बे अरसे में, यानी कोई 10-15 वर्षो में, हो । तीसरी योजना तैयार करते समय देखा गया है कि उसमें शामिल करने के लिए प्रस्तावित कई परियोजनाए ऐसी थी, जिनका पूरा-पूरा ब्यौरा तैयार नही था और न उन्हें सही ढग से पेश ही किया गया था । यह जरूर है कि दूसरी योजना के मुकाबले इस योजना में ऐसा कम ही हुआ । तीसरी योजना में शामिल की गई कई परियोजनाए तो ऐसी है, जिनके बारे में अब तक प्राप्त सूचनाए भी अधूरी है । यह दोष कुछ तो इस कारण है कि कई क्षेत्रो में अपेक्षित तकनीकी कर्मचारियो की कमी है और कुछ इस कारण कि ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नही है कि इन परियोजनाओ पर विचार होने और इनके स्वीकार किए जाने से पहले इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जा सके । इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यो, दोनो में तीसरी योजना में शामिल की गई परियोजनाओ के ब्यौरे तैयार करने का काम जल्दी-से-जल्दी पूरा हो जाए । इसके अलावा, चौथी पचवर्षीय योजना से सम्बद्ध परियोजनाओ के अध्ययन का कार्य अभी से शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि अगले तीन वर्षो में यह काम काफी हद तक पूरा हो जाए ।

12 सिंचाई, बिजली और परिवहन-जैसे अपेक्षाकृत परिचित क्षेत्रो के विपरीत औद्योगिक और खनिज विकास के क्षेत्रो में वर्तमान तकनीकी सगठन हमेशा पर्याप्त सिद्ध नहीं होते । यह अपर्याप्तता जिस हद तक अनुभवी कर्मचारियो की कमी के कारण हो उस हद तक, कम-से-कम कुछ वर्षो के लिए हमें विदेशो से विशेषज्ञ बुलाने के लिए तैयार रहना चाहिए । यह सुझाव रखा गया है कि औद्योगिक विकास से सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयो को साज-सामान से पूरी तरह लैस तकनीकी आयोजन-टुकडिया बनाने की दशा में जल्दी-से-जल्दी कदम उठाने चाहिए । ये स्थायी केन्द्रो के रूप में बनाए रखे जाने चाहिए और जिन परियोजनाओ का अध्ययन किया जाना हो, उनकी आवश्यकता के अनुसार इनमें कर्मचारी बढा

किए जाने चाहिए। खास-खास उद्योगों के लिए तकनीकी परामर्शदाताओं की एक सूची रखने के बारे में भी इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार, उद्योगों के—विशेषकर सरकारी क्षेत्र के—विकास से देश में बढ़ते हुए तकनीकी ज्ञान का और आयोजन तथा प्रबन्ध के अनुभव का उत्तरोत्तर अधिक से उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि पिछले अध्याय में सुझाया जा चुका है, बड़े-बड़े सरकारी प्रतिष्ठानों को चाहिए कि वे डिजाइन और अनुसन्धान-इकाइयों को मज़बूत बनाने की दिशा में और यथासम्भव नई इकाइयां स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएं। जहां कहीं आवश्यक हो, नई परियोजनाएं तैयार करना उनकी एक मूल जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे संस्थाओं की तकनीकी आयोजन-इकाइयां अपने मतलब की परियोजनाओं में, खास-खास तकनीकी और आर्थिक पहलुओं तथा कार्यान्विति के विभिन्न सोपानों से सम्बन्ध रखने वाली बातों पर ध्यान दे सकेंगी। साथ ही, वे उन सम्बद्ध समस्याओं पर भी अधिक ध्यान दे सकेंगी जिनको प्रशासन और नीति के स्तर पर समन्वित करने की आवश्यकता होती है।

13 बड़ी परियोजनाओं के सन्दर्भ में यह सवाल समय-समय पर सामने आया है कि लागत के अनुमानों की जांच के वर्तमान प्रबन्ध उचित हैं या नहीं? वाणिज्य और उद्योग-मन्त्रालय में 'परियोजना-समन्वय-इकाई' की स्थापना करके मामूली तौर पर श्रीगणेश कर दिया गया है लेकिन इस काम को बड़े पैमाने पर करना होगा। इसके लिए जो प्रबन्ध आवश्यक हों, उन पर और विचार किया जाना चाहिए। लागत-अनुमानों की जांच और परियोजनाओं के आर्थिक पहलुओं के परीक्षण के अलावा यह भी आवश्यक है कि वित्त-मन्त्रालय प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के आर्थिक और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करनेवाली रिपोर्ट पेश कर सकने की स्थिति में हो।

14 बड़ी परियोजनाएं आम तौर से बड़ी लम्बी अवधि के बाद फल देती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में वस्तुतः यह अवधि अनुमानों से कहीं अधिक रही है। कई कारणों से समय-अन्तराल की यह खाई कम-से-कम करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए। उपलब्ध प्राकृतिक साधन काफी हद तक बड़ी योजनाओं में खप जाते हैं। अतः यह जरूरी है कि जिन परियोजनाओं पर काम हो रहा है, उनसे योजना के हर दौर में बराबर लाभ होता रहे। समस्या मूलतः यह है कि आवश्यकताओं को अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए सामग्री और सहायक सेवाओं की—जिनमें बिजली और परिवहन भी शामिल हैं—व्यवस्था को बखूबी समझते हुए हर परियोजना के काम के दौर नियत कर दिए जाएं। एक परियोजना की विभिन्न अवस्थाओं या भागों में तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक समन्वय होना आवश्यक है। कार्य-परिचालन के स्तर पर और समानान्तर पूंजी-विनियोग के आयोजन में, दोनों जगह समन्वय आवश्यक है।

15 परियोजनाओं का प्रबन्ध प्रशासकीय व्यवस्था का अपेक्षाकृत नया और महत्वपूर्ण अंग है और इसकी विशेषताएं ये हैं—निश्चित लक्ष्य और समय-अनुसूची की पूर्ति हो, हर दौर में लागत का ठीक-ठीक हिसाब रखा जाए, परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत साधनों की और पहलकदमी की आवश्यकता, तथा तकनीकी आयोजन के लिए पर्याप्त संगठन की व्यवस्था। बिना पहले से आयोजन किए और लागत का ठीक-ठीक अनुमान रखे किसी भी परियोजना की सफलता का भरोसा नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम बनाने के तरीकों को भी निरन्तर उन्नत करते रहने की जरूरत है, ताकि जो व्यय किया जाए, उससे प्रत्येक स्तर

पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके और नियत समय तथा साधनों की परिधि में लक्ष्य प्राप्त हो जाए।

16 जब एक ही समग्र प्रबन्ध-व्यवस्था के अधीन बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हों, तो उनकी लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, मानदंड निर्धारित करने और किए हुए काम को तौलने के लिए प्रबन्धकर्त्ताओं की सहायता के निमित्त विशेष इकाइयों की स्थापना आवश्यक हो जाती है। इससे यह निश्चय रहेगा कि जितनी पूंजी लगाई गई है, उसके अनुरूप भौतिक परिसम्पत्ति हाथ में है और नतीजे उचित रहे हैं, पर्याप्त कारणों के बिना असली अनुमानों से अधिक खर्च नहीं किया गया, समय-अनुसूची के मुताबिक काम किया गया है तथा जिम्मेदार अधिकारी इस स्थिति में हैं कि काम को कुशलता और मितव्ययिता के साथ ठोस ढंग से पूरा कर सकें। इसलिए यह सुझाव रखा गया है कि जिन राज्यों और केन्द्रीय मन्त्रालयों का सरोकार बड़ी-बड़ी औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं से हो, वे ऊपर कहे गए उद्देश्यों की पूर्ति के वर्तमान प्रबन्धों को जांचें और प्रगति की समीक्षा और उसके मूल्यांकन के लिए उचित इकाइयों की व्यवस्था करें। ये उच्चतम प्रबन्ध-अधिकारियों के मातहत काम करेंगे, पर नित्य प्रति के काम में नहीं उलझेंगे।

17 निजी उद्योग के माध्यम से योजना के अन्तर्गत जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उनकी कार्यान्विति के कुछ पहलुओं पर भी यहां दो शब्द कह दिए जाएं। औद्योगिक उत्पादन के विकास में निजी क्षेत्र को बहुत बड़ा योग देना है। राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्, प्रबन्ध-संघों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रबन्ध-कुशलता बढ़ाने की लागत कम करने और आम तौर से निजी उद्यमियों में समूचे समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाने के उपायों पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। एक योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में, जहां सरकारी और निजी क्षेत्र एक-दूसरे के सम्पूरक हों, यह जरूरी है कि दोनों में अधिक-से-अधिक बचत करने, देशीय चीजों का प्रयोग करने, उत्पादन का स्तर बनाए रखने और उसके विकास के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय घटाने, निर्यात की गति बढ़ाने, रोजगार का विस्तार करने और आम तौर से काम का स्तर ऊंचा करने की समान चिन्ता हो। बहुत-से उद्योगों के लिए जो विकास-परिषदें बना दी गई हैं, वे और निजी उद्योगों का प्रतिनिधित्व करनेवाली दूसरी संस्थाएं हर उद्योग में समान समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे योग्य नेताओं को उभारने तथा प्रबन्ध और खुशहाली के ऊंचे स्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माध्यम हैं।

(4)

कर्मचारी-वर्ग

18 दूसरी योजना के आरम्भ से विकास के विभिन्न-क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने की ओर काफी ध्यान दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की चर्चा तकनीकी शिक्षा-सम्बन्धी अध्याय में की गई है। यहां आवश्यक दृष्टिकोण और अनुभव-सम्पन्न कर्मचारी-वर्ग तैयार करने की समस्या के कुछ पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि तीसरी योजना की सफलता में इसका विशेष महत्व होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें कई साल तक उच्चतम स्तर के कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त रहेगी या खास तरह का अनुभव काफी मात्रा में नहीं मिल सकेगा। इन क्षेत्रों में तेजी से विकास

करने की खातिर कुछ अरसे तक देशीय कर्मचारियो के साथ-साथ बाहर के लोगो को भी काम पर लगाना वाछनीय होगा ।

19 अब तक बडी-बडी परियोजनाओ के प्रबन्ध की उलझनो और विभिन्न क्षेत्रो मे विकास-कार्यक्रम को वास्तविकता से कम आका गया है । ऐसे योग्य प्रबन्धक तैयार करना, जो अपना काम जानते हो और जिनमे नेतृत्व करने की योग्यता हो, तीसरी योजना के सभी क्षेत्रो का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है । इनमें से अधिकाश लोग हर सगठन के बीच के स्तर के कर्मचारियो मे से खोजे जाने चाहिए और जो कमी रहे, उसे यथासम्भव अन्य साधनो से पूरा किया जाना चाहिए । सरकार और परियोजनाओ, दोनो में ही उच्च स्तरो पर अधिक दबाव रहा है और मध्यम स्तर के कर्मचारियो के विकास पर काफी ध्यान नही दिया गया है । अगर रोजमर्रा के काम में इस स्तर के कर्मचारियो को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए और उन्हें प्रबन्ध-विषयक ऊचे कामो का अधिक अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया जाए, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है । इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हर परियोजना में सगठन के भीतर विभिन्न स्तरो के बीच आपस में और हर सम्बद्ध स्तर पर अलग-अलग परामर्श और विचारो के आदान-प्रदान का तरीका शुरू किया जाए ।

20 अधिकारियो का जल्दी-जल्दी तबादला करने से अक्सर परियोजनाओ के काम को और महत्वपूर्ण कार्यक्रमो को नुकसान पहुचा है । किसी महत्वपूर्ण काम के लिए यह तो आवश्यक है ही कि जिम्मेदार अधिकारी सावधानी से चुने जाए और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही यह भी जरूरी है कि वे एक ही स्थान पर काफी लम्बे अरसे तक काम करते रहें, ताकि अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप अपना ठीक-ठीक विकास कर सकें । किसी महत्वपूर्ण बड़े काम में भरपूर फल प्राप्त करने के लिए 5 से 10 साल से कम का समय शायद ही कभी पर्याप्त होता हो । नौकरियो में जो तबादले किए जाते है, उनमें आम तौर से ऐसी बातो को ध्यान में रखा जाता है, जिनका जनता के हित या प्रतिष्ठान की सफलता की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व नही होता । तबादलो से काम की निरन्तरता पर भी आघात पहुचता है और सगठनो का मनोबल भी टूटने लगता है, क्योकि विकास के दौर में प्राय हमेशा ही उनका काम नए ढग का और मुश्किल होता है । ऐसे लोगों की उन्नति का उचित आश्वासन देने में कोई हिचकिचाहट नही होनी चाहिए, जिसको सरकारी नीति के पालन के लिए अपनी-अपनी जगहो पर बनाए रखने की आवश्यकता हो ।

21. देश-भर में, विभिन्न क्षेत्रो में सब तरह के साज-सामान से लैस जो अनेक सरकारी उद्यम विकसित किए जा रहे है, उनमें व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने की सुविधाए भी है । इस ओर अब तक जो रवैया अख्तियार किया गया है, उससे कही अधिक विध्यात्मक नीति अपनाना सम्भव है । यथासम्भव सरकारी क्षेत्र की हर परियोजना में शिक्षार्थियो, आदि के प्रशिक्षण के लिए सुसगठित कार्यक्रम होने चाहिए और इसके साथ पालिटेक्नीको में या दूसरे उपयुक्त केन्द्रो में सस्थागत प्रशिक्षण का भी इन्तजाम होना चाहिए ।

(5)
निर्माण मे मितव्ययिता

22 विकास के कई क्षेत्रो में खर्च का काफी बडा हिस्सा निर्माण-कार्यो में लग जाता है । अगर कुछ प्राथमिक पहलुओ पर ध्यान दिया जाए, तो निर्माण की लागत में बचत की काफी

गुंजायश हो सकती है । यो तो, हर बडे निर्माण-कार्य की अपनी कुछ विशेषताए होती हैं, फिर भी लागत पर प्रभाव डालनेवाले कारणो को पाच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

(1) आयोजन, अन्वेषण, जिसमे कच्चे माल का अन्वेषण भी शामिल है, डिजाइन, तफसील, जिसमें उपकरणो की तफसील भी शामिल है, ब्यौरेवार अनुमान, परियोजना की तैयारी, जिसमें परियोजना के अगभूत तत्वो का विभिन्न सोपानो में वितरण भी शामिल है, ताकि अच्छे-से-अच्छे परिणाम निकल सकें, और वित्तीय विवरण,

(2) निर्माण की आवश्यक तैयारिया—जैसे, कर्मचारियो की व्यवस्था, भूमि-अधिग्रहण, सचार-व्यवस्था, आवास, और सयन्त्र, उपकरण तथा आवश्यक वस्तुए प्राप्त करने की नीति एव कार्यविधि,

(3) निर्माण करनेवाली सस्था का चुनाव—यानी, निर्माण-विभाग-द्वारा हो, या ठेकेदार-द्वारा, या श्रमिक-सहकारी सस्थाओ-द्वारा, या स्वैच्छिक सगठनो-द्वारा—और इसका निश्चय करना कि ठेके की पद्धति क्या हो—नियमानुकूल ठेका या कार्यदेश ठेका,

(4) ठेके की कार्यविधिया—जैसे, सुरक्षामूलक जमा धन, सत्यकार-राशि, सामग्रियो का दिया जाना, भुगतान का तरीका, कार्य-पूर्ति और भुगतान के बीच की अवधि, मूल निश्चियों या निर्दिष्टियो से अन्तर और अतिरिक्त मदो के दावे, तथा

(5) प्रशासकीय व्यवस्था में अधिकारो का हस्तान्तरण, लेखा-अधिकारी और मुख्य इजीनियर का सापेक्ष स्थान-निर्धारण, मुख्य प्रबन्धकर्ता को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्राप्त होनेवाले सहयोग, विश्वास और अधिकारो की पर्याप्तता ।

उचित सावधानी और देखरेख से यह सम्भव हो सकता है कि अधिकतर मामलो में लागत के अनुमानो मे खास ज्यादा खर्च न हो और काम पूरा करने में भी समय-अनुसूची का पालन किया जाए ।

23 निर्माण में बचत करने के सवाल पर केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयो और राज्य-सरकारो के साथ मिल कर विचार किया गया है और निम्नलिखित उपायो के बारे में आम तौर से सभी सहमत है

(1) कोई भी परियोजना हाथ में लेने से पहले उसके सभी पहलुओ के बारे में उचित आयोजन किया जाना चाहिए । खास तौर से जाच-कार्य किया जाना चाहिए, जिसमें निर्माण के काम आनेवाले सामान की भी जाच शामिल है । इसके अतिरिक्त परियोजना की एक ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, जिसमें कामो के खर्चे, उपकरण के ब्यौरे, परियोजना की अगभूत इकाइयो का सोपानीकरण, लागत के अनुमान, वित्तीय विवरण, आदि शामिल हो,

(2) उसके साथ-साथ निर्माण के लिए तैयारिया भी शुरू कर दी जानी चाहिए —जैसे, भूमि-अधिग्रहण, आवास, सचार-व्यवस्था, कर्मचारियो की बहाली, सयन्त्र प्राप्त करने तथा उपकरण और दूसरे सामान उपलब्ध करने की कार्य-

विधियो का निश्चय और सामान, आदि पर खर्च के अनुमान का पूरा-पूरा ब्यौरा तैयार करना,

(3) मशीनें लगाने तथा निर्माण के दौरान उनकी मरम्मत और सफाई, आदि के लिए कर्मशाला की समुचित सुविधाए होनी चाहिए । निर्माण-यन्त्रो के सचालन के लिए बिजली का काम करनेवाले, यान्त्रिक काम करनेवाले और दूसरे प्रकार के जिन कर्मचारियो की जरूरत पडे, उनके प्रशिक्षण की सुविधाए भी कर्मशाला में ही मिलनी चाहिए,

(4) चूकि बडे पैमाने पर रोजगार देना योजना का एक मूल उद्देश्य है, इसलिए यन्त्रादि-द्वारा निर्माण का आयोजन करते समय शारीरिक श्रम और यन्त्र के उपयोग के बीच बडी सावधानी से सन्तुलन रखा जाना चाहिए । यन्त्रो का उपयोग उन्ही कामो में किया जाना चाहिए, जिन्हें हाथ से करने पर या तो बहुत देर लगने की सम्भावना हो या खर्च बहुत होने की, या फिर जिन्हें हाथ से किया ही न जा सकता हो,

(5) निर्माण-यन्त्रो के लिए जिन फालतू पुर्जों की जरूरत हो, उनके तथा दूसरे सामान के आवश्यक परिमाण को बडी सावधानी से कूतना चाहिए और उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि एक ओर तो जब जरूरत हो, तब आवश्यक सामान और फालतू पुर्जे न मिलने से काम रुकने न पाए और चीजो का अनावश्यक सग्रह भी न हो ;

(6) अगर परियोजना काफी बडी हो, तो उसके अकेले के लिए और अगर कई छोटी-छोटी परियोजनाए हो, तो उन सबके लिए एक केन्द्रीय डिजाइन-सस्था स्थापित की जानी चाहिए । यह संस्था विस्तृत डिजाइन, क्षेत्रीय योजनाए तथा मशीनो और निर्माण-कार्यो की तफसीलें तैयार करेगी, जिसमें निर्माण के काम आनेवाले सामान-सम्बन्धी तफसील भी शामिल होगी । इस सस्था को भवनो के डिजाइन भी तैयार करने चाहिए और जगह के उपयोग के बारे में मानदड निर्धारित कर देने चाहिए,

(7) वास्तविक काम की जरूरतो के मुताबिक भवनो का आयोजन किया जाना चाहिए और उनके डिजाइन तैयार होने चाहिए । इन जरूरतो को ध्यान में रखते हुए, जहा भी सम्भव हो, अस्थायी या अर्धस्थायी भवन बनवा कर लागत में कमी का और भी पक्का प्रबन्ध किया जा सकता है । जगह का अधिक-से-अधिक उपयोग करके, मानदंड निर्धारित करके, उचित प्रकार के डिजाइन तैयार करके, मकानो के हिस्सो को अलग से पहले ही तैयार करके, उन्नत तरीके अपना कर और भवन में काम की जरूरतो के मुताबिक जिन चीजो की आवश्यकता न हो, उन पर नियन्त्रण रख कर या उनका निराकरण करके काफी बचत की जा सकती है,

(8) आयोजन और डिजाइन के अतिरिक्त जिन महत्वपूर्ण कारणो पर अन्तत परियोजना की लागत निर्भर करती है, वे हैं—निर्माण-अभिकरण का चुनाव, ठेके की पद्धति और ठेके की कार्यविधि । निर्माण का अभिकरण विभागीय भी हो सकता है, या निर्माण का काम ठेकेदारो, या स्वैच्छिक सगठनो अथवा

श्रमिक-सहकारी संस्थाओ की मार्फत भी कराया जा सकता है। विभागेतर अभिकरणो को अगर काम देना हो, तो वह नियमो के अनुसार ठेके पर या कार्यदेश-पद्धति पर दिया जा सकता है। निर्माण के अभिकरण और ठेके की पद्धति का चुनाव अगर सही-सही कर लिया जाए, तो लागत में काफी कमी आ सकती है। अगर विभाग, या स्वैच्छिक निर्माण-सस्थाओं, या श्रमिक-सहकारी सस्थाओ की मार्फत काम हो, तो ठेकेदारो पर अनावश्यक रूप से निर्भर नही रहना पड़ेगा और इसके अलावा मुनाफा भी व्यक्ति के बजाय समुदाय को प्राप्त होगा। स्वैच्छिक सस्थाओ और श्रमिक-सहकारी सस्थाओ को बढावा दिया जाना चाहिए और भरसक कार्यदेश-पद्धति के अनुसार उन्हे ही ठेका दिया जाना चाहिए,

(9) चालू बिलो और अन्तिम बिल के भुगतान में अगर जल्दी की जाए, तो भी लागत कम हो सकती है। लागत कम करने का यह भी एक बडा महत्वपूर्ण कारण है। महीने के महीने उचन्ती भुगतान आम तौर से होते ही रहने चाहिए। अतिरिक्त मदो के दावे, अगर वे पहले से मजूरशुदा न हो तो, निश्चय ही अस्वीकार कर दिए जाने चाहिए,

(10) कार्य-कौशल और उत्पादकता बढाने के लिए कर्मचारियो को प्रशिक्षण देने का काम भी निर्माण-सगठन का अभिन्न अग होना चाहिए,

(11) निरन्तरता बनाए रखने के लिए और विशेषज्ञता का विकास करने के लिए अनिवार्य तकनीकी कर्मचारियो के तबादलो को रोका जाना चाहिए—भले ही यह काम विभाग के नियमों और परिपाटी के खिलाफ हो। इसके साथ ही, निर्माण-सगठनो में इस तरह के कर्मचारियो के हितो की पूरी-पूरी रक्षा की जानी चाहिए,

(12) हर बडी निर्माण-परियोजना में एक 'लागत घटानेवाली इकाई' स्थापित की जानी चाहिए, जो निर्माण-सगठन का हिस्सा हो और जो पूरी तरह परियोजना के मुख्य इजीनियर के मातहत हो। इसके काम ये होगे—निर्माण-कार्य का अध्ययन करना, लागत पर असर डालनेवाले कारणों का बराबर विश्लेषण करते रहना, सामान, तकनीको, कार्यविधि और सगठन में उचित हेर-फेर करने के बारे में समय-समय पर सुझाव देना, इस बात का ध्यान रखना कि इन हेरफेर का क्या नतीजा हुआ और निर्माण की लागत में बचत करने के काम की प्रगति पर नजर रखना,

(13) केन्द्र में हर तरह के प्रतिष्ठान के लिए ऐसे सलाहकारो का एक दल रखा जाना चाहिए, जो परियोजना के तकनीकी, आर्थिक और प्रशासकीय पहलुओ के बारे में सलाह दें और इसके साथ-साथ जगह-जगह से जानकारी हासिल करके उसे यथास्थान भेजेंगे। इनके पास पूर्व-अर्जित ज्ञान और अनुभव का एक कोश होगा और इसके साथ ही डिजाइन तथा निर्माण-सगठनो की ओर से तथा लागत घटानेवाली इकाइयो की ओर से उन्हें बराबर नई-नई जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस दल की सलाह से लागत में जो बचत हो, भरसक उसी से इनका खर्च चलते रहना चाहिए।

(14) हर बडी परियोजना के पूरे होने की एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसमें उसका पूरा इतिहास आ जाए। इसमें इन बातो का ब्यौरा रहे कि परियोजना के दौरान क्या-क्या गलतिया हुईं और क्या जोखिम उठानी पडी, क्या उपचार किए गए और क्या सबक सीखे गए। मशा यह है कि यह रिपोर्ट भविष्य में उन इजीनियरो के लिए, जिन पर इसी तरह की परियोजनाओ का भार हो, एक निदेश-पुस्तिका बन जाए और उन्हें रास्ता दिखाए। इस रिपोर्ट की तैयारी उसी वक्त शुरू हो जानी चाहिए, जब कि काम चालू हो और घटनाए स्मृति में ताजी हो। परियोजना पूरी होने के साथ-साथ या यथासम्भव उसके तुरन्त बाद यह रिपोर्ट पूरी हो जानी चाहिए। डिजाइन और निर्माण के विविध पहलुओ से सम्बन्ध रखनेवाले तकनीकी बुलेटिन भी उसी समय तैयार कर लिए जाने चाहिए।

24 राज्यो को सलाह दी गई है कि वे इस बात की निगरानी के लिए अन्तर-विभागीय समितिया बना सकते है कि निर्माण-लागत घटाने के काम में क्या प्रगति हुई है। कई राज्यो ने इस तरह की समितिया बना भी ली है। केन्द्र मे भी इसी तरह की एक समिति बनाई जा रही है। ऊपर जो विविध सुझाव दिए गए है, उन पर और आगे विचार और अमल करने के लिए इस तरह की व्यवस्था कर देने से इस बात पर जोर देना सम्भव हो सकेगा कि जब कोई विकास-कार्यक्रम या परियोजना सामान्य स्वीकृति के लिए पेश हो, तो निर्माण-पक्ष पर भी पूरा-पूरा विचार किया जाए। इससे यह बात और भी पक्की हो जाएगी कि हर क्षेत्र में निर्माण-कार्यक्रमो के ऐसे सोपान तय किए जाए, जिनसे अधिक-से-अधिक बचत हो सके।

(6)
आयोजन के लिए सकेत

25 दूसरी पचवर्षीय योजना का काम जैसे-जैसे साल-दर-साल बढता गया, वैसे-वैसे यह महसूस किया गया कि अगर और अधिक प्रत्याशा से काम लिया जाता और अधिक सही साख्यिकी तथा आर्थिक सूचनाए प्राप्त होती रहती, तो शायद कुछ समस्याओ को दूसरे ही ढग से सुलझाने की कोशिश की गई होती। योजना के पहले सोपान में विदेशी मुद्रा-कोश में जो कमी आई, उसे अधिक लम्बी अवधि में फैला दिया जाता और इसके फलस्वरूप बिजली के विकास तथा उर्वरक-उत्पादन के लिए विदेशी मुद्रा नियत करने में जो कमी की गई, वह उतनी विकट न होती। बडी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओ से सिंचाई का लाभ उठाने मे जो काफी ढील पड गई, उसे कम किया जाता। कोयले के परिवहन में हाल में जो अभाव और असन्तुलन दिखाई पडे है, उनका बहुत हद तक पहले ही कुछ इलाज कर लिया जाता। और अन्त मे, पिछले दो वर्षो में मूल्यो में जिस तेजी से घट-बढ हुई है और भावो में जो वृद्धि हुई है, उसे सयत किया जा सकता था। ये भुगतान-सन्तुलन तथा देश के भीतर के भावो के स्तर, पूजी-विनियोग की योजना तथा उसके परिणामस्वरूप होनेवाले उत्पादन तथा उद्योग के सम्बद्ध क्षेत्रो एव परिवहन तथा बिजली के विकास की परस्पर-निर्भरता के उदाहरण हैं। इनसे यह सकेत मिलता है कि प्रबन्ध, आयोजन और कार्यान्विति की समस्याए बहुत बडी हैं और तीसरी पचवर्षीय योजना के स्वरूप, ढाचे तथा सोपानीकरण में ये निहित है।

26 ये समस्याए सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर तथा आधुनिक उद्योग, परिवहन और बिजली के क्षेत्रो में ही नही उठती, बल्कि इसी क्रम में राज्यो की योजनाओ पर जो अधिक जिम्मेदारिया आ जाती है, उनमे भी परिलक्षित होती है। कई क्षेत्रो में राज्यो के स्तर पर आयोजन का काम पूर्णत राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का परिपूरक होता है और राज्य-स्तर की समस्याए भी अधिक जटिल हो जाती है। पूरे देश के आयोजन और हर जिले, खड और गाव के आयोजन के बीच परस्पर-सम्पर्क की कडी बहुत बडी है। एक ओर व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओ की रक्षा करना और दूसरी ओर योजना को उसके विविध रूपो में हर क्षेत्र और हर सम्प्रदाय की जरूरतो और परिस्थितियो के अनुकूल बनाना कोई छोटा उद्देश्य नही है। इस पृष्ठभूमि में, उन तरीको पर एक नई नजर डालनी चाहिए, जिनसे विविध स्तरों पर आयोजन की व्यवस्था तथा प्रक्रिया को सुधारा जा सके, जाच-परख को अधिक सूक्ष्म बनाया जा सके तथा आयोजन के लिए और अच्छे सांख्यिकी एव अन्य साधन जुटाए जा सकें। ये समस्याए ऐसी है, जिन पर केन्द्रीय मन्त्रालयो तथा राज्य-सरकारो के सलाह-मशविरे से और विचार करने की जरूरत है। कुछ ऐसी प्रमुख दिशाओ का सक्षेप में सकेत किया जा सकता है, जिनमें मौजूदा योजनाओ तथा आयोजन की व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है।

27 आयोजन के शुरू के दौर में जो बात थी, वह अब नही रही—अब तो राष्ट्रीय आयोजन में उद्योग, परिवहन, बिजली तथा दूसरे क्षेत्रों की बडी-बडी परियोजनाओ का अधिकाधिक महत्व होता जा रहा है, जिनमें बडी जटिल तकनीकी और आर्थिक समस्याए तथा खर्च की लम्बी रकमें निहित होती हैं। योजना-आयोग के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करने की जिम्मेदारी है। इसलिए वह बडे-बडे उद्योगो तथा उद्यमो के कार्यों से निकट सम्बन्ध रखने का प्रयत्न करेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की व्यापक दृष्टि से वस्तुपरक विश्लेषण और सूचनाओ-द्वारा मन्त्रालयो और राज्यो की सहायता करेगा। इस दृष्टि से योजना-आयोग और कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। यह आवश्यक होगा कि विभिन्न सांख्यिकी-अभिकरणो के साथ निकटतर सहयोग रहे और विश्वविद्यालयो तथा विद्या-केन्द्रो की मार्फत तथा सीधे होनेवाले आर्थिक और सामाजिक अनुसन्धान का क्षेत्र विस्तृत किया जाए।

28 परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट देने, थोडे-थोडे अरसे के बाद सार्थक सूचनाए प्राप्त करने तथा चालू प्रवृत्तियो को आकने की वर्तमान प्रणाली को मन्त्रालयो तथा राज्यो के सहयोग से काफी सुधारने की जरूरत पडेगी। विगत वर्षों में अक्सर ऐसा हुआ है कि काम की प्रगति के बारे में जो सूचनाए दी गई है, उनमें केन्द्रिकता की कमी रही है—उनसे न तो मौजूदा कमजोरिया उभर कर सामने आई है, और न यह पता चला है कि किस तरह की समस्याए सामने आ सकती है, जिनके निराकरण के लिए विभिन्न स्तरो पर काम करने की जरूरत है।

29 राज्यो में आयोजन-संगठनों पर बडे बोझ लादे जा रहे है। राज्यो पर यह दायित्व है कि वे राष्ट्रीय उद्देश्यों की व्याख्या करें, अपनी जरूरतो, साधनो तथा सम्भावनाओ को देखते हुए उन्हें कार्य-रूप में परिणत करें, योजना को सुदूरतम स्थलों तक पहुचाए तथा स्थानीय साधनो को एकत्र करने और उत्साह जगाने के तरीके निकालें। अब तक राज्यो में आयोजन-सस्था ने, कामो की बात जिस रूप में सोची गई है, उसे देखते हुए अच्छा काम किया है। उनकी सहायता से विभिन्न विभागों ने अपनी जिम्मेदारिया निभाई है। समन्वय का काम मुख्य मन्त्री

तथा एक मन्त्रिमडलीय समिति-द्वारा किया गया और अधिकारी-धरातल पर यह काम आयोजन-विभाग तथा राज्य-विकास-आयुक्त ने किया ।

तीसरी योजना के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यो को पूरा करने में राज्य-योजनाओ की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका जिक्र पहले किया जा चुका है । अगले तीन वर्षो में देश के लिए अध्याय 2 में वर्णित स्वरूप के आधार पर एक दीर्घकालीन योजना तैयार करने में राज्य भी हिस्सा लेंगे । इस योजना का अभिप्राय अगले लगभग 15 वर्षों में पूरे देश के विकास का सामान्य स्वरूप प्रस्तुत करना है । देश के विभिन्न भागो के साधनो और सम्भावनाओ के अध्ययन के आधार पर यह योजना तैयार की जाएगी और इसमें एक बडे ढाचे में इन सबको यथास्थान रखने की कोशिश की जाएगी । यह काम जहा एक ओर बडा पेचीदा है, वही दूसरी ओर इसमें भविष्य के लिए बडी-बडी आशाए भी सन्निहित हैं । इसके लिए केन्द्र और राज्यो की विभिन्न सस्थाओ के बीच निरन्तर और निकट सहयोग की आवश्यकता होगी—खास तौर से उन सस्थाओ के बीच, जिन पर आयोजन की जिम्मेदारी है और जो देश में वैज्ञानिक, आर्थिक तथा सामाजिक अनुसन्धान में लगी हुई प्रमुख सस्थाए हैं । इस दृष्टि से और तीसरी योजना की कार्यान्विति तथा चौथी की तैयारी की दृष्टि से भी राज्यो के लिए यह विचार करना जरूरी होगा कि राज्य-स्तर पर आयोजन-व्यवस्था और वर्तमान प्रबन्धो को किन दिशाओ मे अधिक मजबूत करने की जरूरत है ।

30 यह सोचा जाता है, और ठीक ही सोचा जाता है, कि जिला और खड के स्तर पर लोकतान्त्रिक सस्थाओ के आरम्भ और गाव के स्तर पर पचायतो के काम से देश भर में जनशक्ति सगठित करने तथा लोक-साधन एकत्र करने के साधन मिल जाते है । लेकिन इसके साथ ही यह बात भी है कि इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण राज्य-स्तर पर विभागो पर, जिला-स्तर पर तकनीकी और दूसरे अधिकारियो पर, और खड-स्तर पर विस्तार-कार्यकर्ताओ पर कही अधिक जिम्मेदारिया आ जाती हैं । योजना की—और पचायती राज्य की—भी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोक-प्रतिनिधियो और सरकारी सस्थाओ, दोनो का दृष्टिकोण विभिन्न समस्याओ के प्रति शुरू से ही ठीक रहे । इन समस्याओ के प्रति सही दृष्टिकोण योजना के कई प्रमुख क्षेत्रो के लक्ष्यो की पूर्ति के लिए आवश्यक है । इस पहलू पर सामुदायिक विकास के अध्याय में और विचार किया गया है ।

31 अन्त में, अब तक जो योजनाए बनाई गई हैं, उनमें शहरी क्षेत्रो को सक्रिय रूप से शामिल नही किया गया है । विचार यह है कि आयोजन के अगले दौर मे यथासम्भव अधिक-से-अधिक कस्बे और नगर—कम-से-कम एक लाख या इससे अधिक आबादीवाले सभी कस्बे और नगर—आयोजन के कार्यक्रम में अभिन्न रूप से समाविष्ट हो जाए, हर नगर अपने साधन जुटाए और अपने नागरिको के लिए बेहतर जीवन की परिस्थितिया पैदा करने में सहायता दे । इसके लिए आवश्यक तैयारिया तीसरी योजना के आरम्भ से ही शुरू कर दी जानी चाहिए ।

अध्याय 18

जनता का सहयोग और अंशग्रहण

दृष्टिकोण

हमारी योजनाओ की सफलता के लिए जन-सहयोग को एक आवश्यक शर्त समझा गया है। देश के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यो के प्रकाश में जनता की भूमिका और उसके योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। अपने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तो और मान्यताओ पर अटूट विश्वास रखनेवाले एक विकासशील देश के लिए इन लक्ष्यो की पूर्ति के लिए जन-सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता के लिए शान्तिपूर्ण संघर्ष और उससे सम्बद्ध रचनात्मक कार्य की परम्परा ने 10 वर्ष-पूर्व आरम्भ किए गए योजनाबद्ध विकास के कार्यों में जनता की निर्णायक भूमिका स्पष्ट कर दी थी। स्थानीय कार्यों और सुविधाओ के लिए जनता के योग—श्रमदान—तथा सामुदायिक विकास के कार्यों में उसके सहयोग के जरिए ही राष्ट्र-विकास के कार्यों में जनता की सहायता ली जा सकती है। परन्तु यह स्पष्ट है कि परिवर्तन और विकास की इन प्रक्रियाओ में जनता को शामिल करने की सम्भावनाओ को अभी तक पूरी तरह समझा नही गया है।

2 लोकतन्त्र के सन्दर्भ में, किसी प्रशासन को उसी हद तक कुशल समझा जाता है, जिस हद तक उसे अपने दैनिक कार्यों में जनता का योग और समर्थन मिलता है। उन कार्यों में, जो सरकारी संस्थाओ के जरिए किए जा रहे हैं, जन-सहयोग की बहुत गुंजायश है, इसके बिना उनमें अधिक सफलता सम्भव नही है। इन कामो को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए तथा जनता को उसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी साफ-साफ समझा दिए जाने चाहिए।

3 ग्रामीण क्षेत्रो की जनता भी अब सजग हो रही है। एक-पर-एक राज्यो में पंचायती राज की स्थापना के साथ-साथ ग्रामीणो पर उनके अपने कामो की देखभाल की सीधी जिम्मेदारी डाली जा रही है। गावो में पचायती राज के जरिए होनेवाला यह परिवर्तन जनता को अपने हित के कामो में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने की सुविधा और अवसर दे सकेगा। हर दिशा में अधिक तेजी से विकास के लिए जनशक्ति और अन्य साधनों के पूरे उपयोग के अनुकूल परिस्थितिया पैदा की जा रही है। इससे जनता-द्वारा अंशग्रहण के अवसर भी बहुत बढ़ेंगे।

4 जन-सहयोग का सिद्धान्त अपने व्यापक अर्थों में स्वैच्छिक कार्यों के उस विशाल-तर क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है, जहा पहल और संगठन की पूरी जिम्मेदारी जनता और उसके नेताओ पर होती है और जहा लक्ष्य पूरे करने के लिए कानूनी अधिकार या सरकारी शक्ति पर निर्भर नही करना पड़ता। जनता की जरूरतें इतनी अधिक है कि सरकारी और निजी, दोनो क्षेत्रों में लगाई जा रही पूंजी से वर्तमान स्थिति में, बहुत थोडा काम ही हो सकता है। भली-भांति संगठित स्वैच्छिक प्रयत्नो से समाज के पास इतनी सामर्थ्य आ सकती है कि वह अधिक जरूरतमन्द और कमजोर लोगो को अच्छा जीवन बिताने के लिए आवश्यक सुविधाए पहुंचा सके। इसके लिए करोड़ों-करोड़ों जनता से समय, शक्ति और साधनो का भंडार है, जिसे स्वेच्छा से अपने देश की विभिन्नतापूर्ण परिस्थितियो के अनुसार रचनात्मक क्षेत्रो को

ओर मोड़ सकती है। हर व्यक्ति कुछ-न-कुछ योग दे सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध मे अधिक योग देने का कर्तव्य उनका है, जो अधिक समर्थ हैं। इस सहयोग को बडे पैमाने पर प्राप्त करने से बहुत बडी मात्रा में धन और समय की बचत हो सकती है। यह बात कोसी-परियोजना के सिलसिले में देखने में आई थी। देश को इससे बहुत अधिक और व्यापक भौतिक लाभ हो सकते है। परन्तु इस दिशा में अभी तक देश में बहुत थोडी सफलता प्राप्त की गई है। अत इस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रयत्न किए जाने की जरूरत है, ताकि अधिक तीव्र एव ठोस प्रगति के मार्ग की बाधाए दूर हो सकें।

5 आर्थिक और सामाजिक जडता की स्थिति से विकास की प्रारम्भिक अवस्था तक पहुचने की प्रक्रिया में अनेक सामाजिक और राजनीतिक बाधाए आती हैं—विशेष रूप से उस देश में, जहा राजनीतिक स्वतन्त्रता मिले अधिक समय नही हुआ है। नए जागरण के साथ आशाए और अधिकार के दावे तो सामने आ जाते हैं, परन्तु लोग कर्तव्य और जिम्मेदारिया भूलने लगते है। विकास की प्रक्रिया में भी लोगो पर कुछ त्याग और धैर्य का भार पडता है। लोकतान्त्रिक ढाचा और मान्यताए कायम रखने का दृढ निश्चय होने पर तो यह भार और भी बढ जाता है। इसका सामना करने और अबाध प्रगति के लिए राजनीतिक एव सामाजिक वायुमडल पैदा करने का कार्य विकासशील देश का पहला काम होना चाहिए। इस क्षेत्र में सामाजिक प्रयत्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

6 एक लोकतान्त्रिक समाज के विकास के प्रारम्भिक दौर में प्रगति के लाभ का कुछ अश तक असमान वितरण होता है, जिससे घोर निराशा और असन्तोष की भावना पैदा हो जाती है। यह निराशा और असन्तोष तब और भी बढ जाता है, जब समाज-विरोधी कार्रवाइयो से बडी आमदनी और लाभ होते दिखाई देते है। सकुचित प्रादेशिक और दलीय स्वार्थो के कारण भी भारत में अक्सर झगडे पैदा हो जाते हैं। आज की स्थिति में विभिन्न वर्गों की बढती हुई आशा-आकाक्षाओ की पूर्णत पूर्ति सम्भव नही है। उधर ऐसी ताकतें सक्रिय है, जो हर तरह के असन्तोष और तनाव का नाजायज फायदा उठा कर राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बन जाती हैं। इन प्रवृत्तियो को नष्ट करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जरूरी है, परन्तु साथ ही इस बुराई को दूर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि समाज स्वय अपनी रक्षा दृढतापूर्वक करे और देश की अखडता पर अन्दर से ही हमला करनेवालो के प्रयत्न विफल कर दे। यह सुरक्षा-क्षमता जनता-द्वारा अपने-आप सगठित होने तथा स्वैच्छिक सेवा तथा रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने से आ सकती है। कोई विवाद एकदम ही नही फूट पडता—यह विस्फोटक स्थिति लम्बे समय से चले आ रहे किसी रोग का लक्षण-मात्र होती है। उसी समय की गई कार्रवाई का भी प्रभाव सीमित होता है। समाज में बुरे प्रभावो और विनाशक प्रवृत्तियों को सदा ही दबाते रहना तथा रचनात्मक एव स्वस्थ प्रवृत्तिया पैदा करते रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले व्यापक सामाजिक जागरण का प्रयत्न आवश्यक है। आखिरी मौके पर की गई अपीलो का अक्सर कोई असर नही होता। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओ के चुपचाप सेवा-कार्य करने से समाज पर जो मूक प्रभाव पडता है, उसी से विवेकशीलता आ सकती है और समझाने-बुझाने का कुछ असर हो सकता है। जिस समाज पर अक्सर अशान्ति की छाया पडती रहती है, वहा प्रगति और स्वस्थ जीवन के लिए रचनात्मक कार्य एव निस्स्वार्थ सहायता ही सफल आधार है। हमारे देश की आज की परिस्थिति में इन तथ्यों और समस्याओ के कारण सामाजिक प्रयत्नो और जन-सहयोग का महत्व काफी बढ जाता है।

पहली दो योजनाओं में जन-सहयोग

7 जन-सहयोग के कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सेवा की व्यवस्था रहती है। आरम्भिक वर्षों में इसका उपयोग मुख्यत सड़कों तथा विद्यालय-भवनों के निर्माण, पीने का पानी उपलब्ध करने की योजनाओं और जनता को सुविधाएं पहुंचानेवाले अन्य स्थानीय कार्यों के लिए किया गया था।

8 पिछले दशक में सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों में नकद, वस्तुओं और सेवा के रूप में दिए गए स्वैच्छिक योग का मूल्य 100 करोड़ रु० के लगभग आंका गया है। स्थानीय विकास-कार्यों में जनता के हिस्से की रकम 15 करोड़ रु० थी, जबकि कुल खर्च 33 करोड़ रु० का था। केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल की कल्याण-योजनाओं पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध कल्याण-योजनाओं एवं तत्काल सहायता पहुंचानेवाली योजनाओं को मुख्यत. स्वैच्छिक संस्थाओं के जरिए ही कार्यान्वित किया गया। खादी और ग्रामोद्योग-आयोग की ग्रामोद्योगों के जरिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई सघन क्षेत्र-योजना का बहुत-कुछ आधार ही स्थानीय साधन और जनता के अपने प्रयत्न हैं। मद्रास में विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देने तथा विद्यालयों के सुधार की अन्य योजनाएं जनता के सहयोग से ही चल रही हैं। सर्व-सेवा-संघ के कार्यकर्ताओं के सक्रिय प्रयत्नों से चल रहे भूदान और ग्रामदान-आन्दोलन इस बात के प्रमाण हैं कि ऊंचे आदर्शों और सेवा-भावना से प्रेरित स्वैच्छिक प्रयत्नों से कितने बड़े-बड़े काम हो सकते हैं। विश्वविद्यालय-आयोजन-गोष्ठियों के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों को छोटी बचतें, साक्षरता, गन्दी बस्तियों का उद्धार और श्रमदानवाली निर्माण-योजनाओं-जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरणा मिली है।

9 पहली पंचवर्षीय योजना बनाते समय ही यह मान लिया गया था कि तीव्र प्रगति के लिए विकास के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जन-सहयोग जरूरी है। जनता के फालतू समय और शक्ति का विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यों में उपयोग करने के लिए एक संगठन—भारत-सेवक-समाज—का निर्माण किया गया। इस संस्था ने एक बहुमुखी कार्यक्रम बनाया है और इसकी शाखाएं देश-भर में फैली हुई हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। सन् 1955-59 में कोसी-परियोजना में इसके सहयोग से यह प्रमाण मिल गया कि जन-सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं में खर्च की बचत, काम में सुधार और तेजी लाने की कितनी सम्भावनाएं हैं। कोसी-तटबन्ध-योजना पर खर्च का मूल अनुमान 11 5 करोड़ रु० था, परन्तु जन-सहयोग के कारण वास्तविक खर्च घट कर 6 5 करोड़ रु० रह गया। काम पूरा होने की अवधि में भी 2 वर्ष बच गए—सन् 1960 तक काम समाप्त करने का लक्ष्य था, परन्तु वह सन् 1958 में ही पूरा हो गया। भारत-सेवक-समाज ने सिंचाई और बाढ़-सुरक्षा की छोटी परियोजनाओं में भी सहयोग दिया है। अपने अनुभव से उत्साहित होकर इस संस्था ने निर्माण-सेवा की स्थापना की है, जिसकी शाखाएं अनेक राज्यों में हैं। इसने जनता के लिए किए जानेवाले अनेक निर्माण-कार्यों में भाग लिया है। शिक्षा-मन्त्रालय की श्रम एवं समाज-सेवा-शिविर-योजना के अन्तर्गत देश के छात्रों और युवा लोगों के लिए श्रम-शिविरों का आयोजन इस संस्था का मुख्य कार्य बन गया है और इसमें जनता का सहयोग बराबर बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कामों के लिए एक निश्चित नीति बना ली गई है। इसके अनुसार दो-तीन प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक ग्राम-समूह चुन लिया जाता

है। इन कार्यकर्ताओं का कार्य उस क्षेत्र की योजना को आधार मान कर जनता के कार्यक्रमों का संगठित रूप में परिपालन कराना है। उस दिशा में लोक-कार्य-क्षेत्र का उद्देश्य उस क्षेत्र के लिए नए साधनों का विकास और स्थानीय नेता तैयार करना है। उस कार्यक्रम में सरकार सहायता देती है और अब तो स्वैच्छिक संस्थाएं भी योग दे रही हैं। जनता में सामाजिक जागृति पैदा करने और उसे देश की समस्याओं तथा योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए भारत-सेवक-समाज ने जन-जागरण-केन्द्रों की भी स्थापना की है। इस कार्य में पूरी सहायता दी जाती है और अब इसे लोक-कार्य-क्षेत्र-कार्यक्रम का अंग बनाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 'समाज' ने गन्दी बस्तियों के निवासियों की ओर अधिक ध्यान दिया है और बेघर लोगों के लिए अनेक रैन-बसेरे चलाए हैं।

10 राष्ट्रीय स्तर पर और भी अनेक संस्थाएं हैं, जिन्होंने समाज की या उसके कुछ वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्यवान काम किया है। इन संस्थाओं के काम में समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। जन-सहयोग-सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार-समिति जन-सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है और मार्गदर्शन के लिए दिशाएं निर्धारित करती है। इस समिति की सदस्य-संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं : अखिल भारतीय सहकारी संघ, अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन, भारत-साधु-समाज, भारत-स्काउट्स एंड गाइड्स, भारत-सेवक-समाज, भारतीय आदिम-जाति-संघ, भारतीय ग्रामीण महिला-संघ, केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल, गांधी-स्मारक-निधि, हरिजन-सेवक-संघ, भारतीय समाज-कार्य-सम्मेलन, भारतीय शिशु-कल्याण-परिषद्, भारतीय रेड-क्रास-सोसायटी, राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी-दल (एन० सी० सी०), सहायक सैन्य-शिक्षार्थी दल (ए० सी० सी०) और सर्व-सेवा-संघ।

प्राथमिकताएं और कार्यक्रम

11 **कल्याण :** देश में इतनी अधिक गरीबी और अज्ञान फैला हुआ है कि दलित जनता के कष्ट दूर करने तथा उनके लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा के कार्य की कोई सीमा ही नहीं है। परन्तु कार्यकर्ताओं और साधनों की कमी को देखते हुए कुछ कामों और क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार करना आवश्यक है। शहरों और गांवों में सफाई रखने और स्वास्थ्यप्रद आदतों को प्रोत्साहन देने की दिशा में बहुत काम बाकी है। इस क्षेत्र में सामूहिक स्वैच्छिक कार्रवाई से बिना अधिक खर्च किए सन्तोषप्रद परिणाम निकल सकते हैं। अस्पतालों में रोगियों की सेवा की जा सकती है और उन रोगियों को भी आराम पहुंचाया जा सकता है जिन्हें अपने घरों में भी सुविधा-सहायता नहीं मिल पाती। स्वैच्छिक सहायता से साक्षरता का प्रसार तेजी से हो सकता है। समाज-सुधार और सामाजिक बुराइयों तथा समाज-विरोधी कार्यों के उन्मूलन में कानून का बहुत अधिक हाथ नहीं हो सकता—मुख्य जिम्मेदारी तो स्वैच्छिक संस्थाओं को ही संभालनी पड़ेगी।

12 **सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम :** स्वैच्छिक सेवा का मुख्य लक्ष्य अब सीमित अर्थों में कल्याण-कार्यों से हट कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक कार्यों की ओर जा रहा है। पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के काम भली-भांति चलाने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण में स्वैच्छिक संस्थाएं बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो मुख्य काम हैं, भौतिक और जनशक्ति-विषयक साधनों के भरपूर उपयोग में सहायता देना, ताकि उत्पादन

तथा लाभकारी रोजगार के अवसर बराबर बढ़ते रहें। इस उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक कार्य-कर्ताओं को चाहिए कि वे सामुदायिक विकास-संस्थाओं को यथासम्भव सहायता पहुंचाएं।* कस्बों और नगरों में स्वैच्छिक सेवा से गन्दी बस्तियों का सुधार किया जा सकता है और उनके निवासियों के लिए बेहतर जीवन-यापन के योग्य स्थिति बनाई जा सकती है। इसका और स्वैच्छिक संस्थाओं की अन्य गतिविधियों का आधार निश्चय ही संगठित स्वयंसेवा हो। सहकारी आन्दोलन का क्षेत्र एक अत्यन्त आदर्श क्षेत्र है, जिसमें बहुत अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा-सहकारी समितियों और शहरी क्षेत्रों में सहकारी उपभोक्ता-भण्डारों का जाल बिछा देना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है और इस पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए।

13 निर्माण-कार्य : बड़ी परियोजनाओं और छोटे तथा स्थानीय कार्यों की निर्माण-विषयक गतिविधियों में ही बेकार पड़ी जन-शक्ति के उपयोग के लिए स्वैच्छिक प्रयत्नों से सर्वाधिक काम लिया जा सकता है। गांवों में स्वैच्छिक संस्थाओं को सीधे अथवा श्रमिक-सहकारी संस्थाओं के जरिए निर्माण-कार्य में लगने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इससे खर्च में बचत होगी, काम के सन्तोषजनक मानदंड का पालन हो सकेगा, श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार हो सकेगा तथा निर्माण-उद्योग के संचालन में ईमानदारी के व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। ठेकेदारों पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकेंगे। योजना-आयोग की एक समिति ने भारत-सेवक-समाज-जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए निर्माण-कार्यों में बड़े पैमाने पर योगदान को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(क) सरकारी संस्थाएं स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक-से-अधिक सहायता देने का प्रयत्न करें। जहां तक सम्भव हो, कुल कार्य का कुछ भाग उनके लिए रख छोड़ा जाए और उनकी क्षमता बढ़ने के साथ-साथ काम का भी विस्तार किया जाए।

(ख) ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि काम बराबर मिलता रहे। परियोजना के अधिकारी काफी पहले ही यह निश्चित कर दें कि किस स्वैच्छिक संस्था को कितना और किस प्रकार का काम दिया जाएगा। उन्हें ठेकेदारों के मुकाबले तरजीह दी जाए और आपसी बातचीत के द्वारा ही काम और उससे सम्बद्ध बातें तय की जाएं।

(ग) पारिश्रमिक उचित दर से (1) 'कार्यदेश' के आधार पर या (2) दरों की अनुसूची के आधार पर जो समर्थ अधिकारी-द्वारा घटाई-बढ़ाई जा सके दिया जा सकता है। दर-अनुसूची अद्यतन रहनी चाहिए।

(घ) पारिश्रमिक की अदायगी जल्दी होनी चाहिए विलम्ब से बचा जाना चाहिए। सुपरिंटेंडिंग और एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और जैसे-जैसे काम पूरा हो, कुल काम के खाते से रकम की अदायगी होती जाए।

*सामुदायिक विकास-मन्त्रालय-द्वारा हाल ही में आयोजित एक सम्मेलन में स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र सुझाए गए थे : सामाजिक शिक्षा, कृषि-उत्पादन-कार्यक्रम, ग्रामोद्योग, सफाई तथा स्वास्थ्य, स्थानीय विकास-कार्य, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, महिला तथा शिशु-कल्याण और युवा लोगों के लिए कार्यक्रम।

(ङ) स्वैच्छिक संस्थाओ की सहायता के लिए राज्य-सरकारो और केन्द्रीय मन्त्रालयो की ओर से तकनीकी कर्मचारी भेजे जाने चाहिए।

(च) कार्य-सचालन-पूजी तथा उपकरणो की खरीद के लिए ऋण दिए जाने चाहिए।

(छ) स्वैच्छिक सस्थाओ को उनकी क्षमता के अनुसार हर प्रकार का मिट्टी खोदने और राजगीरी का सादा काम करने का भार दिया जा सकता है। आवश्यक तकनीकी उपकरण और कर्मचारी होने पर उन्हे बडे इमारती काम भी सौंपे जा सकते है। इमारती सामान अधिक मात्रा में उपलब्ध करने का ठेका लेने के लिए भी उन्हे प्रोत्साहित किया जा सकता है।

14 **योजनाओ के प्रति अधिक समझदारी** : सामाजिक और आर्थिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक सहयोग और स्वैच्छिक अशदान प्राप्त करने के लिए तीसरी योजना के महत्व, उद्देश्यो और प्राथमिकताओ को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अर्थव्यवस्था की बढती हुई जटिलता और समस्याओ की अधिकता के कारण निस्सन्देह यह बहुत सरल बात नही है। दूसरी ओर, पहली दो योजनाओ के फलस्वरूप तथा उनसे उत्पन्न जागृति के कारण समस्याओ का स्वरूप समझने, उनको हल करने के साधनो की सीमाए पहचानने तथा तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए अधिक बोझ सभालने की हमारी क्षमता बढी है और अन्त मे, योजना उस समय काफी अर्थपूर्ण हो जाती है, जब हम देखते हैं कि उसके लक्ष्य क्या है और व्यक्ति, स्थानीय समाज तथा जनता के विभिन्न वर्गों को उससे क्या अवसर मिलनेवाले है। तीसरी योजना में जनता के सहयोग एव अंशग्रहण की सुदृढता के कार्यक्रम के अग-रूप में यह प्रस्ताव किया गया है कि योजना का सन्देश देश के कोने-कोने में पहुचाया जाए और तीव्र विकास से निकलनेवाले परिणामो से लाभ उठाने की वर्तमान व्यवस्था को सबल किया जाए।

15 **व्यापक उद्देश्य** . देश की बुनियादी आवश्यकताओ, आदर्शों और लक्ष्यो से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ बडे काम भी हमारे सामने है। वर्तमान स्थिति में इसके चलते जनता पर कुछ विशेष जिम्मेदारिया आ जाती है। सबसे बडी जरूरत इस बात की है कि जनता का दृष्टिकोण और समाज का आचरण राष्ट्रीय उद्देश्यो के अनुरूप हो। इस आचरण के तीन रूप है, जिन्हें इस सन्दर्भ में सबसे अधिक आवश्यक माना जा सकता है। पहला यह कि देश के प्रति प्रेम और उसके महान् भविष्य का विश्वास हर हृदय मे मजबूती से घर कर ले। जनता स्वय ही अपनी समझ से उन सभी बातो की सार्वजनिक रूप से रोकथाम करे तथा उन्हें त्याग दे, जिनसे देश की एकता और अखडता को आघात पहुचता हो। लोगो में इसकी पूरी समझ होनी चाहिए कि राष्ट्रीय एकता को किस बात से और कितनी हानि हो सकती है। ईमानदार तथा सेवाभावी कार्यकर्ता सैकडो तरीको से हर नागरिक के मन पर मजबूत और सगठित देश की छाप बैठा सकते है। वे यह भाव भी जमा सकते है कि देश की जनता और समाज जिन उपयोगी तथा मूल्यवान चीजो की कामना कर सकती है, उनकी प्राप्ति में जनता का सगठित प्रयत्न कितना अधिक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। देश के विभिन्न भागो में फैली स्वैच्छिक सस्थाए लोगो में एकता की भावना पैदा कर सकती है और महान् राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे देश में चल रहे कार्यो में सेवा के छोटे-मोटे कामो में उन्हें लगा कर उन्हें एक ही दिशा में सोचने एव कार्य करने-योग्य बना सकती है। दूसरी बात यह है कि देश में जो आर्थिक और सामाजिक ढाचा तैयार हो रहा है, उसका आधार क्रमिक समाजवाद और सहकारिता ही रहेगा। तीसरी बात हर किसी को यह समझ लेना चाहिए कि सही आचरण और जीवन से ही राष्ट्र मजबूत

होगा एवं एक उचित समाज-व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। सभी लोगों के लिए अच्छे जीवन की व्यवस्था करने के हेतु सबको काम करना होगा। हमें ऐसे समाज की जरूरत नहीं है जहा कुछ लोगो की समृद्धि के लिए-अधिक लोगो को कष्ट झेलने पड़ें। परन्तु इसके लिए जनता की आदतो और उसके दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे, ताकि वे एक मानवता और सामाजिक न्याय में विश्वास करने लगें। आचरण के कुछ ऐसे मापदंड बनाने होंगे, जिनमे, सयम, अनुशासन तथा दूसरो के प्रति उदारता पर बल दिया गया हो। इन पर आधारित व्यवहार ही राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप ले सकेगा। राजनीतिक तथा सामाजिक सम्बन्धो, काम-काज एव आर्थिक कार्यों में सदाचार पर अधिक ध्यान देना होगा। थोड़े समय में जब बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन करना हो, तब जनता का सहयोग इतना अधिक तथा प्रभावशाली होना ही चाहिए कि उस प्रयत्न को व्यापक जन-आन्दोलन का स्वरूप दिया जा सके। जन-सगठनो के जरिए स्वैच्छिक सेवा के लिए यहा विस्तृत और असीम क्षेत्र है। यह समझ लेना चाहिए कि आज हमारे सामने क्रान्ति के लिए आह्वान करने का प्रश्न है, जिसके लिए जनता का मन तैयार करना है। इस क्रान्ति में ही जनता को अपने आदर्शवादी विचारो तथा देश-प्रेम की भावना को प्रकट करने का अवसर मिलेगा।

संगठन और तकलीफें

16 चूंकि स्वैच्छिक सगठनो के जरिए जनता के सहयोग की इतनी आशा रखी जाती है, इसलिए यह आवश्यक है कि वैसी सस्थाओ की सख्या बढ़े और वे सबल बनें, ताकि अपनी इच्छा से लिए गए कामो को वे पूरी तरह निभा सकें। यह बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अपने ऊपर लिए गए कार्य वे किस प्रकार पूरा करके लोगो में विश्वास जमाती हैं और जनता की जरूरतो की पूर्ति में कितना योग देती है। उन्हें प्राप्त होनेवाले फालतू समय तथा साधनों का निश्चय ही अच्छा-से-अच्छा उपयोग होना चाहिए। इसके लिए अग्रिम योजनाएं बनाने, आवश्यकताओ का समुचित अनुमान करने, कर्मचारियो को प्रशिक्षण देने, व्यवस्थित रूप से काम करने, उचित निरीक्षण करने तथा निष्पक्ष मूल्याकन की जरूरत है।

17 स्वैच्छिक सगठनो को स्थानीय सस्थाओ से घनिष्ठ सहयोगमूलक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए और कुछ मामलो में पचायतो, नगरपालिकाओ, आदि के काम करनेवाली सस्था का भी रूप ग्रहण करना चाहिए। जन-सहयोग से पूरे होनेवाले कार्यक्रम सयुक्त रूप से तैयार किए जाने चाहिए और उनमें स्वैच्छिक सस्थाओ का स्थान और भूमिका बिलकुल स्पष्ट कर देनी चाहिए। सरकारी सस्थाओ को उन्हें अधिक-से-अधिक सहायता तथा सुविधाएं देनी चाहिए, परन्तु कार्यक्रमों के सचालन और नियन्त्रण का भार स्वैच्छिक संस्थाओ के नेताओ पर ही छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से ही ये सगठन सच्चे राष्ट्रीय सगठन बन सकेंगे और लोगो को अपनी राजनीतिक मान्यताएं दरकिनार रख कर सहयोग के लिए प्रेरणा दे सकेंगे। स्थानीय आवश्यकताओ को देखते हुए कई स्थानो पर स्वैच्छिक कार्यकर्ताओ के छोटे-छोटे सगठन बन गए हैं। बड़े सगठनो को उनकी सहायता करके उन्हें अधिक कार्य करने-योग्य बनाना चाहिए। यह सहायता कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अन्य सुविधाओ के रूप में हो सकती है।

18 स्वैच्छिक आधार पर अपने-आप काम शुरू होना स्वागत-योग्य अवश्य है, परन्तु इसमें यह खतरा भी है कि दो ओर से एक ही काम होने लगता है और परिणामस्वरूप साधनो

एव शक्ति का दुरुपयोग होता है। इसलिए स्वैच्छिक सगठनो को समान नीति बनानी चाहिए, घनिष्ठ सहयोग मे काम करना चाहिए तथा जिस काम में जो सबसे योग्य है, उसे वही काम अपने हाथ में लेना चाहिए। समन्वय की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है। इस समन्वय का विस्तार होना चाहिए और प्रशिक्षण, अनुसन्धान, मार्गदर्शक परियोजनाओ, जानकारी तथा अनुभव के आदान-प्रदान, पत्रिकाओ तथा उपयोगी सामग्रियो के प्रकाशन और सरकारी संस्थाओ से व्यवहार-जैसे विभिन्न क्षेत्रो में इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

19 अभी तक स्वैच्छिक कार्य निजी व्यक्तियो या सरकार से उपलब्ध यत्किंचित सहायता से चले हैं। बहुत-सी संस्थाओ और सगठनो से सहयोग मिलने पर स्वैच्छिक सेवा को सुदृढ आधार पर सगठित किया जा सकता है। ये सस्थाए शिक्षा, मनोरजन, व्यवसाय, पत्रकारिता, आदि क्षेत्रो की हो सकती हैं। चन्दा-सग्रह-आन्दोलनो, दातव्य प्रदर्शनो, आदि के जरिए ये सस्थाए धन-सग्रह करने में सहायता दे सकती हैं। कुछ निश्चित कामो की जिम्मेदारी वे स्वय भी ले सकती हैं। स्वैच्छिक सगठनो के कार्यक्रमो और गतिविधियो के लिए ये सस्थाए अपना स्थान, साज-सामान तथा अन्य सुविधाए देकर भी उन्हें सहायता पहुचा सकती हैं।

20 स्वैच्छिक सस्थाओ के कार्यकर्ता जनता के हर वर्ग से आ सकते हैं विशेष रूप से समाज-सेवियो, अध्यापको, विभिन्न रोजगार-धन्धेवालो, विधायको, सरकारी कर्मचारियो तथा स्थानीय सस्थाओ के सदस्यो में से। इस क्षेत्र में सैनिक अथवा असैनिक कार्यों से अवकाश-प्राप्त लोगो ने बहुत प्रशंसनीय काम किए है, उन्हें अधिक सख्या में इन कामो मे लगाया जा सकता है। इस आन्दोलन का आधार देश का युवा-वर्ग ही है, जिसे उनके अपने हित तथा समाज की भलाई के इन कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए।

21 कुछ काल तक परीक्षण और प्रयोग करने के बाद लोक-कार्य का ऐसा स्वरूप तैयार कर लिया गया है, जिससे गैर-सरकारी स्वैच्छिक कार्यों में आवश्यक आयोजन का लाभ उठाया जा सकता है और काम का न टूटनेवाला सिलसिला भी कायम किया जा सकता है। राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खड की बराबरी का लोक-कार्य-क्षेत्र स्वैच्छिक सस्थाओ के लिए कार्य-क्षेत्र बन सकेगा और वास्तविक काम के स्तर पर विभिन्न सस्थाओ के कार्यों में समन्वय स्थापित हो सकेगा। कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन ने लोक-कार्य-क्षेत्रो का जो अध्ययन किया है, उससे स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम में भाग लेनेवाले कार्यकर्ता स्थानीय साधनो और जन-शक्ति को उपयोग के लिए तैयार करने तथा जनता और उसकी समस्याओ के बारे में अपनी पूरी जानकारी का अधिक अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते है। वे विकास के मार्ग की बाधाए—अज्ञान, दलबन्दी और गावो में विस्तार-कार्य के लिए अपर्याप्त सुविधाए, आदि—दूर करने में भी अधिक उपयोगी हैं। अब इसे शहरी क्षेत्रो में भी लागू किया जा रहा है।

22 विश्वविद्यालय-आयोजन-गोष्ठियो से यह आशा की जाती है कि वे तीसरी योजना की अवधि में विश्वविद्यालयो और कालेजो को जन-समाज के निकट सम्पर्क में लाने तथा पचायती राज-सस्थाओ, नगरपालिकाओ एव अन्य स्वैच्छिक सगठनो के सहयोग से आरम्भ किए गए रचनात्मक कार्यों के जरिए राष्ट्रीय विकास के काम मे योगदान करने के लिए शिक्षको और छात्रो को प्रेरित करने में अधिक बडी भूमिका निभाएगी। आयोजन-गोष्ठियो-द्वारा नियुक्त दलो ने दूसरी योजना की अवधि में जो अध्ययन एव सर्वेक्षण किए, उनसे छात्रो तथा युवा लोगो को सामाजिक एव आर्थिक समस्याओ को अधिक बारीकी से समझने का अवसर मिला। समय-समय पर आयोजन-गोष्ठियो-द्वारा आयोजित सगोष्ठियो से भी कई महत्वपूर्ण

सुझाव प्राप्त हुए। इन तथा ऐसी ही गतिविधियों को तीसरी योजना की अवधि में बढ़ाया जाएगा। यह भी आशा की जाती है कि आयोजन-गोष्ठियां योजना-सूचना-केन्द्रों का सगठन करने में समर्थ हो सकेंगी, जिनकी सहायता से छात्रगण तीसरी और परवर्ती योजनाओं की अवधि में राष्ट्र-द्वारा आकांक्षित लक्ष्यों को पूरी तरह हृदयगम कर सकेंगे।

प्रशिक्षण, अनुसन्धान और मूल्यांकन

23 जनता के अंशग्रहण करने-सम्बन्धी कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं का काम निश्चय ही सरल नहीं है। उनका मुख्य काम जनता का दृष्टिकोण बदलना, उनका विश्वास प्राप्त करना और उन्हें नए कामों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। उन्हें समाज में व्याप्त जड़ता तथा परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों का सामना करना है। जटिल सामाजिक स्थिति और विषम समस्याओं का भी उन्हें सामना करना है। इन कार्यकर्ताओं को विशेष विषयों का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी वे अपना काम भली-भांति कर सकेंगे। अभी हाल तक यह पहलू उपेक्षित ही था। अब लोक-कार्य-क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए नियमित रूप से सघन प्रशिक्षण की सुविधाए उपलब्ध की गई हैं। गांवों से लेकर ऊपर तक पूरे या आधे समय के सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का व्यवस्थित प्रबन्ध होना चाहिए, ताकि वे कुशलता और समझदारी से अपना काम निभा सकें। प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का सुदृढ़ आधार और जन-सहयोग के उचित तरीके निकालने के लिए समय-समय पर अपने अनुभवों का विश्लेषण और पूरा अध्ययन करना आवश्यक है। इसके लिए सामूहिक विचार-विमर्श का भी आयोजन होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, समस्याओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न वर्गों का दृष्टिकोण तथा जन-सहयोग प्राप्त करने के तरीकों की उपयोगिता कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में अनुसन्धान की बहुत गुंजायश है। देश के विभिन्न भागों में नए विचारों के लिए मार्गदर्शक परियोजनाएं चालू की जानी चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों के मूल्यांकन की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन अध्ययनों और प्रयोगों के परिणामों का पूरा विवरण उपयुक्त साहित्य और मार्गदर्शन-सम्बन्धी अन्य सामग्रियों में उपलब्ध किया जाना चाहिए।

अध्याय 19

कृषि-उत्पादन

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए तीसरी पचवर्षीय योजना मे जिस व्यापक दृष्टि को अपनाया गया है, उसके आधार मे कृषि-उत्पादन के कार्यक्रम निहित हैं। बड़े तथा छोटे सिंचाई-कार्यों का विकास, मिट्टी-सरक्षण के कार्यक्रम, उर्वरको, सुधरे हुए बीजो तथा ऋण की आपूर्ति और नीचे ग्राम-स्तर तक पहुचनेवाली विस्तार-सेवाओ की व्यवस्था कुछ ऐसे कदम हैं, जो सीधे उत्पादन बढाने के लिए उठाए गए हैं। इन कार्यक्रमो के लिए सामुदायिक विकास-आन्दोलन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम-समाज की शक्तियो का पूरा उपयोग करने और उसकी जनशक्ति तथा अन्य साधनो को प्रभावशाली ढग से गतिशील बनाने का विचार है। भूमि-सुधार-सम्बन्धी नीतियो का लक्ष्य परम्परागत कृषि-ढाचे के कारण अधिक उत्पादन के मार्ग मे आनेवाली बाधाओ को दूर करना और सहकारिता के आधार पर सगठित प्रगतिशील कृषि के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। सहकारिता के विकास के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए हैं और तीसरी योजना में जिन पर और अधिक बल दिया जाएगा, उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो के द्रुत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऐसे सस्थात्मक ढाचे का निर्माण करना है, जो ग्रामीण जनता के निर्धन-वर्ग के लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध हो। कृषि-उत्पादन बढाने की योजनाओ का पशुपालन और दूध-उद्योग की सफलता तथा मछली-उद्योग और ग्रामोद्योगो के विकास से गहरा सम्बन्ध है। दीर्घ-कालीन विकास की दृष्टि से वन-सम्पदा की देखभाल, मिट्टी और आर्द्रता के सरक्षण तथा गावो में ईंधन के काम आनेवाले पेड उगाने का अत्यधिक महत्त्व है। देश के कुछ भागों में गावो में बिजली लगने का, सिंचाई-सुविधाओ के विस्तार और टेक्नोलाजी-विषयक परिवर्तनो के माध्यम से, ग्रामीण जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव पडने लगा है, यह प्रभाव क्रमश अधिकाधिक होता जाएगा। पचवर्षीय योजनाओ-द्वारा ग्रामीण जीवन में लाए जा रहे विराट् परिवर्तनो की व्यापक पृष्ठभूमि में देखने पर कृषि-विकास के इन विभिन्न पहलुओ और विशेषत कृषि-उत्पादन बढाने के लिए तीसरी योजना में समाविष्ट विशिष्ट कार्यक्रमो का महत्त्व और भी बढ जाता है।

पहली और दूसरी योजनाओ के अन्तर्गत प्रगति

2 दूसरी योजना के अन्त में कृषि-उत्पादन का सूचनाक (आधार सन् 1949-50) बढ कर 135 हो गया। इसी तरह, खाद्यान्नो का सूचनाक 132 और अन्य फसलो का 142 ठहरा। पहली योजना में कृषि-उत्पादन में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना की अवधि में सन् 1957-58 और 1959-60, के दो वर्ष प्रतिकूल रहे और कुल मिला कर कृषि-उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगले पृष्ठ की तालिका में सन् 1949-50 से उत्पादन की प्रवृत्तिया दर्शाई गई हैं।

तालिका-संख्या 1

कृषि-उत्पादन सन् 1949-50 से 1960-61 तक*

वस्तु	इकाई	1949-50	1950-51	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59(अ)	1959-60(आ)	1960-61(इ)
चावल	लाख टन	237	209	271	286	249	304	293	320
गेहूं	"	66	66	86	93	77	98	97	100
अन्य अनाज	"	484	437	549	574	530	626	605	640
दालें	"	92	85	109	114	95	129	112	120
खाद्यान्न (अनाज और दालें)	"	576	522	658	688	625	755	717	760
तेलहन	"	51	51	56	63	61	69	64	71
गन्ना (गुड)	"	49	56	60	68	69	71	76	80
कपास	लाख गांठें	26	29	40	47	47	47	38	51
पटसन	"	31	33	42	43	41	52	46	40
सभी वस्तुएं (सूचनांक)		100	95 6	116 8	124	114 6	132 3	127 2	135

[1] पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान फसल-सम्बन्धी आंकड़े जमा करने का काम क्रमश. बढ़ा और समय-समय पर अनुमान के तरीके बदलते गए। तालिका में खाद्यान्न-उत्पादन के अनुमान सन् 1956-57 तक हुए परिवर्तनों के अनुसार समजित कर दिए गए।

(अ) अंशत. संशोधित अनुमान

(आ) अन्तिम अनुमान

(इ) अस्थायी अनुमान

3 दूसरी योजना को अन्तिम रूप देने से पहले ही यह समझ लिया गया था कि उसमें भारी उद्योगो पर विशेष बल देते हुए द्रुत आर्थिक विकास का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, उसके अनुसार कृषि-उत्पादन को पहले निश्चित की गई मात्रा से कही अधिक बढाने की जरूरत पडती । इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य-सरकारो के साथ प्रारम्भिक लक्ष्यो के बारे में विचार-विमर्श किया गया और नवम्बर 1956 में निम्न-लिखित नए लक्ष्य निश्चित किए गए खाद्यान्न—8 करोड 5 लाख टन, तेलहन—76 लाख टन, गन्ना (गुड)—78 लाख टन, कपास—65 लाख गाठें, और पटसन—55 लाख गाठें। ऊपर की तालिका में सन् 1960-61 में खाद्य-उत्पादन की जो मात्रा (7 करोड 60 लाख टन) दिखाई गई है, उसके फसल-उत्पादन के सशोधित अनुमानो की प्राप्ति के समय तक 7 करोड 80 लाख टन हो जाने की आशा है। गन्ने का उत्पादन दूसरी योजना के लक्ष्य से भी अधिक हुआ, परन्तु कपास और पटसन के उत्पादन के मामले में जडता बनी रही। तेलहन का भी उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। दूसरी योजना में उत्पादन की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अत्यधिक महत्त्व की बात है कि तीसरी योजना में खाद्यान्नो के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के अतिरिक्त व्यावसायिक फसलो में, विशेषत कपास, तेलहन और पटसन के उत्पादन में, पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। अर्थ-व्यवस्था की प्रगति और घरेलू माग में वृद्धि तथा इसके साथ ही निर्यात बढाने की आवश्यकता के कारण व्यावसायिक फसलो की उत्पादन-वृद्धि में सफलता उतनी ही महत्त्व रखती है, जितनी खाद्यान्नो के उत्पादन मे वृद्धि।

4 दूसरी योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के लिए अनुमानित कुल 529 करोड रु० के व्यय में से 290 करोड रु० कृषि के लिए थे। इसके अतिरिक्त, बडी और मध्यम सिचाई-योजनाओ के लिए कुल 372 करोड रु० के व्यय की व्यवस्था थी। योजना की अवधि में छोटी सिचाई-योजनाओ के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध किए गए। नीचे की तालिका में कृषि-विकास के कार्यक्रमो के परिपालन में हुई प्रगति के बारे में राज्य-सरकारो से प्राप्त सूचनाए सक्षेप में दी गई है

तालिका-सख्या 2

कृषि-कार्यक्रम—दूसरी योजना में प्रगति

कार्यक्रम	इकाई	अनुमानित उपलब्धि
बडी और मध्यम सिचाई-योजनाए	लाख एकड (कुल)	69
छोटी सिचाई-योजनाए	,,	90
खेतो में मिट्टी-सरक्षण	,,	20
भूमि का पुनरुद्धार	,,	12
सुधरे हुए बीजो के अन्तर्गत खेती का क्षेत्र (खाद्यान्न)	,,	550
नत्रजनयुक्त उर्वरको की खपत (नत्रजन)	हजार टन	230
फास्फेटयुक्त उर्वरको की खपत (पी$_2$ ओ$_5$)	,,	70
शहरी खाद	लाख टन	30
ग्रामीण खाद	,,	830
हरी खाद	लाख एकड	118

मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद दूसरी योजना की अवधि में कृषि-क्षेत्र में अधिक प्रगति हो सकती थी, यदि पर्याप्त पूंजी-विनियोग से होनेवाले लाभों को—यथा छोटे और बड़े सिंचाई-कार्यों से होनेवाले सिंचाई के विस्तार और बीज-फार्मों की स्थापना में किए गए पूंजी-विनियोग के लाभों को—अधिक शीघ्रता से प्राप्त किया जाता। मिट्टी-संरक्षण-जैसे कार्यों में, जिनमें बड़ी संख्या में जनता के भाग लेने की आवश्यकता होती है, सीमित प्रगति हुई। उर्वरकों की खपत में, जो हाल में बड़ी तेजी से बढ़ी है, दूसरी योजना के प्रथम चार वर्षों में बहुत धीमी वृद्धि हुई। इसका कारण विदेशी मुद्रा की कमी और नए उर्वरक-संयन्त्रों की स्थापना में हुई अपर्याप्त प्रगति है। सन् 1956 में जब दूसरी योजना के कृषि-सम्बन्धी लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया गया था, तब इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया था कि सुधरे हुए बीजों को बहु-गुणित करने, उर्वरकों के प्रयोग, सिंचाई और मिट्टी-संरक्षण, आदि के कार्यक्रमों को इस प्रकार कार्यान्वित किया जाए कि न्यूनतम समय में अधिकतम लाभ उठाया जा सके। यह सोचा गया था कि सिंचाई की सुविधा-प्राप्त या निश्चित वर्षावाली भूमि के प्रत्येक एकड़ में सुधरे हुए बीजों का इस्तेमाल होगा तथा उर्वरकों, कार्बनिक खादों और हरी खादों की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था की जाएगी। परन्तु इन दिशाओं में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई। परिणामत तीसरी योजना की अवधि में कृषि के सम्बन्ध में बहुत-कुछ किया जाना शेष है। वस्तुत तीसरी योजना की सफलता अन्य किसी भी बात की तुलना में कृषि-लक्ष्यों की पूर्ति पर अधिक निर्भर करती है।

तीसरी योजना का दृष्टिकोण

5 तीसरी योजना के लिए कृषि-उत्पादन के कार्यक्रमों के निर्माण में नियामक विचार यह रहा है कि कृषि-सम्बन्धी प्रयत्नों में किसी भी रूप में वित्तीय या अन्य साधनों के अभाव के कारण रुकावट पैदा न हो। तदनुसार ही आवश्यकता के अनुरूप वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की गई। इसके साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि यदि उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध करना आवश्यक पाया गया, तो उन्हें भी योजना के बढ़ने के साथ-साथ सुलभ किया जाएगा। उर्वरकों की आपूर्ति भी बड़े पैमाने पर की जाएगी। राज्यों में कृषि-प्रशासन को संगठित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और विभिन्न अभिकरणों में, विशेषत उनमें, जो कृषि, सहकारिता, सामुदायिक विकास और सिंचाई से सम्बद्ध हैं, अधिकतम सम्भव समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण की आपूर्ति को विस्तृत किया जा रहा है और ऋण को उत्पादन तथा हाट-व्यवस्था से सम्बद्ध करने पर जोर दिया गया है। फिर भी, यह कहना होगा कि इन प्रयत्नों का काफी महत्त्व होने के बावजूद ये अपने-आप में इस बात की सन्तोषजनक गारंटी नहीं है कि इनसे तीसरी योजना के कृषि-लक्ष्यों को प्राप्त कर ही लिया जाएगा।

6 सामुदायिक विकास-संगठन और खंड तथा ग्राम-स्तर पर विस्तार-कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य ग्राम-समाज को सघन कृषि-विकास के लिए संगठित करना, इसके लिए उसमें क्षिप्रता की भावना भरना, सरकार की ओर से काम करनेवाले सभी अभिकरणों को निर्देश देना और इस बात की निश्चित व्यवस्था करना है कि आवश्यक आपूर्ति, सेवाएं एवं तकनीकी सहायता यथासम्भव प्रभावशाली ढंग से उचित समय में और ठीक स्थान पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही, कृषि-विभाग को खंड-स्तर पर आपूर्ति, प्रशिक्षित कर्मचारियों और

अन्य आवश्यक साधनों को सामुदायिक विकास-संगठन के हवाले कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि गाव के सभी परिवार, विशेषत कृषि-कार्य में लगे लोग, ग्राम-सहकारी समितियों और पचायतो के द्वारा कृषि-प्रयत्नो में सम्मिलित हो और गाव की उत्पादन-योजनाओं के द्वारा अधिक वडे परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हों। दूसरी योजना मे जो अनुभव प्राप्त हुए है, उनको देखते हुए इन अनिवार्य शर्तों पर जितना भी बल दिया जाए, कम ही होगा। चूकि तीसरी योजना मे देश को अधिक वडे काम करने हैं, इसलिए इस बात की अविलम्ब आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर और राज्यो तथा केन्द्र मे उच्च स्तर पर कृषि-कार्यक्रमों के सगठन में सुधार किया जाए।

7. तीसरी योजना में कृषि-उत्पादन-कार्यक्रमो के लिए, जिनमें छोटी और बडी सिंचाई-योजनाए, मिट्टी-सरक्षण और सहकारिता भी शामिल है, व्यय के लिए लगभग 1,280 करोड रु० की व्यवस्था है, जब कि दूसरी योजना में यह राशि लगभग 667 करोड रु० थी।

तालिका-सख्या 3

कृषि-उत्पादन पर व्यय-व्यवस्था

(करोड रु०)

	दूसरी योजना	तीसरी योजना
कृषि-उत्पादन	98 1	226 07
छोटी सिंचाई-योजनाए	94 94	176 76
मिट्टी-सरक्षण	17 61	72 73
सहकारिता	33 83	80 1
सामुदायिक विकास (कृषि-कार्यक्रम)	50	126
वडी और मध्यम सिंचाई-योजनाए	372 17	599 34
योग	666 65	1,281

तीसरी योजना में उपलब्ध साधनों के अतिरिक्त सहकारी अभिकरणों के द्वारा प्राप्त होनेवाले वित्त की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि होगी। तीसरी योजना के अन्त तक अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋणों की राशि के 200 करोड रु० से बढ कर 530 करोड रु० और दीर्घकालीन ऋणों के खातो की बकाया राशि के, जो दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 34 करोड रु० थी, 150 करोड रु० हो जाने की आशा है।

8 तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा मे कृषि के जो कार्यक्रम और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे राज्य-सरकारो और केन्द्र के सम्बद्ध मन्त्रालयों द्वारा किए गए प्रारम्भिक अध्ययनों पर आधारित थे। उनका उद्देश्य यह था कि जिलों, खंडों और ग्रामों में स्थानीय स्थितियों और सम्भावनाओं के प्रकाश में विस्तृत कृषि-कार्यक्रमों के निर्माण के लिए एक आधार बन सके। यह सुझाव दिया गया कि स्थानीय जनता का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से और विशेष रूप से स्थानीय जनशक्ति-साधनों के पूर्ण उपयोग के लिए कृषि, छोटी सिंचाई, मिट्टी-सरक्षण और सहकारिता के विकास से सम्बद्ध कार्यक्रम जिला और खंड की योजनाओं के माध्यम से बनने चाहिए। इसके [illegible] राज्यों में इस प्रकार [illegible]

योजनाएं तैयार करने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही, यह भी देखा गया है कि राज्य-योजनाओं की व्यापक परिसीमा और लक्ष्यों का निश्चय हो जाने के बाद स्थानीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण बड़ा सुगम हो जाता है। यद्यपि लक्ष्यों को प्रस्तुत करने और कार्यक्रमों को बनाने में राज्य-सरकारों ने जिला और खंड की कृषि-योजनाओं के निर्माण-क्रम में प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाया है, तथापि उत्पादन के कार्यक्रम और अनुमान, जो अब राज्यों की योजनाओं के अंग बन गए हैं, वस्तुतः राज्य-स्तर पर सम्बद्ध विभागों के अध्ययनों के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। उनके प्रस्तावों पर राज्यों, योजना-आयोग और केन्द्रीय मन्त्रालयों के बीच विचार-विमर्श की दो शृंखलाओं में विचार किया गया। इन्हें कुछ विस्तृत रूप में तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। परन्तु विवशताओं के कारण इन्हें क्षेत्रीय योजनाओं पर उतनी दृढ़ता से आधारित नहीं किया जा सका, जितनी आशा की गई थी। अतः राज्यों-द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि पंचवर्षीय कार्यक्रम की सामान्य योजना की परिधि में प्रति वर्ष जिला और खंड-कृषि-योजनाएं बनाने पर निरन्तर बल दिया जाए। जिला, खंड और ग्राम-स्तरीय कृषि-उत्पादन-कार्यक्रमों के बिना व्यापक सहयोग, स्थानीय पहल एवं जिन कामों को करना है, उनकी पूरी समझदारी का भरोसा नहीं किया जा सकता, जब कि ये कृषि-विकास की सफलता के लिए आधारभूत शर्तें हैं।

कृषि-उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम

9. कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तकनीकी कार्यक्रमों को परिधि बना कर सघन ढंग से काम किया जाता है—(1) सिंचाई, (2) मिट्टी-संरक्षण, बारानी खेती और भूमि-पुनरुद्धार, (3) उर्वरकों और खादों की आपूर्ति, (4) बीजों को बढ़ाना और उनका वितरण, (5) पौध-संरक्षण, (6) सुधरे हुए हल, उन्नत कृषि-उपकरण और कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। सभी क्षेत्रों में और विशेषतः सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन विकास-खंडों में इन कार्यक्रमों को इस प्रकार पूरा करने की आवश्यकता होगी कि उनमें स्थानीय जनसमुदाय अधिक-से-अधिक भाग ले सके और ग्राम-उत्पादन-योजनाओं के द्वारा अधिकतम सम्भव परिवारों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही प्रस्ताव है कि 15 जिलों में, जिनमें सिंचाई की व्यवस्था है अथवा निश्चित वर्षा के कारण स्थिति विशेष रूप से अनुकूल है और सहकारी आन्दोलन को अच्छी प्रकार जमा दिया गया है, कृषि-कार्यक्रमों को सामान्य से अधिक जोरदार ढंग से आरम्भ किया जाए। सभी क्षेत्रों में, विशेषतः इन क्षेत्रों में, सभी किसानों तक पहुंचने के लिए और सुधरी हुई पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा।

10. विभिन्न कृषि-विकास-कार्यक्रमों के अधीन मुख्य लक्ष्य संक्षेप में अगली तालिका में दिए गए हैं।

तालिका-संख्या 4

कृषि-कार्यक्रमों के लक्ष्य : तीसरी योजना

कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य
1 सिंचाई		
(अ) बड़ी और मध्यम सिंचाई (कुल)	लाख एकड़	128
(आ) छोटी सिंचाई (कुल)	"	128
(1) कृषि	"	95
(2) सामुदायिक विकास	"	33
योग	"	256
2 मिट्टी-संरक्षण, भूमि-पुनरुद्धार, आदि		
(अ) खेतों में मिट्टी-संरक्षण-कार्य	"	110
(आ) बारानी खेती	"	220
(इ) भूमि-पुनरुद्धार	"	36
(ई) लोनी और क्षारीय भूमि का पुनरुद्धार	"	2
3 सुधरे हुए बीजों के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र-खाद्यान्न	"	1,480
4 रासायनिक उर्वरकों की खपत		
(अ) नत्रजनयुक्त (नत्रजन)	हजार टन	1,000
(आ) फास्फेटयुक्त (पी$_2$ ओ$_5$)	"	400
(इ) पोटासयुक्त (के$_2$ ओ)	"	200
5 कार्बनिक और हरी खादें		
(अ) शहरी खाद	लाख टन	50
(आ) ग्रामीण खाद	"	1,500
(इ) हरी खाद	लाख एकड़	410
6 पौध-संरक्षण	"	500

राज्यों से अलग-अलग परामर्श करके कृषि-विकास के जो लक्ष्य स्वीकार किए गए हैं, उन्हें इस अध्याय के प्रथम अनुबन्ध में दिया गया है।

छोटी सिंचाई-योजनाएं

11 तीसरी योजना की अवधि में सिंचाई-योजनाओं से सिंचित कुल क्षेत्र अनुमानत 2 करोड़ 56 लाख एकड़ होगा। इसमें से 1 करोड़ 28 लाख एकड़ क्षेत्र बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं-द्वारा तथा लगभग इतना ही क्षेत्र छोटी सिंचाई-योजनाओं-द्वारा सींचा जाएगा। जिन छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन वित्त की व्यवस्था होगी, उनसे लगभग 33 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी तथा शेष की व्यवस्था कृषि-कार्यक्रम से होगी।

भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में सन् 1957-58 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि जो सिंचाई-कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए

उनमे प्रथम दो योजनाओं में सिंचाई के क्षेत्र में वस्तुत कुल कितनी वृद्धि हुई। छोटी सिंचाई के कार्यक्रमों में अनेक योजनाएं सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ वर्तमान सिंचाई-व्यवस्था को सुदृढ करती है, अथवा वर्तमान सिंचाई-व्यवस्था में सुधार करती है—जैसे, नालियों और तटबन्धों का निर्माण, अत इनमें सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक नहीं होती। फिर, उन छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए जो 'टूट-फूट' के कारण काम में नहीं आती या जिनका स्थान बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं के अधीन होनेवाली सिंचाई ने ले लिया है, कुछ छूट दी जानी चाहिए। प्रारम्भिक रूपरेखा में यह अनुमान लगाया गया था कि दूसरी योजना के अन्त में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 7 करोड़ एकड़ होगा तथा तीसरी योजना के अन्त में बढ कर 9 करोड़ एकड़ हो जाएगा। हाल में जो अनुमान लगाए गए हैं, उनमें ये संख्याएं कुछ कम ठहरती हैं, परन्तु जो आंकडे उपलब्ध है, वे भी सन्तोषजनक नहीं हैं। बड़ी और छोटी सिंचाई-योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों और तीन वर्ष के व्यवधान के बाद भूमि के प्रयोग के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकडों में बहुत असमानता पाई जाती है। अत यह प्रस्ताव किया गया है कि इन असमानताओं की विशेष रूप से जांच की जाए।

12 तीसरी योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार छोटी सिंचाई-योजनाओं पर कुल व्यय लगभग 250 करोड़ रु० होने की आशा है। सहकारी अभिकरणों-द्वारा उपलब्ध की जानेवाली राशि इसके अतिरिक्त होगी। इस प्रकार तीसरी योजना में छोटी सिंचाई-योजनाओं पर अधिक पूंजी-विनियोग किया जाएगा। छोटी सिंचाई-योजनाओं के मुख्य लाभ ये हैं इन्हें जल्दी पूरा किया जा सकता है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा इनकी पूर्ति और इनसे होनेवाले लाभों के बीच समय का बहुत कम अन्तर होता है। एक बात यह भी है कि व्यक्तियों या कुछ समूहों-द्वारा भी इनके लिए पहल की जा सकती है और इनमें समुदाय-द्वारा भाग लिए जाने का पूरा अवसर रहता है। फिर भी, यह देखा गया है कि छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों का झुकाव सरकार-द्वारा संचालित छोटे पैमाने के सिंचाई-कार्यों का रूप ग्रहण करने की ओर है और इनमें स्वैच्छिक श्रम तथा जनता का योगदान नाममात्र को रह जाता है। यह अत्यधिक महत्त्व की बात है कि सभी राज्यों में अधिकाश रूप से छोटे सिंचाई-कार्यों को अनिवार्यत सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में किया जाए तथा इसके लिए स्थानीय धन और श्रम के योग पर विशेष रूप से बल दिया जाए। छोटी सिंचाई-योजनाओं का स्वरूप जब बड़ा हो जाता है, तब इनके लिए संगठन, जांच और प्रयोग की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, जो कि कुछ दृष्टियों से सिंचाई के बड़े कार्यक्रमों में पैदा होनेवाली समस्याओं से भी अधिक कठिन होती हैं। छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों के प्राथमिक चरण में सादे ढंग के कामों को हाथ में लिया जा सकता है और इनके लिए सदा व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती। प्रारम्भिक अध्ययनों से यह प्रकट हुआ है कि छोटे सिंचाई-कार्यों के विकास की सम्भावनाओं को 7 करोड़ 50 लाख एकड़ क्षेत्र के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस सम्भावना की पूर्ति के लिए विभिन्न नदी-घाटियों के लिए प्रत्येक राज्य में व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण और जांच का काम आरम्भ किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में जांच करनेवाले दलों में कर्मचारियों की संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए। इस समय कुछ ही क्षेत्रों में ऐसी छोटी सिंचाई-परियोजनाएं हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए काफी पहले से तैयार कर लिया गया है।

13 पहली और दूसरी योजना की अवधि में प्राप्त हुए अनुभवों से कुछ ऐसी दिशाएं

प्रकाश में आई है, जिनमें कृषि-उत्पादन में वृद्धि या समुचित वित्तीय प्राप्ति के रूप में पूरे लाभ हस्तगत करने के लिए छोटे सिचाई-कार्यक्रमो की कार्यान्विति सुधारी जानी चाहिए। इन सुधारो का सम्बन्ध अच्छे रख-रखाव, फसल के उचित तरीको को अपनाने, पानी के बेहतर उपयोग और अच्छी व्यवस्था, तथा कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने से है। योजना की परियोजनाओ से सम्बद्ध समिति की जाच तथा अन्य अध्ययनो से यह पता चलता है कि छोटे सिंचाई-कार्यो के रख-रखाव की वर्तमान व्यवस्था को राज्य-सरकारो तथा स्थानीय समुदायो-द्वारा अधिक सुदृढ करने की आवश्यकता है, ताकि 'टूट-फूट' से होनेवाली हानियो को, जो आजकल बडे चिन्ताजनक रूप से बढ रही है, कम किया जा सके। इस समय जो छोटे सिंचाई-कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में है, उनका एक बडा भाग ऐसा है, जिसके रख-रखाव का दायित्व राज्य-सरकारो को ग्रहण करना चाहिए। अत यह आवश्यक है कि छोटे सिंचाई-कार्यो के तकनीकी और प्रशासनिक सगठन को सुदृढ किया जाए और इस बात की निश्चित व्यवस्था की जाए कि नियमित रूप से इनका निरीक्षण और अधीक्षण होता रहेगा।

यह भी आवश्यक है कि कानून के द्वारा स्थानीय समुदायो पर और सिंचाई-योजनाओ से लाभ उठानेवालो पर कुछ उत्तरदायित्व सौंपे जाए। भारत के अधिकाश भागों में खेतो की नालियो के रख-रखाव के उत्तरदायित्व की बात पुराने समय से चली आ रही है तथा राजस्व-सम्बन्धी अभिलेखो में भी यह बात अकित है। इन परम्परागत कर्त्तव्यो के प्रति अब प्राय. उपेक्षा का भाव आ गया है, अत कानून के द्वारा इन्हें अधिक निश्चित करने की आवश्यकता है। कुछ राज्यो में इस प्रकार के कानून बना भी दिए हैं। जो मुख्य कर्त्तव्य किए जाने चाहिए, वे है—खेतो की नालियो का निर्माण और उनका रख-रखाव, बाधो और तालाबो का रख-रखाव, तथा तालाबो की तलछट साफ करना, बशर्ते कि काम इतने बडे पैमाने का न हो कि उसे सरकार को ही हाथ में लेना पडे। यह भी सुझाया गया है कि पचायतो को ऐसे कानूनी अधिकार दिए जाने चाहिए कि वे लाभ उठानेवालो को इन कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकें। यदि ये लोग समय पर काम को पूरा करने में असफल रहें, तो पचायत को स्वय यह काम करना चाहिए तथा इसका खर्च लाभ उठानेवालो से वसूल करना चाहिए। यदि ग्राम-पचायत भी यह काम न कर सके, तो सरकार या उसकी ओर से विकास-खड की पचायत-समिति इस कार्य को पूरा करने की व्यवस्था करे और जो खर्च हो, उसे लाभ उठानेवालो से वसूल करे।

14 निर्माण-कार्यों की पूर्ति और उनसे होनेवाले लाभो की प्राप्ति के बीच समय का जो अन्तर आता है, उसको कम करने की समस्या न केवल बडे सिंचाई-कार्यक्रमो के लिए है, अपितु छोटे सिंचाई-कार्यो के लिए भी उतने ही बडे रूप में है। व्यापक रूप से फैले होने के कारण छोटे निर्माण-कार्यों का यह तकाजा है कि विस्तार-अभिकरण उन पर अधिक ध्यान दें। अभी हाल में कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन ने छोटी सिंचाई की समस्याओ का जो क्षेत्रीय अध्ययन किया, उससे यह प्रकट हुआ कि छोटी सिंचाई के क्षेत्र में भी उपलब्ध सुविधाओ का लाभ न उठाया जाना एक बहुत बडी और गम्भीर समस्या है और प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सिंचाई-कार्यों का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में सिंचाई के लिए कृषि-सम्बन्धी कार्रवाइयो की एक शृखला अपनाना आवश्यक है, जिसमें नए ढग की खेती अपनाना, भूमि-विकास, मिट्टी और जल-सरक्षण तथा अन्य सुधरे हुए कृषि के

तरीके भी शामिल हैं। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि कृषि-विस्तार-कर्मचारी इन बातों पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करें ताकि सिंचाई से प्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकें। जो तरीके अपनाए जाने हैं, वे सर्वविदित हैं, तथा मुख्य प्रश्न अग्रिम आयोजन और ऊपर बताए गए कार्यों की ओर निरन्तर ध्यान देने का है।

15 छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कुछ हद तक इसलिए क्षति पहुंची कि अपने तकनीकी ज्ञान को विभिन्न प्रकार के निर्माण-कार्यों में लगा सकनेवाले अनुभवी कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सके। इस स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार हुआ है। फिर भी, तीसरी योजना में जिस विशाल कार्यक्रम को पूरा करना है, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि अब राज्यों में एक उपयुक्त तकनीकी सेवा-वर्ग का निर्माण किया जाए। यदि बड़े पैमाने पर ग्राम-निर्माण के कार्यक्रम को, जो कि विशेष रूप से कृषि-विकास के लिए है, सफलतापूर्वक संगठित करना है, तो यह और भी महत्त्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, देश के कुछ भागों में छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों के अवसर गांवों में बिजली लगने के कारण अपने-आप बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी योजना की अवधि में छोटे सिंचाई-कार्यक्रमों को कुछ हद तक आवश्यक भूमि की प्राप्ति में आनेवाली कठिनाइयों, कार्य-संचालन कर रहे कर्मचारियों को प्राप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों की अपर्याप्तता तथा निर्माण-काल से काफी पहले कामों की स्वीकृति न मिलने के कारण क्षति पहुंची।

16 प्रशासनिक ढंग की भी कुछ समस्याएं हैं, जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि और सामुदायिक विकास, दोनों के अधीन छोटी सिंचाई-योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करके एक ही बात दो-दो बार करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि छोटी सिंचाई-योजनाओं की—चाहे वे कृषि के अधीन हों या सामुदायिक विकास के अधीन—वित्तीय व्यवस्थाओं को खंड-स्तर पर एकत्र कर लिया जाए तथा सम्बद्ध क्षेत्र के अधिकतम लाभ के लिए उनका प्रयोग किया जाए। यह सोचा गया है कि छोटे सिंचाई-कार्यों के लिए व्यक्तिगत सहायता यथासम्भव सहकारी अभिकरणों, तकावी ऋणों और कृषि-विभागों से आनी चाहिए। सामुदायिक विकास-खंड के बजट की व्यवस्थाओं में ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनसे संयुक्त रूप से बहुत-सारे लोगों को लाभ पहुंचता हो। इन कार्यक्रमों को ग्राम-पंचायतों या सहकारी समूहों-द्वारा पूरा किया जा सकता है।

17 पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई में तथा कृषि-विकास के अन्य क्षेत्रों में नए क्रिया-कलापों को प्रोत्साहन देने के एक तरीके के रूप में विभिन्न प्रकार के सहायता-अनुदान दिए गए। सामान्य नीति यह होनी चाहिए कि इन सहायता-अनुदानों को क्रमश: कम किया जाए और जहां कहीं सम्भव हो, इन्हें पूर्णत: समाप्त कर दिया जाए। ऐसे सहायता-अनुदानों का कुछ औचित्य हो सकता है, जिनका उद्देश्य समाज के निर्धन-वर्ग को लाभ पहुंचाना अथवा कुछ समय तक ऐसे नए आविष्कारों और उन्नत प्रणालियों को समर्थन प्रदान करना हो, जिन्हें अब तक अपनाया नहीं गया है। सहायता-अनुदान की वर्तमान योजनाओं पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए और इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करनेवाले अन्य उपायों की परीक्षा करने के बाद सहायता-अनुदान कम करने और जहां तक सम्भव हो, समाप्त करने के लिए क्रमिक कार्यक्रम बनाए जाएं।

81 तीसरी योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने छोटी सिंचाई के क्षेत्र में दो नई

योजनाओं का सूत्रपात किया है। प्रायोगिक अनुसन्धान का एक कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा, जिसमें छोटे सिंचाई-कार्यों को कार्यान्वित करने में आनेवाली समस्याओं का इस दृष्टि से अध्ययन किया जाएगा कि निर्माण-कार्य में होनेवाले व्यय में किस प्रकार मितव्ययिता की जा सकती है, सिंचाई-कार्यों का किस तरह सुचारु रूप से सचालन किया जा सकता है और खेतो में पहुचनेवाले पानी का किस तरह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद प्रयोग किया जा सकता है। कृषि-स्नातको को सिंचाई के पानी के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण देने की एक योजना भी तैयार की गई है। इन योजनाओं को केन्द्रीय और राज्यीय सगठनो के अभिकरणों-द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

19 देश के कुछ हिस्सो में, विशेषत पजाब और उत्तर प्रदेश में, वर्षा या बाढ का पानी इकट्ठा होने की समस्या बडी गम्भीर हो गई है। पानी में डूबे हुए क्षेत्रो के पुनरुद्धार और स्थिति को अधिक बिगडने से रोकने के लिए कृषि-कार्यक्रम में पानी के ऊपर से बह कर निकल जाने की व्यवस्था में सुधार करने और उथले नलकूप लगाने की योजनाए हैं।

20 अनेक क्षेत्रो के लिए परीक्षणात्मक नलकूप खोदने का व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्च 1961 तक 379 कुओं के लिए खुदाई की गई, जिनमें से 195 सफल रहे। इन सफल नलकूपो को सम्बद्ध राज्य-सरकारें अपने हाथ मे ले रही हैं। यदि आकडे और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाए, तो अनुकूल क्षेत्रो में निजी और सहकारी नलकूपों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

21 **मिट्टी-संरक्षण, बारानी खेती और भूमि-पुनरुद्धार :** तीसरी योजना में मिट्टी-संरक्षण और बारानी खेती पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमो पर मिट्टी-सरक्षण-विषयक अध्याय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। फिर भी, यहा भूमि-पुनरुद्धार के बारे में कुछ कहा जा सकता है। इस समय एक तकनीकी समिति राज्य-सरकारो के सहयोग से परती भूमि के बडे खडो का सर्वेक्षण कर रही है तथा उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रही है। समिति ने सात राज्यो में 'बेकार भूमि के अतिरिक्त गैर-आबाद भूमि' और 'चालू बेकार भूमि के अतिरिक्त बेकार भूमि' के रूप में वर्गीकृत भूमि का सर्वेक्षण-कार्य पूरा कर लिया है। इसमें से लगभग 10 लाख एकड भूमि को, जो 250 एकड या इससे अधिक के खडो में है तथा जो सुधार और पुनर्वास के लिए उपलब्ध है, निर्दिष्ट कर दिया गया है। इन भूमि-खडों के पुनरुद्धार की योजनाए तैयार करनी पड़ेंगी। 36 लाख एकड भूमि के पुनरुद्धार का जो लक्ष्य निश्चित किया गया है, उसमें राजस्थान की लगभग 20 लाख एकड भूमि तथा तकनीकी समिति-द्वारा सिफारिश की गई कुछ अन्य भूमि भी सम्मिलित है। मशीनों-द्वारा भूमि-पुनरुद्धार-अभियान के लिए ट्रैक्टरो के सचालन, रख-रखाव और मरम्मत करनेवाले प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकता होगी। इस समय बुदनी (मध्य प्रदेश) में जो ट्रैक्टर-प्रशिक्षण-केन्द्र है, तीसरी योजना में उसके अतिरिक्त एक नया केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। बुदनी-स्थित केन्द्र का भी विस्तार किया जाएगा।

22 **उर्वरक और खाद ·** तीसरी योजना की अवधि में उर्वरको की आपूर्ति अगले पृष्ठ पर दी गई अस्थायी परिसूची के अनुसार बढाने का प्रस्ताव है।

(हज़ार टन)

वर्ष		नत्रजनयुक्त उर्वरक (नत्रजन)	फास्फेटयुक्त उर्वरक (पी$_2$ ओ$_5$)	पोटासयुक्त उर्वरक (के$_2$ ओ)
1960-61	.	230	70	85
1961-62	..	400	100	82
1962-63	.	525	150	100
1963-64		650	225	130
1964-65	..	800	300	160
1965-66	..	1,000	400	200

स्वदेशी उत्पादन और उर्वरको तथा आवश्यक कच्ची सामग्रियो के आयात के कार्यक्रम उपर्युक्त अनुमानो पर ही आधारित हैं ।

23 यद्यपि उर्वरको की माग में बडी तेजी से वृद्धि हुई है और हाल के वर्षों में किसानो की कुल आवश्यकताओ को पूरा करना सम्भव नही हो सका है। तथापि प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह तीसरी योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार कुशल वितरण और बढी हुई आपूर्ति के प्रयोग की समुचित व्यवस्था करे। इस सम्बन्ध में उर्वरक-वितरण-जाच-समिति की सिफारिशो का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें मिश्रण के रूप में उर्वरको के प्रयोग पर इस दृष्टि से बल दिया गया है कि सन्तुलित उर्वरकीकरण में वृद्धि हो और नत्रजनयुक्त उर्वरको की आपूर्ति का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। समिति ने वितरण-व्यवस्था में सुधार करने, किस्म पर अधिक ध्यान देने और वितरण के खर्च में कमी करने पर भी बल दिया है। समिति के सुझाव के अनुसार, रासायनिक उर्वरको के बढे हुए वितरण, उनके भाडारण और बिक्री में वृद्धि आदि से उत्पन्न समस्याओ को प्रभावशाली ढग से हल करने के लिए तीसरी योजना की अवधि में एक केन्द्रीय उर्वरक-हाट-व्यवस्था-निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव है। सयुक्त राष्ट्रीय उर्वरक-आयोग ने, जिसने हाल में ही उर्वरको की समस्या का अध्ययन किया है, इस आवश्यकता पर बल दिया है कि विभिन्न परिस्थितियो में आवश्यक उर्वरको की मात्रा और प्रकार का निश्चय करने के लिए छोटे किसानो के सहयोग से व्यापक रूप से मिट्टी-परीक्षा की जाए और उर्वरको के प्रयोग के बारे में निरन्तर अनुसन्धान किया जाए। छोटे किसानो को उर्वरको के प्रयोग के लिए ऋण देना भी विशेष महत्त्व रखता है। राज्यो-द्वारा निर्मित कार्यक्रमो को मूर्त रूप देते समय इन बातो को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

24 कुछ दिशाओ में प्रगति के बावजूद समग्र रूप में खाद के स्थानीय साधनो—विशेषत कार्बनिक खाद के साधनो—के विकास-सम्बन्धी विस्तार-कार्य पर अब तक पर्याप्त बल नही दिया जा रहा है। तीसरी योजना के लिए राज्यो ने जो लक्ष्य स्वीकार किए है, उनमें 50 लाख टन शहरी खाद, 15 करोड टन ग्रामीण खाद और 4 करोड 10 लाख एकड क्षेत्र में हरी खाद के प्रयोग की व्यवस्था है। दूसरी योजना के अन्त में यह क्षेत्र लगभग 1 करोड 20 लाख एकड था। शहरी खाद-कार्यक्रम के सिवाय,

जो नगरपालिकाओ और बडी ग्राम-पचायतो-द्वारा सगठित है, अन्य लक्ष्यो की पूर्णता का आकलन कर सकना वडा कठिन है। आशा की जाती है कि खड और ग्राम-स्तरो पर सघन कार्य करके हरी खाद और ग्रामीण खाद के लक्ष्यो में और भी सुधार किया जा सकेगा। मल-मूत्र के प्रयोग पर भी अधिकाधिक बल देने का प्रस्ताव है। जिस एक अन्य दिशा में पर्याप्त प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है, वह है मल-मूत्र की खाद का उत्पादन। इस कार्य को अनेक स्थानो पर प्रायोगिक रूप से हाथ में लिया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि इससे जो अनुभव प्राप्त हो, उनका अध्ययन एक बडा और व्यापक विकास-कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से किया जाए।

25 गावो में प्रयोग के लिए गोबर की गैस और खाद के सयन्त्र के विकास में कुछ प्रगति हुई है। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-सस्था ने गैस-सयन्त्र का एक नमूना तैयार किया है, जिसका दिल्ली के पास के तथा कुछ अन्य गावो में प्रयोग किया जा रहा है। इस गैस-सयन्त्र का मूल्य 400 से 450 रु० तक है। यह बात इसके व्यापक प्रयोग के मार्ग में बाधा-स्वरूप है। गैस-सयन्त्र के व्यापक प्रयोग से भूमि की उर्वरता और फसल-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ ईंधन की समस्या के समाधान में भी बडी सहायता मिलेगी।

26 उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरक के ठीक प्रयोग का निश्चय करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मिट्टी की परीक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा। हाल के वर्षों में अनेक प्रयोगशालाए खोली गई है तथा भारतीय कृषि-अनुसन्धान-सस्था उनके अध्ययन का समन्वय करती है। मिट्टियों के सम्बन्ध में आकडे एकत्र करने, मिट्टी-विज्ञान और मिट्टी-रचना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने तथा आधारभूत और प्रायोगिक मिट्टी-अनुसन्धान का काम हाथ में लेने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया है कि एक केन्द्रीय भूमि-तत्व और मिट्टी-रचना-विद्या-सस्थान की स्थापना की जाए।

27 **बीज-बहुगुणन और वितरण:** दूसरी योजना में जो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिए गए थे, उनमें से एक सुधरी हुई किस्म के आधारभूत बीजो की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए सभी विकास-खडो में बीज-फार्मों की स्थापना भी था। कुल मिला कर 4,000 बीज-फार्म स्थापित किए जा चुके है, तथा तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में 800 फार्म और स्थापित किए जाएगे। स्थापित फार्मों में से अधिकाश ने दूसरी योजना के अन्त तक पजीकृत उत्पादको-द्वारा बहुगुणन के लिए बीज उपलब्ध करना शुरू कर दिया था। इस कार्यक्रम के लाभ बडे पैमाने पर प्राप्त करने में अभी दो-तीन वर्ष और लग सकते है। यद्यपि प्रारम्भ में एक बीज-फार्म के लिए औसत रूप से 25 एकड के क्षेत्र का सकेत दिया गया था, तथापि अधिकाश बीज-फार्म आकार में इससे बडे ही है। बडे फार्मो में आवश्यक योग्यता के तकनीकी कर्मचारियो की व्यवस्था करना और आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभ के आधार पर उत्पादन करना सुगम होता है। इन बातो पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेप रूप मे उन बीज-फार्मो के सन्दर्भ में, जिनकी अभी स्थापना की जानी है और जो अस्थायी रूप से पट्टे की भूमि पर स्थापित किए गए थे। प्रत्येक बीज-फार्म के साथ एक बीज-भाडार की व्यवस्था है। अच्छे वितरण की व्यवस्था के उद्देश्य से तीसरी योजना में राज्यो ने सामान्य रूप से प्रत्येक विकास-खड में एक अतिरिक्त बीज-भाडार की स्थापना की

व्यवस्था की है। दूसरी योजना के अन्त में सुधरे हुए बीजो से की गई खाद्यान्नों की खेती का क्षेत्र अनुमानत 5 करोड 50 लाख एकड था। तीसरी योजना की अवधि में इसके बढ कर 14 करोड 80 लाख एकड हो जाने की आशा है। एक ओर जहा बीजो की सुधरी हुई किस्मो को बढाने में पंजीकृत उत्पादको का बडा महत्त्वपूर्ण हाथ है, वही दूसरी ओर खड और ग्राम की कृषि-योजनाए बनाते समय लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक गाव यथासम्भव सहकारिता के आधार पर, परन्तु साथ ही अच्छे किसानो का लाभ उठाते हुए, अपनी आवश्यकता-भर सुधरे हुए बीज स्वय ही पैदा कर ले। कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन ने मौके पर जाकर सुधरे हुए बीजो के बहुगुणन और वितरण के कार्यक्रमो का जो अध्ययन किया था, उसमे वर्तमान व्यवस्था तथा बीज-फार्मों की कार्य-प्रणाली में अनेक कमजोरिया प्रकट हुई है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-सरकारें अपनी तीसरी योजना के प्रस्तावो पर इन परिणामों के प्रकाश में पुनर्विचार करें।

28 विगत कुछ वर्षो में मिश्र जाति की मकई की उपज अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अनुसन्धान-कार्य किया गया है और यह देखा गया कि नत्रजनयुक्त उर्वरक के अल्प मात्रा में प्रयोग से ही मिश्र जाति की मकई की उपज स्थानीय किस्मों की तुलना में दुगुनी हो गई। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि मिश्र जाति की मकई की खेती देशव्यापी स्तर पर आरम्भ की जाए। इसके लिए प्रथम कदम-स्वरूप तीसरी योजना की अवधि में मकई की खेती के कुल क्षेत्र के 25 प्रतिशत भाग में मिश्र जाति की मकई की खेती की जाएगी। यह भी इरादा है कि मिश्र जाति के ज्वार के बीज का भी उत्पादन प्रारम्भ किया जाए। खाद्य और कृषि-मन्त्रालय, चुने हुए फार्मो में कुशल प्रबन्ध की परिस्थितियो में उत्पादन के विनिश्चय, शुद्धता बनाए रखने और अधिकतम उपज के उद्देश्य से शीघ्र ही एक बीज-निगम स्थापित करने का विचार रखता है। आधारभूत बीज के उत्पादन के लिए एक सगठन स्थापित किया जानेवाला है और इस बात पर बल दिया गया है कि सहकारी समितिया तथा अन्य उपयुक्त संगठन — जहा आवश्यक हो, वहा व्यक्तिगत रूप से लोग भी—प्रमाणित बीज-अभिकरणो के रूप में काम करें। बीजो की किस्म पर नियन्त्रण रखने और उनके उत्पादन, हाट-व्यवस्था तथा मेल-मिलाव को नियमित करने के लिए कानून बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

29 पौध-संरक्षण: गत दशाब्दी में पौध-सरक्षण से सम्बद्ध कार्य कृषि-कार्यक्रम के अन्य अनेक पहलुओ की तुलना में पिछडे रहे। दूसरी योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 करोड 60 लाख एकड क्षेत्र था। तीसरी योजना के लिए राज्यों ने 5 करोड एकड के लक्ष्य का सकेत दिया है। कीडो, कुतरनेवाले जानवरों और खेती को नष्ट करनेवाले अन्य प्राणियो से तथा बीमारियो, घास-पात, और पौधो को न बढने देनेवाले अन्य निरुपयोगी पौधो से फसलो को कितनी हानि पहुचती है, इसका निश्चित अनुमान लगा सकना कठिन है, परन्तु इसमें सन्देह नही कि यह परिमाण विशाल ही होता है। इसी प्रकार, भडारो में रखे जाने के बाद कीडो, चूहे-चुहियों, आदि-द्वारा नुकसान पहुचाए जाने के बाद खाद्यान्नो एव अन्य कृषिजन्य वस्तुओं के मामले में काफी हानि उठानी पडती है। ऐसी हानियों को बहुत अश तक रोका जा सकता है, यदि पौध-सरक्षण-

सम्बन्धी कार्य कृषि-कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त रूप से किए जाए। अनेक राज्यो के पौध-संरक्षण-संगठनो को विभिन्न स्तरो पर सुदृढ करने की आवश्यकता है। विशेष दलो के अतिरिक्त, जो बडे क्षेत्रो में काम कर सकते हैं, अधिकतम विस्तार-परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हाथ से संचालित होनेवाले छिडकने और फेंकने के उपकरण ग्राम-पंचायतो को बडे पैमाने पर दिए जाए। इनके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कीडो को नष्ट करनेवाली औषधिया समय पर उपलब्ध करने की व्यवस्था हो।

30 उन्नत किस्म के कृषि-उपकरण : पहली और दूसरी योजना में जो कृषि-कार्यक्रम हाथ में लिए गए, उनमें उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणो के सम्बन्ध में एक गम्भीर कमी रह गई। अच्छी किस्म के हलो में वैज्ञानिक कृषि करने और फसल काटने के तरीको का महत्त्व सामान्यत सभी स्वीकार करते हैं, परन्तु इस दिशा में विशिष्ट कार्रवाई मन्द और अपर्याप्त रही। जैसा कि बताया जा चुका है, उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणो के प्रयोग-सम्बन्धी प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि कुछ अन्य दिशाओ में भी कदम उठाए जाए।

31 तीसरी योजना में उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणो को अपनाने-सम्बन्धी कार्यक्रम की मुख्य बातें संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(1) कृषि-उपकरणो के लिए आवश्यक किस्म के लोहे और इस्पात की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में वस्तुत कार्यान्वित किए जानेवाले कार्यक्रमो के आधार पर प्रति वर्ष पहले से ही आवश्यकताओ का एक निश्चित अनुमान लगा लेना चाहिए। उपकरणो के निर्माण की आवश्यकताओ का अनुमान मरम्मत और रख-रखाव के अनुमान से अलग लगाया जाना चाहिए। कृषि-प्रयोजनो के लिए लोहे और इस्पात की आपूर्ति राज्यो के कृषि-विभागो को सौंपना लाभप्रद होगा।

(2) विशेषज्ञ-दलो ने उन कृषि-उपकरणो का अस्थायी रूप से चुनाव कर लिया है, जिन्हें प्रत्येक राज्य में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। इन सुझावो पर राज्य-सरकारो-द्वारा विचार किया जाना चाहिए और उत्पादन, वितरण आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखकर अन्तिम चुनाव किया जाना चाहिए।

(3) भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ने दूसरी योजना की अवधि में अपने कार्य के एक अंग के रूप में उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणो के सम्बन्ध में अनुसन्धान, और परीक्षण करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए चार क्षेत्रीय केन्द्र खोले हैं। इन्हें सम्बद्ध राज्यो को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। प्रस्ताव है कि प्रत्येक राज्य में उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणो के अनुसन्धान, परीक्षण और प्रशिक्षण-केन्द्रो को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे व्यावसायिक स्तर पर निर्माण-कार्य कर सकें, परन्तु मुख्यत उन्हें अपना ध्यान सुधरे हुए प्रोटोटाइपो, बाजार में न मिलनेवाले उपकरणो और ऐसे विशेष किस्म के पुर्जो के उत्पादन

में केन्द्रित करना चाहिए, जिनका अन्य निर्माताओ-द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। सघन कृषि-जिला-कार्यक्रम के अग के रूप में अनेक जिलो में कर्मशालाए स्थापित की जा रही है। उन्नत किस्म के उपकरणो के तेजी से प्रचार और उत्पादन को जिला और खड-स्तर पर विकास-कार्यक्रम के रूप में हाथ में लेना चाहिए और कृषि-उपकरणो के निर्माण के लिए औद्योगिक सहकारी समितियो को सक्रिय समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।

(4) अपनी परिस्थितियो के अनुसार राज्य-सरकारो को जिला और खड-स्तर पर उन्नत किस्म के कृषि-उपकरणों का प्रदर्शन करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए उचित विस्तार-व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार की इकाइया देश के समस्त विकास-खडो में खड-स्तर पर स्थापित करना सम्भव नही है। इसलिए अनेक छोटी इकाइया स्थापित करने की सम्भावनाओ पर विचार करना बडा लाभप्रद होगा। इसलिए जिला-स्तर पर ऐसी कुछ इकाइया—मान लीजिए 4—स्थापित करने और उन्हें जिला-कृषि-अधिकारी से सम्बद्ध करने की सम्भावनाओ पर विचार किया जाना चाहिए। विकास-खडो में, ये इकाइयां कृषि-विस्तार-अधिकारी और खड-विकास-अधिकारी के निर्देश पर काम कर सकती हैं। ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओ और गाव के कारीगरो को ये इकाइया आवश्यक ज्ञान प्रदान कर सकती है तथा किसानों के लिए उन्नत किस्म के उपकरणो का प्रदर्शन कर सकती हैं। खड के मुख्यालय में प्रदर्शन और किराए पर सुगमता से उपलब्ध करने के लिए उपकरणो का स्टाक रहना चाहिए। इन उपकरणो को खंड के बजट से खरीदा जा सकता है और अतिरिक्त उपकरणो को राज्य के कृषि-विभाग-द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(5) राज्यो के कृषि-विभागो के कृषि-इंजीनियरी-अनुभाग को सुदृढ करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कृषि-प्रशासन-समिति की रिपोर्ट की सिफारिशो को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए राज्यो को जो वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, वह राज्य-कृषि-विभागो की राज्य और जिला-स्तर पर कृषि-इंजीनियरी-सम्बन्धी कर्मचारी-व्यवस्था सुदृढ करने के लिए भी उपलब्ध होगी।

(6) प्रति वर्ष अपनाए जानेवाले कार्यक्रम के आकार के अनुसार सुधरे हुए उपकरणो की आपूर्ति के लिए ऋण की व्यवस्था का भी आश्वासन होना चाहिए। यह ऋण सहकारी अभिकरणों-द्वारा और तकावी ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए। सहकारी विकास के लिए बनाई गई योजनाओ में कृषि-उपकरणो के लिए ऋण देने की पर्याप्त व्यवस्था नही है। इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(7) 25 विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्रो में कृषि-कर्मशालाए स्थापित की गई है। अब प्रस्ताव है कि समस्त विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्रो को कृषि-

कर्मशालाओ से सज्जित कर दिया जाना चाहिए, जिनमें ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओ, मैकेनिको और कारीगरो को प्रशिक्षण की सुविधाए प्राप्त हो।

(8) राज्य-स्तर पर एक समिति या मडल हो सकता है, जिसमें किसानो एव निर्माताओ के तथा कुछ अन्य प्रतिनिधि रहें। इसका काम उत्पादन-कार्यक्रमो के निर्माण, वितरण की उपयुक्त व्यवस्था के उपाय खोजने और कच्ची सामग्रियो की आपूर्ति की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना हो।

कृषि-उपकरण-कार्यक्रम के विस्तार के साथ कृषि-इजीनियरो की आवश्यकता उनसे कही अधिक होगी, जो इस समय की प्रशिक्षण-सुविधाओ के अनुसार उपलब्ध हो सकते हैं। तकनीकी शिक्षा का कार्यक्रम बनाते समय इस पहलू पर ध्यान दिया गया है। तीसरी योजना में कृषि-उपकरण-कार्यक्रम के लिए कुल मिला कर 8 करोड रु० की व्यवस्था है।

32 सघन कृषि-जिला-कार्यक्रम : अधिक सघन प्रयत्नो के लिए कुछ क्षेत्रो के चुनाव की सिफारिश करते हुए फोर्ड-प्रतिष्ठान-द्वारा नियुक्त कृषि-उत्पादन-दल ने यह मत प्रकट किया है कि वर्तमान कम उपज की जिम्मेवारी मिट्टी, अथवा ऋतु-सम्बन्धी या अन्य किसी भौतिक कारण पर नही लादी जा सकती। इसलिए इस दल ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में उन्हीं क्षेत्रो और फसलो का चुनाव किया जाना चाहिए, जिनमें वृद्धि की सम्भावनाए अधिक हों। इस प्रस्ताव के अनुसार ही प्रत्येक राज्य के एक ज़िले में सघन कृषि-ज़िला-कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुने हुए क्षेत्र में कृषि-उत्पादन को तेजी से बढ़ाना और ऐसी नई खोजो और सम्मिश्र तरीको का सुझाव देना है, जो अन्यत्र विशेष महत्त्व के हो सकते हैं। चुने हुए जिलों में इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि उत्पादन-वृद्धि के लिए, आवश्यक समस्त चीजें—यथा, उर्वरक, कृमिनाशक दवाए, सुधरे हुए बीज और परिवहन-उपकरण, आदि जरूरत के अनुसार उपलब्ध किए जाए। इसके साथ ही, बड़े पैमाने पर सम्मिश्र वैज्ञानिक प्रदर्शन भी किए जाएगे। इस बात का भी प्रयत्न किया जाएगा कि ऋण इस रूप में प्रदान किया जाए कि वह सभी किसानो तक पहुच सके—उन्हें भी मिले, जिन्हें अब तक ऋण पाने-योग्य नही समझा गया था। साथ ही, ऋण और हाट-व्यवस्था को सम्बद्ध किया जाएगा। विस्तार-कर्मचारी भी—विशेषत कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मचारी—अन्य क्षेत्रो की तुलना में अधिक सख्या में उपलब्ध कराए जा रहे है, ताकि वे पचायत-समितियों, ग्राम-पचायतो और सहकारी सगठनो के साथ मिल कर सघन रूप से कार्य कर सकें। समय-समय पर स्तर के सर्वेक्षण और व्यवस्थित मूल्याकन के द्वारा इन जिलो में कार्य के उच्च स्तर को स्थापित करने पर पूरा बल दिया जाएगा। सघन विकास के लिए चुने हुए जिलो को प्रत्येक राज्य की कृषि एव अन्य सेवाओ के सामने विस्तार के सुधरे हुए तरीकों के विकास, और ग्राम तथा खड-स्तर पर—साथ ही, व्यक्तिगत किसान के सन्दर्भ में—कृषि-उत्पादन के आयोजन के लिए विशेष अवसर प्रदान करने चाहिए।

तीसरी योजना में उत्पादन के अनुमान

33 जिन विकास-कार्यक्रमों की ऊपर चर्चा की गई है, वे तीसरी योजना के अनिवार्य लक्ष्यों के अंग हैं। फिर भी, विभिन्न प्रयोजनों से इस बात का अनुमान लगाना उपयोगी होगा कि यदि विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर दिया जाए और सोचे गए पैमाने पर खेती के सुधरे हुए तरीकों को काम में लाया जाए, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। यद्यपि हाल के वर्षों में यह प्रयत्न किया गया है कि अतिरिक्त उत्पादन के 'मापदंड' निश्चित परीक्षणात्मक आंकड़ों पर आधारित हों, तथापि जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें निश्चित लक्ष्यों के लिए सन्तोषजनक आधार समझने के बदले एक अस्पष्ट-सा निदेशक-मात्र समझना चाहिए। फिर, कृषि के लिए मौसम-सम्बन्धी स्थितियों का सदा अत्यधिक महत्त्व रहता है। उत्पादन के निम्नलिखित अनुमानों की तुलना करते समय, जिन्हें तीसरी योजना के अन्त तक प्राप्त किया जा सकता है, इन सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तालिका-संख्या 5

तीसरी योजना में उत्पादन के अनुमान

वस्तु	इकाई	आधार-स्तर उत्पादन 1960-61	अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य 1961-66	अनुमानित उत्पादन 1965-66 में	प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान्न	लाख टन	760	240	1,000*	31 6
तेलहन	,,	71	27	98	38
गन्ना (गुड)	,,	80	20	100	25
कपास	लाख गांठें	51	19	70	37 2
पटसन	,,	40	22	62‡	55
नारियल	करोड	450	77.5	527.5	17 2
सुपारी	हजार टन	93	7	100	7.5
काजू	,,	73	77	150	105.5
काली मिर्च	,,	26	1	27	3.9
इलायची	,,	2 26	0 36	2 62	15 9
लाख	,,	50	12	62	24
तम्बाकू	,,	300	25	325	8 3
चाय	करोड पौंड	72.5	17.5	90	24.1
कहुवा	हजार टन	48	32	80	67 7
रबड	,,	26 4	18 6	45	70 5

*अनुमान है कि सन् 1965-66 में चावल का उत्पादन 4 करोड़ 50 लाख टन, गेहूं का 1 करोड़ 50 लाख टन, अन्य अनाजों का 2 करोड़ 30 लाख टन और दालों का 1 करोड़ 70 लाख टन होगा।

‡इसमें मेस्ता सम्मिलित नहीं है, जिसकी तीसरी योजना में 13 लाख अतिरिक्त गांठें उपलब्ध होंगी।

विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों की उत्पादन-वृद्धि का अनुमान इस अध्याय के अनुबन्ध 2 की तालिका-माला में दिया गया है।

34 उत्पादन-वृद्धि के अनुमानों के अनुसार कृषि-उत्पादन का सूचनांक (आधार : 1949-50) सन् 1960-61 के 135 से बढ कर सन् 1965-66 में 176 हो जाएगा। इस 5 वर्ष की अवधि में कुल वृद्धि लगभग 30 प्रतिशत की होगी। ऊपर उत्पादन-वृद्धि का जो परिमाण दिखाया गया है, वह इस मान्यता पर ही सम्भव हो सकता है कि विकास-कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से जनता के व्यापक सहयोग से तथा स्थानीय जनशक्ति एव अन्य साधनों का प्रयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा और प्रत्येक खड में खेती के सुधरे हुए तरीकों को अपनाने के लिए सघन प्रयत्न किए जाएगे। नीचे की तालिका में पौंडो में दूसरी योजना में हुई प्रति एकड औसत उपज की तीसरी योजना की सम्भावित उपज के साथ तुलना की गई है

तालिका-सख्या 6
दूसरी और तीसरी योजना में औसत उत्पादन और प्रति एकड़-उपज

फसल	औसत वार्षिक उत्पादन (लाख टन)		औसत उपज (पौंड : प्रति एकड़)		दूसरी योजना की अपेक्षा तीसरी योजना में प्रतिशत वृद्धि	
	1956-57 से 1960-61	1961-62 से 1965-66	1956-57 से 1960-61	1961-62 से 1965-66	उत्पादन	उपज
खाद्यान्न	709	868	575	670	22 4	16 5
(1) चावल	293	394	807	1,029	34 4	27 5
(2) गेहू	93	121	662	795	30 1	20 1
तेलहन	65	86	451	500	32 3	10 9
गन्ना (गुड)	73	93	3,206	3,788	27 4	18 2
कपास (लाख गाठें)	46	61	95	108	32 [illegible]	13 7
पटसन "	44	51	1,035	1,200	15 9	15 9

उपज में वृद्धि का अधिकांश भाग अनिवार्यत उन क्षेत्रों से प्राप्त करना होगा, जो सिंचाई के अन्तर्गत है या जहा वर्षा निश्चित रूप से होती है, परन्तु अन्य क्षेत्रों में भी मिट्टी-सरक्षण और बारानी खेती-द्वारा उपज में कुछ वृद्धि हो सकती है।

35 तालिका-सख्या 5 में तीसरी योजना के लिए उत्पादन के जो अनुमान दिए गए है, उनसे प्रति व्यक्ति-उपलब्धि में पर्याप्त वृद्धि का सकेत मिलता है। खाद्यान्नों के बारे में प्रति व्यक्ति-उपलब्धि सन् 1960-61 के 16 औंस से बढ कर सन् 1965-66 में प्रति दिन 17 5 औंस हो जाएगी। इसी तरह, वस्त्र की खपत 15 5 गज से बढ कर 17 2 गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो जाएगी। खाद्य तेलों की खपत तीसरी योजना की अवधि में 0 4 औंस से बढ कर 0 5 औंस प्रति दिन हो जाएगी।

36 तीसरी योजना में भूमि-प्रयोग के तरीकों में सम्भावित परिवर्तनों के बारे में जो प्रारम्भिक अनुमान लगाए गए है, उनसे पता चलता है कि बुआईवाला कुल क्षेत्र

लगभग 32 7 करोड एकड से बढ कर 33 5 करोड एकड और एक से अधिक बार बुआईवाला क्षेत्र 5 2 करोड़ एकड से बढकर 6 7 करोड एकड हो जाएगा। बेकार पडे कृषि-योग्य क्षेत्र के 4.7 करोड एकड से घट कर 4 1 करोड एकड हो जाने की आशा है।

कृषि-कार्यक्रम के अन्य पहलू

37 व्यावसायिक फसलें : दूसरी योजना में व्यावसायिक फसलो के उत्पादन के जो लक्ष्य निश्चित किए गए थे, उनकी प्राप्ति में काफी कमी रही—केवल गन्ना अपवाद रहा। इसलिए तीसरी योजना में यह आवश्यक है कि इन फसलो के—विशेषत. कपास, पटसन और तेलहन के—उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किए जाए। छोटी सिंचाई, बीज-फार्म, पौध-संरक्षण, आदि कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जिनसे सभी प्रकार की फसलों को लाभ होता है, विभिन्न व्यावसायिक फसलो के लिए विशेष विकास-कार्यक्रम के अधीन 26 करोड रु० के व्यय की व्यवस्था की गई है। योजना के आगे बढने के साथ-साथ व्यावसायिक फसलो की विशेष विकास-योजना के लिए और अधिक साधन उपलब्ध करना आवश्यक हो सकता है। इन फसलो के लिए उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति की दिशा में विशेष सावधानी बरती जाएगी। यह भी आवश्यक हो सकता है कि रागी के क्षेत्र को व्यावसायिक फसल में बदलने के लिए सुविधा प्रदान की जाए। उद्देश्य केवल उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करना नही है, अपितु उन विभिन्न किस्मो की बडे पैमाने पर आपूर्ति करनी है, जिनकी निर्यात के लिए बडी माग है, या जिनसे आयात में कमी हो सकती है।

38 विभिन्न वस्तु-समितियो-द्वारा अलग-अलग व्यावसायिक फसलो के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए गए है। मुख्यत, इनमें दूसरी योजना की अवधि में अपनाए गए कार्यक्रमों के विस्तार और उन्हें अधिक जोरदार करने की बात कही गई है। इन कार्यक्रमो की कुछ बातो का, जिन पर तीसरी योजना में विशेष बल दिया जा रहा है, यहा सक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है।

यह प्रस्ताव किया गया है कि कपास के, विशेषत लम्बे रेशेवाली कपास के—जैसे, मैसूर और केरल में होनेवाली 'सी-आइसलैंड' कपास तथा गुजरात और महाराष्ट्र की मिश्र जाति की कपास के—उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान किया जाए। तीसरी योजना के अन्त तक 'सी-आइसलैंड' कपास के क्षेत्र को वर्तमान 20 हजार एकड से बढा कर 3 लाख एकड किया जाएगा।

पटसन-विकास के कार्यक्रमो की दिशा में मुख्यत पानी में गलाने के लिए तालाबों तथा उन्नत किस्म के बीजो की व्यवस्था करके किस्म में सुधार करना है। तन्तुदायी अन्य पूरक वस्तुओं—जैसे, मेस्ता, सीसल और रामी, आदि—के विकास पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा।

तेलहन के उत्पादन में वृद्धि तीसरी योजना के गम्भीर लक्ष्यो में से एक है, जो बढी हुई घरेलू माग को पूरा करने और जो शेष बच जाए, उसका निर्यात करने के लिए है। निर्यात के लिए वनस्पति-तेल की उपलब्धि बढाने के लिए प्रस्ताव है कि तीसरी योजना की अवधि में उपलब्ध बिनौलों में कम-से-कम आधे बिनौलो का प्रयोग तेल

निकालने के लिए किया जाए और निष्कासन-यन्त्र से बनी खली के निष्कषण में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। अखाद्य तेलो—यथा महुआ, नीम और धान की भूसी, आदि—के विकास से सम्बद्ध समस्याओ पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा।

खाद्य और कृषि-मन्त्रालय का विचार 'मसाले और काजू-समिति' की स्थापना करने का है, जो अनुसन्धान करेगी और इन फसलो के विकास के लिए पथ-प्रदर्शन करेगी। काजू के विकास-कार्यक्रम में 3 लाख एकड अतिरिक्त क्षेत्र में काजू की खेती करना भी शामिल है।

तम्बाकू के मामले में, मुख्य समस्या ऐसी किस्मो के उत्पादन की है, जिनकी विदेशो में माग है। इसलिए वरजीनिया तथा तम्बाकू की ऐसी ही अन्य किस्मो के सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए शुद्ध बीजो की आपूर्ति, आवश्यक प्रकार के उर्वरको की व्यवस्था, पत्तों की सावधानीपूर्ण साज-सम्भाल और सुखाने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तीसरी योजना की अवधि में उत्पादन को 3 लाख टन से बढा कर 3,25,000 टन करने का इरादा है और यह वृद्धि प्राय सम्पूर्णतः वरजीनिया तम्बाकू के उत्पादन के क्षेत्र में होगी।

39 **चाय, कहवा और रबड़ :** बागानो की फसलो को—विशेषत चाय, कहवा और रबड को—तीसरी योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। योजना में चाय का निर्यात 4,650 लाख पौंड से बढा कर 5,500 लाख पौंड करने तथा कहवा का निर्यात, जो इस समय 3,40,000 हडरवेट है, बढा कर दुगुना करने पर बल दिया गया है। हाल के वर्षों में रबड की खपत बहुत तेजी से बढी है, अभी इस खपत का अनुमान 53,000 टन है। तीसरी योजना के अन्त में रबड की आवश्यकता का अनुमान लगभग 1 लाख टन है। सोचा गया है कि तीसरी योजना की अवधि में प्राकृतिक रबड का उत्पादन 26,000 टन से बढ़ा कर 45,000 टन कर दिया जाए। इसके साथ ही 15,000 टन सशोधित रबड और 50,000 टन कृत्रिम रबड का उत्पादन किया जाए। सभी बागान-फसलो के लिए बडे पैमाने पर उर्वरक उपलब्ध किए जाएगे। पुन बागान लगाने के कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।

40 **बागबानी :** दूसरी योजना की अवधि में फल-उत्पादन के विकास के लिए कई नई योजनाएं लागू की गई। इनमें नए बाग लगाने के लिए और पुरानो के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था और मालियों को प्रशिक्षण की सुविधाए देना भी शामिल है। दूसरी योजना की अवधि में 1,66,000 एकड भूमि में नए बाग लगाए गए, 1,32,000 एकड़ के पुराने बागो को नया रूप दिया गया और 4,000 मालियों को प्रशिक्षित किया गया। इस समय फलो और सब्जियो की खेतीवाले क्षेत्र का अनुमान लगभग 60 लाख एकड़ है। इसके लगभग आधे हिस्से में फल की खेती होती है। तीसरी योजना में फल और सब्जियों के कुल कृषि-क्षेत्र के 70 लाख एकड तक बढने की आशा है। सोचा गया है कि 2,35,000 एकड क्षेत्र में नए बाग लगाए जाए और 2,50,000 एकड क्षेत्र के पुराने बागो को नया रूप दिया जाए। जिन योजनाओ पर पहले से काम हो रहा है, उनको जारी रखने के अतिरिक्त राज्यो की योजनाओं में पौधशालाओ

और उद्यान-बस्तियों के साथ-साथ छोटे उद्यानों की स्थापना करने की भी व्यवस्था है। ये पौधशालाएं विश्वसनीय जाति के और नाम की मार्कावाले पौधे उपलब्ध करने में सहायता करेंगी।

सब्जियों के उत्पादन के विकास के लिए राज्यों की योजनाओं में सुधरे हुए बीजों की आपूर्ति, पौध-संरक्षण के उपायों और तकनीकी परामर्श देने की व्यवस्था है। साग-सब्जियों के बीजों के प्रमाणीकरण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।

फलों और सब्जियों के संरक्षण के विकास के लिए गत वर्षों में फलों और सब्जियों के लिए टीन की चादरों पर सहायता-अनुदान, निर्यात किए जानेवाले माल के लिए प्रयुक्त चीनी पर उत्पाद-शुल्क में छूट और प्रशिक्षण की सुविधाओं, तकनीकी परामर्श एवं विस्तार-श्रम की व्यवस्थाओं के द्वारा सहायता दी जा रही है। पहली योजना के अन्त में फलों और सब्जियों का उत्पादन 20,000 टन था, जो दूसरी योजना के अन्त में बढ़ कर 40 000 टन हो गया। आशा है कि तीसरी योजना के अन्त में यह उत्पादन 1,00,000 टन हो जाएगा।

41 सहायक खाद्य पदार्थ : सहायक खाद्य-पदार्थों में मुख्यतः आलू, चुकन्दर, टेपिओका और इतर सब्जियां तथा फल एवं कुछ विधायित फलों से तैयार की गई वस्तुएं आती हैं। तीसरी योजना के कार्यक्रम में इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना भी सम्मिलित है। इनके अधिकाधिक प्रयोग का उद्देश्य यह है कि खाद्यान्नों की खपत का जो स्वरूप है, उसमें विभिन्नता आए, तथा सन्तुलित आहार-सेवन में वृद्धि हो। योजना में, शीघ्र नष्ट होनेवाले खाद्यान्नों के वातानुकूलित परिवहन, पानी सोखनेवाली इकाइयों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज के द्वारा संरक्षण और समुचित उपयोग तथा प्रोटीन की अधिकतावाले खाद्यान्नों के विकास के कार्यक्रम भी शामिल हैं।

42. कृषि-सम्बन्धी हाट-व्यवस्था : देश में कुल बाजारों की संख्या 2,500 है। नियमित बाजारों की संख्या, जो पहली योजना के अन्त में 470 थी, दूसरी योजना के अन्त में बढ़ कर 725 हो गई। प्रस्ताव है कि तीसरी योजना में अन्य अवशिष्ट हाटों को भी नियमन की योजना के अन्तर्गत ले आया जाए। कृषि (वर्गीकरण और हाट-व्यवस्था) अधिनियम के अधीन वस्तुओं के वर्गीकरण के कार्यक्रम को भी बढ़ाया जा रहा है।

बाजार-सूचना-सेवा के अधीन इस समय 500 बाजार हैं। प्रस्ताव है कि तीसरी योजना में सूचना देनेवाले केन्द्रों की संख्या में और अधिक वृद्धि की जाए, ताकि देश के सभी क्षेत्रों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सके और बाजारों के समाचारों का प्रसार संगठित रूप से हो सके।

कृषि-हाट-व्यवस्था का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पहलू विभिन्न स्तरों पर सहकारी हाट-व्यवस्था-संगठनों का विकास है। सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों के विस्तार के कार्यक्रम की एक पूर्ववर्ती अध्याय में चर्चा हो चुकी है।

43 भांडारण : सरकारी भांडारण-क्षमता के विस्तार, गोदाम-निगमों और विभिन्न सहकारी संगठनों के कार्यक्रम दूसरी योजना में प्रारम्भ किए गए थे। इस समय केन्द्रीय सरकार की भांडारण-क्षमता 25 लाख टन की है। इसमें से लगभग एक-तिहाई पर सरकारी स्वामित्व है। प्रस्ताव है कि इस क्षमता को बढ़ा कर 50 लाख टन कर दिया जाए, जिसमें से 35 लाख टन पर सरकारी स्वामित्व हो। केन्द्रीय और राज्यीय गोदाम-निगमों के गोदामों की भांडारण-क्षमता 3,50,000 टन की है। इसमें 16 लाख टन की वृद्धि की जाएगी।

इनके अतिरिक्त, सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियो और प्राथमिक समितियो के गोदामो की भी क्षमता 8,00,000 से बढ कर 20 लाख टन हो जाने की आशा है। योजना में सरकार-द्वारा खाद्यान्नो के सग्रह के लिए अतिरिक्त गोदाम बनाने के लिए 25 करोड रु०, और गोदाम-कार्यक्रमो के लिए 8 करोड रु० प्रदान किए गए है। योजना के अधीन मूल्य-नीति को कार्यान्वित करने में भाडारण-क्षमता की व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण कदम है और इसी प्रकार के अन्य साधन, जिनकी आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराए जाएगे।

44 कृषि-शिक्षा : कृषि-शिक्षा और अनुसन्धान के विस्तार से सम्बद्ध तीसरी योजना के प्रस्तावो पर 'तकनीकी शिक्षा' और 'वैज्ञानिक एव टैक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान' शीर्षक अध्यायो में विचार किया गया है। तीसरी योजना में कृषि-कालेजो की सख्या 53 से बढ कर 57 हो जाएगी तथा छात्रो की भर्ती की वार्षिक क्षमता 5,600 से बढ कर 6,200 हो जाएगी। योजना की अवधि में कृषि-स्नातको की कुल आवश्यकता का अनुमान 20,000 है और इस आवश्यकता के पूरा हो जाने की आशा है।

45 दूसरी योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश के पन्तनगर (रुद्रपुर) में एक कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अन्य कृषि-विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। कृषि-विश्वविद्यालयो को कृषि के विकास में विशेष भूमिका निभानी है, इस विचार को कृषि-शिक्षा-सम्बन्धी अनेक विशेषज्ञ-रिपोर्टों में प्रतिपादित किया गया है। इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि यदि भारत की कृषि का स्तर अन्य उन्नत देशो के समकक्ष ऊचा उठाना है, तो परम्परागत ढग की कृषि-शिक्षा, जो अनुसन्धान और विस्तार से अच्छी प्रकार सम्बद्ध नही है, पर्याप्त नही है—विशेष रूप से उस अवस्था में, जबकि बहुसख्यक किसानो की, जिसमें से अधिकाश बहुत छोटे-छोटे खेतो में खेती करते है, समस्याए बडी पेचीदी और परिवर्तनशील है। कृषि-विश्वविद्यालय इस बात का प्रयत्न करते है कि अनेक सम्बद्ध क्षेत्रो—कृषि, पशुपालन, पशु-चिकित्सा-विज्ञान, दूध-उद्योग, बुनियादी विज्ञानों और मानवीय विज्ञानो—को एक साथ उपस्थित किया जाए। मूलभूत विचार यह है कि कृषि-विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व कृषि के प्रायोगिक अध्यापन और आधारभूत अनुसन्धान की सीमा से आगे तक विस्तृत है और विश्वविद्यालय-द्वारा सेवित क्षेत्र के किसानो के प्रति उनका एक विशेष कर्त्तव्य है—विशेष रूप से उनका कर्त्तव्य है कि वे उनके साथ काम करते हुए उनकी समस्याओ पर विचार-विमर्श करें, अनुसन्धान के परिणामो को उन तक पहुचाए और कृषि एव कृषि-शिक्षा के अध्यापन, अनुसन्धान और विस्तार को एक समन्वित रूप प्रदान करें।

46 कृषि-अनुसन्धान : कृषि-अनुसन्धान के लिए योजना में 28 करोड रु० के व्यय की व्यवस्था है—लगभग 11 करोड रु० केन्द्र में और 17 करोड रु० राज्यो में। पहले कृषि-अनुसन्धान का काम मुख्यत सरकारी फार्मो और अनुसन्धान-केन्द्रो तक ही सीमित रहता था और इसके परिणाम काफी मात्रा में किसानो तक नही पहुचते थे। विस्तार-कार्यो से अनुसन्धान-कार्यकर्त्ता किसानो के निकट सम्पर्क में आ गए है तथा उनके सामने कुछ नई समस्याए उपस्थित हो गई हैं। राज्यो के अनुसन्धान-सगठनो को इन समस्याओ को सुलझाने के लिए सुदृढ किया जा रहा है। गेहू, चावल, रागी, कपास और तेलहन-जैसी फसलो के लिए राज्यो में किए जा रहे कार्य के अतिरिक्त क्षेत्रीय आधार पर अनुसन्धान की सुविधाओ को विकसित करने का प्रस्ताव है। योजना में नदी-घाटी-परियोजनाओ की सिंचाई-प्रणालियो के अध्ययन और फसलो के लिए पानी की आवश्यकताओ, नई

फसलो की अदला-बदली और सिंचाईवाले क्षेत्र में उर्वरको के प्रयोग से सम्बद्ध समस्याओ का निश्चय करने की व्यवस्था है। तीसरी योजना में अनुसन्धान के जो नए केन्द्र स्थापित किए जाने है, उनमें मिट्टी-विज्ञान और मिट्टी-तत्व-संस्था, चारे और घासवाली भूमि-सम्बन्धी अनुसन्धान-संस्था और विष-अनुसन्धान-संस्था भी शामिल है।

47 कृषि-प्रशासन . कृषि-विकास के विशाल कार्यक्रमो को देखते हुए, विगत कई वर्षो से राज्यों के कृषि-विभागो को सुदृढ करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस सम्बन्ध में 3 वर्ष पूर्व कृषि-प्रशासन-समिति ने अनेक प्रस्ताव रखे थे। इनमें विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को सुसगठित करना, शर्तो और काम की स्थितियों पर पुर्नविचार करना, और प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुसन्धान की सुविधाओ का विस्तार करना भी शामिल है। बहुत हद तक राज्यो की योजनाओ में कृषि-विभागो को सुदृढ बनाने के कार्यक्रम भी सम्मिलित है, जिन्हें समिति की सिफारिशो के प्रकाश में तैयार किया गया है। फिर भी, राज्य-कृषि-प्रशासन को सुसगठित करने के प्रस्तावो को कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब हो गया है। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि इन्हें पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

48 सरकारी फार्म : सन् 1956 में राजस्थान के सूरतगढ नामक स्थान पर 30 हजार एकड क्षेत्र में एक केन्द्रीय यन्त्रीकृत फार्म स्थापित किया गया था। इसी प्रकार के अन्य सरकारी फार्म स्थापित करने की सम्भावनाओ का अध्ययन किया गया है और यह प्रस्ताव रखा गया है कि तीसरी योजना में एक और यदि सम्भव हो, तो दो नए फार्म स्थापित किए जाए।

49 कृषि-मूल्य-नीति . तीसरी योजना के लिए निर्धारित कृषि-उत्पादन के उच्च लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए यह बात महत्त्वपूर्ण है कि उत्पादक को यह पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसके लिए जो अतिरिक्त प्रयत्न और पूजी लगेगी, उसका उसे पर्याप्त प्रतिफल मिलेगा। गत कुछ वर्षों में देशो के मूल्यों तथा उत्पादन में जो परिवर्तन हुए है, उनसे यह प्रकट होता है कि मूल्यो में भारी उतार-चढ़ाव का उत्पादक की उत्पादन बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करने की क्षमता पर प्रभाव पडता है। सन् 1958 में पटसन के मूल्यो में गिरावट का बाद के वर्षों के उत्पादन पर प्रभाव पडा। योजना की अवधि में महत्त्वपूर्ण अनाजों और कपास, तैलहन तथा पटसन-जैसी व्यावसायिक फसलों के काम के अनुकूल न्यूनतम मूल्यों के आश्वासन से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा, और इस प्रकार तीसरी योजना में परिकल्पित विभिन्न विकास-कार्यक्रमो की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए सरकार को किन मूल्यों पर क्रय-विक्रय करना चाहिए, इसका निश्चय बुआई का मौसम आने से काफी पहले कर लिया जाना चाहिए। जहा निम्नतम और अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिए गए हैं, वहा वे उत्पादन की आवश्यकताओं से सम्बद्ध होने चाहिए और न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यो का अन्तर भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।

50 सहकारी हाट-व्यवस्था-समितिया किसानो को एक निश्चित सीमा तक स्थगन-शक्ति प्रदान करने में—विशेषत तब, जबकि मूल्यों में मौसमी प्रतिकूल उतार-चढाव आते हैं—महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इसलिए उपयुक्त स्तरो पर मुख्य कृषिजन्य वस्तुओ का क्रय-विक्रय करनेवाली सहकारी समितिया और सरकारी अभिकरण कृषि-लक्ष्यो तथा तीसरी योजना में निर्धारित मूल्य-नीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक सगठन के मुख्य तत्व-सदृश है।

अनुबन्ध 1

(1) तीसरी योजना में बड़ी और छोटी सिंचाई-योजनाओं से लाभान्वित होनेवाला कुल क्षेत्र

(हज़ार एकड़)

राज्य/संघीय क्षेत्र	बड़ी सिंचाई	छोटी सिंचाई-व्यवस्था		
		योग	कृषि-क्षेत्र	सामुदायिक विकास-क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	1,557	1,427	1,177	250
असम	79	370	220	150
बिहार	2,000	1,064	564	500
गुजरात	864	1,190	1,050	140
महाराष्ट्र	708	1,210	1,136	74
केरल	255	56	192	64
मध्य प्रदेश	850	711	536	175
मद्रास	241	578	524	54
मैसूर	876	182	142	40
उड़ीसा	946	270	120	150
पंजाब	1,301	1,029	763	266
राजस्थान	1,145	479	339	140
उत्तर प्रदेश	1,042	2,945	1,812	1,133
पश्चिम-बंगाल	488	904	812	92
जम्मू-कश्मीर	38	54	29	25
दिल्ली	—	7	6	1
हिमाचल प्रदेश	—	36	25	11
मणिपुर	—	15	14	1
त्रिपुरा	—	20	12	8
उत्तर-पूर्व-सीमान्त अभिकरण	—	7	5	2
योग	12,786	12,754	9,478	3,276

(2) तीसरी योजना में मिट्टी-संरक्षण और भूमि-विकास से लाभान्वित होनेवाला क्षेत्र

(हज़ार एकड़)

राज्य/संघीय क्षेत्र	खेतों में मिट्टी-संरक्षण	बारानी खेती	भूमि-पुनरुद्धार	लोनी और क्षारीय भूमि का पुनरुद्धार
आन्ध्र प्रदेश	550	2,000	229	—
असम	29	1	18	—
बिहार	288	10	75	—
गुजरात	1,179	1,200	12	45
महाराष्ट्र	5,000	3,160	24	37
केरल	70	—	—	—
मध्य प्रदेश	1,392	4,500	260	—
मद्रास	340	400	225	1
मैसूर	270	540	22	38
उड़ीसा	300	500	—	8
पंजाब	46	500	240	50
राजस्थान	178	4,850	2,000	10
उत्तर प्रदेश	1,067	4,004	10	10
पश्चिम-बंगाल	114	100	432	—
जम्मू-कश्मीर	7	—	20	—
दिल्ली	—	5	—	4
हिमाचल प्रदेश	18	20	—	—
योग	10,848	21,790	3,567	203

(3) तीसरी योजना में सुधरे हुए बीजों के अन्तर्गत खाद्यान्न-फसलों का क्षेत्र

(हजार एकड़)

राज्य/संघीय क्षेत्र	1960-61	1965-66
आन्ध्र प्रदेश	1,230	12,780
असम	438	3,000
बिहार	2,618	11,800
गुजरात	747	3,025
महाराष्ट्र	2,931	14,538
केरल	500	1,200
मध्य प्रदेश	6,300	15,298
मद्रास	7,250	9,450
मैसूर	4,869	8,876
उड़ीसा	1,200	6,200
पंजाब	3,000	9,000
राजस्थान	4,140	17,000
उत्तर प्रदेश	18,961	29,301
पश्चिम-बंगाल	1,000	6,000
जम्मू-कश्मीर	147	240
दिल्ली	1	1
हिमाचल प्रदेश	107	395
मणिपुर	—	140
पांडिचेरी	2	9
योग	55,441	1,48,253

(4) तीसरी योजना की अवधि में रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार टन)

राज्य/संघीय-क्षेत्र	अमोनियम सल्फेट		सुपरफास्फेट		पोटाश-म्यूरिएट	
	1960-61	1965-66	1960-61	1965-66	1960-61	1965-66
आन्ध्र प्रदेश	273	524	90	350	—	—
असम	10	60	5	25	—	—
बिहार	50	400	15	120	1	20
गुजरात	95	300	48	90	—	13
महाराष्ट्र	100	581	53	324	—	—
केरल	37	191	7	190	1	56
मध्य प्रदेश	26	200	5	40	—	—
मद्रास	150	580	60	320	12	90
मैसूर	87	300	20	320	—	11
उडीसा	30	200	8	50	—	2
पंजाब	40	280	2	24	—	—
राजस्थान	15	100	4	33	—	—
उत्तर प्रदेश	297	990	60	300	8	80
पश्चिम-बंगाल	40	500	25	250	—	—
जम्मू-कश्मीर	4	14	—	—	—	—
दिल्ली	1	1	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	1	—	1	—	—
पांडिचेरी	25	25	2	5	1	6
योग	1,280	5,247	404	2,442	23	278*

*K_2 ओ के सन्दर्भ में खपत का लक्ष्य 1,44,000 टन होना चाहिए। इसकी तुलना में पैराग्राफ 10 और 22 में दी गई कम संख्या का कारण यह है कि उसमें उन राज्यों की खपत के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं, जिनकी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(5) तीसरी योजना में कार्बनिक और हरी खाद के उत्पादन को अनुमानें

राज्य/संघीय क्षेत्र	शहरी कूड़े की खाद 1960-61	शहरी कूड़े की खाद 1965-66	ग्रामीण कूड़े की खाद 1960-61	ग्रामीण कूड़े की खाद 1965-66	हरी खाद 1960-61	हरी खाद 1965-66
	(००० टन)		(००० टन)		(००० एकड़)	
आन्ध्र प्रदेश	262	334	9,439	12,874	3,200	4,500
असम	8	16	800	900	200	1,000
बिहार	75	177	1,000	7,756	1,095	3,095
गुजरात	118	318	246	371	10	100
महाराष्ट्र	342	417	459	1,055	22	1,022
केरल	22	55	94	269	250	1,050
मध्य प्रदेश	160	365	130	1,960	50	2,200
मद्रास	400	600	1,400	3,000	3,000	6,000
मैसूर	310	425	3,000	5,380	500	750
उड़ीसा	20	44	2,340	13,956	1,200	7,000
पंजाब	200	400	6,100	8,900	350	1,350
राजस्थान	411	968	887	269	130	630
उत्तर प्रदेश	580	750	56,060	82,340	650	9,000
पश्चिम-बंगाल	10	100	500	7,500	1,000	3,000
जम्मू-कश्मीर	—	15	75	100	—	10
दिल्ली	5	10	—	—	2	30
हिमाचल प्रदेश	—	—	120	220	28	78
मणिपुर	—	—	20	35	—	3
त्रिपुरा	1	2	67	148	—	—
योग	2,987	5,056	82,737	1,48,033	11,687	40,818

अनुबन्ध 2

तीसरी योजना में कृषि-उत्पादन में वृद्धि का अनुमान

(1) खाद्यान्न

(लाख टन)

राज्य	1955-56	1958-59 संशोधित अनुमान	1959-60 अन्तिम अनुमान	1960-61 अनुमानित	तीसरी योजना में अतिरिक्त उत्पादन	तीसरी योजना के अन्त में अनुमानित उत्पादन	तीसरी योजना में प्रतिशत वृद्धि
आन्ध्र प्रदेश	55 36	63 64	62 96	63 95	24 04	87 69	37 6
असम	17 06	16 6	16 6	17.69	4 2	21 89	23 7
बिहार	51 81	68 76	59 39	62 62	20 27	82 89	32 4
गुजरात } महाराष्ट्र }	72 55	89.28	75 07	21 16	8 31	29 47	39 3
				62 66	17 32	79 98	27
केरल	8 87	9 65	10 55	10.42	4	14 42	38 4
मध्य प्रदेश	76 17	92.85	90 31	90 74	16 68	107 42	18.4
मद्रास	45 38	49.25	50 96	51 72	16 54	68.26	32
मैसूर	47 83	37.17	36 27	38 5	10 04	48 54	26 1
उड़ीसा	24 63	24.52	24 47	40	16 15	56 15	46.5
पंजाब	47 85	60.78	53 67	60	18 5	78 5	30 8
राजस्थान	41 75	50.93	47 26	50 35	16	66 35	31 8
उत्तर प्रदेश	118 86	133 99	131 82	135 39	47 45	182.84	35 1
पश्चिम-बंगाल	49 73	45 26	46 15	52.24	14 49	66 73	27 8
जम्मू-कश्मीर	4 74	5 49	4 87	4 83	1	5 83	20 5
संघीय क्षेत्र	5 32	6 86	7 15	7 15	1 05	8 2	14 7
योग	657 91	755 03	717 5	769.42	236 05	1,005 47	31 6

(2) कपास

(हज़ार गाँठें)

आन्ध्र प्रदेश	128	116	115	115	60	175	52 [illegible]
असम	9	6	9	9	5	14	55 6
बिहार	2	1	1	6	—	6	—
गुजरात	1,921	2,481	1,533	1,106	294	1,400	26.6
महाराष्ट्र				1,207	328	1,535	27 2
केरल	10	8	8	5	100	105	—
मध्य प्रदेश	403	380	279	567	184	751	32 5
मद्रास	335	356	401	420	100	520	23.8
मैसूर	363	141	465	500	250	750	50
उड़ीसा	2	2	2	2	98	100	—
पंजाब	605	711	800	900	300	1,200	33 3
राजस्थान	181	115	148	200	152	352	76
उत्तर प्रदेश	29	31	67	67	54	150	177 8
संघीय क्षेत्र	7	5	7	7	—	7	—
योग	3,998	4,686	3,835	5,098	1,967	7,065	38 6

(3) गन्ना (गुड़)

(हज़ार टन)

आन्ध्र प्रदेश	517	661	627	627	123	750	19 6
असम	66	97	97	100	20	120	20
बिहार	292	606	653	685	45	730	6.6
गुजरात	553	800	927	98	31	129	31 6
महाराष्ट्र				880	300	1,180	34 1

तीसरी योजना में कृषि-उत्पादन में वृद्धि का अनुमान—(जारी)

(हज़ार गाठें)

राज्य	1955-56	1958-59 संशोधित अनुमान	1959-60 अन्तिम अनुमान	1960-61 अनुमानित	तीसरी योजना में अतिरिक्त उत्पादन	तीसरी योजना के अन्त में अनुमानित उत्पादन	तीसरी योजना में प्रतिशत वृद्धि
केरल	133	35	30	37	30	67	81
मध्य प्रदेश	115	89	106	163	97	260	59.4
मद्रास	335	384	409	400	101	501	25.3
मैसूर	200	392	384	413	97	510	23.5
उड़ीसा	92	73	73	100	130	230	130
पंजाब	556	725	857	780	120	900	15.4
राजस्थान	45	42	60	90	90	180	100
उत्तर प्रदेश	2,940	3,076	3,203	3,500	700	4,200	20
पश्चिम-बंगाल	131	117	128	128	59	187	46.1
जम्मू-कश्मीर	1	1	1	1	—	1	—
संघीय क्षेत्र	13	15	18	18	—	18	—
योग	5,979	7,113	7,579	8,020	1,943	9,963	24.2

(4) तेलहन

(हज़ार टन)

आन्ध्र प्रदेश	1,188	1,109	1,080	1,079	558	1,637	51 7
असम	56	66	44	60	20	80	33.3
बिहार	56	78	46	60	66	126	110

गुजरात } महाराष्ट्र }	1,202	1,925	1,588	{ 1,050	300	1,350	28.6
				{ 718	321	1,039	44.7
केरल	20	22	17	20	31	51	155
मध्य प्रदेश	454	621	473	561	125	686	22.3
मद्रास	870	939	945	1,050	290	1,340	27 6
मैसूर	503	574	580	700	175	875	25
उड़ीसा	65	54	54	90	110	200	122 2
पजाब	149	186	165	185	115	300	62.2
राजस्थान	252	268	198	276	110	386	40
उत्तर प्रदेश	765	996	1,089	1,180	495	1,675	41 9
पश्चिम-बगाल	49	55	39	40	20	60	52
जम्मू-कश्मीर	19	11	11	11	—	11	—
सघीय क्षेत्र	4	3	3	4	—	4	—
योग	5,643	6,907	6,352	7,084	2,736	9,820	38 6

(5) पटसन

(हजार गाठें)

असम	1,212	989	1,114	813	400	1,213	49 2
बिहार	589	1,243	957	839	441	1,280	52 6
उड़ीसा	245	177	212	261	400	661	153 3
उत्तर प्रदेश	89	95	92	89	30	119	33 7
पश्चिम-बगाल	2,013	2,596	2,170	1,987	840	2,827	42 3
त्रिपुरा	50	58	60	41	40	81	97.6
योग	4,198	5,158	4,605	4,030	2,151	6,181	53 4

अध्याय 20

सामुदायिक विकास

परिचय

आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व जब प्रथम सामुदायिक परियोजना को प्रारम्भ किया गया था, तब सामुदायिक विकास को एक पद्धति तथा ग्रामीण विस्तार को एक अभिकरण बताया गया था, जिसके द्वारा गांव के सामाजिक और आर्थिक जीवन का कायाकल्प आरम्भ किया जा सकता है। इस बीच के वर्षों में सामुदायिक विकास-आन्दोलन-द्वारा किन कामों का सम्पादन होना है तथा इसके द्वारा राष्ट्र को किन प्राथमिकताओं को मूर्त रूप मिलना है, इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण हो गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विस्तार की परिभाषा को बढ़ा कर पचायती राज का रूप दे दिया गया है। पचायती राज का अभिप्राय ग्राम, खंड और जिला-स्तर पर परस्पर-सम्बद्ध प्रजातान्त्रिक और लोकप्रिय संस्थाओं का विकास करना है, जिनमें ग्राम-पचायतो, पचायत-समितियो और जिला-परिषदो के प्रतिनिधि और सहकारी संगठन विभिन्न विकास-अभिकरणो के सहयोग और समर्थन से परस्पर मिल कर और एक रूप होकर कार्य करते है। तीसरी योजना का एक मुख्य कार्य पचायती राज-संस्थाओ के विकास और उनके सुचारु रूप से काम करने का आश्वासन प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र अपनी जनशक्ति तथा अन्य साधनो, सहकारी स्वावलम्बन, सामुदायिक प्रयत्नो तथा उपलब्ध साधनों और कर्मचारियो के आधार पर विकास की सम्भावनाओ का अधिकतम लाभ उठा सके।

विकास की समीक्षा

2 इस समय सामुदायिक विकास-कार्यक्रम 3,100 विकास-खडो में, जिनकी परिधि में 3,70,000 गाव आते है, चल रहा है। इनमें से 880 विकास-खडो का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो चुका है तथा वे सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रविष्ट हो गए है। अक्तूबर 1963 तक यह कार्यक्रम देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो जाएगा। प्रथम दो योजनाओं में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के लिए लगभग 240 करोड रु० की राशि निर्धारित की गई थी। तीसरी योजना में 294 करोड़ रु० रखे गए हैं तथा इसके अतिरिक्त पचायतो के लिए 28 करोड़ रु० अलग से रखे गए हैं।

3 दूसरी योजना की अवधि में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में तीन महत्त्वपूर्ण बातें हुई। योजना के प्रारम्भ में 950 विकास-खडो में कार्य हाथ में लिया गया था, इनमें से 370 सामुदायिक परियोजना-कार्यक्रम तथा 580 राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम के अधीन थे। उस समय संगठन की जो व्यवस्था थी, उसके अनुसार प्रत्येक खड को पहले राष्ट्रीय विस्तार-कार्यक्रम के अधीन लिया जाता था, इस कार्यक्रम के लिए 4,50,000 रु० का बजट बनाया गया था। कुछ समय के बाद, जो एक वर्ष से दो वर्ष तक होता था, राष्ट्रीय विकास-परियोजना के कुछ भाग को सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन ले

लिया जाता था, जिसके लिए 15 लाख रु० का बजट था। इस प्रकार राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास को एक ही कार्यक्रम से सम्बद्ध दो सोपान समझा जाता था। योजना-परियोजना-समिति-द्वारा नियुक्त एक अध्ययन-दल ने सन् 1957 में कार्यक्रमो की समीक्षा की तथा उसकी सिफारिश पर सामुदायिक विकास की एक ही योजना को स्वीकार किया गया तथा इसको पाच-पाच वर्षो के दो चरणो में बाट दिया गया। प्रथम चरण में प्रत्येक खड के लिए 12 लाख रु० और दूसरे चरण में 5 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई। इन परिवर्तनो के साथ यह भी निश्चय किया गया कि इस कार्यक्रम को देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रो में लागू करने की अवधि को तीन वर्ष के लिए बढा कर अक्तूबर 1960 से अक्तूबर 1963 कर दिया जाए।

4 दूसरी महत्त्वपूर्ण बात पचायती राज की स्थापना है। अनेक वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा था कि यदि ग्रामीण विकास का काम केवल द्रुतगति से ही नही, अपितु स्थानीय प्रयत्नों और साधनो के आधार पर करना है, तो यह अनिवार्य और आवश्यक है कि ग्राम-स्तर पर पचायतो के अतिरिक्त जिला और खड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक सस्थाओ की स्थापना की जाए। प्रथम योजना में मोटे तौर पर इस दिशा का निर्देश भी किया गया था। दूसरी योजना में स्पष्ट रूप से जिले में प्रशासन के एक सुसगठित प्रजातान्त्रिक ढाचे के स्वरूप को बताया गया, जिसमें ग्राम-पचायतें उच्च स्तर पर लोकप्रिय सगठनो से एकागी भाव से सम्बद्ध होगी। और अधिक अध्ययन होने तक योजना में ज़िला-विकास-परिषदो और खडो में विकास-समितियो की स्थापना का अन्तरिम प्रस्ताव भी है। योजना-परियोजना-समिति-द्वारा नियुक्त अध्ययन-दल-की सिफारिशो पर जिनमें 'प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' की पद्धति का समर्थन किया गया है, राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने जनवरी 1958 में विचार किया। परिषद् ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी प्रजातान्त्रिक ढाचे का आधार गावो में प्रजातन्त्रवाद होना चाहिए। जिन दो सगठनो ने ग्रामीण प्रजातन्त्र को कारगर रूप से सम्भव बनाया है, वे है ग्राम-पचायतें और ग्रामीण सहकारी समितिया। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम कदम यह होना चाहिए कि ग्राम-स्तर पर आवश्यक सस्थाओ का जाल बिछा दिया जाए। जिला, खड और ग्राम-स्तर पर प्रजातान्त्रिक सगठनो को जिले में विकास-प्रशासन के परस्पर-सम्बद्ध ढाचे का एक अग समझना चाहिए। इसलिए परिषद् ने जिला और खड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक सगठनों की स्थापना के लक्ष्य को सम्पुष्ट कर दिया और यह सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य इस ढाचे के लिए अनुकूल परिस्थितियो के अनुसार काम करे। गत तीन वर्षों की अवधि में पचायती राज को लागू करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, असम, मद्रास, मैसूर, उडीसा, पजाब और राजस्थान-राज्यों में कानून बनाए गए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी राज्य-विधान-मडलो ने इस सम्बन्ध में कानून पास कर दिए हैं। बिहार में इस प्रकार के कानून पर विचार जारी है, और महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष समितियो ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर दिए हैं तथा उनकी रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है। यह सब प्रगति उस आम दिशा का फलितार्थ है, जिसको गत दस वर्षों से प्रजातान्त्रिक परिस्थितियो में ग्रामीण विकास का आधार समझा जाता रहा है और जो आगे बढने के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कदम है।

5 सामुदायिक विकास का तीसरा पहलू, जिसने बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया है, वह प्रस्ताव है, जिसमें जिले के साथ-साथ खड भी आयोजन और विकास

की एक-इकाई के रूप में काम करेगा। यह सुझाव दिया गया है कि निम्न क्षेत्रों में राज्य-सरकारें तीसरी योजना के लिए अपने प्रस्ताव जिला और खंड की योजनाओं के आधार पर बनाए

(1) कृषि, छोटी सिंचाई-योजनाएं, भूमि-संरक्षण, ग्रामों के वन, पशुपालन, दूध-उद्योग,

(2) सहकारी समितियों का विकास,

(3) ग्रामोद्योग,

(4) प्राथमिक शिक्षा, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के लिए विद्यालय-भवनों की व्यवस्था,

(5) गावों में जल-सम्भरण और न्यूनतम सुविधाओं का कार्यक्रम, जिसमें ऐसी सड़कों का, जो निकटतम गांव, सड़क या रेलवे-स्टेशन को मिलाने-वाली हो, निर्माण भी शामिल हो, और

(6) ग्रामीण क्षेत्रों की जनशक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए निर्माण-कार्य।

यद्यपि अनेक राज्यों में कृषि के लिए विशेष रूप से खंड-योजनाएं बनाई गई हैं, फिर भी मुख्यत राज्यों की योजनाएं स्थानीय योजनाओं से स्वतन्त्र रूप में तैयार की गई है। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थानीय योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में एक स्पष्ट भूमिका बनें, इसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिस पृष्ठभूमि में तीसरी योजना का निर्माण किया गया है, उसमें यह बात महत्त्वपूर्ण है कि स्थानीय योजनाओं को इस ढंग से बनाया जाए कि वे राज्य-योजना की पूर्ति में एक साधन का काम कर सकें।

6 जिले की योजना के आम ढांचे में, खंड-योजना का लक्ष्य खंड में की जानेवाली समस्त सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को समाविष्ट करना है। इसके लिए (1) खंड और ग्राम-स्तरों पर स्थानीय रूप से आयोजन के लिए पहल, और (2) खंड में किए जानेवाले विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों का योजना से समन्वय आवश्यक है। निम्नलिखित कुछ मुख्य गतिविधियां खंड-योजना की परिधि में आती हैं

(1) विकास की स्थिति के अनुसार सामुदायिक विकास-खंड के बजट-कार्यक्रम में निर्धारित विषय,

(2) विभिन्न विभागों के बजट में सम्मिलित विषय, जिन्हें खंड-संगठन के माध्यम से पूरा किया जाना है,

(3) कानून-द्वारा निर्धारित दायित्वों के अनुसार स्थानीय समाज या उससे लाभ उठानेवालों द्वारा किए जानेवाले कार्य,

(4) खंड में किए जानेवाले ऐसे निर्माण-कार्य, जिनमें अकुशल या अर्द्धकुशल मजदूरों की ही आवश्यकता पड़ती है, और

(5) विभिन्न क्षेत्रों के विकास-कार्यों के लिए स्थानीय जनता का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से खंड या खंड-संगठनों-द्वारा प्रारम्भ किए गए अन्य कार्य।

7 ऊपर बताए गए तीनो पहलुओ—सामुदायिक विकास-खडो के विस्तार-कार्य, प्रजातान्त्रिक सगठनो की स्थापना और क्षेत्र तथा ग्राम की योजनाओ का निर्माण एव उनके परिपालन का बडा निकट सम्बन्ध है। विस्तार-कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए प्रत्येक खड मे ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओ का एक समूह तथा कृषि, पशुपालन, सहकारिता, ग्रामोद्योगो तथा अन्य क्षेत्रो के बारे में तकनीकी विशेषज्ञो का एक दल है, जो विकास-खड-अधिकारी के नेतृत्व मे मिल कर काम करते है। जिला-स्तर के वरिष्ठ विशेषज्ञो के समर्थन एव निर्देशन मे ये विस्तार-कार्य करनेवाले वर्ग खड में पचायत-समितियो और गावो में पचायतो और ग्राम-सभाओ के लिए कार्य करते है। ये कार्यकर्त्ता चुने हुए प्रतिनिधियो की, स्थानीय जन-समुदायो के अधिकतम भाग लेने और स्थानीय जनशक्ति और साधनो के अधिकतम प्रयोग के आधार पर खड और ग्रामो के लिए तकनीकी दृष्टि से ठोस योजनाओ के निर्माण एव उनके परिपालन में सहायता देते हैं।

कृषि-विस्तार

8 सामुदायिक विकास-सगठन को जो मुख्य विस्तार-कार्यक्रम सौपे गए हैं, वे कृषि, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामोद्योगो के बारे में है। ग्राम-सेवको से यह आशा की जाती है कि वे अपना अधिकाश समय और शक्ति इन्ही कामो में लगाएगे। तीसरी योजना में कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में जिन कामो का सम्पादन होना है, वे अत्यधिक विशाल है। कृषि-उत्पादन को लगभग 30 प्रतिशत बढाने का लक्ष्य है, और खडो-द्वारा ही बडी सख्या में छोटे सिंचाई-कार्यक्रमो, छोटी और बडी सिंचाई-योजनाओं से सिंचाई का लाभ उठाने, भूमि-सरक्षण, और बारानी (बिना पानी के) खेती में उर्वरको का प्रयोग, और स्थानीय गोबर-कचरे की खाद के विकास आदि के कार्यक्रमो को पूरा किया जाना है। सहकारिता के कार्यक्रम में सहकारी अभिकरणो के माध्यम से कृषि-ऋणो को तीन-गुना करने को कहा गया है। कृषि-उत्पादन में वृद्धि केवल ग्राम-स्तर पर सगठित सघन प्रयत्नो-द्वारा ही सम्भव है। सहकारी ऋणो की वृद्धि के लिए भी यह आवश्यक है कि नीचे से ही सहकारी आन्दोलन को सगठित किया जाए तथा ग्राम के सभी परिवारों को सहकारी समितियो की परिधि में ले आया जाए। इस बात का भी आश्वासन होना चाहिए कि ऋण उत्पादन और हाट-व्यवस्था के बीच एक कडी के रूप में है। इस प्रकार इस समय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन की आधारभूत समस्या ग्राम-स्तर पर कृषि-प्रयत्नो को सगठित करना है। उत्पादन-वृद्धि के लिए ग्राम-समुदाय को सगठित करने में जितनी प्रगति होगी, तदनुसार ही गाव की अन्य समस्याओ के समाधान में सुविधा होगी और अन्य दिशाओ में भी—विशेषत ग्रामीण उद्योगो और सामाजिक सेवाओ की व्यवस्था में—द्रुत विकास हो सकता है। कृषि-उत्पादन में प्रगति इतने महत्त्व की है कि तीसरी योजना के तारतम्य में सामुदायिक विकास-आन्दोलन की मुख्य कसौटी उसका कृषि-विस्तार-अभिकरण के रूप में व्यावहारिक रूप से कारगर होना है। इसलिए सामुदायिक विकास-सगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह इस दृष्टि से अपने को सबल बनाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए और यथासम्भव अधिकतम स्थानीय प्रयत्नो के आधार पर कृषि-उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति को अपनी जिम्मेदारी समझे। इसके साथ ही कृषि-विभाग और कृषि-उत्पादन से सम्बद्ध

अन्य विभागों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे ज़िला और खंड-स्तर पर सामुदायिक विकास-संगठन को आवश्यक अधीक्षण, निर्देशन, सम्भरण, प्रशिक्षित जनशक्ति, तथा अन्य ज़रूरी साधन आदि मुहय्या करें।

ग्रामीण उत्पादन-योजनाएं

9 गांव के सभी कृषकों को कृषि-प्रयत्नों में सम्मिलित करने और स्थानीय समुदाय के साधनों को समुचित रूप से गतिशील बनाने का मुख्य साधन ग्राम-उत्पादन-योजना है। ग्राम-स्तर पर कृषि-उत्पादन के मुख्य तत्त्व ये हैं

(1) सिंचाई-सुविधाओं का पूरा उपयोग (इसमें लाभ उठानेवालों-द्वारा रजवाहों का ठीक रख-रखाव भी शामिल है), सामुदायिक सिंचाई-निर्माण-कार्यों का रख-रखाव और मरम्मत तथा पानी के उपयोग में मित-व्ययिता,

(2) दोहरी-तिहरी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि ;

(3) सुधरे हुए बीजों को बढ़ाना तथा सभी किसानों में उनका वितरण,

(4) रासायनिक उर्वरकों का सम्भरण,

(5) कचरे से खाद तैयार करने और हरी खाद के कार्यक्रम,

(6) भूमि-संरक्षण, कंटूर बांध, बारानी (बिना पानी के) खेती, पानी की निकासी, परती भूमि को ठीक करना, वनस्पति-संरक्षण आदि के रूप में सुधरे हुए कृषि-तरीकों को अपनाना,

(7) सामुदायिक सहयोग तथा व्यक्तिगत आधार पर गांवों में नए छोटे सिंचाई-कार्यक्रम आरम्भ करना,

(8) परिष्कृत कृषि-औज़ारों को लागू करने का कार्यक्रम,

(9) सब्ज़ियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने का कार्यक्रम,

(10) कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन और दूध-उत्पादनों के विकास का कार्यक्रम,

(11) पशु-नस्ल-सुधार—जैसे सांडों का रख-रखाव और निरुपयोगी सांडों को बधिया करना,

(12) गांव में ईंधन के काम आनेवाले पेड़ों तथा चरागाहों के विकास का कार्यक्रम।

10 ग्राम-उत्पादन-योजना में दो मुख्य कार्यक्रम हैं (अ) ऋण देना, खाद और सुधरे बीज मुहय्या करना, वनस्पति-संरक्षण के लिए सहायता देना, और छोटे सिंचाई-कार्यक्रम आदि, जिनके लिए कुछ सहायता गांव के बाहर से आएगी, और (आ) बड़ी परियोजनाओं से खेतों में पानी देने के लिए नालियां खोदना, बागों और खेतों में पानी देनेवाली नालियों की देखभाल करना, कंटूर बांध बनाना, गांवों के तालाबों को खोदना तथा उनकी निगरानी, स्थानीय खाद एवं साधनों का प्रयोग और विकास, गांवों के लिए ईंधन के पेड़ों को लगाना आदि ऐसे कार्यक्रम, जिनके लिए ग्राम-समुदाय

और इनसे लाभ उठानेवालो के ही प्रयत्न आवश्यक है। ग्राम-उत्पादन-योजना की सफलता मुख्यत. ऋण और सम्भरण के कुशल सगठन तथा विस्तार-कार्यकर्त्ताओं-द्वारा दिए गए तकनीकी परामर्श की उपयोगिता पर निर्भर करती है। ऊपर बताए गए दूसरे कार्य-क्रम के लिए ग्राम-समुदाय का उत्साह और सहयोग उसी मात्रा में होगा, जिस पैमाने पर उन्हें सेवाए प्रदान की जाएगी। जून 1960 में सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय ने राज्य-सरकारो को इन्ही बातो के आधार पर कुछ प्रस्ताव भेजे थे, तथा अनेक राज्यो ने उसी प्रकार के आदेश सम्बद्ध विभागो को भेज भी दिए है। फिर भी अभी यह नही कहा जा सकता कि कृषि-विभाग में एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में ग्राम-उद्योग-योजनाए प्रस्थापित हो गई है, या इनमे सम्बद्ध अनेक व्यावहारिक समस्याए हल हो गई है। तीसरी योजना के विस्तार के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाना है वह ग्राम-उत्पादन-योजनाओ के निर्माण के विचार को मूर्त रूप देना है जिससे सभी कृषको को एक सामान्य प्रयत्न के लिए एकत्र किया जा सके और इसके साथ ही व्यक्तिगत किसानो को कुशल और सगठित रूप से ऋण, सम्भरण तथा अन्य जरूरी सहायता प्रदान की जा सके। तीसरी योजना में छोटी सिंचाई-योजनाओ और भूमि-सरक्षण के लिए पर्याप्त साधन प्रदान किए गए है, बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद के सम्भरण का आश्वासन दिया गया है, तथा पौध-सरक्षण, सुधरे हुए कृषि-उपकरणो, तथा अन्य कार्यक्रमो के लिए साधनो की व्यवस्था है। बीजो के लिए फार्म स्थापित करने का कार्यक्रम काफी आगे बढ गया है तथा अब यह कुछ आसान हो गया है कि गावो मे सुधरे बीजो की जितनी मात्रा चाहिए, उसको कई गुना बढाया जा सके। इस प्रकार तीसरी योजना में ग्राम-उत्पादन-योजनाओ के सफल सम्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न तत्त्वो की व्यवस्था की गई है।

पंचायती राज

11 जिला और खड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक सस्थाओ की स्थापना से, तथा ग्राम-सभाओं और ग्राम-पचायतो को जो काम सौपा गया है, उससे जिला-प्रशासन के ढाचे में और ग्रामीण विकास के स्वरूप में आधारभूत और दूरगामी परिवर्तन हो गया है। इनका महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि, राज्य-सरकारो के निर्देशन और अधीक्षण में, ग्राम-विकास-कार्यक्रम के परिपालन का उत्तरदायित्व गावो में ग्राम-पचायतो के साथ खड-पचायत-समिति और जिला-स्तर पर जिला-परिषद् का होगा। इन सस्थाओ को कार्य करते हुए बहुत अधिक समय नही हुआ है, अत ये केवल अभी यही बता सकती है कि किन समस्याओ पर सावधानी से ध्यान देने की आवश्यकता है। इन पर विचार करते हुए कुछ पहलुओ पर बल देना जरूरी है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र की जनता को सारी जनसख्या के हित में सघन और सतत विकास प्राप्त करने में सहायता करना है। निर्वाचित प्रतिनिधियो को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे पचायती राज के विकास को अपने अधिकार के प्रयोग का अवसर न समझ कर, जनता की सेवा के लिए नए-नए अवसरो की प्राप्ति समझें। पचायती राज की परिभाषा इससे सम्बद्ध गैर-सरकारी और प्रजातान्त्रिक सगठनो के लिए सीमित नही है। प्रशासन की ग्राम योजना में एक विशिष्ट स्तर के दायित्वो और कार्यो का प्रतिनिधित्व करते हुए पचायती राज मे प्रजातान्त्रिक सस्थाओ और विस्तार-सेवाओ, दोनो का समावेश है जिनके

द्वारा विकास-कार्यों का सम्पादन होता है। खंड और ग्राम-स्तर के विस्तार-कार्यकर्ता पंचायत-समितियों के अधिकार क्षेत्र में काम करने पर भी एक व्यापक प्रशासन और तकनीकी व्यवस्था के अंगभूत होते हैं, जिसका क्षेत्र ज़िला और उससे भी परे होता है। पंचायती राज की स्थायी सफलता के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकार-द्वारा प्रदत्त तकनीकी और प्रशासनात्मक सेवाओं के ढांचे की अखंडता का और उनके जो कर्तव्य तथा दायित्व हैं, उनको पूरा करने की योग्यता का, ज्ञान और अनुभव को ज़िला और खंड-स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचाते समय पूरा भरोसा होना चाहिए। यह भी सर्वाधिक महत्त्व की बात है कि राज्य और ज़िला-स्तरों पर तथा बैंक, क्रय-विक्रय, प्रक्रिया, वितरण और शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करनेवाले संघीय सहकारी संगठनों के विशिष्ट कार्यों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की जाए। विभिन्न सहकारी संगठनों-द्वारा उत्तरदायित्व के बड़े काम हाथ में लिए गए हैं, तथा सहकारी आन्दोलन की दिशा और सिद्धान्तों के अनुरूप उन्हें पूरा करने की सुविधा मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की अभी शुरुआत है, तथा इस दिशा में बड़ी सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इन नई संस्थाओं का तथा प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित नए सम्बन्धों का उद्देश्य अपने साधन-स्रोतों की सीमाओं के अनुसार इन सम्भावनाओं को अधिकतम रूप से मूर्त रूप देना है। इस पहलू को देखते हुए निम्न कुछ मुख्य कसौटियां हैं जिनके आधार पर समय-समय पर पंचायत-राज की सफलता को परखा जा सकता है :

(1) तीसरी योजना में उच्चतम राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कृषि-उत्पादन,
(2) ग्रामोद्योगों का विकास,
(3) सहकारी संस्थाओं का विकास,
(4) स्थानीय जनशक्ति एवं अन्य साधनों का भरपूर उपयोग,
(5) शिक्षा और वयस्क-साक्षरता की सुविधाओं का विकास,
(6) पंचायती राज-संस्थाओं को उपलब्ध साधनों का—यथा वित्त, कर्मचारी, तकनीकी सहायता तथा उच्च स्तर पर प्राप्त होनेवाली अन्य सुविधाओं का अधिकतम उपयोग,
(7) ग्राम-समाज के आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग को सहायता,
(8) अधिकार का क्रमश: वितरण और स्वयंसेवी संगठनों के कार्य पर विशेष बल,
(9) व्यापक शिक्षा तथा कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के स्पष्ट निर्धारण के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों में सद्भाव और तालमेल, तथा अधिकारियों और गैर-अधिकारियों की योग्यता में क्रमश: वृद्धि,
(10) समाज में समरसता और पारस्परिक सहयोग एवं सहायता।

12. अब तक जो थोड़े-से अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार पंचायती राज-संस्थाओं के कारगर और सफल संचालन के लिए निम्न सुझाव रखे गए हैं

(1) संस्थाओं को उच्च स्तर पर विकसित करते समय भी, ग्राम-स्तर पर पंचायत-सभाओं और पंचायतों के काम पर अत्यधिक बल जारी रहना चाहिए। ग्राम-स्तर पर ही जनता के प्रयत्नों को संगठित किया जाना चाहिए तथा यहीं सामुदायिक प्रयत्नों को प्राप्त करने का क्षेत्र बड़ा व्यापक है।

ग्राम-सभा और ग्राम-पचायत, दोनो मे ही प्रत्येक काम के लिए सर्व-सम्मति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न कार्यों को ग्राम-समुदाय की आम सहमति और सद्भावना से प्रारम्भ किया जा सके।

(2) जिला-स्तर के तकनीकी अधिकारियो को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वे खड-स्तर के विस्तार-अधिकारियो और पचायत-समितियो को किसी निश्चय पर पहुचने से पूर्व कार्यक्रमो और योजनाओ की प्रारम्भिक तैयारी मे परामर्श व सहायता दे। दूसरी ओर, पचायत-समितियो को इस प्रकार की सहायता के प्रयत्न और उसका स्वागत करना चाहिए, क्योकि इस समय खड-स्तर के विस्तार-कर्मचारियो की एक बडी सख्या को उतना अनुभव नही है जितना होना चाहिए, परन्तु वे जिला-स्तर के अधिकारियो से आवश्यक निर्देश व सहायता प्राप्त कर अच्छा कार्य कर सकते हैं।

(3) खड-विस्तार-दल, जिसमे खड-विस्तार-अधिकारी और विकास के विभिन्न क्षेत्रो के विस्तार-अधिकारी हैं, जिस ढग से काम करते हे, वह पचायती राज की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्त्व का है। पचायत-समितियो को ठोस सहायता देने के लिए, इन अधिकारियो को एक रूप होकर काम करना चाहिए। खड-विकास-अधिकारी को आवश्यक समन्वय और नेतृत्व प्रदान करना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रो के विस्तार-अधिकारियो को पचायत-समितियो और उनकी स्थायी समितियो के विचार के लिए कार्यक्रमो और योजनाए बनाने मे सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, नियमो के अनुसार निष्पक्ष रूप से उन पर अमल कराना चाहिए तथा इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि आवश्यक सेवाए और सम्भरण कुशलतापूर्वक सगठित होगी। ग्राम-स्तर के कार्यकर्त्ताओ के कार्य का पर्याप्त अधीक्षण आवश्यक है। इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि खड-विकास-अधिकारी और विस्तार-अधिकारीगण, प्रधान कार्यालयो मे हर वाद-विवाद मे न पड कर, खड-क्षेत्र में व्यापक दौरा करें।

(4) पचायत-समितियो के कार्य में सावधानीपूर्वक विचार की गई खड-योजनाओ को तैयार करने तथा उनके परिपालन पर बल दिया जाना चाहिए। इनमे तथा ग्राम-योजनाओ मे ही जोरदार और निरन्तर विकास की दिशा में आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। तकनीकी रूप से सुविचारित खड और ग्राम-योजनाओ मे तदर्थ निर्णयो और स्थानीय दबाव को दूर करने में बडी सहायता मिलेगी।

(5) पचायती राज की स्थापना से राज्यो के तकनीकी विभागो का उत्तर-दायित्व बहुत बढ गया है। इन्हे विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम पथ-प्रदर्शन व अनुभव प्रदान करना चाहिए, निर्वाचित प्रतिनिधियो के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, और

पंचायत-राज-द्वारा उन पर सौंपे गए भारी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता देनी चाहिए।

(6) पंचायती राज-संस्थाओं की सफलता को निर्विघ्न बनाने का मुख्य दायित्व ज़िले के कलक्टर का होगा। उसका यह कर्त्तव्य है कि वह ज़िला-स्तर पर ज़िला-परिषद् और विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी अधिकारियों में समन्वय स्थापित करे, तकनीकी अधिकारियों, पंचायत-समितियों और खंड-स्तर पर विस्तार-अधिकारियों में निकट सम्पर्क कायम करे और राज्य-स्तरीय विभागों से तकनीकी परामर्श और निर्देशन निरन्तर मिलते रहने की व्यवस्था करे। कलक्टर के काम का एक महत्त्वपूर्ण पहलू प्रजातान्त्रिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में दिन-प्रति-दिन के कामों में ठीक परम्पराओं को विकसित करने में और सामान्य ध्येय की पूर्ति में उनके योगदान पर आधारित प्रशासनात्मक सम्बन्धों को स्थापित करने में सहायता देना होगा।

13 सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के सफल सम्पादन में विभिन्न तकनीकी विभागों को समन्वित रूप से इकट्ठे मिल कर काम करना होगा। यदि हम बहुसंख्यक कृषकों को अनुसन्धान के परिणामों का लाभ उठाने में और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि उन्हें ठीक समय पर तकनीकी परामर्श, और सुधरे हुए औज़ार, बीज, उर्वरक और ऋण मुहय्या किए जाएं। इन जटिल किन्तु महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी सरकारी अभिकरणों और सम्बद्ध संगठनों की ज़िम्मेदारियों को अच्छी प्रकार निश्चित कर दिया जाए, और उच्च तकनीकी अधिकारियों-द्वारा आवश्यक निर्देशन और अधीक्षण प्रदान करने के उत्तरदायित्वों के बारे में भी कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, इन मामलों में ऊपर से लेकर ग्रामीण इकाइयों तक उत्तरदायित्वों की एक अखंडित व्यवस्था होनी चाहिए।

ऊपर सरकारी अभिकरणों की ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। गैर-सरकारी नेताओं के कार्य निम्न होने चाहिए

(1) जन-सहयोग प्राप्त करना और जनता को कार्यक्रम स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना,

(2) ग्राम-पंचायतों और सहकारी समितियों को उनके कामों में सहायता प्रदान करना,

(3) ग्रामीण नेताओं तथा दूसरे लोगों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों में सहायता देना,

(4) स्थानीय जनशक्ति का प्रयोग करते हुए समाज के लाभ के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करना, और

(5) समाज के निम्न वर्ग के कल्याण-कार्यों को बढ़ाना।

ज़िला-प्रशासन का पुनर्गठन

14 पंचायती राज की स्थापना से ज़िला-प्रशासन के पुनर्गठन का व्यापक प्रश्न उठता है। इस बात को भली-भांति नहीं समझा गया कि गत दशाब्दी में ज़िला-

प्रशासन में जो परिवर्तन किए गए, वे बड़े अव्यवस्थित थे। जब सामुदायिक विकास-कार्य को हाथ में लिया गया, तब परम्परागत जिला-प्रशासन पर बिना किसी उपयुक्त सम्पर्क शृंखला के, विस्तार-सगठन को थोप दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक जिलो मे निम्न सगठन बिना किसी तालमेल के समानान्तर रूप से कार्य कर रहे है

(1) राजस्व-प्रशासन, जो तकावी, ऋण देने और ऋणो की प्राप्ति आदि-जैसे विकास के विशिष्ट कार्यों की देखभाल करता है,

(2) जिला, तालुका और अन्य स्तरो पर स्थापित विकास-विभाग,

(3) ग्राम-स्तर पर पचायतो और सहकारी समितियो मे सम्बद्ध खड-अधिकारियो और ग्राम-सेवको-सहित सामुदायिक विकास-सगठन, और

(4) स्थानीय बोर्ड (जहा उन्हें अभी समाप्त नही किया गया है।)

पचायती राज की स्थापना से पचायत-समितियो के कार्यों मे सामुदायिक विकास के तथा अन्य ऐसे कार्य जो अब तक स्थानीय बोर्डों के थे, समाविष्ट हो गए है। जिस प्रकार की स्थिति है, उसमे अभी तक एक ही काम दो सगठनो का हो गया है, अत यह आवश्यक हो गया है कि जिला-प्रशासन का पुनर्गठन किया जाए तथा कर्त्तव्यो और सम्बन्धो को नए सिरे से स्पष्ट किया जाए।

निम्न वर्ग और रोजगार की समस्या

15 सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो के बारे में समय-समय पर मूल्याकन-प्रतिवेदनों में तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि इन कार्यक्रमो से होनेवाले लाभ ग्राम-समाज के कम सौभाग्यशाली वर्ग तक उचित रूप में नही पहुच रहे है। हाल के अध्ययन-प्रतिवेदन में इस दिशा में कुछ सुधार का उल्लेख है। सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय-द्वारा नियुक्त एक अध्ययन-दल आजकल इस बात का अध्ययन कर रहा है कि किस प्रकार और किस सीमा तक सामुदायिक विकास-कार्यक्रम समाज के निम्न वर्ग के आर्थिक विकास और कल्याण को बढा सकते है। इस समस्या पर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास की पृष्ठभूमि मे ही विचार किया जाना चाहिए। निम्न वर्ग का कल्याण सारे ग्राम-समाज के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, और यदि देखा जाए तो ग्राम-समाज का बडा भाग ऐसे लोगो का है, जिन्हे आर्थिक दृष्टि से अशक्त कहा जा सकता है। वर्तमान ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की मुख्य कमजोरी कम आय, कम उत्पादकता, और निरन्तर रोजगार न मिलना है। जब तक सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था ही पर्याप्त गति से नही बढती, तब तक ग्राम-समाज के किसी वर्ग-विशेष की अथवा निम्न वर्ग की समस्याओ को सुलझाना कठिन है। मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि अधिक उत्पादक कृषि अर्थ-व्यवस्था को स्थापित किया जाए तथा गाव में बडी मात्रा में कृषि-भिन्न पेशो को प्रारम्भ किया जाए जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो। इसके साथ ही सभी कार्यों में कम सौभाग्यशाली वर्ग की आवश्यकताओ के प्रति अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

16 सामुदायिक विकास और ग्रामदान-आन्दोलन में गत तीन वर्षों में अधिकाधिक सामजस्य स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किए गए, उनमें दोनो के समान लक्ष्या पर अधिक बल दिया गया है। इनमें एक ग्राम-समाज-द्वारा अपने सभी सदस्यो के कल्याण

रोजगार और आजीविका का उत्तरदायित्व स्वीकार करना भी है। गाव के निम्न वर्ग की दृष्टि से यह लक्ष्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

17 खड-सगठन पहले ही बनाए गए भूमि-सुधार-कानूनो के परिपालन में जनमत को तैयार कर, तथा जनता को उसके कर्त्तव्यो और दायित्वो के प्रति प्रशिक्षण देकर, महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते है। अन्य ऐसे कदम जिन्हें खड-सगठन निम्न वर्ग की जनता के अविलम्ब लाभ के लिए उठा सकता है, ग्रामो में सहायक रोजगार मे वृद्धि करना, ग्रामोद्योगो और ग्राम के कारीगरो की उत्पादकता को बढाना, श्रमिको की सहकारी समितियो को सगठित करना, और क्षेत्र की जनशक्ति और साधनो के अधिकतम सम्भव प्रयोग को प्रोत्साहित करना आदि है। ग्रामो के निर्माण-कार्यक्रम का, जिनसे तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 25 लाख लोगो को, विशेषत उस समय जबकि खेतो आदि में कोई काम नही रहता है, रोजगार मिल सकेगा, परिपालन बहुत हद तक सामुदायिक विकास-सगठनो-द्वारा ही किया जाएगा। इस कार्यक्रम को पहले उन क्षेत्रो मे प्रारम्भ किया जाएगा जहा जनसख्या बहुत अधिक है और अर्ध-रोजगारी भी व्यापक पैमाने पर है। इसके बाद इसे अन्य क्षेत्रो में लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक अत्यधिक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है जिससे न केवल अतिरिक्त रोजगार ही उपलब्ध होगा, अपितु स्थानीय जनशक्ति के अधिकतम सम्भव प्रयोग पर और स्थानीय जन-समुदाय के प्रयत्नो एव सहयोग पर नए सिरे से बल देते हुए सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो को पूरा किया जा सकता है।

अध्याय 21

पशुपालन, दूध-उद्योग और मछली-उद्योग

इधर कुछ वर्षों में पूरक और उपसगी खाद्यान्न के, विशेषकर प्रोटीनों के, उत्पादन को बढ़ाने की अधिकाधिक जरूरत महसूस की गई है। इन चीजों की माग बड़ी तेजी से बढ़ी है और आमदनी में वृद्धि होने के कारण भविष्य में सम्भवत और भी तेजी से बढ़ेगी। दूध और दूध से बनी चीजों, भोज्य पक्षियों, अडों और मास की आपूर्ति बढ़ाना अन्तत पशुपालन-विकास की प्रगति पर ही निर्भर करता है। मछली-उद्योग के विकास के सिलसिले में महत्वपूर्ण परिणाम पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत-कुछ करना बाकी है।

पशुपालन

2 पशुपालन का विकास विविधतापूर्ण खेती की सुचारु पद्धति का ही एक अभिन्न अग है। मिली-जुली खेती पर जोर दिया जाएगा। इस पद्धति में भूमि, श्रम और पूजी के सही और किफायती इस्तेमाल के लिए फसल उगाने और पशुपालन का काम समन्वित ढग से किया जाता है। कृषि के उप-उत्पादनों के पूरे उपयोग, भूमि की उर्वरता बनाए रखने, कृषकों को बारहों महीने पूरा रोजगार देने तथा ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती और पशुपालन का समेकन आवश्यक है।

3 सन् 1956 की पशु-गणना के अनुसार, देश में कुल 30 करोड 60 लाख फार्म-पशु थे। इनमें से 15 करोड 90 लाख गाए और 4 करोड 50 लाख भैंसें थी। इन दोनों को मिला कर देखें, तो दुनिया के गोजातीय पशुओं का एक-चौथाई हिस्सा भारत में है। इनके अतिरिक्त, 3 करोड 90 लाख भेड़ें, 5 करोड 50 लाख बकरिया, 80 लाख अन्य पशु तथा 9 करोड 50 लाख कुक्कुट थे। भारत में पशुधन की उत्पादकता आम तौर पर कम है। हालाकि कुछ नस्लों के मवेशी काफी दूध देते हैं और अन्य नस्लों के मवेशियों की उत्पादकता में भी इधर कुछ वृद्धि होने के सकेत मिले हैं, फिर भी भारत में औसत उत्पादन अभी बहुत कम है। इस प्रकार, एक व्यात में गाय औसतन 400 पौंड के करीब और भैंस 1,100 पौंड से कुछ अधिक दूध देती है, जब कि पश्चिम के उन्नत देशों में यह औसत परिमाण लगभग 5,000 पौंड या इससे भी कुछ ज्यादा है। दूध का कुल उत्पादन सन् 1951 में अनुमानत 1 करोड 70 लाख टन और सन् 1956 में 1 करोड 90 लाख टन था। अभी यह मात्रा 2 करोड 20 लाख टन है। आशा है कि तीसरी योजना के अन्त तक यह मात्रा बढ़ कर 2 करोड 50 लाख टन हो जाएगी। दूध के खपत-सम्बन्धी आकड़े सन्तोषप्रद नहीं हैं। सन् 1951 के अनुमानों के अनुसार, दूध और उससे बनी चीजों की प्रति व्यक्ति-औसत खपत 4 76 औंस प्रति दिन थी, जो अब 4 9 औंस है। इस सम्बन्ध में अलग-अलग राज्यों में बहुत अन्तर विद्यमान था—पजाब, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश और उत्तरप्रदेश में देश के अन्य भागों के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक खपत थी। आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति-खपत 5 1 औंस प्रति दिन हो जाएगी। सन्तुलित भोजन के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम-से-कम 10 औंस की आवश्यकता होती है। इस तरह, इसकी खपत के बारे में आज जिस स्तर की बात सोची जा रही है, वह पूर्णत अपर्याप्त है।

प्रगति की समीक्षा

4 पहली योजना में पशुपालन-कार्यक्रमो के अन्तर्गत 146 मुख्यग्राम-खड, जिनमे कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्र थे, और 25 गोसदन स्थापित किए गए। पशुओ की महामारी के उन्मूलन के लिए भी एक मार्गदर्शक योजना शुरू की गई। दूसरी योजना में 196 नए मुख्यग्राम-खड स्थापित करने का काम हाथ में लिया गया और पहली योजना में स्थापित 114 मुख्यग्राम-खडों का विकास किया गया। पहली योजना में जो मुख्यग्राम-खड स्थापित किए गए थे, उनमें 4 अलग-अलग इकाइया थी। दूसरी योजना के मुख्यग्राम-खडो में 6-6 इकाइया है। दूसरी योजना के अन्त तक कुल मिला कर 2,000 मुख्यग्राम-इकाइया स्थापित की जा चुकी थी। सन् 1960 तक 670 कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्र स्थापित किए गए थे। दूसरी योजना में 34 गोसदन और स्थापित किए गए तथा 246 गोशालाए विकास के लिए चुनी गई। दूसरी योजना के अन्त तक करीब 4,000 पशु-चिकित्सा-अस्पताल और औषधालय खोले जा चुके थे। इनमें से 650 पहली योजना में स्थापित किए गए थे और करीब 1,900 दूसरी योजना में। दूसरी योजना में गोसदन-योजना में सशोधन किया गया, ताकि राज्य-सरकारें और गैर-सरकारी सस्थाए, दोनो ही गोसदन स्थापित कर सकें। नुक्सान में कमी करने के विचार से यह प्रस्ताव किया गया कि चमडा कमाने और खाल उतारने तथा पशु-शवो को काम में लाने के लिए गोसदनो में चर्मालयो की भी व्यवस्था की जाए और उनमें उपकरण तथा मशीनें, आदि लगाई जाए। पशुपालन पर पहली योजना में कुल 8 करोड रु० और दूसरी योजना में 21 करोड रु० के व्यय की व्यवस्था थी।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

5 बहुत-सी परिसीमाओ के कारण पहली और दूसरी योजना की अवधि में पशुपालन के क्षेत्र में यथेष्ट विकास-कार्य नही किया जा सका। इनमें से कुछ बाधाए तो प्राय बनी रहती हैं—जैसे, बेकार और फालतू मवेशियो की अधिकता, भोजन में पौष्टिकता की कमी और अच्छी नस्ल के साडो का अभाव। बहुत-से मुख्यग्राम-खड स्थापित नस्ल-सुधार-क्षेत्रों के बाहर 'अवर्गीकृत' इलाको मे बसे हुए थे। कई राज्यो में प्रशिक्षित कर्मचारियो की भी कमी थी। तीसरी योजना में पशुपालन के लिए करीब 54 करोड रु० की व्यवस्था है। इसमें मुख्यग्राम-कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है, ताकि प्रत्येक खड मे 10 इकाइयो की व्यवस्था हो सके और केन्द्रीय कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्र स्थापित किए जा सकें। पशु-महामारी से सम्बद्ध कार्यक्रम को और तेजी से लागू किया जाएगा और बधिया करने का एक वृहत् कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

6 नस्ल सुधार - जैसा कि दूसरी योजना में बताया गया था, भारत में मवेशियो की 25 बढिया नस्लें हैं और भैंसो की 6। ये नस्लें देश के विभिन्न भागो में फैली हुई हैं। प्रत्येक नस्ल में बहुत बढिया किस्म के कुछ ही मवेशी होते हैं। कुछ नस्लें दूध-उद्योग के लिए अच्छी होती हैं। इनमें मादाए तो बहुत दूध देती है, पर बैल अच्छे नही होते। अधिकतर नस्लें बोझा ढोनेवाली किस्म की हैं, जिनमें गाए कम दूध देनेवाली होती हैं, लेकिन बैल बढिया किस्म के होते हैं। बीच की भी कुछ नस्लें हैं, जिन्हें दोहरा प्रयोजनवाली कहा जा सकता है। इनमें गाए औसत से ज्यादा दूध देती है और बैल भी बहुत मेहनती होते हैं। मवेशियो की ये बढिया नस्लें देश के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रो से बाहर, देश के बाकी बहुत बडे भाग में,

जो मवेशी हैं—विशेषकर पूर्व और दक्षिण में—वे अवर्गीकृत किस्म के हैं और किसी विशेष वर्ग में नही आते । भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्-द्वारा निर्धारित और केन्द्र तथा राज्य-सरकारो-द्वारा मान्यता-प्राप्त अखिल भारतीय प्रजनन-नीति में कहा गया है कि उत्कृष्ट प्रजनन के माध्यम से बढिया दुधारू नस्ल में दूध की मात्रा ज्यादा-से-ज्यादा बढाने की कोशिश की जानी चाहिए और नरो का प्रयोग अवर्गीकृत मवेशियो के विकास में होना चाहिए । बढिया भारवाही नस्लो के बारे में उद्देश्य यह रखा गया कि उनकी काम करने की क्षमता में किसी प्रकार की रुकावट डाले बिना उनकी दूध देने की क्षमता यथासम्भव बढाई जाए । इस प्रकार 'दोहरे प्रयोजनवाली नस्ल तैयार करना और इसका विकास करना ही प्रजनन-नीति है, जिससे अच्छी खेती के लिए बैल और मनुष्य के उपयोग के लिए दूध की मात्रा, दोनो ही उपलब्ध हो । तीसरी योजना में प्रयोग के तौर पर इन दिशाओ मे काम करने के अलावा यह भी विचार है कि ऊचाईवाले क्षेत्रो मे, जहा वर्षा अधिक होती है, विदेशी नस्लो से मिश्र प्रजनन भी शुरू किया जाए । विदेशी पशु-सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा करने के वास्ते जरसी पशुओ के केन्द्रिक यूथ के लिए एक फार्म स्थापित करने का विचार है ।

7 मुख्यग्राम-कार्यक्रम पर, जो पिछली दो योजनाओ में व्यापक मवेशी विकास का मुख्य कार्यक्रम रहा है, हाल ही में एक विशेषज्ञ-समिति ने फिर से विचार किया है । समिति ने सुझाव दिया है कि मुख्यग्राम-खड के काम में सुधार करने और ऐसे खडो को बन्द करने की दृष्टि से, जिनमें सन्तोषजनक काम नही हुआ है, राज्य-सरकारो को उनके काम की समीक्षा करनी चाहिए । बढिया किस्म के साडो की कमी को दूर करने के ख्याल से सुझाव दिया गया है कि सरकारी फार्मों में और निजी फार्मों में, जहा आवश्यक सुविधाए उपलब्ध हो या उपलब्ध की जा सकती हो, राज्य-सरकारो को पूरी तरह सोच-विचार कर खरीदारी-कार्यक्रम तथा सन्तति-परीक्षण-कार्यक्रम शुरू करने चाहिए । मुख्यग्राम-क्षेत्रो में सन्तोषजनक ढग से प्रजनन-नियन्त्रण करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि बधिया करने के कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाए और साडो को छोटी अवस्था में ही बधिया करने के पक्ष में प्रचार किया जाए । यह भी सुझाव दिया गया है कि मुख्यग्राम-क्षेत्रों में बछडो के पोषण के कार्यक्रम का विकास किया जाए । समिति ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि मुख्यग्राम-कार्यक्रम मे सम्बद्ध खाद्य और चारा-विकास-कार्यक्रम के क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति नही हुई है । इस दोष को दूर करने के लिए समिति ने कई सुझाव दिए है, जिनमें ये भी शामिल है चारे के वर्तमान साधनो का बेहतर इस्तेमाल, जहा चरागाह बना दिए गए है, वहा चराई का नियन्त्रण, सीमान्त और उपसीमान्त भूमि में चारे की फसले उगाना, धान की फसल के बाद फलीवाले पौदो की फसल उगाना, खत्तियो का निर्माण तथा किसानो में गायो के चराने-लायक घास उगाने के कार्यक्रम का प्रचार करना, और पशुओ को सन्तुलित भोजन देना । इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि पशुधन और पशुधन के उत्पादनो की बिक्री पशुपालको की सहकारी हाट-व्यवस्था-समितियों के माध्यम से होनी चाहिए । कृत्रिम गर्भाधान से सम्बद्ध वर्तमान प्रबन्ध को उन्नत करने के बारे में भी समिति ने कई सुझाव दिए है ।

8 दूसरी योजना में मुख्यग्राम-क्षेत्रो और मवेशी-फार्मों की आवश्यकता की दृष्टि से साडो के सन्तति-परीक्षण की एक योजना शुरू की गई । परीक्षण के लिए मवेशियो को हरियाना नस्ल और भैसो की मर्रा नस्ल चुनी गई । विचार यह है कि इस प्रकार की

सन्तति-परीक्षण-योजना धीरे-धीरे हर महत्वपूर्ण नस्ल के लिए लागू की जाए। आन्ध्रप्रदेश की ओंगोल नस्ल और गुजरात की कांकरेज नस्ल पर भी सन्तति-परीक्षण किया जा रहा है।

9. कुछ नियत नस्लों के अनुरूप मवेशियों की रजिस्ट्री रखना मवेशियों की नस्ल सुधारने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। विचार है कि मुख्य नस्ल-सुधार-क्षेत्रों में किसानों को नस्ल-सुधार-समितियां कायम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिनमें मवेशियों को दर्ज करने और जितना दूध हो, उसका रिकार्ड रखने की व्यवस्था हो। ये समितियां सदस्यों को जरूरत के अनुसार अच्छी नस्ल के सांडों की भी व्यवस्था करेंगी। तीसरी योजना में इस कार्यक्रम के अधीन मवेशियों की हरियाना, गिर और ओंगोल नस्लों पर तथा भैंसों की मुर्रा नस्ल पर मुख्यतः ध्यान दिया जाएगा।

10. पशुपालन के कार्यक्रमों को लागू करने में अच्छी नस्ल के सांडों की कमी एक खास रुकावट रही है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इस समय 125 सरकारी मवेशी-प्रजनन फार्म हैं लेकिन इनमें कुल 5,000 के करीब सांड तैयार होते हैं। यह संख्या असली आवश्यकता का एक बहुत ही थोड़ा हिस्सा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नस्ल-सुधार-क्षेत्रों में 11 बछड़ा-पालन-फार्म स्थापित करने की व्यवस्था है। इनमें करीब 30,000 बछड़े तैयार करने में सहायता देने की भी व्यवस्था है। अगर ग्राम-पंचायतों और सहकारी नस्ल-सुधार-समितियों को काफी सुविधाएं दी जाएं, तो इस योजना का काफी विस्तार किया जा सकता है। यह भी प्रस्ताव है कि इस समय जो 33 सरकारी मवेशी-प्रजनन-फार्म हैं, उनमें ढोरों की संख्या बढ़ाई जाए तथा उनके प्रबन्ध में सुधार किया जाए, ताकि वे बड़ी संख्या में बढ़िया सांड तैयार कर सकें। अनेक नए पशुधन-फार्म भी स्थापित किए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पशुधन-विकास खास तौर पर पिछड़ गया है। फिर भी, इन क्षेत्रों में विदेशी नस्लों के साथ मिश्र प्रजनन की काफी गुंजायश है। पहाड़ी मवेशियों के विकास की दृष्टि से सांड तैयार करने के लिए एक विदेशी प्रजनन-फार्म स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। बड़े नस्ल-सुधार-क्षेत्रों में एक कठिन समस्या इस कारण सामने आती है कि ज्यादा दूध देनेवाले पशु लगातार बड़े-बड़े नगरों में भेजे जा रहे हैं, जहां वे एक या दो ब्यान के बाद इन्हें कसाई दे दिए जाते हैं। इस गम्भीर हानि को रोकने के लिए उपाय खोजे जा रहे हैं।

11. **भोजन और पौष्टिकता** : संख्या में वृद्धि के साथ-साथ अपर्याप्त भोजन और पौष्टिकता का अभाव बहुत हद तक पशुधन की किस्म में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। इसलिए चरागाहों का विकास, चारे के उत्पादन में वृद्धि, इसे रखने के लिए बेहतर प्रबन्ध और कृषि के उप-उत्पादनों का बेहतर उपयोग—ये पशुपालन-विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तीसरी योजना में जो उपाय करने का विचार है, उनमें ये भी शामिल हैं—पशुधन-फार्मों में चारे की किस्म सुधारने का काम, गांवों में चारा-प्रदर्शन-प्लाटों की स्थापना, पौदे लगाने के साज-सामान का वितरण, साइलेज बना कर फालतू बचे चारे का संरक्षण, चुनिन्दा मवेशियों को सन्तुलित मात्रा में भोजन देना, उन्नत तरीकों को अपनाना तथा चारा-प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण-केन्द्रों की स्थापना। अभाव के दिनों में चारा-बैंकों का काफी महत्व होता है। दूसरी योजना के दौरान एक ऐसा बैंक स्थापित किया गया था। तीसरी योजना में दो और चारा-बैंक खोलने का विचार है। एक चारा तथा चरागाह-अनुसन्धान-संस्था स्थापित करने का भी विचार है। मिली-जुली खेती के विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए

नदी-घाटी-क्षेत्रो तथा उन क्षेत्रो को, जहा पशुधन का पहले ही सन्तोषजनक विकास हो चुका है, प्राथमिकता दी जा रही है। इन क्षेत्रो मे खाद्य और प्रमुख व्यावसायिक फसलें तथा चारा और फलीदार फसले बारी-बारी से उगाई जाएगी, बढिया किस्म के 'दोहरे प्रयोजनवाले' मवेशी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा चारे के बीज-फार्म और प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किए जाएगे।

12 फालतू मवेशी : फालतू और बेकार मवेशियो की समस्या सभी जगह गम्भीर है, हालाकि इस प्रकार के मवेशियो की सख्या विभिन्न क्षेत्रो में अलग-अलग है। जैसा कि दूसरी योजना में बताया गया था, मवेशियो की सख्या अधिक होने मे उनके भोजन की व्यवस्था ठीक तरह नहीं हो पाती और भोजन-व्यवस्था ठीक न होने से उत्पादन बढाने में बाधा पडती है। घटिया किस्म के मवेशियो का खात्मा मवेशी-उन्नयन और क्रमबद्ध नस्ल-सुधार के कार्यक्रम का अभिन्न अग है। इस समस्या को किसी हद तक खत्म करने के विचार से गोसदन-योजना, जो सन् 1948 में मवेशी-परीक्षण और विकास-समिति ने तैयार की थी, चालू की गई। इस योजना में बेकार मवेशियो को अलग रखने की व्यवस्था है, ताकि उनकी सख्या और न बढ पाए तथा फसल को नुकसान न पहुचे। गत दस वर्षों में 59 गोसदन खोले जा चुके हैं—25 पहली योजना में और 34 दूसरी योजना में। तीसरी योजना मे 23 नए गोसदन खोलने का विचार है। गोसदन स्थापित करने में स्वभावत ही कुछ कठिनाइया सामने आती है। इनमें वन्य क्षेत्रो के अन्दरूनी भागो में जहा चरने के लिए आवश्यक सुविधाए मौजूद है, उचित स्थान का प्राप्त न होना, सबसे बडी कठिनाई है। गोसदनो को और लाभप्रद रूप देने की दृष्टि के समय-समय पर कार्यक्रम में सुधार किए गए है। इस सिलसिले में खाल, हड्डी, सीग, आदि के भरपूर उपयोग के लिए सुविधाए देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और प्रति पशु-खर्च कम करने की कोशिश की गई है।

जगली और हरैल पशुओ का खतरा भी पालतू मवेशियो की समस्या का एक पहलू है। दूसरी योजना में गोसदन-कार्यक्रम के एक अग के रूप में जगली तथा हरैल पशुओ को पकडने, पालतू बनाने और फिर उनकी निकासी की एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, पजाब तथा उत्तरप्रदेश में काम हो रहा है।

फालतू मवेशियो की समस्या की विकटता और उसकी विशेषताओ को देखते हुए बूढे साडो को खत्म करने के ख्याल से तीसरी योजना में बधिया करने का कार्यक्रम बडे पैमाने पर शुरू करने का विचार है। इस कार्यक्रम के अनुसार बधिया करने का काम बडे पैमाने पर पहले उन क्षेत्रो में शुरू किया जाएगा, जिनमें पशुधन-विकास-कार्यक्रम तेजी के साथ शुरू किए जा चुके है। बाद में उसे अन्य क्षेत्रो में फैलाया जाएगा।

13 पशु-चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार और रोग-नियन्त्रण : आशा है कि तीसरी योजना में पशु-चिकित्सा-अस्पतालो और औषधालयो की सख्या बढ कर 8,000 हो जाएगी और प्रत्येक विकास-खड में कम-से-कम एक ऐसा अस्पताल या औषधालय होगा। टीको और सीरे का भी उत्पादन बढाया जाएगा, क्योकि छूत की बीमारियो की रोकथाम के लिए इनकी जरूरत होती है। दूसरी योजना में पशु-महामारी-उन्मूलन का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसके अन्तर्गत 9 करोड मवेशियो को सुरक्षित कर दिया गया है। अब कोई 4 करोड 10 लाख मवेशी बाकी रहते हैं। आशा की जाती है कि सन् 1963-64 के अन्त तक देश में गोजाति के सभी पशुओ को टीके लगाए जा चुकेंगे। इसका एक अनुवर्ती कार्यक्रम शुरू

करने का विचार है, जिसके अन्तर्गत रक्षित क्षेत्र बनाए जाएगे और पशुओ के प्रवेश करने की मुख्य जगहो पर 10 सगरोध-केन्द्र खोले जाएगे। इन्हें मिला कर इस प्रकार के केन्द्रो की सख्या 28 हो जाएगी।

14 सूअर-उद्योग का विकास : सूअर-उद्योग के उत्पादनो से सस्ता पशु-प्रोटीन प्राप्त होता है और पौष्टिकता-सम्बन्धी आवश्यकताओ के सुधार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। उप-उत्पादन के रूप में प्राप्त सूअर के कडे बाल बहुमूल्य निर्यात-सामग्री हैं। दूसरी योजना की अवधि में सूअर-उद्योग-विकास-खडो में उपयोग के लिए अच्छी नस्ल के सूअर तैयार करने के वास्ते 13 सूअर-प्रजनन इकाइया स्थापित की गई थी। इन इकाइयो के नस्ल-सुधार-सम्बन्धी उपादानो का प्रयोग करने के लिए 28 सूअर-उद्योग-विकास-खड भी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा, 2 प्रादेशिक सूअर-प्रजनन-केन्द्र एव सूअर-मास-कारखाने भी खोले जा चुके हैं। इनमें से एक अलीगढ (उत्तरप्रदेश) में स्थापित किया गया और दूसरा हरिणघाट (पश्चिम-बगाल) मे। तीसरी पचवर्षीय योजना में सूअर-उद्योग का बडे पैमाने पर विकास करने की व्यवस्था है। 2 सूअर-प्रजनन-केन्द्र एव सूअर-मास-कारखाने, 12 सूअर-उद्योग-इकाइया तथा 140 सूअर-उद्योग-विकास-खड स्थापित करने का विचार है। इस उद्योग का व्यापक विकास होने से ग्राम-समुदाय के गरीब वर्गों के बहुत-से लोगो का आर्थिक स्तर ऊचा उठाने में मदद मिलेगी।

15 घोडों का नस्ल-सुधार : देश-विभाजन से पहले सशस्त्र सेनाओ की घोडो, खच्चरो, आदि की आवश्यकता ज्यादातर उन विशेष नस्ल-सुधार-योजनाओं से पूरी की जाती थी, जो सरकार ने नहरी बस्तियो में चालू कर रखी थी। कुछ हद तक विदेशो से आयात करके भी इस आवश्यकता को पूरा किया जाता था। हालाकि अब युद्ध में मशीनों का प्रयोग बहुत बढ गया है, फिर भी पर्वतीय तोप-सेना तथा पशु-परिवहन कम्पनियो में और पर्वतीय क्षेत्र में बोझा, आदि ले जाने के लिए घोडो तथा खच्चरो की काफी माग है। ये सब मागें और इनके साथ ही पुलिस की मागें 'अनियन्त्रित' पद्धति से, जो कि उत्तरप्रदेश और पजाब के कुछ जिलो में अब भी प्रचलित है, और कुछ हद तक आयात से पूरी की जाती हैं।

वर्तमान नस्लो की रक्षा की नीति तथा भारतीय घोडो की एक नस्ल तैयार करने के उद्देश्य के परिणामस्वरूप 'भारतीय सुपोषित नस्ल' का विकास हुआ है। इस नस्ल के घोडे दौडने में तेज होते हैं, इनमें काफी शक्ति, धैर्य और दृढता होती है तथा इनकी चाल सहज होती है। इस नस्ल के घोडो की घुडदौड-क्लबो में बहुत माग है। काठियावाडी और मारवाडी नस्लों के अतिरिक्त अन्य नस्लों—जैसे, भोटिया, मणिपुरी, स्पिती, शाहाबादी, आदि—को सुधारने की ओर कोई खास ख्याल नही दिया गया है। पहली और दूसरी योजनाओं में घोडो की नस्ल उन्नत करने का व्यवस्थित प्रयास नही किया गया। तीसरी योजना में एक अश्व-प्रजनन-फार्म स्थापित किया जाएगा, जिसमें 48 घोडिया और 2 प्रजनन-अश्व तथा 20 गधिया और 5 प्रजनन-गधे रखे जाएगे। इस फार्म में प्रति वर्ष 12 प्रजनन-अश्व और 6 प्रजनन-गधे तैयार किए जाएगे और इन्हें स्थानीय नस्लो के सुधार के लिए 10 चुने हुए प्रजनन-केन्द्रो में रखा जाएगा। अगले चार वर्षों में विदेशो से सीमित सख्या में घोडे मगाने की बात भी तय हो गई है। अश्व-प्रजनन-कार्यक्रम के अन्य पहलुओ—जैसे, राष्ट्रीय अश्व-प्रजनन-केन्द्र की स्थापना, सहकारी प्रजनन-योजनाओं तथा निजी अश्व-प्रजनन-केन्द्र खोलने के प्रस्ताव—पर विचार किया जा रहा है।

16 भेड़ें और ऊन-विकास : देश मे करीब 7 करोड 20 लाख पौंड ऊन का उत्पादन होता है, जिसमें से दरी-गलीचे, आदि बनाने के उपयुक्त करीब आधा ऊन विदेशो को भेज दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही 1 करोड 50 लाख पौंड से लेकर 1 करोड 70 लाख पौंड तक अर्द्धविधायित ऊन विदेशो से मगाया जाता है। सन् 1959-60 मे ऊन, भेडो तथा उनके उत्पादन से 26 6 करोड रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, जब कि 8 8 करोड रु० का अर्द्धविधायित ऊन विदेशो से मगाना पडा। अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक भेडो तथा उनके उत्पादनों का निर्यात-मूल्य बढ कर करीब 35 करोड रु० हो जाएगा। दूसरी योजना मे बढिया किस्म की भेडें तैयार करने के लिए 4 भेड-प्रजनन-फार्म खोले गए। स्थानीय नस्लो में सुधार करने की दृष्टि से स्थापित नस्ल-सुधार-क्षेत्रो के 305 भेड और ऊन-विस्तार-केन्द्रो को भेडे दिए गए। प्रजनन-सुविधाए उपलब्ध करने के अलावा ये केन्द्र भेडो के बाल उतारने, उनकी श्रेणी निर्धारित करने तथा उनकी बिक्री बढाने के उन्नत तरीको का निदर्शन भी करते है। तीसरी योजना मे 15 भेड-प्रजनन-फार्म स्थापित किए जाएगे तथा 17 फार्मों का विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रो के भेड-पालको को इन फार्मो मे कुल मिला कर 2,000-2,500 अच्छी नस्ल के भेडे दिए जाएगे। आशा की जाती है कि इन विभिन्न उपायो से तीसरी योजना के अन्त तक ऊन का उत्पादन बढ कर 9 करोड पौंड हो जाएगा। स्वदेशी उद्योग-द्वारा बढिया किस्म के ऊन की वृद्धिशील माग को देखते हुए भेडो के बालो को ठीक तरह से उतारने तथा उनकी किस्म निर्धारित करने का एक बडा कार्यक्रम राजस्थान मे शुरू किया जाएगा। मिली-जुली खेती के विकास के लिए भेडो से काम लेना शुरू किया जाए—इस ख्याल से कुछ राज्यो की योजनाओ में ऋण देने की भी व्यवस्था की गई है।

17 कुक्कुटपालन : सूअर-उद्योग के साथ ही, कुक्कुटपालन से गावो और नगरो, दोनो में रोजगार की सम्भावनाए बढती है—विशेषकर समाज के गरीब वर्गों के लिए। फिर भी, व्यावसायिक अडा-सेवन-उद्योग और व्यावसायिक खाद्य-उद्योग से सम्बन्ध न होने तथा कुक्कुट-उत्पादनो की बिक्री की कोई सगठित व्यवस्था न होने के कारण भारत में कुक्कुटपालन-उद्योग मूलत कुटीर उद्योग ही है। दूसरी योजना में प्रजनन के उद्देश्य से बढिया किस्म के कुक्कुट तैयार करने के लिए साज-सामान से लैस 5 प्रादेशिक कुक्कुट-फार्म खोले गए थे। इन प्रादेशिक फार्मो से राज्यो के कुक्कुट-फार्मों, विस्तार-केन्द्रों तथा कुक्कुट-पालको को कुक्कुटो के चूजे दिए गए। दूसरी योजना के दौरान 269 कुक्कुटपालन-विस्तार-केन्द्र भी खोले गए। तीसरी योजना में 60 राज्य-कुक्कुट-फार्मों के विस्तार तथा 3 प्रादेशिक कुक्कुट-फार्मों और 50 विस्तार एव विकास-केन्द्रो को बढाने की व्यवस्था है। प्रत्येक कुक्कुट-विकास-केन्द्र में 100 कुक्कुटो की एक प्रदर्शन-इकाई और एक अडा-अनुर्वरण-इकाई है, जिसमें किसानो को कुक्कुटपालन-केन्द्र में कुक्कुटपालन के आधुनिक तरीके समझाए जाते है। इन केन्द्रो में व्यावसायिक अडा-सेवनालय भी खोले जाएगे। आशा की जाती है कि इन उपायों के कारण प्रति मुर्गी-अडो की औसत सख्या 60 से बढ कर 70 हो जाएगी। 2 प्रादेशिक बत्तख-प्रजनन-फार्म, 17 बत्तख-विस्तार-केन्द्र, 1 अडा-चूर्ण कारखाना और कुक्कुटो का चग्गा तैयार करनेवाले 15 केन्द्र भी स्थापित करने का विचार है।

18 हाट-व्यवस्था : बढिया किस्म के पशु तैयार करने के विचार मे यह जरूरी है कि पशुधन तथा पशुधन-उत्पादनो की वर्तमान हाट-व्यवस्था में सुधार किया जाए। यह विकास का एक ऐसा पहलू है, जिस पर अभी तक कोई खास ध्यान नही दिया गया है। व्यापार के

तरीकों का नियमन जरूरी है और बाजारों के अहातों में पशुओं को गुसलाने और पानी पीने, आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिए। पालनेवालों को भाव और बिक्री की सम्भावनाओं के बारे में अधिकृत सूचनाएं देने की सुविधाएं भी अभी सन्तोषजनक नहीं हैं। प्रत्येक राज्य में—विशेषकर मुख्यग्राम-खंडों में—पशुधन तथा पशुधन-उत्पादनों की बिक्री के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक तरह से बाल उतारने, उनकी किस्म निर्धारित करने और ऊन की बिक्री की योजनाएं भी काफी महत्व की हैं। राज्यों की योजनाओं में खाल उतारने के ठीक-ठीक तरीके के बारे में तथा छीजन का उचित उपयोग करने के बारे में प्रदर्शन तथा प्रचार करने के कार्यक्रम भी शामिल हैं। कई राज्यों ने बूचड़खानों में सुधार करके मांस-मंडियों का विकास करने तथा कुछ जगहों पर स्वास्थ्य-सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर बनाए जाने वाले कसाईखाने खोलने के लिए विशेष व्यवस्था की है।

19 खाल-कढाई, सफाई तथा छीजन का उपयोग : आधुनिक बूचड़खाने और कसाई-खाने पर्याप्त संख्या में न होने की वजह से देश में जितनी खाल का उत्पादन होता है, उसका अधिकांश मरे पशुओं की खाल का होता है, जो बूचड़खाने की खाल की किस्म को देखते हुए घटिया किस्म की होती है। उचित तरीके से खाल उतारने और उसे वैज्ञानिक तरीके से साफ करने की सुविधाओं की कमी होने की वजह से देश में जो चमड़ा और खाल तैयार की जाती है, वह घटिया किस्म की होती है और अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में उनके कम दाम उठते हैं।

सन् 1960-61 में 28 करोड़ रु० की खाल और चमड़े का निर्यात हुआ तथा आशा की जाती है कि 1965-66 तक यह निर्यात बढ़ कर 34 करोड़ रु० का हो जाएगा। स्वदेशी चमड़ा-निर्माता बढ़िया किस्म के चमड़े की आपूर्ति के लिए अधिकाधिक दबाव डाल रहे हैं। इस बारे में प्रमुख समस्याएं ये हैं एक तो, जिन साधनों से बेकार अंश इकट्ठे किए जाते हैं, वे बिखरे हुए हैं और दूसरी बात यह, कि स्थानीय खाल उतारनेवाले अपना वर्षों-पुराना व्यवसाय छोड़ने की इच्छा रखते हैं। इस कारण यह जरूरी है कि मृत पशुओं की ज्यादा खाल इकट्ठी करने के लिए और खाल उतारने के बेहतर तरीके के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया जाए। इस प्रकार कार्यक्रम शुरू करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वे ये हैं

(1) बेकार अंशों की ठीक समय पर प्राप्ति और सभी उप-उत्पादनों—जैसे, मांस, हड्डी, सींग और चर्बी, आदि—का पूरा-पूरा उपयोग,

(2) प्रशिक्षित कर्मचारियों की देखरेख में उन्नत तरीकों से चमड़े और खाल कमाना, और

(3) कुछ चुने हुए केन्द्रों में प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था।

तीसरी योजना के दौरान खाल उतारने, उनकी सफाई करने तथा बेकार अंशों का उपयोग करने के 14 छोटे और 1 बड़ा केन्द्र तथा 2 हड्डी पीसनेवाली चलती-फिरती इकाइयां खोलने का विचार है।

20 मवेशी-बीमा : कभी-कभी महामारी फैलने से किसानों के भारवाही या दुधारू पशु मर जाते हैं और उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बम्बई की 'कोआपरेटिव म्युच्युअल इंश्योरेंस कम्पनी' ने महाराष्ट्र और गुजरात-राज्यों में दुधारू पशुओं और भारवाही मवेशियों का बीमा करना शुरू किया है। केरल-सरकार ने भी इस तरह की योजना में दिलचस्पी दिखाई है। आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मैसूर, मद्रास और पंजाब की सरकारों

ने मवेशियो का बीमा करने की सम्भावनाओ की जाच करने की योजनाओ का प्रस्ताव किया है ।

21 **अन्य योजनाएं** : गोशाला-जैसी निजी सस्थाओ के माध्यम से मवेशी-विकास-कार्यो को गति देने का विचार है। दूसरी योजना मे बढिया किस्म के साड तैयार करने के लिए 246 गोशालाओ को चुना गया था । इन गोशालाओ के साडो को प्रजनन के लिए और दूध का उत्पादन बढाने के लिए बाटा जाएगा । इस बात पर विचार किया जा रहा है कि 168 अन्य गोशालाओ को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाए, ताकि वे मवेशी-प्रजनन एव दूध-उत्पादन-इकाइयो मे परिणत की जा सके ।

देश के कुछ भागो में बजारे रहते हैं, जो परम्परा से मवेशी-पालन का काम करते हैं और जिनके पास कुछ खास नस्लो के बढिया मवेशी होते है । इन व्यावसायिक पशुपालको की आर्थिक दशा सुधारने की आवश्यकता है, ताकि वे अपना पुराना धन्धा करते रहें और पशुओ का सुधार तथा विकास करें और उनके पास जो अच्छे पशु हो, उनका उपयोग अवर्गीकृत क्षेत्रो के विकास में किया जा सके । दूसरी योजना की अवधि मे आन्ध्रप्रदेश, भूतपूर्व बम्बई राज्य, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में इन मवेशी-व्यवसायी बजारो के पुनर्वास की योजना शुरू की गई थी । राजस्थान के मवेशी-व्यवसायी बजारो के पास 'राठी' और 'थरपारकर' नस्ल के जो पशु है, उनके विकास की भी व्यवस्था की गई है ।

22 **केन्द्रीय गोसंवर्द्धन-परिषद्** . मवेशियो के—खास कर गाय के—विकास में पहले से ही सलग्न निजी सस्थाओ और सगठनो को इस काम मे शामिल करने के ख्याल से सन् 1960 में केन्द्रीय गोसवर्द्धन-परिषद् बनाई गई । परिषद् को विशेष कार्य सौंपे गए हैं—जैसे, मवेशियो के परीक्षण और विकास से सम्बद्ध कार्यो का आयोजन करना, उनको अमल मे लाना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और दूध की मात्रा बढाने एव भारवाही पशुओ की किस्म सुधारने की योजनाओ को लागू करना । परिषद् गोशालाओ और चर्मालयो के कर्मचारियो के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र चलाएगी, प्रदर्शनियो का आयोजन करेगी और खेतिहर श्रमिको के लिए पत्रिकाओ, फिल्मो तथा पुस्तिकाओ की व्यवस्था करेगी । केन्द्रीय गोसवर्द्धन-परिषद् से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह गोसवर्द्धन के काम में दिलचस्पी लेनेवाली विभिन्न सस्थाओ के बीच अच्छा समन्वय स्थापित करेगी ।

23 **शिक्षा और अनुसन्धान** : दूसरी योजना में शैक्षणिक कार्यक्रमो का काफी हद तक विकास किया गया । इस अवधि में 3 नए पशु-चिकित्सा-कालेज खोले गए और पहले से विद्यमान 14 कालेजो में से 5 का विस्तार किया गया । इज्जतनगर के भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धान-सस्थान में स्नातकोत्तर कालेज स्थापित करने के अलावा मथुरा, मद्रास, बम्बई और पटना के 4 पशु-चिकित्सा-कालेजो का विस्तार किया गया, ताकि उनमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिया जा सके । तीसरी योजना मे 2 नए पशु-चिकित्सा कालेज खोले जाएगे । इनमें से एक गुजरात में होगा और दूसरा बिहार मे । पशुपालन-विस्तार के तरीको में पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के ख्याल से प्रत्येक कालेज के साथ एक विस्तार-शाखा जोडने का भी विचार है । दूसरी योजना मे 5,000 पशु-चिकित्सा-स्नातको की जो अनुमानित माग थी, वह काफी हद तक पूरी हो चुकी है । अनुमान है कि तीसरी पचवर्षीय योजना में 6,800 पशु-चिकित्सा-स्नातको की आवश्यकता होगी, जब कि वर्तमान कालेजो से कुल 5,800 स्नातको की ही निकासी हो सकेगी । इस प्रकार 1,000 पशु-चिकित्सा-स्नातको की कमी रह जाएगी,

जिसे पूरा करना होगा। यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान संस्थाओं के तथा योजना की अवधि में जो 2 नए पशु-चिकित्सा कालेज खोले जाने हैं, उनके पूरे-पूरे उपयोग से पशु-चिकित्सा-स्नातकों की मांग काफी हद तक पूरी हो जाएगी। कोई 70,000 पशुपालकों को प्रशिक्षित करने का भी प्रबन्ध किया जाएगा, जिससे तीसरी योजना की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

भेड़ों और ऊन के उत्पादन के बारे में बुनियादी और अन्य अध्ययन शुरू करने के लिए राजस्थान में एक केन्द्रीय भेड़-प्रजनन-अनुसन्धान-संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके दो उपकेन्द्र होंगे—एक पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में और दूसरा नीलगिरि में। इस संस्थान में भेड़ों की विभिन्न किस्मों के पालन के सिलसिले में भूमि के उपभोग के बारे में बुनियादी पहलुओं की, ज्यादा उत्पादन के लिए मिश्रीकरण की समस्याओं की, विदेशी नस्लों के परीक्षण की और उत्पादन की सापेक्षता में पौष्टिकता की जांच की जाएगी। यह संस्थान उत्पादन और विधायन के सन्दर्भ में ऊन-टेक्नोलाजी की समस्याओं पर भी विचार करेगा। उपकेन्द्र का काम समशीतोष्ण जलवायुवाले प्रदेशों से लाई गई भेड़ों की नस्ल में परिवर्तित जलवायु सहन करने की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग के तौर पर प्रजनन-कार्य करना होगा।

दूध-उद्योग और दूध की आपूर्ति

24 भारत में दूध-उद्योग के सामने कई कठिनाइयां हैं—जैसे कि काफी दूर-दूर पर और कम मात्रा में दूध का उत्पादन, देश के अधिकांश भागों में परिवहन की कठिनाइयां दूध इकट्ठा करने, उसके उत्पादन और विधायन के लिए आवश्यक मशीनों और सयन्त्रों के लिए आयात पर आश्रित रहना, तकनीकी और कुशल कर्मचारियों की कमी तथा सुव्यवस्थित पद्धति का अभाव। इसलिए संगठित आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों से फालतू दूध जमा करने की तथा उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर बढ़िया दूध और दूध की चीजें देने की दिशा में प्रयत्न करने होंगे।

प्रगति की समीक्षा

25 पहली योजना में इस कार्य के लिए 7.81 करोड़ रु० की जो व्यवस्था की गई थी, करीब-करीब उस सारी रकम का उपयोग हो गया था। पहली योजना के मुख्य कार्यक्रम थे—बड़े शहरों में स्वास्थ्यवर्द्धक ढंग से दूध की आपूर्ति की व्यवस्था करना और उसके आधार-रूप में ग्रामीण इलाकों से दूध जमा करना।

दूसरी योजना में दूध-उद्योग के विकास-कार्यक्रमों के लिए 17.44 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। इस रकम में से 12.05 करोड़ रु० खर्च हो जाएंगे। दूसरी योजना में ये बातें शामिल हैं—बड़े-बड़े उपभोग-केन्द्रों में दूध की आपूर्ति के लिए 36 दूध-संयन्त्र लगाना, ग्रामीण इलाकों में मक्खन निकालने के 12 कारखाने खोलना, दूध-क्षेत्रों में फालतू दूध का उपयोग करने के लिए दूध की चीजों के 7 कारखाने चालू करना, 12 दूध और सुरक्षा-फार्मों का विस्तार करना, तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण और दूध-क्षेत्रों का सर्वेक्षण।

26 विदेशी मुद्रा की कमी और संयन्त्र तथा मशीनें प्राप्त करने में कठिनाई के कारण दूध-उद्योग के विकास-कार्यक्रमों को आम तौर पर उन्हीं योजनाओं तक सीमित रखना पड़ा, जिनके लिए उपकरण या तो देश में ही उपलब्ध थे या विदेशी सहायता के अन्तर्गत दिए गए थे। दिल्ली, पूना, कुडगी करनाल, गुंटूर कोडइकनाल और हरिणघाट में पहले ही दुग्धालय

स्थापित किए जा चुके हैं। कुछ प्रमुख नगरो में भी प्रायोगिक दूध-योजनाए शुरू की गई है। इस समय दूध-आपूर्ति की कुल 28 योजनाओ पर अमल हो रहा है और वे विभिन्न चरणो मे हैं। विदेशी सहायता से दूध की बनी चीजो के दो कारखाने—एक अमृतसर मे और दूसरा राजकोट में—स्थापित किए गए है और तीन ग्रामीण मक्खन-कारखाने—बरौनी, अलीगढ और जूनागढ में—स्थापित किए गए हैं। सन् 1958-59 के अन्त मे देश में 2,257 सहकारी दूध-आपूर्ति-समितिया और 77 दूध-आपूर्ति-सघ थे। इनके 2,11,131 सदस्य थे और 183 लाख रु० का निजी कोश था। इन्होंने 11 32 करोड रु० मूल्य का दूध और दूध की बनी चीजें बेची।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

27 दूध-उद्योग के बारे में नीति यह है कि दूध-परियोजनाओ का विकास किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में दूध-उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाए। साथ ही, फालतू दूध को शहरी केन्द्रो में बेचने की योजनाए भी उनके साथ समन्वित कर दी जाए। गावो में फैली सहकारी उत्पादक-समितिया दूध इकट्ठा करने और उसकी आपूर्ति का काम करेंगी। दूध का विधायन और वितरण तथा दूध की चीजें बनाने का काम भरसक सहकारिता के आधार पर चलाए जानेवाले सयन्त्रो के माध्यम से किया जाएगा। आशा की जाती है कि सहकारी सगठनो के माध्यम से काम करने पर जनता का अच्छा सहयोग मिल सकेगा और इस काम के लिए योजना के अधीन जो कोश है, उसकी भी वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके अलावा निजी क्षेत्र में भी दूध की चीजें तैयार करने के काम को बढावा देने का विचार है। दूसरी योजना में बच्चो के लिए दूध-खाद्य तथा माल्टयुक्त दूध-खाद्य तैयार करने के लिए क्रमश एक-एक छोटा कारखाना और मीठा किए हुए सूखे दूध के लिए एक बडा कारखाना स्थापित किया गया। तीसरी योजना में दो कारखानो में बच्चो के लिए दूध के खाद्य-पदार्थों का उत्पादन शुरू हो जाएगा और इनकी क्षमता लगभग 900 टन की होगी। तीन कारखानो में सूखा दूध तैयार किया जाएगा, और उनकी कुल क्षमता प्रति वर्ष 5,300 टन माल तैयार करने की होगी। एक कारखाने में प्रति वर्ष 670 टन दूध की पेय सामग्रिया तैयार की जाएगी।

28 तीसरी योजना में एक लाख से ज्यादा आबादीवाले शहरो में और विकासशील औद्योगिक नगरो में 55 नई दूध-आपूर्ति-योजनाए शुरू की जाएगी। कुछ दूध-क्षेत्रो में अच्छे भावो में तरल दूध की फौरन बिक्री की गुजायश नही है। ऐसी जगहो पर किफायत के साथ दूध का उपयोग करने की दृष्टि से मक्खन, घी, पनीर तथा अन्य उप-उत्पादनो—जैसे, केसीन, लेक्टोज, दूध-चूर्ण, आदि—के उत्पादन के लिए कारखाने (क्रीमरी) स्थापित किए जाएगे। गावो के दूध-क्षेत्रो का विकास करने के लिए 8 मक्खन-कारखाने, दूध की चीजो के 4 कारखाने तथा 2 पनीर-कारखाने स्थापित करने का विचार है। दूध गाढा करनेवाले पदार्थों की भी आम तौर पर कमी है, जिसकी वजह से दूध की लागत बढ जाती है। कृषि में बेकार जानेवाले और उप-उत्पादनो—जैसे, गेहू और धान की भूसी, गन्ने का फोक, सीरा, छिलकाहीन खली—का उपयोग करके सन्तुलित खाद्य तैयार करने से मवेशियो के लिए सस्ता चारा प्राप्त

करने में बहुत हद तक सहायता मिल सकती है। दूध-आपूर्ति के बडे-बडे कारखानो के आस-पास मवेशियो की मानी तैयार करनेवाले चार कारखाने खोलने का विचार है। तीसरी पचवर्षीय योजना में दूध-सम्बन्धी कार्यक्रमो के लिए 36 करोड रु० की व्यवस्था की गई है।

दूध-कार्यक्रमो को गति देने के लिए देश मे ही दूध-उद्योग के काम आनेवाले उपकरण और मशीनें बनाने की व्यवस्था करनी होगी। दूध-उपकरणो के निर्माण को—विशेषकर छोटे-छोटे दुग्धालयो के लिए आवश्यक उपकरणो के निर्माण को—बढावा दिया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रो में दूध-उद्योग को स्थानीय उद्योग के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सके। चार फर्मो को पहले ही दूध-उद्योग का सामान बनाने के लिए लाइसेंस दिए जा चुके हैं। तीसरी योजना की अवधि में इनमे उत्पादन शुरू हो जाएगा। दूसरी योजना में शुरू की गई अधिकाश दूध-आपूर्ति-योजनाओ का विस्तार किया जाएगा, ताकि उत्पादकों से अधिक दूध लिया जा सके। चूकि अक्सर दूध काफी दूर से लाना पडता है, इसलिए बडे-बडे दूध-विधायन-सयन्त्रो के लिए ठडी रेल में परिवहन की अधिकाधिक सुविधाए देने की खास व्यवस्था की गई है।

29 दूध-उद्योग का विकास-कार्यक्रम बनाते समय शहरो की आवश्यकताओ के साथ-साथ किसानो के हितो का भी ख्याल रखा गया है। मिली-जुली खेती के माध्यम से कृषि-अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के लिए गावो मे सहकारिता के आधार पर चलाए जानेवाले छोटे-छोटे दुग्धालयो और मक्खन-कारखानो के विकास पर जोर दिया जाएगा। दूध देने की अवधि पूरी हो जाने के बाद अच्छे पशुओं के परिरक्षण के लिए बडे शहरो के पास सुरक्षा-फार्म खोले जाएगे। जिन क्षेत्रो में दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति की योजनाए शुरू की जाएगी, उनमें सघन मवेशी-विकास-योजनाए भी हाथ में ली जाएगी।

30 'दोहरे प्रयोजनवाले' पशुओं के विकास को बढावा देने के विचार से दूध-कार्यक्रमों को आस-पास के गावो की अर्थव्यवस्था के साथ कारगर रूप से घुला-मिला दिया जाएगा। यह बात आम तौर पर स्वीकार की जाती है कि चावल की खेतीवाले कुछ इलाको को छोडकर, जहा भैस दोनों ही उद्देश्य पूरे कर सकती है, पशुपालन और दूध-उद्योग की योजनाओ के माध्यम से गाय की दोनों नस्लो को बढावा देना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर तीसरी योजना में दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण देने की योजना पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसके अन्तर्गत प्रजनन-नीति पूरी करने की दिशा में कोशिश की जाएगी। गायो की अच्छी नस्ल के सवर्द्धन के लिए कारखानो को भरसक गाय का दूध भी भैस के दूध के भाव ही खरीदना चाहिए। दूध का भाव निश्चित करने में उसके चिकनाई-सम्बन्धी तत्व को ही एकमात्र कसौटी नही मानना चाहिए। गाय के दूध में चिकनाई की मात्रा कम जरूर होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे विशेष गुण हैं, जिनकी वजह से बच्चों और अस्पताल के रोगियो के लिए इसे ज्यादा पसन्द किया जाता है।

जहा तक बडे शहरो के बडे-बडे दुग्धालयो का सवाल है, इस प्रकार की योजनाओ को बडी माव मे मिलाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए, ताकि दूध का उत्पादन बढाने और बोझा ढोने के दोहरे उद्देश्य से मवेशी-विकास-द्वारा ये दूध-योजनाए ग्राम-

अर्थव्यवस्था में उन्नत करने में प्रत्यक्षत सहायता दे सकें। सोपानबद्ध कार्यक्रमो के अनुसार मध्यम आकार के नगरो में मौजूदा छोटे दुग्धालयो को भी इसी दिशा मे ढाला जायगा।

31. शहरो को सफाई-व्यवस्था मे सुधार करने और दूध-आपूर्ति की अधिक किफायत मे व्यवस्था करने के लिए आरे, हरिणघाट और माधवरम् (मद्रास) में मवेशियो की बस्तिया बसाई गई है। बस्तिया स्थापित करने के इस तरीके मे काफी पूंजी लगी है और इसलिए यह बेहतर समझा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी भूमि और आवश्यक सेवाओ—जैसे, सडकें, जल-आपूर्ति और बिजली—की व्यवस्था करने तक ही सीमित हो। विकसित क्षेत्र प्लाटो के रूप मे बाटे जाएगे और विस्थापित मवेशी-मालिको को मुनासिब शर्तों पर पट्टे पर दिए जाएगे। जिन लोगो को ये प्लाट दिए जाएगे, उन्हे स्वीकृत योजना के अनुसार अपने खर्च मे मवेशियो के लिए आवश्यक छाजन और अन्य भवन बनाने पडेंगे। दूध की बिक्री के लिए सुविधाए दी जाएगी। इस प्रकार, दुधारू पशुओ का शहरो मे हटाया जाना और बस्तियो में फिर से बसाया जाना मुख्यत स्वास्थ्य एव गन्दे इलाको की सफाई का उपाय समझा जाएगा और इसकी मुख्य जिम्मेदारी नगरपालिकाओ और नगर-निगमो पर होगी।

अनुसन्धान, प्रशिक्षण और शिक्षा

32 अनुसन्धान और प्रशिक्षण की अधिक सुविधाए देने के विचार से राष्ट्रीय दूध-अनुसन्धान सस्था को बगलोर मे करनाल ले जाया गया है। तेजी से बढते हुए दूध-उद्योग की अधिक मागो को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में जब इस सस्था मे दुधारू पशुपालन, टेक्नोलाजी, रसायनशास्त्र, जीवाणु-विज्ञान, पोषण-विज्ञान, विस्तार-पद्धति और अर्थशास्त्र के अनुसन्धान-प्रभाग खुल जाएगे, तब उसकी स्थापना का काम पूरा हो जायगा। यह सस्था दूध-उद्योग की बढती हुई मागो को पूरा करने का प्रयत्न करेगी। सस्था के बगलोर-स्थित उपकेन्द्र का भी विस्तार किया जाएगा। दूध-विषयक शिक्षा के क्षेत्र में बगलोर, इलाहाबाद, आनन्द और आरे में 'इडियन डेरी डिप्लोमा' (आई० डी० डी०) की सुविधाए और करनाल में बी० एस-सी० (दूध-विज्ञान) तथा स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाए बढाने का विचार है। दूध-विज्ञान में स्नातक-स्तर के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम आनन्द की कृषि-सस्था में भी शुरु किए जाएगे। बडे-बडे दुग्धालयो में सयन्त्रों पर काम करते हुए प्रशिक्षण देने की पद्धति—जो पहले ही शुरु की जा चुकी है—तीसरी योजना में जारी रहेगी और इसका विकास किया जाएगा। खाद्य और कृषि-सगठन का प्रादेशिक प्रशिक्षण-कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत काम हो रहा है, जारी रखा जाएगा और उसका विस्तार किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि विभिन्न दूध-प्रशिक्षण-केन्द्रो में अध्यापको के लिए अध्यापकीय कर्मशालाओ का आयोजन किया जाए और विभिन्न श्रेणियो के तकनीकी कर्मचारियो के लिए—जिनकी विभिन्न दूध-परियोजनाओ में जरूरत होती है—अन्य प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रम शुरू किए जाए। तीसरी योजना मे अनुमानत 2,830 दूध-कर्मचारियो की आवश्यकता होगी। इनमें से 625 डिग्री-प्राप्त, 975 डिप्लोमा-प्राप्त और 1,230 अन्य श्रेणियो के कर्मचारी होगे। आशा की जाती है कि इतने तकनीकी कर्मचारियो की आवश्यकता काफी हद तक पूरी हो जाएगी।

मछली-उद्योग

33 भारतीय समुद्रों के जल-प्लावन भांति-भांति के हैं और काफी बड़ी मात्रा में हैं। करीब 3,000 मील लम्बा तट प्रान्त, 1,00,000 वर्गमील से अधिक महाद्वीपीय निधान, हिन्द-महासागर की दो विशाल भुजाएं, अनेक खाड़ियां, आदि—भारत के समुद्री साधन सचमुच बहुत हैं। पूरे तटप्रान्त में पश्चजल की पर्याप्त मात्रा है, सागर-संगम हैं, उपह्रद और दलदल हैं—यानी इस तरह के साधन भी काफी हैं। बड़ी-बड़ी नदियां और 17,000 मील लम्बी उनकी सहायक नदियां, नहरें और उनके साथ 70,000 मील लम्बी सिंचाई-नालियां तथा अनेक झीलें, जलाशय, पोखरें और तालाब अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के लिए बड़े समृद्ध साधन हैं। मछली और उससे सम्बद्ध उद्योगों में कोई दस लाख मछुओं को रोजगार मिलता है। इनमें से अधिकांश लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। सहकारी आधार पर मछुओं को संगठित करके उनसे काम लिया जाए और उत्पादन के सभी पहलुओं में उन्नत नए तरीके अपनाए जाएं, तो मछली-उद्योग से होनेवाली आमदनी काफी बढ़ाई जा सकती है।

प्रगति की समीक्षा

34 पहली योजना में मछली-उद्योग के विकास पर 2.8 करोड़ रु० खर्च किए गए थे। दूसरी योजना में 9 करोड़ रु० खर्च हुए।

दूसरी योजना में 13.34 लाख एकड़ क्षेत्र के सर्वेक्षण से काफी मछली-सम्पदा के विद्यमान होने का पता चला है। उचित किस्मों की मछलियों को इकट्ठा करने के लिए 82,000 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र तैयार किया गया। करीब 16.7 लाख एकड़ क्षेत्र में कोई 60 करोड़ फ्राई और आंगुलिक मछलियां इकट्ठी की गईं।

मछली पकड़ने के सरंजामों और साज-सामान की बनावट में सुधार करने के विचार से कोचीन के केन्द्रीय मछली-संग्रह-टेक्नोलाजी-अनुसन्धान-संस्था में जांच-पड़ताल की गई है। मछली पकड़ने के नए-नए स्थानों की खोज करने के लिए केन्द्रीय तटीय मछली-संग्रह-केन्द्र के अतिरिक्त कोचीन, तुत्तुकुडि और विशाखापटनम् में भी ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए। गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास और आन्ध्रप्रदेश में नावें बनाने के यार्ड स्थापित किए गए। कोई 1,800 नावें मशीनों से लैस की गईं। इनमें मछुए समुद्र में 15-20 मील की दूरी तक जा सकते हैं, जब कि पुरानी बिना मशीन की नावें ज्यादा-से-ज्यादा 6-7 मील तक जा सकती हैं—वैसे साधारणतः ये केवल 3 मील तक ही जाती हैं। तटवर्ती उत्पादन-केन्द्रों से ताजा मछली दिल्ली, कलकत्ता, वगैरह के लिए भेजने के वास्ते प्रयोग के तौर पर 6 ठंडे रेल-डिब्बे चालू किए गए हैं। इन विभिन्न उपायों के फलस्वरूप पहली योजना के अन्त तक मछली-उत्पादन 7 लाख टन से बढ़ कर 10 लाख टन हुआ और दूसरी योजना के अन्त में 14 लाख टन।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

35 तीसरी योजना के मछली-उद्योग के कार्यक्रम इन मुख्य उद्देश्य को सामने रख कर तैयार किए गए हैं कि उत्पादन बढ़े, ताकि लोगों को अनाज के अलावा प्रोटीन-

युक्त आहार भी मिल सके। मछुओं की दशा सुधारने पर भी उचित ध्यान दिया गया है। फिर, निर्यात-व्यापार के विकास पर भी जोर दिया गया है।

36 **अन्तर्देशीय मछली-क्षेत्र** पहली और दूसरी योजनाओं में अन्तर्देशीय मछली-क्षेत्रों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। हारमोन-उपचार के द्वारा प्रेरित प्रजनन के तरीके से, जिसका भारतीय मछलियों पर सफल प्रयोग किया जा चुका है, बड़े पैमाने पर विस्तार करना सम्भव हो गया है। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि अब अंडे देने के प्राकृतिक क्षेत्रों में अलग अंडे और छोटी मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। इस युक्ति से छोटी मछली और आंगुलिक मछलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में कमी आएगी और परिवहन के क्रम में कम मछलियां मरेंगी। भारतीय शफरी मछली-पोखरों की उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी होती है। दक्षिण-पूर्व एशिया से लाई गई सामान्य शफरी का प्रचलन एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, जो भारतीय शफरी-सम्पदा में एक उपयोगी वृद्धि है। इन सब बातों से मछली की आपूर्ति में काफी वृद्धि हो सकती है, बशर्ते कि इनके साथ ही पंचायतों और सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर संगठन और बिक्री-व्यवस्था में सुधार किया जाए।

37 तीसरी योजना में विभिन्न राज्यों में 50,000 एकड़ जल-क्षेत्र को प्रदर्शन-जन्य मछली-फार्मों के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार, 1,500 एकड़ में सगम-क्षेत्रों के उपयोग के बारे में और 2,000 एकड़ में दलदल-भूमि के उपयोग के बारे में निदर्शन का काम शुरू किया जाएगा। 120 करोड़ छोटी मछलियां और आंगुलिक मछलियां इकट्ठी करके रखने का विचार है। नदी-घाटी-परियोजनाओं में भी, जिनमें मछली-क्षेत्र विकसित करने की काफी गुंजायश होती है, नियमित रूप से मछली जमा करने का काम किया जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में ये भी शामिल हैं पेड़ों, पत्थर के ढेरों और अन्य रुकावटों को दूर करना, पालन-गृह कायम करना और जब तक मछली पूरी तरह तैयार न हो जाए, उसकी रक्षा के लिए उपाय करना। ये अनिवार्यतः दीर्घकालीन उपाय हैं और तीसरी योजना में जो संग्रह-कार्य किया जाएगा, उसका फल कोई 15 वर्ष बाद मिलेगा। फिर भी, दूसरी योजना में कुछ जलाशयों में जो काम किया गया था, उससे यह स्पष्ट है कि इन दिशाओं में किए गए विकास का कितना अधिक आर्थिक महत्व होता है।

38 अन्तर्देशीय जल का कारगर रूप से प्रयोग किया जाए, इसके लिए स्थानीय स्तर के संगठनों में कुछ सुधार करना जरूरी है। पहले जहां जल पर किन्हीं व्यक्तियों का अधिकार हुआ करता था, वहां उनके पास इसे विकसित करने के साधन नहीं थे। जहां इस पर सरकार का अधिकार था, वहां इनकी नीलामी कर दी गई और विकास के पहलू पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, फलतः वहां मछलियां शीघ्र ही खत्म हो गईं। इसी वजह से बहुत-से तालाब पहले ही बेकार हो चुके हैं। पंचायत-समितियों और पंचायतों को विकासमान स्थानीय साधन के रूप में मछली-तालाबों और अन्य अन्तर्देशीय जल-साधनों की उन्नति करनी चाहिए। उन्हें सहकारी समितियों के निकट सहयोग से काम करना चाहिए और इन सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण तथा बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।

39 **सहकारी मछली-उद्योग-समितियां :** तीसरी योजना में सहकारी मछली-उद्योग-समितियों की स्थापना और उनका संचालन मछली-उद्योग के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस समय कोई 2,100 सहकारी मछली-उद्योग-समितियां हैं, जिनकी कुल सदस्यता 2,20,000 के करीब है। ये अधिकतर आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और मद्रास में हैं, हालांकि मैसूर, असम, बिहार और उड़ीसा, आदि राज्यों में भी कुछ समितियां हैं। सहकारी मछली-उद्योग-समितियों में से किसी को कम और किसी को अधिक सफलता मिली है। उनमें से केवल 800 समितियां ऐसी हैं, जिनका काम सन्तोषजनक ढंग से सञ्चालित कहा जा सकता है। कई कारणों से सहकारी समितियों के विकास को धक्का लगा है। उनमें अधिक महत्वपूर्ण ये हैं

(क) आम तौर पर मछुओं के पास, अपनी नावें, जाल और अन्य उपकरण नहीं होते। नतीजा यह होता है कि बिचौलिए—जो मछुओं के लिए कर्ज की व्यवस्था करते हैं—उन्हें अपनी नावों पर काम करने के लिए नियुक्त कर लेते हैं। नाव काम में लाने की अनुमति देकर, कुल बिक्री का 50 प्रतिशत भाग तक नाव के किराए के रूप में ले लिया जाता है और

(ख) सहकारी समितियां प्रमुखतः उधार देने की व्यवस्था करने में ही लगी रहीं और उत्पादन तथा बिक्री बढ़ाने की काफी कोशिश नहीं की गई।

वर्तमान सहकारी मछली-उद्योग-समितियों में फिर से जान डालना, उनका आगे विकास करना तथा उन्हें सहकारी बिक्री तथा विधायन-समितियों से जोड़ना एक महत्वपूर्ण काम है, जो तीसरी योजना में किया जाना है। इस उद्देश्य से एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने का विचार है। मछुओं को बिचौलियों के शोषण से बचाने के ख्याल से उनके लिए सहकारी समितियां बनाना जरूरी है ताकि मछुओं की ऋणग्रस्तता खत्म हो और उत्पादन बढ़े।

40 **समुद्री मछली-उद्योग :** देश के कुल अनुमानित मछली-उत्पादन का दो-तिहाई हिस्सा समुद्र से प्राप्त होता है। तीसरी योजना में, वर्तमान नावों में इंजिन लगाने के कार्यक्रमों को बढ़ाने और मछली पकड़ने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की निश्चित व्यवस्था करने के अलावा 4,000 नई यन्त्र-सज्जित नावें चालू करने का विचार है। बम्बई, कोचीन, तूत्तुकुडि और विशाखापटनम्-स्थित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बड़े केन्द्रों के मछली पकड़ने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा तथा वेरावल, मंगलोर, पारद्वीप और पोर्ट ब्लेयर में अतिरिक्त टुकड़ियां कायम की जाएंगी। इन जांच-कार्यों से मछली पकड़ने के आधुनिक उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी। 35 बड़े जहाज चालू करने और 16 पत्तनों में जहाजों में मछलियां उतारने और चढ़ाने का प्रबन्ध करने का भी विचार है।

41 मछली बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि उसकी बिक्री के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों। पकड़ी हुई मछलियां अच्छे दामों पर बिकें इसके लिए आवश्यक है कि उनके रखने के लिए बर्फवाले ठंडे भंडार हों, उनको साफ करने की और डिब्बों में बन्द करने की व्यवस्था हो। दूसरी योजना में इसकी शुरुआत

की जा चुकी है। कोचीन, मगलोर और बम्बई मे झीगा मछली को बर्फ में जमाने की सुविधाओ की व्यवस्था हो गई है। तीसरी योजना मे विभिन्न राज्यो में अलग-अलग 72 बर्फ के और ठडे सग्रह-सयन्त्रो की व्यवस्था करने का विचार है, ताकि मछली को अच्छी हालत में उपभोक्ता-केन्द्रो तक पहुचाने मे सुविधा रहे। इसके अलावा, पश्चिम-भारत के तटवर्ती क्षेत्रो में—विशेषकर केरल, मैसूर और गुजरात में—मछलिया जमाने और डिब्बो में बन्द करने की टुकड़िया कायम की जाने की आशा है। ठडे रेल-डिब्बो के प्रयोग से प्राप्त अनुभव के आधार पर सारे देश के मछली-उत्पादन-केन्द्रो और उपभोक्ता-केन्द्रो के बीच नियमित परिवहन-व्यवस्था विकसित की जाएगी। प्रमुख मार्गो पर करीब 20 नए डिब्बे चलाने का विचार है। केरल में भी—जहा नई किस्म की नावे तैयार की गई है, नावो को मशीनो से लैस किया गया है और बेहतर उपकरणो का प्रयोग शुरू किया गया है— भारत-नार्वे-परियोजना पर अमल करने के फलस्वरूप यही बात स्पष्ट हुई है कि एक समन्वित बिक्री-व्यवस्था आवश्यक है। इस परियोजना में बर्फ के और ठडे भाडार-सयन्त्र को काम का आधार बनाया गया है। उपभोक्ता-केन्द्रो में मछली के परिरक्षण के साज-सामान की और विसवाहित परिवहन की भी व्यवस्था की गई है।

आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में जो कार्यक्रम शुरू किए जाने है, उनसे मछली का उत्पादन 14 लाख टन से बढ कर 18 लाख टन हो जाएगा। मछली का निर्यात-मूल्य करीब 6 करोड रु० से बढ कर 12 करोड रु० तक हो सकता है। तीसरी योजना में मछली-उद्योग के विकास के लिए 29 करोड रु० की धनराशि नियत की गई है।

अनुसन्धान और शिक्षा

42 अनुसन्धान · मडपम में समुद्री मछली-उद्योग के लिए एक केन्द्रीय मछली उद्योग-अनुसन्धान-केन्द्र, बारकपुर मे अन्तर्देशीय मछली-उद्योग के लिए अनुसन्धान-केन्द्र और बम्बई में गहरे समुद्र मे मछली पकडने से सम्बन्धित बडा केन्द्र स्थापित हो जाने से व्यापार-योग्य जाति की मछलियो के प्राणिशास्त्रीय अध्ययन में काफी प्रगति हुई है। इसके साथ ही अन्तर्देशीय मछली-साधनो के सरक्षण और व्यवस्था की वैज्ञानिक जाच-पडताल में तथा नए मछली-क्षेत्रो के नक्शे तैयार करने में काफी प्रगति हुई है। तीसरी योजना में सागरवर्ती मछली-क्षेत्रो, सागरवर्णना, ऊचाईवाले मछली-क्षेत्रो, ताजी झीगा मछलियो और पश्चजलीय मछली-क्षेत्रो के बारे में नए-नए अन्वेषण-कार्य शुरू किए जाएगे। परीक्षण के तौर पर तथा खोज के लिए चार नए केन्द्रो में मछली पकडना शुरू किया जाएगा।

कोचीन के केन्द्रीय मछली-उद्योग-टेक्नोलाजिकल केन्द्र में मछलिया पकडने के यन्त्रो और उनके परिरक्षण, मछली पकडने की उन्नत यन्त्रसज्जित नावें तैयार करने, मछली को ताजा, ठडी और जमी हुई हालत में रखने, मछली तथा समुद्र की दूसरी चीजो को साफ करने तथा उपभोग के बारे में जाच-पडताल का काम शुरू कर दिया गया है। इन जाच-कार्यो को और तेजी से किया जाएगा। केन्द्रीय केन्द्रो ने जो अनुसन्धान-कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनके अलावा राज्यो के मछली-उद्योग-विभाग भी मछली-उद्योग की स्थानीय समस्या... [illegible]

43 शिक्षा: जिला-स्तर पर मछली-उद्योग के प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए बम्बई में एक मछली-उद्योग-प्रशिक्षण-संस्था चालू हो गई है। उद्योग के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोचीन में एक संस्था कायम की जाएगी। सहायक मछली-उद्योग-विकास-अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए—जिनकी अन्तर्देशीय मछली-उद्योग में जरूरत होती है—उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास कौशल्यागंगा में एक उपकेन्द्र खोला जाएगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मछली-उद्योग की विभिन्न विकास-परियोजनाओं को चलाने के लिए अनुमानतः कुल 2,100 के आस-पास कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इनमें से 300 जिला-मछली-उद्योग अधिकारी होंगे और 600 अन्य तकनीकी अधिकारी। जिला-मछली-उद्योग-अधिकारियों की आवश्यकता तो ज्यादातर केन्द्रीय मछली-उद्योग-शिक्षा-संस्था में प्रशिक्षण देकर पूरी हो जाएगी, जो बम्बई में स्थापित की जाएगी, तथा बाकी क्षेत्र-कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति बारकपुर के अन्तर्देशीय मछली-उद्योग-अनुसन्धान-केन्द्र, उड़ीसा के अन्तर्देशीय मछली-उद्योग-उपकेन्द्र तथा मछली पकड़ने के तटवर्ती केन्द्रों की गतिविधियों का विस्तार करके की जाएगी। जहां तक अनुसन्धान-संस्थानों के लिए तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता का सवाल है, इसके लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयों में इस सिलसिले में पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं।

अध्याय 22

वन और मिट्टी-संरक्षण

वन

वन-साधनों का विकास भूमि के अधिकतम उपयोग के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। वनों के दोनों ही कार्य—सरक्षण और उत्पादन—महत्वपूर्ण हैं। वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और अन्य अनेक वस्तुएं ही प्राप्त नहीं होती, बाढ़ और भू-क्षरण रोकने तथा भूमि उपजाऊ बनाए रखने में भी उनका बहुत योग है। मकान-निर्माण, फर्नीचर, कागज, नकली रेशम, प्लाईवुड, माचिस, चमड़ा आदि बहुत-से उद्योगों को अपने कच्चे माल के लिए वनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जगलों के क्षेत्र मे रहनेवाली आदिम जातियों के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी वनों और वन-उद्योगों का विकास आवश्यक है।

2 भारत की गर्म जलवायु, नियतकालिक वर्षा, वनों की अपर्याप्त उत्पादकता तथा मुख्यत कृषि-अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह आवश्यक है कि देश की कुल भूमि के एक-तिहाई भाग पर वन हो। परन्तु इसकी तुलना में वनों का वास्तविक प्रतिशत केवल 21 8 है। इतना ही नहीं, अधिकांश वन कुछ थोड़े-से राज्यों—जैसे, असम, मध्यप्रदेश और उड़ीसा तथा कुछ सघीय क्षेत्रों—में ही केन्द्रित हैं। उत्तर-भारत में तो भूमि की तुलना में वनों का अनुपात, भारत के कुल अनुपात के मुकाबले बहुत कम है। सारे देश में वन-क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता तो है ही, उन क्षेत्रों में सघन विकास की भी जरूरत है, जहां वन-सम्पत्ति बहुत कम है।

3 एक ओर, वनों का क्षेत्र अभी तक अपर्याप्त है तथा दूसरी ओर, औद्योगिक और घरेलू, दोनों क्षेत्रों में वनों के उत्पादन की माग बराबर बढ़ती जा रही है। अनुमान लगाया गया है कि औद्योगिक लकड़ी (लुगदी-सामग्री-सहित) की माग, जो आजकल 45 लाख टन है, सन् 1975 में बढ़ कर 95 लाख टन हो जाएगी। विशेष रूप से कागज और नकली रेशम के लिए काम में आनेवाली लुगदी की आवश्यकता बढ़ती हुई आबादी, साक्षरता के प्रसार और जीवन-स्तर में उन्नति के साथ-साथ बहुत अधिक बढ़ जाएगी। नई पौध लगाने पर उनके विकास में 25-30 वर्ष लगते हैं, इसलिए सामान्यत सन् 1975 तक उत्पादन 55 लाख टन से ऊपर जाने की सम्भावना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तब भी 40 लाख टन की कमी रह जाएगी। ईंधन के काम में आनेवाली लकड़ी की बेहद कमी के कारण 40 करोड़ टन गोबर (गीले का वजन)—जो 8 करोड़ टन जलानेवाली लकड़ी के बराबर होता है—खाद के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय, प्रति वर्ष जलाने के काम में लाया जाता है। सन् 1975 तक जलानेवाली लकड़ी की कमी का अनुमान 10 करोड़ टन है। साधारण उत्पादनों में चमड़ा-उद्योग के काम आनेवाली सामग्री की वर्तमान माग 30 हजार टन है, जिसका 30 प्रतिशत अभी भी विदेशों से आयात किया जाता है। अनुकूल रोपण-स्थिति के कारण ओषधियों के पौधों के विकास की बहुत गुंजायश है।

4 सुव्यवस्थित वनों के उत्पादक क्षेत्रों में माल का उत्पादन 2 75 टन प्रति एकड़ प्रति वर्ष है, जब कि देवदार का 4 10 टन और चीड़ का 1.30 टन है। कुछेक कारणों से

भारत में औसत उत्पादन बेहद कम है। राज्यों में अभी तक अवर्गीकृत वनों के विस्तृत क्षेत्र तथा जमींदारी-उन्मूलन के बाद सरकार-द्वारा अधिगृहीत निजी वन-क्षेत्र में वृक्षादि अधिक नहीं हैं, उनके विकास और सुधार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। दुर्गम पर्वतीय इलाकों के वनों में परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण इमारती लकड़ी का कुछ भाग बेकार चला जाता है। घटिया किस्म की लकड़ी की बड़ी मात्रा का, जो परिपक्व बनाने और संरक्षण के तरीकों के बाद उपयोग में लाने से अधिक समय तक काम दे सकती है, पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वनों पर चले आ रहे परम्परागत अधिकारों और रिआयतों के कारण भी—जो निस्सन्देह महत्वपूर्ण हैं—उत्पादन में कमी हो जाती है। आर्थिक विकास की प्रगति तथा नदी-घाटी एवं अन्य परियोजनाओं पर कार्य होने के कारण वनों का क्षेत्र एक सीमा तक कम होना स्वाभाविक है। वनों का क्षेत्र बढ़ाने में कुछ स्वाभाविक कठिनाइयां हैं। इन परिस्थितियों में वन-नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में क्रमिक वृद्धि करना तथा तेजी से बढ़नेवाले पेड़-पौधे लगाना होना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

प्रगति की समीक्षा

5 पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में संरक्षण की प्रक्रियाओं, संचार-व्यवस्था में सुधार, हल्की किस्म के वन लगाने, नई पौध—विशेष रूप से तेजी से बढ़नेवाले पेड़-पौधे—उगाने, सघन वन-संचालन के आधुनिक तरीकों के प्रयोग, परिपक्वता और संरक्षण-प्रक्रियाओं से घटिया किस्मों के बेहतर उपयोग, संचार-साधनों की उन्नति और लट्ठे बनाने के आधुनिक तरीके अपनाने पर विशेष बल दिया गया था। सन् 1950 में वन-सम्बन्धी केन्द्रीय मंडल की स्थापना की गई। सन् 1952 में सरकार ने अपनी वन-नीति की घोषणा की, जिसमें वनों के उत्पादक और संरक्षक, दोनों स्वरूपों पर बल दिया गया तथा दूरगामी लक्ष्य के रूप में सुझाव दिया गया कि भूमि के एक-तिहाई हिस्से पर वन लगाने चाहिए। पहली योजना में वनों के विकास पर 9 5 करोड़ रु० तथा दूसरी योजना में 19 3 करोड़ रुपये खर्च किए गए। केन्द्रीय सरकार ने वन-अनुसन्धान, वन-सम्बन्धी शिक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण की योजनाएं सीधे अपने हाथ में ले ली। भूतपूर्व जमींदारों और राजाओं की जागीरों के साधारण वर्ग के वन सरकार के नियन्त्रण में आ गए। इन क्षेत्रों के सीमांकन और नक्शे तैयार करने का काम शुरू किया गया। पहली और दूसरी योजनाओं में माचिस की लकड़ी के लिए 55,000 एकड़ क्षेत्र में तथा औद्योगिक लकड़ी के लिए 3,30,000 एकड़ क्षेत्र में पेड़ लगाने का काम किया गया। 18,000 वर्ग मील में सर्वेक्षण और सीमांकन किया गया, 9,000 मील लम्बे वन-मार्ग बनाए गए तथा निम्न कोटि के लगभग 4,00,000 एकड़ क्षेत्र के वनों का सुधार किया गया। पंजाब, हिमाचलप्रदेश, उत्तरप्रदेश और जम्मू-कश्मीर में विशेष रूप से लट्ठे बनाने के सुधरे हुए तरीकों का प्रदर्शन किया गया।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

6 तीसरी योजना में पहली दो योजनाओं में आरम्भ हुए कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने की व्यवस्था के साथ-साथ देश की दीर्घकालीन आवश्यकताएं पूरी करने के उपायों पर बल देने हुए ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे वनों से प्राप्त उत्पादनों का अधिक किफायतपूर्ण और समुचित लाभ उठाया जा सके। घटिया किस्म की इमारती लकड़ी और लकड़ी के बुरादे

के उपयोग की भी व्यवस्था की गई है । तात्कालिक उद्देश्य इमारती लकडी प्राप्त करने के बेहतर तरीको से उत्पादन में वृद्धि करना, वनो में सचार-व्यवस्था सुधारना एव सरक्षण और परिपक्वता की प्रक्रियाओ से वन-उत्पादनो का अधिक-से-अधिक उपयोग करना है । राज्यों और सघीय क्षेत्रो मे विकास-कार्यक्रमो के लिए योजना मे 51 करोड रु० की व्यवस्था की गई है । इसमे केन्द्रीय तथा केन्द्र-द्वारा सचालित कार्यक्रमो के लिए 6 7 करोड रु० की राशि भी शामिल है । तीसरी योजना के कुछ प्रमुख कार्यक्रम सक्षेप में नीचे दिए गए है ।

7 **आर्थिक लाभ के लिए पौध लगाना** · उद्योग की बढती हुई माग पूरी करने के लिए नई पौध लगाने का विशाल कार्यक्रम बहुत जरूरी है । इस नई पौध में लम्बे समय के बाद परिपक्व होनेवाली परम्परागत इमारती लकडी की किस्मो के अतिरिक्त तेजी से बढनेवाली किस्में भी होनी चाहिए । नए पौध-रोपण-कार्यक्रम मे टीक के लिए 2,10,000 एकड, बास के लिए 40,000 एकड, माचिस की लकडी के लिए 60,000 एकड, बबूल के लिए 22,000 एकड, जलाने की लकडी के लिए (जिसमे शोक वृक्ष भी सम्मिलित है) 46,000 एकड तथा अन्य प्रकार के पेडो, आदि के लिए 3,25,000 एकड भूमि की व्यवस्था है । तीसरी योजना की अवधि में 3,00,000 एकड अतिरिक्त भूमि पर औद्योगिक लकडी के लिए तेजी से बढने-वाले वृक्षादि लगाने का भी कार्यक्रम है ।

8 **ग्रामों में पौध-रोपण एव वन-विस्तार** ग्रामो मे तथा ईंधन के काम की लकडी के लिए पौध-रोपण एव वन-विस्तार के महत्व पर अनेक बार बल दिया जाता रहा है, परन्तु व्यावहारिक रूप मे उसके परिणाम अधिक नही है । इन कार्यक्रमो को बडे पैमाने पर पचायतो और पचायत-समितियो को सौप दिया जाना चाहिए, वन-विभाग को हर क्षेत्र में बीज और पौधे मुहय्या करने का ध्यान रखना चाहिए । ग्रामो की सार्वजनिक भूमि पर, ग्रामीण सडको के दोनो ओर तथा कटूर बाधो और सिचाई के तालाबो के किनारो पर वृक्ष-रोपण मे सारे समाज की ओर से प्रयास किए जाने की बहुत गुजायश है । वृक्ष लगाने में किसानो को व्यक्तिगत रूप मे भी सहायता मिलनी चाहिए । अनुमान है कि तीसरी योजना में खेतो के आसपास वन लगाने का काम 12 लाख एकड भूमि मे पूरा किया जा सकेगा । राष्ट्रीय तथा राज्यीय मार्गों पर, नहरो के किनारे और रेलवे-लाइनो के दोनो ओर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम बढाना चाहिए । इस दिशा में प्रयत्न होने पर ईंधन की लकडी तथा औजारो एव उपकरणो के काम आनेवाली लकडी की आपूर्ति में बहुत मदद मिल सकेगी ।

9 **उत्पादन-वृद्धि के तरीको को प्रोत्साहन** लट्ठे बनाने के सुधरे हुए औजारो तथा यान्त्रिक उपकरणो की सहायता से नुकसान बचाने और लकडी के साधनो के अधिक उपयोग मे सहायता मिलेगी । पहाडी इलाको में विशेष रूप से काफी बचत हो सकती है । उन्नत देशो में इस्तेमाल किए जा रहे आधुनिक औजारो और अन्य साज-सामान का परीक्षण किया जा चुका है तथा अनेक राज्यो में वन-विभागो के कर्मचारियो को उनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है । देहरादून की वन-अनुसन्धान-सस्था मे सुधरे हुए उपकरणो के सम्बन्ध में प्रयोग किए जा रहे हैं ।

10 हिमालय पर्वत के ऊचे स्थानो पर बसे हुए मूल्यवान वनो को अभी तक या तो काम में नही लाया गया अथवा आशिक रूप मे इस्तेमाल किया गया है । इसका मुख्य कारण उन तक पहुचने की कठिनाइया है । अनेक स्थानो पर एकदम सीधी और चट्टानी चढाई है, जहा केवल-क्रेनो की आवश्यकता पडती है । वन-मार्गों को बडी सडको तथा नदी-घाटी मे

जोडना चाहिए, जिससे इमारती लकडी का परिवहन अथवा उसे बहा कर ले जाना आसान हो जाए। योजना में 15,000 मील लम्बे वन-मार्गो के विकास की व्यवस्था है।

11 वनो के लघु उत्पादन का विकास : भारतीय वनो में अनेक प्रकार की छोटी-मोटी चीजें मिलती हैं। वन्य जीवो से प्राप्त वस्तुओ के अतिरिक्त वनो में 3,000 से ऊपर किस्मो के लघु उत्पादन हैं। जडी-बूटी, आवश्यक तेल, सरेस, चर्बीयुक्त तेल, चर्बी, गोद, श्वेतसार, बास, बेंत, अनेक किस्म की घास, कीडो से प्राप्त वस्तुओ—जैसे शहद, लाख और मोम—के दोहन और विकास की बहुत गुजायश है। सर्पगन्धा-जैसी जडी-बूटियो के निर्यात की सम्भावनाए भी बहुत हैं। विभिन्न वन-उत्पादनो के दोहन-सम्बन्धी कार्यक्रम राज्यो की योजनाओ में रखे गए हैं।

12 इमारती लकडी का उपचार : लगभग 100 गौण किस्मो की इमारती लकडी मिलती है, जिसका अभी पूरा उपयोग नही किया जा रहा है। उचित रीति से परिपक्व करने और सरक्षण-उपचार के बाद गौण इमारती लकडी को असली इमारती लकडी के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना में परिपक्वता के 27 और परिपक्वता एव सरक्षण के 3 सयन्त्र लगाने की व्यवस्था है। यह ध्यान रखना चाहिए कि बढिया किस्म की इमारती लकडी बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान कामो में तथा वही इस्तेमाल की जाए, जहा उसके स्थान पर किसी और किस्म से काम न चल सकता हो।

13 सर्वेक्षण और सीमाकन : सरक्षित वनो के बाहर के विशाल क्षेत्र और राज्यो द्वारा हाल ही में अधिगृहीत क्षेत्रो का वर्गीकरण अभी नही हो सका है और न ही अभी तक उनकी कानूनी स्थिति निश्चित की गई है। इन क्षेत्रो को फिर से ठीक करने और वैज्ञानिक रीति से उनमें काम करने के लिए इन क्षेत्रों की भूमि का समुचित सीमाकन, आदि करना आवश्यक है। 43,000 वर्ग मील के क्षेत्र में सर्वेक्षण और सीमाकन-कार्य की योजना बनाई गई है।

पहले से जिन इलाको का सर्वेक्षण और सीमाकन हो चुका है, वहा फिर से सुधार का काम शुरू किया जाएगा। यह सुधार-कार्य 6,00,000 एकड भूमि में होगा, जो विशेष रूप से उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मद्रास और मैसूर में है।

14 वन-साधनो का विनियोग-पूर्व सर्वेक्षण : कुछ अरसे से महसूस किया जा रहा है कि वनो पर निर्भर रहनेवाले उद्योगो—नकली रेशम, चिपबोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड आदि—के विकास के लिए देश के वन-साधनो के व्यापक अनुमान की आवश्यकता है। जब तक कच्चे माल की पर्याप्त और निर्भरयोग्य आपूर्ति का प्रबन्ध नही किया जाता, तब तक सुगठित औद्योगिक इकाइया नही बनाई जा सकती। तीसरी योजना में वन-साधनो और उद्योगो का, पूजी लगाने के पहले, सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जल्दी उगनेवाले पेड-पौधे लगाने का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाने, अन्दरूनी इलाको में वन-क्षेत्र खोलने, तथा वनो पर आधारित उद्योगो के आर्थिक भविष्य का अनुमान लगाने में सुविधा पहुचाना है। विनियोग-पूर्व सर्वेक्षण में विभिन्न उद्योगो की अगले 15 या इससे अधिक वर्षो की आवश्यकताओ का ध्यान रखा जाएगा। सर्वेक्षण के बाद परिवहन-सुविधाओ में सुधार और सुगठित लकडी-उपयोग-इकाइयो (लकडी चीरने, तख्ते बनाने आदि) की स्थापना के विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। सर्वेक्षण के प्रकाश में ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए, जो इमारती लकडी तथा आर्थिक दृष्टि से वनो के अन्य मूल्यवान उत्पादन की आपूर्ति और इनकी माग के बीच की खाई कम करने में सहायक हो।

15 **चरागाहो का सुधार** : देश के कुछ भागो मे पशुओ के चारे की कई बार बेहद कमी हो जाती है । कुछ ऐसे वृक्ष और झाडिया हैं, जिनकी पत्तिया, चारे की कमी के समय पशुओ के खाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती हैं । जहा खेती बहुत अनिश्चित है और बडे-बडे क्षेत्र सिचाई के बिना बेकार पडे हैं और लोग पशुओ के बडे-बडे रेवड रखते हैं, वहा बडे-बडे चरागाह बनाना आवश्यक है, जिनमें चारे के काम आनेवाले पेड-पौधे तथा झाडिया बडी सख्या में लगाई जाए । योजना मे ऐसे क्षेत्रो में 1,50,000 एकड भूमि पर चरागाहो के विकास की व्यवस्था की गई है ।

16 **वन-अनुसन्धान** : देहरादून की वन-अनुसन्धान-सस्था में दूसरी योजना के दौरान शुरू किया गया अनुसन्धान-कार्यक्रम जारी रहेगा और उसमें विस्तार भी किया जाएगा । देहरादून की सस्था मे हो रहे कार्य की सहायता के लिए तीन प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए जाएगे । विभिन्न प्रदेशो में प्राप्त अनेक किस्म की लकडी के उपयोग को बढाने के उद्देश्य से उक्त केन्द्रो मे विभिन्न प्रकार के गुणो—मजबूती, टिकाऊपन, उपयोग में किफायत आदि—के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा । चन्दन, अगर, आदि मूल्यवान सामग्रियो का उत्पादन बढाने के कारणो तथा कम प्रचलित वन-उत्पादनो का उपयोग बढाने की सम्भावनाओ की भी जाच की जाएगी । विभिन्न कामो में आनेवाले बेंत और बास उगाने तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में भी परीक्षण किए जाएगे ।

17 **तकनीकी कर्मचारियो का प्रशिक्षण** : वन-विकास के विभिन्न कार्यक्रमो को सफलता से क्रियान्वित करने के लिए बडी सख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकता पडेगी । अनुमान है कि राज्यो के वन-विभागो के लिए ही 480 अधिकारियो और 1,520 वन-कर्मचारियो (रेंजर्स) को प्रशिक्षित करना पडेगा । देहरादून के वन-महाविद्यालय मे अधिकारियो के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की सुविधा 85 से 100 कर देने का इरादा है । इसी प्रकार, देहरादून और कोयमुत्तूर के फारेस्ट रेंजर कालेजो में स्थान 200 से बढा कर 300 करने का विचार है । इसके अतिरिक्त कुछ राज्यो ने भी फारेस्टर और फारेस्ट गार्डो (वन-रक्षको) के काम के लिए लगभग 10,000 व्यक्तियो को प्रशिक्षण की सुविधाए देने का कार्यक्रम बनाया है ।

18 **प्रकृति-सरक्षण** : वन-विकास में प्रकृति-सरक्षण का बहुत महत्व है । इसमें न केवल प्राकृतिक वनस्पति का उचित सरक्षण और प्रबन्ध शामिल है, बल्कि जीव-जन्तुओं की रक्षा भी सम्मिलित है । जहा मानवीय हस्तक्षेप से जीव-जन्तुओ की सख्या बहुत कम हो गई है, वहा पशु-पक्षी बाहर से भेजे जाएगे । योजना के अनुसार 5 चिडियाघर, 5 राष्ट्रीय उद्यान और 10 वन्य जीव-सरक्षण-क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है । दिल्ली के चिडियाघर का और भी विस्तार किया जाएगा ।

19 **वन-श्रमिको के लिए सुविधाए** : वन-श्रमिको को समुचित रूप से सगठित नही किया गया है । उनके हितो की रक्षा करने एव आदिम जातियो के लोगो को गैर-सरकारी ठेकेदारो से बचाने के लिए वन-श्रमिको की सहकारी सस्थाए बनाने का विचार है । इन सस्थाओ को आवश्यक रियायते देकर उनके काम तथा अन्य उत्पादनो के उपयोग को बढावा दिया जाएगा । राज्यो की योजनाओ मे वन-श्रमिको के लिए मकान, डाक्टरी सहायता, पीने का पानी और प्राथमिक शिक्षा की सुविधाए देने की व्यवस्था है ।

20 **जन-सहयोग** : वनो के विकास में जन-सहयोग की एक बडी भूमिका है । गावो —

तथा वन-विस्तार के काम में स्थानीय जनता के योग का उल्लेख पहले किया जा चुका है। पौधे चाहे सरकारी संस्थाओं के जरिए लगाए जाएं अथवा जनता-द्वारा, उनकी देखभाल और रक्षा तभी हो सकती है, जब जनता वृक्षों के मूल्य को समझे और उनकी रक्षा के लिए वस्तुत प्रयत्न करे। गांवों में ईंधन के काम आनेवाले पेड़-पौधे सारे गांव की महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हैं और ग्राम-समाजों को उनके विकास का काम अपने ऊपर ले लेना चाहिए और आगे चल कर तो वनों के प्रबन्ध की सारी जिम्मेदारी पंचायत-समितियों और पंचायतों को दी जा सकती है।

मिट्टी-संरक्षण

21 देश के अनेक भागों में खेती की उपज में कमी का मुख्य कारण यह है कि क्षरण के कारण मिट्टी धीरे-धीरे कम उपजाऊ होती जाती है। सिंचित क्षेत्रों में पानी जमा हो जाने के फलस्वरूप मिट्टी में नमक और क्षार की मात्रा बढ़ गई और वह कम उपजाऊ हो गई। अनुमान है कि लगभग 20 करोड़ एकड़ भूमि (अथवा देश की कुल भूमि के चौथाई भाग) को इस प्रकार कटाव से हानि पहुंच रही है। यदि मिट्टी ही उपजाऊ न रही तो उत्पादन बढ़ाना तो दूर, सूखे खेतों में उतनी उपज कायम रखना भी सम्भव नहीं रह जाएगा। इसलिए मिट्टी-संरक्षण तथा नमी बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रगति की समीक्षा

22 पहली पंचवर्षीय योजना ने मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को तत्काल हल करने की राष्ट्रव्यापी नीति बनाने पर बल दिया गया था। सन् 1953 में खाद्य और कृषि-मन्त्रालय ने केन्द्रीय मिट्टी-संरक्षण-मंडल नियुक्त किया, जिसे मिट्टी और जल-संरक्षण के सम्बन्ध में अनुसन्धान शुरू करने, चलाने और समन्वय करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रम चलाने में राज्यों को सहायता देने का काम सौंपा गया। पहली योजना में मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रमों पर 1 6 करोड़ रु० खर्च किए गए। इस रकम का अधिकांश भाग कटूर बांध बनाने और 7,00,000 एकड़ भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाने पर खर्च हुआ। यह कार्य मुख्यत महाराष्ट्र और मद्रास-राज्यों में हुआ। जल-संरक्षण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 8 प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त, जोधपुर में मरु-वनरोपण और अनुसन्धान-केन्द्र की स्थापना की गई, जिसे रेगिस्तान-सम्बन्धी समस्याओं की जांच-पड़ताल का काम सौंपा गया।

23 दूसरी योजना में मिट्टी-संरक्षण के काम पर 18 करोड़ रु० खर्च किए गए। कटूर बांध और सीढ़ीदार खेत बनाने के काम में बहुत प्रगति हुई, विशेष रूप से पुराने बम्बई-राज्य में इस कार्य से 20 लाख एकड़ भूमि को लाभ हुआ। अखिल भारतीय मिट्टी-संरक्षण और भूमि-उपयोग का संगठित सर्वेक्षण भी शुरू किया गया। अभी तक 1.2 करोड़ एकड़ भूमि का सर्वेक्षण हो चुका है, जिसमें से 20 लाख एकड़ नदी-घाटियों के ग्राह्य क्षेत्रों में है।

24 पहली योजना में देहरादून में अधिकारियों, तथा कोटा, बेल्लारी, उदकमंडलम तथा हजारीबाग में सहायकों के प्रशिक्षण के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रम दूसरी योजना में भी चलते रहे। अभी तक 170 अधिकारियों और 900 सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका

इसके अलावा, सामुदायिक विकास के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित करने और पुनरभ्यास पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गई ।

25 बारानी खेती के तरीकों का प्रचार करने के लिए दूसरी योजना के उत्तरार्द्ध में ग्राह्य क्षेत्रों के आधार पर 40 प्रदर्शन-कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। हरेक कार्यक्रम 1,000 एकड़ भूमि के लिए है। उनमें से कुछ परियोजनाओं पर काम आरम्भ भी हो चुका है और तीसरी योजना में उनका विस्तार तथा इन्हें पूरा किया जाएगा ।

26 विभिन्न अनुसन्धान-केन्द्रों में किए गए अनुसन्धान-कार्य का उपयोगी परिणाम निकला है। गुजरात की घाटियों में उथली घाटियों को खेती के काम के लिए सुधारने का काम किया गया । गहरी और गहरी घाटियों का बागवानी के काम की फसलों, चारे के काम के पेड़-पौधों और चरागाह सुधारने के लिए विकास किया गया तथा उनके परिणाम बहुत आशाजनक रहे। गहरी काली मिट्टी पर हुए प्रयोगों से पता चला है कि कटूर बाध बना कर खेती करने से काली मिट्टी की जमीन पर ज्वार की उपज में 60-70 पौंड प्रति एकड़ तथा चारे में इससे दुगुनी वृद्धि हो सकती है। जोधपुर में रेत के टीलों को एक जगह स्थिर रखने तथा रेत उड़ने की समस्याओं पर प्रयोग करके 1,800 एकड़ भूमि में रेत के टील स्थिर किए गए। चरागाहों के विकास-सम्बन्धी अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बारी-बारी से चराई और बीच-बीच में चराई बिल्कुल बन्द कर देने से घास की उपज में बहुत वृद्धि हो गई।

27 जोधपुर के मरु-वनरोपण और अनुसन्धान-केन्द्र को संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति-संगठन के सहयोग से केन्द्रीय शुष्क प्रदेश-अनुसन्धान-संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस संस्था के कार्यक्षेत्र का अब देश-भर में शुष्क और अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों की समस्याओं के अध्ययन तक विस्तार हो गया है। जोधपुर में हुए परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि चरागाहों का विकास और प्रबन्ध उड़ती रेत के कारण बेकार हो जानेवाली जमीन के बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में चरागाहों के विकास का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया। अनुसन्धान और प्रदर्शन के लिए इस कार्यक्रम के अनुसार चरागाहों के विकास और प्रबन्ध-सम्बन्धी 55 क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। हर क्षेत्र लगभग 200 एकड़ का रखने की योजना थी। अभी तक 18 विस्तार-खंडों में 50 क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

28 दूसरी योजना में हुए अनुभव तथा मिट्टी-संरक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सहायता से तीसरी योजना में विकास-कार्य तेजी से चलाने का इरादा है। विभिन्न मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में 72 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

29 **कटूर बाध बनाने और बारानी खेती के तरीके** भारत में खेतों का प्रबन्ध चाहे जितना फैल जाए, फिर भी 14-15 करोड़ एकड़ का विस्तृत क्षेत्र ऐसा बच जाएगा, जिसमें पैदावार बढ़ाने के लिए कटूर बाध बनाने तथा मिट्टी-संरक्षण और बारानी खेती के ही तरीके अपनाने होंगे। अतः कृषि-साधनों के सन्तुलित विकास के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी-संरक्षण का कार्य और बारानी खेती करनी होगी तथा इन कार्यों में सम्बद्ध गांवों के लोगों को काफी योग देना होगा। तीसरी योजना में 1 1 करोड़ एकड़ भूमि पर कटूर बाध बनाए जाएंगे तथा 2 2 -

करोड़ एकड़ भूमि को बारानी खेती के तरीकों से लाभ पहुंचाया जाएगा। मेड़ बांध बनाने के अतिरिक्त, विशेष ध्यान देने-योग्य कार्यक्रमों में वर्षा का पानी सुरक्षित रखना, मोथा-नियंत्रण, पट्टीदार खेती और हरी खाद-सहित रासायनिक खाद का सही प्रयोग शामिल है।

30 **नदी-घाटी-परियोजनाएं :** नदियों के ग्राह्य क्षेत्रों में वन लगाना और भूमि-उपयोग के लिए इसी प्रकार के अन्य कार्य निम्नलिखित दृष्टि से आवश्यक हैं

(अ) नदी-घाटी-परियोजनाओं में बनाए गए जलाशयों को बहुत समय तक ठीक हालत में रखने के लिए,

(आ) छोटे सिंचाई-नालों से कारगर तरीके से काम लेने के लिए,

(इ) बाढ़ कम करने के लिए,

(ई) भूमि का कटाव रोकने के लिए,

(उ) मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, और

(ऊ) इमारती लकड़ी तथा ईंधन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए।

जैसा कि पहले एक अध्याय में बताया जा चुका है, भाखड़ा-नंगल, दामोदर-घाटी-निगम, हीराकुंड और दूसरी बड़ी-बड़ी नदी-घाटी-परियोजनाओं में ग्राह्य क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण के उपाय फौरन ही काम में लाने की आवश्यकता है। इन नदी-घाटी-परियोजनाओं के कुल 3 7 करोड़ एकड़ ग्राह्य क्षेत्र में करीब 1 5 करोड़ एकड़ में मिट्टी-संरक्षण के तरीकों का इस्तेमाल जरूरी है। दूसरी योजना में इन तरीकों का लाभ 1,40,000 एकड़ भूमि को पहुंचाया गया। तीसरी योजना में 11 करोड़ रु० की व्यवस्था कर 10 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में इनका लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम बनाया गया है। तट के कटाव को रोकने के लिए नदियों और नहरों के किनारे पेड़-पौधे लगाने के कार्यक्रमों की गति बढ़ाने पर भी बल दिया गया है।

31 **क्षारयुक्त और ऊसर भूमि का सुधार** सिंचित भूमि के नष्ट होने का एक बड़ा कारण भूगर्भ-जल का स्तर बढ़ना तथा मिट्टी में क्षार और नमक की मात्रा का अधिक होना है। ऐसी 1 2 करोड़ एकड़ भूमि का प्रायः एक-तिहाई भाग जलप्लावन और मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होने से, एक-तिहाई भाग क्षार की अधिकता तथा भूगर्भ-जल का स्तर बढ़ने से तथा शेष भूगर्भ-जल का स्तर जमीन के नीचे 10 फुट तक आ जाने से बर्बाद हो जाता है। सिंचाई के विस्तार के साथ भूमि को नुकसान पहुंचने का भी खतरा है। इसलिए जलप्लावन-ग्रस्त क्षेत्रों में जल-निकासी की व्यवस्था करना आवश्यक है। तीसरी योजना में 2,00,000 एकड़ भूमि के सुधार की व्यवस्था की गई है, जो जलप्लावन, क्षार और नमकयुक्त होने के कारण नष्ट हो रही है। यह भूमि अधिकांशतः पंजाब, उत्तरप्रदेश, मैसूर, गुजरात महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में है। लखनऊ के निकट बन्थरा-फार्म तथा अन्य केन्द्रों में किए गए प्रयोगों के परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं और इस दिशा में आगे अध्ययन जारी है।

32 **उपघाटियों की भूमि की समस्या** . यमुना चम्बल, माही आदि नदियों और उनकी सहायक नदियों के किनारों की धरती का बड़ा भाग बुरी तरह कटता जा रहा है और वह क्षेत्र उपघाटियों का इलाका बनता जा रहा है। उपघाटियां अबाध गति से बढ़ रही हैं और वहां खेती खत्म होती जा रही है। उपघाटियों के इस प्रकार कटाव से उत्तरप्रदेश में 35 लाख एकड़ और मध्यप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान में 8-8 लाख एकड़ भूमि को बहुत हानि पहुंची है। अनुसन्धान-केन्द्रों में हुए कार्य के परिणामस्वरूप नदी-उपघाटियों

को ग्राह्य क्षेत्रो मे भूमि सुधारने के लिए नियन्त्रित चराई, वन-रोपण, सीढीदार खेत बनाने और मिट्टी-सरक्षण के अन्य उपायो के महत्व पर बल दिया गया है। परन्तु विभिन्न क्षेत्रो में समस्या की गम्भीरता का अध्ययन तथा भावी कार्य के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। सुधार-कार्यक्रम बनाने और उन पर अमल करने के लिए सर्वेक्षण तथा भौगोलिक एव ज़मीन की बनावट-सम्बन्धी नक्शे तैयार करने का काम आरम्भ करने का इरादा है। इसके लिए और कुछ मरुप्रदेशो में सुधार-कार्य-सम्बन्धी सर्वेक्षण एव परीक्षण-कार्य के लिए 50 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना मे उपघाटियो का क्षेत्र सुधारने की दिशा में कुछ शुरुआत हुई थी तथा मध्यप्रदेश और गुजरात में कुछ परीक्षण-परियोजनाए आरम्भ की गई थी। तीसरी योजना में उपघाटियो की 40,000 एकड भूमि सुधारने के कार्यक्रम रखे गए हैं।

33 **रेगिस्तानी प्रदेश :** पेडो को अन्धाधुन्ध काटने, बहुत अधिक चराई और जमीन के अनुचित प्रयोग से रेगिस्तान बराबर बढता जा रहा है। भारत में रेगिस्तान कच्छ की रान से लेकर गुजरात और राजस्थान के बडे-बडे शुष्क क्षेत्रो तक फैला हुआ है। पशु और मनुष्य, दोनो की आबादी बढने से आसपास के क्षेत्रो में वनस्पति खत्म होती जा रही है और पजाब, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में उर्वर भूमि नष्ट होकर मरुभूमि बढने की स्थिति पैदा होती जा रही है। इन क्षेत्रो मे अधिकाश लोगो का मुख्य धन्धा पशुपालन, भेड और बकरीपालन है। इसलिए हवा से कटाव की समस्या चरागाहो की समस्या से जुडी हुई है। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र-अनुसन्धान-सस्था ने इन समस्याओ और सम्बद्ध प्रश्नो पर अनुसन्धान का काम आरम्भ किया है। कच्छ की रान के एक भाग में मरुभूमि के सुधार के तरीके और उपयोगिता की जाच के लिए एक परीक्षण-कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभिन्न राज्यो में मिट्टी-सरक्षण, जिसमे वन-रोपण, चरागाहो का विकास, आदि उपाय शामिल हैं, का कार्यक्रम 1,00,000 एकड मरुभूमि में लागू करने का इरादा है।

34 **पहाडी क्षेत्र और दूसरी परती भूमि :** मिट्टी-क्षरण की दृष्टि से पहाडी क्षेत्र, वनस्पति-रहित जगल और परती भूमि, एक गम्भीर समस्या है। इन क्षेत्रो में मिट्टी-क्षरण का बुरा असर पहाडो और मैदानो की खेती पर पडता है। बहुत अधिक चराई, अन्धाधुन्ध पेड काटना और अनिश्चित खेती से यह हालत हो गई है। मिट्टी-क्षरण पर नियन्त्रण करने और उत्पादकता को सामान्य उपयोग के स्तर तक लाने के लिए पहाडी क्षेत्र, परती भूमि और वनस्पति-रहित जगलो के 7,00,000 एकड क्षेत्र में वन-रोपण और चरागाहो का विस्तार किया जाएगा।

35 **सर्वेक्षण, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण :** केन्द्रीय मिट्टी-सरक्षण-मडल ने सर्वेक्षण, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण का एक सगठित कार्यक्रम तैयार किया है। तीसरी योजना में 1 5 करोड एकड क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें से अधिकाश भूमि नदी-घाटी-परियोजनाओ के ग्राह्य क्षेत्रों में है। मडल-द्वारा क्षेत्रीय मिट्टी-क्षरण-सम्बन्धी समस्याओ के अध्ययन के लिए स्थापित क्षेत्रीय अनुसन्धान एव प्रदर्शन-केन्द्रो को और मजबूत बनाया जाएगा। ये केन्द्र देहरादून (हिमालय-क्षेत्र), चडीगढ (शिवालिक-क्षेत्र), कोटा (राजस्थान की उपघाटियो का क्षेत्र), वसाड (गुजरात की उपघाटियो की भूमि), आगरा (यमुना की उपघाटिया), बेल्लारी (काली भूमि), उदकमडलम (पहाडी क्षेत्र), छतरा (कोसी का जल-विभाजक) और जोधपुर (मरुप्रदेश) में हैं। लाल मिट्टीवाली भूमि की

समस्याओं के अध्ययन के लिए उड़ीसा और आन्ध्रप्रदेश में दो और केन्द्र स्थापित करने का इरादा है। केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र-अनुसन्धान-संस्था शुष्क क्षेत्रों की मूल और सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन कर उनके बारे में अनुसन्धान का काम करेगा। रेगिस्तान की उड़ती रेत को स्थिर करने के लिए चरागाह-विकास-कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। परिवर्तनशील खेती के तरीकों में सुधार करने की भी व्यवस्था की गई है। असम में एक मुख्य केन्द्र होगा तथा मणिपुर, उत्तर-पूर्व सीमान्त-अभिकरण तथा त्रिपुरा में से प्रत्येक में दो उपकेन्द्र और एक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। परिवर्तनशील खेती-सम्बन्धी अनुसन्धान और अध्ययनों का उद्देश्य भूमि की उत्पादकता बनाए रखने तथा भूमि एवं जल-संरक्षण के लिए स्थिर खेती के समुचित तरीकों का विकास करना होगा। इस क्षेत्र में परिवर्तनशील खेती के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का भी अध्ययन किया जाएगा।

36 अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में तथा सहायकों के लिए चार प्रशिक्षण-केन्द्रों—उदकमंडलम, बेल्लारी, कोटा और हजारीबाग—में सुविधाएं दी गई हैं। उपसहायकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्यों द्वारा की गई है। अधिकारियों और सहायकों के नियमित प्रशिक्षण-क्रम के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने गजटेड अधिकारियों के लिए 3 महीने के विशेष पुनरभ्यास और विस्तार व खंड-विकास-अधिकारियों के लिए 2 से 4 सप्ताह के सघन प्रशिक्षण-कार्यक्रम की भी व्यवस्था की है। तीसरी योजना में तकनीकी कर्मचारियों की अतिरिक्त मांग का अनुमान 350 अधिकारी, 1,700 सहायक और 9 000 उपसहायक है। इसके अनुसार प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

37 **प्रशासनिक संगठन :** मिट्टी-संरक्षण का काम बहुत महत्त्व का हो गया है—नदी-घाटियों में भी, जहां बहुत अधिक धन खर्च कर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और सूखे क्षेत्रों में भी जहां कंटूर बांध और मिट्टी-संरक्षण के अन्य उपाय बहुत बड़े पैमाने पर अपनाए जाएंगे। मिट्टी-संरक्षण-कार्यक्रम शुरू करने, उनके सम्बन्ध में योजनाएं बनाने तथा उन्हें अमल में लाने के लिए हर राज्य में मजबूत मिट्टी-संरक्षण-संगठन होना चाहिए, चाहे वह अलग विभाग के रूप में हो अथवा किसी विभाग की शाखा के रूप में। आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम के मार्गदर्शन और अमल के लिए उपयुक्त स्तर का पूरे समय काम करनेवाला अधिकारी अवश्य रखा जाए। संगठन के कर्मचारियों में कृषि, इंजीनियरी और वन-विद्या-सम्बन्धी योग्यता और प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। राज्यों की राजधानियों में एक समन्वय-समिति बनाना भी आवश्यक है जिसमें कृषि, सिंचाई, वन और मिट्टी-संरक्षण-विभागों के अध्यक्ष भी हों। इस प्रकार की समिति नीति-सम्बन्धी निर्णय जल्दी-से-जल्दी करने में सहायक होगी और मिट्टी-संरक्षण-कार्यों का समन्वय तथा कुशल मार्गदर्शन कर सकेगी।

38 **जन-सहयोग :** मिट्टी-संरक्षण के अन्तर्गत कंटूर बांध और बारानी खेती आदि के कार्यक्रमों पर अमल करते समय मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि भूमि के मालिकों और उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से उक्त कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहन देकर अधिक-से-अधिक बड़े पैमाने पर जन-सहयोग प्राप्त किया जाए। काश्तकारों को बचाव के सम्बन्ध में जागरूक बनाया जाए, जिससे वे मिट्टी-संरक्षण के कार्य में स्वयं ही पहल करने के लिए तैयार हो जाएं। इस कार्य के लिए गांवों की तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से शिक्षा का सघन कार्यक्रम शुरू करना होगा, जिससे किसानों को इन कार्यों की पूरी जानकारी हो जाए। अनेक

स्थानो में, मुख्यत महाराष्ट्र में, हुए अनुभव में मालूम हुआ है कि स्थानीय नेतृत्व तैयार करने और समय पर जनता का सहयोग लेने से मिट्टी और जल-सरक्षण-कार्यक्रम तेज़ करना अधिक सहज हो सकता है। पचायती राज-सस्थाए जनता को इन कार्यक्रमो की बडे पैमाने पर जानकारी कराने में बहुत बडी भूमिका अदा कर सकती हैं।

39 विधि-विधान ' कटूर बाव बनाने, मिट्टी-सरक्षण और भूमि-सुधार के अन्य कार्यक्रमो को ठोस तरीको से चलाने के लिए कुछ उपयुक्त कानून बनाए जाए, ताकि राज्य-सरकारो को किसी नदी-क्षेत्र अथवा ग्राम-समूहो के लिए मिट्टी-सरक्षण-कार्यक्रम बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाए। सरकारी भूमि पर होनेवाले कार्यों का खर्च राज्य को ही उठाना होगा। लोगो की निजी भूमि पर किए जानेवाले सरक्षण-कार्यक्रमो का खर्च उनमे लाभ उठानेवाले ही उठाएगे। राज्य की ओर से उपयुक्त तकनीकी निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यदि लाभ उठानेवाले स्वय वह कार्यक्रम अमल मे नही लाएगे, तो सरकार अथवा उसकी ओर से पचायतें या पचायत-समितिया उन्हें कर देंगी तथा सारा खर्च लाभ उठानेवालो से वसूल कर लेगी। इस दिशा मे 9 राज्यो में कानून बना दिए गए हैं और निकट भविष्य में 5 और राज्य इसी प्रकार के कानून बनाने का इरादा कर रहे हैं।

अध्याय 23

खेतिहर श्रमिक

प्रगति की समीक्षा

योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत एक मुख्य काम खेतिहर श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें उन सामाजिक अक्षमताओं से मुक्ति दिलाना है, जिनमें वे अब तक पीड़ित रहे हैं। भावी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेतिहर श्रमिकों का स्थान तथा उनके लिए काम की व्यवस्था, यही दो प्रमुख समस्याए हैं। अतीत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार जाति और पेशे पर आधारित वर्गीकरण था। स्वतन्त्रता के बाद किए गए विभिन्न प्रयत्नों और समाज-सुधार-सम्बन्धी कार्रवाइयों के परिणाम-स्वरूप खेतिहर श्रमिकों, और आम तौर पर सभी पिछड़े वर्गों, की सामाजिक कठिनाइया काफी कम हुई हैं। साथ ही, जनता के इन वर्गों की आर्थिक समस्याए—विशेषरूप से रोज़गार के अधिक अवसर देने की आवश्यकता—अधिक स्पष्ट हो गई हैं। पचवर्षीय योजनाओं का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों के सभी वर्गों को काम के पूरे अवसर देना और बेहतर जीवन बिताने के साधन उपलब्ध करना, विशेषरूप से खेतिहर श्रमिकों और अन्य पिछड़े वर्गों को अन्य लोगों के बराबर स्तर तक पहुचने में मदद करना है। इनकी समस्याए निस्सन्देह चुनौती के समान हैं, और इनका सन्तोष-जनक हल ढूढ़ने की जिम्मेदारी सारे समाज पर है।

2 खेतिहर श्रमिकों की समस्याए हर प्रदेश में एक समान नहीं हैं—ये आबादी की अधिकता, खेती की कुल ज़मीन, सिचाई-सुविधाओं और दोहरी फसल के अवसरों में अन्तर, ज़मीन की उत्पादन-शक्ति, फसलों के तरीके, खेती के मौसम के बाद गाव में जाने और खेती के अलावा रोज़गार अपनाने के अवसरों, आदि के कारण विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न मात्रा में पाई जाती हैं। फिर भी, दो बार—सन् 1950-51 और 1956-57 में—हुई अखिल भारतीय कृषि-श्रम-जाच के परिणामों तथा कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन के सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ मोटी बातें सामने आई हैं। दोनों बार की जाच के सिद्धान्त कुछ सीमा तक भिन्न थे, इसलिए दोनों के फलस्वरूप प्राप्त आकड़ों की पूरी तरह तुलना नहीं हो सकती। सारे देश के लिए एक समान मान्यता अपनाना भी ठीक नहीं होगा। हा, दोनों बार की जाच ने जो बहुत स्पष्ट रूप में बातें प्रकट हुई, वे हैं—समस्या की विशालता, व्यापक रूप में विद्यमान् अर्द्ध-रोज़गारी और यह तथ्य कि आबादी बढ़ने का सबसे बुरा असर इसी वर्ग पर पड़ा है। कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठन के सर्वेक्षणों में भी इन सामान्य निष्कर्षों की पुष्टि हुई है।

3 खेतिहर श्रमिकों की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोज़गारी और अर्द्ध-रोज़गारी की विशालतर समस्या का एक अग है। खेती और सिचाई के विकास के कारण उत्पादन और काम के अवसर बढ़े तो हैं, पर उनमें हिस्सा बटानेवालों की सख्या बहुत बढ़ी है। उन ग्रामीण लोगों को, जो भूमिहीन हैं अथवा वास्तव में काश्त-

कार नहीं हैं, दूसरों की अपेक्षा बहुत कम लाभ पहुंचा है। कुछ क्षेत्रों में तो उनकी अवस्था सम्भवतः और बिगड़ी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं हैं—कम आमदनी, कम उत्पादकता और निरन्तर चलनेवाले रोजगार का अभाव। तीसरी योजना में विकास के सघन कार्यक्रमों के जरिए ये समस्याएं ज्यों-ज्यों हल होती जाएंगी, त्यों-त्यों खेतिहर श्रमिकों की स्थिति और उनका भविष्य सुधरता जाएगा। लेकिन साथ ही, यह बात सदा मानी गई है कि ग्रामीण जनता के हित में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं, उनकी उद्देश्य-सिद्धि में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न दिशाओं में अन्य विशिष्ट कार्रवाइयां भी की जानी चाहिए, जिनसे खेतिहर श्रमिकों को अपने जीवन-यापन की स्थिति सुधारने तथा सामुदायिक विकास और अन्य कार्यक्रमों के कारण गांवों में मिलनेवाले रोजगार के अधिक अवसरों में पर्याप्त और उचित हिस्सा ग्रहण करने में सहायता मिले।

4 पहली पंचवर्षीय योजना में खेतिहर श्रमिकों को बसाने और उन्हें अपने ठिकानों से बेदखल होने से बचाने की व्यवस्था की गई थी। भूमि की पुनर्व्यवस्था की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई। सन् 1948 का न्यूनतम पारिश्रमिक-अधिनियम खेती-सम्बन्धी रोजगार पर भी लागू किया गया। अनुभव से मालूम हुआ है कि कृषि-सम्बन्धी पारिश्रमिक का स्तर काफी हद तक कृषि-उत्पादकता में वृद्धि और विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये के बढ़ते हुए उपयोग से सम्बद्ध रहता है। इसलिए यह निश्चय किया गया कि न्यूनतम पारिश्रमिक-सम्बन्धी व्यवस्था लागू करते समय पहले विभिन्न राज्यों के उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए, जहां सबसे कम पारिश्रमिक दिया जाता है।

5 दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई के विकास तथा सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के विस्तार से सम्बद्ध कार्यक्रमों के अलावा ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए भी 200 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। ग्रामीण कार्यक्रमों में जनता के कमजोर वर्गों — जैसे, खेतिहर श्रमिकों, कारीगरों, आदि — के लाभ की योजनाओं को सबसे ऊंची प्राथमिकता देने का सुझाव रखा गया। योजना में ऐसे विशेष कार्यक्रम भी शामिल किए गए, जिनसे खेतिहर श्रमिकों को लाभ हो, इनमें भूमि की पुनर्व्यवस्था, मकान के लिए स्थान की व्यवस्था, सहकारी श्रमिक-संस्थाओं की स्थापना, आदि कार्यक्रम शामिल थे। सितम्बर 1957 में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने सुझाव रखा कि जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने तथा भूदान एवं ग्रामदान के जरिए प्राप्त भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों के 3 लाख परिवारों को बसाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाए। उस समय तक जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने-सम्बन्धी व्यवस्था अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी, इसलिए यह योजना अपने प्रस्तावित रूप में अमल में नहीं लाई जा सकी। फिर भी, कुछ राज्यों ने अपनी-अपनी पुनर्व्यवस्था-सम्बन्धी योजनाओं के अनुसार काम जारी रखा और कुछ योजनाओं में केन्द्रीय सरकार ने भी सहयोग दिया। पंजाब, बम्बई, आन्ध्रप्रदेश और बिहार आदि कुछ राज्यों में श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं की दिशा में भी प्रगति की गई।

6 केन्द्रीय सरकार से सहायता-प्राप्त दो योजनाओं के अन्तर्गत बिहार में 10 हजार परिवार भूदान में मिली जमीन पर बसाए गए। उड़ीसा में ग्रामदान में मिले

गांवों के विकास के लिए भी सहायता दी गई। भूदान में मिली कुल 44 लाख एकड़ भूमि में से 9 लाख एकड़ भूमि का अब तक वितरण हो चुका है। प्रगति में धीमापन प्राप्त जमीन की सिन्चितता-सम्बन्धी तथा अन्य संगठनात्मक मामलों में उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों के कारण आया।

7 दूसरी योजना की अवधि में अनेक राज्य-सरकारों ने भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को मकान बनाने के लिए मुफ्त या सस्ती जमीन देने तथा उन्हें अवश्य बेदखली से बचाने के लिए कदम उठाए। आन्ध्रप्रदेश में सभी वास्तविक आवेदनकर्ताओं को मकान बनाने के लिए जमीन दी गई—प्राथमिकता उन लोगों को दी गई, जिनके पास पहले बिल्कुल जमीन नहीं थी। मध्यप्रदेश में आम तौर पर गांवों में ही उनके मकानों के लिए जमीन निश्चित कर दी गई जहां सरकारी जमीन थी, वहां उनसे कोई किस्त या मूल्य नहीं लिया गया। मद्रास में सरकारी फालतू जमीन बेघर-बार लोगों को दी गई। हरिजनों और अन्य लोगों को देने के लिए जहां सरकारी जमीन नहीं थी, वहां अधिग्रहण करके उन्हें या तो वही जमीन दी गई, जिन पर वे रहते थे या और कोई जमीन दी गई। मकानों के लिए यह जमीन बेघर और बेजमीन-लोगों को बिलकुल मुफ्त दी गई। महाराष्ट्र-सरकार ने निदेश दिया है कि सामान्यत गांवों के निकट की जमीनों का पहला उपयोग मकानों के लिए ही किया जाए। यह भी व्यवस्था की गई कि कलक्टर खेतिहर परिवारों को मकान के लिए दो 'गुंठा' या 200 रु० तक की जमीन दे दें। मैसूर में, जहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं थी, वहां मुआवजा देकर गैर-सरकारी जमीन का अधिग्रहण किया गया और वह खेतिहरों को मकान बनाने के लिए दे दी गई। पंजाब में भूमिहीनों को जमीन खरीदने तथा मकान के लिए उचित स्थान प्राप्त करने के लिए सहायता देने की योजनाएं बनाई गई हैं।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

8 पहली दो योजनाओं के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि खेतिहर श्रमिकों के हित की विशेष योजनाएं उपयोगी तो हैं, परन्तु वे समस्या को पूरी तरह हल नहीं कर पातीं, छू-भर देती हैं। अन्तत, समग्र देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंग-रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र और सघन विकास से ही समाज के भूमिहीन वर्गों को पर्याप्त लाभ पहुंच सकेगा। तीसरी योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी लगाने की व्यवस्था है। सरकारी क्षेत्र में कृषि, सामुदायिक विकास और सिंचाई पर 1,700 करोड़ रु० से भी अधिक के व्यय की व्यवस्था है। इससे कृषि-उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। सिंचाई से 2 करोड़ एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा और खेती की 1 करोड़ 10 लाख एकड़ जमीन मिट्टी-संरक्षण के अन्तर्गत आएगी।

9 ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम में खादी, अम्बर खादी, ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों के लिए 92 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है एवं गांवों में औद्योगिक बस्तियां बसाने का निश्चय किया गया है। 5,000 से अधिक आबादीवाले सभी कस्बों तथा गांवों और 2,000 से 5,000 के बीच की आबादीवाले आधे गांवों में बिजली पहुंच जाने की आशा है। यदि इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया जाए, तो अतिरिक्त

रोजगार के अवसर बहुत बड़ी संख्या में पैदा होंगे। सम्पूर्ण ग्राम और लघु उद्योग-कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 0 लाख व्यक्तियों को थोड़े समय का या अतिरिक्त रोजगार दिया जा सकेगा तथा 9 लाख व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार प्राप्त होगा। योजना को पूरी तरह अमल में लाने पर इससे भी अधिक और अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

10 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था के हर बच्चे को शिक्षा की सुविधा देने तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के विकास के कारण समाज के दुर्बल वर्गों की कुछ कठिनाइयां कम हो जाएंगी। गांवों में पानी पहुंचाने का एक कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, जिस पर 35 करोड़ रु० खर्च होंगे और जिससे तीसरी योजना के अन्त तक सभी गांवों में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो जाएगा। योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी कार्यक्रम हैं, जिन पर 114 करोड़ रु० का खर्च आएगा। इस रकम का एक अच्छा हिस्सा खेतिहर श्रमिकों के लाभ के कामों पर खर्च होगा। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में सदा उन विकास-कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनसे समाज के दुर्बल वर्गों को लाभ पहुंचे। ग्राम-आवास-परियोजना में 5 करोड़ रु० गांवों में जमीन के अधिग्रहण के लिए रखे गए हैं, यह जमीन खेतिहर श्रमिकों को मकान बनाने के लिए दी जाएगी। यह स्पष्ट है कि इन विभिन्न कार्यक्रमों पर अच्छी तरह अमल करने तथा उनका लाभ खेतिहर श्रमिकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पहुंचाने की व्यवस्था करने से स्थिति में सुधार होगा। मोटी बात यह कि खेतिहर श्रमिकों और ग्राम-समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की समस्या का सबसे बड़ा हल स्वयं योजना को, उसके बुनियादी, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को सामने रखकर, भली-भांति और कुशलता से अमल में लाना है।

11 भूमि की पुनर्व्यवस्था के लिए राज्यों की योजनाओं में 4 करोड़ रु० की व्यवस्था है। आशा की जाती है कि जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने के बाद बच रहनेवाली फालतू जमीन के भूमिहीनों एवं अन्य लोगों के बीच फिर से बटवारे के लिए आवश्यक अतिरिक्त साधन राज्यों को अपनी वार्षिक योजनाओं से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा, केन्द्र में भी भूमिहीन श्रमिकों को फिर से बसाने की योजनाओं के लिए 8 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। भारत-सरकार-द्वारा स्थापित एक समिति ने हाल में ही उन भूमि-खंडों का सर्वेक्षण किया, जिन्हें 'खेती की अन्य भूमि' जिसमें बंजर भूमि शामिल नहीं है और 'बंजर भूमि' जिसमें चालू बंजर भूमि शामिल नहीं है, वर्गों में रखा गया है और 250 एकड़ से ऊपर के खंडों में करीब 10 लाख एकड़ भूमि का पता लगाया है। जिला-अधिकारियों-द्वारा 250 एकड़ से कम के खंडों की भूमि का सर्वेक्षण होने पर और भूमि उपलब्ध हो सकेगी। यह और कृषि-कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुधारी जानेवाली भूमि को मिलाकर कुल परिमाण 40 लाख एकड़ होने की आशा है। हाल में योजना-आयोग-द्वारा नियुक्त खेतिहर श्रमिकों-सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने अनुमान लगाया है कि तीसरी योजना की अवधि में 50 लाख एकड़ भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों के 7 लाख परिवार बसाने के प्रयत्न किए जा सकेंगे। इस लक्ष्य को सामने रखकर उक्त कार्यक्रम को सम्भव बनाने के लिए पुनर्व्यवस्था-योग्य जमीन का पता लगाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में आबादी-योग्य जमीन के सर्वेक्षण के प्रयत्न ग्राम और खंड-स्तर तक बढ़ा दिए जाने चाहिए। जहां कहीं

बसाने का अवसर हो, वहा उसका उपयोग किया जाए, चाहे ऐसे हर स्थान पर थोडे-थोडे परिवारो को ही लाभ पहुचता हो। जहा जमीन दी जाए, वहा ऋण और ऐसी ही अन्य सहायता देकर उन बसनेवाले लोगो को अपना पुनर्वास भली-भाति करने की सुविधा प्रदान की जाए।

12 कुछ अर्थो में तीसरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण विकास-कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रो में निर्माण-कार्य है, जिसकी चर्चा पहले 'रोजगार और जनशक्ति' शीर्षक अध्याय में की जा चुकी है और जिससे सर्वाधिक लाभ खेतिहर श्रमिको को मिलेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त तक 25 लाख लोगो के लिए गावो में वर्ष में 100 दिन का रोजगार मुहय्या किया जा सकेगा, विशेषरूप से फसल के बाद के खाली दिनो में। कार्यक्रम में कृषि-विकास की इन योजनाओ पर अधिक ध्यान दिया जाएगा सिचाई, बाढ-नियन्त्रण, भूमि-पुनरुद्धार, वन-रोपण और मिट्टी-सरक्षण, सडक-विकास-परियोजनाए, ग्रामीणो को सुविधाए देने की व्यवस्था और गावो की आवास-परियोजनाए। ग्रामीण निर्माण-कार्यो में सहकारी श्रमिक-समितियो और अन्य निर्माण-सस्थाओ को बडा काम करना होगा। उन्हें उपकरण ले जाने होगे, ठेके प्राप्त करने होगे और कर्मचारी-मडल सगठित करके पचायतो और पचायत-समितियो के साथ निकट सहयोग से काम करना होगा। अर्द्धरोजगारी की समस्या का स्थायी हल तभी निकलेगा, जब सारे देश में खेती की वैज्ञानिक विधिया अपना ली जाएगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुमुखी एव सबल हो जाएगी। तीसरी योजना में इस दिशा में भी विशेष प्रयत्न किए जाएगे। दूसरी ओर, गावो में निर्माण के बडे कार्यक्रम से बहुत सहायता मिलेगी और ग्रामो में विकास की गति तेज करने में बहुत मदद मिलेगी।

13 वस्तुत खेतिहर श्रमिको की समस्या के मूल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लम्बे अरसे से चली आ रही जडता और जाति-पाति पर आधारित अनुदार सामाजिक ढाचा है। इन बुनियादी दुर्बलताओ को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। साथ ही, सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज करनी पडेगी। एक के बाद एक पचवर्षीय योजनाए देश के प्राकृतिक साधनो के उपयोग, उत्पादन और रोजगार बढाने तथा ग्रामीण क्षेत्रो को अधिक सुविधाए उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारी आधार पर पुनर्गठित करने तथा समाज के दायित्वो एव कार्य पर बल देने का प्रयोजन केवल कृषि-उत्पादकता बढाना और ग्रामो के आर्थिक ढाचे को बहुमुखी बनाना ही नही, बल्कि इसका उद्देश्य जल्दी-से-जल्दी सगठित समाज बनाना है, जिसमें जाति-पाति और वर्ग को ध्यान में रखे बिना समाज के हर सदस्य को समान अवसर मिल सके। दूसरे शब्दो में, पचवर्षीय योजनाओ के प्रयत्नो से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढाचा तैयार हो रहा है, उसमें खेतिहर श्रमिक भी दूसरे लोगो के समान भाग ले सकेंगे और शेष ग्रामीण जनता के मुकाबले बराबर का सामाजिक एव आर्थिक दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। विशेष अध्ययनो और मूल्याकनो तथा केन्द्रीय खेतिहर श्रमिक-परामर्शदात्री समिति एव राज्यो में स्थापित होनेवाली ऐसी ही अन्य सस्थाओ-द्वारा समीक्षा के माध्यम से इन दिशाओ में हुई वास्तविक प्रगति पर कडी निगरानी रखी जानी चाहिए।

अध्याय 24

सिंचाई और बिजली

सिंचाई और बिजली पहली योजना के आरम्भ से ही विकास के दो अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। खेतो को बहुमुखी बनाने और फसलो की उपज बढाने के लिए छोटी और बड़ी, दोनो तरह की परियोजनाओ के जरिए सिंचाई का विस्तार करना अत्यन्त आवश्यक है। बडे-बडे औद्योगिक कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए पहले बिजली का विकास करना बहुत जरूरी है। अन्य विकास-कार्यक्रमो के साथ-साथ भाखडा-नगल, हीराकुड, चम्बल, तुगभद्रा, नागार्जुनसागर और दामोदर-घाटी-निगम-जैसी नदी-घाटी-परियोजनाओ को भी, जिनसे सिंचाई की व्यवस्था होने के साथ-साथ बिजली भी मिलती है, अपने-अपने क्षेत्र में जीवन-स्तर ऊंचा करने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान करना है। इस प्रकार, सिंचाई और बिजली का बडे पैमाने पर विकास होने से कृषि-अर्थव्यवस्था के पुर्ननिर्माण में तो सहायता मिलती ही है, देश के तीव्र उद्योगीकरण के लिए मार्ग भी तैयार होता है।

सिंचाई

2 सन् 1950 में लगाए गए अनुमान के अनुसार देश का नदी-जल-साधन 1 अरब 35 करोड 60 लाख एकड-फुट है। भौगोलिक और भूमि की बनावट-सम्बन्धी कारणो से इसमें से सिर्फ 45 करोड एकड-फुट जल का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। सन् 1951 तक लगभग 7 करोड 60 लाख एकड-फुट जल का—उपयोगजन्य जल के 17 प्रतिशत भाग का और कुल बहाव के 5 6 प्रतिशत भाग का—ही उपयोग किया गया था। अनुमान है कि दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक 12 करोड एकड-फुट जल का—यानी, उपयोगजन्य जल के 27 प्रतिशत भाग का और कुल बहाव के 8 9 प्रतिशत भाग का—इस्तेमाल हो सकेगा। आशा है कि तीसरी योजना में 4 करोड एकड-फुट अतिरिक्त जल का, यानी उपयोगजन्य जल के 36 प्रतिशत भाग का, उपयोग होने लगेगा।

3 भूगर्भीय जल-साधनो से बडी मात्रा में जल प्राप्त हो सकता है। इन साधनो की अब तक कोई सूची तो तैयार नही की गई है, परन्तु सन् 1953 में एक भूगर्भीय जल-खोज-परियोजना आरम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत भूगर्भीय जल की सम्भावना-वाले क्षेत्रो में—जैसे, नदी-घाटियो एव तटीय इलाको में—खुदाई करके जल की उपस्थिति का पता चलाया जाना था। मुख्यत सिन्धु-गगा-घाटी, साबरमती-घाटी और मद्रास तथा आन्ध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्रो में भूगर्भीय जल-साधनो के विकास की बहुत गुजायश है। भूगर्भीय जल से उन क्षेत्रो में सिंचाई की जा सकती है, जहा नहरो-द्वारा सिंचाई सस्ती नही पडती, या जहा पानी का अभाव होने की आशका रहती है।

4 पहली योजना के अन्त में भूमि-उपयोग की स्थिति इस प्रकार थी

	लाख एकड़
कुल क्षेत्र	8,060
खेती-योग्य क्षेत्र	4,760

बुआई का शुद्ध क्षेत्र		3,180
एक से अधिक बार बुआई का क्षेत्र		450
फसलवाला कुल क्षेत्र		3,630
शुद्ध सिंचित क्षेत्र *		
सरकारी नहरें	198	
निजी नहरें	34	
तालाब	109	
नलकूप और अन्य कुएं	167	
अन्य साधन	54	
योग	562 या 560	
एक बार से अधिक सिंचाईवाला क्षेत्र		70
कुल सिंचित क्षेत्र †		630

5 पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सब साधनों से कुल 5 करोड़ 15 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होती थी, जिसमें से 2 करोड़ 20 लाख एकड़ की सिंचाई बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से होती थी। अनुमान लगाया गया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना (1975-76) के अन्त तक बहूद्देश्यीय परियोजनाओं-सहित बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से कुल 8 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करना सम्भव हो सकेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस दीर्घकालीन लक्ष्य को दृष्टि में रखा गया है। बड़ी‡ और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं की कुल सिंचाई-क्षमता का अनुमान 10 करोड़ एकड़ है और छोटे तालाबों, नलकूपों, खुले कुओं, आदि-जैसे छोटे सिंचाई-साधनों की क्षमता का कुल 7 करोड़ 50 लाख एकड़। बड़ी और मध्यम योजनाओं में बड़े और दूर तक के क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ मिलता है, अभाववाले वर्षों में भी उनसे लाभ और संरक्षण का अधिक भरोसा रहता है तथा वे और भी कई प्रयोजन सिद्ध कर सकती हैं। छोटी योजनाओं पर अपेक्षाकृत कम खर्च होता है, जल्दी ही परिणाम निकल आते हैं और उन्हें स्थानीय साधनों से शीघ्र पूरा किया जा सकता है। परन्तु सूखावाले वर्षों में इनसे मिलनेवाले संरक्षण में काफी कमी आ

---

*शुद्ध सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसकी—एक से अधिक फसल के लिए सिंचित क्षेत्र को हिसाब में रखते हुए—वर्ष में केवल एक बार सिंचाई होती है।

†कुल सिंचित क्षेत्र का अर्थ वर्ष-भर में सिंचित फसलवाला कुल क्षेत्र है; अर्थात् शुद्ध सिंचित क्षेत्र में उस क्षेत्र का योगफल, जिसकी वर्ष-भर में विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई होती है।

‡5 करोड़ रु० से अधिक खर्चवाली सिंचाई-परियोजनाएं बड़ी, 10 लाख से 5 करोड़ रु० तक खर्चवाली मध्यम और 10 लाख रु० से कम खर्चवाली छोटी (बशर्ते कि ये किसी बड़ी या मध्यम परियोजना का अंग न हों) योजनाएं कहलाती हैं।

सकती है, जब कि उस समय उसकी अधिक जरूरत होती है । खास कर तालाब आदि वर्षा के भाव मे सूख जाते हैं। इसलिए बडी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओ तथा छोटी सिंचाई-योजनाओ का सन्तुलित विकास जरूरी है, क्योकि इन तीनो को मिला कर ही एक सगठित सिंचाई-कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। हर क्षेत्र को उसके अनुकूल योजना से लाभ पहुचाया जाना चाहिए, ताकि कम-से-कम खर्च में अधिक-से-अधिक अच्छे परिणाम निकल सकें।

■ **सिंचाई का विकास :** पहली और दूसरी योजनाओ के अन्त तक सिंचाई के क्षेत्र में हुई प्रगति तथा तीसरी योजना के लक्ष्य नीचे की तालिका मे दिए गए हैं

तालिका-सख्या 1

सिंचित क्षेत्र

(शुद्ध क्षेत्र लाख एकड में)

	1950-51	*1955-56*	*1960-61*	*1965-66*
बडी और मध्यम सिचाई	220	249	310	425
छोटी सिंचाई	295	313	390	475
योग	515	562	700	900

पहली और दूसरी योजनाओ के कार्यक्रम

7 अनुमान है कि पहली और दूसरी पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत सिंचाई की बडी और मध्यम योजनाओ पर कुल व्यय 1,400 करोड रु० बैठा और आशा है कि उनका पूरी तरह विकास हो जाने पर लगभग 3 करोड 80 लाख एकड भूमि की सिंचाई हो सकेगी । पहली योजना के अन्त तक इन सिंचाई-योजनाओ पर 380 करोड रु० का व्यय हुआ था । दूसरी योजना में उन पर कुल 370 करोड रु० खर्च होने का अनुमान है। इन सिचाई-परियोजनाओ पर तीसरी योजना में 436 करोड रु० खर्च करने की जरूरत पडेगी, जिसमें से 214 करोड रु० का भार चौथी योजना को सौंपा जाएगा। राजस्थान-नहर, गडक, उकई, नर्मदा, नागार्जुनसागर, आदि-जैसी कुछ परियोजनाओ पर तीसरी योजना के बाद भी काम चलता रहेगा ।

8 अगले पृष्ठ की तालिका में पहली दोनो योजनाओ के सिंचाई-कार्यक्रमो से प्राप्त लाभ, पहली योजना के अन्त में और दूसरी योजना की अवधि में दिखाए गए है।

राज्यो-द्वारा पहली और दूसरी योजना की अवधि में बडी और मध्यम सिंचाई-योजनाओ से मिलनेवाले लाभ का विवरण, दूसरी योजना के अन्त तक पैदा होनेवाली क्षमता और उसका उपयोग अनुबन्ध 1 में दिखाया गया है।

9 दूसरी योजना में बडी और मध्यम सिचाई-परियोजनाओ के जरिए 1 करोड 20 लाख एकड अतिरिक्त जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया था । सन् 1958 में योजना की समीक्षा के समय यह लक्ष्य घटा कर 1 करोड 4 लाख एकड कर दिया गया। राज्यो-द्वारा अब अनुमान लगाया गया है कि 59 लाख एकड अतिरिक्त क्षेत्र में ही सिंचाई की व्यवस्था होने की आशा है। दूसरी योजना के आरम्भ में लगाए गए व्यय के अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय 370 करोड रु० ठहरता है । कई राज्यो में तकनीकी कर्मचारियो की कमी के कारण कार्यक्रम

तालिका-संख्या 2

सिंचाई-योजनाओं से लाभ

वर्ष के अन्त में	जलमार्ग से निकासी पर कुल सिंचाई-क्षमता* (लाख एकड़ में)	कुल सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़ में)	कुल सिंचित क्षेत्र निकासी पर क्षमता का प्रतिशत	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1955-56	65	31	48	29
1956-57	74	42	58	34
1957-58	82	58	71	49
1958-59	97	65	67	59
1959-60	115	83	72	74
1960-61 (अनुमित)	130	100	76	90

पिछड़ गया। कुछ मामलों में इस्पात, सीमेंट, कोयला, आदि-जैसी आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण भी प्रगति में बाधा पहुंची। अतीत में भी स्थानीय या प्रादेशिक दबाव के कारण कुछ परियोजनाओं पर, पूरी जांच और पर्याप्त सर्वेक्षण के बिना ही, काम शुरू कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएं लटकी रहीं और इनसे मिलनेवाले लाभ में भी देरी हुई। पारिश्रमिक और चीजों की कीमत में वृद्धि के कारण भी व्यय के सम्बन्ध में लगाए गए अनुमान पूरे नहीं हो सके। दूसरी योजना में उपयोग की गति में सुधार हुआ है, जैसा कि तालिका-संख्या 2 से स्पष्ट है। यदि ठीक समय पर खेतों की नालियां‡ खोदने और सिंचाई-सुविधाएं उपलब्ध होने पर काम में लाए जानेवाले खेतों के सुधरे हुए तरीकों और फसल-पद्धति का समय रहते किसानों के समक्ष प्रदर्शन करने पर अधिक ध्यान दिया जाता तो अधिक अच्छे परिणाम निकल सकते थे। तीसरी योजना बनाते समय तकनीकी संगठन मजबूत करने तथा योजना की प्रगति के मार्ग में आनेवाली बाधाएं दूर करने की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया गया है।

तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम

10 सिंचाई-परियोजनाओं पर जो इतनी अधिक पूंजी लगाई जा रही है, उससे कम-से-कम समय में अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने की नितान्त आवश्यकता है। इसके साथ ही इस बात की भी पक्की व्यवस्था होनी चाहिए कि इन परियोजनाओं से होनेवाले लाभ जल-निकासी की समुचित व्यवस्था न होने तथा पानी जमा हो जाने के

*जलमार्ग से निकासी पर जो जल प्राप्त होता है, उससे जितना क्षेत्र सींचा जा सके, वह उसकी सिंचाई-क्षमता है।

‡ 'खेतों की नालियां' का अर्थ वे नालियां हैं, जो निकासी-केन्द्र से जल ले जाकर सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचाती हैं।

कारण भूमि नष्ट होने से व्यर्थ या कम न हो जाए। इसलिए तीसरी योजना में निम्नलिखित वर्ग की योजनाओं पर बल दिया गया है

(1) दूसरी योजना से जो काम चले आ रहे है, उन्हें पूरा करके पानी सीधे किसानो के खेतो तक पहुचाया जाए, यानी खेतो की नालिया बनाने तक का काम पूरा होना चाहिए,

(2) जल-निकासी तथा पानी का जमाव रोकने की योजनाए, और

(3) सिंचाई की मध्यम परियोजनाए।

11 दूसरी योजना के अन्त तक 32 लाख एकड सिंचाई-क्षमता का उपयोग करना शेष रह गया। तीसरी योजना के दौरान, पहले से चल रही योजनाओ से 1 करोड 38 लाख एकड क्षेत्र मे तथा नई योजनाओ से 24 लाख एकड क्षेत्र में सिंचाई के योग्य क्षमता पैदा होने की आशा है। तीसरी योजना की अवधि में उपयोग का कुल क्षेत्र 1 करोड 28 लाख एकड हो जाने की आशा है। सिंचाई-क्षमता और उसके उपयोग का राज्यवार विवरण अनुबन्ध 1 में दिया गया है। राज्यो ने यह प्राक्कलन तैयार करते समय साधारणत अनुमान किया है कि जलमार्गों के मुहानो पर जब से पानी मिलना शुरू होगा, तब से 5 वर्षो में बडी परियोजनाओ की और 2-3 वर्षों में मध्यम परियोजनाओ की सिंचाई-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग होने लगेगा। यदि सम्बद्ध क्षेत्रो में अधिक समन्वित प्रयत्न किए जाए, तो उनके अनेक परियोजनाओ में उपयोग की गति को और बढाया जा सकता है।

12 तीसरी योजना में सिंचाई और बाढ-नियन्त्रण-कार्यक्रमो पर 661 करोड़ रु० के खर्च का अनुमान है। इसमें दूसरी योजना में शुरू किए गए परन्तु अब तक चल रहे कार्यक्रमो के लिए 436 करोड रु०, नई परियोजनाओ के लिए 164 करोड़ रु० और बाढ-नियन्त्रण, जल-निकासी, पानी का जमाव रोकने और समुद्र से भूमि का कटाव रोकने के लिए 61 करोड रु० के खर्च की व्यवस्था है। राज्यवार वितरण का लेखा अनुबन्ध 2 और 3 में दिया गया है। तीसरी योजना में जो नई परियोजनाए शुरू की जाएगी, उनमें ये भी शामिल है

(1) 95 नई मध्यम सिंचाई-योजनाए, जो कृषि-विकास और प्रादेशिक विकास, दोनो के लिए मूल्यवान होगी,

(2) सिन्धु नदी के पानी के बारे में सन् 1960 में हुई सन्धि के फलस्वरूप पजाब में व्यास नदी पर भाडारण की योजनाए, और

(3) मुख्यत बिजली के विकास के लिए शुरू की गई बहूद्देश्यीय योजनाओ के सिंचाई-पक्ष से सम्बद्ध योजनाए और पडोसी राज्यो में चल रहे सिंचाई-कार्यक्रमो के कारण आवश्यक हो गई सिंचाई-योजनाए—जैसे उत्तरप्रदेश में गडक-परियोजना।

13 अगली तालिका में पहली, दूसरी और तीसरी पचवर्षीय योजनाओं के सिंचाई-कार्यक्रमो पर व्यय का क्रम दिया गया है।

तालिका-संख्या 3

व्यय का क्रम

(करोड़ रु०)

	कुल लागत	पहली योजना से पूर्व व्यय	पहली योजना में व्यय	दूसरी योजना में व्यय	तीसरी योजना में व्यय	चौथी योजना में आवश्यक व्यय
पहली योजना के कार्यक्रम	790	80	300	270	135	5
दूसरी योजना के कार्यक्रम (नए)	610	—	—	100	301	209
तीसरी योजना के कार्यक्रम (नए)	364	—	—	—	164	200
योग	1,764	80	300	370	600	414

14 बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, पानी का जमाव रोकने तथा समुद्र से भूमि का कटाव रोकने की योजनाएं : बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी और जलप्लावन-निरोध का सिंचाई से घनिष्ठ सम्बन्ध है। विकास की व्यापक योजनाएं बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना होगा। दूसरी योजना तैयार करते समय बाढ़-नियन्त्रण के विस्तृत प्रस्ताव बनाने के लिए, जिसमें उन्हें राज्यों की योजनाओं में शामिल किया जा सके, पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रम एक तात्कालिक संकट समझकर उसी आधार पर शुरू किया गया था और इसलिए उसे केन्द्र-संचालित-कार्यक्रम का रूप दिया गया था। अब बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रम पर पूरी तरह काम चालू है और सर्वेक्षणों एवं जांच-पड़ताल के काम में काफी प्रगति हुई है। तीसरी योजना में बाढ़-नियन्त्रण-योजनाएं और जल-निकासी, जलप्लावन-निरोध एवं समुद्र से भूमि का कटाव रोकने के सभी कार्यक्रम राज्यों की योजनाओं के अंग हैं।

15 पहले बताया जा चुका है कि सिंचित क्षेत्रों में जल का स्तर ऊंचा न होने देने तथा फलस्वरूप जलप्लावन रोकने के लिए जल-निकासी की सन्तोषजनक व्यवस्था का कितना महत्व है। चालू और नई योजनाओं में सिंचित क्षेत्रों में जल-निकासी का खर्च सिंचाई-परियोजनाओं के खर्च में ही शामिल किया जाएगा। देश के कुछ भागों में, विशेषरूप से पंजाब में, जलप्लावन की समस्या गम्भीर बन गई है; इसलिए तीसरी योजना में नालियां बनाने, सिंचाई की नहरों के विशेष हिस्सों को पक्का बनाने, जल का स्तर नीचा करने, आदि अन्य जलप्लावन-निरोधक उपाय बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। केरल-जैसे कुछ तटीय क्षेत्रों में समुद्र से भूमि का कटाव रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। दूसरी योजना में बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रमों के लिए 60 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। वास्तविक खर्च 48 करोड़ रु० हुआ था। तीसरी योजना में बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन एवं समुद्री कटाव-निरोधक योजनाओं पर कुल 61 करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था राज्यों की योजनाओं में की गई है।

16 तीसरी योजना में सिंचाई के कार्यक्रम पर, जिसमे बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन तथा समुद्री कटाव रोकने, आदि कार्य भी शामिल है, कुल 661 करोड रु० के व्यय की व्यवस्था है। इस राशि के वितरण का ब्यौरा तथा विभिन्न शीर्षको के अन्तर्गत होनेवाले लाभ का विवरण इस प्रकार है

तालिका-सख्या 4

तीसरी योजना के कार्यक्रम और उनके लाभ

वर्ग	अनुमित व्यय (करोड रु०)	अतिरिक्त लाभ	
		सिंचाई-क्षमता	कुल सिंचित क्षेत्र
		(लाख एकड)	
सिंचाई			
चालू योजनाए	436	138	116 5
नई योजनाए	164	24	11 5
योग	600	162	128
		शुद्ध क्षेत्र	115
बाढ-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन एव समुद्री कटाव-निरोधक योजनाए	61	करीब 50 लाख एकड क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा तथा 25 मील लम्बे समुद्र-तट की रक्षा हो सकेगी।	
कुल सिंचाई और बाढ-नियन्त्रण	661		

तीसरी योजना की सिंचाई-योजनाओ के लिए 50 करोड रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। पहली और दूसरी योजनाओ से चली आ रही प्रमुख सिंचाई-परियोजनाओ तथा तीसरी योजना की नई परियोजनाओ का विवरण अनुबन्ध 4 और 5 मे दिया गया है।

17 नदी-घाटी-ग्राहक क्षेत्रो में मिट्टी-संरक्षण सिंचाई तथा बिजली-उत्पादन के लिए बडे जलाशय बनाने पर बड़ी रकमें खर्च की जा रही है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ग्राहक क्षेत्रो में से मिट्टी, आदि भारी मात्रा मे बह कर इन जलाशयो का जीवन कम तो नही कर रही है। साथ ही, ग्राहक क्षेत्र में मिट्टी के ऊपर की परत का भी सरक्षण जरूरी है। अत यह वांछनीय है कि ग्राहक क्षेत्रो में वन लगाने, कटूर बाध बनाने, सीढीदार खेत बनाने, बाध बनाने, चराई का नियमन, खेतो की अदल-बदल रोकने, आदि-जैसी मिट्टी-सरक्षण की योजनाओ पर ध्यान दिया जाए। हीराकुड, भाखडा-नगल, दामोदर-घाटी, चम्बल और मचकुड-जैसी बडी नदी-घाटी-योजनाओ के ही कुल 3 करोड 70 लाख एकड के ग्राहक क्षेत्र में से 1 करोड 50 लाख एकड मे मिट्टी-सरक्षण के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम अन्य नदी-घाटियो में भी अपनाया जाना चाहिए। ऊपर की परियोजनाओं में दूसरी योजना के अन्त तक 1 करोड रु० खर्च करके मिट्टी-सरक्षण-कार्यक्रम का लाभ 1 4 लाख एकड भूमि को पहुचाया गया है। तीसरी योजना में नदी-घाटी-क्षेत्रो में मिट्टी-सरक्षण-कार्य के लिए 'कृषि' की मद मे 11 करोड रु० की व्यवस्था की गई है, जिसमे

लगभग 10 लाख एकड़ ग्राहक क्षेत्र की देखभाल हो सकेगी। मिट्टी-संरक्षण का कार्यक्रम दरअसल एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है, जिसे 4-5 योजनाओं की अवधि में ही पूरा किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की प्रशासनिक जिम्मेदारी केन्द्र में खाद्य और कृषि-मन्त्रालय पर है तथा केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग ने नदी-घाटियों के ग्राहक क्षेत्रों की मिट्टी-रक्षा-योजनाओं के लिए राज्यों की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रमों पर विचार करने तथा सलाह देने के लिए एक विशेष शाखा स्थापित कर दी है। नदी-मंडलों की स्थापना से (जिनका आगे चल कर उल्लेख किया गया है) मिट्टी-रक्षा के कार्यक्रमों पर तेजी से अमल करने में सुविधा हो जाएगी। अन्त राज्यीय नदी-घाटियों में मिट्टी-संरक्षण रोकने तथा वन लगाने के कार्यक्रमों का समन्वय करना इन मंडलों का एक मुख्य कार्य होगा।

18 परियोजनाओं का सोपानीकरण: परियोजनाओं के सोपान सही ढंग से निश्चित करना बहुत ही महत्व रखता है। इससे न केवल निर्माण-कार्यों में खर्च की बचत होगी, बल्कि परियोजना के पूरे होने से पहले ही उससे मिलनेवाली सिंचाई-सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करना सम्भव हो जाएगा। सोपान तय करने से एक बात यह भी होगी कि वास्तविक आवश्यकता से बहुत पहले पूंजी व्यर्थ में किसी काम में नहीं फंस सकेगी। सिंचाई-कार्यों के आयोजन के चार पहलू हैं, जो परस्पर-सम्बद्ध हैं तथा परियोजना स्वीकार होने के समय से ही जिनका उचित समन्वय हो जाना चाहिए। वे चार पहलू इस प्रकार हैं –

(1) पानी का बहाव मोड़ने या संग्रह करने के लिए बांध बनाना,

(2) नहर, और जल का वितरण करनेवाले साधनों का निर्माण, ताकि हर गांव तक पानी सुविधाजनक ढंग से पहुंच सके,

(3) इन सुविधाओं से लाभ उठानेवालों-द्वारा ऊपर की संख्या 2 में उल्लिखित पहलू को ध्यान में रख कर हर गांव में खेतों की नालियों का निर्माण, ताकि नहरों में पानी आते ही उस परियोजना-द्वारा सेवित सम्पूर्ण क्षेत्र की सिंचाई हो सके, और

(4) सुधरे हुए खेती के तरीके एवं फसलों की विधियां अपनाना, ताकि सिंचाई-सुविधाओं का उत्कृष्टतम उपयोग करके अधिकतम कृषि-उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

इन विभिन्न सोपानों के समुचित आयोजन और कार्यान्वयन से ही हर परियोजना से क्रमानुसार ठीक परिणाम निकल सकेंगे।

आर्थिक लाभ

19 हाल के वर्षों में सिंचाई-सम्बन्धी जो निर्माण-कार्य हुए हैं और जो अभी चल रहे हैं, उन पर अतीत में हुए निर्माण-कार्यों की अपेक्षा अधिक खर्च हुआ है। इसका कारण कुछ तो यह है कि पारिश्रमिक और सामान का खर्च पहले से अधिक बढ़ गया है और कुछ यह कि चीजें मुहय्या करने के साधन कहीं कठिन और इसीलिए बहुत खर्चीले हैं—जैसे, ऊंचे बांध, आदि। इसी कारण—पुरानी तथा नई परियोज-

नाओ के रख-रखाव एव सचालन का खर्च वढने के कारण भी—समुचित लाभ प्राप्त नही हो रहे है। इसके परिणामस्वरूप प्राय सभी राज्यो में सिंचाई-योजनाओ का काम घाटे में चल रहा है। दूसरे वित्त-आयोग ने सिंचाई की योजनाओ से होनेवाली शुद्ध आय में कमी की ओर ध्यान दिलाया था। हाल के वर्षो में स्थिति और विगड गई है। इसीलिए आर्थिक लाभ की स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाने का सुझाव दिया गया है

(1) सिंचाई की परियोजनाओ से जो सिंचाई-सुविधाए प्राप्त हुई है, उनका तेजी से इस्तेमाल किया जाए,

(2) पानी की दरो में सशोधन किया जाए और अनिवार्य रूप से जल-शुल्क लगाया जाए,

(3) खुशहाली कर की वसूली, और

(4) सिंचाई-सुविधाओ के उपयोग में मितव्ययिता।

20 सिंचाई-व्यवस्था के उपयोग के लिए कई विभागो—सिंचाई, राजस्व, कृषि, सामुदायिक विकास, सहकारिता, आदि—के समन्वित प्रयत्नो की आवश्यकता है, इनमें से प्रत्येक को अपना विशिष्ट योगदान करना है। हर परियोजना के निर्माण-कार्यक्रम (जिसमें खेतो की नालियो का निर्माण भी शामिल है) के सोपान तय करने के साथ-साथ, सिंचाई-सुविधाओ के उपयोग में तेजी लाने के लिए बडी सख्या में अन्य विकास-कार्यक्रम भी चलाने पडेगे। इन पहलुओ पर इसी अध्याय में आगे चल कर विचार किया गया है।

21 पानी की दरें पानी की दरें आम तौर पर इतनी होनी चाहिए कि उनसे काम चलाने का खर्च और ऋण-प्रभार पूरा हो जाए तथा कमीवाले इलाको के बाहर सिंचाई के कार्यक्रमो के कारण सामान्य राजस्व को घाटा न पहुंचे। अधिकतर राज्यो में पानी की मौजूदा दरें अपेक्षाकृत कम है। एक ओर जहा सिंचाई-सुविधाओ के फलस्वरूप फसलो के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है और रख-रखाव का खर्च भी वढ गया है, वहा दूसरी ओर पानी की दरो में कोई वृद्धि नही हुई है। इसलिए, कुल मिलाकर, इन दरो को वढाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, जिन राज्यो में पानी का प्रभार वैकल्पिक है, वहा एक अनिवार्य जल-शुल्क उस पूरे क्षेत्र पर लगाया जाना चाहिए, जिसके लिए सिंचाई की सुविधाओ की व्यवस्था की गई हो—चाहे किसान पानी ले या न ले। इसका परिणाम यह होगा कि किसान को समय पर पानी का उपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी और फसलो की उपज वढेगी।

22 खुशहाली कर और वाढ-शुल्क उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बगाल और जम्मू-कश्मीर को छोड कर अन्य सभी राज्यो में खुशहाली कर-सम्बन्धी कानून बनाए जा चुके है। नियत दर के अनुसार यह वसूली 15-20 वर्षो के अरसे में होगी तथा सिंचाई का पानी प्राप्त होने के 2-3 वर्ष बाद शुरू की जाएगी। प्राय सभी जगह यह कानून लागू करने का काम कुछ पिछड गया है और दूसरी योजना के शुरू में निर्धारित लक्ष्य 47 करोड रु० के मुकावले वस्तुत 3 5 करोड रु० की वसूली होने की सम्भावना है। वाढ-शुल्क के वारे में आन्ध्रप्रदेश, असम, विहार, जम्मू-कश्मीर, केरल और मैसूर ने आवश्यक कानून बना दिए है और मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उडीसा, पजाब,

राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम-बंगाल में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। मद्रास-राज्य में बाढ़ की कोई गम्भीर समस्या नहीं है। तीसरी योजना में खुशहाली कर और बाढ़-शुल्क की वसूली का लक्ष्य 39 करोड़ रु० निश्चित किया गया है, परन्तु इसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि शेष राज्यों में कानून बनाए जाए और जहां बन चुके हैं, वहां उन्हें लागू किया जाए।

23 यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि जब किसी नए क्षेत्र में कोई सिंचाई-परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव हो, तो राज्य-सरकार परियोजना की रूपरेखा और उससे होनेवाले फायदों से उन इलाके के किसानों को परिचित कराए, विशेषरूप से उन्हें पानी की दरों का ढांचा, खुशहाली कर, बाढ़-शुल्क, आदि की जानकारी दें, जिनकी अदायगी लाभ उठानेवालों को करनी पड़ेगी। इस रीति से जन-सामान्य को इन बातों से परिचित कराने का फल यह होगा कि सिंचाई-व्यवस्था का अविलम्ब उपयोग होने लगेगा और परियोजना के मूर्त रूप ग्रहण करते ही लाभ प्राप्त करनेवाले लोग खुशी से पानी की दर और खुशहाली कर की अदायगी स्वीकार कर लेंगे।

24 लाभों का मूल्यांकन: सिंचाई-परियोजनाओं से होनेवाला आर्थिक लाभ एक महत्वपूर्ण पहलू है अवश्य, पर परियोजना का कुल लाभ आंकने का यह एकमात्र आधार नहीं है। सिंचाई-परियोजनाओं से होनेवाले विभिन्न लाभों का अनुमान लगाने के लिए योजना-आयोग के अनुरोध पर अनुसन्धान-कार्यक्रम-समिति ने पांच मुख्य सिंचाई-कार्यक्रमों—राजस्थान की गंग नहर, उत्तरप्रदेश की शारदा नहर, बिहार की त्रिवेणी नहर, पश्चिम-बंगाल की दामोदर नहर और मद्रास की कावेरी-मेत्तूर-परियोजना—का मूल्यांकन-अध्ययन आरम्भ किया। इन मूल्यांकन-अध्ययनों से पता चलता है कि सिंचाई के बहुत-से अप्रत्यक्ष लाभों का अनुमान निश्चित मात्रा के रूप में तो नहीं लगाया जा सकता, परन्तु सरकार को आर्थिक लाभ के अतिरिक्त ये मुख्य लाभ होंगे—भूमि और अन्य साधनों का अधिक व्यापक उपयोग होने लगेगा, खेती की बेहतर प्रणाली अपनाई जाएगी तथा अधिक मूल्यवान फसलें पैदा करने की ओर ध्यान दिया जाएगा, नई पूंजी लगाने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होगी एवं खेती के धन्धे में उत्पादक-पूंजी बढ़ जाएगी, खेती की उत्पादकता में वृद्धि होगी, और खेती की आमदनी बढ़ेगी तथा स्थायी होगी, श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और उद्योगों—विशेषरूप से विधायन-उद्योग—तथा व्यापार एवं परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इन अध्ययनों से सिंचाई-विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में भी उपयोगी जानकारी मिली है।

सिंचाई का उपयोग

25 पहली और दूसरी योजनाओं में सिंचाई के उपयोग में रह-गई कमी को देखते हुए योजना-आयोग ने पिछले 2-3 वर्षों में इस ओर विशेष ध्यान दिया है। सिंचाई-परियोजनाओं से अधिक तेजी से लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं

(1) हैडवर्क्स, नहरें, वितरण-नहरें, जल-मार्ग और खेतों की नालियां बनाने के काम में पूरा समन्वय रहना आवश्यक है, ताकि ऐसी व्यवस्था

हो सके कि हैडवर्क्स पर जिस समय पानी उपलब्ध हो, प्राय उसी समय किसान के खेत में भी पानी पहुच जाए। खेतो की नालिया छोड कर शेष निर्माण-कार्यक्रम मे समन्वय स्थापित करने की सीधी ज़िम्मेदारी परियोजना-अधिकारियो पर है।

(2) इन सिंचाई-सुविधाओ का तेजी से लाभ उठाने के लिए परियोजना के स्वीकृत होते ही जल्दी-से-जल्दी उससे लाभान्वित होनेवाले क्षेत्र में विकास-खडो की स्थापना की जाए।

(3) जलमार्गों और खेतो की नालियो की खुदाई मे विलम्ब न होने देने के लिए परियोजना-अधिकारियो को चाहिए कि वे गावो के नक्शो पर उन्हें रेखांकित कर दे। ये नक्शे ज़िले और खड के अधिकारियो के पास भेज दिए जाए, ताकि वे लाभ उठानेवाले लोगों से ठीक समय पर खेतो की नालिया तैयार करवा सकें। ऐसा पक्का प्रबन्ध कर लेना चाहिए कि जब नहर-व्यवस्था पूरी हो, तब लाभ उठानेवाले लोगो-द्वारा नालिया खोदने का काम भी पूरा हो चुके। यदि वे यह काम पूरा न करें, तो पचायत-समितिया और ग्राम-पचायतो को सरकार के प्रतिनिधि-रूप में यह काम करवाने तथा लागत वसूल करने का अधिकार होना चाहिए।

(4) इसके साथ ही और भी कई विकास-कार्य करने होगे। इनमें ये भी शामिल हैं मिट्टी-सर्वेक्षण, नवीन फसल-प्रणालिया विकसित और निर्धारित करने तथा कई फसलें उगाने, आदि के लिए प्रायोगिक फार्मों की स्थापना, और सिंचाई के वैज्ञानिक तरीको—विशेष रूप से पानी का किफायत से इस्तेमाल करने की विधि—का प्रदर्शन करने के लिए फार्मों की स्थापना। यह आवश्यक है कि सिंचाई-विभाग के अधिकारियो को किसानो की समस्याओ और उनके खेती के तरीको की पूरी जानकारी हो। इसलिए उन्हे कुछ महीने तक नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण के कारण उन्हें सिंचाई-योजनाए बनाने और चलाने के काम में बहुत सुविधा हो जाएगी।

(5) पानी के उपयोग में किफायत करना बहुत जरूरी है। नहरो के पानी के क्षेत्रवार वितरण का वर्तमान तरीका किफायतशारी में कोई सहायता नही देता। मात्रा-माप के तरीके से वितरण व्यावहारिक नही, क्योंकि पहले तो माप की व्यवस्था बहुत खर्चीली होगी और दूसरे मापक-यन्त्रो के बिगाड दिए जाने की आशका रहेगी। कृषि-विभाग को विभिन्न फसलो के लिए उपयुक्त सिंचाई की पद्धति और खेती-सम्बन्धी जरूरी बातो के बारे में परामर्श देना होगा तथा हर क्षेत्र में आवश्यक जाच-पडताल करनी होगी। इस प्रकार, नहरो का जो पानी बचेगा, उसका उपयोग अधिक सघन सिंचाई तथा नए क्षेत्रो में पानी की व्यवस्था करने में होगा। सामुदायिक विकास-सगठन को ग्राम और खड-स्तर पर सघन शिक्षा-कार्य शुरू करना चाहिए।

(6) यह भी आवश्यक है कि सम्बद्ध विभाग अपने-अपने क्षेत्र में पहले से ही आयोजन कर लें—जैसे, उन्नत किस्म के बीज और खाद की व्यवस्था तथा स्थानीय खाद-साधनों का विकास, बड़ी-बड़ी रकमों के ऋण तथा हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी सुविधाएं, गोदामों और भंडारों की स्थापना, तथा सिंचाई-परियोजनाओं से सम्बद्ध क्षेत्रों में संचार-व्यवस्था का सुधार। इससे किसान सिंचाई-सुविधा का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे और उनकी शुद्ध आमदनी बढ़ जाएगी।

(7) नई सिंचाई-परियोजनाओं के आरम्भिक 2-3 वर्षों के लिए अनेक राज्यों ने पानी की रिआयती दरें लागू कर रखी हैं। यह एक उपयोगी, उन्नतिमूलक कदम है और इससे सिंचाई के तेजी से विकास में सहायता मिलती है।

26 राज्य-सरकारें सभी सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधियों को लेकर विकास-समितियां बना रही हैं, जिनका काम इस बात की व्यवस्था करना है कि सिंचाई-विभाग की ओर से निर्माण-कार्यों का आयोजन आरम्भ होने के साथ-साथ अन्य सम्बद्ध विभाग भी अपने-अपने क्षेत्र में आयोजन आरम्भ कर दें। शुरू से ही सभी सम्बद्ध विभागों के बीच घनिष्ठ रूप से विचार-विमर्श होते रहना चाहिए और हर महत्वपूर्ण सिंचाई-परियोजना के प्रकाश में सम्बद्ध विभागों को अपना कार्यक्रम पूरा करने की ज़िम्मेदारी निभाने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जिला-स्तर पर कलक्टर को सभी विभागों के कार्यक्रमों का समन्वय करना चाहिए, ताकि उस जिले को लाभ पहुंचाने के लिए बनी सिंचाई-योजनाओं से प्राप्त सुविधाओं का तेजी से उपयोग किया जा सके।

अन्वेषण, अनुसन्धान और डिजाइन

27 नदी-घाटी-परियोजनाओं के लिए सूक्ष्म अन्वेषण की आवश्यकता होती है, योजनाबद्ध ढंग से देश के भूमि और जल-विषयक साधनों के समन्वित विकास तथा जल-साधनों के विकास में निरन्तरता बनाए रखने के लिए सभी नदी-परियोजनाओं की टेक्नोलॉजी-विषयक सम्भावनाओं—जैसे, उपयुक्त परियोजना-स्थलों का चुनाव, जल-सम्बन्धी स्थिति, सिंचाई-योग्य क्षेत्रों, आदि—की पूरी जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके फलस्वरूप परियोजनाओं का उचित रूप से चुनाव हो सकेगा और उन्हें यथायोग्य प्राथमिकता मिल सकेगी। हर राज्य में सिंचाई के दीर्घकालीन विकास के लिए बृहत् योजनाएं तैयार कर ली जानी चाहिए, ताकि विभिन्न सिंचाई और बहूद्देश्यीय योजनाओं की क्षमता की सम्पूर्ण सम्भावनाएं पूरी तरह स्पष्ट हो सकें। यद्यपि प्राय सभी राज्यों में विशेष अन्वेषण-दल बनाए जा चुके हैं, तथापि परियोजनाओं के अन्वेषण और तैयारी के काम में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी है, दूसरी योजना में शामिल की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। यह आवश्यक है कि तीसरी योजना में कार्यक्रमों के भली-भांति अन्वेषण—जिसमें उस क्षेत्र के मिट्टी-सर्वेक्षण का काम भी शामिल हो—तथा हर महत्वपूर्ण दृष्टि से परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार करने पर अधिक ज़ोर दिया जाए। इस कार्य के लिए राज्यों की अन्वेषण-टुकड़ियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन योजनाओं का ठीक समय पर अन्वेषण किया जाना चाहिए, जो राज्य-सरकारें चौथी योजना के विचारार्थ पेश करना चाहती हैं। तीसरी

योजना की अवधि में ही उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में रिपोर्टें तैयार हो जानी चाहिए। परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार और पेश करने के क्षेत्र में हाल में ही कुछ सुधार किए गए हैं। इनके अनुसार यह आवश्यक हो गया है कि किसी परियोजना पर अन्तिम निर्णय करने तथा निर्माण-कार्य शुरू होने से पहले ही उसके विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और अन्य पहलुओं पर पूरी तरह विचार कर लिया जाए।

28 सिंचाई की वृहत् योजनाएं तैयार करने में राज्य-सरकारों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग कटूर-नक्शों की मदद से देश के विभिन्न नदी-क्षेत्रों में परियोजना के उपयुक्त स्थलों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन कर रहा है। अन्तिम रूप देने से पहले उन्हें राज्यों के विचारार्थ पेश किया जाता है। इन योजनाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अन्वेषण और सर्वेक्षण सामान्य तौर पर राज्य-सरकारों को ही करना होगा, ताकि वे यह निश्चय कर सकें कि विस्तृत अन्वेषण तथा परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार करने के लिए किस योजना को प्राथमिकता दी जा सकती है। केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग ने चम्बल, रामगंगा, सोन, ताम्रपर्णी, वैगई, आदि नदियों के सिंचित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन पूरा कर लिया है। अन्य महत्वपूर्ण नदी-घाटियों के बारे में अध्ययन-कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है और तीसरी योजना की अवधि में उनके पूरा हो जाने की आशा है।

29 अनुसन्धान . सिंचाई और जल-इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसन्धान का कार्य पूना-स्थित केन्द्रीय जल और बिजली-अनुसंन्धान-केन्द्र तथा राज्यों के 15 अन्य अनुसन्धान-केन्द्रों में चल रहा है। इन केन्द्रों में प्रायोगिक इंजीनियरी में—सिंचाई-कार्यों, जल-विज्ञान, मिट्टी, आदि से सम्बद्ध समस्याओं पर—अनुसन्धान होने के साथ-साथ बुनियादी अनुसन्धान भी हो रहा है। अब चूंकि विकास के बड़े कार्यक्रमों को अमल में लाया जा रहा है, इसलिए इन संगठनों का काम भी बढ़ रहा है। दूसरी योजना के अन्तर्गत किए गए बुनियादी अनुसन्धान-कार्यों में नदियों की उत्पात-शक्ति, नहरों-नालियों के डिजाइन, मिट्टियों के इंजीनियरी-विषयक-तत्व, कंक्रीट में वायु-प्रवेश, जमीन के नीचे की पहली सतह में पानी के बहाव, जल-धाराओं और जलाशयों में मिट्टी के जमाव, नदी-संरक्षण-कार्य, आदि से सम्बन्धित अनुसन्धान शामिल हैं। केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मंडल अनुसन्धान-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करता है। तीसरी योजना में सिंचाई-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य का विस्तार किया जा रहा है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित नई समस्याओं पर भी अन्वेषण किया जा सके -

(1) मिट्टी-तलीय अन्वेषणों में आइसोटोपों का उपयोग,

(2) पहले से ढाले गए जलीय ढांचों की तकनीकों का विकास,

(3) बिजलीघर के पाइपों, आदि में गन्दगी न जाने देने की व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप बचत करने के उपाय,

(4) जलीय ढांचों में भार-विश्लेषण के प्रयोगजन्य तरीके, और

(5) गीली मिट्टी तथा पानी के नीचे बैठी हुई मिट्टी के सम्बन्ध में अनुसन्धान, जिसमें मिट्टी के बांध बनाने-सम्बन्धी जांच का विशेष स्थान है।

तीसरी योजना में सिचाई-सम्बन्धी बुनियादी अनुसन्धान के कार्यक्रमो के लिए 120 लाख रु० की व्यय-व्यवस्था की गई है।

30 **डिज़ाइन-सगठन** सिचाई-परियोजनाओ में बडी रकमें लगाई जा रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि डिज़ाइन और निर्माण के सुधरे हुए तरीको का इस्तेमाल किया जाए और निर्माण-सामग्रियो का समुचित रूप से चुनाव किया जाए, ताकि परियोजना की कुल लागत में अधिक-से अधिक किफायत हो सके। सिफारिश की गई है कि हर राज्य एक सुदृढ डिज़ाइन-सगठन बनाए, जो अनुसन्धान-सगठनो से मिल कर सर्वाधिक उपयुक्त और कमखर्च डिज़ाइन तैयार करे। केन्द्र में, केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग का एक विभाग है, जो राज्यो को अधिक जटिल ढाचे तैयार करने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

31 **नदी-मडल** नदी-घाटिया, विशेषरूप से बडी नदियो की घाटिया, स्वभावत किसी एक राज्य तक सीमित नही होती। कुछ नदियो के मामले में तो स्थिति यह है कि सिचाई-परियोजना बनाने का सबसे अनुकूल स्थान एक राज्य में है और उससे सिचाई और बिजली का लाभ उठानेवाला क्षेत्र किसी दूसरे राज्य में। अत जल-साधनो के सगठित और मितव्ययितापूर्ण विकास के लिए अन्त राज्यीय सहयोग की व्यवस्था आवश्यक है। जल-साधनो के दीर्घकालीन आयोजन में इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि उद्योगीकरण की प्रगति के साथ-साथ उद्योगो और बढती हुई नागरिक आबादी की आवश्यकताओ के लिए जल-आपूर्ति की समस्या विकास के मार्ग की एक बडी समस्या बन जाएगी। नदी-मडल-अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण नदी-घाटियो के लिए नदी-मडलो की स्थापना होने से समग्र नदी-घाटियो की आवश्यकताओ पर समन्वित रूप से ध्यान दिया जा सकेगा—इसमें ग्राहक क्षेत्रो में मिट्टी-सरक्षण भी शामिल है। अधिक महत्वपूर्ण नदियो के लिए नदी-मडलों की स्थापना करने के लिए राज्यो की सलाह से कदम उठाए जा रहे है।

32 **जन-सहयोग** बाढ-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन-निरोधक तथा समुद्री कटाव-निरोधक योजनाओ और सिचाई-कार्यो के कुछ अशो में विशेषरूप से जनता का सहयोग लिया जा सकता है। इन योजनाओ के कार्य ऐसे है कि श्रमिको के लिए अधिक कुशलता की जरूरत नही पडती। ये कार्यक्रम अधिकतर उन गावो के निकट होते है, जिन्हें इन सिचाई-योजनाओ से लाभ पहुचता है। यह प्रबन्ध करना जरूरी है कि योजनाओ से लाभ उठानेवाले भी इन योजनाओ के कार्य में स्वेच्छा से श्रमदान करें अथवा उसे उसके बदले में धन दे। इन कार्यक्रमो के लिए स्थानीय सगठनो का घनिष्ठ सहयोग लेना भी जरूरी है। पचायत-समितियो और ग्राम-पचायतो के सहयोग की विशेष आवश्यकता है। जहा तक सम्भव हो, श्रमिको की सहकारी सस्थाओ का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। भारत-सेवक-समाज-जैसे स्वैच्छिक सगठन भी औज़ारो-उपकरणो की आपूर्ति, सम्बद्ध विभागो से ठेका प्राप्त करने, निर्माण-कार्य का प्रबन्ध करने और श्रमिको का कल्याण आदि कामो में सहायता पहुचा सकते है। इन कार्यों में सामुदायिक विकास-सगठनो की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जो जनता का उत्साह बढा सके, उनका सहयोग ले सके और परियोजना के कार्य में हिस्सा लेने की भावना उनके दिलो में भर

सकें। उन्हे ग्रामीणो को उनका उत्तरदायित्व समझाना चाहिए तथा खेती के सुधरे हुए तरीके अपनाने की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे सिंचाई मे अधिकतम लाभ उठा सकें।

33 **मानव-श्रम और मशीनो का उपयोग :** नदी-घाटी-योजनाओ मे निर्माण-कार्य-सम्बन्धी मशीनो के उपयोग पर विचार करते समय देश में जनशक्ति के विशाल साधनो तथा इतने अधिक लोगो को लाभकारी रोजगार देने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मशीनो के बड़े पैमाने पर उपयोग से विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। सामान्यत परियोजना का सारा निर्माण-कार्य मानव-श्रम से ही किया जाना चाहिए। मशीनो का इस्तेमाल उसी हालत में करना चाहिए, जब यह देखा जाए कि मानव-श्रम से काम पूरा होने में असाधारण रूप से विलम्ब हो रहा है अथवा परियोजना का खर्च बेतरह बढ़ रहा है। । हा, आवश्यकतानुसार श्रमिको की सहायता के लिए मशीनो और ऐसे साज-सामान का समुचित उपयोग किया जा सकता है। श्रमिको के काम करने के तरीको में सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि निर्माण-कार्य में तेजी आए और श्रमिक कुशलता से काम कर सकें। तीसरी योजना मे शामिल की गई परियोजनाओ पर विचार करते समय इन पहलुओ पर विस्तार से एव सावधानी से ध्यान देने की जरूरत है।

34 **विद्यमान सिंचाई-साधनो का रख-रखाव :** स्वतन्त्रता से पहले सिंचाई-विभागो का मुख्य काम विद्यमान सिंचाई-साधनो का सचालन और रख-रखाव ही था, क्योंकि बहुत कम नए सिंचाई-कार्यक्रम हाथ मे लिए जाते थे। परन्तु पहली और दूसरी योजना में सिंचाई के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए। इस परिवर्तन के कारण सचालन एव रख-रखाव के बजाय निर्माण-कार्यक्रमो की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि सिंचाई-व्यवस्था में ढील आ गई और रख-रखाव का स्तर गिरने लगा। इसका एक कारण यह भी है कि विद्यमान नहरो, आदि की देखभाल के लिए खर्च की उतनी रकमें नही बढाई गईं, जितना पारिश्रमिक और सामान की बढती हुई दरो को देखते हुए आवश्यक था। कुछ वर्षों तक यह स्तर निरन्तर गिरते रहने का कुल नतीजा गम्भीर हो सकता है। नए कार्यक्रमो-द्वारा सिंचाई-सुविधाओ का विस्तार होने के साथ ही यह भी जरूरी है कि समुचित रख-रखाव और कुशल सचालन से वर्तमान सुविधाओ का अधिकतम लाभ उठाया जाए।

35 **तकनीकी कर्मचारी :** सिंचाई और बिजली-कार्यक्रमो के सन्तोषप्रद कार्यान्वयन की पहली और मुख्य आवश्यकता यह है कि सभी स्तरो पर समुचित रूप से प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी पर्याप्त सख्या में उपलब्ध हो। नीचे की तालिका में दूसरी योजना के अन्त में इजीनियरो को सिंचाई और बिजली-कार्यक्रमो से सम्बद्ध कामो में लगाने-सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया गया है

तालिका-संख्या 5

दूसरी योजना में तकनीकी कर्मचारियो को रोजगार देने का अनुमान

इजीनियरों की श्रेणिया	डिग्रीधारी	डिप्लोमाधारी	योग
सिविल	5,600	15,900	21,500
इलैक्ट्रिकल	4,200	6,400	10,600
मेकैनिकल	1,100	1,900	3 000
योग	10,900	24,200	35,100

तीसरी योजना में सिंचाई और बिजली-कार्यक्रमों के लिए इंजीनियरों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान इस प्रकार है

तालिका-संख्या 6

तीसरी योजना में तकनीकी कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान

इंजीनियरों की श्रेणियां	डिग्रीधारी	डिप्लोमाधारी	योग
सिविल	2,300	6,700	9,000
इलैक्ट्रिकल	2,800	4,400	7,200
मेकैनिकल	800	1,100	1,900
योग	5,900	12,200	18,100

आशा है कि तीसरी योजना में डिग्रीधारियों की संख्या आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त होगी, परन्तु डिप्लोमाधारियों की संख्या कुछ कम होने की सम्भावना है। योजना के पहले दो वर्षों में प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करके यह कमी पूरी करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसके साथ ही मिट्टी खोदने एवं हटाने की मूल्यवान मशीनों को चलाने और उनके रख-रखाव के लिए समुचित प्रशिक्षण-प्राप्त आपरेटरों और मेकैनिकों की जरूरत होगी। कोटा (राजस्थान) और नागार्जुनसागर (आन्ध्रप्रदेश) के परियोजना-स्थलों पर केन्द्रीय सरकार-द्वारा खोले गए दो तकनीकी प्रशिक्षण-केन्द्रों में आपरेटरों और मेकैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

36 **नियन्त्रण-मंडल:** भाखड़ा, चम्बल, रिहन्द, कोसी, हीराकुड, नागार्जुन-सागर, तुंगभद्रा, राजस्थान-नहर और कोयना-जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए नियन्त्रण-मंडलों की स्थापना की जा चुकी है। इन मंडलों का काम इस बात का प्रबन्ध करना है कि परियोजनाओं के आयोजन और कार्यान्वियन में किफायतशारी और कुशलता से काम लिया जाए। वे इस बात की भी व्यवस्था करेंगे कि परियोजना के विभिन्न चरणों में मिलनेवाले लाभों का तेजी से और अधिकतम उपयोग किया जा सके। तीसरी योजना में अनेक बड़ी परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं। परियोजनाएं स्वीकार होते ही उनके लिए नियन्त्रण-मंडलों की स्थापना से काम में सहायता मिलती है। इस सुझाव पर सम्बद्ध राज्य-सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है। जिन बड़ी परियोजनाओं के लिए नियन्त्रण-मंडलों की स्थापना नहीं की गई है, उनके काम में बाधाएं न आने देने तथा तेजी से काम होने की व्यवस्था करने के लिए सिंचाई और बिजली-मन्त्रालय को समय-समय पर कार्य की समीक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए।

बिजली

शक्ति के साधन

37 भारत में शक्ति के जो मुख्य साधन उपलब्ध हैं—जैसे, कोयला, भूरा कोयला (लिग्नाइट), जलप्रपात, यूरेनियम और थोरियम, तेल, प्राकृतिक गैसें और स्रोवनात्मक गैसें—उनमें से किसी से भी बिजली पैदा की जा सकती है। तरंग-शक्ति, वायु-शक्ति, भू-ऊष्मा-शक्ति और सौर-विकिरण अन्य सम्भावित साधन हैं, जिनसे बिजली पैदा की जा सकती है परन्तु देश में बिजली के विकास पर इनका प्रभाव अभी तक नगण्य रहा है।

38 अनुमान लगाया गया है कि सारे देश में कोयले के ऐसे भंडारों की क्षमता, जहां से कोयला प्राप्त किया जा सकता है, 5,000 करोड़ टन है। इसमें से अधिकांश बिहार और पश्चिम-बंगाल में है और शेष असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा आन्ध्रप्रदेश में फैले हुए हैं। इसके अलावा, भूरा कोयला (लिग्नाइट) के 200 करोड़ टन के भंडार का अनुमान लगाया गया है, जो मद्रास, राजस्थान, गुजरात और जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों में उपलब्ध है। धातुशोधन और अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक बढ़िया किस्म का कोयला कम है, इसलिए कोयला धोने के कारखाने स्थापित करना आवश्यक है। घटिया किस्म का कोयला, जिसके जलने से अधिक राख निकलती है, तथा कोयला धोने के कारखानों में प्राप्त मध्यम किस्म के कोयले को कम खर्च में दूर-दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए उसे बिजलीघरों के एक ही स्थान पर काम करने के लिए लगाए गए बायलरों में जलाना विशेष उपयोगी है। भाप से चलनेवाले बिजलीघरों के बायलरों में, कोयले की जगह भट्ठी-तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिग्बोई, विशाखापटनम और बम्बई के अलावा अब गौहाटी (असम), बरौनी (बिहार) तथा खम्भात (गुजरात) में भी तेल-शोधनालय स्थापित किए जा रहे हैं। परिवहन-व्यवस्था पर दबाव तथा लाने-ले-जाने का खर्च कम करने के लिए यह उचित है कि भाप से चलनेवाले बिजलीघर ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं, जहां कोयला-खानें, कोयला धोने के कारखाने और शोधनालय हों। डीजल-चालित बिजलीघरों में बिजली-उत्पादन का अत्यधिक खर्च और डीजल के आयात में कमी करने की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रकार के बिजली-उत्पादन का विस्तार दूरस्थ स्थानों पर और छोटी योजनाओं के लिए अथवा पूरक कार्यों के लिए ही होगा। कहीं-कहीं बिजली पैदा करने के लिए शोधनालयों, धमन-भट्ठियों और कोक-भट्ठी-गैसों का भी उपयोग होता है। असम के नहरकटिया नामक स्थान में प्राकृतिक गैस के भी भंडार प्राप्त हुए हैं। तीसरी योजना में बिजली पैदा करने के लिए अन्य वस्तुओं के अलावा प्राकृतिक गैस के उपयोग का भी इरादा है।

39 बड़े भापीय तापमान और दबाववाले बड़े-बड़े तापीय बिजलीघरों की स्थापना से बिजली-सम्बन्धी कुशलता ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि स्थापित क्षमता के प्रति किलोवाट पूंजीगत खर्च में भी कमी आएगी। 30, 60, 100 और 120 मेगावाट के आधुनिक संयन्त्रों से उपलब्ध तापीय क्षमता क्रमश: 26, 29, 32 और 34 प्रतिशत तक होती है। 120 मेगावाट के बिजलीघर का प्रति किलोवाट पूंजीगत व्यय 30 मेगावाट के बिजलीघर के मुकाबले 20 प्रतिशत कम रहता है। भारत के तापीय बिजलीघरों की कुल क्षमता सन् 1959-60 में 19.5 प्रतिशत थी, क्योंकि अनेक बिजलीघर छोटे और पुराने थे। बड़े बिजलीघरों की स्थापना और संचालन से कुल तापीय क्षमता में काफी सुधार की आशा है, प्रयुक्त प्रति टन कोयले से अधिक किलोवाट-घंटे बिजली पैदा हो सकेगी।

40 पानी से बिजली पैदा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और न्यूष्टिक ईंधनों से बिजली पैदा करने में उक्त वस्तुएं खर्च करनी पड़ती हैं, जब कि बहता हुआ पानी बिजली प्राप्त करने का अक्षय साधन है। सन् 1953 में केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग ने देश की नदियों की बिजली पैदा करने की क्षमता का व्यवस्थित अनुमान लगाने का काम शुरू किया। मुद्रित नक्शों

पर सम्भावित पन-बिजली-स्थलों को अंकित किया गया तथा वर्षा एवं नदियों के सम्बन्ध में उपलब्ध विभिन्न आंकड़ों के आधार पर (इन नदियों के पानी का सिंचाई बाढ़-नियन्त्रण, नौकानयन, आदि के लिए उपयोग को ध्यान में रखते हुए) अनुमान लगाया गया कि इस साधन से 4 करोड़ 10 लाख किलोवाट बिजली पैदा करना तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से सम्भव है।

41 अनुमान लगाया गया है कि देश का थोरियम-भांडार विश्व के सबसे बड़े भांडारों में स्थान रखता है और यह यूरेनियम से भी अधिक व्यापक क्षेत्र में उपलब्ध है। थोरियम के इस्तेमाल के लिए देश में न्यैष्टिक शक्ति के कार्यक्रम पर तीन चरणों में अमल करना पड़ेगा, और इस पर स्पष्टत बहुत समय लगेगा। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करके बिजली तथा विखंडनीय तत्व प्लुटोनियम पैदा किया जाएगा। दूसरे चरण में न्यैष्टिक प्रतिकारियों में प्लुटोनियम का ईंधन के रूप में तथा थोरियम का उर्वर सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाएगी तथा थोरियम के अंश को यू-233 में बदला जाएगा। तीसरे चरण में यू-233 को थोरियम के साथ प्रजननकारी प्रतिकारियों में प्रयुक्त किया जाएगा, जिससे एक ओर बिजली पैदा होगी और दूसरी ओर उससे अधिक यू-233 पैदा होगा, जितना बिजली पैदा करने की प्रक्रिया में जलेगा। कतिपय अस्थायी अनुमानों के अनुसार, ख्याल है कि इस चरण में बिजली पैदा करने का खर्च अन्य दोनों चरणों से कम बैठेगा।

42 यह देखते हुए कि एक टन यूरेनियम में उतनी ही बिजली पैदा करने की क्षमता है, जितनी 10-11 हजार टन कोयले में, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि परिवहन-सुविधाओं में न्यैष्टिक शक्ति का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा। यद्यपि तापीय बिजलीघरों के मुकाबले न्यैष्टिक केन्द्रों का पूंजीगत व्यय अभी डेढ़-दो गुना बैठता है, तथापि कोयला-खानों से दूरस्थ और उन स्थानों पर, जहां बिजली पैदा करने के किफायती साधन नहीं हैं, न्यैष्टिक बिजलीघर स्थापित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां वर्तमान हैं। बिजली पैदा करने के लिए न्यैष्टिक सयन्त्रों के निर्माण और सचालन के लिए उच्च वैज्ञानिक और इंजीनियरी दक्षता की जरूरत होती है। अत यह वाछनीय है कि देश के तकनीकी कर्मचारी इस क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करें, ताकि उचित अवसर पर एक विशालतर न्यैष्टिक शक्ति-कार्यक्रम शुरू किया जा सके।

43 तरंगों और भू-तापीय शक्ति से चलनेवाले बिजलीघरों का भारत में बहुत सीमित उपयोग हुआ है। इन साधनों से कम खर्च में बिजली पैदा करने की सम्भावनाएं अभी नगण्य हैं। विश्व के अनेक भागों में सौर-शक्ति से सीधे बिजली प्राप्त करने के प्रयोग चल रहे हैं। भारत में, दूरस्थ स्थानों पर पम्प-द्वारा पानी पहुंचाने के लिए हवा से चलनेवाले सयन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। हाल में ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् ने बंगलोर की राष्ट्रीय वायुविद्या-प्रयोगशाला में वायुशक्ति-विभाग की स्थापना की है, जो पवनचक्कियों और पवन की गतिविधियों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक अध्ययन आरम्भ करेगा। वायु-शक्ति के घटते-बढ़ते रहने के कारण ऐसी संग्राहक बैटरियां लगाने की आवश्यकता होगी, जिनसे निरन्तर शक्ति प्राप्त होती रहे। वायु-बिजलीघर बनाने में अधिक रकम लगती है, अत देश में बिजली पैदा करने के इस तरीके का व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

बिजली-विकास की वर्तमान स्थिति

44 पहली योजना के आरम्भ में बिजली की कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता 23 लाख किलोवाट थी। इसमें 6 लाख 30 हजार किलोवाट का राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानो में, 10 लाख 80 हजार किलोवाट का कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानो में तथा 5 लाख 90 हजार किलोवाट का औद्योगिक संस्थानो मे, जिनके पास अपने बिजलीघर थे, उत्पादन होता था। पहली योजना में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि का लक्ष्य 14 लाख किलोवाट था, जब कि वास्तविक वृद्धि 11 लाख 20 हजार किलोवाट की ही हुई। दूसरी योजना में उत्पादन-क्षमता लगभग 67 प्रतिशत बढ़ी— 34 लाख 20 हजार किलोवाट से बढ कर 57 लाख किलोवाट हो गई (अनुबन्ध 6)। प्रारम्भिक लक्ष्य 34 लाख 80 हजार किलोवाट का था, परन्तु वास्तविक वृद्धि 22 लाख 80 हजार किलोवाट की हुई। लक्ष्य-पूर्ति में कमी का मुख्य कारण दूसरी योजना के आरम्भिक वर्षों मे विदेशी मुद्रा की कमी तथा भाखड़ा-नगल, कोयना, रिहन्द और हीराकुड-जैसी कुछ परियोजनाओ के काम में विलम्ब था। तीसरी योजना के आरम्भिक वर्षों में बिजली के गम्भीर अभाव की स्थिति से बचने के लिए दूसरी योजना की शेष बिजली-परियोजनाओ को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के क्षेत्र मे कदम उठाए गए। इन परियोजनाओ को पहले 'अप्रमुख' बताया गया था। दूसरी योजना के दौरान कुछ प्रदेशो की बढ़ती हुई मागो को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी अतिरिक्त योजनाओ पर भी काम शुरू किया गया, जिन्हें पहले दूसरी योजना में शामिल नही किया गया था। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष मे तीसरी योजना की कुछ चुनी हुई योजनाओ पर भी प्रारम्भिक कार्य शुरू करने की व्यवस्था की गई। पहली और दूसरी योजनाओ के दौरान जिन मुख्य बिजलीघरो को चालू किया गया, उनकी सूची अनुबन्ध 7 में दी गई है।

45 पहली योजना के शुरू मे बिजली-प्रतिष्ठानो पर 150 करोड रु० की पूजी लगी थी। इसमें से आधी से कुछ कम राशि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानो में थी। स्वय बिजली-उत्पादन करनेवाले औद्योगिक संस्थानो में 40 करोड रु० की पूजी लगी हुई थी। पहली योजना मे बिजली-विकास की योजनाओ पर 302 करोड रु० खर्च हुए, जिनमें से 260 करोड रु० राज्याधिकृत प्रतिष्ठानो पर, 32 करोड रु० कम्पनी-अधिकृत प्रतिष्ठानो पर तथा 10 करोड रु० स्वय उत्पादन करनेवाले औद्योगिक संस्थानो पर खर्च किए गए। उनसे सम्बद्ध दूसरी योजना के आकडे क्रमश 525 करोड रु०, 460 करोड रु० 37 करोड रु० तथा 28 करोड रु० हैं। इस 460 करोड रु० की राशि में दामोदर-घाटी-निगम और कुछ राज्य-बिजली-मडलो-द्वारा अपने साधनो से लगाई गई पूजी भी शामिल है। इस प्रकार, दूसरी योजना के अन्त तक बिजली पर पूजी-विनियोग की कुल रकम 1,017 करोड रु० ठहरती है, जिसमें से राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानो में लगी पूजी 700 करोड रु० थी।

बिजली-विकास का परिपेक्ष

46 दूसरी योजना के दौरान अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता की स्थापना का औसत 4 लाख 50 हजार किलोवाट प्रति वर्ष रहा। तीसरी योजना में प्रति वर्ष औसतन [illegible] लाख किलोवाट बिजली पैदा करके इस कार्यक्रम को बढ़ाने का विचार है परन्तु चौथी योज

उसके बाद की योजनाओं में विकास की गति इससे भी अधिक रहेगी। इस प्रकार, सन् 1975-76 तक देश में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता 3 करोड़ 50 लाख किलोवाट तक पहुंचने की सम्भावना है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, मोटे तौर पर, इसका 50 प्रतिशत भाग पन-बिजली-परियोजनाओं से और शेष तापीय बिजलीघरों से मिलेगा। इन लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से पन बिजलीघरों के लिए नए स्थानों की खोज तेजी से की जानी चाहिए तथा उन पर समय रहते ही काम शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि आगे बननेवाली योजनाओं में उनका लाभ उठाया जा सके। शक्ति के वर्तमान साधनों को देखते हुए, ख्याल है कि आनेवाले वर्षों में शक्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में न्यूक्लिक शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम

47 **बुनियादी बातें और मापदंड :** विभिन्न क्षेत्रों के उपयुक्त बिजली-उत्पादन के विशिष्ट तरीकों का निश्चय करते समय निम्नलिखित मुख्य बातें सामने आती हैं स्थापित क्षमता के प्रति किलोवाट पर पूंजीगत व्यय, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का परिमाण, प्रति किलोवाट-घंटा बिजली के उत्पादन पर लागत, निर्माण के लिए आवश्यक अवधि, अन्य विकास-कार्यक्रमों—जैसे, कोयला-खान, कोयला धोने का उद्योग, सिंचाई, प्राकृतिक गैसों का उपयोग, नई टेक्नोलाजी के विकास को प्रोत्साहन, आदि—पर प्रभाव। पानी, कोयला और डीजल-चालित बिजलीघरों में बिजली-उत्पादन का औसत खर्च क्रमश 1 2 नए पैसे, 3 नए पैसे और 25 नए पैसे प्रति किलोवाट-घंटा पड़ता है। परमाणविक बिजलीघरों में उत्पादन की लागत 3 5 से 4 नए पैसे प्रति किलोवाट-घंटा तक पड़ेगी, जो कि कोयला-खानों से दूर स्थित क्षेत्रों में कोयला-चालित बिजलीघर में बिजली-उत्पादन के लगभग बराबर ठहरेगी। पन-बिजलीघरों के मुकाबले कोयला-चालित बिजलीघरों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 2-3 गुना अधिक होती है। परमाणविक बिजलीघरों के लिए इससे भी अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार से बिजली-उत्पादन के तरीकों के कारण किफायत करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के विभिन्न तरीकों में एक सन्तुलन रखा जाए और एक ग्रिड के बुनियादी, अधिकतम और मौसमी लोड को देखते हुए उनमें परस्पर-सम्बन्ध स्थापित किया जाए।

48 तीसरी योजना में राज्यों में बिजली-कार्यक्रम का आकार तय करते समय मुख्य प्रश्न अगले कुछ वर्षों में बिजली के लोड की सम्भावित मांग का ही था। दूसरी योजना के अन्त में केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग-द्वारा किए गए लोड-सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण से मालूम पड़ा कि मांग सन् 1958 में किए गए प्रारम्भिक लोड-सर्वेक्षण के अनुमानों से कहीं अधिक है। तीसरी योजना में बिजली-उत्पादन के कार्यक्रम का आधार यही ताजा सर्वेक्षण तथा प्रस्तावित औद्योगिक कार्यक्रम है। मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तरप्रदेश में सिंचाई के लिए पम्पों का विस्तार करने का विचार है, जिससे बिजली का भी उपयोग बढ़ जाएगा। पश्चिम-बंगाल-जैसे कुछ क्षेत्रों में उद्योगों में बिजली की मांग बहुत बढ़ जाने की सम्भावना है। कलकत्ता और कानपुर के बीच तथा कुछ अन्य मार्गों पर रेलवे के बिजलीकरण से बिजली पहुंचाने की आवश्यकता बढ़ जाएगी। कुछ राज्यों में, जहां दूसरी योजना में उत्पादन-क्षमता का अधिक विस्तार नहीं हो सकता था, नई योजना की अवधि में बिजली-विस्तार-कार्यक्रमों में पिछली बड़ी कमी दूर करने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीसरी योजना के

मुख्य बिजली-उत्पादन-कार्यक्रम अनुबन्ध 8 मे दिए गए है । । अनुबन्ध 9 में बिजली-कार्यक्रमों का राज्यवार खर्च और तीसरी योजना मे उनसे मिलनेवाले लाभ का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

भौतिक लाभ और सोपानीकरण

49 तीसरी योजना के अन्त तक, कार्यरत और बन रहे सयन्त्रो की कुल उत्पादन-क्षमता 1 करोड 34 लाख किलोवाट होगी, जिसमे से 1 करोड 26 लाख 90 हजार किलोवाट का इस्तेमाल व्यावसायिक काम-काज में होगा । यह स्थापित उत्पादन-क्षमता दूसरी योजना के मुकाबले 123 प्रतिशत अधिक होगी । इस कार्यक्रम के पूरा होने पर बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन सन् 1951 के 18 किलोवाट-घटे, सन् 1956 के 28 किलोवाट-घटे और सन् 1961 के 45 किलोवाट-घटे से बढ कर सन् 1966 में 95 किलोवाट-घटे हो जाएगा ।

50 एक न्यैष्टिक बिजलीघर बम्बई के निकट तारापुर में स्थापित किए जाने की योजना है । इसमें दो प्रतिकारी होंगे और प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता 150 मेगावाट की होगी । इनमें से पहला प्रतिकारी तीसरी योजना के अन्त से पहले ही काम शुरू कर देगा तथा दूसरा चौथी योजना के पहले वर्ष मे कार्यारम्भ करेगा । दिल्ली-पजाब-राजस्थान-उत्तरप्रदेश-क्षेत्र में भी एक न्यैष्टिक बिजलीघर बनाने के लिए अनुकूल स्थान की खोज के काम को हाल मे स्वीकृति दी गई है ।

51 बिजली-योजनाओ से मिलनेवाले लाभ का क्रम तय करना मुख्यत विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और तीसरी योजना के कार्यक्रमो को अमल में लाने की राज्य-बिजली-मडलों की क्षमता पर निर्भर है । ये बिजली-मडल ही सरकारी क्षेत्र में बिजली-परियोजनाओ को अमल मे लाने के लिए जिम्मेदार है । इसके लिए परियोजना-सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार करने, नापजोख एव टेंडर-सम्बन्धी कार्रवाई करने, प्राप्त होने पर टेंडरो की जाच करने और आर्डर देने, सामान पहुचाने और सयन्त्र लगाने, उनका परीक्षण करने तथा काम चालू करने तक के विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए एव कार्यक्रम के मार्ग की सम्भावित बाधाओ का अनुमान करके उनके निराकरण के उपाय किए जाने चाहिए । योजनाओ की प्रगति पर कडी नजर रखे बिना तथा बिजलीघरो, आदि के निर्माण की अवधि कम करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए बिना विभिन्न क्षेत्रो में बिजली की कमी को दूर नही किया जा सकता ।

52 यद्यपि वर्तमान अवस्था में अनेक अनिश्चितताए है, तथापि नीचे की तालिका में तीसरी योजना मे मिलनेवाले लाभो का सम्भावित सोपानीकरण दिखाया गया है

तालिका-सख्या 7

लाभो का सोपानीकरण

वर्ष	वर्ष के दौरान वृद्धि (लाख किलोवाट)	वर्ष के अन्त में कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता (लाख किलोवाट)
1961-62	6	63
1962-63	7 3	70 3
1963-64	10 5	80 8
1964-65	20 7	101 5
1965-66	25 4	126 9

यह समझ लिया जाना चाहिए कि विकास के उपर्युक्त विशाल कार्यक्रम के बावजूद माग में वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रो मे बिजली की कमी बनी रहेगी, विशेषरूप से तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षो में। बिजली का विकास एक निरन्तर प्रक्रिया रहनी चाहिए और ऐसी अनेक परियोजनाओ पर काम आरम्भ कर देना चाहिए, जिनका लाभ आनेवाली योजनाओ के दौरान ही मिल सकेगा। इसी दृष्टि से व्यास, पुनासा, इदिक्की आदि परियोजनाए भी तीसरी योजना में शामिल की गई है।

53 तीसरी योजना में सचरण-पथों का और भी विस्तार किया जाएगा। इसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-सख्या 8
संचरण-पथ

वर्ष के अन्त में	सचरण-पथ 11 किलोवाट और अधिक	
	सर्किट मील	सर्किट किलोमीटर
1955	36,500	58,400
1960-61	84,000	1,34,400
1965-66	1,50,000	2 40,000

वित्तीय व्यय

54 तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में बिजली-कार्यक्रम के लिए कुल व्यय-राशि 1,039 करोड़* रु० रखी गई है। निजी क्षेत्र में 50 करोड रु० के पूजी-विनियोग की आशा है। सरकारी क्षेत्र में खर्च की जानेवाली राशि में से 661 करोड रु० पन-बिजली और तापीय बिजली-कार्यक्रमो के लिए, 51 करोड रु० परमाणविक बिजली के लिए और 327 करोड रु० सचरण एव वितरण-योजनाओ (जिसमें गावो में बिजली पहुचाने पर होनेवाला 105 करोड रु० का खर्च भी शामिल है) के लिए रखे गए है। इस कार्यक्रम में बोकारो के इस्पात-कारखाने में बिजली पहुचाने की भी व्यवस्था है तथा नइवेली के बिजलीघर में 150 मेगावाट के विस्तार का खर्च भी शामिल है। यूरेनियम निकालने, निर्माण और प्लुटोनियम निकालने के सयन्त्रो पर होनेवाला 24 करोड रु० का खर्च, जो प्रारम्भिक रूपरेखा में 'बिजली' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया था, अब 'उद्योग और खनिज पदार्थ' शीर्षक के अन्तर्गत कर दिया गया है।

55 तीसरी योजना के बिजली-कार्यक्रम के लिए 320 करोड रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। दूसरी योजना के अनुभव से ज्ञात होता है कि बिजली-सम्बन्धी साज-सामान के लिए आयात पर निर्भर रहने के कारण बिजली के तीव्र विकास में बाधा पहुचती है। तीसरी योजना में भी मशीनें और अन्य उपकरण काफी बड़ी तादाद मे विदेशों से मगाने पडेंगे। भोपाल में बिजली की भारी मशीनें तथा उपकरण तैयार करने के कारखाने

*इसमें दामोदर-घाटी-निगम के बिजली-कार्यक्रम और बंडोल-तापीय बिजलीघर का पूरा खर्च भी शामिल है।

को पूरा करने तथा उसके विस्तार के अलावा तीसरी योजना में दो और बडे कारखानों की व्यवस्था सरकारी क्षेत्र मे की गई है, जिनमें बायलर, भापीय और जलीय टर्बाइन तथा बिजली के अन्य बडे उपकरण तैयार किए जाएगे। गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने ट्रासफार्मर, मोटर, स्विचगियर आदि बनाने की क्षमता बढाएगे। इस प्रकार, बिजली-परियोजनाओ के लिए साज-सामान का काफी बडा हिस्सा देश में होनेवाले उत्पादन से ही प्राप्त हो जाएगा।

56 स्थापित-क्षमता और बिजली-उत्पादन में विकास नीचे की तालिकाओ तथा अगले पृष्ठ की तालिका स० 11 में दिखाया गया है

तालिका-सख्या 9

स्थापित क्षमता का विकास

(लाख किलोवाट)

	1950	1955	1960-61 (अनुमान)	1965-66 (अनुमान)
राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	6 3	15 2	33 2	98 2
कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	10 8	11 8	13 6	14 5
खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठान	5 9	7 2	10 2	14 2
योग	23	34 2	57	126 9

तालिका-सख्या 10

सयन्त्र की किस्म के अनुसार स्थापित-क्षमता

(लाख किलोवाट)

	1950	1955	1960-61 (अनुमान)	1965-66 (अनुमान)
पन-बिजली-चालित सयन्त्र	5 6	9 4	19 1	51
भाप-चालित सयन्त्र	15.9	22 7	34 6	70.8
तेल-चालित सयन्त्र	1 5	2 1	3 1	3 6
न्यूक्लियर सयन्त्र	—	—	—	1 5
योग	23	34 2	57	126 9

तालिका-संख्या 11

उत्पादित बिजली का विकास

(करोड़ किलोवाट-घंटे)

	1950	1955	1960-61 (अनुमान)	1965-66 (अनुमान)
राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	210 4	457 3	1,125	3,450
कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	300 3	401 8	575	650
खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठान	146 8	218 5	285	400
योग	657 5	1,077 7	1,985	4,500

उपभोग का स्वरूप

57 अनुबन्ध 10 में उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों-द्वारा उपभोग के स्वरूप (सन् 1951-61 में) का विवरण दिया गया है। इस अवधि में होनेवाले परिवर्तन का क्षेत्र और सन् 1965-66 में अनुमानित उपभोग का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 12

उपभोग का स्वरूप

वर्ग	सन् 1965-66 में अनुमानित उपभोग (करोड़ किलोवाट-घंटे)	कुल उत्पादन का प्रतिशत	
		1965-66	1951-61 की अवधि में परिवर्तन
घरेलू या रिहायशी प्रकाश एवं अल्प शक्ति	340	7 6	7 5 से 8
व्यावसायिक प्रकाश एवं अल्प शक्ति	190	4 2	4 2 से 4 8
औद्योगिक शक्ति	2,840	63 1	61 3 से 62 9
परिवहन	180	4	2 3 से 4 4
सार्वजनिक प्रकाश	40	0 9	0 9 से 1
सिंचाई	190	4 2	2 4 से 4 2
सार्वजनिक जल-व्यवस्था एवं मल-पम्पिंग-व्यवस्था	90	2	2 3 से 2 8
सचरण की हानियां, सहायक कामों में उपभोग आदि	630	14	14 4 से 16 3
योग	4,500	100	

सन् 1951-61 के बीच की दस वर्षों की अवधि में परिवहन और पम्पों-द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त और किसी वर्ग के उपभोग में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। परिवहन में बिजली

के उपयोग का विकास बिजली-उत्पादन के विकास के बराबर नही हुआ है, इस कारण इस वर्ग का उपभोग उत्पादन के 4.4 प्रतिशत (सन् 1951 मे) से गिर कर सन् 1960-61 मे 2 3 प्रतिशत रह गया। पम्पो-द्वारा सिंचाई मे उपभोग 2 7 प्रतिशत में बढ कर 4 2 प्रतिशत तक पहुच गया। यह उल्लेखनीय है कि कुल उपभोग ढाई-गुना बढा, परन्तु पम्पो-द्वारा सिंचाई के लिए बिजली का उपभोग सन् 1951 के मुकाबले चार-गुना से अधिक बढ गया तथा यह प्रगति और तेज होने की आशा है। पहली और दूसरी योजनाओ में विभिन्न वर्गो मे बिजली के उपभोग का विकास अनुबन्ध 11 मे विस्तार से दिया गया है। उद्योगो में कुल उत्पादित बिजली का 61 मे 63 प्रतिशत तक खप जाता है, अथवा यो कहिए कि उपभोक्ता-ओ-को बेची जानेवाली शक्ति का 72 प्रतिशत भाग उद्योग लेते हैं। इससे जाहिर है कि औद्योगिक और बिजली-कार्यक्रमो में समन्वय की कितनी आवश्यकता है। तीसरी योजना मे भारी और बुनियादी उद्योगो पर निरन्तर बल देने के साथ ही बिजली-उत्पादन पर भी बराबर वृद्धि के लिए जोर दिया जा रहा है।

गाव का बिजलीकरण

58 तीसरी योजना का एक मुख्य लक्ष्य छोटे कस्बो और गावो मे उपयोगी छोटे उद्योगो का विकास करना है, ताकि रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध किए जा सके, आमदनी और जीवन का स्तर ऊचा उठे तथा गावो की अर्थव्यवस्था अधिक सन्तुलित एव बहुमुखी बने। इन उद्देश्यो की पूर्ति में एक बडी बाधा शक्ति की कमी है। जहा बिजली उपलब्ध है, वहा परम्परागत उद्योग चलाए जा सकते है और धीरे-धीरे सुधरे हुए तरीको पर अन्य छोटे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं, ताकि बढती हुई ग्राम-अर्थव्यवस्था की नई आवश्यकताए पूरी की जा सकें। अनेक राज्यो में पम्पो से सिंचाई में बिजली का काफी उपयोग होता है और इस क्षेत्र में अभी विस्तार की बहुत गुंजायश है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम-अर्थव्यवस्था के विकास में गावो में बिजली पहुचाने का महत्व बढता जा रहा है, इसका मूल्य तात्कालिक आर्थिक लाभ के रूप मे ही नही लगाया जा सकता।

59 दूसरी योजना के अन्त तक देश में जिन गावो और कस्बो मे बिजली पहुचा दी गई है, उनकी कुल सख्या का अनुमान 23,000 है, जब कि पहली योजना में यह सख्या 7,400 थी। तीसरी योजना में गावो के बिजलीकरण के लिए 105 करोड रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें गावो की लोड-आवश्यकता पूरी करने के लिए बिजली-उत्पादन का खर्च शामिल नही है, क्योकि वह खर्च बिजली-उत्पादन के कुल खर्च का ही भाग है। तीसरी योजना के अन्त तक जिन गावो और कस्बो में बिजली पहुच जाएगी, उनकी सख्या में 20,000 की वृद्धि हो जाएगी यानी कुल सख्या 43,000 हो जाएगी। हर राज्य में ग्राम-बिजलीकरण-कार्यक्रमो की गुजायश का हिसाब लगाते समय उत्पादन-क्षमता में वृद्धि तथा सचरण-विस्तार, वितरण और ग्राम-बिजलीकरण दोनो के सन्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है। चौथी और पाचवी योजना में गावो में बिजली पहुचाने पर अधिक व्यय एव तेज विकास की व्यवस्था करने का विचार है।

60 अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाया गया है कि विभिन्न योजनाओ की अवधि में कितनी आबादी तक के गावो और कस्बो में बिजली पहुचाई जा चुकी है और तीसरी योजना के अन्त तक ऐसे गावो की सख्या कितनी हो जाएगी।

तालिका-संख्या 13

बिजलीवाले गाव और कस्बे

आबादी-वर्ग	सन् 1951 की जनगणना के अनुसार कुल संख्या	मार्च 1951 तक बिजलीवाले गाव और कस्बे	मार्च 1956 तक बिजलीवाले गाव और कस्बे	मार्च 1961 तक बिजलीवाले गाव और कस्बे (अनुमानित)	मार्च 1966 तक बिजलीवाले गाव और कस्बे (अनुमानित)
1 लाख से अधिक	73	49	73	73	73
50 हजार से 1 लाख तक	111	88	111	111	111
20 हजार से 50 हजार तक	401	240	366	399	401
10 हजार से 20 हजार तक	856	260	150	756	856
5 हजार से 10 हजार तक	3,101	258	1,200	1,800	3,101
5 हजार से कम	5,56,565	2,792	5,300	19,861	38,458
योग	5,61,107	3,687	7,400	23,000	43,000

इससे स्पष्ट है कि तीसरी योजना के अन्त तक 5,000 से ऊपर आबादीवाले सभी गावो और कस्बो में बिजली पहुचा दिए जाने की सम्भावना है। 2 से 5 हजार के बीच की आबादी-वाले 50 प्रतिशत गाव, अर्थात्, 10 हजार गाव बिजली की सुविधा का लाभ उठाने लगेंगे।

61 ऐसे दूरस्थ और बिखरे हुए स्थान बहुत हैं, जहा कम खर्च में 10 से लेकर 100 किलोवाट शक्ति तक के पन-बिजली-सयन्त्र लगाए जा सकते हैं। 100 किलोवाट तक क्षमता के छोटे पन-बिजली-सयन्त्र भारत में ही बनाए जा रहे हैं। आगे चलकर इनमें डीजल आल्टर-नेटर सेटो के मुकाबले किफायत भी रहेगी और उन्हें प्राप्त करने या चलाने में विदेशी मुद्रा की भी कोई आवश्यकता नही रहेगी। क्षेत्रीय सर्वेक्षण शुरू करने एव उनमे सहायता देने के लिए तथा ऐसे सयन्त्रो की स्थापना में मदद देने के लिए केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग मे एक इकाई खोल दी गई है। पहाडी क्षेत्रो के लिए बिजली-विकास का यह पहलू विशेष महत्त्व का है और इसके लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

62 गावो मे बिजली ले जाने में अपेक्षाकृत अधिक लागत मुख्यत इसलिए आती है कि एक तो एक गाव से दूसरे गाव की दूरी बहुत होती है, दूसरे, बिजली की खपत की मात्रा बहुत कम होती है, और तीसरे, बिजली को—विशेष रूप से खेती में—खास मौसमो में, खास अवसरो पर ही आवश्यकता रहती है, यह आवश्यकता सदा एक-सी नही रहती। इसका नतीजा यह होता है कि लोड कम होता है तथा प्राप्त उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग नही किया जाता। लोड-तत्त्व को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि बिजली का उपयोग करनेवाले आर्थिक दृष्टि से लाभकर कार्यो का समन्वित रूप से विकास किया जाए। इस लक्ष्य की सिद्धि हर क्षेत्र के लिए सावधानी से तैयार किए गए विकास-कार्यक्रमो के द्वारा ही हो सकती है। इनमें विकास के विभिन्न क्षेत्रो की कार्रवाइया शामिल है—जैसे, छोटे सिंचाई-कार्य, औजारो, आदि के लिए ऋण और मरम्मत आदि की सुविधा, सुधरे हुए बीज और अच्छी खाद, लघु उद्योग और ग्रामोद्योग, आदि—ताकि गाव में बिजली लगाने से कृषि और उद्योगो का उत्पादन बढाने मे यथासम्भव अधिक सहायता मिल सके। काम शुरू करने से 2-3 वर्ष पहले से ही गावो में बिजली लगाने की योजना तैयार हो जानी चाहिए, ताकि उसी समय से दूसरे क्षेत्रो में भी काम शुरू हो सके।

63 जिला-विकास-योजना के अंग-रूप मे बिजली के उपयोग से सम्बद्ध सुनिश्चित योजनाए सुचारु रूप मे तैयार करने के लिए राज्यीय बिजली-मडलो को चाहिए कि वे सम्बद्ध जिला-सस्थाओ को पहले से ही इस बात का सकेत दे दें कि उनके अनुमान से तीसरी योजना के अन्तर्गत राज्य के गावो और कस्बो के लिए प्रतिवर्ष कितनी बिजली दी जा सकेगी। राज्यो को सुझाव दिया गया है कि जिन जिलो मे बिजली की सुविधाए है या होने वाली है, उनमे ग्राम-विकास-कार्यक्रमो के बारे में सलाह देने के लिए छोटी-छोटी समितिया बना दी जाएं। ये कार्यक्रम थोडे विस्तार से तैयार किए जाने चाहिए और सीमित क्षेत्रो के अनुसार उनके आवश्यक क्रम निश्चित कर दिए जाने चाहिए—जैसे, एक कस्बे और उसके आस-पास के इलाको या कुछ ऐसे गावो को एक क्षेत्र मे रखा जा सकता है, जिनके लिए बिजली का एक ही स्रोत है और सुसम्बन्धित आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर जिनका विकास किया जा सकता है। इन जिला-योजनाओ को राज्यो की योजनाओ के अंग-रूप में ही अमल में लाया जाना चाहिए, ताकि गावो को बिजली देने के कार्यक्रम का विकास अतिरिक्त बिजली-उत्पादन-क्षमता के कार्यक्रम के साथ-साथ चल सके।

पडताल कर रहा है। इस बीच राज्यो में बिजली के आदान-प्रदान की सुविधाओ के लिए 220 किलोवाट की अन्त राज्यीय सम्पर्क-लाइने बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। तीसरी योजना मे महाराष्ट्र और गुजरात की बिजली-व्यवस्था का तथा राजस्थान के चम्बल ग्रिड और मध्यप्रदेश की सतपुडा-बिजली-व्यवस्था का परस्पर सम्बन्ध जोडने का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। निम्नलिखित अन्त राज्यीय सम्पर्क जोडने पर भी विचार किया जा सकता है उत्तरप्रदेश की रिहन्द-बिजली-व्यवस्था का मध्यप्रदेश की अमरकटक-कोरबा-व्यवस्था से, फिर, अमरकटक-कोरबा-व्यवस्था का उडीसा की हीराकुड-व्यवस्था से, उत्तर-प्रदेश के गगा ग्रिड का दिल्ली-पजाब-व्यवस्था से, और मैसूर की शरावती-व्यवस्था का महाराष्ट्र की कोयना-व्यवस्था से। केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग में एक विशेष इकाई स्थापित कर दी गई है, जो राज्यीय बिजली-मडलो और अन्य बिजली-आपूर्ति-सस्थाओ के सहयोग से बडे क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के सम्बन्ध मे जाच-पडताल का काम करेगी।

वित्तीय पहलू

69 बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अनुसार सभी राज्यो में स्वायत्त बिजली-मडलो की स्थापना हो चुकी है। इन मडलो का काम सबसे अधिक कुशलता और किफायती तरीको से अपने-अपने राज्य में बिजली के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के कार्य का समन्वित विकास करना तथा विशेष रूप से उन क्षेत्रो में विकास पर अधिक ध्यान देना है, जिनकी सुविधा के लिए फिलहाल कोई लाइसेंसशुदा कम्पनी, आदि काम नही कर रही है।

70 यह जरूरी है कि सरकारी क्षेत्र की बिजली-कम्पनिया खर्च से अधिक कमाएं और भावी विकास के लिए पूजी प्रदान करें। बिजली-विकास का ढग ही कुछ ऐसा बन गया है कि उसमें ज्यादा पूजी लगानी पडती है और उसकी माग भी तेजी से बढ रही है। इसलिए सरकारी क्षेत्रो मे विनियोग के लिए काफी पूजी तैयार रखने की आवश्यकता है।

71 दूसरे वित्त-आयोग ने बिजली-कम्पनियो के काम के ढग के असन्तोषजनक वित्तीय परिणामो का जिक्र किया था और इस बात पर जोर दिया था कि राज्य-सरकारें ऐसे प्रबन्ध करने के लिए उचित कदम उठाए कि बिजली-मडल राज्य के बकाया ऋणो के ब्याज का बोझ उतारते रह सकें। हाल ही में विभिन्न बिजली-मंडलो की वित्तीय स्थिति की जाच से पता चला है कि उसमें कोई सुधार नही हुआ है। राज्यीय बिजली-मडलो की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ये मुख्य कदम उठाने पडेंगे

(1) शक्ति-उत्पादन की सबसे कम खर्चवाली परियोजनाओ का चुनाव हो,

(2) निर्माण के खर्च में अधिक-से-अधिक बचत की जाए,

(3) परियोजनाओ के सोपान इस तरह निश्चित किए जाए, कि लाभ की उपलब्धता और उसके उपयोग के बीच की दूरी कम हो जाए,

(4) वर्तमान उत्पादन-क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाए— इसके लिए 'लोड' इस प्रकार बढाया जाए कि सयन्त्र और 'लोड' तत्त्व, दोनो मे सुधार हो,

(5) विभिन्न उपायो-द्वारा बिजलीघरो का अधिकतम कुशलता के साथ परिचालन किया जाए— जैसे ईधन की बचत की जाए, नुकसान कम किए जाए, आदि,

(6) पड़ोसी राज्यों के ग्रिडों के साथ मिल-जुल कर कार्य-संचालन हो, तथा

(7) बिजलीघरों और शुल्क-दरों का फिर से समायोजन किया जाए।

राज्यों को सुझाव दिया गया है कि इन पहलुओं पर विशेष रूप से विचार किया जाए तथा आमदनी बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

72 पन-बिजली-परियोजनाओं की जांच-पड़ताल : पन-बिजली-परियोजनाओं के लिए विस्तृत जांच-पड़ताल की आवश्यकता होती है। ऐसी परियोजनाएं कम हैं, जिनकी जांच-पड़ताल पूरी तरह कर ली गई हो, अतः बिजली के इस सस्ते स्रोत के विकास में बाधाएं आती हैं। कई राज्यों में अलग-अलग जांच-इकाइयां बना दी गई हैं। परन्तु अब भी बहुत काम करना बाकी है। इन इकाइयों को मजबूत करना होगा, ताकि तीसरी योजना में इस पहलू पर अधिक ध्यान दिया जा सके। 1 करोड़ 20 लाख किलोवाट की क्षमता वाली 64 पन-बिजली-परियोजनाओं के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल का कार्यक्रम तैयार किया गया है और इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इन कार्यक्रमों की जांच-पड़ताल के काम पर 13 करोड़ रु० के खर्च का अनुमान है, जिसमें 1.13 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। इस कार्यक्रम में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए सहायता प्राप्त हो चुकी है।

73. 'लोड'-सर्वेक्षण : राज्यीय बिजली-मंडलों और केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग-द्वारा विभिन्न प्रदेशों में प्रत्याशित 'लोड' का व्यवस्थित सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा समय-समय पर उस पर विचार होते रहना चाहिए। भावी योजनाओं की अवधि में उत्पादन-क्षमता के सम्बन्ध में पहले ही आयोजन करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। योजना में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि केन्द्रीय जल तथा बिजली-आयोग में 'लोड' सर्वेक्षण-निदेशालय अपना काम जारी रख सकें।

74 अनुसन्धान : बिजली, उत्पादन, संचरण और वितरण की समस्याओं पर बंगलोर की बिजली-अनुसन्धान-संस्था में अन्वेषण किया जाएगा। संस्था में जिन समस्याओं पर जांच-पड़ताल का काम किया जाएगा, उनमें ये भी शामिल हैं : संचरण-पथ पर बिजली चमकने का प्रभाव, देश में इन्सुलेटिंग-सामग्री का निर्माण, छोटी और सरल मशीनों का विकास और निर्माण, उपकरण और अन्य औज़ार, केबल-सम्बन्धी विशेषताएं, बिजली-व्यवस्था-सम्बन्धी अन्य अध्ययन, आदि। भोपाल में एक स्विचगियर-परीक्षण-केन्द्र भी खोला जा रहा है, जिसमें स्विचगियर के डिजाइनों का परीक्षण और विकास किया जाएगा।

75 डिजाइन और निर्माण : बड़े-बड़े पन-बिजलीघरों और तापीय बिजलीघरों का आयोजन करने, उनके डिजाइन तैयार करने और उनके निर्माण के लिए एक विशेषज्ञ-संगठन की स्थापना की जरूरत महसूस की जाती रही है। फिलहाल ये काम विदेशी संस्थाओं से कराए जा रहे हैं। इस नए संगठन में बारीक तकनीकी कार्य के लिए कर्मचारी ही प्रशिक्षित नहीं किए जाएंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग में इस उद्देश्य से एक इकाई की स्थापना की जा रही है।

76 अन्य पहलू : बिजली-कार्यक्रम के कुछ और भी पहलू हैं, जिन पर तीसरी योजना में बराबर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दूसरी योजना में बंगलोर और गंगवाल में 'गर्म लाइन' कर्मचारी-प्रशिक्षण-केन्द्र खोले गए थे। इन केन्द्रों में बिजली का काम करनेवाले मिस्त्री प्रशिक्षित किए जाते हैं, जो अधिक दबाववाली बिजली के सजीव संचरण-

पथ पर काम कर सकें। बिना बिजली बन्द किए इन्सुलेटरो की सफाई, टूटे इन्सुलेटरो की अदला-बदली, कडक्टरो को जोडना और सहायक पुर्जे लगाने का काम होना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओ को बराबर बिजली मिलती रहे। इस प्रकार के प्रशिक्षण और 'गर्म लाइन के साज-सामान तथा औजारो की सहायता से बिजली के खम्भो पर काम करने का यह तरीका देश-भर में प्राय सभी बिजली-व्यवस्था-केन्द्रो मे लागू कर दिया गया है।

77 तीसरी योजना मे उपकरणो के मानकीकरण के प्रश्न पर भी विशेष विचार किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार के मानकीकरण से परियोजनाओ का काम तेजी से होगा निर्माण के खर्च में किफायत होगी और रख-रखाव का भी खर्च कम होगा। केंद्रीय जल और बिजली-आयोग ने गावो में विस्तार के लिए एक निर्माण-नियम-पुस्तिका तैयार की है। तापीय बिजलीघरो, प्रसारण-लाइन-व्यवस्था और उप-बिजलीघरो के सम्बन्ध में भी ऐसी ही कार्रवाई करने का इरादा है।

अनुबन्ध 1

बड़ी और मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं के प्रत्याशित लाभ
(पैराग्राफ 8 और 11 में उल्लिखित)

कुल क्षेत्र (हजार एकड़)

राज्य	पहली और दूसरी योजना के कार्यक्रमों के पूर्ण विकास के बाद सिंचाई	पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यक्रम: दूसरी योजना के अन्त तक उत्पादन-क्षमता	पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यक्रम: दूसरी योजना के अन्त तक उपयोग	पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यक्रम: तीसरी योजना के अन्त तक क्षमता	पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यक्रम: तीसरी योजना के अन्त तक उपयोग	तीसरी योजना के नए कार्यक्रम: तीसरी योजना के अन्त तक क्षमता	तीसरी योजना के नए कार्यक्रम: तीसरी योजना के अन्त तक उपयोग	तीसरी योजना के अन्त तक चालू और नई योजनाओं से कुल लाभ: क्षमता (स्तम्भ 5+7)	तीसरी योजना के अन्त तक चालू और नई योजनाओं से कुल लाभ: उपयोग (स्तम्भ 6+8)	तीसरी योजना में अतिरिक्त लाभ: क्षमता (स्तम्भ 9—3)	तीसरी योजना में अतिरिक्त लाभ: उपयोग (स्तम्भ 10—4)
1. आन्ध्रप्रदेश	3,720	830	736	3,361	2,159	134	134	3,495	2,293	2,665	1,557
2. असम	—	—	—	—	—	88	79	88	79	88	79
3 बिहार	5,569	915	720	3,192	2,402	482	318	3,674	2,720	2,759	2,000
4 गुजरात	3,809	640	227	1,716	1,091	—	—	1,716	1,091	1,076	864
5 जम्मू-कश्मीर	163	5	5	55	32	11	11	66	43	61	38
6 केरल	555	358	358	527	527	86	86	613	613	255	255
7. मध्यप्रदेश	2,242	95	75	1,365	905	40	20	1,405	925	1,310	850
8 मद्रास	890	611	581	791	789	33	33	824	822	213	241
9 महाराष्ट्र	1,248	233	105	999	713	353	100	1,352	813	1,119	708

10	मैसूर	1,180	707	321	1,318	1,173	52	27	1,100	1,200	693	876
11	उड़ीसा	2,615	1,000	720	2,287	1,666	—	—	2,287	1,666	1,287	946
12	पंजाब	4,351	3,307	2,957	4,157	4,058	200	200	1,357	4,258	1,050	1,301
13	राजस्थान	3,666	731	618	2,357	1,751	25	9	2,382	1,763	1,618	1,115
14	उत्तरप्रदेश	4,262	2,118	1,479	2,800	2,123	912	98	3,712	2,521	1,591	1,012
15	पश्चिम-बंगाल	2,990	1,690	1,084	2,071	1,936	32	32	2,103	1,968	113	881
	योग	37,560	13,213	9,989	27,026	21,628	2,448	1,117	29,174	22,775	16,271	12,786

टिप्पणी पहली और दूसरी योजना के चालू कार्यक्रमों का अतिरिक्त उपयोग (स्तम्भ 6—स्तम्भ 4) = 1,16,39,000 एकड़

अनुबन्ध 2

बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की अनुमित लागत और तीसरी योजना में उनके लिए निश्चित व्यय-राशि

(पैराग्राफ 12 में उल्लिखित)

(लाख रु०)

राज्य	पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यक्रमों की अनुमानित लागत	पहली और दूसरी योजना के चालू कार्यक्रम, जो तीसरी योजना में भी चलेंगे			तीसरी योजना के नए कार्यक्रम		चालू और नए कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल व्यवस्था (स्तम्भ 5+7)
		अनुमानित लागत	दूसरी योजना का शेष	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	अनुमित लागत	तीसरी योजना में व्यय-राशि	
1 आन्ध्रप्रदेश	16,536	13,941	6,745	6,548	1,842	832	7,380
2 असम	170	—	—	—	277	228	228
3 बिहार	10,743	9,094	7,118	4,712	3,144	1,445	6,157
4 गुजरात	17,411	17,267	12,098	5,014	110	110	5,124
5 जम्मू-कश्मीर	1,520	1,285	1,111	556	130	44	600
6 केरल	2,635	2,262	378	378	2,150	761	1,142
7 मध्यप्रदेश	8,860	8,402	5,097	3,600	2,364	560	4,160
8 मद्रास	6,086	4,602	2,150	2,150	689	592	2,742
9 महाराष्ट्र	10,438	10,360	6,637	5,034	3,174	1,570	6,604
10 मैसूर	10,853	10,328	3,897	3,341	3,757	725	4,066
11. उड़ीसा	10,226[*]	10,184[*]	2,657	1,911	807	230	2,141
12. पंजाब	11,124	10,193	1,348	904	4,882	1,300	2,204

13 राजस्थान	11,074	13,987	8,069	5,770	6,450	2,710	8,510
14 उत्तरप्रदेश	8,966	6,938	4,109	2,422	1,021	2,719	5,171
15 पश्चिम-बंगाल	8,407	4,104	2,646	1,206	749	686	1,892
16 केन्द्रशासित प्रदेश	10	10	10	10	—	—	10
17 केन्द्रीय कार्यक्रम	—	—	—	—	1,803†	1,803†	1,803†
योग	1,38,368	1,26,957	64,100	43,556	36,352	16,378	59,931

*हीराकुड चरण 1 (बिजली-सम्बन्धी हिस्सा) का खर्च शामिल है ।

†बोकारो इस्पात-कारखाना तथा अन्य उद्योगों को पानी पहुचाने पर होनेवाला 10 करोड रु० का खर्च शामिल है ।

अनुबन्ध 3

बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, जलप्लावन-निरोधक एवं समुद्री कटाव-निरोधक कार्यक्रमों पर होनेवाला अनुमानित खर्च और व्यय-व्यवस्था

(पैराग्राफ 12 में उल्लिखित)

(लाख रु०)

राज्य	पहली और दूसरी योजना के कार्यक्रम, जो तीसरी योजना में भी जारी रहेंगे			तीसरी योजना के नए कार्यक्रम		चालू और नए कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल व्यय-व्यवस्था (स्तम्भ 4+6)
	अनुमानित खर्च	दूसरी योजना का शेष	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	अनुमानित खर्च	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	
1 आन्ध्रप्रदेश	195	35	35	210	208	213
2 असम	436	115	115	507	385	500
3 बिहार	2,532	700	700	291	200	900
4 गुजरात	60	50	50	—	—	50
5 जम्मू-कश्मीर	1,060	855	855	45	45	900
6. केरल	302	71	71	431	350	421
7 मध्यप्रदेश	235	9	9	11	11	20
8 मद्रास	—	—	—	—	—	—
9 महाराष्ट्र	—	—	—	30	30	30
10. मैसूर	—	—	—	—	—	—
11 उड़ीसा	74	48	48	300	202	250

12	पंजाब	770	432	432	2,216	1,069	1,501
13	राजस्थान	110	90	90	—	—	90
14	उत्तरप्रदेश	568	56	56	602	519	575
15	पश्चिम-बंगाल	2,305	84	84	847	431	515
16	केन्द्रशासित प्रदेश	79	69	69	164	68	173
	योग	8,726	2,614	2,614	5,654	3,518	6,132

अनुबन्ध 4

बहूद्देश्यीय और बड़ी सिंचाई-योजनाएं—पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं से चालू और तीसरी योजना में भी जारी

(पैराग्राफ 16 में उल्लिखित)

कार्यक्रम का नाम और राज्य	कुल खर्च (केवल सिंचाई का हिस्सा) (लाख रु०)	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था (लाख रु०)	उपयोग (हज़ार एकड़) कुल क्षेत्र: पूरा होने पर	दूसरी योजना के अन्त में	तीसरी योजना के अन्त में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 बाग (महाराष्ट्र)	610	130	60	—	2
2 बनास (गुजरात)	827	605	110	—	59
3. बनास (राजस्थान)	776	150	200	—	—
4 बरना (मध्यप्रदेश)	552	200	173	—	—
5 भद्रा** (मैसूर)	3,193	1,310	245	32	182
6 भाखड़ा-नंगल** (पंजाब और राजस्थान)	10,189	419	3,604	2,550	3,601
7 चम्बल (चरण 1 और 2) (राजस्थान और मध्यप्रदेश)	5,485	1,703	1,400	60	800
8. दामोदर-घाटी** (पश्चिम-बंगाल)	3,468	116	1,273	610	1,023
9. गंडक** (बिहार और उत्तरप्रदेश)	4,645	3,000	3,138	—	300
10. घाटप्रभा बाया तट नहर (चरण 1 और 2) (मैसूर)	1,863	572	298	53	180
11 गिरना (महाराष्ट्र)	865	519	143	—	116
12 हीराकुड** (चरण 1) महानदी-डेल्टा (उड़ीसा) सहित	9,334*	1,200	2,158	710	1,337

13 इतियादह (महाराष्ट्र)	692	200	75	—	1
14 कदम (आन्ध्रप्रदेश)	601	90	75	25	75
15. काकरापाड़ा-नहर (लोअर तापी) (गुजरात)	1,870	400	562	50	296
16. कंसावती-परियोजना (पश्चिम-बंगाल)	2,526	807	950	—	250
17. के० सी० नहर (आन्ध्रप्रदेश)	659	100	346	230	346
18 गड़कनामना (महाराष्ट्र)	1,055	596	43	—	43
19 कोसी (बिहार)	2,482	1,200	1,397	—	900
20 माही (चरण 1 और 2) (गुजरात और राजस्थान)	4,178	876	751	29	214
21. मलमपुझा (केरल)	532	31	109	95	109
22 माताटीला-बांध (उत्तरप्रदेश)	1,283	272	413	220	370
23 मयूराक्षी (पश्चिम-बंगाल)	2,015	210	720	462	580
24 मूला (महाराष्ट्र)	1,500	600	162	—	8
25 नागार्जुनसागर** (आन्ध्रप्रदेश)	9,112	5,000	2,060	—	900
26. नर्मदा (भड़ौंच, गुजरात)	4,309	1,200	963	—	—
27. परम्बिकुलम-परियोजना** (मद्रास)	2,487	2,112	240	—	150
28 पूर्णा (महाराष्ट्र)	1,284	861	152	—	94
29 राजस्थान-नहर (राजस्थान)	6,647	3,800	1,684	—	284
30 रामगंगा-परियोजना** (उत्तरप्रदेश)	3,455	1,600	1,705	—	175
31 उज-रावी या घाटी-परियोजना (जम्मू-कश्मीर)	900	332	62	—	—

**बहुद्देश्यीय परियोजना

† उत्तरप्रदेश के लिए तीसरी योजना के अन्तर्गत यह एक नया कार्यक्रम है।

*महाराष्ट्र चरण I बिजली का अनुमानित खर्च भी शामिल है।

अनुबन्ध 4—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32 शारदा-सागर (चरण 2) (उत्तरप्रदेश)	838	169	185	40	105
33 दातरणी (गुजरात)	674	373	[redacted]	—	26
34 सरहिन्द पूरक (पंजाब)	670	10	‡	‡	‡
35 सोन-परियोजना (बिहार)	2,069	1,200	307	50	150
36 ताया[1]* (मध्यप्रदेश)	2,184	1,000	787	—	25
37 तुंगभद्रा*[1] (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर)	4,453	513	843	365	815
38 तुंगभद्रा ऊंची सतह नहर (चरण 1) (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर)	1,300	1,040	187	—	168
39. उकाई-परियोजना (गुजरात)	2,897	700	392	—	—
40 वीर बांध (महाराष्ट्र)	541	278	66	—	61
41 पश्चिमी यमुना नहर का पुनर्निर्माण (पंजाब)	534	150	555	354	555

‡इस परियोजना से भाखड़ा-नहर और सरहिन्द-नहर के अन्तर्गत अधिक आपूर्ति हो सकेगी।

*[1]बहूद्देश्यीय परियोजना

अनुबन्ध 5

तीसरी योजना के नए बहूद्देश्यीय और बड़े सिंचाई-कार्यक्रम

(पैराग्राफ 6 में उल्लिखित)

कार्यक्रम का नाम	कुल खर्च (केवल सिंचाई का हिस्सा) (लाख रु०)	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था (लाख रु०)	उपयोग (हजार एकड़) कुल क्षेत्र: पूरा होने पर	उपयोग (हजार एकड़) कुल क्षेत्र: तीसरी योजना के अन्त में
1 ब्यास[1,4] (पंजाब और राजस्थान)	11,743	3,700	2,630	—
2 भीमा उद्वहन सिंचाई-कार्यक्रम (महाराष्ट्र)	946	78	100	—
3 वीरगोविन्दपुर (उड़ीसा)	507	150	178	—
4 दामोदर-घाटी[1] (पश्चिम-बंगाल)	664	575		
5 हरगी और/अथवा कम्बवकाडा (मैसूर)	1,050 / 170	200	105	—
6 हासदेव[4]* (मध्यप्रदेश)	1,600	150	300	—
7 कल्लडा (केरल)	840	150	107	—
8 कोसी-पश्चिमी नहर और पूर्वी नहरों का विस्तार (बिहार)	1,700	450	1,149	150
9 कोयना-सिंचाई-कार्यक्रम (महाराष्ट्र)	950	275	93	—
10 मालप्रभा (मैसूर)	2,000	300	500	—
11 सरजू-नहर (उत्तरप्रदेश)	1,078	200	418	—
12 वंशधारा और/अथवा पोचम्पद (आन्ध्रप्रदेश)	1,450 / 1,525	400	357 / 360	115

[1,4] बहूद्देश्यीय परियोजना

*विस्तार और सुधार-कार्य

टिप्पणी : अपर कृष्णा-परियोजना (मैसूर) को तीसरी योजना में शामिल करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

अनुबन्ध 6

स्थापित बिजली-उत्पादन-क्षमता और उत्पादन की पहली और दूसरी योजना में प्रगति

(पैराग्राफ 44 में उल्लिखित)

विवरण	1950*	1955*	1950 के मुकाबले वृद्धि (पहली योजना)	1960 61** (अनुमान)	1955 के मुकाबले वृद्धि (दूसरी योजना)
क. प्रतिष्ठान (सार्वजनिक और निजी)					
1 जल-बिजली-संयन्त्र					
(अ) स्थापित उत्पादन-क्षमता (मेगावाट में)	559 3	939 6	68	1,932	106
(आ) उत्पादित बिजली (10 लाख किलोवाट-घंटे में)	2,519 8	3,742.2	49	7,850	110
(इ) स्थापित उत्पादन-क्षमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित किलोवाट-घंटे	4,510	4,000	—	4,070	—
2 भाप-संयन्त्र					
(अ) स्थापित उत्पादन-क्षमता (मेगावाट में)	1,004 4	1,546 8	54	2,439	57 7
(आ) उत्पादित बिजली (10 लाख किलोवाट-घंटे में)	2,387 2	4,618.9	94 [illegible]	8,790	90.5
(इ) स्थापित उत्पादन-क्षमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित किलोवाट-घंटे	2,380	3,000	—	3,600	—
3 तेल-संयन्त्र					
(अ) स्थापित उत्पादन-क्षमता (मेगावाट में)	148.8	208.5	40 2	310 6	49
(आ) उत्पादित बिजली (10 लाख किलोवाट-घंटे में)	199.7	231 3	15 9	360 .	55.7
(इ) स्थापित उत्पादन-क्षमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित					

किलोवाट-घंटे	1,310	1,110	—	1,160	—
ख अपनी बिजली स्वयं पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठान					
(अ) स्थापित उत्पादन-क्षमता (मेगावाट में)	587 8	723 5	23 1	1,015	10 3
(आ) उत्पादित बिजली (10 लाख किलोवाट-घंटे में)	1,167 8	2,18 1 8	19	2,8 50	30.5
(इ) स्थापित उत्पादन-क्षमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित किलोवाट-घंटे	2,500	3,010	—	2,810	—
योग (क+ख)					
(अ) स्थापित उत्पादन-क्षमता (मेगावाट में)	2,300 3	3,118 3	18 5	5,696 6	66 6
(आ) उत्पादित बिजली (10 लाख किलोवाट-घंटे में)	6,574 5	10,777 2	61	19,850	84 2
(इ) स्थापित उत्पादन-क्षमता के प्रति किलोवाट पर उत्पादित किलोवाट-घंटे	2,860	3,140	—	3,490	—

*कैलेंडर-वर्ष के अनुसार आंकड़े

**अप्रैल 1960-31 मार्च, 1961 से सम्बद्ध आंकड़े

टिप्पणी स्थापित उत्पादन-क्षमता वर्ष के [redacted] की स्थिति के अनुसार तथा बिजली-उत्पादन पूरे वर्ष के लिए दिखाया गया है।

अनुबन्ध 7

पहली और दूसरी योजना में चालू प्रमुख बिजलीघर

(पैराग्राफ 44 में उल्लिखित)

	योजना का नाम	चालू स्थापित क्षमता (किलोवाट में)
	पहली योजना में चालू किए गए संयन्त्र	
1	निजामसागर पनबिजली-योजना (आन्ध्रप्रदेश)	15,000
2	मचकुंड पनबिजली-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा)	34,000
3	सिंदरी तापीय बिजलीघर (बिहार)	80,000
4	बोकारो तापीय बिजलीघर (दामोदर-घाटी-निगम)	1,72,500
5	उत्रन तापीय बिजलीघर (गुजरात)	22,500
6	अहमदाबाद बिजली-आपूर्ति-विस्तार (निजी क्षेत्र—गुजरात)	60,000
7	सेंगुलम बिजलीघर (केरल)	48,000
8	चांदनी तापीय बिजलीघर (मध्यप्रदेश)	17,000
9	इन्दौर तापीय बिजलीघर-विस्तार (मध्यप्रदेश)	13,000
10	मोयर बिजलीघर (मद्रास)	36,000
11	पायकारा बिजलीघर (मद्रास)	27,200
12	मद्रास-संयन्त्र-विस्तार (मद्रास)	30,000
13	खापरखेड़ा तापीय बिजलीघर (महाराष्ट्र)	30,000
14	चोल बिजलीघर (महाराष्ट्र)	78,000
15	बल्लारशाह तापीय बिजलीघर (महाराष्ट्र)	7,750
16	भीरा पनबिजली-योजना (महाराष्ट्र)	22,000
17	जोग बिजलीघर (मैसूर)	72,000
18	नंगल बिजलीघर (पंजाब)	48,000
19	कानपुर तापीय बिजलीघर (उत्तरप्रदेश)	15,000
20	पथरी पनबिजली-योजना (उत्तरप्रदेश)	20,400
21	शारदा पनबिजली-योजना (उत्तरप्रदेश)	41,400
22	कलकत्ता बिजली-आपूर्ति-निगम-विस्तार (पश्चिम-बंगाल)	30,000
23	दिल्ली तापीय बिजलीघर (दिल्ली)	20,000
	दूसरी योजना में चालू किए गए संयन्त्र	
1	मचकुंड पनबिजली-योजना (आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा)	81,000
2	तुंगभद्रा पनबिजली-योजना (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर)	36,000
3	रामगुंडम तापीय बिजलीघर (आन्ध्रप्रदेश)	37,500
4	उमत्रु पनबिजली-परियोजना (असम)	8,400
5	मैथन पनबिजली-योजना (दा० घा० नि०)	60,000
6	पंचेत पनबिजली-योजना (दा० घा० नि०)	40,000

7	बोकारो तापीय बिजलीघर-विस्तार (दा० घा० नि०)	82,500
8	दुर्गापुर तापीय बिजलीघर (दा० घा० नि०)	1,65,000
9	अहमदाबाद तापीय बिजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात)	15,000
10	उत्रन तापीय बिजलीघर (गुजरात)	45,000
11	पोरिंगलकुत्तु पनबिजली-परियोजना (केरल)	32,000
12	नेरियामंगलम पनबिजली-परियोजना (केरल)	45,000
13	कोरबा तापीय बिजलीघर (मध्यप्रदेश)	90,000
14	गांधीसागर बांध-बिजलीघर (मध्यप्रदेश और राजस्थान)	69,000
15	भिलाई इस्पात-कारखाना बिजलीघर (मध्यप्रदेश)	25,000
16	मद्रास तापीय बिजलीघर-विस्तार (मद्रास)	30,000
17	पेरियार पनबिजली-परियोजना (मद्रास)	1,05,000
18.	कुंडा पनबिजली-परियोजना (मद्रास)	1,45,000
19	ट्राम्बे तापीय बिजलीघर (निजी क्षेत्र, महाराष्ट्र)	1,87,500
20	अकोला (पारस) तापीय बिजलीघर (महाराष्ट्र)	30,000
21	बल्लारशाह तापीय बिजलीघर (महाराष्ट्र)	15,500
22	खापरखेडा तापीय बिजलीघर-विस्तार (महाराष्ट्र)	30,000
23	तुंगभद्रा बायां तट बिजलीघर (मैसूर)	9,000
24	हीराकुड पनबिजली-परियोजना (उड़ीसा)	1,23,000
25	रूरकेला इस्पात-कारखाना-बिजलीघर (उड़ीसा)	75,000
26	भाखडा-नंगल-परियोजना (पंजाब और राजस्थान)	2,07,000
27	कानपुर तापीय बिजलीघर-विस्तार (उत्तरप्रदेश)	15,000
28	पूर्वी क्षेत्र बिजलीघर (उत्तरप्रदेश)	45,000
29	दुर्गापुर कोक-भट्ठी-कारखाना-बिजलीघर (पश्चिम-बंगाल)	60,000
30	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी-बिजलीघर (बर्नपुर, पश्चिम-बंगाल)	20,000

अनुबन्ध 8

तीसरी योजना में शामिल मुख्य बिजली-उत्पादन-कार्यक्रम

(पैराग्राफ 48 में उल्लिखित)

	कार्यक्रम का नाम	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट में)
	चालू कार्यक्रम	
1	तुंगभद्रा पनबिजली-परियोजना चरण 2 (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर)	36,000
2	नेल्लोर तापीय बिजलीघर (आन्ध्रप्रदेश)	30,000
3	अपर सिलेरू पनबिजली-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)	1,20,000
4	उमियम पनबिजली-परियोजना चरण 1 (असम)	36,000
5	बरौनी तापीय बिजलीघर (बिहार)	30,000
6	पथराटू तापीय बिजलीघर (बिहार)	1,00,000
7	चन्द्रपुरा तापीय बिजलीघर (दा० घा० नि०)	2,80,000
8	अहमदाबाद तापीय बिजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात)	30,000
9	पन्नियार पनबिजली-परियोजना (केरल)	30,000
10	शोलायर पनबिजली-परियोजना (केरल)	54,000
11	गांधीसागर बांध-बिजलीघर, इकाई 4 (मध्यप्रदेश और राजस्थान)	23,000
12	अमरकंटक तापीय बिजलीघर (मध्यप्रदेश)	60,000
13	नइवेली लिग्नाइट-बिजलीघर (मद्रास)	2,50,000
14	कुंडा पनबिजली-परियोजना (मद्रास)	35,000
15	कोयना पनबिजली-परियोजना चरण 1 (महाराष्ट्र)	2,40,000
16	पूरना पनबिजली-परियोजना (महाराष्ट्र)	15,000
17	भद्रा पनबिजली-परियोजना (मैसूर)	33,200
18	तुंगभद्रा बायां तट बिजलीघर (मैसूर)	18,000
19	शरावती पनबिजली-परियोजना चरण 1 (मैसूर)	1,78,200
20	हीराकुड पनबिजली-परियोजना (उड़ीसा)	1,47,000
21	भाखड़ा परियोजना (पंजाब और राजस्थान)	1,64,000
22	राणा प्रतापसागर बांध-बिजलीघर (राजस्थान और मध्यप्रदेश)	1,28,000
23	रिहन्द पनबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	2,50,000
24	कानपुर तापीय बिजलीघर-विस्तार (उत्तरप्रदेश)	15,000
25	माताटीला पनबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	60,000
26	हरदुआगंज तापीय बिजलीघर (उत्तरप्रदेश)	30,000
27	यमुना पनबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	3,20,000
28	रामगंगा पनबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	1,27,500
29	जलढाका पनबिजली-परियोजना (पश्चिम-बंगाल)	18,000
30	दुर्गापुर कोक-भट्ठी-कारखाना-बिजलीघर-विस्तार (पश्चिम-बंगाल)	1,50,000
31	दिल्ली तापीय बिजलीघर-विस्तार (दिल्ली)	30,000

नए कार्यक्रम

1	कोठागुडम तापीय बिजलीघर (आन्ध्रप्रदेश)	1,20,000
2	रामगुडम तापीय बिजलीघर-विस्तार (आन्ध्रप्रदेश)	60,000
3	नागार्जुनसागर पनबिजली-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)	1,00,000
4	श्रीशैलम पनबिजली-परियोजना (आन्ध्रप्रदेश)	3,30,000
5	नहरकटिया तापीय बिजलीघर (असम)	67,200
6	उमियम पनबिजली-परियोजना चरण 2 (असम)	65,000
7	बरौनी तापीय बिजलीघर-विस्तार (बिहार)	75,000
8	पथराटू तापीय बिजलीघर-विस्तार (बिहार)	2,50 000
9	दामोदर-घाटी-निगम-क्षेत्र में तापीय विस्तार (दा० घा० नि०)	2,80,000
10	गंडक पनबिजली-परियोजना (बिहार)	15,000
11	कोसी पनबिजली-परियोजना (बिहार)	20,000
12	अहमदाबाद तापीय बिजलीघर-विस्तार (निजी क्षेत्र, गुजरात)	30,000
13	धुवरन (खम्भात) तापीय बिजलीघर (गुजरात)	2,00,000
14	चेनानी पनबिजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर)	15,000
15	झेलम पनबिजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर)	27,000
16	सलाल पनबिजली-परियोजना (जम्मू-कश्मीर)	60,000
17	शबरीगिरि (पम्बा) पनबिजली-परियोजना (केरल)	3,00,000
18	इडिक्की पनबिजली-परियोजना (केरल)	3,90,000
19	कुट्टियाडी पनबिजली-परियोजना (केरल)	45 000
20	कोरबा तापीय बिजलीघर-विस्तार (मध्यप्रदेश)	2,00 000
21	सतपुड़ा तापीय बिजलीघर (मध्यप्रदेश)	1,80,000
22.	तावा पनबिजलीघर-परियोजना (मध्यप्रदेश)	42 000
23	पुनासा पनबिजली-परियोजना (मध्यप्रदेश और गुजरात)	5 76 000
24	कुंडा पनबिजली-परियोजना (मद्रास)	2 40 000
25	मेत्तूर सुरंग पनबिजली-परियोजना (मद्रास)	1,00 000
26	पेरियार पनबिजलीघर-विस्तार (मद्रास)	35 000
27	नइवेली लिग्नाइट-बिजलीघर (मद्रास)	
28	परमबिकुलम पनबिजली-परियोजना (मद्रास)	
29	[illegible]	

39	भाखड़ा दायां तट बिजलीघर (पंजाब और राजस्थान)	2,80,000
40	उहल नदी पनबिजली-परियोजना चरण 2 (पंजाब)	40,000
41	अपर बारी-दोआब नहर-परियोजना (पंजाब)	22,000
42	व्यास-परियोजना चरण 1 (पंजाब और राजस्थान)	2,40,000
43	तापीय विस्तार (राजस्थान)	90,000
44	कोटा पनबिजली-परियोजना (राजस्थान और मध्यप्रदेश)	78,000
45	हरदुआगंज तापीय बिजलीघर-विस्तार (उत्तरप्रदेश)	30,000
46	सिंगरौली तापीय बिजलीघर (उत्तरप्रदेश)	2,50,000
47	ओबरा पनबिजली-परियोजना (उत्तरप्रदेश)	80,000
48	बंडेल तापीय बिजलीघर (पश्चिम-बंगाल)	3,00,000
49	दिल्ली तापीय बिजलीघर-विस्तार (दिल्ली और पंजाब)	1,80,000

अनुबन्ध 9

तीसरी योजना में राज्याधिकृत प्रतिष्ठानों के द्वारा राज्यों में बिजली के विकास पर खर्च और प्राप्त होनेवाला लाभ

(पैराग्राफ 48 में उल्लिखित)

व्यय-राशि लाख रु० में			मेगावाट में लाभ: तीसरी योजना में			मेगावाट में लाभ	
चालू योजनाएं	नई योजनाएं	योग	चालू योजनाओं से	नई योजनाओं से	योग	1966-67 चौथी योजना का पहला वर्ष	1966-67 के बाद
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1,931	1,560	6,191	178 8	180	358 8	100	510
550	2,200	2,750	31	96 2	127 2	25	25
1,535	1,023	5 558	130	245	375	95	20
30	1,598	1 618	18	250	268	—	288
127	870	997	11 8	20	31 8	23	69
[illegible]	1,809	1,156	331	—	331	50	135
[illegible]	5 291	7,600	115 5	281 5	127	89	190
119	9 700	10,019	35	115	370	220	—

[illegible] शामिल नहीं है।

[illegible] शामिल नहीं है।

[illegible] शामिल नहीं है।

अनुबन्ध 9—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9 महाराष्ट्र†	1,674	6,450	8,124	255	405	660	120	—
10 मैसूर	3,070	3,897	6,967	236 6	356 4	593	178	735
11 उड़ीसा	657	3,805	4,462	147	180	327	60	240
12. पंजाब	718	6,046	6,764	139 4	363	502 4	22	1,240
13 राजस्थान	765	2,735	3,500	103 1	153 5	256.6	39	—
14 उत्तरप्रदेश	4,640	6,196	10,836	415	230	645	50	171.5
15 पश्चिम-बंगाल	1,367	2,340@	3,707@	168	300	468	—	9
16 दामोदर-घाटी-निगम‡	2,974	3,039	6,013	280	140	420	140	—
योग	25,365	67,430	92,795	2,631 2	3,535 6	6,166 8	1,211 2	4,432 5
केन्द्रशासित प्रदेश								
1. दिल्ली	300	1,490	1,790	30	135	165	—	—
2 हिमाचलप्रदेश	78	119	197	—	'2	2	—	—
3 त्रिपुरा	1 87	71.13	73	—	0.5	0 5	—	—
4 मणिपुर	5.5	101.04	106 58	—	2 8	2 8	—	—
5. पाण्डिचेरी	3 1	65.47	68.57	—	—	—	—	—
6. अण्डमान और निकोबार-द्वीपसमूह	4 25	10 1	14 35	—	—	—	—	—
7 लक्कादीवी, मिनिकाय और अमीनदीवी-द्वीपसमूह	1.5	3 76	5 20	—	—	—	—	—

8 उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण	16 57	43 43	60	1	1 5	2 5	—	
9 नागा-पहाड़ी और त्वेन्साग-क्षेत्र	9 5	20 5	30	0 5	0 5	1	—	—
केन्द्रशासित प्रदेश का योग	420 29	1,924 47	2,344 76	31 5	142 3	173 8	—	—
सर्वयोग	25,785 29	69,354 47	95,139 76	2,662 7	3,677 9	6,310 6	1,211 2	4,432.5

: म्यैडिक बिजलीघर पर व्यय और उसका लाभ शामिल नहीं है ।

† इसमें दामोदर-घाटी-निगम का खर्च और लाभ शामिल नहीं है ।

@ यह अस्थायी है और साधन बढ़ने पर इसका पुनर्निर्धारण हो सकता है । इस वृद्धि का अनुमान 43 करोड़ रु० है । राज्य-सरकार अध्याय 6—वित्तीय साधन में दिखाए गए 90 करोड़ रु० के अतिरिक्त उक्त रकम प्राप्त करने की आशा करती है ।

‡ केन्द्र का हिस्सा शामिल है ।

टिप्पणी . संयुक्त परियोजनाओं में राज्यों का हिस्सा अलग-अलग राज्य को मिलनेवाले लाभ के साथ दिखाया गया है ।

परिशिष्ट 10

बिजली-उपयोग का स्वरूप—अखिल भारत 1951-61

(खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन सहित)

(पैराग्राफ 57 में उल्लिखित)

उपयोग का वर्ग	1951		1952		1953		1954	
	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत
1 घरेलू (रोशनी तथा पंखा और छोटी शक्ति)	595 005	7 9	628 882	7 9	690 516	8	759 169	7 9
2 व्यापारिक प्रकाश तथा छोटी शक्ति	131 533	1 1	136 628	1 2	199 107	1 6	116 156	1 6
3 औद्योगिक शक्ति	1,609 751	61 1	7,908 222	61 1	5,411 388	62 3	6,002 887	62 9
4 परिवहन	329 591	1 1	321 75	4 1	358 317	1 1	378 411	3 9
5 सार्वजनिक प्रकाश	67 917	0 9	73 912	0 9	81 145	0 9	91 938	1
6 सिंचाई	203 018	2 7	215 192	2 7	211 138	2 5	231 373	2 5
7 सार्वजनिक जल-व्यवस्था और मल-निकासी के लिए पम्प	211 583	2 8	219 761	2 7	210 371	2 8	267 471	2 8
8 सहायक कार्यों में उपयोग, संचरण में व्यय, आदि (खुद बिजली पैदा करने-वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन के 5 प्रतिशत सहित†)	1,165 537	15 5	1,296 544	16 1	1,285 811	14 8	1,397 008	11 1
9 कुल उत्पादन‡	7,513 971	100	8,003 921	100	6,681 096	100	9,576 413	100

†निश्चित आंकड़ों के अभाव में खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन का 5 प्रतिशत नुकसान मान लिया गया है।

‡खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बिजली-उत्पादन सहित।

अनुबन्ध 10—जारी

उपयोग का वर्ग	1955		1956		1957-58	
	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत	10 लाख किलोवाट-घंटे	कुल का प्रतिशत
1 घरेलू या रिहायशी प्रकाश तथा अल्प शक्ति	850.426	7 9	934 122	7 9	1,094 564	8
2 व्यावसायिक प्रकाश तथा अल्प शक्ति	514 423	4 8	544 853	4 6	611 512	4 5
3 औद्योगिक शक्ति†	6,757 063	62 6	7,403 858	62 5	8,362 737	61 3
4 परिवहन	403 302	3 7	404 925	3 4	421 894	3.1
5 सार्वजनिक प्रकाश	105 631	1	117 767	1	141 402	1
6 सिंचाई	254 803	2 4	316 178	2 7	565 817	4 1
7 सार्वजनिक जल-व्यवस्था और मल-निकासी के लिए पम्प	284 637	2 6	317 076	2 7	365 649	2 7
8 सहायक कामों में उपयोग, सचरण में व्यय, आदि (खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन के 5 प्रतिशत सहित)	1,606 981	15	1,831 863	15 2	2,093 857	15 3
9 कुल उत्पादन‡	10,777.266	100	11,871 642	100	13,657 432	100

† निश्चित आंकड़ों के अभाव में खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन का 5 प्रतिशत नुकसान मान लिया गया है।
‡ खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बिजली-उत्पादन सहित।

अनुबन्ध 10—जारी

उपयोग का वर्ग	1958-59 10 लाख किलोवाट-घंटे	1958-59 कुल का प्रतिशत	1959-60 10 लाख किलोवाट-घंटे	1959-60 कुल का प्रतिशत	1960-61 10 लाख किलोवाट-घंटे	1960-61 कुल का प्रतिशत
1 घरेलू या रिहायशी प्रकाश तथा अल्प शक्ति	1,238 014	8	1,368 884	7 7	1,492	7 5
2 व्यावसायिक प्रकाश तथा अल्प शक्ति	682 818	4 5	758 988	4 3	870	4 4
3 औद्योगिक शक्ति†	9,488 486	61 5	11,015 071	62	12,313 5	62
4 परिवहन	411 649	2 9	440 594	2 5	449	2 3
5 सार्वजनिक प्रकाश	156 066	1	175 42	1	192	1
6 सिंचाई	583.482	3 8	727 026	4 1	836	1 2
7 सार्वजनिक जल-व्यवस्था और मल-निकासी के लिए पम्प	392 617	2 6	430 845	2 4	455	2 3
8 सहायक कामों में उपयोग, संचरण में व्यय, आदि (खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन के 5 प्रतिशत सहित)	2,431.507	15.7	2,835 547	16	3,242.5	16 3
9 कुल उत्पादन‡	15,414 569	100	17,752 378	100	19,850	100

† निश्चित आंकड़ों के अभाव में बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन का 5 प्रतिशत नुकसान मान लिया गया है।

‡ खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बिजली-उत्पादन सहित।

अनुबन्ध 11

पहली और दूसरी योजना में बिजली-उपयोग का वर्गवार विकास

(खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों का भी उत्पादन शामिल है)

(पैराग्राफ 57 में उल्लिखित)

उपयोग का वर्ग	1950* 10 लाख किलो-वाट-घंटे	1955* 10 लाख किलो-वाट-घंटे	1950 के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि (पहली योजना)	1960-61† (अनुमानित) 10 लाख किलो-वाट-घंटे	1955 के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि (दूसरी योजना)
1. घरेलू या रिहायशी प्रकाश तथा अल्प शक्ति	524.6	850 4	62	1,492	75 5
2. व्यावसायिक प्रकाश तथा अल्प शक्ति	308 8	514 1	65 5	870	69 3
3. औद्योगिक शक्ति‡	3,983 6	6,757 1	92 5	12,313 5	82 5
4. परिवहन	308 4	403 3	30 8	449	11 3
5. सार्वजनिक प्रकाश	60 3	105 6	75	192	82
6. सिंचाई	161 7	254 8	57 6	836	228
7. सार्वजनिक जल-व्यवस्था और मल-निकासी के लिए पम्प	189 1	281 6	50 5	155	60
8. सहायक कार्यों में उपयोग, संचरण में व्यय, आदि (खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन के 5 प्रतिशत सहित)	1,038	1,607	55	3,242 5	102
9. कुल उत्पादन	6,574.5	10,777 2	64	19,850	81 3

* कैलेंडर-वर्ष के आंकड़े।

† अप्रैल 1960 से 31 मार्च 1961 तक के आंकड़े।

‡ खुद बिजली पैदा करनेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन का 95 प्रतिशत मिला कर, क्योंकि निश्चित आंकड़ों के अभाव में 5 प्रतिशत को उत्पादन के दौरान हुआ नुकसान मान लिया गया है।

अध्याय 25

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

(1)

योजनाबद्ध विकास में भूमिका

ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो ने पहली और दूसरी योजनाओ की अवधि में रोजगारी के विस्तार, उत्पादन में वृद्धि और अधिक समान वितरण के लक्ष्यो की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तीसरी योजना में जिस बडे पैमाने पर काम होना है, उससे उनके कार्य का महत्त्व और भी अधिक बढ जाएगा। इन उद्योगो के कार्यक्रमो के लक्ष्य, जिन्हें सन् 1956 के औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव तथा दूसरी योजना में स्पष्ट किया गया था, इस प्रकार है अपेक्षाकृत कम पूजी से अधिक बडे पैमाने पर शीघ्र और स्थायी रोजगार प्रदान करना; उपभोक्ता-वस्तुओ और साधारण उत्पादक वस्तुओ की बढती हुई माग को काफी हद तक पूरा करना, पूजी और दक्ष व्यक्तियो (जिनका अन्यथा पूरा-पूरा उपयोग न होना सम्भव है) के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितिया तैयार करना, और इन उद्योगो के विकास को एक ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ और दूसरी ओर बडे उद्योगो के साथ समन्वित करना। इसके साथ ही ये उद्योग इस प्रकार के भी उपाय प्रस्तुत करते है कि राष्ट्रीय आय का अधिक समान रूप से वितरण हो तथा कुछ उन समस्याओ को भी पैदा होने से रोका जा सके, जो शहरो के योजनाहीन विकास से उत्पन्न हो सकती है। तकनीक और सगठन में सुधार होने पर इन उद्योगो की, अर्थव्यवस्था के सुधारु और विकासशील विकेन्द्रित क्षेत्र के रूप में, उन्नति की अच्छी सम्भावनाए है। इनसे सारे देश में लोगो को काम मिल सकेगा और उन्हें आय होगी। इसलिए इस क्षेत्र में आयोजन का एक मुख्य लक्ष्य परिष्कृत तकनीक अपनाने और सगठन के अधिक सक्षम रूप ग्रहण करने में सहायता प्रदान करना है, ताकि सामान्य आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप जो बुनियादी सुविधाए और सेवाए उपलब्ध है, उनका पूरा लाभ उठाया जा सके और एक अवधि के बाद यह सारा क्षेत्र आत्मनिर्भर तथा आत्मचालित बन सके। इसके साथ ही तकनीकी परिवर्तन की गति को इस प्रकार नियमित किया जाए कि बडे पैमाने पर होनेवाली बेकारी और उससे लाखो लोगो को होनेवाली कठिनाई और कष्टो को दूर किया जा सके।

2 पिछली दशाब्दी में एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा यह मिली कि जिन किन्ही छोटे उद्योगो ने, जिनमें ग्रामोद्योग भी है, सुधरी हुई तकनीकें नही अपनाई या सहकारिता के आधार पर मात्रा और संगठन-सम्बन्धी मितव्ययिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नही की, उनका उत्पादन-व्यय अपेक्षाकृत अधिक रहा। साथ ही, न बिके माल के जमा होने, उत्पादन में कमी आने और बेकारी की समस्याए पैदा हो गई। ये समस्याए कुछ परम्परागत उद्योगो में भी आई है। गतिशील अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलनेवाली स्थितियो से निरन्तर अनुकूलता स्थापित करना तथा नई तकनीको, तरीको और सगठन के रूपो को स्वीकार करना विभिन्न ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो की स्थिरता और विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। गत 10 वर्षो में इन उद्योगो को सहायता देने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए तथा ऋण, आर्थिक सहायता, तकनीकी और

हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी परामर्श के द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्बल प्रदान किया गया। कुछ उद्योगों में उत्पादन का क्षेत्र निश्चित करके भी मदद पहुंचाई गई। दूसरी योजना के उत्तरार्द्ध में आयात-प्रतिबन्धों के अधिक कड़ा कर दिए जाने के कारण कुछ छोटे उद्योगों की हाट-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इन प्रतिबन्धों की आवश्यकता अनिश्चित काल तक के लिए बनी नही रह सकती। साथ ही, देश के एक बड़े भाग में बिजली की व्यवस्था होने, संचार और परिवहन के साधनों में सुधार होने, नवीनतम मशीनों और तकनीकों का प्रयोग होने तथा विज्ञान और टेक्नोलाजी की प्रगति से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था रूपान्तरित हो रही है। इसलिए ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों की समस्याओं पर निरन्तर विचार होना चाहिए तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनिवार्य और स्थायी तत्त्व के रूप में विकेन्द्रित उद्योग की प्रगति की पूरी सम्भावनाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

3 पहली और दूसरी योजना में विभिन्न लघु उद्योगों की, जिनमें हथकरघा, खादी, ग्रामोद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, हस्तशिल्प, रेशम के कीड़े पालने का उद्योग और नारियल-जटा-उद्योग भी शामिल हैं, प्रगति की एक कार्यकारी दल ने और एक समिति ने दूसरी योजना के मध्य-काल में समीक्षा की। एक विशेष अध्ययन-दल ने 6 वर्ष पूर्व सामुदायिक विकास-खंडों में चालू की गई 25 औद्योगिक मार्गदर्शक परियोजनाओं के कार्य का विवेचन किया। कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन ने भी चुने हुए सामुदायिक विकास-खंडों में ग्रामीण उद्योगों का अध्ययन किया। इन अध्ययनों के अनन्तर जो आंकड़े प्राप्त हुए तथा जो परिणाम निकले, वे तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम बनाने में बड़े मूल्यवान सिद्ध हुए हैं। प्रथम दो योजनाओं की अवधि में इन उद्योगों की प्रगति की संक्षिप्त झांकी आगे प्रस्तुत की जा रही है।

(2)

में उद्योग-विस्तार-अधिकारियो की व्यवस्था कर दी गई। कार्यक्रमो मे तालमेल बनाए रखने के लिए केन्द्र में छोटे उद्योगो के लिए एक समन्वय-समिति गठित की गई, जिसमें सम्बद्ध मन्त्रालयो के प्रतिनिधि और अखिल भारतीय मडलो तथा खादी और ग्रामोद्योग-आयोग के अध्यक्ष रखे गए। अधिकाश राज्यो में भी समन्वय-समितिया गठित की गई।

5 पहली योजना के विकास-कार्यक्रमो की एक विशेषता इन उद्योगो को विभिन्न प्रकार से—ऋण, प्रशिक्षण-सुविधाए, तकनीकी परामर्श, आसान शर्तो पर सुधरे हुए औजारो और उपकरणो की आपूर्ति तथा बिक्री-केन्द्रो की स्थापना आदि के रूप में—सहायता देने की व्यवस्था थी। दूसरी योजना में इन सभी प्रयोजनो के लिए सहायता का स्तर बहुत बढा दिया गया। इस मद में सम्भावित व्यय 180 करोड़ रु० से थोडा कम आका गया, जबकि पहली योजना में यह राशि केवल 43 करोड रु० थी। अनेक नए कार्यक्रम भी तैयार किए गए। कारखानो को स्थान देने के लिए लगभग 60 औद्योगिक बस्तिया स्थापित की गई। छोटे पैमाने के उद्योगो के विस्तार के लिए अनेक सामान्य सुविधाए दी गई। खादी और ग्रामोद्योग-आयोग ने बडे पैमाने पर अम्बर चर्खे के निर्माण एव वितरण का कार्य हाथ में लिया। सहकारी हथकरघा-बुनकर-समितियो को बिजली-चालित करघे लगाने के लिए सहायता देने का एक कार्यक्रम भी लागू किया गया। सहायता के इन विभिन्न कार्यक्रमो के अतिरिक्त कुछ उद्योगो के उत्पादनो के लिए अच्छे बाजारो की व्यवस्था के क्षेत्र में भी कदम उठाए गए। कपडे की कुछ विशेष किस्मो का उत्पादन केवल हथकरघा-उद्योग के लिए तथा कृषि के कुछ खास प्रकार के उपकरणो का निर्माण केवल छोटे पैमाने के उद्योगो के लिए निश्चित कर दिया गया। यह निश्चय किया गया कि कुछ बडे पैमाने के उद्योगो में—यथा, वनस्पति-तेल, धान की मिलो, चमडे के जूते और दियासलाई के कारखानो में—जहा उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह से उपयोग भी नहीं हो रहा था, और अधिक विस्तार की अनुमति न दी जाए। बाइसिकल और सिलाई की मशीन-जैसे कुछ उद्योगो के छोटे और बडे पैमाने के क्षेत्रो में उत्पादन के लक्ष्य निश्चित कर दिए गए।

6 अनेक उद्योगो में—विशेषत छोटे पैमाने के उद्योगो और हस्तशिल्प-उद्योगो में—व्यक्तिगत कारीगरो और नए सचालको को सहायता दी जानी थी, क्योंकि कारीगरो के अनेक सगठन क्षेत्रीय स्तर पर विकसित नही हुए थे। परन्तु हथकरघा और नारियल-जटा-उद्योग में सहायता सहकारी समितियो के माध्यम से तथा खादी और ग्रामोद्योग में अधिकाशत-पजीकृत सस्थाओ के जरिए दी गई। पहली योजना में लघु उद्योगो और ग्रामोद्योगो के विकास के लिए एक साधन के रूप में औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित करने पर काफी बल दिया गया था। औद्योगिक सहकारी समितियो की सख्या, जो सन 1951 में 7,105 थी, सन् 1956 में बढ कर 15,300 हो गई। हथकरघा-उद्योग में 8,000 सहकारी समितिया थी; दूसरा स्थान ताड़-गुड-समितियो का था और उसके बाद क्रमश खाल कमानेवाले तथा चमडे की चीजें बनानेवाले कर्मचारियों, हल्के इजीनियरी सामान-समेत छोटे पैमाने के उद्योगो तथा रेशम-उद्योग की सहकारी समितियो का स्थान आता था। सन् 1959-60 तक औद्योगिक सहकारी समितियो की सख्या बढ कर 29,000 हो गई। इनमें लगभग हथकरघा-बुनकरो की लगभग 11,200 समितिया भी शामिल थी। फिर भी, ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो का एक बहुत छोटा हिस्सा ही औद्योगिक सहकारिता की परधि में आता था। सन् 1958 में एक विशेष कार्यकारी दल ने औद्योगिक सहकारी समितियो को द्रुत गति में

बाधा डालनेवाली कठिनाइयो पर विचार किया तथा उनके विकास को गति देने के लिए कुछ उपाय सुझाए। कार्यकारी दल के प्रस्तावो पर कार्रवाई की जा रही है।

7 प्रशासनिक और सगठनमूलक व्यवस्था को सुदृढ करने, एव सहायता-कार्यक्रम के विस्तार के साथ कुछ उद्योगो के लिए अच्छे बाजार प्रदान करने से ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो के विकास के लिए बडी अनुकूल स्थितिया तैयार हो गई है। प्रत्येक उद्योग ने गत 10 वर्षो में कितनी उन्नति की है, पूर्ण एव विश्वसनीय आकडो के अभाव मे इसका विस्तृत विवरण देना तो सम्भव नही है, फिर भी इतना निश्चित है कि अनेक उद्योगो में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

8 इस समय जो सूचनाए उपलब्ध है, उनके अनुसार हथकरघा-वस्त्रो का उत्पादन, जो सन् 1950-51 में 74 करोड 20 लाख गज था, सन् 1960-61 में बढकर 1 अरब 90 करोड गज हो गया। इस उद्योग में लगभग 30 लाख बुनकरो को पहले से अधिक रोजगार दिया गया और विगत 3 वर्षो में प्रति वर्ष औसत रूप से 3 करोड 60 लाख गज हथकरघा वस्त्र का, जिसका मूल्य 5 करोड रु० से भी अधिक ठहरता है, निर्यात किया गया। सहकारिता की परधि में आनेवाले करघो की सख्या सन् 1953 में 7 लाख से कुछ कम से बढ कर सन् 1960 के मध्य लगभग 13 लाख हो गई। परम्परागत खादी (सूती, रेशमी और ऊनी) का भी उत्पादन, जो सन् 1950-51 में 70 लाख गज था, सन् 1960-61 में बढ कर 4 करोड 80 लाख गज हो गया। 1 4 लाख बुनकरो और बढइयो को पूरे समय का रोजगार मिलने के अतिरिक्त 11 लाख कताई करनेवालो को भी अधिकाशत अशकालिक काम मिला। अम्बर-खादी (अम्बर चर्खे और सादे चर्खे मे उत्पन्न सूतो को मिला कर बनाया गया कपडा) का उत्पादन सन् 1956-57 में 19 लाख गज था, जो सन् 1960-61 में बढ कर लगभग 2 करोड 60 लाख गज हो गया। इस कार्यक्रम से 51,000 बुनकरो और अन्य व्यक्तियो को पूरे समय का काम मिलने के अलावा 3 लाख कातनेवालो को अधिकाशत अशकालिक रोजगार मिला।

9 ग्रामोद्योगो की प्रगति के बारे में जो सूचनाए उपलब्ध हुई है, वे केवल पजीकृत सस्थाओ, सहकारी समितियो और ऐसे केन्द्रो के बारे में है, जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग-आयोग से सहायता मिली है। दूसरी योजना की अवधि में विभिन्न कार्यक्रमो के लिए 18 करोड से कुछ अधिक रुपये वितरित किए गए। इस सहायता का अधिकाश भाग अनाजो और दालो के विधायन, तेलहनो की पेराई, खाल कमाने और चमडा तैयार करने, ताड-गुड, अखाद्य तेलो और साबुन, दियासलाई, हाथ के बने कागज, गुड और खाडसारी, मधुमक्खी-पालन, मिट्टी का बर्तन-उद्योग, आदि के लिए सुधरे हुए उपकरणो की आपूर्ति, प्रशिक्षण तथा हाट-व्यवस्था की सुविधाओ के रूप में दिया गया। वितरित धन-राशि का एक बडा भाग दूसरी योजना के प्राथमिक वर्षो में अप्रयुक्त ही रहा। ग्रामोद्योग-सम्बन्धी मूल्याकन-समिति ने, जिसने दूसरी योजना के लगभग मध्य-काल में खादी और ग्रामोद्योग-आयोग की सहायता से चलनेवाले कुछ उत्पादन-केन्द्रो की स्थिति की समीक्षा की थी, यह मत प्रकट किया था कि इनके उत्पादन और नियोजन-विषयक परिणाम इन पर किए गए खर्च के अनुकूल नही है। परन्तु इसके बाद से इन केन्द्रो के कार्यसचालन और प्रदत्त धन के उपयोग में पर्याप्त सुधार हुआ है। दूसरी योजना के ग्रामोद्योग-सम्बन्धी कार्यक्रमो में गावो के लगभग 5 लाख कारीगरो और अर्द्धरोजगार-प्राप्त महिला श्रमिको को आशिक सहायता देने के लिए व्यवस्था थी।

इनसे ऐसे अनुभव भी मिले हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के भावी स्वरूप के निश्चय में बड़े उपयोगी साबित होंगे।

10 रेशम के कीड़े पालने के उद्योग से सम्बन्धित कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य शहतूत की खेती के तरीकों और रेशम-कीट-बीजों की किस्म में सुधार करना, कातने और लपेटने के परिष्कृत उपकरण उपलब्ध करना और अनुसन्धान-कार्यों को संगठित करना है। ब्रह्मपुर-स्थित केन्द्रीय रेशम-कीट-पालन-अनुसन्धान-संस्था तथा कलिम्पोंग-स्थित उसके उपकेन्द्र का विस्तार किया गया और मैसूर में एक प्रशिक्षण-संस्था की तथा श्रीनगर में एक रेशम-कीट-बीज-केन्द्र की स्थापना की गई। कच्चे रेशम का उत्पादन, जो सन् 1951 में 25 लाख पौंड था, सन् 1960 में बढ़ कर 36 लाख पौंड हो गया। दूसरी योजना के अन्त में हिसाब लगाया गया कि इस उद्योग में 35 हजार व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार मिलने के अतिरिक्त 27 लाख व्यक्तियों को अंशकालिक रोजगार मिला। प्रति एकड़ शहतूत का कम उत्पादन, कोयों से कम रेशम की प्राप्ति, आदि के कारण उत्पादन-व्यय की अधिकता इस उद्योग की प्रमुख समस्या बनी रही।

11 नारियल-जटा-उद्योग में सामान्यतः मन्द प्रगति हुई। नारियल-जटा-सहकारी समितियों की संगठन-सम्बन्धी त्रुटियों, कताई के लिए निम्न कोटि के उपकरणों का प्रयोग होने के कारण जटा के रेशों की घटिया किस्म और विदेशी बाजारों में पूरक माल से प्रतियोगिता आदि के कारण ही तीव्र प्रगति न हो सकी। सन् 1957-58 में जटा-रेशे और उनसे निर्मित माल के निर्यात को बड़ा धक्का लगा। इसके बाद इसमें कुछ सुधार तो हुआ परन्तु पहली योजना के अन्त के स्तर तक नहीं पहुंचा जा सका। अनुमान है कि इस समय इस उद्योग में 8 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

12 दूसरी योजना में हस्तशिल्प के कार्यक्रमों को बढ़ाया गया, इनमें 4 प्रादेशिक डिजाइन-केन्द्रों और अनेक प्रदर्शन एवं बिक्री-केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है। इनके अतिरिक्त, कुछ विशिष्ट हस्तशिल्पों—यथा, हाथी-दांत और शंख के सामान, बिदरी के सजावटी बर्तनों और खिलौनों, वस्त्र के सामान, कागज की लुगदी के सामान, आदि—के प्रशिक्षण एवं उत्पादन के भी केन्द्र खोले गए। हस्तशिल्प के सामान की घरेलू खपत और निर्यात, दोनों में वृद्धि हुई है। 100 से भी अधिक प्रदर्शन और बिक्री-केन्द्र खोले गए तथा इनमें होनेवाली बिक्री की वार्षिक राशि पहली योजना के अन्त के 1 करोड़ रु० से बढ़ कर सन् 1959-60 में 2 50 करोड़ रु० हो गई। अनुमान है कि दूसरी योजना के अन्तिम तीन वर्षों में प्रति वर्ष औसत रूप से 6 करोड़ रु० का हस्तशिल्प का सामान, जिसमें गलीचे भी शामिल हैं, विदेशों को भेजा गया। कुशल कारीगरों को स्थायी और पूरे समय के रोजगार उपलब्ध करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की गईं, फलतः उनकी कमाई में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। परन्तु तकनीकी कर्मचारियों और कुछ विशेष प्रकार के बुनियादी कच्चे माल की कमी तथा कारीगरों को ऋण देने के क्रम में उठनेवाली कठिनाइयों के कारण प्रगति के मार्ग में कुछ रुकावटें आईं।

13 विगत 5 वर्षों में छोटे पैमाने के उद्योगों में बहुत अच्छी प्रगति हुई। कुछ बुनियादी कच्चे माल की कमी के बावजूद अनेक छोटे उद्योगों में—मुख्यतः मशीनी औजारों, सिलाई की मशीनों बिजली के पंखों और मोटरों, साइकिलों निर्माण-जन्य सामग्रियों और हाथ के औजारों के क्षेत्र में—उत्पादन में प्रति वर्ष 25 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

आयात-प्रतिबन्धो का भी इनमें से कुछ उद्योगो की प्रगति पर प्रभाव पड़ा । 5 लाख रु० से कम की अधिकृत पूंजीवाली पजीकृत कम्पनियो की सख्या, जो विधायन और निर्माण के कार्य मे लगी है, सन् 1957-61 की अवधि में बढ कर 1,160 हो गई । औद्योगिक बस्तियो के कार्यक्रम में भी पर्याप्त प्रगति हुई । सन् 1960-61 तक 60 औद्योगिक बस्तियो का कार्य पूरा हो गया । इनमें से 52 बस्तियो में, जिनमे 1,035 कारखानो के लिए शेड पडे है तथा 13,000 कर्मचारी नियुक्त है, काम भी आरम्भ हो गया है । अनुमान है कि छोटे पैमाने के उद्योगो में 3 लाख व्यक्तियो को पूरे समय का रोजगार मिला है ।

(3)

तीसरी योजना का दृष्टिकोण

14 तीसरी योजना में ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो के कार्यक्रमो पर अमल करते समय निम्नलिखित लक्ष्यो को सामने रखना होगा

(1) कर्मचारी की उत्पादकता बढाना और सहायता के ठोस रूपो—यथा, दक्षता मे वृद्धि, तकनीकी परामर्श, अच्छे उपकरण और ऋण, आदि—पर अपेक्षाकृत अधिक बल देकर उत्पादन-व्यय में कमी लाना ,

(2) सहायता-अनुदानो, बिक्री पर छूट और सरक्षित बाजारो में क्रमश कमी करना,

(3) गावो और छोटे कस्बो में उद्योगो के विकास को बढावा देना ,

(4) छोटे पैमाने के उद्योगो को बडे उद्योगो के सहायक के रूप में विकसित करना, और

(5) कारीगरो और शिल्पियो को सहकारी आधार पर सगठित करना ।

इन उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए जो नीतिया और उपाय सुझाए गए है, उनका विवरण नीचे दिया गया है

15 दक्षता और उत्पादकता में सुधार . तीसरी योजना में ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबन्ध-सम्बन्धी कर्मचारियो की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओ को पर्याप्त रूप से बढाया जाएगा । इस सम्बन्ध मे कारीगरो और इजीनियरो को प्रशिक्षण देने के लिए जो व्यवस्थाए की गई है, उन पर तकनीकी शिक्षा-सम्बन्धी अध्याय में प्रकाश डाला गया है । ग्रामीण कारीगरो के लिए चुने हुए क्षेत्रों में केन्द्रीय सस्थाए स्थापित करने की एक योजना बनाई गई है । ये सस्थाए कुछ ग्रामो के समूहो के लिए सम्बद्ध पेशो—लोहारगीरी, बढईगीरी, आदि—के लिए पाठ्यक्रमो का आयोजन करेगी । ये पाठ्यक्रम एक वर्ष या इससे कुछ अधिक समय के लिए इस बात को ध्यान में रख कर चलाए जाएगे कि कारीगर कृषि-सम्बन्धी उपकरणो और भारी कृषि-मशीनो के हिस्सो के रख-रखाव और मरम्मत का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । ये सस्थाए, जहा यही आवश्यकता होगी, पूर्व-स्थापित उत्पादन सह-प्रशिक्षण-केन्द्रो का स्थान ग्रहण करेगी । इसके अतिरिक्त , राज्य-सरकारो-द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में भ्रमणकारी प्रदर्शनो और प्रशिक्षण-दलो का आयोजन करके प्रशिक्षण की सुविधाए उपलब्ध की जाएगी । इन आम प्रशिक्षण-कार्यक्रमो के अलावा खादी, ग्रामोद्योगो और हस्तशिल्पो के लिए विशेष प्रशिक्षण-कार्यक्रम इन उद्योगो के विकास-कार्यक्रमो के अग-रूप में हाथ में लिए जाएगे । औद्योगिक विस्तार की

तकनीकों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय संस्था भी स्थापित की जाएगी।

16 ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के सभी कार्यक्रमों में सुधरे हुए औजारों और उपकरणों के प्रयोग पर भी बल दिया गया है। दूसरी योजना की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए किस्तों पर खरीद के आधार पर मशीन-आपूर्ति की योजना लागू की गई थी। इसको तीसरी योजना में भी बढ़ाने का इरादा है, ताकि छोटे उद्योगपतियों और सहकारी समितियों को बड़ी संख्या में मशीनें दी जा सकें। हथकरघा-क्षेत्र में 'टेक अप मोशन अटैचमेंट' और अर्द्धस्वचालित करघे चालू करने तथा दूसरी योजना के आरम्भ में आरम्भ किए गए सहकारिता के आधार पर हथकरघों को बिजलीचालित करघों में बदलने के कार्यक्रम को भी जारी रखने की व्यवस्था है। खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में अम्बर चर्खा, तेलघानियां, हाथ से धान कूटने के उपकरणों तथा अन्य ग्रामोद्योगों में अनुसन्धान और परीक्षण जारी रहेंगे। नारियल-जटा-उद्योग में, मार्गदर्शक कार्यक्रम के आधार पर सुधरे हुए जटा-कताई-उपकरण लागू करने के लिए इस प्रकार के उपकरण बड़े पैमाने पर तैयार करने का प्रस्ताव है। रेशम-कीट-पालन-उद्योग में, एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लपेटने के लिए ग्राम चर्खों के प्रयोग के बदले 'काटेज बेसिन' के प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। इसी प्रकार हस्तशिल्प में भी सुधरे हुए उपकरणों तथा औजारों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा और सहायता प्रदान की जाएगी।

17 विभिन्न उद्योगों में काम करनेवाले कारीगरों और शिल्पियों को तकनीकी परामर्श देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयत्न किए जाएंगे। छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में लघु उद्योग-सेवा-संस्थाओं, विस्तार-केन्द्रों और खण्ड-स्तर पर विस्तार-अधिकारियों (उद्योग) के माध्यम से औद्योगिक विस्तार-सेवा का निर्माण किया गया। खादी और ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में भी इस प्रकार का परामर्श पंजीकृत संस्थाओं और केन्द्रों के तकनीकी अधिकारियों तथा खंडों में विस्तार-अधिकारियों के जरिए उपलब्ध किया जाता है। फिर भी, प्रत्येक कारीगर और शिल्पी को उसकी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी सहायता और परामर्श देने के लिए अभी बहुत-कुछ किया जाना शेष है तथा तीसरी योजना में इस दिशा में और जोरदार प्रयत्नों की आवश्यकता है।

18 सुधरे हुए औजारों और उपकरणों, निर्माण की प्रक्रियाओं एवं डिजाइन, आदि के विकास के लिए अनुसन्धान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर वैज्ञानिक और टेकनोलाजी-विषयक अनुसन्धान के अध्याय में प्रकाश डाला गया है।

19 **ऋण और वित्त** - ऋण-सुविधाओं को, जो ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों की एक अनिवार्य आवश्यकता है, तीसरी योजना में बड़े पैमाने पर संगठित किया जाएगा तथा उचित शर्तों पर न्यूनतम प्रक्रिया-सम्बन्धी विलम्ब के साथ दिया जाएगा। तीसरी योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए व्यय-राशि का निश्चय करते समय दीर्घ और मध्यमकालीन पूंजी तथा कार्य-संचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योगों को राजकीय सहायता-अधिनियमों के अन्तर्गत ऋणों के लिए अच्छी-खासी रकम की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार खादी और ग्रामोद्योग के लिए व्यय-राशि निश्चित करते समय ऋण देने के लिए अच्छी-खासी रकमें अलग रखी गई हैं। फिर भी, योजना में ऋण देने की व्यवस्था, मांग की तुलना में अनिवार्य रूप से सीमित है, अतः लक्ष्य यह होना चाहिए कि ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों

की ऋण की आवश्यकताए अधिकाधिक मात्रा में आम बैंको और वित्तीय सस्थाओ से पूरी हो जाए। इन उद्योगो के लिए ऋण की समन्वित व्यवस्था के हेतु स्टेट बैंक ऑफ इडिया-द्वारा शुरु की गई एक मार्गदर्शक योजना के अधीन जो ऋण दिए जा चुके हैं। तथा जिनके लिए स्वीकृति मिल गई है, उनकी राशि सन् 1961 के मार्च के अन्त लगभग 8 करोड रु० थी। दूसरी योजना में सस्थात्मक अभिकरणो के माध्यम से ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो को ऋण, देने के लिए तीन मुख्य कदम उठाए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इडिया केन्द्रीय सहकारी अभिकरणो को हथकरघा-उद्योग की कार्य-सचालन पूजी-सम्बन्धी माग को पूरा करने के लिए पेशगी देने की विशेष सुविधाए देता है। जुलाई 1960 में एक मार्गदर्शक ऋण-गारटी-योजना लागू की गई। इसके अधीन सरकार कुछ विशिष्ट बैंको और अन्य वित्तीय सस्थाओ के साथ, लघु उद्योगो को दिए गए ऋणो के बारे में खतरो में हिस्सा बटाती है। सन् 1960-61 के अन्त तक 2 करोड रु० के ऋणो के लिए गारटी दी गई। बैंको और सस्थामत्क अभिकरणो-द्वारा ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित सस्थाओ—जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम, आदि—को दिए गए ऋणो के लिए सरकारी गारटी के हेतु भी एक प्रस्ताव तैयार किया गया। तीसरी योजना में भी इस तरह के प्रयत्न जारी रखने का प्रस्ताव है। इस बात का निश्चय करने के लिए कि उद्योगो को राजकीय सहायता-अधिनियमो के अधीन ऋण देते समय ग्रामीण क्षेत्रो के कारीगरो की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओ की उपेक्षा नही की जाएगी, यह स्वीकार कर लिया गया है कि इन अधिनियमो के अधीन वितरित की जानेवाली राशि का एक भाग ग्रामीण क्षेत्रो के कारीगरो के लिए निश्चित रहेगा और इसी उद्देश्य के लिए इतनी ही राशि की व्यवस्था सामुदायिक विकास-खडो के बजट में होगी।

20 **सहायता-अनुदान, बिक्री पर छूट, आदि :** आशा की जाती है कि उत्तरोत्तर ठोस सहायता-कार्यक्रम के विस्तार के साथ तीसरी योजना में सहायता-अनुदानो, बिक्री पर छूट और सरक्षित बाजारो में कमी करना सम्भव हो सकेगा। आशा है कि खादी के क्षेत्र में तकनीकी सुधारो, उत्पादन-व्यय के एकीकरण और परिवहन तथा अन्य वितरण-व्ययो में मितव्ययिता के द्वारा मूल्यो में क्रमश कमी की जा सकेगी। खादी पर और विशेष रूप से रेशमी तथा ऊनी खादी पर बिक्री पर छूट के प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया जाएगा कि यथासम्भव उनको समाप्त करके उनके बदले उचित प्रबन्ध-अनुदान दिए जाए। ग्रामोद्योगो के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव रखा गया है कि वर्तमान सहायता-अनुदानो या उनके माल की बिक्री पर दी जानेवाली छूट का स्थान क्रमश प्रबन्ध-अनुदान ले लें। इसी प्रकार, हथकरघा-उद्योग में बिक्री पर छूट के बदले अधिक ठोस सहायता देने पर बल दिया जाएगा।

21 पहली और दूसरी योजनाओ में सामान्य उत्पादन-कार्यक्रम के मुख्य तत्त्वो के रूप में जिन बातो का उल्लेख किया गया है, उनमें सगठन और सहायता-सम्बन्धी ठोस कार्रवाइया, कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था और अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण, आदि में समन्वय स्थापित करना है। उद्योगो की विभिन्न शाखाओ के लिए विकास-कार्यक्रम बनाते समय इस बात का निश्चय करने के लिए कि सामाजिक एव अन्य उद्देश्यो की पृष्ठभूमि में समाज की कुल आवश्यकताओ के प्रति बडे पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र का तथा कुटीर-क्षेत्र का योगदान कितना रहे, जिस बुनियादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, उसे आसानी से प्रकट करने के लिए 'सामान्य उत्पादन-कार्यक्रम' नाम दिया गया है। कार्यक्रम के अन्य तत्व, जिनका लक्ष्य छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र की हाट-व्यवस्था के बारे में प्राथमिकता या आश्वासन

प्रदान करना है, ये हैं उत्पादन के क्षेत्र सुरक्षित करना, बड़े उद्योगों की विस्तार-क्षमता को सीमित करना, बड़े पैमाने की इकाइयों पर 'सेस' लगाना और छोटी इकाइयों को विभेदात्मक कराधान, सहायता-अनुदान, बिक्री पर छूट, आदि के द्वारा मूल्य कम रखने का लाभ प्रदान करना। इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि सामान्य उत्पादन-कार्यक्रम के सिद्धान्तों को पृथक्-पृथक् उद्योगों की समस्याओं की जाच और विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही लागू किया जाए। उदाहरण के लिए, कुछ परम्परागत उद्योगों के मामले में उनके उत्पादनों को प्राथमिकता और बाजार का आश्वासन, छोटे पैमाने के उद्योगों की तुलना में, अपेक्षाकृत कुछ दीर्घ अवधि के लिए जारी रहना चाहिए।

22 **ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में औद्योगिक विकास** : यद्यपि ग्रामोद्योग, खादी, रेशम-कीट-पालन, नारियल-जटा, आदि उद्योग तथा काफी सीमा तक हथकरघा-उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित हैं, तथापि छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास सामान्यतः शहरों या बड़े कस्बों के आस-पास ही हुआ है। चूंकि इस क्षेत्र के कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य सारे देश में व्यापक रूप से आय और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, इसलिए तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के परिपालन में अधिक जोर-इस बात पर होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे कस्बों में तथा ऐसे कम उन्नत क्षेत्रों में, जहा प्रचुर औद्योगिक सम्भावनाएं हैं, उद्योगों के अधिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाए। इस दिशा में प्रथम पग के रूप में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना होगा, जहा तीसरी योजना में अन्य क्षेत्रों में हुए विकास के परिणामस्वरूप, बिजली, बड़े पैमाने पर कृषि-सम्बन्धी कच्चा माल, परिवहन के सुधरे हुए साधन, आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ऐसे ही क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में सहायता देने के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। 'सिंचाई और बिजली' के अध्याय में लघु उद्योगों के विकास-कार्यक्रम को गावों में बिजली-विकास के कार्यक्रम के साथ जोड़ने पर बल दिया गया है। अन्य आवश्यक कदम विभिन्न प्रकार की सहायता देना होगा। यह सहायता प्रशिक्षण-सुविधाएं, ऋण, तकनीकी परामर्श, औजारों और मशीनों, आदि के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में उद्योग स्थापित करनेवालों को समन्वित रूप से दी जानी चाहिए। ग्राम-समूहों के लिए केन्द्रीय ढंग के प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित करने, ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने, सामान्य सुविधाओं से युक्त कारखाने खोलने और ग्रामीण बस्तियां बसाने के कार्यक्रमों को मूर्त रूप देते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। योजना के अधीन साधनों का अधिक अच्छा उपयोग करने के लिए इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उस जगह अधिक सहायता प्रदान की जाए, जहा परिस्थितियां अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल हों, और इस प्रकार कुछ ऐसे सफल केन्द्र स्थापित किए जाएं, जो आदर्श बन सकें और व्यापक विकास के लिए केन्द्रबिन्दु हों। इससे न केवल अपने सतत विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों में ही लघु उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, अपितु सम्बद्ध क्षेत्रों में समन्वित उद्योग के विकास में भी सहायता मिलेगी।

23 तीसरी योजना में परिकल्पित अनाजों, दालों और गन्ना तथा तेलहन-जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में विधायन-उद्योगों के विस्तार के अवसर बढ़ जाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण और सुदृढ़ बनाने तथा अधिक रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से यह वांछनीय है कि इन उद्योगों को सहकारिता के आधार पर विकेन्द्रित और छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र में अधिकतम सीमा तक विकसित किया जाए। बुनियादी सुविधाओं—यथा, बिजली, प्रशिक्षित श्रमिक और कच्चे तथा तैयार माल रखने

की सुव्यवस्था—से इन उद्योगो के सचालन को कमखर्चीला बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रो में जहा ये सुविधाए फिलहाल उपलब्ध नही हो सकती हैं, ग्रामीण कारीगरो को इस बात के लिए सहायता दी जानी चाहिए कि वे सहकारिता के आधार पर कच्चे माल की खरीद एव उसके सग्रह के लिए सगठन बनाए, परिष्कृत तकनीकें अपनाए और अपने उत्पादनो को बेचने की व्यवस्था करें।

24 **लघु उद्योगो का सहायक उद्योगों के रूप में विकास :** पहली और दूसरी योजना में इस बात के लिए प्रयत्न किए गए कि छोटे पैमाने के उद्योगो को बडे उद्योगो के सहायक-रूप में विकसित किया जाए। कुछ हद तक ऐसे उद्योग स्वत ही विकसित हो जाते हैं। एक विशेष समिति इस प्रकार के विकास को प्रोत्साहन देनेवाले विभिन्न तरीको की जाच कर रही है। दूसरी योजना में बगलौर की नई औद्योगिक बस्ती में स्थापित कुछ छोटी इकाइयो के उत्पादन को सार्वजनिक क्षेत्र की एक विशाल परियोजना—हिन्दुस्तान मशीनी औजार-कारखाना—के उत्पादन से जोडने का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिया गया। सुझाव रखा गया है कि इस प्रकार के कार्यक्रम सार्वजनिक और निजी, दोनो क्षेत्रो की कुछ अन्य परियोजनाओ में भी लागू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। योजनाबद्ध विकास के लिए यह जरूरी है कि उद्योग की प्रत्येक शाखा में समाज की आवश्यकताओ को तथा बडे पैमाने के उद्योगो की तुलना में छोटे उद्योगो के योगदान को और उत्पादन के विस्तार तथा स्तरो के विकेन्द्रीकरण की सम्भावनाओ को व्यापक रूप से ध्यान में रखा जाए। पहली और दूसरी योजना की अवधि में कुछ छोटे और कुछ बडे उद्योगो—यथा, सूती वस्त्र और कृषि-उपकरण—के उत्पादन-क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। कुछ अन्य उद्योगो—यथा, बाइसिकल, सिलाई-मशीन, स्टोरेज बैटरिया, आदि—में आवश्यकताओ का अनुमान लगाने के बाद बडे पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योगो में उत्पादन के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। बडे और छोटे उद्योगो में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक उद्योग के विभिन्न पहलुओ पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। इस समय इस पहलू से जिन उद्योगो का अध्ययन किया जा रहा है, वे हैं—कृषि-उपकरण और मशीनें, मशीन और हाथ के औजार, बाइसिकल और बाइसिकल के पुर्जे, सिलाई की मशीन और सिलाई की मशीन के पुर्जे, मोटरगाडियो और डीजल इजिन के पुर्जे, रेडियो-सेट और ऐम्प्लीफायर, खाल-कमाई और जूता-निर्माण, फल और सब्जी-सरक्षण, सूती वस्त्र-मशीनो के पुर्जे, बिजली की मोटरें और बिजली के पखे, रग और वारनिश, स्टोरेज बैटरिया, काच के वैज्ञानिक और घरेलू सामान, शल्यक्रिया और गणित के यन्त्र तथा प्लास्टिक के उत्पादन।

25 **औद्योगिक सहकारी समितिया :** हथकरघा और नारियल-जटा-जैसे उद्योगो में, जिनमें सहकारी समितियो के निर्माण में पर्याप्त प्रगति हुई है, तीसरी योजना में वर्तमान सहकारी समितियो की सगठन-सम्बन्धी और वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने तथा अधिकाधिक कर्मचारियो को सहकारिता के क्षेत्र में लाने पर बल दिया जाना चाहिए। अन्य उद्योगो में सहकारी समितिया बनाने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। इस दिशा में जो मुख्य उपाय सुझाए गए हैं, उनमें सीमित समय तक प्रबन्ध और पर्यवेक्षण-कर्मचारी-वर्ग का खर्च उठाने के लिए वित्तीय सहायता, केन्द्रीय सहकारी वित्त-अभिकरणो-द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियो से लिए जानेवाले सूद की दर के लिए सहायता-अनुदान, कर्मचारियो—विशेषत औद्योगिक सहकारी समितियो के मध्य-स्तर के कर्मचारियो—के लिए प्रशि—

की सुविधाओं का विस्तार और राज्यो के उद्योग या सहकारिता-विभागो में काम करनेवाले कर्मचारियो को, जो औद्योगिक सहकारी समितियो से व्यवहार करते हैं, सुसगठित करना शामिल है। सहकारी समितियो के कार्यक्रमो के समन्वित परिपालन की गारटी प्रदान करने के लिए केन्द्र में एक छोटा-सा केन्द्रीय सगठन भी स्थापित किया जा रहा है। कुछ चुने हुए क्षेत्रो में कतिपय शर्तो के साथ—जैसे, सहकारी आधार पर सगठित अनेक औद्योगिक इकाइयां एक जगह स्थापित हो, और साधनो का एक भाग जमा की जानेवाली राशियो से प्राप्त हो सके—अलग से औद्योगिक सहकारी बैंक स्थापित किए जा सकते हैं। छोटे पैमाने पर चलनेवाले उन उद्योगो के लिए, जहा उद्योग-सचालको और भागीदारो का ही जोर है, कच्चा माल प्राप्त करने और बेचने के लिए तथा तकनीकी ज्ञान और सूचनाओ के प्रसार, बहीखातो के रख-रखाव, आदि कार्यों के लिए औद्योगिक सघो के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

26 समन्वय की व्यवस्था यद्यपि केन्द्रीय और राज्य-स्तर पर ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगो के कार्यक्रमो के निर्माण एव परिपालन में पृष्ठपेषण या दुहरेपन से बचने का यथासम्भव प्रयत्न किया जाता है, तथापि व्यवहार में प्रदर्शन एव बिक्री-केन्द्रो, प्रदर्शनियो, प्रशिक्षण, आदि से सम्बद्ध मामलो में कुछ पृष्ठपेषण या पुनरावृत्ति हो ही जाती है। कार्यक्रम के परिपालन से सम्बद्ध विभिन्न मंडलो और अभिकरणो में समन्वय स्थापित करने के लिए नए उपाय खोजे जाने चाहिए। कार्यक्षेत्र-स्तर पर इस समन्वय की आवश्यकता का और अधिक अनुभव होता है। यह बात विशेष रूप से खादी और ग्रामोद्योगो के कार्यक्रमों पर लागू होती है, जहा राज्य-सरकारो, राज्य-खादी-मडलो, पजीकृत सस्थाओ और खड-स्तर के कर्मचारियो की कार्रवाइया बहुत अधिक समन्वित होनी चाहिए। कृषि, बिजली, परिवहन, आदि के क्षेत्र में विकास की जो दृष्टि प्रदान की गई है, उसे देखते हुए यह और भी आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगीकरण की सम्पूर्ण समस्या पर सयुक्त और सम्बद्ध रूप से विचार किया जाए। वर्तमान मडलो के लिए सदा इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना सम्भव नही भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक का अपना अलग-अलग कार्यक्षेत्र है। खादी और ग्रामोद्योग-आयोग का ग्रामीण उद्योग-कार्यक्रम अभी केवल 12 परम्परागत उद्योगो तक ही सीमित है। ग्रामीण उद्योगीकरण के व्यापक कार्यक्रम के लिए प्रत्येक क्षेत्र के विकास के विविध पहलुओ को ध्यान में रखना होगा और इस बात का आश्वासन देना भी आवश्यक होगा कि स्थानीय योजनाओ को बनाने तथा उनके परिपालन में क्षेत्रीय या खड-स्तर पर काम करनेवाली सस्थाओ और अभिकरणो का निकट सहयोग मिलेगा। यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रश्न के विविध पहलुओ की राज्य-सरकारो और मडलो से परामर्श करके जाच की जाए।

व्यय-व्यवस्था और आवटन

27. तीसरी योजना में ग्रामोद्योगो और लघु उद्योगों के कार्यक्रमो के लिए 264 करोड रु० के व्यय का प्रस्ताव किया गया है, जबकि दूसरी योजना में इस मद में अनुमानित व्यय-राशि 180 करोड रु० से कुछ कम है। इस राशि में से 141 करोड रु० राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशो के कार्यक्रमो के लिए तथा 123 करोड रु० केन्द्र और केन्द्र-द्वारा प्रणीत कार्यक्रमो और योजनाओ के लिए है। विभिन्न उद्योगो के लिए इस राशि का किस प्रकार निर्धारण किया गया है, यह अगली तालिका में प्रस्तुत है।

विभिन्न उद्योगो के लिए व्यय-व्यवस्था

(करोड रु०)

उद्योग	दूसरी योजना (अनुमानित व्यय)	तीसरी योजना की व्यय-व्यवस्था: राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश	केन्द्र	योग
हथकरघा-उद्योग ..	29 7	31	3	34
हथकरघा-क्षेत्र में बिजली-चालित करघे	-,2	—	4	4
खादी परम्परागत ..	82 4	3 4	37	92.4
अम्बर			32	
ग्रामोद्योग			20	
रेशम-कीट-पालन-उद्योग ..	3 1	5 5	1 5	7
नारियल-जटा-उद्योग ..	2	2 4	0 8	3 2
हस्तशिल्प ..	4 8	6 1	2 5	8 6
छोटे पैमाने के उद्योग .	44 4	62 6	22	84 6
औद्योगिक बस्तियां ..	11 6	30 2	—	30 2
योग ..	180*	141 2	122 8	264

इससे यह स्पष्ट है कि छोटे पैमाने के उद्योगो और औद्योगिक बस्तियो पर खर्च में पर्याप्त वृद्धि की व्यवस्था की गई है। हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योगो का व्यय-स्तर दूसरी योजना से कुछ अधिक होगा।

28 ऊपर बताई गई व्यय-व्यवस्था के अतिरिक्त सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में इन उद्योगो के विकास के लिए 20 करोड रु० की व्यवस्था है। विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास, समाज-कल्याण, और पिछडी जातियो के कार्यक्रमो में भी इस प्रयोजन के लिए कुछ व्यवस्था है। यह भी आशा है कि निजी स्रोतो से, जिनमें बैंक भी शामिल है, इस मद में 275 करोड रु० की पूजी लगाई जाएगी।

(4)
हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योग

29 तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमो को अब तक प्राप्त हुए अनुभवो और पूर्वोल्लिखित मूल्याकन-कार्यकारी दलो के निष्कर्षो तथा सुझावो के आलोक में तैयार किया गया है। खादी और ग्रामोद्योगो के क्षेत्र मे कार्यक्रम के सामान्य सिद्धान्त में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। प्रत्येक कार्यक्रम के अधीन यह आवश्यक है कि भवन-निर्माण-सम्बन्धी एव अन्य ऊपरी खर्च कम-से-कम हो।

30 हथकरघा और बिजली-चालित करघा-उद्योग : तीसरी योजना की अवधि में हथकरघा-कार्यक्रम का उद्देश्य हथकरघा-बुनकरो को पूरे समय का रोजगार देकर

*सम्भावित व्यय-परिमाण लगभग 175 करोड़ रु० है।

और सुधरी हुई तकनीकें लागू करके उत्पादन बढ़ाना है। बिक्री पर छूट—जो पहले ही 6 नए पैसे से घटा कर 5 नए पैसे कर दी गई है—और अन्य सहायता-अनुदानों के बदले क्रमश: ठोस सहायता पर बल दिया जाएगा, बुनकरों को सामान्य स्तर पर ऋण-सहायता दी जाएगी, जिसमें सहकारी समितियों में अधिक हिस्सा-पूंजी के आधार पर संस्थात्मक अभिकरणों से अधिक रुपया उधार लेना उनके लिए सम्भव हो सके। इसके साथ ही परिष्कृत उपकरणों की आपूर्ति, जिनमें अर्द्धस्वचालित करघे भी शामिल हैं, विधायन और प्रशिक्षण की सुविधाओं, सुधरे हुए डिजाइनों के प्रयोग, और सहकारी कताई-मिलों से आवश्यक सूत की अधिकाधिक खरीद को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ कमजोर सहकारी समितियों को पुन: सबल बनाने और मार्गदर्शक आधार पर निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य बुनाई-केन्द्रों के रूप में कुछ कारखाने खोलने का भी प्रस्ताव है। हथकरघा-वस्त्र का निर्यात बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। हथकरघा-कार्यक्रम का अधिकांश भाग राज्य-सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों-द्वारा पूरा किया जाएगा। जिन कार्यक्रमों को हथकरघा-मंडल स्वयं हाथ में लेगा, उनमें बम्बई, मद्रास, वाराणसी, कलकत्ता और काँचीपुरम् में पहले से स्थापित बुनकर-सेवा-केन्द्रों का विस्तार, और हथकरघा-टेक्नोलाजी तथा प्रचार-संस्थाओं का पुनर्गठन भी शामिल है।

31 बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से दूसरी योजना के आरम्भ में सहकारिता के आधार पर हथकरघों को बिजली-चालित करघों में बदलने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था। यह कल्पना की गई थी कि सन् 1956-58 के दो वर्षों में 35,000 बिजली-चालित करघे स्थापित हो जाएंगे, परन्तु इस दिशा में बड़ी मन्द प्रगति हुई और दूसरी योजना के अन्त तक स्वीकृत लगभग 13,000 हथकरघों में से केवल 3,500-4,000 ही स्थापित किए गए। शेष 9,000-9,500 करघे आगामी कुछ वर्षों में लगा दिए जाएंगे। हथकरघा-बुनकर-सहकारी समितियों से भिन्न संस्थाओं या लोगों-द्वारा बिजली-चालित करघों की स्थापना रोकने के लिए कारगर कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

32 तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए कपड़े का कुल उत्पादन-लक्ष्य 930 करोड़ गज निश्चित किया गया है। इसमें विकेन्द्रित क्षेत्र—हथकरघा, बिजली-चालित करघा और खादी-उद्योगों—का भाग 350 करोड़ गज है, जबकि सन् 1960-61 में इनका उत्पादन लगभग 235 करोड़ गज ठहरा। आशा है कि अतिरिक्त उत्पादन में अधिक हिस्सा हथकरघा-उद्योग का होगा, परन्तु इन विभिन्न विभागों के बीच अभी तक कोई निश्चित बटवारा नहीं किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में हुई प्रगति के आलोक में बीच-बीच में स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

33 खादी—परम्परागत और अम्बर : दूसरी योजना की अवधि में उच्च कुशलता और अधिक उत्पादनवाले अम्बर चरखे के प्रचलन से, यह सोचा गया था कि परम्परागत खादी कम महत्त्वपूर्ण हो जाएगी और खादी के भावी विकास में अम्बर चरखा अधिक हिस्सा बटाएगा। ये आशाएं पूरी तरह फलवती नहीं हुई। कताई करनेवालों के लिए अम्बर चरखे पर काम करना नई शुरुआत तो थी ही, परम्परागत चरखे से एकदम भिन्न भी थी। आरम्भ में जो अम्बर चरखे बनाए गए, उनमें कुछ त्रुटियां थी। उनकी मरम्मत के काम को भी माग के अनुसार सगठित नहीं किया जा सका। इन प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण अम्बर चरखे पर औसत रूप से वर्ष में 200 दिन (प्रति दिन 2 घंटे के हिसाब से) काम हुआ। औसत

उत्पादन प्रति दिन 1 8 गुडी रहा। यह परिणाम पहले की गई आशा से बहुत कम था। पहले आशा की गई थी कि अम्बर चरखे पर वर्ष मे काम के 300 दिनो में प्रति दिन 8 घटे काम किया जा सकेगा और प्रति दिन का औसत उत्पादन 8 गुडी होगा। (अम्बर चरखा जाच-समिति का अनुमान 6 गुडी का था।) ये धारणाए अपने-आप में भी वास्तविक नही थी, क्योकि हाथ से कताई का काम सामान्यत महिलाए करती है और वह भी अशकालिक काम के रूप में। फिर भी, अम्बर चरखे पर कताई करनेवालो की आय परम्परागत चरखे पर कातनेवालो की तुलना में बहुत अधिक है। अम्बर चरखे पर औसत वार्षिक आय जहा 52 रु० है, वहा परम्परागत चरखे से औसत आय केवल 35 रु० है। कुछ क्षेत्रो मे अम्बर चरखे पर कताई से होनेवाली आय बढकर 80 और 100 रु० तक हो गई है जो कि अधिकाश खेतिहर श्रमिको की औसत आय के बराबर है। अम्बर चरखे पर कातनेवालो को यह आय भी तब हुई है, जब अम्बर चरखे की प्रति गुडी का मूल्य 3 आने है, और इसके मुकाबले परम्परागत चरखे से काती गई गुडी का मूल्य 2$\frac{3}{4}$ आने है। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कपास के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद, जिसके कारण मिलो का कपडा महगा हो गया, खादी के कपडो का मूल्य बढने नही दिया गया। दूसरी ओर, अम्बर और परम्परागत खादी का उत्पादन इतना अधिक बढा कि दूसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों में कपडे का काफी बडा स्टाक इकट्ठा हो गया। उत्पादन को स्थानीय रूप से खपाने के साथ-साथ बिक्री बढाने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए।

34 तीसरी योजना में खादी का और अधिक विकास मुख्यत खादी और ग्रामोद्योग-आयोग-द्वारा बनाए गए पुनर्गठन-कार्यक्रम के आधार पर किया जाएगा। इसमें कुछ चुने हुए सम्बद्ध क्षेत्रो या ग्राम-इकाइयो में समुचित ग्राम-विकास के लिए सघन प्रयत्न पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रस्ताव है कि 3,000 ग्राम-इकाइया, जिनमें से प्रत्येक एक ग्राम या 5,000 तक की जनसख्यावाले ग्राम-समूहो का प्रतिनिधित्व करे, सगठित की जाए। इसके लिए उन्ही क्षेत्रो का चुनाव किया जाएगा, जिनमें पहले ही आयोग के सघन क्षेत्र-कार्यक्रम, या सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अधीन अब तक स्वैच्छिक सगठनो, पजीकृत सस्थाओ और सहकारी समितियो-द्वारा कुछ काम किया जा चुका है। खादी के भावी विकास-कार्यक्रम की एक अन्य विशेषता स्थानीय योजनाओ का निर्माण होगा। इनका लक्ष्य अधिकतम-सम्भव स्थानीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्थानीय कामो में उपलब्ध साधनो का अधिकतम लाभ उठाना है। ये योजनाए पजीकृत सस्थाओं, सेवा-सहकारी समितियो और ग्राम-पचायतो-द्वारा सम्पादित की जाएगी। इस प्रकार, आयोग की जिम्मेदारी केवल वित्तीय और तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण-सुविधाए देने तक सीमित रहेगी और कार्यक्रमो का निर्माण एव उनका सम्पादन राज्य-मडलो एव सस्थाओ पर तथा ग्राम-स्तर पर स्थानीय अभिकरणो पर छोड़ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास-कार्य में सलग्न अन्य अभिकरणो के साथ तालमेल रखने के बारे मे कुछ कदम उठाए भी गए है, परन्तु लोक-कार्य-क्षेत्र-जैसे कार्यक्रमो मे जनता-द्वारा भाग लेने के कार्यक्रमो के साथ समन्वय की व्यवस्था अभी पूरी नही हुई है।

35 तीसरी योजना में खादी-कार्यक्रम का लक्ष्य क्रमश शहरी बाजारो पर निर्भरता में कमी करना और स्थानीय उपयोग के लिए अधिक उत्पादन तथा कातने और बुनने की तकनीको मे सुधार करना है, जिससे उत्पादन और अर्जन में वृद्धि हो सके। खादी की किस्म में भी सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आशा की जाती है कि तीसरी योजना

की समाप्ति तक कुल उत्पादित खादी का 40-50 प्रतिशत भाग स्थानीय बाजारो में खप जाएगा और मूल्यो में भी 15 से 20 प्रतिशत तक कमी आएगी। अम्बर चरखे में भी कुछ सुधार कर दिया गया है। आशा की जाती है कि इससे उत्पादन प्रति घटा 1 गुडी से बढ कर 1 5 गुडी हो जाएगा। इन सुधारो की अभी आजमाइश हो रही है। हाथ से कते सूत और खादी की बिक्री बढाने-सम्बन्धी कार्रवाइयो का सुझाव देने के लिए भी एक समिति नियुक्त की गई है।

36 परम्परागत चरखे का महत्त्व अभी बना रहेगा, परन्तु अम्बर चरखे को लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक प्रयत्न किए जाएगे। प्रस्ताव है कि पहले से वितरित 3 5 लाख अम्बर चरखो में से 2 5 लाख का उपयोग आरम्भ कर दिया जाए और ग्राम-इकाइयो में 3 लाख नए अम्बर चरखे प्रचलित किए जाए। अम्बर चरखे की उत्पादकता को भी वर्तमान औसत 2 गुडी से बढा कर 4 गुडी करना तथा ग्राम-इकाई-केन्द्रो में काम के समय को बढाने के प्रयत्न जारी रहेंगे, ताकि तीसरी योजना की अवधि में वे औसतन वर्ष के 200 दिन 2 घटे से, जो कि दूसरी योजना का औसत था, अधिक समय तक काम करें। जैसा कि पहले बताया गया है, विकेन्द्रित क्षेत्र के विभिन्न विभागो के लिए कपडे के उत्पादन का कोई निश्चित बटवारा नही किया गया है, परन्तु अभी खादी के लिए 16 करोड गज के लक्ष्य का अनुमान है।

37 **ग्रामोद्योग :** सामान्य तौर पर ग्रामीण कारीगर विभिन्न गावो में, जो कि दूर-दूर बसे है, बिखरे हुए हैं। यह बात तथा उनकी अशिक्षा और निर्धनता विकास-कार्यक्रमो के द्रुत परिपालन में एक बहुत बडी बाधा है। ग्रामोद्योग-कार्यक्रमों की मन्द प्रगति के अन्य कारण है इन उद्योगो के विकास के बारे में पूर्वानुभवो का अभाव, प्रशिक्षित और योग्यता-प्राप्त कर्मचारियो की कमी, उत्पादन-केन्द्रो की अनुपयुक्त स्थानो पर प्रतिष्ठा, पर्याप्त पूजी का अभाव, बड़े पैमाने पर कच्चे माल के संग्रह के लिए सगठन की कमी और उत्पादन की अधिक उत्तम तकनीकों को अपनाने में विफलता। जो तकनीकी सुधार किए भी गए, उनसे उत्पादकता में कोई विशेष वृद्धि नही हुई। इसलिए उन्हें आम तौर पर नही अपनाया गया।

38 दूसरी योजना की अवधि में एक सघन क्षेत्र-कार्यक्रम लागू किया गया था, जिसका लक्ष्य समुचित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रयत्नो के अग-रूप में खादी और ग्रामोद्योगो का सघन विकास करना था। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए बुनियादी इकाई लगभग 20,000 की जनसख्यावाले 30-40 गावो का एक चुना हुआ क्षेत्र था। इस कार्य में दृष्टिकोण यह रहा है कि ऐसी ग्राम-योजनाए तैयार हो, जिनमें उपलब्ध समस्त जनशक्ति का तथा अन्य प्रसुप्त साधनो का उपयोग किया जा सके। इसलिए इस योजना के क्षेत्र में कुओ की खुदाई तथा बीजो और खाद के वितरण-द्वारा कृषि-उत्पादन में सुधार के उपाय, मकान, सडकें और औषधालय, आदि के निर्माण-कार्य भी शामिल है। सितम्बर 1960 के अन्त में यह कार्यक्रम 65 सघन क्षेत्रो में और 18 पूर्व-सघन क्षेत्रो में चालू था। इस कार्यक्रम पर अमल करने मे जो अनुभव प्राप्त हुए है, उनसे तीन मुख्य परिणाम निकलते हैं। पहली बात, गावो में सुधारी हुई तकनीको और मशीनी शक्ति के प्रचलन के लिए एक व्यापक क्षेत्र है तथा इस प्रचलन से जनशक्ति के पूर्ण नियोजन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई पैदा नही होगी। इसका कारण यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास की विशाल सम्भावनाए हैं। दूसरी बात, उपयुक्त स्थानीय आयोजन और सगठन के द्वारा निष्क्रिय जनशक्ति को उत्पादक स्रोत में बदलना सम्भव है। तीसरी बात, यदि ग्रामोद्योगो के विकास को स्थायी

बनाना है, तो उसे सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध करना होगा।

39 नवीन दृष्टिकोण और ऊपर बताए गए लक्ष्यो के अनुसार तीसरी योजना में ग्रामोद्योगो का कार्यक्रम सघन क्षेत्रो में मूर्त रूप देने के लिए और विशेष रूप से स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सहायता के कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेंगे। परन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वर्तमान सहायता-अनुदानो या कुछ ग्रामोद्योगो के उत्पादन पर दी जानेवाली बिक्री पर छूट का स्थान क्रमश कम होनेवाले उपयुक्त प्रबन्ध-अनुदान ले लेंगे। इनमें से अनेक उद्योगो का स्वरूप सुधरी हुई तकनीको के प्रयोग से तथा जहा कही, बिजली उपलब्ध है, उसके प्रयोग से बदल जाने की आशा है, जो कि वाछनीय भी है।

40 विभिन्न उद्योगो के कार्यक्रमो के कुछ महत्त्वपूर्ण विवरण इस प्रकार है

(अ) धान की हाथ से कुटाई : यह प्रस्ताव किया गया है कि आशिक उबालने की उन्नत विधियो को लागू किया जाए, उत्पादन के सुधरे तरीको के लिए व्यक्तियो को प्रशिक्षित किया जाए, उन्नत उपकरणो के उत्पादन के लिए अनुसन्धान-कार्य को जारी रखा जाए और गोदामो का निर्माण किया जाए।

चावल-मिल-उद्योग (नियमन) अधिनियम 1958 के अधीन राज्य-सरकारो को नई चावल-मिलें लगाने या बन्द मिलो को पुन चालू करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया है। यह व्यवस्था न केवल वर्तमान हाथ-कुटाई-उद्योग पर सम्भावित प्रभावो की दृष्टि से, अपितु इसके भावी विकास की दृष्टि से भी की गई है। यह भी नियम बना दिया गया है कि चावल-मिलो की क्षमता-वृद्धि की अनुमति देते समय सहकारिता के आधार पर चलनेवाली चावल-मिलो को प्राथमिकता दी जाए। इस अधिनियम के वास्तविक अमल से प्रकट हुआ है कि कुछ राज्यो मे धान कूटने की नई क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं और इस सम्बन्ध में कानून के मुख्य उद्देश्यो को पूरा नही किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि उत्पन्न समस्याओ पर आगे विचार किया जाए, ताकि कानून में जो नीतिया निर्दिष्ट की गई है, उन पर कारगर ढग से अमल हो।

(आ) तेलहनो की पेराई : कार्यक्रम में तेलहनो का सग्रह और उनके वितरण की व्यवस्था, वर्तमान वर्धा-घानी में सुधार, और अधिक उत्पादकतावाले सस्ते नमूनो का विकास भी शामिल है। सुधरी हुई घानिया लोहारगीरी और बढईगीरी के केन्द्रो में बनाने का प्रस्ताव है।

(इ) खाल-कमाई और चमडा : इस समय एक अध्ययन-दल खाल उतारने, उसे कमाने, खालो और चमडे के वर्गीकरण और उनकी रगाई के तरीको में सुधार के व्यावहारिक सुझाव देने के लिए खालें उतारने और मुर्दे जानवर प्राप्त करने के वर्तमान केन्द्रो की कार्य-प्रणाली का अध्ययन कर रहा है। इस बीच खाल उतारने, मुर्दा जानवर प्राप्त करने और रगाई में सुधार के लिए जोरदार प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए गए है। इस सघन विकास के लिए 200 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ई) दियासलाई : बाजार मे बिकने योग्य अच्छी दियासलाइयो के निर्माण के उद्देश्य से तकनीको और औजारो के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है। कुटीर दियासलाई-विशेष

जांच-समिति की सिफारिशों के अनुसार, 'डी' श्रेणी के 200 नए दियासलाई-उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) गुड़ और खांडसारी : बिजली के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से विभिन्न आकारों की, हाथ अथवा पैर से चलाई जानेवाली सेंट्रीफ्युगल से युक्त, उत्पादन-इकाइयां स्थापित की जाएंगी। बिजली-चालित गन्ना पेरने के यन्त्र लगाने के लिए भी सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ङ) मधुमक्खी-पालन : तीसरी योजना की अवधि में जहां कहीं भी सम्भव होगा, अधिक सघन ढंग से उद्योग का क्रमिक विस्तार करने पर बल दिया जाएगा। इस उद्योग के विकास का मुख्य दृष्टिकोण शहद-उत्पादन के बदले आनुषंगिक क्षेत्रों—जैसे फसल एवं फल, आदि—में सुधार करना होगा। कार्यक्रम में 44 क्षेत्रीय कार्यालयों और 975 उप-केन्द्रों की स्थापना तथा मधुमक्खी पालने के 94,500 डिब्बों का वितरण करने को कहा गया है।

(च) अन्य ग्रामोद्योग : ताड़-गुड़, हाथ से बना कागज, साबुन, रेशा, आदि-जैसे अन्य ग्रामोद्योगों के कार्यक्रम में उत्पादन-केन्द्रों की स्थापना और सुधरे हुए उपकरणों के वितरण की योजनाएं भी शामिल हैं। मेथेन गैस के उत्पादन के लिए कुछ केन्द्र स्थापित करने तथा चूना-उद्योग के विकास के लिए एक कार्यक्रम बनाने का भी प्रस्ताव है।

(5)
रेशम-उद्योग और नारियल-जटा-उद्योग

41. **रेशम-उद्योग :** रेशम-उद्योग के विकास-कार्यक्रम में उत्पादन के व्यय में कमी करने, उपयुक्त हाट-संगठन स्थापित करने और निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं की खोज पर अधिक बल दिया जाएगा। कच्चे रेशम के उत्पादन-व्यय को बढ़ानेवाले मुख्य तत्त्व निरन्तर चलते रहनेवाले ढंग के हैं, अतः वर्तमान स्थिति में पर्याप्त सुधार करने के लिए तीसरी योजना की अवधि में संकल्प के साथ प्रयत्न करने होंगे। कच्चे रेशम के व्यय का 60 प्रतिशत शहतूत पर आता है। अतः यह आवश्यक है कि शहतूत की प्रति एकड़ उपज को, जो अभी बहुत कम है, बढ़ाया जाए। इस समय शहतूत की खेती के बहुत अल्प भाग को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहतूत की खेती को अन्य लाभदायी नगदी फसलों से प्रतियोगिता भी करनी है। ऐसी स्थिति में पहला कदम यह होना चाहिए कि शहतूत की खेती को, सिंचाई तथा खाद, आदि के द्वारा प्रति एकड़-उत्पादन बढ़ा कर, लाभ का पेशा बना दिया जाए। कच्चे रेशम के उत्पादन-व्यय को प्रभावित करनेवाली अन्य महत्त्वपूर्ण बातें रोगमुक्त बीजों का वितरण और रेशम लपेटने के लिए अधिक उपयुक्त उपकरण हैं। तीसरी योजना में इन पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। एक उपयुक्त बीज-संगठन विकसित करने का भी प्रस्ताव है, ताकि रोगमुक्त बीजों की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। रेशम लपेटने के उपकरणों के सम्बन्ध में, दूसरी योजना के कार्यक्रमों से यह अनुभव प्राप्त हुआ कि जहां कहीं परम्परागत चरखे के स्थान पर 'काटेज बेसिन' का प्रयोग किया गया, रेशम की किस्म में सुधार हुआ। तीसरी योजना में 'काटेज बेसिन' के प्रयोग को अपनाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। परम्परागत चरखे के स्थान पर 'काटेज बेसिन' का प्रयोग इसलिए भी सरल है, कि इसमें रेशम लपेटने के विकेन्द्रित उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां तक हाट-व्यवस्था

की सुविधाओं का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में सगठित प्रयत्नो की आवश्यकता है, ताकि रेशम के कोयो और कच्चा रेशम, दोनो के लिए सहकारी हाट-व्यवस्था की सुविधाए उपलब्ध हो सकें। इससे उत्पादको की लागत कम हो सकेगी और कच्चे रेशम के अनुचित रूप से बढते हुए मूल्यों पर रोक लग सकेगी। विदेशी बाजारो की प्रतियोगिता को ध्यान में रख कर प्राच्य रग-ढग और डिजाइनो के वस्त्र तैयार करके निर्यात-वृद्धि की सम्भावनाए ढूढनी होगी। तीसरी योजना की अवधि में केन्द्रीय रेशम-मडल और राज्य-सरकारो के प्रयत्न इन्ही लक्ष्यो की पूर्ति के लिए होगे। यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि सन् 1960 के 36 लाख पौंड की तुलना में सन् 1965-66 मे शहतूती और गैर-शहतूती रेशम का उत्पादन बढकर 50 लाख पौंड हो जाएगा।

42 **नारियल-जटा-उद्योग :** नारियल-जटा-उद्योग के उत्पादन के 55 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग का निर्यात होता है। अत तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रम में मुख्य बल निर्यात को और बढाने पर दिया जाएगा। उद्योग का आन्तरिक सगठन, जो प्रक्रियाओ—छिलका इकट्ठा करना, छिलके को नरम करना, जटा-रेशा तैयार करना और आसन, गलीचे, आदि माल तैयार करना—के आधार पर विकसित हुआ है, पर्याप्त समर्थ और दृढ नही है तथा इससे उद्योग को दृढ आधार पर उन्नत करने में कोई सहायता नही मिली है। विकास-कार्यक्रम की सफलता मुख्यत जटा-रेशा तैयार करनेवाले प्राथमिक उत्पादको को ठीक तरह से सगठित करने पर निर्भर करता है। सामान्यत. ये ऐसे व्यक्ति है, जिनके साधन बडे अल्प है तथा जो एक ओर छिलका-व्यापारी और दूसरी ओर जूट का सामान और रेशा निर्यात करनेवालो के बीच पिसे रहते है। ये दोनो ही इस स्थिति में होते हैं कि उत्पादक की लाचारी का लाभ उठा सकें। इन छोटे उत्पादको की कुछ प्राथमिक सहकारी समितियो का निर्माण भी किया गया, परन्तु उनमें से अनेक को घाटा उठाना पडा है। अत यह आवश्यक है कि स्वस्थ विकास के लिए इन समितियो के कार्यों पर कठोर नियन्त्रण और अवीक्षण रखा जाए। जटा-सहकारी समितियो को सुदृढ बनाने के अतिरिक्त तीसरी योजना का एक महत्वपूर्ण कार्य पैर से चलनेवाली कताई की मशीनें उपलब्ध करना होगा, जिससे रेशे की किस्म सुधर सके और रगाई की समुचित व्यवस्था हो। जटा-रेशा और अन्य उत्पादनो के पजीकृत निर्माता-सह-निर्यातकर्त्ताओ को सहायता देने के लिए एक विशेष निर्यात-वृद्धि-योजना बनाई गई है। इस योजना के अनुसार गाठे बनाने के यन्त्र, सीसल का रेशा और रग आयात करने की सुविधाए दी जाएगी। कार्यक्रम की अन्य महत्वपूर्ण बातें है (1) नई वस्तुओ—यथा, कडे और चटाइयो के रेशे, रस्सिया आदि के उत्पादन में नई विधियों को विकसित करना, नारियल के तने के रेशों और जटा-रद्दी को उपयोग मे लाना और जटा-रेशे को अन्य वस्तुओ के रेशो या रबर-जैसी अन्य वस्तुओं के साथ मिला कर बनाना, और (2) चटाइयो और कडे रेशो के निर्माण के लिए विशेष सयन्त्रो की स्थापना करना।

(6)
हस्तशिल्प

43 अखिल भारतीय हस्तशिल्प-मडल पर 40 विभिन्न शिल्पो के विकास का दायित्व है। इनमे से 12 शिल्पो—यथा, कालीन, धातु के सजावटी सामान, हाथ से छपाई

हाथी-दांत, जरी, लकड़ी का काम, कागज की लुगदी का सामान, नक्काशी का काम, बेंत, और उनसे सम्बद्ध शिल्प, गुड़िया और खिलौने, बर्तन और आभूषण—के विकास के लिए विशिष्ट कार्रवाइयां की जा रही हैं। इन शिल्पों के मामले में मंडल की सहायता विशेष शिल्प-समितियां करती हैं, जिनमें शिल्पियों, उत्पादकों, विक्रेताओं, निर्यातकर्ताओं और राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। विगत वर्षों में जो काम हुआ, उसके फलस्वरूप विभिन्न शिल्पों की समस्याएं सामने आईं और उनसे अच्छी तरह निबटने के लिए तीसरी योजना की अवधि में विशेष कार्रवाइयां की जाएंगी। कुछ शिल्पों के क्षेत्र में प्रगति बहुत-कुछ कच्ची सामग्रियों के आयात और वितरण की व्यवस्था पर निर्भर करती है—जैसे धातु के सजावटी बर्तन और हाथी-दांत का सामान। फिर, कुछ शिल्पों की प्रगति विधायन और डिज़ाइन में सुधार तथा कुछ आवश्यक तकनीकी समस्याओं के समाधान पर निर्भर करती है—जैसे, लकड़ी का काम, नक्काशी का काम, बर्तन और कागज की लुगदी का सामान। इसके अतिरिक्त, कुछ शिल्पों में—यथा, जरी और पीतल के बर्तन में—किस्म के नियन्त्रण और निर्धारित विशिष्टताओं तथा मानकों के पालन पर प्रगति का दारोमदार होता है। सभी शिल्पों में कारीगरों का अधिक प्रभावशाली संगठन निरन्तर रोज़गार मिलते रहने, टेक्नोलाजी-विषयक सुधार लाने और अधिक सुविधाओं की उपलब्धता के निश्चय के लिए आवश्यक है। दूसरी योजना के अन्त तक हस्तशिल्प-सहकारी समितियों की संख्या सन् 1957-58 के लगभग 1,000 से बढ़कर 1,600 हो गई। हस्तशिल्प-प्रदर्शन-केन्द्र, जिनकी संख्या इस समय 115 है, सामान के लिए आर्डर देकर, तकनीकी परामर्श और कच्ची सामग्रियां देकर तथा ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करके सहकारी समितियों के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तीसरी योजना में इसी ढंग से कार्य-विस्तार होना चाहिए। हालांकि हस्तशिल्पों के क्षेत्र में विकास की मुख्य दिशा सहकारी समितियों के संगठन की होगी, फिर भी हस्तशिल्पों से सम्बद्ध नए छोटे उद्योग-संचालकों के संगठन बनाने की गुंजाइश रहेगी, ताकि व्यवसाय के उन्नत स्तर, किस्म पर नियन्त्रण तथा कारीगरों के लिए काम की अच्छी दशा का आश्वासन मिल सके।"

44 देश-भर के कारीगरों को दूसरी योजना-अवधि में दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और कलकत्ता में स्थापित 4 प्रादेशिक डिज़ाइन-विकास-केन्द्रों के परिणामों से अवगत कराने के उद्देश्य से उन चुने हुए क्षेत्रों में डिज़ाइन-विस्तार-केन्द्र का प्रस्ताव है, जहां काफी संख्या में शिल्पी रहते हैं। जो अन्य उपाय काम में लाए जाएंगे, उनमें बाजार-अनुसन्धान, अन्त-राज्यीय हाट-व्यवस्था की उन्नति, मानकों और विशिष्टताओं का निर्धारण तथा प्रदर्शन-केन्द्रों की व्यवस्था, बिक्री-कला और सजावट-सम्बन्धी प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार शामिल है। विभिन्न हस्तशिल्पों में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों और तकनीकों का अध्ययन करने और समुचित सुधार सुझाने के लिए एक केन्द्रीय हस्तशिल्प-विकास-केन्द्र हाल में ही स्थापित किया गया है। कुछ शिल्पों के लिए सामान्य सुविधा-केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं, जिनका तीसरी योजना की अवधि में विस्तार करने की आवश्यकता होगी। सर्वेक्षण कराने और प्रशिक्षण तथा प्रयोग की व्यवस्था के उद्देश्य से कालीन, हाथ से छपाई, बान और बेंत का काम, धातु के सामान, कशीदाकारी और विभिन्न कटाई-शिल्पों के लिए शिल्प-संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। हस्तशिल्पों के निर्यात-विस्तार की काफी गुंजाइश है, खास कर किस्म-नियन्त्रण, जहाज पर लादने से पहले जांच, कच्ची सामग्रियों

की व्यवस्था, हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातकर्ताओं के लिए ऋण-विषयक तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्था, विदेशों में आर्डर की प्राप्ति तथा नए बाजारों के विकास के लिए अधिक प्रचार के द्वारा इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अतीत में हस्तशिल्प मुख्यत विदेशी बाजारों और ऊंची आयवाले लोगों की आवश्यकताएं पूरी करते थे। अब निर्यात के अतिरिक्त, हस्तशिल्पों के उत्पादन को ऐसा रूप देना है कि देश के अन्दर विभिन्न आय-वर्गों के खरीदारों की जरूरतें पूरी हो सकें और ग्रामीण शिल्पों की उन्नति तथा विकास हो।

(7)
छोटे पैमाने के उद्योग

45 दूसरी योजना के विकास-कार्यक्रमों का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अंग छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास था। यह बात पृथक्-पृथक् छोटे उद्योगों में प्राप्त आकड़ों से स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए, सन् 1956-60 के बीच बाइसिकलों के उत्पादन में सलग्न छोटे पैमाने की इकाइयों की संख्या 44 से बढ़कर 150 हो गई। इसी प्रकार, सिलाई-मशीन, मशीनी औजार, बिजली के मोटर और बिजली के पखे के क्षेत्र में ये संख्याएं क्रमश 35 से 75, 344 से 500, 6 से 74 और 22 से 47 रही। छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र में बाइसिकलों का उत्पादन सन् 1956 के 25,500 से बढ़कर सन् 1960 में 2,28,000 हो गया और सिलाई-मशीनों का 23,600 से बढ़कर 52,000। अवर्गीकृत मशीनी औजारों का, जिनका उत्पादन छोटे पैमाने की इकाइयों में हुआ, मूल्य सन् 1956 के 1 3 करोड़ रु० से बढ़कर सन् 1960 में 4 करोड़ रु० हो गया। रजक सामान और प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए उत्पादन की अनेक नई इकाइयों की स्थापना हुई है। इसमें बहुत कम सन्देह की गुंजायश है कि तीसरी योजना में अर्थव्यवस्था के विकास की जो कल्पना की गई है, उसमें विद्यमान और नए छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए काफी बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। इस क्षेत्र के विकास-कार्यक्रमों का इस तरह नवीकरण और सगठन किया जाना चाहिए कि छोटे पैमाने की इकाइयां इन अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।

46 दूसरी योजना की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों को तकनीकी परामर्श और जानकारी तथा ऋण-विषयक एव अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए। इन कार्रवाइयों का और भी विस्तार करना होगा, ताकि तीसरी योजना में निर्धारित कहीं बड़े लक्ष्य पूरे हो सकें। उत्पादन में वृद्धि और उसे विविधतापूर्ण बनाने के अलावा तीसरी योजना के कार्यक्रमों का लक्ष्य अनेक उद्योगों के क्षेत्र में छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने की इकाइयों के बीच अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित करना तथा सहायक उद्योगों के रूप में छोटे उद्योगों का विकास होना चाहिए। छोटे उद्योगों को, जिनकी प्रवृत्ति अभी बड़े नगरों और कस्बों में जमने की है, यथासाध्य छोटे कस्बों और गांवों में स्थापित और विकसित किया जाना चाहिए। फिर, जहां तक सम्भव होगा, उत्पादन, कच्ची सामग्रियों की खरीद और वितरण, सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था, विभिन्न पुर्जों और अंगों को जोड़ने, उत्पादनों की बिक्री-व्यवस्था तथा भारी परिमाण में आर्डर प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने के हेतु भी विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। सहकारी समितियों के साथ-साथ हर उद्योग की छोटे पैमाने की इकाइयों के व्यापारिक सघ भी काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तीसरी योजना के विकास का एक अनिवार्य पहलू दो पालियों की

व्यवस्था अपनाकर तथा जरूरी कच्ची सामग्रियों की व्यवस्था करके उपलब्ध क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करना होगा।

47 दूसरी योजना की अवधि में, केन्द्र और राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास-सम्बन्धी संगठन को सशक्त किया गया है। अब इसमें 16 लघु उद्योग सेवा-संस्थाएं हैं, जिनकी 4 शाखा-संस्थाएं और 53 विस्तार-केन्द्र हैं। इन सबमें अभी अधिकारी-वर्ग के 300 तथा अन्य वर्गों के 1,500 तकनीकी और विशेष प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारी नियुक्त हैं। राज्यों के उद्योग-विभागों में भी अब कर्मचारियों, आदि की काफी अच्छी व्यवस्था है। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम-द्वारा सेवित आधे से अधिक विकास-खंडों में उद्योग के लिए विस्तार-अधिकारी नियुक्त हैं। लघु उद्योग सेवा-संस्थाओं ने लगभग 60 लघु उद्योगों और 102 विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। कई जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं का विशिष्ट अध्ययन किया गया है। समय-समय पर छोटे पैमाने के पृथक्-पृथक् उद्योगों के सर्वेक्षण से भी योजनाबद्ध विकास में मौलिक सहायता प्राप्त हो सकती है। कुछ उद्योगों के लिए 'सम्भावना-पत्र' तैयार किए जा रहे हैं। कुछ आदर्श योजनाएं भी तैयार की गई हैं। नए उद्योग आरम्भ करने के लिए इस तरह का मार्गदर्शन नए उद्योगपतियों, कारीगरों की सहकारी समितियों और शिक्षित युवाजनों को सुलभ किया जाना चाहिए। दूसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण-सुविधाओं के विस्तार के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया, उसमें व्यवसाय-प्रबन्ध एवं इंजीनियरी तथा गैर-इंजीनियरी व्यवसायों में प्रशिक्षण के अतिरिक्त जिला-उद्योग-अधिकारियों तथा खंड-स्तरीय विस्तार-अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल था। कारीगरों को मशीन-संचालन का प्रशिक्षण काफी हद तक चलती-फिरती कर्मशाला-गाड़ियों ने दिया। हर क्षेत्र में, राज्य-उद्योग-विभाग तथा अन्य अभिकरणों के सहयोग से, वर्तमान सुविधाओं का तीसरी योजना की अवधि में और विस्तार किया जाएगा।

48 दूसरी योजना में लघु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक संगठन-निर्माण के अलावा ऋण-व्यवस्था, मशीनों की आपूर्ति और हाट-व्यवस्था तथा सामान-खरीद के विकास की सुविधाएं सुलभ करने की दिशा में प्रगति हुई। तीसरी योजना में इन सब दिशाओं में काफी विस्तार की बात सोची गई है और मुख्य लक्ष्य यह रखा गया है कि सहकारी समितियों, छोटे उद्योग-संचालकों तथा नए-नए प्रवेश करनेवालों को अधिक सुविधाएं प्राप्त हों। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-द्वारा शुरू की गई योजना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया-द्वारा बैंक-ऋणों के लिए दी जानेवाली गारंटियों के माध्यम से ऋण-सुविधाएं सुलभ करने के क्षेत्र में शुरुआत कर दी गई है, फिर भी आम व्यावसायिक बैंकों-द्वारा छोटे उद्योगों को ऋण दिए जाने का क्षेत्र काफी व्यापक है। इसी प्रकार, राज्य-वित्त-निगम भी छोटे पैमाने के उद्योगों को काफी सहायता पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम ने किस्त पर खरीद के आधार पर 4 2 करोड़ रु० की मशीनों का वितरण किया है। इसमें से 1 करोड़ रु० की मशीनें सन् 1960-61 में दी गईं। इस योजना का विस्तार करना और अपेक्षाकृत अधिक सहकारी समितियों तथा छोटे उद्योग-संचालकों को किस्त पर खरीद की सुविधाओं के उपभोग के लिए अवसर देना सम्भव होना चाहिए। राज्य-सरकारों और उनके विभिन्न अभिकरणों-द्वारा किस्त पर खरीद की सुविधाओं के विस्तार से छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी। सामान-खरीद की नीतियों से छोटे कारखानों के उत्पादन में वृद्धि तथा नई चीजों के उत्पादन के विकास,

दोनो क्षेत्रो में महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी । इस प्रकार, कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगो से केन्द्रीय सरकार-द्वारा की गई खरीद की राशि सन् 1953-54 के 74 लाख रु० से बढकर सन् 1960-61 में 6 करोड रु० हो गई । यदि खरीद के सम्बन्ध मे काफी पहले से योजना बना ली जाए और साथ ही अच्छी तरह तैयार किए गए विकास-कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाए, तो सामान-खरीद के लाभ काफ़ी हद तक बढ सकते हैं । सामान-खरीद-नीतियो और सम्बद्ध कार्यक्रमो का व्यापक रूप से राज्यो और केन्द्र में विकास होना चाहिए ।

49 तीसरी योजना में छोटे पैमाने के उद्योग के क्षेत्र में जिन कार्रवाइयो की बात सोची गई है, उनमें से एक उल्लेखनीय कार्रवाई विद्यमान क्षमता के पूर्णतर उपयोग मे सहायता पहुचाने के उद्देश्य से छोटी इकाइयो को कच्ची सामग्रिया देने के लिए भाडारो की स्थापना है । अतिरिक्त प्रोटोटाइप-उत्पादन और प्रशिक्षण-केन्द्रो की स्थापना करके छोटी मशीनो के निर्माण-सम्बन्धी प्रशिक्षण-सुविधाओ का विस्तार किया जाएगा । एक औद्योगिक डिजाइन-सस्था स्थापित करने तथा पुरस्कारो एव अन्य उपायो से आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव है । कुछ उत्पादनो के लिए उत्कृष्टता के चिह्न देने की योजनाओ को भी—जैसी कि दूसरी योजना की अवधि में कुछ राज्यो में आरम्भ की गई थी—अधिक विकसित करने का विचार है । कुछ राज्यो ने अभी हाल में औद्योगिक बस्तियो की स्थापना तथा कच्ची सामग्रियो के भाडारो और सामान्य सेवा-सुविधा-केन्द्रो के सचालन के लिए लघु उद्योग-निगमो की स्थापना की है । कुछ अन्य राज्यो में भी ऐसे ही निगम स्थापित करने की बात सोची जा रही है ।

50 **औद्योगिक बस्तिया :** दूसरी योजना में औद्योगिक बस्तिया बसाने का कार्यक्रम बडा लोकप्रिय रहा और लगभग 60 बस्तिया बसाई गई । यद्यपि इनमे से अनेक बस्तिया अपने मुख्य लक्ष्य—कारखाने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करने और काम को कुशलता-पूर्वक करने के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करने—में सफल हो गई, तथापि कुछ में व्यय बहुत हुआ और रोजगार के जो नए अवसर उपलब्ध हुए, वे अपर्याप्त नही है । फिर, चूकि अधिकाश औद्योगिक बस्तिया बडे-बडे नगरो के निकट बसाई गई है, इसलिए नए उद्योग-केन्द्रो की स्थापना का लक्ष्य एक सीमित मात्रा में ही पूरा हुआ है ।

51 ऊपर वर्णित 60 औद्योगिक बस्तियो के अतिरिक्त अन्य 60 औद्योगिक बस्तिया ऐसी है, जिनके लिए दूसरी योजना में स्वीकृति दे दी गई थी या काम शुरू हो गया था । इनके पूरे होने में कुछ समय लगेगा । तीसरी योजना में विभिन्न आकार और प्रकार की 300 नई बस्तिया स्थापित करने का प्रस्ताव है । इनको यथासम्भव छोटे और मध्यम आकार के कस्बो के निकट स्थापित किया जाएगा । यह भी विचार है कि कुछ औद्योगिक बस्तिया कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रो में, जहा बिजली, पानी एव अन्य आवश्यक सुविधाए उपलब्ध है या आसानी से उपलब्ध हो सकती है, स्थापित की जाए । गावो की औद्योगिक बस्तियो में मुख्यत ऐसे कारखाने होगे, जो कारीगरो के प्रयोग के लिए होगे । इनमें कुछ सामान्य सेवा-सुविधाए होगी तथा नियमित कारखानो की सख्या बहुत सीमित होगी । इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसी औद्योगिक बस्तिया उन्ही स्थानो पर स्थापित की जाए, जहा कारीगरो और शिल्पकारो की सख्या काफी है, और जो सुधरी हुई तकनीको, अच्छे औजारो और अपेक्षाकृत आधुनिक सुविधाओ का लाभ उठाने की स्थिति में है ।

52 एक दृष्टि यह भी है कि उपयुक्त स्थानो पर, विशेषत बडे नगरो और कस्बो के निकट, केवल औद्योगिक बस्ती के स्थान को विकसित कर देना चाहिए और वहा कारखानो के शेड बना कर देने के बदले प्लाट ही छोटे उद्यमियो को दे देने चाहिए, जिस पर वे अपने कारखाने स्वय बनाए। छोटे आनुषगिक उद्योगो के विकास के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि छोटी इकाइयो को विशेष प्रयोजन के लिए स्थान प्रदान करने के लिए कुछ 'कार्य-सचालन बस्तिया' बसाई जाए, जिनमें बडे उद्योगो से सम्बद्ध सहायक माल तैयार किया जाए। कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयो में भी मार्गदर्शक आधार पर कुछ औद्योगिक बस्तिया स्थापित करने का विचार है। इसमे छात्र पढते हुए जहा कुछ अर्जन कर सकेंगे, वही उन्हें प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा और भविष्य में वे अपना उद्योग स्वय प्रारम्भ कर सकेंगे। योजना की परियोजनाओ-विषयक समिति-द्वारा नियुक्त एक दल ने औद्योगिक बस्तियो के सामान्य ले-आउट और कारखानो के भवनो के निर्माण में मितव्ययिता लाने के लिए अनेक सुझाव दिए है। तीसरी योजना में नई औद्योगिक बस्तिया स्थापित करते समय इन सुझावो का पालन किया जाएगा।

नियोजन

53 तीसरी योजना के कुल पूजी-विनियोग के आधार पर, जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की पूजी भी सम्मिलित है, यह अनुमान लगाया गया है कि ऊपर इस अध्याय में ग्रामोद्योग और लघु उद्योगो के विकास-कार्यक्रमो की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उससे लगभग 80 लाख व्यक्तियो को अशकालिक या अर्द्धरोजगार तथा लगभग 9 लाख व्यक्तियो को पूरे समय का रोजगार मिल सकेगा। खादी-उत्पादन के कार्यक्रमो में अधिकाश रूप से अशकालिक रोजगार ही मिलेगा। हथकरघा-उद्योग, हथकरघा-क्षेत्र के बिजली-चालित करघो, ग्रामोद्योगो, रेशम के कीडे पालने के उद्योग और नारियल-जटा-उद्योग में जो लोग पहले से काम कर रहे है, उनको और अधिक समय के लिए रोजगार मिल सकेगा। छोटे पैमाने के उद्योगो के कार्यक्रमो में, जिनमें औद्योगिक बस्तिया, हस्तशिल्प और कुछ सीमा तक कुछ अन्य उद्योग भी शामिल है, मुख्यत पूरे समय का रोजगार मिलने की आशा है।

निर्यात

54 नारियल के जटा-रेशो और उससे निर्मित वस्तुओ, हथकरघा के वस्त्रो एव हस्तशिल्प के सामान का औसत वार्षिक निर्यात लगभग 21 करोड रु० के मूल्य का है। कई दिशाओ में छोटे पैमाने के उद्योगो के उत्पादनो ने भी निर्यात में योगदान करना आरम्भ कर दिया है। उदाहरणस्वरूप, दूसरी योजना की अवधि में छोटी इकाइयो-द्वारा निर्मित चमडे के 6,00,000 जोडे जूतो का निर्यात किया गया। हाल में सूती होजियरी सामान, खेल के सामान, निर्माण-सामग्रिया, चमडे के माल, डिब्बाबन्द फल और सब्जिया तथा अन्य उत्पादन निर्यात-वृद्धि के लिए चुने गए है। छोटे उद्योगो के उत्पादनों के लिए स्थायी एव विस्तारशील बाजार मिलना सम्भव होना चाहिए। फिर भी, यह आवश्यक है कि माल में सुधार एव उसकी किस्म के मानक-निर्धारण, उत्पादन-व्यय में कमी, नए-नए डिजाइन खोजने और उत्पादन के समुचित सगठन पर अधिक बल दिया जाए। विदेशी खरीदारो में विश्वास पैदा करने के लिए वस्तु

की कोटि चिह्नित करने की योजना बडी उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा जहा कही सम्भव, हो, इसको लागू करना चाहिए ।

अंक-संकलन

55 यद्यपि अतीत में विभिन्न अभिकरणो और सगठनो-द्वारा अनेक उद्योगों और विशेप क्षेत्रो का सर्वेक्षण किया गया, तथापि सारे देश के लघु उद्योगो के सम्बन्ध में बुनियादी आकडो-सम्बन्धी विवरण, जो कि कार्यक्रमो के सख्यात्मक प्रभाव का आकलन करने और नई योजनाए बनाने के लिए आवश्यक हैं, उपलब्ध नही है । यह आशा की जाती है कि सन् 1961 की जनगणना से औद्योगिक इकाइयो की पूरी सूची उपलब्ध हो सकेगी । यह प्रस्ताव है कि इसे आधार बना कर प्रति दूसरे वर्ष सर्वेक्षण किया जाए, जिसमें वे सब इकाइया (चाहे बिजली से चलनेवाली हो या बिना बिजली के) भी आ जाए, जिनमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते है और जिनमें 5 लाख रु० से अधिक की पूजी नही लगी है ।

अध्याय 26

उद्योग

दो योजनाओं की अवधि में हुई प्रगति की समीक्षा

पिछले दशक में भारत में जो औद्योगिक प्रगति का सूत्रपात हुआ है। इस अवधि में उद्योगों की अभिवृद्धि और विविधता काफी उल्लेखनीय रही है तथा दूसरी योजना के पाच वर्षों में इस क्षेत्र में विशेष तेजी से प्रगति की गई है। इस समय सरकारी क्षेत्र में दस-दस लाख टन की क्षमतावाले तीन नए इस्पात-कारखानों का निर्माण-कार्य पूरा हुआ है और निजी क्षेत्र के पहले से विद्यमान दो इस्पात-कारखानों की क्षमता बढ़ाई भी गई है, ताकि वे क्रमश 20 लाख टन और 10 लाख टन इस्पात की सिल्लियां तैयार कर सकें। भारी बिजली-सामान और भारी मशीनी औजार-उद्योगों तथा भारी मशीन-निर्माण और भारी इंजीनियरी की अन्य शाखाओं की नींव रख दी गई है एव सीमेंट तथा कागज-उद्योगों के लिए मशीनों का उत्पादन पहली बार आरम्भ किया गया है। रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में व्यापक आधार पर प्रगति हुई है और न केवल नत्रजनयुक्त उर्वरकों, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और गन्धक-अम्ल, आदि आधारभूत रासायनिक पदार्थों के बड़े कारखाने बने हैं तथा उनका उत्पादन बढ़ा है, बल्कि यूरिया, अमोनियम फास्फेट, पेनिसिलीन, सश्लिष्ट रेशा, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ, पोलिथिलीन, अखबारी कागज और रजक पदार्थ, आदि-जैसे अनेक नए उत्पादनों का निर्माण भी आरम्भ हुआ है। बाइसिकल, सिलाई की मशीन, टेलीफोन, बिजली का सामान, वस्त्र और चीनी की मशीन, आदि अन्य अनेक उद्योगों का भी उत्पादन काफी बढ़ा है। कारीगरों ने नए-नए काम सीखे हैं। और दूसरी ओर औद्योगिक व्यवस्थापकों का एक विशाल और विकासशील वर्ग भी तैयार हुआ है। सब मिला कर पिछले दस वर्षों में सगठित उद्योगों का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है। औद्योगिक उत्पादन का सूचनाक, जो सन् 1950-51 में 100 था, सन् 1960-61 में बढ़कर 194 हो गया।

2 किन्तु केवल तथ्यों के इस वर्णन से वास्तविक प्रगति के प्रति ठीक न्याय नहीं हो सकता। विशाल नए इस्पात-कारखानों, बड़ी-बड़ी नई नदी घाटी योजनाओं, नए औद्योगिक नगरों और देश के मुख्य नगरों के इर्द-गिर्द सिर उठानेवाले विभिन्न कारखानों को देखने से आंखों के सामने औद्योगिक गतिविधियों की विशालता की कहीं अधिक प्रभावकारी तसवीर खिच जाती है। समग्र औद्योगिक दृश्य पर दृष्टिपात करने के बाद निष्पक्ष विशेषज्ञों ने यह स्वीकार किया है कि बहुत अल्प अवधि में भारत ने बहुत अधिक प्रगति की है, और उनकी राय में औद्योगिक आधार का विस्तार एव निर्माण-उद्योगों की साहसिकता दूसरी योजना के प्रारम्भ के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक आश्चर्यजनक परिवर्तन है।

3 इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी दूरगामी प्रगति की गई है। किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि भले ही यह प्रगति कम न हो, परन्तु आम जनता की सामान्य स्थिति पर गहरा प्रभाव डालने या अर्थव्यवस्था के ढाचे को आमूलचूल बदलने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, देश ने जो औद्योगिक लक्ष्य

निर्धारित किए थे, उनकी तुलना में कुछ मामलो में हम काफी पीछे रह गए है। इस प्रकार, यद्यपि दूसरी पचवर्षीय योजना मे तीन नए इस्पात-कारखानो की स्थापना अपने-आप मे एक अत्यन्त प्रभावकारी उपलब्धि थी, तथापि सन् 1960-61 में उनका कुल उत्पादन केवल 6 लाख टन था, जबकि लक्ष्य 20 लाख टन का था। इसी प्रकार, टाटा आयरन एड स्टील वर्क्स (टिस्को) का भी उत्पादन दूसरी पचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ। इन पाच वर्षो मे उसका बिक्री-योग्य इस्पात का कुल उत्पादन केवल 45 लाख टन हुआ, जबकि तटकर-आयोग ने सन् 1955 में 52 लाख टन उत्पादन की बात कही थी। उर्वरको के क्षेत्र में भी यही स्थिति रही। सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी के उर्वरक-कारखाने और निजी क्षेत्र में वाराणसी की अमोनियम क्लोराइड-परियोजना के विस्तार-कार्य को निर्धारित तिथि के बाद 12 से 18 महीने तक भी पूरे नही हो सके और उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता के उत्पादन की स्थिति में पहुचने में गम्भीर प्रारम्भिक कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है। नगल, नइवेली और राउरकेला में सरकारी क्षेत्र में खुलनेवाले तीन नए उर्वरक-कारखानो के मामले में भी एक या दो वर्ष की देर हो गई है। योजना यह थी कि ये तीनो कारखाने सन् 1960-61 में न्यूनाधिक पूरा उत्पादन करने लगेंगे, किन्तु इनमें से नगल-कारखाना जनवरी 1961 में आंशिक उत्पादन प्रारम्भ कर सका और शेष दो कारखाने अभी तक निर्माण की ही अवस्था में है। इन कारखानो और भोपाल की भारी बिजली-सामान-परियोजना के मामले में विलम्ब का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा की कठिनाई है। किन्तु भारी मशीनो, खान में काम आनेवाली मशीनो तथा ढलाई/गढाई-परियोजनाओ के बारे में यह बात नही कही जा सकती। ये तीनो परियोजनाए, जिन्हें अब तक निर्माण की दृष्टि से काफी आगे बढ जाना चाहिए था, प्रारम्भिक दिशा में ही है और तीसरी योजना में कोई कीमती योग देने के बजाय उसकी समाप्ति पर ही उत्पादन प्रारम्भ कर सकेंगी। कार्बनिक मध्यवर्ती पदार्थो के निर्माण की परियोजना में, जो रजक पदार्थों, प्लास्टिक और औषध-उद्योगो के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, विलम्ब का कारण परियोजना के वास्तविक विस्तार, क्षेत्र-निर्धारण एव अन्य प्रारम्भिक कार्रवाइयो में विशेष समय लगने के अलावा विदेशी सहयोगियो के साथ वार्ता में कठिनाइया उपस्थित होना भी था। दूसरी योजना के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि हर परियोजना का, विशेष कर भारी इजीनियरी उद्योगो का, परिपाक-काल साधारणत आशा से अधिक होता है। इस बात से पहले से ही आयोजन करने का महत्त्व सिद्ध होता है।

4 जिन उद्योगो के लक्ष्य पूरे नही हो सके, उनमें मुख्य है लोहा एव इस्पात, उर्वरक, कुछ भारी मशीनें—यथा, कागज और सीमेंट बनाने की मशीनें—भारी ढलाई और गढाई, अल्युमीनियम, अखबारी कागज, कच्ची फिल्म, रासायनिक लुगदी, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, रजक पदार्थ और सीमेंट। दुर्भाग्य से यह कमी कुछ ऐसे उद्योगो में भी रह गई, जो अत्यधिक बुनियादी महत्त्व के है और उसने देश की अर्थव्यवस्था को उन लाभो से वचित कर दिया, जिनके तीसरी योजना के प्रारम्भ में प्राप्त होने की आशा की गई थी। इसके आकडे अगले पृष्ठ पर दिए गए है।

अन्य उद्योगो में से अधिकाश के क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य लगभग पूरे हो गए और शक्ति-चालित पम्प, डीजल इजिन, बिजली के मोटर, ए० सी० एस० आर० केबल, बिजली के पखे, रेडियो-सेट और चीनी, आदि कुछ उद्योग तो लक्ष्य से भी आगे बढ गए।

तालिका-संख्या 1

सन् 1960-61 के उत्पादन-लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

	इकाई	उत्पादन-लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
तैयार इस्पात	लाख टन	43	22
नत्रजनयुक्त उर्वरक (नत्रजन की मात्रा)	हजार टन	290	110
फास्फेटयुक्त उर्वरक पी$_2$ओ$_5$ की मात्रा	हजार टन	120	55
वस्त्रोद्योग-मशीनें	करोड़ रु०	17	9
सीमेंट-मशीनें	करोड़ रु०	2	0 6
कागज-मशीनें	करोड़ रु०	1	—
अल्युमीनियम	हजार टन	25	18 5
अखबारी कागज	हजार टन	60	25
रासायनिक लुगदी	टन	30,000	—
सोडा ऐश	हजार टन	230	145
कास्टिक सोडा	हजार टन	135	100
रंजक पदार्थ	लाख पौंड	220	115
सीमेंट	लाख टन	130*	85

5 मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि औद्योगिक प्रगति अर्थव्यवस्था को यथासम्भव शीघ्र आत्मनिर्भर विकास की दशा तक पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप हुई, क्योंकि लक्ष्य-प्राप्ति में कुछ कमी रह जाने पर भी लोहा और इस्पात, भारी इंजीनियरी तथा अन्य पूंजीगत सामान के उद्योगों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

6 बहुत-सी परियोजनाओं का वास्तविक व्यय उतने से अधिक हुआ है, जितना दूसरी योजना तैयार करते समय आंका गया था। उदाहरण के लिए, प्रारम्भिक परियोजना-रिपोर्टों के आधार पर दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात-कारखानों, उनके नगरों, लोहे की खानों और पत्थर की खानों के लिए 425 करोड़ रु० का व्यय निर्धारित किया गया था। सन् 1956 के अन्त में प्राप्त प्रथम विस्तृत अनुमानों से प्रतीत हुआ कि पूंजी-विनियोग की उनकी संशोधित आवश्यकता 559 करोड़ रु० होगी और उसमें वस्तुओं की महंगाई के कारण बढ़ा हुआ मूल्य शामिल नहीं होगा। अब इस्पात-कारखानों तथा उपर्युक्त सहायक वस्तुओं पर वास्तविक व्यय का अनुमान 620 करोड़ रु० है। सन् 1956 के अनुमानों की तुलना में व्यय में वृद्धि का कारण मुख्यतः काम की मात्रा में वृद्धि और वस्तुओं की महंगाई बताया गया है। निजी क्षेत्र में 'टिस्को' की परियोजना के व्यय-अनुमान और वास्तविक व्यय में भी इसी प्रकार का भारी अन्तर आया है। उसके विस्तार-कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय प्रारम्भिक अनुमान की तुलना में 30 करोड़ रु० अधिक हुआ है। यद्यपि परियोजना-सम्बन्धी

*मई 1958 में संशोधन करके इस लक्ष्य को 100-100 लाख टन कर दिया गया।

इंजीनीयरी कार्य का अनुभव न होने के कारण अतीत मे इस प्रकार का अन्तर स्वाभाविक था, तथापि भविष्य में अधिक शुद्ध अनुमान लगाने की आवश्यकता पर बल दिया-जाना चाहिए। अन्य देशों मे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्शदाता-सगठनो ने बहुत महत्त्वपूर्ण योग दिया है और पिछले कुछ वर्षो में इस देश मे भी ऐसे कुछ अभिकरण अस्तित्व में आए हैं और वे उद्योगो के प्रतिष्ठापकों को अधिक पूर्ण और वैज्ञानिक ढग से परियोजनाओ के मूल्याकन और पूजी-व्यय के अनुमानो में सहायता दे सकेंगे।

7 पिछले दस वर्षो में उद्योगों को अधिक व्यापक क्षेत्र मे बिखेर कर स्थापित करने में कुछ सफलता मिली है। तीन नए इस्पात-सयन्त्रो (भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर), भारी मशीनरी-सयन्त्र (राची) तथा भारी बिजली-सामान-परियोजना (भोपाल) के लिए स्थानों का चुनाव और मद्रास-राज्य में नइवेली के भूरे कोयले के भाडार के उपयोग का निश्चय —ये दोनो विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से तो उचित थे ही, इन्होंने देश के अब तक अछूते इलाको में नए औद्योगिक केन्द्रो की स्थापना में भी योग दिया। वास्तव मे, इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया है कि यदि तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से बहुत अनुचित न हो, तो यथा-सम्भव सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओ के लिए स्थान अपेक्षाकृत पिछड़े इलाको में चुने जाए। भविष्य में भी यही सिद्धान्त निदेशक-रूप में रहेगा। इसी प्रकार निजी क्षेत्र की परियोजनाओ के लिए लाइसेंस देते समय भी अल्प-विकसित क्षेत्रो के दावो को यथासम्भव ध्यान में रखा गया है।

औद्योगिक कार्यक्रमो के लिए वित्त-व्यवस्था

8. सब मिला कर सन् 1956-61 की अवधि में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओ पर स्थिर पूजी-विनियोग 770 करोड रु० का हुआ, जबकि मूल अनुमान 560 करोड रु० का था। निजी क्षेत्र के लिए पूजी-विनियोग के ये आकडे क्रमश 850 करोड रु० और 685 करोड रु० हैं। सिन्दरी-स्थित उर्वरक-कारखाने को छोडकर, जहा आन्तरिक प्रसाधनो ने नए विनियोग के लिए वित्त-व्यवस्था करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, सरकारी क्षेत्र की शेष सभी परियोजनाए सरकार-द्वारा हिस्सा-पूजी अथवा ऋणो के रूप में दिए गए धन से ही पूरी हुई। सरकारी इस्पात-कारखानो, मशीन-निर्माण, खनन-उपकरण और भारी ढलाई/गढाई-परियोजनाओ के व्यय का विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी भाग मुख्यत मित्र देशो-द्वारा दिए गए ऋणो से पूरा हुआ। सरकारी क्षेत्र की परियोजना में यदि अच्छी मात्रा में कहीं विदेशी हिस्सा-पूजी लगी, तो वह सिर्फ राउरकेला के इस्पात-कारखाने मे, जिसका क्रप-डेमाग कम्पनी ने मूलत प्रस्ताव किया था। सन् 1956 में मशीनो की खरीद के ठेके के सम्बन्ध में वार्ता के समय इस प्रस्ताव का परित्याग कर दिया गया था। निजी क्षेत्र के इस्पात-विस्तार-कार्यक्रमो के लिए 70 करोड रु० की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एव विकास-बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतो से उपलब्ध ऋणो से तथा 20 करोड रु० की सहायता भारत-सरकार-द्वारा दिए गए ब्याज-मुक्त ऋणो से प्राप्त हुई। निजी उद्योग के अन्य क्षेत्रों में बडे स्तर पर जो पूजी-विनियोग हुआ, वह बहुत-कुछ विलम्बित भुगतान-व्यवस्था का आश्रय लेने के कारण सम्भव हुआ।

9 निजी उद्योगो ने योजना के प्रारम्भ में प्रकट की गई आशाओं की तुलना में विभिन्न स्वीकृत स्रोतो से कितना धन लिया, उसका विवरण अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है।

तालिका-संख्या 2

धन की उपलब्धि के स्रोत और उनसे निजी उद्योगों-द्वारा ली गई धन-राशिया

(करोड रु०)

	दूसरी योजना में आशा	दूसरी योजना के लिए नवीनतम अनुमान
सस्थात्मक अभिकरणो से ऋण ..	40	80
केन्द्रीय और राज्य-सरकारो-द्वारा सीधा ऋण	20	20
विदेशी पूजी (उपलब्ध करानेवालो के ऋण-सहित)	100	200
नई हिस्सा-पूजी ..	80	150
आन्तरिक तथा अन्य स्रोत	380	400
योग ..	620	850

10 'औद्योगिक विकास-कार्यक्रम 1956-61' की भूमिका (पृष्ठ 9) में दिए गए अनुमानो की तुलना में सगठित उद्योगो में किए गए समग्र पूजी-विनियोग के वितरण का नवीनतम आकलन इस प्रकार है :

तालिका-संख्या 3

समग्र पूंजी-विनियोग का विवरण

(करोड रु०)

	दूसरी योजना के प्रारम्भ में अनुमान	नवीनतम आकलन
धातुकर्म-उद्योग (लोहा और इस्पात, अल्युमीनियम तथा लौह-मैगनीज)	502 5	770
इंजीनियरी उद्योग (भारी और हल्के)	150	175
रासायनिक उद्योग (भारी रसायन, उर्वरक, औषध, कोयला-कार्बनीकरण, रजक पदार्थ, प्लास्टिक और रासायनिक लुगदी)	132	140
सीमेंट, बिजली के पोर्सिलेन और ऊष्मसह पदार्थ	93	60
कागज, अखबारी कागज और करेंसी नोटवाला कागज	10	30
पेट्रोल-शोधन	54	40
चीनी	51	56
कपास, पटसन, ऊनी और रेशमी सूत तथा वस्त्र	36 3	50
रेयन और व्यावसायिक रेशम ..	24	34
अन्य ..	41 5	115
मशीनो का परिवर्तन और आधुनिकीकरण	150	150
योग	1244 3	1620

11 विशाल पूंजी-विनियोग (योजना के अनुमान से लगभग 30 प्रतिशत अधिक) के बावजूद दूसरी योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति मोटे अनुमान के अनुसार कुल 85 से 90 प्रतिशत तक ही हुई है। सीमेंट-उद्योग के लिए मूलत निर्धारित उच्च लक्ष्य और वस्तुत उपलब्ध उत्पादन-क्षमता के बीच का भारी अन्तर भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में समग्र कमी का एक बड़ा कारण है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना : उद्देश्य और समग्र दृष्टिकोण

12 यदि राष्ट्रीय आय और नियोजन-सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो सन् 1961-66 की अवधि के लिए औद्योगिक योजना आगामी 15 वर्षों में अधिक तीव्र उद्योगीकरण के लिए नींव रखने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रख कर बनानी होगी। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि बुनियादी पूंजीगत सामान और उत्पादक सामान-उद्योगों की स्थापना—जिसमें मशीन-निर्माण-कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाए—और सम्बद्ध कौशल, तकनीकी जानकारी और डिजाइन-विषयक क्षमता की प्राप्ति के द्वारा आगे बढ़ा जाए, ताकि आगामी योजना-कालों में शक्ति, परिवहन, उद्योग और खनिज उत्पादन के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का विकास स्वचालित हो और बाहरी सहायता पर कम-से-कम निर्भर करना पड़े।

13 किन्तु कुछ और बातें भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार, जहां दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूंजीगत सामान-उद्योगों और विधायित औद्योगिक कच्ची सामग्रियों की उत्पादन-वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, वहां तीसरी योजना के औद्योगिक कार्यक्रम में अन्य बहुत-सी निर्मित वस्तुओं की आगामी पांच वर्षों में उत्पन्न होनेवाली सम्भावित मांग की पूर्ति के लिए भी यथासम्भव व्यवस्था करनी होगी। उपलब्ध साधनों का एक बड़ा भाग भावी विकास की नींव रखने में नियोजित करने की आवश्यकता के कारण सब मामलों में इस मांग को पूरा करना कठिन हो सकता है। उद्देश्य यह है कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था की जाए, किन्तु उपभोग पर थोड़ा-बहुत नियन्त्रण अपरिहार्य होगा—खास कर विलास-सम्बन्धी या अर्ध-विलास-सम्बन्धी वस्तुओं के उपभोग पर, जिनका उत्पादन मांग की वृद्धि के साथ-साथ उसी अनुपात में बढ़ाना कठिन होगा।

14 उद्योगों का संचालन केवल बाजारों पर ही नहीं, बल्कि कच्ची सामग्रियों, बिजली, ईंधन और परिवहन की सुविधाओं की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है। इसलिए औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए न केवल इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि कच्ची सामग्रियों और बिजली, आदि की उपलब्धि किस दर से बढ़ाई जा सकती है, बल्कि वास्तव में उनकी सीमा भी इसी से निश्चित होती है। विशेष रूप से बिजली और ईंधन के तीसरी योजना के पूर्वार्द्ध-काल में, बाधक तत्त्व बने रहने की सम्भावना है। फलत यह सम्भव है कि कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं को, जिनमें बिजली की अधिक आवश्यकता होती है, उनके आकर्षण के बावजूद छोड़ देना पड़े।

15 औद्योगिक नीति उद्योगों का विस्तार आगे भी अप्रैल 1956 के औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव से संचालित रहेगा। दूसरी योजना की भांति इस बार भी सरकारी और निजी क्षेत्रों की भूमिका एक-दूसरे के पूरक और सहायक-रूप में मानी गई है। उदाहरण

के लिए, नत्रजनयुक्त उर्वरकों के मामले में, जहा सरकारी क्षेत्र पहले ही प्रधान भूमिका ग्रहण कर चुका है, यह सोचा गया है कि तीसरी योजना में निजी क्षेत्र इसमें पहले से अधिक बड़े रूप में भाग ले और सरकारी क्षेत्र के प्रयत्नो की अनुपूर्ति करे। कच्चे लोहे के मामले में भी नीति को कुछ उदार बना कर निजी क्षेत्र में एक लाख टन की अधिकतम क्षमता के कारखानो की स्थापना की अनुमति देने का निश्चय किया गया है, जबकि अब तक केवल 15,000 टन की क्षमतावाले कारखानो की ही अनुमति दी जाती थी। निजी क्षेत्र में रंजक पदार्थो, प्लास्टिक और औषधो के निर्माण के कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र में इस्पात-कारखानो में उपोत्पादन के रूप में आरम्भिक गन्धीय मिश्रणो के उत्पादन एव कार्बनिक अन्तरायको के निर्माण को शीघ्र हाथ में लेने के कार्यक्रम के पूरक होंगे। इसी प्रकार, जहा भारी मात्रा में औषधो के निर्माण का काम सरकारी क्षेत्र में विशाल पैमाने पर सगठित किया जाएगा, वहा इन औषधो के परवर्ती विधायन का काम निजी क्षेत्र में होगा।

16 समाजवादी ढग के समाज-निर्माण के लक्ष्य की पृष्ठभूमि में निजी क्षेत्र के कार्यक्रमो को प्रोत्साहन देते और अनुमोदित करते समय यह तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है कि औद्योगिक विकास कुछ उद्योगपतियों के हाथो में ही केन्द्रित न हो जाए और उसके परिणामस्वरूप पूर्णत अथवा अशत एकाधिकार न कायम हो जाए। इस सम्बन्ध में प्रथम अध्याय के 26-29 पैराग्राफ में विचार किया गया है।

17 **औद्योगिक प्राथमिकताएं :** औद्योगिक विस्तार की योजनाओ को लगभग एक-जैसे महत्व के विभिन्न और प्रतिस्पर्धी दावो के बीच सन्तुलन रखना पडता है। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य विचारणीय बातें हैं, जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। पहली बात यह, कि जहा उत्पादन-क्षमता और वास्तविक उत्पादन में बहुत भारी अन्तर है, या जहा बहु-पाली-व्यवस्था अथवा सन्तुलनकारी उपकरणो की व्यवस्था करके कम लागत पर अधिक उत्पादन करना सम्भव है, वहा कारखानो के विस्तार या नए कारखानो की स्थापना के बजाय विद्यमान स्थापित क्षमता के पूर्णतर उपयोग को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी बात यह, कि नए कारखाने लगाने के बजाय मौजूदा सयन्त्रो के विस्तार को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से न केवल अधिक तेजी से अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता पैदा होगी, बल्कि प्रति इकाई-उत्पादन पर पूजी-विनियोग भी कम करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात-संयन्त्रो का विस्तार तैयार इस्पात के पूजी-विनियोग को 2,000 रु० प्रति टन से घटा कर 1,500 रु० प्रति टन कर देगा तथा अधिधारण-मूल्यो के स्तर पर भी उपयोगी प्रभाव डालेगा।

18 जहा तक नए विकास-कार्यों का सम्बन्ध है, अधिक बल उन परियोजनाओ पर देना होगा, जो निर्यात में योग देकर विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगी या आयात को रोक कर उसकी बचत करेंगी। ऐसे उद्योगों के बहुत अधिक विस्तार के लिए अनुमति देना सम्भव नही होगा, जो कच्ची सामग्रियो के आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं और इस कारण जिनके विस्तार के लिए इन कच्ची सामग्रियो के देश के भीतर उपलब्ध होने तक अनुरक्षण के हेतु बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूजी की आवश्यकता होगी, दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था की अल्पकालीन और दीर्घकालीन, दोनो प्रकार की आवश्यकताओ को दृष्टि में रखते हुए ऐसे उद्योगो के विकास पर अधिक ध्यान देना पडेगा, जिनके उत्पादनो के लिए निर्यात-बाजार प्राप्त होने की समुचित सम्भावना होगी।

19 इन सामान्य बातों को दृष्टि में रखते हुए अगले कुछ वर्षों में कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर मोटे तौर पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार बल देने की आवश्यकता होगी -

(1) दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई उन परियोजनाओं की पूर्ति, जो कार्यान्वित की जा रही हैं या जो सन् 1957-58 में विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दी गई थीं।

(2) भारी इंजीनियरी और मशीन-निर्माण-उद्योगों, ढलाई और गढ़ाई, मिश्र-धातु के औजार और विशिष्ट इस्पात, लोहा और इस्पात तथा लौह-मिश्रित धातुओं की उत्पादन-क्षमता का विस्तार और उनमें विविधता लाना तथा उर्वरकों और पेट्रोलियम से सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि।

(3) अल्युमीनियम, खनिज तेल, घुलनेवाली लुगदी, बुनियादी कार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों तथा उद्योगों में पुनः काम आनेवाले अन्तरायकों, जिनमें पेट्रोल-रासायनिक उत्पादन भी शामिल हैं, आदि मुख्य बुनियादी कच्ची सामग्रियों तथा उत्पादक सामग्रियों की उत्पादन-वृद्धि।

(4) आवश्यक औषधों, कागज, कपड़ा, चीनी, वनस्पति-तेल और गृह-निर्माण-सामग्री, आदि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वाञ्छनीय वस्तुओं के देशी उद्योगों की उत्पादन-वृद्धि।

औद्योगिक विकास-कार्यक्रम

20 तीसरी योजना में उद्योगों और खनिज पदार्थों के विकास के लिए निर्धारित कार्यक्रमों पर 2,993 करोड़ रु० का पूंजी-विनियोग करना पड़ेगा, तभी उनके लिए नियत भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी। इसमें से 1,338 करोड़ रु० की आवश्यकता इन कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में पड़ेगी। इसका शीर्षकवार विवरण इस प्रकार है

(करोड़ रु०)

	सरकारी क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सरकारी और निजी क्षेत्र	
	कुल	विदेशी मुद्रा	कुल	विदेशी मुद्रा	कुल	विदेशी मुद्रा
(क) नया पूंजी-विनियोग						
(1) खनिज विकास	478	200	60	28	538	228
(2) औद्योगिक विकास	1,330	660	1,125	450	2,455	1,110
योग	1,808	860	1,185	478	2,993	1,338
(ख) पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें	—	—	150	50	150	50

ऊपर की तालिका में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खनिज-पदार्थों के लिए दिखाया गया 1,808 करोड़ रु० का स्थिर पूंजी-विनियोग सरकारी क्षेत्र की उद्योगों और खनिज-पदार्थों की आवश्यकता के रूप में अन्यत्र उल्लिखित 1,882 करोड़ रु० की राशि से मेल नहीं खाता। इस अन्तर का कारण यह है कि 1,882 करोड़ रु० की उस राशि में ये चीजें भी सम्मिलित हैं: (क) बागान-उद्योगों को, जो कि यहां सारणी में निर्माण-उद्योगों में नहीं आते, दी गई सहायता, (ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के निर्माण के लिए दी गई सहायता की राशि, और (ग) राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् और भारतीय मानक-संस्थान के कार्यक्रम और तौल तथा माप की मीट्रिक प्रणाली के विस्तार पर खर्च, एवं राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम के जरिए निजी क्षेत्र को दी गई सहायता तथा निजी व्यवसायों को दिए गए सीधे ऋण या उनमें राज्य की हिस्सेदारी।

21 ऊपर की तालिका में पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने के लिए दिखाई गई अनुमानित पूंजी-विनियोग की राशि सूती, पटसन और ऊनी वस्त्र-उद्योगों की न्यूनतम आवश्यकताओं से भी, जिनके बारे में हाल में विशेष अध्ययन किया गया है, कम है। इन तीन उद्योगों में ही पुरानी मशीनों को बदलने के लिए 169 करोड़ रु० की कमी का अनुमान लगाया गया है। तीसरी योजना में पुरानी मशीनों को बदलने के लिए केवल 150 करोड़ रु० के पूंजी-विनियोग का अनुमान न्यूनाधिक दूसरी योजना में इस कार्य के लिए हुए वास्तविक पूंजी-विनियोग के ही आधार पर लगाया गया है। इतना होने पर भी यह अनुमान आशावादितापूर्ण है, क्योंकि (क) निजी उद्योगों और संस्थात्मक अभिकरणों के उपलब्ध साधनों पर नए पूंजी-विनियोग के लिए बहुत दबाव पड़ रहा है, (ख) जिन मिलों में बहुत बड़े पैमाने पर पुरानी मशीनों को बदलना जरूरी हो गया है वे आवश्यकता के मुताबिक नवीकरण के लिए वित्तीय साधन जुटाने की स्थिति में नहीं हैं, और (ग) इन कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता देने के लिए योजना में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम के लिए भी थोड़ी राशि की व्यवस्था की गई है।

22 यहां यह कह देना जरूरी है कि अनेक परियोजनाओं के व्यय के अनुमान, जिनके आधार पर कुल मिलाकर समग्र आंकड़े तैयार किए गए हैं, अभी यथोचित रूप में सही नहीं हैं, क्योंकि ये परियोजनाएं अपने विस्तार, प्रक्रियाओं, स्थान तथा अन्य सम्बद्ध विवरणों की दृष्टि से निर्धारण के प्रारम्भिक चरण में ही हैं। इनके अतिरिक्त, इनमें से कुछ परियोजनाएं ऐसे उद्योगों की श्रेणी में आती हैं, जिनके बारे में देश में इतना अनुभव अभी तक उपलब्ध नहीं है कि उनके आधार पर अधिक सही आंकड़े तैयार किए जा सकें। विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के अनुमान इस धारणा पर बनाए गए हैं कि अदायगियां नकदी में की जाएंगी और मोटे तौर पर मशीनें और अन्य सामग्रियां उपलब्धि के सबसे सस्ते स्रोत से खरीदी जाएंगी। यदि इन पूर्व-धारणाओं में परिवर्तन कर दिया गया, तो ये अनुमान भी बदलने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, यदि विभिन्न देशों द्वारा दिए गए ऋणों के उपयोग के लिए, साधन सामग्री का एक बड़ा हिस्सा ऐसे स्रोतों से खरीदना पड़ा जो सबसे सस्ते नहीं हैं, तो ये अनुमान काफी बढ़ जाएंगे।

23 इन अनुमानित आवश्यकताओं की तुलना में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध साधन, मौजूदा गणना के अनुसार, कम प्रतीत होते हैं। सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खनिज-पदार्थों के लिए निर्धारित वर्तमान राशियां और निजी

क्षेत्र के लिए उपलब्ध होनेवाली सम्भावित और अनुमानित राशिया केवल 2,570 करोड रु० है—1,470* करोड रु० सरकारी क्षेत्र के लिए और 1,100 करोड रु० निजी क्षेत्र के लिए। इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि कुछ पूर्व-युद्धकालीन उद्योगो में पुरानी मशीनो को बदलने और आधुनिकीकरण के शेष कार्यक्रम की पूर्ति के लिए 150 करोड रु० की राशि और भी उपलब्ध हो सकेगी।

24 इन अनुमानो से इस सम्भावना का सकेत मिलता है कि दोनो क्षेत्रो में काफी बडा काम चौथी योजना के लिए बचा रह जाएगा और तीसरी योजना के अन्त तक सब भौतिक लक्ष्य पूरे नही हो सकेंगे। जो भी हो, कुछ-न-कुछ काम चौथी योजना के लिए बच ही रहेगा, क्योकि कुछ परियोजनाए अभी तक प्रारम्भिक स्थिति में है, विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी स्थिति अनिश्चित है और भारी उद्योगो में परिपाक-काल अपेक्षाकृत अधिक लम्बा होता है। अभी से यह ठीक-ठीक भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है कि कौन-कौन परियोजनाए विलम्बित हो जाएगी और चौथी योजना के लिए बच रहेंगी तथा कौन-कौन भौतिक लक्ष्य पूरे नही हो सकेंगे। फिर भी, इस विषय पर सरकारी और निजी क्षेत्रो के कार्यक्रमो के सिलसिले में आगे विचार किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम

25 **सामान्य तथ्य :** सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और खनिज विकास-कार्यक्रम अनुबन्ध 1 और 2 में दिखाए गए है। इनमें प्रतिरक्षा-उद्योगो और रेलवे-मन्त्रालय तथा परिवहन और सचार-मन्त्रालयो की परियोजनाए शामिल नही है, जिनका प्रयोजन उनकी अपनी सचालन-सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए बिजली और डीजल के रेल-इजिन, टेलीफोन और टेलीप्रिंटर, आदि बनाना है। उन कार्यक्रमो का कुल व्यय लगभग 1,882† करोड रु० है, जबकि उनके लिए योजना में व्यवस्था केवल 1,520 करोड रु० (1,450 करोड रु० केन्द्र में और 70 करोड रु० राज्यो मे) की ही की जा सकी है। इसलिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह सम्भव है कि उन्हें पूर्णत कार्यान्वित करने में पाच वर्ष से अधिक समय लग जाए। अभी यह कहना सम्भव नही है कि सन् 1965-66 तक सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओ में से कौन किस चरण मे होगी, किन्तु कुछ सामान्य सकेत अवश्य दिए जा सकते है। जैसा कि अनुबन्ध 1 को देखने से स्पष्ट होगा, केन्द्रीय सरकार की परियोजनाए इन तीन श्रेणियो में बाटी गई है

(1) वे परियोजनाए, जो अभी कार्यान्वित हो रही है और दूसरी योजना के अवशेष के रूप में आई है,

(2) नई परियोजनाए, जिनके लिए विदेशी ऋणो की पूर्ण अथवा आशिक प्राप्ति का आश्वासन मिल गया है, तथा

(3) नई परियोजनाए, जिनके लिए अभी विदेशी ऋण की व्यवस्था की जानी है।

---

*इसमें 50 करोड़ रु० की वह राशि सम्मिलित नहीं है, जो निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित की जाएगी।

†इसमें दो परियोजनाओ के लिए 20 करोड रु० की वह अतिरिक्त राशि सम्मिलित नहीं है, जिसके गैर-सरकारी सूत्रो से प्राप्त होने की आशा है।

यह मान लेना युक्तियुक्त ही होगा कि प्रथम श्रेणी में आनेवाली परियोजनाएं तीसरी योजना के दौरान पूरी हो जाएगी। यही बात दूसरी श्रेणी की अधिकतर परियोजनाओं के बारे में भी कही जा सकती है, कम-से-कम इन परियोजनाओं में काफी बड़ी प्रगति तो की ही जा सकेगी। किन्तु इनमें से कुछ परियोजनाएं—उदाहरणार्थ, सूक्ष्म-यन्त्र-परियोजना और भारी बिजली के सामान की दो परियोजनाएं—अभी तक तैयारी के प्रारम्भिक चरण में हैं और उनका विस्तार कितना हो तथा उनमें क्या-क्या सम्मिलित हो, यह निश्चित करना बाकी है। इसलिए यह सम्भव है कि इनमें से कुछ परियोजनाएं कुछ हद तक चौथी योजना में चली जाएं। यह स्पष्ट है कि इस समय सबसे अधिक अनिश्चयात्मक स्थिति तीसरी श्रेणी की परियोजनाओं के बारे में है। किन्तु इनमें से कुछ परियोजनाएं—जैसे, मिश्रित इस्पात-संयन्त्र—बहुत ऊंची प्राथमिकतावाली हैं और उन्हें द्रुतगति प्रदान करने के लिए यथासम्भव सब-कुछ करना होगा।

26 प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानों की मिश्र इस्पात, ट्रैक्टर, ट्रक, बिजली के उपकरण, नाइट्रोसेल्यूलोज और रासायनिक उत्पादनों-सम्बन्धी विस्तार की योजनाओं से नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जो योग मिलने की आशा है, उसका भी तीसरी योजना के औद्योगिक कार्यक्रम में ध्यान रखा गया है। इस सम्बन्ध में जो भी सम्भावनाएं हैं, उनका सैनिक कारखानों की उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग करके लाभ उठाया जाएगा, ताकि उत्पादन अधिकतम और विविध प्रकार का किया जा सके तथा उसके परिणामस्वरूप पूंजी-विनियोग में बचत हो।

27. तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित की गई मुख्य औद्योगिक परियोजनाएं लोहा और इस्पात, औद्योगिक मशीनों, बिजली के भारी उपकरणों, मशीनी औजारों, उर्वरकों, बुनियादी रसायनों और अन्तरायकों, आवश्यक औषधों तथा पेट्रोलियम के शोधन के क्षेत्र में हैं। इनकी इसी अध्याय में आगे चलकर पृथक्-पृथक् उद्योग के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में उद्योगों के सम्बद्ध वर्गों में हुई प्रगति के साथ संक्षेप में समीक्षा की गई है।

28 **केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था :** यद्यपि दूसरी योजना की भांति सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन के अधिक भाग का प्रबन्ध सरकार करेगी, तथापि कुछ सरकारी व्यावसायिक संस्थानों-द्वारा भी अपने आन्तरिक स्रोतों से उसमें काफी बड़ा योग दिए जाने की सम्भावना है। इस प्रकार, सरकारी व्यावसायिक संस्थानों के उत्पादन-सम्बन्धी भविष्यवाणियों के आधार पर यह अनुमान है कि औद्योगिक पूंजी-विनियोग के लिए उनके आन्तरिक स्रोतों से लगभग 300 करोड़ रु० प्राप्त हो सकेंगे। इस राशि का एक बड़ा भाग सरकारी क्षेत्र के इस्पात और उर्वरक-कारखानों से उपलब्ध होगा। यह भी विचार किया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज अपनी देखरेख में एक या दो ऐसे नए मशीनी औजार-कारखाने स्थापित करे, जिनके खर्च का वह भाग, जो रुपये की मुद्रा के रूप में खर्च होगा, मुख्यतः आन्तरिक स्रोतों से जुटाया जाए।

29 **संस्थात्मक अभिकरणों को सहायता और अन्य विविध आवश्यकताएं :** केन्द्रीय सरकार की उद्योग-सम्बन्धी योजना में औद्योगिक वित्त-निगम और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम को, दूसरी योजना की अपेक्षा अधिक ऊंचे स्तर पर कार्य-संचालन के लिए,

दिए जानेवाले वित्तीय साधनो को भी ध्यान में रखना है। बागान-उद्योगो, राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्, भारतीय मानक-सस्थान और मीट्रिक प्रणाली के विस्तार के लिए भी वित्त की व्यवस्था की जानी है। इन विविध कामो के लिए वित्तीय आवश्यकताए, जिनका अनुमान अत्यन्त मितव्ययिता के आधार पर लगाया गया है, अनुबन्ध 1 में दी गई है।

30 **राज्य-सरकारों की औद्योगिक परियोजनाएं :** राज्य-सरकारो-द्वारा सरकारी क्षेत्र के व्यावसायिक सस्थानो के रूप मे विकास के लिए प्रस्तावित मुख्य परियोजनाए अनुबन्ध 2 में प्रस्तुत की गई है। इनमें से अनेक दूसरी योजना से आगे आई है—जैसे, मैसूर आयरन एड स्टील वर्क्स तथा आन्ध्र पेपर मिल्स का विस्तार, दुर्गापुर कोक-भट्ठियो को दुहरा करना और दुर्गापुर से कलकत्ता तक गैस की पाइप डालना। राज्य-सरकारो की मुख्य नई-परियोजनाए ये हैं अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड के उत्पादन में वृद्धि के लिए एफ० ए० सी० टी० कारखाने के विस्तार का तीसरा चरण और त्रावणकोर-कोचीन कैमिकल्स का समन्वित विकास, और कास्टिक सोडा, फिनोल, थैलिक ऐनहाइड्राइड तथा कुछ अन्य कार्बनिक रसायनो के निर्माण के लिए दुर्गापुर उद्योग-मडल की कार्बनिक रसायन-परियोजना।

31 राज्य-सरकारो की योजनाओ में उद्योगो के लिए निर्धारित राशियो की सीमा के भीतर ही, न केवल उपर्युक्त परियोजनाओ के लिए, वल्कि राज्य-वित्त-निगमो और औद्योगिक विकास-क्षेत्र-योजनाओ के लिए भी वित्त-व्यवस्था की जानी है। औद्योगिक विकास-क्षेत्र-योजनाओ का उद्देश्य उन प्रदेशो में, जो इस समय औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं, उद्योगो के विकास में योग देना है। विचार यह है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए इलाको में ऐसे स्थानो पर, जहा सचार के साधन अच्छे है या आसानी से विकसित किए जा सकते है, जमीन के उपयुक्त टुकडे अधिगृहीत कर उन पर कारखानो के लिए स्थान विकसित किए जाए, उनमें बिजली, पानी, नालिया, आदि बुनियादी सुविधाओ की व्यवस्था की जाए, और फिर उन्हें उद्योग स्थापित करने के इच्छुको के हाथ बेचा जाए या पट्टे पर दे दिया जाए। राज्यो की योजनाओ में औद्योगिक विकास-क्षेत्र-योजनाओ के लिए 5 4 करोड रु० का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

निजी क्षेत्र के कार्यक्रम

32 **सामान्य तथ्य :** अप्रैल 1956 के औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत 'क' अनुसूची के उद्योगो के अतिरिक्त भी, जो कि राज्य के लिए सुरक्षित है, निजी उद्योगो के लिए बहुत व्यापक कार्य-क्षेत्र खुला पडा है। निजी उद्योग इन अवसरो का लाभ उठाने में पीछे नही रहे हैं। इसी अध्याय में पहले निर्माता-उद्योगपतियो की साहसिकता का उल्लेख किया जा चुका है। किन्तु यह बात नही भुलाई जानी चाहिए कि निजी क्षेत्र के इस जीवन्त विकास में गत दस वर्षो में किए गए सरकारी पूजी-विनियोग के विशाल कार्यक्रम ने बहुत बडा योग दिया है। यह योग आवश्यक ऊपरी साधनो की व्यवस्था के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में और माग को प्रोत्साहन देकर और उसके द्वारा औद्योगिक वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर अप्रत्यक्ष रूप में दिया गया है। अगले पाच वर्षो के लिए बडे पैमाने पर आयोजित सरकारी पूंजी-विनियोग से निजी क्षेत्र के उद्योगों के सचालन के लिए इन्ही अनुकूल परि-स्थितियो के बने रहने की सम्भावना है, किन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये उद्योग

औद्योगिक विकास के समग्र ढांचे के अंग-रूप में रहें और उपर्युक्त पैराग्राफ 19 में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार हो। इसके अतिरिक्त, दूसरी योजना के अन्तिम वर्षों में विदेशी मुद्रा और बिजली की जो कमी थोडी-बहुत अनुभव की गई है, उसके तीसरी योजना की सम्पूर्ण अवधि में कायम रहने और उसके फलस्वरूप निजी उद्योगों के उन्मुक्त विकास के सीमित होने की सम्भावना है। दूसरी योजना में जहा अनेक मूल औद्योगिक लक्ष्यों को बढा दिया गया था, वहा तीसरी योजना में औद्योगिक लक्ष्यों में कोई भी परिवर्तन समस्त परिस्थितियो को—जिनमें विदेशी मुद्रा, आन्तरिक साधन, परिवहन, बिजली की उपलब्धि, प्रशिक्षित कर्मचारी और योजना में निर्दिष्ट प्राथमिकताए शामिल हैं—ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।

33 तीसरी योजना के लिए क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए योजना-आयोग ने जून 1960 में योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभिन्न उद्योगो के प्रतिनिधियो से विचार-विनिमय किया था। आयोग ने विकास-परिषदो और अन्य अभिकरणो से विभिन्न उद्योगो के लक्ष्यो पर विचार करने का अनुरोध किया था, उनकी सिफारिशें भी आयोग के सामने थी। तीसरी योजना के काल में निजी क्षेत्र को पूजी-विनियोग के लिए उपलब्ध कराए जानेवाले सम्भावित वित्तीय साधनो-जैसे व्यापक प्रश्नो पर देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्य-सगठनो से भी विचार-विनिमय किया गया था।

34 इस अध्याय के अन्त (अनुबन्ध 3) में दिए गए विवरण में तीसरी योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगो के लिए प्रस्तावित लक्ष्य दिए गए है। ये सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रो के सम्मिलित लक्ष्य हैं। इजीनियरी उद्योगो के लिए ये लक्ष्य दो पालिया चला कर कारखानो की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए वित्त-व्यवस्था

35 तीसरी योजना की अवधि में निजी क्षेत्र में सम्पूर्ण स्थिर सम्पत्तियो के लिए वित्त-व्यवस्था करने के निमित्त विनियोगजन्य धन की आपूर्ति के स्रोत और हर स्रोत से उपलब्ध हो सकनेवाले धन के अनुमान इस प्रकार हैं :

तालिका-संख्या 4

निजी क्षेत्र के औद्योगिक और खनिज कार्यक्रमो के लिए धन की उपलब्धि के स्रोत

(करोड रु०)

स्रोत	तीसरी योजना की अवधि में
सस्थात्मक अभिकरण	130
केन्द्रीय और राज्य-सरकारो-द्वारा सीधे दिए गए ऋण और अन्य सहायता	20
नया पूंजी-निर्गमन	200
आन्तरिक साधन (पुन अदायगी की देनदारिया छोड कर)	600
पूजी के लिए विदेशो से प्राप्त प्रत्यक्ष ऋण-राशि	300
योग	1,250

इन अनुमानो के अनुसार, जितनी राशि की प्राप्ति की सम्भावना है, वह निजी क्षेत्र के कार्यक्रमो की आवश्यकताओं में, जो अनुमानत 1,350 करोड रु० की होगी, कम है। समग्र वित्तीय साधनो की कमी के साथ-साथ एक और कठिनतर समस्या है, समस्त लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि। विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 530 करोड रु० से कम नहीं है। इस आवश्यकता को सम्पूर्णत पूरा करने के लिए विदेशो से सहायता या ऋण प्राप्त होने के अभी कोई लक्षण दिखाई नही पडते। वर्तमान स्थिति में यह नही कहा जा सकता कि किन-किन उद्योगो में वास्तविक कार्य लक्ष्य से कम होगा। यह बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जिन उद्योगो में विदेशी सहयोग और पूजी-विनियोग वाछनीय है, उनमें उसे प्राप्त करने में कितनी सफलता मिलती है। किन्तु उच्च प्राथमिकतावाले उद्योगो में इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि उनके लक्ष्य पूरे हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इरादा यह है कि औद्योगिक कार्यक्रमो की नियमित रूप से समय-समय पर समीक्षा की जाए और प्राप्त सफलता तथा समय-समय पर सामने आनेवाली प्राथमिकताओ के आधार पर छ मास बाद अलग-अलग उद्योगो के लिए विदेशी मुद्रा या ऋण का बंटवारा किया जाए। इस तरीके से सन्तुलित होने की आशा है।

36 प्राथमिकताए निर्धारित करते समय एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखी जाएगी कि कौन-सा उद्योग आयात में कमी या निर्यात में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा के दबाव को कम करने में कितनी सहायता कर सकता है। इस प्रकार, जो उद्योग विदेशी मुद्रा का सीधा अर्जन या बचत कर सकेंगे, उन्हें उन उद्योगो पर प्राथमिकता दी जाएगी, जो केवल देश के आन्तरिक बाजार के लिए ही निर्मित वस्तुओ की उपलब्धि बढाने में योग देंगे। आयात में बचत का अनुमान लगाने के लिए अब पहले की अपेक्षा अधिक कडी कसौटिया काम में लाई जाएगी

औद्योगिक कार्यक्रम की मुख्य बातें

तीसरी योजना में मुख्य उद्योगो के विकास-कार्यक्रमो की खास-खास बातो का विवेचन निम्नलिखित पैराग्राफो में किया गया है

धातुकर्म-उद्योग

37 **लोहा और इस्पात :** इस उद्योग के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 102 लाख टन इस्पात-सिल्लियो की उत्पादन-क्षमता तथा 15 लाख टन बिक्री-योग्य कच्चे लोहे के उत्पादन का रखा गया है। सन् 1965-66 तक कच्चे लोहे और तैयार इस्पात की अनुमानित आवश्यकता, जिसके आधार पर इस उद्योग की योजना तैयार की गई है, नीचे प्रस्तुत की गई है। उसके साथ ही तीसरी योजना के प्रारम्भ में उपलब्ध स्थापित क्षमता के आकडे भी दिए गए है। तीसरी योजना के लिए लोहे और इस्पात की माग का अनुमान इस बुनियादी धारणा के आधार पर लगाया गया है कि मौजूदा बिक्री-मूल्य ही तीसरी योजना की अवधि में भी बना रहेगा।

38 इस्पात के लक्ष्य में निजी क्षेत्र का हिस्सा 32 लाख टन सिल्लियो का है। टाटा आयरन एड स्टील कम्पनी तथा इडियन आयरन एड स्टील कम्पनी की वर्तमान उत्पादन-क्षमता 30 लाख टन की है। निजी क्षेत्र में इस्पात-उद्योग की क्षमता का विस्तार बिजली

तालिका-सख्या 5

लोहे और इस्पात की मांग का श्रेणीवार विवरण

(हज़ार टन)

इस्पात-निर्मित तैयार वस्तुएं	1965-66 तक अनुमानित माग	1961 के प्रारम्भ में विद्यमान क्षमता
भारी पटरिया और फिशप्लेटें	400	345
भारी निर्माण-सामग्री और चौडी धरनें	550	445
स्लीपर और क्रासिंग स्लीपर	200	180
मध्यम और हल्की निर्माण-सामग्री	550	680
गोल और चपटी चीजें, जिनमें नट, बोल्ट और पेंच, आदि भी शामिल है	2,200	1,305
टीन की चादरें	300	150
चादरें 3/16 इच और अधिक की	650	300
तार और तार के रस्से	400	220
हूप और बक्से बाधने की पट्टिया	50	45
नलियो के लिए स्ट्रिप और स्केल्प	1,200	740
चादरें	400	188
ढलाई की सिल्लिया और सलाखें	300	132
पहिए, टायर और ऐक्सल	100	30
योग	7,300	4,760
बिक्री के लिए कच्चा लोहा	1,500	660-870

की भट्ठियो की स्थापना से होने की आशा है, जो री-रोलरो को की जानेवाली बिलेटो की आपूर्ति में वृद्धि करेंगी। ख्याल है कि तीसरी योजना की समाप्ति तक मुख्य इस्पात-उत्पादको-द्वारा री-रोलिंग कारखानो को दस लाख टन बिलेट मिलने लगेंगे। जहा तक बिक्री-योग्य कच्चे लोहे का सम्बन्ध है, निजी क्षेत्र का उत्पादन फिलहाल 3 लाख टन आका गया है, जो नीची शैफ्टवाली धमन-भट्ठियो में लोहा-निर्माण-क्षमता का विस्तार करके अथवा बिजली की भट्ठियो में खनिज लोहे को पिघला कर, अथवा दोनो ही तरीको से तैयार किया जाएगा।

39 जहा तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, नए इस्पात-कारखानो में, जिनका निर्माण सन 1960-61 तक पूरा हो गया है, शीघ्रातिशीघ्र क्षमता-भर उत्पादन कराया जाने लगेगा और यह तीसरी योजना के शुरू के वर्षो का सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। योजना में सम्मिलित किए गए इस उद्योग के विकास के नए कार्यक्रम ये है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात-कारखानो और मैसूर आयरन एड स्टील वर्क्स का विस्तार तथा बोकारो में एक नए इस्पात कारखाने की स्थापना। इसके अतिरिक्त, योजना में एक कच्चे लोहे के कारखाने की परियोजना भी शामिल की गई है, जिसमें नीची शैफ्टवाली

धमन-भट्ठी की तकनीकें काम में लाई जाएंगी और नइवेली का भूरा कोयला प्रयुक्त होगा। इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत उत्पादन-क्षमता का लक्ष्य इस प्रकार रखा गया है

(लाख टन)

योजना	क्षमता का लक्ष्य	
	इस्पात की सिल्लिया	कच्चा लोहा
(क) विस्तार-कार्यक्रम		
भिलाई	25	3
राउरकेला	18	—
दुर्गापुर	16	3
मैसूर आयरन एड स्टील वर्क्स	1	—
(ख) बोकारो इस्पात-परियोजना	10	3 5
(ग) नइवेली कच्चा लोहा-परियोजना	उत्पादन-क्षमता अभी तक निर्धारित नही की गई है	

40 नइवेली कच्चा लोहा-परियोजना, जिसकी विधि और प्रयोग में लाई जानेवाली कच्ची सामग्रियो के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाच करना अभी शेष है, दक्षिण-क्षेत्र में लगभग 5 लाख टन क्षमता के एक इस्पात-कारखाने की स्थापना की दिशा में एक मध्यवर्ती चरण है। तीसरी योजना में इसके लिए की गई वित्त-व्यवस्था मुख्यत लिग्नाइट (भूरा कोयला) से कोक तैयार करने के लिए उच्च तापमान पर कार्बनीकरण करनेवाले सयन्त्र की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए है।

41 मैसूर आयरन एड स्टील वर्क्स के विस्तार-कार्यक्रम में मुख्यत लौह-सिलिकन-सयन्त्र पर होनेवाला पिछला अवशिष्ट व्यय तथा एल० डी० विधि से इस्पात-निर्माण और हल्की निर्माण-सामग्री तैयार करने के एक कारखाने के लिए व्यवस्था शामिल है।

42 बोकारो में बननेवाले नए इस्पात-सयन्त्र का नक्शा 20 लाख टन इस्पात की सिल्लियो की क्षमता को दृष्टि में रख कर तैयार किया जा रहा है, किन्तु प्रारम्भ में दस लाख टन उत्पादन के लिए ही सयन्त्र लगाने का इरादा है। आशा है कि यह सयन्त्र विशेष रूप से इस्पात की विभिन्न किस्मो की चपटी चीजें तैयार करेगा। इस समय इस बात पर विचार किया जा रहा है कि पहले चरण में इस सयन्त्र में किस-किस किस्म की चीजें तैयार की जाए और उन्हें परिष्कृत रूप देने के लिए क्या-क्या यन्त्र लगाए जाए।

इन विकास-कार्यक्रमो की समाप्ति पर सरकारी क्षेत्र के इस्पात-कारखानो की मध्यम किस्म के इस्पात की उत्पादन-क्षमता 30 लाख टन से बढ कर 70 लाख टन हो जाएगी और निजी क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता को मिला कर क्षमता 102 लाख टन सिल्लियो की हो जाएगी।

43 तीसरी योजना में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के इस्पात-विकास-कार्यक्रमो के लिए कुल 525 करोड रु० के पूजी-विनियोग की आवश्यकता है। इसमें नगरियो में सूने

के पत्थर का एवं दल्ली रजारा तथा बरसुआ में खनिज लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित विस्तार-कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पूंजी-विनियोग भी शामिल हैं। साथ ही, इसमें बोकारो इस्पात-संयन्त्र के लिए कोयले और खनिज लोहे की उत्पादन-वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी-विनियोग तथा चारों इस्पात-कारखानों से सम्बद्ध नगरों पर होनेवाला खर्च भी शामिल है।

44 तीसरी योजना की अवधि में देश में तैयार इस्पात का कुल उत्पादन फिलहाल 241 लाख टन आंका गया है, जिसमें बोकारो इस्पात-संयन्त्र से सन् 1965-66 में होनेवाला 3 लाख टन का उत्पादन भी शामिल है। विभिन्न वर्षों में उत्पादन का अनुमान इस प्रकार है :

तैयार इस्पात का अनुमानित उत्पादन

वर्ष	लाख टन
1961-62	35
1962-63	40
1963-64	43
1964-65	55
1965-66	68
योग	241

उत्पादन-सम्बन्धी उपर्युक्त अनुमानों और विभिन्न प्रकार की तैयार इस्पात की वस्तुओं की उपलब्धि की सम्भावना के आधार पर यह आशा की जाती है कि अभाव की मात्रा काफी उल्लेखनीय होगी—खास कर योजना-अवधि के प्रारम्भिक वर्षों में और टीन की प्लेटों, चादरों, स्केल्प और प्लेटों आदि चपटी चीजों के मामले में। इसके परिणामस्वरूप, इन चपटी चीजों के आयात की मात्रा निर्धारित करने और विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं में उन्हें बांटने के लिए प्राथमिकताओं की एक योजना बनानी पड़ेगी। प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि रोलिंग मिलों में चपटी चीजों के उत्पादन के लिए प्राप्त सुविधाओं का अधिक सघन उपयोग करने के लिए यदि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में इस्पात की सिल्लियों का अधिक उन्मुक्त रूप से आदान-प्रदान किया जाए, तो कम उपलब्ध होनेवाली इस्पात की वस्तुओं की मांग और आन्तरिक उत्पादन के अन्तर को कम करना बहुत हद तक सम्भव हो सकेगा। इस सम्भावना पर हर वर्ष उत्पन्न होनेवाली परिस्थिति के प्रकाश में उत्पादन का आयोजन करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए।

45 प्रमुख इस्पात-उत्पादकों के उत्पादन में टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी-द्वारा और राउरकेला के कारखाने में उत्पादित वैद्युतिक इस्पात की चादरें भी शामिल होंगी। इसी प्रकार, वैद्युतिक भट्ठी बिलेटों का काम करनेवाले उत्पादकों और शस्त्रास्त्र-कारखानों-द्वारा उत्पादित तैयार इस्पात के मामले में मिश्र धातु इस्पात और औजार-इस्पात भी शामिल रहेंगे। भारत इस्पात की इन विशिष्ट किस्मों का उत्पादन-स्तर सन् 1965-66 के अन्त तक, मिश्रित और औजार-इस्पात के लिए 75,000 टन और वैद्युतिक इस्पात-चादरों के लिए 70,000 टन आंकी गई है, अनुरूप होगा।

46 औजारी, मिश्र और स्टेनलेस इस्पात : दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में मिश्र, औजारी और विशेष इस्पातो का एक संयत्र स्थापित करने की बात सोची गई थी। तदनुसार ही, सन् 1958 में विभिन्न किस्मो के तैयार माल के 25,000 टन वार्षिक उत्पादन के आधार पर एक संयन्त्र की स्थापना के लिए कुछ प्रमुख विदेशी उत्पादको से प्रारम्भिक परियोजना-रिपोर्टें प्राप्त हुई। इस योजना को कार्यान्वित करने में इसलिए विलम्ब हो गया कि इसकी अधिक विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त करने का निश्चय किया गया और जब यह रिपोर्ट तैयार की जाने लगी, तो इस ख्याल से कि तीसरी योजना में मिश्र इस्पात की माग काफी बढ जाने की सम्भावना के कारण अधिक बडा और लाभकारी संयन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए, परियोजना का क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया। फलतः जुलाई 1960 में परामर्शदाताओ से रिपोर्ट प्राप्त हुई और नवम्बर 1960 में यह निश्चय किया गया कि दुर्गापुर में 48,000 टन की वार्षिक उत्पादन-क्षमतावाला मिश्र और औजारी इस्पात का कारखाना खोला जाए और उसमें ऐसी व्यवस्था रहे कि आवश्यकता पडने पर उसका उत्पादन द्रुत गति से बढा कर एक लाख टन किया जा सके।

47 इंजीनियरी उद्योगो की इन ऊंची कीमतवाली किन्तु आवश्यक कच्ची साम-ग्रियो की मौजूदा भारी माग इन उद्योगो के अनुरक्षण की दृष्टि से एक गम्भीर समस्या है। इसलिए इन उत्पादनो की पंचवर्षीय अवधि में आवश्यकताओ की दृष्टि से ही नही, बल्कि दीर्घकालीन माग-वृद्धि की सम्भावनाओ की दृष्टि से भी, औजारी, मिश्र और स्टेनलेस इस्पातो के रूप में काम आनेवाले इस्पात के उत्पादन को तीसरी योजना में बहुत उच्च प्राथ-मिकता देना आवश्यक है। सन् 1965 और सन् 1970 में इन वस्तुओ की माग के अनुमान, जिन्हें इस क्षेत्र में आयोजन के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में सामने रखा गया है, नीचे दिए जा रहे हैं। इनके साथ ही दुर्गापुर में स्थापित की जानेवाली सरकारी क्षेत्र की परियोजना में तैयार होने वाली वस्तुओ का विवरण भी दिया जा रहा है

तालिका-संख्या 6

मिश्र, औजारी और विशेष इस्पात की भारी मांग के अनुमान

(तैयार इस्पात की टन में दी गई मात्रा—इसमें वैद्युतिक इस्पात-चादरें, स्प्रिंग इस्पात और फ्री-कटिंग इस्पात शामिल नहीं हैं)

	1965	1970	दुर्गापुर मिश्र इस्पात-परियोजना की उत्पादन-क्षमता
औजारी इस्पात	42,000	70,000	13,000
निर्माण-कार्योपयोगी चादरें	1,00,000	2,41,000	17,500
स्टेनलेस इस्पात	50,000	68,000	17,000
साचा-सम्बन्धी और अन्य मिश्र इस्पात	8,000	10,000	500
योग	2,00,000	3,89,000	48,000

48 दुर्गापुर के प्रस्तावित मिश्र इस्पात-सयन्त्र में उन्नत देशों में हाल में विकसित की गई कुछ आधुनिकतम उत्पादन-विधिया और साधन-सामग्रिया भी काम में लाई जाएगी। उदाहरण के लिए, परियोजना के गैस-प्रज्वलित गढ़ों के बजाय, बिजली-द्वारा चालित शोषक गड्ढे बनाए जाएगे। भविष्य में इस सयन्त्र के और विस्तार के लिए यह बात भी ध्यान में रखी जाएगी कि इसमें प्रारम्भिक कच्ची सामग्री के तौर पर लोहे की कतरनों के बजाय स्पज लोहे का इस्तेमाल करना और अनवरत ढलाई की मशीनें लगाना वाछनीय होगा। विकास के वर्तमान चरण में यह निश्चय किया गया है कि यह सयन्त्र निकटवर्ती इस्पात-सयन्त्र से कच्ची सामग्री के तौर पर बढ़िया किस्म के इस्पात की कतरनें ले। इस परियोजना पर 50 करोड रु० का व्यय आका गया है, जिसमें से 20 करोड रु० विदेशी मुद्रा के रूप में होगा।

49 आशा की जाती है कि प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के शस्त्रास्त्र-कारखाने सरकारी क्षेत्र में मिश्र इस्पात की आपूर्ति के मामले में दूसरे स्रोत का काम देंगे। इशापुर और कानपुर के शस्त्रास्त्र-कारखानों का सम्मिलित उत्पादन, जिसमें मुख्यत निर्माण-सामग्री के रूप में काम आनेवाला इस्पात और अशत स्प्रिंग इस्पात है, 50,000 टन होने का अनुमान है।

इस उद्योग का शेष विकास-कार्य निजी क्षेत्र के लिए रखा गया है, जिसमें इन उत्पादनों की विभिन्न श्रेणियों की कमी को ध्यान में रखते हुए उनकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त कारखाने लगाए जाएगे।

50 अल्युमीनियम . अलौह धातुओं के क्षेत्र में अल्युमीनियम की प्रधानता आगे भी बनी रहने की आशा है। सन् 1965-66 के लिए इस धातु के उत्पादन का लक्ष्य 87,500 टन रखा गया है। निजी क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओं के फलस्वरूप, जिन्हें कार्यान्वित करने की अनुमति दी जा चुकी है, इस लक्ष्य के पूरा हो जाने की आशा है

(1) हीराकुड में इडियन अल्युमीनियम कम्पनी के सयन्त्र का 10,000 टन अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन के योग्य और अलवाए के सयन्त्र का 5,000 टन अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन के योग्य विस्तार।

(2) रिहन्द में 20,000 टन वार्षिक उत्पादन-क्षमता के एक प्रद्रावण-केन्द्र की स्थापना।

(3) कोयना में भी 20,000 टन वार्षिक उत्पादन-क्षमता के एक प्रद्रावण-केन्द्र की स्थापना।

(4) मेत्तूर के समीप 10,000 टन वार्षिक उत्पादन-क्षमता के एक प्रद्रावण-केन्द्र की स्थापना।

(5) भारतीय अल्युमीनियम-निगम के सयन्त्र का विस्तार करके उसके उत्पादन में 5,000 टन वार्षिक की वृद्धि।

51 देश में तांबे की बढ़ती हुई माग और तीसरी योजना में उसके उत्पादन में [illegible] वृद्धि की [illegible] सम्भावनाओं को देखते हुए अल्युमीनियम के उत्पादन का विस्तार [illegible] दृष्टि से [illegible] आवश्यक होता है। किन्तु यह विस्तार कितना हो, यह इस बात पर निर्भर [illegible] कि [illegible] बिजली की दृष्टि से तांबे का स्थान अल्युमीनियम को [illegible], [illegible] अल्युमीनियम के निर्यात की सम्भावना भी इस सम्बन्ध

मे एक महत्वपूर्ण विचारणीय बात होगी। यदि इन कारखानो के लिए आवश्यक बिजली के उत्पादन की भी व्यवस्था करनी हो, जो कि लगभग निश्चित प्रतीत होती है, तो इनके विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बहुत बडी होगी। अल्युमीनियम-उत्पादन के विस्तार के नए प्रस्ताव कितने आकर्षक है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति किस हद तक हो सकती है।

52 तांबा : भारतीय तावा-निगम-द्वारा घाटशिला में अपना कारखाना चालू किए जाने क साथ तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षो में वैद्युतिक तावे का उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। खेतड़ी और दरीबो की तावा-खानो से सम्बद्ध प्रद्रावण-केन्द्र और वैद्युतिक शोधनालय सन् 1964 के मध्य तक स्थापित हो जाएगे। इन तावा-खानो से वर्ष में 11,500 टन वैद्युतिक तावा प्राप्त होगा।

53 जस्ता : भारत में जस्ते का उत्पादन पहली बार तीसरी योजना के मध्य-काल में प्रारम्भ होने की आशा है, जब कि राजस्थान की जावर खानो से सम्बद्ध जस्ता-प्रद्रावण-केन्द्र चालू होगा। इस सयन्त्र की वार्षिक उत्पादन-क्षमता 15,000 टन की होगी। इस सयन्त्र के साथ ही प्रद्रावण-केन्द्र की गैसो से उपोत्पादन के रूप में गन्धक-अम्ल तैयार करने का एक संयन्त्र भी लगाया जाएगा और यह गन्धक-अम्ल बाद में फास्फेटयुक्त उर्वरको के निर्माण में प्रयुक्त होगा।

इजीनियरी उद्योग—भारी और हल्के

54 कच्चे लोहे और इस्पात की आपूर्ति में वृद्धि की सम्भावनाओ, मशीनो के निर्माण पर अधिक बल तथा अनेक मामलो में पूजी-विनियोग की तुलना में रोजगार की अधिक व्यापक सम्भावनाओ को देखते हुए इस क्षेत्र में बडे पैमाने पर विकास कार्य किए जाने का प्रस्ताव है। सरकारी क्षेत्र मुख्यत भारी मशीनो और भारी मशीन-निर्माण की परियोजनाओ पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के अन्तर्गत निजी उद्योगो के लिए भी अनेक प्रकार की वस्तुओ के उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित किए गए है—जैसे, ट्रैक्टर, डीजल इजिन, सडक कूटने के इजिन, डम्पर और शोवल, आदि-सदृश कृषि-यन्त्र और निर्माण-कार्य में प्रयुक्त होनेवाले उपकरण; ट्रान्सफार्मर (33 किलोवाट से कम शक्ति के), बिजली के केवल और तार तथा घरो में काम आनेवाले मीटर, आदि-जैसे बिजली के वितरण और मापन के साधन, रेल-इजिन, माल-डिब्बे, सवारी डिब्बे, व्यावसायिक गाडिया (बसें और ट्रक), आदि-जैसे रेल और सडक-परिवहन के साधन, चीनी, कागज, सीमेंट और वस्त्र-उद्योगो, कुछ रासायनिक उद्योगो, भाप पैदा करनेवाले उपकरणो (वायलरो) और मशीनी औजारो, वेल्डिंग इलैक्ट्रोड-जैसी उपभोग-जन्य सामग्रियो तथा कार, सिलाई की मशीन, बाइसिकल और बिजली के पखे-जैसी टिकाऊ उपभोक्ता-सामग्रियो के लिए नई इकाइया स्थापित करने के हेतु पूरे सयन्त्र। परन्तु ये लक्ष्य विस्तार की सभी दिशाओ का प्रतिनिधित्व नही करते।

55 इस क्षेत्र में नई वस्तुओ का उत्पादन, जिनमें विभिन्न प्रकार की मशीनें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, दो प्रकार से किया जाएगा। एक तो, विशेष प्रयोजन के लिए निर्मित नए सयन्त्रो में, जैसे कि सीमेंट-उद्योग के उपकरणो और अधिक दबाववाले बायलरो के निर्माण के लिए दुर्गापुर में स्थापित ए० सी० सी० सयन्त्र (एसोसिएटेड सीमेंट-कारखाने-वैकाक

बिल्कासत), और दूसरे, पहले से ही स्थापित तथा संचालित इंजीनियरी कर्मशालाओं में विविध वस्तुओं का उत्पादन करके। विशेष कार्यों के लिए निर्मित नए कारखानों की अपेक्षा पुराने चालू कारखानों में ही नई चीजों के निर्माण के लिए पूंजी-विनियोग की आवश्यकता कम होगी। इसी कारण इस वर्ग के कई उद्योगों में उत्पादन की तुलना में पूंजी-विनियोग का अनुमान कम है। कुछ निर्माण-कार्यक्रमों में यह पद्धति भी अपनाई जा रही है कि कुछ पुर्जों और हिस्सों का उत्पादन सहायक कारखानों अथवा ऐसे बड़े कारखानों को सौंप दिया जाए, जिनमें उत्पादन-क्षमता बेकार पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन और पूंजी-विनियोग का सामान्य अनुपात इनमें लागू नहीं किया जा सकता।

आगे के पैराग्राफों में इंजीनियरी उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है।

ढलाई और गढ़ाई के कारखाने

56 मशीन निर्माण-कार्यक्रमों के लिए ढलाई और गढाई के कारखानों की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी योजना में इस क्षेत्र के लिए कुल मिला कर धूसर लोहे की गढ़ाई का लक्ष्य 12 लाख टन, इस्पात की ढलाई का लक्ष्य 2 लाख टन और इस्पात की गढाई का भी लक्ष्य 2 लाख टन रखा गया है। इन लक्ष्यों की सीमा के भीतर रहते हुए सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में अधिक बल अधिक टन वजनवाली भारी मशीनों के निर्माण पर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में इन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

रांची में स्थापित किए जा रहे ढलाई/गढाई-कारखाने में 45,000 टन इस्पात की ढलाई, 38,000 टन धूसर लोहे की ढलाई और 70,000 टन इस्पात की गढाई की जाएगी। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात-संयन्त्रों, भोपाल की भारी बिजली-सामान-परियोजना, दुर्गापुर की खान-मशीन-परियोजना और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के साथ सम्बद्ध ढलाई-कारखानों की क्षमता बढाई जाएगी। चितरंजन इंजिन-कारखाने में एक ढलाई-कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। इन योजनाओं के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र में कुल उत्पादन-क्षमता इस प्रकार होने की आशा है :

तालिका-संख्या 7

सरकारी क्षेत्र में ढलाई और गढ़ाई की क्षमता

(टन)

	धूसर लोहे की ढलाई	इस्पात की ढलाई	इस्पात की गढाई
रांची का ढलाई-गढाई का कारखाना (तीसरा चरण)	38,000	45,000	69,700
दुर्गापुर का खान-मशीन संयन्त्र (खान-मशीनों के लिए क्षमता—30,000 टन)	11,000	6,000	7,000
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर	6,000	—	—

तालिका-संख्या 7—(जारी)

	धूसर लोहे की ढलाई	इस्पात की ढलाई	इस्पात की गढ़ाई
इस्पात सयन्त्र :			
दुर्गापुर भिलाई राउरकेला	75,000	15,000	—
चित्तरजन का इजिन-कारखाना	3,000	10,000	—
अन्य (रेलवे कर्मशालाओ से सम्बद्ध ढलाई कारखानो-सहित)	6,000	—	—
योग	1,39,000	76,000	76,700

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित अन्य अनेक मशीन-परियोजनाओ के लिए भी ढलाई और गढाई के इस्पात की आवश्यकता होगी। किन्तु इन आवश्यकताओ और इनकी पूर्ति की व्यवस्था की अर्थात् इनकी पूर्ति अन्य परियोजनाओ से बचे ढलाई/गढाई-कारखानो से की जाएगी या स्वतन्त्र इकाइयो से अथवा दोनो से—ठीक-ठीक तसवीर तभी सामने आएगी, जब परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त होगी।

57 मोटर-उद्योग और वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कागज तथा इसी प्रकार के पूजीगत सामान-उद्योगो के लिए मशीन-निर्माण के विस्तार के फलस्वरूप माग बढने पर निजी उद्योग में भी ढलाई-गढाई की नई उत्पादन-क्षमता काफी मात्रा में बढने की आशा है।

औद्योगिक मशीनें

58 इस दिशा में सरकारी क्षेत्र की मुख्य परियोजनाए ये है राची के निकट भारी मशीन-सयन्त्र, दुर्गापुर की खान-मशीन-परियोजना, भोपाल का बिजली के भारी सामान का सयन्त्र, तथा दो अन्य भारी बिजली-सामान-उत्पादन-परियोजनाए, जिनके स्थान के बारे में अभी एक विशेष समिति विचार कर रही है।

59 राची के समीप स्थापित किए जा रहे भारी मशीन-सयन्त्र का विस्तार जब 80,000 टन वार्षिक उत्पादन तक कर लिया जाएगा, तब वह दस लाख टन वार्षिक इस्पात-उत्पादन-क्षमता की वृद्धि तक के लिए आवश्यक साधनो का अधिकतर भाग उपलब्ध कर सकेगा। दुर्गापुर में स्थापित की जा रही खान-मशीन-परियोजना का भी कुछ विस्तार किया गया है और वह 45,000 टन वार्षिक उत्पादन तक की दृष्टि से कार्यान्वित की जा रही है। बिजली का भारी सामान तैयार करनेवाली परियोजनाओ के डिजाइन भी इस हिसाब से बनाए गए है कि वे आन्तरिक स्रोतो से इतनी मात्रा में बिजली का भारी सामान उपलब्ध करा सके कि सन् 1971 के बाद प्रति वर्ष 20 लाख किलोवाट बिजली की वृद्धि की जा सके। वे भारी मोटर, रैक्टीफायर और नियन्त्रण-सम्बन्धी उपकरण भी तैयार करेंगे। चैकोस्लोवाकिया की सहायता से एक और भारी इजीनियरी सामान तैयार करने की परियोजना है, जिसमें तापीय बिजली-सयन्त्रो के लिए ऊचे दबाववाले

बायलर तैयार किए जाएंगे और उसकी उत्पादन-क्षमता 28,000 टन (2,500 टन भाप प्रति घंटा) वार्षिक होगी। यद्यपि प्रारम्भ में इसकी कल्पना भारी बिजली का सामान तैयार करनेवाली एक बड़ी और मिली-जुली परियोजना के अंग-रूप में की गई थी, तथापि अब यह सोचा जा रहा है कि इस परियोजना को एक स्वतन्त्र संयन्त्र के रूप में विकसित किया जाए, जिसकी विशेषता भारी दबाववाले बायलर तैयार करना हो।

60 निजी क्षेत्र में सीमेंट, कागज, चीनी और कपड़े के कारखानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सम्पूर्ण संयन्त्रों के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य और उनके भारत में निर्मित होनेवाले अंश का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

तालिका-संख्या 8

कुछ प्रमुख औद्योगिक मशीनों के उत्पादन के लक्ष्य

मशीनें	संयन्त्र का मानक माप (टन दैनिक)	संयन्त्रों की संख्या	बिजली के सामान को छोड़कर संयन्त्रों का मूल्य (करोड़ रु०)	देश में निर्मित अंश (प्रतिशत)
सीमेंट-कारखाने की मशीनें	500	6-7	4-5	90
कागज-कारखाने की मशीनें				
(क) बड़े संयन्त्र	50	4	6 5-7	70
(ख) छोटे संयन्त्र	10	4		
चीनी-कारखानों की मशीनें	1,000-1,200 (गन्ना)	14	10	85
सूती कपड़े के कारखाने की मशीनें				
(क) कताई कारखाने	12,000 (तकुए)		20	85
(ख) मिले-जुले कारखाने	12,000 तकुए और 300 करघे			
गन्धक-अम्ल-संयन्त्र	50	10	1.3	80

यह अत्यधिक वाछनीय है कि न केवल सन् 1965-66 के लिए मशीन-निर्माण के निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएं, बल्कि हर मशीन के जितने हिस्से और पुर्जे देश में बनाने का लक्ष्य रखा जाए, उसे भी पूरा किया जाए। कारखानों के लिए पूरे संयन्त्रों के निर्माण और आपूर्ति के लिए कई फर्मों के परस्पर मिल कर काम करने की पद्धति, जो चीनी के कारखानों की मशीनें तैयार करने के लिए अपनाई गई है, अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र प्रगति के लिए सुविधाजनक सिद्ध हो सकती है।

मशीनी औजार

61 मशीनी औजारों के मामले में सन् 1965-66 तक 30 करोड़ रु० मूल्य के सामान के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जब कि दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में अनुमानत

7 करोड रु० मूल्य के सामान का उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त, सन् 1965-66 तक छोटे पैमाने के उद्योगो से भी 5 करोड रु० मूल्य के वार्षिक उत्पादन की आशा की जाती है। इस प्रकार, तीन-गुनी वृद्धि हो जाने पर भी उत्पादन माग की तुलना में, जिसके तीसरी योजना के अन्त तक 50 करोड रु० वार्षिक के स्तर तक पहुच जाने की आशा है, बहुत कम है। इस क्षेत्र में उत्पादन-वृद्धि की कुछ सीमाए हैं, क्योकि एक तो इसके लिए दक्ष श्रमिको की बहुत अधिक आवश्यकता है और दूसरे जिन औजारो की माग है, उनकी किस्मे बहुत-सारी है। फिर भी, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें यदि सम्भव हो तो और अधिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

62 सरकारी क्षेत्र में अब तक किए गए विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी प्रबन्ध से यह पूरी तरह सम्भव है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज, जलहाली, और प्राग टूल्ज, हैदराबाद के विस्तार और राची के समीप एक नए भारी मशीनी औजार-कारखाने तथा पजाब में हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज के बराबर परिमाण और उसी किस्म के एक और मशीनी औजार-कारखाने की स्थापना का काम तुरन्त प्रारम्भ किया जा सके। अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के इन मशीनी औजार-कारखानो का उत्पादन, जिसमें प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के अम्बरनाथ-स्थित प्रोटोटाइप कारखाने से प्राप्त होनेवाला सम्भावित योग भी शामिल है, बढ कर 15 करोड रु० के लगभग हो जाएगा।

63 निजी क्षेत्र के विस्तार-कार्यक्रम मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र की योजनाओ के सम्पूरक और परिपूरक होगे तथा मशीनी औजारो की विभिन्न किस्मो की भावी मागो के अनुमानो के अनुसार निर्धारित किए जाएगे।

रेल के इंजिन और डिब्बे

64 इस दिशा में सरकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, चित्तरजन रेल-इजिन-कारखाने के उत्पादन में विविधता लाकर बिजली के इजिनो का निर्माण। इन बिजली के इजिनो को ट्रैक्शन मोटर हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कारखाने में बनाने का इरादा है। डीजल इलेक्ट्रिक और डीजल हाइड्रालिक रेल-इजिनो की निर्माण-परियोजना, जो रेलो की योजना में शामिल की गई है, रेलवे-सामग्री में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक होगी। 12 करोड रु० की डीजल इजिन-परियोजना के अन्तर्गत वर्ष में 140 इजिनो का निर्माण होगा, जिनका मूल्य 10 करोड रु० होगा। डीजल हाइड्रालिक इजिनो में भारतीय रेलवे के एक इजीनियर-द्वारा अभी हाल में आविष्कृत सुधरे हुए डिजाइन 'सूरी ट्रान्समिशन' का भी, जिसे पश्चिम जर्मनी में मूर्त रूप देने के लिए लाइसेंस दिया गया है, इस्तेमाल किया जाएगा। निजी क्षेत्र बिजली की रेलो के सवारी डिब्बो, माल-डिब्बो और छोटी लाइन के भाप के इजिनो का निर्माण-कार्य जारी रखेगा।

जहाज-निर्माण

65 जहाज-निर्माण के कार्यक्रमो म हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का विस्तार और विशाखापटनम में एक सूखे घाट का निर्माण शामिल है। इन कार्यक्रमो के पूरा हो जाने पर विशाखापटनम के जहाज-निर्माण-घाट की वार्षिक जहाज-निर्माण-क्षमता 50,000 से 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० टन तक हो जाएगी।

कोचीन में दूसरे जहाज-घाट का निर्माण और डीज़ल-चालित समुद्री जहाजों के इंजिनों के निर्माण की एक योजना सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम के अंग हैं। इनमें से पहले अंग पर 20 करोड़ रु० और दूसरे पर 5 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है।

66 तटीय और नदी यातायात के लिए छोटे जहाजों, टगों और नौकाओं तथा इनके प्रोपेलर यन्त्रों का निर्माण निजी क्षेत्र में ही होता रहेगा। किन्तु इस क्षेत्र का काम मुख्यतः 'जाब' के आधार पर होगा, इसलिए इन रिवाजी चीजों के लिए विशिष्ट उत्पादन-लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं।

ढांचा-विषयक सामान

67 ढांचा-विषयक सामान के उत्पादन की वर्तमान अनुमानित क्षमता 5,00,000 टन है, जिसमें वैगन बनानेवाले कारखानों की क्षमता भी शामिल है। इसके मुकाबले तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख टन रखा गया है। तीसरी योजना के दौरान भारी ढांचे के सामान के उत्पादन पर पहले की अपेक्षा अधिक बल दिया जाएगा। ढांचे के सामान के इन कारखानों के साथ-साथ भारी प्लेट और वैसल कारखानों की स्थापना-द्वारा प्रैशर वैसल, हीट एक्सचेंजर तथा रासायनिक सयन्त्रों एवं उपकरणों की अन्य किस्मों के निर्माण की सुविधाओं की भी योजना है। क्रेनों का निर्माण इससे सम्बद्ध एक अन्य महत्वपूर्ण दिशा है।

68 सरकारी क्षेत्र में नागपुर-वर्धा इलाके में एक ही स्थान पर एक भारी ढांचों का कारखाना और एक वैसल कारखाना स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। भारी ढांचों के कारखाने की एक पाली की उत्पादन-क्षमता 10,000 टन और वैसल कारखाने की क्षमता 18,000 से 20,000 टन तक प्रति वर्ष होगी। इन दोनों सयन्त्रों पर 10 करोड़ 10 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है।

कारखानों और बिजलीघरों के बायलर

69 सरकारी क्षेत्र में चैकोस्लोवाकिया की सहायता से बननेवाले भारी बिजली के सामान की परियोजना के अलावा निजी क्षेत्र में बिजलीघरों और विभिन्न कारखानों के लिए बायलरों के उत्पादन की व्यवस्था की गई है। सन् 1965-66 में 25 करोड़ रु० मूल्य के बायलरों का उत्पादन होने की आशा

मोटर तथा उससे सम्बद्ध उद्योग

70 इन उद्योगों के लिए प्रस्तावित विकास-स्तर मोटे तौर पर मोटर-उद्योग-सम्बन्धी तदर्थ-समिति की मार्च 1960 की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और मोटर तथा तत्सम्बन्धी उद्योगों के लिए स्थापित विकास-परिषद् की सिफारिशों के अनुसार ही है। इस क्षेत्र की विविध वस्तुओं के लिए निर्धारित उत्पादन-क्षमता के लक्ष्य विकास-परिषद्-द्वारा सिफारिश किए गए न्यूनतम लक्ष्यों के अनुकूल हैं। इसका अपवाद केवल कारें हैं, जिनके लिए तदर्थ-समिति-द्वारा निर्धारित अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य स्वीकार किया गया है। कारों, व्यावसायिक गाड़ियों, जीपों, मोटर-साइकिलों और स्कूटरों के लिए निर्धारित अस्थायी लक्ष्य अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं।

	संख्या
कारें	30,000
व्यावसायिक गाडिया	60,000
जीपें और स्टेशन वैगन	10,000
मोटर-साइकिलें, स्कूटर और तिपहिया गाडिया	60,000

व्यावसायिक गाडियो के लिए निर्धारित लक्ष्य में वे 4,000 गाडिया भी शामिल है, जिनके सैनिक कारखानो में तैयार होने की आशा है।

71 विदेशी मुद्रा के साधनो पर लगातार अधिक दबाव डाले बिना मोटरो के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि सन् 1965-66 तक उनके 85 प्रतिशत भाग देश के भीतर ही बनने लगें, जब कि तीसरी योजना के प्रारम्भ में 60 प्रतिशत से भी कम भाग देश में बनते हैं। इसलिए यह जरूरी होगा कि नए कारखाने स्थापित करने या मौजूदा कारखानो का विस्तार करने के बजाय देश के भीतर अधिकाधिक पुर्जे और हिस्से बनाने के लिए पूजी-विनियोग को प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक गाडियो के उत्पादन को भी प्राथमिकता देनी होगी। मोटर-उद्योग की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए—ढलाई और गढाई के इस्पात, आदि के उत्पादन पर होने-वाले पूजी-विनियोग को छोड कर—इस क्षेत्र के शेष कार्यों की लक्ष्य-पूर्ति के लिए 85 करोड रु० का सीधा पूजी-विनियोग आवश्यक होगा, जिसमें से विदेशी मुद्रा 40 करोड रु० होगी। सीधे पूजी-विनियोग से भी अधिक महत्वपूर्ण अनुरक्षण के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा है, जिसका तीसरी योजना के लिए कुल अनुमान 175 करोड रु० लगाया गया है।

अन्य इजीनियरी उद्योग

72 सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओ को छोड कर, अन्य इजीनियरी उद्योगो की क्षमता का, इस अध्याय के अनुबन्ध 3 में निर्दिष्ट लक्ष्यो के अनुसार, विस्तार निजी क्षेत्र के प्रयत्नो से ही किया जाएगा .

(क) सूक्ष्म यन्त्र-परियोजना
(ख) सूक्ष्म यन्त्र-कारखाना, लखनऊ, का विस्तार
(ग) हिन्दुस्तान केबल्स, रूपनारायणपुर, का विस्तार
(घ) सरकारी बिजली-कारखाना, बगलौर का विस्तार
(ङ) भारी कम्प्रेसर और पम्प-परियोजना
(च) बाल और रोलर बियरिंग-परियोजना
(छ) शल्य-क्रिया-उपकरण-परियोजना, गिंडी

भावी उन्नति की दृष्टि से सूक्ष्म यन्त्र-परियोजना बुनियादी महत्व रखती है और एक अत्यन्त विशिष्ट क्षेत्र में एक नई प्रगति की द्योतक है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष में अन्तत 20 करोड रु० मूल्य के नियन्त्रण-औजार और उपकरण तैयार करने का प्रस्ताव है। गिंडी के समीप शल्य-क्रिया-उपकरण-संयन्त्र का आयोजन 2 7 करोड रु० लागत से 25 प्रकार के उपकरण तैयार करने के लिए किया गया है। डीजल रेल-इजिन-परियोजना की भाति हिन्दुस्तान केबल्स का विस्तार भी सचार के क्षेत्र में सरकार की मागो की वृद्धि से सम्बद्ध है।

इस या अन्य क्षेत्रों में, जहां कहीं भी किसी वस्तु के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, वहां विकास-कार्यक्रम समय-समय पर तदर्थ समीक्षाओं-द्वारा विनियमित किए जाते रहेंगे।

रसायन एवं अन्य सम्बद्ध उद्योग

73 इस शीर्षक के अन्तर्गत तीसरी योजना में सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण पूंजी-विनियोग उर्वरकों के क्षेत्र में किया जाएगा। कृषि-कार्यक्रमों में तेजी से बढ़ती हुई मांग के कारण नत्रजनयुक्त उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन बहुत आवश्यक हो गया है और तेल-शोधनालयों तथा कोक-भट्ठी-संयन्त्रों में उपलब्ध होनेवाली बेकार गैसों एवं अन्य पेट्रोलियम के खनन से निकलनेवाली गैस और सबसे बढ़ कर पेट्रोलियम नैफ्था की प्राप्ति ने उन कार्बनिक रासायनिक उद्योगों को भी बड़ा उभार दिया है, जिन्हें अब तक मुख्यतः शीरे से प्राप्त अलकोहल एवं कार्बाइड से प्राप्त ऐसिटिलीन पर निर्भर करना पड़ता था। कार्बनिक हाइड्रोकार्बनों—यथा, बेनेजीन, टाल्वीन, नैफ्थलीन, एन्थ्रेसीन और जाइलीन, आदि—की प्राप्ति से कार्बनिक अन्तरायकों के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात-संयन्त्रों में कोयले से कोक के निर्माण में जैसे-जैसे वृद्धि होगी, वैसे-वैसे यह उत्पादन और भी बढ़ता जाएगा। ध्यान है कि कुछ तेल-शोधनालयों में मामूली संशोधन और परिवर्द्धन से कुछ हाइड्रोकार्बनों की प्राप्ति सम्भव है।

इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख उद्योगों के कार्यक्रमों का नीचे संक्षेप में विवरण दिया गया है :

अकार्बनिक रसायन

74 उर्वरक : सन् 1965-66 तक नत्रजन और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की मांग बढ़ कर, नत्रजन और पी 2 ओ 5 के सन्दर्भ में, क्रमशः 10 लाख टन और 4 लाख टन हो जाएगी। जहां तक फास्फेटयुक्त उर्वरकों का सम्बन्ध है, उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके उत्पादन का कम-से-कम 50 प्रतिशत भाग पानी में घुलने-योग्य होना चाहिए। नत्रजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन-सम्बन्धी आयोजन के लिए उनके स्वरूप और मात्राएं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं :

तालिका-संख्या 9

नत्रजनयुक्त उर्वरकों का स्वरूप

(हजार टन नत्रजन)

	1965-66
अमोनियम सल्फेट	230
अमोनियम सल्फेट-नाइट्रेट	30
नाइट्रोचाक और नाइट्रोलाइम स्टोन	160
नाइट्रोफास्फेट मिश्र उर्वरक	45
यूरिया	305
अमोनियम फास्फेट	200
अमोनियम क्लोराइड	30
योग	1,000

उपर्युक्त विवरण से यह प्रकट होता है कि नत्रजन के अतिरिक्त उत्पादन का एक बड़ा भाग भौतिक और/या मिश्र उर्वरकों के रूप में बनाने का आयोजन किया गया है, ताकि फास्फेट (पी$_2$ ओ$_5$) की भी कुछ आवश्यकता पूरी हो सके। उत्पादन का यह स्वरूप इस ढंग से तैयार किया गया है कि गन्धक और जिप्सम पर निर्भरता एक सीमा के अन्दर रह सके।

75 यह निश्चय किया गया है कि दूसरी योजना की अवशिष्ट उर्वरक-परियोजनाओं की पूर्ति के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य-सरकारें सरकारी क्षेत्र में नत्रजन-युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए कुछ नए कारखाने स्थापित करें। तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा के प्रकाशन के समय स्थायी तौर पर यह सोचा गया था कि सरकारी क्षेत्र की नत्रजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन की क्षमता बढ़ा कर आठ लाख टन तक कर दी जाए और दस लाख टन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अवशिष्ट दो लाख टन की उत्पादन-क्षमता निजी क्षेत्र में स्थापित की जाए। किन्तु अब प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्र शायद पूर्व-कल्पना से अधिक उत्पादन-क्षमता के कारखाने खड़े कर सकेगा और सन् 1965-66 तक सरकारी क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता आठ लाख टन से कुछ कम रहेगी। साहू कैमिकल्स के वाराणसी-स्थित कारखाने की क्षमता बढ़ा कर 20,000 टन करने के अलावा अब तक उर्वरक-उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र से इन स्थानों के लिए प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जा चुके हैं मद्रास के निकट एन्नोर में (8,250 टन नत्रजन), मध्यप्रदेश में (50,000 टन नत्रजन), आन्ध्रप्रदेश के विशाखापटनम (80,000 टन नत्रजन) और कोठागुडियम में (80,000 टन नत्रजन), तथा राजस्थान में (80,000 टन नत्रजन)। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र-द्वारा पश्चिम-बंगाल-सरकार की साझीदारी में दुर्गापुर में भी एक उर्वरक-कारखाना (58,000 टन नत्रजन) स्थापित किए जाने की आशा है।

गुजरात और मैसूर में भी उर्वरक-कारखानों की स्थापना का विचार है। इस सम्बन्ध में विस्तृत बातों पर अभी विचार किया जा रहा है।

76 तीसरी योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में उर्वरक-उत्पादन की क्षमता फिल-हाल 7,30,000 टन आंकी गई है, जिसका विवरण नीचे की तालिका में प्रस्तुत है

तालिका-संख्या 10

सरकारी क्षेत्र में नत्रजनयुक्त उर्वरकों की उत्पादन-क्षमता

(टन नत्रजन)

वर्तमान क्षमता (सिन्दरी, नंगल और एफ० ए० सी० टी०)	2,17,000
राउरकेला	1,20,000
नइवेली	70,000
ट्राम्बे	90,000
नहरकटिया	32,500
एफ० ए० सी० टी० का विस्तार	40,000
गोरखपुर	80,000
सरकारी क्षेत्र में एक और उर्वरक-कारखाना	80,000
योग	7,29,500

साधारणतः नए संयन्त्रों की उत्पादन-क्षमता 70,000 से 80,000 टन नत्रजन तक

रखी जाएगी, ताकि उचित मार्गदर्शन किया जा सके और उर्वरक-संयन्त्र से सम्बद्ध उपकरणों के निर्माण-विषयक आयोजन में सुविधा हो।

77 सादे फास्फेटयुक्त उर्वरकों के मामले में, दो लाख टन पी$_2$ ओ$_5$ की उत्पादन-क्षमता का आयोजन पहले ही किया जा चुका है। सुपरफास्फेट के उत्पादन में वृद्धि की कोई योजना नहीं है।

78 नत्रजन और फास्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन सन् 1961-66 में न्यूनाधिक इस प्रकार होने की आशा है

तालिका-संख्या 11

नत्रजन और पी$_2$ ओ$_5$ के उत्पादन के अनुमान

(हजार टन)

	नत्रजन	पी$_2$ ओ$_5$
1961-62	140	100
1962-63	200	150
1963-64	300	225
1964-65	500	300
1965-66	800	400

पूंजी-खाते में उर्वरक-कार्यक्रमों का कुल पूंजी-विनियोग 225 करोड़ रु० और उसका विदेशी मुद्रा का भाग 100 करोड़ रु० होने की आशा है।

79 गन्धक-अम्ल : गन्धक-अम्ल का उत्पादन औद्योगिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। उसके उत्पादन के लिए निर्धारित 17.5 लाख टन का लक्ष्य देश में उद्योग के सर्वतोमुखी विकास की एक झलक देता है। सरकारी क्षेत्र में गन्धक-अम्ल के उत्पादन में वृद्धि उर्वरकों के उत्पादन, इस्पात-संयन्त्रों से उपोत्पादनों की प्राप्ति और पिकलिंग-प्रक्रिया, पेट्रोलियम-शोधन और कार्बनिक अन्तरायकों तथा औषधों के निर्माण एवं खनिज पदार्थों से यूरेनियम निकालने के साथ सम्बद्ध है। सन् 1965-66 तक सरकारी क्षेत्र में अम्ल की कुल मांग 5,50,000 टन हो जाने की आशा है, जब कि दूसरी योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता 1,50,000 टन के लगभग थी।

सन् 1960-61 में इस अम्ल के उपभोग का वर्गीकरण और सन् 1965-66 में उसकी आवश्यकता इस प्रकार आंकी गई है

(हजार टन गन्धक-अम्ल)

	1960-61 में अनुमानित उपभोग	1965-66 में अनुमानित आवश्यकता
उर्वरक	210	1,090
इस्पात-कारखाने	26	30
रेयन और स्टेपल रेशे	59	135
सल्फेट और अन्य अकार्बनिक लवण	24	10
पेट्रोलियम-शोधन	8	20
विविध	33	165
योग	360	1,500

80 यद्यपि अब तक गन्धक-अम्ल का उत्पादन गन्धक पर आधारित रहा है, तथापि तीसरी योजना में स्थापित की जानेवाली क्षमता का एक भाग उपोत्पादन, प्रद्रावण-गैसो (जस्ता और तावा प्रद्रावको) तथा अमजोर (बिहार) की खानो से उत्पन्न पाइराइटो से सम्बद्ध रहेगा। यदि दुर्गापुर और बोकारो के इस्पात-सयन्त्रो के निकट बडे पैमाने पर उर्वरक-कारखाने स्थापित कर उनसे सम्बद्ध पाइराइट-गन्धक-अम्ल सयन्त्र स्थापित किए जाए, तो उनमे निकलनेवाले 'हल्के आक्साइडो' का खनिज लोहे के सिंटरिंग में प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकेगा।

81 गन्धक : अनुमान लगाया गया है कि गन्धक का उपभोग सन् 1960-61 की 1,75,000 टन की मात्रा से बढ कर तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में 6,00,000 टन के करीब हो जाएगा, जिसमें पाइराइटो और प्रद्रावण-गैसो में विद्यमान गन्धक की मात्रा भी शामिल है। अन्य देशो में गन्धक की उपलब्धि के नए स्रोतो के विकास के फलस्वरूप इन बुनियादी औद्योगिक कच्चे माल के आयात-मूल्य में विशेष वृद्धि होने की अभी कोई सम्भावना प्रतीत नही होती। फिर भी, यह बहुत आवश्यक है कि देश के भीतर गन्धक का कोई स्रोत विकसित किया जाए। तीसरी योजना में इस समस्या के समाधान का एक बडा प्रयत्न किया जाएगा। पाइराइटो से गन्धक की प्राप्ति के लिए एक सरकारी परियोजना तीसरी योजना में शामिल की गई है। (अध्याय 27 के पैराग्राफ 50 के अनुसार)

82 कास्टिक सोडा और सोडा ऐश : इन रासायनिक पदार्थों के लक्ष्य इस दृष्टि से निर्धारित किए गए हैं कि उनसे सन् 1965-66 की पूरी अनुमानित आवश्यकताए आन्तरिक स्रोतो से ही पूरी की जा सकें। त्रावणकोर-कोचीन कैमिकल्स के विस्तार-कार्यक्रम और पश्चिम-बगाल की कार्बनिक रसायन-योजना को छोड कर, इन दोनो उद्योगो का विकास पूर्णत निजी उद्योग पर ही निर्भर है। कास्टिक सोडे के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त उत्पादन इलेक्ट्रोलिटिक और रासायनिक, दोनो विधियो से किए जाने की आशा है। दूसरी और तीसरी योजनाओ के अन्तिम वर्षों में इन दोनो विधियो से कास्टिक सोडे के उत्पादन के अलग-अलग आकडे इस प्रकार है

(टन)

	1960-61	1965-66
रासायनिक कास्टिक	27,000	50,000
इलेक्ट्रोलिटिक कास्टिक	97,435	3,50,000
योग	1,24,435	4,00,000

सोडा ऐश के उत्पादन के विस्तार में भारी सोडा ऐश का उत्पादन भी सम्मिलित किए जाने की आशा है। भारी और हल्के सोडा ऐश की उत्पादन-क्षमता की वृद्धि इन अको में प्रकट होती है

(टन)

	1960-61	1965-66
सोडा ऐश (हल्का)	2,20,000	3,70,000
सोडा ऐश (भारी)	—	1,60,000
योग	2,20,000	5,30,000

83 विविध : प्रमुख भारी रासायनिक पदार्थों के अलावा, जिनका कार्यक्रम ऊपर दिया गया है, तीसरी योजना में टाइटेनियम डाइआक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम रसायन-जैसे अन्य उत्पादनों के विकास-स्तर भी मांग की वृद्धि के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

कार्बनिक रसायन

84 तीसरी योजना में लगभग पहली बार कार्बनिक रसायनों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास की कल्पना की गई है। कहा जा सकता है कि पिछले दशक में प्लास्टिक, रंजक पदार्थों, औषधों, आदि-जैसे सम्बद्ध रासायनिक उद्योगों के विकास के फलस्वरूप अनेक वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। तीसरी योजना में परिकल्पित नाइलोन और टेरिलीन-जैसे नए उद्योगों की स्थापना और अगले पांच वर्षों में मौजूदा उद्योगों के विस्तार को दृष्टि में रख कर इस क्षेत्र में समुचित विकास के स्तर निर्धारित किए गए हैं। तीन मुख्य वस्तुओं के निम्नलिखित लक्ष्य अस्थायी समझे जाने चाहिए, क्योंकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इन वस्तुओं के महत्वपूर्ण ग्राहक उद्योग, जिनकी अभी देश में स्थापना की जानी है, किस गति से विकसित होते हैं

(टन)

	1965-66 के लिए क्षमता का लक्ष्य
थैलिक ऐनहाइड्राइड	15,000
फिनोल	15,000
मिथेनोल	40,000

इस प्रसंग में प्लास्टिक मोनोमर, विनाइल क्लोराइड और स्टीरीन, ब्यूटेडीन, कार्बन ब्लैक और रबड़-रसायन, ब्युटाइल अल्कोहल और उसके एस्टर, साइट्रिक एसिड तथा आक्जलिक एसिड का भी, जिनका निजी क्षेत्र में पहली बार उत्पादन करने का प्रस्ताव है, उल्लेख करना उचित होगा।

85 सरकारी क्षेत्र में भी पानवेल (महाराष्ट्र) के निकट बुनियादी रसायन तथा अन्तरायक-संयन्त्र (बी० सी० आई०) के द्वारा बड़े पैमाने पर काम किए जाने की बात सोची गई है। चूंकि बी० सी० आई० परियोजना अन्तरायक रसायन उपलब्ध कराएगी, अतः यह हैदराबाद के निकट सनतनगर में स्थापित होनेवाली संश्लिष्ट औषध-परियोजना के साथ गहरे रूप में सम्बद्ध है। इन दो परियोजनाओं के परिणामस्वरूप तीसरी योजना की अवधि में एक सर्वथा नए क्षेत्र में बड़ा कीमती तकनीकी ज्ञान प्राप्त होने की आशा है। बी० सी० आई० परियोजना के अन्तर्गत 40 विभिन्न कार्बनिक अन्तरायकों का उत्पादन किया जाएगा, जो सब मिलाकर 25,160 टन होगा। इस उत्पादन में यथा-समय 15,000 टन की और वृद्धि करने की भी व्यवस्था की जा रही है। क्लोरिनीकरण, सल्फोनीकरण, क्षारीय समरण, नाइट्रीकरण, रिडक्शन और आक्साइडीकरण, आदि निर्माण-प्रक्रियाओं में अनेक बुनियादी अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ भी काम में लाए जाते हैं। इन परियोजनाओं के भीतर

ही अन्य उद्देश्यों से स्थापित संयन्त्रों में इनमें से कुछ अकार्बनिक रसायनों के उत्पादन का भी निश्चय किया गया है।

पेट्रोलियम-शोधन

86 सरकारी क्षेत्र में उच्च घनता-सूचक स्नेहक तेल-उत्पादनों के निर्माण का निश्चय किया गया है और इसके लिए एक परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिल कर भी इस काम के लिए एक संयन्त्र स्थापित करने का विचार कर रही है। इसके अलावा, शोधित पेट्रोलियम-उत्पादनों के क्षेत्र में सारा कार्य सरकारी क्षेत्र में ही करने का निश्चय किया गया है। इस कार्यक्रम में नूनमती (गौहाटी) और बरौनी में बनाए जा रहे तेल-शोधनालयों को पूरा करना और गुजरात में 20 लाख टन वार्षिक क्षमता-वाले एक तीसरे तेल-शोधनालय की सरकारी क्षेत्र में स्थापना शामिल है। इस तीसरे कारखाने के लिए विदेशी ऋण और तकनीकी सहायता का आश्वासन मिल गया है और अब उसके लिए स्थान का चुनाव किया जा रहा है। नूनमती और बरौनी की भांति इस तेल-शोधनालय के लिए भी यह निश्चय करना होगा कि उसमें उत्पादन का स्वरूप क्या हो और उसमें यथासम्भव यह प्रयत्न किया जाएगा कि उनसे मिट्टी का तेल और डीजल तेल की कमी पूरी की जा सके। इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि यह तेल-शोधनालय सन् 1964 के मध्य तक तैयार हो जाए और वर्तमान संकेतों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारखाना तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 35 लाख टन अशोधित तेल का शोधन कर सकेगा। सन् 1965 तक इस उद्योग के अन्त्य उत्पादनों की अनुमानित आवश्यकता और विद्यमान तथा निर्माणरत तेल-शोधनालयों के सम्भावित उत्पादन के आंकड़े अगले पृष्ठ की तालिका में दिए गए हैं।

87. यदि कोयला-क्षेत्रों से दूर-स्थित इलाकों के उद्योगों को कोयले के बजाय ईंधन-तेल के उपयोग के लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएं तो भट्ठी-तेल की मांग और बढ़ सकती है। यह विषय अभी विचाराधीन है।

88. अन्य अनेक देशों की भांति भारत को मोटर-स्पिरिट (गैसोलिन) के उत्पादन और उसकी मांग के असन्तुलन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि फालतू मोटर-स्पिरिट को बेचने के लिए निर्यात का अवसर अभी मिल रहा है, किन्तु इस ढंग से उसके निपटान के अधिकाधिक कठिन होते जाने की सम्भावना है, क्योंकि पड़ोसी देशों में तेल के शोधन की क्षमता का सर्वतोमुखी विकास हो रहा है। असन्तुलन की समस्या के हल के लिए नीचे लिखे उपायों का आश्रय लेना पड़ेगा

(1) मध्यवर्ती आसुतों (डिस्टिलेट) का उत्पादन बढ़ाने के टेक्नोलाजी-विषयक उपाय। उत्पादन के स्वरूप में विविधता के लिए इसमें बहुत कम गुंजायश होती है। फ्लैश प्वायंट की विशिष्टताओं में परिवर्तन लाकर मिट्टी के तेल और ऊंची रफ्तार के डीजल तेल का उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(2) समुचित वित्तीय उपाय, जिनसे ऊंची रफ्तार के डीजल तेल की खपत को बढ़ने से रोका जा सके। कुछ हद तक इस उपाय से सन् 1960-61 में काम लिया गया है।

34449

तालिका-संख्या 12

पेट्रोलियम-उत्पादनों की अनुमानित आवश्यकता

(हजार टन)

मुख्य उत्पादन	1965 तक अनुमानित आवश्यकता: प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुसार	1965 तक अनुमानित आवश्यकता: मार्च 1961 में तेल-परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुमित	कार्यरत शोधनालय (निजी क्षेत्र)	निर्माणरत शोधनालय (सरकारी क्षेत्र)	कुल उत्पादन*	कमी या बचत
मिट्टी का तेल	2,200	2,660	916	366	1,282	− 1,378
उच्च गतिवाला डीजल तेल	1,800	2,607	1,064	514	1,578	− 1,029
मोटर-स्पिरिट	1,300	1,123	1,023	514	1,537	+ 414
विमान टर्बाइन ईंधन (ए० टी० एफ०)	300	408	—	189	189	−219
विमान-स्पिरिट	60	53	—	10	10	−43
भट्ठी का तेल	2,200	2,753	1,619	311	1,930	−823
हल्का डीजल तेल	700	872	511	208	719	−153
बिटूमन	700	628	394	120	514	−114
पटसन बैचिंग तेल	100	80	47	—	47	−33
धावन तेल						
खनिज तारपीन						
विलायक तेल						
पैराफीन मोम	100	130	46	—	46	−84
स्नेहक	500	409	21	50	71	−338
योग	9,960	11,723	5,641	2,282	7,923	−4,214 +414 (मोटर-स्पिरिट)

*गुजरात के तेल-शोधनालय का उत्पादन इसमें शामिल नहीं है।

(3) मिश्र ईंधन का प्रयोग बढ़ाना। इससे ऊंची रफ्तार के तेल की माग कम होगी और गैसोलिन की निकासी अधिक होगी। मौजूदा डीज़ल गाडियो में मिश्र ईंधन का, जिसमें 10 प्रतिशत तक पेट्रोल हो, आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। उससे उनमें कोई परिवर्तन नही करना पडेगा।

(4) मोटर-स्पिरिट के फालतू उत्पादन में कमी करने या उससे बचने के लिए एक उपाय यह भी हो सकता है कि हल्के आसुत (नैफ्था) को, जिससे मोटर-स्पिरिट बनती है, नत्रजनयुक्त उर्वरको और पेट्रोल-रसायन आदि अन्य उत्पादनो के निर्माण में लगाया जाए। नैफ्था को ट्राम्बे, विशाखापटनम, गोरखपुर और एन्नोर (मद्रास के निकट) में बनाए जानेवाले उर्वरक-कारखानो तथा फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, त्रावणकोर के विस्तार के तीसरे चरण में फीड स्टाक के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया जा चुका है।

89. इस दिशा में सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमो में नहरकटिया की प्राकृतिक गैस से एथिलीन, ब्यूटेन, और अन्य एलिफेटजन्य हाइड्रोकार्बनो को पृथक् करने तथा उन्हें पेट्रोल-रसायन-उद्योगो के लिए सुलभ करने के लिए एक पृथक्करण-परियोजना भी शामिल की गई है। अवशिष्ट गैसें नहरकटिया उर्वरक-परियोजना और पेट्रोल-रसायन-सयन्त्रो के निकट स्थापित होनेवाले बिजली-सयन्त्र को उपयोग के लिए दी जाएगी।

औषध आदि

90 दूसरी योजना के अन्तिम वर्षो में सरकारी और निजी, दोनो क्षेत्रो में अनिवार्य औषधो के उत्पादन में विविधता लाने की दिशा में काम आरम्भ कर दिया गया है। इसका उदाहरण है, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड-द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन के निर्माण का प्रबन्ध और बम्बई की दो प्रमुख औषध-निर्माता फर्मों-द्वारा लेमनग्रास तेल से विटामिन 'ए' का सश्लेषण। इस क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र, दोनो नए-नए विकास-कार्यो की परियोजनाए बना रहे है, जिसके फलस्वरूप अनिवार्य औषधो का उत्पादन देशी कच्चे माल से हो सकेगा और वे जनता को वाजिब मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगे।

इस क्षेत्र की सरकारी परियोजनाए, जिनका सम्मिलित व्यय 27 3 करोड रु० होने की आशा है, निम्नलिखित है -

(1) सनतनगर (आन्ध्रप्रदेश) की सश्लिष्ट औषध-परियोजना, जिसमें सल्फा औषध, विटामिन, फिनेसिटिन, दूसरे सश्लिष्ट औषध (आई० एन० एच० ल्युमिनोल, क्लोरोक्विन, आदि) और अन्तरायको (जिनमें 1,500 टन प्रति वर्ष ए० एस० सी० का उत्पादन भी शामिल है) का निर्माण होगा। इनका कुल वार्षिक उत्पादन 6 4 करोड रु० मूल्य का होगा।

(2) ऋषिकेश (उत्तरप्रदेश) के निकट एंटीबायोटिक्स-सयन्त्र, जिसमें पेनिसिलीन स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरो तथा अन्य टेट्रासाइक्लिन, आदि नए कीटाणुनाशक औषध तैयार किए जाएगे। इनके कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य 26 करोड रु० होगा।

(3) केरल में फाइटो-कैमिकल संयन्त्र, जिसमें कैफीन, एफेड्रीन, डिजिटालिस, ग्लाइकोसाइड, लेनेटेजाइड, अरगट ऐलकालायड, ऐट्रोपीन, स्कोपोलेमिन, रेसरपिन, पेपिन और विटामिन 'पी' तैयार किए जाएंगे। इनका वार्षिक उत्पादन 77 लाख रु० का होगा।

फाइटो-रसायनो के निर्माण के सिलसिले में औषध-फार्मों की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। कुछ राज्यो की पंचवर्षीय योजना में इन सम्बद्ध कार्यक्रमो के लिए व्यवस्था रखी गई है।

प्लास्टिक

91 प्लास्टिक-सामग्रियों का कुल उत्पादन-लक्ष्य 85,000 टन रखा गया है, किन्तु उसमें सबसे बड़ा भाग पोलिओलिफिनो (पोलिथिलीन आदि) के उत्पादन का है। उनका उत्पादन-लक्ष्य 27,000 टन है। वृद्धि की गति की दृष्टि से दूसरा महत्व का स्थान पोलिस्टिरीन और पोलिविनाइल क्लोराइड को दिया गया है, जिनके लिए उचित लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। पोलिथिलीन में नमी के प्रतिरोध की बहुत अधिक शक्ति है, इसलिए इसे उर्वरको को बोरियो के भीतर स्तर के तौर पर लगाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। कच्चे माल के रूप में अल्कोहल के बजाय पेट्रोल-रसायनो से निर्मित एथीलीन का इस्तेमाल होने की आशा है, क्योंकि वह उससे सस्ता पड़ता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके लक्ष्य पर पुनर्विचार करना उपयोगी होगा। इससे निर्यात तो बढ़ेगा ही, रबड़ और चमड़ा-जैसे दुर्लभ पदार्थों की जगह भी इसका उपयोग हो सकेगा।

साफ्ट कोक

92 नइवेली के भूरे कोयले से 3,80,000 टन प्रति वर्ष के हिसाब से साफ्ट कोक का उत्पादन दूसरी योजना से आगे आई हुई एक बड़ी योजना है। लकड़ी का कोयला बनाने के लिए तीव्र गति से जंगलों की कटाई को दृष्टि में रखते हुए साफ्ट कोक के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि प्रथम दृष्टि में ही वाञ्छनीय प्रतीत होती है। सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम में साफ्ट कोक के उत्पादन के लिए नीचे तापमान पर कार्बनीकरण के संयन्त्रों की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है। किन्तु इस क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम-विषयक दृष्टिकोण में परिवर्तन की गुंजायश रखी गई है।

सीमेंट

93 सीमेंट के उत्पादन का सन् 1965-66 के लिए निर्धारित लक्ष्य 150 लाख टन है, जो दूसरी योजना के अन्त तक के लिए प्रत्याशित स्तर से 50 प्रतिशत अधिक है। सीमेंट की माग का जो रुख इस समय नजर आ रहा है, उससे मालूम होता है कि सन् 1960-61 की माग के जिस अनुमानित स्तर को भावी विकास की परियोजनाओं का आधार बनाया गया था, वह शायद कम था। इस विषय की अगले वर्ष पुन समीक्षा की जाने की आशा है। यदि निर्माण-सम्बन्धी प्रवृत्तियो को सीमित करना आवश्यक या वाञ्छनीय नहीं समझा गया, तो सीमेंट के लक्ष्य में परिवर्द्धन असम्भव नहीं है।

सीमेंट-उद्योग की पूरी आवश्यकता के अनुरूप चूना-पत्थर की उत्पादन-वृद्धि में कठिनाइयो के कारण इस्पात-कारखानो से प्राप्त धातुमल (स्लैग) के चूर्ण के उपयोग की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी योजना की अवधि में सीमेंट-निर्माण के लिए धमन-भट्ठियो से प्राप्त धातुमल के उपयोग की दिशा में अधिक प्रगति नही हुई।

काच और काच का सामान

94 इस उद्योग मे महत्वपूर्ण विकास-कार्य होगा दूरबीन और सूक्ष्मवीक्षण आदि, एव चश्मे के काम में आनेवाले काच का निर्माण। पहली किस्म का काच यन्त्र-उद्योग के लिए बुनियादी महत्व की चीज है और तीसरी योजना में उसका निर्माण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् की केन्द्रीय काच और मृत्तिका-अनुसन्धान-सस्था-द्वारा अर्जित ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्रारम्भ किया जाएगा। चश्मो के काच का निर्माण दुर्गापुर मे सोवियत रूस की मदद से किया जाएगा।

कच्ची फिल्मे

95 कच्ची फिल्मो, एक्स-रे फिल्मो और सूक्ष्म ग्रहणशील (सैसिटिव) कागजो के निर्माण के लिए मद्रास-राज्य में उदकमडलम् के समीप फास की मैसर्स बोशे एत सी फर्म के तकनीकी सहयोग से एक सयन्त्र का निर्माण इस क्षेत्र की प्रमुख सरकारी परियोजना है। इस योजना में 8 करोड रु० का पूजी-विनियोग होगा और इसमें प्रति वर्ष 5 करोड़ रु० मूल्य का सामान मिलेगा। इसके विकास के वर्तमान चरण के अन्तर्गत पूरा उत्पादन होने पर इससे 48 लाख वर्ग मीटर फिल्मो और 15 लाख वर्ग मीटर फोटोग्राफी का कागज उपलब्ध होने की आशा है।

उपभोक्ता-सामान-उद्योग

96 सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता-सामान के निर्माण के कार्यक्रम सगठित उद्योगो में प्रत्यक्ष पूजी-विनियोग की दृष्टि से अपेक्षाकृत गौण स्थिति में है। इसका अपवाद केवल अनिवार्य औषध है, जिनका वर्णन ऊपर पैराग्राफ 90 में किया गया है। घडी और कैमरा, दो ऐसी टिकाऊ उपभोक्ता-वस्तुए है, जिनके जापान के तकनीकी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में निर्माण की योजना है। कैमरो का उत्पादन कलकत्ता में राष्ट्रीय यन्त्र-कारखाने में किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र उपभोक्ता सामग्रियो के निर्माण में दिलचस्पी ले रहा है, यह सहकारी उद्यमो की स्थापना और विस्तार के लिए दी जा रही सहायता से स्पष्ट है। भविष्य में भी मुख्यत चीनी और कपास का सूत तैयार करनेवाली मिलो को यह सहायता दी जाएगी। तीसरी योजना में मुख्य उपभोक्ता-सामान-उद्योगो के कार्यक्रमो और लक्ष्यो की रूपरेखा सक्षेप में नीचे दी जा रही है।

97 सूती वस्त्र . तीसरी योजना के अन्त में सूती वस्त्र की आवश्यकता इस धारणा के आधार पर आकी गई है कि 845 करोड गज कपडे की देश के आन्तरिक उपयोग के लिए और 85 करोड गज कपड़े की निर्यात के लिए आवश्यकता होगी। आन्तरिक उपभोग की आवश्यकता का यह अनुमान सन् 1960-61 के माग के अनुमानित स्तर से 20 प्रतिशत अधिक है। दूसरे शब्दो में, यह अनुमान यह मान कर लगाया गया है कि प्रति वर्ष देश की

आबादी और प्रति व्यक्ति-उपभोग, दोनो में दो-दो प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस गणना के लिए सन् 1960-61 की आन्तरिक माग 700 करोड गज आकी गई है। इस वर्ष आन्तरिक उपयोग के लिए कपडे की वास्तविक उपलब्धि लगभग 675 करोड गज थी। किन्तु इस अपेक्षाकृत कम मात्रा का मुख्य कारण सन् 1959-60 में कपास की फसल अच्छी न होने से कम कपास उपलब्ध होना है। इसलिए यह आकडा सन् 1960-61 की वास्तविक माग का सूचक नही माना जा सकता। इस धारणा की पुष्टि ऊची कीमतो से भी होती है, जिनके कारण कपडे की निकासी सीमित रही। निर्यात के लिए निर्धारित आकडे हाल के वर्षों के औसत से बहुत ऊचे नही है, क्योकि कुछ समय से निर्यात स्थिर-सा है और उसमें वृद्धि का कोई निश्चित रुख नजर नही आया।

98 सूती वस्त्र के 930 करोड गज के कुल लक्ष्य में से 350 करोड गज विकेन्द्रित क्षेत्र (हथकरघा, बिजलीचालित करघा और खादी) के लिए रख दिया गया है। मिलो के लिए उत्पादन-लक्ष्य 580 करोड गज रखा गया है, जब कि उसके वर्तमान उत्पादन और अनुमानित प्रभावी क्षमता का स्तर 500 करोड गज है। इस अवशिष्ट 80 करोड गज के अतिरिक्त उत्पादन के लिए तीसरी योजना में अनुमानत 25,000 स्वचालित करघे लगाने पडेंगे।

99 कपडे के 930 करोड गज के उत्पादन-लक्ष्य को दृष्टि में रख कर और यह मान कर कि होजियरी और निवार आदि अन्य वस्तुओ के लिए भी सूत की जरूरत होगी, सूत के उत्पादन का लक्ष्य 225 करोड पौंड रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक होगा कि मिलो के सक्रिय तकुओ की सख्या बढा कर 165 लाख कर दी जाए, जब कि दूसरी योजना के अन्त में उनकी सख्या 127 लाख थी। नए कारखाने स्थापित करके या मौजूदा कारखानो का विस्तार करके कितने नए तकुए लगाने की आवश्यकता होगी, इसका निश्चय तभी किया जा सकेगा, जब यह मालूम हो कि मौजूदा मिलो के आधुनिकीकरण-कार्यक्रम के फलस्वरूप कितने बेकार पडे तकुओ को पुन. चालू किया जा सकता है। पैराग्राफ 21 में तकुओ को बदलने पर होनेवाले पूजी-विनियोग के बारे में जो मोटी बातें कही गई है, उन पर पुनर्विचार करना पडेगा और आधुनिकीकरण-कार्यक्रमो और नई मिलो की स्थापना-द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त प्रभावी तकुओ पर होनेवाले पूंजी-विनियोग का निर्धारण वास्तविक आधार पर करना होगा। किन्तु अतिरिक्त तकुए चाहे आधुनिकीकरण से प्राप्त हों या नए कारखानो की स्थापना से, उनके लिए अनुमानित पूजी-विनियोग करीब-करीब वही रहेगा। तीसरी योजना में परिकल्पित तकुओ और करघो की अतिरिक्त क्षमता में से एक खासा बडा भाग निर्यात के योग्य वस्त्र के लिए रखने का प्रस्ताव है।

100 **रेयन और स्टेपल धागा** : रेयन और स्टेपल धागे के उद्योग के विस्तार के लिए निर्धारित तीसरी योजना के लक्ष्य में उत्पादन-क्षमता को, जो दूसरी योजना के अन्त में 10 करोड पौंड (5 23 करोड पौंड रेयन धागा और 4 8 करोड पौंड स्टेपल धागा) थी, बढा कर 21 5 करोड पौंड (14 करोड पौंड रेयन धागा और 7 5 करोड पौंड स्टेपल धागा) करने का निश्चय किया गया है। इस विस्तार-कार्यक्रम में और चीजो के साथ-साथ रेयन के वस्त्रों का प्रति व्यक्ति-उपयोग, जो सन् 1960-61 में 1 3 गज था, सन् 1965-66 में 1 8 गज करने की व्यवस्था है। रेयन के धागे के समग्र लक्ष्य में 2 करोड पौंड टायर का धागा, जो मोटर-टायर-उद्योग में काम आता है, 7 6 करोड पौंड विस्कोस धागा, 2.4

करोड पौंड एसिटेट धागा, 1 करोड पौंड क्यूप्रामोनियम और 1 करोड पौंड संश्लिष्ट धागा शामिल है।

101. इस उद्योग में विनियोग के लिए अलग-अलग चरण निर्धारित करने को बहुत महत्व दिया गया है, ताकि चालू खाते में विदेशी मुद्रा का दबाव कम किया जा सके। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि रेयन और स्टेपल धागो की उत्पादन-क्षमता में और अधिक वृद्धि के बजाय रेयन श्रेणी की लुगदी के निर्माण की क्षमता बढाने को प्राथमिकता दी जाए। इस सम्बन्ध मे स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती रहेगी, ताकि इस क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता कच्चे माल के निर्माण की प्रगति के साथ चल सके। इस उद्योग के, खास कर स्टेपल धागे के, भावी आयोजन पर इस बात का भी असर पडेगा कि लम्बे रेशे के कपास का उत्पादन किस हद तक बढाया जा सकता है, क्योकि स्टेपल धागा उसका स्थान लेनेवाला माना जा सकता है।

102 कागज और अखबारी कागज : कागज और गत्ता-उद्योग का विस्तार-कार्यक्रम मोटे तौर पर इन अनिवार्य वस्तुओ में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के अनुकूल बनाया गया है। सन् 1965-66 तक इनकी माग 7 लाख टन होने का अनुमान है, अत उनकी वर्तमान उत्पादन-क्षमता 4,10,000 टन से बढा कर तीसरी योजना के अन्त तक 8,20,000 टन करने का प्रस्ताव है। तीसरी योजना के दौरान स्थापित की जानेवाली अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का एक बडा भाग स्थानीय कच्ची सामग्रिया इस्तेमाल करनेवाले छोटे सयन्त्रो के रूप में होगा।

103 होशगाबाद में 1,500 टन वार्षिक क्षमतावाली जो सिक्यूरिटी पेपर मिल स्थापित की जाएगी, वह विशेष किस्म का कागज तैयार करेगी, जिसके आयात पर इस समय काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पडती है।

104 जहा तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में उसकी माग में सम्भावित वृद्धि के अनुसार उसका उत्पादन 30,000 टन से बढा कर पाच-गुना, यानी 1,50,000 टन, करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता की प्राप्ति नेपा मिल्स की क्षमता को दुगुना कर और गन्ने की खोई तथा हिमालय-क्षेत्र में उपलब्ध नर्म लकडी को कच्ची सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करनेवाले नए कारखाने स्थापित करके की जाएगी।

105 इन लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए कागज और अखबारी कागज-उद्योगो को बास की जगह, जो अब तक उनका मुख्य आधार रहा है, नई कच्ची सामग्रियो पर आश्रित होना पडेगा। रेयन के लिए काम आनेवाली लुगदी, आदि नए औद्योगिक उपयोगो में बास के इस्तेमाल के कारण कागज-उद्योग के लिए उसकी कमी और बढ जाएगी। यद्यपि बास की नई बुआई और पुन बुआई के कार्यक्रमो से कुछ हद तक इस समस्या का दीर्घकालीन हल निकल सकता है, तथापि तीसरी योजना में कागज और अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि के लिए गन्ने की खोई पर, जो इस समय चीनी-मिलो-द्वारा ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, काफी निर्भर रहना पडेगा। कागज-उद्योग मे गन्ने की खोई का उपयोग चीनी के कारखानो के लिए कोई दूसरी ईंधन उपलब्ध कराने पर निर्भर है।

106 चीनी : चीनी-उद्योग के क्षेत्र में तीसरी योजना के आरम्भ तक आत्मनिर्भर विकास की स्थिति आ गई है, क्योकि देश में मिलो की मशीनें तैयार करने में काफी प्रगति

महत्वपूर्ण होने पर भी एकमात्र समस्याएं नहीं हैं। इस्पात-सयन्त्रो के उत्पादन के बढते हुए स्तर को कायम रखने और साथ ही उनका विस्तार करने में निजी क्षेत्र की दो कम्पनियो के सामने जो समस्याए आई हैं, वे बडी जटिल पाई गई हैं, इसलिए सरकारी क्षेत्र के सयन्त्रो के उत्पादन को पूर्णता के स्तर पर ले जाने और साथ ही उनका विस्तार करने के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयो पर विजय पाने के लिए उनके अनुभव का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।

109 मशीन-निर्माण की गतिविधियो, जिनका सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमो में महत्वपूर्ण स्थान है तथा निजी क्षेत्र के मशीन-उत्पादन में डिजाइनो का विकास और परियोजना-इजीनियरी प्रमुख महत्व की चीजें हैं। जहा तक परियोजना-इजीनियरी का सम्बन्ध है, जिसका पैराग्राफ 6 में सक्षेप में वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम सरकारी क्षेत्र की अपनी निजी तथा वाणिज्य-उद्योग-मन्त्रालय की परियोजनाओं के लिए उत्तरदायित्व लेने की व्यवस्था कर रहा है और सन् 1960-61 में टेक्नोलाजी-विषयक एक परामर्श-कार्यालय स्थापित कर दिया गया। इस कार्यालय के कामो में, परियोजनाओ के प्रारम्भिक अध्ययन तैयार करना, स्थानो की जाच और चुनाव, विस्तृत परियोजना-विवरणो की तैयारी तथा ढाचो के डिजाइन तैयार करना शामिल होंगे। जहा तक डिजाइनो के विकास का सम्बन्ध है, हालाकि प्रारम्भ में सयन्त्र और साधनों का प्रकल्पन निश्चय ही मुख्यत विदेशो से खरीदे गए डिजाइनो पर आधारित होगा, फिर भी उद्देश्य यह रहेगा कि निकट भविष्य में देश में ही तैयार किए गए डिजाइनो के आधार पर औद्योगिक मशीनें बनाई जाए। सरकारी क्षेत्र में इरादा यह है कि 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड' तथा 'सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स' के अन्तर्गत कार्य कर रहे केन्द्रभूत सगठनों का विस्तार किया जाए और अन्य मशीनी परियोजनाओं में भी इसी प्रकार के अधिकरणो की समुचित ढग से स्थापना की जाए। बगलोर में मशीनी औजारो के लिए, एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमो को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें तेजी से आगे बढाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। चूकि इस क्षेत्र में मशीन के ठीक काम करने की गारटी देने का रिवाज है, इसलिए उनकी परीक्षा (टेस्टिंग) के लिए भी यन्त्र और सुविधाए उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। भोपाल में स्विचगियर के टेस्टिंग और डिजाइन-विकास के लिए ऊचे वाल्टेज की एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। निजी क्षेत्र में भी जहा कही आवश्यक होगा, इस समस्या की ओर ध्यान देना होगा।

110 औद्योगिक क्षेत्र को चूकि निर्यात-अभियान में भी हिस्सा लेना होगा, इसलिए न केवल उत्पादन-वृद्धि की ओर, बल्कि उन सब कारणो और उपादानो की ओर भी ध्यान देना होगा, जो उत्पादकता बढाने और खर्च घटाने में सहायक होते हैं। जहा तक ऊचे उत्पादन-व्यय की समस्या का सम्बन्ध है, यदि स्थापना के लिए प्रस्तावित सयन्त्र मध्यम आकार के हो और उपोत्पादनो और या सहोत्पादनो का, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक कास्टिक सोडा-सयन्त्रो में उत्पन्न होते हैं, आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद विकास किया जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। उत्पादन-क्षमता के उपयोग का उच्च स्तर ऊपरी खर्चों में बचत करने में सहायक होगा। ये ऐसे पहलू हैं, जिनका विकास-परिषदो को विशेषज्ञ-स्तर पर निरन्तर अध्ययन करते रहना चाहिए।

111 इस्पात-सयन्त्रो, पेट्रोल-शोधनालयो, उर्वरक-कारखानो, आदि-जैसे अनेक

भारी उद्योगों को जिनके विकास की योजना है, अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार, नगर-निर्माण-परियोजनाओं को जिनमें चुने हुए खास-खास स्थानों पर औद्योगिक श्रमिकों का भारी जमाव हो जाता है पीने तथा घरों के अन्य कामों के लिए पानी की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, हालांकि कारखानों की प्रक्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती। तीसरी योजना में शामिल की गई कुछ बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उचित स्थान के चुनाव की सिफारिश करने के हेतु नियुक्त की गई विशेष समितियों के अध्ययन में पानी की उपलब्धि एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहा है और स्थान के अन्तिम चुनाव पर उसका बहुत असर पड़ा है। यह देखा गया है कि अनेक इलाके जो अन्य दृष्टियों से भारी उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत उपयुक्त हैं आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध न होने के कारण छोड़ देने पड़े हैं। पानी की उपलब्धि का दीर्घकालीन आयोजन किए बिना, ऐसे इलाकों में उद्योग-विकास के अवसर व्यर्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार उद्योगों में उत्पन्न उच्छेष्यों के विसर्जन की भी समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रहे कि अनेक रासायनिक संयन्त्र गंगा तथा अन्य नदियों के ऊपरी भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी दशा में उनके उच्छेष्यों के विसर्जन की समुचित व्यवस्था न करने पर इन कारखानों की समीपवर्ती नदियों के पानी का दूषित हो जाना जन-स्वास्थ्य की एक गम्भीर समस्या पैदा कर देगा। औद्योगिक विस्तार से सम्बद्ध उपादानों पर विस्तृत विचार करते हुए इन दोनों समस्याओं पर उनके बढ़ते हुए महत्व के अनुरूप विचार करना होगा।

अनुबन्ध 1

तीसरी पचवर्षीय योजना

केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाएं

योजना का नाम	स्थान	कुल पूंजी-विनियोग (करोड रु०)	विदेशी मुद्रा की राशि (करोड रु०)	1965-66 में क्षमता (विस्तार की स्थिति में अन्तिम क्षमता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अ दूसरी योजना की अवशिष्ट परियोजनाए, जिन पर काम चल रहा है। (अ)				
1 तीन इस्पात-सयन्त्रो को पूरा करना	राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर	50	20	30 लाख टन इस्पात की सिल्लिया और बिक्री के लिए 7 लाख टन कच्चा लोहा
2 राउरकेला उर्वरक-कारखाना	राउरकेला			1,20,000 टन नत्रजन
3 भारी मशीन-सयन्त्र	राची	80	55	45,000 टन तैयार मशीने
4 ढलाई/गढाई-कर्मशाला	राची			94,000 टन की ढलाई और गढाई
5 खनन-मशीन-सयन्त्र	दुर्गापुर			30,000 टन खनन-मशीनें
6 भारी बिजली-सयन्त्र	भोपाल	16	7	12 5 करोड रु० मूल्य के बिजली के उपकरण

अनुबन्ध 1—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7 औषध-परियोजनाएं				
(अ) साइलेपिक औषध-सयन्त्र	सनतनगर (आन्ध्रप्रदेश)	30	15	6 4 करोड रु० मूल्य के औषध
(आ) एंटीबायोटिक सयन्त्र	ऋषिकेश (उत्तरप्रदेश)			25 8 करोड रु० मूल्य की कीटाणुनाशक दवाएं
(इ) फाइटो-कैमिकल्स-सयन्त्र	मभार (केरल)			77 लाख रु० मूल्य के फाइटो-कैमिकल्स
(ई) शल्य-उपकरण-सयन्त्र	गिंडी (मद्रास)			2 8 करोड रु० मूल्य के उपकरण
8 कार्बनिक अन्तरायक सयन्त्र	पनवेल के निकट (महाराष्ट्र)	11	6	25,000 टन कार्बनिक अन्तरायक
9 हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स का विस्तार	पिम्परी (महाराष्ट्र)	0 5	गौण	15,000 किलोग्राम स्ट्रेप्टो-माइसीन और 1 5 टन टैटरामाइक्लीन
10 ट्राम्बे उर्वरक-कारखाना	ट्राम्बे (महाराष्ट्र)	25	13	90,000 टन नत्रजन
11 नहरकटिया उर्वरक-कारखाना	नहरकटिया (असम)	12	7	32,500 टन नत्रजन
12 नइवेली उर्वरक-कारखाना	नइवेली (मद्रास)	15 68	11 56	70,000 टन नत्रजन
13 ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण-सयन्त्र		13 81*	8 61*	3 8 लाख टन कार्बनीकृत ब्रिकेट
14 नइवेली तापीय बिजली-सयन्त्र		9 67	5 86	250 मेगावाट

15	नूनमती तेल-शोधनालय	नूनमती (असम)	8.5	4 9	7.5 लाख टन कच्चा तेल
16	बरौनी तेल-शोधनालय	बरौनी (बिहार)	23	7 5	20 लाख टन कच्चा तेल
			295.19	161 4	

आ. नई परियोजनाएं, जिनके लिए आंशिक या पूर्ण रूप से विदेशी सहायता का आश्वासन मिल चुका है

17	भारी मशीन-सयन्त्र का विस्तार	रांची	14	11	80,000 टन तैयार मशीनें
18	ढलाई-गढाई का विस्तार	रांची	10	5.5	1,53,000 टन की ढलाई-गढाई
19	खनन-मशीन-सयन्त्र का विस्तार	दुर्गापुर	15	10	45,000 टन खनन-मशीनें
20	दूसरी और तीसरी भारी बिजली-सामान-परियोजनाए	अनिश्चित	69	45	तीसरी परियोजना के कार्य के बारे में अभी अन्तिम निश्चय किया जाना शेष है
21	भारी मशीनी औज़ार-परियोजना	रांची	11	9	3-4 करोड रु० मूल्य के मशीनी औज़ार
22	सूक्ष्म उपकरण-परियोजना	अनिश्चित	8	6	20 करोड रु० मूल्य के उपकरण
23.	चश्मे के काच की परियोजना	दुर्गापुर	2 6	2	300 टन चश्मे का काच
24	कच्ची फिल्म-परियोजना	उदकमडलम	8	5	63 लाख वर्ग मीटर कच्ची फिल्म, फोटो-सम्बन्धी कागज़ आदि

* विनियोग तथा विदेशी विनिमय के संशोधित अनुमान क्रमश· 20 करोड रु० तथा 11.5 करोड रु० हैं।

अनुबन्ध 1—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25 घड़ियों का कारखाना	बंगलौर	2 5	1 5	3,60,000 घड़िया
26. भिलाई इस्पात-संयन्त्र का विस्तार	भिलाई	138	56	25 लाख टन इस्पात की सिल्लिया और 3 लाख टन कच्चा लोहा बिक्री के लिए
27 दुर्गापुर इस्पात-संयन्त्र का विस्तार	दुर्गापुर	56	27	16 लाख टन इस्पात की सिल्लिया और 3 लाख टन कच्चा लोहा बिक्री के लिए
28 राउरकेला इस्पात-संयन्त्र का विस्तार	राउरकेला	80	50	18 लाख टन इस्पात की सिल्लिया
29. हिन्दुस्तान मशीनी औजार-कारखाने का विस्तार	बंगलौर	3	2	7 करोड रु० मूल्य के मशीनी औजार
30 बुनियादी रिफैक्टरी परियोजना	भिलाई	3	1.5	अभी निश्चय नहीं हुआ
31 पंजाब में नया मशीनी औजार-कारखाना	अनिश्चित	5	3	3 5 करोड रु० मूल्य के 1,000 मशीनी औजार
32 गुजरात तेल-शोधनालय	अनिश्चित	30	15	20 लाख टन कच्चा तेल
33. प्राग औजार-कारखाने का विस्तार	सिकन्दराबाद (आन्ध्रप्रदेश)	1	0 5	1 करोड रु० मूल्य के मशीनी औजार

34 भारी ढाचा-कारखाना	अनिश्चित	6	† 4	एक पाली के आधार पर 10,000 टन भारी ढाचे
35 भारी प्लेट और वेसल कारखाना	अनिश्चित			एक पाली के आधार पर 18,000-20,000 टन की रासायनिक - सयन्त्र - मशीनें
36 गोरखपुर उर्वरक-कारखाना	गोरखपुर	18	8	80,000 टन नत्रजन
37 सिक्युरिटी कागज़-मिल	होशगावाद (मध्यप्रदेश)	5 5	4	1,500 टन सिक्युरिटी कागज
38. हिन्दुस्तान केवल्स का विस्तार	रूपनारायणपुर (प० बगाल)	3 5	1 2	दोहरी पाली के आधार पर 2,000 मील लम्बे सूखे कोर के केबल और नगर में लगाए जानेवाले प्लास्टिक की परत वाले 500 मील लम्बे केबल
		499 1	267 2	
	इ. अन्य परियोजनाएं (आ)			
39. बोकारो इस्पात-परियोजना	बोकारो	200	100	10 लाख टन की इस्पात की सिल्लिया और 3,50,000 टन कच्चा लोहा बिक्री के लिए
40 मिश्र धातु और औजारी इस्पात-सयन्त्र	दुर्गापुर	50	20	48,000 टन तैयार माल
41 भोपाल भारी बिजली-सयन्त्र का विस्तार	भोपाल	19	8	25 करोड रु० मूल्य के बिजली के उपकरण

†नवीन अनुमानों के अनुसार इन परियोजनाओं पर 10.1 करोड रु० का व्यय आएगा। इसके लिए 6.4 करोड रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

अनुबन्ध 1—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42 हिन्दुस्तान जहाज़-घाट का विस्तार (विस्तार और सहायता-अनुदान)	विशाखापटनम	10	1.5	50,000 से 60,000 डी॰ डब्ल्यू॰ टी॰ (42–44)
43 हिन्दुस्तान जहाज़-घाट की सूखी गोदी-परियोजना	विशाखापटनम	2	0.5	
44 दूसरा जहाज़-घाट	कोचीन	20	5	
45 एफ॰ ए॰ सी॰ टी॰ का विस्तार	अलवाए (केरल)	8	5.6	60,000 टन नत्रजन
46 नेपा मिल का विस्तार	नेपानगर (मध्यप्रदेश)	4	3	60,000 टन अखबारी कागज़
47 नमक-विकास		3	0.8	
48 भारी कम्प्रेशर और पम्प-परियोजना	अनिश्चित	15	10	अभी निश्चय नही हुआ
49 बाल और रोलर बियरिंग-परियोजना	अनिश्चित	8	6	20 लाख बियरिंग
50 मशीनी औज़ार-कारखाने की अतिरिक्त क्षमता 51 दूसरा भारी ढांचा-कारखाना 52 दूसरा प्लेट और वेसल कारखाना	अनिश्चित	15	10	अभी निश्चय नही हुआ
53 समुद्री डीज़ल-इंजिन-कारखाना	अनिश्चित	3	1.5	
54 सरकारी अलकालायड-कारखाने का विस्तार व आधुनिकीकरण	गाज़ीपुर (उत्तरप्रदेश)	0.4		
55 स्नेहक तेल-परियोजना		12	6	1 लाख टन एच॰ वी॰ आई॰ स्नेहक
56 अल्प ताप कार्बनीकरण-सयन्त्र		22	15	22 लाख टन कोयला

57 नइवेली लिग्नाइट उच्च ताप कार्बनीकरण-सयन्त्र और कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए सम्बद्ध सुविधाए	नइवेली (मद्रास)	25	13	अभी निश्चय नही हुआ
58 नगर	परियोजना-स्थलो पर	50		
		466 4	205 9	
	योग	1260 69	634 5	

अनुबन्ध 1—(जारी)

2. केन्द्रीय सरकार की खनिज परियोजनाएं

(करोड़ रु०)

योजना का नाम	कुल व्यय-व्यवस्था	विदेशी मुद्रा का भाग
(1)	(2)	(3)
अ दूसरी योजना की अवशिष्ट परियोजनाएं, जिन पर काम चल रहा है (अ)		
कोयला		
राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के कार्यक्रम ..	8	—
भोजूडीह, पाथरडीह और दुग्दा में कोयला धोने के केन्द्र	7 5	4
	15 5	4
तेल		
कच्चे तेल की आयल इंडिया लाइन ..	8	—
आयल इंडिया में हिस्सा-पूंजी ..	1.42	—
	9.42	—
लिग्नाइट		
नईवेली लिग्नाइट-परियोजना खनन-योजना ..	3.29	1.3
आवास ..	3	—
खनिज लोहा	6 29	1.3
किरिबुरु ..	6	3 93
योग	37 21	9.23
आ. नई परियोजनाएं, जिनके लिए पूर्ण या आंशिक रूप से विदेशी सहायता का आश्वासन मिल गया है (आ)		
कोयला		
राष्ट्रीय कोयला-विकास निगम से अतिरिक्त कोयला (170 लाख टन)	57†	28

†गहरी और गैस-भरी खानों के लिए इसके अतिरिक्त भी कुछ राशि की आवश्यकता पड़ सकती है ।

अनुबन्ध 1—(जारी)

(1)	(2)	(3)
सिंगरेनी-विस्तार (30 लाख टन)	20	6
उत्पादन का रख-रखाव	16	10
केन्द्रीय कर्मशाला ..	5	2 7
सम्भावनाओं के लिए खुदाई ..	2	1 4
चौथी योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही ..	10	7
केन्द्रीय रोपवेज़ ..	16	8
कोकिंग कोयला धोने की अतिरिक्त क्षमता ..	20	11 3
	149	74 4
तेल		
तेल की खोज .	115	53 53
खनिज लोहा		
बैलाडिला खनिज लोहा-परियोजना .	17	8 55
तांबा-परियोजना		
खेतड़ी तांबा-परियोजना	10	5 36
दरीबो तांबा-परियोजना ..	2 5	
योग	12 5	6 36
	293 5	142 84

इ अन्य परियोजनाएं (आ)

(1)	(2)	(3)
कोयला		
गैर-कोकिंग कोयला धोने के केन्द्र ..	12	7
नइवेली लिग्नाइट-परियोजना		
खान-उत्पादन का विस्तार ..	3 8	1 45
तेल		
तेल-वितरण-कार्यक्रम ..	10	—
आयल इंडिया ..	8	—
कच्चे तेल की पाइप-लाइनें ..	4	—
तेल उत्पादनों के लिए पाइप-लाइनें ..	37	10
	59	10

अनुबन्ध 1—(जारी)

(1)	(2)	(3)
अन्य खनिज		
सिक्किम तांबा-परियोजना	2 5	1.3
पन्ना की हीरा-परियोजना ..	1.5	0 6
खनिज मैंगनीज उपयोग-संयन्त्र ..	5	1
पाइराइट से गन्धक-प्राप्ति की परियोजना	5	2 5
कोलार की सोना-खानें	1.5	0.84
हुत्ती की सोना-खानें	0 5	0.2
किरिबुरु का विस्तार	6	3
यूरेनियम-खनन, संरचना और प्लुटोनियम निकालने का संयन्त्र	24	8.17
	46	17.61
सर्वेक्षण		
जी० एस० आई० विस्तार	10	3.19
आ० बी० एम० विस्तार	5	1.89
योग	15	5.08
सर्वयोग	466.51	193.21

3. संस्थात्मक अभिकरणों को सहायता तथा अन्य विविध आवश्यकताएं (केन्द्रीय)

मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स को सहायता	5	—
एन० आई० डी० सी०	20	—
संस्थात्मक वित्तीय निगमों को ऋण	26	—
बागान-उद्योगों को ऋण-सहायता	11.7	—
राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद्	1.3	—
मीट्रिक पद्धति	7	—
भारतीय मानक-संस्थान	3.6	—
	74 6	

अनुबन्ध 2

1. राज्य सरकारों की औद्योगिक परियोजनाएं

योजना का नाम	स्थान	कुल पूंजी-विनियोग (करोड़ रु०)	विदेशी मुद्रा का भाग (करोड़ रु०)	1965-66 में वार्षिक उत्पादन-क्षमता (विस्तार की अवस्था में अन्तिम क्षमता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50 लाख रु० या इससे अधिक खर्च की परियोजनाएं				
	अ. दूसरी योजना से आगे आई हुई परियोजनाएं (अ)			
1 आन्ध्र पेपर मिल्स का विस्तार	राजमुन्दरी (आन्ध्रप्रदेश)	4	2.49	18,000 टन कागज
2 मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का विस्तार	भद्रावती (मैसूर)			
(क) इस्पात-विस्तार-कार्यक्रम		2*	3.5	1 लाख टन इस्पात की सिल्लियां
(ख) लौह-सिलिकन संयन्त्र का विस्तार		0.95	0.37	20,000 टन लौह सिलिकन
3. सरकारी बिजली कारखाने का विस्तार	बंगलोर (मैसूर)	0.9	0.48	बिजली ट्रांसफार्मर : 2 लाख के० वी० ए०, बिजली की मोटरें : 60,000 अश्व-शक्ति स्विचगियर और स्विच-बोर्ड : 40 लाख रु० मूल्य के
4 दुर्गापुर कोक-भट्ठियां	दुर्गापुर (प० बंगाल)			
(क) गैस-ग्रिड		2.25		प्रति दिन 75 लाख घन-फुट गैस

*केन्द्रीय योजना में 5 करोड़ रु० और राज्य की योजना में 2 करोड़ रु०

(अ) कुल व्यय और विदेशी मुद्रा के अंक वे राशियां हैं, जिनके तीसरी योजना में आ जाने की सम्भावना है।

अनुबन्ध 2—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(आ) तार सहायक-संयन्त्र		0 5	0 17	100 टन कोलतार प्रतिदिन
(इ) धमन-भट्ठियों और उपोत्पादनों के संयन्त्र को दुगुना करना		4 2		कोक 6,50,000 टन, बेनज़ीन 7 25 लाख गैलन, टाल्वीन 2 35 लाख गैलन, नैप्थेलीन 1,200 टन और सड़क-कोलतार
आ. तीसरी योजना में सम्मिलित नई परियोजनाएं (आ)				
5. प्राकृतिक गैस-वितरण	(असम)	1 65	0.3	
6. गैस-पृथक्करण और प्रसारण-योजना	(असम)	1 5	0 5	
7 बिहार सुपरफास्फेट-कारखाने का विस्तार	सिन्दरी (बिहार)	0 5	0 15	46,000 टन सुपरफास्फेट
8 उच्च तनाव इन्सुलेटर-कारखाने का विस्तार	रांची (बिहार)	0 56	0 17	4,800 टन इन्सुलेटर
9 उर्वरक-परियोजना*		20	10	80,000 टन नाइट्रोजन
10. सूत-कताई मिल	पम्पोर (जम्मू-कश्मीर)	0.5	0 25	12,000 तकुए
11. मार्गदर्शक लोहा और इस्पात-संयन्त्र	(मद्रास)	0 75		
12 इस्पात रोलिंग-मिल	(मद्रास)	1		20,000 टन रोलिंग उत्पादन
13 बम्बई में गैस-वितरण	(बम्बई)	0 5		प्रति दिन 2 करोड़ घनफुट गैस
14. नंगल के कारखाने का पुनर्गठन	नंगल (पंजाब)	0.5		

0.3	21,000 टन रिफ्रैक्टरिया
0.22	
2	कास्टिक सोडा. 6,600 टन, फिनोल : 6,600 टन, क्लोरिन · 5,800 टन, थैलिक एनीहाइड्राइड 6,600 टन, फारमलडिहाइड 5,000 टन, पैंटाक्लोरोफिनोल : 1,000 टन
0 08	25,000 तकुए
1	
21.98	

में निर्दिष्ट कुछ परियोजनाओं के व्यय के अनुसार चौथी योजना में भी

अनुबन्ध 2—(जारी)

2. राज्य-सरकारो की खनिज परियोजनाएं

(करोड रु०)

योजना का नाम	कुल व्यय-व्यवस्था
राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित 50 लाख रु० या इससे अधिक खर्च की नई योजनाएं	
कालाकोट कोयला-खान-परियोजना (जम्मू-कश्मीर)	0.6
राजस्थान खनन-निगम (पालान लिग्नाइट और डूगरपुर में फ्लोरस्पार की खोज)	2 75
खनिज विकास-मडल, मैसूर (राज्य में लोहा और खनिज मैंगनीज की खोज)	0 9
50 लाख रु० से कम खर्च की विविध योजनाएं और कार्यक्रम	6 75
योग	11

3. निजी उद्योगों में साझेदारी और निजी क्षेत्र को सहायता देने के कार्यक्रमो के लिए राज्यो की पूंजी की आवश्यकता

(करोड रु०)

योजना का नाम	स्थान	कुल पूंजी-विनियोग	विशेष
औद्योगिक विकास-क्षेत्र	आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, प० बगाल	5.4	
राज्य औद्योगिक विकास-निगम	आन्ध्रप्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, उत्तरप्रदेश	6 08	
निजी क्षेत्र की परियोजनाओ में राज्यो की साझेदारी	असम, जम्मू-कश्मीर, केरल, मैसूर, पजाब, प० बगाल	9.47	
रबड-बागानो का विकास	केरल	4.65	85,000 एकड़ क्षेत्र
	योग	25 6	

अनुबन्ध 3

कतिपय चुने हुए बड़े उद्योगों और खनिजों का विस्तार : प्रगति और लक्ष्य

उद्योग का नाम	उत्पादन इकाई	1950-51	1955-56 उत्पादन	1960-61 अनुमानित क्षमता	1960-61 अनुमानित उत्पादन	1965-66 क्षमता	1965-66 उत्पादन	1961-66 में स्थिर पूंजी-विनियोग (करोड़ रु०)	स्थिर पूंजी-विनियोग का विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी भाग (करोड़ रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
अ धातुकर्म उद्योग									
1. लोहा और इस्पात									
इस्पात की सिल्लियां	दस लाख टन	1.4	1.7	6	3.5	10.2	9.2	640	305
तैयार इस्पात	दस लाख टन	0.98	1.3	4.5	2.2	7.5	6.8		
बिक्री के लिए कच्चा लोहा	दस लाख टन	0.35	0.38	0.9	0.9	1.5	1.5		
मिश्रधातु, औजारी और विशेष इस्पात (तैयार)	हजार टन	—	—	—	—	200	200		
भूरे लोहे की ढलाई	दस लाख टन	—	—	अनुप०	अनुप०	1.2	1.2	30(क)	15(क)
इस्पात की ढलाई	दस लाख टन	—	—	0.1	0.05	0.2	0.2		
इस्पात की गढ़ाई	हजार टन	—	—	60	35	200	200		
2. लौह मैंगनीज, विद्युत् तापीय	हजार टन	—	—	150	100	220	200	5	2
3. लौह सिलिकन	हजार टन	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	5	6	40	40	2	1.2

(Column (8) values for the first four rows of item 1 are bracketed together against 640 and 305; the next three rows are bracketed against 30(क) and 15(क).)

अनुबन्ध 3—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. अल्युमीनियम	हजार टन	3 7	7.3	18.2	18 5	87 5	80	65	32
5 तांबा (भाग में सञोधित और विद्युत्-श्लेषित)	हजार टन	6 6	7 5	9	8.9	22	20	0.6(ख)	0 4(ख)
6. सीसा	हजार टन	0 8	2.1	6 1	3 5	8 5	8 }	7 3	2.7
7 जस्ता	हजार टन	—	—	—	—	15	15 }		
8 टंगस्टन कारबाइड	हजार टन	—	—	5	4	60	25	1	0 5
आ. मेकैनिकल इंजीनियरी उद्योग									
9 औद्योगिक मशीनें (1)									
सूती वस्त्र-मशीनें	करोड़ रु०	अनुपलब्ध	4	10	9	22	20	5	3
सीमेंट-मशीनें	करोड़ रु०	—	0.34(ग)	1 1	0 6	4 5	4 5 }	3	2
चीनी-मशीनें	करोड़ रु०	—	0 19	10 5	3 3	11 से 12	10 }	7	4
कागज-मशीनें	करोड़ रु०	—	–	0 7	—	8.5	6.5 से 7		
दूध-उद्योग की मशीनें	करोड़ रु०	—	–	0·25	गौण	2.5	2 5	0.5	—
औद्योगिक बायलर	करोड़ रु०	—	—	3 7	0 4	28	25 }	10(घ)	5(घ)
क्रेन	हजार टन	—	—	2.5	1 5	60	60 }		
मशीनी औज़ार	करोड़ रु०	0 34	0.78	7	5 5	30	30	40	27
भारी मशीन									
निर्माण (इस्पात और रासायनिक मशीनें	हजार टन	—	—	—	—	80	(ङ) }	119	81.5
कोयला-खनन-मशीनें	हजार टन	—	—	—	—	45	30 }		

भारी प्लेट और वेसल कारखाना (प्रेशर वेसल, ताप विनिमायक और अन्य प्रकार के रासायनिक संयन्त्र तथा उपकरण)	हजार टन	—	—	—	—	40	30	20	12
10. ढांचा-सम्बन्धी निर्माण (जिसमें भारी ढांचा-सम्बन्धी उद्योगशालाएं भी शामिल हैं)	हजार टन	—	90	500	150	1,100	1,000	25	10
11 सूक्ष्म उपकरण—औद्योगिक तथा वैज्ञानिक	करोड रु०	—	—	3 6	3	23	12	9	6 5
12 शल्य-क्रिया के औजार	दस लाख (संख्या)	—	—	—	—	2 5	2 5	2 7	2
13. घड़ियां	हजार (संख्या)	—	—	—	—	360(च)	240(च)	4	2 5
14 रेलों के डिब्बे तथा हिस्से		—	—	—	—	—	—	2	1
इंजन :									
भाप-चालित	(संख्या)	7	179	300	295	300	1,175(छ)		
डीजल-चालित	(संख्या)	—	—	—	—	अनुपलब्ध	434(छ)		
बिजली-चालित	(संख्या)	—	—	—	—	60	232(छ)		
माल-डिब्बे (चौपहिए)	(संख्या)	2,921	41,966(छ)	26,000	20,000	33,500	1,09,866(छ)		
सवारी डिब्बे	(संख्या)	179	4,381(छ)	1,300	1,210	1,420	7,837(छ)		

अनुबन्ध 3—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15 मोटर तथा सहायक उद्योग								85	40
सवारी कारें	हजार (संख्या)	16.5	25.3	20	20	30	30		
व्यावसायिक गाड़ियां	हजार (संख्या)			28	28	60	60		
जीपें और स्टेशन-वैगन	हजार (संख्या)			5.5	5.5	10	10		
सहायक वाहन	करोड़ रु०	0.42	2.3	अनुपलब्ध	9	25	25		
मोटर-साइकिल और स्कूटर	हजार (संख्या)	—	1.5	24	18	48 से 60	50		
16 बाल और रोलर बियरिंग	दस लाख (संख्या)	0.08	0.9	1.6	2.9	10	14(ज)		
17. मिट्टी हटाने के उपकरण									
क्रालर ट्रैक्टर	(संख्या)	—	—	—	—	600	500	27	18
डम्पर और स्क्रैपर	(संख्या)	—	—	—	—	600	500		
फावड़े	(संख्या)	—	—	—	—	125	100		
18 सड़क के रोलर	(संख्या)	—	—	800	400	800	700		
19. कृषि-उपकरण और मशीनें									
बिजली-चालित पम्प	हजार (संख्या)	34	37	184	90	184	150		
डीजल-इंजिन	हजार (संख्या)	5.5	10	62	40	72	66		
ट्रैक्टर	हजार (संख्या)	—	—	1.05	0.6	12	10		
20. बाइसिकलें	दस लाख (संख्या)	0.1	0.51	2.2	1.05	2.2	2(झ)		
21 सिलाई-मशीनें	हजार (संख्या)	33	111	268	297	700	700(ञ)		
22 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड	दस लाख आर० फुट	—	—	600	350	1,080	900		
23 जहाज-निर्माण (हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार, सूखी गोदी, और दूसरा जहाजघाट	हजार जी० आर० टी०	—	50(छ)	20	20	50 से 60	50 से 60	32	7

इ. बिजली इंजीनियरी उद्योग

24 बिजली के ट्रासफार्मर (33 किलोवाट से नीचे)	दस लाख के० वी० ए०	0.18	0.63	2.2	1 2	4	3.5	30	18
25 बिजली के मोटर (200 अश्व-शक्ति और उससे कम)	दस लाख अश्व-शक्ति	0 1	0 27	1 25	0 7	3(ट)	2 5(ट)		
26 बिजली के केबल और तार									
ए० सी० एस० आर०,	हजार टन	1 7	8 7	28	22	55	44		
वी० आई० आर० और प्लास्टिक की पर्त, चढे	दस लाख गज	39.4	86.9	500	220	800	600		
पेपर इन्सुलेटेड	मील	—	—	1,000	750	4,500	4,000		
सूखे कोर के केबल	मील	—	525	470(ठ)	1,077	2,000 से 2,500	2,000		
कोएक्सियल केबल	मील	—	—	300	200	300	300		
27 बिजली के पंखे	दस लाख (सख्या)	0 19	0 29	1 8	0 98	2 8	2 5		
28 घरेलू मीटर	दस लाख (सख्या)	—	0 25(ग)	0 6	0 46	2 5	2 1		
29 बिजली की बत्तिया									
जी० एल० एस० आदि	दस लाख (सख्या)	15	25 03	43 13(ठ)	38 05	76	68		
फ्लोरोसेंट ट्यूब	दस लाख (सख्या)	—	0 75	1.20(ठ)	1 46	7	6		
30. रेडियो-रिसीवर (सगठित क्षेत्र)	हजार (सख्या)	49	102	279 18(ठ)	254	900	800		
31 स्टोरेज बैटरिया	हजार (सख्या)	200	258 08	379 30(ठ)	509	900	800		
32 सूखी बैटरिया	दस लाख (सख्या)	136 3	161 1	224 50(ठ)	200	400	350		
33. सरकारी क्षेत्र में बिजली के भारी उपकरण	करोड रु०	—	—	—	—	80	80	104	60

अनुबन्ध 3—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ई. रासायनिक और सम्बद्ध उद्योग									
34 उर्वरक								225	100
नाइट्रोजनयुक्त (नाइट्रोजन की मात्रा के अनुसार)	हजार टन	9	79	248	110	1,000	800		
फास्फेटयुक्त (फास्फेट की मात्रा के अनुसार)	हजार टन	9	12	60	55	500	100		
35 भारी रसायन								42	18
गन्धक-अम्ल	हजार टन	99	164	476	363	1,750	1,500		
सोडा ऐश	हजार टन	45	81	268	145	530	450		
कास्टिक सोडा	हजार टन	11	35	124	100	400	340		
कैल्सियम कार्बाइड	हजार टन	—	3(ग)	17	10	67	60		
सोडियम हाइड्रोसल्फाइट	हजार टन	—	—	2 3	0 6	12	10		
हाइड्रोजन पैरोक्साइड	हजार टन	—	—	3	1 2	9 5	8		
36 विविध रासायनिक उत्पादन								13	5
कार्बन ब्लैक	हजार टन	—	—	—	—	30	30		
औद्योगिक विस्फोटक									
गजनाकारी विस्फोटक	हजार टन	—	—	5	6	20	20		
तरल ऑक्सीजन विस्फोटक	हजार टन	—	—	2	2	9	9		
सेफ्टीफ्यूज	दस लाख क्वायल	—	—	7	2	25	25		
डिटोनेटर	दस लाख (संख्या)	—	—	—	—	80	80		
रबड़-रसायन	हजार टन	—	—	—	—	3	3		

37 कोक								42	26 6
सॉफ्ट कोक (कम ताप कार्बनीकरण)	दस लाख टन	—	—	—	—	2	1.8		
हार्ड कोक उप-उत्पादन	हजार टन	—	—	620	500	1,160	1,100	29 2	13
38 रंजक और कार्बनिक अन्तरायक								28	13
रंजक	दस लाख पौंड	—	4	18	11 5	22 4	18		
अन्तरायक	टन	—	—	—	—	25,000	25,000		
39 औषध और सम्बद्ध पदार्थ								39 3	18
सल्फा औषध	टन	—	83(ग)	330	150	1,000	1,000		
पेनिसिलीन	दस लाख मेगा यूनिट	—	6 6	45	40	205	120		
स्ट्रेप्टोमाइसीन	टन	—	—	—	—	150	150		
पी० ए० एस०	टन	—	40(ग)	145	100	400	400		
पेचिश-निरोधक औषध	टन	—	6(ग)	60	30	75	75		
आइ० एन० एच०	टन	—	1(ग)	33	30	100	100		
फाइटोकेमिकल	टन	—	—	—	—	76 4	76 4		
डी० डी० टी०	टन	—	284	2,800	2,800	2,800	2,800		
40 प्लास्टिक (पोलिथिलीन पी० वी० सी० पोलिस्टाइरीन और अन्य)	हजार टन	—	0 7	15 7	10	85	74	27 5	10 5
41 साबुन (2)	हजार टन	106	102	254	150	254	500	3	1
संश्लेषित स्वच्छकारी	हजार टन	—	—	7 2	1 5	20	20	3	1

अनुबन्ध 3—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42. कच्ची फिल्में सिनेमाटोग्राफिक, आदि	दस लाख वर्ग-मीटर	—	—	—	—	10	10	9	5.5
43. टायर के उत्पादन								11.5	5
मोटर के टायर	दस लाख (संख्या)	—	0.9	1.61	1.35	3.7	3		
साइकिल के टायर	दस लाख (संख्या)	—	5.8	10.9	11	38.6	31		
44. कृत्रिम रबड़	हजार टन	—	—	—	—	50	50	25	12.5
45. कागज और गत्ता	हजार टन	114	187	410	350	820	700 }	100	35
अखबारी कागज	हजार टन	—	4.2	30	25	150	120 }		
सिक्युरिटी कागज	टन	—	—	—	—	1,500	1,500	5.5	4
46. सीमेंट	दस लाख टन	2.7	4.6	9	8.5	15	13	60	12
47. रिफ्रैक्टरियाँ	दस लाख टन	—	0.26	0.87	0.52	2	1.6	22	10
48. बिजली के पोर्सिलेन (उच्च तनाव और कम तनाव के इन्सुलेटर)	हजार टन	—	4.3	12.5	8.4	30	24	[illegible]	2.2
49. कांच और कांच का सामान	हजार टन	92	125	370	225	615	440	11	3.5
50. पेट्रोलियम की चीजें	दस लाख टन	—	3.6	6.02	5.67	10.77	9.86 }		
				कच्चा तेल		कच्चा तेल		73.5	33.4
स्नेहक तेल	हजार टन	—	—	—	—	100	100 }		
51. मोटरों और उद्योगों में व्यवहृत अलकोहल	दस लाख गैलन	8.6	15.2	40	22	72	[illegible]	4	0.4

52 औद्योगिक गैसें								11	6 5
ऑक्सीजन	दस लाख घन फुट	—	—	1,000	700	2,300	1,650		
एसीटिलीन	दस लाख घन फुट	—	—	156	90	250	200		
ख वस्त्र-उद्योग									
53 कपास								32 5	11
सूत	दस लाख पौंड	1,179	1,640	2,100	1,750	2,250	2,250		
कपड़ा (मिल-निर्मित)	दस लाख गज	3,720	5,102	5,300	5,127	5,800	5,800		
54 पटसन	हज़ार टन	892	1,150	1,200	1,065	1,200	1,100		
55 रेयन और रेशेवाले कपड़े								75	45
रेयन का तार	दस लाख पौंड	0 4	16	52 3	47	140	140		
रेशेवाला कपड़ा	दस लाख पौंड	—	14	48	47 8	75	75		
रसायनिक लुगदी	हज़ार टन	—	—	—	—	100	90		
56 ऊनी उत्पादन								2	1
ऊनी और बटा हुआ तार	दस लाख पौंड	18 3	21 7	67	28	67	52		
ऊनी कपड़ा	दस लाख गज	—	15	48	15	48	35		
ऊनी टाप	दस लाख पौंड	—	—	10	—	31 5	31 5		
ग खाद्य-उद्योग									
57 नमा	दस लाख टन	2 7	3	3 9	8 7	6 5	5 4	9	2
58. चीनी (3)	दस लाख टन	1 12	1 86	2 25	3	3 5	3 5	100	12

अनुबन्ध 3—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
59 वनस्पति तेल									
राजी का मिलायक सत्व	हज़ार टन	—	—	550 (खली)	25 (तेल)	2,000 (खली)	160 (तेल)	10	2 5
बिनौले का तेल	हज़ार टन	—	—	180(ड) (बीज)	15(ड) (तेल)	850 (बीज)	100 (तेल) 500		
60. वनस्पति	हज़ार टन	153	276	434	330	550	—	168(ड)	43
61. विविध उद्योग		—	—	—	—	—			
योग								2,454 6	1,109.9

टिप्पणी :—इंजीनियरी उद्योगों की क्षमता का अनुमान दोहरी पाली के आधार पर लगाया गया है।

(1) सूती वस्त्र-उद्योगों की मशीनों के अलावा इस शीर्षक के अन्तर्गत क्षमता और उत्पादन का सम्बन्ध मूल उपकरणों की मांग से है।

(2) 1965-66 के सिवाय उत्पादन के ये आंकड़े संगठित क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

(3) आकड़े फसल-वर्ष के बारे में हैं।

(क) ढलाई-गढ़ाई (तालिका की प्रविष्ट-संख्या 9 में सम्मिलित), खनन-मशीन-परियोजना और चित्तरंजन इंजिन-कारखाने के इस्पात-ढलाई-कारखाने के लिए निर्धारित व्यय से अधिक।

(ख) सरकारी क्षेत्र की क्षमता पर पूंजी-विनियोग खनिज-पदार्थों की व्यय-व्यवस्था के अन्तर्गत दिखाया गया है।

(ग) कैलेंडर-वर्ष के अनुसार।

(घ) व्यय केवल निजी क्षेत्र की योजनाओं के बारे में है। सरकारी क्षेत्र की व्यय-राशि तालिका की 10 और 33 प्रविष्टियों के अन्तर्गत है।

(ङ) वास्तविक उत्पादन को इस्पात-क्षमता के विस्तार-कार्यक्रम से सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

(च) केवल सरकारी क्षेत्र के बारे में।

(छ) पांच वर्ष की अवधि के लिए ।
(ज) तीन पालियों की कार्यक्षमता के आधार पर ।
(झ) इसके अतिरिक्त लघु उद्योग-क्षेत्र में 5 लाख साइकिलें तैयार होने की आशा है ।
(ञ) इसके अतिरिक्त लघु उद्योग-क्षेत्र में 1.5 लाख सिलाई-मशीनें बनने की आशा है ।
(ट) ये आंकड़े 300 अश्व-शक्ति और उससे कम के बारे में हैं ।
(ठ) एक पाली की क्षमता ।
(ड) आंकड़े केवल संगठित क्षेत्र के बारे में हैं ।
(ढ) इसमें नगरों के लिए 50 करोड़ रु० और सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्योगों के लिए 17 करोड़ रु० की राशियां शामिल हैं, जो उक्त उद्योगों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ।

अध्याय 27

खनिज-पदार्थ और तेल

पहली और दूसरी योजनाओं के काल में हुई प्रगति की समीक्षा

उद्योग के क्षेत्र में पहली योजना मुख्य रूप से बड़े पैमाने के विकास की तैयारी-भर थी। इसलिए उसमें खनिज-पदार्थों का उत्पादन बहुत बढ़ाने पर कोई खास जोर नहीं था, बल्कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था कि महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों के गुण और परिमाण का सही-सही अनुमान लगाने के ख्याल से देश की खनिज सम्पदा की ब्यौरेवार और व्यवस्थित जांच-पड़ताल की जाए और ऐसे उपाय किए जाएं कि लापरवाही के कारण उनका अपव्यय न होने पाए। हालांकि सामान्यतः भूगर्भशास्त्रीय दृष्टि से देश का सर्वेक्षण किया जा चुका था और प्रमुख खनिज क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका था, फिर भी ज्यादातर मामलों में खनिज साधनों का अन्वेषण ठीक-ठीक और पूरी तरह नहीं हुआ था तथा खनिज-पदार्थों के जखीरों का अनुमान, बहुत ही मोटे तौर पर लगाया गया था। सन् 1948 में भारतीय खान-संस्था की स्थापना से और जनवरी 1951 में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था के विस्तार का निश्चय हो जाने से पूरी-पूरी जांच-पड़ताल के लिए रास्ता बन गया और उसके संरक्षण के उपायों पर ज्यादा ध्यान देना सम्भव हुआ। दूसरी योजना में इनके फल निकलने लगे और गत कुछ वर्षों में कुछ खनिज-पदार्थों का उत्पादन काफी बढ़ गया, जैसे—कोयला, खनिज लोहा और बाक्साइट।

2 पिछले दस वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, उसकी संक्षिप्त समीक्षा नीचे के पैराग्राफों में की गई है।

कोयला

3 उत्पादन : पहली पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रखा गया था, क्योंकि जिस हिसाब से मांग बढ़ रही थी, उसकी पूर्ति के लिए कोयले के उत्पादन की जितनी क्षमता थी, वह काफी थी। दूसरी योजना में औद्योगिक और बिजली-विकास के जो कार्यक्रम सोचे गए थे, उनके लिए कोयले की आवश्यकताओं के आधार पर, और रेल-द्वारा जितना यातायात होने की आशा थी, उसके आधार पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 6 करोड़ टन कोयला-उत्पादन का लक्ष्य स्थिर किया गया था, यानी सन् 1955 के उत्पादन-स्तर से 2 2 करोड़ टन अधिक। मांग इस कदर बढ़ रही थी कि केवल चालू कोयला-खानों का उत्पादन बढ़ा कर उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी, इसके लिए नई खानें शुरू करने की जरूरत थी। चालू कोयला-खानों का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को ध्यान में रख कर तथा सरकार की इस नीति को ध्यान में रख कर कि नई खानें सरकारी क्षेत्र के अधीन ही शुरू की जा सकती हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 20 लाख टन अतिरिक्त कोयला-उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इसमें से 20 लाख टन चालू खानों का उत्पादन बढ़ा कर और 1 करोड़ टन अछूते क्षेत्रों में नई खानें चालू करके हासिल करना था। बाकी का 1 करोड़ टन अतिरिक्त कोयला चालू कोयला-खानों से और उनके आस-पास के क्षेत्रों से हासिल करने का काम निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया।

4. सरकारी और निजी, दोनो ही क्षेत्रो में चालू खानो में उत्पादन बढाने में तो कोई खास कठिनाई नही हुई, लेकिन नई कोयला-खानो से कोयले के अतिरिक्त उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का काम बहुत कठिन हो गया। नई खानें प्राय बिल्कुल ही नए क्षेत्रो में खोदनी पडी। सरकार नए क्षेत्रो को अपने अधिकार में ले सके, इसके लिए विधान बनाना पडा और इन क्षेत्रो की विस्तृत जाच-पडताल करनी पडी, ताकि जखीरो का ठीक-ठीक पता लग जाए और विकास के लिए खडो का चुनाव किया जा सके। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र को बिल्कुल शून्य से ही शुरुआत करनी पडी और ऐसे अनुभवी तकनीकी कर्मचारियो की जबर्दस्त कमी रही, जो अधीक्षक-पद के योग्य हो। एक ओर तो यह मुश्किल और दूसरी ओर कार्यक्रम के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की प्रारम्भिक कठिनाइयो के परिणामस्वरूप योजना के प्रारम्भिक वर्षों में प्रगति काफी धीमी रही। इसलिए दूसरी योजना के उत्पादन को इन कठिनाइयो के सन्दर्भ में ही देखना चाहिए सन् 1960-61 में 5 करोड 46 लाख 20 हजार टन उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 6 करोड टन का था। हालाकि वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ, फिर भी सरकारी क्षेत्र ने—जिसमें राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की और सिंगरेनी की कोयला-खानें शामिल हैं—इतनी मात्रा में कोयले का उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है कि उसके लिए जो लक्ष्य स्थिर किया गया है, उससे वह पीछे न रहे। पिछले वर्ष में राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की खानो में बहुत तेजी से उत्पादन बढा है। पहली तिमाही में उसके उत्पादन का स्तर इतना था कि उस हिसाब से साल में 53 लाख टन कोयले का उत्पादन होता, पर आखिरी तिमाही में यह स्तर बढकर इतना हो गया कि साल में 1 करोड 37 लाख टन का उत्पादन होता, जबकि लक्ष्य पूरे साल-भर के लिए 1 करोड 35 लाख टन का रखा गया था। सिंगरेनी की कोयला-खानो के ये आकडे क्रमश 24 लाख टन और 26 लाख टन थे, जबकि उत्पादन का लक्ष्य 30 लाख टन था। इसी प्रकार, निजी क्षेत्र में आकडे ये रहे 4 करोड 38 लाख टन और 4 करोड 57 लाख टन, जबकि उत्पादन-लक्ष्य 4 करोड 40 लाख टन का था।

5 दूसरी योजना के शुरू में कोयला-उत्पादन के बारे में जो कल्पना की गई थी, उसकी तुलना में पिछले दस वर्षों में उत्पादन की क्या प्रगति रही और 1960-61 में क्षेत्रवार वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, इसका विवरण नीचे की तालिकाओ में दिया जा रहा है :

तालिका-संख्या 1

कोयला-उत्पादन

वर्ष		लाख टनों में
1951	..	344 3
1952	..	363
1953	..	359 8
1954	..	368 8
1955	.	382 3
1956-57	..	403

तालिका-संख्या 1—(जारी)

वर्ष		लाख टनों में
1957-58	..	441
1958-59	..	459.4
1959-60	..	478 2
1960-61	..	546 2

तालिका-संख्या 2

1960-61 में क्षेत्रवार उत्पादन

(लाख टनों में)

क्षेत्र	दूसरी योजना में उत्पादन का लक्ष्य	1960-61 में वास्तविक उत्पादन
असम	5	6 8
दार्जिलिंग	0 3	0 4
रानीगंज	181.6	180 8
झरिया	166 9	160 9
करनपुरा	60	44 8
बोकारो	28 8	37 5
गिरिडीह	2 6	4 6
बिहार के अन्य छोटे क्षेत्र	1 4	1 5
छिन्दवाड़ा और चान्दा	22 5	30 6
कोर्वा	40	5 7
मध्य-भारत के कोयला-क्षेत्र	53.1	36 7
सस्ती	0 7	1 4
उड़ीसा	5 2	8 8
सिंगरेनी	29 3	25 2
बीकानेर	0 3	0 5
योग	597.7	546 2

तालिका देखने से पता चलता है कि दूसरी योजना में जितने उत्पादन की बात सोची गई थी, उसमें और 1960-61 के वास्तविक उत्पादन में फर्क है—विशेषकर कोर्वा और मध्य-भारत के कोयला-क्षेत्रों में। इसकी वजह यह थी कि कोयले के उत्पादन और वितरण से सम्बद्ध कुछ तथ्य जैसे-जैसे स्पष्ट होकर सामने आए, वैसे-वैसे निश्चयों में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त, मध्य-भारत के कोयला-क्षेत्रों में कोयले की किस्म उतनी बढ़िया भी नहीं थी, जितनी आशा की जाती थी।

6 .संरक्षण : कोकिंग कोयले के सीमित जखीरो के सरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है

(1) क्षेप्य भरण (स्टोइंग) : कोयला-खान (सरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 के द्वारा क्षेप्य भरण को सरक्षण तक विस्तृत किया गया , उस समय तक यह सुरक्षा की दृष्टि से ही अनिवार्य था।

(2) उत्पादन पर नियन्त्रण: कोकिंग कोयले के उत्पादन की अधिकतम सीमाए निश्चित कर दी गई। उद्देश्य यह था कि कोकिंग कोयले के उत्पादन को घटा कर इस स्तर तक ले आया जाए कि केवल ऐसे उपभोक्ताओ की माग की पूर्ति हो सके, जिनके लिए वह बहुत आवश्यक हो। परन्तु दूसरी योजना के दौरान इस्पात-विस्तार-कार्यक्रम के लिए अधिक मात्रा में कोयला निकालने की आवश्यकता के कारण धीरे-धीरे ये सीमाए फिर बढा दी गई। इस्पात के नए कारखाने खोले जाने लगे और वर्तमान कारखानो में विस्तार होने के कारण अब उत्पादन-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नही रही।

(3) कोयला धोने के कारखानों की स्थापना : चूंकि कोयले की धुलाई उसके सरक्षण का एक तरीका है, इसलिए दूसरी पचवर्षीय योजना में चार केन्द्रीय धुलाई-कारखाने और दुर्गापुर के इस्पात-सयन्त्र में एक धुलाई-कारखाना स्थापित करके 64 लाख टन की अतिरिक्त धुलाई-क्षमता की व्यवस्था की गई। दुर्गापुर के इस्पात-सयन्त्र का यह कारखाना (जिसकी क्षमता 8 लाख टन है) और करगली का धुलाई-कारखाना (जिसकी क्षमता 16 लाख टन है) स्थापित किए जा चुके है। तीन और धुलाई-कारखाने तीसरी योजना के शुरू के वर्षों में कायम हो जाएगे। दूसरी योजना के अनुभव से पता चला है कि धुलाई-कारखानो की स्थापना के लिए तैयारिया करने में बहुत समय लग जाता है। खान के विभिन्न स्तरो और विभिन्न खानो से प्राप्त कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताओ को समझना आवश्यक है, ताकि (क) धुलाई का तरीका निश्चित किया जा सके और धुलाई-कारखानो के बारे में तफसीलें तैयार की जा सकें, और (ख) यह तय कर दिया जाए कि किस धुलाई-कारखाने में किन-किन खानो का कोयला भेजा जाएगा।

(4) मिश्रण : कमजोर कोकिंग या गैर-कोकिंग कोयले को मजबूत कोकिंग कोयले के साथ मिलाने से कोकिंग कोयले के सीमित जखीरे अधिक अवधि तक रह सकेंगे। दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने में रानीगज का कमजोर कोकिंग या अर्द्ध-कोकिंग कोयला ही काम में लाया जाता है, जिसमें 55 प्रतिशत तक झरिया का कोकिंग कोयला मिला होता है।

(5) कोकिंग कोयले के स्थान पर गैर-कोकिंग कोयले का प्रयोग : रेलो में कोकिंग कोयले के स्थान पर गैर-कोकिंग कोयले का उपयोग करने का कई सोपानो में बटा हुआ एक कार्यक्रम तैयार किया गया। चूंकि मूल उपभोक्ताओ की ओर से कोकिंग कोयले की उतनी माग न हो सकी, जितना कि पहले अनुमान लगाया गया था, इसलिए कोयले का जितना उत्पादन उपभोक्ताओ की

आवश्यकताओं से अधिक था, उसका उपयोग रेलो में होता रहा। यह अतिरिक्त मात्रा सन् 1957 में लगभग 50 लाख टन थी, किन्तु सन् 1960 में घट कर लगभग 15 लाख टन रह गई।

(6) अन्य उपाय : जिन खानो को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उत्पादन जारी रखने के लिए कहा जाता है, किन्तु जिन्हें प्रतिकूल परिस्थितियो का—जैसे, गैस मौजूद होने, काम की जगहो की गहराई, आदि का—सामना करना पडता है, उन्हें विशेष सहायता दी जाती है।

7 खानो का एकीकरण . छोटी खानों के एकीकरण से सम्बद्ध समिति की सिफारिश पर सरकार ने छोटी और घाटेवाली खानो को मिलाने की बात सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली है। जब तक अनिवार्य एकीकरण के लिए विधान नही बन जाता, तब तक के लिए खानो के स्वैच्छिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के विचार से एक समिति बना दी गई। यह समिति अब तक स्वैच्छिक एकीकरण के 31 मामलो का अनुमोदन कर चुकी है, जिनमें से मार्च, 1961 के अन्त तक 17 मामलो में एकीकरण हो भी चुका है। समिति अभी तक अपना काम कर रही है। कोयले का उत्पादन बढाने के कार्यक्रम की गति कुछ मन्द न हो जाए, इस आशका से अनिवार्य एकीकरण के लिए विधान लागू करने का काम तीसरी योजना के लगभग मध्य तक स्थगित कर दिया गया है।

खनिज तेल

8 असम के डिगबोई-क्षेत्र को छोड कर, जहा थोडी मात्रा में तेल प्राप्त हो जाता है, देश में इस समय कही भी तेल का उत्पादन नही होता। आशा की जाती है कि नहरकटिया-तेल-क्षेत्र से, जिसका पता 'असम आयल कम्पनी' ने लगाया है, शीघ्र ही 27 लाख 50 हजार टन बिना साफ किया तेल प्रति वर्ष मिलने लगेगा। तेल-सम्पदा का उपयोग करने के लिए 'आयल इडिया' नामक जो कम्पनी बनाई गई है, उसमें भारत-सरकार का हिस्सा पहले एक-तिहाई था, जिसे अब बढा कर आधा कर दिया गया है। बिना साफ किया तेल नली-द्वारा दो नए शोधनालयो में ले जाया जाएगा, जो निजी क्षेत्र में गौहाटी (नूनमती, असम) और बरौनी (बिहार) में तैयार किए जा रहे हैं और जिनकी क्षमता क्रमश 7 लाख 50 हजार टन और 20 लाख टन होगी। नहरकटिया-क्षेत्र में तेल के अलावा प्राकृतिक गैस भी है। इसकी जानकारी अभी प्राप्त नही हो सकी है कि यहा कुल कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध हो सकेगी, किन्तु बिजली और उर्वरक पैदा करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए इसमें से कुछ गैस का उपयोग करने की व्यवस्था की जा चुकी है।

9 असम के ज्ञात तेल-प्रदेशो के बाहर तेल की खोज के लिए इडो-स्टैनवाक पेट्रोलियम-परियोजना पहला बडा प्रयास था। पश्चिम-बगाल की घाटी में तेल की खोज के लिए 'स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी' ने जितना खर्च किया, उसका एक-चौथाई हिस्सा भारत-सरकार ने दिया। कई अन्वेषण-कूप खोदे गए, किन्तु चूकि कही भी न तो तेल मिला और न गैस, इसलिए कम्पनी ने यह परियोजना समाप्त कर दी। सरकार ने खर्च में अपने हिस्से के तौर पर 1.67 करोड रुपये दिए।

10 तेल में देश को आत्म-निर्भर करने की भारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दूसरी योजना की अवधि के दौरान तेल की खोज के लिए एक सगठन

की स्थापना की थी। जो भी उपकरण और तकनीकी कर्मचारी प्राप्त हो सके, उनकी सहायता से राजस्थान के जैसलमेर-क्षेत्र में जांच-पड़ताल शुरू की गई। दूसरी योजना में इस दिशा में तेजी से प्रयास करने और इसके लिए संगठन का विस्तार करने की व्यवस्था की गई। तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग की स्थापना हुई। पहले इसे एक विभागीय संगठन का रूप दिया गया, पर आगे चल कर एक अनुविहित निकाय का रूप दे दिया गया। आयोग ने पहले पंजाब में और फिर खम्भात तथा असम की ब्रह्मपुत्र-घाटी में भूगर्भीय सर्वेक्षण, भू-भौतिक सर्वेक्षण और तेल का पता लगाने के लिए कुए खोदने के काम किए। पंजाब में अब तक जिन स्थानों पर जांच-पड़ताल की गई है, उनमें न तो कहीं तेल मिला है और न ही इतनी गैस कि उसे निकालना व्यापार की दृष्टि से लाभदायक हो। पंजाब के दूसरे क्षेत्रों में अभी खोज-बीन हो रही है। खम्भात में अन्वेषण-कार्य में अधिक सफलता मिली, क्योंकि वहां पहले कुए में ही तेल मिल गया। इस प्रारम्भिक सफलता से प्रोत्साहित होकर खम्भात में और फिर अंकलेश्वर-क्षेत्र में, कई कुए खोदे गए हैं। बहुत-से कुओं में तेल या गैस मिली है और यद्यपि इस आविष्कार की सम्भावनाओं का अनुमान लगाने के लिए अभी और कुए खोदने पड़ेंगे, किन्तु लगता यही है कि इस इलाके में काफी बड़ा तेल-क्षेत्र है। असम की ब्रह्मपुत्र-घाटी में दो कुए उस क्षेत्र के बाहर खोदे गए हैं, जिसे आयल इंडिया ने ठेके पर ले रखा है। इनमें से एक कुए में तो तेल का पता भी चला है। गंगा-घाटी में भी भूगर्भीय और भू-भौतिक अन्वेषण-कार्य आरम्भ किए गए।

तेल-अन्वेषण पर दूसरी योजना की अवधि में सरकार ने लगभग 26 करोड़ रुपये खर्च किए।

खनिज उत्पादन

11. सन् 1951-60 के दस वर्षों में, खनिज उत्पादन की मात्रा और मूल्य में सामान्यत. वृद्धि होती रही। सन् 1950 में उत्पादन का मूल्य लगभग 83 करोड़ रुपये था, जो 1960 में बढ़ कर लगभग 159 करोड़ रुपये हो गया। सबसे उल्लेखनीय वृद्धि खनिज लोहे के उत्पादन में हुई—सन् 1950 के 29.7 लाख टन से बढ़ कर सन् 1960 में 1 करोड़ 5 लाख टन। देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ने और जापान तथा अन्य देशों के साथ निर्यात-व्यापार में प्रगति होने के कारण ही खनिज लोहे के उत्पादन में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है। कच्चे मैंगनीज, जिसका उत्पादन मुख्यत. निर्यात के लिए ही किया जाता है, के उत्पादन में पहले की तरह निरन्तर वृद्धि नहीं हुई। सन् 1950 में इसका उत्पादन 8.8 लाख टन था, जो सन् 1953 में बढ़ कर 19 लाख टन हो गया। उत्पादन में यह वृद्धि बहुत हद तक अमेरिका के संचयन-कार्यक्रम के कारण थी। इसके बाद कच्चे मैंगनीज का उत्पादन घटता-बढ़ता रहा है और सामान्यत. उसका झुकाव कमी की ओर ही है। इसका एक कारण तो अमेरिका के संचयन-कार्यक्रम में कमी और इस्पात-उद्योग का गतिरोध है और दूसरा कारण कच्चे मैंगनीज के बाजार में प्रतियोगियों का पैदा हो जाना है।

12. कुछ महत्त्वपूर्ण खनिज-पदार्थों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य की प्रवृत्तियां अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाई गई हैं।

तालिका-संख्या 3

खनिज-पदार्थों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ

(मात्रा हजार टनों में, मूल्य लाख रुपयों में)

खनिज पदार्थ	1950		1955		1960	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कोयला	32,310	4,668	38,230	5,603	51,810†	10,895
खनिज लोहा	2,970	164	4,680	323	10,520	770
कच्चा मैंगनीज	880	848	1,580	1,082	1,160	818
चूना (लाइमस्टोन)	2,920††	103††	7,370	302	12,530	562
क्रोमाइट	17	6	89	27	99	57
इल्मेनाइट	213	33	251	132	246	147
बाक्साइट	64	8	90	9	377	42
मैग्नेसाइट	53	11	58	13	154	27
सलखड़ी	206	14	690	45	982	63
खनिज तांबा	360	120	353	258	441	237
सान्द्रीकृत सीसा	2††	**	3	8	6	22
सान्द्रीकृत जस्ता	2††	7††	5	17	10	25
उपर्युक्त खनिज-पदार्थों-सहित समस्त खनिज-पदार्थों का कुल मूल्य		8,341		9,436		15,902

*अस्थायी आंकड़े

†इसमें जम्मू और कश्मीर का भी लिग्नाइट शामिल है—सन् 1960 में 4,647 टन।

††आंकड़ों का सम्बन्ध 1951 के कैलेंडर-वर्ष से है।

**आंकड़े उपलब्ध नहीं

खनिज सर्वेक्षण

13 पहली दो योजनाओं की अवधि में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था और भारतीय खान-संस्था का विस्तार होने से एक इंच-एक मील के हिसाब से तैयार किए गए भूगर्भीय नक्शो को बढा कर उसमें नए क्षेत्रो का समावेश किया गया और कुछ महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रो में अधिक बडे माप के नक्शे तैयार किए गए। दूसरी योजना के आरम्भ में देश के लगभग 24 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका था और एक इंच-एक मील के नक्शे में उसे दिखाया जा चुका था। दूसरी योजना की अवधि में इस माप के नक्शे में 40,000 वर्गमील क्षेत्र और शामिल किया गया और 5,775 वर्गमील के खनिज क्षेत्र अधिक बडे माप के नक्शो में दिखाए गए। करनपुरा, बोकारो, कोर्बा, कोरिया, विश्रामपुर, झिलिमिली, कालाकोट, तालचर और घरगिरि के कोयला-क्षेत्रो का विस्तृत पूर्वेक्षण किया गया, तो पता चला कि इनमें कोयले के इतने काफी ज़खीरे हैं कि दूसरी योजना की अवधि में इनमें से कुछ क्षेत्रो में नई खानें स्थापित की जा सकती हैं। इन अन्वेषण-कार्यों के फलस्वरूप सिंगरौली-कोयला-क्षेत्र में 70 से 90 फुट तक मोटी एक तह और रामगढ-कोयला-क्षेत्र में दो तहो—एक 74 फुट मोटी और दूसरी 12 फुट 8 इंच मोटी—का पता चला। यह दूसरी तह कोकिंग कोयलेवाली थी। इसके अतिरिक्त, यह भी सिद्ध हो चुका है कि दिशरगढ की तह आसानी से खोदी जा सकनेवाली गहराई में है और 20 फुट मोटी कोकिंग लैंकडिह तह रानीगंज-कोयला-क्षेत्र में ऐसी ज़मीन में है, जो ठेके पर दी हुई नही है। इसी प्रकार, झरिया कोयला-क्षेत्र में कोयला मेजर्स की जलोढ मिट्टी के नीचे उसके पूर्वी फैलाव का अस्तित्व भी साबित हो चुका है। राजहरा और बरसुआ-क्षेत्रो में खनिज लोहे का पता लगाने से भिलाई और राउरकेला के इस्पात-कारखानो के वास्ते खनिज लोहा जुटाने के लिए नई खानो की स्थापना में सहायता मिली। किरिबुरु के क्षेत्र में जिस ज़खीरे का पता लगा, वह किरिबुरु खनिज लोहा-परियोजना का आधार बना। इस परियोजना से जापान को निर्यात करने के लिए प्रति वर्ष 20 लाख टन खनिज लोहा मिलेगा। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में कच्चे मैंगनीज़ की तहो की बनावट के बडे नक्शे बनाने से पता चला है कि अब तक जितने ज़खीरे का अनुमान लगाया गया है, उससे कही अधिक ज़खीरा वहा है। जिन अलौह धातुओं—विशेषत तांबा, सीसा और जस्ता—का पता लग चुका है या जिनकी सूचना मिली है, उनकी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए गए। खेतरी (राजस्थान) और सिक्किम में खुदाई और अन्वेषण-सम्बन्धी जो कार्य किए गए है, उनसे साबित हुआ है कि खेतरी क्षेत्र में लगभग 2 करोड 80 लाख टन कच्चा तांबा (तांबे की औसत मात्रा 0.8 प्रतिशत) और सिक्किम में लगभग 3.5 लाख टन कच्ची धातु है, जिसमें औसतन 6 24 प्रतिशत तांबा, सीसा और जस्ता है। यह संकेत भी मिला है कि नागौड (राजस्थान) में सेलखडी, अलमोडा (उत्तरप्रदेश) में मैगनेसाइट, अमजोर (बिहार) में पाइराइट्स और जिला शाहाबाद (बिहार) में चूने का पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है।

14 अगले पृष्ठ की तालिका में मोटे तौर पर पिछले दस-वर्षों में किए गए अन्वेषण-कार्यों के अधिक महत्त्वपूर्ण परिणामो की ओर संकेत किया गया है।

तालिका-संख्या 4

जखीरो का अनुमान

खनिज-पदार्थ	स्थान	पहली योजना के आरम्भ में स्थिति	पुनरीक्षण के बाद अब स्थिति	
		(जखीरे : लाख टनो में)		
कोयला		3,73,000	5,00,000	इसके अतिरिक्त, 8,000 करोड टन के अनुमानित जखीरे और है।
खनिज मैगनीज		200 (उच्चकोटि का)	1,800	लगभग 40 प्रतिशत विपण्य कोटि का है।
खनिज तावा	खेतरी	कोई अनुमान नही	280	तावे की 0 8 प्रतिशत औसत मात्रा से युक्त
	सिक्किम	कोई अनुमान नही	3 5	तावे, सीसे और जस्ते की मिली-जुली 6 24 प्रतिशत औसत मात्रा से युक्त
पाइराइट्स	अमजोर	कोई अनुमान नही	3,840	इसमे प्रमाणित जखीरे 80 लाख टन है और 6 करोड 80 लाख टन अनुमानित है। प्रमाणित जखीरो में गन्धक की औसत मात्रा 40 प्रतिशत है।

	इगनदल	कोई अनुमान नही	20	
सेलखड़ी (जिप्सम)	नागौड (राजस्थान)	कोई अनुमान नही	10,000	
	रामबाण (जम्मू और कश्मीर)	कोई अनुमान नही	500	
चूने का पत्थर	शाहाबाद जिला*	कोई अनुमान नही	लगभग चार करोड चालीस लाख टन फ्लक्स-कोटि का और 26 करोड 80 लाख टन भट्ठी-कोटि का	
क्रोमाइट	बैरापुर (मैसूर)	कोई अनुमान नही	7	
खनिज लोहा	किरिबुरु (उडीसा)	कोई अनुमान नही	1,730	
बाक्साइट	जामनगर जिला (गुजरात)	कोई अनुमान नही	60	
मैगनेसाइट	अलमोडा (उत्तरप्रदेश)	कोई अनुमान नही	120	
केयेनाइट	सिहभूमि-तावा-पट्टी (बिहार)	7	18	
शीशा और जस्ता	जवार (राजस्थान)	कोई अनुमान नही	107	सीसे और जस्ते की मिली-जुली 8 प्रतिशत औसत मात्रा से युक्त
लिगनाइट	बारमेर (राजस्थान)	कोई अनुमान नही	100	

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम

15 तीसरी योजना में उद्योग के विस्तार को अधिक महत्व दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खनिज पदार्थों की खोज-बीन और विकास के ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जिन्हें तेजी से अमल में लाया जा सके। मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की खनिज सम्पदा की खोज-बीन की जाए, जिससे कि

(क) ऐसे खनिज पदार्थों और धातुओं के जखीरों का पता चल सके, जिनका इस समय पूरी तरह या अंशत आयात किया जाता है,

(ख) खनिज लोहा, बाक्साइट, मैंगनीज, कोयला, चूने का पत्थर-जैसे खनिज पदार्थों के अतिरिक्त जखीरों का पता लगाया जा सके और अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें विकसित किया जा सके, और

(ग) जखीरों का पता लगाया जा सके और खनिज लोहा-जैसे निर्यात-योग्य खनिज पदार्थों के उत्पादन के लिए नई खानें शुरू की जा सकें।

इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि आगामी वर्षों में भूगर्भीय मानचित्र तैयार करने का काम तीव्र गति से किया जाए, भू-भौतिक और भू-रासायनिक तरीकों का उपयोग अधिक व्यापक स्तर पर किया जाए और ऐसे साधनों का पूर्वेक्षण विस्तृत रूप से किया जाए, जिनसे खनिज पदार्थ मिलने की आशा हो, ताकि उन्हें विकसित करने से पहले यह पता लगाया जा सके कि जखीरा कितना है और उसकी किस्म कैसी है।

16 तीसरी योजना में जो खनिज-विकास-कार्यक्रम रखे गए हैं और जिनका उल्लेख उद्योगों से सम्बन्धित 26 वें अध्याय के अनुबन्धों में किया गया है, उनके लिए सरकारी क्षेत्र में 478 करोड़ रुपये (इसमें 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है) और निजी क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ रुपये (28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा-सहित) लगाने पड़ेंगे। इस समय सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खनिज पदार्थों के लिए 1,520 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जब कि इस काम के लिए कुल मिला कर 1,882 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। साधनों की आवश्यकता और उनकी वास्तविक उपलब्धि के इस अन्तर से प्रकट होता है कि इस क्षेत्र के बहुत-से कार्य चौथी योजना में शामिल करने होंगे और कुछ लक्ष्यों की पूर्ति तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक नहीं हो सकेगी। जैसा कि उद्योगों से सम्बन्धित अध्याय में बताया जा चुका है (पैरा 24), इस समय ठीक-ठीक बताना कठिन है कि किन-किन परियोजनाओं की क्रियान्विति में देर लगेगी।

कोयला

17 माग का अनुमान - तापीय बिजली पैदा करने के और रेलों के विकास-कार्यक्रमों और लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा अन्य ऐसे उद्योगों के, जिनमें कोयले की खपत बहुत ज्यादा होती है, निर्धारित लक्ष्यों को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में कोयले की माग 9 करोड़ 70 लाख टन होगी। यह अनुमान अगले पृष्ठ पर दी गई बातों को ध्यान में रख कर लगाया गया है।

(ख) रेलों में बिजली और डीजल का उपयोग करने के कार्यक्रम का उनकी कोयले-सम्बन्धी आवश्यकताओं पर प्रभाव, और (ग) तापीय बिजली पैदा करने के लिए घटिया किस्म के कोयले और मिडलिंग्स का प्रयोग।

18. तीसरी योजना के लिए 9 करोड़ 70 लाख टन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी पूर्ति के लिए दूसरी योजना के 6 करोड़ टन के लक्ष्य से 3 करोड़ 70 लाख टन अधिक कोयला पैदा करना होगा। यद्यपि दूसरी योजना के लक्ष्य की पूर्ति में पूरी सफलता नहीं मिल सकी, तथापि लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्यवाही दूसरी योजना की अवधि में ही की जा चुकी है। मार्च 1961 में 52 लाख 70 हजार टन कोयले का उत्पादन हुआ। 1960-61 के लिए निर्धारित उत्पादन-लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रति मास कोयले का जितना उत्पादन होना चाहिए था, उससे यह मात्रा कुछ अधिक ही थी।

19. दूसरी योजना की अवधि में अतिरिक्त उत्पादन में निजी क्षेत्र ने अपना योगदान [illegible] मात्रा से ज्यादा ही किया, जब कि सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन अधिकतर नई खानों से हुआ। तीसरी योजना में इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन करने की आवश्यकता है कि बहुत-सी नई खानें शुरू करनी पड़ेंगी—विशेषरूप से सरकारी क्षेत्र में। ये खानें विकसित तथा बिल्कुल नए, खाली ही क्षेत्रों में स्थापित करनी पड़ेंगी। इसके लिए अत्यधिक प्रयास और बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी।

20. अनुमान है कि इस्पात के कारखानों और व्यापारिक कोक-कारखानों के लिए क्रमशः 2 करोड़ 50 लाख टन और 20 लाख टन धातुशोधी कोयले की आवश्यकता होगी। कोकिंग कोयले के सीमित भंडारों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि जहां तक हो सके, कम-कोकिंग या अर्द्ध-कोकिंग कोयले को सशक्त कोकिंग कोयले के साथ मिला कर काम में लाया जाए, जिससे कि कोकिंग कोयले का कम इस्तेमाल हो। ऐसा किया भी जाने लगा है। दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने और पश्चिम-बंगाल के कोक-भट्ठी-संयन्त्र (दुर्गापुर) में रानीगंज के अर्द्ध-कोकिंग कोयले और झरिया के कोकिंग कोयले को मिला कर काम में लाया जाता है। सन् 1960 में उच्च कोटि (चुनीदा कोटि और प्रथम कोटि) के कोकिंग कोयले का उत्पादन लगभग 1 करोड़ 30 लाख टन और मिश्रणीय कोयले का उत्पादन लगभग 20 लाख टन था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धातुशोधी कोयला-उद्योगों की कुछ आवश्यकता तो मिश्रणीय कोयले से पूरी हो जाएगी, अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना की अवधि के अन्त में कोकिंग कोयले और मिश्रणीय कोयले की जो अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होगी, वह क्रमशः 1 करोड़ टन और 20 लाख टन होगी। अनुमान लगाया गया है कि रेलवे और अन्य उद्योगों के लिए उच्च कोटि के गैर-कोकिंग कोयले की जो अतिरिक्त मात्रा आवश्यक होगी, वह लगभग 1 करोड़ टन होगी। 9 करोड़ 70 लाख टन का जो उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसका कोयले की कोटि के अनुसार विभाजन इस प्रकार है

	(लाख टनों में)
चुनीदा—क	120 5
चुनीदा—ख	188 7
प्रथम कोटि	442.8

द्वितीय कोटि	159.7
तृतीय कोटि	57 1
योग	968 8

तीसरी योजना में कोयला-कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह व्यवस्था करना है कि इस्पात-कारखानों और व्यापारिक कोक-कारखानों को कोकिंग और मिश्रणीय कोयला और रेलवे तथा अन्य उद्योगों को गैर-कोकिंग कोयला, जिसकी उन्हें अनिवार्य रूप से जरूरत होती है, आवश्यक मात्रा में मिलता रहे। उपर्युक्त कोटियों के कोयले की अतिरिक्त मात्रा मुख्यतः झरिया और रानीगंज की कोयला-खानों से प्राप्त करनी होगी और इसमें सरकारी क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय भाग लेगा।

21 **अतिरिक्त उत्पादन का नियतन** : कार्यक्रम तैयार करने और विशेष रूप से इस बात का निश्चय करने में कि कितना अतिरिक्त उत्पादन निजी क्षेत्र में होना चाहिए और कितना सरकारी क्षेत्र में, उपर्युक्त उद्देश्यों का और निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया है

(क) निजी क्षेत्र की अपनी चालू खानों और आसपास के इलाकों में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता, तथा

(ख) सरकार की नीति, जिसके अनुसार नई खानें शुरू करने का अधिकार केवल सरकारी क्षेत्र को प्राप्त है।

निजी क्षेत्र की उत्पादन बढ़ाने की क्षमता एक कार्यकारी दल के द्वारा आंकी गई। अलग-अलग कम्पनियों के विस्तार-कार्यक्रम के ब्योरों की जांच करने के बाद इस दल ने उनकी क्षमता 1 करोड़ 68 लाख 30 हजार टन आंकी। इसके अनुसार, 3 करोड़ 70 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा में से सरकारी क्षेत्र को 2 करोड़ टन का उत्पादन करना होगा। दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन का यह नियतन ऐसा नहीं है कि इसमें घट-बढ़ न की जा सकती हो। कार्यक्रमों की प्रगति पर हमेशा दृष्टि रखी जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें फेर-बदल किया जा सके। मूल उद्देश्य यह है कि कुल जितनी मात्रा में उत्पादन करने की योजना बनाई गई है, उतनी मात्रा अवश्य प्राप्त हो जाए।

सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम

22 सरकारी क्षेत्र में तीस लाख टन की अतिरिक्त मात्रा आन्ध्रप्रदेश में सिंगरेनी की कोयला-खानों का विस्तार करके प्राप्त की जाएगी। इसके लिए चालू खानों का विस्तार किया जाएगा और अधिकांशतः नए इलाकों में नए गढ़े (शैफ्ट) खोदे जाएंगे। शेष 1 करोड़ 70 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम को प्राप्त करनी होगी। तीसरी योजना के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नए क्षेत्रों का पूर्वेक्षण 1958 में आरम्भ किया गया था और अब तक जो सामग्री एकत्र की गई है, उसके आधार पर निगम ने 1 करोड़ 85 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। विभिन्न कोयला-क्षेत्रों में मात्रा का विभाजन अस्थायी रूप से अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

तालिका-संख्या 5

राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के अतिरिक्त उत्पादन का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	(लाख टनों में)
[illegible]	10
[illegible]	25
[illegible]	10
[illegible]	2
[illegible]	5
[illegible]	5
[illegible]	3
[illegible]	25
[illegible]	15
[illegible]	10
[illegible]	10
[illegible]	5
[illegible]	15
[illegible]	15
[illegible]	5
[illegible]	5
[illegible]	5
[illegible]	15
योग	185

उपर्युक्त परियोजनाओं में से पहली दो पक्की हो चुकी हैं। परियोजना-रिपोर्टें तैयार हो गई हैं और स्वीकृत कर ली गई हैं तथा तीसरी योजना के पहले वर्ष के दौरान ही उत्पादन होने लगेगा। बाद की चार परियोजनाएं वर्तमान खानों में विस्तार की परियोजनाएं हैं और चूंकि जमीन के बारे में बुनियादी बातें मालूम हो चुकी हैं, इसलिए उनके लिए तय किए गए लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जहां तक अन्य परियोजनाओं का सम्बन्ध है, सब क्षेत्रों में अभी पूर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हुआ है। आशा की जाती है कि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान परियोजना-रिपोर्टें तैयार करने के लिए काफी जानकारी हासिल कर ली जाएगी और योजना के तीसरे वर्ष में नई खानें शुरू की जा सकेंगी। राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के प्रयास से 1 करोड़ 70 लाख टन कोयला मिलने की आशा है, जब कि इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुल मिला कर 1 करोड़ 85 लाख टन कोयला मिलना चाहिए। इन कार्यक्रमों पर अमल करने में कहीं आशा से कम सफलता प्राप्त न हो—इस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए अधिक क्षमता की गुंजाइश रखी गई है। राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत बिल्कुल

नए इलाकों में लगभग एक साथ ही कई खानें शुरू करनी पड़ेंगी। एक ऐसे देश के लिए, जो अन्य उद्योगों का भी व्यापक स्तर पर विकास करने में लगा हुआ है, यह एक बहुत बड़ा काम है। कार्य की व्यापकता और अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में नई खानों, कारखानों और कोयला धोने के कारखानों की स्थापना के लिए ब्रिटेन, पोलैंड, पश्चिम-जर्मनी, फ्रांस, सोवियत रूस और अमेरिका से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

23 अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र में 2 करोड़ टन अतिरिक्त कोयला पैदा करने के लिए लगभग 103 करोड़ रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना की अवधि में चौथी पंचवर्षीय योजना के कोयला-कार्यक्रम की तैयारी पर दस करोड़ रुपये और खर्च करने होंगे।

निजी क्षेत्र के कार्यक्रम

24 कार्यकारी दल के अनुमान के अनुसार निजी क्षेत्र से मिलनेवाली अतिरिक्त मात्रा का विभाजन इस प्रकार है

कोकिंग कोयला	48 लाख 70 हजार टन
मिश्रणीय कोयला	11 लाख 20 हजार टन
उच्च कोटि का गैर-कोकिंग कोयला	1 करोड़ 8 लाख 40 हजार टन

कोकिंग कोयला मुख्यतः झरिया से, मिश्रणीय कोयला रानीगंज से और गैर-कोकिंग कोयला मुख्यतः रानीगंज-कोयला-क्षेत्र से तथा थोड़ी मात्रा में बोकारो, करनपुरा और मध्य-प्रदेश के कोयला-क्षेत्रों से भी मिल सकेगा। कोकिंग, मिश्रणीय और गैर-कोकिंग कोयले के अतिरिक्त सम्भावित उत्पादन का अलग-अलग अन्दाजा लगाने के अलावा कार्यकारी दल ने कोटि और क्षेत्र के अनुसार भी अतिरिक्त उत्पादन का विभाजन किया तथा वार्षिक आधार पर उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं की ओर संकेत किया। अतिरिक्त उत्पादन का एक बड़ा भाग (1 करोड़ 10 लाख टन) चालू खानों से मिलेगा और बाकी हिस्सा ऐसे क्षेत्रों में नए गढ़े खोद कर मिलेगा, जो ठेके पर लिए गए क्षेत्र हैं। अनुमान है कि निजी क्षेत्र के कार्यक्रम में लगभग 60 करोड़ रुपये लगेंगे, जिसमें 2[illegible] करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

25 ऊपर पैरा 20 में 9 करोड़ 70 लाख टन के लक्ष्य का कोटि के अनुसार जो विभाजन किया गया है, उसमें प्रकट है कि घटिया किस्म के कोयले का अनुपात बहुत कम है। घटिया किस्म का कोयला दूसरी चीजों के साथ-साथ ईंट पकाने और घर के काम-काज में प्रयुक्त होता है, इसलिए उसकी मांग का उतना सही और ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जितना कि अच्छी किस्म के कोयले का, जिसकी आवश्यकता बड़े-बड़े कारखानों को होती है। घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन अपेक्षाकृत कम खर्च करके और अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांशतः खुले गढ्ढों में मिलता आया है। उत्पादन बढ़ाने की क्षमता इसके उत्पादन में उतनी बाधक नहीं होती, जितनी कि परिवहन की कठिनाई। निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोयले के अतिरिक्त उत्पादन का कोयला-क्षेत्र के अनुसार विभाजन अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाया गया है।

तालिका-संख्या 6

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कोयले के अतिरिक्त उत्पादन का कोयला-क्षेत्र के अनुसार विभाजन

(लाख टनों में)

क्षेत्र		कोकिंग	मिश्रणीय	गैर-कोकिंग	योग
बंगाल-बिहार					
	रानीगंज	3 5	16 2	86 6	106 3
	झरिया	58 4	—	—	58 4
	बोकारो	16 8	—	3 3	20 1
	पश्चिम-बोकारो	5	—	—	5
	रामगढ	15	—	—	15
	करनपुरा	—	—	4 2	4 2
मध्यप्रदेश					
	पेंच-कान्हन	—	—	34 3	34 3
	विश्रामपुर	—	—	25	25
	चर्चा-झिलिमिली	—	5	5	10
	सिंगरौली	—	—	25	25
	कोर्बा	—	—	15	15
महाराष्ट्र					
	कामठी	—	—	15	15
उडीसा					
	तालचर	—	—	20	20
आन्ध्रप्रदेश					
	सिंगरेनी	—	—	30	30
	योग	98 7	21 2	263 4	383 3

26 इस्पात के उत्पादन के लिए कोकिंग कोयले की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए कोकिंग कोयले के ज़खीरे (जितने का अब तक पता चला है) सीमित ही माने जाएंगे। ये लगभग 280 करोड टन हैं, जब कि उच्च कोटि के खनिज लोहे के बहुत बड़े-बड़े ज़खीरे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय करना आवश्यक है, जिनसे एक ओर कोकिंग कोयले की सीमित मात्रा का संरक्षण हो सके—जैसे, क्षेप्य भरण, धुलाई और मिश्रण, ताकि ज़खीरे अधिक समय तक रह सकें, और दूसरी ओर उसका इस्तेमाल किफायत से किया जा सके। धमन-भट्ठियों में खनिज लोहे के चूरे का उपयोग तो किया ही जाए, क्योंकि इसका उपयोग न किया गया, तो यह बेकार चला जाएगा, साथ ही निशादित (सिंटर्ड) खनिज भी काम में लाई जाए, तो प्रति टन इस्पात के हिसाब से कोयले की खपत कम हो जाएगी। संरक्षण के अन्य उपाय तो पहले से ही किए जा रहे हैं, किन्तु निसादित कच्ची धातु का अधिक व्यापक स्तर पर उपयोग करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। खनिज लोहे के चूरे के इस्पात-कारखानों

में काम में लाए जाने या निर्यात के योग्य बनाने के लिए ज्वालाश्म चयन की तकनीकी सम्भावना, उसके अर्थशास्त्रीय पक्ष, और वास्तव में इस तरीके से किस हद तक काम लिया जा सकता है—इन सब बातों पर सरकार-द्वारा नियुक्त एक समिति विचार कर रही है।

27 कोटि को ध्यान में रखते हुए गत कुछ वर्षों में कोयले के उत्पादन पर दृष्टि डाली जाए तो प्रकट होगा कि कुल उत्पादन में प्रथम कोटि और घटिया किस्म के कोयले का उत्पादन समानुपात घटता रहा है। पश्चिम-बंगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रों में सम्बन्धित जो तालिका नीचे दी गई है, उससे यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है

तालिका-संख्या 7

पश्चिम-बंगाल और बिहार की कोयला-खानों के कोटिपरक उत्पादन की प्रवृत्तियां

(लाख टनों में)

वर्ष	चुनींदा-क	चुनींदा-ख	प्रथम कोटि	द्वितीय कोटि	तृतीय कोटि	योग
1951	72 03	94.04	50.80	45 01	20.28	282 16
1955	71.68	102.76	63 09	54.15	15 70	307 38
1956	68.26	103 96	69.88	52 96	18 42	313 48
1960	74.57	99 00	143.36	59 58	32 10	408 61

सन् 1951 की अपेक्षा सन् 1960 में कुल उत्पादन 2 करोड़ 82 लाख टन से बढ़ कर 4 करोड़ 8 लाख 60 हजार टन तक पहुंच गया, किन्तु चुनींदा-क कोयले का उत्पादन 72 लाख टन से बढ़ कर केवल 75 लाख टन तक और चुनींदा-ख कोयले का 94 लाख टन से बढ़ कर 99 लाख टन तक ही पहुंच सका (यद्यपि सन् 1955 और सन् 1956 में यह मात्रा बढ़ कर क्रमशः 103 लाख टन और 104 लाख टन तक पहुंच गई थी)। प्रथम कोटि के कोयले का उत्पादन 51 लाख टन से बढ़ कर 143 लाख टन तक, द्वितीय कोटि के कोयले का उत्पादन 45 लाख टन से बढ़ कर 60 लाख टन तक और तृतीय कोटि के कोयले का उत्पादन 20 लाख टन से बढ़ कर 32 लाख टन तक पहुंच गया। इस प्रवृत्ति का कारण कुछ तो यह मालूम होता है कि चुनींदा कोटि के कोयले के अधिक आसानी से निकाले जा सकनेवाले जखीरे धीरे-धीरे खत्म हो गए और चुनी हुई खानों की खुदाई बन्द करनी पड़ी। दूसरा कारण हुआ, बढ़ती हुई यान्त्रिक खनन-क्रियाएं। तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक कोयले के कुल उत्पादन में प्रथम कोटि के कोयले और घटिया किस्म के कोयले के उत्पादन का समानुपात चुनींदा कोटि के कोयले के उत्पादन के समानुपात की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छी किस्म के कोयले के उत्पादन की वृद्धि में बढ़ती हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस बात की तात्कालिक आवश्यकता है कि उसके उपयोग में किफायत की जाए। कोयला-परिषद् की ईंधन-उपयोग-समिति ने प्रत्येक उद्योग की ईंधन-सम्बन्धी आवश्यकताओं के सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करके और अच्छी किस्म के कोयले के उपयोग में किफायत बरतने की

आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए विभिन्न उद्योगो के लिए कोयले की किस्में, कोटिया और माप निर्धारित कर दिए हैं।

28 क्षेप्य भरण : तीसरी योजना की अवधि में सरक्षण के एक उपाय के रूप में क्षेप्य भरण पर बहुत बल देना होगा, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का एक हिस्सा चालू खानो मे 'डिपिलरिंग' के द्वारा ही मिलता है। बडी कोयला-खानें रेत इकट्ठी करने और मगाने की व्यवस्था स्वय करती हैं, किन्तु तकनीकी और वित्तीय कारणो से छोटी कोयला-खानें इस तरह की व्यवस्था नही कर सकती। इस असुविधा को दूर करने और क्षेप्य भरण के लिए रेत अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोयला-मडल सात रस्सी-मडल स्थापित करेगा—चार झरिया के कोयला-क्षेत्र मे और तीन रानीगज के कोयला-क्षेत्र में। रेत दामोदर और अजय नदियो से इकट्ठी की जाएगी और ऐसे स्थानो पर पहुचाई जाएगी, जहा ऐसी खानो के समूहो को वह आसानी से मिल सके, जिन्हे क्षेप्य भरण की तात्कालिक आवश्यकता, कोयले की किस्म, आदि को ध्यान मे रखते हुए चुना गया है। अनुमान है कि रस्सी-मार्ग पर 17 करोड रुपये खर्च होंगे। कार्यक्रम में निश्चित किया गया है कि योजना के पहले दो वर्षों के दौरान रस्सी-मार्ग तैयार हो जाने चाहिए, किन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाइयो के कारण सम्भव है कि काम निश्चित समय के भीतर न हो सके।

29 तकनीकी कर्मचारी : कोयला-परिषद् की उत्पादन और तैयारी-समिति ने अनुमान लगाया कि 3,000 प्रबन्ध-कार्यकर्ताओ (खनन-इजीनियरी की डिग्रीवाले) और 37,000 अवर कर्मचारियो की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, कुछ बिजली, यान्त्रिक और सिविल इजीनियरी के कर्मचारियो तथा टेक्नीशियनो की भी आवश्यकता होगी। ऊपर इगित 3,000 प्रबन्ध-कर्मचारियों से कोयला-खनन और धातुमय लौह-खनन—दोनो की आवश्यकताओ की पूर्ति हो सकेगी।

30 दूसरी योजना के आरम्भ मे केवल दो सस्थाए थी—'कालेज आफ माइनिंग एड मेटालर्जी' वाराणसी और 'इडियन स्कूल आफ माइन्स ऐंड एप्लायड जियोलाजी' धनबाद—जिनमे खनन-सम्बन्धी डिग्री-पाठ्यक्रम की सुविधाए थी। सन् 1956-57 में, इन दोनो सस्थाओ में, जगहें बढा कर दुगुनी कर दी गईं। इसके अतिरिक्त, पाच इजीनियरी कालेजो और 'इडियन इस्टीट्यूट आफ टेकनोलोजी', खडगपुर में खनन के पाठ्यक्रम शुरू किए गए है। इनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष 25 से 30 छात्र तक भरती हो सकते है।

31 खानो के मुख्य निरीक्षक ने कोयला-खान-विनियमो में कुछ हद तक ढील देना स्वीकार कर लिया है, साथ ही खान-प्रबन्धको के योग्यता-प्रमाणपत्र की वर्ष में दो परीक्षाए करना भी मजूर कर लिया है। इस समय वर्ष में केवल एक परीक्षा होती है। इन उपायो से प्रबन्ध-कर्मचारियो की जो आवश्यकता है, वह कमोवेश पूरी हो जाएगी। जहा तक अवर तकनीकी कर्मचारियो का सम्बन्ध है, खनन और खनन-सर्वेक्षण के राष्ट्रीय प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम के लिए 14 सस्थाए स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। ये सस्थाए केन्द्रीय सरकार की सहायता से सम्बन्धित राज्य-सरकारो-द्वारा स्थापित की जाएगी। पश्चिम-बगाल, मध्यप्रदेश, बिहार और उडीसा में खनन की सान्ध्य कक्षाए खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। पश्चिम-बगाल और बिहार में खान की सान्ध्य कक्षाए पहले से चल रही हैं, किन्तु राष्ट्रीय प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम के स्तर पर लाने के लिए उनका फिर से सगठन करना आवश्यक है।

32 राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम पांच प्रशिक्षण-विद्यालय चला रहा है। इन विद्यालयों में हाल ही में जगहों की संख्या लगभग दुगुनी कर दी गई है और कम-से-कम योजना के पहले तीन वर्षों में निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति इन विद्यालयों से हो सकेगी। सिंगरेनी-कोयला-क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए एक शागिर्दी-योजना शुरू की गई है। इस उद्योग के निजी क्षेत्र में कुछ बड़े खान-समूहों के अपने नियमित विद्यालय हैं, जहां शागिर्द भरती किए जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरी योजना में निजी क्षेत्र को कोयला का अतिरिक्त उत्पादन जितनी बड़ी मात्रा में करना है, उसको देखते हुए कुछ और सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ सकती है और प्रशिक्षण-क्रम में कुछ हद तक एकरूपता लानी पड़ सकती है।

33 परिवहन : कोयले का उत्पादन बंगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रों में केन्द्रित होने के कारण परिवहन की विकट समस्याएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि कोयले को देश-भर में फैले हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचाना पड़ता है। बहिर्वर्ती कोयला-क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा कर परिवहन की कठिनाइयों को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, किन्तु इससे समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकती क्योंकि बंगाल-बिहार के कोयला-क्षेत्रों, विशेष रूप से रानीगंज के कोयला-क्षेत्र, के बाहर अच्छी किस्म का कोयला प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता। तीसरी योजना में कोयले के उत्पादन-कार्यक्रम में वृद्धि होने के कारण दूर के उपभोक्ताओं तक कोयला पहुंचाने में रेलवे पर और अधिक दबाव पड़ेगा। रेलवे की क्षमता बढ़ाई जा रही है, किन्तु रेल-परिवहन पर दबाव को कम करने के लिए आवश्यक है कि (क) कोयला-क्षेत्रों के पास के उपभोक्ताओं तक कोयला सड़क से ले जाया जाए, और (ख) दक्षिण तथा पश्चिम-भारत के उपभोक्ताओं के लिए रेल और समुद्र के मिले-जुले रास्ते से ले जाए जानेवाले कोयले की मात्रा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। इस प्रकार के उपायों पर विचार किया जा रहा है। इस बात की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है कि पश्चिम और दक्षिण-भारत के उपभोक्ता कोयले के बदले भट्ठी-तेल का उपयोग करें।

34 कोयला धोने के कारखाने : दूसरी योजना के इस्पात-कार्यक्रम के अनुसार 1 करोड़ 18 लाख 30 हजार टन कच्चा कोयला धोने (यानी 81 लाख टन धुले कोयले) की क्षमता स्थापित करना आवश्यक था। इसमें 60 लाख 30 हजार टन कच्चा कोयला धोने, यानी 41 लाख टन धुले कोयले, की क्षमता स्थापित की जा चुकी है। आशा है कि शेष क्षमता सन् 1963 के मध्य तक पूरी तरह स्थापित हो जाएगी।

किया जाएगा। कठारा के कारखानों में कठारा-खान और जारगडीह, सावंग तथा करगली की गहरी खानों का कोयला और करनपुरा के कारखानों में झरिया-कोयला-क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम की नई खान का कोयला धुलने के लिए आ सकेगा। करनपुरा के कारखानों का दोहरा प्रयोजन है। धुला हुआ स्लैक कोयला इस्पात के कारखानों को दिया जाएगा और धुले हुए भाप-कोयले की खपत रेलवे में होगी। मोजूडीह और दुगडा के कारखानों की धुलाई-क्षमता बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन इलाकों का कोयला धुलने के लिए आएगा, उनके अधिकांश कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताएं पहले ही मालूम हो चुकी हैं। करनपुरा और कठारा के कारखानों के बारे में प्रारम्भिक परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। झरिया के मध्य में कायम किया जानेवाला कारखाना शायद तीसरी योजना की अवधि के अन्त में ही स्थापित हो सकेगा, क्योंकि नई खान की स्थापना में और उसके कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताएं निश्चित करने में कुछ समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, दुर्गापुर में पश्चिम-बंगाल कोक-भट्ठी-कारखाने के अखंड भाग के रूप में कोयला धोने का एक कारखाना कायम करने की भी योजना बनाई जा रही है।

36 उपर्युक्त धुलाई-कारखाने मुख्यतः इस्पात-कारखानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं। इनके अलावा, योजना में गैर-कोकिंग कोयले के लिए भी, जिसकी आवश्यकता रेलवे को होती है, धुलाई-कारखाने खोलने की व्यवस्था की गई है। गैर-कोकिंग कोयले को धोना आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि खान से निकाले जानेवाले कोयले की किस्म धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है और अच्छी किस्म का गैर-कोकिंग कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलने में कठिनाई होती है। कोकिंग कोयले के विपरीत गैर-कोकिंग कोयले के धोने में अधिक कठिनाई होती है और इन कोयलों की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो सकी है, वह अपर्याप्त है। इसके अलावा, कोकिंग कोयला धोनेवाले कारखानों में रेलवे के उपयोग के लिए धुले हुए भाप-कोयले की मात्रा साफ कोयले की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होगी। इसलिए कार्यक्रम में व्यवस्था की गई है कि विभिन्न कोयला-खानों से निकाले गए गैर-कोकिंग कोयले की धुलाई-सम्बन्धी विशेषताओं की विस्तृत रूप से छानबीन की जाए और धुलाई से सम्बन्धित अर्थशास्त्रीय पहलुओं का अध्ययन किया जाए। प्रारम्भिक अध्ययन हो जाने और इस प्रकार के कोयले की धुलाई से सम्बन्धित अर्थशास्त्रीय पक्ष निश्चित कर दिए जाने के बाद इन अतिरिक्त धुलाई-कारखानों को स्थापित करने का विचार है। प्रायोगिक रूप से 70 से 80 लाख टन (कच्चा कोयला) तक की क्षमता स्थापित करने का विचार है।

37 **नइवेली-लिग्नाइट-परियोजना :** दक्षिण-अर्काट जिले (मद्रास) में नइवेली स्थान पर लिग्नाइट-सचय के समन्वित विकास की परियोजना में, जो दूसरी योजना में सम्मिलित की गई थी, निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए थे

(1) प्रति वर्ष 35 लाख टन कच्चे लिग्नाइट का उत्पादन, जिससे निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके :

(क) 250 मिलीवाट की क्षमतावाला एक तापीय बिजली-सयन्त्र,

(ख) यूरिया के रूप में 70,000 टन स्थिर नत्रजन तैयार करनेवाला एक उर्वरक-सयन्त्र, और

(ग) 3,80,000 टन कार्बनीकृत ब्रिकेट तैयार करने के लिए शोधन और कार्बनीकरण-संयन्त्र ; तथा

(2) प्रति वर्ष 6,000 टन सफेद चीनी मिट्टी और बालू रेत का उत्पादन करने के लिए मिट्टी की धुलाई का संयन्त्र ।

सम्बन्धित परियोजना के विभिन्न अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो बिजली बच रहेगी, वह राज्य की बिजली-व्यवस्था को दे दी जाएगी ।

आम तथा विशेष प्रकार की मशीनों से काम लेते हुए खानों में लिग्नाइट के ऊपर पड़े हुए मिट्टी के स्तर को हटाने का कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है और तापीय बिजली-संयन्त्र की पहली टुकड़ी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सन् 1961 के अन्त में ठीक समय पर लिग्नाइट का उत्पादन शुरू हो जाएगा । इसके बाद धीरे-धीरे उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और तापीय बिजली-केन्द्र की दूसरी टुकड़ियां तथा उर्वरक और ब्रिकेटीकरण तथा कम-तापीय कार्बनीकरण-संयन्त्रों की स्थापना के साथ उत्पादन दूसरी योजना के निर्धारित लक्ष्य, यानी 35 लाख टन, तक पहुंच जाएगा ।

तीसरी योजना में ये उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं (क) दूसरी योजना के कार्यक्रमों को पूरा करना, (ख) तापीय बिजली की क्षमता में 150 मिलोवाट की वृद्धि करना, (ग) लिग्नाइट के उत्पादन को दूसरी योजना के 35 लाख टन के लक्ष्य से बढ़ा कर 38 लाख टन तक पहुंचाना, ताकि विस्तार किए हुए तापीय बिजली-संयन्त्र की ईंधन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । ऊपर (ख) में बताए गए उद्देश्य के लिए 15 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है, जिसमें 9 93 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है । सिंचाई और बिजली से सम्बन्धित अध्याय के पैरा 54 में इसके बारे में बताया गया है । खान-उत्पादन के विस्तार पर 3 8 करोड़ रुपये (1 45 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा-सहित) के व्यय का अनुमान है । यह राशि मुख्य रूप से विशिष्ट प्रकार के खनन-उपकरणों की एक अतिरिक्त टुकड़ी खरीदने में खर्च होगी । यह उपकरण लिग्नाइट के उत्पादन को बढ़ा कर 60 लाख टन तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा । लिग्नाइट पैदा करने के लिए प्रस्तावित उच्च तापीय कार्बनीकरण-संयन्त्र के लिए लिग्नाइट की यह मात्रा आवश्यक होगी (देखिए, उद्योगों से सम्बन्धित अध्याय का पैराग्राफ 40) ।

खनिज तेल

38 खनिज तेल-सम्बन्धी कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किए गए हैं : (क) असम में आयल इंडिया के ठेके के क्षेत्रों में जो जखीरे हैं, उनका कम्पनी-द्वारा उपयोग, (ख) तेल के जखीरों का पता लगाने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग-द्वारा अधिक खोज-बीन और तेल का अतिरिक्त उत्पादन, (ग) क्रमश. गौहाटी और बरौनी में तेल-शोधनालयों के निर्माण का काम पूरा करना और गुजरात में एक नया शोधनालय स्थापित करना, जिनकी क्षमता लगभग 20 लाख टन होगी, (घ) पैट्रोल की बनी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइप-लाइनें तैयार करना, और (ङ) सरकारी क्षेत्र के शोधनालयों में तैयार की गई चीजों तथा देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण विदेशों से फायदे की शर्तों पर मंगाई गई चीजों का सरकार की मार्फत वितरण करने के लिए सुविधाएं देना । (ग) के विषय में उद्योग-सम्बन्धी अध्याय के पैरा 86 में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है ।

39 सरकारी क्षेत्र के शोधनालयो के लिए, जो गौहाटी (नूनमती) और बरौनी मे स्थापित किए जा रहे है, काफी सख्या में तेल के कुओ की व्यवस्था करने के लिए आयल इडिया-द्वारा अतिरिक्त कुए खोदे जाएगे। अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि मे इस काम पर सरकार को 1 4 करोड रुपये खर्च करने पडेंगे। कुए खोदने और पाइप-लाइन बिछाने के कार्यक्रम पर इस प्रकार अमल किया जाएगा कि शोधनालयो के निर्माण का काम पूरा होने के साथ ही यह कार्यक्रम भी पूरा हो जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अगर असम में आयल इडिया के क्षेत्रो मे अतिरिक्त जखीरो का पता लग जाए, तो बिना साफ किए तेल का वार्षिक उत्पादन बढा कर 27 लाख 50 हजार टन से अधिक कर दिया जाए। यदि ऐसा हुआ या असम के अन्य क्षेत्रो में व्यापार के लिए काम में लाए जा सकनेवाले तेल के जखीरे मिले, तो इस समय जो पाइप-लाइन तैयार की जा रही है, उसकी क्षमता बढानी पड सकती है, जिससे वह ज्यादा तेल ले जा सके। पाइप-लाइन का डिजाइन तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है।

40 यदि आयल इडिया नहरकटिया-क्षेत्र मे प्रति वर्ष 27 लाख 50 हजार टन की दर से उत्पादन करने लगे, तो देशी स्रोतो से प्राप्त होनेवाले बिना साफ किए तेल की मात्रा देश की आवश्यकता से बहुत कम होगी। इसलिए तेल के नए जखीरो की खोज आवश्यक है। दूसरी योजना में सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग के द्वारा तेल की खोज का कार्यक्रम स्वय आरम्भ किया। आयोग के कार्यों के फलस्वरूप गुजरात के खम्भात-अकलेश्वर-क्षेत्र और असम के शिवसागर-क्षेत्र में तेल और गैस का पता लगा है। तेल के जखीरो का पता लगाने और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए आयोग तीसरी योजना के दौरान अधिक व्यापक स्तर पर काम करेगा।

तीसरी योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत 115 करोड रुपये खर्च करने का विचार है, जब कि दूसरी योजना मे इसके लिए केवल 26 करोड रुपये रखे गए थे। इस कार्यक्रम के क्षेत्र मे कावेरी-घाटी समेत देश के ऐसे सभी अवसादीय (सैडीमेंटरी) इलाके आ जाएगे, जहा से तेल मिलने की आशा होगी, किन्तु शुरू में खम्भात-अकलेश्वर और शिवसागर के क्षेत्र मे ही मुख्य रूप से कुए खोदने पर बल दिया जाएगा, ताकि वहा तेल के जिन जखीरो का पता लगा है, उनसे तेल निकाला जा सके। जिन इलाको में तेल के जखीरे मौजूद है और इस स्थिति मे है कि उनमे तेल निकाला जा सकता है, वहा उत्पादन के विकास और पाइप-लाइनो के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार रकमे देने की व्यवस्था की जाएगी।

सरकार ने विदेशी तेल-अन्वेषको को भी भारत मे तेल खोजने के लिए बुलाने का निश्चय किया है। उनसे कहा जाएगा कि वे ऐसी शर्तों पर इस काम में हाथ बटाए, जो दोनो पक्षो को स्वीकार्य हो। जिन कम्पनियो ने यह काम करना स्वीकार किया है, उनमें से एक 'बर्मा आयल कम्पनी' भी है। असम में तेल के अन्वेषण और उत्पादन के लिए सहयोग के नए आधार के बारे मे इस कम्पनी से बातचीत हो चुकी है। आयल इडिया की हिस्सा-पूजी और व्यवस्था, दोनो मे सरकार और 'बर्मा आयल कम्पनी' बराबर के साझेदार होंगे। (पहले सरकार का केवल एक-तिहाई हिस्सा था)। पुनर्गठित रूप में कम्पनी नहरकटिया, मोरन और हुगरीजन के वर्तमान क्षेत्रो में और साथ ही वर्तमान क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में 1,886 वर्ग मील के नए क्षेत्र मे काम करेगी। शोधन और हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी कामो की जिम्मेदारी

पहले की तरह सरकारी क्षेत्र पर ही होगी, किन्तु डिगबोई-शोधनालय को, जो 'बर्मा आयल कम्पनी' की एक उपभणी 'असम आयल कम्पनी' के स्वामित्व में है, बिना साफ किया तेल देने का आश्वासन दिया गया है। डिगबोई-तेल-क्षेत्र से शोधनालय की आवश्यकता में जितनी कमी रह जाएगी, उतना बिना साफ किया हुआ तेल उसे मिलता रहेगा। आयल इंडिया में यथासम्भव अधिक-से-अधिक संख्या में भारतीयों को नौकरी मिलेगी और उनके प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं दी जाएंगी तथा 'बर्मा आयल कम्पनी' आयल इंडिया के खर्चे से भारतीयों को विदेश में पेट्रोल-उद्योग से सभी विषयों में प्रशिक्षण दिलाएगी।

भारत-सरकार के आमन्त्रण पर दूसरी विदेशी कम्पनियों ने जो सेवाएं प्रस्तुत की हैं, उन पर विचार किया जा रहा है।

आशा की जाती है कि दिसम्बर 1961 से अंकलेश्वर-क्षेत्र में बिना साफ किए तेल का उत्पादन प्रायोगिक रूप से 1,500 टन प्रति दिन के हिसाब से शुरू हो जाएगा और अनुमानित जखीरे से प्रति वर्ष 20 लाख टन से 25 लाख टन तक तेल प्राप्त हो सकेगा। आशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक देशी बिना साफ किए तेल का उत्पादन 65 लाख टन तक पहुंच जाएगा और तीसरी योजना के दौरान देशी बिना साफ किए तेल का कुल उत्पादन लगभग 1 करोड़ 80 लाख टन हो जाएगा।

41 तेल का वितरण : 'इंडियन आयल कम्पनी', जिसकी स्थापना तेल के सामान के वितरण और विपणन के लिए सरकारी एजेंसी के रूप में सन् 1959 में हुई थी, सोवियत रूस के निर्यात-संगठन के साथ चार वर्ष का एक करार कर चुकी है। इसके अनुसार, करार की अवधि में 19 लाख टन उन चीजों का, जिनका देश में पर्याप्त उत्पादन नहीं होता, मुख्यतः मिट्टी का तेल और उच्च गतिवाले डीजल तेल का, आयात किया जा सकेगा। इसी तरह की वस्तुएं सम्बद्ध व्यापार-करारों के अधीन रूमानिया से भी आयात की जाएंगी। देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होनेवाले पेट्रोलियम के सामान के आयात पर स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा का व्यय कम करने के लिए इस बात का बहुत प्रयत्न करना होगा कि इस प्रकार के सामान का आयात 'इंडिया आयल कम्पनी' के द्वारा बढ़ाया जाए और अदायगी रुपये में की जाए। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में जो दो शोधनालय बन रहे हैं और गुजरात में जो तीसरा शोधनालय बनाने का विचार है, उनके तेल का वितरण भी (प्रत्यक्ष रूप से या अन्य वितरण-कम्पनियों से माल-विनिमय के आधार पर) वही कम्पनी करेगी। तीसरी योजना की अवधि में वितरण-कार्य पर 10 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का विचार है।

42 पेट्रोलियम-सामान ले जाने की पाइप-लाइनें : योजना में बरौनी के शोधनालय से पश्चिमी केन्द्रों और कलकत्ता तक पेट्रोलियम का सामान ले जाने के लिए पाइप-लाइनों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि इन पाइप-लाइनों के निर्माण पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

खनिज लोहा

43 तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक के लिए लोहे और इस्पात का जो लक्ष्य रखा गया है, उनके आधार पर अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता होगी। इनके अतिरिक्त, निर्यात के लिए भी खनिज लोहे की आवश्यकता होगी।

जापान और यूरोप के कई देश भारत के खनिज लोहे में दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत-सरकार और जापान-सरकार ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार किरिबुरु-क्षेत्र से 20 लाख टन और मध्यप्रदेश के बेलाडिला-क्षेत्र से 40 लाख टन खनिज लोहा जापान को निर्यात किया जाएगा। यह मात्रा उस 20 लाख टन के अलावा होगी, जिसका इस समय निर्यात किया जाता है। अन्य देशों को निर्यात की मात्रा यदि लगभग 20 लाख टन मान ली जाए, तो निर्यात के लिए कुल मिला कर लगभग 1 करोड़ टन खनिज लोहे की आवश्यकता होगी। देश के उद्योगों और इस निर्यात-लक्ष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीसरी योजना में 3 करोड़ 20 लाख टन खनिज लोहा पैदा करने की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

44 भिलाई और राउरकेला के इस्पात-कारखानों की आवश्यकताएं उन खानों से पूरी की जाएगी, जो इसी उद्देश्य से दूसरी योजना की अवधि में स्थापित की गई हैं। बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन खानों में उत्पादन बढ़ाने पर जो पूंजीगत व्यय होगा, वह उपर्युक्त दो कारखानों के विस्तार के व्यय में शामिल कर लिया गया है। जहां तक दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने का सम्बन्ध है, दूसरी योजना में स्थापित की गई खान से उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की शायद पूर्ति न हो सके और उसे किरिबुरु की खानों से, जो जापान से निर्यात-सम्बन्धी वादे को पूरा करने के लिए विकसित की जा रही हैं, खनिज लोहा मंगवाना पड़े। इसलिए बेलाडिला-परियोजना के लक्ष्य को 40 लाख टन से बढ़ा कर 60 लाख टन कर दिया गया है। जब बेलाडिला-खान में पूरा उत्पादन होने लगेगा, तब जापान को निर्यात की जानेवाली सारी मात्रा वहां से प्राप्त हो जाएगी। इस तरह, किरिबुरु से प्राप्त होनेवाले सारे खनिज लोहे से दुर्गापुर के इस्पात-कारखाने की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। बोकारो के नए इस्पात-कारखाने के लिए भी खनिज लोहा किरिबुरु-क्षेत्र से ही लेना पड़ेगा। इसके लिए या तो वर्तमान खानों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी या आसपास नई खानें खोदनी पड़ेंगी।

45 आशा की जाती है कि किरिबुरु-खनिज लोहा-परियोजना के अन्तर्गत सन् 1963 में उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह परियोजना जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। बेलाडिला के खनिज लोहे के जखीरों का पूर्वेक्षण किया जा रहा है और एक नई खान स्थापित की जाएगी, जिसमें योजना के अन्तिम चरण तक उत्पादन होने लगेगा। इस खान से अन्ततः 60 लाख टन खनिज लोहा प्रति वर्ष निकलेगा। इस परियोजना पर 17 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और यह भी जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। किरिबुरु में उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम पर लगभग [illegible] करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसे इस तरह अमल में लाया जाएगा कि बोकारो में नए इस्पात-कारखाने स्थापित होते ही कार्यक्रम पूरा हो जाए और कारखाने को आवश्यक मात्रा में खनिज लोहा मिल सके।

46 उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, यह भी आशा की जाती है कि राष्ट्रीय खनिज-विकास-निगम रेडी-क्षेत्र (महाराष्ट्र) से 5 लाख टन, उड़ीसा-खनिज-निगम-सुकिंदा दैत्री-क्षेत्र से 5 लाख टन और खनिज-विकास-मंडल मैसूर के बेल्लारी-हास्पेट-क्षेत्र तथा पश्चिमी तट से 10 लाख टन खनिज लोहे की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त कर सकेगा।

अन्य खनिज-परियोजनाएं

47 तांबा-परियोजनाएं : देश में प्रति वर्ष केवल 8,000 टन तांबा पैदा किया जाता है, जब कि इस समय मांग 70,000 टन की है। अनुमान है कि सन् 1965 तक तांबे की मांग बढ़ कर

49. रंगपो में जिन जखीरों का पता लगा है, वे यद्यपि उच्च कोटि के हैं तथापि अपेक्षाकृत छोटे हैं। इनका उपयोग सिक्किम-खनन-निगम-द्वारा किया जाएगा। यह निगम सिक्किम-दरबार और भारत-सरकार, दोनों के संयुक्त प्रयास का फल है। खान से निकाली गई कच्ची धातु खान में ही सान्द्रीकृत की जाएगी और तब यह देश के किसी प्रद्रावण कारखाने में प्रद्रावण के लिए रेल-द्वारा भेज दी जाएगी। अनुमान है कि इस परियोजना पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

50. **पाइराइट्स-गन्धक-परियोजना** : देश में तत्व-गन्धक के खोदे जा सकनेवाले जखीरे न होने के कारण सारा ध्यान गन्धक के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पाइराइट्स पर केन्द्रित कर दिया गया है। शाहाबाद जिला (बिहार) के अमझोर-कोसर क्षेत्र में पाइराइट्स का लगभग 80 लाख टन का जखीरा मिला है। इसमें गन्धक की मात्रा औसतन 40 प्रतिशत है। अनुमान लगाया गया है कि 38 करोड़ 40 लाख टन के जखीरे और मिल सकते हैं। पाइराइट्स से लगभग 84,000 टन गन्धक प्राप्त करने के लिए एक परियोजना तैयार की जा रही है।

51. **पन्ना-हीरा-परियोजना** : प्रारम्भिक कार्यों के परिणाम आशाजनक रहे हैं और इसलिए पन्ना के हीरा-क्षेत्रों और मध्यप्रदेश में उनसे मिले हुए क्षेत्रों का विस्तृत रूप से पूर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि रत्न की किस्म के और उद्योगों में काम आनेवाले हीरों का उत्पादन किया जा सके। अनुमान है कि इस परियोजना पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

52. **कच्चा मैंगनीज-शोधन-परियोजना** : देश में कच्चे मैंगनीज का जो जखीरा है, उसका एक बड़ा हिस्सा बहुत ही मामूली दर्जे का है। इसके अतिरिक्त, खनन और निर्यात की जानेवाली कच्ची धातु निर्धारित करने के फलस्वरूप कुछ हिस्सा अविपण्य समझ कर रद्द कर दिया जाता है। खानों में जो ढेर इकट्ठा हो जाता है, उनमें यह सामग्री काफी मात्रा में होती है। उच्च कोटि के कच्चे मैंगनीज के सीमित जखीरे के संरक्षण के लिए यह जरूरी हो गया है कि इस सामग्री के शोधन के लिए सुविधाएं दी जाएं। योजना में इस काम के लिए एक परियोजना शामिल की गई है, जिस पर 5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

53 सोना कोलार में सोने के जखीरों की अधिक खोज-बीन करने और उनका लाभ उठाने का एक कार्यक्रम योजना में रखा गया है। आशा की जाती है कि हट्टी की सोने की खानों में इस समय जो अन्वेषण-कार्य हो रहे हैं, वे सन् 1962-63 तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद प्राप्त सूचनाओं के आधार पर खनन और पोषण-क्षमता बढ़ा कर प्रति दिन 1 हजार टन तक करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

54 परमाणु-खनिजों का विकास : एक परमाणु-शक्ति-केन्द्र स्थापित करने की परियोजना के सिलसिले में योजना में कच्चे यूरेनियम के खनन, यूरेनियम निकालने और परमाणु की दृष्टि से उसे शुद्ध धातु या सम्मिश्रण का रूप देने तथा ईंधन-तत्वों से प्लुटोनियम निकालने की सुविधाएं देने का विचार है। अनुमान लगाया गया है कि इस काम पर 24 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

खनिज पदार्थों की आवश्यकताएं

55 तीसरी योजना में शामिल किए गए कार्यक्रमों के लिए कोयला और खनिज-सम्बन्धी आवश्यकताओं की चर्चा अन्यत्र की गई है। तीसरी योजना में विभिन्न उद्योगों के लिए जो उत्पादन-क्षमता निश्चित की गई है, उसको देखते हुए खनिज पदार्थों की मांग बढ़ेगी। देश के उद्योगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की आवश्यकता का अनुमान और खनिज मैंगनीज की निर्यात की जानेवाली अनुमानित मात्रा नीचे दी जा रही है

(लाख टनों में)

	देश की आवश्यकता	निर्यात
खनिज मैंगनीज	5	15
बाक्साइट	4 5	—
सेलखड़ी	21†	—
चूने का पत्थर	298‡	—

खनिज सर्वेक्षण

56 गत दस वर्षों में देश के खनिज साधनों का सर्वेक्षण करने की दिशा में प्रगति हुई है और इस कार्य के जो परिणाम निकले हैं, उनका लाभ भी उठाया गया है, किन्तु खनिज सामग्री की तेजी से बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आवश्यक है कि इस प्रकार के सर्वेक्षण और अन्वेषण-कार्य और भी तेजी से किए जाएं। इस्पात का उत्पादन बढ़ जाने से धारण फ्लक्स-कोटि के चूने के पत्थर और डोलोमाइट तथा अन्य उपसह सामग्रियों के नए जखीरों का पता लगाना बहुत आवश्यक हो गया है। इसी प्रकार, तांबा, सीसा और जस्ता-जैसी

†इसमें सिन्दरी फर्टिलाइजर्स और हनुमानगढ़ में कायम किए जानेवाले उर्वरक-कारखाने तथा 1 करोड़ 50 लाख टन सीमेंट के उत्पादन-लक्ष्य की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं।

‡सीमेंट, इस्पात और लौह-मैंगनीज-उद्योगों की आवश्यकताएं तथा विविध उद्योगों की आवश्यकताओं का कुल अनुमान भी इसमें शामिल है।

अलौह धातुओं के खोदे जा सकनेवाले अतिरिक्त जखीरों का पता लगाना भी बहुत आवश्यक है। ये इस समय अधिकतर बाहर से मंगाने पड़ते हैं। बाक्साइट के जखीरों का पता चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्युमीनियम-उद्योग के विस्तार के साथ ही इसकी मांग बढ़ जाएगी। इन तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था और भारतीय खान-संस्था का और विस्तार करना बहुत जरूरी है। तीसरी योजना में इन दोनों संस्थाओं को और बढ़ाने की व्यवस्था है और अनुमान है कि इन पर क्रमशः 10 और 5 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

57 इन दोनों विभागों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्वेषण-कार्य व्यापक स्तर पर और तेजी से करने का विचार है। उनके कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं

(1) जितनी जल्दी हो सके, अधिक-से-अधिक क्षेत्र भूगर्भीय नक्शों की परिधि में आ जाए—तीसरी योजना की अवधि में लगभग 1,70,000 वर्ग मील सम्मिलित करने का विचार है,

(2) तांबे, सीसे और जस्ते के जो जखीरे ज्ञात हो चुके हैं या जिनके बारे में कुछ पता चला है, उनकी तेजी से खोज-बीन की जाए। भूगर्भीय नक्शे तैयार करने के दौरान इन धातुओं के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने के अतिरिक्त ऐसे स्थान, जहां से अधिक मात्रा में धातु मिलने की आशा हो, बड़े माप के नक्शे में दिखाए जाएंगे और भू-भौतिक तरीकों से तथा कुएं खोद कर उनकी खोज की जाएगी। भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था के 'बेस मेटल्स डिवीजन' का विस्तार किया जाएगा,

(3) बाक्साइट, सेलखड़ी, खनिज लोहा, खनिज मैंगनीज, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, और चूने के पत्थर-जैसे अन्य खनिज पदार्थों के अधिक विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ, तो इसके लिए उनके जखीरों की बनावट के नक्शे तैयार किए जाएंगे और खुदाई की जाएगी,

(4) अलौह धातुओं और भूमिगत जल-साधनों की खोज-बीन के लिए भू-भौतिक और भू-रासायनिक तरीकों से अधिक काम किया जाएगा, तथा

(5) तीसरी योजना के कोयला-कार्यक्रम के सिलसिले में और बाद की योजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चुनी हुई कोयला-खानों का भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था-द्वारा क्षेत्रीय पूर्वेक्षण और भारतीय खान-संस्था-द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

58 इन कार्यक्रमों में शामिल किए गए अधिक महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए जा रहे हैं

कोयला : नन्कारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सिंगरौली, पश्चिम-बोकारो, झिन्गिमिनी, पेंच-कान्हन और सिंगरेनी की कोयला-खानों तथा रानीगंज और झरिया की कोयला-खानों के चुने हुए खंडों की विस्तृत खोज-बीन और ड्रिलिंग एवं कोटि तथा परिमाण के निर्धारण के लिए सोनहाट, मोहागपुर, उत्तर-करनपुरा और कालाकोट की कोयला-खानों के क्षेत्रीय नक्शे तैयार करना और उनकी ड्रिलिंग करना।

खनिज लोहा : बिहार और उड़ीसा के खनिज लोहे के क्षेत्र की बनावट के नक्शे तैयार करना और बेलाडिला (मध्यप्रदेश), सेलम (मद्रास), तुमकुर, चितलद्रुग और बेलारी-ह्रास्पेट (मैसूर) के जखीरो के बड़े माप के नक्शे तैयार करना और इसके बाद ड्रिलिंग करना।

खनिज मैंगनीज : पचमहल और मध्यप्रदेश के कच्चे मैंगनीज के कुछ चुने हुए क्षेत्रो के जखीरो की खोज के लिए ड्रिलिंग करना तथा उड़ीसा और राजस्थान के जखीरो का विस्तृत अध्ययन करना।

क्रोमाइट : जोजूहाट (बिहार), हस्सन और मैसूर जिलो (मैसूर), कटक, क्योझर और ढेंकानाल जिलो (उड़ीसा) के जखीरो की विस्तृत खोज-बीन करना।

बाक्साइट : खैरा और जामनगर जिले (गुजरात), कोल्हापुर (महाराष्ट्र), बेलगाव (मैसूर), अमरकटक (मध्यप्रदेश), रांची और पलामू जिले (बिहार) के जखीरो की विस्तृत खोज-बीन करना।

चूने का पत्थर : बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में फ्लक्स-कोटि के चूने के पत्थर की खोज करना और मिर्जापुर जिले (उत्तरप्रदेश) में चूने के पत्थर के जखीरो की खोज-बीन करना।

तांबा, सीसा और जस्ता : कुडपाह-कर्नूल और नेलोर जिलो (आन्ध्रप्रदेश) हजारीबाग, सन्थाल परगना और मुंगेर जिलो (बिहार), जबलपुर और बस्तर जिलो (मध्यप्रदेश), पचेकनी (सिक्किम), अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलो (उत्तरप्रदेश), उदयपुर जिला (राजस्थान), रियासी (जम्मू तथा कश्मीर) और मणिपुर के जखीरो के विस्तृत नक्शे तैयार करना और भूभौतिक अन्वेषण तथा ड्रिलिंग करना।

मैग्नेसाइट : अल्मोड़ा (उत्तरप्रदेश) और सेलम (मद्रास) मे मैग्नेसाइट के जखीरो की विस्तृत खोज-बीन करना।

59 भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था और भारतीय खान-संस्था के कार्यक्रमो में व्यावहारिक भूगर्भ-विज्ञान और खनन में स्नातकोत्तर छात्रो के प्रशिक्षण की सुविधाओ की व्यवस्था करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालयो और भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था के कर्मचारियो के विनिमय की व्यवस्था भी की गई है, ताकि विश्वविद्यालय के अध्यापक क्षेत्रीय कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकें और भूगर्भ-सर्वेक्षण-अधिकारी अपनी सैद्धान्तिक जानकारी को ताजा कर सकें।

60 **राज्यो के कार्यक्रम** : केन्द्रीय सरकार के खनिज-सर्वेक्षण-कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य-सरकारो की योजनाओ मे भी राज्यो के खान और भूगर्भ-विज्ञान निदेशालयो का विकास करने और कुछ खनिज जखीरो का लाभ उठाने की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओ के अधिक महत्वपूर्ण कामो मे पालना (राजस्थान) में लिग्नाइट के जखीरो, कालाकोट (जम्मू तथा कश्मीर) मे कोयले के जखीरो और मैसूर में खनिज लोहे और खनिज मैंगनीज के जखीरो का फायदा उठाना भी शामिल है।

अध्याय 28

परिवहन और संचार-साधन

पिछले दस वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से हुआ है। इसके परिणाम-स्वरूप हमारे परिवहन-साधनों पर जो बोझ पड़ा है, उसे ठीक से समझा नहीं गया है। मुख्य बोझ रेलों पर पड़ा है, जो आजकल पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से पहले के काल की अपेक्षा 100 प्रतिशत अधिक माल ढो रही हैं और जिन पर यात्रियों की संख्या 27 प्रतिशत बढ़ गई है। इसके साथ ही यह बात भी है कि उस अवधि के प्रारम्भ में, युद्ध के कारण, रेलों के बहुत-से डिब्बे और इंजिन पुराने थे और पटरियां बदलने-योग्य हो रही थीं। इसी अवधि में सड़क-परिवहन-उद्योग की वहन-क्षमता पहले की अपेक्षा दुगुनी से भी अधिक हो गई और प्रमुख बन्दरगाहों से होकर जाने और आनेवाले माल की मात्रा भी 85 प्रतिशत बढ़ गई।

इन दस वर्षों के अनुभव को देखते हुए हमारा ध्यान आर्थिक आयोजन में परिवहन और संचार के महत्व की ओर जाना ही चाहिए। यद्यपि पहली दोनों योजनाओं में कुल खर्च का काफी बड़ा अंग परिवहन और संचार-साधनों के विकास के लिए दिया गया, फिर भी परिवहन-व्यवस्था से हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताएं मुश्किल से ही पूरी हो सकी हैं। विशेषकर रेलों के लिए लगभग इस सारी अवधि में बड़ी कठिनाई उपस्थित रही है और ऐसे समय भी आए हैं, जब वे सारे माल और यात्रियों को नहीं ले जा सकी हैं। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से फैल रही है इसलिए ऐसा अनुभव होता है कि ये परिस्थितियां अभी कुछ वर्ष तक बनी रहेंगी।

पहली दो योजनाओं का अनुभव—संक्षिप्त समीक्षा

2 पहली दो योजनाओं में परिवहन और संचार-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर हुए खर्च का ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 1

पहली और दूसरी योजनाओं में परिवहन और संचार-सम्बन्धी कार्यक्रमों पर खर्च

(करोड़ रुपये)

कार्यक्रम	पहली योजना	दूसरी योजना	
	वास्तविक खर्च	निर्धारित राशि	अनुमानित खर्च
परिवहन			
रेलें	258 5	900 0	860 1*
सड़कें और सड़क-परिवहन	146 8	262 7	241 8

*इसमें 15 करोड़ रुपये की वह राशि सम्मिलित नहीं है, जो रेलों को योजना की मद से डाक तथा तार-विभाग की योजना और रेल-बिजलीकरण-कार्यक्रम के सम्बन्ध में बिजली-अधिकारियों को दी गई थी और न 3 5 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है, जो विशाखापटनम बन्दरगाह के लिए परिवहन और संचार-मन्त्रालय को दी गई थी।

तालिका-सख्या 1—(जारी)

कार्यक्रम	पहली योजना	दूसरी योजना	
	वास्तविक खर्च	निर्धारित राशि	अनुमानित खर्च
पत्तन और बन्दरगाह	27 6	45 3	33 4†
जहाजरानी	18 7	47 7	52 7
नागरिक विमान-परिवहन	23 2	43 0	49 0
परिवहन-क्षेत्र के अन्य कार्यक्रम	1 9	10 4	4 2
परिवहन पर कुल खर्च	476 7	1,309 1	1,241.2
सचार-साधन			
डाक तथा तार	39 5	63 0	50 6
प्रसारण-सहित अन्य सचार-साधन	6 6	13 0	8.0
सचार-साधनो पर कुल खर्च	46 1	76 0	58 6
परिवहन और सचार-साधनो पर कुल खर्च	522 8	1,385 1	1,299 8

परिवहन और सचार-साधनो पर पहली योजना की तुलना मे दूसरी योजना में अधिक धन की व्यवस्था की गई थी। योजनाओ पर कुल खर्च के अनुपात की दृष्टि से देखा जाए, तो भी पहली योजना की अपेक्षा यह राशि अधिक थी। पहली योजना में परिवहन और सचार-साधनो पर 27 प्रतिशत खर्च किया गया और दूसरी योजना में 29 प्रतिशत। सब बातो को देखते हुए इस क्षेत्र में कार्यक्रमो की प्रगति सन्तोषजनक थी।

3 - पहली योजना में परिवहन के क्षेत्र मे मुख्य काम यह था कि पिछले दस वर्षों में जिन साधनो पर अधिक बोझ पडा था, उनके स्थान पर नए साधनो की व्यवस्था की जाए। रेलवे के इजिन और डिब्बे बदलने, पुरानी पटरियो के स्थान पर नई पटरिया बिछाने, पुराने जहाजो के स्थान पर नए जहाज लाने और बन्दरगाहो तथा पत्तनो के उपकरणो को बदलने के लिए बडी-बडी राशियो की व्यवस्था करनी पडी। पुराने सामान के स्थान पर नया सामान, उपकरण, आदि लाने की इतनी अधिक आवश्यकता थी कि पहली योजना मे समुचित प्रसार सम्भव नही हो सका। दूसरी योजना मे फिर काफी बडी राशि, विशेषकर रेलो के लिए, पुराने उपकरणो के स्थान पर नए लाने के लिए रखी गई। परन्तु दूसरी योजना में, रेलो के विभिन्न भागो पर लाइनो की वहन-क्षमता बढाने के कार्यक्रमो पर और इस बात पर अधिक जोर दिया गया कि कृषि और उद्योगो के बढते हुए उत्पादन से उत्पन्न आवश्यकताए पूरी करने के लिए अधिक इजिन और डिब्बे प्राप्त किए जाए। चालू इजिनो और डिब्बो की सख्या पहले से बढ गई, है, जैसा कि अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है। यदि दूसरी योजना में, मुख्यत समय पर इस्पात न मिलने के कारण, माल के डिब्बे प्राप्त करने के कार्यक्रम मे अडचन न पड जाती, तो सन् 1960-61 के अन्त में रेलवे के पास 3,41,041 से अधिक माल-डिब्बे होते।

†इसमें वह खर्च शामिल नहीं है, जो पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त ऋणो और पत्तनों के अपने साधनों में से किया गया।

तालिका-संख्या 2

1951, 1956 और 1961 के 31 मार्च को चालू इंजिनो और डिब्बो की संख्या

चालू इंजिन और डिब्बे	1951	1956	1961
रेल के इंजिन	8,461	9,172	10,554
सवारी-डिब्बे (इकाइया)	20,502	23,155	28,171
माल के डिब्बे (चौपहिए)	2,22,441	2,68,493	23,41,041

इन दस वर्षो की अवधि में रेलो ने लाइनो की क्षमता बढाने के व्यापक कार्य प्रारम्भ किए है। इनमें ये कार्य सम्मिलित है 1,300 मील इकहरी पटरी को दुहरा कर, लगभग 800 मील लम्बी लाइनो पर बिजली-द्वारा रेल चलाने की व्यवस्था करना, बहुत-से यार्डों को नए ढग से बनाना और कई नए यार्डों का निर्माण। जो नई लाइनें बनाई गई है, उनकी कुल लम्बाई 1,200 मील के लगभग है। इनके अतिरिक्त 400 मील लम्बी वे लाइनें फिर बिछाई गई, जो युद्ध-काल में उखाड दी गई थी। यह कार्यक्रम मुख्यत रेलवे की आवश्यक सचालन-आवश्यकताओ को पूरा करने और लोहा और इस्पात तथा कोयला-उद्योगो के प्रसार के लिए जरूरी लाइनो का निर्माण करने तक सीमित रहा है।

4 दूसरी ओर, पिछले दस वर्षों में सडको की कुल लम्बाई काफी बढी है। आशा है कि डामर-बिछी सडको की लम्बाई, जो सन् 1950-51 में 97,500 मील थी, सन् 1960-61 में 1,44,000 मील हो जाएगी और बिना डामर-बिछी सडको की लम्बाई 1,51,000 मील से बढ कर 2,50,000 मील से भी अधिक हो जाएगी। इस अवधि में सडक-परिवहन-उद्योग की वहन-क्षमता में भी समुचित प्रसार हुआ है। सडको पर माल ले जानेवाली गाडियो की सख्या, जो सन् 1950-51 में 81,000 थी, सन् 1960-61 में बढ कर पहले से लगभग दुगुनी, अर्थात् 1,60,000, हो गई। सवारी गाडियो की सख्या भी इस अवधि मे लगभग 45 प्रतिशत बढ कर 34,000 से 50,000 हो गई। सडक-परिवहन-उद्योग की वहन-क्षमता में जो वृद्धि हुई है, वह वास्तव में उससे कही अधिक है, जो कि इन आकडो से प्रकट होती है। इसका कारण यह है कि सड़क पर चलनेवाली गाडियो की कुल सख्या के अनुपात में भारी डीजल गाडियो की सख्या अधिक बढी है।

5 पत्तनो और बन्दरगाहो, विशेष कर बडे पत्तनो की क्षमता में, पहली दो योजनाओ की अवधि में पर्याप्त प्रसार हुआ है। पहली योजना में बडे पत्तनो की क्षमता 2 करोड टन से बढ कर 2 करोड 50 लाख टन हो गई, अनुमान है कि दूसरी योजना में उनकी क्षमता बढ़ कर 3 करोड 70 लाख टन हो गई। दूसरी योजना के अन्तर्गत कई परियोजनाए आरम्भ की गईं, जिनका काम अभी चल रहा है और जिनके पूरा हो जाने पर बड़े पत्तनों की कुल क्षमता साढे चार करोड टन से अधिक हो जाएगी।

6 भारतीय जहाजों की कुल वहन-क्षमता, जो सन् 1950-51 में 3.9 लाख टन (कुल पजीकृत क्षमता) थी पहली योजना के अन्त में 4 8 लाख टन (कुल पजीकृत क्षमता) हो गई। अनुमान है कि यह क्षमता दूसरी योजना के अन्त में 9 लाख टन (कुल पजीकृत क्षमता) हो गई। तट पर चलनेवाले जहाजो की कुल क्षमता में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है— सन् 1950-51 में यह क्षमता 2 1 लाख टन (कुल पजीकृत क्षमता) थी और सन् 1960-61 में वह बढ कर केवल 2 9 लाख टन हो पाई।

7 सन् 1953 में विमान-सेवाओ के राष्ट्रीयकरण के बाद से, नागरिक विमान-परिवहन की वहन-क्षमता मे काफी वृद्धि हुई है। इडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, की वहन-क्षमता जो सन् 1953-54 मे लगभग 4 करोड 60 लाख टन-मील थी, सन् 1960-61 मे बढ कर लगभग 8 करोड 90 लाख टन-मील हो गई। इसी अवधि में एयर इडिया इटरनेशनल की वहन-क्षमता 1 करोड 70 लाख टन-मील से बढ कर 10 करोड़ 30 लाख टन-मील हो गई।

रेल और सड़क-यातायात की प्रवृत्तियां

8 नीचे की तालिका से पता चलता है कि इस अवधि में रेलो और सडको के यातायात की क्या प्रवृत्तिया रही

तालिका-सख्या 3

पहली और दूसरी योजनाओं के अन्त में रेलो और सड़को से जानेवाले यात्रियो की संख्या और माल का परिमाण*

(करोड)

वर्ष	माल-यातायात रेलें टन मूल	माल-यातायात रेलें टन (मील)	माल-यातायात सड़क टन (मील)	यात्री-यातायात रेलें यात्री मूल	यात्री-यातायात रेलें यात्री (मील)	यात्री-यातायात सडक यात्री (मील)
1950-51	9 15	2,698	335 8	128 4	4,133 2	1,437 4
1955-56	11 4	3,643 4	547	127 5	3,877 4	1,955 9
1960-61 (अनुमानित)	15 4	5,470	1,060	162 4	4,860	3,000

इस काल में रेलो पर ढोए जानेवाले माल की औसत दूरी 292 मील से बढ कर 354 मील हो गई। अत रेलो पर यद्यपि टन-भार की दृष्टि से यातायात लगभग 69 प्रतिशत बढा है, परन्तु टन-मील की दृष्टि से देखा जाए, तो 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। इसी काल में यात्री-यातायात का औसत 31 9 मील से घट कर 29.9 मील रह गया है। इसका कारण यह है कि रेलो पर एक नगर से दूसरे नगर की अपेक्षा नगरों से उपनगरों तक अधिक यातायात हुआ है। उपनगरो के यात्रियो के यातायात के आकडे केवल सन् 1950-51 के बाद से मिलते हैं। सन् 1951-52 में यह यातायात 424 7 करोड यात्री-मील था और 1960-61 में 750 करोड यात्री-मील अर्थात् इसमें 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि इसी अवधि में यात्री-मील की वृद्धि कुल 21 प्रतिशत थी।

*रेलो के आकडे भारत की सरकारी रेलों पर से लाए गए माल और यात्रियो के वास्तविक आकडे हैं। सडक-परिवहन-सम्बन्धी आकडे परिवहन-नीति और समन्वय-समिति (1961) की प्रारम्भिक रिपोर्ट में मोटर-गाड़ियो के उपयोग के बारे में उल्लिखित धारणाओ के आधार पर तैयार किए गए, अनुमानित आकडे हैं।

योजना मे जो कार्यक्रम शामिल किए गए है उनमें से कुछ पर नियत राशि से अधिक खर्च होने का अनुमान है। यह बात विशेषकर रेलो, सडको, बडे पत्तनो और डाक तथा तार के सम्बन्ध में सच है। इन कार्यक्रमो मे क्या होगा और इन पर कितना खर्च होने का अनुमान है, इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आगे दी गई है।

तीसरी पचवर्षीय योजना के लिए विकास-कार्यक्रम

रेलें

15. **यातायात के लक्ष्य :** तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम इस आधार पर बनाए गए है कि योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् सन् 1965-66 में, मूल यातायात 24 5 करोड टन तक बढ जाएगा। इस प्रकार, यातायात सन् 1960-61 की तुलना में 9 1 करोड टन अधिक हो जाएगा, अर्थात् उसमें लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें विभिन्न वस्तुओं का मोटे तौर पर कितना-कितना परिमाण होगा, यह निम्न तालिका में दिखाया गया है

तालिका-संख्या 5

तीसरी योजना में रेलो-द्वारा माल का यातायात

(करोड टन)

वस्तु	1960-61	1965-66	1960-61 की तुलना में 1965-66 में वृद्धि
इस्पात-सयन्त्रो के लिए कोयले के अतिरिक्त अन्य माल और इस्पात	1 3	3 4	2 1
कोयला (उस कोयले को मिला कर, जो रेलो को अपने लिए चाहिए)	4 95	9 0	4 05
सीमेंट	0 65	1 2	0 55
सामान्य माल, जिसमें शामिल है कोयले के अतिरिक्त रेलवे का अपना माल	1 8	2 25	0 45
निर्यात के लिए खनिज लोहा	0 3	1 1†	0 8
बाकी सब माल	6 4	7 55	1 15
सामान्य माल का योग	8.5	10 9	2 4
सर्व योग	15 4	24 5	9 1

तीन मूल उद्योगो, अर्थात् लोहा और इस्पात, कोयला तथा सीमेंट के लिए परिवहन-आवश्यकताओ का हिसाब अनुमानित उत्पादन और उत्पादन-इकाइयों की सम्भावित स्थिति के आधार पर लगाया गया है। इस्पात और इस्पात के लिए आवश्यक कच्चे माल के

† इसमें 40 लाख टन निर्यात का माल भी शामिल है, जो बैलाडिला-क्षेत्र में से विशाखापटनम होकर बाहर जाएगा। यह वहन-क्षमता सन् 1966 में प्राप्त हो जाएगी।

13 इससे हम एक तीसरे पहलू पर पहुंचते है, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। इस समय भारतीय रेलें न केवल अपना खर्च पूरा कर रही है, बल्कि तीसरी योजना के लिए साधन जुटाने में समुचित योग भी दे रही है। इसके विपरीत कई देशो में इधर रेलो को घाटे हो रहे है और भारत में भी कुछ प्रतिकूल कारण है, जिनका प्रभाव रेलो की वित्त-व्यवस्था पर दिखाई पड़ने लगा है। इस बात की ओर परिवहन-नीति-समिति ने ध्यान आकर्षित किया है। समिति ने सामान्य राजकोष के प्रति भविष्य में रेलो के दायित्व के बारे में भी प्रश्न उठाए है। पिछले दस वर्षो में बहुत बड़ी पूंजी रेलो में लगाई गई है, जिसके कारण इन बातो का बहुत अधिक महत्व हो गया है। रेलो में लगी हुई पूंजी सन् 1950-51 में 834 करोड रुपये से बढ कर सन् 1960-61 में 1,559 करोड रुपये हो गई और आशा है कि सन् 1965-66 में यह पूंजी 2,313 करोड रुपये तक पहुंच जाएगी। प्रत्यक्षत यह वाछनीय है कि वित्त की दृष्टि से भारतीय रेल-व्यवस्था का नीचे की ओर प्रयाण न हो, जैसा कि कुछ अन्य देशो में हुआ है।

परिवहन-नीति और समन्वय-समिति की अन्तिम रिपोर्ट मिल जाने पर इन बातो और देश में परिवहन के विभिन्न साधनो के समन्वय में सम्बन्धित अन्य प्रश्नो पर और आगे विचार किया जाएगा।

तीसरी योजना में परिवहन और संचार के लिए नियत राशियां

14 तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में परिवहन और संचार के कार्यक्रमो के लिए 1,486 करोड रुपये की राशि नियत की गई है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि विभिन्न कार्यक्रमो के लिए कितनी-कितनी राशिया रखी गई हैं

तालिका-संख्या 4

तीसरी योजना में परिवहन और संचार-कार्यक्रमो के लिए नियत राशियां

कार्यक्रम	नियत राशि (करोड़ रुपये)
रेलें	890†
सड़कें और सड़क-परिवहन	297
जहाजरानी, अन्तर्देशीय जल-परिवहन, पत्तन और प्रकाश-स्तम्भ	153‡
नागरिक विमान-परिवहन	55
डाक तथा तार (टेलीप्रिंटर-कारखाने-सहित)	68
पर्यटन	8
प्रसारण	7
अन्य परिवहन और संचार-साधन	8
योग	1,486

† इसमें 350 करोड रुपये की वह राशि शामिल नहीं है, जो कि रेलें अपने मूल्य-ह्रास-निधि में से देंगी और न 35 करोड रुपये की वह राशि जिसकी रेलों को सामान के उचन्ती खाते के लिए आवश्यकता है।

‡ इसमें 20 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है, जो बड़े पत्तनों के अपने साधनों से प्राप्त होगी।

योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए है उनमें से कुछ पर नियत राशि से अधिक खर्च होने का अनुमान है। यह बात विशेषकर रेलो, सडको, बडे पत्तनों और डाक तथा तार के सम्बन्ध में सच है। इन कार्यक्रमो में क्या होगा और इन पर कितना खर्च होने का अनुमान है, इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आगे दी गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास-कार्यक्रम

रेलें

15. **यातायात के लक्ष्य :** तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम इस आधार पर बनाए गए है कि योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् सन् 1965-66 में, मूल यातायात 24 5 करोड टन तक बढ जाएगा। इस प्रकार, यातायात सन् 1960-61 की तुलना में 9 1 करोड टन अधिक हो जाएगा, अर्थात् उसमें लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें विभिन्न वस्तुओं का मोटे तौर पर कितना-कितना परिमाण होगा, यह निम्न तालिका में दिखाया गया है

तालिका-सख्या 5

तीसरी योजना में रेलो-द्वारा माल का यातायात

(करोड टन)

वस्तु	1960-61	1965-66	1960-61 की तुलना में 1965-66 में वृद्धि
इस्पात-सयन्त्रो के लिए कोयले के अतिरिक्त अन्य माल और इस्पात	1 3	3 4	2 1
कोयला (उस कोयले को मिला कर, जो रेलो को अपने लिए चाहिए)	4 95	9 0	4 05
सीमेंट	0 65	1 2	0 55
सामान्य माल, जिसमें शामिल है कोयले के अतिरिक्त रेलवे का अपना माल	1 8	2 25	0 45
निर्यात के लिए खनिज लोहा	0 3	1 1†	0.8
बाकी सब माल	6 4	7 55	1 15
सामान्य माल का योग	8 5	10 9	2 4
सर्व योग	15 4	24.5	9 1

तीन मूल उद्योगो, अर्थात् लोहा और इस्पात, कोयला तथा सीमेंट के लिए [illegible] रयकताओ का हिसाब अनुमानित उत्पादन और उत्पादन-[illegible] के आधार पर लगाया गया है। इस्पात और इस्पात के लिए [illegible]

† इसमें 40 लाख टन निर्यात का माल भी शामिल है, जो [illegible] से विशाखापटनम होकर बाहर जाएगा। यह वहन-क्षमता सन् 1966 में [illegible]।

यातायात का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि तैयार इस्पात और कच्चे लोहे का 83 लाख टन का उत्पादन-लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसमें बोकारो-इस्पात-कारखाने का लगभग 10 लाख टन उत्पादन भी शामिल है। कोयले के यातायात का अनुमान 9 करोड़ टन है, कोयले के उत्पादन का लक्ष्य तो 9 करोड़ 70 लाख टन है, परन्तु इसमें से 70 लाख टन या तो कोयला-खानों में खप जाएगा या उसको रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन-साधनों-द्वारा ढोया जाएगा। कोयला ढोने के रास्तों तथा कोयले के भारी ढुलाई के बहुत सी सम्भावनाओं का अधिक व्योरेवार अध्ययन पूरा हो जाने पर सम्भव है कि इस अनुमान का पुनरीक्षण करना पड़े।

जहा तक साधारण माल के यातायात का सम्बन्ध है, अनुमान है कि 2 25 करोड़ टन रेलवे का सामान और निर्यात के लिए 1 1 करोड़ टन खनिज लोहा रेल-द्वारा ढोना पड़ेगा। इन आकड़ो में 10 लाख टन वह खनिज लोहा भी शामिल है जिसके 1966 तक बैलाडिला से प्राप्त होने की आशा है। कुछ छोटे पत्तनों तक खनिज लोहे की जो मात्रा सड़क-द्वारा ढोनी पड़ेगी, उसे शामिल कर दिया जाए तो सन् 1966 तक निर्यात के लिए खनिज लोहे की वहन-क्षमता लगभग 1 3 करोड़ टन होने की आशा है। जहा तक इन वर्गों की अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं—जैसे, कपास, कपड़े, पटसन की बनी चीजें, नमक, कागज, चीनी और अनाज आदि—के उत्पादन, आयात और निर्यात के सम्बन्ध में रेल-द्वारा उनके यातायात की विगत प्रवृत्तियों का सावधानी से अध्ययन किया गया। कुल मिला कर, यह अनुमान है कि निर्यात के लिए खनिज लोहे और रेलवे के अपने सामान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के यातायात में 1 15 करोड़ टन की वृद्धि होगी। आजकल रेल-द्वारा ढोया जानेवाला यह यातायात 6 4 करोड़ टन है। इस हिसाब से पाच वर्षों में यह वृद्धि 18 प्रतिशत होगी। अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में इन वस्तुओं का यातायात लगभग 80 लाख टन बढ़ा है, अर्थात् सन् 1955-56 में यह यातायात 5 6 करोड़ टन था और सन् 1960-61 में बढ़ कर 6 4 करोड़ टन हो गया।

16 मुसाफिरों के यातायात के सम्बन्ध में रेल-कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि उपनगरों के अलावा दूसरे यातायात में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होगी। जहा तक उपनगरीय यातायात का सम्बन्ध है, पुराने अनुभव के आधार पर यह आशा है कि इसमें काफी अधिक वृद्धि होगी। इरादा यह है कि जिस अरसे में भीड़ सबसे ज्यादा हुआ करती है, उस समय अधिकाधिक रेलगाड़िया चलाई जाए और लाइनों की वहन-क्षमता में उतनी ही वृद्धि की जाए, जितनी कि आवश्यक हो।

17 आज यह ठीक-ठीक कहना कठिन है कि पाच वर्ष बाद यातायात की आवश्यकताए क्या होगी। पहली बात तो यह है कि कोयले और उर्वरक-जैसे उद्योगो की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी इकाइया कहा स्थित होगी, यह निश्चित नही है और यह अनुमान नही लगाया जा सकता कि इन वस्तुओ के यातायात का ढाचा कैसा होगा। विशेषतया कोयला-उद्योग में, पहले से यह कहना कठिन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के ढाचे में जिन परिवर्तनो की कल्पना की गई है, उनका वहन-दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में यह याद रखना है कि उत्पादन का प्रमुख भाग बगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रो के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रो से प्राप्त होगा। दूसरे, जहा तक खनिज लोहे और इस्पात-जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओ का सम्बन्ध है, उनका उत्पादन देश में बढ गया है और सम्भव है कि भविष्य में उनके यातायात का ढाचा

पिछले कुछ समय की तुलना में भिन्न हो। तीसरे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस समय यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि देश मे रेल और सडक-परिवहन के अलग-अलग क्षेत्र कौन-से होगे, हालाकि तीसरी योजना के अतिरिक्त यातायात का वह भाग अपेक्षाकृत कम है, जिसके लिए रेल और सडक-परिवहन मे परस्पर प्रतिद्वन्द्विता होने की सम्भावना है। तीसरी योजना की अवधि के अन्त में रेलो-द्वारा ढोए जानेवाले माल के यातायात में कुल वृद्धि 9 1 करोड टन होगी, जिसमें 7 95 करोड टन तो कोयला, इस्पात और इस्पात के लिए आवश्यक कच्चा माल, सीमेंट, निर्यात के लिए खनिज लोहा और रेलो का अपना ही सामान होगा और बाकी 1 15 टन में सामान्य माल आ जाएगा। यह कल्पना की गई है कि तीसरी योजना की अवधि में अतिरिक्त यातायात का 20 प्रतिशत भाग, माल ढोकर खाली वापस आनेवाले डिब्बो में भरा जाएगा। इसीलिए इस यातायात के लिए रेल-इजिनो और डिब्बो के लिए रखी गई राशि में कमी कर दी गई है।

18 कोयले और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योगो के लिए विकास-कार्यक्रमो का ब्योरा अभी तक तैयार नही किया गया है। जब उनका ठीक-ठीक रूप और आवश्यकताए स्पष्ट हो जाएगी, तब उनके साथ रेल-कार्यक्रम का समन्वय अधिक सुचारु रूप मे हो सकेगा, जिनमें यह बात निश्चित हो जाएगी कि उनमें परस्पर-सामजस्य रहे और उनके क्रम और कार्यान्विति में तालमेल रहे।

और फिर, चूकि अभी यातायात के कुल अनुमानो को अस्थायी ही माना जा सकता है, प्रति वर्ष यातायात के रुख को देखते हुए उनका पुनरीक्षण बराबर किया जाता रहेगा।

19 **रेल-विकास-कार्यक्रम :** रेल-विकास-कार्यक्रम के वर्तमान रूप को देखते हुए उसकी लागत का अनुमान 1,325 करोड रुपये के लगभग है, जिसमें 35 करोड रुपये की वह राशि भी सम्मिलित है, जो सामान के उचन्ती खाते के लिए जरूरी है। अलग-अलग आकडे इस प्रकार है

तालिका-सख्या 6

तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम

कार्यक्रम	अनुमानित लागत (करोड रुपये)
इजिन और डिब्बे	510
कारखाने, मशीनें और सयन्त्र	62
पटरियो की बदली	170
नई लाइनें	147
बिजलीकरण	70
सिग्नल और सुरक्षा-व्यवस्था	25
यातायात-सुविधाए (लाइनो की क्षमता बढाने के कार्य)	183
पुल-सम्बन्धी कार्य	25
अन्य बिजली-सम्बन्धी कार्य	8
अन्य सरचना-सम्बन्धी कार्य	15
कर्मचारियो के क्वार्टर और कर्मचारी-कल्याण	50
उपभोक्ता-सुविधाए	15
सडक-सेवाए	10
सामान उचन्ती खाता	23
योग	1 325

20 इंजिनो तथा डिब्बो का कार्यक्रम - इजिनो तथा डिब्बो के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि यातायात में प्रत्याशित वृद्धि से जनित माग पूरी करने के लिए और पुराने इजिन तथा डिब्बो को बदलने के लिए नए इजिन और डिब्बे खरीदे जाए। इनका ब्योरा निम्न तालिका में दिया गया है

तालिका-संख्या 7

तीसरी योजना में रेल-इंजिनो और डिब्बो का कार्यक्रम

कार्यक्रम	इजिन	सवारी-डिब्बे	माल के डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)
नए	1,150	5,025	90,447
बदले जानेवाले	614	2,854	26,697
योग	1,764	7,879	1,17,144

अतिरिक्त इजिनों और डिब्बो की आवश्यकताओ का अनुमान लगाते समय, रेलो के सचालन में किए गए आयोजन और सुधारो का ध्यान रखा गया है और इस बात को भी देखा गया है कि निर्दिष्ट स्थानो पर कोयले और खनिज लोहे को उतारने के लिए मशीनो की व्यवस्था की जाए। कोयले और अन्य कच्चे माल की निर्दिष्ट बडी मात्रा को इस्पात-सयन्त्रो तक ढोने के लिए माल के डिब्बो की वापसी का अनुमान ढुलाई की वास्तविक दूरी के आधार पर लगाया गया है। अनुमान है कि और सभी चीजो के यातायात के सम्बन्ध में माल के डिब्बो का वापसी का समय तीसरी योजना के अन्त तक बडी लाइनो पर 11 दिन से घट कर 9 5 दिन और मीटर गेज लाइनो पर 8 दिन से घट कर 6.5 दिन रह जाएगा। इसका मतलब है कि रेलो के सचालन में काफी सुधार हो जाएगा और रेलें इन लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करेंगी।

21 पुनर्स्स्थापन-कार्यक्रम बनाते समय रेलो ने दूसरी योजना में पुराने इजिनो और डिब्बो को उनकी हालत का ध्यान रख कर बेकार ठहराने के अपने वास्तविक अनुभव का ध्यान रखा है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि दूसरी और तीसरी योजनाओ के अन्त में चालू इजिनो, सवारी-डिब्बो और माल के डिब्बो की तुलना में पुराने इजिनो और डिब्बो आदि का क्या अनुपात था

तालिका-सख्या 8

पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओ के अन्त में कुल इजिनो तथा डिब्बो की तुलना में पुराने इजिनो तथा डिब्बो का प्रतिशत अनुपात

वर्ष	बडी लाइन			मीटर गेज लाइन		
	इंजिन	सवारी-डिब्बे	माल-डिब्बे	इंजिन	सवारी-डिब्बे	माल-डिब्बे
1950-51	23 0	29 5	13 3	31 0	45 0	29 4
1955-56	33 2	32 3	18 0	25 8	32 7	21 0
1960-61	26 7	34 4	10 2	17 9	28 1	11.7
1965-66	27 2	26 8	11 6	18.6	18 7	11.4

22 कारखाने . कारखानो के कार्यक्रम में कारखानो की तथा बिगडी हुई लाइनो और शेडो की अतिरिक्त सुविधाओ की व्यवस्था की गई है, जो कि रेलो पर अधिक इजिनो और डिब्बो को चालू रखने के विचार से आवश्यक है। उसमें डीजल से चलनेवाले इजिन बनाने की भी व्यवस्था है। चित्तरजन इजिन-कारखाने मे भाप से चलनेवाले बडी लाइन के इजिन बनाने की जितनी क्षमता है, वह तीसरी योजना में इन इजिनो की माग पूरी करने के लिए काफी समझी गई है और इसमें और कोई वृद्धि नही की जाएगी। परन्तु यह विचार अवश्य है कि हवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भोपाल के सहयोग से चित्तरजन में बिजली से चलनेवाले इजिनो का निर्माण प्रारम्भ किया जाए।

23 लाइनो की क्षमता बढाने के कार्य सन् 1960-61 से सन् 1965-66 तक की अवधि में टन-भार के हिसाब से माल ढोने के लिए रेल-परिवहन-क्षमता की माग में 60 प्रतिशत के लगभग वृद्धि होने की आशा है। रेल-विकास-कार्यक्रम में 1,600 मील से अधिक लम्बी इकहरी लाइन को दोहरा बनाने और लाइनो की क्षमता बढाने के अन्य कामो के लिए भी व्यवस्था की गई है जैसे कि यार्डों को नए ढग का बनाना, परिगामी (क्रासिग के) स्टेशन बनाना और परिगामी लूप (लाइन) बनाना, आदि। लाइनो की क्षमता बढाने के कार्यक्रम बनाने का मुख्य कारण यह है कि मुख्य मार्गों को और उन लाइनो को सुव्यवस्थित किया जाए, जहा से भविष्य में कोयले और खनिज लोहे-जैसी भारी वस्तुओ के यातायात का परिमाण बढ जाने की सम्भावना है। लाइनो की क्षमता के विकास का कार्यक्रम बनाते समय रेलो ने उन टेक्नोलाजिकल सुधारो का ध्यान रखा है, जो तीसरी योजना में किए जा सकते हैं और जिनमें काफी हद तक उन बडे बोगी-डिब्बो का इस्तेमाल भी शामिल है, जिनमें मध्य-टक्कररोक-कपलर लगा होगा और जो कोयला-खानो से महत्वपूर्ण केन्द्रो तक बडी मात्रा में कोयला ढोने के काम आएगे। इन केन्द्रो पर बडे परिमाण मे कोयला जमा करने का विचार है। रेल-विकास-कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि धीरे-धीरे गाडियो-द्वारा अधिक माल ढोया जाए, जिससे कि लाइनो की क्षमता बढाने के कार्यों में लगनेवाली पूजी कम हो जाए। तीसरी योजना में रेल-विकास-कार्यक्रम का एक आधार-भूत पहलू यह है कि ऊचाई पर बने कोठो में से भारी मात्रा में कोयला नए बोगी-डिब्बो में लादा जाए। ऐसे कोठो की व्यवस्था प्रमुख कोयला-खानो पर की जाएगी।

24 बिजलीकरण : इस कार्यक्रम में लगभग 1,100 मील लम्बी लाइनो पर बिजली से गाडिया चलाने की व्यवस्था है। ये लाइनें ऐसी हैं, जहा यातायात के घनत्व और उनकी प्रत्याशित वृद्धि का ध्यान रखते हुए परिचालन के दृष्टिकोण से, भाप के स्थान पर बिजली से चलनेवाले इजिनो का चलाना आवश्यक समझा जाता है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कुछ मागो पर बिजलीकरण के उन कामो को पूरा करने की व्यवस्था है, जो दूसरी योजना में प्रारम्भ किए गए थे। उनमें से अधिकतर लाइनें इस्पात-सयन्त्रो और कोयला-खानो के क्षेत्रो में हैं। तीसरी योजना मे अभी तो केवल मुगलसराय से कानपुर तक की लाइन पर बिजली से रेलगाडिया चलाने की व्यवस्था करने का विचार है। इस भाग के बिजलीकरण की आव-श्यकता मुख्य रूप से इसलिए है कि भविष्य में इस लाइन पर कोयला-यातायात बढने की सम्भावना है।

25 पटरिया बदलना : पटरिया बदलने की आवश्यकता सुरक्षा के विचार से, और इस कारण से है कि गाडिया तेजी से आ-जा सकें, जिससे लाइनो की क्षमता बढ जाए।

पटरिया बदलने का एक काफी बड़ा कार्यक्रम पहली और दूसरी योजना में प्रारम्भ किया गया था। फिर भी, तीसरी योजना में उस काम को पूरा करना है, जो पहले से बाकी पड़ा है। दूसरी योजना में 8,000 मील लम्बी लाइनें बदलने की व्यवस्था भी की गई थी। इस कार्यक्रम की प्रगति सन्तोषजनक रही है, और केवल पटरियो का सामान मिलने में कठिनाइयो के कारण लक्ष्य की पूर्ति में कुछ कमी रह जाने का अनुमान है। तीसरी योजना में यह व्यवस्था है कि इसकी अवधि के अन्त तक पटरिया बदलने का बहुत-सा बकाया काम पूरा कर दिया जाए। लगभग 5,000 मील लम्बी समूची पटरी बदलने, लगभग 2,500 मील लम्बी पटरी की लाइनें बदलने और लगभग 2,250 मील लम्बी लाइन के स्लीपर बदलने की व्यवस्था की गई है। यह भी विचार है कि तीसरी योजना में पटरियो के जोडो के टाके लगाने का काम बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया जाए।

26 सकेत और सुरक्षा-कार्य : सकेतन और सुरक्षा के कार्यक्रम में कुछ भागो पर सुरक्षा के विचार से, सकेत और दूरसचार-सुविधाओ के सुधार तथा इटरलाकिंग की व्यवस्था की गई है। असम को जानेवाले सम्पर्क-मार्ग पर केन्द्रीकृत यातायात-नियन्त्रण की व्यवस्था की जाएगी। कुछ उपनगरीय भागो में स्वचालित सकेत का प्रबन्ध किया जाएगा। यह व्यवस्था उन भागो पर भी की जाएगी, जहा यातायात अधिक है और जहा कोयले और अन्य माल के भारी यातायात की प्रत्याशा है, जिसके लिए इस प्रकार की सकेतन-व्यवस्था अत्यावश्यक समझी जाती है। इसके अतिरिक्त, मुख्य मार्गों पर सकेतन का स्तर सुधारा जाएगा, जिससे गाडिया तेजी से आ-जा सकेंगी, और महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों, विन्यास-यार्डों और अन्य महत्वपूर्ण सचालन-केन्द्रो मे अधिक अच्छी दूरसचार-व्यवस्था की जाएगी।

27 नई लाइनें : तीसरी योजना की अवधि में लगभग 1,200 मील लम्बी लाइनें बिछाने की व्यवस्था की गई है। कुछ लाइनें तो दूसरी योजना से चली आ रही हैं, जैसे, गढ़वा रोड-राबर्टसगज, सम्बलपुर-तितलागढ और बिमलागढ-किरिबुरु। इनको पूरा करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित अतिरिक्त नई लाइनें बिछाने का कार्यक्रम है झुड-काडला, माधोपुर-कठुआ, उदयपुर-हिम्मतनगर, ऐसी लाइनें, जिनके बन जाने से दिल्ली आने की आवश्यकता नही रहेगी, दिवा-पनवेल-खरपडा लाइन, जिसे उरन तक ले जाया जाएगा, पथरकडी-धर्मनगर, गुना-मक्षी, राची-बोडामुडा, हिन्दूमलकोट-श्रीगगानगर, गाजियाबाद-तुगलकाबाद, बैलाडिला-कोटावलासा, और हल्दिया पत्तन तक नई लाइन। तीसरी योजना में नई लाइनो के कार्यक्रम में 200 मील लम्बी उन लाइनो को बनाने का भी विचार है, जिनकी कोयला-उद्योग के विकास के सम्बन्ध में आवश्यकता है। कार्यक्रम के इस भाग को अभी अन्तिम रूप नही दिया गया है।

28 निम्नलिखित नई लाइनो को रेल-कार्यक्रम में सम्मिलित करने के बारे में विचार किया जा रहा है (1) मगलोर-हसन, (2) बगलोर-सेलम, (3) मनमदुरई-विरुधुनगर, और (4) उडीसा के सुकिन्द-दैतारी, खान-क्षेत्रों को खडगपुर में कटक की बडी लाइन से मिलानेवाली लाइन। मगलोर-हसन लाइन की आवश्यकता मगलोर से खनिज लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में पडेगी, जिसे वहा पत्तन बनाने का विचार है। बगलोर-सेलम लाइन से सेलम के औद्योगिक विकास की आवश्यकताए पूरी होगी। मनमदुरई-विरुधनगर लाइन इन दोनो स्टेशनो के बीच एक वैकल्पिक कडी का काम देगी और इसके कारण मनमदुरई से मदुरई और मदुरई से विरुधुनगर की वर्तमान लाइनो पर अधिक बोझ

नही पड़ेगा । उडीसा के खान-क्षेत्रो में रेलवे लाइन इसलिए बनाई जानी है कि वहा से कलकत्ता, हल्दिया के प्रस्तावित पत्तन और परादीप पत्तन तक निर्यात के लिए खनिज लोहा पहुचाया जा सके ।

ऊपर जिन लाइनो का उल्लेख किया गया है, उनके अतिरिक्त कम लम्बाई की कुछ और लाइनें भी है, जिन्हे सम्भवत सिंचाई, बिजली या खनिज-सम्बन्धी परियोजनाओ के लिए बनाना पडे । इनके अतिरिक्त, रेलवे-बोर्ड ने कुछ और नई लाइनो के निर्माण का सुझाव रखा है ।†

29 **पुल-निर्माण-कार्य :** पुल-निर्माण-कार्यक्रम मुख्यत उन निर्माण-कार्यों तक ही सीमित रहेगा, जो दूसरी पचवर्षीय योजना में पूरे नही हो पाए थे । दूसरी योजना में दो बडे पुलो का काम प्रारम्भ हुआ था एक तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर और दूसरा दिल्ली मे यमुना नदी पर । राउरकेला-दुर्ग और गोधरा-रतलाम लाइनो पर नए पुल बनाने का विचार है । दूसरी योजना में इन लाइनो पर दोहरी पटरी बिछाई जा रही थी । इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था भी की गई है कि योजना-काल में कई वर्तमान पुलो को नया किया जाए ।

30 **कर्मचारियो के लिए क्वार्टर और कर्मचारी-कल्याण :** इस मद के लिए 50 करोड रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें से 35 करोड़ रुपये तो कर्मचारियो के लिए क्वार्टर बनाने पर खर्च किए जाएगे और 15 करोड रुपये उनके लिए सुख-साधन जुटाने पर । मिश्रित परियोजनाओ के अन्तर्गत जो क्वार्टर बनेंगे, उनके अतिरिक्त तीसरी योजना में 54,000 नए क्वार्टर बनाने का विचार है । सुख-साधन जुटाने के कार्यक्रम में चिकित्सा-सुविधाओ का प्रसार, कर्मचारियो के क्वार्टरो में सुधार, नालियो की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और कर्मचारियो की बस्तियो में बिजली तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओ की व्यवस्था करना सम्मिलित है । इस कार्यक्रम में स्कूल और छात्रावास बनाने की भी व्यवस्था की गई है ।

31 **उपभोक्ताओ के लिए सुख-साधन :** इस मद में उतनी ही राशि की व्यवस्था की गई है, जितनी कि दूसरी योजना में की गई थी । इस कार्यक्रम में स्टेशनो, विश्राम-कक्षो, ठहरने और भोजनादि के कमरो को नए ढग का बनाने के अलावा ये काम शामिल है पैदल जानेवालो के लिए ऊपरी पुल बनाना, पानी की अधिक अच्छी व्यवस्था करना, सडासो और नहाने की व्यवस्था करना और रेलवे-स्टेशनो पर बिजली के प्रकाश और पखो का प्रबन्ध करना । चूकि इस काम के लिए उपलब्ध राशि सीमित है, इसलिए इन कामो के लिए मितव्ययितापूर्ण योजनाए बनाई जाएगी ।

---

† रेलवे-बोर्ड-द्वारा सुझाई गई लाइनें निम्नलिखित है ·

1 बख्तियारपुर-राजगीर लाइन को मानपुर के पास तक ग्रैंड कार्ड से मिलाना,
2 पूना-मीरज मीटर गेज लाइन को बडी लाइन में परिवर्तित करना,
3 रेनीगुंटा से तिरुपति तक बड़ी लाइन,
4 कठुआ-जम्मू,
5 तिन्नवेली-कन्याकुमारी अन्तरीप,
6 चंडीगढ़-लुधियाना,
7 रतलाम-बांसवाड़ा, और
8 धर्मनगर-देव नदी-घाटी

32 आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई : तीसरी योजना में भी रेल-विकास-कार्यक्रम में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि रेल को अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का उद्देश्य सामने रखना चाहिए। दूसरी योजना की अवधि में ही इंजिन और डिब्बे बनाने की क्षमता में समुचित वृद्धि हो चुकी है, रेलों के लिए जितने भी भाप से चलनेवाले इंजिनो, सवारी-गाडी के डिब्बो और माल-डिब्बों की आवश्यकता है, उन सब का निर्माण देश में ही हो रहा है। यान्त्रिक संकेतन-उपकरणो के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा चुकी है और बिजली से चलनेवाले संकेतन-उपकरणों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है। देश में ही इतनी निर्माण-क्षमता की व्यवस्था की जा रही है कि पटरियो के लिए आवश्यक सभी माल यही तैयार किया जाए। जहा तक सम्भव होगा, तीसरी योजना की अवधि में यह चेष्टा की जाएगी कि डीजल और बिजली से चलनेवाले इंजिन और उन अन्य उपकरणो का निर्माण प्रारम्भ किया जाए, जो अभी तक बाहर से मगाए जाते है। रेल-विकास-कार्यक्रम के लिए अनुमानत 186 करोड रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। दूसरी योजना में इस कार्यक्रम पर 332 करोड रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी।

सडके

33 पहली दो योजनाओ में सडक-विकास-कार्यक्रम सन् 1943 की युद्धोत्तर-सडक-विकास-योजना को, जिसे आम तौर पर 'नागपुर-योजना' कहा जाता है, ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। विभाजन के बाद भारत में उपर्युक्त योजना के अनुसार 1,23,000 मील लम्बी डामर-बिछी सडके और 2,08,000 मील लम्बी बिना डामर की सडकें बनाने का विचार था। पहली और दूसरी योजनाओ में जो कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, उनके फलस्वरूप डामर-बिछी और बिना डामर-बिछी, दोनो प्रकार की सडको का निर्माण लक्ष्य से अधिक हो गया है। आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक देश में डामर-बिछी सडको की लम्बाई 1,44,000 मील होगी और बिना डामर-बिछी सडको की लम्बाई 2,50,000 मील से भी अधिक होगी। पिछले दस वर्षों में अधिक सडकें बन जाने पर भी कुछ पहलुओ से सडको की व्यवस्था अपूर्ण है, जैसे नदियो पर पुल नहीं हैं, सडको की सतह घटिया है और यान-पथ सकरे हैं। लगभग 60 प्रतिशत सडकें ऐसी हैं, जिन पर रोडी या ककर नहीं बिछा है। देश में सडको की कुल जितनी लम्बाई है, उनमें से 15,000 मील तो राष्ट्रीय राजपथ है, परन्तु इनमें से 2,300 मील लम्बे राजपथो पर दोहरे यान-पथ हैं, बाकी सब इकहरी सडके हैं। लगभग 1,000 मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ ऐसे हैं, जिनमें एक ही यान-पथ है, जो गीली मिट्टी से बना है या जिसकी सतह नीची है और जिस पर सीमेंट या डामर नहीं बिछा है। राष्ट्रीय राजपथ और राज्यों के राजपथो की ऊपरी तह 9 या 10 इंच मोटी है और तकनीकी विशेषज्ञो का मत है कि आजकल के यातायात की बहुलता या सघनता को देखते हुए यह अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, मुख्य मार्गों पर बहुत-से स्थानो पर पुल नहीं हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अकेले राष्ट्रीय राजपथो पर ही 80 बडे पुल बनने रह जाएगे। इनमे से 47 पर काम चालू है और विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

34 तीसरी योजना में सड़क-विकास के उद्देश्य और प्राथमिकताए : तीसरी योजना के सडक-विकास-कार्यक्रम उन उद्देश्यो के अनुकूल बनाए जा रहे हैं, जो कि हाल ही में केन्द्र तथा राज्य-सरकारो के मुख्य इंजीनियरों ने सन् 1961-81 के लिए बनाई गई बीस-वर्षीय सडक-

विकास-योजना मे निर्धारित किए है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी विकसित और कृषि-क्षेत्र में एक भी गाव ऐसा न रहे, जो पक्की सडक मे 4 मील से अधिक दूर हो या जिससे डेढ मील की दूरी तक कोई भी सडक न हो । इस योजना में अविकसित और अर्द्धविकसित क्षेत्रो की विशेष आवश्यकताओ का ध्यान रखा गया है । इसके अन्तर्गत बीस वर्ष के बाद, अर्थात् सन् 1981 में, 2,52,000 मील लम्बी डामर-बिछी और 4,05,000 मील लम्बी बिना डामर-बिछी सडके हो जाएगी ।

बीस-वर्षीय योजना मे प्राथमिकताओ का क्रम मोटे तौर पर इस प्रकार होगा (क) सभी मुख्य मार्गों पर, जहा-जहा पुल नही है, पुल बनाए जाए और सडको की सतह सुधारी जाए, जिससे कि वह कम-से-कम काली सतहवाली एक लेन की निर्दिष्टि के अनुकूल हो जाए, (ख) बडे नगरो के आसपास की मुख्य सडको को चौडा किया जाए और उनकी चौडाई दो लेनो के बराबर अवश्य हो जाए, और (ग) बडे-बडे मुख्य मार्गों पर कम-से-कम दो लेन के यान-पथ हो । इस योजना में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रो की सडको के बारे मे सबसे पहला काम उनका इस ढग से सुधार करना है कि वे अच्छे मौसम के स्तर की हो जाए । इन प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पिछले दस वर्षों में जिलो और गावो की उन सडको की माग बढती जा रही है, जिनके सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों मे रहनेवाले करोडो लोगो को लाभ पहुचेगा । तीसरी योजना में विभिन्न प्रकार की सडको के लक्ष्यो पर विचार करते समय इस माग को ध्यान में रखना पडेगा ।

35 दूसरी योजना मे सडक-विकास पर 224 करोड रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है । तीसरी योजना में सम्मिलित सडक-विकास-कार्यक्रमो की लागत 324 करोड रुपये है । इसमें से राज्यो के क्षेत्र के कार्यक्रमो पर लगभग 244 करोड रुपये खर्च होंगे और केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमो पर 80 करोड रुपये । केन्द्रीय कार्यक्रमो मे राष्ट्रीय राजपथों के अतिरिक्त वे सडके भी शामिल है, जो विभिन्न राज्यो को मिलाती हैं या जिनका आर्थिक दृष्टि से महत्व है ।

36 **राज्यो के सडक-कार्यक्रम :** सडकें बनाने के कार्यक्रम का अधिकाश राज्य-सरकारो के क्षेत्र मे आता है । राज्यो की योजनाओ के अन्तर्गत सडक-कार्यक्रम अभी बनाए ही जा रहे है और यह कहना कठिन है कि योजना मे नियत राशियो की सीमा में रहते हुए कुल कितने मील लम्बी और सडके बनाई जा सकेंगी । परन्तु मोटे तौर पर यह अनुमान है कि इस योजना की अवधि मे लगभग 25,000 मील लम्बी डामर-बिछी सडकें और बनाई जाएगी जब कि दूसरी योजना मे 22,000 मील लम्बी डामर-बिछी नई सडके बनी थी । नई सडको के निर्माण के कार्यक्रम बनाते समय एक ओर तो दुर्गम क्षेत्रो को सडकों-द्वारा मिलाने की व्यवस्था करने का ध्यान रखना होगा और दूसरी ओर यह देखना पडेगा कि सिंचाई, विद्युत् और उद्योग के क्षेत्रो में परियोजनाओ के फलस्वरूप कितनी सडको की जरूरत है । राज्यो के पुनर्गठन के फलस्वरूप सडक-विकास की जो आवश्यकताए हैं, उनको भी ध्यान मे रखना पडेगा । राज्यो की योजनाओं में सडक-कार्यक्रमो के लिए जो राशि रखी गई है उसका काफी बडा भाग इस उद्देश्य के लिए है कि वर्तमान सडको को सुधारा जाए, जिससे कि वे बढते हुए यातायात, विशेषकर गाडियो के यातायात, की जरूरतें पूरी कर सकें । इन कार्यक्रमो में सडको को चौडी बनाने, उनकी सतह सुधारने और उनको परस्पर जोडनेवाली सडकें और पुल बनाने के काम शामिल है ।

37 केन्द्रीय सडक-कार्यक्रम : केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में मुख्यतया यह व्यवस्था की गई है कि वर्तमान राष्ट्रीय राजपथो को सुधारा जाए। इस काम के लिए जितनी राशि उपलब्ध है, उससे तो केवल एक सौ मील लम्बी सडक—उत्तर मलमारा से ब्रह्मपुत्र के पुल तक—बनाई जा सकेगी। यहा इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि हाल ही मे 1,200 मील लम्बी सडकें बनाई गई है । दूसरी योजना में राष्ट्रीय राजपथों के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई थी 700 मील लम्बी सडके अन्य सडको को जोडने के लिए बनाना, 40 बडे पुल, 1,500 मील लम्बी मौजूदा सड़को का सुधार और 900 मील लम्बी सडको को चौडी करके उन पर दोहरे यान-पथ बनाना। राष्ट्रीय राजपथो के कार्यक्रमो में सभी लक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं। हा, विद्यमान सडको को मिलानेवाली सडके बनाने का काम कुछ पीछे पड गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम पूरे किए गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं जम्मू-श्रीनगर-राजपथ पर जवाहर-सुरग के पूर्वी और पश्चिमी भागो का निर्माण, बगाल में रायगज से बिहार में स्थित डलखोला तक राष्ट्रीय राजपथ के भाग का निर्माण और दिल्ली-आगरा सडक का चौडा किया जाना। दूसरी योजना में जो अधिक बडे पुल बनाए गए है, वे हैं बिहार के मोकामा नामक स्थान में गगा पर रेल तथा सडक-पुल, मध्यप्रदेश में चम्बल पर निमज्जनीय पुल, आन्ध्रप्रदेश में कृष्णा नदी पर रेगुलेटर-सह-सडक-पुल, गुजरात में माहे नदी पर पुल, और मद्रास-डिंडीगुल सडक पर पोनिवार नदी का पुल। तीसरी योजना के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण सडकें और पुल नही बन पाए थे, उन्हें पूरा किया जाए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजपथो के हाल में बने कुछ भागो का सुधार तथा कलकत्ता के समीप विवेकानन्द-पुल-उपमार्ग और राजपथो के वे टुकडे बनाना भी शामिल है, जो उन्हें एक-दूसरे से जोडने के लिए आवश्यक हैं।

38 राज्यों के बीच की सडको और आर्थिक महत्व की सडको के जो कार्यक्रम पहली दो योजनाओ में सम्मिलित किए गए थे, उनमें कई परियोजनाए थीं। उनमें से प्रमुख परियोजनाए पश्चिमी तट की सडक, पासी-बदरपुर सडक, पठानकोट-उधमपुर सडक और उन सडको की थी, जिनकी आवश्यकता मैसूर, उडीसा और आन्ध्रप्रदेश के राज्यो में खनिज लोहे के निर्यात के सम्बन्ध में थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1960-61 तक लगभग 1,000 मील लम्बी सडकें बनाई गई और 2,300 मील लम्बी सडको को सुधारा गया। दूसरी योजना में कुछ कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे, जिन्हें अब तीसरी योजना में समाप्त करना पडेगा। अनुमान लगाया गया है कि इस कार्यक्रम के लिए लगभग 22 करोड रुपये की आवश्यकता पडेगी। सम्भव है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ नई योजनाओ का काम हाथ में लिया जा सके।

39 पिछडे हुए क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताएं - दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी सडक-कार्यक्रमो के लिए धन की व्यवस्था करते समय उन क्षेत्रो की आवश्यकताओ का विशेष ध्यान रखा गया है, जो सचार-साधनो की दृष्टि से अन्य क्षेत्रो की अपेक्षा पिछडे हुए हैं। इसलिए, अडमान और निकोबार द्वीप, हिमाचलप्रदेश, मणिपुर, उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी, नागा पहाडी-त्वेनसाग-प्रदेश और त्रिपुरा की योजनाओं में यह व्यवस्था की गई है कि योजनाओ के कुल खर्च का एक-चौथाई से एक-तिहाई भाग सडक-विकास की मद में खर्च किया जाए। जिन राज्यो में सडक-विकास को अधिक प्राथमिकता दी गई है, वे हैं - असम, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश और राजस्थान। स्वय राज्यो के भीतर भी

अपेक्षतया कम विकसित क्षेत्रो के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की जाएगी , उदाहरणार्थ इन क्षेत्रो में पजाब के पहाडी प्रदेश, उत्तरप्रदेश में उत्तराखड, बुन्देलखड और अन्य पहाडी क्षेत्र; महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाडा, आन्ध्रप्रदेश में तेलगाना, मैसूर और केरल में उत्तरी ज़िले, जम्मू और कश्मीर में लद्दाख और सोनावेरी के क्षेत्र, और नागा पहाडी-त्वेनसाग-क्षेत्र में त्वेनसाग का इलाका ।

40 **ग्रामीण सडको का विकास :** ग्रामीण क्षेत्रो में सडको के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । कई राज्यो की योजनाओ में इस काम के लिए विशेष राशिया अलग रखी गई हैं । इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायो और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो के अन्तर्गत इस काम के लिए धन-राशिया नियत की गई है । कुछ समय पहले परिवहन और सचार-मन्त्रालय ने एक तदर्थ जाच कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी ज़िला-योजनाए बनाने की चेष्टा की गई है, जिनमें यह दिखाया गया कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रो में जो सडकें बनाई जाए, उनका परस्पर-सम्बन्ध किस तरह से होगा । इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रो में सडक-विकास के लिए ज़िम्मेदार विभिन्न सस्थाओ में तालमेल स्थापित किया जाए और जनता से गावो मे सडकें बनाने के लिए अधिक अशदान प्राप्त किया जाए ।

41 **सड़क-अनुसन्धान :** तीसरी योजना मे सडक-विकास-कार्यक्रम के लिए नियत राशि का कुछ भाग अनुसन्धान के लिए अलग रखा जा रहा है । सम्भव है कि कुल मिला कर, राज्यो की योजनाओ में, अनुसन्धान-कार्यक्रमो के लिए दो करोड रुपये मिल सकें, जिसे प्रयोगशाला-गवेषणा के बजाय क्षेत्रीय अनुसन्धान पर खर्च किया जाएगा । केन्द्र और राज्यो की सडक अनुसन्धान-प्रयोगशालाओ में सडकें बनाने की आधुनिक तकनीको पर अनुसन्धान किया जा रहा है । इस अनुसन्धान का मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्माण-लागत में कमी की जाए । तीसरी पचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि नई तकनीको और नए ढग के सामान से सडकें बनाने के प्रयोग किए जाए । अब तक जो अनुसन्धान किया गया है, उसके परिणामो के समुचित रूप से मूल्याकन को सरल बनाने और आगे अनुसन्धान की योजनाए चुनने के लिए एक केन्द्रीय मूल्याकन-समिति बनाने का विचार है । इस समिति में केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य-सरकारो के सगठनो और कुछ ऐसे गैर-सरकारी सगठनो के प्रतिनिधि होगे, जिनका सडक-विकास और सडक-अनुसन्धान-कार्यो से सम्बन्ध है । तीसरी पचवर्षीय योजना में नई तकनीको के क्षेत्रीय प्रयोग इस समिति की सिफारिशो के अनुसार किए जाएगे ।

सडक-परिवहन

42 पिछले बीस वर्षो में देश में मोटर-परिवहन, विशेषकर माल लाने और ले जानेवाली गाडियो का काफी प्रसार हुआ है । अविभाजित भारत में (देशी राज्यो को छोड कर) माल ढोनेवाली मोटर-गाडियो की सख्या, जो सन् 1938-39 में 12,397 थी, सन् 1946-47 में बढ कर 40,107 तक पहुच गई थी । देश के विभाजन के बाद 10 वर्षो में भारत में माल ढोनेवाली मोटर-गाडियो की सख्या लगभग दुगुनी हो गई । सन् 1948-49 मे यह सख्या लगभग 73,000 थी, जो सन् 1960-61 में 1,60,000 तक पहुच गई । जहा तक सवारी मोटर-गाडियो का सम्बन्ध है, यद्यपि युद्ध के प्रारम्भिक वर्षो में उनकी सख्या घट गई थी, तथापि बाद में यह सख्या बढी और सन् 1946-47 में लगभग उतनी

ही हो गई, जितनी सन् 1938-39 में थी। सन् 1948-49 से इन गाडियों की संख्या बराबर बढ़ती ही गई है। सन् 1948-49 में यह संख्या 27,275 थी और सन् 1960-61 में बढ़ कर लगभग 50,000 हो गई, अर्थात् इसमें 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

43 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हाल के कुछ वर्षों में सड़क-परिवहन-साधनों-द्वारा होनेवाले यातायात में जो वृद्धि हुई है, वह मोटर-गाडियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि इस काल में मोटर-गाडियों की वहन-क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरी योजना में मोटर-गाडियों के निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया था, यदि वह पूरा हो जाता, तो गाडियों की संख्या और सड़क-परिवहन-उद्योग की वहन-क्षमता और भी बढ़ जाती। दूसरी योजना में यद्यपि 40,000 गाडियों के निर्माण का लक्ष्य था, परन्तु सन् 1960-61 में वास्तविक उत्पादन कुल 30,000 गाडियों का ही हो पाएगा। नई गाडियां कम संख्या में मिल पाई हैं, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में, जिसका कारण विदेशी मुद्रा की कमी है। यही मुख्य कारण था, जो इस अवधि में सड़क-परिवहन के तेजी से विकास में बाधक हुआ है। हाल के कुछ वर्षों में सड़क-परिवहन के सम्बन्ध में लाइसेंस-नीति को अधिक उदार बनाने के लिए कई कार्रवाई की गई है। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि सड़क-परिवहन-उद्योग को उस पर लगाए जानेवाले विभिन्न करों को सरल बना कर सहायता दी जाए। विशेषत परिवहन और संचार-मन्त्रालय ने सारी राज्य-सरकारों से प्रार्थना की है कि सभी करों को मिला कर एक कर दिया जाए, जो कि यथासम्भव एक ही अभिकरण-द्वारा इकट्ठा किया जाए। उनसे यह भी कहा गया है कि वे अन्तर-राज्य-मार्गों पर चलनेवाली सड़क-परिवहन-सेवाओं पर दोहरे कर को हटाने के प्रश्न पर विचार करें।

44 तीसरी योजना में तिजारती सड़क-परिवहन का प्रसार मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर होगा कि मोटर-उद्योग की अपनी निर्माण-क्षमता कितनी है। मोटर-उद्योग-सम्बन्धी तदर्थ समिति, 1960 ने मोटर-गाडियों के निर्माण के जिस लक्ष्य की सिफारिश की है, उसे सरकार ने तीसरी योजना का निर्माण-कार्यक्रम बनाने के लिए स्वीकार कर लिया है। सन् 1965-66 में तिजारती गाडियों के निर्माण का लक्ष्य 60,000 है, जो कि सन् 1960-61 के निर्माण-स्तर का दुगना है। मोटे तौर पर यह अन्दाजा लगाया गया है कि तिजारती गाडियों की संख्या, जो सन् 1960-61 में लगभग 2,00,000 थी, सन् 1965-66 में बढ़ कर 3,65,000 हो जाएगी, अर्थात् उसमें लगभग 82 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस अवधि में माल ढोनेवाली मोटर-गाडियों की संख्या 1,60,000 से बढ़ कर 2,85,000 हो जाएगी और सवारी-गाडियों की संख्या, जो अब 50,000 है, बढ़ कर 80,000 हो जाएगी। परिवहन-नीति और समन्वय-समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट में जो हिसाब लगाया गया है, उसके अनुसार पांच वर्षों में मोटर-द्वारा जानेवाले माल में लगभग 120 प्रतिशत की वृद्धि होगी, अर्थात् यह यातायात सन् 1960-61 के 1,060 करोड़ टन-मील से बढ़ कर सन् 1965-66 में 2,335 करोड़ टन-मील हो जाएगा।

45 राज्यों में राष्ट्रीयकृत सड़क-परिवहन-प्रतिष्ठानों के, जो आजकल अधिकतर यात्री-सेवाओं की व्यवस्था करते हैं, प्रसार-कार्यक्रम पर तीसरी योजना में 26 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। आशा है कि योजना की अवधि में राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों की मोटर-गाडियों की संख्या में 7,500 की वृद्धि हो जाएगी, जब कि दूसरी योजना की अवधि में इनमें 5,000 नई गाडियां जोड़ी गई थीं। मोटर-द्वारा यात्रियों को लाने-ले जाने की सेवाओं

में राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानो का अंशदान वर्तमान-जितना, अर्थात् 30 प्रतिशत, ही रहने की आशा है। कुछ समय पहले योजना-आयोग ने राज्य-सरकारो को परामर्श दिया था कि वे सडक-परिवहन-निगम-अधिनियम के अन्तर्गत निगम बना लें, जो राष्ट्रीयकृत सडक-परिवहन-प्रतिष्ठानो का प्रबन्ध करें और इस प्रबन्ध में रेलो, और यदि सम्भव हो, निजी मोटर-वालो का भी सहयोग रहे। नीति-सम्बन्धी इस निर्णय का आधारभूत सिद्धान्त इस बात की आवश्यकता है कि राज्य-सरकारो के प्रतिष्ठान, जिनके भविष्य में बड़े इजारो का रूप ले लेने की सम्भावना है, रेलो के साथ प्रतिद्वन्द्विता में न पड़े, जिन पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार है। प्रबन्ध का स्वरूप निगम-जैसा हो, तो उनके बीच अनुचित प्रतिद्वन्द्विता से किसी सीमा तक बचा जा सकता है। परिवहन-नीति और समन्वय-समिति ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में एकमत होकर इस नीति का समर्थन किया है। कई राज्यो में निगम बन चुके हैं। बाकी राज्यो में भी यथासम्भव जल्दी ही निगम बना दिए जाएगे। रेलवे की योजना में इस बात की व्यवस्था की गई है कि रेलें राज्यो के राष्ट्रीयकृत सडक-परिवहन-प्रतिष्ठानो के प्रसार-कार्यक्रम में अपना अंशदान दें।

46 तीसरी योजना की अवधि में रेलवे-परिवहन पर भारी बोझ और विभिन्न प्रकार के परिवहनो के समन्वित विकास की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के लिए सडक-द्वारा माल-यातायात करने के क्षेत्र में अपनी गतिविधिया बढाना आवश्यक हो सकता है। बहुत-से प्रश्नो—जैसे, संगठन का रूप क्या होगा और कार्यक्रम का क्षेत्र क्या होगा—पर आगे चल कर यातायात-नीति और समन्वय-समिति की सिफारिशो के प्रकाश में तथा राज्य-सरकारो से सलाह-मशविरा करके विचार किया जाएगा।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन

47 देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र—अर्थात्, असम, पश्चिम-बंगाल और बिहार के राज्यो—में अन्तर्देशीय जलपथो का बडा महत्व है। इस समय असम और कलकत्ता के बीच आने-जाने-वाले माल का परिमाण 25 लाख टन से अधिक है। इसमें से लगभग आधा माल नदी-द्वारा जाता है और बाकी आधा रेलो और अन्य परिवहन-साधनो-द्वारा। दक्षिण में—केरल राज्य में—अन्तर्देशीय जलपथो का महत्वपूर्ण स्थान है। केरल की नदिया बहुत-से छोटे पत्तनो को कोचीन के मुख्य पत्तन से मिलाती हैं। उन पत्तनो के आसपास कई उद्योग स्थित हैं। उधर, उडीसा के डेल्टा-क्षेत्र में भी अन्तर्देशीय जलपथ संचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इस क्षेत्र में केन्द्रपाडा और तालडाडा की नहरो में और उडीसा-तट-नहर में नावें चलती हैं। अन्तर्देशीय जल-परिवहन की व्यवस्था किसी सीमा तक आन्ध्रप्रदेश और मद्रास के राज्यो में भी है। अन्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति ने इस परिवहन-साधन का विस्तृत अध्ययन किया है। समिति ने सन् 1959 में अपनी रिपोर्ट परिवहन और संचार-मन्त्रालय को पेश की। इस समिति ने देश-भर में अन्तर्देशीय जलपथो के विकास के सम्बन्ध में दीर्घकालीन सुझाव दिए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम इस समिति की सिफारिशो को ध्यान में रख कर बनाया गया है। पहली दो योजनाओ में इस क्षेत्र में कार्यक्रमो की प्रगति बहुत धीमी रही है, जिसका कारण मुख्य रूप से यह है कि योजनाएं बनाने और नावो, आदि के डिजाइन तैयार करने में बहुत समय लगता है। पहली दो योजनाओ में इन कार्यक्रमो पर एक करोड रुपये से भी कम राशि खर्च की गई थी, जब कि तीसरी योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उन पर 7 5 करोड रुपये खर्च होंगे। इसमें से 6 करोड रुपये की राशि

केन्द्रीय क्षेत्र में है और 1.5 करोड़ रुपये राज्यों की योजनाओं के लिए नियत किए गए हैं।

48. पहली पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल-परिवहन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि गंगा-ब्रह्मपुत्र-बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें केन्द्र-सरकार के साथ उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम-बंगाल और असम की सरकारें भी शामिल थीं। इस बोर्ड को यह काम सौंपा गया कि वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में जल-परिवहन के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारों के क्रियाकलाप में तालमेल स्थापित करे और इस बात का पता लगाने के लिए कि उथले जलमार्गों में आधुनिक ढंग की नावें चलाना कहां तक व्यावहारिक हो सकता है, प्रायोगिक परियोजनाओं का संचालन करे। यह बोर्ड इस समय इन सेवाओं का परिचालन कर रहा है, (क) छपरा और बरहज के बीच 94 मील के फासले में देशी नौचालन-सेवा, (ख) पटना और बक्सर (93 मील) और पटना और राजमहल (203 मील) के बीच कर्षनाव (पुशर टग्स) और इस्पात से बने बजरों द्वारा आने-जाने की साप्ताहिक व्यवस्था। ये सेवाएं अभी प्रयोग-मात्र के लिए हैं। यह बोर्ड भविष्य में प्रारम्भ की जानेवाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए भूवृत्त और जलवृत्त-सम्बन्धी सर्वेक्षण भी कर रहा है। दूसरी योजना की अवधि में सरकार ने ज्वायंट स्टीमर-कम्पनियों को नदी-संरक्षण-अनुदान देना स्वीकार कर लिया था और यह भी मान लिया था कि उन्हें नए स्टीमर खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। असम और भारत के बाकी भाग के बीच नदी-द्वारा ले जाए जानेवाले माल का अधिकतर भाग यही कम्पनियां ढोती हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थीं, वे दक्षिणी क्षेत्र में थीं। केरल में पश्चिमी तट-नहर को बडागारा से माहे तक बढ़ाने की परियोजना का काम प्रारम्भ किया गया और अप्रैल 1958 में सरकार ने एक निगम की स्थापना की, जिसका काम क्विलोन और एर्णाकुलम के बीच (90 मील) यात्री ले जानेवाली मोटर-बोट चलाने का काम गैर-सरकारी संचालकों से ले लेना था। आन्ध्रप्रदेश और मद्रास में बकिंघम-नहर से मिट्टी निकालने की भी व्यवस्था की गई।

49. तीसरी योजना में केन्द्रीय कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि ज्वायंट स्टीमर-कम्पनियों को ऋण-द्वारा सहायता दी जाए, जिसकी स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, और पाडु में एक अन्तर्देशीय पत्तन तथा दामोदर-घाटी-नहर में नौचालन-कार्य को भी पूरा करने की व्यवस्था है, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किए गए थे। इस कार्यक्रम में जो नई योजनाएं शामिल की गई हैं, उनमें ये महत्वपूर्ण हैं: (1) गंगा-ब्रह्मपुत्र-बोर्ड-द्वारा सुन्दरवन के क्षेत्र में नौकर्षण की प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत, (2) अन्तर्देशीय जल परिवहन-सम्बन्धी मामलों के बारे में परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना, (3) सुन्दरवन और ब्रह्मपुत्र के लिए मिट्टी निकालने की मशीनों और लांचों की खरीद, (4) गौहाटी में स्थायी तट का उन्नयन, तथा (5) प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना। राज्य-क्षेत्र में, अन्य योजनाओं के अतिरिक्त, केरल में पश्चिमी तट-नहर के विस्तार और उन्नयन, उड़ीसा में तालदंड और केन्द्रपाड़ा नहरों के उन्नयन, विशेषकर पारादीप-द्वारा खनिज लोहे के निर्यात के सन्दर्भ में, और राजस्थान-नहर में जल-परिवहन की सुविधाओं के विकास के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।

जहाजरानी

50 पहली दो योजनाओ की अवधि मे जहाजो के टन-भार मे काफी वृद्धि हुई और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयो के बावजूद यह आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक 9 लाख टन (कुल पजीकृत भार) का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अनुमान है कि भारतीय जहाज इस समय देश के समुद्र-पार-व्यापार का 8 से 9 प्रतिशत अश ढोते हैं। निम्नलिखित आकडो से पता चलता है कि पहली और दूसरी योजना के अन्त मे तटीय और समुद्रपार-व्यापार मे लगे हुए जहाजो का टन-भार कितना था –

तालिका-सख्या 9

पहली और दूसरी योजनाओं के अन्त में जहाजो का टन-भार

(कुल पजीकृत भार लाख टनो मे)

	1950-51	1955-56	1960-61
तटीय	2 17	2 4	2 92
समुद्रपार	1 74	2 4	6 13
योग	3 91	4 8	9.05

समुद्रपार और तटीय जहाजरानी के लिए दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त में क्रमश 4 9 लाख टन और 4 1 लाख टन (कुल पजीकृत भार) का लक्ष्य था। समुद्रपार जानेवाले जहाजो का कुल टन-भार तो लक्ष्य से अधिक है, परन्तु तटीय जहाजो का भार लक्ष्य से काफी कम है। पहली योजना में जहाजरानी के कार्यक्रम पर 18 7 करोड रुपये की राशि खर्च की गई और अनुमान है कि दूसरी योजना में यह खर्च 52 7 करोड रुपये होगा। दूसरी योजना में की गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई यह थी कि जहाजी कम्पनियो को जहाज खरीदने के वास्ते ऋण देने के लिए एक जहाजरानी-विकास-निधि स्थापित की गई। यह निधि व्ययगत नही होगी।

51 तीसरी योजना में जहाजरानी के लिए 55 करोड रुपये की राशि रखी गई है। आशा है कि इसके अतिरिक्त 4 करोड रुपये की राशि जहाजरानी-विकास-निधि से मिल सकेगी। आशा है कि जहाजी कम्पनिया अपने ससाधनो में से 7 करोड रुपये की व्यवस्था करेंगी। कुल राशि का आधे से अधिक भाग गैर-सरकारी क्षेत्र में खर्च किए जाने की आशा है। बाकी राशि सरकारी क्षेत्र के दो निगमो—अर्थात्, ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन—के कार्यक्रमो पर खर्च करने का विचार है। आशा है कि तीसरी योजना की अवधि मे 57 नए जहाज लिए जाएंगे, जिनका कुल पंजीकृत भार 3,75,000 टन होगा। इसमें से 1,94,000 टन-भार के जहाजो की आवश्यकता पुराने जहाजो को बदलने के लिए पडेगी और बाकी 1,81,000 टन कुल पजीकृत भार के नए जहाज मौजूदा बेडे में बढ जाएगे। इससे कुल पजीकृत टन-भार 11 लाख टन हो जाएगा। लगभग 2 16 000 टन के जहाज गैर-सरकारी क्षेत्र में और बाकी 1,50,000 टन के जहाज सरकारी क्षेत्र में खरीदे जाएगे।

52 अगले पृष्ठ की तालिका से पता चलता है कि तीसरी योजना में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में समुद्रपार और तटीय व्यापार के लिए अलग-अलग जहाजों का टन-भार कितना-कितना होगा।

तालिका-संख्या 10

तीसरी योजना में प्राप्त किए जानेवाले जहाजों का कुल पंजीकृत टन-भार

मद	गैर-सरकारी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	योग
तटीय			
बदली के लिए	1,00,000	—	1,00,000
नए	25,000	7,500	32,500
कुल तटीय	1,25,000	7,500	1,32,500
समुद्रपार			
बदली के लिए	56,000	37,600	93,600
नए	35,200	1,13,200	1,48,400
कुल समुद्रपार	91,200	1,50,800	2,42,000
योग . तटीय और समुद्रपार	2,16,200	1,58,300	3,74,500

कुल टन-भार में से 1,32,500 पंजीकृत टन-भार की आवश्यकता तटीय व्यापार के लिए है और बाकी 2,42,000 पंजीकृत टन-भार की समुद्रपार-व्यापार के लिए। तटीय जहाजों के कार्यक्रम का अधिकांश पुराने जहाजों को बदलने के लिए है। तटीय जहाजों में 32,500 पंजीकृत टन-भार की वृद्धि की जाएगी। इनमें से 25,000 टन के छोटे तटीय जहाज सामान्य माल ढोने के लिए होंगे और बाकी 7,500 टन का एक तटीय टैंकर जहाज होगा। जहां तक समुद्रपार-व्यापार का सम्बन्ध है, 93,600 पंजीकृत टन-भार के पुराने जहाजों के बदलने की व्यवस्था की गई है और 1,48,000 पंजीकृत टन के नए जहाज खरीदने का विचार है। अतिरिक्त टन-भार में 53 000 पंजीकृत टन-भार के टैंकर होंगे। तीन टैंकर खरीदने का विचार है—दो बिना साफ किए पेट्रोलियम के आयात के लिए और एक पेट्रोलियम-उत्पादनों के आयात के लिए।

53 इस बात को मान लिया गया है कि जहाजरानी के प्रसार को अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे उस विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी, जो देश को अपने समुद्रपार-व्यापार की ढुलाई के लिए खर्च करनी पड़ रही है। राष्ट्रीय जहाजरानी-मंडल ने सिफारिश की है कि सन् 1965-66 तक 14 2 लाख पंजीकृत टन-भार का लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए। परन्तु जहाजरानी-विकास-कार्यक्रम बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमें इस काम के लिए विदेशों से कितनी सहायता मिलती है और इसलिए इसका सीमित होना स्वाभाविक ही है। जहां तक तटीय जहाजरानी का सम्बन्ध है, आशा है कि परिवहन-नीति और समन्वय-समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में सिफारिशें करेगी कि रेलों के मुकाबले में तटीय जहाजरानी का क्या अंशदान रहेगा। इस बीच यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जितने भी जहाज हैं, उन्हें बड़े परिमाण में वस्तुएं—विशेषकर कोयला—ले जाने के लिए पूरी तरह प्रयोग में लाया जाए, जिससे कि रेलों पर कम बोझ पड़े।

पत्तन और बन्दरगाह

54 मुख्य पत्तन पहली योजना मे मुख्य पत्तनो के विकास-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि वर्तमान पत्तनो पर पूरी सुविधाओ की व्यवस्था की जाए और उन्हे नए ढग का बनाया जाए—विशेषकर उन पत्तनो को, जहा युद्धकाल में बहुत अवक्षयण हुआ है—और काडला पर उस यातायात के लिए एक मुख्य पत्तन बनाया जाए, जो पहले कराची से होता था। कार्यक्रम की ब्योरेवार बातो को अन्तिम रूप देने में देरी हो जाने के कारण पहली योजना में प्रगति धीमी रही। इस काल मे मुख्य पत्तनो की क्षमता 2 करोड टन से बढ कर 2 5 करोड टन हो गई। योजना के अन्तिम वर्ष में 2 4 करोड टन का यातायात हुआ। दूसरी योजना का उद्देश्य यह था कि पहली योजना मे प्रारम्भ की गई परियोजनाओ का काम पूरा किया जाए और कलकत्ता, मद्रास, विशाखापटनम और कोचीन के पत्तनो पर जहाजो के ठहरने के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था की जाए। इस योजना के पहले दो वर्षों में पत्तनों में भारी माल के बडे पैमाने पर होनेवाले आयात के कारण बहुत भीड रही और मुख्य पत्तनों की समाई बढाने और उन्हे अधिक माल लेने और भेजने-योग्य बनाने के लिए कई कार्रवाइया की गई। हुगली नदी में डुबाव की परिस्थिति बिगड जाने के कारण, कलकत्ता पत्तन में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जिनका उद्देश्य बहुव्यय-साध्य नदी-नियन्त्रण-कार्यों को हाथ में लेना और कठिन बाधाओ को वहा से हटाना था। इन कार्यक्रमो पर काफी खर्च किया गया। अब मुख्य पत्तनो की क्षमता काफी बढ गई है और अनुमान है कि सन् 1960-61 में वहा मे होनेवाला यातायात लगभग 3 3 करोड टन था।

55 तीसरी पचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्ही परियोजनाओ का काम पूरा करने की व्यवस्था है, जो प्रारम्भ की जा चुकी है। बम्बई पत्तन को आधुनिक ढग का बनाने और उसकी गोदियो के प्रसार की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, कोई ऐसी बडी योजना शामिल नही की गई, जिससे वर्तमान पत्तनो की क्षमता में अधिक वृद्धि होने की आशा की जा सके। वर्तमान पत्तनो के सम्बन्ध में जो योजनाए है, उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वहा पहले से प्राप्त सुविधाओ को बनाए रखा जाए और बेहतर बनाया जाए। आशा है कि उन योजनाओ के पूरा होने से, जिनमें से अधिकतर दूसरी योजना में प्रारम्भ कर दी गई थी, मुख्य पत्तनो की क्षमता 4 9 करोड टन हो जाएगी। तीसरी योजना के अन्त तक जितना यातायात होने का अनुमान है, उसके लिए यह पर्याप्त होगी।

56 कलकत्ता पत्तन को ठीक-ठाक रखने और उसके सरक्षण के लिए इस कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण योजनाए शामिल की गई है। ये योजनाए है (क) हल्दिया में एक सहायक पत्तन का निर्माण, और (ख) फरक्का में गगा नदी पर बाध का निर्माण। हल्दिया पत्तन कलकत्ता का अनुपूरक पत्तन होगा और वहा से 5■ मील नीचे (नदी के बहाव की ओर) बनाया जाएगा। इस पत्तन में बडे परिमाण मे कोयला खनिज, लोहा और खाद्यान्न लाने तथा भेजने और सामान्य माल के जहाजो से माल उतारने की सुविधाओ की व्यवस्था करने का विचार है। सामान्य माल कलकत्ता पत्तन से ही आए-जाएगा। इन परियोजनाओ को अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक तकनीकी जाच की जा रही है। पत्तन के निर्माण पर, जिसमें चार बर्थवाली गोदी बनाना भी शामिल है, 25 करोड रुपये खर्च होने का अनुमान है। तीसरी पचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए 7 करोड रुपये की व्यवस्था की गई

है और सम्भव है कि इसका बहुत-सा काम चौथी योजना की अवधि में ही पूरा हो। इस पत्तन को एक सीधे रेल-मार्ग-द्वारा कलकत्ता-खड़गपुर मुख्य लाइन से मिलाने का विचार है।

57 जहां तक गंगा नदी पर बांध का प्रश्न है, उसे हुगली नदी में डुबाव की स्थिति सुधारने और कलकत्ता पत्तन को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। नदी के तल में जमी हुई मिट्टी को जोर से बहा कर ले जाने के लिए पानी की कमी के कारण हुगली की स्थिति बराबर बिगड़ती जा रही है। इससे न केवल हुगली नदी के नौकानयन के योग्य बने रहने पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि नदी के तल पर मिट्टी जमा हो जाने से पानी की धारा भी अवरुद्ध हो गई है। इससे एक ओर तो हुगली में बान-ज्वार अधिक आने लगे हैं और दूसरी ओर इसका पानी अधिकाधिक नमकीन होता जा रहा है। कलकत्ता के पत्तन को चालू रखने के लिए मिट्टी निकालने के प्रयत्न तेजी से करना आवश्यक हो गया था, लेकिन वे अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। गंगा पर फरक्का-बांध बन जाने से हुगली में ऊपर से आनेवाले पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और इस समस्या का एक ठोस हल निकल आएगा। इस बांध से कुछ अन्य आनुषंगिक लाभ होंगे, जिनमें से एक यह होगा कि कलकत्ता और उसकी परिधि में स्थित औद्योगिक नगरों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर और दक्षिण-बंगाल के बीच संचार-व्यवस्था सुधर जाएगी और असम तथा बंगाल, आदि के बीच अन्तर्देशीय जल-परिवहन-मार्ग की लम्बाई कम हो जाएगी। अनुमान है कि परियोजना पर कुल 56 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना को 9 वर्षों में पूरा करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार, तीसरी योजना के काल में इस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

58 हल्दिया के अनुपूरक पत्तन और फरक्का-बांध के अतिरिक्त कलकत्ता में बलारी धारा (चैनल) को सुधारने के लिए दिशा-नियन्त्रण-सम्बन्धी निर्माण-कार्य की व्यवस्था की गई है और मिट्टी निकालनेवाली अधिक मशीनों तथा अन्य उपकरणों का प्रबन्ध किया गया है। इन योजनाओं पर 28 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

बम्बई पत्तन के कार्यक्रम में जो योजनाएं शामिल की गई हैं, उन पर लगभग 26 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं : गोदियों को आधुनिक बनाने की योजना, बन्दरगाह की मुख्य धारा में से मिट्टी निकालना, बैलार्ड बंगसार का प्रसार और बंगसार पर यात्रियों के उतरने के लिए आवश्यक भवन का निर्माण, अलेक्जेंड्रा गोदियों में क्रेनों को बिजली से चलाने की व्यवस्था और मजदूरों के लिए आवास की योजना। गोदियों को आधुनिक ढंग का बनाने की योजना का उद्देश्य यह है कि पत्तन में जहाजों के ठहरने के लिए अधिक गहरे डुबाववाले बर्थों का निर्माण किया जाए। हाल के कुछ वर्षों में इस पत्तन में आनेवाले बड़े जहाजों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए यह योजना आवश्यक हो गई है। बैलार्ड बंगसार-सम्बन्धी योजनाएं पत्तन पर यात्रियों के यातायात के लिए आवश्यक समझी गई हैं। यात्रियों के उतरने की इमारत को तुरन्त नया बनाना जरूरी है, क्योंकि मौजूदा इमारत की नींव तेजी से कमजोर होती जा रही है।

मद्रास पत्तन के कार्यक्रम पर लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जो परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हें पूरा करने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में खनिज और कोयले के लिए नए यार्ड बनाने और खनिज लोहे को लादने-उतारने के लिए उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

विशाखापटनम के कार्यक्रम पर 9 करोड रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें चार अतिरिक्त घाट-योजनाओं और खनिजो को लादने के लिए यन्त्र लगाने की व्यवस्था की गई है, जिन पर दूसरी पचवर्षीय योजना में काम प्रारम्भ हो गया था। इस योजना का उद्देश्य यह है कि पत्तन को इस योग्य बनाया जाए कि वहा से सन् 1964 से 20 लाख टन खनिज लोहा प्रति वर्ष जापान को भेजा जा सके और सन् 1966 से 40 लाख टन और अधिक लोहे के निर्यात की व्यवस्था की जा सके।

काडला मे यह व्यवस्था की गई है कि दो अतिरिक्त घाट पूरे किए जाए, एक निकर्षण-पोत मगाया जाए, उपनगर का प्रसार किया जाए और पत्तन में अधिक पानी की व्यवस्था करने की योजनाए क्रियान्वित की जाए।

कोचीन पत्तन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्ही योजनाओं का काम पूरा करने की व्यवस्था है, जो दूसरी पचवर्षीय योजना से चली आ रही है।

59 पत्तनों के विकास-कार्यक्रम मे, दो छोटे पत्तनो, अर्थात् तुत्तुकुडि और मगलोर, को सम्पूर्ण वर्ष चालू रहनेवाला पत्तन बनाने की दो परियोजनाए सम्मिलित की गई है। तुत्तुकुडि के साथ ही सम्पूर्ण वर्ष चालू रहनेवाले पत्तन का विकास इसलिए जरूरी समझा गया है कि पत्तन वर्तमान यातायात को सुचारु रूप से निवटा सके और यातायात मे वृद्धि के लिए आवश्यक क्षमता की व्यवस्था हो जाए। इस परियोजना का ठीक-ठीक विस्तार इस बात पर निर्भर है कि भविष्य में इस पत्तन से कितना यातायात हो सकता है वर्तमान यातायात में अधिकतर भाग उन वस्तुओं का है, जो तटीय यातायात में आती है। इस सम्बन्ध में लम्बे समय की बात तभी सोची जा सकती है, जब परिवहन-नीति और समन्वय-समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाए।

मगलोर का विकास करने का विचार मुख्यत इस प्रयोजन से है कि इसे चितलद्रुग और मगलोर के आसपास-स्थित अन्य खान-क्षेत्रो मे भविष्य में प्रत्याशित 20 लाख टन खनिज लोहे का यातायात करने-योग्य बनाया जाए। बन्दरगाह के विकास के सम्बन्ध में तकनीकी जाच की जा रही है।

60 अनुमान है कि पत्तन-विकास-कार्यक्रम की कुल लागत 115 करोड रुपये के लगभग बैठेगी। इसमें से 80 करोड रुपये की राशि मुख्य पत्तनों के कार्यक्रमो के लिए, 25 करोड रुपये फरक्का-बाध के लिए और 10 करोड रुपये की राशि मगलोर तथा तुत्तुकुडि में नए मुख्य पत्तनो के विकास के लिए है।

61 छोटे पत्तन : भारत मे छोटे पत्तनो की सख्या 150 से अधिक है। अनुमान है कि वहा से प्रति वर्ष 60 लाख टन सामान का यातायात होता है। छोटे पत्तनो के लिए पहली पचवर्षीय योजना मे 2 4 करोड रुपये की योजनाए शामिल की गई थी, परन्तु वास्तविक व्यय 1 4 करोड रुपये से अधिक नही हुआ। दूसरी पचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनो के लिए 5 करोड रुपये की राशि रखी गई थी और अनुमान है कि वह सारी राशि खर्च कर दी गई। तीसरी पचवर्षीय योजना मे जो कार्यक्रम शामिल किए गए है, उन पर 15 करोड रुपया खर्च होने का अनुमान है।

62 मध्यवर्ती पत्तन-विकास-समिति (1960) ने छोटे पत्तनों—जिन्हें 'मध्य पत्तन' कहा जाता है—में से कुछ महत्वपूर्ण पत्तनो का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद इनमें

पाच से दस वर्ष तक के लिए विकास-योजनाओ की सिफारिश की है। तीसरी पचवर्षीय योजना का कार्यक्रम समिति की सिफारिशो के आधार पर तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम की अधिक महत्वपूर्ण योजनाओ मे पारदीप मे एक मध्यवर्ती पत्तन बनाने का प्रस्ताव उल्लेखनीय है। यह पत्तन सुकिन्द-दैतरी क्षेत्रो से 5 लाख टन खनिज लोहे के निर्यात के लिए होगा। खान-क्षेत्रो से पत्तन खनिज लोहा ले जाने के लिए आवश्यक परिवहन-सुविधाओ के विकास की भी व्यवस्था की जा रही है। नीन्दाकारा (केरल) को भी मध्यवर्ती पत्तन बनाने का विचार है, और यदि कारवार मे गहरे डुबाव के घाट की व्यवस्था तकनीकी दृष्टि से सम्भव हुई, तो यह काम भी किया जाएगा, ताकि वहा से खनिज लोहे का निर्यात हो सके। इस कार्यक्रम में जो और योजनाए शामिल की गई है, वे ये हैं काकीनाडा में 'ग्रोयनो' का विस्तार और एक 'ड्रेजर' प्राप्त करना, मछलीपट्टम में जल-धारा स्थिरीकरण, कड्डलूर में समुद्रतल को लहरो से कटने से बचाने के लिए लकडी की दीवारे और एक बगसार की व्यवस्था करना, रत्नगिरि में नीची तलवाली जेटी को चौडा करना और उसका स्तर ऊचा करना, रेडी में माल उतारने का घाट बनाना, भावनगर में जलबन्धक फाटक का सुधार, पोरबन्दर में माल-बोटो के ठहरने के लिए अतिरिक्त स्थानो का निर्माण और ओखा में तेल के जहाजो के ठहरने के लिए घाट बनाना। केन्द्रीय क्षेत्र में निकर्षण एव सर्वेक्षण-पोतो की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत दो निकर्षण-पोत और छ सर्वेक्षण-पोत खरीदने की व्यवस्था की जा चुकी है। तीसरी पचवर्षीय योजना में एक निकर्षण-पोत और प्राप्त किया जाएगा।

तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए कार्यक्रम पूरे होने पर सब छोटे पत्तनो की क्षमता बढ कर 90 लाख टन हो जाने की आशा है।

प्रकाश-स्तम्भ

63 प्रकाश-स्तम्भो और प्रकाश-नौकाओ के विकास के लिए 6 करोड रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें से 2 4 करोड रुपये की राशि तो उन कामो को पूरा करने के लिए आवश्यक होगी, जो दूसरी योजना के समय से चले आ रहे है और बाकी 3 6 करोड रुपये नए निर्माण-कार्यो के लिए होगे। दूसरी योजना की अवधि में 72 नए प्रकाश-स्तम्भ स्थापित हुए और नौकानयन में सहायक अन्य उपकरणो—जैसे, रेडियो-सकेतक, अधिक शक्ति के रेडियो-प्रसार-यन्त्र और प्रकाशयुक्त तथा प्रकाशहीन बोताओं—की व्यवस्था की गई है। 50 प्रकाश-स्तम्भो के निर्माण और सुधार और नौकानयन में सहायक अन्य उपकरणो—जैसे, रैडार, रेडियो-सकेतक, धुम्र-सकेतक और प्रकाश-बोताओ—के सम्बन्ध में काम जारी है। इसके अतिरिक्त, दो डेका नौकानयन-शृखलाओ और कलकत्ता में प्रकाश-स्तम्भ-कारखाने और प्रयोगशाला की स्थापना के सम्बन्ध मे काम चल रहा है। तीसरी योजना में जो नए कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनमें एक प्रकाश-स्तम्भ-टेडर की योजना भी है, जिस पर 140 लाख रुपये खर्च होगा।

नागरिक विमान-परिवहन

64 नागरिक उड्डयन : विभाजन के बाद से नागरिक उड्डयन में तेजी से प्रगति हुई है। सन् 1947 से पहली योजना के प्रारम्भ तक नागरिक उड्डयन-सम्बन्धी कार्यो पर लगभग

6.6 करोड रुपये खर्च किए गए। पहली दो योजनाओ की अवधि में 24 करोड रुपये खर्च हुए। पहली योजना में जो कार्यक्रम सम्मिलित किए गए, उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि हवाई अड्डो, सचार-सुविधाओ और उपकरणो, आदि की कमी को पूरा किया जाए। दूसरी योजना में देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की बढती हुई मागें पूरी करने और विशेषकर वे मागे पूरी करने के लिए आवश्यक सुविधाए देने की व्यवस्था की गई थी, जो अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन-अभिसमय के अधीन भारत के दायित्वो और हाल की तकनीकी उन्नति के फलस्वरूप उत्पन्न हुईं। इस अभिसमय के अन्तर्गत भारत पर यह उत्तरदायित्व था कि हवाई अड्डो पर अभिसमय मे विहित मानको के अनुसार सुविधाओ की व्यवस्था की जाए। इस समय नागरिक उड्डयन-विभाग की देख-रेख में 85 हवाई अड्डे है, जिनमे से चार दूसरी योजना की अवधि मे बने थे। चार अन्य हवाई अड्डो का निर्माण-कार्य समाप्तप्राय है। तीसरी योजना में नागरिक उड्डयन पर लगभग 25 5 करोड रुपये खर्च करने का विचार है। नीचे की तालिका में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की योजना पर कितना-कितना खर्च होगा। तालिका में यह भी बताया गया है कि पहली और दूसरी पचवर्षीय योजनाओ में इन योजनाओ पर कितना खर्च किया गया था

तालिका-सख्या 11

नागरिक उड्डयन पर पहली दो योजनाओ में किया गया खर्च और तीसरी योजना के लिए नियत राशि

(लाख रुपये)

योजना	पहली योजना (वास्तविक खर्च)	दूसरी योजना (अनुमानित खर्च)	तीसरी योजना (नियत राशि)
हवाई अड्डो पर कार्य	612	1,290	1,850
दूर-सचार उपकरण	68	229	500
वायु-मार्ग और हवाई अड्डे	29	43	100
प्रशिक्षण और शिक्षा-उपकरण	10	23	84
अनुसन्धान और विकास-उपकरण	5	6	17
योग	724	1,591	2,550

65 दूसरी पचवर्षीय योजना मे बम्बई (सांताक्रूज), कलकत्ता (दमदम) और दिल्ली (पालम) के हवाई अड्डो पर विस्तृत विकास-कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। ये कार्यक्रम जो कि मुख्यत जेट विमानो की उडान की सुविधा के लिए आरम्भ किए गए थे, तीसरी योजना मे पूरे किए जाएगे। तीसरी पचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्यक्रमो को प्राथमिकता दी जाएगी जहा भी आवश्यक हो, विद्यमान धावन-पथो का प्रसार, जिसमे मद्रास में एक ऐसे विमान-अड्डे का विकास भी शामिल है, जहा मलाया-इडोनेशिया-आस्ट्रेलिया मार्ग पर चलनेवाले जेट विमान उतर सके, लखनऊ, गया और अहमदाबाद के हवाई अड्डो के धावन-पथो को बढाना और उन्हें मजबूत बनाना, क्योकि ये हवाई अड्डे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो के विकल्प-स्वरूप माने जाते है। इसके अतिरिक्त टैक्सी-पथ बनाने, एप्रन बनाने और अड्डो

के सीमान्त भवन तथा अन्य तकनीकी इमारतें बनाने की भी व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कई हवाई अड्डो के धावन-पथो पर प्रकाश का स्थायी प्रबन्ध किया जाए। हवाई अड्डो के निर्माण-कार्यों के लिए नियत कुल राशि में से 65 लाख रुपये की राशि नए हवाई अड्डे बनाने, उड्डयन और ग्लाइडिंग क्लबो तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानो पर विमान-पट्टिया बनाने के लिए रखी गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 20 लाख रुपये की राशि इस कार्यक्रम में पर्यटन के विकास के लिए रखी गई है। यह धन पर्यटन-यातायात के विकास के लिए हवाई अड्डे और विमान-पट्टिया बनाने पर खर्च किया जाएगा। नागरिक उड्डयन के लिए नियत राशि में दो करोड रुपये की वह राशि भी शामिल है, जो दिल्ली में आवश्यकतानुसार एक बिल्कुल नया हवाई अड्डा बनाने पर खर्च की जाएगी। अनुमान है कि इस परियोजना की कुल लागत 12 करोड रुपये के लगभग होगी।

66 वैमानिक सचार-सेवाओ के कार्यक्रम में जो योजनाए सम्मिलित की गई है, उनमें कुछ हवाई अड्डो पर विमान-चालन में सहायक अच्छे ढग के उपकरणो की योजना भी है, ताकि ऊचाई पर तेजी से उडनेवाले जहाजो की हर प्रकार के मौसम में सहायता की जा सके। यह भी योजना है कि हवाई अड्डो पर टर्मिनल नियन्त्रण-सचार और मौसम-सम्बन्धी जानकारी देने की सुविधाए बढाई जाए। प्रशिक्षण-कार्यक्रम में, इलाहाबाद के प्रशिक्षण-केन्द्र के लिए विमान और अन्य उपकरणो के खरीदने और 15 नए उड्डयन-क्लब खोलने की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना की अवधि में ऐसे कुल पाच क्लब खोले गए थे।

67 विमान-निगम • सन् 1953 के बाद से, जब विमान-निगम बनाए गए थे, उनका कार्यकलाप तेजी से बढा है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि सन् 1953-54 से सन् 1959-60 तक उनकी वहन-क्षमता और उनके द्वारा ढोए गए माल तथा यात्रियो की सख्या में कितनी वृद्धि हुई है

तालिका-सख्या 12

1953-54 और 1959-60 में विमान-निगमो-द्वारा किया गया यातायात

(लाख मे)

मद	1953-54	1959-60
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन		
उपलब्ध क्षमता, टन-मील में	458 4	678 7
ले जाए गए टन-मील पर आय	312 2	479 9
जितने मुसाफिर ले जाए गए	4 3	7 0
एयर इडिया इटरनेशनल		
उपलब्ध टन-मील	169 1	595 2
टन-मील पर आय	104 7	346 2
जितने मुसाफिर ले जाए गए	0 3	0 9

अनुमान है कि एयर इडिया इटरनेशनल की वहन-क्षमता सन् 1960-61 में और अधिक, अर्थात् 10 32 करोड टन-मील, हो गई थी।

68 एयर इंडिया इटरनेशनल ने जब कार्य आरम्भ किया था, तब उसके पास कुल चार कान्स्टेलेशन विमान थे। पहली योजना में पाच और दूसरी योजना में अन्य पाच सुपर-कान्स्टेलेशन विमान खरीदे गए, परन्तु सन् 1959 में एक दुर्घटना में एक विमान नष्ट हो गया। निगम ने दूसरी योजना में तीन 707 बोइंग जेट विमान भी खरीदे और एक बोइंग मगाया, जो तीसरी योजना की अवधि के प्रारम्भ में आएगा। आजकल निगम के पास 3 बोइंग और 9 सुपर कान्स्टेलेशन विमान हैं। तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए कार्यक्रम में चार और जेट विमान खरीदने की व्यवस्था है, जिसमें से निगम ने दो का आर्डर दे भी दिया है। योजना में इस निगम के लिए कुल 14 5 करोड रुपये की राशि नियत की गई है, जिसमें से 13 5 करोड रुपये की आवश्यकता विमान खरीदने के लिए है। बाकी 1 करोड रुपये की राशि वर्कशापो और हैंगरो के प्रसार तथा उपकरणो, आदि के खरीदने के लिए है। तीसरी योजना के प्रारम्भ में ही बम्बई में जेट इजिनो की पूरी मरम्मत और सफाई के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

69 दूसरी पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास 92 विमान थे, जिनमें से 66 डकोटा, 12 वाइकिंग, 6 स्काइमास्टर और 8 हेरोन थे। दूसरी योजना में निगम ने 10 वाइकाउट विमान खरीदे, जिससे उसकी वहन-क्षमता काफी बढ गई। परन्तु इसी काल में सारे वाइकिंग और हेरोन विमानो का चलना बन्द कर दिया गया। निगम ने दूसरी योजना की अवधि में डकोटा विमानो के बदलाव के लिए 5 फाक्कर फ्रेंडशिप विमानो का आर्डर दिया। सन् 1960-61 के अन्त में निगम के चालू विमानो में 54 डकोटा, 5 स्काइमास्टर और 10 वाइकाउट थे। दूसरी योजना की अवधि में एक अच्छी बात यह हुई है कि वाइकाउट विमान चालू करने से आय में काफी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सन् 1959-60 में पहली बार निगम को यदि लाभ नही हुआ, तो घाटा भी नही हुआ। तीसरी पचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में डकोटा विमानो के बदलाव के लिए 4 वाइकाउट विमान और 25 आधुनिक विमान खरीदने की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना के अन्त में लगभग 10 डकोटा विमान चालू करने का विचार है। उन्हें माल ढोने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। निगम के लिए तीसरी योजना में कुल 15 करोड रुपये की राशि रखी गई है। अनुमान है कि इसमें से 10 करोड रुपये की राशि, डकोटा विमानो के स्थान पर मध्यम आकार के विमान खरीदने और 1 करोड रुपये 4 और (पुराने) वाइकाउट विमान खरीदने के लिए आवश्यक होगे। मुख्य कार्यालय के कर्मचारियो के क्वार्टर और निगम के लिए आवश्यक अन्य भवनो के निर्माण के लिए 2 8 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। 1 [illegible] करोड रुपये की बाकी राशि वर्कशाप के उपकरण और गाडिया, आदि खरीदने तथा नए ढग के विमानो के चालकों के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओ का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक होगी।

पर्यटन

70 इधर कुछ वर्षो में पर्यटन का महत्व अधिकाधिक बढता गया है। पिछले दस वर्षो में विदेशो से पर्यटन के लिए भारत आनेवालो की सख्या लगभग छ गुनी हो गई है—सन् 1951 में इनकी सख्या 20,000 थी, जो सन् 1960 में 1,23,000 हो गई। सन् 1950 में पर्यटन से करीब 4 करोड रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई थी जो सन् 1960 में

बढ कर कोई 20 करोड रुपये हो गई। दूसरी पचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के जो कार्यक्रम शामिल किए गए थे, उनका उद्देश्य मुख्यत महत्वपूर्ण पर्यटन-केन्द्रो में आवास, परिवहन और मनोरजन की सुविधाओ की व्यवस्था करना था। इन केन्द्रों को मिलानेवाली सडकें बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। दूसरी पचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमो को अन्तिम रूप देने में काफी वक्त लगा था। इनमें ज्यादातर भवन-निर्माण की परियोजनाए थी और जम्मू-कश्मीर को छोड कर सर्वत्र प्रगति धीमी ही रही है। जम्मू-कश्मीर के लिए लगभग एक करोड रुपये की जो राशि नियत की गई थी, वह प्राय सारी-की-सारी इस्तेमाल की जा चुकी है।

71 तीसरी पचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए करीब ■ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि का आधे से कुछ कम भाग तो केन्द्रीय पर्यटन-विभाग की योजनाओ के लिए और राज्य-सरकारो को दिए जानेवाले अनुदानो के लिए होगा और बाकी रकम राज्यो की योजनाओं के लिए हिस्से के रूप में खर्च की जाएगी। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओ के अन्तर्गत उन पर्यटन-केन्द्रो में सुविधाए देने की व्यवस्था है, जो विदेशी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जब कि राज्यो की योजनाओं में मुख्यत देशीय पर्यटन को दृष्टि में रखा गया है। दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी अधिकतर परिवहन और आवास की सुविधाओ की व्यवस्था करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कश्मीर में गुलमर्ग में शीत-कालीन खेलो की व्यवस्था की गई है। पर्यटन की बढती हुई आवश्यकता के अनुरूप देश में होटल-उद्योग का समुचित विकास नहीं हुआ है। नए होटलो के निर्माण के लिए और वर्तमान होटलो के विकास या सुधार के लिए ऋण देकर इस उद्योग को सहायता देने के उपायो पर भी विचार किया जा रहा है।

संचार-साधन

72 पिछले दस वर्षो में औद्योगिक और वाणिज्यिक कामो के विस्तार के कारण सचार-सुविधाओं की माग अधिकाधिक बढती गई है। इनका विकास देश की औद्योगिक और टेक्नोलाजिकल उन्नति का एक अभिन्न अग है। सचार-सेवाओं में डाक, तार और टेली-फोन-सेवाए, समुद्रपार-सचार और ऋतु-विज्ञान भी शामिल हैं। पिछली दो योजनाओ में देश के डाकघरो की मार्फत 80 प्रतिशत वस्तुए ज्यादा आई अर्थात् यह सख्या 227 करोड से बढ कर 405 करोड 40 लाख हो गई। तारो की सख्या 43 प्रतिशत बढी, यानी सन् 1950-51 में 2 करोड 79 लाख तार दिए गए थे, जब कि सन् 1960-61 में 4 करोड तार दिए गए। टेलीफोन-विभाग के अधीन एक शहर से दूसरे शहर के लिए किए जानेवाले टेलीफोनो की सख्या लगभग पाच-गुना बढ गई, यानी सन् 1950-51 के 71 लाख से बढ कर सन् 1960-61 में लगभग 3 करोड 40 लाख हो गई। इन आकडो से पता चलता है कि देश के आर्थिक विकास से डाक और तार-विभाग पर काम का कितना दबाव हो गया है। डाक-तार-सेवाओ की तथा देश के अन्य सचार-साधनो की क्षमता का काफी विस्तार हो जाने के बावजूद इधर कुछ वर्षो से विभाग पर काम का कुछ ज्यादा बोझ रहा है। सचार-विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विभागो के लिए पहली और दूसरी योजनाओ में जितनी रकमो की व्यवस्था की गई थी, और जो खर्च हुआ था उसका तथा तीसरी योजना में विभिन्न विभागो के लिए स्वीकृत कार्य-क्रमो की लागत का ब्यौरा अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है।

तालिका-संख्या 13

संचार-साधनों पर खर्च

(करोड़ रुपये)

विभाग	पहली योजना (वास्तविक खर्च)	दूसरी योजना व्यवस्था	दूसरी योजना प्रत्याशित खर्च	तीसरी योजना (स्वीकृत कार्यक्रमों की लागत)
डाक और तार	39.57	63	50 7	77 6
समुद्र-पार-संचार	0 58	2	0 72	3
ऋतु-विज्ञान	0 47	1 5	0 99	3
भारतीय टेलीफोन-उद्योग	2.91	0 5	0 5	2 8
बेतार-आयोजन और समन्वय	—	—	—	0 5
दूरमुद्रक-कारखाना	—	—	0 09	1 4
योग	43 53	67	52 9	88 3

डाक और तार

73 तीसरी योजना में शामिल किए गए डाक और तार-विभाग के कार्यक्रमों पर अनुमानतः 77 6 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका विवरण इस प्रकार है

तालिका-संख्या 14

तीसरी योजना में डाक और तार-विभाग के कार्यक्रमों की लागत

(करोड़ रुपये)

योजना	अनुमानित लागत
टेलीफोन सेवाएं	
स्थानीय टेलीफोन	35 0
ट्रंक टेलीफोन	6 0
ट्रंक केबल	8 6
तार-सेवाएं	2 0
अन्य प्रशासनों को भाग	2 0
भवन-निर्माण	11 0
विविध	2 0
रेलों पर बिजली की व्यवस्था करने के लिए दूर-संचार-सुविधाएं	11 0
योग	77 6

74 टेलीफोन-सेवाएं . सन् 1950-51 में देश में टेलीफोनो की सख्या 1,68,000 थी, जो सन् 1955-56 में वढ कर 2,80,000 और सन् 1960-61 में वढ कर 4,60,000 हो गई। इसी प्रकार, पहली योजना में 1,12,000 नए टेलीफोन लगाए गए, जब कि दूसरी योजना में 1,80,000 नए टेलीफोन लगाए गए। तीसरी पचवर्षीय योजना में 2,00,000 नए सीधे टेलीफोन लगाने की व्यवस्था है। इसके अलावा, परिचालित लाइनो को स्वचालित लाइनो में बदलने की भी व्यवस्था की गई है। कोई 45 नगरो में स्वचालित टेलीफोन-केन्द्र स्थापित किए जाएगे तथा 32 नगरो के वर्तमान स्वचालित केन्द्रो को वढाया जाएगा। जो नए टेलीफोन दिए जाएगे, उनमें से बहुत-सारे 6 अकोवाले होगे, जिनके लिए केन्द्रो में और उपकरणो की आवश्यकता पडेगी।

तीसरी योजना मे ट्रक-टेलीफोन-कार्यक्रम के अन्तर्गत दस स्वचालित ट्रक-टेलीफोन-केन्द्र, कई परिचालित ट्रक-टेलीफोन-केन्द्र और करीव 2,000 सार्वजनिक टेलीफोन-केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। महत्वपूर्ण नगरो के वीच ट्रक-टेलीफोनो की भारी माग को पूरा करने के लिए सीधे टेलीफोन-से-टेलीफोन मिलाने की व्यवस्था करने का विचार है। कार्यक्रम का उद्देश्य जिला, सब-डिवीजन और तहसील, आदि सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक सदर मुकामो में ट्रक-टेलीफोनों का जाल विछाना है। दिल्ली-कलकत्ता तथा दिल्ली-बम्बई के वीच को-एक्सियल केवल डालने की जो परियोजना दूसरी पचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, उसे पूरा करने की व्यवस्था कर दी गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वम्बई-मद्रास-कोयम्बटूर के वीच तथा वम्बई-नागपुर और दिल्ली-अमृतसर के वीच भी को-एक्सियल केवल डालने की व्यवस्था की गई है।

75 तार-सेवाए सन् 1950-51 में देश में तार-घरो की सख्या 3,600 थी, जो सन् 1955-56 में वढ कर 5,100 और फिर सन् 1960-61 में 6,450 हो गई। तीसरी योजना की अवधि में 2,000 तार-घर और खोलने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि सामान्य तार दिए जाने से लेकर उसे ठिकाने तक पहुचाने में जो समय लगता है, उसे कम-से-कम किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जरूरी हो गया है कि दूर-मुद्रक और टेप-रिले-जैसी आधुनिक युक्तियो का वडे पैमाने पर प्रयोग किया जाए, ताकि एक ही तार से कई वार न उलझना पडे और धीरे-धीरे मोर्स-पद्धति खत्म की जा सके।

76 डाक-सेवाए : सन् 1950-51 में देश में डाक-घरो की सख्या 36,000 थी, जो सन् 1955-56 में वढ कर 55,000 और सन् 1960-61 में 77,000 हो गई। आशा की जाती है कि तीसरी योजना की अवधि में इनकी सख्या में 17,000 की और वृद्धि होगी। पहली पचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि तहसील, तालुका और थाना-जैसे प्रत्येक प्रशासनिक सदर मुकाम के अतिरिक्त कई ऐसे गावों को मिला कर उनमें डाक की सुविधाए दी जाए, जो दो मील के दायरे में हो और जिनकी कुल आवादी 2,000 हो, वशर्ते कि इस पर प्रति डाक-घर 750 रुपये वार्षिक से ज्यादा नुकसान न उठाना पडे और उनसे तीन मील की दूरी तक कोई डाक-घर न हो। गावों में डाक-घर खोलने की शर्तों में दूसरी योजना में कुछ ढील दे दी गई और कार्यक्रम का लक्ष्य यह निश्चित किया गया कि दो मील के दायरे में जो गांव वसे हो और जिनकी आवादी 2,000 हो, उनके वीच एक डाक-घर अवश्य हो। इनके अलावा, राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक परियोजना-खड के हरेक सदर मुकाम में भी डाक-घर खोलने की व्यवस्था की गई थी,

बशर्ते कि उसमें वार्षिक हानि और किसी मौजूदा डाक-घर से दूरीवाली शर्ते पूरी होती हो। सन् 1959 मे 'सामुदायिक परियोजनाओ और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खडों' के अदर मुकामों मे और उन स्थानो पर, जहा जिला-बोर्ड या स्थानीय बोर्ड-द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हों अथवा राज्य-सरकारो-द्वारा स्वीकृत स्कूल चलाए जा रहे हो, डाक-घर खोलने की शर्तों मे और ढील दे दी गई। ऐसी सभी जगहो पर डाक-घर खोलने के लिए दूरी की शर्त तीन मील से कम करके दो मील कर दी गई। तीसरी योजना की अवधि मे, अगर जरूरी हुआ तो, नए डाक-घर खोलने की शर्तों में और ढील देने के सवाल पर विचार किया जाएगा।

77 **अन्य योजनाएं :** डाक और तार-विभाग के कार्यक्रम के अन्तर्गत कलकत्ता और जबलपुर के वर्कशापो के विस्तार तथा बम्बई के वर्कशाप को नई जगह ले जाने की भी व्यवस्था है। तीसरी योजना की अवधि में विभाग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दफ्तरो की इमारतें बनाने और कर्मचारियो के लिए 5,000 क्वार्टर बनाने की भी व्यवस्था की गई है।

रेल-बिजलीकरण-कार्यक्रम के सिलसिले में विभाग दूर-सचार की सुविधाए भी देगा। इन सुविधाओ पर अनुमानत 11 करोड रुपये खर्च होगे।

दूरमुद्रक-कारखाना

78 तीसरी योजना मे दूरमुद्रको के निर्माण के हेतु एक कारखाना खोलने के लिए 1·4 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। इटली के सहयोग से दिसम्बर 1960 में 3 करोड रुपये की अधिकृत पूजी से इस काम के लिए एक अलग कम्पनी बनाई गई। इस कम्पनी का नाम है, 'हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड'। कारखाने में सन् 1961 से उत्पादन शुरू हो जाएगा और इस वर्ष कोई 170 दूरमुद्रक तैयार किए जाएगे। धीरे-धीरे इसकी क्षमता बढाई जाएगी और आशा की जाती है कि सन् 1963-64 तक 2,000 से अधिक मशीनें तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। धीरे-धीरे लगभग चार-पाच साल के भीतर मशीनो में सभी पुर्जे भी देशी लगाए जाने लगेंगे।

भारतीय टेलीफोन-उद्योग

79 दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय टेलीफोन-उद्योग अपनी क्षमता को काफी बढाने में समर्थ हुआ है। दूसरी योजना के शुरू होने के समय विनिमय-लाइनो का उत्पादन 30,000 था, सन् 1960 में यह बढ कर 78,000 हो गया और इसी अवधि में टेलीफोन-उपकरणो का उत्पादन करीब 50,000 से बढ कर 1,20,000 हो गया। इसके अतिरिक्त सन् 1960-61 में कारखाने में कोई 64 लाख रुपये मूल्य के सचारण के सामान भी तैयार किए गए। फिर भी, तीसरी योजना में देश में टेलीफोन-व्यवस्था के विस्तार का जो लक्ष्य स्थिर किया गया है, उसको देखते हुए कारखाने की क्षमता—विशेषत सचारण-उपकरणो के निर्माण के सन्दर्भ में—अपर्याप्त ही है। तीसरी योजना में भारतीय टेलीफोन-उद्योग के विकास-कार्यक्रमो पर कोई 2 8 करोड रुपये खर्च किए जाएगे। इससे तीसरी योजना के अन्त तक इस उद्योग में प्रतिवर्ष 1,00,000 विनिमय-लाइनें और 1,60,000 टेली-फोन-उपकरण तैयार होने लगेंगे। योजना की अवधि में सचारण-उपकरण तैयार करने की क्षमता काफी बढाने का विचार है।

समुद्रपार-संचार-सेवा

80 जब पहली योजना शुरू हुई थी, तब भारत का जिन देशों में सीधे रेडियो-तार, टेलीफोन और टेलीफोटो-व्यवस्था-द्वारा सम्बन्ध था, उनकी संख्या क्रमश. 7, 2 और 2 थी। पहली दो योजनाओं के अन्तर्गत हाथ में लिए गए विस्तार-कार्यक्रमों के फलस्वरूप इस तरह के देशों की संख्या बढ़ कर क्रमश 23, 23 और 9 हो गई। तीसरी योजना के लक्ष्य प्रत्येक केन्द्र में स्वतन्त्र सचारण-परिपथों की संख्या के रूप में निश्चित किए गए हैं, जो नीचे की तालिका में दिए जा रहे हैं

तालिका-संख्या 15

तीसरी योजना में समुद्रपार-संचार-सेवा-केन्द्रों के लक्ष्य

(संख्या)

केन्द्र	रेडियो-संचारण-परिपथ		टेलीफोन-संचारण-परिपथ	
	1-9-60 को	31-3-66 तक	1-9-60 को	31-3-66 तक
बम्बई	10	12	3	4
कलकत्ता	7	9	2	3
नई दिल्ली	4	9	1	2
मद्रास	1	1	1	1

इस व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने और गति देने के लिए गलतियों को पकड़नेवाली आधुनिक स्वचालित युक्तियों की अधिकाधिक पैमाने पर शुरुआत करने तथा लीज्ड चैनल और टेलेक्स-सर्विस का विकास करने की भी व्यवस्था की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय सचार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए और इस व्यवस्था में विस्तार होने से विदेशी मुद्रा के खर्च में काफी बचत होने की आशा से समुद्रपार-सचार से सम्बद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है।

ऋतु-विज्ञान

81 भारतीय ऋतु-विज्ञान-विभाग विभिन्न उद्देश्यों के लिए मौसम की आवश्यक जानकारी प्रदान करता है—जैसे, नागरिक तथा सैनिक उड्डयन, व्यापारिक और नौसैनिक जहाजरानी, सचार-सेवाओं, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाओं, आदि के लिए। दूसरी योजना के दौरान सौर, नक्षत्रीय और रेडियो-खगोल के क्षेत्र में कोडाइकनाल-वेधशाला की गतिविधियों का विस्तार किया गया। दिल्ली की भूकम्प-वैज्ञानिक वेधशाला एक नई इमारत में ले जाई गई और इसमें पूर्णत नए भूकम्पमापी यन्त्र लगाए गए। पोर्टब्लेयर में भी एक भूकम्प-वैज्ञानिक वेधशाला खोली गई। दूसरी योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए अन्य कार्यक्रमों में से त्रिवेन्द्रम और अन्नमलइनगर में खोली गई दो क्षेत्र-चुम्बकीय वेधशालाओं तथा रेडियो-ऋतु-विज्ञान, मौसम-विज्ञान और कृषि-ऋतु-विज्ञान के विकास और आधुनिकीकरण का उल्लेख किया जा सकता है।

82 तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख वेधशालाओं में उपकरणों के आधुनिकीकरण

के साथ-साथ और प्रगति की जाएगी। आधुनिक विद्युदणु-उपकरणो से लैस 18 और केन्द्र चालू करके राविन रेडियो-सोन्दे केन्द्रों के जाल को अधिक उन्नत करने का विचार है, ताकि देश में जेट विमानों की ऊची उडानो के लिए पूर्व-सूचनाए देने के वास्ते हवा की ऊपरी परतो के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और हवाई अड्डो में तूफानो का पता लगानेवाले रैडार भी लगाए जाएगे। उत्तरी गोलार्द्ध की ऋतु-सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने तथा उसके अध्ययन और प्रसार के लिए नई दिल्ली मे एक उत्तरी गोलार्द्ध-सम्बन्धी एकत्रण तथा विश्लेषण-केन्द्र खोलने का विचार है। कर्मचारियो को रेडियो-ऋतु-विज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण-केन्द्र भी खोला जाएगा। उष्ण देशीय ऋतु-विज्ञान के प्रशिक्षण और उच्च अनुसन्धान के लिए पूना में एक उष्णदेशीय ऋतु-विज्ञान-सस्थान खोला जाएगा। विभाग की मूल उपकरण-सम्बन्धी माग को पूरा करने के लिए 2 करोड रुपये की और निर्माण-कार्य के लिए 1 करोड रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

बेतार-आयोजन और समन्वय

83 बेतार-आयोजन और समन्वय के दो मुख्य काम है। पहला काम है, 'आवृति-प्रबन्धन',—यानी, पहले ही से जो आवृत्तिया (फ्रीक्वेन्सीज) देश की बेतार-सेवा के लिए उपलब्ध है, उनकी रक्षा करना और नए खाली वर्णपटो का पता लगाना जो भारत की तेजी से विकासशील बेतार-व्यवस्था के लिए उपयोग में लाए जा सकते हो। दूसरे काम का मुख्य सम्बन्ध इडियन वायर टेलीग्राफी ऐक्ट और अन्तर्राष्ट्रीय दूर-सचार-अभिसमय और नियमनो के परिचालन और क्रियान्विति से है। तीसरी पचवर्षीय योजना मे जो रकम रखी गई है, वह मानीटरिंग-स्टेशन खोलने तथा वर्तमान मानीटरिंग स्टेशनो का विस्तार करने और उनके लिए साज-सामान खरीदने के लिए है।

प्रसारण

84 गत दस वर्षों में प्रसारण के क्षेत्र मे काफी प्रगति हुई है। पहली पचवर्षीय योजना में हर भाषा-क्षेत्र में कम-से-कम एक प्रसारण-केन्द्र की व्यवस्था अवश्य कर दी गई थी। इस प्रकार, पहली योजना में इनकी कुल सख्या 26 थी। दूसरी योजना के अन्त में इनकी सख्या बढा कर 28 कर दी गई। दूसरी पचवर्षीय योजना में विकास-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि मुख्य रूप से आन्तरिक शार्ट-वेव प्रेषित्रो के द्वारा उपलब्ध सेवाओ का विस्तार, ज्यादा-से-ज्यादा जितने क्षेत्र में किया जा सकता हो, किया जाए और विदेशो के लिए होनेवाले प्रसारणो की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। तीसरी पचवर्षीय योजना में उद्देश्य यह है कि मीडियम-वेव प्रसारण-सेवाओ का विस्तार करके और कार्यक्रमो को पहले रिकार्ड करने के प्रबन्ध मे सुधार करके देश के लिए किए जानेवाले प्रसारणो को अधिक कारगर बनाया जाए। तीसरी पचवर्षीय योजना में विदेशीय प्रसारण-व्यवस्था में और सुधार करने का भी प्रबन्ध किया गया है।

85 तीसरी योजना में प्रसारण-विकास के जो कार्यक्रम शामिल किए गए है, उन पर अनुमानत लगभग 11 करोड रुपये की लागत आएगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विभिन्न योजनाए शामिल की गई है, उनका ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

तालिका-संख्या 16

तीसरी योजना के प्रसारण-कार्यक्रमों का अलग-अलग ब्योरा

योजना	व्यवस्था (लाख रुपये)
दूसरी योजना के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना (मीडियम वेव-सम्बन्धी कार्यक्रमों में से जो-कुछ बच रहा है, वह भी इसमें शामिल है)	442
मीडियम वेव-सेवाओं का विस्तार	148
रिकार्ड करने और पार्श्व-संगीत के उपकरणों की व्यवस्था	91.5
मन्त्रादि को बदलना	40.5
टेलीविज़न-केन्द्र, बम्बई	40
सामुदायिक रेडियो-श्रवण-योजना	40
अन्य योजनाएं, जिनमें कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने और अनुसन्धान, आदि की योजनाएं भी शामिल हैं	94
विदेशों के लिए प्रसारण-सेवाएं	200
योग	1,096

इन प्रस्तावों को तैयार करते समय देशीय प्रसारण-सेवाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय करारों के कारण यह काम जल्दी-से-जल्दी पूरा करना जरूरी हो गया। इसलिए विस्तार-कार्यक्रम दूसरी-योजना में शुरू किया गया और तीसरी योजना में इसे पूरा करने का विचार है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में मीडियम-वेव के 55 और शार्ट-वेव के 2 प्रेषित्र लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य मुख्यत. यह है कि मौजूदा केन्द्रों की परिधि में वे क्षेत्र भी आ जाएं, जहां अब तक कोई व्यवस्था नहीं है और इसके साथ ही शहरी श्रोताओं को सुगम संगीत के कार्यक्रम भी विकल्प के रूप में सुनने को मिल सकें। इसका नतीजा यह होगा कि अभी तो मीडियम-वेव की देशीय प्रसारण-व्यवस्था की परिधि में देश के कुल क्षेत्र का 37 प्रतिशत भाग आता है और कुल आबादी के 55 प्रतिशत लोग आते हैं, पर विस्तार हो जाने पर 61 प्रतिशत क्षेत्र और 74 प्रतिशत आबादी उसकी परिधि में आ जाएगी।

कुछ स्थानों को छोड़ कर और कहीं नए स्टूडियो या स्वतन्त्र कार्यक्रम की व्यवस्था करने का विचार नहीं है, लेकिन वर्तमान केन्द्रों के कार्यक्रमों को टेप पर पहले ही रिकार्ड कर नए प्रेषित्रों पर पुन प्रसारित कर दिया जाया करेगा, जो एक तरह से सहायक या गौण प्रसारण के रूप में होगा। इसलिए इन प्रस्तावों में सभी केन्द्रों में टेप-रिकार्ड करने, पार्श्व-संगीत और कार्यक्रमों को फिर से प्रसारित करने के उपकरण उपलब्ध और संस्थापित करने का व्यापक कार्यक्रम शामिल है।

88 आकाशवाणी के कार्यक्रम की प्रमुख बात मीडियम-वेव के विस्तार तथा सम्बद्ध टेप-रिकार्ड-व्यवस्था की योजना होगी, परन्तु साथ ही कार्यक्रम में कुछ अन्य योजनाएं भी शामिल हैं—जैसे, गांवों में सामुदायिक रेडियो-श्रवण की सुविधाओं का विस्तार, बम्बई में एक टेलीविज़न केन्द्र की स्थापना (यह दिल्ली की छोटी सी शैक्षणिक टेलीविज़न-

टुकड़ी के अलावा होगा), इजीनियरी-अनुसन्धान और विदेशी सेवाओ का उन्नयन, आदि। आशा है कि आकाशवाणी के सामुदायिक रेडियो-श्रवण की व्यवस्था के अन्तर्गत तीसरी योजना में 32,000 नए रेडियो-सेट लगाए जा सकेंगे। इनके अलावा, सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत और भी रेडियो-सेट लगाए जाएगे। आकाशवाणी के सामुदायिक रेडियो-श्रवण-कार्यक्रम और सामुदायिक विकास-मन्त्रालय के कार्यक्रम के बीच ताल-मेल पैदा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेशो के लिए प्रसारण-सेवाओ के कार्यक्रम पर अनुमानत 2 करोड रुपये खर्च होगे और इसमें इन सेवाओ को सुदृढ बनाने के लिए पाच और शार्ट-वेव प्रेपित्र लगाने की व्यवस्था की गई है।

अध्याय 29

शिक्षा

शिक्षा और राष्ट्रीय विकास

आर्थिक क्षेत्र में तेजी से विकास करने, टेक्नोलाजी के क्षेत्र में उन्नति करने तथा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धान्त पर आधारित समाज-व्यवस्था की स्थापना के लिए यदि कोई एक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह शिक्षा है। समान नागरिकता के बन्धनो को दृढ करने, लोगों की शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करने और देश के हर क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय साधनो का विकास करने के प्रयत्नो की नीव है, शिक्षा-कार्यक्रम। पिछले दस वर्षो में जो-कुछ काम हुआ है, उससे आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया ने गति पकडी है। फिर भी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत-सारी कमिया है और अगर हमें अपनी उन्नति को स्थायी बनाना है तथा निरन्तर उन्नति करनी है, तो इन कमियो को जल्दी-से-जल्दी दूर करना होगा। शिक्षा के प्रयत्नो को विस्तृत करना और गति देना तथा हर घर को उसकी परिधि में समेटना तीसरी योजना के प्रमुख लक्ष्यो में से एक है। इस तरह, भविष्य में राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अग में शिक्षा सुयोजित विकास का केन्द्रबिन्दु बन जाएगी।

2 तीसरी योजना के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में—तकनीकी शिक्षा की बात यहा नही की जा रही—सबसे ज्यादा जोर इन बातो पर दिया जाएगा 6 से 11 वय-वर्ग के सभी बच्चो की शिक्षा के लिए सुविधाए देना, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का विस्तार करना और उसमें सुधार लाना, सभी स्तरो पर व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का विकास करना, शिक्षा के हर स्तर के अध्यापको के लिए प्रशिक्षण-सुविधाओ का विस्तार और सुधार करना तथा वजीफे, छात्रवृत्तिया और दूसरी तरह की अधिकाधिक सहायता देना। लडकियो की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और लडकियो तथा लडको की शिक्षा के विकास के स्तरो में आज जो विषमता है, उसे काफी हद तक दूर कर दिया जाएगा। सभी प्राथमिक विद्यालयो को 'बुनियादी' ढाचे में ढाला जाएगा, विश्वविद्यालय-शिक्षा को तीन-वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम के अनुरूप व्यवस्थित करने का काम पूरा किया जाएगा, एव स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और शोध-कार्य की सुविधाओ को बढाया जाएगा तथा उनमें सुधार किए जाएगे। शिक्षा के हर स्तर पर लक्ष्य यह होना चाहिए कि विद्यार्थियो में कुशलता, ज्ञान और रचनात्मक दृष्टिकोण जागे—एक ऐसी राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो, जो प्रदेश, जाति और भाषा-विषयक विवादो से ऊपर रहे और समान हितो तथा दायित्वो की समझ पैदा हो।

उपलब्धियां और लक्ष्य

3 सन् 1951-61 के दस वर्षो में विद्यार्थियो की सख्या 2 करोड 35 लाख से बढ कर 4 करोड 35 लाख हो गई है। 6–11 वय वर्ग के विद्यार्थियो की सख्या में 79 प्रतिशत की, 11–14 वय-वर्ग के विद्यार्थियो में 102 प्रतिशत की और 14–17 वय-वर्ग के विद्यार्थियो में 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विद्यालय जानेवाले इन वय-वर्गो के बच्चो का अनुपात

बढ कर क्रमश 43 से 61, 13 से 23 और 5 से 12 प्रतिशत हो गया है। तीसरी योजना के दौरान विद्यालयो के छात्रो की कुल सख्या में 2 करोड 4 लाख की वृद्धि होने की आशा है— 6–11 वय-वर्ग में 1 करोड 53 लाख, 11–14 वय-वर्ग में 35 लाख और 14–17 वय-वर्ग में 16 लाख। नीचे की तालिका में पिछली दो योजनाओ की प्रगति और तीसरी योजना मे सम्भावित वृद्धि दिखाई गई है

तालिका-संख्या 1

विद्यालय जानेवाले बच्चो की संख्या

(आकडे लाख में दिए गए है)

स्तर और वय-वर्ग	1950-51	1955-56	(सम्भावित उपलब्धि) 1960-61	(लक्ष्य) 1965-66
प्राथमिक (6–11)				
भरती	191 5	251 7	343 4	496 4
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात	42 6	52 9	61 1	76 4
माध्यमिक (11–14)				
भरती	31 2	42 9	62 9	97 5
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात	12 7	16 5	22 8	28 6
उच्चतर माध्यमिक (14–17)				
भरती	12 2	18 8	29 1	45 6
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात	5 3	7 8	11 5	15 6
योग (6–17)				
भरती	234 9	313 4	435 4	639 5
वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात	25 4	32 1	39 9	50.1

4 पहली दो योजनाओ के दौरान विद्यालयो की सख्या में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी उनकी सख्या 2,30,555 से बढ कर 3,98,200 हो गई। अलग-अलग हिसाब लगाए तो प्राथमिक विद्यालयो की सख्या में 63 प्रतिशत की, माध्यमिक विद्यालयो की सख्या में 191 प्रतिशत की और उच्च विद्यालयो की सख्या में 128 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रारम्भिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की झलक जूनियर बुनियादी विद्यालयो और सीनियर बुनियादी विद्यालयो के बढे हुए अनुपात में मिलती है। जूनियर बुनियादी विद्यालयो का अनुपात 16 से बढ कर 29 प्रतिशत और सीनियर बुनियादी विद्यालयो का अनुपात 3 से बढ कर 30 प्रतिशत हो गया है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को फिर से व्यवस्थित करने के सिलसिले में मुख्य रूप से ये काम हुए है उच्च विद्यालयो को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो में बदला गया है, ऐसे बहूद्देश्यीय विद्यालयो की स्थापना की गई है, जिनमें पाठ्यक्रमो की विविधता है, और सामान्य विज्ञान के तथा वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान के शिक्षण के लिए सुविधाओ का विस्तार किया गया है। सन् 1957-59 में जो अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण हुआ, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि शिक्षा-सस्थाओ के वितरण में अनेक त्रुटिया है। फलत देश-भर का हिसाब लगा कर देखें, तो सन् 1957 में करीब 29

प्रतिशत गावो के लिए और गावो की लगभग 17 प्रतिशत आबादी के लिए विद्यालयों की कोई व्यवस्था न थी। कुछ राज्यो में तो ये अनुपात और भी अधिक थे।

पहली दो योजनाओं की अवधि में नए विद्यालय स्थापित करने के क्रम में, प्राथमिक विद्यालयो की अपेक्षा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के मामले में अधिक प्रगति हुई। तीसरी योजना के दौरान जब 6—11 वय-वर्ग के सभी बच्चो के लिए शिक्षा-सुविधाओ की व्यवस्था हो जाएगी, तब यह प्रवृत्ति काफी हद तक सुधर जाएगी। इस योजना में 73,000 नए प्राथमिक विद्यालय, 18,100 नए माध्यमिक विद्यालय और 5,200 उच्च विद्यालय खोलने का विचार किया गया है। इस तरह, देश में विद्यालयो की कुल सख्या लगभग 4,94,500 हो जाएगी, यानी लगभग 24 प्रतिशत बढ जाएगी। नीचे की तालिका में दिखाया गया है कि पहली दोनो योजनाओ में नए विद्यालय खोलने की दिशा में कितनी प्रगति हुई और तीसरी योजना का क्या कार्यक्रम है

तालिका-संख्या 2

विद्यालयों की संख्या

शीर्षक	1950-51	1955-56	(सम्भावित उपलब्धि) 1960-61	(लक्ष्य) 1965-66
प्राथमिक विद्यालय (जूनियर बुनियादी विद्यालय-समेत)	2,09,671	2,78,135	3,42,000	4,15,000
जूनियर बुनियादी विद्यालय	33,379	42,971	1,00,000	1,53,000
माध्यमिक विद्यालय (सीनियर बुनियादी विद्यालय-समेत)	13,596	21,730	39,600	57,700
सीनियर बुनियादी विद्यालय	351	4,842	11,940	16,700
उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	7,288	10,838	16,600	21,800
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	47	503	3,121	6,390
बहूद्देश्यीय विद्यालय	—	255	2,115	2,446
माध्यमिक विद्यालय, जिनमें वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान पढाया जाता है	—	—	4,625	9,579

5 सन् 1951-61 के 10 वर्षों में प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात प्राथमिक विद्यालयो में 59 से बढ कर 65, माध्यमिक विद्यालयो में 53 से बढ कर 65 और उच्च विद्यालयो में 54 से बढ कर 68 प्रतिशत हो गया है। इन आकड़ो से पता चलता है कि प्रशिक्षित शिक्षको की व्यवस्था करने के क्षेत्र में उचित पैमाने पर, प्रगति नही हुई। तीसरी योजना में इस सम्बन्ध में सघन ढग से काम किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आशा की जाती है कि हर श्रेणी के प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात बढकर 75 प्रतिशत हो जाएगा। प्रशिक्षण-सस्थाओं और प्रशिक्षित शिक्षको की सख्या में वृद्धि का विवरण अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है।

तालिका-संख्या 3

प्रशिक्षित शिक्षक और प्रशिक्षण-संस्थाएं

शीर्षक	1950-51	1955-56	(सम्भावित उपलब्धि) 1960-61	(लक्ष्य) 1965-66
प्रशिक्षण संस्थाएं :				
प्रशिक्षण-विद्यालय	782	930	1,307	1,421
प्रशिक्षण-कालेज	53	107	236	312
शिक्षक				
प्राथमिक विद्यालय				
कुल शिक्षक	5,37,918	6,91,249	9,10,000	12,66,000
प्रशिक्षित शिक्षक	3,16,124	4,23,192	5,91,500	9,49,500
प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत अनुपात	58.8	61 2	65	75
माध्यमिक विद्यालय				
कुल शिक्षक	85,496	1,48,394	2,30,000	3,60,000
प्रशिक्षित शिक्षक	45,569	86,810	1,49,500	2,70,000
प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत अनुपात	53 3	58 5	65	75
उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय				
कुल शिक्षक	1,26,504	1,89,794	2,29,000	2,90,000
प्रशिक्षित शिक्षक	68,059	1,13,307	1,55,720	2,17,500
प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत अनुपात	53.8	59.7	68	75

विचार यह है कि राज्यों ने इस समय प्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें अस्थायी समझा जाए और उनमें वृद्धि करने की भरसक कोशिश की जाए।

6 विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इस विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों में भरती होनेवाले छात्रों की कुल संख्या सन् 1950-51 में 3,60,000 थी, जो सन् 1955-56 में बढ़ कर 6,34,000 और सन् 1960-61 में लगभग 9,00,000 हो गई। दूसरी योजना की अवधि में देश-भर में विज्ञान पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या 33 प्रतिशत से बढ़ कर लगभग 36 प्रतिशत हो गई। कुछ राज्यों में प्रगति काफी अच्छी हुई, पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जो अभी इस दृष्टि से काफी पीछे हैं। तीसरी योजना में यह तय किया गया है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर लगभग 4 00 000 विद्यार्थियों की जो वृद्धि हो, उसमें से लगभग 60 प्रतिशत विज्ञान की कक्षाओं में होनी चाहिए। इस तरह विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेनेवाले छात्रों का अनुपात बढ़ कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। पहली दोनों योजनाओं में विश्वविद्यालय-स्तर पर [illegible] विज्ञान और वाणिज्य में

शिक्षा में जो प्रगति हुई, उसका विवरण तथा तीसरी योजना के प्रस्तावित लक्ष्य नीचे की तालिका में दिए गए हैं

तालिका-संख्या 4

छात्रों की भरती और शिक्षण-संस्थाएं

(संख्याएं हज़ार में)

शीर्षक	1950-51	1955-56	(सम्भावित उपलब्धि) 1960-61	(लक्ष्य) 1965-66
विश्वविद्यालय-स्तर, वय-वर्ग 17–23				
भरती	360	634	900	1,300
वय-वर्ग का प्रतिशत	0 9	1 5	1 8	2 4
विज्ञान की कक्षाओं में भरती	140	210	323	553
कुल भरती के सन्दर्भ में विज्ञान की कक्षाओं में भरती का प्रतिशत अनुपात	38 1	33	35 8	42 5
संस्थाएं				
कला, विज्ञान और वाणिज्य के कालेज (संख्या)	542	772	1,050	1,400
विश्वविद्यालय (संख्या)	27	32	46	58

व्यय

7 शिक्षा पर पहली योजना में कुल मिला कर 153 करोड़ रु० और दूसरी योजना में 256 करोड़ रु० खर्च हुए। इसमें इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की शिक्षा पर होनेवाला खर्च भी शामिल है। तीसरी योजना में जो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उन पर कुल मिला-कर 560 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों से—जिनका विवरण अगले अध्याय में दिया गया है—भिन्न कार्यक्रमों पर पहली योजना में 133 करोड़ रु० और दूसरी योजना में 208 करोड़ रु० खर्च किए गए जब कि तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों पर 418 करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है। इसमें से 10 करोड़ रु० सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे।

अगली तालिका में पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं के अधीन सामान्य शिक्षा के कार्यक्रमों पर व्यय किस प्रकार हुआ है और होगा, इसका ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-संख्या 5

व्यय का विवरण

उपशीर्षक	धन-राशि (करोड रु०)			प्रतिशत अनुपात		
	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
प्रारम्भिक शिक्षा	85	87	209	63.9	41.9	50
माध्यमिक शिक्षा	20	48	88	15.1	23.1	21.1
विश्वविद्यालय-शिक्षा	14	45	82	10.5	21.6	19.[illegible]
अन्य कार्यक्रम						
सामाजिक शिक्षा	—	4	[illegible]	—	1.9	1.4
शारीरिक शिक्षा और युवा-कल्याण	14	10	12	10.5	4.8	2.9
अन्य	—	10	11	—	4.8	2.6
योग	133	204	408	100	98.1	97.6
सास्कृतिक कार्यक्रम	*	4	10	—	1.9	2.4
सर्वयोग	133	208	418	100	100	100

'शिक्षा' की मदद में जितनी धन-राशि का प्रबन्ध किया गया है, उसके अतिरिक्त 37 करोड रु० की व्यवस्था सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 42 करोड रु० की व्यवस्था पिछडी जातियो के कल्याण-कार्यक्रम के अन्तर्गत होने की आशा है। इस तरह तीसरी योजना में कुल मिला कर सामान्य शिक्षा के लिए 497 करोड रु० की व्यवस्था हो जाएगी, जब कि दूसरी योजना में कुल 250 करोड रु० की ही व्यवस्था की गई थी।

8 दूसरे क्षेत्रो की भाति शिक्षा के क्षेत्र मे भी हर योजना मे जो व्यवस्थाए की जाती है, वे उन साधनो के अलावा है, जो पिछली योजना के अन्त तक स्थापित की गई सस्थाओ को चलाने के लिए उपलब्ध करने होते है, गैर-सरकारी सूत्रो से जो मदद मिलती है, उसमे भी इनका कोई ताल्लुक नही है। अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि मे शिक्षा-सस्थाओ के सचालन के लिए कुल मिला कर लगभग 700 करोड रु० खर्च करने होंगे जब कि दूसरी योजना में कुल 375 करोड रु० ही खर्च हुए थे। गैर-सरकारी क्षेत्रो के योगदान का ठीक-ठीक सही आकना मुश्किल है। पिछले दस वर्षो मे यह योगदान 50 करोड रु० से आसपास से बढ कर करीब 90 करोड रु० प्रति वर्ष हो गया है। तीसरी योजना के दौरान चूकि प्रारम्भिक शिक्षा की जिम्मेदारी पचायतो और पचायत-समितियो पर डाल दी गई है तथा नगर-निगमों और नगर-पालिकाओ-द्वारा अधिक प्रयत्न किए जा रहे है, इसलिए आशा है कि गैर-सरकारी क्षेत्रो का योगदान बढ कर 120-130 करोड रु० प्रति वर्ष हो जाएगा।

* पहली योजना में सास्कृतिक कार्यक्रमो पर होनेवाला व्यय 'अन्य कार्यक्रम' के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया था।

पूर्व-विद्यालय-शिक्षा

9 पूर्व-विद्यालय-शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर बराबर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। अब तक इस दिशा में जो प्रगति हुई है, वह मुख्यतः स्वैच्छिक संस्थाओं के काम और कुल बालवाडियों की स्थापना पर निर्भर रही है। पूर्व-विद्यालय-कक्षाओं में भरती होनेवाले बच्चों की संख्या सन् 1950-51 में 28,000 थी, जो सन् 1955-56 में बढ़ कर 75,000 हो गई। अनुमान है कि अब यह संख्या लगभग 3,00,000 है। इस समय लगभग 5,000 बालवाड़ियां हैं। इनमें से प्राय 2,500 को केन्द्रीय और राज्य-समाज-कल्याण-मडलों-द्वारा सहायता दी जाती है। मौजूदा बालवाडियों में सुधार करने की जरूरत है और उनके लिए प्रशिक्षित बाल-सेविकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी योजना में बाल-सेविकाओं के लिए 6 प्रशिक्षण-केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है। सामुदायिक विकास तथा समाज-कल्याण-कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो साधन उपलब्ध हैं, उनके अतिरिक्त शिक्षा के कार्यक्रम में बाल-कल्याण और इससे सम्बद्ध योजनाओं के लिए केन्द्र में 3 करोड रु० की और राज्यों में लगभग 1 करोड रु० की रकमें नियत की गई हैं। शिक्षा-मन्त्रालय अब बाल-कल्याण की जो योजनाएं तैयार कर रहा है, उनमें ये बातें शामिल हैं मौजूदा बालवाडियों का सुधार, नई बालवाडियों की स्थापना, बाल-सेविकाओं के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम का विस्तार और बाल-कल्याण की कई प्रायोगिक परियोजनाएं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यों की समन्वित ढंग से व्यवस्था की जाएगी। सामुदायिक विकास-खडों तथा कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं में स्त्रियों और बच्चों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, उनमें बच्चों की योजनाओं का—खास तौर से बालवाडियों की स्थापना का—महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा

10 संविधान में 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। यह काम बहुत बडा है, इस बात को ध्यान में रख कर दूसरी योजना के शुरू में तय किया गया था कि इस दिशा में पहले कदम के तौर पर 6–11 वय-वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। यह तीसरी योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। इसके बाद चौथी और पांचवीं योजनाओं में वय-वर्ग 11–14 के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का और विस्तार किया जाएगा। 6–11 वय-वर्ग के सभी बच्चों के लिए तीसरी योजना की अवधि में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करने के मार्ग में मुख्य समस्याएं निम्नलिखित कारणों से पैदा होती हैं

(अ) लडकियों को काफी संख्या में विद्यालयों में लाने में कठिनाई,

(आ) शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इलाकों और आबादी के कुछ खास वर्गों का बेहद पिछडा होना, और

(इ) परिवार की आय बढाने के योग्य होने ही मां-बाप-द्वारा बच्चों के विद्यालयों से उठा लिए जाने के कारण होनेवाली 'क्षति'। इसका नतीजा यह होता है कि आधे से अधिक बच्चे चौथी श्रेणी तक भी नहीं पहुंच पाते और इस तरह स्थायी साक्षरता नहीं प्राप्त कर पाते।

11 विद्यालय जानेवाले लडको और लडकियो के अनुपात में अब भी बहुत बडा अन्तर है। सन् 1960-61 में, लगभग 80.5 प्रतिशत लडके विद्यालय जा रहे थे, जब कि लडकियो का अनुपात सिर्फ 40.4 प्रतिशत था। जिन राज्यो में पढनेवाली लडकियो का अनुपात पूरे देश की औसत से बहुत कम है, उनके नाम ये है— राजस्थान (15 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (20 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (21 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (19 प्रतिशत), बिहार (27 प्रतिशत), उडीसा (24 प्रतिशत), और पजाब (36 प्रतिशत)। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक-स्तरो पर लडकियो की शिक्षा की उन्नति करने के लिए क्या खास उपाय किए जाने चाहिए, इस सम्बन्ध मे राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद् ने बडी सावधानी से विचार किया है और कई सिफारिशें की है। इनमें ये बातें शामिल है— शिक्षिकाओ के लिए क्वार्टरो का इन्तज़ाम हो, ग्रामीण क्षेत्रो मे काम करनेवाली शिक्षिकाओ को विशेष भत्ता दिया जाए, वयस्क स्त्रियो के लिए थोडे समय के पाठ्यक्रमो की व्यवस्था की जाए, ताकि शिक्षिकाए अधिक सख्या में मिल सके, प्रशिक्षणाधीन अध्यापिकाओ को वजीफे दिए जाए, उपस्थिति-पुरस्कार और छात्रवृत्तिया दी जाए, सहशिक्षा-सस्थाओ में 'स्कूल-मदर' नियुक्त की जाए तथा अन्य सुविधाओ की व्यवस्था की जाए। कुछ हद तक इसी तरह के प्रस्ताव राज्यो की योजनाओ मे शामिल किए जा चुके है। सुझाव यह है कि इन योजनाओ में जो व्यवस्थाए की गई है, उन पर जल्दी पुनर्विचार किया जाए और योजना के दूसरे वर्ष से विशेषत उन सुविधाओ के विस्तार के लिए और कदम उठाए जाए, जिनसे शिक्षिकाए अधिक सख्या में उपलब्ध हो सके और उन्हे ग्रामीण इलाको में काम करने के लिए आकर्षित किया जा सके।

12 पिछडे क्षेत्रो में शिक्षा-सुविधाओ की व्यवस्था करने की समस्या का एक अग यह है कि सस्थाए ऐसी जगह स्थित हो कि प्राय हर बच्चा घर से विद्यालय तक का रास्ता आराम से पैदल तय कर सके। पहले जिस शिक्षा-सर्वेक्षण के निष्कर्षों की चर्चा की गई है, उनसे राज्यो को इस पहलू को ध्यान में रख कर नए विद्यालयो की योजना बनाने और उनकी अव स्थिति तय करने मे सहायता मिलेगी। जहा बस्तिया बिखरी-बिखरी हो—जैसे, पहाडी इलाको मे— वहा कुछ खास कठिनाइया स्पष्ट ही सामने आती है। ऐसी जगहो पर कुछ अतिरिक्त सुविधाए देना आवश्यक होगा, भले ही कुछ अधिक खर्च करना पडे।

13 मा-बाप की गरीबी के अलावा जिन परिस्थितियो के कारण 'क्षति' होती है, वे ये है समुचित योग्यता-प्राप्त और प्रशिक्षित शिक्षको का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और मा-बाप-द्वारा शिक्षा के मूल्य का ठीक-ठीक न समझा जाना। इस 'क्षति' से एक और चीज का निकट सम्बन्ध है, वह है जडता। इसके कारण बच्चे एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा मे रह जाते है। इस 'क्षति' और 'जडता' को घटाने के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए शिक्षा को अनिवार्य बनाना, प्रशिक्षित और योग्यता-प्राप्त शिक्षको की नियुक्ति करना, पढाने के तरीके सुधारना, मा-बाप को इस बात का और अधिक अनुभव कराना कि उनके लिए अपने बच्चो को विद्यालय में रहने देना वाछनीय है, विद्यालयो में छुट्टिया फसलो की बुआई और कटाई के मौसम मे करना।

14 6–11 तक के वय-वर्ग के सभी बच्चो के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्यक्रम इतने अधिक महत्व का है कि किसी भी राज्य में वित्तीय समस्याओ से उनके

सफल परिचालन के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। किन्तु इनके अलावा कुछ और परिसीमाएं भी हो सकती हैं, जिन्हें थोड़े अरसे में पार कर सकना कठिन हो— उदाहरण के लिए आबादी के अपेक्षाकृत अधिक गरीब या पिछड़े हुए वर्गों पर अथवा कम उन्नत क्षेत्रों पर शिक्षा-आन्दोलन का असर पड़ने की मात्रा, सभी माता-पिताओं को अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने के लिए सहमत करने में लगनेवाला समय, स्थानीय लोगों-द्वारा शिक्षा-आन्दोलन को सफल बनाने में किया जानेवाला योगदान और उनकी उत्सुकता, शिक्षा-अधिकारियों की काफी संख्या में ऐसे शिक्षकों और शिक्षिकाओं की प्राप्ति, जो अपने कार्य-क्षेत्र के लोगों के बीच घुलमिल जाएं, और अन्त में, प्राथमिक विद्यालयों में काम करनेवाले शिक्षकों के लिए समुचित परिस्थितियां पैदा करने तथा उनमें भविष्य के लिए आशाएं जगाने के हेतु उठाए जानेवाले व्यावहारिक कदम। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक 90 प्रतिशत लड़के और लगभग 62 प्रतिशत लड़कियां विद्यालय जाने लगेंगी। इनमें 6–11 वय-वर्ग का प्रतिशत अनुपात कुल मिलाकर 76 होगा। जैसा कि नीचे की तालिका में स्पष्ट है, तीसरी योजना के दौरान लगभग 1 करोड़ 53 लाख और बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देंगे, जिनमें से लगभग 86 लाख लड़कियां होंगी।

तालिका-संख्या 6

6-11 वय-वर्ग के विद्यार्थी

वर्ष	पहली से पांचवीं कक्षाओं तक भरती (लाख)			6-11 वय-वर्ग की कुल संख्या का प्रतिशत अनुपात		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950-51	137 7	53 8	191 5	59 8	24 6	42 6
1955-56	175 3	76 4	251 7	70 3	32 4	52 9
1960-61	233 8	109 6	343 4	80 5	40 4	61 1
1965-66	301 2	195 2	496 4	90 4	61 6	76 4

विभिन्न राज्यों के विकास-स्तरों का अन्तर कुछ हद तक तो कम होगा, फिर भी काफी बना रहेगा। इस अध्याय के अनुबन्ध 1 में दिए गए विभिन्न राज्यों के लक्ष्यों को देखने पर यह अन्तर स्पष्ट हो जाएगा।

का अनुपात 17 प्रतिशत से भी कम रहेगा। नीचे की तालिका मे पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओ में छठी से आठवी कक्षा तक लडको और लडकियो की भरती का विवरण दिया जा रहा है

तालिका-संख्या 7

11-14 वय-वर्ग के विद्यार्थी

वर्ष	छठी से आठवीं कक्षा तक भरती (लाख)			11-14 वय-वर्ग की कुल आबादी का प्रतिशत अनुपात		
	लड़के	लड़किया	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950-51	25 9	5 3	31 [illegible]	20 7	4 5	12 7
1955-56	34 2	8 7	42 9	25 5	6 9	16 5
1960-61	48 2	14 7	62 9	34 3	10 8	22 8
1965-66	70	27 5	97 5	39 9	16 5	28 [illegible]

16 6–11 वय-वर्ग के बच्चो में शिक्षा-सुविधाओ के प्रसार के सिलसिले मे जो मुख्य समस्याए विद्यमान है, वही कुछ गम्भीर रूप मे 11–14 वय-वर्ग के बच्चो के सन्दर्भ में भी सामने आती है—खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रो मे।

विभिन्न राज्यो के विकास के स्तरो मे बहुत अन्तर है, यह बात इस अध्याय के अनुबन्ध 2 को देखने से स्पष्ट हो जाएगी। पिछडे हुए क्षेत्रो मे तथा बिखरी हुई बस्तियो के लिए विद्यालय की सुविधाए उपलब्ध करने मे प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो कठिनाइया है, उनसे कही अधिक माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सामने आती है।

अधिक पिछडे हुए क्षेत्रो मे तथा आबादी के अधिक पिछडे हुए वर्गों मे, माध्यमिक स्तर की शिक्षा का विकास तेजी से तभी हो सकता है, जब प्राथमिक स्तर पर नींव पक्की हो गई हो। अत तीसरी योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रो में उक्त वय-वर्गो के लिए प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होगा।

दिन-भर मे कुछ थोडा-सा वक्त अलग करने या सामान्य कक्षाओ के साथ ही कुछ अन्य कक्षाओ की व्यवस्था करके उचित काम-धन्धो के प्रशिक्षण की सुविधाए देने के सवाल पर इस समय विचार किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयो, बुनियादी विद्यालयो, जूनियर तकनीकी विद्यालयो तथा दूसरे केन्द्रो में इस प्रकार के पाठ्यक्रमो की व्यवस्था करना और उसका उत्तरोत्तर विस्तार करते जाना सम्भव हो सकता है। 11–14 वय-वर्ग के बच्चो के लिए पूर्णकालीन आधार पर इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी जाच की जानी चाहिए।

लडकियो के लिए शिक्षा-सुविधाओ का विस्तार करने के हेतु प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में पहले जो दिशा-निर्देश दिया गया है, उसी के अनुरूप राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद् की विभिन्न सिफारिशो पर विचार किया जाना चाहिए।

17 व्यावहारिक और प्रशासकीय कारणो से संविधान में उल्लिखित 6 से 14 वय-वर्ग के बच्चो के लिए शिक्षा-कार्यक्रम को दो अवस्थाओ मे बाट दिया गया है—पहला अवस्थान

6 से 11 वर्ष तक के लिए और दूसरा अवस्थान 11 से 14 वर्ष तक के लिए। यदि इन पूरे वय-वर्ग पर एक साथ विचार करें, तो नीचे की तालिका से यह स्पष्ट होगा कि पिछले दस वर्षों में विद्यालय जानेवाले बच्चों की संख्या 2 करोड़ 23 लाख से बढ़ कर 4 करोड़ 6 लाख हो गई है, जब कि इस वय-वर्ग में कुल आबादी का अनुपात लगभग 32 से बढ़ कर 49 प्रतिशत हो गया है। इसमें लड़कों का अनुपात 46 से बढ़ कर 65 प्रतिशत हुआ है और लड़कियों का 18 से बढ़ कर 31 प्रतिशत।

तालिका-संख्या 8

6-14 वय-वर्ग के विद्यार्थी

वर्ष	1 से 8 कक्षा तक भरती (लाख)			6 से 14 वय-वर्ग की कुल आबादी का प्रतिशत अनुपात		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950-51	163 6	59 1	222 7	45 9	17 5	32 1
1955-56	209 5	85.1	294 6	54 6	23 5	40
1960-61	282	124 3	406 3	65 4	30 6	48 5
1965-66	371 2	222 7	593 9	73	46 1	59 5

तीसरी योजना में यह अनुमान लगा कर चला गया है कि 6–14 वय-वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग उसी गति से बढ़ेगी, जिस गति से पिछले दस वर्षों में बढ़ी है। लड़कियों का अनुपात इस वय-वर्ग में बढ़ कर लगभग 46 प्रतिशत हो जाएगा और लड़कों का करीब 73 प्रतिशत। कुल मिलाकर अनुपात लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगा। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि चौथी और पांचवीं योजनाओं की अवधि में कितना अधिक काम करना होगा।

बुनियादी शिक्षा

18 विद्यालय-शिक्षा को बुनियादी स्वरूप देना पहली योजना के आरम्भ से ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। तीसरी योजना में यह विचार किया गया है कि लगभग 57,760 विद्यालय बुनियादी विद्यालयों में बदल दिए जाएं, बाकी विद्यालयों को बुनियादी ढांचे में ढाल लिया जाए, सभी प्रशिक्षण-संस्थाओं को बुनियादी पद्धति के अनुकूल बनाया जाए, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी स्कूलों की स्थापना की जाए और बुनियादी शिक्षा को प्रत्येक स्थानीय समुदाय की विकास-सम्बन्धी गतिविधियों से समन्वित कर दिया जाए।

19 पूर्ण विकसित बुनियादी विद्यालयों की दिशा में प्रगति अनिवार्यतः काफी समय लेगी, क्योंकि इस कार्यक्रम की परिधि में आनेवाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत है और मौजूदा शिक्षकों में से अधिकतर ऐसे हैं, जिन्हें बुनियादी शिक्षा-पद्धति का प्रशिक्षण मिलना बाकी है। मौजूदा विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों में बदलने की तैयारी के तौर पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन्हें बुनियादी पद्धति के अनुकूल ढालने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि सभी बुनियादी और गैर-बुनियादी विद्यालय में पाठ्यक्रम एक-सा हो जाए, आसान शिल्पों की शिक्षा दी

जाने लगे और समाज-सेवा, सामुदायिक जीवन-यापन, सांस्कृतिक और मनोरंजन-कार्यक्रम, आदि शुरू किए जाए, जिनमे न तो ज्यादा खर्च हो और न बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह प्रशिक्षित शिक्षको की आवश्यकता ही पडे। विद्यालयो को इस नई पद्धति के अनुकूल ढालने की प्रक्रिया तीसरी योजना के शुरू के दौर में ही पूरी करने के ख्याल से यह विचार किया गया है कि इस काम के लिए आवश्यक सरल उपकरण विद्यालयों को दिए जाए और जिन अध्यापको को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण नही मिला, उनके लिए सक्षिप्त विषयज्ञान-पाठ्यक्रमो की व्यवस्था की जाए।

बुनियादी और अन्य विद्यालयो के लिए प्रशिक्षित शिक्षक

20 बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए जो उपाय किए जा रहे है, उनमे शायद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बुनियादी विद्यालयो के शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए अधिक सुविधाए प्रदान की जाए और मौजूदा प्रशिक्षण-केन्द्रो को बुनियादी पद्धति के अनुरूप पुनर्सगठित किया जाए। दूसरी योजना के अन्त मे, 1,307 सस्थाओ में प्रारम्भिक विद्यालय-शिक्षको को प्रशिक्षण मिल रहा था। इन सस्थाओ में से लगभग 70 प्रतिशत बुनियादी पद्धति के अनुसार ढाली जा चुकी है। तीसरी योजना के अन्त तक प्रशिक्षण-सस्थाओ की सख्या बढ कर 1,424 हो जाएगी और ये सभी बुनियादी पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण देंगी। इनमें लगभग 2 लाख शिक्षको को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि सन् 1960-61 में 1,35,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था। जिन शिक्षको को बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण नही मिला है, उनके लिए बुनियादी शिक्षा के सरल पहलुओ के प्रशिक्षण के अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी।

अधिकतर राज्यो में प्रारम्भिक विद्यालय-शिक्षको की प्रशिक्षण-अवधि बढा कर दो साल कर देने का विचार है, ताकि पाठ्यक्रम और पद्धतियो, दोनो की ही दृष्टि से ज्यादा पुख्ता काम हो सके। आसपास के विद्यालयो में पढाई का स्तर ऊचा करने के ख्याल से कई प्रशिक्षण-विद्यालयो में विस्तार-विभाग स्थापित किए जाएगे। दूसरी योजना के अन्तिम दौर में 276 नई प्रशिक्षण-सस्थाओ की स्थापना की गई, ताकि तीसरी योजना में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए तैयारिया की जा सकें। राज्यों के कार्यक्रमो में इन और अन्य सस्थाओ के लिए साज-सामान, भवन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थ की गई है।

बुनियादी शिक्षा के प्रसार को सीमित रखनेवाला एक कारण यह है कि अधिकतर उसे देहाती क्षेत्रो में बाध कर रखा गया है। अत विचार है कि नगरो में प्रयोग के तौर पर कुछ बुनियादी विद्यालय खोले जाए, ताकि नगरों में बुनियादी विद्यालयो की समस्याओ को भलीभाति समझा जा सके और प्रशिक्षण-कालेजो के सहयोग से उनके लिए समाधान खोजे जा सके।

सामुदायिक प्रयत्न

21 कुछ कार्यक्रमो के लिए यह आवश्यक है कि राज्यो की योजनाओ में जो व्यवस्था की गई हो, उसकी परिपूर्ति स्थानीय सामुदायिक प्रयत्न-द्वारा की जाए। मिसाल के तौर पर, ये कार्यक्रम लिए जा सकते हैं भरती-आन्दोलनो का आयोजन, लडकियो को

विद्यालय भेजने के बारे में माता-पिता को समझाना-बुझाना, विद्यालय-भवनों का निर्माण, विद्यालयों के लिए अतिरिक्त उपकरणों और कुर्सी-मेज, आदि की व्यवस्था तथा गरीब बच्चों के लिए दोपहर के खाने और मुफ्त कपड़े का इन्तजाम। कुछ राज्यों में स्थानीय साधन जुटाने के प्रयत्नों के बड़े उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं और आशा की जाती है कि विभिन्न राज्यों में जैसे-जैसे पंचायती राज-संस्थाओं की स्थापना होती जाएगी, वैसे-वैसे स्थानीय सहायता भी बढ़ती जाएगी।

कई राज्यों ने अपनी योजनाओं में विद्यालय जानेवाले बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है। इस सिलसिले में विशेष रूप से मद्रास, केरल, आन्ध्रप्रदेश, मैसूर और उड़ीसा के नाम लिए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में मद्रास का कार्यक्रम सबसे बड़ा है। वहां इस प्रकार की व्यवस्था से कोई 10 लाख बच्चे लाभ उठा सकेंगे। लगभग इतने ही, यानी 10 लाख बच्चों को पहले ही इस कार्यक्रम से फायदा पहुंच रहा है। इसका लगभग 40 प्रतिशत खर्च स्थानीय समुदाय-द्वारा दिया जाता है। दोपहर के भोजन की व्यवस्था से हर शहरी और ग्रामीण समुदाय को न केवल शिक्षा-प्रयत्न में भाग लेने का विशेष अवसर मिलता है, बल्कि विद्यालयों में पोषण तथा स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाने तथा गरीब विद्यार्थियों की सहायता करने का भी मौका मिलता है। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल यह कार्यक्रम कुछ सीमित-सा है, फिर भी यह विचार है कि राज्य-सरकारें कम-से-कम ऐसी जगहों पर अवश्य इस तरह की व्यवस्था करें, जहां स्थानीय समुदाय अपना हिस्सा जुटाने को तैयार हों।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

22. अर्थव्यवस्था के विकास, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें भर्ती किए गए 14–17 वय-वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि होने से उन मांगों का स्वरूप ही बदल गया है, जिनकी पूर्ति की आशा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से की जाती है। नए-नए समाज-वर्ग शिक्षा पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसके प्रभाव में आ रहे हैं। विस्तार के कारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की योग्यता और रुचियों का क्षेत्र विविधतापूर्ण हो गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संगठन इस ढंग से किया जाना है कि वे विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक वैविध्यपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। आर्थिक जीवन की कई शाखाओं के मध्यवर्ती तथा निम्नवर्ती स्तरों पर —कृषि, ग्राम-विकास, वाणिज्य, उद्योग और व्यवसाय में—जितनी संख्या में प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ेगी उसे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करनेवालों को उचित प्रशिक्षण देकर ही पूरा करना पड़ेगा।

व्यवस्था हो, विज्ञान पढाने की सुविधाए बढाना और उन्हे व्यापक रूप देना, शिक्षा और धन्धो के बारे मे मार्ग-प्रदर्शन की व्यवस्था करना, परीक्षा-पद्धति और उत्तर-पुस्तिकाए जाचने की प्रणाली मे सुधार करना, धन्धो की शिक्षा-सुविधाओ का विस्तार करना, लडकियों और पिछडी जातियो की शिक्षा के लिए अधिक सुविधाए देना और छात्रवृत्तिया, आदि देकर योग्य छात्रो को प्रोत्साहित करना।

23 उपर्युक्त दिशाओ मे पुनर्निर्माण की दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम मे बहुत फेरबदल करनी होगी तथा उसमे नई पद्धतियो और कार्यविधियो का समावेश करना होगा। सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन-जैसे विषय तथा विभिन्न ऐच्छिक पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत नई बातें हैं, जो अब तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल न थी। इन सबके कारण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने-आपको नए तौर पर ढाले। फलत नौकरी मे रहते हुए शिक्षको को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यो के शिक्षा-विभागो और विशेष विस्तार-सेवाओ-द्वारा आयोजित देशव्यापी कार्यक्रम आवश्यक हो गए हैं।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के शिक्षको को नए विषय अच्छी तरह पढाने के योग्य बनाने के लिए अच्छी तरह तैयार करना है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो परिवर्तन हुए हैं, उनको देखते हुए नौकरी से पहले के स्तर पर शिक्षको के शिक्षण-कार्यक्रम को फिर से सगठित करना होगा। विज्ञान की शिक्षा को इस स्तर तक ऊचा उठान है कि उससे राष्ट्र की भावी वैज्ञानिक प्रगति को पूरा-पूरा सहारा मिल सके। बहूद्देश्यी विद्यालयो के कार्य-सचालन में जो भी खामिया देखी गई हैं, उन्हे दूर करना होग और इस योजना को स्थायी आधार प्रदान करना होगा। शिक्षा और काम-धन्धो के क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन के कार्यक्रम को भी विस्तार देना होगा, ताकि अधिक-से-अधिक विद्यालय और विद्यार्थी उससे लाभ उठा सकें। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के पुनर्सगठन के समूचे कार्यक्रम को पक्की नीव पर स्थापित करने के लिए कुछ और कार्रवाइया भी करनी होगी—जैसे, शिल्प-शिक्षा में सुधार, विद्यालय-पुस्तकालयो का सगठन, श्रव्य-दृश्य तकनीको का बेहतर उपयोग, आदि। इसलिए तीसरी योजना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पुनर्सगठन के सभी पहलुओ मे उसका स्तर ऊचा करने और नीव मजबूत करने पर खास जोर दिया जाएगा।

24 भरती · पहली दोनो पचवर्षीय योजनाओ की अवधि में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सख्या 7,288 (1950-51) से बढ कर लगभग 16,600 (1960-61) हो गई। नवी से ग्यारहवी कक्षा तक में भरती होनेवाले बच्चो की सख्या करीब 12 लाख से बढ कर 29 लाख हो गई। हालाकि इस अवधि मे इन कक्षाओ में लडकियो की सख्या 2,00,000 से बढ कर 5,20,000 हो गई, फिर भी उनकी सख्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कुल विद्यार्थियो की सख्या का पाचवा हिस्सा ही रही। जैसा कि अगली तालिका से स्पष्ट है, दूसरी योजना के अन्त मे 14—17 वय-वर्ग की केवल लगभग 4 8 प्रतिशत लडकियो ने उच्च विद्यालय-स्तर की शिक्षा का लाभ उठाया, जब कि लडको का अनुपात 18 4 प्रतिशत के आसपास रहा। इस प्रकार, हम देखते है कि दोनो वर्गो की भरती में बडा भारी अन्तर है और इसका शिक्षिकाओ, नर्सों, ग्राम-सेविकाओ, समाज-सेविकाओ और दूसरे काम करनेवाली स्त्रियो की उपलब्धि-सख्या पर बडा असर पडता

है। तीसरी योजना में विद्यालय जानेवाली लड़कियों की संख्या लगभग दुगुना हो जाएगी परन्तु समग्र वय-वर्ग में उनका अनुपात कम ही रहेगा—कुल लगभग 7 प्रतिशत, जब कि लड़कों का अनुपात 24 प्रतिशत होगा।

तालिका-संख्या 9

14-17 वय-वर्ग के विद्यार्थी

वर्ष	नवीं से ग्यारहवीं कक्षाओं तक भरती (लाख)			14–17 वय-वर्ग की आबादी में प्रतिशत अनुपात		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950-51	10.2	2	12.2	8.7	1.8	5.3
1955-56	15.8	3	18.8	12.8	2.6	7.8
1960-61	23.9	5.2	29.1	18.4	4.2	11.5
1965-66	35.7	9.9	45.6	23.7	6.9	15.6

इस स्तर पर भरती की राज्यवार स्थिति अनुबन्ध 3 में दी गई है।

25 **उच्चतर माध्यमिक विद्यालय :** उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग की एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का रूप दे दिया जाए, ताकि पाठ्यक्रम पहले से अधिक व्यापक हो जाए और विद्यालय-शिक्षा में एक वर्ष का समय बढ़ा कर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए। इसके फलस्वरूप ऐसे बहुत-से विद्यार्थियों के लिए वही शिक्षा का अन्तिम बिन्दु होगा, जिन्हें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा के बाद सीधे जीवन के क्षेत्र में कदम रखना पड़ता है। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न राज्यों में 3,121 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गए। आशा है, तीसरी योजना के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर 6,390 हो जाएगी।

26 **विज्ञान की शिक्षा :** दूसरी योजना में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा के प्रसार और सुधार के काम को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने सिफारिश की थी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हर विद्यार्थी को महत्त्वपूर्ण अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, ताकि अपनी सामान्य शिक्षा के अंग-रूप में वह आवश्यक परिमाण में वैज्ञानिक ज्ञान का भी अर्जन कर ले। उसके अतिरिक्त उन विद्यार्थियों के लिए, जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों, वैकल्पिक विषय के रूप में भी विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था की जानी थी। दूसरी योजना के अन्त तक लगभग सभी विद्यालयों में सामान्य या प्रारम्भिक विज्ञान पढ़ाने का आरम्भ शुरू कर दिया गया और लगभग 4,625 विद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन अभी अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जिनकी प्रयोगशालाओं और साज-सामान तथा उपर्युक्त पाठ्य पुस्तकों और हैंडबुकों से सम्बन्धित

बुनियादी जरूरतें भी पूरी नही हुई हैं। सामान्य विज्ञान पढाने के लिए जिस समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसके लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं। यह भी जरूरी है कि विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियो को सृजनात्मक और मौलिक काम के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो तथा प्रशिक्षण-कालेजो में विज्ञान-क्लबो की स्थापना करके दूसरी योजना के दौरान इस दिशा में प्रयत्न किए गए थे। इस अवधि मे इस प्रकार के लगभग 450 विज्ञान-क्लब खोले गए।

तीसरी योजना मे सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो में अनिवार्य विषय के रूप मे सामान्य विज्ञान पढाने की व्यवस्था तो की ही जाएगी, 21,800 विद्यालयों में से 9,500 से भी अधिक मे वैकल्पिक स्तर पर विज्ञान की पढाई का इन्तजाम किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरा हो जाने पर तीसरी और बाद की योजनाओ मे विश्वविद्यालय-स्तर पर विज्ञान की शिक्षा के विस्तार के लिए अब के मुकाबले में अधिक सुदृढ नीव की स्थापना हो जाएगी। विज्ञान की शिक्षा मे सुधार करने और उसकी नीव पक्की करने के लिए कई और उपाय भी किए जा रहे हैं, जिनसे काफी सहारा मिलेगा। आजकल विभिन्न राज्यो में विज्ञान के जो पाठ्यक्रम चालू हैं, उन पर फिर से विचार किया जाएगा और उनमे यथावश्यक सशोधन किए जाएगे, ताकि शिक्षा के शुरू और बाद के स्तरो पर विज्ञान के जो पाठ्यक्रम नियत है, उनके और इनके बीच सामजस्य स्थापित हो सके। शिक्षको के लिए हैडबुक, विद्यार्थियो के लिए निर्देशिकाए, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तथा विज्ञान की अनुपूरक पाठ्य सामग्री तैयार करने का कार्यक्रम भी शुरु किया जाएगा। विश्वविद्यालय-स्तर पर विज्ञान की शिक्षा की सुविधाए बढा कर तथा मौजूदा विज्ञान-शिक्षको के लिए नौकरी मे रहते हुए विषयवस्तु और प्रक्रिया-प्रविधि के क्षेत्र मे विविध प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके विज्ञान-शिक्षको की मौजूदा कमी को भरसक दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। प्रयोगशाला-सहायको को प्रयोगशाला का सामान सम्हाल कर रखने और सही तरीके से उसे उठाने-धरने का प्रशिक्षण देना भी इस अरसे मे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, वैज्ञानिक उपकरणो में डिजाइनो को मानक रूप देने तथा देश में ही उनका निर्माण शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जाएगे। विज्ञान की पढाई के सारे कार्यक्रम मे तालमेल रखने, उसका मार्गप्रदर्शन करने तथा उसे निर्देशित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए, तीसरी योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय विज्ञान-शिक्षा-सगठन की स्थापना करने का विचार है। वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज की भी एक योजना शुरू की जाएगी, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ही होनहार वैज्ञानिको का पता लगाया जा सके और उनकी प्रतिभा के विकास का अवसर दिया जा सके।

27 *बहूद्देश्यीय विद्यालय :* उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली के मुख्य दोषो में से एक यह था कि उसका स्वरूप एकपक्षीय था। यह जाने बिना कि किसी विद्यार्थी की व्यक्तिगत रुचि और योग्यता किस दिशा में है, सबके लिए एक ही तरह के पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिए जाते थे। अत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने बहुद्देश्यीय विद्यालय खोलने की सिफारिश की, जिनमे पढाई के प्रवाह के साथ-साथ कई व्यावहारिक शिक्षण-क्रमो की भी व्यवस्था होगी। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी के सामने कई तरह के शिक्षण-क्रम रहेंगे और वह अपनी खास रुचि के अनुसार उनमे से किसी को भी चुन सकता है। पहली दो योजनाओ के दौरान 2,115 बहुद्देश्यीय स्कूल खोले गए। इनमें मानविकी (ह्यूमैनिटीज)

और विज्ञान के अतिरिक्त टेक्नोलाजी, कृषि, वाणिज्य, गृह-विज्ञान और ललित कलाओं में भी एक या उससे अधिक व्यावहारिक शिक्षण-क्रमों की व्यवस्था होगी। हालांकि बहुद्देश्यीय विद्यालयों के विचार को तुरन्त ग्रहण कर लिया गया है और इस योजना का विस्तार भी बड़ी तेजी से हुआ है, फिर भी कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं जैसे, ऐसे शिक्षकों की कमी, जो व्यावहारिक विषय पढ़ाने का प्रशिक्षण पा चुके हों, अध्यापन-सामग्रियों की अपर्याप्तता, खास तौर से पाठ्य ग्रन्थों और हैंडबुकों की, वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की सीमित परिधि और शिक्षा तथा व्यावहारिक क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन की सुविधाओं की अपर्याप्तता। इसलिए तीसरी योजना में विचार किया गया है कि जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, उन्हें मजबूत बना कर इस योजना की नींव पक्की करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। विस्तार-कार्यक्रम लगभग 331 नए विद्यालयों तक ही सीमित है। बहुद्देश्यीय विद्यालयों के लिए एक समन्वित शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इस काम के लिए चार प्रादेशिक प्रशिक्षण-कालेज खोले जाएंगे। इन कालेजों में व्यावहारिक और वैज्ञानिक, दोनों विषयों में नौकरी के दौर में और नौकरी से पहले के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षक बहुद्देश्यीय विद्यालयों के लिए तैयार किए जाएंगे। ऐसे अध्ययन-क्रमों की व्यवस्था करने के लिए, जो विभिन्न स्तरों की योग्यतावाले लोगों के लिए उपयुक्त हों, बहुद्देश्यीय विद्यालयों में और अधिक प्रयोगात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इन अध्ययन-क्रमों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के विशेष कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

28 शिक्षा और व्यवसाय के लिए पथ-प्रदर्शन : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सफल संगठन के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन का एक सुयोजित कार्यक्रम तैयार किया जाए, ताकि विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को सबसे उपयुक्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सबसे अधिक सन्तोषजनक व्यवसाय चुनने में सहायता मिल सके। अब तक बहुद्देश्यीय विद्यालयों के काम में इस तरह के पथ-प्रदर्शन के सुयोजित कार्यक्रम का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा रही है। दूसरी योजना के दौरान एक केन्द्रीय शिक्षा एवं व्यवसाय-विषयक पथ-प्रदर्शन-कार्यालय स्थापित किया गया और बारह राज्यों में इस तरह के राज्य-कार्यालय स्थापित किए गए। ये कार्यालय विद्यालयों के लिए व्यवसाय-मास्टर और सलाहकार प्रशिक्षित करने, परीक्षा-पद्धति का निर्माण करने और पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था करने के कार्यक्रम लागू करते रहे हैं। फिर भी, इन कामों का अभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। अत. तीसरी योजना में सब जगह राज्य-कार्यालयों को इस ढंग से संगठित करने का विचार है कि उन्हें इस पथ-प्रदर्शन-कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ाने में सहायता मिले और सम्भव ज्यादा-से-ज्यादा विद्यालयों में व्यवसाय-विषयक सूचना प्रदान करने का एक न्यूनतम स्तर का कार्यक्रम कार्यान्वित हो सके।

29 शिल्प-शिक्षा : उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्संगठित अध्ययन-क्रम में शिल्प को एक केन्द्रवर्ती विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। काफी संख्या में शिल्प-शिक्षक पाने और शिल्प-शिक्षा को सुधारने की समस्या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, दोनों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अत शिक्षा-मन्त्रालय इस समस्या का विशेष अध्ययन कर रहा है और इस अध्ययन के जो निष्कर्ष होंगे, उनका शिल्प और व्यावसायिक-शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित करने में उपयोग किया जाएगा।

30 **विद्यालय-पुस्तकालय :** उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का एक और पहलू है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह पहलू है, विद्यालय-पुस्तकालयों का सगठन। पहली और दूसरी, दोनो योजनाओं मे विद्यालय-पुस्तकालयों को सुधारने के लिए कदम उठाए गए थे, पर इस सिलसिले मे अभी बहुत-कुछ करना बाकी है कि पुस्तकालय-सुविधाओं का और अच्छा उपयोग हो तथा विद्यार्थियों की पढने की आदतें सुधरें। पुस्तकालय-सुविधाओं का उपयोग करना सिखाना कक्षा की पढाई का अभिन्न अग होना चाहिए। तीसरी योजना मे चुने हुए प्रशिक्षण-कालेजो मे सलग्न प्रदर्शन-विद्यालयों मे कुछ आदर्श पुस्तकालय खोलने का विचार है। ये पुस्तकालय सगठन और सचालन के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के साथ-साथ शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्षो के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र का भी काम देंगे। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के वर्तमान सगठन और उसमे अपेक्षित सुधारों का अभी अध्ययन हो रहा है।

31 **उत्तर-बुनियादी विद्यालय :** कुछ राज्यो में बुनियादी से ऊपर के स्तर के विद्यालय खोले गए, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सीनियर बुनियादी विद्यालयो का क्रम जारी रह सके। अभी इस तरह के कोई 66 विद्यालय है। हाल में एक समिति ने इस बात पर विचार किया कि इन विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का आपस में क्या सम्बन्ध होना चाहिए। प्रस्ताव किया गया है कि अध्ययन-क्रम, पढाई, उपकरण, प्रयोग-शाला और शिक्षक-वर्ग, सब की दृष्टि से इनका अपना स्तर ऊचा करने में सहायता दी जाए, ताकि ये उच्चतर माध्यमिक और बहूद्देश्यीय विद्यालयो के स्तर पर आ जाए। जब तक ये कार्रवाइया पूरी नही हो जाती, तब तक इन विद्यालयों की अन्तिम परीक्षा को नौकरी, आदि के मामले मे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियो को दिए जानेवाले प्रमाण-पत्र के समकक्ष समझा जा सकता है।

32 **शिक्षकों का प्रशिक्षण :** प्रशिक्षण-कालेजो की सख्या सन् 1950-51 में 53 थी, जो सन् 1960-61 में बढ कर 236 हो गई। आशा है, तीसरी योजना के दौरान यह सख्या बढ कर 312 हो जाएगी। मौजूदा प्रशिक्षण-कालेजो का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक सख्या में प्रशिक्षित अध्यापक मिल सके। इन उपायो से प्रशिक्षित स्नातक अध्यापको की सख्या अवश्य बढ जाएगी, किन्तु प्रशिक्षण-कालेज-कार्यक्रम को फिर से सगठित करने और दृढतर बनाने के लिए भी कदम उठाने पडेगे, ताकि वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की मौजूदा जरूरतो को पूरा कर सके। इस सिलसिले मे इन बातों पर खास तौर से जोर दिया जाएगा विज्ञान और समाज-अध्ययन के शिक्षको का नौकरी से पहले प्रशिक्षण, मूल्याकन की नई पद्धतियों का समावेश, विविध प्रकार के विशेष विषयों की व्यवस्था—जैसे पथ-प्रदर्शन, श्रव्य-दृश्य शिक्षा—और अनुसन्धान का सगठन।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापको को नौकरी में रहते प्रशिक्षण पाने की सुविधाए देने के ख्याल से दूसरी योजना के दौरान 54 चुने हुए प्रशिक्षण-कालेजो में विस्तार-केन्द्रों की स्थापना की गई। ये केन्द्र अध्यापको के नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण पाने के व्यापक कार्यक्रम पर अमल करते रहे है। कार्यक्रम में ये चीजें शामिल हैं—सगोष्ठिया, कर्मशालाए और सम्मेलन, श्रव्य-दृश्य साधन, पुस्तकालय और पथ-प्रदर्शन-सेवाए तथा प्रकाशन।

हर केन्द्र अपने नियत क्षेत्र में अनेक विद्यालयों के लिए (जिनकी संख्या 100 से 300 तक होती है) विस्तार-सेवा की और बिलकुल पास के कुछ चुने हुए विद्यालयों के लिए (जिनकी संख्या करीब 20 होती है) सहज प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। विस्तार-सेवा-कार्यक्रम नौकरी में रहते हुए निरन्तर प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम और प्रशिक्षण-कालेजों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को परस्पर निकट सम्पर्क में रखने का साधन साबित हुआ है। तीसरी योजना में इस कार्यक्रम का विस्तार करके और बहुत-सारे प्रशिक्षण-कालेजों को इसकी परिधि में लाने का विचार है। अन्तिम लक्ष्य यह है कि विस्तार-सेवा प्रशिक्षण-कालेज के काम का एक अभिन्न अंग बन जाए।

विश्वविद्यालय-शिक्षा

33 प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का विस्तार होने के कारण पिछले दस वर्षों में उच्चतर शिक्षा की मांग बेहद बढ़ गई है। सन् 1950-51 में विश्वविद्यालयों की संख्या 27 थी। सन् 1955-56 में यह संख्या बढ़ कर 32 हो गई और सन् 1960-61 में 46। आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या एक दर्जन और बढ़ जाएगी। कालेजों की संख्या सन् 1955-56 में 772 थी, जो सन् 1960-61 में बढ़ कर 1,050 हो गई (इनमें इंटरमीडिएट कालेज शामिल नहीं हैं)। तीसरी योजना के दौरान हर वर्ष कालेजों की संख्या में लगभग 70-80 की वृद्धि होती रहेगी। हाल के वर्षों में विश्वविद्यालयों और कालेजों की संख्या में जिस तेजी से वृद्धि हुई है, उसके कारण कई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। इनका विवेचन विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की सन् 1959-60 की रिपोर्ट में किया गया है।

आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर शिक्षा का स्तर गिरने न देने के लिए यह जरूरी है कि विद्यार्थियों की संख्या जितनी बढ़े, उसी हिसाब से अध्यापन की भौतिक और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार हो। तीसरी योजना में इस सिलसिले में और अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं कि विद्यार्थी व्यावसायिक और टेक्नोलाजी-विषयक शिक्षा की ओर अधिक संख्या में जाएं। फिर भी, यह तो स्पष्ट है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इन सुविधाओं को ध्यान में रखने पर भी इसमें सन्देह नहीं कि कला, विज्ञान और वाणिज्य के उच्चतर शिक्षा-क्रमों में प्रवेश चाहनेवालों की संख्या बहुत अधिक होगी तथा उनके चुनाव के लिए ठीक-ठीक कसौटियां निर्धारित करनी होंगी। योजना में उच्चतर शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की तो व्यवस्था की ही गई है, सान्ध्य कालेजों, पत्राचार शिक्षा-क्रमों और बाहर के उम्मीदवारों को डिग्रियां देने के सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है।

34 **विज्ञान की शिक्षा** : इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि तीसरी योजना में विज्ञान की शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने का कार्यक्रम है। इस सिलसिले में अधिक वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथ-साथ विज्ञान के अधिक अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। शिक्षा-अधिकारियों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों की प्रामाणिक सूचियां तैयार कराने का भी विचार है। इस तरह का जरूरी सामान कम लागत पर तैयार कराने और बंटवाने की योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। विज्ञान के मेधावी विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी। हर स्तर पर

विज्ञान और टेक्नोलाजी के अध्यापन और परीक्षा के मानकों की बराबर जाच की जाती रहेगी। इनके साथ ही, शिक्षा-कार्यक्रमों में उपयोग के लिए आवश्यक प्रामाणिक पाठ्य ग्रन्थ तैयार कराने और छपवाने की योजना भी शुरू की जाएगी।

35 स्नातकोत्तर-अध्ययन और अनुसन्धान तीसरी योजना के अन्तर्गत विज्ञान और मानविकी (ह्यूमेनिटीज) के क्षेत्र में स्नातकोत्तर-अध्ययन और अनुसन्धान का अधिक विस्तार किया जाएगा। दूसरी योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रयोगशालाओं के वास्ते अतिरिक्त स्थान, उपकरण और पुस्तकालय-सुविधाओं के लिए सहायता दी गई। दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने जो कदम उठाए, उनका सम्बन्ध वैज्ञानिक अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में—जैसे भूभौतिकी, ज्योतिष, नक्षत्र-भौतिकी, व्यावहारिक भौमिकी, समुद्रवर्णना, व्यावहारिक भौतिकी और पशु-जनन-विज्ञान, आदि—विश्वविद्यालयों में नए विभाग खोलने से था। मानविकी के क्षेत्र में, बौद्ध दर्शन और सस्कृति, आदि के अध्ययन तथा अफ्रीकी अध्ययन के विभाग खोले गए तथा हिन्दी, भाषा-विज्ञान एव सामाजिक विज्ञान तथा पुरातत्वशास्त्र, सग्रहालय-विद्या, सगीत, आदि के भी सस्थान अथवा विभाग स्थापित किए गए। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने दूसरी योजना में स्नातकोत्तर तथा अनुसन्धान-छात्रवृत्तिया और वजीफे देने का कार्यक्रम भी शुरू किया। दूसरी योजना की अवधि में जो कार्यक्रम शुरू किए गए, वे तीसरी योजना की अवधि में भी जारी रखे जाएगे और उनका विकास किया जाएगा। आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों के स्नातकोत्तर विभागों को स्नातकोत्तर-अध्ययन तथा अनुसन्धान का विकास करने में सहायता देगा। विज्ञान की शिक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। विज्ञान में स्नातकोत्तर-अध्ययन-क्रम में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थियों की सख्या कोई 7,000 तक और शोधार्थियों की लगभग 1,000 तक बढ़ जाने की आशा है। कला-विषयों के विद्यार्थियों की सख्या में क्रमश 7,000 और 2,000 की वृद्धि होने की आशा है। कुल मिला कर स्नातक-स्तर के बाद के विज्ञान-छात्रों की भरती में 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

36 स्त्री-शिक्षा . ऐसी शिक्षित स्त्रियों की काफी कमी है, जो विभिन्न व्यवसायों को अपना सकें। इससे इस बात का सकेत मिलता है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में कुल जितने विद्यार्थी भरती होते हैं उनमें छात्राओं का अनुपात बढ़े। सन् 1955-56 में भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्राओं का अनुपात केवल 13 प्रतिशत था। सन् 1960-61 में यह अनुपात बढ कर करीब 17 प्रतिशत हो गया और सन् 1965-66 में इसके 21 प्रतिशत हो जाने की आशा है। दूसरी योजना में छात्राओं की बढ़ती हुई सख्या के लिए तो कालेजों और विश्वविद्यालयों में व्यवस्था की ही गई, उनकी विशेष रुचि के अध्ययन-क्रम भी शुरू किए गए—जैसे, गृह-विज्ञान, सगीत, चित्रकारी, नर्सिग, आदि। इन सुविधाओं का अभी और विस्तार करना होगा। दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने लडकियों के कालेजों और छात्रावासों के लिए उदारतापूर्वक सहायता दी। तीसरी योजना में भी यह सहायता जारी रहेगी। इसके अलावा, छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष छात्रवृत्तिया बराबर दी जाती रहेंगी। इस समय स्त्रियों को सगठन, प्रशासन और प्रबन्ध-कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए एक सस्थान स्थापित करने के सुझाव पर भी विचार हो रहा है।

37 ग्राम-संस्थान : गाव के विद्यार्थियों को उनके अपने ही वातावरण में उच्चतर

माध्यमिक स्तर के बाद की उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से दूसरी योजना की अवधि में ग्यारह ग्राम-संस्थान स्थापित किए गए। इस प्रकार की शिक्षा से गांवों के अपने नेता पैदा होंगे और सामुदायिक विकास तथा कल्याण-कार्यक्रमों में गांव की जनता के सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इन संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य ग्राम-विकास, सहकारिता, समाज-कल्याण, समाज-शिक्षा तथा लघु उद्योगों, आदि के क्षेत्रों में विशेष कार्यों के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना था। ग्राम-संस्थानों में ग्राम-सेवाओं, ग्रामीण और असैनिक इंजीनियरी, कृषि और स्वास्थ्य-सेवाओं के डिप्लोमा अध्ययन-क्रम शुरू किए गए। दूसरी योजना के अन्त तक इन संस्थानों में 2,300 से अधिक विद्यार्थी भरती हुए और विभिन्न अध्ययन-क्रमों को पूरा करनेवालों की संख्या प्रति वर्ष 500 से ऊपर रही।

यह कार्यक्रम अभी प्रयोग की अवस्था में है। तीसरी योजना में इसे जारी रखा जाएगा, ताकि ये संस्थान अपने काम का पूरा-पूरा विकास कर सकें। विशेष समितियों-द्वारा कुछ ग्राम-संस्थानों के काम की समीक्षा भी की गई और इनकी सिफारिशों के अनुसार सुधार के उपाय किए गए। तीसरी योजना में इन संस्थानों की पूरी-पूरी सम्भावनाओं तथा ग्राम-विकास के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में इनके योगदान की जांच करना जरूरी होगा, ताकि ग्राम-समुदाय की विकास-आवश्यकताओं को देखते हुए इन्हें पूरी तरह से लैस किया जा सके।

38 तीन वर्ष का डिग्री-पाठ्यक्रम : उच्चतर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से अधिकतर विश्वविद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-परीक्षा के बाद कला, विज्ञान और वाणिज्य का तीन वर्ष का डिग्री-पाठ्यक्रम अथवा वर्तमान मैट्रिकुलेशन या उनके समकक्ष परीक्षा के बाद पूर्व-विश्वविद्यालय-स्तर पर एक वर्ष का पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है। तीन वर्ष के डिग्री-पाठ्यक्रम के अन्तर्गत और सुधार भी शामिल हैं—जैसे, अध्यापक-छात्र-अनुपात में सुधार, ट्यूटोरियल पद्धति का आरम्भ, सामान्य शिक्षा, पुस्तकालयों का सुधार, प्रयोगशालाओं और अध्यापन-भवनों का निर्माण। विभिन्न विषयों के अध्यापकों के लिए दूसरी योजना की तरह समय-समय पर सम्मेलन, सगोष्ठियां होती रहेंगी और ग्रीष्म-संस्थानों तथा प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रम भी चलते रहेंगे। अध्यापकों को योग्य बनाने के लिए अनुसन्धान-केन्द्र खोलने के हेतु विशेष अनुदान भी दिए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए जो अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी, उनमें ये भी शामिल हैं—छात्रावासों की व्यवस्था, शौकिया काम-धन्धों की कर्मशालाएं, अनावासी छात्र-केन्द्र, स्वास्थ्य-केन्द्र, परामर्श-व्यवस्था तथा विद्यार्थी-सहायता-निधि की व्यवस्था। तीसरी योजना में ये सभी चीजें जारी रहेंगी।

लड़कियों की शिक्षा

39 विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा की समस्या के कुछ पहलुओं की चर्चा पहले प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-शिक्षा के सन्दर्भ में की जा चुकी है। इस विषय के कुछ मुख्य पहलू ऐसे हैं, जिन पर और विचार करने की जरूरत है। पिछले दस वर्षों में 1 करोड़ 32 लाख और लड़के शिक्षा-संस्थाओं में भरती हुए, जब कि नई भरती होनेवाली लड़कियों की संख्या सिर्फ 68 लाख रही। सन् 1961 की जनगणना से पता

चला है कि पुरुषों में साक्षरता का अनुपात 34 प्रतिशत है, जब कि सिर्फ 13 प्रतिशत स्त्रिया ही साक्षर हैं। फलत शिक्षा के क्षेत्र मे तीसरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न स्तरो पर लडकियो की शिक्षा को सुविधाए बढाना होना चाहिए। जो कार्यक्रम निर्धारित किए जा चुके हैं, उनके अनुसार 6–14 वय-वर्ग में विद्यालय जानेवाली लडकियो का अनुपात बढ कर 46 प्रतिशत हो जाना चाहिए। इसकी तुलना में लडको का अनुपात 73 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तीसरी योजना मे विभिन्न वय-वर्गों में लगभग 2 करोड 4 लाख और बच्चे स्कूलो में भरती किए जाएगे। आशा है कि इनमे 1 करोड 3 लाख लडकिया होगी। सबसे नीचे के वय-वर्ग में उनका अनुपात 56 प्रतिशत होगा। तीसरी योजना के अन्त में यद्यपि लडकियो और लडको के अनुपात का वैषम्य कुछ कम हो जाएगा, तथापि वह काफी होगा। ऊपर जो अनुमान बताए गए हैं, उन्हे पूरा करने के लिए देश-भर मे बडे विराट प्रयत्न की आवश्यकता होगी—खास तौर से उन राज्यों मे, जहा लडकियो की शिक्षा का कार्य काफी पिछडा हुआ है।

40 योजना के अन्तर्गत शिक्षा-विकास के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, उनमें से अनुमानत 175 करोड रु० लडकियो की शिक्षा पर खर्च किए जाएगे। इसमें से लगभग 114 करोड रु० प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय-स्तर पर खर्च करने के लिए हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लडकियो की शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम को सहारा देनेवाली विशेष योजनाओ के लिए भी कुछ रकम की व्यवस्था की गई है। यह सुझाव है कि राज्यों की योजनाओं में लडकियो की शिक्षा के लिए जो विभिन्न व्यवस्थाए हैं, उन पर अमल करने मे वे राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-समिति की रिपोर्ट मे की गई विस्तृत सिफारिशो को अवश्य ध्यान में रखें। जैसा कि बताया जा चुका है, ऐसी समुचित परिस्थितिया पैदा करने पर ध्यान जौर दिया जाना चाहिए कि माता-पिता को अपनी लडकियो को पढने के लिए विद्यालय में भेजने की प्रेरणा मिले, उपयुक्त जनमत तैयार हो, ऐसी ग्रामीण स्त्रियों की संख्या बढे, जो अध्यापन का धन्धा अपना सकें और शहरी क्षेत्रो की स्त्रिया गावो के विद्यालयो में शिक्षिका की जगह स्वीकार करने के लिए तैयार हो। विचार है कि हर वर्ष सावधानी से इसका मूल्याकन किया जाए कि लडकियो की शिक्षा का कार्यक्रम लागू करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है और तीसरी योजना के लक्ष्य पूरे करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाए। लडकियो की शिक्षा के क्षेत्र मे यह खास तौर से जरूरी है कि देश के विभिन्न भागो में जो उपाय सफल रहे, उनका बारीकी से अध्ययन किया जाए और वह अनुभव सबके लिए सुलभ हो। वार्षिक योजनाए तैयार करने मे भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लडकियो की शिक्षा का कार्यक्रम आर्थिक साधनो की कमी के कारण पिछडने न पाए और वे सभी संगठन-सम्बन्धी तथा सामाजिक बाधाए भरसक जल्दी-से-जल्दी दूर हो जाए, जो प्रगति मे बाधक होती हैं।

छात्रवृत्तिया

थी, जो सन् 1956-57 में बढ़ कर 8 8 लाख हो गई। इसमें से 7 8 लाख विद्यार्थी विद्यालयों के थे और कोई 1 लाख कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के। इनके अलावा, सन् 1956-57 तक लगभग 50 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रत्व और दूसरी आर्थिक रिआयतें मिलने लगी थी। इनमें से 1 5 लाख कालेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी थे तथा 48 5 लाख विद्यालयों के। कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति और वजीफे पानेवाले विद्यार्थियों का अनुपात सन् 1950-51 में 9 प्रतिशत था। इस समय अनुमान है कि यह अनुपात 16 प्रतिशत है। तीसरी योजना की अवधि में ये छात्रवृत्तिया जारी रखी जाएगी।

छात्रवृत्तियों की एक महत्त्वपूर्ण योजना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकुलेशन के बाद की छात्रवृत्तियों के बारे में है। ये कुछ वर्ष पहले शुरू की गई थी और अब इनसे 50,000 विद्यार्थी लाभ उठाते हैं। इस पर प्रतिवर्ष 2 7 करोड़ रु० के करीब खर्च होता है। मैट्रिकुलेशन-पूर्व स्तर पर सन् 1960-61 में इन वर्गों के 40 से 50 लाख के बीच बच्चों को छात्रवृत्तिया और दूसरी रिआयतें मिली और इस मद में दूसरी योजना के अन्तर्गत 12 करोड़ रु० खर्च किए गए।

42 तीसरी योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नई छात्रवृत्तियों की व्यवस्था इस प्रकार है

	(करोड़ रु० में)
शिक्षा-कार्यक्रम	
पूर्व-विश्वविद्यालय-स्तर	4
विश्वविद्यालय-स्तर	6
पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रम	
पूर्व-विश्वविद्यालय-स्तर	11
विश्वविद्यालय-स्तर	6
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा	
इंजीनियरी और टेक्नोलाजी	8
शिल्पी	2
योग	37

ऊपर जिन रकमों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की अनुसन्धान-छात्रवृत्तिया और वजीफे तथा कृषि, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान, आदि क्षेत्रों की छात्रवृत्ति-योजनाए भी है।

43 राज्य-योजनाओं में छात्रवृत्तियों के मौजूदा कार्यक्रमों के विस्तार की व्यवस्था है। शिक्षा-मन्त्रालय ने जो योजनाए शुरू की है, उनमें मैट्रिकुलेशन के बाद के स्तर पर मेधावी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना तथा विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की योजना का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा, विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं-द्वारा भारतीय विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम के अन्तर्गत, आशा है, विद्यालय-स्तर पर छात्रवृत्तिधारियों की सख्या बढ़ कर लगभग 70 लाख हो जाएगी।

जहा तक तकनीकी शिक्षा का प्रश्न है, अभी सिर्फ 6,000 विद्यार्थियो को छात्रवृत्तिया या दूसरी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, पर आशा है कि यह सख्या बढ कर लगभग 32,000 हो जाएगी, यानी कुल भरती का 18 प्रतिशत ।

44 तीसरी योजना में छात्रवृत्तियो को जो महत्व दिया गया है, उसे देखते हुए यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-सरकारें तथा सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालय इस उद्देश्य को सामने रख कर अपनी मौजूदा योजनाओ की समीक्षा करें कि जिन नियमो के अधीन छात्रवृत्तिया दी जाती है, उनका अगर ठीक-ठीक पालन होता रहे, तो इससे सचमुच होनहार किन्तु साथ ही जरूरतमन्द विद्यार्थियो को अपनी पढाई पूरी करने में सहायता मिलती रहेगी और साधारणत बीच में सहायता बन्द नही होगी । ऐसे विद्यार्थियो के लिए केवल मैट्रिकुलेशन के बाद के स्तर पर ही नही, बल्कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओ में भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए । जहा तक आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गो के विद्यार्थियो का सवाल है, लक्ष्य यह होना चाहिए कि इस तरह के जितने विद्यार्थी आए, उनके लिए उचित व्यवस्था हो और उनमें से अधिकाधिक विद्यार्थी शिक्षा के उच्चतर स्तरो पर पहुच सकें । यह देखा गया है कि चूकि काफी सख्या में योग्य उम्मीदवार नही आते, इसलिए इस वर्ग के लिए जगहे आरक्षित रखने के बारे में जो प्रशासकीय विनियम है, उनका हमेशा पूरा-पूरा पालन नही किया जाता । अन्त में, कुछ श्रेणिया कर्मचारियो की ऐसी भी है, जिनकी बहुत बडी सख्या में आवश्यकता है, पर आम तौर से उनमें उम्मीदवारो की सख्या अपर्याप्त ही रहती है—जैसे विज्ञान के शिक्षक, शिक्षिकाए, नर्से आदि । हर राज्य में इस बात की भलीभाति जाच-पडताल होनी चाहिए कि ऐसी श्रेणिया कौन-कौन-सी है और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि मैट्रिकुलेशन के बाद के स्तर पर ही इस तरह के होनहार विद्यार्थी छाट लिए जाए और प्रशिक्षण की पूरी अवधि में छात्रवृत्तियो और वजीफो के रूप में उन्हें सहायता दी जाए । उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाए कि उन्हें निश्चय ही नौकरी मिल जाएगी और इसके बदले में वे भी एक नियत अवधि तक नौकरी करने के लिए बाध्य हो ।

शिक्षको के वेतन-मान और नौकरी की परिस्थितियां

45 पहली योजना के अन्त में अध्यापको के वेतन-मान बढाने की समस्या की ओर खास ध्यान दिया गया । दूसरी योजना में इस दिशा में काफी प्रगति हुई और अनुमान है कि विद्यालय-शिक्षको के वेतन बढाने के फलस्वरूप लगभग 30 करोड रु० का खर्च हुआ । इसके फलस्वरूप लगभग सभी राज्यो में प्रारम्भिक कक्षाओ के शिक्षको के—और कुछ हद तक उच्चतर माध्यमिक कक्षाओ के शिक्षको के—मूल वेतन पहले से अच्छे हो गए । इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय-अध्यापको के वेतन-मान बढाने के कारण भी काफी खर्च करना पडा । कुछ राज्यो ने तीसरी योजना में अध्यापको के वेतन और भत्ते बढाने की व्यवस्था की है ।

तीसरी योजना में शिक्षको की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयत्न बराबर किए जाते रहेंगे । अध्यापन के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए सन 1958 से राष्ट्रीय पुरस्कार देने की जो पद्धति शुरू की गई है, वह अपने-आप में एक स्वागत योग्य नई सूझ है । तीसरी योजना में इन पुरस्कारो की सख्या बढा दी जाएगी । योजना के अन्तर्गत

प्रारम्भिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए योग्यता-छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था है ।

शैक्षणिक अनुसन्धान और महत्वपूर्ण कर्मचारियों का प्रशिक्षण

46 किसी भी शिक्षा-पद्धति के विकास के लिए शैक्षणिक उद्देश्यों, तरीकों और तकनीकों के अनुसन्धान का एक जानदार कार्यक्रम आवश्यक होता है। भारत में आज इसका खास तौर से बड़ा महत्व है, क्योंकि यहां तेजी से विकास करते हुए समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप सारी पद्धति यथोचित हो रही है। पहली दोनों योजनाओं के दौरान कई अनुसन्धान-संस्थाएं खोली गईं। राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-संस्था ने बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के बारे में कई अन्वेषण कराए हैं, राज्यों में महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों और सगोष्ठियों का संगठन किया है तथा विभिन्न समस्याओं पर कई मूल्यवान अध्ययन प्रकाशित कराए हैं। राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा-केन्द्र ने समाज-शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया है तथा जिला-समाज-शिक्षा-संगठनकर्ताओं के कई दलों को प्रशिक्षण दिया है। राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य-शिक्षा-संस्था सामूहिक सम्पर्क के विभिन्न—नए और पुराने—माध्यमों के बारे में अनुसन्धान करता है। उसने इस क्षेत्र में काम करनेवाले महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए कई सगोष्ठियों का आयोजन किया है। केन्द्रीय शैक्षणिक और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन-कार्यालय ने विभिन्न विषयों में परीक्षाएं लेने तथा विद्यार्थियों की विशेष रुचियों और रुझानों का पता लगाने के लिए—ताकि अध्ययन-क्रम और व्यवसाय चुनने में उनका मार्गप्रदर्शन किया जा सके—कई वस्तुपरक परीक्षणों का विकास किया है। राज्यों में मार्गप्रदर्शन करनेवाले कर्मचारियों के लिए यह कार्यालय सगोष्ठियों तथा अल्पकालीन अध्ययन-क्रमों की व्यवस्था करता है। इन उपायों से व्यावसायिक और शैक्षणिक मार्ग-प्रदर्शन का तो विकास होगा ही, विद्यालयों और कालेजों में मानसिक स्वास्थ्य-सेवाएं शुरू करने में भी सहायता मिलेगी। इनमें विद्यार्थियों की निजी और भावनात्मक समस्याओं के बारे में सलाह देना भी शामिल है। राज्यों में भी इसी तरह की संस्थाएं खोलने के लिए शिक्षा-मन्त्रालय ने सहायता दी है। केन्द्रीय पाठ्यग्रन्थ-अनुसन्धान-कार्यालय विभिन्न राज्यों में नियत पाठ्यग्रन्थों का विषयवस्तु और उनके चुनाव में अपनाई गई कार्य-विधि की दृष्टि से अध्ययन करता है। पाठ्यग्रन्थों का मूल्यांकन करने की कसौटियां भी तैयार कर ली गई हैं। लेखकों को पाठ्यग्रन्थ तैयार करने का प्रशिक्षण देने के लिए कर्मशालाओं का भी प्रबन्ध किया जा रहा है ।

47 दूसरी योजना की अवधि में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समस्या के अन्वेषण के लिए प्रशिक्षण-कालेजों को सहायता दी गई थी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-विस्तार-कार्यक्रम-निदेशालय ने माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया है—जैसे परीक्षा-पद्धति का सुधार, पुनस्संगठित माध्यमिक विद्यालयों के लिए नए विषयों का पाठ्यक्रम, विज्ञान-शिक्षा की समस्याएं, अध्ययन-क्रमों में विविधता लाने का प्रयत्न, आदि ।

48 ऊपर अनुसन्धान के जिन कामों का उल्लेख किया गया है, वे सभी तीसरी योजना में जारी रहेंगे और उनका विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और अनु-

सन्धान का एक केन्द्र विकसित करने के विचार से एक राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण-संस्था स्थापित करने का विचार है। मौजूदा केन्द्रीय शिक्षा-संस्था तथा दूसरी केन्द्रीय संस्थाएं और अभिकरण उसी में मिला दिए जाएंगे। विचार है कि उक्त संस्था एक स्वायत्त-संस्था के रूप में काम करेगी और उसके काम की परिधि में शिक्षा-विषयक अनुसन्धान के विविध क्षेत्र आ जाएंगे। इन क्षेत्रों में ये भी शामिल होंगे—प्रारम्भिक, उच्चतर माध्यमिक, सामाजिक और दृश्य-श्रव्य शिक्षा तथा इन और दूसरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कर्मचारियों का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण-संस्थाओं के माध्यम से विस्तार-सेवाओं के कार्यक्रम में तालमेल रखना और उसका निदेशन करना राष्ट्रीय संस्था का काम होगा।

120 प्रारम्भिक शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं में विस्तार-विभाग खोले जाएंगे, जो चुने हुए क्षेत्रों में अनुसन्धान करेंगे और प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को उनके नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे।

पाठ्य पुस्तकें

49 हाल के वर्षों में पाठ्य पुस्तकों की समस्या बराबर अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई है और इसका जल्दी ही कुछ हल निकाला जाना चाहिए। किसी पाठ्य पुस्तक में जिन पहलुओं पर विचार किया जाता है, उनमें प्रमुख ये हैं—विषय-वस्तु, उसे प्रस्तुत करने का ढंग, छपाई, गेट-अप और मूल्य। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पाठ्य पुस्तका के चुनाव का तरीका क्या होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के मामले में जो कठिनाइयां सामने आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए राज्य-सरकारों ने प्रयोग के तौर पर पाठ्य पुस्तकों का 'राष्ट्रीय-करण' शुरू कर दिया है। अभी यह प्रयोग इतना छोटा है कि इससे कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेखकों और चित्रकारों का चुनाव करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और प्रोत्साहन देने के लिए तथा कागज की मात्रा बढ़ाने और छपाई की उचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में केन्द्र और राज्यों को अपने प्रयत्नों में समन्वय लाना होगा, ताकि एक तो कीमतें कम हों और दूसरे कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य बराबर सबके सामने रहें। विश्वविद्यालय-स्तर पर अनिवार्यतः विदेशी पुस्तकों पर काफी भरोसा करना पड़ता है—उनकी कीमतें कम करने के लिए उन्हें भारत में छपवाने के प्रबन्ध पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, भारतीय लेखकों के हितों की भी पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए। विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद की समस्या और इन भाषाओं में मौलिक किताबें लिखने की समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में उनका उपयोग बढ़ता जा रहा है।

परीक्षा-पद्धति में सुधार

50 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के क्षेत्र और विविधता में विस्तार के कारण वर्तमान परीक्षा-पद्धति उसके उपयुक्त नहीं रह गई है। हाल के वर्षों में उसकी काफी आलोचना भी हुई है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने परीक्षा-पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-विस्तार-कार्यक्रम-निदेशालय में दूसरी योजना के अन्तिम दौर में एक जांच-टुकड़ी की नियुक्ति की गई

और परीक्षा-पद्धति के सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इस कार्यक्रम के अधीन परीक्षा की तकनीकों में क्रमश सुधार करने का विचार किया गया है और उसके उद्देश्य इस प्रकार हैं

(1) विद्यालय के विविध विषयों के अध्ययन में जो विशिष्ट शैक्षणिक उद्देश्य निहित हों, उन्हें स्पष्ट करना और उनकी व्याख्या करना,

(2) बाहरी परीक्षाओं के तरीकों का इन उद्देश्यों के साथ समन्वय करना, ताकि परीक्षा-प्रश्नों और अन्य परीक्षणों से यह जाचा जा सके कि इनके सन्दर्भ में विद्यार्थियों की उपलब्धिया क्या हैं,

(3) विद्यालय की निजी परीक्षाओं में उसी हिसाब से परिवर्तन करना,

(4) विद्यालय के अपने मूल्याकन को अधिकाधिक महत्व देना,

(5) हर विषय के लिए जो शैक्षणिक उद्देश्य निश्चित किए जाए, उनको ध्यान में रखते हुए पढाने के तरीकों और अध्ययन-क्रम में सुधार करना।

कार्यक्रम का जितना अश अब तक पूरा हुआ है, उससे सगोष्ठियो और कर्मशालाओ के माध्यम से बहुत-से अध्यापकों को नई सकल्पनाओ और पद्धतियो से परिचित कराने और प्रशिक्षण-कालेजो, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-मडलों और दूसरी सस्थाओ को परीक्षा-पद्धति में सुधार की समस्याओ की जानकारी कराने में मदद मिली है। आगे के लिए भी काफी तैयारिया कर ली गई हैं। तीसरी योजना में ऊपर बताई गई दिशाओं में और तेजी से काम किया जाएगा। राज्यो में मूल्याकन-टुकडिया स्थापित करने का विचार है, जो कार्यक्रम को लागू करने में केन्द्रीय टुकडी के साथ तालमेल रखते हुए काम करेंगी। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने तीन विश्वविद्यालयो में परीक्षा-शोध-टुकडिया खोलने में सहायता दी है। आगे भी अनुसन्धान-कार्य का आयोजन किया गया और अधिक सख्या में मूल्याकन-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कुछ विश्वविद्यालयो में अनुसन्धान और मूल्याकन-टुकडिया भी खोली जाएगी।

51 **हिन्दी और संस्कृत का विकास :** पहली दो योजनाओं में हिन्दी के विकास के लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए—हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, शब्दकोश और मौलिक साहित्य की रचना, विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकों का हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओ में अनुवाद और प्रकाशकों की मार्फत हिन्दी में लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन। हिन्दी के प्रचार-कार्य में सलग्न स्वतन्त्र सस्थाओ को आर्थिक सहायता दी गई। अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में विद्यालय-पुस्तकालयो और दूसरी शिक्षा-सस्थाओ को उपहार-स्वरूप पुस्तकें दी गई। हिन्दी-शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाए बढाने तथा हिन्दी-शिक्षक-प्रशिक्षण-कालेजों की स्थापना के लिए कुछ राज्यों को अनुदान दिए गए। अहिन्दी-भाषी राज्यो में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी-शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और उनके वेतनमान बढाने के लिए धन-राशि की भी व्यवस्था की गई। पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, तीसरी योजना में उन्हें जारी रखा जाएगा तथा उनका विस्तार किया जाएगा।

52 देश में सस्कृत-शिक्षा की अवस्था के प्रश्न पर हर पहलू से विचार करने के लिए और उसके विकास के तरीके सुझाने के लिए शिक्षा-मन्त्रालय ने एक सस्कृत-आयोग की नियुक्ति की थी, जिसने सन् 1957 में अपनी सिफारिशें पेश की। दूसरी योजना के

दौरान इन सिफारिशो पर अमल शुरू हो गया। सस्कृत के प्रचार और विकास के प्रश्नो पर भारत-सरकार को सलाह देने के लिए सन् 1959 में केन्द्रीय सस्कृत-मडल की स्थापना की गई। उसकी सलाह से कुछ कदम भी उठाए गए है। तीसरी योजना के कार्यक्रम मे ये बातें शामिल होगी—साहित्य का निर्माण करना, अनुसन्धान के लिए छात्रवृत्तिया देना, गुरुकुलो का विकास करना, सस्कृत-पाठशालाओ को आधुनिक रूप देना, शब्दकोश तैयार करना और अध्यापको के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय सस्कृत-सस्था की स्थापना करना। इसी तरह के कार्यक्रम लागू करने के लिए कुछ राज्यो ने भी आवश्यक धन-राशि की व्यवस्था की है।

53 **विकलागो की शिक्षा :** दूसरी योजना के अन्तर्गत विकलागो की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। तीसरी योजना मे इन्हें जारी रखा जाएगा। राष्ट्रीय अन्धजन-केन्द्र को बढाया जाएगा और एक राष्ट्रीय ब्रेल-पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। वयस्क बहरो के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र खोला जाएगा तथा मानसिक विकृति-वाले बालको के लिए एक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। छात्रवृत्ति की उस योजना को और भी बढाया जाएगा, जिसके अधीन विकलाग विद्यार्थियो को उच्चतर और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। स्वतन्त्र सस्थाओ की मार्फत विकलागो के लिए सेवाओ के विकास पर और शारीरिक दृष्टि से विकलागो के लिए विशेष रोजगार-दफ्तरो की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा।

शारीरिक शिक्षा, खेल और युवा-कल्याण-कार्यक्रम

54 इस क्षेत्र में दूसरी योजना की अवधि मे जो महत्वपूर्ण बाते हुई, उनमे ये उल्लेखनीय है ग्वालियर मे राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा-कालेज की स्थापना (जो देश मे अपनी तरह का पहला कालेज है), बाल-भवन की स्थापना (जिससे बच्चो की मनोरजन की आवश्यकताए पूरी हो) और सावधानी से श्रेणीबद्ध परीक्षणो के आधार पर राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता-आन्दोलन की शुरुआत। दूसरी योजना के अन्त मे विभिन्न खेलो और क्रीडाओ मे उच्च श्रेणी के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खेल-कूद-सस्था की स्थापना की गई। युवको के लिए जो काम किए गए उनमे स्टेडियम, तैराकी के तालाब और खुली रगशालाए, आदि के निर्माण के लिए अनुदान भी शामिल है। राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी-दल, सहायक सैन्य शिक्षार्थी-दल, भारत स्काउट्स एड गाइड्स और राष्ट्रीय अनुशासन-योजना के कार्यकलाप को प्रोत्साहन देने के लिए भी कदम उठाए गए।

तीसरी योजना में ये सभी कार्यक्रम जारी रखे जाएगे। राष्ट्रीय खेल-कूद-सस्था का विकास किया जाएगा, ताकि उसमें सभी महत्वपूर्ण खेलो का समावेश हो जाए। इस सस्था मे प्रशिक्षण पानेवाले खेल-शिक्षको की सहायता से एक राष्ट्रीय खेल-शिक्षा-योजना शुरू की जाएगी, जिसमें खेलो की शिक्षा की व्यापक सुविधाए दी जाएगी, ताकि खेलो का स्तर धीरे-धीरे ऊपर उठे। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता-आन्दोलन को भी जोरदार तरीके से चलाया जाएगा, ताकि उसका ज्यादा असर हो। बाल-भवन के सपूरक के रूप में एक राष्ट्रीय बाल-सग्रहालय स्थापित करने का भी विचार है।

समाज-शिक्षा और वयस्क-साक्षरता

जैसा कि पहली योजना में बताया गया था, समाज-शिक्षा का मतलब है—'सामुदायिक

प्रयत्न के द्वारा समाज के उत्थान का सर्वव्यापी कार्यक्रम।' इस प्रकार, समाज-शिक्षा में साक्षरता, स्वास्थ्य, मनोरंजन और वयस्कों के गार्हस्थ्य जीवन के कार्यक्रम, नागरिकता का प्रशिक्षण और आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए मार्गप्रदर्शन भी शामिल है। बारीकी से सोचने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सुयोजित विकास की सफलता—जिसकी परिधि में लाखों लोगों की आवश्यकताएं आ जाती हैं—समाज-शिक्षा के प्रसार, प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा सामूहिक नागरिकता की भावना के विकास पर निर्भर होती है। फिर भी कृषि, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य तथा कुछ अन्य कल्याण-कार्यक्रमों के शैक्षणिक उद्देश्य पूरा करना सबसे अधिक कठिन है। पिछले दस वर्षों में कई दिशाओं में काफी प्रगति हुई है—जैसे, सामुदायिक केन्द्रों के विकास में, गांवों में वाचनालय खोलने में, नवयुवकों और स्त्रियों के संगठित क्रियाकलाप की उन्नति में और ग्राम-पंचायतों तथा सहकारिता-आन्दोलन में नए प्राण फूंकने में। फिर भी, समाज-शिक्षा का एक पहलू, जो कई तरह से सबसे महत्वपूर्ण है, चिन्तनीय है। सन् 1951 और 1961 के बीच साक्षरता 17 प्रतिशत से बढ़ कर केवल 24 प्रतिशत तक पहुंची है। जिला-स्तर और खंड-स्तर पर पंचायती राज लागू हो जाने और ग्राम-पंचायतों को जो कार्य-भार सौंपा गया है, उसके महत्व को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि भरसक कम-से-कम समय में वयस्क आबादी का काफी बड़ा भाग पढ़ने-लिखने के योग्य हो जाए। यह उनके अपने हित में तो होगा ही, इससे सारे समाज का भी भला होगा। चूंकि इस दिशा में अभी तक काफी प्रगति नहीं हुई है, इसलिए वयस्क-साक्षरता का तेजी से प्रसार करने के उपाय निकालने के लिए इस समस्या पर फिर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।

56 शिक्षा-मन्त्रालय के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था के अंग-रूप में राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा-केन्द्र के विकास, नवसाक्षरों के लिए साहित्य का निर्माण, समाज-शिक्षा-कार्य में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को सहायता तथा पुस्तकालय-सुविधाओं के विस्तार की व्यवस्था है। राज्यों की शिक्षा-योजनाओं में पुस्तकालयों, सम्पर्क-स्थापक वर्गों, कुछ हद तक वयस्क-विद्यालयों तथा वयस्क-साक्षरता के प्रोत्साहन के लिए अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था है। समाज-शिक्षा के लिए धन-राशि की मुख्य व्यवस्था सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के बजट में की गई है। यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना में समाज-शिक्षा के लिए कुल मिला कर 25 करोड़ रुपये मिल सकेंगे।

57 वयस्क-साक्षरता के किसी भी बड़े और कारगर कार्यक्रम के लिए हर स्तर पर उन कर्मचारियों का अधिकाधिक सहयोग आवश्यक है, जो शिक्षा और सामुदायिक विकास के कार्य में संलग्न हैं। इसके लिए उपलब्ध जन और धन-साधनों को जुटाना जरूरी होगा, स्वयं-सेवी कार्यकर्ताओं और संगठनों को एक साथ एक ही दिशा में सक्रिय होना पड़ेगा, तथा खंड और ग्राम-स्तर पर तथा हर शहर और कस्बे में वयस्क-शिक्षा और साक्षरता के कार्य का विकास करना होगा, ताकि वह अधिकाधिक जन-आन्दोलन का रूप धारण करे। शिक्षा-संस्थाओं को—विशेषकर गांवों के विद्यालयों को—पंचायतों तथा सहकारी समितियों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से समाज-शिक्षा और वयस्क-साक्षरता के विस्तार-कार्य के रूप में विकसित करना होगा। मोटे तौर पर, उद्देश्य यह होना चाहिए कि जहां कहीं भी कुछ लोग—जो मिल कर एक कक्षा का रूप धारण करने के लिए काफी हों—पढ़ने की इच्छा प्रकट करें, वहां शिक्षक और शिक्षा-सामग्री के रूप में उन्हें आवश्यक सुविधाएं सुलभ की जाएं। प्रत्येक शिक्षा-संस्था को इस प्रयत्न में योग

देना चाहिए और इन काम में जो शिक्षक हाथ बटाए, उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। साथ ही, ग्राम-पंचायत और अन्य संस्थाओं को भी इस दिशा में उचित योगदान करना चाहिए। समाज-शिक्षा-संगठनकर्ताओं, खंड-शिक्षा-अधिकारियों और निजी शिक्षा-संस्थाओं को परस्पर-सहयोग से काम करके स्थानीय पंचायत-समितियों, ग्राम-पंचायतों तथा स्वैच्छिक संगठनों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटानी चाहिए, ताकि लोगों में उत्साह पैदा हो और बराबर बना रहे तथा एक अनवरत आधार पर ऐसे तरीके से वयस्क-शिक्षा और साक्षरता का विकास हो कि उसका उनकी अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों से अभिन्न सम्बन्ध हो। पुरुषों और स्त्रियों, दोनों में साक्षरता के प्रसार के लिए हर कदम पर स्थानीय नेताओं, शिक्षकों और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को इस आन्दोलन में शामिल किया जाना चाहिए।

58. **पुस्तकालय :** पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था किसी भी सुयोजित शिक्षा-प्रणाली का एक आवश्यक अंग है। भारत-सरकार-द्वारा नियुक्त पुस्तकालय-समिति ने सन् 1959 में अपनी रिपोर्ट में इस ओर संकेत किया था कि पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था की मांगों और उनकी वर्तमान स्थिति के बीच बहुत बड़ी खाई है। यह खाई लम्बे समय के और उचित रीति से अवस्थाओं में बटे हुए कार्यक्रम के द्वारा ही पाटी जा सकती है। तीसरी योजना में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के चारों राष्ट्रीय पुस्तकालयों की स्थापना या विकास की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में पुस्तकालयों को उन्नत करने तथा जिलों और तालुकों में पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने की भी व्यवस्था है। इनके अलावा, शिक्षा-संस्थाओं के अपने पुस्तकालय हैं। तीसरी योजना के दौरान इनकी उन्नति और सुधार किया जाएगा। पुस्तकालयों के प्रमुख कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दूसरी योजना में एक पुस्तकालय-विज्ञान-संस्था स्थापित की गई थी। तीसरी योजना में उसका और विकास किया जाएगा। अन्य विश्वविद्यालयों में भी पुस्तकालय-विज्ञान में अनुसन्धान करने की सुविधाएं तथा पुस्तकालय-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

59. नई पीढ़ी की मांगों को देखते हुए कला, साहित्य, नृत्य, नाटक, और संगीत के क्षेत्र में भारत की विशिष्ट परम्परा को और भी विकसित करना होगा। भारत की सांस्कृतिक एकता के सम्प्रेषण के लिए पुरातात्विक स्मारकों और प्राचीन कला की रक्षा करनी होगी तथा उनकी पुनर्व्याख्या करनी होगी। इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, उनमें से कुछ ये हैं ललित कला-अकादेमी, साहित्य-अकादेमी, संगीत-नाटक-अकादेमी, राष्ट्रीय-संग्रहालय एवं राष्ट्रीय कला-भवन की स्थापना। इसके अलावा, दूसरी योजना में जिन अन्य कार्यक्रमों पर अमल किया गया, उनमें संग्रहालयों तथा पुस्तकालयों का पुनर्गठन और विकास तथा गजेटियर तैयार करने के काम शामिल हैं, जिनका तीसरी योजना में और विकास किया जाएगा।

दूसरी योजना में जिला तथा भारतीय गजेटियरों के संशोधन का जो काम शुरू किया गया था, उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। पुरानी पाण्डुलिपियां प्रकाशित करने, उनका परिरक्षण करने और वर्णक्रमानुसार उनकी सूची तैयार करने का काम तथा

दुर्लभ पांडुलिपियों का एक माइक्रोफिल्म-पुस्तकालय स्थापित करने तथा इस प्रकार की पांडुलिपियां उपलब्ध करने का काम भी इस योजना का एक अंग है।

60 यह बहुत जरूरी है कि हिन्दी और संस्कृत के साथ-साथ आधुनिक भारतीय भाषाओं का भी विकास किया जाए। द्विभाषिक-शब्दकोश तैयार करने, अनुवादों पर पुरस्कार देने, विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में विश्वकोश और अंग्रेजी-भारतीय भाषा का शब्दकोश तैयार कराने की व्यवस्था करने तथा पुरानी पांडुलिपियां और दुर्लभ ग्रन्थ, सूचीपत्र और ग्रन्थ-सूचियां प्रकाशित कराने का भी विचार है। तीसरी योजना में भारत के भाषागत सर्वेक्षण की भी व्यवस्था है।

हाल में ही साहित्य-अकादेमी ने सम-सामयिक भारतीय साहित्य का सर्वेक्षण किया है। राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) इस बात के लिए कदम उठा रहा है कि अच्छे साहित्य का निर्माण हो और पुस्तकालयों, शिक्षा-संस्थाओं और आम जनता को अच्छी पुस्तकें सस्ती कीमत पर मिल सकें। विदेशी भाषाओं की प्रसिद्ध पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में तथा एक भारतीय भाषा की प्रामाणिक पुस्तकों का दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराना भी इस न्यास का उद्देश्य है।

भारत की सांस्कृतिक एकता के विकास के लिए यह जरूरी है कि भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य को देश के विभिन्न भागों में प्रसारित और प्रचारित करने के काम को काफी महत्व दिया जाए। केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-मंडल ने इस पहलू पर जोर दिया है और सिफारिश की है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हर विद्यार्थी को अपनी मातृ-भाषा के अलावा एक और भारतीय भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के अध्ययन की सुविधाएं दी जा रही हैं। तीसरी योजना के सन्दर्भ में कहीं व्यापक आधार पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

61 संग्रहालयों का पुनर्गठन और विकास विशेषज्ञ-संग्रहालय-सर्वेक्षण-समिति (1955) की सिफारिशों और इसी उद्देश्य से स्थापित केन्द्रीय संग्रहालय-सलाहकार-मंडल के परामर्श के अनुसार किया जाएगा। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आधुनिक कला-दीर्घा के लिए कला-संग्रह प्राप्त करने की एक परियोजना शामिल है और इस सिलसिले में सरकार को सलाह देने के लिए समितियां बना दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद के सालारजंग-संग्रहालय को अपने अधिकार में ले लिया है, जिसे दक्षिण-भारत के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा।

62 पुरातत्व-विभाग ने कुछ कार्यक्रम बना रखे हैं, जो तीसरी योजना में जारी रहेंगे—जैसे, प्राचीन इमारतों का परीक्षण, प्राचीन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करना और पुरानी चीजों का सर्वेक्षण कराना। इसके साथ ही खुदाई-शाखा का और विकास किया जाएगा। ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्रीय सौन्दर्य के ऐसे स्थानों की देखभाल के लिए जो पुरातत्व-विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते, एक राष्ट्रीय न्यास कायम किया जाएगा।

63 तीसरी योजना में नृतत्वशास्त्र और नृजाति-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसन्धान की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग पूरी करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों और युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां

दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें विदेश भेजने के लिए भी कुछ छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।

64 तीसरी योजना मे अन्य देशो के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के काम को और प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो योजनाए बनाई गई हैं, उनमे ये भी शामिल हैं—भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क-परिषद् का विकास, दिल्ली-विश्वविद्यालय मे अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी-गृह का निर्माण तथा विदेशो में सांस्कृतिक संस्थाओं के उपयोग के लिए चित्रो, मूर्तियो और भारतीय कलाकृतियो की नकलें तैयार करना।

दूसरी योजना की अवधि मे दिल्ली में बुद्ध-जयन्ती-स्मारक बनाने की जो योजना शुरू की गई थी, उसे तीसरी योजना मे पूरा किया जाएगा। उच्चतर अध्ययन और अनुसन्धान की वर्तमान संस्थाओं का अधिक विकास किया जाएगा। अन्य कार्यक्रमो मे दिल्ली में एक राष्ट्रीय रंगशाला और एक विशाल खुला रंगमंच स्थापित करना भी शामिल है।

65 दूसरी पंचवर्षीय योजना मे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमो पर 4 करोड रु० खर्च किए गए थे—2 6 करोड रु० केन्द्र-द्वारा और 1 4 करोड रु० राज्यो-द्वारा। तीसरी पंचवर्षीय योजना मे इस काम के लिए 10 करोड रु० की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 6 करोड रु० केन्द्र-द्वारा और 4 करोड़ राज्यो-द्वारा खर्च किए जाएगे।

राष्ट्रीय एकता

66 भारत में आर्थिक आयोजन की सफलता बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर होगी कि भाषा, धर्म, जाति और प्रदेश की विविधताओं के बीच हममें एक राष्ट्र के रूप मे संगठित होने की कितनी क्षमता है। लोकतन्त्र मे एकता का आधार समान सांस्कृतिक परम्परा तथा समान रूप से स्वीकृत भावी लक्ष्य की चेतना तथा उन्हें अभिव्यक्ति देने के अनवरत प्रयत्न ही हो सकते हैं। भारत की एक समृद्ध और सामाजिक संस्कृति है। समाज के प्रत्येक वर्ग का उसमें योगदान है और इसके लिए गर्व का अनुभव करना उचित ही है। इस संस्कृति के मूल तत्व है—उदारता, एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच सन्तुलन, तथा सहयोग पर आश्रित जीवन-प्रणाली जिसमे किसी समुदाय के विभिन्न व्यक्ति समान रूप से स्वीकृत अधिकारो और दायित्वो के द्वारा एक-दूसरे से बंधे है। भारत के भावी लक्ष्य उसके संविधान में निहित है और उन्हें प्राप्त करने के मुख्य साधन हैं, उसकी विकास-योजनाएं।

67. नई पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य पैदा करने में शिक्षा-संस्थाओं को बड़ा महत्वपूर्ण काम करना है। विद्यालय का कार्यक्रम इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागे और इसके लिए विद्यालयों में सहकारी आत्मनिर्भरता और लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित सामुदायिक जीवन की व्यवस्था की जानी चाहिए, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन-क्रम में भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसी उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, जिनसे विद्यार्थियो में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति निष्ठा जागे। ललित कलाओं—नृत्य, नाटक, संगीत तथा साहित्य—के माध्यम से भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा के पुनरुत्थान और विकास का प्रयत्न होना चाहिए। विद्यालय-कार्यक्रम को बल देने के लिए कुछ और काम भी जरूरी है—जैसे, विद्यार्थियों के

एक मंच पर लाने और शिक्षा-यात्राओं के द्वारा उन्हें देश की वैविध्यपूर्ण संस्कृति का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कराने का कार्यक्रम, आधुनिक भारतीय भाषाओं और प्राचीन भाषाओं का विकास और उनके समृद्ध साहित्य-भंडार को अनुवादों के द्वारा देश के विभिन्न भागों में अधिकाधिक लोगों को उपलब्ध कराना, आदि। इसके साथ ही, यह भी जरूरी है कि विद्यार्थियों में योजना की व्यापक और सही समझ पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएं। इन सब उपायों का उद्देश्य भावात्मक और रचनात्मक ढंग से राष्ट्रीय संगठन और एकता की शक्तियों को बल प्रदान करना है।

इस समय एक विशेष समिति हमारी शिक्षा-पद्धति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता लाने और राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने के सवाल पर विचार कर रही है। समिति की जो भी सिफारिशें होंगी, उनकी रोशनी में शिक्षा-नीतियों और कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करना होगा।

अनुबन्ध 1

6-11 वय-वर्ग के बच्चो के लिए विद्यालय-सम्बन्धी सुविधाएं (1960-61 और 1965-66)

(संख्याएं लाख में)

	1 से 5 तक की कक्षाओ में भरती						6-11 वय-वर्ग में आबादी का प्रतिशत अनुपात (अनुमानित)					
	1960-61			1965-66			1960-61			1965-66		
	योग	लडके	लडकिया	योग	लडके	लडकिया	योग	लडके	लडकिया	योग	लड़के	लड़कियां
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
..	28 2	17 5	10 7	14 2	25 4	18 8	60 3	74	46 2	84 5	96 1	72 7
..	10 68	6 79	3 89	15 08	8 99	6 09	61 7	73 7	48	77 4	86 6	66.9
.	32	21	8	18	30	18	53 5	80	26 9	72 6	90 4	51 7
.	20	12 3	7 7	26 63	15 62	11 01	72	85 9	57 3	81 2	95 8	71 9
..	1.97	1 51	0 13	3 02	2 21	0 78	15	66 1	21	62 3	87 2	31 2
.	21.11	12 58	10 86	26 61	11 28	12 33	108 8	118	99 7	108 7	117 8	99 7
.	20	16	1	30	20	10	47	73 5	19 3	61	83 [illegible]	13 8
.	13 5	21 26	12 21	17 5	25 5	22	78 9	99 7	58	100	106 8	93 1
.	39	21 17	11 53	51	32 [illegible]	21 7	73 3	89	56 6	90 5	101 8	75 3
.	21 11	17 61	7 9	11 11	16 08	15 36	67 1	81	50 1	89 2	88 1	88 1
	10	7 [illegible]	2 5	16	10 5	5 5	17 8	71 6	23 9	61 6	85	11 3
.	14 [illegible]	12 26	4 6	22 88	15	7 96	31 9	81	36 3	71 6	91 1	55 2
	11 51	[illegible]	-	21	11 9	7 1	12	66.2	15 1	69 2	86 2	14 1

अनुबन्ध 1—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11	12	13
उत्तरप्रदेश ..	10 43	32	8 43	66 5	45	21 5	45 4	68 6	19 9	61 7	79 5	41 9
पश्चिम-बंगाल .	28 52	18 67	9 85	35 02	21 5	13 52	65 6	80 8	48 4	73 4	84 5	60 7
दिल्ली .	2 91	1 68	1 23	1 08	2 21	1 87	86 6	89 3	83 1	99 5	104 2	94 4
हिमाचलप्रदेश ..	0 8	0 63	0 17	1 14	0 71	0 43	48 8	73 3	21 8	60 5	83 5	54 4
पांडिचेरी	0 35	0 2	0 15	0 17	0 25	0 22	72 9	83 3	62 5	87	92 6	81 5
अन्य केन्द्र-शासित क्षेत्र	1 79	1 23	0 56	2 8	1 68	1 12	62 6	84 2	40	78 2	91 8	64
योग	343 4	233 76	109 64	496 35	301 16	195 19	61 1	80 5	40 4	76 4	90 4	61 6

अनुबन्ध 2

11-14 वय-वर्ग के बच्चो के लिए विद्यालय सम्बन्धी सुविधाएं (1960-61 और 1965-66)

(संख्याएं लाख में)

राज्य का नाम	6 से 8 तक की कक्षाओ में भरती						1 -14 वय-वर्ग में आबादी का प्रतिशत अनुपात (अनुमानित)					
	1960-61			1965-66			1960-61			1965-66		
	योग	लडके	लडकिया	योग	लडके	लडकिया	योग	लडके	लडकिया	योग	लडके	लडकिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[illegible] ..	3 55	2 74	0 81	6 13	4 68	1 45	15 6	23 9	7 2	21 9	33 1	10 4
[illegible] ..	2 05	1 19	0 56	3 25	2 2	1 05	27 4	37 4	16	35 3	11 8	24 5
[illegible] .	5 5	1 9	0 6	9 25	7 1	1 85	19 4	34 3	1 2	26 7	12 6	10 7
[illegible] .	3 56	2 67	0 89	5 77	3 56	2 21	26 8	39	13 8	31 9	41 8	27 6
[illegible]	0 6	0 51	0 09	0 88	0 72	0 16	27 8	11	9	33 5	51 1	13
[illegible] ..	5 11	3 18	2 26	6 19	3 61	2 58	50 3	59 1	11 3	15 3	53 1	37 3
[illegible] .	3 27	2 73	0 51	1 96	4 16	0 8	16 3	26 6	5 5	20 3	33 3	6 7
[illegible] ..	6 36	1 11	1 92	9 36	6 57	2 79	30 1	11 8	18 3	35 9	50 1	21 5
[illegible] ..	7 25	5 35	1 9	11 17	8 22	3 25	28 5	10 7	15 5	36 2	50 2	21 2
[illegible] ..	1 61	2 66	0 99	5 61	3 66	1 98	21 8	31 1	11 1	29 5	17 5	21 2
[illegible] .	[illegible] 95	0 71	0 11	1 7	1 36	0 31	7 9	11 8	2	13 1	21	5 2
[illegible]	3 75	2 25	1	5 57	3 51	2 01	23 3	38 9	16 3	33 8	10 3	26 1
[illegible]	1 91	1 66	0 25	1 95	1 1	0 75	11 9	21 5	1 1	23 9	36 7	9 8

अनुबन्ध 2—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरप्रदेश ..	8 6	7 5	1 1	11 6	10	1.6	18 6	30 9	5	20 5	33 7	5 9
पश्चिम-बंगाल ..	4 72	3 6	1 12	9 02	5 3	3 72	21.1	30 3	10 7	33 3	36 7	29 4
दिल्ली ..	1 02	0 7	0 32	1 65	1 06	0 59	60 4	73 7	43 2	67 3	84 1	49 6
हिमाचलप्रदेश ..	0 2	0 17	0 03	0 3	0 25	0 05	28 6	45 9	9 1	36 6	59 5	12 5
पांडिचेरी ..	0 08	0 06	0 02	0 1	0 07	0 03	33 3	50	16 7	35 7	51	21 4
अन्य केन्द्र-शासित क्षेत्र ..	0 53	0 37	0 16	0 81	0 54	0 27	38 1	52 9	23 2	43 5	58 1	29
योग	62 88	48 22	14 66	97 48	70	27 48	22 8	34 3	10 8	28 6	39 9	16 5

अनुबन्ध 3

14-17 वय-वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय-सम्बन्धी सुविधाएं (1960-61 और 1965-66)

(संख्याएं लाख में)

राज्य का नाम	9 से 11 तक की कक्षाओं में भरती						14-17 वय-वर्ग में आबादी का प्रतिशत अनुपात (अनुमानित)					
	1960-61			1965-66			1960-61			1965-66		
	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्रप्रदेश	1 86	1 62	0 24	2 36	1 94	0 42	8 8	15 1	2 3	9 6	15 7	3 5
असम	1 1	0 87	0 23	1 71	1 31	0 4	17 5	26	7 8	22 9	32 9	11 5
बिहार	3 1	2 9	0 2	5	4 4	0 6	12 4	23	1 5	17 3	30 3	4 2
गुजरात	1 48	1 14	0 34	2 26	1 53	0 73	12 2	18 2	5 8	15 9	20 8	10 6
जम्मू और कश्मीर	0 2	0 17	0 03	0 27	0 23	0 04	9 9	15 9	3 2	11 8	18 9	3 7
केरल	2 25	1 39	0 86	2 95	1 8	1 15	21 6	27	16 3	24 2	30	18 7
मध्यप्रदेश	0 78	0 67	0 11	1 1	0 95	0 15	4 [illegible]	7 3	1 3	5 3	9	1 5
मद्रास	2 66	1 98	0 68	3 97	2 71	1 26	13 4	19 9	6 9	17 3	23 4	11
महाराष्ट्र	3 15	2 42	0 73	4 97	3 78	1 19	13 6	20 1	6 5	18 2	26 8	9
मैसूर	1 17	1 16	0 31	2 05	1 11	0 61	10 4	16 6	1 5	12 3	16 9	7 5
उड़ीसा	0 1	0 36	0 01	0 8	0 67	0 13	4 2	7 5	0 8	7 4	12 1	2 4
पंजाब	1 15	1 25	0 2	2 25	1 82	0 43	12	19 3	3 6	16 1	21 1	6 6
राजस्थान	0 86	0 79	0 07	1 53	1 33	0 2	7 4	13	1 3	11 2	18 6	3 1

अनुबन्ध 3—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरप्रदेश ..	5 12	4 6	0.52	7 4	6 6	0 8	12 2	20 9	2 6	15 3	26 1	3 5
पश्चिम-बंगाल ..	2 38	8	0 38	5 3	4	1 3	11 2	17 6	3 8	21.9	31 1	11 5
दिल्ली ..	0 54	0 4	0 14	1.19	0.9	0.20	32 5	43	19 2	60 1	88 2	30 2
हिमाचलप्रदेश ..	0 06	0 05	0 01	0 08	0.06	0 02	10 2	16 1	3 6	9 8	14 3	5
पाण्डिचेरी .. .	0 03	0 02	0 01	0 06	0 04	0 02	13 6	18 2	9 1	23 1	30 8	15 4
अन्य केन्द्र-शासित क्षेत्र .	0 19	0 12	0 07	0 31	0 2	0 11	12 8	16	9 6	16 4	21 1	11 7
योग	29 08	23 91	5 17	45 56	35 71	9.85	11 5	18 4	4 2	15 6	23 7	6 9

अध्याय 30

तकनीकी शिक्षा

कर्मचारियों की आवश्यकता, प्रशिक्षण-कार्यक्रम तथा जन-शक्ति की आवश्यकता आर्थिक विकास की तीन आधारभूत बातें हैं। तीसरी और चौथी योजना के सन्दर्भ में इन तीन बातों से सम्बन्धित मूल नीतियों पर पहले ही विचार किया जा चुका है। इस अध्याय में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी तथा शिल्पियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य औद्योगिक विकास, शिक्षा और अनुसन्धान की विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी तैयार करना है। ये कार्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि विज्ञान और टेक्नोलाजी के विकास के साथ-साथ समय-समय पर प्रशिक्षण-प्रणाली में परिवर्तन करना होगा और शिक्षा-पद्धति में सुधार लाना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में, प्रत्येक स्तर पर, प्रशिक्षित कर्मचारियों की वृद्धि करना, पर्याप्त सख्या में शिक्षक तैयार करना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों और शिष्यवृत्तियों की व्यवस्था करना, अशकालीन, अल्पकालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, कुछ क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, उपलब्ध भौतिक साधनों का समुचित उपयोग करना, अपव्यय में कमी और अनुसन्धान का विकास करना—इन सब पर तीसरी योजना के कार्यक्रमों में विशेष जोर दिया गया है।

2 तीसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की डिग्री व डिप्लोमा की शिक्षा का विस्तार करने की व्यवस्था है, जिससे प्रति वर्ष डिग्री-पाठ्यक्रमों में 13,860 के बजाय 19,140 और डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों में 25,570 के बजाय 37,390 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के अशकालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रम चलाने और कुछ विशेष प्रकार के शिक्षा-सस्थान खोलने की भी व्यवस्था है।

विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य-सरकारों और निजी उद्योगों द्वारा सचालित शिल्पियों के प्रशिक्षण की योजनाओं के अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण-सस्थानों में तीसरी योजना की अवधि में 42,000 के स्थान पर 1,00,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। प्रशिक्षकों (इस्ट्रक्टर्स) के प्रशिक्षण के लिए इस समय चार केन्द्रीय प्रशिक्षण-सस्थान हैं, जिनमें से एक महिलाओं के लिए है। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की माग को पूरा करने के लिए तीसरी योजना में इन चारों सस्थानों का विकास किया जाएगा और तीन नए सस्थान खोले जाएगे।

3 तीसरी योजना में शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए 560 करोड रुपये की व्यवस्था है, जिसमे से 142 करोड रुपये इंजीनियरी और टेक्नोलाजी-सम्बन्धी तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों पर व्यय किए जाएगे। पहली और दूसरी योजनाओं में शिक्षा-सम्बन्धी कुल व्यय का क्रमश 13 और 19 प्रतिशत भाग तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया था, जब कि तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा पर लगभग 25 प्रतिशत व्यय करने की व्यवस्था है।

शिल्पियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए दूसरी योजना में 13 करोड रुपये की व्यवस्था थी, जब कि तीसरी योजना में इस मद के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण-

संस्थानों के विकास, राष्ट्रीय शिष्यता-शिक्षण योजना (नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम), औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सायंकालीन कक्षाओं और शिल्प-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 49 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

विस्तार-कार्यक्रम

4 दूसरी योजना में इंजीनियरी शिक्षा की सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। इंजीनियरी कालेजों की संख्या 65 से बढ़ कर 100 हो गई है और प्रति वर्ष 5,890 के बजाय 13,860 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलने लगा है। डिप्लोमा प्रदान करनेवाले पोलिटेक्नीकों की संख्या 114 से बढ़ कर 196 हो गई है और इनमें प्रति वर्ष 10,490 के बजाय 25,570 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलने लगा है। दूसरी योजना में कुल मिला कर प्रति वर्ष डिग्री प्राप्त करने वालों की संख्या 4 020 से बढ़ कर लगभग 5,700 हो गई और डिप्लोमा प्राप्त करनेवालों की संख्या 4,500 से बढ़ कर 8,000 से भी अधिक हो गई। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी योजना के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग दूसरी योजना के अन्त तक स्थापित संस्थानों-द्वारा पूरी हो जानी चाहिए। तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक योजना आगामी योजना के लिए आधार तैयार करती है।

5 चौथी योजना के लिए इंजीनियरी डिग्री-धारियों और डिप्लोमा-धारियों की सम्भावित आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना में 17 नए इंजीनियरी कालेज खोले जाएंगे, जिनमें 7 प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज होंगे। दूसरी योजना में 8 प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों की व्यवस्था की गई और उनमें से एक को छोड़ कर बाकी सब चल रहे हैं। प्रत्येक प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज में 250 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है। प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों में खनिज विज्ञान, धातु-कर्म और रसायन-इंजीनियरी, आदि इंजीनियरी और टेक्नोलाजी की विशेष शाखाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। इन शाखाओं में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, प्रशिक्षित कर्मचारियों की काफी संख्या में आवश्यकता होगी। तीसरी योजना में 67 नए पोलिटेक्नीक खोलने का कार्यक्रम है। इनमें से प्रत्येक पोलिटेक्नीक में 180 या इससे भी अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं सम्भव होगा, वर्तमान संस्थानों की प्रवेश-क्षमता बढ़ाई जाएगी। नीचे की तालिका में अब तक की प्रगति और तीसरी योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है:

इंजीनियरी कालेजों और पोलिटेक्नीकों की प्रवेश-क्षमता तथा निकासी

वर्ष	डिग्री-पाठ्यक्रम			डिप्लोमा-पाठ्यक्रम		
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश-क्षमता	निकासी	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश-क्षमता	निकासी
1950-51	49	4,120	2,200	86	5,900	2,480
1955-56	65	5,890	4 020	114	10,480	4,500
1960-61	100	13,860	5,700	196	25 570	8,000
1965-66	117	19,140	12,000	263	37,390	19,000

विभिन्न राज्यो मे प्रस्तावित विस्तार-सम्बन्धी जानकारी इस अध्याय के अनुबन्ध के अन्तर्गत एक विवरण में दी गई है।

6 तीसरी योजना में इजीनियरी और टेक्नोलाजी की विभिन्न शाखाओ के अंश-कालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की व्यवस्था है। इसका ब्योरेवार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सामान्यत पत्र-व्यवहार-पाठ्यक्रम 20 से 35 वर्ष तक की अवस्था के विद्यार्थियो के लिए होंगे। उद्देश्य यह है कि इनसे परिपक्व बुद्धिवाले विद्यार्थी लाभ उठा सकें। अंशकालीन और पत्र-व्यावहारिक पाठ्यक्रमो के सचालन से विद्यार्थियो को यह लाभ होगा कि वे इस्टीट्यूट आफ इजीनियर्स-जैसी सस्थाओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित ढग में तैयारी कर सकेगे।

प्रतिरक्षा-मन्त्रालय के अधीन 12 केन्द्रो में 1,000 इजीनियरी डिप्लोमा-धारियो को अंशकालीन प्रशिक्षण देने की एक प्रारम्भिक योजना तैयार की गई है। ये केन्द्र विद्यार्थियो को इस्टीट्यूट आफ इजीनियर्स के 'एसोशिएट मेम्बरशिप' परीक्षा के भाग 'क' और 'ख' के लिए तैयार करेंगे। दूसरी योजना की अवधि में कलकत्ता और मद्रास में यान्त्रिक इजीनियरी के मध्यवर्ती पाठ्यक्रम तजुर्बे के तौर पर आरम्भ किए गए थे। ये पाठ्यक्रम अन्य केन्द्रो मे आरम्भ किए जाएगे—हो सकता है, शिक्षा की नई शाखाओ में भी आरम्भ किए जाए।

7 विज्ञान और टेक्नोलाजी की प्रगति के कारण यह आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि टेक्नोलाजी-सम्बन्धी सस्थानो में गणित-शास्त्र, भौतिक-विज्ञान और रसायन-विज्ञान, आदि बुनियादी वैज्ञानिक विषयो की शिक्षा दी जाए। इस बात पर विश्व-विद्यालय-अनुदान-आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा-परिषद्, दोनो ने जोर दिया है। दूसरी योजना के अन्तर्गत रुडकी इजीनियरी विश्वविद्यालय में विज्ञान-सकाय स्थापित किया गया, जिसमें भौतिक-विज्ञान, गणित-शास्त्र, रसायन-विज्ञान, भूगर्भ-विज्ञान और भू-भौतिकी-विभाग खोले गए है। टेक्नोलाजी के सस्थानो में आम तौर पर वैज्ञानिक विषयो के विभागो में सम्पूर्ण साज-सामान की व्यवस्था होती है।

8 इडियन इस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, खडगपुर को, जो पहली योजना में स्थापित किया गया था, सन् 1957 में ससद् के एक अधिनियम के अनुसार 'राष्ट्रीय महत्व का सस्थान' घोषित किया गया। इडियन इस्टीट्यूट आफ साइन्स, बगलोर मे इजीनियरी की स्नातकोत्तर-शिक्षा भी आरम्भ कर दी गई है और सन् 1959 मे उसे विश्व-विद्यालय-अनुदान-आयोग-अधिनियम के अनुसार एक विश्वविद्यालय मान लिया गया है। दूसरी योजना की अवधि में बम्बई, मद्रास और कानपुर मे भी टेक्नोलाजी के सस्थान खोले गए है।

■ दूसरी योजना में इजीनियरी और टेक्नोलाजी के स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रम 34 चुने हुए इजीनियरी कालेजो और विश्वविद्यालय-विभागो में आरम्भ किए गए। स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रमो और अनुसन्धान-कार्य की प्रगति पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की गई है। समिति को यह सुझाव भी देना है कि इस क्षेत्र मे भावी विकास की रूपरेखा क्या हो। समिति की सिफारिशो को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इजीनियरी कालेजो में स्नातकोत्तर-कार्य और प्रशिक्षण को बढावा देने की दृष्टि से, विभिन्न राज्यो की योजनाओ में व्यवस्था कर दी

गई है, ताकि प्रत्येक संस्थान अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ कर सके। इंजीनियरी और टेक्नोलाजी में स्नातकोत्तर-अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को वृत्तिकाएं और इंजीनियरी के विषयों में अनुसन्धान करनेवालों को छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई है।

10 तीसरी योजना में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दूसरी योजना में कुछ चुने हुए तकनीकी संस्थानों में खनिज विज्ञान, धातु-कर्म, रसायन-इंजीनियरी, भू-भौतिकी, पेट्रोलियम-टेक्नोलाजी और औद्योगिक इंजीनियरी की शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गईं। इनके अतिरिक्त, नगर-आयोजन, भवन-निर्माण, मुद्रण और व्यवसाय-प्रबन्ध विषयों में विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गईं। 'सेंट्रल स्कूल आफ प्लानिंग ऐंड आरकिटेक्चर' दिल्ली में 'इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लैनर्स' के सहयोग से आरम्भ किया गया था। तीसरी योजना में इसका सम्पूर्ण विकास किया जाएगा। इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार प्रादेशिक मुद्रण-विद्यालय हैं। इनमें 410 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है। इन विद्यालयों में मुद्रण और लीथो-कार्य की विभिन्न शाखाओं में अंशकालीन तथा पूर्णकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। तीसरी योजना में इनका और अधिक विकास किया जाएगा तथा दिल्ली पोलिटेक्निक में एक केन्द्रीय मुद्रण-विद्यालय की स्थापना-द्वारा अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, खड़गपुर, विक्टोरिया जुबिली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बम्बई और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलोर में औद्योगिक इंजीनियरी और औद्योगिक प्रबन्ध के स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए।

कई केन्द्रों में व्यवसाय-प्रबन्ध के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जा रहे हैं। दो अखिल भारतीय प्रबन्ध-संस्थानों की स्थापना की भी योजना है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा-परिषद्-द्वारा नियुक्त एक समिति ने हाल ही में वाणिज्य-शिक्षा-सम्बन्धी कठिनाइयों का अध्ययन किया है। यह अध्ययन वाणिज्य-स्नातकों के रोजगार के वर्तमान अवसरों को आंकने और हमारी विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं और साधनों के अनुरूप वाणिज्य-शिक्षा की एक समुचित पद्धति सुझाने के लिए किया गया। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि मैट्रिक के बाद या माध्यमिक शिक्षा की दसवीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य-शिक्षा का एक डिप्लोमा-पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाए, ताकि व्यापार और वाणिज्य-प्रशासन के माध्यमिक स्तर के पदों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त हो सकें। यह भी सिफारिश की गई है कि ये पाठ्यक्रम पोलिटेक्नीकों और जूनियर कमर्शियल स्कूलों में आरम्भ किए जाएं। समिति ने स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर वाणिज्य-शिक्षा, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था और व्यवसाय-प्रशासन तथा प्रबन्ध-शिक्षा के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की हैं।

11 औद्योगिक इंजीनियरी की तकनीकों और पद्धतियों का उपयोग करने-योग्य प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी तैयार करने के लिए औद्योगिक इंजीनियरी में प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

तीसरी योजना में रांची के हेवी फाउंड्री और फोर्जिंग कारखाने के सहयोग से, जहां प्रशिक्षणार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और अंशकालीन शिक्षकों के रूप

में काम करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इस क्षेत्र में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के हेतु रांची में 'सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फोर्जिंग ऐंड फाउंड्री इंजीनियरिंग' खोला जाएगा।

12 दूसरी योजना में वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों और प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार, निजी उद्योगों और वाणिज्यिक संस्थाओं के संयुक्त और सहकारी प्रयास से हैदराबाद में प्रशासनिक कर्मचारी कालेज की स्थापना की गई।

अधिकांश विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी का पंचवर्षीय समन्वित डिग्री-पाठ्यक्रम आरम्भ करने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना में छात्रावास-सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने, राज्यों में तकनीकी शिक्षा-मंडलों को शक्तिशाली बनाने और कला-सम्बन्धी शिक्षा का विकास करने के कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

13 सन् 1960-61 में लगभग 2,180 इंजीनियरी डिग्री और डिप्लोमा-धारियों को औद्योगिक संस्थाओं और प्रतिष्ठानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाया गया। व्यावहारिक प्रशिक्षण-वृत्तियां देने के कार्यक्रम को तीसरी योजना में न केवल जारी रखा जाएगा, बल्कि बढ़ाया जाएगा। अनुमान है कि प्रति वर्ष इंजीनियरी की डिग्री प्राप्त करनेवालों में से 25 प्रतिशत को और डिप्लोमा प्राप्त करनेवालों में से 12½ प्रतिशत को तीसरी योजना में व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं दिलाई जा सकेंगी, जब कि दूसरी योजना में ये संख्याएं क्रमश 12 और 3 प्रतिशत ही थी। जहां तक खनिज उद्योग में प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, इस उद्योग की सहायता से निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वांगीण प्रशिक्षण-कार्यक्रम बनाए जाएंगे। जहां कहीं आवश्यकता अनुभव होगी, प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावासों की भी व्यवस्था कर दी जाएगी।

14 दूसरी योजना में तजुर्बे के तौर पर 14 से 17 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए जूनियर तकनीकी स्कूलों की एक योजना बनाई गई, जिसके अन्तर्गत 38 स्कूल खोले गए। तीसरी योजना में 96 जूनियर तकनीकी विद्यालय और खोले जाएंगे। ये स्कूल काफी हद तक पोलिटेक्नीकों से सम्बद्ध होंगे। राज्यों की योजनाओं में लड़कियों और महिलाओं के लिए तकनीकी संस्थानों की भी व्यवस्था है।

15 भारतीय तकनीकी संस्थानों और प्रादेशिक कालेजों में 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। अन्य संस्थानों में इंजीनियरी और टेक्नोलाजी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था बहुत ही कम है। ऐसी आशा है कि तीसरी योजना में यह कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तीसरी योजना में वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त योग्यता के आधार पर और ऋण के रूप में छात्रवृत्तियां देने के लिए 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना में देश-भर के तकनीकी संस्थानों में शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों में से 14 प्रतिशत से भी अधिक को आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जब कि दूसरी योजना के अन्त तक केवल 5 प्रतिशत को ही सहायता मिल रही थी। अन्य पहलुओं के अतिरिक्त, अधिक छात्रवृत्तियां देने का एक लाभ यह भी होगा कि तकनीकी संस्थानों में कुछ हद तक बर्बादी को रोका जा सकेगा, क्योंकि शिक्षा पानेवाले गरीब विद्यार्थी भी अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे।

16 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है, तकनीकी संस्थानों में

विद्यार्थियों की तेजी से बढती हुई संख्या के लिए उचित मूल्य पर पर्याप्त पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराना, देश में ही उन पुस्तकों को तैयार कराना और उन्हें विदेशी पुस्तकें उपलब्ध कराना। इस समय इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।

शिक्षक

17 तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि पर्याप्त संख्या में योग्यता-प्राप्त शिक्षक मिलें। इस समय इंजीनियरी कालेजों और पोलिटेक्नीकों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए बहुत-से उपायों पर विचार किया जा रहा है। दूसरी योजना में देश तथा विदेशों में जो शिक्षक-प्रशिक्षण-कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे, उनका और विकास किया जाएगा। तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के वेतन-क्रम बढाए जा रहे हैं और उनकी सेवाओं की सामान्य शर्तों में सुधार किया जा रहा है। ऐसी योजनाओं को अधिकाधिक बढाया जाना चाहिए, जिनके अन्तर्गत शिक्षकों की अग्रिम नियुक्ति की जा सके और संस्थानों में शिक्षा-कार्य के लिए सामान्य संख्या से अधिक पदों को स्वीकृति दी जा सके। इंजीनियरी और टेक्नोलाजी में स्नातकोत्तर-अध्ययन का विकास होने के फलस्वरूप शिक्षण-कार्य के लिए पहले से अधिक संख्या में विशेषज्ञ और अनुसन्धान-सम्बन्धी योग्यतावाले व्यक्ति मिल सकेंगे। संस्थानों के लिए यह वाछनीय है कि वे विभिन्न उद्योगों में कार्य करनेवाले इंजीनियरों और कार्यपालक अधिकारियों को अंशकालीन शिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए आमन्त्रित करें। पुनःस्मरण-पाठ्यक्रमों तथा गोष्ठियों से प्रत्येक स्तर के शिक्षण-कार्य को उन्नत किया जा सकता है।

शिल्पियों का प्रशिक्षण

18 औद्योगिक विकास के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि कुशल कर्मचारियों या शिल्पियों की संख्या में समुचित वृद्धि हो जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उनकी कारीगरी में गुण की दृष्टि से उत्तरोत्तर सुधार होता जाए। विशिष्ट कौशल और तत्सम्बन्धी प्रक्रियाओं को समझने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसलिए विभिन्न देशों में व्यावसायिक स्कूलों में प्रवेश के लिए अनिवार्य निम्नतम योग्यता और सामान्य शिक्षा के स्तर को बढाने की प्रवृत्ति रही है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तीसरी योजना में 13 लाख शिल्पियों की आवश्यकता होगी—8,10,000 की इंजीनियरी व्यवसायों में और शेष की गैर-इंजीनियरी व्यवसायों में। इस समय शिल्पियों या कुशल कर्मचारियों और कामगारों को कई प्रकार के संस्थानों में विभिन्न ढंगों से प्रशिक्षित किया जाता है। इनमें ये शामिल हैं (1) श्रम तथा नियोजन-मन्त्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान, (2) प्रतिरक्षा, रेल, डाक-तार, आदि सरकारी विभाग एवं संस्थाएं और सार्वजनिक प्रतिष्ठान, जिनमें प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, (3) राज्यों के उद्योग-विभागों और वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय-द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रदत्त प्रशिक्षण-सुविधाएं, (4) सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण कारीगरों के प्रशिक्षण-केन्द्र, (5) निजी तौर पर चलाए जानेवाले

असख्य औद्योगिक स्कूल, और (6) एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से कारीगरी सीखने का परम्परागत तरीका।

19 आजकल जो नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें विधिवत प्रशिक्षण-प्राप्त शिल्पियो की पहले से कही अधिक सख्या में आवश्यकता है। पहली योजना के अन्त में श्रम तथा नियोजन-मन्त्रालय-द्वारा सचालित किए गए कार्यक्रमो के अन्तर्गत विभिन्न राज्यो में 59 प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा चुके थे। इनमें लगभग 10,500 व्यक्तियो के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। दूसरी योजना के अन्त तक प्रशिक्षण-केन्द्रो की सख्या 167 हो गई थी, जिनमें 42,000 व्यक्तियो को प्रवेश मिल सकता था। इसके अतिरिक्त, विस्थापित लोगो के लिए प्रशिक्षण की विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। तीसरी योजना में लगभग 57,850 शिल्पियो के प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त सुविधाए जुटाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार कुल सख्या लगभग एक लाख हो जाएगी। तीसरी योजना के अन्त तक शिल्पी-प्रशिक्षण-केन्द्रो की सख्या लगभग 318 हो जाएगी। इन सुविधाओ के विस्तार का राज्यवार कार्यक्रम अनुबन्ध में दिया गया है। आशा है कि राष्ट्रीय शिष्यता-प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत लगभग 12,000 व्यक्तियो के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाएगा। । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, शिष्यता-प्रशिक्षण को शीघ्र ही अनिवार्य कर दिया जाएगा और इस सम्बन्ध में विधान बनाया जा रहा है।

औद्योगिक कर्मचारियो के लिए सायकालीन कक्षाओ का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप 11,000 से भी अधिक व्यक्तियो को प्रवेश मिलने लगेगा, जब कि इस समय लगभग 2,000 व्यक्तियो को ही प्रवेश मिल पाता है। शिल्पियो के प्रशिक्षण में 'ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स' के बाद एक 'हायर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स' की भी व्यवस्था की जाएगी। यह कोर्स व्यवसाय-विशेष को दृष्टि में रखते हुए 6 से 12 महीने तक की अवधि का हो सकता है।

20 रेल और प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानो की आवश्यकताए उनके अपने प्रशिक्षण-कार्यक्रमो से पूरी की जा रही हैं। रेल-विभाग में अर्द्धकुशल और अकुशल, दोनो प्रकार के कर्मचारियो के प्रशिक्षण की सुविधाए है। जिन औद्योगिक कर्मचारियो के पास व्यवसाय-विशेष में कोई मान्यता-प्राप्त योग्यता नही है, उनके लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में व्यवसाय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्-द्वारा आयोजित परीक्षाए देकर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने की व्यवस्था है। तमाम सरकारी प्रतिष्ठानो और बहुत-से निजी उद्योगो में अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाए जाते है। शिल्पियो के प्रशिक्षण के लिए प्रतिरक्षा-प्रतिष्ठानो में उपलब्ध प्रशिक्षण-सुविधाओ का उपयोग करने का भी प्रस्ताव है। उन व्यवसायो के लिए, जो उपर्युक्त योजनाओ में नही आते, राज्यो के उद्योग-विभाग लघु उद्योग-कार्यक्रमो के अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण-योजनाओ का सगठन करेंगे। ये योजनाए व्यवसाय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्-द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार बनाई जाएगी। लघु उद्योग-सेवा-सस्थानो और उनके विस्तार-केन्द्रो-द्वारा प्रदान की जानेवाली प्रशिक्षण-सुविधाओ का विस्तार किया जाएगा, ताकि प्रबन्धको, निरीक्षको और विस्तार-कर्मचारियो की माग पूरी हो सके। कई केन्द्रीय मन्त्रालयो और उनसे सम्बद्ध विभागो में कर्मचारियो के लिए व्यावहारिक

प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था है। इनमें राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान, सिंचाई तथा बिजली-मन्त्रालय, भारतीय ऋतु-विज्ञान-विभाग और आकाशवाणी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त अखिल भारतीय लघु उद्योग-मंडलों—नारियल-जटा, रेशम हथकरघा और हस्तशिल्प—तथा खादी और ग्रामोद्योग-आयोग-द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के कुशल तथा अर्द्धकुशल कर्मचारियों के प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। व्यवसाय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् शिल्पियों के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का समन्वय करेगी और उन्हें अधिक उपयोगी बनाएगी।

21 औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थानों और अन्य संस्थानों में शिल्पियों के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक धन्धों के शिल्प-प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। उनके प्रशिक्षण के लिए दूसरी योजना के अन्त तक कलकत्ता, बम्बई और कानपुर में तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थान खोले गए थे। इनके खुल जाने से कुल प्रवेश-क्षमता 500 से भी अधिक हो गई है। इनके अतिरिक्त, महिला प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्थान है। तीसरी योजना में इन संस्थानों की प्रवेश-क्षमता 1,000 से भी अधिक हो जाएगी। इनके अतिरिक्त, मद्रास, हैदराबाद और लुधियाना में तीन नए संस्थान खोले जाएंगे, ताकि तीसरी योजना के अन्त तक विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए लगभग 1,800 व्यक्तियों को प्रवेश मिलने लगे। ऐसा अनुमान है कि तीसरी योजना में इन संस्थानों में लगभग 7 800 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

अनुबन्ध

तकनीकी संस्थाओं का राज्यवार ब्योरा : 1960-61 और 1965-66

राज्य	इंजीनियरी कालेज				पोलिटेक्नीक				औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान			
	1960-61		1965-66		1960-61		1965-66		1960-61		1965-66	
	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता	संख्या	प्रवेश-क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 आन्ध्रप्रदेश	8	1,060	9‡	1,210	19	2,473	20	2,593	10	2,834	18	5,314
2 असम	2	240	3	550	3	480	6	1,080	6	1,166	12	2,966
3 बिहार	7	1,346	7	1,480	11	1,620	16	2,700	15	2,932	27	11,880
4 गुजरात	5	1,055	6	1,325	12	1,610	16	2,150	12	1,720	18	4,232
5 जम्मू और कश्मीर	1	120	1	120	2	240	2	240	2	328	5	1,016
6 केरल	5	580	7‡	1,040	11	1,494	12	2,044	6	2,048	10	4,968
7 मध्यप्रदेश	7	1,085	8	1,385	13	1,352	18	1,982	8	2,980	14	6,020
8 मद्रास	12	1,332	14‡	2,142	24	3,090	27‡	3,790	10	2,480	24	6,012
9 महाराष्ट्र	10	1,515	12	2,155	16	2,155	22	2,915	18	4,210	30	10,386
10 मैसूर	11	1,155	11	1,545	24	2,885	26	3,245	13	2,170	18	4,694

टिप्पणी : टेक्नोलाजी-संस्थान-जैसे अखिल-भारतीय संस्थानों को उन राज्यों में दिखाया गया है, जहां वे स्थित हैं ।

‡ तीसरी योजना में आरम्भ की जानेवाली निजी संस्थाएं भी शामिल हैं ।

अनुबन्ध—(जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11. उड़ीसा	1	120	2	430	6	880	8	1,180	7	1,440	13	2,512
12. पंजाब	6	585	7	955	11	1,480	20	2,740	17	3,546	[illegible]	7,970
13 राजस्थान	3	405	4	770	5	760	8	1,330	6	1,264	17	3,712
14. उत्तरप्रदेश	11	1,152	13	1,842	18	2,182	31	4,492	15	5,904	48	16,304
15 पश्चिम-बंगाल	10	1,578	12‡	1,878	17	2,510	24	3,770	11	3,884	18	7,896
16 दिल्ली	1	200	1	310	1	60	3	720	7	1,684	8	3,008
17. हिमाचलप्रदेश	—	—	—	—	1	120	1	120	2	202	3	598
18 मणिपुर	—	—	—	—	1	60	1	60	1	96	1	184
19. पांडीचेरी	—	—	—	—	—	—	1	60	—	—	—	—
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	1	120	1	180	1	248	2	312
योग	100†	13,858	117	19,137	196†	25,571	263	37,391	167	42,136	318	99,984

‡ तीसरी योजना में आरम्भ की जानेवाली निजी संस्थाएं भी शामिल हैं ।

† सन् 1960-61 तक प्रारम्भ किए गए सभी संस्थान सम्मिलित हैं ।

अध्याय 31

वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान

(1)

वैज्ञानिक अनुसन्धान की भूमिका

किसी देश के विकास मे वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान का बुनियादी महत्व होता है। इसके कारण फसले पहले से बढिया और अधिक मात्रा मे हुई है, रोगों की रोक-थाम और इलाज-द्वारा जनता के स्वास्थ्य में उन्नति हुई है, जल, स्थल और वायु, तीनो प्रकार के परिवहन-साधनो का विकास हुआ है तथा उनकी रफ्तार में वृद्धि हुई है, और इन सबके साथ-साथ लोगो के लिए अधिक सख्या में तथा विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। 'शान्ति के लिए परमाणुओ का प्रयोग' और 'अन्तरिक्ष की खोज' इस अनुसन्धान की नवीनतम चुनौतिया हैं।

2 विज्ञान और टेक्नोलाजी की प्रगति तथा उसके साथ-साथ द्रुत गति से हुए विकास के कारण ही अधिक उन्नत देशो में रहन-सहन का स्तर ऊचा हुआ है। नवीन वैज्ञानिक ज्ञान का प्रवाह अबाध है और उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। इसके अन्तर्गत शुद्ध तथा व्यावहारिक, दोनो प्रकार के अनुसन्धान आते हैं। शुद्ध अनुसन्धान से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और प्रकृति तथा उसके नियमो की जानकारी मिलती है। इसी वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर व्यावहारिक अनुसन्धान का कार्य चलाया जाता है। नए उत्पादन और नई प्रक्रियाओ मे नए सिद्धान्त और नए विचार अपनाए जाते हैं। टेक्नोलाजी की प्रगति विज्ञान के समक्ष नई समस्याए प्रस्तुत करती है और साथ ही उन समस्याओ को सुलझाने के लिए नए उपकरण भी प्रदान करती है।

3 दूसरे महायुद्ध के समय से अधिक उन्नत देशो में वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान का कार्य काफी बढा है। इन देशो की अर्थव्यवस्था मे वैज्ञानिक अनुसन्धान का स्थान बडे महत्व का है और उसे हर प्रकार से बढावा दिया जाता है। अनुसन्धान के क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ इस कार्य पर उत्तरोत्तर अधिक धन लगाया जाता है, वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए गहरी खोज की जाती है, अनुसन्धान-कार्यकर्ताओ की सख्या और योग्यता मे उन्नति होती है, अनुसन्धान-कार्य तेज़ी से किए जाते है और उनके परिणामो तक पहुचने में कम समय लगता है। अधिक उन्नत देशो में अनुसन्धान के विकास का एक और प्रतिफल यह है कि उनमें तथा कम उन्नत देशो में जो अन्तर है, वह बढता आ रहा है। हमारे देश भारत को अधिक उन्नत देशो के बराबर आना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमे वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान का विकास करना होगा और अपने विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमो को विज्ञान के सहारे बढाना होगा। इसके लिए हमें अथक प्रयास करना होगा।

4 वैज्ञानिक अनुसन्धान पर हम जो-कुछ व्यय करते है, वह देश की समृद्धि के लिए महान् और स्थायी योगदान है। उदाहरणार्थ, हम कह सकते हैं कि भारत मे चीनी और कपास के उत्पादन मे जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वह मुख्यत पौधो

की नस्लों से सम्बन्धित तकनीकें अपनाने के कारण है । अधिक उन्नत देशों में सरकार के अतिरिक्त उद्योगों-द्वारा अनुसन्धान के लिए बड़ी मात्रा में धन लगाया जाता है। उद्योग अनुसन्धान पर धन खर्च करते हैं और बदले में अनुसन्धान उद्योगों को उन्नत करता है, इस प्रकार दोनों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित होता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए उद्योगों की ओर से इस समय जो कार्य किया गया है, वह अर्थव्यवस्था की उन्नति और योजनाबद्ध विकास के कारण उपलब्ध अवसरों की दृष्टि से समुचित नहीं है । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए उत्तरोत्तर अधिक धन की व्यवस्था की गई है । कृषि, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-सुविधाओं, कच्चे माल की तलाश और तैयारी, एक प्रकार के कच्चे माल के स्थान पर दूसरे प्रकार के माल की उपलब्धि, और उद्योग, परिवहन, बिजली, संचार-साधन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए उपकरण और तकनीक प्रस्तुत करने में जो उन्नति हुई है, उससे यह पता चलता है कि हमें वैज्ञानिक अनुसन्धान पर लगाए गए धन से कई गुना अधिक लाभ हुआ है। वर्तमान उद्योग-धन्धे चलाने तथा नए उद्योग-धन्धे आरम्भ करने के लिए आवश्यक सामग्रियों का आयात करने का जो बोझ हम पर पड़ा है, उसे हम अनुसन्धान के द्वारा उत्तरोत्तर कम कर सकेंगे और साथ ही अनुसन्धान हमारे निर्यात को बढ़ाने और तकनीकी योग्यता तथा जानकारी में वृद्धि करने में भी सहायक होगा।

5 **वैज्ञानिक नीति के लक्ष्य :** मार्च 1958 के वैज्ञानिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में भारतीय वैज्ञानिक नीति के लक्ष्य निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए गए हैं -

(1) तमाम उपयुक्त साधनों-द्वारा विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के शुद्ध, व्यावहारिक एवं शैक्षणिक, तीनों पक्षों के विकास को ध्यान में रखना, समुन्नत करना और बनाए रखना,

(2) देश-भर में समुचित संख्या में उच्चतम योग्यता रखनेवाले अनुसन्धान-कर्ता वैज्ञानिकों की सेवाएं उपलब्ध कराना और उन वैज्ञानिकों के कार्य को राष्ट्र की शक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग मानना,

(3) विज्ञान तथा शिक्षा, कृषि तथा उद्योग, और प्रतिरक्षा-सम्बन्धी देश की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से समुचित रूप में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को यथासम्भव शीघ्रतापूर्वक आरम्भ करना और बढ़ावा देना,

(4) पुरुषों और स्त्रियों की सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करने के पूर्ण अवसर जुटाना,

(5) शिक्षा के स्वतन्त्र वातावरण में नवीन ज्ञान की खोज और ज्ञान की प्राप्ति तथा उसके प्रसार के लिए व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहन देना, और सामान्य रूप से

(6) ऐसा सुनिश्चित वातावरण तैयार करना, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का समस्त जनता के हित के लिए प्रयोग किया जा सके।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने यह निश्चय किया कि वैज्ञानिकों के लिए सेवा की शर्तें अच्छी रखी जाएं, नीति-निर्धारण के कार्य में उनका सहयोग लिया जाए और उन्हें राष्ट्रीय जीवन में सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए।

6 **अनुसन्धान कार्यक्रम :** पहली पचवर्षीय योजना में अधिक ध्यान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ और अन्य अनुसन्धान-सस्थानो के निर्माण की ओर दिया गया। दूसरी योजना में उपलब्ध सुविधाओ का विकास किया गया, अनुसन्धान के कार्य-क्षेत्र को और अधिक विस्तृत किया गया, तथा विश्वविद्यालयो एव अन्य अनुसन्धान-केन्द्रो में अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओ को बढाया गया। तीसरी योजना में वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान-कार्यक्रम विशेषत निम्नांकित उद्देश्यो की पूर्ति के लिए बनाया जाएगा

(1) वर्तमान अनुसन्धान-सस्थानो को मजबूत बनाना और अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओ में यथावश्यक वृद्धि करना, ताकि विस्तृत क्षेत्र में अनुसन्धान किया जा सके,

(2) विश्वविद्यालयो में बुनियादी अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना,

(3) इजीनियरी और टेक्नोलाजी में अनुसन्धान के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन देना,

(4) अनुसन्धान-कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षण देना और अनुसन्धान-शिष्यवृत्तियो तथा छात्रवृत्तियो के कार्यक्रम को बढाना,

(5) वैज्ञानिक और औद्योगिक औजारो के निर्माण और विकास के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना,

(6) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ, विश्वविद्यालयो, तकनीकी सस्थानो, वैज्ञानिक सघो की प्रयोगशालाओ तथा सरकारी विभागो के अनुसन्धान-सगठनो में किए जानेवाले अनुसन्धान-कार्य में समन्वय स्थापित करना, और

(7) प्रायोगिक उत्पादन-सयन्त्रो तथा बडे पैमाने के परीक्षणो, आदि के आधार पर आजमाइश करने के बाद अनुसन्धानो के परिणामो को प्रयोग में लाना।

7 प्रथम दो योजनाओ की अवधि में हुए विकास के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक अनुसन्धान-सस्थानो का एक विस्तृत जाल-सा बिछ गया है, और बहुत-से केन्द्रो में शुद्ध अनुसन्धान, व्यावहारिक अनुसन्धान तथा विशिष्ट अनुसन्धान का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यत विश्वविद्यालयो एव वैज्ञानिक सस्थाओ तथा सघो की प्रयोगशालाओ में शुद्ध विज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाता है। वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् तथा देश-भर के विश्वविद्यालयो एव अन्य सस्थानो में बुनियादी अनुसन्धान को बढावा दिया जाता है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ, सहकारी औद्योगिक अनुसन्धान-सघो तथा कुछ औद्योगिक उपक्रमो में व्यावहारिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान का कार्य किया जा रहा है।

कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ, टेक्नोलाजी-सम्बन्धी सस्थानो, विश्वविद्यालयो से सम्बद्ध इजीनियरी कालेजो और सडक, रेल, भवन-निर्माण, सिंचाई, बिजली, सचार-साधन, उड्डयन, आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी विभागो के अनुसन्धान-संगठनो में इजीनियरी के विषयो पर अनुसन्धान किया जा रहा है।

भारतीय खान-संस्था, भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-संस्था, राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगशाला, केन्द्रीय ईंधन-अनुसन्धान-संस्था, केन्द्रीय खनिज अनुसन्धान-केन्द्र और तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग-द्वारा खनिज विज्ञान में अनुसन्धान किया जा रहा है।

चिकित्सा-अनुसन्धान का कार्य मुख्यतया भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान-परिषद्-द्वारा किया जाता है। परिषद् बहुत से केन्द्रों की अनुसन्धान-योजनाओं का समारम्भ कराती है तथा उनका समन्वय करती है।

भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् तथा जिन्स-समितियां कृषि-अनुसन्धान के कार्यों का समारम्भ कराती हैं और उनका समन्वय करती हैं। यह कार्य केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों की ओर से चलाए गए अनेक संस्थानों और अनुसन्धान-केन्द्रों में किया जाता है।

परमाणु-शक्ति तथा आइसोटोपों से सम्बन्ध रखनेवाला अनुसन्धान तथा विकास-कार्य परमाणु-शक्ति-विभाग की देख-रेख में ट्राम्बे के परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान में परमाणु-शक्ति-विभाग के न्यूप्टिक अनुसन्धान-कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है।

8 वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान के लिए साधन : नीचे दी गई तालिका में केन्द्रीय सरकार की ओर से वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान के विकास के लिए किया गया व्यय और तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर प्रस्तावित व्यय दिखलाया गया है

(करोड़ रुपये)

	दूसरी योजना (अनुमानित व्यय)	तीसरी योजना
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् (इसमें बड़े पैमाने के प्रयोग भी शामिल हैं) तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मन्त्रालय	20	35
परमाणु-शक्ति-विभाग	27	35
कृषि-अनुसन्धान	13 8	26 4
चिकित्सा-अनुसन्धान	2 2	3.5
अन्य केन्द्रीय मन्त्रालय (प्रतिरक्षा को छोड़कर) के अनुसन्धान	9	30 89
योग	72	130

तीसरी योजना की अवधि में प्रस्तावित व्यय के अतिरिक्त 75 करोड़ रु० दूसरी योजना के अन्त तक आरम्भ किए गए कार्यक्रमों को जारी रखने पर खर्च किए जाएंगे।

9 वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान के सम्बन्ध में पहली दो योजनाओं की प्रगति और तीसरी योजना के कार्यक्रमों का लेखा-जोखा निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत आगे दिया गया है

(1) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् ;
(2) वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय,
(3) परमाणु-शक्ति-विभाग,
(4) कृषि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसन्धान,

(5) चिकित्सा-अनुसन्धान,
(6) अनुसन्धान के अन्य कार्यक्रम -
    (क) सिंचाई और बिजली ,
    (ख) परिवहन और निर्माण,
    (ग) खनिज पदार्थ,
    (घ) सचार,
(7) चीनी, पटसन तथा अन्य उद्योग,
(8) विश्वविद्यालयो और उच्च टेक्नोलाजी के सस्थानो में (जिनमें इजीनियरी अनुसन्धान और अक-सकलन-सम्बन्धी सस्थान शामिल हैं) अनुसन्धान,
(9) वैज्ञानिक अनुसन्धान का उपयोग,
(10) वैज्ञानिक औजार, और
(11) मानकीकरण, श्रेणी-नियन्त्रण और उत्पादकता।

(2)

वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्

10 **प्रगति का लेखा-जोखा :** वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् अपनी प्रयोगशालाओ और सस्थानो में अनुसन्धान-कार्य करती है और विश्वविद्यालयो तथा अन्य अनुसन्धान-सस्थानो के लिए अनुसन्धान-योजनाओ का समारम्भ कराती है।

11 इस समय 23 राष्ट्रीय और प्रादेशिक प्रयोगशालाओ में मुख्यत व्यावहारिक अनुसन्धान-कार्य किया जाता है। दूसरी योजना में केन्द्रीय मेकैनिकल इजीनियरी अनुसन्धान-सस्था, केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इजीनियरी अनुसन्धान-सस्था, राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला और असम की प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला नामक नई प्रयोगशालाए आरम्भ की गईं। इनके अतिरिक्त, तीन वर्तमान प्रयोगशालाओ का कार्य-सचालन वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् ने अपने हाथ मे ले लिया। इन प्रयोगशालाओ के नाम इस प्रकार हैं—भारतीय जीवरसायन और प्रायोगिक चिकित्सा-सस्था, प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला, हैदराबाद और प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला, जम्मू। कलकत्ता में बिडला औद्योगिक और टेक्नोलाजी-विषयक सग्रहालय की स्थापना की गई है। परिषद् ने औषधीय वनस्पति की उपज बढाने के लिए केन्द्रीय भारतीय औषधीय वनस्पति-सगठन की और वैज्ञानिक औजार बनाने के लिए केन्द्रीय वैज्ञानिक औजार-सगठन की भी स्थापना की है।

12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ में कच्चे माल का सर्वेक्षण और आकलन किया गया है तथा विदेशो से मगाए जानेवाले तथा देश में कम पाए जानेवाले कच्चे माल के स्थान पर प्रयोग की जा सकनेवाली सामग्री के उत्पादन का विकास किया गया है। निर्माण-विधियो को उन्नत किया गया है और बहुत-से नए उत्पादनो का विकास किया गया है। इस सम्बन्ध में जिन चीजो के उत्पादन का विशेष रूप से जिक्र कर दिया जाना चाहिए, वे इस प्रकार हैं—अभ्रक-अवशेष की इन्सुलेटिंग ईंटो का निर्माण, देशी कच्चे

माल से चश्मे, आदि बनाने के काम आनेवाले काच का उत्पादन, निकल-रहित स्टेनलैस इस्पात और सिक्के बनाने के काम आनेवाले धातु मिश्रण का विकास, एक प्रायोगिक सयन्त्र पर घटिया किस्म के खनिज लोहे से लोहे का उत्पादन करने और अधातुकर्मीय कोयले का उत्पादन करने के लिए नीची शैफ्टवाली भट्ठी की स्थापना, बहुप्रयोजनीय खाद्य, खली तथा दूसरे अनाजो पर आधारित प्रोटीनमय खाद्य, मक्खन निकले हुए भैंस के दूध से बनाए गए बच्चो के आहार, सूखे फलो से बनाई गई चीजें, तम्बाकू-अवशेष से निकोटीन सल्फेट का उत्पादन, इमली के बीजो से बनाए गए 'पोल्योसैस', काजू के छिलके से निकलनेवाले लाल पदार्थ से आयन-विनिमय कारी रेज़िन का उत्पादन, घटिया किस्म के कोयले से रग-विरोधी एव आयन-विरोधी कार्बन निकालना, लकडी के बुरादे और दूसरे लिग्नो-सेल्युलोजिक फालतू पदार्थों से भवन-निर्माण के काम आनेवाले तख्ते बनाना, मिट्टी के कडन्सर का निर्माण, यातायात-नियन्त्रण के लिए स्वचालित इलेक्ट्रानिक यन्त्र की तैयारी और बधिर बच्चो के लिए समूह-श्रवण सहायक यन्त्र का निर्माण। कोयला, मैंगनीज और अन्य धातुओं का स्तर ऊचा करने की विधियो का भी विकास किया गया है।

13 परिषद् ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ के अतिरिक्त देश-भर में बहुत-से अनुसन्धान-केन्द्रो और इकाइयो की स्थापना की है। सुगन्धित तेल के पौधो की खेती के विकास के लिए लगभग पाच अनुसन्धान-सस्थान केवल सुगन्धित तेलो के सम्बन्ध में शोध कर रहे हैं, दिल्ली के चन्द्रावल वाटर वर्क्स में एक जन-स्वास्थ्य इजीनियरी अनुसन्धान-केन्द्र और एक वर्षा तथा मेघ-सम्बन्धी भौतिकी अनुसन्धान-इकाई काम कर रही है। गैस-टरबाइनो, वात-शक्ति, औषधीय वनस्पति और भूचाल-इजीनियरी, आदि के लिए भी अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

14 परिषद् विभिन्न विश्वविद्यालयो और सस्थानो में अनुसन्धान-योजनाओं का समारम्भ भी कराती है और विशिष्ट अनुसन्धान-योजनाओ के लिए सहायता-अनुदान देती है। ये अनुदान परिषद् की विभिन्न विषयो पर काम करनेवाली 13 अनुसन्धान-समितियो की सलाह पर दिए जाते हैं। इन समितियो में विश्वविद्यालयो, अनुसन्धान-सस्थानो, उद्योगो तथा सम्बद्ध सरकारी विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। सन् 1960-61 में 90 विभिन्न केन्द्रो मे 360 से भी अधिक अनुसन्धान-योजनाए आरम्भ की गई।

15 वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् में एक राष्ट्रीय रजिस्टर-इकाई है, जो देश-भर के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकर्ताओ के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखती है। यह इकाई विदेशो में प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले भारतीय वैज्ञानिको की एक अलग सूची भी रखती है।

छोटे और बड़े दर्जे की अनुसन्धान-छात्रवृत्तिया देने की एक योजना वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् ने आरम्भ की है। ये छात्रवृत्तिया राष्ट्रीय प्रयोग-शालाओ के अतिरिक्त विश्वविद्यालयो और अन्य सस्थानो के विद्यार्थी भी प्राप्त कर सकते हैं।

वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् में एक वैज्ञानिक समुच्चय भी है, जो विदेशो में प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए वैज्ञानिको को अस्थायी तौर पर कार्य

दिलाता है और जब तक उन्हें उन विषयो से सम्बन्धित कार्य नही मिल जाता, जिनमें कि वे विशेषज्ञ हैं, तब तक उन्हें उपयुक्त कार्य दिलाता रहता है। इस वैज्ञानिक समुच्चय की क्षमता हाल मे 100 से बढा कर 200 कर दी गई है।

सेवा-नियुक्त अनुसन्धान-कार्य करनेवाले वैज्ञानिको को अपने सक्रिय अनुसन्धान जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना सन् 1958 में आरम्भ की गई थी।

16 **औद्योगिक अनुसन्धान :** परिषद् की यह नीति रही है कि उद्योग-सम्बन्धी समस्याओ पर अनुसन्धान करने के लिए उद्योगो-द्वारा स्थापित सहकारी अनुसन्धान-सघो को प्रोत्साहन दिया जाए। इस नीति के अनुसार, परिषद् ने रेशम तथा नकली रेशम, रबर और रजक-उद्योगो-द्वारा स्थापित सहकारी अनुसन्धान-इकाइयो तथा अहमदाबाद, बम्बई और कोयम्बुतूर मे वस्त्र-उद्योग-अनुसन्धान-एसोसिएशनो-द्वारा स्थापित सहकारी अनुसन्धान-इकाइयो को सहायता दी है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ ने विभिन्न उद्योगो को तकनीकी सलाह और परीक्षण की सुविधाए प्रदान की हैं। इनके अतिरिक्त, प्रयोगशालाओ ने अप्राप्य कच्चे माल के स्थान पर प्रयोग करने-योग्य सामग्री की जाच करने में भी सहायता दी है। परिषद् औद्योगिक संघो, वाणिज्य-चेम्बरो और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो के तकनीकी विभागो से सम्पर्क रखती है, ताकि समस्याओ का सही ज्ञान हो सके और उपयुक्त प्रयोगशालाओ में उनका अध्ययन किया जा सके। उद्योगो से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए औद्योगिक सम्पर्क-कार्यालयो की भी स्थापना की गई है।

17 **राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ के कार्यक्रम :** प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने अपने कार्य का लेखा-जोखा किया है और तीसरी योजना के लिए विकास-कार्यक्रम बनाए हैं। इन कार्यक्रमो की कुछ प्रमुख बातो का सक्षेप में यहा जिक्र कर देना उचित होगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में रेडियो के हिस्सो के विकास के लिए एक प्रायोगिक सयन्त्र के स्तर पर काम किया जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की ओर से रगाई की सामग्री तथा अकार्बनिक अन्तरायको और सुगन्धित तेलो से सम्बद्ध नए विभाग शुरू किए जाएगे और बहुत-सी नई प्रायोगिक सयन्त्र-परियोजनाए आरम्भ की जाएगी। राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगशाला मिश्र इस्पात के लिए और विभिन्न परिस्थितियो में क्षरण की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना करेगी। केन्द्रीय ईंधन-अनुसन्धान-सस्था घटिया किस्म के कोयले का उपयोग करने के सम्बन्ध में कार्य करेगी और बडे पैमाने पर प्रायोगिक सयन्त्र पर परीक्षण आरम्भ करेगी। काच और मृत्तिका-सस्था चश्मे, आदि बनाने के काम आनेवाले काच के उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक सयन्त्र और अभ्रक से विभिन्न प्रकार की चीजे बनाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए एक अलग शाखा स्थापित करेगी। केन्द्रीय औषध-अनुसन्धान-प्रयोगशाला की कीटाणुनाशक तथा बढिया रसायनो के लिए एक विभाग खोलेगी। केन्द्रीय खाद्य-टेक्नोलाजी अनुसन्धान-सस्था फलो तथा सब्जियो के परिरक्षण के लिए कुछ प्रादेशिक केन्द्र खोलेगी। केन्द्रीय सड़क-अनुसन्धान-सस्था पुल-निर्माण-सम्बन्धी समस्याओ के अध्ययन के लिए एक नए विभाग की स्थापना करेगी। केन्द्रीय भवन-निर्माण-अनुसन्धान-सस्था पाच प्रादेशिक अनुसन्धान-इकाइया आरम्भ करने का विचार रखती है। केन्द्रीय चर्म-अनुसन्धान-सस्था

की ओर से भी प्रादेशिक विस्तार-केन्द्र खोले जाएंगे। केन्द्रीय विद्युत-रसायन-अनुसन्धान-संस्था क्षरण तथा रसायन-भौतिकी पर अनुसन्धान करने के लिए नए विभाग खोलेगी। केन्द्रीय नमक-अनुसन्धान-संस्था 'एल्गोलाजी' पर कार्य करेगी और 'साल्ट-बिटर्न्स' से उपोत्पादन प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करेगी।

भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक आलेख-केन्द्र का विस्तार किया जाएगा, ताकि वह वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी के राष्ट्रीय सूचना-केन्द्र के रूप में काम कर सके।

दूसरी योजना में जो संस्थान आरम्भ किए गए थे, उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है : दुर्गापुर की केन्द्रीय मेकैनिकल इंजीनियरी अनुसन्धान-संस्था, नागपुर की केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसन्धान-संस्था, बंगलोर की राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, असम की प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला, केन्द्रीय भारतीय औषधीय वनस्पति-संगठन और केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण-संगठन। तीसरी योजना में इन संस्थानों में हर प्रकार के साज-सामान की व्यवस्था की जाएगी।

18 तीसरी योजना में नए अनुसन्धान-संस्थान : तीसरी योजना में बहुत-से नए संस्थान और अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। इन संस्थानों में पेट्रोलियम-संस्था, राष्ट्रीय जीवविज्ञान-प्रयोगशाला और एक प्रादेशिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला भी शामिल है।

पेट्रोलियम तथा इससे बनाई गई चीजों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए देहरादून में पेट्रोलियम-संस्था स्थापित की जा रही है।

राष्ट्रीय जीवविज्ञान-प्रयोगशाला में शरीर-विज्ञान 'साइटोलाजी' तथा प्रजनन-विज्ञान, प्रायोगिक भ्रूण-विज्ञान जीवाणु-विज्ञान, विषाणु-विज्ञान तथा उपचार-विज्ञान, जीव-भौतिकी तथा 'बायोमेट्री' और जीव-रसायन-विज्ञान के विभाग खोले जाएंगे।

रुड़की की केन्द्रीय भवन-निर्माण-अनुसन्धान-संस्था की बम्बई-स्थित प्रादेशिक इकाई के साथ एक अग्नि-अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस केन्द्र में आग लग जाने की समस्याओं पर अनुसन्धान किया जाएगा और यह केन्द्र आग लग जाने के खतरों से बचने की समस्याओं पर सलाह देगा।

भवनों पर भूचाल के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में अध्ययन करने तथा भूचाल-सह भवनों के डिजाइन बनाने के लिए दूसरी योजना में रुड़की में जो भूचाल-इंजीनियरी अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किया गया था, उसको और सुगठित किया जाएगा।

राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगशाला, जमशेदपुर, में नीची शैफ्टवाली भट्ठी की परियोजना के अन्तर्गत एक मार्गदर्शक संयन्त्र स्थापित किया गया था। यह संयन्त्र कोक बनानेवाले कोयले का प्रयोग किए बिना लोहा-उत्पादन का परीक्षण करने के लिए स्थापित हुआ था। लौह-मिश्र धातुओं का उत्पादन करने के लिए इस संयन्त्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत नीची शैफ्टवाली भट्ठी की गैस से घटिया दर्जेवाली कच्ची मैंगनीज की किस्म को बढ़िया करने तथा परिशुद्ध लोहे के उत्पादन का भी काम किया जाएगा।

तीसरी योजना में स्वचालित वाहनों, सीमेंट, गढ़ाई, छपाई, खाद्य तथा सम्बद्ध उद्योगों के लिए सहकारी अनुसन्धान-संघ स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(3)

वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय

19 भारतीय सर्वेक्षण-सस्था, राष्ट्रीय एटलस-सगठन, वनस्पति-विज्ञान तथा प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-सस्थाओ और केन्द्रीय भूभौतिकीय मडल-जैसे अनुसन्धान-सगठनो का विकास करने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए अनुदान देने का काम वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय करता है।

20 **भारतीय सर्वेक्षण-सस्था** : पहली और दूसरी योजनाओ की अवधि मे मानक पैमाने पर देश में 1 66 लाख वर्ग मील क्षेत्र का विभागीय सर्वेक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, पश्चिम-पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा-रेखा के निर्धारण का कार्य अधिकाशत पूरा कर लिया गया। इस सस्था ने 150 से भी अधिक नदी-घाटी, बाढ-नियन्त्रण तथा औद्योगिक परियोजनाओ के सिलसिले मे लगभग 1,10,000 वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। अन्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के कार्यक्रमो के अन्तर्गत किए गए अध्ययनो मे भारतीय सर्वेक्षण-सस्था ने भाग लिया। पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत परियोजनाओ के सर्वेक्षण-कार्य तथा उनके मानचित्र बनाने के काम की भारी माग को पूरा करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण-सस्था ने विस्तार, यन्त्रीकरण और आधुनिकीकरण की एक योजना बनाई है। तीसरी योजना की अवधि में भारतीय सर्वेक्षण-सस्था 'कार्टोग्राफी', 'ज्योडेसी' और 'फोटोग्रामेट्री' के लिए अलग-अलग अनुसन्धान-प्रकोष्ठ स्थापित करने का विचार रखती है।

21 **राष्ट्रीय एटलस-सगठन** : राष्ट्रीय एटलस-सगठन की मजूरी सन् 1956 में दी गई थी। इसके सामने बहुत बडा कार्यक्रम है। इस सस्था ने भारत के राष्ट्रीय एटलस का प्रारम्भिक हिन्दी-सस्करण निकाल दिया है और आजकल मुख्य सस्करण की तैयारी में व्यस्त है। यह सस्था जनसख्या, प्रकृति, परिवहन, इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के मानचित्र धारावाहिक रूप से निकालने का विचार रखती है।

22 **भारतीय वनस्पति-विज्ञान-सर्वेक्षण सस्था** : भारतीय वनस्पति विज्ञान-सर्वेक्षण-सस्था ने तीसरी योजना के लिए एक विकास-कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक वनस्पति-विज्ञान और औषधीय पौधो के लिए विभाग स्थापित करना, समुद्री जल तथा दूसरे जल में होनेवाले पौधो-सहित नर और मादा-विहीन पौधो का एक राष्ट्रीय सग्रह बनाना, लकडी, 'पालेन', 'फासिल' और 'कार्पोलाजिकल' वस्तुओ का एक केन्द्रीय समुच्चय बनाना, और भिन्न जलवायुवाले क्षेत्रो में प्रायोगिक उद्यान लगाना सम्मिलित है। मरुस्थल-नियन्त्रण, बाढ-नियन्त्रण, मिट्टी-सरक्षण और वन्य प्राणियो पर और अधिक ध्यान देने के लिए भारतीय इकोलाजी-अनुसन्धान-परिषद् का और विकास करने का प्रस्ताव है। वनस्पति-विज्ञान-सर्वेक्षण-सस्था तीसरी योजना में दो नए सगठन बनाने का विचार रखती है। इनमें से एक क्रॉप्ट बटेनिस्ट की समस्याओ पर कार्य करेगा।

23 **भारतीय प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-विभाग** : दूसरी योजना में प्राणिविज्ञान-सर्वेक्षण-सस्था की ओर से पशु-पक्षियो के सम्बन्ध में, साभर झील के सम्बन्ध में तथा पश्चिमी-कराइकल का सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षणो के अन्तर्गत कई हजार पशु-पक्षी इकट्ठे

किए गए, उनका अध्ययन किया गया और राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान-संग्रहालय में रखा गया। तीसरी योजना में इस विभाग की विकास-योजनाओं में 'इकोलाजी' और वन्य-प्राणी-संरक्षण तथा 'पालेजुलाजी' के लिए नए खंड खोलने की और स्वच्छ जल तथा ऊंचे धरातल के जीवन-विज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान करने के लिए दो नए क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की व्यवस्था भी शामिल है। समुद्र-सर्वेक्षण इकाई का भी विस्तार किया जाएगा।

24 केन्द्रीय भूभौतिकी मंडल : दूसरी योजना में केन्द्रीय भूभौतिकी मंडल ने भूभौतिकी अनुसन्धान-शाखा और समुद्र-वर्णना-अनुसन्धान-शाखा आरम्भ की। ये शाखाएं अभी आरम्भिक अवस्था में ही हैं। तीसरी योजना के आरम्भ में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् इन शाखाओं का कार्य-भार सम्भाल लेगी। भूभौतिकी अनुसन्धान-शाखा भू-भौतिकी समन्वेषण और उपकरण-सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देगी।

समुद्र-वर्णना-अनुसन्धान-शाखा अरब-सागर और बंगाल की खाड़ी के विस्तृत क्षेत्रों में सामुद्रिक तथ्य एकत्र करेगी। यह शाखा सन् 1960-64 में होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र-अभियानों में भाग लेगी।

25 वैज्ञानिक संस्थाओं और संघों के लिए सहायता : वैज्ञानिक संस्थाएं और संघ अपने अनुसन्धान-संस्थान चलाते हैं तथा उदीयमान युवक-वैज्ञानिकों को छात्र-वृत्तियां और शिष्यवृत्तियां प्रदान करते हैं। दूसरी योजना में वैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय ने वैज्ञानिक संस्थाओं और संघों को लगभग 2 करोड़ रुपये सहायता-अनुदान के रूप में दिए। जिन संगठनों को सहायता दी गई, उनमें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान-संस्था, भारतीय विज्ञान-कांग्रेस-संघ, भारतीय विज्ञान-उन्नयन संघ, बोस-संस्था, भारतीय विज्ञान-अकादेमी (रमण-संस्था), भौतिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला (अहमदाबाद) और बीरबल साहनी पालियो-वनस्पति-विज्ञान-संस्था शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, गणित-शास्त्र, वनस्पति-विज्ञान, प्राणिविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, खनन-विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में काम करनेवाली अन्य योग्य वैज्ञानिक संस्थाओं को भी सहायता दी जाती है।

26 पिछले कुछ वर्षों से देश में पर्वतारोहण के सम्बन्ध में दिलचस्पी दिखाई जा रही है। दार्जिलिंग में हिमालय-पर्वतारोहण-संस्था स्थापित होने के बाद से इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तीसरी योजना में पर्वतारोहण-सम्बन्धी अनुसन्धानों और अभियानों को आवश्यक सहायता दी जाएगी।

दूसरी योजना के अन्त में दार्जिलिंग में हिमालयवर्ती प्राणी-उद्यान की स्थापना की गई थी। तीसरी योजना में इसका और अधिक विकास किया जाएगा।

27 विज्ञान-मन्दिर : विज्ञान-मन्दिर-योजना (ग्रामीण विज्ञान-प्रयोगशाला) का उद्देश्य वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार और ग्रामीण जनता के नित्य-प्रति के जीवन में विज्ञान का समावेश करना है। दूसरी योजना के अन्त तक 39 विज्ञान-मन्दिर स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना के कार्य का लेखा-जोखा एक समिति ने लिया है। इस समिति की सिफारिश है कि सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के क्षेत्र में विज्ञान-मन्दिरों को प्रसिद्ध सार्वजनिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं के निकट सहयोग में कार्य करना चाहिए और इन विज्ञान-मन्दिरों का प्रशासन राज्य-सरकारों को सम्भाल लेना चाहिए। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं। अस्थायी रूप से यह अनुमान लगाया गया है

कि तीसरी योजना के काल में 160 अतिरिक्त विज्ञान-मन्दिरो की स्थापना की जाएगी।

(4)
परमाणु-शक्ति-विभाग

28 परमाणु-शक्ति-विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं बिजली के उत्पादन में परमाणु-शक्ति के प्रयोग का विकास, और वैज्ञानिक अन्वेषणो में 'ट्रेसरों' के रूप में तथा विकिरण के साधन के रूप में आइसोटोपो के व्यापक प्रयोग-द्वारा कृषि, जीवविज्ञान, उद्योग तथा चिकित्सा में उसका अधिकाधिक प्रयोग है। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भाडार भारत में है। हमारा अन्तत उद्देश्य यह है कि देश में न्यैष्टिक शक्ति का उत्पादन थोरियम पर आधारित हो। इस काम के लिए काफी लम्बे समय तक अनुसन्धान करना होगा और भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, धातुकर्म और इजीनियरी के क्षेत्र में कितनी ही कठिन टेक्नोलाजी-विषयक समस्याओं को हल करना होगा।

29 **परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान :** ट्राम्बे में जनवरी 1957 में स्थापित किया गया परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान परमाणु-शक्ति के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी विकास-कार्य का मुख्य केन्द्र है। इस समय 1,300 से भी अधिक स्नातक वैज्ञानिक और इजीनियर इसमें काम कर रहे है। इनको प्रतिष्ठान में काम करते हुए उच्च प्रशिक्षण दिया गया है। प्रतिष्ठान का कार्य कोई 15 विभागो में बटा हुआ है। ये विभाग भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीवविज्ञान, चिकित्सा, इजीनियरी और धातुकर्म-सम्बन्धी वैज्ञानिक कार्य करते है।

भौतिक विज्ञान-समूह मे न्यैष्टिक भौतिकी, स्वास्थ्य भौतिकी और इलैक्ट्रानिक्स-विभाग तथा तकनीकी भौतिकी अनुभाग है। न्यैष्टिक भौतिकी विभाग विभिन्न पदार्थो में न्यूट्रनो के विग्रह तथा उनके धीमे पड जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण खोज-कार्य कर रहा है। यह कार्य ठोस पदार्थों के बुनियादी भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने तथा न्यैष्टिक प्रतिकारियो के डिज़ाइन तैयार करने के लिए आवश्यक है। न्यूट्रनो के बिखरने और उनकी दूसरी प्रतिक्रियाओ के सम्बन्ध में भी कार्य आरम्भ किया जानेवाला है।

स्वास्थ्य भौतिकी विभाग का 'एयर मानिटरिंग' अनुभाग न केवल ट्राम्बे-प्रतिष्ठान के इर्द-गिर्द के प्रमुख स्थानो पर एयर मानिटरिंग का कार्य करता है, बल्कि इसने वायु वर्षा-जल और दूध में रेडियो-सक्रिय तत्वो का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागो में 34 केन्द्र भी स्थापित किए है। इसने परमाणु-विस्फोटो की विनाश-कारी तत्व-वर्षा की रोकथाम सम्भव होती है। विशेष रूप से बम्बई के आसपास उगने-वाली वनस्पति में रेडियो-सक्रिय तत्वो को मापा जाता है और परमाणविक विनाश-कारी तत्व-वर्षा के कारण गृहीत रेडियो-स्ट्रानटियम का असर जानने के लिए जानवरों और मनुष्यो की हड्डियो में स्ट्रानटियम को मापा जाता है।

स्वास्थ्य भौतिकी विभाग के विकिरण-परिमाप-अनुभाग ने ट्राम्बे-प्रतिष्ठान में विकिरण तथा रेडियो-सक्रिय पदार्थों से सम्बद्ध कर्मचारियो के लिए और न्यैष्टिक

रूप से देश के अस्पतालो और अनुसन्धान-सस्थानो के लिए एक 'फिल्म बैज सर्विस' चला रखी है।

इलैक्ट्रानिक्स-विभाग ने परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान में काम आनेवाले तथा रेडियो-सक्रिय खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण में काम आनेवाले लगभग सभी उपकरण तैयार कर लिए हैं। तीसरी योजना के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक उपकरणो की समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन-कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। 'अप्सरा' और 'जरलीना' प्रतिकारियो की नियन्त्रण-प्रणालियो का विकास प्रतिकारी-नियन्त्रण-अनुभाग ने किया था, जो अब हर प्रकार के प्रतिकारियो के लिए, जिनमें न्यैप्टिक शक्ति-केन्द्र भी शामिल हैं, नियन्त्रण-प्रणाली की रचना कर सकता है।

तकनीकी भौतिकी अनुभाग उन उपकरणो के निर्माण और विकास-कार्य मे लगा है, जो अब तक विदेशो मे मगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के कितने ही 'स्पेक्ट्रोमीटरों' तथा अन्य उपकरणो के डिज़ाइन बनाए जा चुके हैं और उन्हें तैयार भी किया जा चुका है।

30 रसायन-विज्ञान-समूह में विश्लेषणात्मक रसायन-विज्ञान, आइसोटोप, रेडियो-रसायन और रासायनिक इजीनियरी के विभाग हैं तथा एक कठिन कार्य-अनुभाग है। इस समूह ने ऐसी तकनीको का विकास किया है, जिनसे परमाणविक दृष्टि मे शुद्ध पदार्थों में जरा-सी भी अशुद्धता को ढूढ निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रैफाइट में करोडवें हिस्से तक के बेरोन का पता लगाया जा सकता है। रेडियो-आइसोटोपो के उत्पादन तथा प्रयोग के सम्बन्ध में और रेडियो-आयोडीन, रेडियो-फास्फोरस, रेडियो-स्वर्ण, रेडियो-सोडियम, रेडियो-लौह, इत्यादि-जैसे अत्यधिक रेडियो-सक्रिय पदार्थों के प्रयोग तथा प्रबन्ध के सम्बन्ध मे तकनीको का इतना विकास कर लिया गया है कि अब अनुसन्धान और चिकित्सा के कार्यों में उनका प्रयोग करना सरल हो गया है। प्रयोग में आ चुके ईंधन के तत्वो से प्लुटोनियम और दुर्लभ मृत्तिकाए अलग निकालने की औद्योगिक प्रक्रियाओ का विकास करने के लिए प्लुटोनियम और दुर्लभ मृत्तिकाओ के रासायनिक गुणो के अध्ययन पर महत्वपूर्ण कार्य किया जा चुका है। अपरिष्कृत यूरेनियम साल्ट के परमाणविक रूप में शुद्ध यूरेनियम तैयार करने के लिए अनुसन्धान और विकास-कार्य किए गए है। इस कार्य के आधार पर एक प्रायोगिक सयन्त्र का सफलतापूर्वक डिज़ाइन बनाया गया और उसका निर्माण किया गया, जो सन् 1959 के अप्रैल मास से कार्य कर रहा है। इस सयन्त्र से जो यूरेनियम तैयार किया गया, वह 'जरलीना' और 'कनाडा-भारत' प्रतिकारी के लिए ईंधन का काम देता है। कच्चे यूरेनियम से यूरेनियम निकालने के लिए बिहार में जो यूरेनियम-कारखाना स्थापित किया जानेवाला है, उसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और 'फ्लोशीट' तैयार कर ली गई हैं। तांबे के अवशेष से थोड़े परिमाण में यूरेनियम निकालने के लिए एक प्रक्रिया का विकास किया गया है, जिसका एक प्रायोगिक सयन्त्र पर परीक्षण किया जा रहा है। नत्रजन 14-जैसे स्थायी आइसोटोप बनाने के लिए प्रायोगिक सयन्त्र स्थापित किए गए हैं। भारी पानी तैयार करने की विभिन्न विधियो पर काम किया जा रहा है। परमाणु प्रतिकारियो में प्रयोग के बाद भारी पानी का स्तर गिर जाता है, उसे फिर से उच्च स्तर पर लाने के सम्बन्ध में काफी काम किया जा रहा है। यूरेनियम, थोरियम तथा परमाणु-शक्ति-कार्य के लिए महत्वपूर्ण अन्य मिश्र धातुओ के

विकास के सम्बन्ध में बुनियादी अनुसन्धान-कार्य धातुकर्म-विभाग में किया जा रहा है। 'एलीमेंट' के उत्पादन के लिए एक कारखाने का डिजाइन बनाने, उसका निर्माण करने और उसे चलाने का भी श्रेय इसी विभाग को है। यूरेनियम-धातु और ईंधन-निर्माण-सयन्त्रो की स्थापना के फलस्वरूप भारत को उन कुछ देशो के बीच स्थान प्राप्त हो गया है, जो अपनी ईंधन-सामग्रियो की स्वय व्यवस्था करते हैं।

31 इजीनियरी-समूह में तीन विभाग हैं प्रतिकारी-इजीनियरी, प्रतिकारी-सचालन और इजीनियरी-सेवा। इस समूह का सम्बन्ध परमाणु-प्रतिकारियो की डिजाइन निर्माण और सचालन-सम्बन्धी इजीनियरी समस्याओ से है। प्रतिकारियो में प्रयुक्त सामग्रियो के आचरण का अध्ययन करने के लिए इस समूह ने सात 'लूपो' के डिजाइन तैयार किए और उनका निर्माण किया। 'अप्सरा' और 'जरलीना' के यान्त्रिक तथा इजीनियरी डिजाइन भी इसी समूह ने तैयार किए थे।

अगस्त, 1956 को 'अप्सरा' ने कार्य आरम्भ किया और चार वर्ष तक लगातार बिना किसी गडबडी के काम करता रहा, 4 अगस्त, 1960 को मरम्मत तथा नवीकरण के लिए इसे बन्द करना पडा। इन चार वर्षों में यह प्रतिकारी 22 लाख किलोवाट-घटे चला और भारत में तैयार किए गए अधिकाश रेडियो-आइसोटोप यही बने। इसके अतिरिक्त, भौतिक विज्ञान-सम्बन्धी प्रयोगो के लिए भी यह प्रतिकारी बहुत मूल्यवान साबित हुआ। जनवरी 1961 से यह प्रतिकारी पुन कार्य-सलग्न है। अब इसकी नियन्त्रण तथा शीतकरण-प्रणाली में काफी सुधार कर दिया गया है। 'जरलीना' ने अपना कार्य 15 जनवरी, 1961 को आरम्भ किया। 'कनाडा-भारत' प्रतिकारी का कार्य पहले-पहल 16 जून, 1960 को आरम्भ हुआ था। यह प्रतिकारी ऊचे 'फ्लक्स' का है, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का ईंधन के रूप मे प्रयोग होता है, और इसमें भारी पानी को सन्तुलित करने तथा हल्के पानी को ठडा करने की व्यवस्था है। इजीनियरी-अनुसन्धान के लिए यह एक शक्तिशाली प्रतिकारी है और न्यैष्टिक शक्ति-केन्द्र की डिजाइन के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करता है। यह अधिकतम क्षमतावाले आइसोटोपो का उत्पादन करनेवाला प्रतिकारी है और भारत को सामूहिक रूप से उत्पादित आइसोटोपो के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा। इन आइसोटोपो में 'रेडियो-कोबाल्ट'-जैसे आइसोटोप भी शामिल हैं, जिनका चिकित्सा-सम्बन्धी कार्यों में उपयोग होता है।

32 जीवविज्ञान-विभाग और चिकित्सा-विभाग ने जीवविज्ञान-सम्बन्धी प्राणियो पर विकिरण के प्रभावो के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह कार्य विशेष रूप से कोशीय स्तर पर किया गया है।

33 टाटा बुनियादी अनुसन्धान-सस्था की स्थापना सन् 1945 में हुई थी। यह सस्था न्यैष्टिक विज्ञान और गणित-विज्ञान में उच्च अध्ययन तथा आधारभूत अनुसन्धान के लिए प्रमुख केन्द्र है। इस सस्था ने सैद्धान्तिक भौतिक विज्ञान में आरम्भिक कणो के क्षेत्र में जो अनुसन्धान-कार्य किया है और ब्रह्माडीय किरणो, भू-भौतिकी, न्यैष्टिक भौतिकी तथा उसके गणित-सम्प्रदाय में जो प्रयोग किए है, उन्हें व्यापक मान्यता मिली है। गणित, ब्रह्माडीय किरणो, भू-भौतिकी तथा न्यैष्टिक भौतिकी में किए जानेवाले आधारभूत कार्य को और बढाया जाएगा। इस सस्था में नवीनतम प्रकार का एक द्रुत गतिवाला ट्राजिस्टरमय अक-गणना-यन्त्र लगाने का विचार है। इस समय

40 टाटा बुनियादी अनुसन्धान-संस्था के सहयोग से परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान एक प्रशिक्षण-विद्यालय चला रहा है। इसमें स्नातकोत्तर शिक्षा-प्राप्त करनेवाले लगभग 200 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष प्रवेश दिया जाता है। ये विद्यार्थी देश-भर के विश्व-विद्यालयों से लिए जाते हैं। तीसरी योजना में यह प्रशिक्षण-विद्यालय भारतीय विश्व-विद्यालयों के स्नातकोत्तर-शिक्षा प्राप्त करनेवाले और अधिक वैज्ञानिकों को शिक्षा-सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। इसके साथ ही, विदेशी वैज्ञानिकों को भी सीमित संख्या में इस विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान ने विश्वविद्यालयों में पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर-स्तर के छात्रों को प्रति वर्ष 120 छात्रवृत्तियां देने की एक योजना चालू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रतिष्ठान का विचार है कि दो अन्तर्विश्वविद्यालय-केन्द्र—एक उत्तर-भारत में तथा दूसरा दक्षिण-भारत में—खोले जाएं, जिनमें विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को इस प्रकार के अनुसन्धान की सुविधाएं दी जाएं, जिनमें प्रायोगिक प्रतिकारियों और अन्य मूल्यवान साज-सामान की आवश्यकता पड़ती है।

(5)

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसन्धान

41 केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्थाओं तथा राज्यों के अनुसन्धान-केन्द्रों में कृषि-अनुसन्धान का कार्य किया जाता है। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्, दिल्ली, वन-अनुसन्धान-संस्था, देहरादून, भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धान-संस्था, इज्जतनगर; और राष्ट्रीय दुग्ध-अनुसन्धान संस्था, करनाल के अतिरिक्त कई केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्थाओं में चावल, आलू और मछली-उद्योग के सम्बन्ध में आधारभूत अध्ययन तथा अनुसन्धान किया जाता है। स्थानीय समस्याओं के बारे में बहुत-से अनुसन्धान केन्द्रों में अनुसन्धान किया जाता है, जिन्हें भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् की ओर से तथा कपास, पटसन, तेलहन, तम्बाकू, गन्ना, सुपारी, नारियल और लाख-सम्बन्धी जिन्स-समितियों की ओर से सहायता दी जाती है। बागानी फसलों के सम्बन्ध में अनुसन्धान का कार्य चाय, काफी और रबड़-मंडलों-द्वारा कराया जाता है। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् और जिन्स-समितियां प्रादेशिक या अखिल भारतीय स्वरूप की समन्वित अनुसन्धान-परियोजनाओं में भी सहायता देती हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कपास, तेलहन और ज्वार के लिए 17 सामासिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किए गए। इन अनुसन्धान-केन्द्रों की स्थापना से कृषि-सम्बन्धी जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की सुविधा मिली है। केन्द्रीय मिट्टी-संरक्षण-मंडल के तत्वावधान में मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसन्धान किया जाता है।

42 कृषि : पिछले दस वर्षों में कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धानों के कारण बढ़िया फसल उगाने के क्षेत्र में कई सफलताएं मिलीं। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा कि भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ने गेहूं की कुछ ऐसी किस्में तैयार की हैं, जिनमें कीड़ा नहीं लगता। इनमें से एक किस्म परमाणु-शक्ति के प्रयोग से परिवर्तन पैदा करके

तैयार की गई थी। पहली और दूसरी योजना में जो अनुसन्धान-कार्य किए गए, वे अधिक चावल देनेवाली धान की किस्में तैयार करने, नई किस्में तैयार करने, पर्वतीय धान की किस्म को उन्नत करने और चावल की रोग-अवरोधक किस्में तैयार करने के सम्बन्ध में थे। चावल के पौधो की अभिवृद्धि के सम्बन्ध में आधारभूत अध्ययन भी किए गए। ज्वार और बाजरे की अधिक अन्न देनेवाली किस्में तैयार करने के लिए मिश्रण-सम्बन्धी तकनीक का प्रयोग किया गया। कई केन्द्रो में बाजरे के सम्बन्ध मे उन्नत कृषि-प्रणालियो का भी अध्ययन किया जा रहा है। केरल में 'एन्ड्रूज' किस्म की समुद्र-द्वीपीय कपास का जलवायु-अनुकूलन कपास-अनुसन्धान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है। मद्रास और पजाब मे काफी लम्बे रेशेवाली कपास तैयार की गई और व्यावसायिक आधार पर उसकी खेती की सिफारिश की गई। मिश्र मक्का के बीज का उत्पादन करने के लिए एक बडा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। टेपिओका तथा आलू-जैसे सहायक खाद्य की फसलो, टमाटर तथा बैगन-जैसी सब्जियो, अगूर तथा पपीता-जैसे फलो और दालो तथा तेलहनो की कई उन्नत किस्मे तैयार की गई हैं। यह भी निश्चित कर लिया गया है कि विभिन्न फसलो के लिए कितनी खाद और कितना पानी देना उपयोगी है। घास-पात को बढने से रोकने और औषध छिडक कर रोगो तथा कीडो पर नियन्त्रण रखने के कारण फसलो से अधिक उपज प्राप्त हुई है।

43 तीसरी योजना मे भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ने राज्यो मे अनुसन्धान-सुविधाओ का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान कृषि-सस्थाओ का विस्तार किया जाएगा तथा विभिन्न प्रदेशो में भूमि तथा जलवायु के आधार पर प्रायोगिक केन्द्र स्थापित किए जाएगे। चावल का उत्पादन करनेवाले प्रत्येक राज्य मे चावल-अनुसन्धान-केन्द्र तथा उप-केन्द्र खोले जाएगे। गेहू के कीडे की रोकथाम-सम्बन्धी अनुसन्धान तथा मिश्र मक्का पर समन्वित कृषि-अर्थशास्त्र-सम्बन्धी परीक्षण और अनुसन्धान को विस्तृत किया जाएगा। ज्वार-बाजरा, कपास और तेलहनो पर अनुसन्धान करने के लिए मिश्र जिन्स-केन्द्र भी विकसित किए जाएगे। प्रत्येक बडी नदी-घाटी-परियोजना के क्षेत्र मे कृषि-अनुसन्धान-केन्द्र खोले जाएगे और इन क्षेत्रों का कृषि-अर्थशास्त्र-सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जाएगा। उर्वरक-टेक्नोलाजी, चारा और घास-भूमि-सम्बन्धी-अनुसन्धान, भूमि-अनुसन्धान और पौधो के विषाणु-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए नई सस्थाए खोलने का विचार है। फलो, मसालो, काजू और कोको पर किए जानेवाले अनुसन्धान-कार्यो का विस्तार किया जाएगा। आलू के अतिरिक्त जमीन के नीचे पैदा होनेवाली अन्य फसलो पर अनुसन्धान करने के लिए प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किए जाएगे। एक राष्ट्रीय पौधशाला स्थापित की जाएगी, जो भारत में लाए गए तमाम पौधो के भाडार के रूप में काम देगी। कृषि-उपकरणो के सम्बन्ध मे अनुसन्धान करने, उनकी किस्म उन्नत करने तथा उनका परीक्षण करने के लिए सुविधाओ का समुचित विकास किया जाएगा।

44 भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् के सभी विभागो का तीसरी योजना की अवधि में विस्तार किया जाएगा। मक्का और ज्वार-बाजरे की कई बढिया, मिश्र और सश्लिष्ट किस्में तैयार की जाएगी। फसलो को उन्नत करने के लिए रेडियो-आइसोटोपो और रासायनिक 'मुटेजनो' के प्रयोग से परिवर्तन पैदा करने की विधियो का और भी

विकास किया जाएगा। पौधों को उन्नत करने तथा उनके विकास के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए कृत्रिम-जलवायु-गृह (फाइटोट्रान) की सुविधाओं का प्रयोग और विस्तार किया जाएगा। मिट्टी-सम्बन्धी भौतिकी पर अनुसन्धान-कार्य को सघन करने का विचार है। कृषि-फसलों को नुकसान पहुंचानेवाले 'नेमाटोडों' पर अनुसन्धान करने के लिए 'प्लांट नेमाटोलाजी' का एक अनुभाग खोला जाएगा। फसलों के कीड़ों पर, उनकी उत्पत्ति और पौधों की उनसे लड़ने की क्षमता की दृष्टि से अनुसन्धान का काम बढ़ाया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त भूमि जोतने के सम्बन्ध में एक प्रयोगशाला और एक जलीय तथा सामान्य इंजीनियरी-प्रयोगशाला खोली जाएगी।

45 विभिन्न जिन्स-समितियों के अधीन विभिन्न जिन्सों के बारे में जो अनुसन्धान किए जाएंगे, उनका उद्देश्य साधारणतया उपज बढ़ाना और उपज की किस्म को उन्नत करना होगा। अधिक उपज प्रदान करनेवाली तथा रोग-अवरोधक फसलें प्राप्त करने के लिए उन पर होनेवाले अभिजनन-कार्य का विस्तार किया जाएगा। कपास, पटसन, तम्बाकू, इत्यादि पर किए जानेवाले टेक्नोलाजी-विषयक, अनुसन्धान उनके विधायन, पैकिंग और निर्माण-सम्बन्धी विधियों को उन्नत करने के उद्देश्य से किए जाएंगे। पटसन और लाख के नए उपयोग ढूंढ निकालने के प्रयास किए जाएंगे। नारियल के छिलके, पटसन की डंठल, नारियल की जटाएं, तम्बाकू के अवशेष, लाख के अवशेष, कपास के अवशेष, बिनौले के छिलके, इत्यादि जैसे उपोत्पादनों को उपयोग में लाने पर भी जोर दिया जाएगा।

46 पहली दोनों योजनाओं में खाद्य तथा कृषि-मन्त्रालय-द्वारा आरम्भ किए गए कृषि-सम्बन्धी आर्थिक अनुसन्धान-केन्द्रों का और विकास किया जाएगा। तमाम राज्यों में चुने हुए क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए फार्मों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अध्ययन-सुविधाओं में विस्तार करने का भी विचार है।

47 **मिट्टी-संरक्षण :** भारत में मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी मुख्य समस्याओं को प्रदेशों के आधार पर बांट दिया गया है और बहुत-से अनुसन्धान-कार्यक्रम आरम्भ कर दिए गए हैं। वर्तमान अनुसन्धान-सह-प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों के अतिरिक्त लाल मिट्टीवाले क्षेत्रों के लिए दो और अनुसन्धान-केन्द्र तीसरी योजना की अवधि में खोले जाएंगे। इनमें से एक उड़ीसा में अधिक वर्षावाले क्षेत्रों के लिए और दूसरा आन्ध्रप्रदेश में कम वर्षा-वाले क्षेत्रों के लिए होगा।

मिट्टी-संरक्षण-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्यक्रमों में प्रायोगिक तथा आधारभूत, दोनों प्रकार के अध्ययन सम्मिलित किए जाएंगे। प्रायोगिक अध्ययनों में ये प्रमुख हैं—मिट्टी के विभिन्न पहलू, खेती और फसलों के हेर-फेर के सम्बन्ध में कृषि-अर्थशास्त्र की दृष्टि से अध्ययन, मिली-जुली खेती, भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर की जानेवाली खेती, हरी खाद की फसलों के परीक्षण, पर्वतीय ढलानों और औद्योगिक फसलों की खेती, भूमि-क्षरण के नियन्त्रण और चरागाह-प्रबन्ध के लिए विभिन्न प्रकार की घासों पर घास-विज्ञान-सम्बन्धी अध्ययन, वनरोपण-सम्बन्धी अध्ययन, भूमि को पुन उपजाऊ बनाना और जलाशय-प्रबन्ध, नियन्त्रण-बांधों और 'बेंच-टेरेसों' के विभिन्न क्रास-सेक्शनों, श्रेणियों तथा लम्बाइयों के सम्बन्ध में इंजीनियरी अध्ययन, विभिन्न प्रकार के अवरोधन-बांधों-द्वारा कन्दराओं को फिर से खेती के योग्य बनाना, मिट्टी के बांधों का निर्माण और रेगिस्तानी भूमि के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, तथा मिट्टी संरक्षण-सम्बन्धी उपायों के आर्थिक पक्ष का अध्ययन।

आधारभूत अध्ययनो में इन विषयो को शामिल किया जाएगा—विभिन्न प्रकार की प्रबन्ध-प्रणालियो के अधीन जलाशयो के जल-विज्ञान-सम्बन्धी व्यवहारो को अनुशासित करनेवाले बुनियादी कानूनो के सम्बन्ध मे जाच-पडताल और मिट्टी तथा जल-सरक्षण के सम्बन्ध में बुनियादी मिट्टी-परीक्षण।

48 **पशुपालन :** पशुपालन-सम्बन्धी अनुसन्धानो के अन्तर्गत नस्ल की तैयारी, पोषण और रोग-नियन्त्रण के विभिन्न पहलुओ पर कार्य हो चुका है। बहुत-से केन्द्रो ने पर्वतीय और अधिक वर्षावाले क्षेत्रो में अनुल्लिखित पशुओ के सकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय परिस्थितियो में अनुसन्धान किए। इन अनुसन्धानो से यह मालूम हुआ कि इन परिस्थितियो मे नई नस्ल से अधिक दूध प्राप्त होने लगता है। अधिक दूध देने की क्षमता रखनेवाले पशुओ की प्रसिद्ध नस्लो के साथ स्थानीय पशुओ का गर्भाधान कराकर उनकी नस्ल सुधारने के बजाय स्थानीय पशुओ मे से ही एक विशिष्ट प्रकार की नस्ल तैयार करने के गुण-दोष की छान-बीन करने के लिए एक समन्वित अनुसन्धान-योजना आरम्भ कर दी गई है। पशुओ की नस्ल सुधारने के कार्य के लिए कृत्रिम गर्भाधान-सम्बन्धी अनुसन्धान-द्वारा नस्लें तैयार करनेवालो को एक नया सूत्र मिल गया है।

इज्जतनगर में पशुओ के लिए पौष्टिक आहार के सम्बन्ध में किए जा रहे अनुसन्धान के अतिरिक्त प्रादेशिक पशु-पौष्टिकता-केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रो में विभिन्न प्रदेशो में मिलनेवाली खाद्य-सामग्रियो के रासायनिक मिश्रण और पौष्टिक मूल्य के सम्बन्ध में एव पौष्टिक तत्वो की कमी का पता लगाने तथा उन्हें पूरा करने के सम्बन्ध में अध्ययन की सुविधाए सुलभ हैं। धान के पुआल में पाए जानेवाले पौष्टिक तत्वो को उन्नत करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए गए हैं। भारत में पशुओ को खाद्य-सामग्री के रूप में सबसे अधिक धान का पुआल दिया जाता है। इसका पौष्टिक तत्व बढाने के लिए किए गए अनुसन्धान से ऐसे साधारण उपायो का पता चला है, जो धान के पुआल के हानिकारक प्रभावो को दूर करने के लिए काम में लाए जा सकते हैं। अकाल पड जाने पर या अभाव के समय पशुओ को दी जा सकनेवाली पेड की पत्तियो और कुछ अन्य प्रकार के चारे मे पाए जानेवाले पौष्टिक तत्वो के सम्बन्ध मे भी कार्य किया गया है।

पशुओ के रोगो के सम्बन्ध में भी बहुत विस्तार से अनुसन्धान किए गए हैं। कुछ रोगो के कारणो तथा उनके उपचार और रोकथाम के बारे में लाभदायक परिणामस्वरूप बकरी के ठडक में सुखाए गए 'टिशुओं' से तैयार किए गए टीको का विकास हुआ है। यह टीका मैदानी क्षेत्रो के उन पशुओ को प्रतिरक्षित करने के काम में लाया जा रहा है, जो महामारी का अपेक्षाकृत अधिक मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रो के सहज ही महामारीग्रस्त होनेवाले पशुओ को प्रतिरक्षित करने के लिए 'लैपिनाइज्ड' और 'लैपिनाइज्ड-एविनाइज्ड' टीके के विकास के लिए भी अनुसन्धान किया गया है। पशुओ को 'पामन्युरेलासिस' से प्रतिरक्षित करने के लिए भी एक टीका तैयार किया जा रहा है।

49 तीसरी योजना के काल में भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् पशुपालन-सम्बन्धी अनेक वर्तमान अनुसन्धान-योजनाओ को जारी रखेगी। अधिक वर्षावाले तथा ऊचे धरातलवाले क्षेत्रो में देसी पशुओ के सकरण-सम्बन्धी प्रायोगिक अनुसन्धान चालू

रखे जाएंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में चुनी हुई नस्लें तैयार करने, नस्लें उन्नत करने और सकरण के तुलनात्मक लाभो का अध्ययन करने के लिए कार्य जारी रखा जाएगा। भारतीय पशुओ और भैंसो के लिए पौष्टिक तत्वो की आवश्यकताओं के बारे में और अध्ययन किए जाएंगे। पशुओ के ककुद पर होनेवाली बीमारियो का नियन्त्रण करने तथा उनको समूल नष्ट करने के लिए समन्वित आधार पर अनुसन्धान किए जाएंगे। पशुओ में होनेवाले 'ब्रूसेलासिस' रोग तथा भेड, बकरी, सूअर और कुक्कुट, आदि को होनेवाले विभिन्न रोगो के नियन्त्रण के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किए जाएंगे। सूअर तथा अन्य पशुओ की नस्लें तैयार करने के सम्बन्ध में अध्ययन-कार्य का विस्तार किया जाएगा। पशुओ की विभिन्न जातियो और नस्लो के शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी प्रतिमानों, चारा-उत्पादन और पशुओ की आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से चरागाहों एव चारे की फसलो की क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे। फार्मों के पशुओं को होनेवाली श्लेष्यत्वचा की बीमारी तथा 'साल्मोनेला' नामक छूत की बीमारी और पशुओं की पीलिया की बीमारी के सम्बन्ध में भी नई योजनाओ पर कार्य किया जाएगा। क्षय-रोग की रोक-थाम के लिए भी अनुसन्धान किए जाएंगे। स्थानीय तथा प्रादेशिक समस्या-सम्बन्धी अनु-सन्धानो पर जोर देने के लिए राज्यो में पशुधन-अनुसन्धान केन्द्र आरम्भ करने का विचार है। पशुओ के लिए प्रादेशिक पौष्टिक आहार-अनुसन्धान-केन्द्रों को स्थायी रूप दे दिया जाएगा।

50 पोशाकें बनाने के काम आनेवाली बढिया ऊन उपलब्ध करने के लिए विशेष प्रकार की नस्लो की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भेडो की चुनी हुई नस्लें तैयार करने का कार्य किया गया तथा उनका 'रैमबायलेट' जैसी विदेशी नस्लो से प्रसकरण कराया गया। मिलीजुली खेती की व्यवस्था में भेडो का प्रजनन बढाने के सम्बन्ध में तीसरी योजना में अनुसन्धान किया जाएगा। भेडो में भी कृत्रिम गर्भाधान कराने के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् का विचार है कि एक केन्द्रीय भेड तथा ऊन-अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किया जाए।

51 कुक्कुटपालन के विकास के लिए कम खर्चवाले सन्तुलित कुक्कुट-खाद्य तैयार किए गए हैं। अधिक अडे प्राप्त करने की दृष्टि से एक प्रकार के देशी पक्षियो की नस्ल सुधारी गई है। बहुत समय तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अडो को पिंडोत्पत्ति-अवरोधक बनाने के उपाय विकसित किए गए हैं। कम खर्च में अडे सेने का कार्य करनेवाले केन्द्र सफलतापूर्वक स्थापित किए गए और कुक्कुटपालन विकास-खडो की स्थापना करते समय इन केन्द्रों की उपयोगिता का प्रदर्शन किया गया। इस क्षेत्र में बहुत सफल परिक्षण किए गए, जिनमें 10 सप्ताह के समय में 3½ पौंड वजन के चूजे तैयार किए गए। तीसरी योजना में कुक्कुटो पर चुनी हुई अन्तरज नस्लो के प्रसकरण का कार्य किया जाएगा और कुक्कुटो पर सन्तति-सम्बन्धी परीक्षण किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रो में उपलब्ध सामान से बनाए गए सस्ते कुक्कुट-गृहो में कुक्कुट-खाद्यो के बारे में जो समन्वित योजनाएं चल रही हैं, उन्हें जारी रखा जाएगा। ये योजनाएं सस्ते खाद्य ढूढ निकालने से आरम्भ की गई हैं। इन खाद्यों में कृषि-उपोत्पादन तथा उद्योगो की अवशिष्ट सामग्रियां भी शामिल हैं।

52 दूध-उद्योग: ग्रामीण क्षेत्रो में अल्प व्यय में दूध की चीजें और उपोत्पादन तैयार करने की विधियो के बारे में अनुसन्धान-कार्य किया गया है। विभिन्न क्षेत्रो में दूध के जीवाणुओ तथा रासायनिक गुणो के सम्बन्ध में जो अनुसन्धान किए गए हैं, उनसे प्राप्त

जानकारी से कई दूध-उद्योग-विकास-योजनाओं के निर्माण में सहायता मिली। घी तैयार करने के भी उन्नत तरीके ढूंढे गए हैं और दूध में मिलावट पकड़ने का नया एक तरीका निकाला गया है।

देशी गायों एवं जरसी सांडों के प्रसंकरण-द्वारा नई नस्लें तैयार करने और थारपरकर पशुओं की सहायता से कायम नस्ल को उन्नत करने के सम्बन्ध में नए अध्ययन किए जाएंगे। विशिष्ट दूध-उद्योग, एकरस खेती-बारी तथा मिली-जुली खेती-बारी की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्यों को और बढ़ाया जाएगा। दूध के स्थान पर अन्य पदार्थ खिलाकर बछड़ों के पोषण पर होनेवाले व्यय में कमी करने के उद्देश्य से अध्ययन किए जाएंगे। अधिक परिमाण में दूध के संग्रहण और परिवहन-सम्बन्धी समस्याओं तथा मक्खन, इत्यादि बनाने के लिए अधिक अम्लवाली क्रीम तैयार करने के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाएगा। रेडियो-सक्रिय आइसोटोपों की सहायता से जुगाली करनेवाले पशुओं के शरीर के खनिज तत्वों के सम्बन्ध में परीक्षण किए जाएंगे।

राष्ट्रीय दूध-अनुसन्धान-संस्था विभिन्न नस्लों के पशुओं की पौष्टिक आहार-सम्बन्धी शरीर-रचना, चरागाह-प्रबन्ध और बछड़ों के विकास की मात्रा के बारे में अनुसन्धान-कार्य आरम्भ करेगी। यह संस्था बहुत बड़े परिमाण में दूध के विधायन, रख-रखाव तथा वितरण के सम्बन्ध में टेक्नोलाजी-विषयक पहलुओं पर तथा दूध से बनी चीजों के उत्पादन, पैकिंग एवं संग्रहण के सम्बन्ध में भी अध्ययन आरम्भ करेगी। दूध-उद्योग में काम आनेवाले बर्तनों, दूध और दूध की बनी चीजों के जीवाणु शास्त्र, अवशिष्ट कृमि-नाशकों, दूध के प्रादेशिक मिश्रणों, मिलावट का पता लगाने के कार्य, अधिक समय तक दूध को सुरक्षित रख सकने और दूध के खनिज सन्तुलन के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए जाएंगे। दूध और दूध की बनी चीजों के पौष्टिक तत्वों पर अनुसन्धान करने के लिए एक नया आहार-विभाग खोला जाएगा।

53 **वन-अनुसन्धान :** तीसरी योजना में उन बहुत-सी अनुसन्धान-योजनाओं को चालू रखा जाएगा, जो दूसरी योजना के काल में देहरादून-स्थित वन-अनुसन्धान-संस्था में स्वीकृत की गई थी। इन योजनाओं में इन विषयों पर अध्ययन शामिल हैं—वन-वृक्षों की वंश-परम्परा, वन के प्रभाव, जंगली कीड़ों आदि की महामारी, जलीय कीटाणुओं से इमारती लकड़ी का रक्षण, हरे बांसों का परिरक्षण, मलाया की बेंत का भारत में प्रचलन, राज्यों में किए जानेवाले वृक्ष-पालन-सम्बन्धी अनुसन्धानों का समन्वय, भारतीय इमारती लकड़ी तथा अन्य प्रकार की लकड़ी का उत्पादन तथा परिमाण। इसके अतिरिक्त, तीसरी योजना में वन-मिट्टी-अध्ययन, वनों में पाए जानेवाले पशु-पक्षियों का परिस्थिति-विज्ञान, चरागाहों और चारे के सम्बन्ध में अनुसन्धान तथा भारतीय वृक्षों की छाल के उपयोग के सम्बन्ध में अनुसन्धान-जैसी नवीन योजनाओं पर भी कार्य किया जाएगा, प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र, जबलपुर में एक जीवविज्ञान-शाखा तथा नागपुर में एक उपयोगिता-शाखा स्थापित करने का भी विचार है। बंगलौर तथा कोयमुत्तूर-स्थित अनुसन्धान-केन्द्र को सशक्त किया जाएगा।

54 **मछली-उद्योग** मंडपम-स्थित केन्द्रीय समुद्री मछली-उद्योग-अनुसन्धान-केन्द्र में भारतीय समुद्रों की मछली-उत्पादन-क्षमता, मछली-उद्योग के सम्बन्ध में समुद्रों का अध्ययन, मोल्यूसकन मछली-उद्योग, मछलीखाद्य-उपलब्धि, आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान-योजनाओं

पर कार्य जारी रखा जाएगा। नई योजनाओं के अन्तर्गत 'मेकेरल', 'सारडीन' 'प्रान', आदि किस्मों की मछलियों के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे।

बैरकपुर-स्थित केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली-उद्योग केन्द्र मे तालावो, नदियों, झीलों और संगमों में पाई जानेवाली मछलियों के सम्बन्ध मे अनुसन्धान जारी रखे जाएंगे। इस केन्द्र मे जो नई परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी, उनमें ब्रह्मपुत्र का सर्वेक्षण, ऊंचे धरातल, स्वच्छ जल तथा पश्च जल में मछली-उद्योग, बांधों का मछलियों पर प्रभाव, आदि शामिल हैं।

बम्बई में केन्द्रीय गहरा सागर-मछली-केन्द्र मछली पकड़ने के समुद्री क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करने, मछली पकड़ने के मौसम तथा मछली पकड़ने के गहन प्रयास करने के सम्बन्ध में निश्चय करने, मछली पकड़ने के उपकरणों की उपयुक्तता जांचने, इस क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, इत्यादि के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। तीसरी योजना के काल में बम्बई, तुत्तुकुडि-कोचीन और विशाखापटनम में मछली पकड़ने के समन्वेषी तथा परीक्षणात्मक कार्यक्रमों का विकास करने के अतिरिक्त मंगलोर, काकीनाडा, परदीप, और पोर्टब्लेयर में अतिरिक्त इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

कोचीन-स्थित केन्द्रीय मछली-उद्योग-टेक्नोलाजी-अनुसन्धान-केन्द्र मछली पकड़ने की नौका तथा यन्त्र की डिजाइनों, नौका तथा यन्त्र-सम्बन्धी सामान तथा उसके परिरक्षण, मछली पकड़ने की विधि तथा मछली-परिरक्षण, मछली के मानक, क्रय-विक्रय और निरीक्षण, आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य करता है। विभिन्न क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए यन्त्र-सज्जित नौकाओं, पुलिन नौकाओं, नौकाओं में लगनेवाले यन्त्रादि की डिजाइनें उन्नत करने और उनके परिरक्षण के लिए तीसरी योजना मे विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे।

(6)

चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान

55 भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धानों का प्रवर्तन तथा समन्वय करती है। तीसरी योजना के कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्य की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर बनाए गए है। क्षय रोग, हैजा, कुष्ठ रोग, बालातिसार, फीलपाव, इत्यादि संक्रामक रोगो पर गहन अनुसन्धान करने का और क्षय रोग तथा हैजे के सम्बन्ध में स्थायी अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

'ऐथ्रोपाड-बोर्न' विषाणुओं पर अनुसन्धान करने के लिए पूना में एक सर्वसम्पन्न केन्द्र स्थापित किया जा चुका है और कुन्नूर-स्थित चरागाह-संस्था में विषाणु-अनुसन्धान की सुविधाओं को उन्नत कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् ने कुछ चुने हुए मेडिकल कालेजों में विषाणु-रोगों के अनुसन्धान-कार्य को बढ़ावा दिया है। पूना-स्थित विषाणु-अनुसन्धान-केन्द्र में चिकित्सा-वैज्ञानिकों को विष-विज्ञान-सम्बन्धी तकनीकों में प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तीसरी योजना के काल में विषाणु-रोगों के क्षेत्र में किए जानेवाले कार्य का विकास किया जाएगा और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय के सहयोग से आंखों के रोगों के सम्बन्ध में एक अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् 'कार्डियो-वास्कुलर' रोगों, पाचन-सम्बन्धी विकारों, 'इंटेस्टाइनल पेरासिटिज्म' और यौन-रोगों तथा अन्य रोगों के सम्बन्ध में

किए जानेवाले कार्यों को बढ़ावा देती रही है। इन कार्यों को चालू रखने के अतिरिक्त, तीसरी योजना की अवधि में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से सम्बद्ध पाचन-समस्याओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। आंतरोगों के सम्बन्ध में 'ऐंटामोएबा'-द्वारा परीक्षण आरम्भ किए जाएंगे। विभिन्न 'हैलमिन्थिक पैरासाइटों' के सम्बन्ध में भी परीक्षण किए जाएंगे। बंगलोर-स्थित अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य-संस्थान में मानसिक रोगों पर अनुसन्धान किए जाएंगे। प्रसूति, बाल-कल्याण, पौष्टिक आहार तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान-कार्यों का विकास किया जाएगा। मेडिकल कालेजों में उपलब्ध अनुसन्धान-सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। अखिल भारतीय सफाई तथा जन-स्वास्थ्य-संस्था में किए जानेवाले कार्यों के अतिरिक्त दो-तीन ऐसे नए केन्द्र खोले जाएंगे, जहां विभिन्न व्यवसायों से सम्बद्ध स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में अनुसन्धान किए जाएंगे।

56 दूसरी योजना की अवधि में भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् ने देशी औषधों के सम्बन्ध में परीक्षण करने के लिए काफी संख्या में अनुसन्धान-इकाइयां स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। अभी तक ऐसी सात इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। तीसरी योजना में कुछ और औषधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा।

57 दूसरी योजना की अवधि में परिवार-आयोजन के सम्बन्ध में सामाजिक स्थिति, चिकित्सा और जीवविज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान किए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेकैनिकल तथा रासायनिक गर्भ-निरोधक उपकरणों का परीक्षण किया गया है। मौखिक गर्भ-निरोधक औषधों पर अनुसन्धान किए जा रहे हैं। इन मौखिक औषधियों में 'मेटा-एक्साइलो-हाइड्रोक्विनान' और देशी औषध भी शामिल हैं। बम्बई-स्थित मानव-विभेद-इकाई कुछ क्षेत्रों में 'जीनों' के वितरण के सम्बन्ध में कार्य कर रहा है। सन् 1954 में जुड़वां बच्चों और रक्त-सम्बन्ध के विषय में एक दीर्घकालीन अध्ययन आरम्भ किया गया था, उसे भी जारी रखा गया। तीसरी योजना में इन अन्वेषण-कार्यों को चालू रखा जाएगा और इनका विकास किया जाएगा।

(7)

अनुसन्धान के अन्य कार्यक्रम

58 **सिंचाई और बिजली :** इस समय भारत में पनबिजली और सिंचाई-सम्बन्धी अनुसन्धान करनेवाले 19 केन्द्र हैं। इनमें से दो केन्द्र (जो पूना और दिल्ली में स्थित हैं) केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध में और अन्य राज्य-सरकारों के प्रबन्ध में हैं। केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मंडल सिंचाई और बिजली-सम्बन्धी अनुसन्धानों का समन्वय करता है। सन् 1953 में इस मंडल ने सिंचाई-सम्बन्धी आधारभूत तथा प्रायोगिक अनुसन्धानों का एक सर्वांगीण कार्यक्रम तैयार किया और विभिन्न अनुसन्धान-केन्द्रों को कार्य करने के लिए परियोजनाएं सौंपी। जिन समस्याओं के सम्बन्ध में अन्वेषण आरम्भ किए गए, उनमें ये भी शामिल हैं—'एअर-एंट्रेनमेंट', 'टरबुलेन्स' 'कैविटेशन', जल-मार्गों की डिजाइनें, मिट्टी के तत्व, रेत आदि इकट्ठा हो जाने के कारण जलाशयों के कार्य में रुकावट, भूमिगत पानी, 'पुज्जोलाना' के रूप में सुर्खी का प्रयोग, और निर्माण-कार्यों में पत्थरों के स्थान पर काम में लाई जानेवाली सस्ती चीजें।

ये अन्वेषण तीसरी योजना की अवधि में जारी रखे जाएंगे। तीसरी योजना में जिन नई अनुसन्धान-समस्याओं पर कार्य किया जाएगा, उनमें ये भी शामिल हैं—अधोभूमि-जल के अध्ययन में आइसोटोपों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार की मिट्टी का मिश्रण, जलीय ढांचों के लिए ढलाई-पूर्व तकनीकों का विकास, तलछट हटाने की तकनीकों का आविष्कार और सोखन, रनन तथा उद्वाष्पन के कारण होनेवाली हानि को न्यूनतम करने के उपाय।

59 बंगलोर-स्थित बिजली अनुसन्धान-संस्था के कार्य-क्षेत्र का विकास करने का विचार है। भोपाल में भारी बिजली-सामान-संयन्त्र के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के साथ-साथ उसके पास ही एक स्विचगियर-परीक्षण और विकास-प्रयोगशाला स्थापित करने का भी विचार है। बंगलोर-स्थित बिजली-अनुसन्धान-संस्था में उपकरणों से पूर्णतः सज्जित 4 विभाग खोले जाएंगे, जो उच्च वोल्टेज, सामान्य बिजली-इंजीनियरी, यान्त्रिक इंजीनियरी और जलीय इंजीनियरी के क्षेत्र में काम करेंगे। ये विभाग प्रायोगिक संयन्त्र चलाने और छोटे पैमाने पर क्षेत्र-अध्ययन करने के लिए आवश्यक सहायक सुविधाओं के सम्बन्ध में भी कार्य करेंगे। यह संस्था देश में उपलब्ध लकड़ी, अभ्रक, कागज, आदि-जैसी बिजली की इंसुलेटिंग-सामग्रियों पर विकास-कार्य करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, इस संस्था में क्षमता और विद्युत्-धारा के 'ट्रांसफार्मरों' तथा दूसरे उपकरणों का विकास करने के लिए और मेघ-विद्युत् की प्रकृति, उसकी लहरों और संचरण-लाइनों की यान्त्रिक समस्याओं पर अध्ययन किया जाएगा।

60 परिवहन तथा निर्माण: 'रेल-अनुसन्धान, डिजाइन और मानक-संगठन' का मुख्यालय शिमला में है और इसका परीक्षण तथा अनुसन्धान-उपकरणों से सज्जित अनुसन्धान-निदेशालय लखनऊ में है। इस अनुसन्धान-निदेशालय में बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन से सज्जित एक यार्ड है। अनुसन्धान-निदेशालय का धातुकर्म तथा रसायन-सम्बन्धी अनुभाग चित्तरंजन में है। वहां इस अनुभाग के लिए परीक्षण और प्रयोग करने का प्रबन्ध है। रेल-सम्बन्धी अनुसन्धान के मुख्य क्षेत्रों में जो कार्य आते हैं, वे इस प्रकार हैं रेल की लाइन तथा चलते हुए पहियों का परस्पर-व्यवहार, प्रोटोटाइपों का परीक्षण, जिसमें चलती हुई तथा रुकी हुई गाड़ियों का परीक्षण सम्मिलित है, सम्पूर्ण रूप में जोड़े गए इंजिनों, डिब्बों, लाइनों और पुलों तथा इनके हिस्सों, ईंधन, स्नेहकों और संरक्षकों का प्रदर्शनात्मक परीक्षण, रेलों में इस्तेमाल होनेवाले विदेशी सामान के स्थान पर उत्तरोत्तर देशी सामान का प्रयोग, कोयले की राख, लकड़ी का बुरादा, प्रयोग किए गए स्नेहक, आदि-जैसे अनुपयोगी उत्पादनों का इस्तेमाल, और तटों, कतरनों तथा ढांचों की बुनियाद को मजबूत करने की दृष्टि से मिट्टी-सम्बन्धी कार्य।

61 परिवहन-मन्त्रालय अपनी सड़क-शाखा के द्वारा सड़कों के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य आरम्भ करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा सहायता करने का कार्य करता है। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों की जिन कुछ समस्याओं पर, विशेषकर केन्द्रीय सड़क-अनुसन्धान-संस्था-द्वारा ध्यान दिया गया, उनमें ये शामिल हैं—सभी मौसमों में चलनेवाली कम लागत की सड़कें बनाने के लिए स्थानीय सामान के प्रयोग-द्वारा मिट्टी को मजबूत बनाने की विधियां, सड़कें बनाने के लिए काली मिट्टीवाली भूमि को मजबूत बनाना, मिट्टियों की सहन-शक्ति का अध्ययन, सड़क-निर्माण के लिए पत्थर और ईंटों

के मसाले का मूल्याकन, बिटुमिन मिलाकर बारीक रेत को मजबूत बनाना, मरुस्थलो में सडको के लिए स्थानीय ककडो का प्रयोग, अधिक वर्षावाले क्षेत्रो में बिटुमिनवाली सडको का विश्लेषण, पुलिया और छोटे पुलो की तुरन्त मरम्मत करने के तरीके, विभिन्न प्रकार की पटरियो की मोटाई और डिजाइन, सडक-निर्माण में इस्तेमाल होनेवाले विभिन्न प्रकार के सामान के भार-वहन-गुण, दलदलवाले क्षेत्रो में सडक-निर्माण के तरीके, सडक इस्तेमाल करनेवालो के व्यवहार की परीक्षा, तेज, धीमे और मिले-जुले यातायात के लिए उपयुक्त सडको और चौराहो की ज्यामितिक डिजाइनें, सडको पर सुरक्षा-व्यवस्था-सम्बन्धी यातायात-समस्याए, और बैलगाडियो की धुरी और पहियो के डिजाइन में सुधार। तीसरी योजना मे सडक-शाखा हल्के यातायात के लिए प्रयोग के तौर पर कम खर्चवाली कच्ची सडके बनाएगी। केन्द्रीय सडक-अनुसन्धान-सस्था के अनुसन्धान-कार्यक्रमो को पाच मुख्य भागो में बाट दिया गया है। वे भाग इस प्रकार है भूमि, बिटुमिन, कक्रीट, सडक-डिजाइन और यातायात-इजीनियरी। तीसरी योजना में सस्था का विचार पुलो-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ करने का है।

62 तीसरी योजना मे राष्ट्रीय भवन-निर्माण-सगठन नई और सस्ती सामग्रियो, भवन-निर्माण की नई तकनीको और उन्नत पद्धतियो के प्रयोग-द्वारा भवन-निर्माण के व्यय को कम करने के लिए कार्य करेगा। राष्ट्रीय भवन-निर्माण-सगठन इन विषयो पर अनुसन्धान और परीक्षण कराएगा—परम्परागत और नवीन भवन-निर्माण-सामग्रिया, नगरो और ग्रामीण क्षेत्रो में सस्ते और अच्छे भवन बनाने के लिए डिजाइन, भूमि की सहन-शक्ति, ईंटें बनाने के लिए मिट्टी की उपयुक्तता, सिकुडनेवाली भूमि पर रखी जानेवाली नीवो के उपयुक्त डिजाइन, निर्मित ढाचे की मजबूती, लोहे को जग लगने से बचाने और नमी को रोकने के उपाय। विभिन्न प्रकार के भवनो के लिए मानक भी निर्धारित किए जाते है। 'प्रिस्ट्रेस्ड कक्रीट', 'शेल-कन्स्ट्रक्शन', 'प्रिफैब्रिकेटेड कन्स्ट्रक्शन', आदि तरीके अपना कर निर्माण की तकनीको का विकास किया जाएगा। भवन-निर्माण-उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओ का भी उत्पादकता की दृष्टि से अध्ययन किया जाएगा।

63 खनिज · खनिज पदार्थो के सर्वेक्षण और अनुसन्धान मे लगे हुए मुख्य सगठनो के नाम इस प्रकार है—भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-सस्था, भारतीय खान-विभाग और तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग।

तीसरी योजना की अवधि में भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण-सस्था के अनुसन्धान-कार्यक्रमो में निम्नलिखित सम्मिलित है बुनियादी शैल-तत्व, रसायन और पुराजीव-सम्बन्धी अनुसन्धान, भूगर्भीय मानचित्र-सम्बन्धी प्रायोगिक अध्ययन, प्रारम्भिक खनिज-आकलन, कोयला, सस्ती धातु तथा अन्य खनिज पदार्थो एव धातुओ के सम्बन्ध में अनुसन्धान, इजीनियरी भूगर्भ-विज्ञान, भूमिगत जल का आकलन और भू-भौतिकी-सम्बन्धी समस्याए। यह सस्था विभिन्न प्रकार के धातु-भाडारो तथा अन्य खनिज भाडारो के परीक्षणो में खोज के भू-भौतिकी तरीको का प्रयोग कर रही है।

भारतीय खान-सस्था-द्वारा देश के विभिन्न भागो मे अलौह धातुओ के लिए भरपूर भूगर्भीय अध्ययन किया जाएगा। लोहा, कोयला, ऐस्बेस्टस, बाक्साइट, सोना और हीरा, आदि अन्य धातुओ के सम्बन्ध में भी अध्ययन किया जाएगा।

खनन-अनुसन्धान का कार्य, भी भरपूर किया जाएगा। तांबे, कच्चे तांबे, सीसे-जस्ते और कच्ची मैंगनीज के संस्करण के लिए प्रायोगिक सयन्त्र-परीक्षण किए जाएंगे। इस संस्था के अनुसन्धान-कार्यक्रमो में 'सिंटरिंग'-द्वारा कच्चे लोहे के कणों को उपयोग में लाने के काम को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। क्रोमाइट, इल्मेनाइट रेत, पाइराइट्स, खड़िया मिट्टी, मैग्नेसाइट, चूना, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लुओर्सपार और मिट्टी के उपचार के लिए उपयुक्त प्रणालियां ढूंढी जाएंगी। कच्ची धातुओं तथा खनिज पदार्थों के अस्तित्व की सूचना देनेवाले नवीन माध्यमो के प्रयोग से विश्लेषणात्मक विधियों का विकास किया जाएगा। इससे समय और धन की बचत होगी। खनिज पदार्थों तथा कच्ची धातुओं का रासायनिक मूल्यांकन करने के लिए विलायक तत्व निकालने की तकनीको का प्रयोग करने के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किए जाएंगे। बैटरियां बनाने में देशी मैंगनीज डाइआक्साइड का प्रयोग करने, 'अग्रैजिम्स' में सिलिका का प्रयोग करने, और लौह-मैंगनीज-उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में किए जानेवाले कार्य का विस्तार किया जाएगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग का अनुसन्धान-कार्य उसके भूगर्भ-विज्ञान, भू-भौतिकी-विज्ञान और इंजीनियरी विभागों में किया जाता है। भूगर्भ-विज्ञान-विभाग उपस्तरीय संरचनात्मक प्रवृत्तियों को चित्रित करने के लिए लगभग 2,50,000 वर्ग मील क्षेत्र में फोटो-जिओमार्फालाजिकल अध्ययन करता है। दलदलों की खुदाई, तेल के कुओं के सीमेंट, केन्द्रवर्ती नमूनों के गुणों, अशोधित तेलों के परीक्षण और उसके उपचार, पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए तत्सम्बन्धी चट्टानों के अध्ययन और रन्ध्रों के माध्यम से प्राकृतिक गैस के प्रवाहमान गुणों के सम्बन्ध में भी यह विभाग अध्ययन करने का विचार रखता है।

64 **संचार-साधन** संचार-साधन-सम्बन्धी अनुसन्धानों में ऋतु-विज्ञान, प्रसारण, बेतार और दूर-संचार तथा नागरिक उड्डयन शामिल हैं।

तीसरी योजना में ऋतु-विज्ञान-विभाग की कर्मशालाओं तथा प्रयोगशालाओं को विकसित तथा उन्नत किया जाएगा, ताकि मौसम-सम्बन्धी जानकारी के लिए काम आनेवाले उपकरणों की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हो सकें। मेघों की ऊंचाई एवं मोटाई नापने, हवा की गति का निश्चय करने के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरणों और तूफान का पता लगानेवाले राडार के डिजाइन तैयार किए जाएंगे और उनका विकास किया जाएगा। भारत के ऋतु-विज्ञान पर एक पुस्तक तथा कृषि-जलवायु-विषयक एक मानचित्रावली भी प्रकाशित करने का विचार है। आधुनिक साज-सामान से पूरित 18 अतिरिक्त केन्द्र खोल कर राविनसौंडे-रेडियोसोंडे केन्द्रों की शृंखला को और अधिक मजबूत कर दिया जाएगा। भूकम्प-अध्ययन के लिए कुछ और वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी और ऋतु-विज्ञान-विभाग की कर्मशालाओं में भूकम्प-सूचक यन्त्र बनाए जाएंगे। कुछ केन्द्रों में नभोविद्युत् तथा वायुमंडलीय दोषों को मापने का कार्य भी आरम्भ किया जाएगा। कोलाबा-वेधशाला में आयनमंडलीय अध्ययन किए जाएंगे और रात्रि-आकाश तथा वायु-प्रकाश के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे। कोडाइकनाल-वेधशाला, उज्जैन के निकट खोली जानेवाली केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला और नौसेना की ज्योतिषी-वेधशाला में खगोल-भौतिकी एवं खगोलशास्त्र-सम्बन्धी अध्ययनों

की सुविधा प्रदान की जाएगी। नई दिल्ली में उत्तर-गोलार्द्ध-सम्बन्धी एक सकलन तथा विश्लेषण-केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। यह केन्द्र सम्पूर्ण उत्तरी गोलार्द्ध से सम्बन्ध रखनेवाले ऋतु-विज्ञान-विषयक तथ्यो तथा विश्लेषणो को एकत्र करने, उनका अध्ययन करने तथा प्रसार करने के उद्देश्य से खोला जाएगा। यह परियोजना उड्डयन के लिए मौसम-सम्बन्धी पूर्वसूचना देने और विशेषकर लम्बे उड्डयनो के लिए पूर्वसूचना देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

65 तीसरी योजना में आकाशवाणी के अनुसन्धान-विभाग की ओर से जो कार्य किए जानेवाले है, उनमें ये भी सम्मिलित है —बहुत ऊची तथा अत्यन्त ऊची आवृत्तियो तथा सूक्ष्म तरग तकनीको एव प्रसारण, सेमी-कडक्टर और ट्राजिस्टर टेक्नोलाजिया तथा प्रसारण-उपकरणो के डिजाइनो में उनका प्रयोग, और टेलीविजन के प्रसारण एव प्राप्ति के क्षेत्रो में सघन अध्ययन। वातावरण-सम्बन्धी कोलाहल और आयनमडल-सम्बन्धी ग्राह्यता की जाच करने के लिए आयनमडलीय तथ्य एकत्र करने के लिए उपकरणो तथा सुविधाओ में सुधार और विशृखल प्रसारण का अध्ययन करने का विचार है। आकाशवाणी तथा अन्य प्रसारण-सगठनो के बीच रिकार्ड की हुई सामग्रियो का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से टेप-रेकार्डिंग की तकनीको तथा उपकरणो का मानकीकरण किया जाएगा। प्रसारण के लिए आवश्यक श्रवण-उपकरणो तथा स्टीरियो प्रसारण एव प्राप्ति के लिए स्टीरियो तकनीको का मानकीकरण तथा विकास किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना स्टूडियो मे ध्वनि-ग्रहण तथा 'इसुलेशन' के काम आनेवाली सामग्री के सम्बन्ध में होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत उपयुक्त देशी सामग्रियो के निर्माण को बढावा दिया जाएगा।

66 परिवहन तथा सचार-मन्त्रालय की बेतार-आयोजन एव समन्वय-शाखा के कार्यक्रम में निम्नाकित कार्य भी सम्मिलित है —

(1) 50 किलोसाइकिल्स से 30 मेगासाइकिल्स तक के बैड पर होनेवाले वायुमडलीय कोलाहल का व्यवस्थापूर्वक अध्ययन,

(2) भारत के विभिन्न स्थानो की आयन-सम्बन्धी परिस्थितियो का व्यवस्थापूर्वक अध्ययन,

(3) शहरी क्षेत्रो में मनुष्य-कृत कोलाहलो के कारण होनेवाले व्यतिकरण को आकने के लिए व्यवस्थापूर्ण परिमापन, और

(4) विभिन्न प्रकार के दूर-सचार-सर्किटो के विभिन्न स्तरो तक विश्वसनीय कार्य-सचालन के लिए आवश्यक कोलाहल-अनुपातसूचक सकेतो का निश्चय।

दूर-सचार-अनुसन्धान-केन्द्र डाक तथा तार-महानिदेशालय के अधीन कार्य करता है। इस केन्द्र का मुख्य कार्य जनता के लिए टेलीफोन तथा तार-सेवाओ को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अनुसन्धान तथा विकास-कार्य करना और भारतीय टेलीफोन-उद्योग एव देश की टेलीफोन बनानेवाली अन्य इकाइयो को दूर-सचार-उपकरणो के डिजाइन उपलब्ध कराना है।

67. नागरिक उड्डयन-विभाग के अनुसन्धान तथा विकास-निदेशालय को तीसरी

योजना की अवधि में जिन मुख्य परियोजनाओं पर काम करना है, वे इस प्रकार हैं— (1) 'एयरफ्रेम्स' तथा पंखों का ढांचे की दृष्टि से सम्पूर्ण परीक्षण, (2) चालक पंखे-सहित टर्बाइन शक्ति-संयन्त्रों और प्रेषण-यन्त्रों की किस्मों का परीक्षण, (3) देशी वायुयान-सामग्रियों, उपकरणों और प्रक्रियाओं का विकास तथा मानकीकरण, (4) सुरक्षा-विधियों का विकास, (5) व्यक्तिगत कृषि-सम्बन्धी तथा अन्य कार्यों में प्रयुक्त हल्के वायुयानों तथा ग्लाइडरों के डिज़ाइन बनाना एवं उनका विकास करना, और (6) वायुयानों के ढांचों की शिथिलता तथा नागरिक उड्डयन के लिए बुनियादी महत्व की अन्य समस्याओं का अध्ययन।

(8)

चीनी, पटसन और अन्य उद्योग

68 धातुकर्म, इंजीनियरी, रसायन, खाद्य तथा खनन-उद्योगों के लिए अनुसन्धान-कार्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विभिन्न विभागों तथा अनुसन्धान-संस्थाओं में किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, चीनी, पटसन, कपास और रेशम तथा नकली रेशम-उद्योगों, कुटीर-उद्योगों एवं लघु उद्योगों-सम्बन्धी अनुसन्धानों का जिक्र कर देना भी उपयुक्त होगा।

चीनी पर अनुसन्धान कानपुर-स्थित राष्ट्रीय चीनी-संस्था में किया जाता है। तीसरी योजना की अवधि में यह संस्था उच्च अनुसन्धान के लिए आवश्यक प्रयोगशाला-उपकरणों, एक परीक्षणात्मक कारखाने और प्रायोगिक संयन्त्रों की व्यवस्था करेगी। जिन समस्याओं का इस संस्था में अध्ययन किया जाएगा, उनमें ज्वलन-क्रिया-नियन्त्रण, हाई पोलिमर्स, कैंडी तथा मिठाई-उद्योगों पर अनुसन्धान और उपोत्पादनों का उपयोग सम्मिलित है।

भारतीय केन्द्रीय पटसन-समिति की टैक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान-प्रयोगशालाओं के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत पटसन के 'हेमीसेल्युलोज़ों' के गठन और रासायनिक सुधार-पर अनुसन्धान किया जाएगा, ताकि वे पानी में जल्दी न फूलें और छोटे जीवाणुओं से पूर्वापेक्षा अपनी अधिक रक्षा कर सकें। इसके अतिरिक्त, पटसन के रेशे पर ताप तथा नमी के प्रभाव, वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में पटसन के रेशे के नव्यतन एवं कोषायतन, पटसन के पौधों को नष्ट करनेवाले बैक्टेरिया तथा फुंगी के अध्ययन, लुगदी तथा कागज बनाने में पटसन के डंठलों के उपयोग, घर सजाने के वस्त्रों-सहित पटसन के सम्भावित नए उपयोग, पटसन के परिष्कृत धागे की आर्द्रता-विषयक मजबूती को बढ़ाने, पटसन के थैलों से छन-छन कर सीमेंट का निकलना रोकने, जिल्दसाजी में काम आनेवाले कपड़े, रेक्जिन तथा अन्य उपयोगों के लिए पटसन का मोटी बुनाई का वस्त्र तैयार करने, और मेस्टा तथा अन्य प्रतिस्थापित रेशों के विधायन को उन्नत करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किए जाएंगे। भारतीय पटसन-कारखाना-संघ की अनुसन्धान-संस्था में जूट तथा 'वास्ट' के रेशे के मेकैनिकल तथा अन्य गुणों और रासायनिक मिश्रण के अध्ययन, पटसन पर विनाशकारी प्रभाव डालनेवाले फुंगियों, बैक्टेरियों तथा अन्य परिस्थितिजन्य कारणों के प्रभाव; और पटसन के वस्त्रों के 'प्रूफिंग' तथा 'फिनिशिंग' के विकास के सम्बन्ध में कार्य हो रहा है।

भारतीय केन्द्रीय कपास-समिति की टेक्नोलाजी-विषयक प्रयोगशाला में कपास की किस्में तैयार करनेवालो की सहायता के लिए कताई-परीक्षण रेशो के गुणो के माप और कताई की दृष्टि से रेशो के महत्व का निश्चय किया जाता है। अहमदाबाद-वस्त्र-उद्योग-अनुसन्धान-सघ ने भी तीसरी योजना की अवधि के लिए एक अध्ययन-कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके अन्तर्गत निम्नाकित कार्यों के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएगे—'सेल्युलोजो' के आणविक गठन और तत्वो के बीच का सम्बन्ध, कपास के रेशो पर 'थर्मोसेटिंग रेज़िनो' का प्रयोग करने पर पोलिमर का उद्भव, 'साइज मिक्स्चर्स' बनाते समय काम आनेवाली 'स्टार्च'-जैसी 'पोलिमरो' के तत्वो पर मसृणकारियो और अकार्बनिक लवणो के प्रयोग का प्रभाव, ताप-शुष्कीकरण की प्रक्रियाओ का सुधार, शुष्कीकरण की प्रक्रियाओ का वस्त्र की 'फिनिश' पर प्रभाव, धुलाई-सम्बन्धी टेक्नोलाजी, वस्त्र-उद्योग के काम आनेवाले वैज्ञानिक औजारो के डिजाइन और उनका विकास, सूत के रेशो की व्यवस्था का सूत की किस्म पर प्रभाव और वस्त्र के रेशो-द्वारा विभिन्न प्रकार के तत्वो की ग्राह्यता-सम्बन्धी क्रियाविधि।

रेशम तथा नकली रेशम-कारखाना-अनुसन्धान-सघ की स्थापना सन् 1958-59 में हुई थी। इसके मार्गदर्शक कारखानो, प्रयोगशालाओ और तकनीकी सस्था के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह सघ अपने सदस्यो-द्वारा रेशे, सूत और कपडे के बारे में प्रस्तुत समस्याओ पर विचार करेगा, निर्माण-प्रक्रियाओ के दोष मालूम करेगा और उन्हें दूर करने तथा निर्यात के लिए रेयन कपडे की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अध्ययन करेगा। रेशा-उत्पादन में सुधार, सूत के परिष्करण, कपडा के उत्पादन और उसकी फिनिश के सम्बन्ध में सघ काम करेगा।

69 **कुटीर तथा लघु उद्योग :** अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग-मडल के अधीन एक केन्द्रीय ग्रामोद्योग-अनुसन्धान-सस्था वर्धा में काम कर रही है। इस सस्था में प्रक्रियाओ और उत्पादनो को नियन्त्रित तथा विकसित करने के लिए प्रयोगशालाए, उपकरणो के डिजाइन बनाने और उन्नत किस्म के उपकरण तैयार करने के लिए कर्मशालाए तथा उपकरणो और तकनीको का अध्ययन करने के लिए परीक्षणात्मक उत्पादन-केन्द्र है। इस सस्था के अतिरिक्त और भी बहुत-से अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए है।

नारियल-जटा-मडल की केन्द्रीय नारियल-जटा-अनुसन्धान-सस्था केरल में और उसकी एक शाखा पश्चिम-बगाल में है। मडल नारियल जटा के रेशे और धागे के आधारभूत तथा प्रायोगिक, दोनो पहलुओ पर अनुसन्धान करने का विचार रखता है। आधारभूत अनुसन्धान-कार्यक्रम के अन्तर्गत नारियल-जटा के रेशे और धागे के रचनामूलक, रासायनिक, जैविक तथा अन्य बुनियादी तत्वो का पता लगाया जाएगा। 'सिसल' और 'एलो'-जैसे प्रतियोगी रेशो का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाएगा। प्रायोगिक अनुसन्धान-योजनाओ के अन्तर्गत नारियल-जटा का रेशा निकालने की विधियो पर कार्य किया जाएगा। यह कार्य रेशो को खराब होने से बचाने और उस पर किए जानेवाले श्रम को कम करने के उद्देश्य से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाव से चलाई जानेवाली एक उन्नत किस्म की कताई-मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, तीन 'मैटिंग लूम' वाला एक प्रायोगिक सयन्त्र, नारियल-मज्जा और नारियल-जटा के अवशेषो के प्रयोग, नारियल-जटा के रेशे और धागे की रगाई तथा नारियल-जटा एव उसके उत्पादनो के नए

प्रयोगो के विकास के सम्बन्ध में कार्य किया जाएगा ; रेशम के कीड़े पालने-सम्बन्धी तीन अनुसन्धान-संस्थाएं पश्चिम-बगाल, मैसूर और असम-राज्यो में है। केन्द्रीय रेशम-मडल बिहार और जम्मू तथा कश्मीर में दो प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र और कलिम्पोग में एक उपकेन्द्र भी खोलेगा। रेशम-उद्योग की मुख्य समस्याएं रेशम की किस्म को उन्नत करने और रेशम पर होनेवाले व्यय में कमी करने से सम्बद्ध हैं। अनुसन्धान-केन्द्रों पर रेशम के कीड़ो की नई तथा उन्नत नस्लें तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।

हथकरघा-मडल ने हथकरघा-टेक्नोलाजी की दो वर्तमान संस्थाओ का पुनर्गठन करने की योजनाए तैयार की हैं। मडल का विचार बहुत-सी अनुसन्धान-योजनाओ पर काम करने का है—जैसे, एक उपयुक्त छोटे 'साईजिग' और 'वीमिंग' उपकरण का डिज़ाइन, शहतूत के अतिरिक्त वृक्षो पर तैयार किए गए रेशम के वस्त्रो का प्रयोग, संश्लेषित रेशे के परिष्कार और रगाई-सम्बन्धी कुटीर-उद्योग, हथकरघा पर तैयार किए गए वस्त्रो को 'ऐंटी-क्रीज़' बनाना तथा अन्य प्रकार से 'फिनिश' करना, टसर बनाने के लिए छोटी रीलिंग मशीन का डिज़ाइन, संश्लेषित रगो के साथ वनस्पति-रगो का प्रयोग और मशीन-द्वारा बांस की खपचिया तैयार करना।

लघु उद्योगो के क्षेत्र में लघु उद्योग-सेवा-संस्थाओ और विस्तार-केन्द्रो के कार्यकलाप को सगठित करने और उनका विस्तार करने का काम किया जाएगा। इन केन्द्रो में वे केन्द्र भी शामिल हैं जो कच्ची सामग्रियो के समुचित प्रयोग, उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं और मशीनो के डिज़ाइन-सम्बन्धी समस्याओ पर अनुसन्धान करते हैं।

(9)

विश्वविद्यालयो तथा उच्चतर टेक्नोलाजी की संस्थाओं में अनुसन्धान

70 विज्ञान की समस्त शाखाओ में आधारभूत अनुसन्धान-कार्य मुख्यतः विश्वविद्यालयों में किया जाता है। उद्योगो के विकास के लिए आवश्यक तकनीकी एव वैज्ञानिक कर्मचारी भी विश्वविद्यालयो से ही प्राप्त होते हैं। विज्ञान और टेक्नोलाजी के द्रुत विकास के सन्दर्भ में विश्वविद्यालयो का स्थान असाधारण महत्व का हो गया है। प्रत्येक क्षेत्र में बढ़िया किस्म का व्यावहारिक अनुसन्धान करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयो में बुनियादी अनुसन्धान-कार्य को सहायता दी जाए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्-जैसे सगठन विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान-परियोजनाओ को सहायता दे रहे हैं, किन्तु वर्तमान परिस्थितियो में यह आवश्यक है कि बुनियादी अनुसन्धान पर ही विशेष बल दिया जाए। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने भी विश्वविद्यालयो में बुनियादी अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने में सहायता दी है।

71. टेक्नोलाजी-संस्थाओ के अतिरिक्त इस समय 46 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से अधिकाश में विज्ञान की कई शाखाओ में उच्च अनुसन्धान करने की सुविधाएं हैं। दूसरी योजना में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की सहायता से विश्वविद्यालयो में कई विशिष्ट अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—हैदराबाद में परीक्षणात्मक खगोलविद्या; दिल्ली में सैद्धान्तिक खगोलविद्या; अलीगढ़ एवं जम्मू-कश्मीर में ब्रह्माडीय किरण-अनुसन्धान, अन्नमलाई एवं त्रिवेन्द्रम में जैविक समुद्र-

शास्त्र, कलकत्ता, आन्ध्र, दिल्ली एव अलीगढ में क्ष-किरण और बिल्लौर-विद्या; वाराणसी एव कर्नाटक में वर्णपटशास्त्र, कलकत्ता एव इलाहाबाद में इलैक्ट्रानिकस तथा प्रायोगिक भौतिक शास्त्र; चडीगढ में पशु-वश-विकास-शास्त्र; और वाराणसी, दिल्ली एव कलकत्ता में पौधो का रचना-सम्बन्धी शास्त्र । वैज्ञानिक एव औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् ने रुडकी-विश्वविद्यालय में भूकम्प-सम्बन्धी एक विद्यालय की स्थापना की है। तीसरी योजना की अवधि में वर्तमान अनुसन्धान-विभागो का विकास किया जाएगा और प्रायोगिक भूगर्भ-विज्ञान, भूभौतिकी, रेडियो-खगोलविद्या, समुद्र-शास्त्र और चिकित्सा-सम्बन्धी बुनियादी विज्ञान में अनुसन्धान-सुविधाओ की अभिवृद्धि की जाएगी।

72 इंजीनियरी अनुसन्धान : यद्यपि पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक में रुडकी-विश्वविद्यालय ने जलशक्ति-सम्बन्धी अनुसन्धान में अभिनव कार्य किया, तथापि पहली पचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में इजीनियरी-अनुसन्धान प्रारम्भिक अवस्था में ही था। पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में जो बडे पैमाने पर विकास हुआ, उसके परिणामस्वरूप भारतीय इजीनियरो को मौलिक तथा सृजनात्मक अनुसन्धान करने और बडे-बडे डिजाइन बनाने तथा फैब्रिकेशन और निर्माण-कार्य का उत्तरदायित्व सम्भालने के नए-नए अवसर मिले । फिर भी, अब तक वर्तमान कालेजो में कुछ ही ऐसे है, जहा अनुसन्धान करने की सुविधाए है, हालाकि अब भारतीय विज्ञान-सस्था, रुडकी-विश्वविद्यालय, यादवपुर-विश्वविद्यालय, मद्रास-टेक्नोलाजी-सस्था और खडगपुर, बम्बई, मद्रास एव कानपुर की टेक्नोलाजी-सस्थाओ-जैसी सस्थाओ का उच्च टेक्नोलाजी-विषयक और स्नातकोत्तर शिक्षण-सस्थाओ के रूप में विकास किया जा रहा है। दूसरी पचवर्षीय योजना में रुडकी-विश्वविद्यालय में जल-शक्ति-सम्बन्धी अनुसन्धानो का पुनस्सगठन किया गया और भूकम्प-सम्बन्धी इजीनियरिंग एव 'स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स'-सम्बन्धी समस्याओ पर कार्य किया गया । बगलोर-स्थित भारतीय विज्ञान-सस्था ने बिजली-इजीनियरी, धातुकर्म, आन्तरिक ज्वलन-क्रिया इजिन, गैस टरबाइनो और वैमानिक इजीनियरी-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य किए। खडगपुर-स्थित भारतीय टेक्नोलाजी-सस्था इलैक्ट्रन ट्यूब आसिलेटरो एव ऐम्पलीफायरो, ट्राजिस्टरो एव सूक्ष्म तरगो, नौसेना-वास्तुविद्या और 'शिप माडल टैंक' सम्बन्धी परीक्षणो पर अनुसन्धान कर रही थी।

73 वात-शक्ति, जल-शुद्धीकरण, सौर शक्ति, इत्यादि-जैसी इजीनियरी-अनुसन्धान-योजनाओ और विभिन्न प्रकार की मैकेनिकल, बिजली-विषयक एव दूर-सचार-सम्बन्धी परियोजनाओ पर कार्य करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ में प्राप्त सुविधाओ का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है । जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाए इजीनियरी-सम्बन्धी अनुसन्धान कर रही है, उनमें ये भी सम्मिलित है—केन्द्रीय सडक-अनुसन्धान-सस्था, राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगशाला, केन्द्रीय ईंधन-अनुसन्धान-सस्था, केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इजीनियरी-अनुसन्धान-सस्था, केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य-इजीनियरी-अनुसन्धान-सस्था, केन्द्रीय मैकेनिकल इजीनियरी-अनुसन्धान-सस्था और केन्द्रीय खनन-अनुसन्धान-केन्द्र ।

ट्राम्बे-स्थित परमाणु-शक्ति-प्रतिष्ठान में भी इजीनियरी-विषयक काफी अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है । यहा मुख्यत सस्ती न्यैष्टिक शक्ति के उत्पादन और अनुसन्धान-

कार्य के लिए आवश्यक परमाणु प्रतिकारियों के डिजाइन तथा निर्माण-सम्बन्धी इंजीनियरी-समस्याओं के सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है। वास्तविक विकिरणहीन परिस्थितियों में सम्पूर्ण प्रतिकारी-प्रणालियों, एवं सामग्रियों के परीक्षण के सम्बन्ध में भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकान एवं जर्मेनियम तथा इलेक्ट्रानिक औज़ारों के उत्पादन के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान-कार्य किया जा रहा है।

इंजीनियरी-अनुसन्धान के विकास के लिए तीसरी योजना में अधिक धन-राशि की व्यवस्था की गई है। इस समय एक विशेष समिति इंजीनियरी-सम्बन्धी स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसन्धान-सम्बन्धी कार्यक्रमों का अध्ययन कर रही है।

74 अंक-संकलन-सम्बन्धी अनुसन्धान : पहली दो योजनाओं की अवधि में अंक-संकलन-अनुसन्धान-सम्बन्धी सुविधाओं का समुचित विकास किया गया है। राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-संस्था अंक-संकलन-सम्बन्धी तथ्यों को एकत्र करने के लिए नमूना-सर्वेक्षण करती है। राज्यों के अंक-संकलन-कार्यालय तथा राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-संस्था, दोनों मिल कर नमूने के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करते हैं। भारतीय अंक-संकलन-संस्था विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए नए अंक-संकलन-उपकरणों के विकास तथा अंक-संकलन के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में आधारभूत अनुसन्धान करती है। राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-संस्था-द्वारा की जानेवाली पूछताछ की रूपरेखा तैयार करने तथा सर्वेक्षण-संस्था-द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों की सारणी तैयार करने का कार्य भी यही संस्था करती है। भारतीय अंक-संकलन-संस्था की शाखाएं, जैसे कार्य-संगठन, अनुसन्धान-इकाई और प्रादेशिक सर्वेक्षण-इकाई आयोजन-सम्बन्धी तकनीकी अध्ययन करती है। केन्द्रीय अंक-संकलन-संगठन तथा राज्यों के अंक-संकलन-कार्यालय एक-दूसरे के निकट सहयोग से काम करते हैं। हाल में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न मन्त्रालयों तथा राज्य-सरकारों को अंक-संकलन की समस्याओं पर सलाह देने और अंक-संकलन के लिए आवश्यक नियम एवं मानक निश्चित करने के बारे में सामान्य निर्देश देने का कार्य करने के लिए अंक-संकलन-विभाग की स्थापना की है। कृषि-अंक-संकलन-संस्था कृषि-सम्बन्धी अंक-संकलन के क्षेत्र में अनुसन्धान-कार्य कर रही है।

(10)

वैज्ञानिक अनुसन्धान का उपयोग

75 कुछ वर्षों से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान के परिणामों का व्यावसायिक स्तर पर तेजी से और व्यापक आधार पर उपयोग किया जाए। प्रयोगशालाओं में होनेवाले अनुसन्धान-कार्यों के परिणामों का व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग करने के उद्देश्य से 7 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय अनुसन्धान-विकास-निगम की स्थापना की गई थी। निगम ने देश में हुए अनुसन्धानों के आधार पर तैयार की गई वस्तुओं के लिए लगभग 120 लाइसेंसों के सम्बन्ध में बातचीत की है, जिनमें से 30 से अधिक व्यावसायिक उत्पादन के लिए हैं। निगम ने 16 विकास-परियोजनाएं भी चलाई हैं। फिर भी, देश में होनेवाले वैज्ञानिक अनुसन्धानों के बहुत बड़े भाग का अभी उपयोग नहीं हो पाता। प्रयोगशाला में अनुसन्धान पूरा हो जाने पर भी काफी अर्से तक उसकी जानकारी जनता को नहीं होती। इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता

है। सुझाया गया है कि अनुसंधान के परिणामो का तुरन्त उपयोग न होने के कुछ मुख्य कारण ये हैं—मार्गदर्शक सयन्त्र और डिज़ाइन तथा फैब्रीकेशन-सम्बन्धी सुविधाओ का अभाव; उद्योगो और अनुसन्धान-सगठनो के बीच समुचित सम्पर्क का अभाव, विदेशो से मगाई जानेवाली वस्तुओ को देश में ही बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में उद्योगो का उपेक्षा-भाव, और लाइसेंस-सम्बन्धी नीति और अनुसन्धान के विकास-कार्यक्रमो के बीच समुचित समन्वय का अभाव। मार्गदर्शक सयन्त्रो के डिज़ाइन और फैब्रीकेशन की सुविधाए अब पहले की अपेक्षा कही अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और जो-कुछ कमी रह गई है, वह तीसरी योजना में पूरी कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ऊपर जिन अन्य बातो की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, उनका सम्बन्ध मुख्यत सगठनात्मक कार्यों से है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि अनुसन्धान-कर्ताओ और उद्योगो के बीच घनिष्ठ सम्पर्क हो, उन्हें समस्याओ और अनुसन्धान के परिणामो के बारे में पूरा ज्ञान हो, और ऐसे उद्योग अनुसन्धान के परिणामो का प्रयोग करने के लिए सुविचारित योजनाए बनाए तथा देश में होनेवाले अनुसन्धान के आधार पर विदेशो से मगाई जानेवाली चीज़ो को देश में बनाया जाए और उत्पादन का स्तर ऊचा किया जाए। विशेष रूप से विकास-परिषदो और विभिन्न उद्योगो से सम्बन्धित सगठनो को चाहिए कि दूसरी पचवर्षीय योजना में ऐसी योजनाओ को अपने विकास-कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अग मानें। उन्हें इसका प्रबन्ध भी करना होगा कि अनुसन्धान-कार्यकर्ताओ को औद्योगिक सयन्त्रो तथा विभिन्न उद्योगो में कार्यपालक अधिकारियो और इजीनियरो का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हो।

76 उद्योगो की भाति परिवहन, निर्माण और बिजली-जैसे विकास के अन्य क्षेत्रो में भी अनुसन्धान के परिणामो का उपयोग तुरन्त नही हो पाता। अनुसन्धान के द्वारा बहुत आशाजनक परिणाम निकलते हैं और नए-नए डिज़ाइनो, तकनीको और विशेष विवरणों का आविष्कार किया जाता है, किन्तु उनका विस्तृत उपयोग नही हो पाता। सम्भवत उद्योगपतियो की सकोचशील मनोवृत्ति के कारण ऐसा होता है। अत. अनुसन्धान पर किए गए व्यय का हम पूरा-पूरा लाभ नही उठाते और इसीलिए तकनीकी प्रगति तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी शिथिल पड जाती है। सडक-विकास के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारो की अनुसन्धान-प्रयोगशालाओ में सडक-निर्माण और तत्सम्बन्धी विशेष बातो की उन्नत तकनीकें खोजने के सम्बन्ध में कार्य हो रहा है, ताकि उनका तुरन्त उपयोग किया जा सके। सुझाव रखा गया है कि राज्य-सरकारें सडको के लिए तीसरी योजना में निर्धारित धन-राशि का एक प्रतिशत प्रायोगिक तकनीको और तीसरी योजना में बनाई जानेवाली सडको के कुछ भागो के निर्माण पर व्यय करें। यह तरीका अपनाने से राज्य-सरकारो को कुछ अतिरिक्त व्यय तो जरूर करना पड़ेगा। किन्तु इसके लिए भी केन्द्र के सडक-कार्यक्रमो के अन्तर्गत व्यवस्था कर दी गई है। प्रस्ताव है कि भारतीय सडक-कांग्रेस की एक समिति सडक-निर्माण की नई तकनीको का चुनाव करे और उनको आजमाया जाए। इस तरीके को निर्माण के क्षेत्रो तथा सार्वजनिक उपयोग-सेवाओ आदि के लिए भी काम में लाया जा सकता है।

77. आविष्कार और पेटेंट: किसी देश की टेक्नोलाजी-विषयक प्रगति का पता

वहा किए गए आविष्कारो की सख्या से लगता है। कुछ तो ऐसे महत्वपूर्ण अनुसन्धान होते है, जो प्रयोगशालाओ में दीर्घकाल तक किए जाते है, किन्तु कुछ ऐसे आविष्कार भी होते हैं, जिनका कुशल कर्मचारियो और तकनीकी कर्मचारियो को अपने प्रति दिन के कार्य में सहसा पता लग जाता है। किसी समस्या का हल खोजते समय कई बार वे बहुत ही महत्वपूर्ण परिणामो पर पहुच जाते है। उद्योगीकरण की प्रक्रिया के विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिको, तकनीकी कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियो की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जाए। सन् 1959 में केन्द्रीय सरकार ने स्वतन्त्र रूप से काम करनेवाले कारीगरो, शिल्पियों और तकनीकी कर्मचारियो में आविष्कार की भावना उत्पन्न करने और उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आविष्कार-विकास-मडल की स्थापना की। यह मडल इन लोगो को तकनीकी और वित्तीय सहायता देता है। आशा की जाती है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा निजी उद्योग और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो के विभिन्न सगठन अपने तकनीकी कर्मचारियो में आविष्कार की प्रवृत्ति को बढावा देने की योजना बनाएंगे और उन्हें अपने आविष्कार को पूरा करने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देंगे।

पेटेंट चालू करने का उद्देश्य कानूनी जामा पहनाना है। तथा उद्योगों को इन आविष्कारो को तुरन्त ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन देना है। किन्तु कई वर्षों तक पेटेंटो से सम्बन्धित कानूनो के बारे में काफी असन्तोष प्रगट किया जाता रहा है। भारतीय पेटेंटो में से अधिकाश पर विदेशियो का अधिकार है और वस्तुत इनमें से देश में बहुत कम बनाए जाते हैं। पेटेंटो के सम्बन्ध में कानून बनाने और उनकी प्रशासनिक तथा अन्य प्रकार की व्यवस्था पर विस्तृत रूप से हाल में विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिए गए है, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार कर रही है।

(11)

वैज्ञानिक औज़ार

78 वैज्ञानिक औजारो के लिए विदेशो पर निर्भर रहने के कारण वैज्ञानिक अनुसन्धान के विकास और विद्यालयो तथा कालेजो में विज्ञान की शिक्षा की सुविधाओ के सुधार और विस्तार में बडी भारी बाधा आती है। सन् 1959 में वैज्ञानिक औज़ार-समिति ने विभिन्न क्षेत्रो की वैज्ञानिक औजारो की आवश्यकता का आकलन किया और यह सिफारिश की कि वाणिज्य और उद्योग-मन्त्रालय में एक वैज्ञानिक औज़ार-निदेशालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् के अधीन एक वैज्ञानिक औज़ार-सगठन स्थापित किया जाए। इन सिफारिशो के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् ने अक्तूबर 1959 में केन्द्रीय वैज्ञानिक औज़ार-संगठन की स्थापना की। इस सगठन ने वैज्ञानिक औजारो का उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धि, उत्पादन-क्षमता का विस्तार, किस्म-नियन्त्रण, आदि की तकनीकी कठिनाइयो के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया। पिछले कुछ वर्षो में वैज्ञानिक औजारो के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। इस समय लगभग 35 बडी और माध्यम इकाइया विज्ञान, ड्राइंग, सर्वेक्षण, गणित और उद्योगो-सम्बन्धी औजारो का उत्पादन कर रही है। सन् 1956 में 63 लाख रुपये के मूल्य के औजारो का उत्पादन हुआ था, जब कि सन् 1960 में 3 करोड मूल्य के औज़ार तैयार

किए गए। इसके अतिरिक्त, छोटी इकाइयो में भी वैज्ञानिक औजारो के उत्पादन की काफी गुंजाइश है। सन् 1956 में छोटी इकाइयो में कुल 35 लाख रुपये के मूल्य के औजारो का उत्पादन होता था, जब कि सन् 1960 में 60 लाख रुपये मूल्य के औजारों का उत्पादन होने लगा। अभी प्रति वर्ष लगभग 10 करोड रुपये मूल्य के वैज्ञानिक औजारों का आयात किया जाता है। इस दृष्टि से, यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें उत्पादन बहुत तेजी से और काफी बढाया जा सकता है। सरकारी विभागो और शिक्षा-सस्थाओ को चाहिए कि वे वैज्ञानिक औजारो की अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओ का हिसाब लगा लें और उत्पादन करनेवाली फर्मो को अपनी माग बता दें, ताकि वर्तमान तथा सम्भावित उत्पादनकर्ता उत्पादन के दीर्घकालीन कार्यक्रम बना सकें। । देखा जाता है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत औजार खरीदने की कोई अग्रिम योजना नही बनाई जाती, क्योकि कई बार तो शिक्षा-सस्थाओ को वर्ष के अन्त में ही धन दिया जाता है। परिणामत रुपये जल्दी मे खर्च किए जाते हैं और घटिया किस्म का सामान खरीद लिया जाता है। केन्द्रीय और राज्य-सरकारो के क्रय-सगठनो और माल की माग भेजने-वाले विभिन्न अधिकारियो को चाहिए कि वैज्ञानिक औजार-उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पद्धतियो के सुधार के लिए मिल कर प्रयत्न करें।

(12)

मानकीकरण, किस्म-नियन्त्रण और उत्पादकता

79 **मेट्रिक माप-तौल :** देश-भर में माप-तौल की प्रणाली का मेट्रिक पद्धति पर मानकीकरण करने का निश्चय दूसरी योजना के आरम्भ में ही कर लिया गया था। पिछले वर्षो में कई क्षेत्रो में मेट्रिक पद्धति को अपनाया गया है। कपास और पटसन के वस्त्र, लोहा और इस्पात, अलौह धातु, इजीनियरी, रसायन, सीमेंट, कागज, पेट्रोलियम, आदि उद्योगो में व्यापक लेन-देन में अब मेट्रिक पद्धति अपना ली गई है। सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क की दरें अब मेट्रिक इकाइयो में बताई जाती है। रेलवे, बन्दर-गाहो, जहाजरानी, आयात और निर्यात-व्यापार-नियन्त्रण और अन्य बहुत-सी केन्द्रीय और राज्यीय सस्थाओ ने मेट्रिक पद्धति अपना ली है। कुछ क्षेत्रो में मेट्रिक बाट अक्तूबर 1958 में चालू किए गए थे और अक्तूबर 1960 में उनका प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। देश के अन्य भागो में अप्रैल 1962 से मेट्रिक बाटो का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। व्यापार में सन् 1961 में मेट्रिक क्षमता-माप और सन् 1962 मे मेट्रिक लम्बाई-माप लागू करने का विचार है। अगले तीन वर्षो में मेट्रिक पद्धति बहुत हद तक अन्य पद्धतियो का स्थान ले लेगी। दिसम्बर 1966 के बाद देश में केवल मेट्रिक पद्धति को ही कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।

80 **मानकीकरण :** औद्योगिक विकास और साधनो के समुचित उपयोग की दृष्टि से मानकीकरण का बहुत महत्व है। सन् 1947 में भारतीय मानक-सस्थान की स्थापना हुई थी। इस सस्थान ने अब तक अधिकाश उद्योगो के लिए, जिनमें कृषि और खाद्य-उत्पादन भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय मानक तैयार कर दिए हैं और अभी लगभग 1,900 मानक काम में लाए जा रहे हैं। 'इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन मार्क्स ऐक्ट, 1952' के अन्तर्गत भारतीय मानक पर सही उतरनेवाले माल को प्रामाणिक घोषित

करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक सख्या में लाइसेंस दिए जा रहे हैं। भारतीय मानक-सस्थान उद्योगो से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। मानकीकरण के उद्देश्यो को विशेष मानक-सम्मेलनो से बढावा मिलता है और केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारो ने यह नियम बना लिया है कि वे सरकारी कार्यालयो के लिए भारतीय मानक के आधार पर ही माल खरीदेंगे। दूसरी योजना में भारतीय मानक तैयार करने की गति में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना के अन्त में जो गति थी, तीसरी योजना की अवधि में उसे दुगुना करने का कार्यक्रम है। तीसरी योजना में उपभोक्ता-माल के मानक तैयार करने पर अधिक बल दिया जाएगा। मानको को दृढतापूर्वक लागू करने के लिए कारखानो के स्तर पर मानकीकरण को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न किए जाएगे, वर्तमान उपभोक्ता-सगठनो को मजबूत बनाया जाएगा और नए सगठन स्थापित किए जाएगे, तथा जन-शिक्षा पर बल दिया जाएगा। उद्योग और वाणिज्य की विभिन्न शाखाओ में मेट्रिक प्रणाली लागू करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय मानक-सस्थान अपने वर्तमान मानको को मेट्रिक पद्धति के अनुसार बना रहा है तथा अन्य ऐसे मानक तैयार कर रहा है, जिनकी नए माप-तौल के नियन्त्रण के लिए आवश्यकता होगी। सस्थान की वर्तमान सुविधाओ का, जिनमें अनुसन्धान-प्रयोगशालाए और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी शामिल है, विस्तार किया जाएगा। देश-भर की प्रयोगशालाओ में विभिन्न समस्याओ पर परीक्षण की व्यवस्था करने के अतिरिक्त सस्थान अपनी अनुसन्धान-प्रयोगशालाओ में दीर्घकालीन समस्याओ का अध्ययन भी करेगा।

81 **किस्म-नियन्त्रण :** मानको से उत्पादनो की अपेक्षित किस्म का तो पता चलता है, किन्तु उनकी वास्तविक सफलता वैसी किस्म का माल प्राप्त करने के लिए अपनाई जानेवाली उन विभिन्न तकनीको पर निर्भर करती है, जो 'किस्म-नियन्त्रण' के अन्तर्गत आती हैं। 'किस्म-नियन्त्रण' की अक-सकलन-पद्धितयो और नमूनाजन्य तकनीको का उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरणो में स्थान है, जो इस उद्देश्य की पूर्ति करते है। इन तकनीको को ठीक से अपनाने से कच्चे माल के इस्तेमाल की दृष्टि से सामग्रियो, मशीनो और कर्मचारियो के उपयोग के क्षेत्र में दक्षता बहुत बढती है और अपेक्षित किस्म का माल तैयार होता है। भारतीय अक-सकलन-सस्था और इसकी शाखाओ में कर्मचारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, यह सस्था विभिन्न उद्योगो को अक-सकलन-विषयक-नियन्त्रण की समस्याओ पर सलाह देती है। पिछले कुछ वर्षो में इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। तीसरी योजना में इसका और तेजी से विस्तार किया जाएगा। किस्म-नियन्त्रण की सम्भावनाए असीम है—इसके कारण उत्पादन की किस्म में सुधार होता है, ग्राहको में विश्वास बढता है तथा निर्यात का भी विस्तार होता है। अत अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। किस्म-निर्धारण की बहुत-सी योजनाओ को अधिक-से-अधिक लागू किया जा रहा है—जैसे, भारतीय मानक-सस्थान की प्रमाणीकरण मार्किंग, ऐगमार्क योजनाए, तथा निर्यात-विकास-परिषदो-द्वारा सचालित योजनाए। तीसरी योजना में बहुत-से नए क्षेत्रो में इन गति-विधियो के विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है—विशेषकर, जहाज में माल लादने से पूर्व उसका परीक्षण तथा ऐसे ही कुछ अन्य आसान तरीके अपनाने होगे, ताकि निर्यात किए जानेवाले माल की किस्म की जाच की जा सके। ऐसे तरीके उत्पादन के

सभी क्षेत्रो में अपनाए जाने चाहिए । यदि आवश्यक हो, तो कानून भी बनाया जाना चाहिए ।

82 उत्पादकता • विभिन्न उद्योगो में उत्पादकता की वृद्धि की औसत गति से ही किसी उद्योग की प्रगति की गति का सही-सही पता लगता है। जैसा कि पहले एक अध्याय में बताया जा चुका है, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा आवश्यकता का वास्तविक आधार उत्पादकता की वृद्धि है। हमारे देश में उत्पादकता-आन्दोलन अभी आरम्भ ही हुआ है। किन्तु इसके महत्व को अब भली-भांति अनुभव किया जाने लगा है। सन् 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् की स्थापना की गई थी। तब से भारतीय उद्योगो में उत्पादकता-वृद्धि का आन्दोलन उत्तरोत्तर तेज होता जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् के तत्वावधान में 43 स्थानीय उत्पादकता-परिषदें स्थापित की गई है और बहुत-से लोगो ने उत्पादकता-सम्बन्धी विचार-गोष्ठियो और सम्मेलनो में भाग लिया है। इस प्रकार यह प्रयत्न किया गया है कि इस क्षेत्र की समस्याओ और तकनीको को अधिक-से-अधिक लोग समझें। राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् ने 230 प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमो का सगठन किया है, जिनमें लगभग 4 हजार प्रबन्धको, तकनीशियनो और निरीक्षको ने भाग लिया है । उच्च प्रबन्ध-कार्यक्रमो में वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियो ने भी भाग लिया है । आशा है कि कुछ समय बाद राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् के कार्यक्रमो का सम्बन्ध अखिल भारतीय प्रबन्ध-सस्था और राष्ट्रीय औद्योगिक इजीनियरी-प्रशिक्षण-सस्था के कार्यक्रमो के साथ जोड दिया जाएगा । तीसरी योजना में प्रबन्धको, तकनीशियनो और निरीक्षको के सामान्य प्रशिक्षण-कार्यक्रमो का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। प्रशिक्षण के अन्तर्गत कारखानो में पहले से अधिक मात्रा में उत्पादकता-सम्बन्धी तकनीको को अपनाने का कार्यक्रम भी शामिल होगा । साथ ही, उत्पादकता की कुछ विशेष तकनीको में प्रशिक्षको को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए न केवल अधिक उन्नत पद्धति और बेहतर सगठन तथा वैज्ञानिक तरीके अपनाने की आवश्यकता है, बल्कि व्यक्तिगत मानवीय सम्बन्धो में परिवर्तन करने, प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता देने तथा मिल कर काम करने और प्रत्येक उद्योग में सामूहिक हित और दायित्व की भावना उत्पन्न करने की भी आवश्यकता है ।

अध्याय 32

स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन

तीसरी योजना में स्वास्थ्य और परिवार-आयोजन-सम्बन्धी कार्यक्रमो का उद्देश्य मोटे तौर पर स्वास्थ्य-सेवाओ का विस्तार, एक निश्चित न्यूनतम शारीरिक कल्याण की व्यवस्था से जनता के स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार तथा अधिक कुशलता और उत्पादकता के लिए अनुकूल परिस्थितिया पैदा करना है। निरोधक सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाओ पर अधिकाधिक बल दिया जाएगा। दूसरी योजना के समान तीसरी योजना में भी सफाई, स्वास्थ्यकर परिस्थितियो, विशेष रूप से गावो और शहरो में पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार, सक्रामक रोगो की रोकथाम, स्वास्थ्य-सेवाओ के लिए और चिकित्सा एव स्वास्थ्य-कर्मचारियो को प्रशिक्षित करने के लिए सस्थागत सुविधाओ की व्यवस्था तथा मातृ और शिशु-कल्याण, स्वास्थ्य-शिक्षा और पौष्टिक आहार-सम्बन्धी सेवाओ की व्यवस्था के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाए गए है। तीसरी योजना में परिवार-आयोजन को भी बहुत ऊची प्राथमिकता दी गई है।

2 पहली और दूसरी योजनाओ में इन कामो के लिए निश्चित व्यय-राशि क्रमश 140 और 225 करोड रुपये थी। इसकी तुलना में तीसरी योजना के कार्यक्रमो के लिए कुल 342 करोड रु० रखे गए है। इसमे से लगभग 297 करोड रु० राज्यो की योजनाओ के लिए तथा शेष केन्द्रीय कार्यक्रमो के लिए निश्चित किए गए है। इस राशि को विभिन्न मदो में इस प्रकार बाटा गया है .

तालिका-संख्या 1

व्यय-राशि का वितरण

(करोड रुपये)

कार्यक्रम	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
स्वास्थ्य			
जल की व्यवस्था और सफाई (ग्रामीण और शहर)	49 0	76 0	105 3
प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइया, अस्पताल और औषधालय	25 0	36.0	61 7
सक्रामक रोगों की रोकथाम	23 1	64 0	70 5
शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान	21 6	36 0	56 3
देशी चिकित्सा-प्रणालिया, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा	0.4	4 0	9 8
अन्य योजनाए	20 2	6 0	11 2
परिवार-आयोजन	0 7	3 0	27 0
योग	140 0	225 0*	341 8

*वास्तविक व्यय 216 करोड रु० होने की सम्भावना है।

(1)

स्वास्थ्य

प्रगति और कार्यक्रम

3 पिछले दस वर्षों में विभिन्न स्वास्थ्य-कार्यक्रमो में बहुत प्रगति हुई है, अनेक दिशाओ में तो उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मलेरिया की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम के फलस्वरूप इस रोग से ग्रस्त होनेवालो की सख्या में काफी कमी आई है। सन् 1958 में रोकथाम के स्थान पर मलेरिया को समूल नष्ट कर देने का कार्यक्रम अपनाया गया। फाइलेरिया, तपेदिक, कोढ और यौन रोग-जैसे सक्रामक रोगों की रोकथाम की दिशा में भी प्रशसनीय प्रगति हुई है। अस्पतालो और औषधालयो की सख्या सन् 1950-51 में 8,600 थी, जो सन् 1960-61 में बढ कर 12,600 हो गई, रोगी-शय्याओ की भी सख्या 1,13,000 से बढ कर 1,85,600 हो गई। 20 करोड की आबादी के 2,800 विकास-खडो में बुनियादी ढग के स्वास्थ्य-सगठन स्थापित किए जा चुके है, जो सामान्यत सभी रोगों के सम्बन्ध में निरोधक और उपचारात्मक कार्य करते हैं। दूसरी योजना के अन्त में देशी चिकित्सा-प्रणाली की शिक्षा देनेवाली 78 सस्थाए थी, जिनमें प्रतिवर्ष 1,375 विद्यार्थी प्रवेश पा सकते थे। आजकल 98 अस्पतालो और 5,372 औषधालयो में देशी प्रणाली से चिकित्सा की सुविधाए उपलब्ध है; इनमें कुल 2,462 रोगी-शय्याए है। शहरो में पीने का पानी मुहय्या करने और जल-निकासी-सम्बन्धी 664 योजनाए, जिन पर खर्च का अनुमान 112 करोड रु० है, या तो पूरी हो चुकी है या उन पर काम जारी है। सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो, स्थानीय विकास-कार्यों और पिछडे वर्गो के कल्याण के कार्यों के अन्तर्गत देहातो में पीने का पानी मुहय्या करने की जो योजनाए क्रियान्वित हो चुकी है, उनके अतिरिक्त स्वास्थ्य-कार्यक्रम के अन्तर्गत 228 और योजनाए हाथ में ली गई है। इन पर कुल खर्च का अनुमान 20 करोड रु० है।

4 जन्म और मरण की दर-सम्बन्धी आकडे तैयार करने के काम की अपनी सीमाए है और सन् 1951 के बाद के काल के लिए कच्चे अनुमान ही लगाए जा सकते है। फिर भी, नीचे की तालिका से जनता के स्वास्थ्य में हुए क्रमिक सुधार का मोटे तौर पर पता चलता है

तालिका-सख्या 2

जन्म-दर, मरण-दर और सम्भावित आयु-सीमा--1941-61

अवधि	जन्म-दर	मरण-दर	बाल-मृत्यु-दर		जन्म के समय आयु की सम्भावित सीमा	
			पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1941-51	39 9	27 4	190 0	175.0	32 45	31.66
1951-56	41 7	25 9	161.4	146 7	37 76	37 40
1956-61	40 7	21 6	142 3	127 9	41.68	42 06

5 दूसरी योजना की अवधि की समाप्ति तक स्वास्थ्य और सम्बद्ध सेवाओं में [illegible] बहुत विकास होने के बावजूद कुछ त्रुटिया विशेष रूप से परिलक्षित हुई। [illegible] में सस्थागत सुविधाएं बिल्कुल अपर्याप्त थी—विशेष रूप से देहातो में। [illegible]

में डाक्टरो की सख्या उचित अनुपात में नही थी, अनेक शहरी क्षेत्रो में डाक्टरो की सख्या बहुत अधिक थी, तो देहाती क्षेत्रो में आम तौर पर बहुत कम। अस्पतालो और औषधालयो में भी कर्मचारियो की सख्या पूरी नही थी। प्रशिक्षित कर्मचारियो और कुछ हद तक साज-सामान की कमी के कारण देश के अनेक भागो में सक्रामक रोगो की रोकथाम के काम में बहुत कठिनाइया आई। ग्रामो में पीने का पानी मुहय्या करने के काम में कुछ प्रगति होने के बावजूद बहुत बडा देहाती क्षेत्र ऐसा बच गया, जहा पीने का साफ-सुरक्षित पानी नही पहुचाया जा सका। अनेक शहरी क्षेत्रो में आबादी तेजी से बढने के कारण जल-निकासी की समस्या उग्रतर हो गई।

8 तीसरी योजना का उद्देश्य, मोटे तौर पर, वे सब कमिया दूर करना है, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है। एक मुख्य लक्ष्य यह है कि तीसरी योजना के अन्त तक देश के प्राय सभी गावो में पीने का पानी पहुचा दिया जाए। सस्थागत सुविधाओ का विस्तार किया जाएगा, जिससे चिकित्सा और स्वास्थ्य-सेवाए धीरे-धीरे अधिक लोगो तक पहुच सकें, विशेष रूप से देहातो में। मलेरिया के उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा तथा चेचक के उन्मूलन एव फाइलेरिया, हैजा, तपेदिक, कुष्ठ रोग और अन्य सक्रामक रोगो की रोकथाम के प्रयत्न किए जाएगे। शहरी क्षेत्रो में बडे पैमाने पर जल-निकासी का प्रबन्ध किया जाएगा।

नीचे की तालिका में तीसरी योजना के विशिष्ट भौतिक लक्ष्यो तथा पहली और दूसरी योजना की प्रगति का विवरण सार-रूप में दिया गया है :

तालिका-संख्या 3

उपलब्धियां और लक्ष्य

वर्ग/इकाइया	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
अस्पताल और औषधालय				
सस्थाए	8,600	10,000	12,600	14,600
रोगी-शय्याए	1,13,000	1,25,000	1,85,600	2,40,100
प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइया	—	725	2,800	5,000
मेडिकल शिक्षा				
मेडिकल कालेज	30	42	57	75
वार्षिक प्रवेश-सख्या	2,500	3,500	5,800	8,000
दन्त-चिकित्सा-शिक्षा				
दन्त-कालेज	4	7	10	14
वार्षिक प्रवेश-सख्या	150	231	281	400
प्रशिक्षण-कार्यक्रम				
डाक्टर*	56,000	65,000	70,000	81,000
नर्सें*	15,000	18,500	27,000	45,000
सहायक नर्स-मिडवाइफें और मिडवाइफें*	8,000	12,780	19,900	48,500
स्वास्थ्य-निरीक्षक*	521	800	1,500	3,500

* प्रैक्टिस या नौकरी कर रहे व्यक्तियों की सख्या।

तालिका-संख्या 3—(जारी)

वर्ग/इकाइयां	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
नर्स-दाइयां/दाइयां*	1,800	6,400	11,500	40,000
सफाई-निरीक्षक*	3,500	4,000	6,000	19,200
औषध-निर्माता	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	42,000	48,000
संक्रामक रोगों की रोकथाम				
मलेरिया				
इकाइयां	—	133	390	390†
लाभ उठानेवाली जन-संख्या (लाख में)	—	1,070	4,380	4,970
फाइलेरिया				
इकाइयां	—	11	48	48
लाभ उठानेवाली जन-संख्या (लाख में)	—	15 1	24 6	अनुपलब्ध
तपेदिक				
बी० सी० जी० दल	15	119	167	167
तपेदिक-औषधालय	110	160	220	420
तपेदिक के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण-केन्द्र	—	3	10	15
रोगी-शय्याएं	10,371	22,000	26,500	30,000
कुष्ठ रोग				
सहायता-केन्द्र	—	33	135	235
यौन रोग				
यौन रोग-औषधालय	—	—	83	189
मातृ और शिशु-स्वास्थ्य-केन्द्र	1,651	1,856	4,500	10,000

पानी की व्यवस्था और सफाई

7 गावों में पानी की व्यवस्था: गावों में पानी पहुंचाने की समस्या हर प्रदेश में भिन्न-भिन्न रूप में है, अनेक बार तो एक ही प्रदेश में समस्या एकरूप नहीं रहती। गावों में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम मुख्यतः सामुदायिक विकास, स्थानीय विकास और पिछड़े वर्गों के कल्याण-कार्यक्रमों के अंतर्गत रहा है। 'स्वास्थ्य' के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल-पूर्ति और सफाई का कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम का पूरक है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उपयोग उन गावों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है, जहां जल-व्यवस्था के डिजाइन बनाने तथा निर्माण आदि में तकनीकी

*प्रैक्टिस या नौकरी कर रहे व्यक्तियों की संख्या।
†तीसरी योजना के उत्तरार्द्ध में ये इकाइयां धीरे-धीरे समाप्त कर दी जाएंगी।

कुशलता की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम में उन गांवों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां पानी की बेहद कमी है, पानी अत्यधिक खारा है और जहां पानी के कारण रोगों की अधिकता है। पहली और दूसरी योजनाओं में इस कार्यक्रम पर कुल 33 करोड़ रु० खर्च किए गए थे और पाइप डाल कर 11,000 गांवों में पानी पहुंचाया गया था।

8 अनेक राज्यों में देहातों में जल-आपूर्ति की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है। जहां ऐसे सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किए गए हैं, वहां इनकी व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार हर राज्य की समस्या का सही अनुमान लगाया जा सकेगा और यही तीसरी योजना में क्रियान्वित होनेवाले विस्तृत कार्यक्रम का आधार होगा। तीसरी योजना के अन्त तक अधिकांश गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचा देने के उद्देश्य के लिए केवल सघन प्रयत्न ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस बात की भी जरूरत है कि जिला और खण्ड-स्तर पर, देहातों को पानी पहुंचाने के कार्य में लगी सभी संस्थाओं में ठोस समन्वय हो और स्थानीय लोगों से पहल एवं अधिकतम योगदान प्राप्त किया जाए। पहली और दूसरी योजनाओं के अनुभव ने सुझाया है कि ग्रामीण जल-व्यवस्था के तकनीकी डिजाइन और अनुमान तैयार करने तथा खर्च कम करने के लिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

9 विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत गांवों में पानी पहुंचाने के लिए तीसरी योजना में लगभग 67 करोड़ रु० की व्यवस्था है। इसमें 35 करोड़ रु० ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम के लिए, 16 करोड़ रु० 'स्वास्थ्य' के अन्तर्गत राज्यों के कार्यक्रमों के लिए, 12-13 करोड़ रु० सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के लिए और 3-4 करोड़ रु० पिछड़े वर्गों के विकास के कार्यक्रम के लिए शामिल हैं। ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम के लिए निश्चित राशि का मुख्य भाग इन क्षेत्रों के लिए है: (क) पिछड़े क्षेत्र, (ख) सामुदायिक विकास-कार्यक्रम से बाहर के क्षेत्र, (ग) पूर्व-विस्तार खण्ड, और (घ) वे खण्ड, जो सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना पहला और दूसरा दौर पूरा कर चुके हैं। ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम-स्तर पर देहातों में पानी पहुंचाने का प्रबन्ध करना है। नियम के रूप में, प्रति गांव पर 10,000 रु० की सीमा अपनानी होगी। जन-सहयोग 50 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है, परन्तु दुर्गम या पिछड़े क्षेत्रों में यह अनुपात बदला जा सकता है। उन ग्राम-समूहों की योजनाएं, जहां पाइपों से पानी पहुंचाना है और कार्यक्रम के लिए इंजीनियरी-जैसे कामों की आवश्यकता है, 'स्वास्थ्य' के अन्तर्गत आती हैं, परन्तु ऐसी योजनाओं के लिए भी ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम की 10,000 रु० प्रति गांव की दर में से कुछ धन दिया जा सकता है। ग्राम-जल-आपूर्ति-कार्यक्रम का संचालन पंचायत-समितियों और ग्राम-पंचायतों के द्वारा खण्ड-स्तर पर किया जाएगा और इसके लिए खण्ड-स्तर के संगठन की मार्फत धन, मुहैय्या किया जाएगा। सुझाव है कि स्थानीय स्तर पर एक सामान्यतः सर्वसम्मत कार्यक्रम होना चाहिए, जिसके अन्तर्गत जल-व्यवस्था के लिए निर्धारित कुल राशि का प्रभावशाली ढंग से उपयोग हो सके। यह कार्यक्रम सावधानी से किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित होना चाहिए।

10 गांवों में पानी पहुंचाने के साथ ही गांवों में सफाई के कार्यक्रम पर, विशेष रूप से गांवों से मल की उचित तरीके से व्यवस्था करने पर, अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। गांवों में शौचालयों के उचित डिजाइन और निर्माण की समस्याओं तथा इस कार्यक्रम के शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं का हाल में ही अध्ययन किया गया था। कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कार्य करने की मोटी रूपरेखा काफी हद तक तैयार कर ली गई है। शुरू में,

प्रगति यद्यपि बहुत धीमी रहेगी, तथापि यह जरूरी है कि हर विकास-खड में ग्राम-स्वच्छता की समस्याओ के प्रति लोगो को जागरूक बनाने और स्कूलो, शिविरो, मकान-समूहो और जहा सम्भव हो, हर मकान के लिए अलग और स्वच्छ शौचालयो के उपयोग का प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया जाए। यदि स्थानीय सफाई-निरीक्षक शौचालय तैयार करने के काम में भी प्रशिक्षित हो, तो शौचालयो का प्रचलन अधिक लोगो में करना आसान हो जाएगा। स्थानीय लोगो के योगदान से ऐसे शौचालय बहुत कम खर्च से तैयार किए जा सकते हैं। खड-कार्यक्रम के रूप से इस पर काम शुरू करने से शीघ्र ही अधिक ठोस परिणाम निकलने की सम्भावना है। स्वास्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा निस्सन्देह ग्राम-स्वच्छता के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। साफ, दुर्गन्धरहित और सस्ते शौचालयो से होनेवाले लाभ और सुविधाए स्पष्ट हैं। मानव-मल के खाद-गुणो की रक्षा करने तथा भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए भी ये कम आवश्यक नही हैं।

11 **शहरों में पानी की व्यवस्था :** शहरो में पानी की आपूर्ति के कार्यक्रमो पर केन्द्रीय और राज्य-सरकारो के ऋणो की सहायता से नगरपालिकाए और नगर-निगम अमल कर रहे हैं। शहरो मे पानी की आपूर्ति के कार्यक्रमो के लिए स्थानो के चुनाव के सम्बन्ध में जो प्राथमिकताए दूसरी योजना में स्वीकार की गई थी, वे तीसरी योजना में भी कायम रहेंगी। वे इस प्रकार है

(1) नगरपालिका के वे क्षेत्र, जहा साफ पानी पहुचाने की कोई व्यवस्था नही है,

(2) उन शहरी क्षेत्रो में पानी की वर्तमान व्यवस्था का विस्तार अथवा उसमें सुधार, जहा वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है अथवा जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक है,

(3) तीर्थ-स्थान, और

(4) नलो-द्वारा पानी की व्यवस्थावाले क्षेत्र, जहा गन्दगी की सफाई तथा जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी खतरे दूर करने के जल-निकासी की नई व्यवस्था करना अथवा वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक हो।

12 पहली दो योजनाओ में शहरो को पानी मुहय्या करने एव सफाई के कार्यक्रमो का उद्देश्य डेढ करोड शहरी जनता को साफ पानी देना और जल-निकासी की व्यवस्था करना था। इनमें से 450 कार्यक्रम दूसरी योजना के अन्त तक पूरे हो जाएगे और बाकी तीसरी योजना में जारी रहेंगे। पहली और दूसरी योजनाओ के कुछ मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं बम्बई की वैतरणा-तन्सा-योजना, तथा दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बगलोर, अहमदाबाद, उत्तर-प्रदेश के कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ नगरो एव आन्ध्रप्रदेश के विशाखापटनम नगर की जल-आपूर्ति और जल-निकासी-व्यवस्था में सुधार। इन कार्यक्रमो को पूरा करने में कुछ त्रुटिया रह गईं। ये त्रुटिया मुख्यत प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव, अपर्याप्त सगठन एव आयोजन, तथा सामग्रियो, विशेष रूप से गलवनाइज्ड लौह पाइप, पम्प सेट और सम्बद्ध उपकरणो की कमी के कारण रह गई थी।

13 दूसरी योजना के शहरी जल-आपूर्ति-कार्यक्रमो के अनुभवो के परिणामस्वरूप तीन मुख्य सुझाव पेश किए जा सकते हैं। पहला, शहरी जल-आपूर्ति-योजनाओ को विशेष रूप से बडी योजनाओ को समुचित रूप से क्रमबद्ध करना जरूरी है, ताकि परियोजना के विभिन्न भाग सिलसिलेवार रहें और हर दौर में व्यय की गई राशि का कुछ लाभ मिलता जाए। विलम्ब रोकने

के लिए योजनाओं और अनुमानों की तकनीकी जांच-पड़ताल आवश्यक है। दूसरा, प्राप्त धनराशि का सबसे अधिक लाभकारी उपयोग करने की दृष्टि से यह उचित होगा कि बहुत-सी योजनाओं में थोड़ा-थोड़ा धन न लगाया जाए। इसके लिए समुचित सिद्धान्त तय कर के शहरी जल-आपूर्ति-योजनाओं का सावधानी से चुनाव करना जरूरी है। तीसरा सुझाव यह कि एक बार परियोजना के स्वीकृत होने पर सम्बद्ध नगरपालिका राज्य-सरकार-द्वारा निश्चित सीमा तक उसके निर्माण में न केवल खर्च का कुछ बोझ उठाए, बल्कि निर्माण के बाद उसके अनुरक्षण की भी जिम्मेदारी सम्भाले। सभी राज्यों में सुगठित जन-स्वास्थ्य-इंजीनियरी-विभागों की भी आवश्यकता है। ये विभाग विभिन्न जल-आपूर्ति-योजनाओं के इंजीनियरी और स्वास्थ्य के पहलुओं में आवश्यक समन्वय कर सकते हैं, चाहे वे योजनाएं राज्य-सरकारों की हों अथवा नगर-निगमों या नगरपालिकाओं की। जहां भी यह समन्वय नहीं हो सका, वहीं काम पूरा करने में देर हुई और अनुरक्षण भी सन्तोषजनक नहीं रहा। कानून-द्वारा स्थापित जल और मल-व्यवस्था-मंडल, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्र में जल-आपूर्ति और मल-व्यवस्था की योजनाएं चलाने के लिए बनाया गया हो और जिन्हें ऋण जारी करने एवं शुल्क लगाने का भी अधिकार हो, जल-आपूर्ति-योजनाओं के कुशल प्रबन्ध और संचालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त संस्थाएं हैं।

14 तीसरी योजना के काल में शहरी जल-आपूर्ति तथा जल-निकासी-योजनाओं के लिए 89 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। शहरी जल-आपूर्ति के लिए निश्चित रकम से एक सीमित संख्या में ही नई योजनाएं हाथ में ली जा सकती हैं। राज्यों-द्वारा आरम्भ की जानेवाली अन्य जल-आपूर्ति एवं जल-निकासी-योजनाओं के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू अथवा पूरी की जाएंगी : मद्रास, जबलपुर, बंगलोर, मंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और उत्तरप्रदेश के कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ नगर, आन्ध्रप्रदेश की विशाखापटनम और भजीरा जल-आपूर्ति-योजनाएं तथा केरल की एरणाकुलम-मत्तनचेरी एवं त्रिवेन्द्रम जल-आपूर्ति तथा जल-निकासी-योजनाएं।

15 जल-निकासी एवं मल-व्यवस्था के कार्यक्रमों के महत्व और प्रबल आवश्यकता तथा कस्बों और अन्य नगरों में मल की समुचित व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। जल-आपूर्ति के मुकाबले उक्त सुविधाएं अभी पिछड़ी हुई हैं और यह आवश्यक है कि जल-निकासी और मल-व्यवस्था की योजनाएं भी जल-आपूर्ति के साथ ही चलाई जाएं और वे एक समन्वित कार्यक्रम का अंग बनें। इससे शहरों को जल-आपूर्ति-योजनाओं के परिणामस्वरूप मच्छरों की संख्या में वृद्धि तथा सफाई-व्यवस्था की अवनति से बचाया जा सकेगा। 1,00,000 से ऊपर की आबादीवाले नगरों में आवश्यक है कि जल-आपूर्ति-योजनाओं की अनुमानित लागत का 20 से 30 प्रतिशत तक हिस्सा मल-व्यवस्था पर खर्च किया जाए।

प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयां, अस्पताल और औषधालय

16 दूसरी योजना के अन्त तक अधिकांश विकास-खंडों में 2,800 प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयां स्थापित हो चुकेंगी। अस्पतालों और औषधालयों की संख्या सन् 1951 के 8,600 से बढ़ कर सन् 1961 में 12,600 हो जाएगी। इसी अवधि में अस्पतालों में रोगी-शय्याओं की संख्या 1,13,000 से बढ़ कर 1,85,600 हो जाएगी।

दूसरी योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो के कार्य-सचालन से मालूम पडता है कि इस कार्यक्रम की प्रगति में निम्नलिखित बाधाए रही (1) स्वास्थ्य-कर्मचारियो की कमी, (2) इमारतो और कर्मचारियो के रहने के क्वार्टरो के निर्माण में देरी, (3) देहातों में सेवा के लिए आनेवाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियो के प्रशिक्षण की अपर्याप्त सुविधाए। प्राथमिक-स्वास्थ्य इकाइयो को मजबूत करने की भी जरूरत महसूस की गई है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य-सेवाओ की सामान्य गतिविधियो में मलेरिया, तपेदिक, आदि की रोकथाम की सेवाओ का जल्दी-से-जल्दी समन्वय करने की भी आवश्यकता अनुभव की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो की कार्यकुशलता बढाने के लिए उठाए जानेवाले अन्य कदम ये है ' न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियो की व्यवस्था, आवश्यक-प्रशिक्षण सुविधाओ की व्यवस्था तथा उस क्षेत्र की अन्य स्वास्थ्य-सेवाओ और प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो के कार्यों का एकीकरण।

17 पर्याप्त सख्या में डाक्टर प्राप्त करने में कठिनाई महसूस की गई है। देहाती क्षेत्रो के लिए कर्मचारियो को आकृष्ट करने के लिए अनुकूल परिस्थितिया और वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय सुझाए गए है

(1) जैसा कि कुछ राज्यों में हो भी रहा है, शहरी और देहाती क्षेत्रो में काम करनेवाले कर्मचारियो का एक ही वर्ग होना चाहिए। सेवा-नियमो में यह शर्त शामिल कर दी जाए कि कर्मचारियो के वर्ग में आनेवाले हर व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक देहातो में काम करना पडेगा, इसके बाद ही वह अगला ऊचा वेतन-क्रम पा सकेगा या योग्यता-अवरोध को पार कर सकेगा। जल्दी पद-वृद्धि करने, अग्रिम वेतन-वृद्धि करने तथा स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण के लिए चुनाव करते समय देहातो में की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(2) देहातो में काम करनेवाले चिकित्सा-कर्मचारियो को रहने के लिए मकान और अन्य सुविधाए दी जानी चाहिए। उनके अतिरिक्त व्यय-भार (बच्चो की शिक्षा, आदि) का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(3) प्रशिक्षणार्थी छात्रो को बडी सख्या में छात्रवृत्तिया दी जाए, बशर्ते कि वे यह प्रतिज्ञा करें कि स्नातक बनने के बाद एक निश्चित न्यूनतम अवधि तक देहातो में काम करेंगे।

(4) शहरो और देहातो, दोनो स्थानो पर काम करनेवाले डाक्टरो की सेवाए अस्पतालो और औषधालयो तथा स्कूल-स्वास्थ्य-सेवा के लिए आशिक समय के लिए प्राप्त की जाए।

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो और उप-केन्द्रो के लिए चिकित्सा-अधिकारी के अलावा देशी चिकित्सा-प्रणालियो में समुचित रूप से प्रशिक्षित स्नातको की भी सेवाए प्राप्त की जाए।

18 प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो का स्तर बनाए रखने और उन्हें विशेष सुविधाओ का लाभ पहुचाते रहने के लिए यह जरूरी है कि इन इकाइयो को जिला के और अन्य विशिष्ट अस्पतालो से सम्बद्ध किया जाए। फिलहाल विशेष सेवाए बडे नगरो के ही अस्पतालो में उपलब्ध है। छोटे कस्बो और गावो की जनता को इन सेवाओ का लाभ पहुचाने के लिए

यह जरूरी है कि जिला और सब-डिवीजन के अस्पतालों में रोगी-शय्याओं की संख्या बढ़ाई जाए और वहां एक्स-रे, खून, थूक, आदि की परीक्षा, चिकित्सा, आपरेशन आदि तथा प्रसूति-सम्बन्धी विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। अस्पतालों में शय्याओं की संख्या में वृद्धि के अतिरिक्त, बाहरी रोगियों की चिकित्सा के विभागों को बहुरोगी-अस्पतालों का रूप दिया जाए, जिससे बाहरी विभाग में ही तकनीकी साज-सामान उपलब्ध हो और चिकित्सा का भी प्रबन्ध हो सके।

19 तीसरी योजना में 2,000 नए अस्पताल और औषधालय खोलने तथा 54,500 अतिरिक्त शय्याओं का प्रबन्ध करने का लक्ष्य है।

संक्रामक रोगों की रोकथाम

20 तीसरी योजना में मलेरिया, फाइलेरिया, तपेदिक, चेचक, यौन रोग, कुष्ठ रोग, हैजा और गिल्लड़-जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम का कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। मलेरिया और चेचक के उन्मूलन पर विशेष बल दिया जाएगा। संक्रामक रोगों की रोकथाम पर पहली योजना में 23 करोड़ रु० तथा दूसरी योजना में 64 करोड़ रु० खर्च किए गए। तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर कुल 70 करोड़ रु० खर्च किए जाएंगे।

21 मलेरिया-उन्मूलन : पहली दो योजनाओं में किए गए मलेरिया-निरोधक उपायों से इस रोग की भीषणता में बहुत कमी हुई है सन् 1952-53 में मलेरिया ने साढ़े सात करोड़ लोगों पर आक्रमण किया था, जब कि सन् 1960-61 में यह संख्या घट कर 1 करोड़ रह गई। बच्चों के तिल्ली बढ़ने की दर सन् 1956 में 7.7 प्रतिशत थी, जो सन् 1960 में गिर कर 1 4 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, जिन बच्चों के रक्त में मलेरिया के कीटाणु पाए गए, उनकी दर 1 8 प्रतिशत से 0 2 प्रतिशत रह गई तथा पशुओं के मामले में यह दर 0 7 प्रतिशत से घट कर 0 1 प्रतिशत रह गई। दूसरी योजना के अन्त में 390 मलेरिया-उन्मूलन-इकाइयां काम कर रही थीं। साथ ही, निगरानी की कार्रवाई भी चालू कर दी गई है और ज्यों-ज्यों तीसरी योजना आगे बढ़ेगी, त्यों-त्यों ये इकाइयां कम कर दी जाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर, विशेष रूप से सीमा-क्षेत्रों में, केवल थोड़ी-सी इकाइयां काम करने के लिए रख ली जाएंगी।

22 फाइलेरिया की रोकथाम : फाइलेरिया रोग विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी योजना की अवधि में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि संक्रामक क्षेत्रों में 4 करोड़ व्यक्तियों को इस रोग की आशंका है। इसकी रोकथाम के उपायों में सामूहिक रूप से दवा-वितरण, मच्छर-नाशक कार्रवाई और लारवा-नाशक कार्रवाई शामिल है। फाइलेरिया मुख्यतः एक शहरी समस्या है तथा इसके निरोध के लिए प्रभावशाली दीर्घकालीन उपाय सफाई का समुचित प्रबन्ध है। सन् 1956 में फाइलेरिया-नियन्त्रण-केन्द्रों की संख्या 11 थी, जो 1961 में बढ़ कर 48 हो गई। तीसरी योजना में फाइलेरिया-निरोधक उपाय जारी रहेंगे, परन्तु इस रोग से ग्रस्त शहरों में जल-निकासी-कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

23 चेचक : चेचक को भारत में एक महामारी का स्वरूप प्राप्त है और अन्य देशों में भी इसके फैलने का बराबर खतरा रहता है। टीके लगाने के आन्दोलनों के कारण चेचक रोग

से मरनेवालों और बदसूरत हो जानेवालो की सख्या में कमी हुई है, परन्तु वर्ष के कुछ मौसमो में चेचक का आक्रमण अब भी हो जाता है तथा 5-6 वर्ष में एक बार यह महामारी के रूप में प्रकट हो जाती है।

चेचक ऐसा रोग है, जिसे रोकना सम्भव है। टीका लगाना ही इस रोग के लिए सबसे बड़ा निरोधक अस्त्र है। इसलिए तीसरी योजना में यह तय किया गया है कि चेचक रोग का समूल नाश करने का प्रयत्न किया जाए। सन् 1960-61 में सभी राज्यो में परीक्षण के लिए प्रारम्भिक योजनाए शुरू की गई थी। तीसरी योजना के कार्यक्रमो की मुख्य बातें ये होगी . (1) टीके की दवा के उत्पादन में वृद्धि, (2) टीका लगानेवाले कर्मचारियो की भर्ती और प्रशिक्षण, (3) अगली बार महामारी के रूप मे चेचक फैलने से पहले सारी आबादी को टीका लगाने का काम। टीके की दवा का उत्पादन बढाने की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है।

24 तपेदिक : चिकित्सा-सम्बन्धी भारतीय परिषद् के तत्वावधान में हाल में ही नमूने के तौर पर किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में फेफडो की तपेदिक के रोगियो की सख्या प्राय 50 लाख है, जिसमें से 15 लाख को छूतवाली तपेदिक है। यह भी पता चला है कि तपेदिक से मरनेवालो की सख्या चाहे कम हो गई हो, उससे ग्रस्त रोगियो की दर शहरो और देहातो, दोनो में प्राय उतनी ही है। दूसरी योजना में करीब 12 करोड लोगो की बी० सी० जी० का टीका लगा कर जाच की गई थी। तपेदिक के औषधालयो की सख्या सन् 1956 के 160 से बढा कर सन् 1961 में 220 कर दी गई। तपेदिक-निरोधक तरीको का प्रदर्शन करने तथा उनका प्रशिक्षण देने के लिए 10 केन्द्र स्थापित किए गए। तपेदिक के रोगियो के लिए शय्याओ की भी सख्या बढा कर सन् 1956 के 22,000 की तुलना में सन् 1961 में 26,500 कर दी गई। सन् 1959 में बगलोर में एक राष्ट्रीय तपेदिक-प्रशिक्षण-सस्थान की स्थापना की गई।

तीसरी योजना में बी० सी० जी० का टीका लगाने का आन्दोलन बढाया जाएगा तथा 10 करोड और व्यक्तियो को टीके लगाए जाएगे। औषधालयो की सख्या भी 220 से बढाकर 420 कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, देहाती क्षेत्रो में सेवा के लिए 25 चलते-फिरते औषधालयो का प्रबन्ध किया जाएगा, जिनमें एक्स-रे की छोटी फिल्में लेने तथा खून-थूक आदि के नमूने लेने एव साधारण परीक्षण करने के लिए एक प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाएगी। तपेदिक-सम्बन्धी प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए 5 और केन्द्र स्थापित किए जाएगे। तपेदिक के रोगियो के लिए 3,500 अतिरिक्त शय्याओ का प्रबन्ध किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप कुल रोगी-शय्याओ की सख्या सन् 1966 तक 30,000 हो जाएगी। रोग-मुक्ति के बाद की देखभाल तथा रोगमुक्त व्यक्तियो के पुनर्वास के लिए 7 केन्द्रो की स्थापना की जाएगी।

25 यौन रोग : देश में सामान्यत व्याप्त यौन रोगो में सुजाक और गरमी प्रमुख हैं। नगरो, बन्दरगाहो, औद्योगिक क्षेत्रो और हिमालय के अचल के क्षेत्रो में यह रोग अधिक है। शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण इन रोगो के और अधिक फैलने की आशका है। दूसरी योजना के अन्त तक इन रोगो की रोकथाम के लिए 75 जिला-औषधालयो और 8 मुख्यालय-औषधालयो की स्थापना की जा चुकी थी। शीघ्र निदान और उपचार के कारगर तरीको के इस्तेमाल से आबादी में छूत लगने के कारणो को रोकने में काफी सफलता मिली है। तीसरी योजना में 100 और जिला-औषधालय तथा 6 और

मुख्यालय-औषधालय स्थापित किए जाएगे और रोग की रोकथाम के लिए प्रोकेन एल्युमीनियम मोनोस्टियरेट (पी० ए० एम०) का मुफ्त वितरण किया जाएगा ।

26 कुष्ठ रोग · देश में कुष्ठ रोग से पीडित लोगो की सख्या लगभग 20 लाख है। इनमें से 20-25 प्रतिशत का रोग तो छूत से फैलनेवाला है। रोग फैलने की घटनाए 0 5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक हैं। आधुनिक दवाओ, विशेष रूप से सल्फोन, की सहायता से बड़े पैमाने पर उपचार के व्यापक और सघन उपायो से कोढ पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। दूसरी योजना के अन्त तक कोढ के अध्ययन और उपचार-सम्बन्धी 135 केन्द्रो की स्थापना की जा चुकी थी। 70 लाख व्यक्तियो का सर्वेक्षण हो चुका था और 90,000 व्यक्तियो का उनके घरो में ही उपचार किया गया था। चिंगलपट-स्थित केन्द्रीय कुष्ठ रोग-शिक्षण और अनुसन्धान-सस्थान में इस रोग के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओ पर अनुसन्धान होता है और कर्मचारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। सन् 1958 में कुष्ठ रोग-नियन्त्रण-कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए स्थापित कुष्ठ रोग-सलाहकार-समिति ने भारत में कोढ-नियन्त्रण-कार्य बढाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। कुछ सिफारिशें ये हैं · इस क्षेत्र में काम करनेवाले कर्मचारियो को विशेष भत्ता और रहने के लिए मुफ्त मकान देना, सेवा-नियमो में सुधार करना और उनके लिए केन्द्रीकृत प्रशिक्षण-कार्यक्रम चलाना ।

तीसरी योजना में कुष्ठ रोग पर नियन्त्रण के कार्यक्रम में 100 और नियन्त्रण-इकाइयो की स्थापना, सर्वेक्षण, शिक्षण और उपचार-केन्द्रो की स्थापना तथा चालू कार्यक्रमो को जारी रखने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में अनेक स्वैच्छिक सस्थाओ तथा समाज-सेवियो का भी सहयोग लिया जाएगा। महामारी के क्षेत्रो में हर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाई को कोढ-नियन्त्रण-कार्य में केन्द्र-बिन्दु के रूप में गठित किया जाएगा ।

27 हैजा . बहुत लम्बे समय से भारत में हैजा रोग बुरी तरह फैला हुआ है। हाल में ही एक विशेषज्ञ-समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पश्चिम-बगाल, उडीसा, आन्ध्रप्रदेश और मद्रास की मुख्य नदियो के डेल्टा-क्षेत्र में पाच महामारी-क्षेत्र हैं, जिनमें से पश्चिम-बगाल और उडीसा के क्षेत्र अधिक गम्भीर हैं। हैजा की महामारी को बार-बार भडकने से रोकने के लिए इन क्षेत्रों को समाप्त करना होगा। इसके लिए वहा की आबादी को पीने का शुद्ध पानी पहुचाना होगा और मल-निकासी-व्यवस्था के आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। व्यावहारिक उपाय यह है कि उन शहरो में पहले रोकथाम के उपाय किए जाए, जहा हैजा जल्दी फैलता है। देहातों की बारी बाद में आ सकती है, क्योकि वहा की आबादी घनी न होने से रोग फैलने की सम्भावना कम है। भारत में सबसे बडा हैजा-केन्द्र बृहत्तर कलकत्ता है, जो पश्चिम-बगाल के मुख्य हैजा-क्षेत्र के मध्य में है। नदी का पानी साफ करने की वर्तमान व्यवस्था बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसका काफी विस्तार करना चाहिए। इस समय नगर का केवल दो-तिहाई हिस्सा ऐसा है, जहा भूगर्भ-नालियो-द्वारा मल-निकासी की व्यवस्था है। जल-आपूर्ति, जल-निकासी और मल-निकासी-व्यवस्था में सुधार और उनके आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक आयोजन करना और तुरन्त कार्य करना बहुत जरूरी है। विश्व-स्वास्थ्य-सगठन की ओर से एक दल ने हाल में ही कलकत्ता-क्षेत्र की जल-आपूर्ति एव सफाई की स्थिति का अध्ययन किया था और अनेक कारवाइया हाल में ही शुरू की गई है ।

28 हैजे को जड से खत्म करने के लिए जल-आपूर्ति और सफाई की व्यवस्था में पहली और दूसरी योजनाओ के मुकावले कही अधिक काम करना आवश्यक है। तीसरी योजना में सुरक्षित पानी की आपूर्ति का वडा कार्यक्रम अमल में लाया जाएगा। हैजाग्रस्त राज्यो में इस कार्यक्रम का वडा हिस्सा महामारी के क्षेत्रो के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इन क्षेत्रो के लिए अलग से विशेष योजनाए भी फौरन ही तैयार कर लेनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से कुछ और लेकर उक्त कार्यक्रम पूरे करने चाहिए। कोई कारण नही है कि तीसरी योजना के दौरान हैजे की तीव्रता काफी कम न हो जाएगी और चौथी योजना के अन्त तक इसका पूरा उन्मूलन नही हो जाएगा।

29 गिल्लड़ रोग : हिमालय के अचल के क्षेत्रो में गिल्लड रोग वहुत फैला हुआ है। दूसरी योजना की अवधि में भारत-सरकार ने सयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय वाल-सकट-कोश के सहयोग से राजस्थान की साभर झील के निकट एक कारखाने की स्थापना की, जहा पजाव के रोगग्रस्त जिलो मे वितरण के लिए आयोडाइड/आयोडेटेड साल्ट (आयोडिनकृत नमक) वनाने का काम शुरू किया गया। इस कारखाने में 27 लाख व्यक्तियो—खतरे में पडी जनता का एक-तिहाई हिस्सा—के लिए आयोडिनकृत नमक तैयार किया जा सकता है। गिल्लड रोग का उन्मूलन करने के लिए आयोडिनकृत नमक का उत्पादन वढाना होगा तथा दो और कारखानो की स्थापना करनी होगी।

30 तीसरी योजना में ट्रेकोमा (रोहा रोग) के उपचार और नियन्त्रण के लिए भी व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना में कैंसर के तुरन्त निदान और इस क्षेत्र में अनुसन्धान की सुविधाओ का विस्तार किया जाएगा।

डाक्टरी शिक्षा और अनुसन्धान

31. पहली दो योजनाओ में मेडिकल (चिकित्सा-सम्वन्धी) और पैरा-मेडिकल (सहायक चिकित्सा-सम्वन्धी) कर्मचारियो के प्रशिक्षण की सुविधाओ के विस्तार-सम्वन्धी आकडे तालिका-सख्या 3 में दिए गए हैं। तीसरी योजना में मेडिकल कालेजो और सलग्न अस्पतालो में प्रशिक्षण की सुविधाओ का और भी विस्तार किया जाएगा तथा 18 नए मेडिकल कालेज खोले जाएगे, जिससे मेडिकल कालेजो की कुल सख्या 75 हो जाएगी। सामाजिक और निरोधक चिकित्सा के अध्ययन के लिए सभी मेडिकल कालेजो में अलग विभागो की स्थापना की जाएगी। आल इडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेज के विस्तार का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा और कई मेडिकल कालेजो में कतिपय विभागो का दर्जा वढाया जाएगा। साथ ही, स्नातकोत्तर-प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान की व्यवस्था की जाएगी।

32 पहली दो योजनाओ में डाक्टरो के प्रशिक्षण की सुविधाओ का विस्तार आवादी की वृद्धि के अनुपात के साथ मुश्किल से रह सका है। सन् 1951-61 के दशक में आवादी और डाक्टर का अनुपात 6,000 1 का रहा है। तीसरी योजना के कार्यक्रमो के वाद भी यही अनुपात बना रहेगा, क्योकि कार्यक्रम वनाते समय वर्तमान मेडिकल कालेजो में शिक्षको की कमी को भी ध्यान में रखना पडता है। देहातों में डाक्टरो की कमी और उसे दूर करने के लिए आवश्यक उपायो का पहले ही उल्लेख कर दिया गया है। एक नया उपाय यह भी है कि जल्दी ही मेडिकल सहायकों के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम चालू किया जाए। प्रशिक्षणार्थी गावो में प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो में 3 से 5 वर्ष तक काम करें,

जिसके बाद उन्हें सामान्य मेडिकल योग्यता प्राप्त करने और लोकसेवा-क्षेत्र में कार्य करते रहने के लिए विशेष सुविधाए दी जाए।

33 स्नातकोत्तर-डाक्टरी शिक्षा : नए मेडिकल कालेजो की स्थापना और वर्तमान कालेजो के तेजी से विस्तार के कारण शिक्षको की माग बढ जाएगी। छात्रो की एक बडी सख्या को विभिन्न विषयो में स्नातकोत्तर-स्तर तक प्रशिक्षण देना होगा, जिससे वे मेडिकल कालेजो में अध्यापन का काम सम्भाल सकें। स्नातकोत्तर-शिक्षा की वर्तमान सुविधाए प्रतिवर्ष 750 छात्रो के लिए ही पर्याप्त है और 250 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा पूरी करके निकल सकते है। अनुमान है कि वर्तमान मेडिकल कालेजो में फिलहाल 2,000 शिक्षको की कमी है। इन कालेजो के सम्भावित विस्तार और नए मेडिकल कालेजो की स्थापना के कारण 2,500 शिक्षको की जरूरत पडेगी। इसका अर्थ है कि तीसरी योजना-काल में कुल 4,500 शिक्षको की आवश्यकता होगी। तीसरी योजना में स्नातकोत्तर-शिक्षा की सुविधाओ का विस्तार करने के लिए 3 5 करोड रु० की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है और आशा है कि योजना के आरम्भिक वर्षों में ही यह पूरा हो जाएगा।

34 दन्त-शिक्षा : फिलहाल देश में कुल 10 दन्त-शिक्षा कालेज है, जिनमें प्रतिवर्ष 280 छात्रो के प्रवेश की व्यवस्था है। तीसरी योजना में 4 नए कालेज स्थापित किए जाएंगे और कुछ वर्तमान कालेजो का विस्तार किया जाएगा। इस प्रकार, वार्षिक प्रवेश-संख्या 400 हो जाएगी। तीसरी योजना में दन्त-औषधालय और दन्त-चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए भी व्यवस्था की गई है।

35 चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान : भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् की सिफारिशो के आधार पर दूसरी योजना के लिए अनुसन्धान-कार्यक्रम तैयार किए गए थे। इन कार्यक्रमो में सक्रामक रोगो, विशेष रूप से तपेदिक, ट्रेकोमा, कुष्ठ रोग, हैजा और कीटाणुजन्य अन्य रोगो के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य सम्मिलित है। पोषण-सम्बन्धी अव्यवस्था और उससे होनेवाले रोगो पर विशेष ध्यान दिया गया है। उद्योगो की बेकार चीजो तथा कल-कारखानों की गन्दगी से नदियो का पानी दूषित होने से बचाने के तरीको का विकास करने के लिए भी अध्ययन किए गए। कीटाणुजन्य रोगो के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान-कार्य शुरू किया गया है। तीसरी योजना में चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्यक्रमो का उल्लेख और विवरण वैज्ञानिक और टेक्नोलाजी-विषयक अनुसन्धान-सम्बन्धी अध्याय में दिया गया है। सफाई और सक्रामक रोगो की समस्याओ के अध्ययन को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रो में पर्याप्त सख्या में अनुसन्धान-कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देशी औषध पर भी अनुसन्धान-कार्य तेज किया जाएगा।

अधीनस्थ कर्मचारियो का प्रशिक्षण

36 पहली योजना के आरम्भ से अब तक नर्सो और अन्य अधीनस्थ स्वास्थ्य-कर्मचारियो (दाइयो, आदि) के प्रशिक्षण की सुविधाओ के विस्तार के लिए बराबर प्रयत्न होते रहे है। फिर भी, उनकी भारी कमी बराबर बनी हुई है। तालिका-सख्या 3 में अब तक की प्रगति तथा तीसरी योजना के लक्ष्य-सम्बन्धी आकड़े दिए गए है। तीसरी योजना में इस समस्या को निम्नलिखित ढग से हल करने का इरादा है।

(1) **नर्सें :** नर्सों के लिए काम की स्थिति सुधारने और बड़ी सख्या में स्त्रियों को इस पेशे की ओर आकृष्ट करने के लिए सुझाव रखा गया है कि हर राज्य में विशेष नर्सिंग-सेवा हो तथा स्वास्थ्य-सेवाओ के निदेशक को परामर्श एव सहायता देने के लिए नर्स सुपरिन्टेंडेंट की नियुक्ति की जाए। अस्पतालो में योग्य और अनुभवी नर्सिंग सिस्टरो की भी नियुक्ति होनी चाहिए।

(2) **सहायक नर्स / मिडवाइफें :** सहायक नर्स / मिडवाइफो को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो में और अन्यत्र मिडवाइफो का स्थान ले लें। तीसरी योजना में इनके प्रशिक्षण की सुविधाए काफी बढाई जाएगी।

(3) **स्वास्थ्य-निरीक्षक :** वर्तमान कार्यक्रमो में स्वास्थ्य-निरीक्षको को प्रशिक्षण देने-वाले सस्थानों की सख्या 30 से बढा कर 50 करने की योजना है, वार्षिक प्रवेश-सख्या 650 से बढ़ा कर 850 की जाएगी। स्वास्थ्य-निरीक्षको की सख्या में वर्तमान कमी तथा देहाती स्वास्थ्य-सेवाओ में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण की सुविधाए काफी बढाई जाए। यह सुझाव है कि राज्यो मे प्रशिक्षण-कार्यक्रमो पर पुनर्विचार किया जाए तथा उनमें स्वास्थ्य-निरीक्षको और ग्राम-स्वास्थ्य-कार्यक्रमो को अमल मे लानेवाली अन्य महिला कार्यकर्ताओ के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जाए।

(4) **दाइयां :** गावो में बच्चो की पैदाइश का काम प्राय दाइयो के ही जिम्मे रहता है। परन्तु दाइया प्रशिक्षण-प्राप्त नही होती। योजना के कार्यक्रम का उद्देश्य इन दाइयो को प्रशिक्षण देना तथा मोटी बातो की जानकारी कराना है, जिससे वे गावो में पहले से अधिक अच्छी तरह कार्य कर सकें। योजना मे ऐसे प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है।

37 **जन-स्वास्थ्य-इंजीनियर :** तीसरी योजना में जन-स्वास्थ्य-इजीनियरो, अधीनस्थ कर्मचारियो तथा जलव्यवस्था का सचालन करनेवाले कर्मचारियो के प्रशिक्षण की सुविधाओ का विस्तार किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण जल-आपूर्ति-व्यवस्था के कार्यक्रमो के लिए इन वर्गो के कर्मचारियो की माग और बढ गई है।

योजना में सफाई-निरीक्षको, प्रयोगशालाओ के तकनीकी जानकारो, किरण-वक्रता से सम्बन्धित कर्मचारियो, चश्मे बनानेवालो, रेडियोग्राफरो तथा कुष्ठ रोग, यौन रोग और तपेदिक की चिकित्सा के क्षेत्र में काम करनेवालो के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है—स्वास्थ्य-सम्बन्धी आकडे रखने का प्रशिक्षण देने की सुविधाओ का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

38 **औषध-निर्माता (फारमासिस्ट्स) :** औषध-निर्माताओ की शिक्षा का नियमन सन् 1948 के फारमेसी-अधिनियम के अनुसार किया जाता है। यह अधिनियम अस्पतालो और औषधालयो में काम करनेवाले औषध-निर्माताओ के प्रशिक्षण का स्तर ऊचा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। आजकल सामान्यत दवाए बनाने के लिए नियुक्त कम्पाउडरो के स्थान पर प्रशिक्षित औषध-निर्माताओ की नियुक्ति करना एक लम्बी प्रक्रिया है। फिर भी, तीसरी योजना में आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की सख्या में से, जो 6,000 है, अधिक-से-अधिक सख्या मे औषध बनानेवाले प्रशिक्षित किए जाएगे। वर्तमान योजनाओ

के अनुसार 2,000 औषध-निर्माताओ की कमी अनुभव होती है, जो मुख्यत वर्तमान प्रशिक्षण- सस्थाओ के विस्तार से दूर की जा सकती है।

स्वास्थ्य-शिक्षा

39 अपने व्यापक अर्थो में स्वास्थ्य-शिक्षा ही एक सफल जन-स्वास्थ्य-कार्यक्रम की नींव है। जैसा कि पहली योजना में बताया गया था, स्वच्छता के सामान्य नियमो का अज्ञान और उनका पालन करने में लापरवाही ही अस्वास्थ्य का मुख्य कारण है और स्वास्थ्य-शिक्षा के अतिरिक्त कोई भी एक चीज ऐसी नही है, जो व्यय-राशि के अनुपात में अधिक लाभ दे सकती हो। स्वास्थ्य-शिक्षा के कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए स्वास्थ्य-सेवाओ के महानिदेशालय में सन् 1956 में केन्द्रीय स्वास्थ्य-शिक्षा-ब्यूरो की स्थापना की गई थी। अनेक राज्यों ने भी ऐसे ब्यूरो स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य-शिक्षा के मुख्य पहलू ये हैं निजी स्वच्छता, पास-पड़ोस की सफाई, सक्रामक रोगों की रोकथाम, उचित पोषण, व्यायाम, विवाह-सम्बन्धी ज्ञान, प्रजनन से पहले और बाद की स्वास्थ्य-रक्षा तथा प्रसूति और शिशु-स्वास्थ्य, आदि। स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर चलाना चाहिए तथा सामुदायिक विकास-खडो में सामाजिक शिक्षा-कार्य में इस पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तीसरी योजना में स्वास्थ्य-शिक्षा के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रदर्शन और प्रचार की सुविधाए बढाने की व्यवस्था की गई है। शहरो और गावो, दोनो में वर्तमान स्वास्थ्य-शिक्षा के तौर-तरीको में परिवर्तन की गुजायश है, जिनसे व्यापक स्वास्थ्य-शिक्षा में उन्हें ठोस आधार बनाया जा सके।

स्वास्थ्य-बीमा

40 कर्मचारी-राज्य-बीमा-योजना के अन्तर्गत औद्योगिक मजदूरो के लिए तथा अशदायी स्वास्थ्य-सेवा-योजना के अन्तर्गत दिल्ली-स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाए उपलब्ध कर के स्वास्थ्य-बीमा की ओर एक कदम उठाया गया है। इस अनुभव के प्रकाश में केन्द्रीय और राज्य-सरकारो को इसी प्रकार की अन्य योजनाए चालू करनी चाहिए, जिनसे कुछ काल बाद आबादी के बडे भाग के लिए एक अशदायी स्वास्थ्य-बीमा की एक बहुमुखी व्यवस्था शुरू हो जाए। इस सम्बन्ध मे विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने का इरादा है, जिनसे योजना पर अमल के लिए क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया जा सके।

स्कूली छात्रो का स्वास्थ्य

41 दूसरी योजना के अन्त में 4 करोड 40 लाख बच्चे स्कूलों में पढ रहे थे; तीसरी योजना में इस सख्या में 2 करोड और वृद्धि होने की सम्भावना है। तीसरी योजना के अन्त तक 6 से 11 वर्ष तक की वय के स्कूली छात्रो की सख्या 5 करोड होगी। बच्चो की इतनी बडी सख्या के स्वास्थ्य की देखभाल अपने-आप में तो महत्वपूर्ण है ही, सारे समाज के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। स्कूल-स्वास्थ्य-समिति ने एक वर्ष पूर्व अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि समुचित पोषण न मिलने और अन्य निरोधक उपाय न होने से स्कूली छात्रो में रोगो से पीडित होनेवालों की सख्या बहुत अधिक है। इसलिए सुझाव रखा गया है कि राज्यो की तीसरी योजना के लिए स्वास्थ्य-कार्यक्रम तैयार करते समय स्कूलो में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ न्यूनतम सेवाओ का निश्चित

रूप से प्रवन्ध होना चाहिए। वे सेवाए इस प्रकार है (1) स्कूलो में पीने का साफ पानी तथा सफाई, आदि की व्यवस्था, (2) डाक्टरी जाच की व्यवस्था, (3) विकास-खडो में प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाई के सहयोग से स्कूल-काल के वाद भी स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था, तथा (4) शिक्षको को स्वास्थ्य-शिक्षा देने का प्रवन्ध।

वच्चो के स्वास्थ्य और पोषण के ख्याल से, विशेष रूप से गरीव परिवारो के वच्चो के लिए स्कूलो मे दोपहर का भोजन देने के महत्व को देखते हुए, इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे, ज्यो-ज्यो स्थानीय जनता इस कार्यक्रम में समुचित योग देने लगे, बढाना चाहिए। 'शिक्षा' के अध्याय में इसके सम्वन्ध में उल्लेख किया जा चुका है। कालान्तर में यह कार्यक्रम स्कूली छात्रो की कुल सख्या के लिए, विशेष रूप से छोटे वच्चो के लिए, लागू हो जाना चाहिए।

मातृ और शिशु-स्वास्थ्य

42 दूसरी योजना के अन्त तक देश में लगभग 4,500 प्रसूति और शिशु-कल्याण-केन्द्र थे। प्रत्येक केन्द्र 10,000 से 25,000 की आवादी की सेवा कर रहा था। इनमें से एक-तिहाई केन्द्र शहरी इलाको में हैं। पहली दो योजनाओ में जच्चाओ की देखभाल की व्यवस्था में हुए सुधार के परिणामस्वरूप, जच्चाओ की मृत्यु-दर, जो सन् 1938 में जीवित शिशु-जन्म पर 20 प्रति हजार थी, घट कर 12 4 प्रति हजार रह गई। वच्चो की पैदाइश के वाद जच्चाओ में खून की कमी की घटनाए भी उन क्षेत्रो में वहुत घट गई है, जहा सेवाए भली भाति स्थापित है, शिशु-मृत्यु-दर में भी वहुत कमी हुई है। दूसरी योजना में देहातो में प्रसूति और शिशु-कल्याण-सेवाए ग्राम स्वास्थ्य-सेवा का अभिन्न अग वन गई। अधिकाश राज्यो मे प्रसूति और शिशु-कल्याण-व्यूरो स्थापित कर दिए गए हैं। दूसरी योजना में वाल-चिकित्सा की प्रशिक्षण-व्यवस्था में भी सुधार के लिए कदम उठाए गए। हाल के वर्षों में मेडिकल कालेजो मे वाल-चिकित्सा की सुविधाओ का विस्तार किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो-द्वारा मुहय्या की जानेवाली प्रसूति और शिशु-कल्याण-सेवाओ को कल्याण-विस्तार-परियोजनाओ और स्वैच्छिक सगठनो की सेवाओ से पूरा किया जाता है।

तीसरी योजना मे इरादा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो से सम्वद्ध प्रसूति और शिशु-कल्याण-सेवाए जिला-अस्पतालो की विस्तृत सुविधाओ मे जोड दी जाए। प्रसूति और शिशु-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करनेवालो के लिए अल्पकाल के अभ्यासक्रम चलाए जाएगे।

मानसिक स्वास्थ्य

43 केन्द्रीय सरकार-द्वारा हाल में ही स्थापित मानसिक स्वास्थ्य-सलाहकार-समिति ने जन-स्वास्थ्य और डाक्टरी सुविधाओ के विकास के कार्यक्रमो मे मानसिक स्वास्थ्य-सेवाओं के वढते हुए महत्व पर प्रकाश डाला है। मानसिक चिकित्सालयों में यथा-सम्भव अधिक-से-अधिक उपचार-सुविधाओ की व्यवस्था करने के अतिरिक्त [illegible] आचार-सम्बन्धी निरोधक सेवाओ पर, और विशेष रूप से प्रशिक्षण-कार्यक्रमो [illegible] की ओर, ध्यान देना जरूरी है। तेजी से हो रहे उद्योगीकरण, टेक्नोलाजी-[illegible] और आवादी के गावो से शहरो की ओर जाने के कारण कुछ मानसिक [illegible] आ जाता है, जिन्हे आरम्भिक दौर में ही ठीक करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। [illegible]-

विशेषज्ञो, जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी काम करनेवालो और समाज-सेवकों, विशेष रूप से प्रसूति और शिशु-स्वास्थ्य-केन्द्रों में काम करनेवालो को मानसिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी जानकारी देना जरूरी है। स्वास्थ्य-शिक्षा-कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य-शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल-मनोविज्ञानवेत्ताओ और मनोवैज्ञानिक समाज-सेवको के लिए प्रशिक्षण-सुविधाए बराबर बढती जानी चाहिए। शिक्षा-क्षेत्र में स्कूली छात्रो के स्वास्थ्य-कार्यक्रम के विशेष अग के रूप में यह आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चो की छोटी-मोटी व्यक्तिगत और मानसिक समस्याओ पर उन्हें उचित मार्गदर्शन मिल सके, माता-पिता और शिक्षको को बच्चो के पालन के ठोस सिद्धान्तो पर मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए तथा स्कूल-शिक्षको को मानसिक आचार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाए। सामाजिक जीवन में मनोवैज्ञानिक तत्वो की भूमिका के कारण समाज-कल्याण के कार्यक्रमो में मानसिक आचार-सम्बन्धी व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और उसके अधिक जटिल होने के साथ-साथ अनेक प्रकार की नई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याए पैदा हो रही हैं, जिनके बारे में बहुत कम ज्ञात है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अध्ययन और विशेष सर्वेक्षण की सुविधाए दी जानी चाहिए। आम जनता को इस दिशा में शिक्षित करने, बाल-मार्ग-दर्शन-केन्द्रो को सहायता देने तथा और कई तरह से स्वैच्छिक सस्थाए बहुत बडा काम कर सकती हैं।

महत्त्वपूर्ण आंकड़े

44 काफी समय से यह महसूस किया जा रहा है कि महत्त्वपूर्ण आंकडो की व्यवस्था का न होना वर्तमान अंक-व्यवस्था की सबसे गम्भीर त्रुटियो में से एक है। पहली पंचवर्षीय योजना में इस समस्या पर विस्तार से विचार किया गया था, परन्तु पिछले दशक में इस दिशा में अपेक्षाकृत बहुत कम प्रगति हुई है। अप्रैल 1961 में इस विषय के सभी पहलुओ पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार किया गया था। उसने सिफारिश की है कि ऐसी महत्त्वपूर्ण जानकारी के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए, जिसमें महत्त्वपूर्ण घटनाओ की सामान्य व्याख्या हो, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार के कार्य और महत्त्वपूर्ण आकडे देने के तरीके हो और ऐसा न होने पर दड की व्यवस्था हो। इसको अमल में लाने के लिए प्रशासन-व्यवस्था तथा अन्य बातें राज्य-सरकारो पर छोड दी जाए। नगरपालिका-क्षेत्रो, राज्य-पचायत-कानून के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रो और अन्य देहाती क्षेत्रो के अनुरूप व्यवस्था, जिला-रजिस्ट्रारो की नियुक्ति, जानकारी सग्रह करने तथा उसके सकलन के सम्बन्ध में भी सुझाव दिए गए थे। यह भी सुझाव दिया गया था कि जनसख्या की वृद्धि तथा जातियो की सामाजिक स्थिति के विवेचन के विषय में अनुमान लगाने के लिए नमूने के तौर पर वार्षिक जनगणना करने के अलावा, क्षेत्रो के नमूने के तौर पर रजिस्ट्रेशन की भी योजना बनाई जाए, जिससे विभिन्न राज्यो और प्रदेशो में जन्म-मरण के विश्वसनीय आंकडे मिल सकें। इन सिफारिशो पर विचार किया जा रहा है। राज्यो में महत्त्वपूर्ण आकडे सग्रह करने के काम में सुधार का कार्यक्रम तेजी से अमल में लाना जरूरी है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार से और भी आवश्यक सहायता ली जा सकती है।

औषध

45 तीसरी योजना में देश में ही औषधो का उत्पादन बढाने तथा आयातित औषधो और कच्चे माल के स्थान पर देश में ही निर्मित सामग्री के प्रयोग को बढावा

देने की व्यवस्था की गई है। अतीत काल मे औषधो की किस्म और स्तर आयातित औषधो पर निर्भर थे, परन्तु आयात प्राय बन्द होने और देश में ही उत्पादन बढ़ने से अब राष्ट्रीय औषध-उत्पादन-नियम तथा सिद्धान्तो पर ही औषधो के स्तर तथा उद्योग के विकास का आधार रहेगा। आयातित और स्वदेशी औषधो की किस्म पर सन् 1940 के औषध-अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रण रहता है। यह कानून सभी राज्यो में लागू है, परन्तु आम तौर पर इसे पूरी तरह अमल में नही लाया जा रहा है। इस ढील का कारण कुछ तो कर्मचारियो की कमी है और कुछ निर्माताओ एव व्यापारियो से लिए गए नमूनो के रासायनिक विश्लेषण की सुविधाओ का अभाव। हाल में ही इस कानून में सशोधन करके केन्द्रीय सरकार ने औषधो के उत्पादन-सम्बन्धी अधिकार राज्यो के समान स्वय भी ले लिए है। कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय औषध-प्रयोगशाला की सेवाए राज्य-सरकारो को भी देने की व्यवस्था कर दी गई है, परन्तु यह जरूरी है कि राज्य-सरकारें अपने नमूनो के परीक्षण-विश्लेषण, आदि के लिए स्वय अपनी प्रयोगशालाए स्थापित करें। केन्द्रीय सरकार ने राज्यो के साथ ही औषध-उत्पादन पर नियन्त्रण के लिए कुछ कर्मचारी अपनी ओर से भी नियुक्त कर दिए है, परन्तु कानून का रोज़ाना के कामो में पूरी तरह अमल करवाने के लिए राज्यों-द्वारा अपने कर्मचारियो की वर्तमान सख्या जल्दी ही बढाया जाना जरूरी है। फिलहाल स्थिति यह है कि बहुत कम नमूने एकत्र किए जाते हैं और उनके विश्लेषण में बहुत समय लग जाता है।

विश्लेषण की सुविधाए और उसके लिए कर्मचारियो की सख्या बढ़ाने के साथ-साथ यह भी ज़रूरी है कि किस्म और स्तर बनाए रखने के लिए औषध-निर्माता और विक्रेता-सघ भी अपनी जिम्मेदारी भली भाति निभाए। उपभोक्ता-सघो, स्थानीय सस्थाओ और स्वैच्छिक सगठनो का कर्तव्य है कि स्तर में गिरावट आने अथवा मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने की सूचनाए आम जनता तथा सम्बद्ध अधिकारियो तक पहुचा दे।

46 बहुत-से आवश्यक औषधो की कीमतें उचित स्तर तक ही रखी जा रही है, परन्तु भारतीय एजेंटो-द्वारा वितरित अनेक विदेशी दवाओ की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती है और उन पर भारी मुनाफा कमाया जाता है। यथासम्भव औषध-निर्माताओं और वितरको की सहायता से इस स्थिति को सुधारना चाहिए। यह भी जरूरी है कि भारतीय निर्माता, डाक्टर-वर्ग और राज्य-सरकारें राष्ट्रीय औषध-निर्माण [illegible] में दिए गए निर्देशो का पालन करें। इनमें समय-समय पर सशोधन-परिवर्तन होते रहेंगे और इन्हें नवीनतम जानकारी से युक्त रखा जाएगा। बड़ी कम्पनियो के अलावा अन्य उत्पादको के औषधो मे जनता का विश्वास जमाने के लिए राज्य-सरकारों को किस्म-नियन्त्रण और निरीक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।

बाजारो मे बिकनेवाली अनेक दवाए, विशेष रूप से जीवाणुओं से बननेवाली, घटिया किस्म की होती हैं। अक्सर मिलावटी दवाए भी बाजार में बिकती है। औषध-अधिनियम में हाल में सशोधन कर के मिलावटी दवा बनाने और बेचने पर कम-से-कम [illegible] की सज़ा की व्यवस्था कर दी गई है।

खाद्य में मिलावट

47 खाने-पीने की शुद्ध चीजे मुहय्या करना सभी निर्माताओं और [illegible] के प्रति एक कर्तव्य है। इसका पालन कड़ाई से होना ही चाहिए। परन्तु आज भी [illegible]

मिल रहे हैं, उन्हें देखते हुए कहना पड़ता है कि स्थिति बिगड़ती ही जा रही है और शहरों एवं गांवों में भी आम उपभोग की वस्तुओं—जैसे, घी, दूध, तेल और चिकनाई, मसालों, आटा, दाल, आदि—में अक्सर मिलावट पाई जाती है। खाद्य में मिलावट के तरीके अधिक व्यवस्थित होते जा रहे हैं जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य-परिषद् ने हाल में ही एक विशेष गोष्ठी में खाद्य में मिलावट की समस्या पर विचार किया था और अनेक सुझाव पेश किए गए थे। खाद्य-मिलावट-निरोधक अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अपराधियों को कड़ा दंड देने, खाद्य के निरीक्षण की व्यवस्था मजबूत बनाने तथा नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला-सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने और प्रशासनिक तथा मिलावट-सम्बन्धी अपराध रोकने की अन्य प्रक्रियाओं में सुधार करने के सुझाव दिए गए हैं। उपभोग की विभिन्न वस्तुओं के एक निश्चित मान का पालन करने के सम्बन्ध में भी सिफारिश की गई है। मिलावट उत्पादन के समय भी होती है और विधायन तथा वितरण के समय भी—यह थोक और फुटकर बिक्री-स्थलों पर की जाती है। यह जरूरी है कि उपभोक्ता के पास मिलावटी चीज न पहुंचे। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाई के साथ-साथ ऐसी कार्यवाई भी की जाए, जिससे पहले के दौरों से गुजरते समय मिलावट पकड़ी और रोकी जा सके तथा सभी सम्बद्ध व्यक्तियों और पक्षों को कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई के अन्तर्गत लाया जाए। स्थानीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं और उपभोक्ता-संगठनों को मिलावट करनेवालों को प्रकाश में लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सम्बद्ध अधिकारियों को जनता की शिकायत पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसा कि सहकारिता के अध्याय में बताया गया है, शहरों में शुद्ध खाद्य-वस्तुएं मुहय्या करने के लिए अधिक-से-अधिक सहकारी उपभोक्ता-भंडार खोलना आवश्यक है।

देशी चिकित्सा-प्रणालियां

पूर्णत योग्य बना सके। अनेक राज्यो में मिश्रित प्रशिक्षण-क्रम चलाए जा रहे हैं, कुछ राज्यो में मिश्रित शिक्षण के अलावा शुद्ध आयुर्वेद-शिक्षा-केन्द्र भी हैं। अनुभव से मालूम हुआ है कि जहा भी मिश्रित चिकित्सा-शिक्षाक्रम चलाए गए हैं, वहा आयुर्वेदिक चिकित्सक तैयार नही हुए है, जब कि उक्त पाठ्यक्रम का लक्ष्य ही यह था। मिश्रित पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्रो की प्रवृत्ति आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली अपनाने की ओर होती है, जिसमें उन्हे आशिक प्रशिक्षण ही मिला होता है। सच तो यह है कि मिश्रित प्रशिक्षण देनेवाले दो कालेजो का स्वरूप हाल में ही बदल दिया गया है और उन्हें आधुनिक चिकित्सा-कालेज बना दिया गया है। यह भी देखा गया है कि कुछ वैद्य आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली की अनेक दवाए देने लगे है, जब कि उन्हे उक्त औषधो के प्रयोग का प्रशिक्षण नही मिला होता।

50 विभिन्न राज्यो में कालेजो में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम, क्लिनिकल और पूर्व-क्लिनिकल विषयो के छात्रो की व्यावहारिक शिक्षा, क्वालिफाइग परीक्षा के लिए न्यूनतम मानदड तथा डिप्लोमा एव डिग्रियो के बारे में कोई एकरूपता नही है।

स्वास्थ्य-मन्त्रालय-द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक अनुसन्धान-परिषद् ने सिफारिश की है कि देशी चिकित्सा-प्रणालियो के शिक्षाक्रम मे आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा-प्रणाली की समानतावाले पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए। योजना-आयोग द्वारा आयुर्वेद के सम्बन्ध में स्थापित मडल ने अपने सदस्यो की आम राय के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशे की है

> "आयुर्वेद के लिए चार वर्ष का डिप्लोमा-पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें आयुर्वेद का गहन अध्ययन हो। साथ ही, इससे पूर्व के एक वर्ष में भौतिकशास्त्र, रसायन-शास्त्र और जीवशास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था रहे। इसमें पहले वर्ष मे दर्शन, पदार्थ, विज्ञान, सस्कृत, आदि की प्रारम्भिक शिक्षा भी शामिल की जाए। प्री-क्लीनिकल विषयो (पहले दो वर्ष) में शरीरविज्ञान, द्रव्यगुण और रसायनशास्त्र शामिल हो। डिग्री-पाठ्यक्रम में सरकारी नौकरी करने के इच्छुको को दो वर्ष और प्रशिक्षण दिया जाए। क्लीनिकल विषयो मे (अन्तिम तीन वर्ष) निदान, चिकित्सा, स्वास्थ्यवृत्त, प्रसूति-तन्त्र, स्त्री-रोग, बाल-रोग, शल्य, शालक्य और व्यवहार-आयुर्वेद की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाए। इसके साथ-साथ 'वृहद्त्रयी' (चरक सहिता, सुश्रुत-सहिता और वाग्भट्ट-सहिता) में से एक की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। छ वर्ष के प्रशिक्षण के बाद आयुर्वेदाचार्य की डिग्री दी जाए। पहले चार वर्ष केवल आयुर्वेद की गहन शिक्षा दी जाए। अन्तिम दो वर्षों में वैज्ञानिक पहलुओ की शिक्षा तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। सम्बद्ध विज्ञान की प्रगति के प्रकाश में आयुर्वेद की शिक्षा में भी सुधार एव विस्तार होना चाहिए। साधारण शल्य-क्रिया (सर्जरी), सक्रामक रोग-निवारण, मिड-वाइफ के काम, निरोधक औषधो आदि की शिक्षा भी शामिल करनी चाहिए, जिससे स्नातक राज्यो के स्वास्थ्य-सगठनो में काम करने की योग्यता भी प्राप्त कर लें।"

51 योजना-आयोग-द्वारा स्थापित आयुर्वेद-मडल या स्वास्थ्य-मन्त्रालय-द्वारा स्थापित केन्द्रीय आयुर्वेद-परिषद् ने जो सुझाव दिए है, उनमें से कुछ अगले पृष्ठ दिए गए है।

(1) आयुर्वेदिक शिक्षा के नियमन एवं निरीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा-सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् की स्थापना,

(2) सभी राज्यों में भारतीय चिकित्सा-सम्बन्धी पृथक् निदेशालय तथा कानून-द्वारा स्थापित परिषदों एवं मंडल की स्थापना,

(3) देशी चिकित्सा-प्रणालियों के लिए पृथक् केन्द्रीय औषध-नियन्त्रण-संगठन की स्थापना,

(4) आयुर्वेदिक और यूनानी औषध-निर्माण-शास्त्र (फारमाकोपिया) का संकलन,

(5) औषध-निर्माण-सम्बन्धी अनुसन्धान-इकाइयों की स्थापना, जो आयुर्वेदिक और यूनानी फारमेसियों में प्रयुक्त कच्चे माल के लिए एक कामचलाऊ माल निश्चित करने का मार्ग तैयार कर सकें। ये इकाइयां कालेजों के वनस्पतिशास्त्र-विभागों से सम्बद्ध की जाएं, तो अधिक उपयोगी होंगी,

(6) हर राज्य में एक जड़ी-बूटी-उद्यान तथा केन्द्र की ओर से समुचित स्थान पर एक और उद्यान की स्थापना, जिनमें स्थानीय बूटियां उगाई जाएं, तथा

(7) सामान्यतः प्रचलित और अनेक आम रोगों में गुणकारी प्रमाणित हो चुकी बूटियों का सर्वेक्षण।

आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली को प्रोत्साहन देने और उसका प्रसार करने के लिए यह आवश्यक है कि अनुसन्धान-कार्य अधिक तेजी से और गहराई से किया जाए। इस उद्देश्य से तीसरी योजना में आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों, साहित्य और क्लीनिकल तथा औषध-सम्बन्धी अनुसन्धान का काम हाथ में लिया जाएगा। देशी चिकित्सा-प्रणालियों के विकास के लिए तीसरी योजना में 9 8 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। विकास-कार्यक्रम में 5 नए कालेज खोलने, 31 वर्तमान कालेजों का विस्तार करने, औषधों के सम्बन्ध में अनुसन्धान, 1,800 औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना, वर्तमान संस्थाओं का दर्जा बढ़ाने, फार्मेसियों का सुधार करने एवं जड़ी-बूटी-संग्रहालयों की स्थापना की व्यवस्था है। सर्वविदित है कि घरों में कितनी ही प्रकार की देशी दवाएं काम में लाई जाती हैं। तीसरी योजना में विचार है कि अलग-अलग विकास-खंडों में शुरू में स्थानीय रूप से प्राप्त हुई थोड़ी-सी जड़ी-बूटियों के संग्रहालय बनाए जाएं।

जिससे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की सहायता लेकर प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली को अधिक ठोस आधार दिया जा सके।

53 होम्योपैथी : केन्द्रीय सरकार ने होम्योपैथिक सस्थाओ की स्थापना तथा वर्तमान सस्थाओं का दर्जा बढाने एव उनमें सुधार करने और अनुसन्धान-कार्यो के लिए अनुदान दिया है। स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने होम्योपैथी-सम्बन्धी एक परामर्श-समिति भी नियुक्त की है। इस समिति की सलाह से होम्योपैथिक औषध बनाने की सुविधाए देने और दवाओ का मान नियत करने के लिए प्रयोगशालाए स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। तीसरी योजना में होम्योपैथिक सस्थाओ को अनुदान देने तथा अनुसन्धान-कार्य चलाने के लिए धन की व्यवस्था की गई है। समुचित प्रशिक्षण-प्राप्त एव सुयोग्य होम्योपैथ डाक्टरो को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में सेवा-कार्य के लिए भेजने की सम्भावनाओ पर विचार किया जाना चाहिए।

कुछ होम्योपैथिक कालेज और अस्पताल खोलने के सुझाव रखे गए है। उन पर आगे विचार किया जाना चाहिए।

54 यूनानी : भारत-सरकार ने स्वास्थ्य-मन्त्रालय के अन्तर्गत इस विषय पर भी एक सलाहकार-समिति नियुक्त की है। अनुसन्धान-कार्य, वर्तमान सस्थाओ का दर्जा बढाने और उनमें सुधार करने तथा नई यूनानी सस्थाओ की स्थापना के लिए अनुदान दिए जा रहे है।

पोषण

55 स्वास्थ्य-सुधार के कार्यक्रमो में समुचित पोषण का महत्वपूर्ण स्थान है। पहली दो योजनाओ के दौरान पोषण मे सुधार, भोजन की आदतो में परिवर्तन अथवा इस समस्या के प्रति जनता को जागरूक बनाने का कोई व्यवस्थित प्रयत्न नही किया गया था। तीसरी योजना में उत्पादन-वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार के कार्यक्रमो के कारण पोषण की समस्या के व्यवस्थित हल की कोशिश करना अब सम्भव हो गया है। ठोस परि-वर्तन में समय लगेगा, इसमें कोई सन्देह नही, परन्तु यदि शुरु से ही कार्यक्रम उचित आधार पर बनाए जाए, कार्यक्रमो को सही प्राथमिकता दी जाए और प्रत्येक समुदाय पोषण का सही महत्व तथा अपने साधनो और प्रयत्नो से उसमें योग देने की आवश्यकता को भली भांति समझ ले, तो आगे चल कर उसके पर्याप्त परिणाम निकल सकेंगे।

पोषण की समस्या से मोटे तौर पर सभी परिचित है। आम तौर पर भारत के अधिकाश भाग में अनाज ही भोजन है। इस भोजन में शरीर की रक्षा और उसके निर्माण के लिए उपयोगी पदार्थ—जैसे, दूध, मास, अडे, सब्जिया और फल—नही है। इडियन कौसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने सन् 1935-48 तथा सन् 1955-58 की दो अवधियो में भोजन-सम्बन्धी सर्वेक्षण कराए थे। इनसे ज्ञात हुआ कि अनाज एव दालो के इस्तेमाल में विशेष परिवर्तन नही हुआ, परन्तु गैर-अनाजवाली चीजो की खपत में प्रति व्यक्ति कुछ कमी आ गई। खुराक की इन कमी का बुरा असर गरीब जनता के वृद्धिशील बच्चो पर अधिक पडता है। हिमालय के अचल के क्षेत्रो में आयोडिन की कमी के कारण गिल्लड रोग बहुतायत से पाया जाता है। समस्या के और भी कुछ कारण है—जैसे, भोजन पकाने के गलत तरीको से चीजो के पोषण-तत्वों का नष्ट हो जाना (चावल और सब्जियो में विशेष रूप से), अनाज साफ करने की प्रक्रिया, जैसे मिलो

में चावल की सफाई-कुटाई में, परिवहन और ठडे स्थान पर सुरक्षित रखने की सुविधाओ के अभाव में फलो और मछली का नुक्सान, तथा कम आवश्यक कामो में भोजन की विशेष चीजो का इस्तेमाल, जैसे मिठाई बनाने में दूध का उपयोग। इस प्रकार, पहली दो योजनाओ में दूध की प्रति व्यक्ति खपत में कोई विशेष वृद्धि नही हुई। सन्तुलित खुराक में 10 औंस दूध प्रति व्यक्ति प्रति दिन होना चाहिए, परन्तु इसकी तुलना में आज का औसत 4 9 औंस प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। मछली का कुल उत्पादन 7,00,000 टन से बढ कर 14,00,000 टन हो गया है और तीसरी योजना के कार्यक्रमो के अनुसार यह उत्पादन 18,00,000 टन हो जाने की आशा है। मछली-उद्योग के समुचित सगठन तथा विभिन्न विकास-कार्यक्रमो को कुशलता से अमल में लाने से यह मात्रा बहुत अधिक बढाई जा सकती है। आलू, शकरकन्द, पत्तोवाली और अन्य प्रकार की सब्जिया, आसानी से उगाए जानेवाले फल, जैसे पपीता और केला, ताड-गुड और शहद तथा केन्द्रीय खाद्य-टेक्नोलाजी-अनुसन्धान-सस्थान, मैसूर में तैयार खाद्य-सामग्रियो के पूरक खाद्य के रूप में अधिक-से-अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने की भी बहुत सम्भावनाए हैं।

56 विकास की वर्तमान स्थिति में पोषण में सुधार के कार्यक्रम दो वर्गों में रखे जा सकते हैं—पोषण के सम्बन्ध में आम जनता तथा विभिन्न समूहों को शिक्षित करना एव समाज के दुर्बल जन-समूहो की पोषण-सम्बन्धी आवश्यकताए पूरी करने के लिए उचित कदम उठाना। सामुदायिक विकास-कार्यक्रमो के अन्तर्गत गावो में महिला-मडलो और स्वैच्छिक सगठनो के द्वारा प्रदर्शन, आदि की सहायता से जनता को पोषण-सम्बन्धी जानकारी भोजन में पोषक तत्व सुरक्षित रखने, गलत इस्तेमाल रोकने एव दुरुपयोग न होने देने की सलाह दी जानी चाहिए। साथ ही, डाक्टरो, नर्सों, स्वास्थ्य-निरीक्षको, स्कूल-शिक्षको, आदि के दलो को पोषण-सम्बन्धी अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिस वर्ग को क्षति पहुच सकती है और जिसकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें ये लोग आते हैं गर्भवती और दूध पिलानेवाली माताए, शिशु, स्कूल-पूर्व और स्कूल जानेवाले बच्चे, विशेष कर निम्न वय-वर्ग के बच्चे। स्कूली छात्रो को सबसे अधिक लाभ दोपहर के भोजन के कार्य-क्रम से पहुचाया जा सकता है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जिन बच्चो को पूरा पोषण नही मिल रहा है, उनके लिए दूध, आदि तथा भोजन की सहायता के लिए बहु-प्रयोजनीय खाद्य, विटामिन, आदि अनिवार्य है। औद्योगिक कारखानो की कैंटीनो, स्कूलो और कालेजो के छात्रावासो तथा आम जनता के लिए होटलो एव रेस्तराओ में सस्ते परन्तु सन्तुलित भोजन की व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार के कार्यक्रमो पर अमल करने के लिए केन्द्र और राज्यो में जन-स्वास्थ्य-पोषण-सेवाओ को और भी मजबूत बनाना चाहिए। केन्द्र में पहले ही एक राष्ट्रीय पोषण-सलाहकार-समिति काम कर रही है। राज्यो के जन-स्वास्थ्य-विभागो में पोषण-सम्बन्धी विशेष खडो की स्थापना की आवश्यकता बराबर बताई गई है। राज्य-स्तर पर इस दिशा में, जैसा कि एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयत्न में होता है, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन डेरी-उद्योग, मछली-उद्योग, शिक्षा, समाज-कल्याण और प्रचार-विभागो में घनिष्ठतम सहयोग होना चाहिए। जिला और खड-स्तर पर पोषण में सुधार के सुयोजित कार्यक्रमो में जनता का सहयोग, समर्थन तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओ और सस्थाओ की सहायता मिल सकती है। तीसरी योजना में इन आधारो पर काम होने से पोषण में सुधार के बढते हुए प्रयत्नो के

लिए ठोस नींव रखी जा सकती है——समाज के स्वास्थ्य में रोगग्रस्त हो जानेवाले वर्गों के स्वास्थ्य में सुधार का काम ठोस आधार पर चलाया जा सकता है।

भविष्य के लिए आयोजन

57 15 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य-सर्वेक्षण और विकास-समिति (भोर-समिति) ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। तब से अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन हो चुके हैं। यह जरूरी है कि अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रमों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी स्वास्थ्य-सेवाओं के विकास के कार्यक्रम भविष्य पर दृष्टि रखते हुए बनाए जाएं, विशेष रूप से अगली तीन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए। जून 1959 में स्वास्थ्य-मन्त्रालय ने स्वास्थ्य-सर्वेक्षण और आयोजन-समिति नियुक्त की और उसे स्वतन्त्रता के बाद से अब तक डाक्टरी सहायता एवं जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कार्य का मूल्यांकन करने तथा स्वास्थ्य-विकास का भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए अपनी सिफारिशें देने का काम सौंपा। समिति फिलहाल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरी सहायता, जन-स्वास्थ्य (पास-पड़ोस की सफाई-सहित), संक्रामक रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा और अनुसन्धान, जनसंख्या एवं परिवार-आयोजन तथा औषधों एवं मेडिकल स्टोरों की समस्याओं का गम्भीर अध्ययन कर रही है।

(2)

परिवार-आयोजन

58 परिवार-आयोजन-कार्यक्रम की सिफारिश करते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था

> "स्पष्ट है कि पैदाइश की दर उस सीमा तक कम करने से ही आबादी पर नियन्त्रण किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार जनता की संख्या को एक स्तर तक रखने के लिए आवश्यक है। जब बड़े पैमाने पर जनता परिवार सीमित रखने की आवश्यकता समझे, तभी यह कार्य हो सकता है। परिवार-आयोजन की आवश्यकता का मुख्य कारण परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण का विचार ही है। माता को स्वस्थ रखने तथा बच्चों के उचित पालन-पोषण के लिए परिवार सीमित रखना अथवा बच्चों के जन्म के बीच काफी अन्तर रहना आवश्यक तथा वाञ्छनीय है। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होनेवाली कार्रवाई जन-स्वास्थ्य-कार्यक्रम का ही अंग होना चाहिए।"

उक्त नीति के अनुसार ही परिवार-आयोजन के क्षेत्र में, विशेष रूप से दूसरी योजना के काल में, कार्यों का निश्चित रूप से विस्तार हुआ है। तीसरी योजना के कार्यक्रमों पर स्वास्थ्य-मन्त्रालय की विशेष समिति और योजना-आयोग के स्वास्थ्य-सम्बन्धी मंडल ने हाल में ही विचार किया था।

59 दीर्घकालीन आर्थिक विकास के अध्याय में अगले 15 वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि के कुछ अस्थायी अनुमानों का उल्लेख किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि आयोजित विकास के मूल में जनसंख्या की वृद्धि को एक निश्चित काल में एक सी मा

के अन्दर ही रखने का उद्देश्य होना चाहिए। इस सन्दर्भ में, तीसरी पंचवर्षीय योजना और आगे की अन्य योजनाओं में परिवार-आयोजन पर सर्वाधिक बल देना होगा। इसके लिए सघन शिक्षा तथा प्रत्येक शहरी और ग्रामीण समुदाय को इस सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक बड़े पैमाने पर सलाह और सुविधाएं देना तथा व्यापक रूप से जनता के अपने प्रयत्न जरूरी है। देश की आज की परिस्थिति में परिवार-आयोजन को एक बड़े विकास-कार्यक्रम के रूप में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए बेहतर जीवन की मूल प्रवृत्तिवाले राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के रूप में चलाना होगा।

60 पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में 126 और देहाती क्षेत्रों में 21 परिवार-आयोजन-केन्द्र स्थापित किए गए। दूसरी योजना-काल में ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ कर शहरों में 549 और गांवों में 1,100 हो गई। इनके अतिरिक्त, 1,864 ग्रामीण और 330 शहरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-केन्द्रों में परिवार-आयोजन-सेवाओं की व्यवस्था की गई है। वन्ध्याकरण के लिए भी अनेक केन्द्र खोले गए हैं। ये कार्यक्रम केन्द्रीय और राज्य-परिवार-आयोजन-मंडलों-द्वारा चलाए जा रहे हैं। सभी राज्यों में परिवार-आयोजन-कार्य के लिए विशेष इकाइयां स्थापित की गई हैं। इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता के निर्देशन में बम्बई के गर्भनिरोध-उपकरण-परीक्षण-केन्द्र तथा अन्य स्थानों पर काफी अनुसन्धान-कार्य किया जा रहा है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और त्रिवेन्द्रम में समाजशास्त्र-सम्बन्धी अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अनेक उपयोगी क्षेत्रीय अनुसन्धान किए गए हैं— जैसे, भारत-हार्वर्ड-लुधियाना-जनसंख्या-अध्ययन तथा मैसूर में रामनगरम्, नई दिल्ली की लोदी कालोनी, दिल्ली के समीप नजफगढ़, और कलकत्ता के निकट सिंगूर में हुए अध्ययन। एक व्यापक प्रशिक्षण-कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र, एक ग्रामीण प्रशिक्षण-प्रदर्शन-केन्द्र, प्रशिक्षण-क्लिनिकों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण-केन्द्रों के रूप में विस्तार, पर्यटन प्रशिक्षण-दल तथा तदर्थ प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। डाक्टरों तथा अन्य सहायक चिकित्सा-कर्मचारियों की शिक्षा-संस्थाओं के साधारण प्रशिक्षण-कार्यक्रम में परिवार-आयोजन भी शामिल कर दिया गया है। पहली योजना में इस मद में 65 लाख रु० रखे गए थे, परन्तु दूसरी योजना में इसके लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

61 तीसरी योजना में परिवार-आयोजन के कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यों के लिए व्यवस्था की गई है (1) परिवार-आयोजन के लिए प्रेरणा और शिक्षा, (2) सेवाओं की व्यवस्था, (3) प्रशिक्षण, (4) साज-सामान की व्यवस्था, (5) उद्देश्यों का प्रचार और प्रेरणा-सम्बन्धी अनुसन्धान, (6) समाजशास्त्र-सम्बन्धी समस्याओं का अनुसन्धान, (7) डाक्टरी और जीवशास्त्र-सम्बन्धी अनुसन्धान। स्वीकृत कार्यक्रम पर 50 करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था की गई है। स्पष्ट परिवार-आयोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम को सीमित करने का कारण आर्थिक नहीं, बल्कि संगठन एवं कर्मचारियों की कमी से सम्बद्ध है, क्योंकि इस कमी से ही कार्यक्रम के अमल में सबसे बड़ी बाधा आती है।

62 विभिन्न अध्ययनों से मालूम हुआ है कि जनता में परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित रखने तथा इस सम्बन्ध में क्रियात्मक सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा है। इसका यह अर्थ नहीं कि परिवार-आयोजन का सन्देश फैलाने और उनके लिए

लोगो को प्रेरणा देने की कठिन समस्या हल हो गई है अथवा सलाह और सगठन की दिशा मे भी काफी अच्छी शुरुआत हो गई, विशेष रूप से ग्रामीण समुदायो में। तीसरी योजना में इन प्रश्नो पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षात्मक कार्यक्रम को तेज करना सारे कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार-आयोजन-सम्बन्धी शिक्षा बेहतर जीवन बिताने की शिक्षा का अग है, इस कारण उसे अन्य रचनात्मक कार्यों के साथ गूथ देना चाहिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो, सामुदायिक विकास-खडो और स्वैच्छिक सगठनो के कार्यों के साथ उसका गहरा सम्बन्ध रहना चाहिए। जनता को बडे पैमाने पर उन परिस्थितियो की जानकारी देना जरूरी है, जिनमे हर व्यक्ति निश्चित होकर परिवार-आयोजन के तरीके अपना सके।

63 परिवार-आयोजन सम्बन्धी-सेवाए आज की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में मुहय्या करनी होगी। इस कार्य में मुख्य प्रश्न परिवार-आयोजन को सामान्य चिकित्सा और स्वास्थ्य-सेवाओ, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो के द्वारा उपलब्ध सेवाओ मे मिला देने का है। कुछ सीमा तक ये सेवाए स्वैच्छिक सस्थाओ के केन्द्रो, चलती-फिरती इकाइयो तथा औद्योगिक एव अन्य सस्थाओ के द्वारा भी उपलब्ध की जा सकती है। तीसरी योजना के लिए अस्थायी तौर पर तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार परिवार-आयोजन क्लिनिको की सख्या, जो दूसरी योजना के अन्त में 1,649 थी, बढ कर 8,200 हो जाएगी इसमें से 6,100 क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रो में होगे और 2,100 शहरी क्षेत्रो में। सरल गर्भनिरोध-उपकरण बाटने और सामान्य सलाह-मशिवरा देने का काम काफी बडे पैमाने पर स्वैच्छिक सस्थाओ, परिवार-आयोजन-कार्य के लिए प्रशिक्षित दाइयो तथा अन्य चिकित्सा-कर्मचारियो को सौपा जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य-इकाइयो को परिवार-आयोजन-सम्बन्धी सेवाए मुहय्या करने-योग्य बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तथा अन्य खर्च की व्यवस्था का प्रश्न प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो के कार्यक्रम में पूरे तौर पर शामिल करने का विचार है। इस कार्य में मुख्य बाधा पर्याप्त सख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता, विशेष रूप से स्त्री कार्यकर्ता, प्राप्त करने के सम्बन्ध में है। प्रशिक्षण-सुविधाओ के विस्तार के लिए अनेक सघन अल्पकालीन पाठ्यक्रम आरम्भ करना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रो के लिए सुझाव रखा गया है कि गैर-सरकारी डाक्टरो की अधिकाधिक मदद लेकर सलाह-मशिवरा देने, उपकरण बाटने और जहा तक सम्भव हो, वन्ध्याकरण का काम किया जाए।

64 बडे पैमाने पर परिवार-आयोजन-कार्य को चलाने के लिए गर्भनिरोध-उपकरणो का देश में ही उत्पादन करना आवश्यक है। इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है, परन्तु उसे सन्तोषजनक नही कहा जा सकता। इन वस्तुओ की आपूर्ति का चालू अनुमान बहुत ही सीमित कार्यक्रम के आधार पर लगाया गया है। कार्यक्रम का स्वरूप देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार स्वय इन वस्तुओ के उत्पादन में अधिकाधिक हिस्सा लेने, उनका मानक तैयार करने तथा मूल्य निश्चित करने में पहल करे। आरम्भिक दौर मे जनता के कुछ वर्गों को ये चीजें मुफ्त अथवा नाममात्र लागत पर मुहय्या करना भी जरूरी होगा। यह सुझाव दिया गया है कि सरकार और निजी फर्मो-द्वारा गर्भनिरोध-उपकरणो के उत्पादन के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस उद्देश्य को

सामने रखना चाहिए कि यथाशीघ्र जिन पैमाने पर आवश्यकता है, उसके अनुसार ये चीजें मुहय्या की जा सकें।

65 तीसरी योजना म अनुसन्धान का पहले से अधिक विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अन्य पहलुओं-सहित निम्नलिखित क्षेत्रो में अनुसन्धान किया जा रहा है

(1) मानव-उत्पत्ति-सम्बन्धी अध्ययन का विकास।

(2) सन्तानोत्पत्ति के प्राकृतिक नियमो का अध्ययन।

(3) अधिक कारगर बाहरी उपयोग-योग्य गर्भ-निरोध-उपकरणो का विकास।

(4) खाने-योग्य उपयोगी गर्भ-निरोधक का विकास।

(5) वन्ध्याकरण के बाद पुरुष और स्त्री, दोनो की जाच-पड़ताल, जिससे ऐसे मामलो में बाद में पडनेवाले प्रभाव मालूम पड सकें।

खाने-योग्य गर्भ-निरोधको के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ-समिति की स्थापना की गई है, जो इस दिशा में होनेवाले कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें पेश करेगी। हाल में ही एक और समिति नियुक्त की गई है, जो परिवार-आयोजन का सन्देश फैलाने, प्रेरणा देने तथा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अनुसन्धान का काम करेगी। परिवार-आयोजन के साथ सम्बद्ध सामाजिक समस्याओं पर भी पहले से अधिक व्यापक आधार पर विचार करना चाहिए।

66 पिछले पाच वर्षो में वन्ध्याकरण की सुविधाए कई राज्यो में मुहय्या की गई। अब तक लगभग ऐसे 1,25,000 आपरेशन किए जा चुके है। परिवार-आयोजन-कार्यक्रम में स्वेच्छा से वन्ध्याकरण स्वीकार करने का बहुत बडा योग है। तीसरी योजना में वन्ध्याकरण की सुविधाए जिला-अस्पतालो, सबडिवीजन के अस्पतालो और ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो में भी मुहय्या करने का इरादा है, जहा चीर-फाड के काम के लिए आवश्यक सुविधाए पहले से मौजूद हैं। चलती-फिरती इकाइयो की सहायता से ये सुविधाए और भी विस्तृत की जा सकती है।

67 तीसरी योजना में परिवार-आयोजन के क्षेत्र में मुख्य काम कुछ बुनियादी समस्याओं का हल निकालना है तथा परिवार-आयोजन के समर्थन में शिक्षा तथा विस्तार-कार्य के लिए सभी उपलब्ध संस्थाओं का उपयोग करना है। केन्द्र और राज्यों में प्रशासन-संगठन बहुत मजबूत करने होगे। हजारो प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो और बाद में उनके उपकेन्द्रो को कर्मचारियो और साज-सामान से सुसज्जित करने के काम और गाव-गाव में केवल सलाह देने के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार-आयोजन के लिए क्रियात्मक सहायता देने के लिए भी पहुचने के काम को छोटा या सरल नहीं समझना चाहिए। गैर-सरकारी डाक्टरो, देशी चिकित्सको और ग्रामीण दाइयो को परिवार-आयोजन-केन्द्रो तथा प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रो के साथ परिवार-आयोजन के कार्य में सहायता देने के लिए तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर पूरी सावधानी से आयोजन करना होगा। आवश्यकता के अनुसार बडे पैमाने पर गर्भ-निरोध-उपकरणो के उत्पादन की व्यवस्था करना भी एक बडा काम है। इस कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनो, श्रम-संगठनो तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रो में काम कर रही संस्थाओं से जितने बडे पैमाने पर हो सके, सहायता लेना तथा प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें एक सूत्र में बाध कर क्रियात्मक सहयोग से कार्यक्रम चलाना आवश्यक है।

68 अन्त में, यह भी बता देना आवश्यक है कि परिवार सीमित करने के किसी भी व्यापक प्रयत्न के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों, संयम तथा स्त्री-शिक्षा पर, जिससे स्त्रियों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हों, तथा विवाह की वय बढ़ाने पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सन्तति-नियमन पर सलाह देने के साथ-साथ परिवार-आयोजन की शिक्षा में यौन और पारिवारिक जीवन-सम्बन्धी शिक्षा तथा परिवार को सुखमय बनाने के अन्य उपायों की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

आवास तथा शहरी और ग्रामीण आयोजन

आवास-कार्यक्रम का, जिसे पहली पंचवर्षीय योजना में आरम्भ कर दिया गया था, मुख्य लक्ष्य औद्योगिक मजदूरों और निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था करना था। इस कार्यक्रम को दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार, बागानों के मजदूरों के आवास, ग्राम-आवास तथा भूमि-अधिग्रहण और विकास के कार्य प्रारम्भ करके बहुत विस्तृत कर दिया गया। नीचे दी गई तालिका में दूसरी योजना में इस मद में पूर्वानुमानित व्यय-राशि दिखाई गई है :

तालिका-संख्या 1

दूसरी योजना में पूर्वानुमानित व्यय

योजनाएं	पूर्वानुमानित व्यय (करोड़ रुपये)
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास	24.2
गन्दी बस्तियों की सफाई	9.9
निम्न आय-वर्ग के आवास	37.8
ग्राम-आवास	3.7
बागान क्षेत्रों में आवास	0.1
नगरीय क्षेत्रों में मध्यवित्त-वर्ग के आवास	0.3
राज्यों की आवास-योजनाएं	1.2
भूमि-अधिग्रहण और विकास	2.0
नगर-आयोजन	1.1
योग	80.3

2. ऊपर बताई गई आवास-योजनाओं के अतिरिक्त समाज के विशेष वर्गों—जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में परिगणित जातियों, परिगणित आदिम जातियों और पिछड़ी जातियों, हरिजन सफाई-कर्मचारियों, विस्थापितों, आदि के लिए भी कुछ विशेष आवास-योजनाएं प्रारम्भ की गईं। कोयला और अभ्रक-उद्योगों के मजदूरों के लिए आवास-योजनाओं को इन उद्योगों के श्रम-कल्याण-कोष द्वारा दिए गए धन से पूरा किया गया। दूसरी योजना की अवधि में जीवन-बीमा-निगम ने मध्यवित्त-वर्ग को मकान-निर्माण के लिए और राज्य-सरकारों को अपने निम्न आयवाले कर्मचारियों के लिए किराए के मकान बनाने के लिए धन मुहय्या किया। केन्द्रीय सरकार के विभागों-द्वारा तथा निजी उद्योगपतियों-द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में मकान बनाने का कार्य किया गया। दूसरी योजना की अवधि में सार्वजनिक आवास के लिए कुल व्यय-परिमाण 250 करोड़ रु० के लगभग था तथा लगभग 5,00,000 मकान बनाए गए।

3 यद्यपि पहली और दूसरी योजनाओ में आवास-सम्बन्धी प्रयत्नो को उत्तरोत्तर बढाया गया, तथापि जनसख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण मकानो की कमी की समस्या को हल करना आगामी अनेक वर्षो तक एक सिरदर्द बना रहेगा। सन् 1951 और सन् 1961 के बीच 20,000 या इससे अधिक की आबादीवाले नगरो की जनसख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना में यह अनुमान लगाया गया कि सन् 1961 में शहरी क्षेत्रो में 50 लाख मकानो की कमी रहेगी, जब कि सन् 1951 में 25 लाख मकानो की कमी थी।

4 जनसख्या में, विशेष रूप से शहरो की जनसख्या में, जो वृद्धि हुई है, उससे तीसरी और उसके बाद की पचवर्षीय योजनाओ में आवास-कार्यक्रमो को किस प्रकार विकसित किया जाए, इस सम्बन्ध मे कम-से-कम तीन सामान्य विचारणीय बाते सामने आती है। पहली बात, आवास-नीतियो को आर्थिक विकास और बडे तथा छोटे, दोनो पैमाने के उद्योगीकरण एव आगामी एक या दो दशाब्दियो मे सामने आनेवाली समस्याओ की व्यापक पृष्ठभूमि में निश्चित करना चाहिए। इसी कारण उद्योगो के स्थान एव उनके बिखराव के प्रस्ताव आवास-समस्या को हल करने की दिशा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होगे। दूसरी बात यह आवश्यक है कि सम्बद्ध सभी अभिकरणो के प्रयत्नो में, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हो, या सहकारी क्षेत्र के, या निजी क्षेत्र के, समन्वय होना चाहिए। शहरी क्षेत्रो के लिए मास्टर प्लान की तैयारी का महत्व अब पहले से अधिक हो गया है, क्योकि इन योजनाओ के बिना सुव्यक्त सामान्य उद्देश्यो की दिशा मे, जिनके लिए अनेक वर्षो से क्रमबद्ध प्रयत्न किया जा रहा है, विभिन्न अभिकरणो को समन्वित करने और उनके योगदान को अधिकतम रूप से प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नही है। तीसरी बात, इस प्रकार की परिस्थितियो का निर्माण किया जाना चाहिए, जिनमें मकान-निर्माण का सारा कार्यक्रम—सरकारी और निजी, दोनो ही प्रकार का—इस तरह से नवगठित हो कि समाज के निम्न आयवाले वर्गो की आवश्यकताए विशेष रूप से पूरी हो सकें। तीसरी योजना के लिए आवास-कार्यक्रम बनाते समय इन बातो को ध्यान में रखने का प्रयत्न किया गया है।

5 विगत कुछ वर्षो से आवास की जिन योजनाओ को कार्यान्वित किया जा रहा है, उन्हें तीसरी योजना में भी जारी रखा जाएगा तथा उनका विस्तार किया जाएगा। इनमें सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास, निम्न आयवाले वर्गो के आवास, गन्दी बस्तियो की सफाई, बागान-मजदूरो के आवास, भूमि-अधिग्रहण और विकास, तथा ग्रामीण आवास के कार्यक्रम विशेष रूप मे उल्लेखनीय हैं। भूमि-अधिग्रहण और विकास पर विशेष बल दिया जाएगा, क्योकि यह सभी आवास-कार्यक्रमो की सफलता की बुनियाद है। आर्थिक दृष्टि से समाज के निर्धन वर्गो, गोदी-कर्मचारियो और पटरियो पर रहनेवालो के लिए भी नए आवास-कार्यक्रम हाथ मे लिए जाएगे। राजधानियो, औद्योगिक नगरो और साधन-स्रोतो से सम्पन्न क्षेत्रो के लिए मास्टर प्लान और प्रादेशिक विकास प्लानो के निर्माण के लिए सघन प्रयत्न किया जाएगा। तीसरी योजना में भवन-निर्माण की तकनीको में अनुसन्धान और परीक्षणात्मक आवास-निर्माण का काम प्रारम्भ करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही आवास-सम्बन्धी अको का भी सकलन किया जाएगा, जिनका अभाव अतीत काल मे एक बडी बाधा रहा है।

व्यय-परिमाण और लक्ष्य

6 दूसरी योजना के सशोधित व्यय-परिमाण की तुलना में, जो 84 करोड रु० था, तीसरी योजना का व्यय-परिमाण 142 करोड रु० रखा गया है। इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि जीवन-बीमा-निगम भी इस मद में अनुमानत 60 करोड रु० की राशि प्रदान करेगा। तीसरी योजना में विभिन्न योजनाओ के लिए व्यय-परिमाण नीचे की तालिका में दिखाया गया है

तालिका-सख्या 2

तीसरी योजना का व्यय-परिमाण—1961-66

(करोड रु०)

योजनाएं	व्यय-परिमाण
(1) निर्माण, आवास और सम्भरण-मन्त्रालय	
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास	29 8
गोदी-कर्मचारियो का आवास	2 0
गन्दी बस्तियो की सफाई, सुधार और रैन-बसेरो का निर्माण	28 5
निम्न आयवाले वर्गो का आवास	35 2
सघीय क्षेत्रो में मध्यवित्त-वर्ग का आवास	2 5
ग्राम-आवास	12 7
बागान-मजदूरो का आवास	0 7
भूमि-अधिग्रहण और विकास	9 5
परीक्षणात्मक आवास, अनुसन्धान और अक-सकलन	1 0
योग	122 0
(2) अन्य योजनाए	
राज्यो की आवास-योजनाए	2 3
मास्टर प्लानो का निर्माण-सहित नगर-आयोजन	5 4
शहरी विकास-योजनाए	12 3
योग	20.0
योजना में सम्मिलित कार्यक्रमो का योग (1 और 2)	142.0
(3) जीवन-बीमा-निगम की वित्तीय सहायता से चलाए जानेवाले कार्यक्रम	60 0
सर्वयोग	202 0

तीसरी योजना के लिए प्रस्तावित मुख्य लक्ष्य इस प्रकार है

तालिका-संख्या 3

तीसरी योजना के लक्ष्य

	मकानो/झोंपड़ियो की संख्या
सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास	73,000
निम्न आयवाले वर्गो का आवास	75,000
गन्दी बस्तियों की सफाई	1,00,000
ग्राम-आवास	1,25,000

7 ऊपर वर्णित आवास-व्यवस्थाओ के अतिरिक्त अन्य स्रोतो से भी वित्तीय सहायता-प्राप्त कुछ आवास-कार्यक्रम है। तीसरी योजना की अवधि में कोयला और अभ्रक-खान-कल्याण-कोश-द्वारा 60,000 मकानो के निर्माण के लिए 14 करोड रु० दिए जाने की आशा है। पिछडी जातियो के लिए जो कल्याण-कार्यक्रम हैं, उनमें उन्हें आवास मुहय्या करना भी शामिल है। रेलवे, वाणिज्य और उद्योग, सचार तथा अन्य मन्त्रालयो के अस्थायी अनुमानो से पता चलता है कि ये मन्त्रालय भी तीसरी योजना की अवधि में अपने कर्मचारियो के लिए लगभग 200 करोड रु० खर्च करके 3,00,000 मकान बनवाएगे। कुल मिला कर, तीसरी योजना में विभिन्न आवास-कार्यक्रमो और मन्त्रालयो के निर्माण-कार्यों के अधीन 9,00,000 मकानो के बनाए जाने की सम्भावना है, जब कि दूसरी योजना की अवधि में 5,00,000 मकान बनाए गए।

8 निजी क्षेत्रो में भी बहुत अधिक मकान बनाए गए, परन्तु उसकी विपुलता का ठीक अनुमान लगा सकना कठिन है। पहली योजना में मकानो और निजी निर्माण-कार्यों पर 900 करोड रु० की पूजी लगाई गई। दूसरी योजना के लिए यह अनुमान 1,000 करोड रु० का है। तीसरी योजना में मकानो तथा अन्य निजी निर्माण-कार्यों में निजी क्षेत्र की पूजी के विनियोग का अनुमान 1,125 करोड रु० का है।

आवास-मंडल

9 विकास की वर्तमान स्थिति में सरकार-द्वारा दी गई सीधी वित्तीय सहायता से आवास-सम्बन्धी आवश्यकताओ के एक अल्प भाग की ही पूर्ति हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोगो की एक बहुत बडी सख्या, जिनमें से अधिकाश की आय बहुत कम है, अपने मकान स्वय बनाने मे समर्थ हो सके। इसके लिए सगठनात्मक व्यवस्था की जरूरत है। इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय आवास-मडल स्थापित करने की सम्भावनाओ पर इस समय विचार किया जा रहा है। इस प्रकार का सगठन आवास के लिए अतिरिक्त कोष प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, अनेक बातो के द्वारा, जिनमें बन्धक भी शामिल है, आसान शर्तो पर ऋण की व्यवस्था कर सकता है, ऋण-विषयक व्यवहार में सुधार कर सकता है और आवास के लिए सुधरी हुई बन्धक-पद्धति की व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह सगठन कुछ सीमा तक स्वय वित्त जुटा सकता है और राज्य-सरकारो को या राज्यो के आवास-मडलो को जमीन की खरीद और विकास के लिए, मकान बनाने के लिए तथा गन्दी बस्तियो के अधिग्रहण एव उनके पुर्नविकास के लिए ऋण प्रदान कर सकता है। जीवन-बीमा-निगम और केन्द्रीय सरकार-द्वारा प्राप्त कोश भी इसी के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। उन राज्यो में, जहा आवास-मडल पहले से स्थापित है, वे सामान्यत राज्यो के आवास-कार्यक्रमो के परिपालन के लिए निर्माण-अभिकरणो के रूप में कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय आवास-मडल तथा राज्यो के आवास-मडलो से उचित समय पर आवास-साधनो के विकास के लिए वे साधन प्राप्त हो सकते हैं, जिनका सामान्य स्थिति में उपलब्ध होना सम्भव नही है। ये सस्थाए मिल कर ऐसी आवास-नीति के निर्माण में सहायता दे सकती हैं, जिससे सीमित साधनवाले व्यक्तियो को अपने निज के प्रयोग के लिए मकान बनाने में सुविधा मिले और जिससे बैंक तथा अन्य वित्तीय सगठन विभिन्न सेवा-कार्य कर सकें। यह प्रस्ताव है कि तीसरी योजना के आवास-कार्यक्रमो को पूरा करने

तथा भविष्य में विशाल विकास की बुनियाद रखने की दृष्टि से इन पहलुओं पर और अधिक विचार किया जाए।

भूमि-अधिग्रहण और विकास

10. आवास-कार्यक्रमों के सफल सम्पादन के लिए यह आवश्यक है कि भवन-निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा और उचित मूल्यों पर भूमि उपलब्ध हो। इसलिए तीसरी योजना में आवास के लिए उपलब्ध धन के एक पर्याप्त बड़े भाग को भूमि-अधिग्रहण और विकास के लिए निश्चित किया गया है। सन् 1959 में राज्य-सरकारों को चुने हुए स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण और विकास करने के लिए 10 वर्ष में लौटाने-योग्य ऋण के द्वारा वित्तीय सहायता देने के कार्यक्रम को जारी किया गया था। इस प्रकार, जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, उसका उपयोग विभिन्न योजनाओं के अधीन आवास, निर्माण तथा समाज को दी जानेवाली विभिन्न सुविधाओं—जैसे, सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान, स्कूल, अस्पताल, दुकानें, डाकघर, आदि—के लिए किया जाएगा। तीसरी योजना में (जीवन-बीमा-निगम का योगदान-सहित) भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए 26 करोड़ रु० का व्यय-परिमाण निश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन जो साधन प्राप्त होंगे, वे राज्यों में 'गतिशील कोश' के रूप में और उन्हें बड़ी मात्रा में भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए काम में लाया जाएगा।

औद्योगिक श्रमिकों का आवास

11. सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास-कार्यक्रम के अधीन, जिसे सन् 1952 में मुख्यतः निजी क्षेत्र के कारखानों और खदानों में काम करनेवाले औद्योगिक मजदूरों को आवास-सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों, राज्यों के आवास-मंडलों और नगरपालिकाओं को कुल खर्चे का 50 प्रतिशत ऋण के रूप में और शेष 50 प्रतिशत सहायता के रूप में प्रदान करती है। उद्योगपतियों और औद्योगिक मजदूरों की सहकारी समितियों को कुल व्यय के क्रमशः 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत अंश तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इन दोनों मामलों में सहायता की अनुदान-राशि 25 प्रतिशत है। औद्योगिक मजदूरों को खर्च का शेष 10 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए यह अनुमति दी गई कि वे अपनी भविष्य-निधि (प्राविडेंट फंड) में से लौटाने-योग्य ऋण ले सकते हैं। दूसरी योजना के अन्त तक 45 करोड़ रु० की लागत के 1,40,000 मकानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। इनमें से 1,00,000 मकान बन कर तैयार हो गए हैं तथा शेष निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

12. यदि सहायता-अनुदान की दर से नियत किए गए किराए मजदूरों की आर्थिक क्षमता की दृष्टि से अधिक न होते, तो यह कार्यक्रम और अधिक प्रगति करता। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में बनाए गए मकानों में औद्योगिक मजदूर रहने के लिए गए ही नहीं। अतः किरायों को कम करने के प्रश्न पर, जिससे वह मजदूरों की दे सकने की क्षमता के अनुकूल हो, और विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मजदूरों को अपने काम के स्थान तक ले जाने के लिए सस्ते परिवहन भी उपलब्ध कराने चाहिए। योजना के कुछ पहलुओं को यथोचित भी कर दिया गया है। मजदूरों को विभिन्न प्रकार की आवास-व्यवस्थाओं में से किसी एक के चुनाव के पर्याप्त अवसर हैं। मजदूर खाली और विकसित

प्लाट, तथा उसके साथ ही मकान बनाने एव छत डालने के काम में आनेवाले सामान ले सकते हैं तथा निर्धारित स्वरूप के मकान स्वयं बना सकते हैं। जो मजदूर खुले प्लाट पर 'स्वनिर्मित' मकान नही लेना चाहते, उन्हे 'ढाँचायुक्त' प्लाट, जिसमें नीव, भवन-कुर्सी और छत होती है, प्रदान किए जाते हैं। इनमें विकसित प्लाट का मासिक किराया 2 से 3 रु० तक है, जब कि ढाँचायुक्त मकान का किराया 8 रु० मासिक है। परिवार के साथ न रहनेवाले मजदूरो के लिए ऐसे आवास या कमरे बनाए गए हैं, जिनमें एक साथ कई लोग रह सकें। आवास-निर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में ऋण अदा करने की अवधि में वृद्धि, भवन-निर्माण में काम आनेवाले सामान के महंगे होने तथा मकान बनानेवाले मजदूरो के मेहनताने में हुई वृद्धि को देखते हुए लागत के अधिकतम स्तर को उनके अनुरूप करना, एलाटमेंट-सम्बन्धी नियमों को सरल बनाना और नागरिकों तथा सहकारी समितियो को विकसित प्लाट देने की व्यवस्था करना, आदि कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। हाल ही मे उद्योगो के मालिको को अपने निम्न आयवाले कर्मचारियों के लिए बनाए गए नए मकानो पर आनेवाले व्यय का 20 प्रतिशत प्रारम्भिक मूल्यह्रास-भत्ते के रूप में, आय-कर में, छूट दी गई है। यह छूट उससे अलग है, जो छोटे मकानों के कुछ [illegible]

कर्मचारियों के लिए मकान बनवा सकें। एक उचित मार्ग यह हो सकता है कि सरकार कुल निर्माण-व्यय का 80 प्रतिशत तक ऋण-अनुदान के रूप में दे दे। योजना में जो व्यवस्था की गई है, उससे 5,000 मकानों का निर्माण सम्भव होना चाहिए। हाल के वर्षों में बन्दरगाहों का विकास बड़े पैमाने पर हो रहा है और बन्दरगाह-अधिकारियों के सहयोग से बन्दरगाहों में आवास-समस्या के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास

15 निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास-कार्यक्रम में मकान-निर्माण पर आनेवाले व्यय का 80 प्रतिशत तक ऋण-अनुदान, जो कि 8,000 रु० से अधिक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को देने की व्यवस्था है, जिसकी वार्षिक आय 6,000 रु० से अधिक नहीं है। इसी पैमाने पर स्थानीय निकायों, 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलनेवाली सार्वजनिक संस्थाओं, मान्यता-प्राप्त स्वास्थ्य, धर्मार्थ और शिक्षण-संस्थाओं एवं सहकारी समितियों को भी सहायता दी जाती है।

16 सन् 1954 से, जब इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया, लगभग 85,000 मकानों के निर्माण की अनुमति दी जा चुकी है तथा दूसरी योजना के अन्त तक लगभग 53,000 मकान बन कर तैयार हो गए थे। इस कार्यक्रम के अधीन ऋण की बहुत माग है। नगरों में, जहा विकसित प्लाट उपलब्ध है, इस दिशा में अधिक प्रगति हुई है। यह अनुभव किया गया है कि तीसरी योजना में समाज के उन वर्गों के लिए, जो आर्थिक दृष्टि से कम-जोर हैं, यानी जिनकी वार्षिक आय 1,800 रु० या इससे कम है, तथा जो इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा सकते हैं, विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। इस वर्ग के लोग 10-12 रु० या बहुत हुआ तो 15 रु० मासिक तक किराया दे सकने की स्थिति में होते हैं। इनको आवास प्रदान करने का मुख्य तरीका यह है कि इनको किराए पर देने के लिए या तो आवास-मडल और स्थानीय निकाय या आवास-सहकारी समितिया मकान बनाएं। इस समस्या पर और अधिक विचार के आधार के रूप में, यह सम्भव हो सकता है कि स्थानीय निकायों को सूद की आसान दरों पर लम्बे समय में लौटाने-योग्य ऋण दिया जा सके—पक्के मकानों के अतिरिक्त, औद्योगिक आवास-पद्धति पर खाली विकसित प्लाटों और ढाचायुक्त आवास के प्रदान करने और गन्दी बस्तियों की सफाई, कार्यक्रमों पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसी आवास-सहकारी समितियों को, जिनके सदस्य प्राय समाज के निर्धन वर्ग के व्यक्ति है, इसी प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है। मोटे रूप में, निम्न आयवाले वर्गों के लिए आवास-कार्यक्रम का एक-तिहाई भाग आर्थिक दृष्टि से निर्धन व्यक्तियों के लिए होगा। राज्य और स्थानीय करों से मुक्ति के प्रश्न पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ज्यो-ज्यो निम्न आयवाले वर्गों के आवास के लिए संस्थाओं से वित्तीय सहायता सामान्यत उपलब्ध होगी, त्यो-त्यो सरकार-द्वारा इस मद में दी गई राशि के एक बड़े भाग को आर्थिक दृष्टि से निर्धन वर्गों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

बागान-मजदूरों का आवास

17 सन् 1951 के बागान-मजदूर-अधिनियम में यह व्यवस्था है कि बागान-मालिक बागान में रहनेवाले मजदूरों और उनके परिवारों के लिए आवश्यक आवास-सुविधाएं

प्रदान करें। यह आवास-व्यवस्था प्रतिवर्ष कुल मजदूरो के 8 प्रतिशत भाग को उपलब्ध कराने के हिसाब से तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक सभी मजदूरो को आवास न मिल जाए। अनेक बागान-मालिको ने, विशेषत छोटे बागान-मालिको ने, वित्तीय साधनों के अभाव में इस दायित्व को पूरा करने में असमर्थता अनुभव की। इसलिए ऐसे बागान-मालिकों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए सन् 1956 में बागान-मजदूर-आवास-योजना लागू की गई। इस योजना के अधीन मकान पर आनेवाले कुल व्यय का, जिसमें भूमि का मूल्य और विकास-व्यय शामिल नहीं है, 80 प्रतिशत तक ऋण के रूप में दिया जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि यह ऋण-राशि प्रति मकान उत्तर-भारत में 2,100 रु० और दक्षिण-भारत में 1,920 रु० से अधिक नही होगी। शेष 20 प्रतिशत राशि बागान-मालिको को अपने स्रोतों से जुटानी होगी।

18 दूसरी योजना के अन्त तक केवल 700 मकान बनाने की स्वीकृति दी गई थी और 300 तैयार हो गए थे। इस कार्यक्रम के मार्ग में मुख्य बाधा बागान-मालिकों-द्वारा ऋण के लिए उचित गारंटी प्रदान न करने की रही है। कार्यक्रम मे यह व्यवस्था है कि बागान-मालिक ऋण की गारंटी के लिए अपने बागानो में बने मकानो और उनकी भूमि को राज्य-सरकारो के नाम बन्धक रख दें। बागान-मालिक इस शर्त का पालन करने में असमर्थ है, क्योंकि उनकी भूमियां एव सम्पत्ति पहले ही बागानों को चलाने के लिए बैंको से लिए गए ऋणो के लिए बैंको के नाम प्राय बन्धक होती है।

19 बागान-मालिक इन ऋणों का लाभ उठा सकें, इसके लिए कुछ राज्यों ने गारंटी की इस शर्त को भी ढीला कर दिया है। बागान-मालिको को दिए गए ऋणों पर ½ प्रतिशत अतिरिक्त सूद लेकर एक 'सामूहिक गारंटी कोष' की स्थापना का भी प्रस्ताव है। इस कोश से प्राप्त होनेवाले सूद को भी इसी कोष में जमा कर दिया जाएगा। यह कोश ऋण-अनुदानो के लिए एक सामूहिक गारंटी के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। यदि हानि इस कोश की सम्पत्ति से अधिक हुई, तो उसका भार केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार और सम्बद्ध मंडल मिल कर वहन कर लेंगे।

की गई है, परन्तु इस बात की सम्भावना है कि जीवन-बीमा-निगम-द्वारा प्रदत्त राशि में से 20 करोड़ रु० मध्यवित्त-वर्ग की आवास-योजना के लिए तथा नीचे उल्लिखित राज्य-सरकारों के कर्मचारियों को किराए पर मकान बनाने की योजना के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

राज्य-सरकारों के कर्मचारियों के लिए किराए के आवास

21 राज्य-सरकारों के कर्मचारियों को किराए पर मकान देने की योजना का उद्देश्य राज्य-सरकारों को अपने निम्न आयवाले कर्मचारियों के लिए आवास-व्यवस्था करने में सहायता देना है। इस योजना के अधीन, जिसे सन् 1959 में लागू किया गया था, जीवन-बीमा-निगम 5 प्रतिशत वार्षिक सूद की दर से राज्य-सरकारों को ऋण देता है। यह ऋण 20 वर्षों में लौटाया जा सकेगा। दूसरी योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के अधीन राज्य-सरकारों को 7 करोड़ रु० दिए गए तथा 2,500 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 735 का निर्माण पूरा हो गया।

गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार

22 तीसरी योजना के कार्यक्रम में गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के लिए लगभग 29 करोड़ रु० रखे गए हैं। राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों को बड़े नगरों की कुछ अत्यधिक गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए वित्तीय सहायता देने के कार्यक्रम को दूसरी योजना में प्रारम्भ किया गया था। दूसरी योजना के अन्त तक विभिन्न कस्बों और नगरों में गन्दगी की स्थिति में रहनेवाले 58,200 परिवारों के पुनर्वास के लिए 19 करोड़ रु० की लागत की 208 परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया। मकानों की 18,000 इकाइयां तैयार हो गई हैं। ऐसे परिवारों के लिए, जो पक्के कमरों के लिए सहायता-अनुदान के अनुसार किराया देने में भी असमर्थ हैं, उक्त कार्यक्रम में ढांचा-आवासों और बिना बने विकसित प्लाटों को, जिनके साथ प्रत्येक परिवार के लिए अलग से स्नानागारों के चबूतरे और शौचालय भी हैं, देने की व्यवस्था है। गन्दी बस्तियों में रहनेवालों पर ही इसका भार छोड़ दिया जाता है कि वे राज्य-सरकारों के तकनीकी परामर्श के अनुसार बनाए गए ढंग पर अपने मकान स्वयं बना लें।

23 गन्दी बस्तियों की सफाई और उनके सुधार के कार्य में आनेवाली कुछ कठिनाइयां ये हैं: गन्दी बस्तियों के अधिग्रहण के लिए लम्बी और समय लेनेवाली प्रक्रिया, कम समय लेनेवाली प्रक्रियाएं, काम के वर्तमान स्थानों के निकट वैकल्पिक स्थानों का न मिलना और यदि मिल भी जाए, तो उनका बहुत अधिक महंगा होना, गन्दी बस्तियों के निवासियों की सहायता-अनुदान के अनुसार किराया देने में भी असमर्थता और जिन इलाकों को सफाई के लिए चुन लिया गया है, वहां से हटने में उनकी आनाकानी। मैसूर, मद्रास, मध्यप्रदेश, असम, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, आदि राज्यों तथा दिल्ली-प्रशासन ने गन्दी बस्तियों के अधिग्रहण के कार्य में शीघ्रता लाने तथा मुआवजे की राशि में कमी करने के लिए कानून भी बनाए हैं। इस प्रकार के कानून जहां नहीं बने हैं, वहां भी बनाने की आवश्यकता है। योजना की परियोजना-सम्बन्धी समिति-द्वारा नियुक्त एक अध्ययन-दल ने तथा गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में बनाई गई परामर्श-समिति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की थी। इन समितियों ने यह सिफारिश की है कि जहां दीर्घकालीन योजना आवश्यक है, वहां यह और

भी जरूरी है कि गन्दी वस्तियो की नरक के समान स्थिति को दूर करने के लिए अल्पकालीन उपाय बरतने पर भी विचार किया जाए। इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई के रूप में न्यूनतम सुविधाए—यथा, स्वच्छ शौचालय, पानी की निकासी के लिए अच्छी नालिया, स्वच्छ जल-आपूर्ति, मुख्य सडक से मिलानेवाली सामान्यत अच्छी सडके, पटी हुई गलिया और प्रकाश की समुचित व्यवस्था—प्रदान की जानी चाहिए । इन समितियो की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद गन्दी बस्तियो की सफाई के कार्यक्रम के क्षेत्र को बढा दिया गया, जिससे उसकी परिधि में गन्दी बस्तियो का सुधार भी आ जाए। छ मुख्य नगरो—यथा, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और अहमदाबाद—में गन्दी बस्तियो की समस्या को अविलम्ब प्राथमिकता देने के लिए बडी मात्रा में साधन प्रदान किए गए। इन नगरो में गन्दी बस्तियो की सफाई के लिए कुल सहायता-अनुदान को 50 प्रतिशत से बढा कर $62\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया गया है और इसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 25 प्रतिशत से बढा कर $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया गया है।

24 ऊपर बताए गए छ नगरो में इस कार्यक्रम के अधीन अधिकतम प्रयत्न जारी रहना चाहिए। तीसरी योजना में यह प्रस्ताव है कि सिद्धान्तत राज्य-सरकारें जहा समझें कि गन्दी बस्ती की समस्या उग्र रूप में है, वहा गन्दी बस्तियो की सफाई और सुधार का कार्य हाथ में लिया जा सकता है। साधनो के सीमित होने के कारण यह विचार किया गया है कि सामान्यत उन नगरो को प्राथमिकता दी जाए, जिनकी जनसख्या 1,00,000 या इससे अधिक है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्य-सरकारे गन्दी बस्तियों के सर्वेक्षण की व्यवस्था करा सकती है तथा उनका दो श्रेणियो में—ऐसे क्षेत्र, जिन्हे पूरी तरह साफ करा कर नए सिरे से विकसित करना होगा; और दूसरे वे, जिनको आसपास की परिस्थितियो में सुधार कर रहने योग्य बनाया जा सकता है—वर्गीकरण कर सकती हैं। दूसरी श्रेणी में आनेवाली गन्दी बस्तियो के मालिक यदि स्वय आवश्यक सुधार न करें, तो स्थानीय निकायो को यह कार्य स्वय करके उसका खर्चा मालिको से वसूल कर लेना चाहिए, जहा कही आवश्यक हो, वहा सम्पत्ति को अपने अधिकार में भी लिया जा सकता है। जहा कही सरकारी भूमि पर या अधिग्रहण की गई भूमि पर स्थित गन्दी बस्तियो में सुधार का कार्य स्थानीय निकाय करें, वहा उन निकायो को आवश्यक सुविधाए प्रदान करने के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। गन्दी बस्तियो की सफाई और सुधार के कार्य में स्वैच्छिक सगठनो और सामाजिक कार्यकर्ताओ का भी पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए।

25 जहा वर्तमान गन्दी बस्तियो की सफाई के लिए कदम उठाए गए है, वहा यह बात भी महत्वपूर्ण है कि नई गन्दी बस्तियो को भी पनपने न दिया जाए । इस लक्ष्य की भी पूर्ति कोई सरल बात नही है। सभी बढनेवाले नगरो और कस्बो के लिए मास्टर प्लान बनाने तथा उस पर कठोरता से अमल करने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि नगरपालिका के उपनियमो और भवन-निर्माण-नियमो को भी लागू किया जाए, तथा इसके साथ-साथ निम्न आयवाले और आर्थिक दृष्टि से निर्धन वर्ग के लोगो को भी आवास-सुविधाएं प्रदान की जाए। सक्रमणकालीन कदम के रूप में यह आवश्यक है कि पटरियो पर रहनेवालो और बिना परिवार के मजदूरो के लिए रैन-बसेरे और शयनागार बनवाए जाए । इसी प्रकार, भगियो और मेहतरो के आवास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना

चाहिए। सफाई और सुधार करने के लिए गन्दी बस्तियों के चुनाव में, जहां भंगी और मेहतर बड़ी संख्या में रहते हो, उन इलाकों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शहरी आयोजन और भूमि-नीति

26 शहरीकरण आर्थिक और सामाजिक विकास के क्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह अन्य अनेक समस्याओं से निकट रूप से जुड़ा हुआ है—यथा, ग्रामीणों का ग्रामों से शहरों की ओर प्रवास, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर, नगरों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक सेवाएं मुहय्या करने में आनेवाला सापेक्ष व्यय, जनता के विभिन्न वर्गों के लिए आवास-व्यवस्था, जल-सम्भरण, सफाई, परिवहन और बिजली, आदि की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास का ढांचा, उद्योगों का स्थान और उनका वितरण, नागरिक प्रशासन, वित्तीय नीतियां और भूमि के उपयोग का आयोजन। शहरों के लिए, जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सब पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे नगरों की संख्या, जिनकी जनसंख्या 1,00,000 या इससे अधिक है, सन् 1951 में 75 थी, परन्तु सन् 1961 में इनकी संख्या बढ़ कर 115 हो गई है, तथा इनकी जनसंख्या कुल शहरों की जनसंख्या का 43 प्रतिशत भाग है। ऊपर जो पहलू बताए गए हैं, उनमें अन्तत सर्वाधिक निर्णायक आर्थिक विकास का स्वरूप और उद्योगों के स्थान के बारे में अपनाई गई आम नीति है। व्यापक उद्देश्य यह होना चाहिए कि बड़े, मध्यम आकार के और लघु उद्योगों में तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सन्तुलित विकास हो। जब कि यह भी कोई आसान काम नहीं है, विकास-नीति के मुख्य तत्व या घटक इस प्रकार हैं

(1) जहां तक सम्भव हो, नए उद्योगों को बड़े और अधिक घने बसे नगरों से दूर स्थापित किया जाए।

(2) बड़े उद्योगों के आयोजन में, क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में, आयोजन वर्तमान क्षेत्र की परिधि से बाहर बड़े क्षेत्र को ध्यान में रख कर होना चाहिए, जिसके विकास के लिए नया उद्योग मुख्य केन्द्र बन सके।

(3) सामुदायिक विकास-परियोजनाओं में या जिले के ही अन्य क्षेत्रों में, विकास के ग्रामीण और शहरी घटक परस्पर एक समग्र योजना के अंग में सम्बद्ध हो तथा प्रत्येक मामले में योजना का आधार नगरों और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में परस्पर आर्थिक निर्भरता को बल प्रदान करना हो।

(4) प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए कि खेती पर ही अत्यधिक निर्भर रहने के स्थान पर लोग अधिकाधिक पेशों के विविधता-पूर्ण ढांचे को अपनाएं।

आगामी दशाब्दी में शहरी समस्या के सम्भावित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस समय जो स्थिति है, उसको ठीक किया जाए तथा भविष्य के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, जिससे जो भी समस्या सामने आए, उसके लिए ठीक कदम उठाया जा सके।

27 शहरी विकास का व्यय : तेजी से बढते नगरो में जीवन की स्थितियो में जो बिगाड आता जा रहा है, उसका कारण शहरी विकास का—विशेषत जल-आपूर्ति, गन्दे पानी की निकासी के लिए नालिया, परिवहन एव अन्य सेवाओ का—अत्यधिक व्ययसाध्य होना है। यह स्थिति बेकारी, अत्यधिक भीडभाड, गन्दी बस्तियो के बढने और इस तथ्य के कारण और भी अधिक विषम हो गई है कि अनेक नगरो में पर्याप्त बडी सख्या में लोगो के लिए आश्रय की व्यवस्था नही है। समस्याए आकार-प्रकार, दोनो में ही विशाल और जटिल है। इनका समाधान दो ही प्रकार से हो सकता है प्रथम यह, कि न केवल राज्य-सरकारें, अपितु नगरपालिका-प्रशासन और जनता भी इसकी विकरालता को समझें, और दूसरा यह कि सामुदायिक प्रयत्नो को और नागरिको के इसमे भाग लेने को अधिकाधिक बढाया जाए। कुछ ऐसे न्यूनतम निर्देश है, जिन पर तीसरी योजना में कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमे कम-से-कम भविष्य में एक उचित मार्ग निश्चित हो सके। ये है

(1) सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि के अधिग्रहण-द्वारा तथा उचित वित्तीय नीतियो-द्वारा शहरी भूमि के मूल्यो पर नियन्त्रण,

(2) भूमि के प्रयोग के बारे में भौतिक आयोजन और मास्टर प्लानो का निर्माण,

(3) आवासो तथा नगरो को उनकी आवश्यकताओ के अनुसार प्रदान की जाने-वाली विभिन्न सेवाओ के लिए एक उचित मानदड का निर्धारण, साथ ही ये सेवाए कितनी अधिक आवश्यक है, इसका भी मानकीकरण, और

(4) विकास की नई जिम्मेदारियो को उठाने के लिए नगरपालिका-प्रशासन को सक्षम बनाना।

28 शहरी भूमि के मूल्यो का नियन्त्रण : मकानो के एव अन्य प्रकार के खर्चो में वृद्धि का तथा निम्न आयवाले वर्गों के हित के लिए हाथ में लिए गए विकास-कार्यों की गति को मन्द करने का सर्वाधिक मुख्य कारण भूमि की कीमतो का बहुत अधिक बढ जाना है। भूमि के मूल्यो में सामान्य वृद्धि के अलावा वृद्धि का एक मुख्य कारण सट्टेबाजी है। कुछ नगरो में नए उद्योगो तथा नए सरकारी और अन्य निजी कार्यालयो की स्थापना एक ऐसा प्रभावशाली तत्व है, जिससे भूमि की सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। चूकि सारे देश में द्रुत गति से आर्थिक विकास हो रहा है तथा इसका प्रभाव सभी दिशाओ में पड रहा है, इसलिए भूमि का मूल्य बढानेवाले तत्व प्राय सभी शहरी क्षेत्रो में विद्यमान है। अनेक शहरी क्षेत्रो में इस बात की आवश्यकता है कि भूमि के मूल्यो की वृद्धि को रोकने और बडे पैमाने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि-अधिग्रहण के हेतु कानूनी एव अन्य प्रकार के कठोर कदम उठाए जाए। स्थिति के अनुसार, बिना किसी अपवाद के, प्रत्येक नगर में शहरी भूमि और सम्पत्ति पर कराधान, आदि के द्वारा उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

29 भूमि के मूल्यो में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम तभी सफल हो सकते है, जब भूमि के प्रयोग के बारे में मुख्यत राजधानियो एव बडे और विकासशील नगरो तथा नए औद्योगिक कस्बो में, कठोर नियम बनाए जाए। आगे चल कर मास्टर प्लानो के निर्माण की जो बात कही गई है, वह ऐसे ही नगरो के लिए विशेष महत्व की है। भूमि के बढते हुए मूल्यो पर नियन्त्रण के लिए अगले पृष्ठ पर दिए हुए मुख्य कदम उठाए जा सकते है।

(1) सार्वजनिक अधिकारियों-द्वारा शीघ्र भूमि-अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए भूमि के मूल्यों को कम करने-सम्बन्धी आदेश जारी करना।

(2) सट्टेबाजों को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी अधिकारी अन्तरिम सामान्य प्लानों के अधीन भूमि का अधिग्रहण और विकास करें। भूमि का अधिग्रहण बड़ी मात्रा में कर लिया जाना चाहिए, हालांकि कहीं-कहीं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, अधिग्रहण को क्रमशः भी करना पड़ सकता है। अधिग्रहण की कार्यवाई शीघ्र होनी चाहिए। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी यथासम्भव सरल होनी चाहिए। अधिग्रहण की गई भूमि का शीघ्र विकास करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था सार्वजनिक अधिकारी करें। सरकारी अधिकारियों-द्वारा किए गए विकास-कार्यों के अतिरिक्त उचित नियमों के अधीन सहकारी समितियों और निजी अभिकरणों का भी इस कार्य में लाभ उठाया जाना चाहिए।

(3) भूमि का आवटन लीज के आधार पर होना चाहिए। एक नियम के रूप में सार्वजनिक अधिकारियों-द्वारा अधिगृहीत भूमि को केवल लीज पर ही दिया जाना चाहिए, ताकि भूमि के किराए के रूप में आवर्तक आय के अतिरिक्त, भूमि के मूल्य में जो वृद्धि हो, उसका लाभ भी समाज को मिलता रहे।

(4) कृषि-भूमि के कृषि-भिन्न कार्यों के लिए प्रयोग पर खुशहाली उपकर और कर हों। राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए ये राजस्व के उत्तरोत्तर बढ़नेवाले साधन हैं, परन्तु कुछ राज्यों में इस दिशा में जो कानून हैं, वे अपर्याप्त हैं।

(5) फ्री-होल्ड भूमि के हस्तान्तरण पर पूंजी-कर।

(6) विकसित क्षेत्रों में खाली पड़े प्लाटों पर कर, और यदि उन पर एक नियत अवधि में मकान न बनाया गया, तो उनके अधिग्रहण का अधिकार।

(7) व्यक्तिगत प्लाटों के आकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, और एक व्यक्ति अधिकतम कितने प्लाट रख सकता है, इसकी भी संख्या निश्चित करना।

(8) किराए के उचित ढांचे या स्वरूप का निर्धारण तथा किरायों का नियमन और नियन्त्रण।

योजनाबद्ध शहरीकरण के प्रस्तावों के आधार में यही कदम हैं तथा उच्चतम प्राथमिकता के रूप में इनको ठोस रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

30 **मास्टर प्लानों का निर्माण** · नगरों एवं कस्बों के व्यवस्थित विकास के लिए नगर-आयोजन अपरिहार्य है। इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में अन्तरिम आम प्लाटों का निर्माण है, जिसमें विकास की जानेवाली भूमि के प्रयोग का सामान्य स्वरूप भी निर्धारित हो। इसके बाद शहरी और क्षेत्रीय विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाए जाने चाहिए। सर्वप्रथम बड़े नगरों, राज्यों की राजधानियों, बन्दरगाहों, नगरों, नए औद्योगिक केन्द्रों तथा अन्य बड़े और बढ़ते हुए नगरों के लिए, जहां पर सामान्यतः स्थिति के अधिक

बिगडने का भय है, मास्टर प्लान बनाए जाने चाहिए। तीसरी योजना की अवधि के लिए ऐसे नगरो* की एक अस्थायी सूची बनाई गई है। वर्तमान नगरो के पुनर्विकास और नए शहरो के निर्माण के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रादेशिक आधार पर काम हो। सामाजिक और आर्थिक विकास में उचित सन्तुलन के लिए तथा विकासशील नगर-समाज के जीवन में अधिक सांस्कृतिक एकता और सामाजिक अखडता के लिए यह आवश्यक है। पास-पड़ोस की परिस्थितियो पर अधिक ध्यान देने तथा जनता की दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताओ को समझने से सभी नागरिको मे परस्पर सौहार्द की भावना पैदा होगी और शहरी जीवन में अधिक तारतम्य का निर्माण होगा।

31 मास्टर प्लान के निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी राज्य-सरकारो और सम्बद्ध स्थानीय प्रशासन की है। तीसरी योजना में इन नगरो का मास्टर प्लान बनाने के लिए केन्द्र-द्वारा राज्य-सरकारो को सहायता देने की सीमित व्यवस्था की गई है। इस बारे में प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि नगरो और गावो के आयोजन के लिए उचित कानून बनाया जाए। यह भी आवश्यक है कि राज्य-सरकारें नगर-आयोजन सगठन बनाए, जिनमें काफी प्रशिक्षित कर्मचारी हो। केन्द्रीय प्रादेशिक और नगर-आयोजन सगठन राज्य-सरकारो को तथा नए नगरो की स्थापना से सम्बद्ध सगठनो को मास्टर प्लानो के निर्माण में तथा शहरी और प्रादेशिक विकास की उचित नीतियो के निर्धारण में सहायता दे सकता है।

32 मानदंड : अधिकाश जनता की आवास-सम्बन्धी समस्याओ के समाधान के लिए तथा गन्दी बस्तियो और अन्य बुराइयो को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सारे समाज की आवश्यकताओ को और उपलब्ध सीमित साधनो को दृष्टि में रखते हुए रिहायशी मकानो, कार्यालय-भवनो तथा अन्य सेवाओ के लिए एक न्यूनतम मानदड निश्चित किया जाए। यह भी वाछनीय है कि अधिकतम मानदड भी निर्धारित कर दिए जाए। इससे आवास पर किए गए पूजी-विनियोग का परिणाम समाज के लिए अधिक

* (अ) बडे नगर, राज्यों की राजधानियां और बन्दरगाह वाले नगर	(आ) औद्योगिक केन्द्र	(इ) साधन स्रोतो के क्षेत्र
अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, कोचीन, दिल्ली (बडे नगर का क्षेत्र) वृहत्तर बम्बई, वृहत्तर कलकत्ता हैदराबाद-सिकन्दराबाद, जयपुर, काडला, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, पटना, पूना, शिलाग, श्रीनगर, वाराणसी, विशाखापटनम और त्रिवेन्द्रम।	इलाहाबाद, आसनसोल, बरौनी, भद्रावती, भिलाई, बोकारो, चित्तरजन, कोयमुतूर डेहरी-आन-सोन, धनबाद, डिग्बोई, दुर्गापुर, गौहाटी, गोरखपुर, देवरिया, गुटूर, जमशेदपुर, काठगुदाम, मिर्जापुर, मुगलसराय, नगल, पनवेल, रांची, ऋषिकेश-हरिद्वार, राउरकेला, सिन्दरी, तिनसुकिया, विजयवाडा और वारंगल।	भाखडा-नंगल-क्षेत्र, दामोदर-घाटी, दंडकारण्य, राजस्थान-नहर-क्षेत्र और रिहन्द-क्षेत्र।

उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। ऐश्वर्यद्योतक भवनों के निर्माण एवं शहरी भूमि के दुरुपयोग को भी रोका जाना चाहिए, जिससे उतने ही खर्च में छोटे भवन बड़ी संख्या में बनाए जा सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य तरीके ये हैं (क) वित्तीय नीतियां अपनाना, जिनमें ऐसे स्थानीय कराधान भी हों, जिनका उद्देश्य ऐश्वर्य साधनयुक्त आवासों के निर्माण में पूंजी लगाने को निरुत्साहित करना हो, (ख) मकानों के डिजाइनों के बारे में परामर्श, (ग) स्थानीय निकायों के वर्तमान भवन-निर्माण-नियमों में इस प्रकार का परिवर्तन, जिससे न्यूनतम मानदंडों और शर्तों के साथ कम खर्च के घरों के निर्माण में सुविधा हो सके, (घ) भवनों के हिस्सों को पहले से ही अलग से बनाना, और (ङ) स्थानीय रूप से प्राप्त सस्ते साधनों का अधिक प्रयोग। राष्ट्रीय भवन-निर्माण-संगठन के कार्य का मुख्य पहलू मानदंडों का क्रमबद्ध अध्ययन और तदनुसार परामर्श देना है।

33 **नगरपालिका-प्रशासनों को सक्षम बनाना :** जहां तक स्थानीय स्तर का प्रश्न है, केवल नगरपालिका-प्रशासन ही शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक सेवाओं को, आवास-व्यवस्था के विस्तार को और जीवन की स्थितियों में सुधार के काम को सन्तोषजनक ढंग से हाथ में ले सकते हैं। अधिकांश नगरपालिका-प्रशासन इतने समर्थ नहीं हैं कि इन कार्यों को अपने हाथ में ले सकें। इन्हें साधनों एवं कर्मचारियों में वृद्धि तथा क्षेत्र और कार्यों में विस्तार के द्वारा समर्थ बनाना चाहिए। जहां चुने हुए नगरों के वर्तमान क्षेत्र समस्या के समाधान में सहायक नहीं हैं, वहां उनके क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। विकासशील नगरों के बारे में प्रारम्भ से ही यह वाञ्छनीय है कि उनका नगरपालिका-क्षेत्र छोटा न रख कर बड़ा रखा जाए, जिससे भविष्य में नगर को तथा उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को अलग अधिकार-क्षेत्र के कारण आनेवाली बाधाओं के बिना समन्वित रूप से विकसित किया जा सके। नगरपालिका-प्रशासनों को सेवाएं प्रदान करने में अनिवार्य रूप से पहले से कहीं अधिक काम करना पड़ेगा। आशा है, भविष्य में अधिकांश नगरों की अपनी पृथक् विकास-योजनाएं होंगी तथा इन्हें राज्यों की योजनाओं से सुसम्बद्ध कर दिया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में प्रत्येक राज्य में देश के बड़े नगरों को छोड़ कर एक लाख या इससे अधिक जनसंख्यावाले नगरों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय ढांचों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

ग्रामीण आवास और आयोजन

34 ग्रामों में आवास की स्थिति का सुधार अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा, काम के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। ग्रामीण जीवन को नया रूप देने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी, समस्या के विशाल होने तथा सम्भावित परवर्ती कठिनाइयों के कारण, ग्रामों में आवास-स्थितियों के सुधार के काम को, एक पृथक् लक्ष्य न समझ कर, ग्रामीण विकास की एक बड़ी योजना के अंग के रूप में समझना चाहिए। परिणामतः ग्रामीण आवास सहजात रूप से सामुदायिक विकास और ग्रामीण आयोजन का एक अंग है। ग्रामीण आवास के विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य खंड और ग्राम-स्तर पर तकनीकी परामर्श, प्रदर्शन, सुधरे हुए डिजाइनों और ले-आउट की व्यवस्था, स्थानीय सामान के अच्छे प्रयोग और कुछ सीमा तक वित्त की व्यवस्था, आदि के द्वारा सामुदायिक विकास-आन्दोलन के साधनों में वृद्धि करना है। इसका अनिवार्य उद्देश्य

ग्रामीण जनता के सभी वर्गों के लिए स्वस्थ वातावरण और परिस्थितियों के निर्माण में तथा सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन के विकास मे एक सन्तुलन बनाए रखने में सहायता देना है। सन् 1957 मे जिस आवास-कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया था, उस पर इसी पृष्ठभूमि में विचार और उसके कार्य की समीक्षा होनी चाहिए।

35 ग्राम-आवास-कार्यक्रम में चार से छः तक के समूहो में गावो को चुनने की और भौतिक, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करने के बाद इनके लिए ले-आउट प्लान बनाने की व्यवस्था है। ले-आउट प्लान पर कार्य तथा मकानो के पुनर्निर्माण का कार्य क्रमश हाथ में लिया जाता है, जिससे, 8-10 वर्षो मे सारे गाव का ही कायाकल्प हो जाए। मकानो के विभिन्न हिस्सो के निर्माण के लिए अलग-अलग सहकारी समितिया सगठित की गई है। निर्माण पर आनेवाले व्यय का 66⅔ प्रतिशत, जो 2,000 रु० से अधिक न हो, प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है। राज्य-सरकारो द्वारा निर्धारित मानदडो के अनुसार वर्तमान मकानो की मरम्मत व सुधार के लिए भी ऋण दिए जाते है। कार्यक्रम में गलियो, सामुदायिक भवनो, मकानो के लिए नए स्थानो और भीड़भाड को कम करने, आदि के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की व्यवस्था है। भवन-निर्माण के काम में आनेवाली सामग्री तथा निर्माण-तकनीक में सुधार के लिए अनुसन्धान करने और कार्यक्रम को अमली रूप देने के हेतु आवश्यक व्यक्तियो को प्रशिक्षण देने के लिए छः स्थानो में अनुसन्धान-सहित प्रशिक्षण-केन्द्र खोले गए हैं। राज्यो में ले-आउट प्लान और आदर्श डिजाइन, आदि बनाने के लिए जो ग्रामीण आवास-सगठन स्थापित किए गए है, उन्हें और सुदृढ बनाया गया है।

36 दूसरी पचवर्षीय योजना में 3,700 ग्रामो को चुना गया। उनमें से 2,000 का सामाजिक, आर्थिक और भौतिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 1,600 गावो के ले-आउट प्लान तैयार किए गए तथा 15,400 मकानो के निर्माण के लिए 3 6 करोड रु० के ऋणो की स्वीकृति दी गई। 13,000 मकान बन कर तैयार हो गए है तथा शेष निर्माण की विभिन्न अवस्थाओ में है।

37 दूसरी योजना में ग्राम-आवास-कार्यक्रम पर अमल के समय यह देखा गया कि सब जगह नियम के रूप मे अलग-अलग गावो को लिया गया, जब कि कार्यक्रम में ग्राम-समूहो को लेने पर बल दिया गया था। यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक ग्राम-समूह पर काम किया जाएगा, तभी ईंटो का भट्ठा लगाना तथा निरन्तर माग के कारण सहकारिता के आधार पर मकानो के हिस्सो को बनाने की व्यवस्था करना सम्भव हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों मे आवास-कार्य का नियोजन में वृद्धि और आसपास की परिस्थितियो में सुधार-सम्बन्धी पूरा परिणाम तब तक प्राप्त नही किया जा सकता, जब तक कार्यक्रम को निकटवर्ती ग्राम-समूहो में क्रमबद्ध रूप से प्रारम्भ नही किया जाता। इस समय सामान्य रूप में चुने हुए गावो के ले-आउट प्लान तैयार किए जा रहे है। इनमें ग्राम-स्थान के विस्तार, गावों की सुधरी हुई गलियो और नालियो, तथा स्कूल, बच्चों के खेलने के लिए मैदान और 'पचायत-भवन'-जैसी ग्राम सुविधाओ की व्यवस्था है। परन्तु अभी इस दिशा मे जितना चाहिए, उतना नही किया जा रहा है, और जो उपलब्ध राशि है, उसका उपयोग मुख्यत छोटे घरो के निर्माण या मरम्मत में किया जा रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि ग्राम-आवास-कार्यक्रम के अधीन प्रदान की गई राशि को सर्वप्रथम ग्राम-स्थान के विस्तार, नक्शे

और नालियो में सुधार तथा सारे ग्राम-समाज के लिए उपयोगी और आवश्यक कार्यों में लगाया जाए। मकानों में सुधार ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धि पर निर्भर करता है। जहां तक सम्भव हो सके, ग्राम-समाज को ही आपसी व्यवस्था से द्वारा आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करनी चाहिए। फिर भी, ग्राम-समाज को कृषि-मजदूरों और हरिजनो के मकानो के लिए स्थान प्राप्त करने में कुछ सीमा तक सहायता दी जानी चाहिए। ग्राम-आवास को सुधारने के कार्यक्रम में प्रथम स्थान हरिजनो, कृषि-मजदूरो और समाज के उस वर्ग के लोगो के आवास को देना चाहिए, जिनके घरो की अवस्था अत्यधिक दयनीय है। परिगणित आदिम जातियो और परिगणित जातियो को खास तौर पर ग्राम-आवास-कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध सहायता के अतिरिक्त पिछड़ी जातियों के कल्याण-कार्यक्रम के भी अन्तर्गत सहायता-अनुदान के रूप में मदद दी जाती है। इन दोनों कार्यक्रमों में निर्दिष्ट व्यवस्थाओ का समन्वित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

38 राज्यो में स्थापित ग्रामीण आवास-संगठन और अनुसन्धान-सहित प्रशिक्षण-केन्द्र देश के विभिन्न भागो के लिए उपयुक्त आवासों के डिज़ाइन बनाने और स्थानीय सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में खोज करने में लगे हैं। इस दिशा में काम और अधिक जोर देकर किए जाने की आवश्यकता है। सामान्यत प्रवृत्ति यह है कि स्थानीय सामग्री के प्रयोग, निर्माण-व्यय में मितव्ययिता, गाव की सांस्कृतिक परम्पराओ और पृष्ठभूमि को तथा ग्रामीण जीवन की औपचारिक आवश्यकताओ पर पर्याप्त बल दिए बिना ही शहरी ढग के ईंट और सीमेंट के मकान बनाने प्रारम्भ कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही सड़को और नालियो को सुधारने, ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए भूमि, आदि के योगदान पर और सुधरे हुए मकान बनाने में पारम्परिक सहायता के लिए सामुदायिक प्रयत्नों पर भी जितना बल दिया जाना चाहिए, उतना नही दिया जाता है। ग्रामीण-आवास समस्या का स्वरूप इतना विशाल है कि इस मद में दी गई और राशि का भी, जो कि आवश्यक है, कोई विशेष प्रभाव नही पड़ेगा। समस्या मुख्यत उन्नत और अच्छे जीवन के लिए एक व्यापक आकांक्षा पैदा करने, ग्रामीण परिस्थितियो को सुधारने के लिए व्यावहारिक तरीके निकालने और अपेक्षतया कम मूल्य पर, सहकारी आत्म-सहायता, सामुदायिक प्रयत्न और योगदान एव स्थानीय भवन-निर्माण-सामग्री के आधार पर अच्छे मकानो का निर्माण करने की है।

39 तीसरी योजना में यह आवश्यक होगा कि इस कार्यक्रम को सामुदायिक विकास की अन्य योजनाओ यथा जल-आपूर्ति, सड़को, नालियो का निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि से सम्बद्ध किया जाए। यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण आवास-कार्यों का ग्रामीण विकास के अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमो के साथ तालमेल बिठाया जाए, जिससे ग्राम-आवास-कार्यक्रम के अधीन चुने हुए ग्रामो को उपलब्ध साधनो के सीमित होने पर भी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए, परिगणित जातियो और परिगणित आदिम जातियो की जीवन-स्थिति को सुधारने के कार्यक्रम के अधीन दिए जानेवाले सहायता-अनुदान को इस योजना के अधीन चुने हुए गावो में रहनेवाली उक्त जातियो के सदस्यों को प्रदान किया जाए। जहा तक सम्भव हो सके, इन चुने हुए गावो में ग्रामोद्योग और लघु उद्योग भी स्थापित किए जाने चाहिए। ईंटो के भट्ठो और मकानो के हिस्सो—यथा, दरवाजे, खिड़कियां, आदि—के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सहकारी समितियो का गठन

किया जाना चाहिए तथा उन्हें लकडी और कोयले का चूरा, आदि सामग्री और तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए ।

40 विशाल परती भूमियो को कृषि-योग्य बनाने तथा नए कृषि-क्षेत्रो के विकास के कारण अनेक नए ग्रामो का निर्माण हुआ है । इन ग्रामो के ले-आउट प्लान पहले ही तैयार कर लिए जाने चाहिए तथा उनका विकास योजनापूर्वक होना चाहिए । वर्तमान गावो में, जहा समस्या पुनर्विकास की है, कार्यक्रम की सफलता उनके समुचित चुनाव पर निर्भर करती है । योजना मे पहले से ही यह व्यवस्था है कि अन्य बातो की तुलना में इन बातो को प्राथमिकता दी जाएगी (क) ऐसे गाव, जो बाढग्रस्त क्षेत्रो में है, (ख) ऐसे गाव, जिनमें पिछडी जातियो और कृषि-मजदूरो की सख्या काफी है, (ग) ऐसे गाव, जिनमें चकबन्दी का कार्य पूरा हो गया है या सफलतापूर्वक किया जा रहा है, और (घ) ऐसे गाव, जिनके निवासी बडी विकास-परियोजनाओ या प्राकृतिक विपत्ति के कारण विस्थापित है । ऐसे गावों को भी, जिनमें काफी सख्या मे कारीगर रहते है, प्राथमिकता दी जानी चाहिए । ग्राम-आवास-कार्यक्रम के लिए उपयुक्त गाव का चुनाव करने में सहकारिता के आधार पर स्वावलम्बन, ग्रामीणो की ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए स्थान देने की इच्छा और हरिजनो एव पिछडी जातियो के आवास को प्राथमिकता देने-सम्बन्धी बातो पर मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए । चुने हुए गावो में, जिनमें उक्त शर्तें पूरी उतरती है, आवश्यक प्रयत्नो को सुचारु रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि सारे गाव के पुन - आयोजन के अनिवार्य कदम के रूप मे ग्राम-पचायत को गाव की गलियो और नालियो के सुधार के लिए कुछ सीमित वित्तीय सहायता दी जाए ।

41 खेतिहर श्रमिको के लिए आवास-स्थान - कुछ राज्यो में भूमि-सुधार के लिए जो कानून बनाए गए है, उनमें ग्राम-आवास-स्थलो की किराएदारी को मौरूसी या स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है । कुछ राज्यो में मुआवजा देने पर स्वामित्व के हस्तान्तरण की व्यवस्था है । यह आवश्यक है कि भूमि-व्यवस्था के लिए प्राथमिकता भूमिहीन कृषि-मजदूरो के परिवारो को दी जाए । इसके लिए यथासम्भव परती और भूदान में प्राप्त भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए । कुछ घनी आबादीवाले गावो मे, जहा गाववालो को ही अपने उत्तरदायित्व को स्वय समझने पर बल देना चाहिए [illegible] मजदूरो के आवास-स्थल के लिए भूमि का अधिग्रहण कर ग्राम-स्थान के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि प्रदान करना भी जरूरी है । राज्य-सरकारो को ऐसे गावो में, जहा भूमिहीन कृषि-मजदूरो की सख्या बहुत अधिक है, उनके आवास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए तथा जो कार्यक्रम उन्होने हाथ में ले रखे है, उनके लिए ग्रामीण आवास-[illegible] 5 करोड रु० का अनुदान देने की व्यवस्था है ।

आवास-सम्बन्धी आकडे

42 आयोजन की आवश्यकताओ को तुलना मे आवास-सम्बन्धी [illegible] वर्तमान स्थिति असन्तोषजनक है । केवल प्रति दस वर्ष बाद होनेवाली [illegible] कुल गृहस्थो या मकानो की सख्या के अतिरिक्त वर्तमान भवन-निर्माण [illegible] वर्ष नए बननेवाले मकानो, प्रयोग की जानेवाली भवन-सामग्री की मात्रा और [illegible] निर्माण-सामग्री का उत्पादन और खपत, और उनके [illegible]

आकडे उपलब्ध नही हैं । सन् 1961 की जनगणना में आवास-स्थिति के बारे में कुछ बुनियादी बातो की सूचनाए एकत्र की गई हैं । इन आकडो से देश के मकानो के बारे में एक विस्तृत सूची तैयार करने में सहायता मिलेगी ।

43 राष्ट्रीय भवन-निर्माण-सगठन केन्द्रीय और राज्यो के सार्वजनिक निर्माण-विभागो तथा अन्य विभिन्न निर्माण-अभिकरणो के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में आवास-सम्बन्धी अको के संकलन की व्यवस्था कर रहा है । अन्य क्षेत्रो में अको के वास्तविक सकलन का कार्य उचित अभिकरणो-द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए क्या तरीका और दृष्टि रखी जाए, इस प्रश्न पर केन्द्रीय भवन-निर्माण-सगठन और केन्द्रीय अक-सकलन-सगठन विचार करेगा । मकानो और निर्माण के बारे में अक-सकलन की असन्तोषजनक स्थिति को देखते हुए नवम्बर 1960 में केन्द्रीय स्वायत्त-शासन-परिषद् ने यह प्रस्ताव किया कि स्थानीय निकायो को अपने उप-नियमो में इस प्रकार का सशोधन करना चाहिए कि प्रार्थी के लिए दोनो ही समय, मकान बनाने के लिए स्वीकृति लेने समय तथा पूर्णता का प्रमाणपत्र जारी करने की माग करते समय, यह अनिवार्य हो कि वह खर्च एव अन्य बातो के बारे में विस्तार से सूचनाए दे । फरवरी 1961 मे केन्द्रीय अक-सकलन-सगठन ने राज्यो के अक-सकलन-ब्यूरो से प्रार्थना की थी कि वे नगर-निगमो और नगरपालिकाओ से एक समान ढग पर सूचनाए सग्रह करने के लिए कदम उठाए । केन्द्रीय अक-सकलन-सगठन ने इस बारे में जो स्वरूप सुझाया है, उसमें मकानो का सामान्य वर्गीकरण, निर्माण का आकार-प्रकार, क्षेत्र, अनुमानित व्यय, रिहायशी मकानो के सम्बन्ध में रहने की इकाइया तथा दीवारो, छत और फर्श के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री के बारे में सूचनाए प्राप्त करना शामिल है । चूकि यह विषय अत्यधिक जटिल है तथा इसका बडी सख्या में नगरो और कस्बो से सम्बन्ध है, इसलिए यह वाछनीय है कि सर्वप्रथम कुछ नगरों और कस्बो में ही भवन-सम्बन्धी सख्याओ के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था की जाए और इसके बाद अन्य नगरो में भी इसे बढाने के लिए विभिन्न चरणो में कार्यक्रम अपनाया जाए । यह लाभप्रद हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि भवन-सम्बन्धी ये सूचनाए नियमित रूप से भवन-निर्माण के नियम और उपनियमो के प्रशासन की सामान्य विधि के रूप में प्राप्त होती रहें ।

44 भवन-निर्माण के काम आनेवाली सामग्री की माग और सम्भरण का समय-समय पर सर्वेक्षण करने के लिए भी इस प्रकार की सामग्री के उत्पादन और खपत के आकडे आवश्यक हैं । इस्पात, सीमेंट, आदि सगठित उद्योगो के उत्पादन के आकडे तो उपलब्ध हैं, किन्तु ईंट, चूना, आदि सामग्री के बारे में, जिनका उत्पादन असगठित क्षेत्र में है, कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नही है । नियतकालिक नमूना-सर्वेक्षणो-द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है । भवन-निर्माण-सामग्री की खपत और आवश्यकताओ के बारे में, आकडो के कुछ विशेष प्रकार के अध्ययन के आधार पर, निर्माण के व्यय से सम्बद्ध तकनीकी अनुपात के प्रयोग से, अनुमान लगाया जा सकता है । कुछ प्रकार के अध्ययन देश में हो भी रहे हैं । इनके कार्य और क्षेत्र को विस्तृत करने की आवश्यकता है । कुछ चुनी हुई भवन-सामग्री के मूल्यों को तथा कुछ चुने हुए केन्द्रो में मजदूरी की दर के आकडों को भी नियमित रूप से एकत्र करना चाहिए तथा राष्ट्रीय भवन-निर्माण-सगठन और राज्यो के अक-सकलन-ब्यूरो को इन्हें प्रकाशित करना चाहिए ।

अनुसन्धान और प्रशिक्षण

45 विगत कुछ वर्षो में केन्द्रीय भवन-अनुसन्धान-संस्था में तथा कुछ अन्य केन्द्रो में आवास और निर्माण के क्षेत्र में काफी अनुसन्धान-कार्य हुआ है। सन् 1954 में स्थापना के बाद से राष्ट्रीय भवन-निर्माण-सगठन ने भी अनेक अनुसन्धान-परियोजनाए प्रारम्भ की तथा अनुसन्धान के परिणामो को लोगो तक पहुचाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार, मिट्टी की दीवारो पर पानी का असर न होने के लिए सामान और तकनीक के बारे में, ताप को रोकने के लिए दीवारो की मोटाई और छत की ऊचाई का प्रभाव, हल्के पार्टीशनों के लिए घटिया किस्म के जिप्सम के प्रयोग, निर्माण-सम्बन्धी कोलतार, खोखली ईंटो और खपरैलो, हल्की-फुल्की वस्तुओ के लिए फालतू लोहे, आदि के टुकडे-जैसे उत्पादनो का प्रयोग और घरो के डिजाइन तथा अन्य पहलुओ के बारे मे ऋतु-सम्बन्धी एव प्रादेशिक बातो के प्रभाव, आदि पर भी अनुसन्धान किए गए। भवन-निर्माण के खर्च में कमी करने तथा निर्माण में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि आवास और निर्माण के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जाए और इस समय जो कार्य हाथ में है, उनके लिए अधिक प्रयत्न किया जाए। इन लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का निर्माण-कार्य करनेवाले मजदूरो को प्रशिक्षण देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इस प्रशिक्षण-कार्य को अतीत की अपेक्षा कहीं अधिक जोरदार, व्यापक और क्रमबद्ध रूप से करने की आवश्यकता है। ग्रामीण आवास के लिए अनुसन्धान-सहित प्रशिक्षण-केन्द्रो का कार्य दूरगामी परिणामवाला है। ग्रामीण आवास के लिए नए डिजाइनो की खोज के परिणामो और स्थानीय भवन-निर्माण-सामग्री के पूर्णतर उपयोग को शिक्षण और क्रियात्मक प्रदर्शनो-द्वारा व्यवहार में लाना चाहिए।

46 नगरो और कस्बो में जनसख्या में भारी वृद्धि और अर्थव्यवस्था की प्रगति के कारण आवास तथा शहरी और प्रादेशिक विकास की समस्याओ का उत्तरवर्ती पच-वर्षीय योजनाओ में बडा महत्वपूर्ण स्थान होगा। इन समस्याओ का उचित समाधान सामाजिक स्थिरता और जन-साधारण का कल्याण, दोनो के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। ये समस्याए विभिन्न रूपो मे उन्नत और कम-उन्नत, दोनो ही प्रकार के देशो के सामने हैं। वर्षों के प्रयत्नो के बाद सयुक्त राष्ट्र-सघ, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो तथा विभिन्न अनुसन्धान-केन्द्रो और सस्थानो ने इस बारे में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है। राष्ट्रीय भवन-निर्माण-सगठन, जो पहले से ही एशिया और सुदूर-पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (इकाफे) के क्षेत्र मे गरम और शुष्क क्षेत्रो की समस्याओ के अनुसन्धान और अध्ययन के लिए प्रादेशिक आवास-केन्द्र के रूप मे कार्य कर रहा है, अन्य देशो और अन्तर्राष्ट्रीय अभि-करणो-द्वारा किए गए अध्ययन और परीक्षणो के परिणामो को भारत के विभिन्न भागो के निर्माण-अभिकरणो और सगठनो को उपलब्ध करा सकता है।

अध्याय 34

पिछड़े वर्गों का कल्याण

(1)

सामान्य तथ्य

अनुसूचित आदिम जातियो, अनुसूचित जातियो और अन्य पिछड़े वर्गों को शेष समाज के बराबर स्तर तक लाने से सम्बद्ध कार्यक्रमो का पहली और दूसरी योजनाओ की अवधि में हाथ में लिए गए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमो में स्थान था। इन कार्यक्रमो के क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त हुई, इसका मूल्याकन कर सकना एक मुश्किल काम है। सामाजिक सगठन और सामाजिक आचार-व्यवहार में दूरगामी परिवर्तन, उन वर्गों की स्थिति में सुधार, जिन पर कल्याण-कार्यो का सीधा प्रभाव पडता है, एव भारतीय समाज के ढाचे का, विशेष रूप से गावो में, पुनर्गठन करने के काम में प्रगति ही कल्याण-कार्यो की सफलता के मापदड हो सकते हैं। सविधान के अनुच्छेद 46 में इस निदेशक सिद्धान्त की व्यवस्था है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शिक्षा-सम्बन्धी और आर्थिक हित-साधन का विशेष ध्यान रखेगा, खास तौर पर अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो के हितो का, और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। सविधान में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो के लिए कुछ और भी सरक्षण हैं। आरम्भ में ये सरक्षण 10 वर्ष के लिए ही थे, परन्तु हाल में सविधान में सशोधन करके इन सरक्षणो की अवधि 10 वर्ष और बढा दी गई है। चूकि इन सरक्षणो से सम्बद्ध वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्रकट होती है, इसलिए ससद् की कारवाई दो प्रकार से महत्वपूर्ण है। पहली बात यह, कि अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम जातियो और अन्य पिछडे वर्गों का जीवन-स्तर उठाने की समस्या पहले के अनुमान से कही अधिक जटिल है तथा लम्बे समय तक निरन्तर प्रयत्न करके इसे सुलझाना होगा। दूसरी बात यह, कि देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के सतत और द्रुत विकास के साथ-साथ, कम-से-कम अगली दो-तीन योजनाओ में, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम जातियो और अन्य पिछडे वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयत्न तीव्र करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ये जातिया अन्य वर्गों के बराबर स्तर तक पहुच जाए। तीसरी योजना की अवधि में राज्यो और केन्द्र की ओर से चलाए जानेवाले विकास-कार्यक्रमो की इस दृष्टि से समीक्षा होती रहनी चाहिए और विभिन्न दिशाओ में योजना का प्रभाव बढाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। एक सगठित समाज की स्थापना तथा देश के लिए एक सुगठित अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में यह एक महत्व-पूर्ण और कठिन कार्य है।

2 सन् 1956 में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो की सूची पर पुनर्विचार हुआ था। इस आधार पर, सन् 1951 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित आदिम जातियो के सदस्यो की सख्या 2 करोड 25 लाख और अनुसूचित

जातिवालो की सख्या 5 करोड 50 लाख थी। असूचित (भूतपूर्व जरायम-पेशा) आदिम जातियो के सदस्यो की सख्या का अनुमान 40 लाख था। विभिन्न राज्यो में, स्थानीय कारणो से, कुछ और भी समूह पिछडे वर्गों में शामिल कर लिए गए है, जिनके हितो की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए है।

पचवर्षीय योजनाओ में पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए शामिल किए गए विकास-कार्यक्रमो का उद्देश्य उन वर्गों को कृषि-सहकारिता, सिचाई, छोटे उद्योग, सचार-साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ग्रामो में जल-आपूर्ति, आदि विभिन्न क्षेत्रो के विकास-कार्यक्रमो से मिलनेवाले लाभ के अलावा और भी फायदे पहुचाना है। पिछले दस वर्षों का अनुभव बताता है कि अनेक कारणो से, लाभ और आम तौर पर ये कमजोर वर्ग विभिन्न क्षेत्रो में होनेवाले विकास-कार्यक्रमो का पूरा लाभ नही उठा पाते। उन्हें उनका उचित हिस्सा प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि सहायता के सामान्य कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार उनकी ओर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जाए। यह विशेष व्यवस्था समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से पिछडे वर्गों, के लिए आवश्यक है। यह देखा गया है कि पिछडे वर्गों के लिए बनाए गए कुछ कार्यक्रमो में जितने धन की व्यवस्था की जाती है, उसका कुछ हिस्सा अतिरिक्त सहायता-अनुदान या सहायता का खर्च पूरा करने पर खर्च कर दिया जाता है, ताकि पिछडे वर्गों के लोग सामान्य विकास-कार्यक्रमो का लाभ उठा सकें। इसका परिणाम यह होता है कि पिछडे वर्गों के लिए जो विशेष व्यवस्था की जाती है, उसका पूरा उपयोग इन वर्गों के विकास से सम्बद्ध अतिरिक्त कार्यक्रमो में नही हो पाता। इस समस्या पर और भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जरूरी है कि एक ओर आम विकास-कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाए, जिससे पिछडे वर्गों के हितो की भी पर्याप्त रक्षा हो सके तथा दूसरी ओर योजना में उन वर्गों के लिए जो पृथक् व्यवस्था की गई है, उसका उपयोग उनके अतिरिक्त एव अधिक सघन विकास के लिए किया जाए।

3 पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए पहली योजना में 30 करोड रु० के व्यय की व्यवस्था की गई थी, जबकि दूसरी योजना में यह राशि 79 करोड रु० थी। तीसरी योजना में इन कार्यक्रमो के लिए 114 करोड रु० रखे गए है। विभिन्न वर्गों में इस राशि का वितरण इस प्रकार है

(करोड रु०)

	पहली योजना (व्यय)	दूसरी योजना (प्रत्याशित व्यय)	तीसरी योजना के कार्यक्रमों का अनुमानित व्यय
अनुसूचित आदिम जातिया	19 83	43	60 43
अनुसूचित जातिया	7 08	27 66	40 4
अनुसूचित आदिम जातिया	1 1	2 89	4
अन्य पिछड़े वर्ग	2 03	5 86	9 04
योग	30 04	79 41	113 87

अनुसूचित आदिम जातियो के कल्याण के लिए राज्यो की योजनाओं में की गई व्यवस्था के अलावा उत्तर-पूर्व सीमान्त-अभिकरण, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में, जहा

की प्राय सारी जनसंख्या अनुसूचित आदिम जातियों की है, विकास-कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में 40 करोड़ रु० से अधिक की व्यवस्था की गई है, जबकि दूसरी योजना में यह राशि 20 करोड़ रु० से कुछ ही अधिक थी।

4 तीसरी योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए रखी गई 114 करोड़ रु० की रकम में से लगभग 42 करोड़ रु० शिक्षा-विकास की योजनाओं के लिए, 47 करोड़ रु० आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए और 25 करोड़ रु० स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाओं के लिए हैं। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों की ही समस्या है, जिन्हें सामाजिक असमानताओं से भी न्यूनाधिक क्षति उठानी पड़ती है। अनुसूचित आदिम जातियों का अपना वर्ग है, जिसे समाज में खपा लेने में विशेष कठिनाइयां होने पर भी ऐसा करना बहुत आवश्यक है। एक तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था में अनुसूचित आदिम जातियां अन्य वर्गों से कटकर अलग-अलग नहीं रह सकतीं, जैसा कि वे विगत वर्षों में रहती आई हैं। उद्योगीकरण और सिंचाई तथा बिजली की परियोजनाओं के आरम्भ होने पर उनके सामने अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने और पुनर्वास की समस्या और भी जटिल हो गई है। यद्यपि कुछ समस्याएं सबके लिए समान हैं, तथापि देश के विभिन्न भागों में निवास कर रही अनुसूचित आदिम जातियों के अन्दर ही अनेक विभिन्नताएं हैं और इस कारण विभिन्न आदिम जाति-समूहों की विशिष्ट परिस्थितियों तथा समस्याओं को सदा ध्यान में रखना होगा।

(2)
अनुसूचित आदिम जातियां

5 आदिम जातियों और आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अपनायी जानेवाली व्यापक नीति की समीक्षा हाल में ही योजना की परियोजना-समिति-द्वारा स्थापित समाज-कल्याण एवं पिछड़ा-वर्ग-कल्याण अध्ययन-दल, विशेष बहूद्देशीय आदिम जातीय खंड-समिति, और केन्द्रीय आदिम जातीय कल्याण-परामर्शदाता-मंडल-द्वारा तथा उत्तर-पूर्व सीमान्त-अभिकरण और नागालैंड-जैसे आदिम जातीय क्षेत्रों के विशेष अध्ययनों के क्रम में की जा चुकी है। इनका सामान्य मत यही है कि जब देश की शेष जनता प्रगति कर रही है तथा भारत और विश्व तेजी से बदल रहे हैं, तब आदिम जातीय क्षेत्र बिल्कुल अलग कैसे रह सकते हैं। साथ ही, यह भी गलत होगा कि विकास के नाम पर इन क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रशासन आरम्भ कर दिया जाए और बहुत-सारे अधिकारियों तथा बाहरी लोगों को आदिम जातियों में काम करने के लिए भेज दिया जाए। अतः इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालने की आवश्यकता है।

6 शिक्षा, प्रशिक्षण-सुविधाओं की व्यवस्था, कृषि में सुधार, संचार-साधनों का विस्तार, स्वास्थ्य-सुधार, चिकित्सा की सुविधाएं और पीने के पानी की व्यवस्था करना आवश्यक और अनिवार्य, दोनों हैं। विकास के इन कार्यक्रमों के साथ आदिम जातियों को उनके अपने तौर-तरीकों और उनकी अपनी बुद्धि के अनुसार बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनकी परम्परागत कला और संस्कृति का वास्तविक रूप में आदर किया जाना चाहिए तथा बाहरी दबाव या आग्रह के बिना ही उन्हें सहारा दिया

जाना चाहिए। आदिम जातीय क्षेत्रो में प्रशासन और विकास का काम सम्भालने के लिए उन्हीं लोगो में से कुछ को तैयार और प्रशिक्षित करने के सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए। बाहर के कुछ तकनीकी कर्मचारियो को बुलाने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी—शुरू में तो यह और भी जरूरी होगा—परन्तु प्रयत्न यही होना चाहिए कि समाजसेवी और सरकारी अधिकारी, सभी स्थानीय जनता में से ही तैयार किए जाए। विगत अनुभव बताते है कि विकास-कार्यक्रमो पर अमल करने का निश्चय करते समय यह ध्यान रखा जाए कि कुछ छोटी-छोटी असम्पृक्त योजनाए न चलाई जाए, क्योंकि उनका विशेष प्रभाव नही पड़ता, इसके विपरीत बुनियादी महत्त्व के कुछ थोड़े से कार्यक्रमो पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि गरीबी कम की जा सके, नए हुनर सिखाए जाए, जनता का स्वास्थ्य सुधरे और जीवन-स्तर ऊचा हो, सामाजिक और सास्कृतिक मूल्यों एव मान्यताओ को आघात पहुचाए बिना सचार-साधनो का भी विकास हो तथा आदिम जातियो के अपने समाज में आपसी दायित्वो, नेतृत्व की परम्परा, आदि को भी कोई ठेस न पहुचे।

7 विकास-कार्यक्रमो को अमल में लाने के मार्ग में बहुत-सी व्यावहारिक कठिनाइया और बन्धन प्रकट होते है। उदाहरण के लिए, स्थानीय कर्मचारियो या सचार-साधनो की कमी होने पर विकास-कार्यों में लगे कर्मचारियो तथा जातीय परम्परानुसार मान्य प्रथाओ और नेतृत्व के बीच सम्बन्धो में सदैव ही आदिम जातियो के बारे में ऊपर लिखी विभिन्न नीतियो का पालन नही किया जा सकेगा। फिर भी, इन नीतियों से विकास-कार्यक्रम बनाने और उन पर अमल करने के कार्य का मोटे तौर पर मार्गदर्शन हो सकेगा। समस्याओ का विशिष्ट रूप देखकर ही सविधान के अनुच्छेद 339 में यह व्यवस्था की गई थी कि सविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर ही एक आयोग की स्थापना की जाए, जो अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन और राज्यो में अनुसूचित आदिम जातियो के कल्याण के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करे। अप्रैल 1960 में स्थापित अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग ने हाल में ही 9 राज्यो (आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, पजाब और राजस्थान) और एक केन्द्रशासित क्षेत्र (हिमाचलप्रदेश) के कार्यों के बारे में एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में आयोग ने अन्य बातो के अलावा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रश्नो की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है

(1) अधिकाश राज्यो में आदिम जातियो के हितों की रक्षा करने तथा बाहरी व्यक्तियो-द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए की गई व्यवस्था ने सन्तोष-जनक ढग से काम नही किया है। महाजनो, वनो के ठेकेदारो और अन्य शोषकों की अवाछनीय कार्रवाइयो से आदिम जातीय क्षेत्रो में जमीन का स्वामित्व बड़े पैमाने पर बदलता रहा है। वनो के पुनर्गठन तथा नई नीतिया निर्धारित होने से वनो, मछली पकड़ने और शिकार में आदिम जातियो के अधिकार कम हो गए है। बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में औद्योगिक और अन्य विकास-योजनाओ के कारण बहुत-से आदिम जातिवालो को घर-बार छोड़ना पड़ा है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्रो

की व्यवस्था मजबूत करने तथा कुछ मामलो में उसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।

(2) आदिम जातीय क्षेत्रो में काम करनेवाले लोगो—विशेष रूप से, आदिम जाति-कल्याण-अधिकारियो, तकनीकी विशेषज्ञो और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओ—की आवश्यक सख्या के बारे में पूरी तरह अनुमान नही लगाया गया है। कल्याण-कार्यक्रमो को अमल में लाने के क्षेत्र में इसी कारण बाधाए उपस्थित होती है। आवश्यकताओ का दीर्घकालीन अनुमान लगाए बिना कर्मचारियो की भरती असन्तोषजनक सिद्ध हुई है। अनुसूचित क्षेत्रो में प्रशिक्षित कर्मचारियो की कमी की शिकायत निरन्तर बनी रही है। इन क्षेत्रो में काम करनेवालो को आदिम जातियो के तौर-तरीको से भली प्रकार परिचित होना चाहिए और उनकी कमियो, अयोग्यताओ, आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। गैर-आदिम जातीय क्षेत्रो के ढग के विकास-कार्यक्रम आदिम जातीय क्षेत्रो में प्रभाव डालने या प्रगति करने में सामान्यत असफल रहे है। अत विशिष्ट सस्थाओ और अन्य माध्यमो से आदिम जातीय क्षेत्रो में विभिन्न स्तरो पर काम कर रहे कर्मचारियो को परिचयात्मक प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। कठिन परिस्थितियो में काम करनेवाले कर्मचारियो को विशेष भत्ते, आदि देने की समस्या का भी सन्तोषजनक हल ढूढा जाना चाहिए।

(3) आदिम जातीय क्षेत्रो में अनेक ऐसी समस्याए उत्पन्न होती है, जिनका वैज्ञानिक ढग पर मूल्याकन और अध्ययन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आदिम जातीय क्षेत्रो में उद्योगीकरण का प्रभाव, भूमि की बेदखली की दर, ऋण आदि की विभिन्न प्रणालियो, विशिष्ट विकास-योजनाओ एव आश्रम-विद्यालयो, वन-श्रमिक सहकारी सस्थाओ, अनाज-गोलो, आदि का आदिम जातियो की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, आदि कुछ ऐसी समस्याए है।

(4) आदिम जातीय क्षेत्रो के विकास में गैर-सरकारी स्वैच्छिक सगठनो का बडा महत्त्व है। इन सगठनो को सावधानीपूर्वक बनाए गए एव अन्य गतिविधियो से समन्वित कार्यक्रमो के आधार पर भरपूर सहायता दी जानी चाहिए।

वर्तमान व्यवस्थाओ पर आयोग की सिफारिशो के प्रकाश में आगे विचार किया जाना चाहिए और जहां कही आवश्यक हो, उनमें सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

तीसरी योजना के कार्यक्रम

8 दूसरी योजना के दौरान आदिम जातीय क्षेत्रो में विभिन्न विकास-योजनाए शुरू की गई। आर्थिक उन्नति के कार्यक्रम में भूमि की व्यवस्था, भूमि-पुनरुद्धार, बीज-वितरण, प्रदर्शन-फार्मो की स्थापना, सेवा-सहकारी और वन-श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना तथा सचार-साधनो में सुधार भी शामिल है। शिक्षा-सम्बन्धी

कार्यक्रम में वजीफो, फीस की माफी और अनुदान के अन्य तरीको, मैट्रिक से पहले और बाद में छात्रवृत्तियो, नए विद्यालयो, जिनमें आश्रम-पद्धति के विद्यालय भी शामिल है, की स्थापना, तथा कृषि एव औद्योगिक हस्तकलाए सिखाने की व्यवस्था पर बल दिया गया। पीने के पानी की व्यवस्था करने, आवास-स्थिति सुधारने, औषधालय, प्रसूति एव शिशु-कल्याण-केन्द्र खोलने तथा चलते-फिरते स्वास्थ्य-केन्द्र आरम्भ करने की योजनाओ पर भी अमल किया जा रहा है।

9 दूसरी योजना में प्राप्त अनुभव के प्रकाश में एक विशेष कार्यकारी दल ने उन सामान्य सिद्धान्तो पर विचार किया, जिनके आधार पर तीसरी योजना के कार्यक्रम तैयार किए जाने थे। यह सिफारिश की गई है कि आर्थिक उन्नति के कार्यक्रमो में, भ्रमण कर खेती करने में जुटे हुए लोगो के आर्थिक पुनर्वास, अनुसूचित आदिम जातियो की सहकारी सस्थाओ-द्वारा वनो का कार्य-सचालन करने और आदिम जातीय किसानो एव शिल्पियो को उनका माल बेचने में सहायता पहुचाने के लिए बहूद्देश्यीय सहकारी सस्थाए स्थापित करने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित धन-राशि में से आदिम जातीय क्षेत्रो में भूमि-सुधार, भूमि-पुनरुद्धार और मिट्टी-सरक्षण, छोटी सिचाई, उन्नत बीजो, खादो, उपकरणो तथा बैलो के वितरण, प्रशिक्षण-सुविधाओ, उन्नत तरीको के प्रदर्शन, पशुधन, मछलीपालन, मुर्गीपालन, सूअरपालन तथा भेडपालन के विकास, प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्रो की स्थापना तथा कुटीर उद्योगो में लगे हुए ग्रामीण शिल्पियो को सहायता और सलाह देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा-कार्यक्रम में, सामान्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरो पर भी छात्रावासो और छात्रवृत्तियो की व्यवस्था होनी चाहिए। तकनीकी प्रशिक्षण में भी छात्रवृत्तियो और फीस-माफी की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य राजपथो का निर्माण सामान्य विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत होना चाहिए और अनुसूचित आदिम जातियो के लिए निर्धारित धन-राशि दुर्गम स्थानो पर पहुचने के लिए नालों, पुलियो और पुलो के निर्माण, बडी सड़को को मिलानेवाली छोटी सडको तथा जगल से गुजरनेवाली जीप-यात्रा-योग्य सड़को के निर्माण, दूरस्थ और दुर्गम स्थानो से सम्बन्ध जोड़नेवाले सचार-साधनो की मरम्मत, आदि पर ही खर्च होनी चाहिए। चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि हर क्षेत्र में वहा की खास बीमारियो के लिए निरोधक कार्रवाइयो, चलती-फिरती चिकित्सा-इकाइयो की स्थापना, प्रसूति एव शिशु-कल्याण-केन्द्र तथा दुर्गम इलाको में पीने के पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

10 राज्यो की योजनाए आम तौर पर ऊपर लिखे सुझावों के अनुसार ही बनाई गई है। फिर भी, उन पर दो पहलुओं से पुनर्विचार की आवश्यकता है (क) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग की सिफारिशो के आधार पर कार्यक्रमो को मजबूत बनाना, तथा (ख) यह देखना कि विशेष धन-व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त कार्यक्रमो के लिए हो, न कि विकास की सामान्य योजनाओ के अन्तर्गत पिछडे वर्गो को उपलब्ध की जानेवाली सहायता के स्वरूप-परिवर्तन-मात्र के लिए। अनिवार्यत इन वर्गों के हितो के लिए आवश्यक समझी जानेवाली रिआयतें

उन योजनाओं में ही निहित होनी चाहिए और उनके लिए पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ विशेष रूप से निर्धारित सीमित धन-राशि पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए।

11 योजना में आदिम जातीय विकास-खंडों के एक विशाल कार्यक्रम की व्यवस्था है। इनका उद्देश्य आदिम जातीय क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के सामान्य ढांचे के आधार पर समन्वित और सघन विकास करना है, परन्तु इनमें आदिम जातियों की परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा संशोधन कर दिया गया है तथा अतिरिक्त साधन की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना में इस कार्यक्रम के अधीन कुल 43 विकास-खंड आए थे और हर खंड के लिए 27 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। इसमें से 12 लाख रु० की व्यवस्था सामुदायिक विकास के अन्तर्गत तथा शेष 15 लाख रु० की व्यवस्था गृह-मन्त्रालय की ओर से की गई थी। अब इस योजना में परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि पहले चरण में इन खंडों में से प्रत्येक को 22 लाख रु० (गृह-मन्त्रालय का योगदान 10 लाख रु०) मिलें तथा दूसरे चरण के 5 वर्षों में 10 लाख रु०। इसमें से 5 लाख रु० सामुदायिक विकास की ओर से मिलेंगे और 5 लाख रु० गृह-मन्त्रालय की ओर से। विशेष बहूद्देश्यीय आदिम जातीय खंड-समिति की सिफारिशों के अनुसार इन क्षेत्रों की विकास-योजना को और उदार बना दिया गया है। अब यह कार्यक्रम केवल आदिम जातीय क्षेत्रों में ही लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि उन क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा, जहां आदिम जातीय लोगों की संख्या कुल आबादी का दो-तिहाई या अधिक भाग होगी। अब जो कार्यक्रम अपनाया गया है, उसमें प्राप्त साधनों के विभिन्न कामों में वितरण का सविस्तर विवरण देने के बजाय यह निश्चित कर दिया गया है कि 60 प्रतिशत धन आर्थिक उन्नति पर, 25 प्रतिशत संचार-साधनों पर और 15 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि पीने के पानी की समस्या को अधिक अच्छी तरह हल करने के लिए आर्थिक उन्नति के खाते में से कुछ राशि इस पर खर्च कर दी जाए। तीसरी योजना में कुल 300 आदिम जातीय विकास-खंडों की व्यवस्था है।

12 हाल के विचार-विमर्श के फलस्वरूप उन बुनियादी आवश्यकताओं और वातावरण के सम्बन्ध में एकमत स्थापित हो गया है, जिनमें आदिम जातीय विकास-खंडों के कार्यक्रमों का सफल संचालन हो सकता है। इनमें प्रमुख हैं सावधानी से आयोजन, कार्यक्रमों में समन्वय, आदिम जातीय समुदायों की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा विषयज्ञान कराना, विशेष निर्धन और अधिक दुर्गम क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना, भूमि और जंगलों पर आदिम जातीय लोगों के अधिकारियों का समादर, तथा परम्परागत आदिम जातीय संगठनों और नेताओं का विकास-कार्यक्रमों की कार्यान्विति में सक्रिय सहयोग प्राप्त करना। आदिम जातीय विकास-खंडों के कार्यक्रम को एक केन्द्र-संचालित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस वर्ग के अन्य विकास-कार्यक्रमों में सहकारिता (वन-सहकारी समितियों-सहित), हाट-व्यवस्था-सह-उपभोक्ता-सहकारी समितियों, मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियों, आदिम जातीय-अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशिक्षण, अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण आदि का स्थान है।

13 जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अनुसूचित आदिम जातियो से सम्बद्ध कार्यक्रम पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग के अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आयोग ने 9 राज्यो और एक केन्द्रशासित प्रदेश के बारे में दी गई अपनी अन्तिम रिपोर्ट में 73 करोड रु० की व्यय-राशि की सिफारिश की है, जबकि योजना में फिलहाल (राज्यो और केन्द्रीय कार्यक्रमो को मिला कर) कुल 54 करोड रु० की व्यवस्था है। नीचे की तालिका में सभी राज्यो और केन्द्रशासित प्रदेशो के लिए की गई व्यवस्था तथा आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में वर्णित क्षेत्रो के लिए की गई सिफारिश की तुलना की गई है

(करोड रु०)

	सब राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश	9 राज्य और एक केन्द्रशासित प्रदेश	
	तीसरी योजना में व्यवस्था	तीसरी योजना में व्यवस्था केन्द्र एवं राज्य	अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति-आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में व्यय-सम्बन्धी सिफारिश
शिक्षा	14 48	12 26	15 [redacted]
आर्थिक उन्नति	37 12	34 39	46 07
स्वास्थ्य, आवास एव अन्य योजनाए	9 55	6 99	9 45
योग	61 15	53 64	72.9

आयोग ने यह भी सकेत दिया है कि कुछ और क्षेत्रो को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इनके लिए कुछ पूरक साधनो की आवश्यकता पड सकती है। विकास-कार्यक्रमो के सम्बन्ध में आयोग के प्रस्तावो के कारण, जिन पर सावधानी-पूर्वक विचार किया जाएगा, कुछ और साधनो की आवश्यकता पड सकती है। उचित समय पर इन बातो पर भी विचार किया जाएगा कि अनुसूचित आदिम जातियों के लिए निर्धारित धन-राशि में निश्चित रूप से और कितनी रकम जोडी जानी चाहिए, योजना में की गई सामान्य व्यवस्था में से ही विभिन्न कार्यक्रमो के लिए यह पूरक राशि किस सीमा तक प्राप्त की जा सकती है, और केन्द्र तथा राज्यो का योगदान कितना होना चाहिए।

विकास की समस्याएं

14 पहली दो योजनाओ की अवधि में किए गए कामो तथा विशेषज्ञ-व्यक्तियो और अन्य लोगो के अध्ययन के परिणामस्वरूप आदिम जातीय क्षेत्रो में विकास का एक सामान्य स्वरूप अब प्राय निश्चित हो चुका है। हा, उसकी कार्यान्विति-सम्बन्धी व्यवस्था को सुदृढ करना नि सन्देह आवश्यक है। समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करना भी आवश्यक है। वस्तुपरक मूल्याकन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिम जातियो के कल्याण-जैसे जटिल क्षेत्र में समस्त निर्धारित नीति तथा

वास्तविक क्षेत्र में उन पर हुए अमल में बहुत बड़ा अन्तर रह जाता है। आदिम जातीय क्षेत्रों में यह अन्तर न केवल अवांछनीय है, बल्कि निराशा का भी कारण बन सकता है, जिनके फलस्वरूप गम्भीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।

15 तीसरी योजना में विकास के कार्यक्रमों पर अमल करते समय कुछ पहलुओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आदिम जातियों के लोगों की मुख्य आर्थिक समस्या पूरे समय काम न मिलना तथा ऋण का बोझ है। वस्तुत. ये दोनों एक-दूसरे से सम्बद्ध समस्याएं हैं। आदिम जातियां अपनी जीविका के लिए प्राय. खेती और वनों पर निर्भर करती हैं, भूमि और जंगलों में उनके अधिकारों की रक्षा के महत्व पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। कुछ राज्यों में—जैसे, महाराष्ट्र और गुजरात में—अनुसूचित क्षेत्रों में जंगलों का सारा काम वन-श्रमिक-सहकारी समितियों के माध्यम से होता है, जिनके सदस्य आदिम जातियों के ही लोग होते हैं। कुल मिलाकर इन समितियों का काम सन्तोषजनक सिद्ध हुआ है। फिर भी, यह ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं श्रमिकों का शोषण तो नहीं किया जा रहा है—चाहे वह वन-विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों-द्वारा हो अथवा आदिम जातीय लोगों में से ही कुछ स्वार्थी व्यक्तियों-द्वारा। समाज-सेवकों और आदिम जाति-कल्याण-विभागों के अधिकारियों को इन सहकारी समितियों के साथ सम्बन्ध रखना ही चाहिए। उन राज्यों में, जहां जंगलों का काम मुख्यत ठेकेदारों-द्वारा किया जाता है, वर्तमान प्रथा को जल्दी-से-जल्दी समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

16 अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार बहुत-कुछ कृषि का स्तर उठाने में मिलनेवाली सफलता पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि जहां भी व्यवस्थित खेती चल रही है, वहां उन्नत किस्म के बीज, खाद और ऋण की सुविधाएं देने, सिंचाई का विस्तार करने, मिट्टी-संरक्षण और भूमि सुधार, बढ़िया किस्म के उपकरणों के उपयोग और तकनीकी मार्गदर्शन पर ध्यान दिया जाए। जहां बदल-बदल कर खेती होती है, वहां व्यवस्थित खेती की नींव डालने का काम मन्द गति से और लम्बे समय तक चलने की सम्भावना है। इन क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बदल-बदल कर की जानेवाली खेती भी वैज्ञानिक आधार पर हो ताकि भूमि उपजाऊ बनी रहे तथा उस रीति से होनेवाली खेती की हानियां कम-से-कम हो जाएं। बदल-बदल कर की जानेवाली खेती के मुकाबले व्यवस्थित खेती के लाभ अतीत की अपेक्षा अब अधिक अच्छी तरह समझे जाने लगे हैं, फिर भी हर क्षेत्र में उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। यह काम कृषि एवं आदिम जातीय विशेषज्ञ तथा उस कार्य में लगे समाज-सेवक मिलकर करें। इसके बाद ही आदिम जातीय लोगों को उनकी पुरानी रीति छोड़ने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए।

17 आदिम जातीय लोगों के बीच सहकारिता के आधार पर विकास-कार्य चलाने के पक्ष में कई अनुकूल कारण हैं। फिर भी, आमदनी का स्तर बढ़ाने तथा उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से होनेवाले सहकारी प्रयत्नों की सफलता के लिए यह जरूरी है कि आदिम जातीय लोगों की ऋणग्रस्तता की समस्या पर अतीत की अपेक्षा अब अधिक

बुनियादी ढंग से विचार किया जाए। राज्यो में हाल में ही इस दिशा में कुछ कार्य किया गया है। उदाहरण के लिए, आन्ध्रप्रदेश में जनवरी 1957 में किसी भी कर्जदार पर जो भी व्याज चढा था, वह माफ कर दिया गया, केवल मूल धन चुकाना शेष रहा। व्याज की दरो का भी नियमन कर दिया गया। महाराष्ट्र, गुजरात,मध्यप्रदेश, मद्रास असम, उडीसा, हिमाचलप्रदेश और पजाब के लाहौल तथा स्पीति-क्षेत्र में इस बात की जाच की गई है कि अनुसूचित आदिम जातियो में ऋणग्रस्तता किस सीमा तक है। इस सम्पूर्ण समस्या पर नए सिरे से विचार किए जाने की जरूरत है। प्राप्त जानकारी पर एक विशेष समिति को विचार करना चाहिए, जिससे ठोस नीति और कार्यक्रम निश्चित किया जा सके। इन कार्यक्रमो मे ऋण की रकमें समाप्त करना और उनका निबटारा करना तथा नए ऋणो के नियमो तथा शर्तों का नियमन, ये दोनो बातें शामिल की जानी चाहिए। भविष्य में पूजी लगाने तथा उत्पादित माल की बिक्री के लिए सहकारी व्यवस्था पर ही मुख्यत निर्भर रहना होगा। इस सिलसिले में आन्ध्र-अनुसूचित आदिम जाति सहकारी वित्त एव विकास-निगम-जैसी योजनाओ का निकट से अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि आदिम जातीय लोगो में सहकारी विकास की दिशाए निश्चित की जा सकें। यह जरूरी है कि सहकारी सगठनो की रचना अनुसूचित आदिम जातियो की वास्तविक आवश्यकताओ और विभिन्न क्षेत्रो की परिस्थितियो के अनुसार की जाए तथा उनके नियम, आदि अत्यधिक सरल बना दिए जाए। गृह-मन्त्रालय ने अभी हाल में एक विशेषज्ञ कार्यकारी दल नियुक्त किया है, जो इस बात पर विचार करेगा कि अनुसूचित आदिम जातियो और अन्य पिछड़े वर्गो को तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रमो का पूरा लाभ उठाने में किस तरह सहायता पहुचाई जा सकती है। दल को सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के सहकारी सगठन और नियम-उप-नियमो में सशोधन सुझाने का भी काम सौंपा गया है।

18 आदिम जातीय क्षेत्रो में काफी अर्द्धबेरोजगारी है। सुझाव दिया गया है कि तीसरी योजना के ग्रामीण निर्माण-कार्यों में आदिम जातीय क्षेत्रो में खेती की दृष्टि से निष्क्रिय मौसम में बढ जानेवाली बेरोजगारी को दूर करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

19 राज्यो की योजनाओं में आदिम जातीय क्षेत्रो में कुटीर-उद्योग शुरु करने के अनेक कार्यक्रम हैं। प्रतीत होता है कि अतीत में कुटीर-उद्योग-कार्यक्रमो का विशेष प्रभाव नही पडा। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि किफायत में चलाए जानेवाले उद्योग चुनने में कठिनाई हुई हो तथा दूसरे यह कि कर्मचारियों की कमी रही एव बिक्री तथा ऋण-सुविधाओ का अभाव रहा। विशेष बहूद्देश्यीय आदिम जातीय विकास-खड-समिति के सुझाव के अनुसार यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र की कला और हस्तशिल्प का निकट से अध्ययन किया जाए, उनके विकास और सुधार के तरीके खोजे जाए तथा किफायती एव सन्तोषजनक रीति से हस्तशिल्प के नए काम शुरु किए जाए। इस सिलसिले में एक और नई समस्या का उल्लेख किया जा सकता है। आदिम जातीय क्षेत्रो में 11 और 14-15 वय-वर्ग के ऐसे लडको की सख्या बहुत बडी है, जो या तो कभी विद्यालय गए ही नही अथवा जिनकी शिक्षा अधूरी रह गई। यदि आदिम जातीय क्षेत्रो में सरल ढग का व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम

चलाया जाए, तो इन लडको को उत्पादक धन्धो के लिए तैयार किया जा सकता है।

20 पिछले कुछ वर्षों में आदिम जातीय क्षेत्रो में सिंचाई, बिजली और उद्योगो के विकास की अनेक बडी परियोजनाए शुरू की गई है। इन परियोजनाओ के एक तत्काल प्रभाव-स्वरूप कुछ अस्त-व्यस्तता आई है और कुछ लोगो का विस्थापन हुआ है। इन तरह विस्थापित परिवारो की सख्या हजारो तक पहुच गई है। उन्हें भूमि या नकदी, अथवा दोनो के रूप में मुआवजा देने का प्रयत्न किया जाता है। यहा यह ध्यान रखना जरूरी है कि मुआवजा इतना हो कि उनका पुनर्वास ठीक ढग से हो सके। जहा तक सम्भव हो, मुआवजा भूमि के रूप में होना चाहिए। मुआवजे की राशि दी जानेवाली भूमि की उत्पादन-शक्ति को ध्यान में रखकर तय की जाए। यह प्राय देखा गया है कि कि नकदी के रूप में दिया गया मुआवजा जल्दी खर्च हो जाता है, भूमि के रूप में मुआवजा देने पर भी यह अक्सर देखा गया है कि किन्ही कारणो से पुनर्वास सन्तोषजनक ढग से नही हो पाया। परियोजना-स्थल पर कुछ समय तक तो अकुशल कर्मचारियो को काम मिल सकता है, परन्तु जब परियोजना का निर्माण का हिस्सा पूरा हो जाता है और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता पडती है, तब विस्थापित आदिम जातीय लोगो को काम देने की गुजाइश कम रह जाती है। इन परिस्थितियो में उस समुदाय या उस व्यक्ति को पहुची हानि अपूरणीय होती है तथा इसके परिणामस्वरूप असन्तोष बढता है। तीसरी और अन्य भावी योजनाओं में तेज विकास के साथ-साथ यह समस्या और भी बडी होती जाएगी और इस पर बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत पडेगी। परियोजनाओ के लिए स्थान निश्चित करते समय उस स्थान पर पहले से बसे हुए लोगो को बेदखल न होने देने अथवा बेदखली कम-से-कम करने की सम्भावनाओ पर विचार कर लिया जाना चाहिए। जहां और कोई रास्ता नही हो, वहा बेदखली और पुनर्वास की समस्या मे स्वय अपने अधिकारियो अथवा राजस्व-अधिकारियो के जरिए उलझने के बजाय आदिम जातीय कल्याण-विभागो और स्वैच्छिक सगठनो की सहायता ली जानी चाहिए। यदि परियोजना के आरम्भ से ही इन सगठनो को विश्वास में लिया जाए और उन्हें आवश्यक साधन उपलब्ध कर दिए जाएं, तो वे आबादी के स्थानान्तरण, उनके पुनर्वास और उन्हें समुचित रूप से बसाने के अन्य कामों में बहुत सहायक हो सकते है। समस्याओ को हल करने में उन सगठनो को कुछ अधिकार एव छूट भी मिलनी चाहिए। यह बात याद रखने की जरूरत है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों को मुआवजा देने के बावजूद आदिम जातीय समाज का अग होने के कारण उन्हें एकदम अलग, अकेला नहीं समझा जा सकता—वे एक बडे समुदाय के अग हैं, जिसकी अपनी जीवन-पद्धति, संगठन और आचार-संहिता है।

21 आदिम जातीय कल्याण-कार्यक्रमो का प्रभाव काफी बडी जनसख्या पर पडता है और विकास के जो अनेक नए कार्यक्रम चल रहे है, उनके परिणामस्वरूप आदिम जातीय समाज के जीवन और उनकी परम्पराओ में बुनियादी तौर पर परिवर्तन आ सकते हैं। इनसे उत्पन्न होनेवाली समस्याओं को सन्तोषजनक ढग से हल करने के लिए सरकारी कर्मचारियो और जनसेवको के एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता है,

जिसे उन इलाको और निवासियो के बारे में पूरी जानकारी हो, जिसे अपने काम में पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया हो और जो सद्भावना से परिपूर्ण हो। उन अधिकारियो से काम नही चल सकता, जो थोडे समय के लिए आदिम जातीय क्षेत्रो में आए और फिर तबादला हो जाने के कारण कही और चले जाए। अनुसूचित आदिम जातियो को शेष समाज के बराबर स्तर तक लाने के लिए हजारो जनसेवको और सामाजिक कार्यकर्ताओ की एक पूरी पीढी को और सम्भवत उससे अगली पीढी को भी, इस काम में खप जाना होगा और ये कार्यकर्ता आदिम जातीय लोगो में से ही अधिक-से-अधिक आने चाहिए। पहली दो योजनाओ की अवधि में काफी काम हुआ अवश्य है, परन्तु राज्यो में आदिम जातीय क्षेत्रो में विकास-कार्यक्रम चलाने के लिए स्थापित विभागो में कर्मचारियो की बहुत कमी है तथा अक्सर इस असाधारण रूप से कठिन काम के लिए उन्हें आवश्यक सहायता भी नही मिलती। इन परिस्थितियो में, संविधान में वर्णित विशेष दायित्वों को ध्यान में रखते हुए यह विचारणीय बात है कि राज्य-सरकारें और केन्द्रीय सरकार मिलकर तकनीकी और अन्य कर्मचारियो का एक ऐसा विशेष वर्ग तैयार करें, जो अनुसूचित क्षेत्रो में और आदिम जाति-बहुल अन्य क्षेत्रो में काम कर सके। यह क्षेत्रीय कर्मचारियो से ऊपर के स्तर के कर्मचारी तैयार कर सकता है। सामान्यत इस वर्ग के कर्मचारी अपने-अपने राज्यो में ही काम करेंगे, परन्तु उत्तरदायित्वपूर्ण काम के स्तर पर, आवश्यकता पडने पर उन्हें अन्य राज्यो में भी भेजा जा सकेगा। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू निश्चय ही यह है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों का यह वर्ग अपनी सेवा की सारी अवधि आदिम जातीय क्षेत्रो और आदिम जातीय लोगो में ही पूरी करे, ताकि उनके ज्ञान, अनुभव और आदिम जातीय लोगो के प्रति एकात्मभाव के कारण तीव्र और अबाध विकास चलता रहे। सरकारी कर्मचारी-वर्ग को मजबूत करने के उपायो के साथ-साथ सरकारी नीति के रूप में यह भी जरूरी है कि आदिम जातियो के बीच काम करने के लिए मजबूत स्वैच्छिक संगठन बनाए जाए।

(3)

अनुसूचित जातिया

22 अनुसूचित आदिम जातियो से भिन्न, अनुसूचित जातिया सारे देश में फैली हुई है और यद्यपि वे सामान्य समाज का अंग है, तथापि सामाजिक असमताओ तथा आर्थिक दुर्बलता के कारण उनका एक विशेष वर्ग तैयार हो गया है। संविधान में 'अस्पृश्यता' का उन्मूलन कर दिया गया और किसी भी रूप में उसके व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 के अनुसार छूआछूत सारे देश में हस्तक्षेपजन्य और दण्ड्य अपराध घोषित कर दिया गया। अनुसूचित जातियो की अपनी विशेष सामाजिक समस्याए है, परन्तु जहा तक आर्थिक समस्याओ का प्रश्न है, वे प्राय अन्य पिछडे वर्गो की समस्याओ के समान ही है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, तीसरी योजना में अनुसूचित जातियो से सम्बद्ध विशेष कार्यक्रमो के लिए 40 करोड रु० की व्यवस्था है, जबकि दूसरी योजना में यह राशि 28 करोड रु० तथा पहली योजना में 7 करोड रु० थी। अनुसूचित जातियो के लिए राज्यो की योजनाओ

में 30 करोड रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें से आधी रकम शिक्षा-कार्यक्रमो के लिए है तथा शेष में से आधी-आधी (क) आर्थिक उन्नति, और (ख) स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य कार्यक्रमो के लिए। योजना के अन्तर्गत विकास के सामान्य कार्यक्रमो से अनुसूचित जातियो को मिलनेवाले क्रमश वृद्धिशील लाभ की मात्रा बढाने के लिए ही उक्त पूरक व्यवस्था की गई है—विशेष रूप से इसलिए कि योजना में समाज के कमजोर वर्गों को हर कार्यक्रम के लाभ का उचित हिस्सा देने की ओर ध्यान दिया गया है। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम, ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रम, भूमि-पुनर्वितरण-कार्यक्रम, ग्राम और लघु उद्योग-कार्यक्रम तथा खेतिहर श्रमिको के हितो के लिए बनाई जानेवाली योजनाओ का अनुसूचित जातियो और अन्य पिछडे वर्गों का जीवन-स्तर उठाने के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है।

23 पहली दो योजनाओ में अनुसूचित जातियो के विकास-कार्यक्रमों में शिक्षा पर ही अधिक बल दिया गया था। सन् 1956-57 में जहा अनुसूचित जातियो के छात्रो को 6 लाख छात्रवृत्तिया दी गई, वहा दूसरी योजना के अन्त में छात्रवृत्ति पानेवालो की सख्या 9 लाख थी। मैट्रिक से ऊची कक्षाओ के लिए छात्रवृत्तिया पानेवाले अनुसूचित जाति के छात्रों की सख्या पहली योजना के आरम्भ में 1,100 से भी कम थी, परन्तु दूसरी योजना के अन्त में 40 हजार हो गई।

24 जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, तीसरी योजना में अनुसूचित जातियो के लिए शामिल किए गए कार्यक्रमो का उद्देश्य विशेष कार्य सम्पन्न करना है। ये कार्यक्रम किसी भी रूप में सारे समाज के लिए चलाए जानेवाले विकास-कार्यक्रमो का स्थान नहीं ले सकते। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य ये है कि यथासम्भव छात्रवृत्तिया उन्ही छात्रो को दी जाए, जो आवश्यकताग्रस्त होने के साथ-साथ योग्य भी हो, शिक्षा-सस्थाओ के मिश्रित छात्रावासो में उन्हें रहने की सुविधा दी जाए, फीस माफ हो तथा आवश्यकताग्रस्त छात्रो को आर्थिक सहायता दी जाए। आर्थिक उन्नति के लिए भूमि एव सहायता प्रदान कर उन्हें काश्तकारो के रूप में बसाने, ग्रामोद्योगो एव छोटे उद्योगो के प्रशिक्षण तथा परम्परागत हस्तशिल्पो में सुधरे हुए तरीके अपनाने पर भी विशेष बल दिया गया है। प्राय अधिकांश विशेष सहायता-कार्यक्रम राज्यो की योजनाओ के अग है, परन्तु निम्नलिखित केन्द्र-सचालित कार्यक्रमो के लिए गृह-मन्त्रालय ने व्यवस्था की है

(1) गन्दगी उठाने, आदि के काम में लगे हुए लोगो की स्थिति सुधारना, जिसमें मल-मूत्र सिर पर उठाने का चलन समाप्त करने का कार्य भी शामिल है,

(2) भगियों और मेहतरो के लिए मकान बनाने में सहायता,

(3) अनुसूचित जातियो के उन सदस्यो के लिए मकान बनाने के स्थान की व्यवस्था, जो (क) गन्दगी ढोने का काम करते है और (ख) जो भूमिहीन श्रमिक है,

(4) मैट्रिक से आगे पढाई करने के लिए छात्रवृत्तिया देना, और

(5) स्वैच्छिक सगठनो को सहायता।

सामान्य आवास-कार्यक्रमों में भूमि के अधिग्रहण तथा उसे सुधारने के लिए धन की व्यवस्था की गई है। यह भूमि मकान बनाने के लिए खेतिहर श्रमिकों को दी जाएगी, जिनमें अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में हैं।

25 अनुसूचित जाति के लोग आम तौर पर छोटे-छोटे समूहों में अन्य जातियों के साथ ही मिलकर रहते हैं। इसलिए उनके कल्याण और उन्नति का प्रश्न सारे समाज के साथ सम्बद्ध है। उनकी जीवन-स्थिति में सुधार और उनकी आमदनी का स्तर उठाना देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक बड़ा प्रमाण होगा। अनुसूचित जातियों की सामाजिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए जा चुके हैं और धीरे-धीरे जनमत के समर्थन से उन कानूनों पर अमल का प्रबन्ध भी मजबूत किया जा रहा है। अब भी जो सामाजिक अक्षमताएं बच गई हैं, उनका कारण आर्थिक पिछड़ापन है। इसलिए आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर तेजी से अमल करने का विशेष महत्त्व है। तीसरी योजना में विभिन्न विकास-कार्यक्रमों के लाभ समाज के कमजोर वर्गों को जिस मात्रा में पहुंचेंगे, उतनी ही मात्रा में उनका लाभ अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को मिलेगा।

26. अनुसूचित जातियों के कल्याण-कार्यक्रमों में शिक्षा-सम्बन्धी सहायता को उच्च प्राथमिकता दी गई है और सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। फिर भी, अक्सर ऐसा होता है कि निश्चित अनुपात में वे लोग उपलब्ध नहीं होते। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में यह स्थिति भी है कि कुछ थोड़ी से शिक्षा-प्राप्त अनुसूचित या पिछड़े वर्ग के लोग भी बेरोजगारों में शामिल हैं। उनके सम्बन्ध में यह स्थिति विशेष रूप से है, जिनकी शिक्षा उन्हें क्लर्क या ऐसी ही किसी नौकरी के योग्य बना सकी है। इसलिए तकनीकी और उद्योग-धन्धों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा कि शिक्षा-सम्बन्धी अध्याय में सुझाया गया है, छात्रवृत्तियों अथवा शिक्षा में सहायता के अन्य कार्यक्रम इस प्रकार चलाए जाएं कि मेधावी छात्र अपना अध्ययन पूरा कर स्थायी रोजगार के योग्य बन सकें। यह उचित होगा कि अनुसूचित और अन्य जातियों में से कम उम्र के बच्चे छांट लिए जाएं, उन्हें अपनी शिक्षा की सारी अवधि में सहायता दी जाए और जहां भी सम्भव हो, उन्हें रोजगार में लगा दिया जाए।

27 छुआछूत हटाने के लिए जनता को शिक्षित करने के काम में स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता दी जाती है। तीसरी योजना में उन्हें इस काम के लिए अधिक सहायता दी जाएगी। यह जरूरी है कि स्वैच्छिक संस्थाएं प्रचार और सम्पर्क काम तक ही सीमित न रहें, बल्कि विद्यालय, अस्पताल, आवास-सहकारी समितियां, उद्योग-केन्द्र आदि खोलें तथा उन्हें चलाने में मदद दें। ऐसे केन्द्र ही स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य के लिए ठोस आधार बन सकेंगे तथा अनुसूचित जातियों और अन्य लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए बहुत मूल्यवान प्रमाणित होंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टों से अनुसूचित जातियों की समस्याएं हल करने की प्रगति का परिचय मिलता है। योजना की परियोजनाओं-सम्बन्धी समिति द्वारा समाज-कल्याण के बारे में [illegible] अध्ययन-दल ने एक सामान्य मूल्यांकन का प्रयत्न किया था। विशेष [illegible] दलों ने विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन किया है—जैसे हरिजनों की [illegible]

विचार करने के लिए हरिजन-कल्याण-सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार-मडलो-द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट । अनुसूचित जातियो और अन्य पिछडे वर्गों की स्थिति पर विकास-कार्यक्रमो के प्रभाव की अधिक जल्दी-जल्दी और पूरी जाच की आवश्यकता है, जिससे अनुभव के आधार पर नए तरीके निकाले जा सकें और मौजूदा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

(4)

असूचित आदिम जातिया

28 भूतपूर्व जरायमपेशा जातियो को असूचित करने के बाद राज्यो में उनके विकास और पुनर्वास के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तीसरी योजना में इन कार्यक्रमो के लिए 4 करोड रु० रखे गए हैं, जबकि पहली और दूसरी योजनाओ में यह राशि क्रमश 1 करोड रु० और 2 9 करोड रु० थी। सन् 1952 में जरायमपेशा आदिम जाति-अधिनियम 1924 के रद्द किए जाने से स्पष्ट है कि भूतपूर्व जरायमपेशा जातियो के प्रति निगरानी और दड के रुख के बजाय सुधार, पुनर्वास और शेष समाज में खपा लेने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। उनके प्रति दृष्टिकोण में यह निश्चय ही एक बुनियादी परिवर्तन है। इन आदिम जातियो के लोगो की कुल सख्या यद्यपि 40 लाख है, तथापि ये बहुत-से समूहो में बटे हुए है, हरेक की अपनी विशेषताए एव स्थानीय तथा परम्परागत पृष्ठभूमि है। इनमें से कुछ अनुसूचित जातियो में शामिल किए गए है। इन आदिम जातियो के पुनर्वास की भी अनेक समस्याए है। शिक्षा की कमी के साथ-साथ दूसरी जातियो से अलग-थलग ये लोग आम तौर पर काश्तकार भी अच्छे नही है। पीढियो से चली आ रही इनकी परम्पराए और दृष्टिकोण बदलने में समय लगेगा । कुल मिला कर हाल के कुछ वर्षो में असूचित आदिम जातियो के हितो के लिए शुरू किए गए आर्थिक विकास-कार्यक्रम का आम तौर पर बहुत सीमित प्रभाव पडा है। हा, उन लोगो की बात अवश्य अलग है, जिन्हें कुछ बस्तियो में बसा दिया गया था और जिनका अच्छा-खासा समृद्ध समाज बन गया है । आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी और सामाजिक कार्यक्रमो की सफलता के लिए यह जरूरी है कि स्वैच्छिक कार्यकर्ताओ और सगठनो को अधिक काम सौंपा जाए । वस्तुत इन जातियो के अन्दर बैठ गए भय और आशका को दूर करने तथा उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक धैर्यपूर्वक काम करने की जरूरत होगी । वर्षों के प्रयत्नों के बाद ही बेहतर सामाजिक और आर्थिक जीवन बिताने की भावना उनमें पैदा की जा सकेगी और उन्हें नए-नए काम सीख कर और कुशल काश्तकार बन कर शेष जनता में घुल-मिल जाने का मौका मिलेगा ।

29 असूचित आदिम जातियो के पुनर्वास में अभी तक अधिक सफलता न मिलने के कारण यह जरूरी है कि हर क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओ का निकट से अध्ययन किया जाए तथा समुचित कार्यक्रम तैयार किए जाए। इस कार्य में उनकी समस्याओ की जटिलता को ध्यान में रखा जाए, साथ ही इस तथ्य को भी कि वे समस्याए बहुत समय से चली आ रही हैं। योजना की परियोजनाओ-सम्बन्धी समिति-द्वारा नियुक्त अध्ययन-

दल की सिफारिशो के प्रकाश में मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए जा सकते है .

(1) असूचित आदिम जातियो के पुनर्वास के लिए सुधार और कल्याण की समन्वित नीति, जिसके साथ सामाजिक शिक्षा का भी कार्यक्रम शामिल हो,

(2) विशेष आर्थिक कार्यक्रम, जिनमें उनके स्वभाव के अनुसार तथा विशेष रूप से उनके चारित्रिक गुणो—साहसिक वृत्ति और परम्परागत कारीगरी—का पूरा ध्यान रखा गया हो,

(3) औद्योगिक और अन्य सहकारी सस्थाओ की स्थापना,

(4) सरकारी नौकरियो में भरती के अवसर देना तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण एव बौद्धिक स्तर उठाने की व्यवस्था,

(5) जहा भी असूचित आदिम जातियो के लोगो की सख्या काफी बडी हो, वहा ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओ का वर्ग तैयार किया जाए, जो उन लोगो के सामाजिक और सास्कृतिक रीति-रिवाज से परिचित हो और उनके साथ घुल-मिल कर काम कर सकें।

30 असूचित आदिम जातियो की समस्याओ को ऊपर दिए गए सुझावों के अनुसार हल करने के प्रयत्नो के साथ इन जातियो के विभिन्न वर्गों के रहन-सहन और उनकी समस्याओ का निकट से अध्ययन भी आवश्यक है। अभी तक इन आदिम जातियो के सम्बन्ध में जो जाच-पडताल हुई है, वह एक सीमित उद्देश्य लेकर। फलत. असूचित आदिम जातियो के बारे में न तो पूरा ज्ञान हो सका और न ही उन पर देश में चल रही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियो के प्रभाव की जानकारी हो सकी। लोगो की सख्या तथा समस्या की जटिलता को देखते हुए यह आवश्यक है कि जाच और अध्ययन के विषयो का व्यवस्थित ढग से चुनाव हो तथा इसमें समाज-कार्य-विद्यालयो एव अन्य सस्थाओ की पूरी सहायता ली जाए। असूचित आदिम जातियो की समस्याओ से सम्बद्ध सरकारी सस्थाओ को मजबूत किया जाए एव स्वैच्छिक सगठनो तथा अनुसन्धान-कार्यकर्ताओ का घनिष्ठ सहयोग लिया जाए। आरम्भ से ही उद्देश्य यह रहे कि इन जातियो को अन्य लोगो में घुला-मिला लिया जाए तथा इस प्रयत्न में उन जातियो के प्रगतिशील तथा विचारशील तत्त्वो को अधिक-से-अधिक महत्त्वपर्ण भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें सहायता दी जाए।

अध्याय 35

कल्याण-कार्यक्रम

समाज-कल्याण

किसी विकास-योजना के आर्थिक और सामाजिक पहलू परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होते हैं। तीसरी योजना से सम्बद्ध अनेक सामाजिक कार्यक्रमों की चर्चा पहले के अध्यायों में की जा चुकी है। इस अध्याय में तीन मुख्य कल्याण-कार्यक्रमों के बारे में जो समाज-कल्याण, मद्य-निषेध और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बद्ध हैं, विचार किया गया है।

2 पहली और दूसरी योजनाओं के अविभाज्य अंग के रूप में गत दशाब्दी में समाज-कल्याण-सम्बन्धी क्रिया-कलापों में जो विकास हुआ है, उसका महत्त्व स्थापित सेवा-शृंखलाओं अथवा प्रयुक्त साधन-स्रोतों की तुलना में कहीं अधिक है। ये क्रिया-कलाप समाज की अपने विभिन्न पीडित वर्गों के कल्याण के प्रति चिन्ता को स्पष्ट करते हैं और राष्ट्रीय विकास के एक अनिवार्य मूल्य पर बल देते हैं। सृजनात्मक सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में बडी सख्या में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को, और विशेषत महिला कार्यकर्त्ताओं को लाने के कारण समाज स्वय भी समृद्ध और शक्तिशाली हुआ है। अनिवार्यत समाज-कल्याण-जैसे व्यापक एव विविधतापूर्ण क्षेत्र में क्रिया-कलापों के विस्तार से कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। और इसके लिए यह आवश्यक है कि जो-कुछ सफलता प्राप्त हुई है, समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाए तथा कल्याण-सेवाओं की कोटि को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों पर विचार किया जाए। जिला और खड-स्तर पर प्रजातान्त्रिक सस्थाओं की स्थापना के बाद स्वैच्छिक सगठन अपने काम को किस प्रकार पूरा करेंगे, इस पर और विचार करने की आवश्यकता होगी।

3 समाज-कल्याण-कार्यक्रमों में, जिन्हें केन्द्र और राज्य-सरकारों की सहायता से स्वैच्छिक सगठनों-द्वारा कार्यान्वित किया गया है, अन्य कार्यों के अतिरिक्त केन्द्र और राज्य-सरकारों के समाज-कल्याण-मडलों-द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याण-विस्तार-परियोजनाए, सामाजिक रक्षा से सम्बद्ध कार्यक्रम, सामाजिक एव नैतिक आरोग्य और उत्तरवर्ती सेवाए तथा अन्य कल्याण-कार्यक्रम भी शामिल हैं। कल्याण-सेवाए मुख्यत समाज के उन वर्गों के लिए है, जिन्हें विशेष देख-रेख और सरक्षण की आवश्यकता है। इनका विकास करने में उद्देश्य यह है कि व्यक्तिगत और अव्यवस्थित सहायता अथवा दान के स्थान पर सगठित और सतत शिक्षण को तथा समाज के सामूहिक समर्थन के द्वारा कल्याण और पुनर्वास के कार्यों को पूरा किया जाए। कल्याण-सेवाओं को मात्र सस्था न रह कर अधिकाधिक रूप से सामाजिक और पारिवारिक स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। निवारणात्मक सेवाओं का महत्त्व पूर्ववत् बना रहेगा। छात्रों और युवकों को परामर्श देने, बाल पथ-प्रदर्शन-केन्द्रों और विवाह के बारे में सलाह देने-जैसी मानसिक आरोग्य-सेवाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इन सेवाओं का जैसे-जैसे विस्तार और विकास होता है, वैसे-वैसे इनके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी अधिक आवश्यकता

पड़ती है। चूकि बहुत-सारे स्वैच्छिक सगठन कल्याण-कार्यों के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखते है, इसलिए यह आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण का एक स्तर कायम किया जाए और उनके उचित वेतन-क्रम और सेवा की शर्तों तथा परिस्थितियों को भी निश्चित कर दिया जाए। इस बात की भी बहुत अधिक आवश्यकता है कि स्वैच्छिक कल्याण-कार्यकर्त्ताओ के लिए ज्ञानवर्धन और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

4 केन्द्रीय और राज्य-सरकारो की ओर से दी गई वित्तीय सहायता के द्वारा विगत कुछ वर्षों में अनेक कल्याण-सेवाओ का विकास हुआ है। विकास के प्रत्येक चरण के बाद इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए कि नई सेवाए स्थायी रूप से जारी रहें। तीसरी योजना में जो साधन प्रदान किए गए है, उनको वर्तमान कल्याण-सेवाओ का विस्तार करने और पहले से स्थापित कल्याण-सेवाओ को जारी रखने के हेतु स्वैच्छिक सगठनो को सहायता देने मे प्रयुक्त किया जा रहा है। इस सीमा तक नई सेवाओ का विकास सीमित है। भावी विकास के हित मे यह वाछनीय है कि स्वैच्छिक सगठनो-द्वारा पहले से स्थापित सेवाओ को जारी रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था और नए विकास के लिए प्रदान किए गए साधनो के अन्तर को स्पष्ट कर दिया जाए। स्वैच्छिक सगठनो को वित्तीय सहायता के द्वारा इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे ऐसे क्षेत्रो में, जहा आवश्यक सेवाए नही है, उन्हें आरम्भ करें और जिन कल्याण-सेवाओ को वे अब तक नहीं करते रहे है, उनके लिए भी पहल करें।

5 कल्याण-सेवाओ का विकास अब इस स्थिति में पहुच गया है कि उपलब्ध साधनो के अधिक अच्छे उपयोग और प्रदान की गई सेवाओ को सुधारने के लिए केन्द्र और राज्य, दोनो ही स्तरो पर सम्बद्ध विभिन्न सरकारी अभिकरण परस्पर और अधिक समन्वय स्थापित करें। इससे समान प्रयोजनो के लिए की जानेवाली प्रार्थनाओ पर दुबारा और अलग-अलग विचार करने, उनके लिए दोहरी सहायता देने तथा स्वैच्छिक सगठनो-द्वारा अनेक सरकारी अभिकरणो के पास अलग-अलग जाने से बचा जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्वैच्छिक सगठन अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। प्रत्येक सगठन को अपने क्रिया-कलाप के लिए एक क्षेत्र चुना लेना चाहिए, जिसमे उसके कार्यकर्ता अनुभव प्राप्त करें तथा समस्याओ को निकट से समझें-बूझें।

6 समाज-कल्याण का स्वरूप ही ऐसा है कि इसकी प्रगति को आसानी से नहीं आका जा सकता है। इसकी सच्ची कसौटिया यही है कि कितनी अधिक सख्या में स्वैच्छिक कार्यकर्ता समाज-कल्याण-सम्बन्धी कार्यों में भाग लेते है और प्रत्येक स्थानीय समाज [illegible] सामाजिक समस्याओ को सुलझाने की दिशा में कितना योगदान करता है। इसकी जो कमिया हो—इस प्रकार के कठिन क्षेत्र में कमिया होना स्वाभाविक है—गत दशाब्दी में किया गया कार्य अनेक प्रकार से विलक्षण रहा है। केन्द्र और राज्यो के समाज-कल्याण-मडलो-द्वारा देश के विभिन्न भागो के लगभग 6,000 स्वैच्छिक कल्याण-सगठनो को [illegible] दी गई है। इनमें से 2,900 सगठन महिलाओ-सम्बन्धी कल्याण-कार्य तथा 2,400 [illegible] रूप से शिशु-कल्याण से सम्बद्ध कार्य कर रहे है। दूसरी योजना की अवधि में 3,700 से भी अधिक स्वैच्छिक कल्याण-सगठनो को 2 6 करोड रु० की [illegible] में दी गई। केन्द्र और राज्यो के समाज-कल्याण-मडल जिन अन्य कार्यों के लिए [illegible] है, उनमें 75 शहरी सामुदायिक केन्द्रो, महिलाओ को अपनी आय बढाने मे [illegible]

देने के लिए 21 उत्पादन-इकाइयों और शहरी क्षेत्रों में 42 रैन-बसेरों की स्थापना शामिल है। बड़ी संख्या में वयस्क महिलाओं को सघन पाठ्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कराई गई। पहली योजना की अवधि में कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं की स्थापना के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। प्रत्येक कल्याण-विस्तार-परियोजना-द्वारा लगभग 25 गांव सेवित थे, जिनमें प्रसूति और शिशु-स्वास्थ्य-सेवाओं, हस्तशिल्प की कक्षाओं, महिलाओं के लिए समाज-शिक्षण और बालवाड़ियों-द्वारा बच्चों की निगरानी की व्यवस्था है। इन परियोजनाओं को दूसरी योजना में आरम्भ की गई 134 नई परियोजनाओं के साथ महिला-मंडलों को सौंप दिया गया है। इन्हें केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल-द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के सहयोग से 337 कल्याण-विस्तार-परियोजनाएं शुरू की गईं। उनके लिए कुछ सहायता केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल से तथा कुछ राज्य-सरकारों और सामुदायिक विकास-खंडों के बजट से मिली।

7 दूसरी योजना में समाज-कल्याण-कार्यों पर 15 करोड़ रु० खर्च किए गए। मुख्य विकास-कार्यक्रमों में उल्लेखनीय हैं—कल्याण-विस्तार-परियोजनाएं, केन्द्रीय समाज-कल्याण मंडल-द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता (लगभग 10 करोड़ रु०), सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक और नैतिक आरोग्य तथा उत्तरवर्ती देखभाल की सेवाएं एवं राज्य-सरकारों के कल्याण-कार्यक्रम (लगभग 5 करोड़ रु०)। सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम और सामाजिक तथा नैतिक आरोग्य एवं उत्तरवर्ती देखभाल की सेवाओं के अधीन 327 संस्थाएं स्थापित की गईं और 128 आभ्यासिक तथा कल्याण-अधिकारी नियुक्त किए गए।

8 तीसरी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 28 करोड़ रु०—16 करोड़ रु० केन्द्र में और 12 करोड़ रु० राज्यों में—की व्यवस्था है। केन्द्रीय समाज-कल्याण-मंडल के कार्यक्रमों के लिए जिनमें स्वैच्छिक संगठनों और कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं के लिए सहायता भी शामिल है, 12 करोड़ रु० की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त, शिक्षा की मद में शिशु-कल्याण एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए भी 3 करोड़ रु० की व्यवस्था है। समाज-कल्याण के अधीन जो अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे, वे शहरी सामुदायिक कल्याण-परियोजनाओं, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा और उत्तरवर्ती देखभाल तथा केन्द्रीय सुधार-सम्बन्धी प्रशासन-संस्था की स्थापना से सम्बद्ध हैं। यह भी प्रस्ताव है कि इस प्रकार के व्यक्तियों—शारीरिक दृष्टि से विकलांग, काम करने में असमर्थ वृद्धों, महिलाओं और बच्चों—को, जिनकी आजीविका का कोई साधन या सहारा नहीं है, सहायता देने के लिए छोटे पैमाने पर शुरुआत की जाए।

9 तीसरी योजना में केन्द्रीय और राज्यों के समाज-कल्याण-मंडलों-द्वारा किए जाने-वाले मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं

(1) लगभग 6,000 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देना,

(2) महिला-मंडलों को उन्हें सौंपी गई-कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं के लगभग 1,700 केन्द्रों में सेवाएं उपलब्ध करने के लिए सहायता देना,

(3) पूरे 5 वर्षों की अवधि के लिए सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों से समन्वित कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं को जारी रखना,

(4) महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम,

(5) वयस्क महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियोजन के योग्य बनाने के हेतु सघन प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम,

(6) शहरी कल्याण-परियोजनाएं,

(7) रैन-बसेरे,

(8) बच्चों के लिए अवकाशगृह, तथा

(9) सहायता-प्राप्त संस्थानों के लिए समाज-कल्याण-प्रशासन और तकनीकी पथ-प्रदर्शन।

तीसरी योजना में शिशु-कल्याण-कार्यक्रमों पर पर्याप्त बल दिया गया है। विचार है कि दूसरी योजना में जो कार्य प्रारम्भ किए गए थे, उनको जारी रखने के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश में शिशु-कल्याण के बारे में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, समाज-कल्याण तथा अन्य अभिकरणों-द्वारा प्रदत्त सेवाओं में पूर्ण समन्वय के आधार पर कम-से-कम एक मार्गदर्शक परियोजना अवश्य आरम्भ की जाए। आशा है कि इन मार्गदर्शक परियोजनाओं से विभिन्न सेवाओं में समन्वय स्थापित करने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त होंगे। कुछ में तो यह समन्वय पहले से स्थापित है। प्रस्ताव है कि एक पूर्व-विद्यालय शिक्षण-कार्यक्रम और शिशु-कल्याण-कार्यकर्त्ताओं (बाल-सेविकाओं) का प्रशिक्षण-कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया जाए। प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम वर्तमान शिशु-कल्याण-केन्द्रों (बालवाड़ियों) को सुधारने और नए केन्द्र खोलने की योजना का एक भाग है।

10 सामाजिक सुरक्षा-कार्यक्रम में निरोधक और बाल-अपराधियों की चिकित्सा, सामाजिक और नैतिक आरोग्य तथा स्त्रियों और लड़कियों के वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग को रोकने की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। यह सुझाया गया है कि भिक्षा-वृत्ति की समस्या पर क्रमिक रूप से प्रहार किया जाए। परामर्श और रोगोपरान्त देखभाल की सेवाओं के विकास में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महिलाओं और बालकों की विशेष रूप से सहायता की जाए। व्यावसायिक रूप प्राप्त वेश्यावृत्ति की समस्या को हल करने के लिए सन् 1956 में वेश्यावृत्ति-निरोधक कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार प्रभावित होनेवाली महिलाओं और लड़कियों के संरक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आवश्यक संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। दूसरी योजना की अवधि में 10 संरक्षण-गृह, 18 उद्धार-गृह और 70 स्वागत-केन्द्र स्थापित किए गए। तीसरी योजना में और भी केन्द्र खोले जाएंगे। इन केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त इस बात पर विचार करना भी महत्त्वपूर्ण है कि किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा का वर्तमान कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली और उस रूप में किया जा सकता है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के पुनर्वास के कार्य में समुदाय और परिवार भी पूरी तरह भाग ले सकें।

11 दूसरी योजना की अवधि में बाल-अपराधियों की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए जो नई संस्थाएं स्थापित की गईं, उनमें 40 संरक्षण-गृह, 17 प्रमाणित विद्यालय और 5 बोर्स्टल विद्यालय भी शामिल हैं। बालकों के सम्बन्ध में अनेक राज्यों में पहले से ही विशेष कानून बने हुए हैं, परन्तु वय-सीमा और बाल-अपराधियों की श्रेणियों के बारे में व्यवस्था एक-जैसी नहीं है। केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए सन् 1960

में बाल-अधिनियम की स्वीकृति के साथ ही यह सुझाव दिया गया है कि आवश्यक मामलों में सम्पूर्ण देश में एकरूपता होनी चाहिए। बाल-अपराधों और व्यावसायिक ढंग की वेश्यावृत्ति और स्त्रियों के अनैतिक व्यापार के पीड़ितों से निबटने के क्षेत्र में आस्थानिक अधिकारियों का कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है। दूसरी योजना में इनकी संख्या 100 से बढ़ कर 304 हो गई है। तीसरी योजना में 112 नए आस्थानिक अधिकारी नियुक्त करने का विचार है।

12 भिक्षावृत्ति एक बहुत पुरानी सामाजिक बुराई है, जिसे काफी लम्बे समय तक चलने दिया गया है। इसके कारण नैतिक ह्रास तो होता ही है, यह देश के लिए कलंक-स्वरूप भी है। इस समस्या का अनेक स्थानों पर अध्ययन किया गया है और अब महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों को प्रभावशाली ढंग से इसका मुकाबला करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सर्वप्रथम भिक्षावृत्ति को बड़े शहरों, तीर्थस्थानों, और पर्यटन-केन्द्रों में समाप्त किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से भिखारियों की 4 श्रेणियां हैं —(अ) बाल भिखारी, (आ) बीमार, विकलांग, असमर्थ या वृद्ध, (इ) समर्थ और पेशेवर भिखारी, तथा (ई) धार्मिक भिक्षुक।

13 बाल-भिखारियों की समस्या को अलग से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो बालक भिक्षावृत्ति अपनाते हैं, वे सामान्यतः शोषक दलों के शिकार होते हैं। बाल-अपराधियों के लिए जिनमें आवारागर्द, अपराधी बालक और अपराधपूर्व-स्थिति के बालक भी शामिल हैं, विशेष पुलिस-दल नियुक्त होने चाहिए। भारतीय दंड-संहिता में ऐसे व्यक्तियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है, जो समाज-विरोधी उद्देश्य के लिए बालकों का शोषण करने, उनका अपहरण करने या भिक्षावृत्ति के लिए उनको विकलांग करने के अपराधी पाए जाएंगे। बाल-कानून में भी समाज-विरोधी कार्यों के लिए, जिनमें भिक्षावृत्ति भी शामिल है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था है। इस प्रकार आवश्यक कानून बने हुए हैं, आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें प्रभावशाली ढंग से अमल में लाया जाए।

14 दूसरी श्रेणी के भिखारियों की, जो बीमार, अपाहिज, असमर्थ या वृद्ध हैं, स्वैच्छिक संगठनों-द्वारा संचालित आवास-संस्थाओं में देखभाल की जानी चाहिए। राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों की सहायता तथा समाज के समर्थन के अतिरिक्त इन संगठनों को छोटे पैमाने पर उन विशेष कोशों से सहायता दी जा सकती है, जिनका 'श्रम-नीति' के अध्याय में उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव किया गया है कि इस प्रकार तीन प्रकार के व्यक्तियों—विकलांगों, काम करने में असमर्थ वृद्धों, तथा महिलाओं और बालकों—को सहायता और राहत दी जाए।

15 समर्थ शरीरवाले भिखारियों को पकड़ कर विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण-स्थलों के कार्य-शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए। इनके लिए छोटे उद्योगों और कृषि में पुनर्वास-कार्यक्रम को भी संगठित किया जाना चाहिए। समर्थ शरीरवाले व्यक्तियों-द्वारा भिक्षावृत्ति को एक सार्वजनिक अपराध माना जाना चाहिए।

16 धार्मिक भिखारियों की भी विभिन्न श्रेणियां हैं और वर्तमान स्थिति में यह वांछनीय है कि उनकी समस्याओं का समाधान भारत-साधु-समाज या इसी प्रकार के अन्य संगठनों के माध्यम से किया जाए।

17 यह वाछनीय है कि भिक्षावृत्ति और आवारागर्दी के नियन्त्रण और निवारण के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

18 विगत कुछ वर्षों में शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों—विशेषत नेत्रहीनो, गूगो और बहरो के लिए और उन व्यक्तियो के लिए, जो विकलांग और मानसिक दृष्टि से अपूर्ण हैं—विशेष सेवाओ और सुविधाओ के विकास में प्रगति हुई है। इन समूहो के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रदान की गई सेवाओ का मुख्य लक्ष्य काम के द्वारा उन्हें अपने पुनर्वास के लिए समर्थ बनाया जाना चाहिए। चूकि इन समूहो के अनेक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रो के होते है, जहा परम्परागत रूप से समाज बडी उदारता से सहायता प्रदान करता है। इसलिए यह वाछनीय है कि इन समूहो के प्रशिक्षण और पुनर्वास के कार्यक्रमो को ग्रामीण स्वरूप प्रदान किया जाए। कुछ कार्य-नियोजन-कार्यालयो में भी विकलांग व्यक्तियों के लिए काम ढूढने की सुविधाए प्रदान की गई है। स्थानीय निकाय और स्वैच्छिक सगठन विकलांग व्यक्तियो की सेवा करने में पहले से ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इनकी सेवाओ को नीचे दिए आधार पर और विकसित किया जाना चाहिए

(अ) विकलांग व्यक्तियो को उनके घरो में ही शिक्षा देना,

(आ) जो चल-फिर नही सकते, उन्हें घरो में ही या पडोस में काम प्रदान करना,

(इ) विकलांगो, वृद्धो और असमर्थ लोगो को मनोरंजन-सम्बन्धी सुविधाए प्रदान करना; तथा

(ई) विशेष अनुदानो के द्वारा मदद करना।

नए रोजगार के लिए प्रशिक्षण की अवधि में वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति, आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

19 शहरी सामुदायिक विकास में शहरी समुदायो में उनके विविधतामूलक आचार-व्यवहार के बावजूद एक सामाजिक और आस-पास की परिस्थितियो में परिवर्तन लाने की विपुल सम्भावनाए निहित है। इस कार्यक्रम की सफलता मुख्यत. इस बात पर निर्भर करती है कि जनता कहा तक स्वावलम्बी होती है। अधिकारियो का काम अनिवार्य रूप से स्वैच्छिक प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना होगा। इस क्षेत्र में स्वैच्छिक सगठनो और गैर-कार्य-क्षेत्र के लिए काम करने के व्यापक अवसर हैं, और नगर-निगम तथा नगर-पालिकाए उनकी सेवाओ का पूरा-पूरा उपयोग कर सकती हैं। शहरी सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के द्वारा, जिनमें जनता का समर्थन पहल और उनको गतिशील रूप में सगठित करना भी शामिल है, कठिन शहरी परिस्थितियो को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए कुछ दिलचस्प परीक्षण भी आरम्भ कर दिए गए हैं।

सारे देश में शीघ्रता से और प्रभावशाली ढग से मद्य-निषेध लागू करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम बनाए ।"

इस प्रस्ताव के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनेक सिफारिशें की गई । यह बताया गया कि सविधान में पहले ही निदेशक सिद्धान्तो के रूप में मद्य-निषेध को स्वीकार किया गया है और अब आवश्यकता इस बात की है कि इसके प्रति एक सामान्य राष्ट्रीय नीति अपनायी जाए । राज्य-सरकारो को सारे देश के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत आधार पर अपने क्रमिक मद्य-निषेध के कार्यक्रम बनाने चाहिए और इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि निरन्तर विवेचना और स्थिति का आकलन होता रहे । प्रथम कदम के रूप में यह सुझाव दिया गया कि शराब-सम्बन्धी विज्ञापनो और शराब की ओर जनता को आकर्षित करने के अन्य तरीको पर रोक लगाई जाए तथा सार्वजनिक स्थानो पर (होटलो, हॉस्टलो, रेस्तरा, क्लबों आदि में) और सार्वजनिक स्वागत-समारोहो में शराब पीने पर पाबन्दी लगाई जाए । इनके साथ ही अन्य अनेक कार्रवाइयो का भी सुझाव दिया गया है । ये सुझाव थे

(1) शहरी और ग्रामीण, दोनो ही क्षेत्रो में शराब की दुकानो की सख्या क्रमश: कम की जाए;

(2) सप्ताह में शराब की दुकानें बन्द रखने के दिनो की सख्या बढाई जाए,

(3) शराब की दुकानो को दी जानेवाली शराब की मात्रा कम की जाए,

(4) भारतीय डिस्टिलरियो में बननेवाली शराब की मात्रा में क्रमश कमी की जाए,

(5) विशिष्ट औद्योगिक और अन्य विकास-परियोजना-क्षेत्रों में या उनके निकट शराब की दुकानें बन्द की जाए ,

(6) नगरो और ग्रामो में शराब की दुकानो को मुख्य सडको और रिहायशी मकानों से दूर हटा दिया जाए;

(7) सस्ते और स्वास्थ्यवर्द्धक पेयो के निर्माण एव उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाए,

(8) स्वैच्छिक अभिकरणों को मनोरजक-केन्द्रो की स्थापना में सहायता दी जाए, और

(9) सामुदायिक विकास-क्षेत्रो में तथा समाज-कल्याण-विस्तार-परियोजनाओं में मद्य-निषेध को एक रचनात्मक कार्य के रूप में सम्मिलित किया जाए ।

ऊपर दिए गए सुझावो के अनुसार अनेक राज्यो में कार्रवाई की गई है, परन्तु सामूहिक रूप से सारे देश में इस दिशा में हुई प्रगति बहुत मन्द है ।

21 दूसरी योजना में यह सिफारिश की गई थी कि एक केन्द्रीय समिति नियुक्त की जाए, जो मद्य-निषेध-कार्यक्रम की प्रगति की विवेचना करे, विभिन्न राज्यो की गतिविधियो में समन्वय स्थापित करे तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से सम्पर्क रखे । यह भी सुझाव दिया गया था कि राज्यो में मद्य-निषेध-मडल और जिला-मद्य-निषेध-समितिया स्थापित की जाए तथा कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने के लिए मद्य-निषेध-प्रशासक नियुक्त किए जाए । गृह-मन्त्रालय ने सन 1960 के अन्त में एक केन्द्रीय समिति का निर्माण किया

22 मद्य-निषेध अनिवार्य रूप से एक समाज-कल्याण-आन्दोलन है। समाज-सुधार के लिए एक स्वैच्छिक आन्दोलन के रूप में इसकी सफलता कुछ बातो पर निर्भर करती है। एतद्सम्बन्धी विशिष्ट बातें निम्नलिखित है .

(1) एक सार्वजनिक नीति के रूप में इसे स्वीकार करना और इसके साथ ही इस नीति को वास्तविक बनाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाना,

(2) जनता के एक बडे वर्ग-द्वारा समर्थन और मुख्य स्वैच्छिक सगठनो तथा बडी सख्या में सामाजिक कार्यकर्त्ताओ-द्वारा सक्रिय भाग लेना,

(3) रोज़गार-जैसी समस्याओ का व्यावहारिक हल ढूढना और उन उत्पादनो के विधायन तथा उपयोग की व्यवस्था करना, जो कि अन्यथा शराब-निर्माण के काम आएगे, और

(4) मद्य-निषेध की प्रगति के कारण राज्यो के राजस्व में होनेवाली सम्भावित हानि को पूरा करना।

23 सर्वप्रथम राजस्व में हानि के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। जैसा कि दूसरी योजना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बुनियादी सामाजिक नीति पर विचार करते समय वित्तीय प्रश्नो को, चाहे वे व्यावहारिक दृष्टि से कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यो न हो, निर्णयात्मक नही माना जा सकता। मद्य-निषेध के कारण साधनो में सम्भावित हानि स्थायी न होकर अस्थायी रूप से प्रभावित करनेवाली हो सकती है और सन्तुलन में भी यह हानि कभी-कभी लगाए जानेवाले अनुमान के मुकाबले में कही कम हो सकती है। यदि मद्य-निषेध-आन्दोलन ठीक मार्ग पर आगे बढे—और यही मान्यता है, जिस पर मद्य-निषेध के प्रस्ताव आधारित होने चाहिए—तो व्यक्ति और समुदाय का जीवन अधिक स्वस्थ हो, व्यक्तिगत रूप से श्रमिक और उसका परिवार अधिक उत्पादनशील हो, और राष्ट्रीय बचत में वृद्धि हो। परन्तु प्रारम्भिक अवस्था में यह सम्भव है कि मद्य-निषेध-नीति के अनुसार उठाए गए कदमो के कारण उत्पाद-शुल्क से प्राप्त होनेवाली राशि उससे कम हो, जिसका अनुमान राज्यो ने अपनी योजनाए बनाते समय लगाया था। इस पहलू पर केन्द्र और राज्यों-द्वारा पुन विचार किया जाना चाहिए। स्पष्टत केवल वित्तीय कारण एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम के लिए, जिसे देशभर में बहुसख्यक जनता के हित के लिए आवश्यक समझा गया है, बुनियादी रुकावट नही बन सकते।

24 मद्य-निषेध के वित्तीय पहलू के सम्बन्ध में यदि यह रुख रहे, तो प्रत्येक राज्य के लिए अगली कार्रवाइयो पर विचार कर सकना सम्भव होगा। यह परिकल्पना नही की गई कि राज्यो को पूर्ण मद्य-निषेध के बारे में एक तिथि निश्चित कर देनी चाहिए, क्योंकि व्यवहार में ऐसी तिथि पर कार्य करना या उस पर कायम रहना बडा कठिन है। फिर भी एक देश-व्यापी दृष्टिकोण से सभी राज्यो के लिए मद्य-निषेध-नीति कार्यान्वित करना और शराब के अन्तर्राज्यीय और अन्त जिला तस्कर-व्यापार को रोकना सरल हो जाएगा। दूसरी योजना में जो विभिन्न कदम सुझाए गए थे, वे सीमित किन्तु व्यावहारिक है और उन्हें आगामी 2 या 3 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उन राज्यो के लिए, जिन्होंने कुछ [illegible] में मद्य-निषेध लागू कर रखा है, यह भी सम्भव हो सकेगा कि वे अन्य क्षेत्रो में [illegible] लागू करें। इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि मद्य-निषेधवाले [illegible]

29 शहरी क्षेत्रो के विस्थापित व्यक्तियो के सामने अलग ढग की समस्याए थी और कुछ रूपो में ये बडी उलझनपूर्ण थी। विस्थापित आबादी को आवास प्रदान किया जाना था और उन्हें इस बात के लिए समर्थ बनाना था कि वे व्यापार, उद्योग और अपने पेशो में नया जीवन प्रारम्भ कर सकें। उनकी आवश्यक मांगो की पूर्ति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी सेवाओ को भी बढाना था। लगभग 25 लाख विस्थापित व्यक्तियो को आवास प्रदान किया जाना था, जबकि निष्क्रमितो की सम्पत्ति में इनमें से केवल आधे को ही स्थान प्रदान किया जा सकता था। कुल मिला कर 19 पूर्णतया विकसित नगरो और 136 नई बस्तियो का, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य नागरिक सुविधाए प्रदान की गई थी, निर्माण किया गया। कुल 1,55,000 मकान बनाए गए। विस्थापित व्यक्तियो को व्यापार और उद्योग में अपना पुनर्वास स्वय करने के लिए 15 13 करोड रु० के छोटे शहरी ऋण दिए गए। यह राशि पुनर्वास-वित्त-प्रशासन-द्वारा ऋण के रूप में दी गई 10 28 करोड रु० की राशि के अतिरिक्त है। मझले उद्योगो और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगो की 23 योजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

30 विस्थापित व्यक्तियो के बच्चो को शिक्षा-सम्बन्धी सहायता देने के लिए नए विद्यालय और कालेज प्रारम्भ किए गए तथा वर्तमान सस्थाओ को अपनी क्षमता बढाने के लिए सहायता दी गई। अनेक विस्थापित शिक्षा-सस्थाओ को अपने को नए केन्द्रो में स्थापित करने के लिए सहायता दी गई। 1,10,000 व्यक्तियो को व्यावसायिक एव तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।

पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

31 पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास मुख्यत पहली और दूसरी योजनाओ की अवधि में हुआ। पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितो के पुनर्वास की समस्या अनेक वर्षो तक लगातार आव्रजन के कारण तथा पश्चिम-बगाल की भूमि और आर्थिक जीवन पर भारी दबाव रहने के कारण विशेष रूप से कठिन हो गई थी। इस सिलसिले में विभिन्न मदो में किया गया व्यय इस प्रकार है ·

पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास पर व्यय (करोड रु०)

कार्यक्रम	पहली योजना से पूर्व	पहली योजना	दूसरी योजना	योग
शहरी ऋण	1 63	5 5	1.87	9
ग्रामीण ऋण	2 27	14 36	12 12	28 75
आवास	4 63	15.52	17 61	37.76
उद्योग	—	0.71*	3.55	4.26
पुनर्वास-वित्त-प्रशासन	—	—	0 98*	0.98
शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण	—	5 76	9.36	15.12
चिकित्सा	—	—	2 13	2.13
दडकारण्य-परियोजना	—	—	7 75	7 75
योग	8.53	41.85	55 37	105 75

*इसमें पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए किया गया व्यय भी सम्मिलित है।

32 पहली योजना के अन्त तक पूर्वी क्षेत्र में लगभग 5,00,000 परिवारो को बसाया गया। इनमें से लगभग 4,00,000 परिवारो को खेती-बारी या ग्रामीण क्षेत्रो में अन्य सहायक धन्धो में लगाया गया। दूसरी योजना के बारे में अनुमान था कि लगभग 1,70,000 परिवारो का पुनर्वास किया जाएगा। पश्चिम-बगाल में भूमि पर अधिक दबाव होने के कारण अन्य राज्यो में भी विस्थापित व्यक्तियो को बसाने के कार्यक्रम बनाए गए। कुल मिला कर ग्रामीण क्षेत्रो में 78,000 परिवारो को बसाया गया। 38,000 परिवारो को मकान बनाने के लिए ऋण दिए गए और अनेक बस्तियो का विकास किया गया। बड़े और छोटे उद्योगो में 14,000 व्यक्तियो को काम दिलाया गया। पुनर्वास-उद्योग-निगम ने —जिसे 5 करोड रु० की अधिकृत पूजी से स्वय या निजी उद्योगपतियो के सहयोग से ऐसे केन्द्रो में, जहा विस्थापितो की सख्या अधिक है, उद्योग स्थापित करने के लिए बनाया गया था—बड़े और मझले उद्योगो की 21 योजनाए स्वीकार की हैं। पहली योजना की अवधि में 28,000 और दूसरी योजना में 22,000 विस्थापित व्यक्तियो को व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओ को भी पर्याप्त रूप से बढाया गया। विस्थापित व्यक्तियो की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओ के विस्तार की दृष्टि से पश्चिम-बगाल में बडी सख्या में नए विद्यालय और कालेज खोले गए।

33 दूसरी योजना की अवधि में दडकारण्य-परियोजना के विकास का काम पश्चिम-बगाल के शिविरो में निवास कर रहे पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितो को बसाने और स्थानीय आबादी, विशेषत आदिवासियो, के कल्याण-कार्य को बढाने के उद्देश्य से हाथ में लिया गया। इस परियोजना के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक 21,000 एकड भूमि साफ की गई है और 13,000 एकड से अधिक भूमि कृषि-योग्य बनाई गई है। लगभग 3,700 एकड भूमि में खेती भी शुरू की गई है और प्राय 3,200 एकड कृषि-योग्य भूमि वितरण के लिए जिला-अधिकारियो को सौंपी गई है। कृषि-योग्य बनाई गई भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा आदिम जातियो के लिए सुरक्षित रखा गया है। मछली उद्योग और कुक्कुटपालन के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। उमरकोट-क्षेत्र में भास्कल बाध के निर्माण की बात स्वीकार कर ली गई है। इससे 13,750 एकड भूमि की सिचाई हो सकेगी। 90,000 एकड भूमि को प्रभावित करने-वालों बाधो का सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है और विस्तृत परियोजनाए तैयार की जा रही है। अन्य कार्यक्रमो—यथा मलेरिया-उन्मूलन, स्वास्थ्य-सुविधाओ की व्यवस्था, शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार, आदि—को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। फरवरी 1961 के अन्त तक 2,391 विस्थापित परिवारो को, जिनके सदस्यो की सख्या 10,599 है, दडकारण्य भेजा गया था। यहा बसाए गए परिवारो को बैल, दुधार पशु और कृषि-उपकरण, आदि खरीदने के लिए ऋण के रूप में भी सहायता दी जा रही है।

तीसरी योजना के लिए कार्यक्रम

34 विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास का काम क्रमश समाप्त हो रहा है। जहा तक पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापितो का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में की गई व्यवस्था मुख्यतः आवास-योजनाओ के लिए निवास-सम्बन्धी आवश्यकताओ और शिक्षा तथा स्वास्थ्य-सेवाओं के लिए सहायता देने तक सीमित है। पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियो के

सन्दर्भ में, दो मुख्य उद्देश्य पश्चिम-बंगाल के विस्थापित-शिविरों और अन्य केन्द्रों में रहनेवाले 28,600 और पश्चिम-बंगाल में ही आंशिक रूप से बसाए गए 2,00,000 विस्थापित परिवारों का पुनर्वास है। यद्यपि इनके लिए वित्तीय व्यवस्था 'पुनर्वास' की मद में की गई है, तथापि कुछ पुनर्वास-योजनाओं—यथा, पुनर्वास-उद्योग-निगम, विस्थापित छात्रों को वित्तीय सहायता, शय्याओं, और अस्पताल, आदि का आरक्षण—को पुनर्वास-मन्त्रालय से लेकर सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयों को सौंप दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवा की व्यवस्था के लिए सहायता-योजनाओं और प्रशिक्षण-योजनाओं को क्रमशः राज्यों की योजनाओं में ही सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। पुनर्वास-मन्त्रालय ने सम्बद्ध राज्य-सरकारों के परामर्श से जो कार्यक्रम बनाए हैं, उनमें 74 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था है। इनमें से 41 करोड़ रु० पूर्व-पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 26 करोड़ रु० दंडकारण्य-परियोजना के लिए और लगभग 7 करोड़ रु० पश्चिम-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए है। अभी तक तीसरी योजना में पुनर्वास के लिए 40 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। फिर भी, चूंकि लक्ष्य यथासम्भव कम समय में पूर्ण पुनर्वास का है और पुनर्वास-कार्यक्रमों का अपना विशेष स्वरूप है, अतः यह प्रस्ताव है कि अनिवार्य कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था पुनर्वास के कार्य में हुई वास्तविक प्रगति और किए जानेवाले अवशिष्ट कार्य को देखते हुए प्रति वर्ष की जानी चाहिए।

35 पूर्व-पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास-कार्यक्रम की कुछ मुख्य बातों का यहां संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। आशा है कि 18,000 किसान-परिवारों को भूमि देकर बसा दिया जाएगा—लगभग 3,000 परिवारों को पश्चिम-बंगाल और उत्तर-प्रदेश में तथा शेष परिवारों को दंडकारण्य-क्षेत्र में। किसानों को सिंचाई, भूमि-पुनरुद्धार और आवश्यक कृषि-उपकरण खरीदने के लिए ऋण भी दिया जाएगा। आवास-इकाइयों के निर्माण और नगरों में मकानों के निर्माण के लिए ऋण-अनुदान देने का एक ठोस कार्यक्रम बना लिया गया है। छोटे पैमाने के तथा मझले स्तर के लोगों के लिए भी ऋण देने की व्यवस्था की गई है। अन्य बातों के अतिरिक्त योजना में शिविरों में रहनेवाले विस्थापितों के बच्चों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएं देने, विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली निजी शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने और निर्धन तथा उपयुक्त विस्थापित छात्रों को मदद देने की भी व्यवस्था है। योजना में पश्चिम-बंगाल में रहनेवाले विस्थापितों के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण और चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने की भी व्यवस्था है। दंडकारण्य-क्षेत्र के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इनमें भूमि-पुनरुद्धार, सिंचाई, सड़क-विकास, और पुनर्वास के लिए ऋणों और अनुदानों की योजनाएं, तथा शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं के लिए व्यवस्था भी सम्मिलित है।

पुनर्वास और विकास

36 अपने अन्तिम चरणों में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास-कार्य पूर्व-अवधि के अवशिष्ट कार्यों का ही रूप अधिकाधिक ग्रहण करता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रयत्नों में—विशेषतः इन राज्यों और प्रदेशों के, जिन पर सर्वाधिक भार पड़ा है—विलीन हो रहा है। विकासशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पुनर्वास और विकास के एकीकरण से विस्थापित व्यक्तियों की द्रुत आर्थिक एकात्मकता में सहायता मिलेगी।

लगभग 15 वर्ष पूर्व पुनर्वास की चुनौती विचलित करनेवाली, आकस्मिक, और शीघ्रता तथा गुरुतापूर्ण थी और उसके बाद से अब तक अनेक नाजुक मौके आए हैं। परन्तु कष्टो और सकटो, जिनके बीच लाखो व्यक्तियो को रहना पडा, और अनेक कमियो के बावजूद विस्थापितो की बडी समस्याओ को एक-एक करके हल किया गया है और नए जीवन की एक अच्छी और वास्तविक नीव रख दी गई है।

उपसंहार

इस रिपोर्ट में हमने उन कार्यों की व्यापकता और विशालता पर बल दिया है, जिन्हें भारत को तीसरी योजना की अवधि में पूरा करना है। हमारे साधन-स्रोतों पर इनके चलते काफी भार पड़ेगा और इनके लिए राष्ट्र तथा उसके प्रत्येक नागरिक को यथासम्भव अपने सर्वोत्तम अर्पण के लिए तैयार रहना होगा। यदि शीघ्रतापूर्वक और जी-जान लगा कर काम किया गया, तो राष्ट्र निश्चय ही अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा।

जवाहरलाल नेहरू
अध्यक्ष

गुलजारीलाल नन्दा
उपाध्यक्ष

मोरारजी आर० देसाई
वी० के० कृष्णमेनन
सी० एम० त्रिवेदी
श्रीमन्नारायण
टी० एन० सिंह
ए० एन० खोसला
पी० सी० महलानवीस
सदस्य

विष्णु सहाय
सचिव

तरलोक सिंह
अतिरिक्त सचिव

3 अगस्त, 1961

परिशिष्ट

परिशिष्ट श्र

विवरण श्र-1 : प्रमुख आर्थिक सूचक, 1950-51—1960-61

शीर्षक	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61
राष्ट्रीय आय (1960-61 के मूल्यो के आधार पर) (करोड रु०)	10,240	10,515	10,930	11,590	11,880	12,130	12,710	12,590	13,510	13,680	14,500
मुद्रा-आपूर्ति (क) (करोड रु०)	1,979	1,804	1,765	1,794	1,921	2,184	2,313	2,388	2,499	2,703	2,908
अनुसूचित बैंको में जमा राशि (क) (करोड रु०)	906	878	844	856	951	1,051	1,186	1,481	1,668	1,935	1,910
योजना की व्यय-व्यवस्था (करोड रु०)	—	259·6	267 6	343	475·9	614 1	632 8	884·2	1001 4	2010 5	1071
घाटे की वित्त-व्यवस्था (करोड रु०)	—	2	44	36	94	157	253	496	136	112	(—)49
थोक मूल्यो का सूचनाक (ख) (आधार : 1952-53=100)	125 2	99 9	100 8	100 3	90 8	98 1	105 6	105 4	112 3	118 9	127 5
जीवन-यापन-व्यय का सूचनाक (आधार : 1949=100)	101	105	104	106	99	96	107	112	118	123	124
नियोजन का सूचनाक (सगठित क्षेत्र) (आधार. 1950-51=100)	100	99 3	102	101	103 5	104	111 2	115 9	114 9	119	121(ग)
पारिश्रमिक का सूचनाक (आधार : 1950-51=100)	100	107 1	115	114 9	114 9	121 3	125	127 6	132 6	135(ग)	137(ग)
कृषि-उत्पादन का सूचनाक (आधार : 1949-50=100)	95 6	97 5	102	114 3	117	116 8	124	114 6	132 3	127 2	138
खाद्यान्न-उत्पादन का सूचनाक (आधार : 1949-50=100)	90·5	91 1	101 1	119 1	115	115 3	120 8	107 9	130 1	124 3	131 6
औद्योगिक उत्पादन का सूचनाक (आधार : 1950-51=100)	100	112·2	113 4	117 3	129 1	138 6	151	152 5	157 2	175	194 3
आयात (करोड रु०)	650	963	633	592	684	761	1,100	1,234	1,030	924	1,075
निर्यात (करोड रु०)	646	730	602	540	597	641	635	668	576	623	625

(क) वित्तीय वर्ष के अन्तिम शुक्रवार के अनुसार ।

(ख) मार्च मास के सप्ताहों के औसत से सम्बद्ध अंक ।

(ग) अनुमानित ।

विवरण अ-2 : थोक मूल्यों के सूचनांक, 1950-51—1960-61
(आधार : 1952-53=100)

(सम्बद्ध महीनों के सप्ताहों का औसत)

अवधि	खाद्य वस्तुएं	अनाज	चावल	गेहूं	शराब और तम्बाकू	ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं स्नेहक	औद्योगिक कच्ची सामग्रियाँ	कच्ची कपास	कच्चा पटसन	तेलहन	निर्मित वस्तुएं	सामान्य सूचनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1949-50												
मार्च	108 3	92	87	98	91 6	91 1	119 1	93	128	132	98 9	106 4
1950-51												
जून	111 4	91	90	90	96	90 1	122	100	127	136	98.7	108.4
सितम्बर	116 9	94	94	93	103 8	92 3	127	104	128	147	100 7	112.8
दिसम्बर	109 2	97	96	99	100.7	93.7	132 8	128	127	144	103 5	110 6
मार्च	112 1	100	100	100	112 9	97.5	153 7	144	204	149	118 7	120 2
1951-52												
जून	116.9	101	110	93	115 3	95 4	166 8	128	314	151	123 2	126 1
सितम्बर	113 7	105	109	95	125 4	91 1	132	121	172	130	117 6	117 3
दिसम्बर	110 2	99	99	93	130	97 6	136 6	135	193	129	119 9	117 1
मार्च	93 7	95	97	90	121 5	98	103 2	109	131	85	107 6	99 9
1952-53												
	97.9	100	101	96	101 7	99 1	98	102	113	88	101 2	99 1
	103 7	102	102	100	98 3	101 1	106 1	109	101	107	100 7	103

विवरण श्र-2 (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दिसम्बर	96.5	97	95	100	95.5	99.7	93.8	90	89	96	97.5	96.4
मार्च	102.2	100	99	102	92.8	98.8	101.5	96	82	115	98.9	100.8
1953-54												
जून	113.3	104	107	95	99	98.9	113.7	99	101	137	100.1	108.8
सितम्बर	111.7	103	107	95	101.7	99.8	113.8	101	95	137	98.8	107.7
दिसम्बर	101.6	92	93	92	99.2	98.5	107.2	105	108	111	98.1	101.4
मार्च	98.6	88	87	88	96	98	106.2	108	98	109	100.6	100.3
1954-55												
जून	97.3	82	88	69	94.3	98.5	103.1	103	95	102	101.1	99.3
सितम्बर	100.4	85	90	76	94.1	96.8	100.5	100	99	95	100.8	100.3
दिसम्बर	87.7	73	74	72	83.8	96.5	100.9	104	123	84	99.8	93.4
मार्च	82.9	70	72	71	86	95.7	97.2	92	142	71	101.1	90.8
1955-56												
जून	83.7	69	76	60	82.3	95	93.3	93	116	74	98.2	89.7
सितम्बर	85.3	75	81	68	79.5	94.1	94.5	95	113	81	98.3	90.6
दिसम्बर	87.5	77	76	80	79.6	95.2	101.9	102	110	92	100.2	93.5
मार्च	92.8	86	88	85	78.7	96.8	109.4	107	122	106	102.9	98.1
1956-57												
जून	99	93	85	82	80.5	98.7	112.9	111	113	116	103.5	102.1
सितम्बर	103.6	99	101	87	83.6	106.2	116.8	109	122	124	109	106.9
दिसम्बर	105.1	97	94	94	87.7	106.8	119.4	109	138	124	108.8	108.1
मार्च	102.3	99	97	95	87.2	106.5	117.3	113	133	119	106.2	105.6

1957-58												
जून	109 1	101	107	89	92.1	112	121 1	112	116	125	104 8	110 [illegible]
सितम्बर	108 5	103	108	87	93 7	115	115 1	100	133	121	108 6	109 5
दिसम्बर	101	98	102	86	97 7	111 9	115 1	105	129	119	107 8	107 1
मार्च	102 3	95	100	81	91 9	111 3	111 3	103	120	113	107.6	105 1
1958-59												
जून	113 1	106	111	93	92 1	115 9	115 2	100	127	121	107 9	111 7
सितम्बर	121 2	115	118	105	90 9	116 1	119	99	114	137	108 8	116 5
दिसम्बर	113 3	105	98	111	96 1	115 1	112 5	99	110	122	108 3	111 1
मार्च	113 8	102	92	111	100 3	116	116	102	111	123	105 6	112 3
1959-60												
जून	118 7	102	102	93	97 6	115 9	120 3	105	111	135	109 1	115 6
सितम्बर	120 5	108	111	98	99 7	116 3	122 6	102	119	136	110	117 2
दिसम्बर	118 2	101	101	96	103 7	117	127 2	111	110	131	111 1	107 8
मार्च	117	103	106	98	96 1	117 3	131 9	113	111	111	116 8	118 8
1960-61												
जून	120 3	107	114	87	109 5	118	139 7	112	187	111	119 9	122 9
सितम्बर	123 9	109	114	90	101 5	119 8	138 7	112	180 6	117	122 7	125 3
दिसम्बर	117	100	102	89	112 1	120 3	149 5	110	226 1	151	126	121 6
मार्च	117 5	100	101	91	113 4	122 7	150 1	111	270 9	160	129 1	127 5

विवरण अ-3 : कृषि-उत्पादनों के सूचनांक (क)

(आधार : 1949-50=100)

वस्तु/वर्ष	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61
चावल	87 9	90.1	96.8	118 6	105.8	114 2	120 4	104 8	127 6	123 3	131 6
गेहू	101 1	93.9	112.7	120	135.4	131.3	144.7	116 5	147 1	146 5	151
सभी अनाज	90 3	91 2	101.4	120 1	114.5	114 9	120 5	108 5	129 3	125 3	132 6
दालें	91 7	90.3	98.8	112	118 5	118 4	122 9	104 2	135 2	117 2	125 5
सभी खाद्यान्न	90 5	91.1	101 1	119 1	115	115 3	120.8	107 9	130 1	124 3	131 6
तेलहन	98 5	97.4	91.9	103.7	122 6	108.6	120 3	115 6	133.4	122 5	136 9
गन्ना	113 7	122.8	101 6	89.5	115 9	119 8	137 2	134 7	139 4	148 5	156 7
कपास	110.7	119.2	121	151 8	163 6	153 9	181 2	179 7	178	115 7	193 8
पटसन	106 3	151.4	118 6	100	94 8	135 8	138 7	131	158 6	139 8	122 9
चाय	103 8	109.6	115.4	100 6	110 4	107 2	108 7	116 9	122.9	121	124 9
कहवा	112.3	112 7	125 9	146.5	151.8	196.1	204 1	229 8	211 2	245 7	252 6
रबड	93 8	94 4	106 1	131.8	127 6	146 1	113 1	140 1	143 1	137 9	155 5
सभी वस्तुएं	95.6	97.5	102	114.3	117	116 8	121	111 6	132 3	127 2	135

(क) आंकड़े जून में समाप्त होनेवाले कृषि-वर्ष के बारे में हैं।

विवरण अ-4 : औद्योगिक उत्पादनों के सूचनांक

(आधार : 1950-51=100)

वस्तु/वर्ग	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60 (क)	1960-61 (क)
सूती वस्त्र	109 3	116 6	123 7	126 7	127 9	134 7	127 3	123 4	127 5	133 1
रसायन और रासायनिक वस्तुए	114 9	135	144 2	162 9	179 3	192 1	203 6	233 2	260 1	288 1
लोहा और इस्पात	111	107 3	106	119 7	121 6	126 7	126 3	130 7	189 5	238 2
मशीनें (सभी प्रकार की)	115 9	106 7	119 2	150 9	191 8	258 5	320 8	370 1	412 1	503 2
सामान्य सूचनांक	112 2	113 4	117 3	129 1	138 6	151	152 5	157 2	175	194 3

(क) अस्थायी

विवरण श्र-5 · ग्रामीण श्रौर शहरी जनसख्या, 1951 श्रौर 1961

(लाख)

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	1951			1961		
	शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी	ग्रामीण	योग
श्रान्ध्रप्रदेश	54 4	258 2	312 6	62 6	297 2	359 8
असम	4 1	86 3	90 4	8 9	109 7	118 6
बिहार	26 2	361 6	387 8	39 2	425 4	464 6
गुजरात महाराष्ट्र	136 5	346 1	482 6	52 8 110 3	153 4 284 7	206 2 395
जम्मू-कश्मीर	—	—	44 1	[illegible]	29 8	35 8
केरल	17 8	117 7	135 [illegible]	25 3	143 4	168 7
मध्यप्रदेश	31 3	229 4	260 7	46 3	277 6	323 9
मद्रास	73 1	226 6	299 7	89 9	246 6	336 5
मैसूर	44 5	149 5	194	51 9	183 6	235 5
उड़ीसा	6	140 5	146 5	11 1	164 5	175 6
पंजाब	30 7	130 6	161 3	40 8	162 2	203
राजस्थान	29 6	130 1	159.7	32 3	169 1	201 4
उत्तरप्रदेश	86 3	545 9	632 2	94 8	642 7	737 5
पश्चिम-बंगाल	62 8	200 2	263	81	268 7	249 7
अन्दमान और निकोबार-द्वीपसमूह	—	—	0 3	0 1	0 5	0 6
दिल्ली	14 4	3 1	17 5	23 4	3	26 4
हिमाचलप्रदेश	0 5	10 6	11 1	0 6	12 9	13 5
लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी-द्वीपसमूह	—	0 2	0 2	—	0 2	0 2
त्रिपुरा	0 4	0 6	6 4	1	10 4	11 4
मणिपुर	—	—	5 8	—	—	6 4
नागालैंड	—	—	5 6	—	—	6 1
नेफा	—	—	1 4	—	—	1 6
पांडिचेरी	—	—	0 3	—	—	0 3

टिप्पणी सन् 1951 की जनगणना में ऐसे सभी स्थान, जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक थी तथा कुछ ऐसे स्थान, जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम थी, किन्तु जिनका स्वरूप शहरी था, शहर के रूप में गिने गए। सन् 1961 की जनगणना में इन तीन शर्तों को पूरा करनेवाले स्थानों को शहर के रूप में माना गया—(1) जनसख्या 5,000 से कम न हो, (2) जनसंख्या का घनत्व 1,000 प्रति वर्गमील से कम न हो, और (3) वयस्क पुरुषों की कम-से-कम तीन-चौथाई संख्या कृषि से भिन्न कामों या धन्धों में लगी हो।

परिशिष्ट आ

विवरण आ-1 : पहली और दूसरी योजनाओं में व्यय-व्यवस्था, वर्षानुक्रम से

(लाख रु०)

विकास की मद	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	योग 1951-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	योग 1956-61	योग 1951-61
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
छोटी सिंचाई-सहित कृषि-उत्पादन	2,343	2,223	3,004	4,312	5,730	17,612	2,597	3,061	4,037	4,726	4,783	19,204	36,816
दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति-सहित पशुपालन	246	267	252	328	460	1,553	314	507	670	841	1,015	3,347	4,900
मछली-उद्योग	44	36	39	54	98	271	72	111	156	255	312	906	1,177
वन-विकास और मिट्टी-संरक्षण	96	115	147	239	553	1,150	413	550	739	995	992	3,689	4,839
1 कृषि-कार्यक्रम	2,729	2,641	3,442	4,933	6,841	20,586	3,396	4,229	5,602	6,817	7,102	27,146	47,732
गोदाम, हाट-व्यवस्था और भांडारण-सहित सहकारिता	77	71	92	98	162	500	319	645	633	939	1,345	3,881	4,381
पंचायत और स्थानीय विकास-कार्य-सहित सामुदायिक विकास	127	286	1,066	2,548	3,876	7,903	3,186	3,708	4,681	4,731	5,567	21,873	29,776
2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	204	357	1,158	2,646	4,038	8,403	3,505	4,353	5,314	5,670	6,912	25,754	34,157
बहुद्देशीय परियोजनाएं	3,533	4,138	5,117	5,587	5,284	23,661	(क)	(क)	(क)	(क)	(क)	(क)	(क)
बाढ़-नियंत्रण-सहित सिंचाई	2,569	3,146	3,184	4,586	6,259	19,744	8,233	8,175	8,083	8,243	9,283	42,017	85,422
बिजली	2,233	2,495	2,851	2,968	4,336	14,883	8,019	7,921	8,388	9,414	10,807	44,549	59,432

* अनुमानित

(क) बहुद्देशीय परियोजनाओं के अन्तर्गत व्यय को सिंचाई और बिजली में बांट दिया गया है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3 सिंचाई और बिजली	8,337	9,779	11,152	13,111	5,879	58,288	16,252	16,096	16,471	17,657	20,090	96,566	1,44,854
खनिज (खनन-सहित) बड़े और मझोले उद्योग	918	756	1,126	993	1,679	5,472	5,287	19,391	24,149	23,109	18,053	89,989	95,461
ग्राम और लघु उद्योग	111	183	710	1,158	2,016	4,211	2,865	3,337	3,785	3,776	3,803	17,566	21,777
1. उद्योग और खनन	1,062	939	1,836	2,151	3,695	9,683	8,152	22,728	27,934	26,885	21,856	1,07,555	1,17,238
रेलें	4,086	3,018	3,421	6,621	8,851	26,000	13,332	20,522	19,930	14,075	18,152	86,011	1,12,011
सड़कें	1,543	1,996	2,562	2,882	4,092	13,075	4,224	4,164	4,230	4,737	5,009	22,364	35,439
सड़क-परिवहन	114	261	264	344	228	1,214	349	393	267	377	432	1,818	3,032
बन्दरगाह और पत्तन	120	143	548	859	1,010	2,680	830	645	642	522	700	3,339	6,019
डाक-तार	551	617	821	968	925	3,884	952	951	1,002	1,020	1,134	5,059	8,943
जहाजरानी	194	107	343	616	566	1,826	897	882	1,072	1,161	1,256	5,268	7,094
नागरिक उड्डयन और अन्य	242	223	560	1,034	786	2,845	986	1,006	1,171	1,475	1,010	5,648	8,493
प्रसारण	23	11	49	52	122	257	123	109	75	47	114	468	725
5. परिवहन और संचार-साधन	6,875	6,179	8,568	11,376	16,583	51,781	21,693	28,672	28,389	23,414	27,807	1,29,975	1,81,756
शिक्षा	1,984	2,243	2,659	3,651	4,365	14,902	2,338	3,494	5,200	6,734	7,810	25,576	40,478
स्वास्थ्य	1,172	1,325	1,650	2,287	3,351	9,785	2,611	3,358	4,044	5,574	6,047	21,634	31,419
आवास	284	337	476	719	1,532	3,348	1,182	1,047	1,709	1,929	2,166	8,033	11,381
पिछड़े वर्गों का कल्याण	125	389	628	810	1,032	3,184	809	1,152	1,389	2,372	2,219	7,941	11,125
समाज-कल्याण, श्रम और श्रम-कल्याण	74	77	73	77	101	402	149	382	802	811	1,355	3,499	3,901
पुनर्वास	2,618	2,026	1,347	1,569	2,010	9,570	1,704	1,236	1,220	1,131	1,050	6,341	15,911
6 समाज-सेवाएं	6,457	6,397	6,833	9,113	12,391	41,191	8,793	10,669	14,364	18,551	20,647	73,024	1,14,215
7 विविध	296	261	1,315	2,232	1,964	6,068	1,492	1,672	2,070	2,057	2,689	9,980	16,048
सर्वयोग	25,960	26,753	34,304	47,592	61,391	1,96,000	63,283	88,419	1,00,144	1,01,051	1,07,103	4,06,000	6,56,000

विवरण आ-2 : दूसरी योजना में अनुमानित व्यय और तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था—राज्य

(लाख रु०)

विकास की मद	आन्ध्रप्रदेश		असम		बिहार		गुजरात		केरल	
	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कृषि-उत्पादन	546	1,246	235	507	1,343	1,936	424	798	464	1,400
छोटी सिंचाई	710	1,826	191	390	827	839	880	1,500	170	572
मिट्टी-संरक्षण	77	163	10	50	161	250	149	827	22	120
पशुपालन	206	385	68	117	366	468	55	250	69	150
दुग्ध-उद्योग और दुग्ध-आपूर्ति	51	296	6	23	41	212	117	185	18	60
वन	105	145	110	90	176	295	98	224	65	375
मछली-उद्योग	61	115	32	50	31	89	64	123	72	450
गोदाम, हाट-व्यवस्था और भाण्डागार	30	72	59	35	17	50	88	93	(क)	41
1. कृषि-कार्यक्रम	1,789	1,218	711	1,262	2,962	4,139	1,876	4,000	880	3,171
सहकारिता	300	575	111	200	280	518	357	457	56	246

(क) 'सहकारिता' के अन्तर्गत व्यवस्था

विवरण आ-2 (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
सामुदायिक विकास	1,575	2,550	526	835	2,147	3,500	1,563	1,367	456	805
पंचायतें	22	300	150	140	97	92	(ख)	114	—	72
2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	1,897	3,425	790	1,175	2,524	4,110	1,920	1,938	512	1,123
सिंचाई	5,816	7,380	97	228	2,582	6,157	3,536	5,124	834	1,142
बाढ़-नियन्त्रण	—	243	529	500	—	900	—	50	67	421
बिजली	3,169	6,194	530	2,750	3,125	7,062	1,555	4,648	2,204	4,356
3 सिंचाई और बिजली	9,285	14,117	1,156	3,478	5,707	14,119	5,091	9,822	3,105	5,919
बड़े और मझोले उद्योग	167	600	160	535	213	280	(ग)	318	118	920
खनिज-विकास	—	11	—	—	11	20	(ग)	50	—	—
ग्राम और लघु उद्योग	863	1,267	306	440	684	1,103	485	373	430	800
4. उद्योग और खनन	1,030	1,878	466	975	908	1,403	485	741	548	1,720
सड़कें	522	800	717	850	1,333	1,900	1,838	1,650	518	900
सड़क-परिवहन	32	350	68	25	30	200	355	300	102	63
बन्दरगाह और पत्तन	—	—	—	—	—	—	196	200	—	25
अन्य परिवहन	—	—	3	130	—	30	—	—	—	50
पर्यटन	7	6	10	10	1	10	—	30	6	50
5. परिवहन और सचार-साधन	561	1,156	798	1,015	1,364	2,110	2,389	2,180	626	1,088
सामान्य शिक्षा और सास्कृतिक कार्यक्रम	968	2,066	675	1,369	1,697	3,403	1,078	1,415	1,119	1,469

तकनीकी शिक्षा	214	295	168	305	194	504	(घ)	307	(घ)	378
स्वास्थ्य	1,027	1,900	414	865	1,294	2,150	832	1,644	501	1,350
आवास	457	610	113	275	391	575	608	885	135	430
पिछड़े वर्गों का कल्याण	461	537	824	1,030	434	728	295	305	260	195
समाज-कल्याण	43	83	29	20	32	35	(ङ)	41	10	39
श्रम और श्रम-कल्याण	[redacted]	135	36	100	106	280	(ङ)	146	19	80
जन-सहयोग	—	(च)	—	(ख)	—	(च)	—	5	—	5
6. समाज-सेवाएं	3,235	5,626	2,259	3,964	4,148	7,675	2,813	4,748	2,044	3,946
अंक-संकलन	15	5	17	22	36	18	—	11	—	15
सूचना और प्रचार	25	20	22	34	38	50	—	25	—	13
स्थानीय निकाय	47	—	20	25	—	—	—	35	—	—
राज्य-राजधानी-परि-योजनाएं	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य	—	25	76	50	—	50	—	—	—	5
7. विविध	267	50	135	131	74	118	109	71	185	33
सर्वयोग	18,064	30,500	6,315	12,000	17,687	33,704	14,683	23,500	7,900	17,000

(ख) 'सामुदायिक विकास' के अन्तर्गत व्यवस्था
(ग) 'ग्राम और लघु उद्योग' के अन्तर्गत व्यवस्था
(घ) 'सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम' के अन्तर्गत व्यवस्था
(ङ) 'पिछड़े वर्गों का कल्याण' के अन्तर्गत व्यवस्था
(च) इन राज्यों में जन-सहयोग के लिए व्यय-व्यवस्था तीसरी योजना के स्वीकृत अधिकतम व्यय-परिमाण में ही उपयुक्त समजन के द्वारा करनी होगी—आन्ध्रप्रदेश और बिहार · 6 लाख रु० प्रत्येक , असम : 1 लाख रु० ।

विवरण आ-2 (जारी)

विकास की मद	महाराष्ट्र: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	महाराष्ट्र: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	मध्यप्रदेश: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	मध्यप्रदेश: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	मद्रास: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	मद्रास: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	मैसूर: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	मैसूर: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	उड़ीसा: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	उड़ीसा: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था
	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
कृषि-उत्पादन	832	1,489	729	1,400	450	1,067	434	1,304	269	682
छोटी सिंचाई	998	1,579	849	1,500	632	1,280	1,027	1,600	165	304
मिट्टी-संरक्षण	604	2,084	95	300	131	250	152	300	50	84
पशुपालन	137	166	172	400	197	352	75	195	151	228
दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति	238	512	31	120	117	275	22	175	8	41
वन	124	295	196	600	71	212	106	279	48	160
मछली-उद्योग	154	249	20	75	79	222	44	130	80	190
गोदाम, हाट-व्यवस्था और भांडारण	(क)	130	—	40	(क)	40	32	112	18	30
1. कृषि-कार्यक्रम	3,087	6,504	2,092	4,435	1,680	3,698	1,892	4,105	789	1,722
सहकारिता	680	957	282	670	180	471	240	175	104	237
सामुदायिक विकास	2,432	2,400	1,700	2,250	1,343	2,036	999	1,535	995	1,750
पंचायतें	(ख)	227	56	290	—	10	32	69	49	101

2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	3,112	3,584	2,038	3,210	1,523	2,517	1,271	2,079	1,148	2,088
सिंचाई	3,097	6,604	2,852	4,160	1,693	2,742	2,800	4,066	2,805	2,141
बाढ़-नियन्त्रण	—	30	—	20	—	—	—	—	—	250
बिजली	4,067	8,124	2,736	7,600	7,885	10,019	2,688	6,967	1,372	4,462
3 सिंचाई और बिजली	7,164	14,758	5,588	11,780	9,578	12,761	5,488	11,033	4,177	6,853
बड़े और मझोले उद्योग	(ग)	695	25	191	114	310	132	689	35	35
खनिज-विकास	(ग)	85	6	30	—	25	155	108	25	153
ग्राम और लघु उद्योग	498	810	362	829	1,272	2,016	512	775	353	510
4 उद्योग और खनन	498	1,590	393	1,050	1,386	2,351	799	1,572	413	698
सड़कें	1,582	3,051	892	1,700	533	1,100	924	900	557	800
सड़क-परिवहन	223	630	2	70	—	—	430	200	25	46
बन्दरगाह और पत्तन	96	50	—	—	—	—	5	215	—	—
अन्य परिवहन	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—
पर्यटन	—	34	—	10	5	25	11	15	2	5
5 परिवहन और संचार-साधन	1,901	3,795	894	1,780	538	1,125	1,370	1,330	584	851
सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम	1,525	2,391	1,230	2,712	1,141	2,564	978	1,620	579	1,514
तकनीकी शिक्षा	(घ)	715	229	483	232	652	203	436	91	215
स्वास्थ्य	1,518	2,722	971	2,130	1,435	2,150	1,147	1,700	352	914

(क) 'सहकारिता' के अन्तर्गत व्यवस्था
(ख) 'सामुदायिक विकास' के अन्तर्गत व्यवस्था
(ग) 'ग्राम और लघु उद्योग' के अन्तर्गत व्यवस्था
(घ) 'सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम' के अन्तर्गत व्यवस्था

विवरण आ-2 (जारी)

	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
आवास	1,809	1,678	288	550	480	700	325	500	108	200
पिछड़े वर्गों का कल्याण	603	778	269	800	459	326	279	440	341	463
समाज-कल्याण	(ङ)	114	36	70	18	52	35	30	10	16
श्रम और श्रम-कल्याण	(ङ)	302	51	120	48	133	40	102	47	76
जन-सहयोग	—	—	(च)	—	(च)	(च)	(च)	—	—	4
6. समाज-सेवाएं	5,485	8,703	3,074	6,865	3,813	6,577	3,007	4,828	1,528	3,402
मत-संकलन	(छ)	29	21	28	9	24	5	18	18	27
सूचना और प्रचार	144	37	20	39	16	35	6	35	26	34
स्थानीय निकाय	—	—	61	75	76	—	34	—	18	25
राज्य-राजधानी-परियोजनाएं	—	—	365	700	—	—	—	—	215	275
अन्य	12	—	4	38	—	—	—	—	20	25
7. विविध	156	66	471	880	101	59	45	53	297	386
सर्वयोग	21,403	39,000	14,550	30,000	18,619	29,088	13,872	25,000	8,936	16,000

(ङ) 'पिछड़े वर्गों का कल्याण' के अन्तर्गत व्यवस्था

(च) इन राज्यों में जन-सहयोग के लिए व्यय-व्यवस्था तीसरी योजना में स्वीकृत अधिकतम व्यय-परिमाण में ही उपयुक्त समंजन के द्वारा करनी होगी—मध्यप्रदेश और मद्रास : 6 लाख रु० प्रत्येक, मैसूर : 5 लाख रु० ।

(छ) सूचना और प्रचार में सम्मिलित

विवरण आ-2 (जारी)

	पंजाब		राजस्थान		उत्तरप्रदेश		प० बंगाल		जम्मू-कश्मीर		सभी राज्यों का योग	
	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था
	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
कृषि-उत्पादन	604	1,133	320	659	1,814	2,746	430	1,634	46	350	8,940	18,351
छोटी सिंचाई	487	752	394	670	1,634	3,300	204	1,032	99	125	9,267	17,269
मिट्टी-संरक्षण	53	189	40	140	127	409	53	466	38	100	1,765	5,732
पशुपालन	121	268	120	471	225	666	99	411 }	47	65	2,108	4,592
दुग्ध-उद्योग और दुग्ध-आपूर्ति	69	180	9	69	32	300	354	600 }	—	35	1,116	3,086
वन	117	278	131	245	231	662	121	234	42	100	1,741	4,204
मछली-उद्योग	8	45	6	20	33	102	36	205	6	25	726	2,090
गोदाम, हाट-व्यवस्था और भण्डारण	11	31	10	26	12	97	19	43	—	—	300	843
1 कृषि-कार्यक्रम	1,173	2,876	1,030	2,300	4,108	8,282	1,316	4,625	278	800	25,963	56,167
सहकारिता	171	424	176	400	405	1,084	113	165	28	80	3,486	6,959
सामुदायिक विकास	839	1,230	1,095	1,200	2,644	5,167	928	1,239	345	325	19,587	28,189
पंचायतें	60	112	55	580	—	411	59	197	—	109	580	2,824

विवरण आ-2 (जारी)

	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	1,070	1,766	1,326	2,180	3,049	6,662	1,100	1,601	373	514	23,653	37,972
सिंचाई	3,952	2,201	2,268	8,510	2,435	5,171	2,033	1,892	93	600	36,893	58,121
बाढ़-नियन्त्रण	35	1,501	—	90	—	575	—	515	—	900	631	5,995
बिजली	3,908	6,764	1,575	3,500	5,691	10,836	1,194	3,736	370	797	42,369	88,315
3 सिंचाई और बिजली	7,895	10,469	3,843	12,100	8,126	16,582	3,227	6,143	463	2,497	79,893	1,52,431
बड़े और मझोले उद्योग	55	322	15	30	324	368	2,310	1,204	115	353	3,783	6,850
खनिज-विकास	—	10	9	365	6	6	—	92	—	153	212	1,108
ग्राम और लघु उद्योग	412	1,108	296	500	919	1,775	592	997	114	400	8,098	13,703
4 उद्योग और खनन	467	1,440	320	895	1,249	2,149	2,902	2,293	229	906	12,093	21,661
सड़कें	1,003	1,200	1,011	1,300	1,501	3,048	1,468	1,800	196	832	14,895	21,831
सड़क-परिवहन	26	60	—	—	66	—	198	100	—	—	1,557	2,044
बन्दरगाह और पत्तन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297	490
अन्य परिवहन	—	—	—	—	—	—	10	33	—	—	13	273
पर्यटन	6	23	12	20	19	38	1	17	56	100	139	393
5 परिवहन और संचार-साधन	1,035	1,283	1,023	1,320	1,586	3,086	1,680	1,950	552	932	16,901	25,031
सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम	827	1,796	1,129	1,778	1,429	5,041	2,658	2,367	213	398	17,246	31,906
तकनीकी शिक्षा	190	709	68	332	326	937	313	618	24	100	2,252	6,986
स्वास्थ्य	619	1,310	698	1,595	1,177	4,126	1,427	1,980	256	578	13,698	27,114

आवास	450	305	219	420	849	920	583	172	110	200	6,925	9,620
पिछड़े वर्गों का कल्याण	261	336	171	325	542	961	141	250	29	24	5,372	7,498
समाज-कल्याण	29	74	15	40	30	80	47	310	3	11	337	1,048
श्रम और श्रम-कल्याण	48	155	42	100	162	414	90	346	6	30	760	2,519
जन-सहयोग	—	5	—	5	—	—	—	(क)	—	1	—	34
6 समाज-सेवाएं	2,424	4,690	2,342	4,595	4,515	12,485	5,262	7,273	611	1,348	16,590	86,725
अंक-संकलन	9	19	8	30	25	66	1	22	3	8	—	322
सूचना और प्रचार	29	50	35	65	35	72	21	40	12	13	—	562
स्थानीय निकाय	—	—	—	75	—	—	67	—	71	75	—	310
राज्य-राजधानी-परियोजनाएं	676	500	34	—	—	—	—	1,000	—	—	—	2,175
अन्य	65	46	25	40	121	336	8	53	60	407	—	1,075
7 विविध	779	615	102	210	199	454	97	1,115	116	503	3,163	1,744
सर्वयोग	15,143	21,139	9,986	23,600	22,832	49,700	15,584	25,000	(ख)2,682	7,500	2,08,256	3,84,731

(क) जन-सहयोग के लिए 6 लाख रु० की व्यय-व्यवस्था तीसरी योजना की अधिकतम स्वीकृत राशि में ही उपयुक्त समजन के द्वारा करनी होगी।

(ख) पश्चिम-बंगाल के लिए व्यय-व्यवस्था का वितरण (अ) दामोदर-घाटी-निगम में प० बंगाल के अंशदान, और (ख) बढ़े हुए साधनों के, जिनके 43 करोड़ रु० होने का अनुमान है और जिन्हें राज्य-सरकार 'वित्तीय साधन' शीर्षक छठे अध्याय में उल्लिखित ढंग से 90 करोड़ रु० से भी अधिक करने की आशा करती है, के अनुसार होनेवाले समजन के आधार पर किया जाएगा।

विवरण आ-3 : दूसरी योजना में अनुमानित व्यय और तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था—केन्द्रशासित प्रदेश

(लाख रुपये)

विकास की मद	दिल्ली		हिमाचलप्रदेश		लक्षद्वीप-समूह		पाण्डिचेरी		मणिपुर	
	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कृषि-उत्पादन	9	23	82	199	2	2	13	39	11	29
छोटी सिंचाई	12	30	68	75	—	—	5	12	5	13
मिट्टी-संरक्षण	7	8	—	198	—	—	—	12	—	1
पशुपालन	11	18	37	64	—	3	7	14	6	15
दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—
वन	(क)	6	56	80	—	—	—	—	4	25
मछली-उद्योग	1	10	5	13	7	18	7	9	2	7
गोदाम, हाट-व्यवस्था और भांडारण	—	5	10	4	—	—	1	—	—	—
1 कृषि-कार्यक्रम	13	105	258	639	9	23	33	86	28	9
सहकारिता	15	18*	9	38	—	8	7	12	9	18
सामुदायिक विकास	27	11	195	160	—	—	31	18	70	98
पंचायतें	3	—	27	22	—	—	—	—	—	3

2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	45	29	231	220	—	8	41	30	79	119
सिंचाई	—	—	—	—	—	—	21	10	—	—
बाढ़-नियन्त्रण	11	110	—	—	—	—	—	5	—	12
बिजली	134	1,790	163	197	1	5	58	69	44	107
3 सिंचाई और बिजली	145	1,900	163	197	1	5	79	84	44	119
बड़े और मझोले उद्योग	—	—	1	29	—	—	—	—	—	—
खनिज-विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग्राम और लघु उद्योग	165(ख)	165	39	82	2	6	25	30	9	49(ख)
4 उद्योग और खनन	165	165	40	111	2	6	25	30	9	49
सड़कें	26	220	622	800	—	—	40	60	186	397
सड़क-परिवहन	—	320	58	140	—	—	—	—	32	39
बन्दरगाह और पत्तन	—	—	—	—	8	18	37	—	—	—
अन्य परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पर्यटन	—	—	2	12	—	—	—	2	—	5
5. परिवहन और संचार-साधन	26	540	682	952	8	18	317	62	218	441
सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम	402	1,144	72	205	12	19	26	142	65	110
तकनीकी शिक्षा	—	114	4	18	—	—	6	25	—	—
स्वास्थ्य	115	1,509	150	213	10	10	48	160	40	172
आवास	181	1,905	33	60	—	2	14	21	13	24
पिछड़े वर्गों का कल्याण	15	23	40	82	—	5	5	10	87	128

(क) 'मिट्टी-संरक्षण' के अन्तर्गत व्यवस्था

(ख) मेट्रिक पद्धति के लिए व्यवस्था सम्मिलित।

विवरण आ-3 (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
समाज-कल्याण	—	74	4	17	—	—	2	8	2	4
श्रम और श्रम-कल्याण	2	141	—	331	—	—	1	5	—	—
जन-सहयोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 समाज-सेवाए	715	4,910	303	632	22	36	102	371	207	438
अंक-संकलन	1	3	2	7	—	—	1	4	1	2
सूचना और प्रचार	2	3	11	25	—	1	1	5	3	5
स्थानीय निकाय	—	—	7	10	—	—	7	20	2	25
राज्य-राजधानी-परियोजनाए	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य	—	520	—	—	—	—	—	1	31	—
7 विविध	3	526	20	42	—	1	9	30	37	32
सर्वयोग	1,142	8,175	1,697	2,793	42	97	366	693	622	1,288

विवरण आ-3 (जारी)

विकास की मद	त्रिपुरा: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	त्रिपुरा: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	अन्दमान: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	अन्दमान: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	नेफा: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	नेफा: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	नागालैंड: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	नागालैंड: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था	केन्द्रशासित प्रदेशों का योग: दूसरी योजना में अनुमानित व्यय	केन्द्रशासित प्रदेशों का योग: तीसरी योजना में व्यय-व्यवस्था
	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
कृषि-उत्पादन	28	67	107	164	23	33 }	13	42	288	598
छोटी सिंचाई	6	35	—	—	1	5 }	—	7	97	177
मिट्टी-संरक्षण	1	17	—	10	—	—	—	—	8	246
पशुपालन	8	24	3	4	3	20 }	4	10	82	172
दूध-उद्योग और दूध-आपूर्ति	3	9	—	4	—	— }	—	—	3	24
वन	14	44	14	57	29	43	5	12	122	268
मछली-उद्योग	4	22	2	15	—	5	1	4	29	102
गोदाम, हाट-व्यवस्था और भाण्डारण	—	1	—	—	—	—	—	—	11	10
1 कृषि-कार्यक्रम	64	219	126	254	56	106	23	75	640	1,597
सहकारिता	16	32	1	4	6	12	—	9	63	151
सामुदायिक विकास	61	90	12	25	29	93	36	83	464	578
पचायतें	—	28	—	3	—	—	—	—	30	56

विवरण ग्रा-3 (जारी)

	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2 सामुदायिक विकास और सहकारिता	77	150	13	32	35	105	36	92	557	785
सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	21	10
बाढ़-नियन्त्रण	—	10	—	—	—	—	—	—	11	137
बिजली	34	73	1	14	9	60	21	30	465	2,345
3 सिंचाई और बिजली	31	83	1	14	9	60	21	30	497	2,492
बड़े और मझोले उद्योग	1	2	—	1	—	—	—	—	2	32
खनिज-विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग्राम और लघु उद्योग	43	61	3	13	6	11	1	5	293	425
4 उद्योग और खनन	44	66	3	14	6	11	1	5	295	457
सड़कें	380	430	70	238	142	180	184	250	1,650	2,575
सड़क-परिवहन	—	50	1	10	—	—	—	—	91	559
बन्दरगाह और पत्तन	—	—	—	—	—	—	—	—	45	18
अन्य परिवहन	—	—	99	263	—	25	—	—	99	288
पर्यटन	—	—	—	3	10	—	—	—	12	22
5 परिवहन और संचार-साधन	380	480	170	514	152	205	184	250	1,897	3,462
सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम	103	240	13	57	45	82	17	105	785	2,104
तकनीकी शिक्षा	22	16	—	—	—	—	(क)	—	32	173
स्वास्थ्य	94	168	12	51	68	133	63	150	600	2,566
आवास	10	45	24	16	—	—	1	3	276	2,076
पिछड़े वर्गों का कल्याण	76	135	—	6	—	—	—	—	223	389

समाज-कल्याण	1	11	—	—	—	—	1	—	10	114
श्रम और श्रम-कल्याण	1	1	—	3	—	—	—	2	4	189
जन-सहयोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 समाज-सेवाएं	307	616	49	133	113	215	112	260	1,930	7,611
अंक-संकलन	—	7	—	1	1	3	—	—	6	27
सूचना और प्रचार	3	9	—	3	2	4	1	3	23	58
स्थानीय निकाय	32	—	—	10	—	—	—	—	48	65
राज्य-राजधानी-परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य	—	2	—	4	—	6	—	—	31	533
7 विविध	35	18	—	18	3	13	1	3	108	683
सर्वयोग	941	1,632	362	979	374	715	378	715	5,924	1,708

टिप्पणी : दूसरी योजना का अनुमानित व्यय राज्यों-द्वारा योजना-आयोग के 7 फरवरी, 1961 के पत्र के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर है।

(क) 'सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम' के अन्तर्गत व्यवस्था।

परिशिष्ट इ

जनसंख्या और नियोजन पर टिप्पणियां

चौथी और पांचवीं योजनाओ मे जनसख्या का विस्तार

सन् 1951 की जनगणना-सम्बन्धी रिपोर्ट मे सन् 1981 तक जनसख्या मे वृद्धि के बारे में दो विस्तार-क्रमो का अनुमान लगाया गया। ये अनुमान दो प्रकार की मान्यताओ पर आधारित थे। प्रथम यह कि इस अवधि मे जनसख्या में वृद्धि का क्रम या तो (अ) 1921-50 की अवधि के आकडो के अनुसार रहेगा, या (आ) 1941-50 की अवधि के आकडो के अनुसार। दूसरी पचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में विस्तार के लिए इन्ही अनुमानो को आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। तालिका-सख्या 1 के दूसरे स्तम्भ में इन अनुमानो को प्रस्तुत किया गया है।

2 सन् 1951 की जनगणना के बाद राष्ट्रीय नमूना-सर्वेक्षण-सस्था-द्वारा सामाजिक आकडो का सग्रह शुरू किया गया। इन आकडो मे निरन्तर यह सकेत मिलता रहा कि जनसख्या में वृद्धि की गति कही अधिक रहेगी। तीसरी पचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में प्रयोग के लिए सन् 1959 में रजिस्ट्रार-जनरल की सहायता से केन्द्रीय अंक-सकलन-सगठन-द्वारा नए अनुमान तैयार किए गए। ये अनुमान तालिका-सख्या 1 के तीसरे स्तम्भ में दिए गए है

तालिका-सख्या 1

जनसंख्या का विस्तार *1961–1976* (करोड)

वर्ष	दूसरी पंच-वर्षीय योजना	1959 के केन्द्रीय अंक-सकलन-सगठन	1961 अध्ययन-दल
1961	40 8	43 1	43 8*
1966	43 4	48	49 2
1971	46 5	52 8	55 5
1976	49 9	57.8	62 5

3 सन् 1961 की जनगणना का अस्थायी अनुमान 43 8 करोड है। यह सख्या तीसरी योजना की रूपरेखा में अपनाए गए अक से 2 प्रतिशत अधिक है, तथा दूसरी पचवर्षीय योजना में दिए गए विस्तार के अनुमान से 3 करोड (7 प्रतिशत) अधिक। रजिस्ट्रार-जनरल और केन्द्रीय अक-सकलन-सगठन की सहायता से एक अध्ययन-दल ने निम्न धारणाओ पर आधारित नए अनुमान तैयार किए सामान्य उत्पादकता-क्रम सन् 1971 तक 189 प्रति हजार बना रहेगा और इसके बाद सन् 1976 तक इसमें 10 प्रतिशत की कमी आ जाएगी, इसी तरह सन् 1961 में जन्म के आधार पर जो आयु-सीमा 47 5 वर्ष है, वह सन् 1966 तक प्रति वर्ष 0 75 वर्ष और सन् 1976 तक 0 5 वर्ष की गति से बढेगी। इन विस्तारो को तालिका-सख्या 1 के चौथे स्तम्भ में दिया गया है। इसी अध्ययन-दल ने पुरुषो और स्त्रियो के अलग-अलग वय-वर्गों के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किए हैं। ये अनुमान तालिका-सख्या 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

*सन् 1961 की जनगणना का अस्थायी योग।

तालिका-संख्या 2

1966, 1971 और 1976 में जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि

(लाख)

वय-वर्ग	1961			1966			1971			1976		
	योग	पुरुष	स्त्रिया	योग	पुरुष	स्त्रिया	योग	पुरुष	स्त्रिया	योग	पुरुष	स्त्रिया
0—4	713	366	347	798	408	390	899	459	440	977	498	479
5—9	586	303	283	666	343	323	755	387	368	857	439	418
10—14	461	236	225	569	294	275	650	335	315	738	378	360
0—14	1,760	905	855	2,033	1,045	988	2,304	1,181	1,123	2,572	1,315	1,257
15—19	401	206	195	450	230	220	558	288	270	638	328	310
20—24	370	191	179	392	200	192	441	224	217	548	282	266
25—29	338	172	166	361	185	176	382	195	187	432	219	213
30—34	301	153	148	326	166	160	346	180	166	373	191	182
35—39	265	137	128	288	147	141	314	160	154	336	175	161
40—44	230	122	108	253	131	122	277	142	135	304	155	149
45—49	194	104	90	217	115	102	240	124	116	264	135	129
50—54	159	85	74	180	96	84	202	107	95	226	117	109
55—59	127	67	60	143	76	67	164	87	77	185	97	88
60—64	95	49	46	109	57	52	125	65	60	144	75	69
15—64	2,480	1,286	1,194	2,719	1,403	1,316	3,049	1,572	1,477	3,450	1,774	1,676
65—69	63	32	31	76	38	38	90	46	44	103	53	50
70 और ऊपर	77	35	42	87	41	46	104	49	55	126	60	66
65 और ऊपर	140	67	73	163	79	84	194	95	99	229	113	116
सभी वय-वर्ग	4,380	2,258	2,122	4,915	2,527	2,388	5,547	2,848	2,699	6,251	3,202	3,049

4 जन्म और मृत्यु की दरो में परिवर्तन अत्यधिक दुरूह किस्म के माने जाते है। भारत में परिवार-आयोजन पर बल दिया जा रहा है, परन्तु अभी यह अनिश्चित है कि आगामी 5 या 10 वर्षों में इसका कितना प्रभाव पडेगा। इसलिए तालिका-सख्या 2 में जनसख्या के विस्तार का जो क्रम बताया गया है, वह कतिपय धारणाओ पर आधारित होने के कारण कुछ हद तक काल्पनिक है। जनसख्या में वास्तविक वृद्धि उक्त धारणाओ से भिन्न भी हो सकती है, परन्तु आगामी वर्षों के लिए विभिन्न योजना-लक्ष्यो के आकलन के सदर्भ मे जनसख्या के आकडो का एक मानक रूप अपरिहार्य है। यहा विस्तार का जो स्वरूप दिया गया है, वह अस्थायी रूप से वर्तमान प्रयोजनो के लिए ही अपनाया गया है। इस बात को अच्छी तरह समझ लिया गया है कि अनुमानो को सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि दो जनगणनाओ के मध्य की अवधि में पर्याप्त विश्वसनीय सामाजिक आकडे एकत्र किए जाए।

(2)

तीसरी योजना मे अतिरिक्त नियोजन के अनुमान

तीसरी योजना में सम्मिलित किए गए विकास-कार्यक्रमो और परियोजनाओ के फलस्वरूप तीसरी योजना की अवधि में सम्मिलित अतिरिक्त नियोजन का अनुमान लगाते समय जो दृष्टि अपनाई गई है, उसके बारे में 'नियोजन और जनशक्ति' शीर्षक 10-वें अध्याय में एक सामान्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस बात की निरन्तर आवश्यकता है कि अतिरिक्त आकडे एकत्र किए जाए, धारणाओ की जाच की जाए और अनुमान लगाने के तरीको में सुधार किया जाए। वर्तमान अनुमानो में सुधार तथा और अधिक अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से इस टिप्पणी में ग्रामीण विकास तथा हाथ में लिए जानेवाले अन्य कार्यक्रमो की विशेष योजनाओ के अलावा तीसरी योजना में अतिरिक्त नियोजन की सम्भावनाओ का आकलन करने के लिए अपनाई गई मुख्य धारणाओ को सक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

2 यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार तीसरी योजना में 1 करोड 40 लाख अतिरिक्त व्यक्तियो को रोजगार मिल सकेगा। इनमें से लगभग 1 करोड 5 लाख को कृषि-भिन्न कार्यों में तथा 35 लाख को कृषि-कार्यों में काम मिलेगा। कृषि कर्म के भिन्न कार्यों में अतिरिक्त रोजगार का वितरण इस प््रकार किया जा सकता है .

कृषि-भिन्न कार्यों में अतिरिक्त नियोजन

क्षेत्र	(लाख)
1. निर्माण-कार्य	23*
2 सिचाई और बिजली	1

*निर्माण-कार्यों में नियोजन का आगे विभाजन :

	(लाख में)
1 कृषि और सामुदायिक विकास	6 1
2 सिचाई और बिजली	4.9
3 कुटीर और लघु उद्योगों-सहित उद्योग और खनिज	4 6
4 रेलवे-सहित परिवहन और सचार-साधन	3 4
5 समाज-सेवाएं	3 5
6 विविध	0 5
योग	23

क्षेत्र	(लाख)
3 रेलवे	1 4
4 अन्य परिवहन और सचार-साधन	8 8
5 उद्योग और खनिज	7 5
6 लघु उद्योग	9
7 वन-विकास, मछली-उद्योग और सम्बद्ध सेवाए	7 2
8 शिक्षा	5 9
9 स्वास्थ्य	1 4
10 अन्य समाज-सेवाए	0.8
11 सरकारी नौकरी	1 5
योग	67 5
12 1 से लेकर 11 तक की मदो मे 56 प्रतिशत के हिसाब से व्यापार-वाणिज्य-सहित अन्य	37 8
सर्वयोग	105 3

3 अतिरिक्त नियोजन के अनुमान तीन प्रारम्भिक धारणाओ पर आधारित है। पहली बात, वर्तमान क्षमता के सम्बन्ध में उत्पादन और नियोजन को वर्तमान स्तर से नीचे गिरने नही दिया जाएगा। विशेषत, अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार काम करने में मालिक जो कठिनाइया अनुभव करेंगे, उन्हे दूर किया जाएगा और वर्तमान इकाइयो में नियोजन को कम-से-कम यथावत् रखा जाएगा। दूसरी बात, योजना में उपबन्धित विभिन्न विकास-कार्यों को आवश्यक कुशलता और मितव्ययिता से पूरा किया जाएगा तथा उत्पादन जारी रखा जाएगा। तीसरी बात, सभी बातो को ध्यान में रखते हुए निर्माण-कार्यों में सघन श्रम-पद्धतियो को प्राथमिकता दी जाएगी।

4 तीसरी योजना में विकास के सन्दर्भ में अतिरिक्त नियोजन का अनुमान इन दृष्टियो से लगाया जाना चाहिए .

(अ) कृषि-भिन्न क्षेत्रो में इनके सम्बन्ध में

(1) निर्माण का चरण;

(2) निर्माण-प्रक्रिया की अवधि में उत्पन्न सम्पत्ति के सचालन और रख-रखाव के परिणामस्वरूप कार्य जारी रहने का चरण, और

(3) कृषि से बाहर मुख्यत व्यापार, वाणिज्य और विविध सेवाओ में, जिनमें सगठित क्षेत्र से बाहर की परिवहन-सेवा भी सम्मिलित है, अप्रत्यक्ष नियोजन।

(आ) कृषि में।

निर्माण-कार्यों में नियोजन

विकास के सभी क्षेत्रों में निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस शीर्षक के अन्तर्गत अतिरिक्त नियोजन के अनुमान योजना के अधीन परियोजनाओं की सम्पूर्ण श्रेणियों—यथा, सिंचाई और बिजली, सड़कें, रेलवे, कारखानों के भवन, आवास, विद्यालयों और अस्पतालों के भवन, आदि के निर्माण—के सम्बन्ध में है। मुख्य रूप से, निर्माण के चरण में नियोजन का अनुमान आधार-वर्ष 1960-61 के स्तर की तुलना में 1961-66 में हुई व्यय-परिमाण में वृद्धि के आधार पर लगाया गया है। व्यय-परिमाण और उसकी स्थिति के बारे में आकड़े केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य-सरकारों से प्राप्त सूचनाओं से और विशेष अध्ययनों या अन्य ऐसी सूचनाओं के आधार पर, जिन्हें एक साथ रखा जा सकता है, निकाले गए हैं। इस बात का प्रयत्न किया गया है कि कार्य की प्रत्येक श्रेणी के लिए 1 करोड़ रु० विकास-व्यय के आधार पर वर्ष में 300 दिनों के लिए नियुक्त किए जानेवाले सम्भावित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया जाए। इस बात को उदाहरण-द्वारा समझाने के लिए निर्माण के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों (1) सिंचाई एवं बिजली, और (2) परिवहन के नियोजन-सम्बन्धी आकलनों को नीचे विस्तार में प्रस्तुत किया गया है

(1) सिंचाई · सन् 1955-56 और 1960-61 के सम्भावित व्यय-परिमाण के अन्तर का अनुमान लगभग 37 5 करोड़ रु0 है। 'दूसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ मुख्य परियोजनाओं की प्रगति' (मार्च 1961) में किए गए विश्लेषण के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुभव यह बताता है कि विश्लेषण में सम्मिलित परियोजनाओं में मोटे तौर पर नियोजन और पूंजी-विनियोग का अनुपात प्रति करोड़ 7 000 मानव-वर्ष है। इस आधार पर सिंचाई-परियोजनाओं के निर्माण-कार्यों में अतिरिक्त नियोजन के सम्भावित मानव-वर्ष लगभग 2 63 लाख मानव-वर्ष होंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि चूंकि प्रगति की रिपोर्ट में वर्णित परियोजनाएं बड़ी परियोजनाओं में से है, अत इस प्रकार नियोजन का जो अनुमान लगाया जाएगा, वह सिंचाई पर पूंजी-विनियोग की नियोजन-सम्बन्धी सम्भावनाओं को कुछ कम ही बतानेवाला होगा।

बिजली : दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष की तुलना में तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में बिजली-परियोजनाओं के व्यय में 140 करोड़ रु० की वृद्धि का अनुमान है। दूसरी योजना का अनुभव बताता है कि बिजली-परियोजनाओं में एक करोड़ रु० के विनियोग से निर्माण-चरण में 1,600 मानव-वर्ष का नियोजन हो सकता है। इस आधार पर बिजली-परियोजनाओं और बहुद्देशीय परियोजनाओं के बिजली-सम्बन्धी अंश में अतिरिक्त निर्माण-विषयक नियोजन लगभग 2 24 लाख मानव-वर्ष होगा।

इस प्रकार, सिंचाई और बिजली-परियोजनाओं में कुल अतिरिक्त नियोजन 4 87 (या 4 9) लाख मानव-वर्ष होगा।

(2) परिवहन : परिवहन के अन्तर्गत निर्माण-कार्य मुख्यत रेलवे, सड़कों, बन्दरगाहों और पत्तनों तथा अन्य परिवहन और संचार-साधनों के बारे में विभाजित है। रेलों के बारे में अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में वार्षिक व्यय में लगभग 53 5 करोड़ रु० की वृद्धि होगी। रेलों में प्रति करोड़ रु० पर निर्माण-कार्यों में लगभग 1,900 मानव-वर्ष का नियोजन होगा। इस आधार पर योजना की अवधि में रेलों में अतिरिक्त निर्माण-विषयक नियोजन लगभग 1 लाख मानव-वर्ष होगा। सड़कों के बारे में भी इसी प्रकार के आकलन से,

जहां नियोजन के स्वरूप को 'भारत की सड़कों पर मुख्य इंजीनियरों की रिपोर्ट' (1961-81) के आधार पर निर्धारित किया गया है, वह पता चलता है कि योजना के अन्तिम वर्ष मे सम्भावित वृद्धि के अनुसार अतिरिक्त नियोजन 2.14 लाख मानव-वर्ष होगा। बन्दरगाहों, पत्तनों तथा अन्य परिवहन और संचार-साधनों के सम्बन्ध में किए गए आकलन के अनुसार इनमें निर्माण-नियोजन के परिमाण में लगभग 31,000 की वृद्धि होगी। इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल संख्या 3.45 लाख ठहरती है (पैराग्राफ 2 की तालिका में इसे 3.4 लाख दिखाया गया है)।

निर्माण-नियोजन के अन्य क्षेत्रों में भी आकलन की इसी तरह की पद्धतियां अपनाई गई हैं।

स्थिर नियोजन

6 निर्माण के चरण की अपेक्षा उसके बाद के स्थिरतामूलक चरण में प्रत्यक्ष नियोजन के अनुमान लगाने में कहीं अधिक कठिनाइयां हैं। आर्थिक जीवन की विभिन्न शाखाओं में अनुभवों के निकट अध्ययन पर आधारित सूचनाएं सीमित हैं। कृषि-क्षेत्र से बाहर स्थिर नियोजन के अनुमानों को या तो स्थिर नियोजन में निश्चित मूल्यों पर लगाई गई प्रति व्यक्ति आवश्यक पूंजी से जोड़ना पड़ेगा या उत्पादकता में वृद्धि के लिए उपयुक्त छूट देने के बाद प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ उसे सम्बद्ध करना पड़ेगा। इस पद्धति के स्पष्टीकरण की दृष्टि से तीन मुख्य क्षेत्रों (1) ग्राम और लघु उद्योगों, (2) शिक्षा, और (3) खनन के बारे में नियोजन के आकलनों को नीचे प्रस्तुत किया गया है

(1) **ग्राम और लघु उद्योग :** लघु उद्योग-मंडल-द्वारा स्थापित अध्ययन-मंडलों ने कुछ विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, जिन पर तीसरी योजना में खर्च किए जाने की सम्भावना है, विनियोग और नियोजन के अनुमान के बारे में कार्य किया है। लघु उद्योगों में एक व्यक्ति के नियोजन का अर्थ औसत रूप से 5,000 रु० का खर्च है। हस्तशिल्प के बारे में यह अनुमान 1,500 रु० और नारियल-जटा-उद्योग तथा रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के बारे में मोटे तौर पर 1,000 रु० है। ग्राम और लघु उद्योगों के अन्तर्गत इनके विभिन्न कार्यों के लिए तीसरी योजना में किए गए बटवारे के आधार पर मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र के व्यय-परिमाण के मुकाबले नियोजन का अनुमान 3.57 लाख है। निजी क्षेत्र में भी इसी प्रकार के अनुमानित व्यय-परिमाण से 5 लाख के नियोजन की सम्भावना है। दोनों क्षेत्रों को मिला कर कुल नियोजन 8.57 लाख या 9 लाख ठहरता है। इसमें हथकरघा, बिजली-चालित करघा और खादी तथा ग्रामोद्योगों का सरकारी क्षेत्र का 130 करोड़ रु० का व्यय-परिमाण सम्मिलित नहीं है, जिससे मुख्यतः अर्द्ध-रोजगार लोगों की स्थिति सुधरेगी।

(2) **शिक्षा :** जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिर नियोजन का भाव नत अध्यापक-छात्र के अनुपात पर आधारित है। आकलन के विस्तार को नीचे की तालिका में दिखाया गया है। पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की उपलब्धि के मार्ग में उपस्थित होनेवाली कठिनाइयों के कारण इन आंकड़ों में लगभग 30,000 का समजन किया गया है। इसलिए शिक्षा के अन्तर्गत कुल नियोजन 5.9 लाख दिखाया गया है।

शिक्षा-योजनाओं के कारण अतिरिक्त नियोजन

(लाख)

वय-वर्ग	दर्ज नाम	प्रति शिक्षक छात्र	शिक्षकों की संख्या
(अ) 6–11 वय-वर्ग			
1960-61	343 4	1 37	9 28
1965-66	496 4	1 38	13 06
	अतिरिक्त		3 78
(आ) 11–14 वय-वर्ग			
1960-61	62 9	1 28	2 25
1965-66	97 5	1 28	3 48
	अतिरिक्त		1 23
(इ) 14–17 वय-वर्ग			
1960-61	29 1	1 14	2 08
1965-66	45 6	1 16	2 85
	अतिरिक्त		0.77
(ई) विश्वविद्यालय-शिक्षा			0.4
		योग	6.18
		घटाइए	0 30
			5.88
	अथवा लगभग	5 9 लाख	

(3) खनन. नियोजन के ऐसे आकलन के लिए, जिनमें केवल भौतिक लक्ष्यों का प्रयोग किया गया है, उदाहरण के रूप में खनन में जिस प्रकार अतिरिक्त नियोजन के लिए कार्य किया गया है उसे पेश किया जा सकता है। पैराग्राफ 2 की तालिका में 'उद्योग और खनिज' शीर्षक के सामने 7 5 लाख का जो नियोजन दिखाया गया है, उसमें खनिज पदार्थों के बारे में नियोजन कुल का एक-तिहाई भाग (लगभग 2.5 लाख) है। आकलन के विवरण नीचे की तालिका में दिखाए गए है

उत्पादन	लाख टन	उत्पादकता प्रति व्यक्ति (टनों में प्रति वर्ष)	नियोजित व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
(अ) कोयला :			
1960-61	546	140	3 9
1965-66	970	180	5 4
अतिरिक्त नियोजन			1 5
(आ) खनिज लोहा :			
1960-61	107	170	0 6
1965-66	300	225	1.3
अतिरिक्त नियोजन			0 7
योग कोयला और खनिज लोहा			2 2

जहा तक अन्य खनिज पदार्थों का सम्बन्ध है, सन् 1951-58 की अवधि में प्राप्त हुए अनुभवो से स्पष्ट है कि नियोजन में वृद्धि की गति प्रति वर्ष 7,000 व्यक्ति है। इसी आधार पर तीसरी पचवर्षीय योजना में अतिरिक्त नियोजन के 35,000 होने की सम्भावना है। इसलिए कुल अतिरिक्त नियोजन का अनुमान 2.55 लाख है, जिसमें से पहले किए गए उल्लेख के अनुसार, पूर्व अनुमान में केवल 2 5 लाख को ही शामिल किया गया है।

7 बडे और मझोले उद्योगो मे स्थिर नियोजन का स्वरूप भिन्न होगा। नीचे की तालिका, जो अनिवार्यत दृष्टान्त के रूप में है, यह सकेत देती है कि कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगो मे प्रति व्यक्ति कितनी पूजी की आवश्यकता है

उद्योग का नाम	प्रति व्यक्ति आवश्यक पूंजी (रु०)
इस्पात	1,60,000
उर्वरक	40,000
मशीनी औज़ार (वर्गीकृत)	25,000
भारी मशीनी-निर्माण-सयन्त्र	1,00,000
ढलाई-गढाई-सयन्त्र	1,00,000
कोयला-खनन-मशीनें	60,000
भारी बिजली का सामान	50,000

8 यहा यह कह देना उचित होगा कि जिन आकडो पर उक्त आकलन आधारित है, वे कुल मिला कर अत्यल्प हैं। इसलिए इनसे जो परिणाम निकाले गए है, उनका तात्पर्य केवल एक सामान्य परिधि का सुझाव देना है। वस्तुत इस क्षेत्र में निश्चित अनुमान सुदीर्घ अध्ययन से ही प्राप्त हो सकते है।

9 पैराग्राफ 2 की तालिका के प्रथम 11 क्षेत्रो की विभिन्न मदो में प्रदर्शित नियोजन के अलावा अर्थव्यवस्था में ऐसे अन्य क्रियाकलाप भी होंगे, जिनमें नियोजन में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, खनन, उद्योग, रेलवे, परिवहन, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, सचार-साधन, आदि-जैसे धन्धो के समान ही व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन (रेलवे और सगठित सड़क-परिवहन से भिन्न परिवहन), भाडारण, गोदाम, पेशो और विविध व्यक्तिगत सेवाओ के बारे में भी उनसे सम्बद्ध कार्रवाइया होगी, जिन्हें इस प्रकार के नियोजन की विशिष्ट स्थिति के कारण नियोजन के आकलन में सम्मिलित नही किया जा सकता। इनमें से कुछ क्षेत्र आत्म-नियोजन के है, और काम करनेवाले व्यक्तियो का एक बहुत बडा भाग आत्म-नियोजनमूलक धन्धो में लगा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के अनुमानो में पर्याप्त अनिश्चय की स्थिति रहेगी, क्योकि आत्म-नियोजित क्षेत्र में इस समय जो लोग लगे हुए है, वे अपने को अर्द्ध-नियोजित समझते है। उनमें तथा उन अन्य लोगो में, जो काम चाहते है, अतिरिक्त काम के वितरण की सही स्थिति मालूम करना, इस क्षेत्र में नियोजन-तत्व-सम्बन्धी हमारे वर्तमान ज्ञान को देखते हुए बहुत कठिन है। फिर भी, जो अध्ययन किए गए है, उनसे यह मालूम होता है कि इस समय इस प्रकार का अतिरिक्त नियोजन पैराग्राफ 2 की तालिका की प्रथम 11 श्रेणियो में बढे हुए नियोजन का 56 प्रतिशत होगा। जैसा कि 'नियोजन और जनशक्ति' शीर्षक अध्याय में बताया गया है, यह अनुमान सन् 1951 की जनगणना के आकडो

पर आधारित है। जब नवीनतम जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, तब इस प्रकार के नियोजन के परिणामों का अधिक सही लगाना सम्भव हो सकेगा।

कृषि-क्षेत्र में नियोजन

10 कृषि के क्षेत्र में, कुल अतिरिक्त नियोजन और अर्द्ध-नियोजित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से किए जानेवाले नियोजन के विस्तार में अन्तर करना बड़ा कठिन है। जो सीमित-सी जांच की गई है, उससे यह प्रकट होता है कि सिंचाई, मिट्टी-संरक्षण और बाढ़-नियन्त्रण से लाभान्वित क्षेत्रों में कृषि में अतिरिक्त नियोजन में 30 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। भूमि का फिर से उद्धार करने और भूमिहीन श्रमिकों को बसाने की योजनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाला नियोजन लगभग अतिरिक्त वृद्धि ही माना जाएगा। यदि 4 एकड़ में एक व्यक्ति को नियोजित माना जाए, तो अतिरिक्त नियोजन इस प्रकार होगा : सिंचाई से 15 लाख, मिट्टी-संरक्षण और भूमि-पुनरुद्धार से 12 लाख, बाढ़-नियन्त्रण, नालियों और प्लावन-निरोधी योजनाओं से 3 लाख, और भूमि पर भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को बसाने से 5 लाख। सब मिला कर लगभग 35 लाख व्यक्तियों को नियोजित किया जा सकेगा।

परिवर्तन-तालिका

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ / पैराग्राफ / पंक्ति	निम्नलिखित के स्थान पर	निम्नलिखित पढ़िए
अध्याय 3		
37 / फुट नोट	सांख्यिकी औसत	सख्या-सग्रह
45 / 29 / 4	तेल के पहले मुद्रित 'एक' निकाल दीजिए	
अध्याय 4		
57 / 11 / 7	बिजली और तक-नीकी शिक्षा के विकास के लिए	बिजली के विकास के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए
अध्याय 5		
76 / 31 / 3	2,00,000	2,05,000
85 / स्तम्भ 5 / अन्तिम मद	40	—
87 / स्तम्भ 7 / 4 3 रेलवे-इंजिन वाष्पचालित	3,214	4,114
96 / स्तम्भ 10	मद 'जन-सहयोग और स्थानीय कार्य' के सामने 5,000 की सख्या के साथ (झ) रखिए	
97 / फुट नोट	फुट नोट (ज) के नीचे यह फुट नोट जोडिए— '(झ) जन-सहयोग के लिए 7 5 करोड रुपये-सहित'	
अध्याय 6		
131 / दूसरी मद का अन्तिम स्तम्भ	374 17	374 1
अध्याय 8		
149 / तालिका-सख्या 4 / यरोपीय आर्थिक समु-दाय के सामने का अन्तिम स्तम्भ	18	18 2
अध्याय 12		
196 / तालिका-सख्या 1 / अन्तिम मद का अन्तिम स्तम्भ	320	330

पृष्ठ / पैराग्राफ / पंक्ति	निम्नलिखित के स्थान पर	निम्नलिखित पढ़िए
197 / तालिका-सख्या 1 / प्रथम मद का अन्तिम स्तम्भ	400	405
203 / 23 / 1	3 लाख	5 लाख 20 हजार
203 / 24 / 2	11 लाख टन	8 8 लाख टन
	अध्याय 13	
216 / 8 / 3	आवश्यकता	आवश्यकताओ
	अध्याय 18	
311 / 21 / 4	राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खड	सामुदायिक विकास-खड
	अध्याय 19	
315 / 4 / 2	290 करोड रुपये	294 करोड रुपये
330 / तालिका-सख्या 5 / तेलहन के सामने का अन्तिम स्तम्भ	38	38 6
342 / आन्ध्रप्रदेश के सामने 'तीसरी योजना के अन्त में अनुमानित उत्पादन' वाला स्तम्भ	87 69	87 99
342 / अन्तिम पक्ति/ 'योग' के सामने 'तीसरी योजना में अतिरिक्त उत्पादन' वाला स्तम्भ	236.05	236.04
342 / अन्तिम पक्ति/'योग' के सामने 'तीसरी योजना के अन्त में अनुमानित उत्पादन' वाला स्तम्भ	1,005 47	1,005.46
345 / (4) तेलहन वाले खड में उत्तरप्रदेश के सामने दूसरा स्तम्भ	765	756
	अध्याय 20	
352 / मद-सख्या (9)	व्यापक शिक्षा तथा कर्तव्यो	व्यापक प्रशिक्षण, शिक्षा तथा कर्तव्यो
	अध्याय 22	
376 / 5 / 2	वन लगाने	वनो को फिर से ठीक-ठाक करने
381 / 28 / 3	72 करोड रु०	73 करोड रु०